शासनादेश संग्रह

(पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी आदि)

(दिनांक 9 अगस्त, 2019 तक)

वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान

Institute of Financial Management Training & Research, U.P.

24/3-4, इन्दिरा नगर, लखनऊ, 226 016

दूरभाष : 0522-2345210, 2345176, 2353623, 2346314

फैक्स : 0522–2349446

वेबसाइट : **http://ifmtr.up.nic.in**

ई-मेल : **ifmtr@nic.in**

शासनादेश संग्रह

(पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी आदि)

(दिनांक 9 अगस्त, 2019 तक)

प्रकाशक
निदेशक

वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान

Institute of Financial Management Training & Research, U.P.

24/3-4, इन्दिरा नगर, लखनऊ, 226 016

दूरभाष : 0522-2345210, 2345176, 2353623, 2346314

फैक्स : 0522–2349446

वेबसाइट : http://ifmtr.up.nic.in

ई-मेल : ifmtr@nic.in

प्राक्कथन

नियोक्ताओं द्वारा अपने कर्मचारियों को पेंशनरी लाभ दिये जाने की प्रथा काफी प्राचीन होते हुए भी इसका समुचित उद्विकास 19वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में पेंशन सिस्टम की शुरूआत 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के बाद की गयी। पेंशन्स एक्ट 1871 तथा सिविल पेंशन कोड 1872 द्वारा पेंशन सिस्टम की व्यवस्थाओं को संहिताबद्ध करने की दिशा में प्रयास प्रारम्भ हुए। भारत सरकार द्वारा 1 मई 1889 को प्रकाशित 'सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स'(सी0एस0आर0) में वेतन,अवकाश आदि के साथ ही सिविल विभागों में सेवा के द्वारा पेंशन के अर्जन और उसकी गणना की विधि को परिभाषित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के सेक्शन 241(2) (बी) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके प्रान्तीय सरकार (तत्समय संयुक्त प्रान्त) द्वारा पृथक् रूप से निर्मित 'फण्डामेण्टल रूल्स' के 1942 से प्रभावी हो जाने से सी0एस0आर0 का मुख्य प्रतिपाद्य विषय पेंशन ही रह गया। इसी बीच 1941 में असाधारण पेंशन से सम्बन्धित नियमों को सी0एस0आर0 से हटाकर इनके लिए 'उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा–आर्डिनरी पेंशन) रूल्स' नाम से एक अलग नियमावली बनायी गयी। पेंशनरी लाभों का विनियमन उत्तर प्रदेश में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा अंगीकृत सी0एस0आर0 के प्रावधानों से होता आ रहा है। 1960 के दशक में निर्मित उत्तर प्रदेश रिटायरमेण्ट बेनीफिट्स रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली 1961 तथा नयी पारिवारिक पेंशन योजना 1965 आदि नियमावलियों के माध्यम से पेंशनरी लाभों को और अधिक व्यापक, उदार एवं लाभप्रद बनाया गया है। शासनादेश दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 एवं शासनादेश दिनांक 28 जुलाई ,1989 द्वारा जहाँ पेंशन सम्बन्धी कार्यप्रणाली का सरलीकरण किया गया है वहीं 1985 से चरणबद्ध तरीके से पेंशनरी देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण प्रारम्भ किया गया जिसके फलस्वरूप वर्तमान में पेशनरी देयों की स्वीकृति का कार्य मुख्यतया पेंशन निदेशालय एवं मण्डलीय अपर/संयुक्त निदेशक,कोषागार एवं पेंशन द्वारा किया जा रहा है।

शासन द्वारा पेंशनरी लाभों के सम्बन्ध में समय–समय पर बनायी गयी नियमावलियों एवं शासनादेशों आदि का एक स्थान पर संकलन पेंशन प्रकरणों के ससमय समुचित निस्तारण में सहायक सिद्ध होगा। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए **शासनादेश संग्रह (पेंशन,पारिवारिक पेंशन,गेच्युटी आदि)** नामक प्रस्तुत संकलन तैयार कराया गया है। प्रस्तुत संकलन को वर्तमान स्वरूप तक लाने का श्रेय मुख्यतया संस्थान के उप निदेशक श्री वाई0एल0दीक्षित को जाता है, जिनके विद्वत्तापूर्ण परिश्रम से यह संकलन अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हो सका जिसके लिए वे सराहना एवं धन्यवाद के पात्र हैं। आशा है यह संकलन सुधी पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। संग्रह को और अधिक उपयोगी बनाने हेतु सुधी पाठकों के बहुमूल्य परामर्शों का सदैव स्वागत रहेगा।

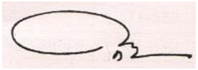

नील रतन कुमार
निदेशक

विषय–सूची

अध्याय संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	वेतन समिति 2016 के क्रम में निर्गत शासनादेश	1–28
2	वेतन समिति 2008 के क्रम में निर्गत शासनादेश	29–80
3	वेतन समिति 1997 के क्रम में निर्गत शासनादेश	81–148
4	वेतन समिति 1997 के पूर्व निर्गत महत्त्वपूर्ण शासनादेश	149–296
5	पेंशन के राशिकरण से सम्बन्धित शासनादेश	297–338
6	पारिवारिक पेंशन से सम्बन्धित शासनादेश	339–398
7	विकलांग सन्तान को पारिवारिक पेंशन सम्बन्धी शासनादेश	399–404
8	लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को पेंशनरी देयों के भुगतान सम्बन्धी शासनादेश	405–412
9	अस्थायी सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर पेंशनरी लाभों की देयता सम्बन्धी शासनादेश	413–418
10	उपदान के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज की देयता सम्बन्धी शासनादेश	419–430
11	पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी शासनादेश	431–476
12	समूह 'घ' के कार्मिकों की पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया सम्बन्धी शासनादेश	477–490
13	अनन्तिम पेंशन स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश	491–520
14	असाधारण पेंशन (सिविल) सम्बन्धी शासनादेश	521–548
15	असाधारण पेंशन (पुलिस) सम्बन्धी शासनादेश	549–560
16	पेंशनरी लाभों हेतु सेवाओं के जोड़े जाने सम्बन्धी शासनादेश	561–570
17	पेंशनरी अंशदान सम्बन्धी शासनादेश	571–580
18	पेंशन प्रपत्रों के प्रेषण/मानीटरिंग सम्बन्धी शासनादेश	581–590
19	ई–पेंशन सिस्टम सम्बन्धी शासनादेश	591–610
20	पेंशन भुगतान/जीवन प्रमाण पत्र सम्बन्धी शासनादेश	611–668
21	पेंशन अदालत सम्बन्धी शासनादेश	669–673

अनुक्रमणिका

अध्याय 1—वेतन समिति 2016 के क्रम में निर्गत शासनादेश

क्र0 सं0	शासनादेश सं0	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	38 / 2016—सा—3—921 / दस—2016 / 308 / 2016	23 दिसम्बर, 2016	वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन—पेंशन / उपदान / पेंशन की संराशीकरण / पारिवारिक पेंशन / अशक्तता पेंशन / एकमुश्त अनुग्रह राशि का विनियमन करने वाले प्रावधानों का संशोधन	3–7
2	39 / 2016—सा—3—923 / दस—2016 / 308 / 2016	23 दिसम्बर, 2016	वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन—वर्ष 2016 से पूर्व के पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन	8–10
3	2—2016 / सा—3—86 / दस—2017 / 308 / 2016	20 फरवरी, 2017	वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन—वर्ष 2016 से पूर्व के पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन	11
4	8—2017 / सा—3—125 / दस—2017 / 308 / 2016	30 मार्च, 2017	वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय के क्रम में सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं / राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वशासी संस्थाओं के दिनांक 1 जनवरी, 2016 के उपरान्त के पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन	12
5	13 / 2017—सा—3—रिट—103 / दस—2017—328(122) / 2016	14 जून, 2017	कार्य प्रभारित अधिष्ठान की सेवा को अर्हकारी सेवा न माना जाना	13–14
6	23 / 2017—सा—3—329 / दस—2017 / 308 / 2016	18 जुलाई, 2017	वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन—वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन	15–18
7	28 / 2017 / सा—3—333 / दस—2017—308 / 2016 तृतीय	22 अगस्त, 2017	उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2016 की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन	18–19
8	31 / 2017 / सा—3—524 / दस—2017—308(8) / 2016	4 सितम्बर, 2017	वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन	20
9	32 / 2017 / सा—3—324 / दस—2017—301(8) / 2015	5 अक्टूबर, 2017	वित्त विभाग की अधिसूचना 8 / 2016 / सा—3—179 / दस—2016—301(8) / 2015, दिनांक 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (संशोधन) विनियमावली, 2016 का स्पष्टीकरण	21

क्र0 सं0	शासनादेश सं0	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
10	34 / 2017–सा–3–313 / दस–2017–308 / 2016–द्वितीय	10 अक्टूबर, 2017	राज्य सरकार की सेवा से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सांविधिक निकायों / स्वायत्तशासी संस्थाओं में स्थायी रूप से संविलीन कार्मिकों की राजकीय सेवाओं हेतु अनुमन्य पेंशन का दिनांक 1 जनवरी, 2016 से संशोधन	22
11	1 / 2018–सा–3–798 / दस–2017 / 308 / 2016	1 जनवरी, 2018	वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन–वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन।	23–24
12	14 / 2018–सा–3–312 / दस–2018 / 308 / 2016	1 मई, 2018	वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का संशोधन	24
13	15 / 2018–सा–3–10 / दस–2018 / 308 / 2016	1 मई, 2018	दिनांक 1 जनवरी, 2016 के पूर्व अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन का दिनांक 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षण	25
14	16 / 2019–सा–3–322 / दस–2019 / 301(8) / 2015	16 अप्रैल, 2019	उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (संशोधन) विनियमावली, 2019	26
15	23 / 2019 / सा–3–648 / दस–2019–308 / 2016	09 अगस्त, 2019	प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की दर में पुनरीक्षण के फलस्वरूप चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के सेवानिवृत्त राजकीय चिकित्सकों / दन्त शल्य चिकित्सकों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का संशोधन	26–27

अध्याय 2–वेतन समिति 2008 के क्रम में निर्गत शासनादेश

क्र0 सं0	शासनादेश सं0	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	सा–3–1508 / दस–2008–308–97	8 दिसम्बर, 2008	वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त / मृत कार्मिकों की पेंशन / ग्रेच्युटी / पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की दरों का पुनरीक्षण किया जाना	31–37
2	सा–3–1515 / दस–2008–308–97	8 दिसम्बर, 2008	वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का	38–41

क्र0 सं0	शासनादेश सं0	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
			अभिनवीकरण / पुनरीक्षण	
3	सा–3–1517 / दस–2008–308–97	10 दिसम्बर, 2008	वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप अशक्तता पेंशन भोगियों हेतु नियत परिचर भत्ता स्वीकृत किए जाने के संबंध में	41–42
4	सा0–3–1520 / दस–2008–101(24)–2008	11 दिसम्बर, 2008	छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर जारी शासनादेश संख्या सा0–3–1250 / दस–2008 दिनांक 20 अक्टूबर, 2008 के अन्तर्गत कोषागार एवं निदेशक पेंशन के स्तर पर क्रियान्वयन के सम्बन्ध में	42–44
5	सा–3जी0आई0 28 / दस–2008	6 जनवरी, 2009	शा0सं0–सा–3–1508 / दस–2008–308 / 97 दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 एवं शा0सं0–सा–3–1515 / दस–2008–308 / 97 दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 का शुद्धिपत्र	45–46
6	सा–3–1541 / दस–2008–308–97 टी0सी0	7 जनवरी, 2009	वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का अभिनवीकरण / पुनरीक्षण	46–50
7	सा–3–135 / दस–2009–308–97	10 फरवरी, 2009	शा0सं0–सा–3–1508 / दस–2008–308 / 97 दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 एवं शा0सं0–सा– 3– / 1515 / दस–2008–308 / 97 दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 का शुद्धिपत्र।	51
8	सा–3–342 / दस–2009–308–97	9 अप्रैल, 2009	80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ अनुमन्य कराना	52
9	सा0–3–1272 / दस–2009	30 सितम्बर, 2009	राज्य सरकार के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन प्रकरणों को शीघ्रता से निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में	53–54
10	सा–3–40 वी0आई0पी0 / दस–2009–308–97 टी0सी0	11 जनवरी, 2010	शा0सं0–सा0–3–1508 / दस–2008–308 / 97 दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 का शुद्धिपत्र	54–55
11	सा–3–1358 / दस–2010	19 जुलाई, 2010	सा–3–1515 / दस–2008–308 / 97 दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 का शुद्धिपत्र	55–57
12	सा–3–1287 / दस–2010	28 जुलाई, 2010	शा0सं0–सा–3–1340 / दस–88–910 / 88 दिनांक 19 अगस्त, 1988 में संशोधन	57–58
13	सा–3–1469 / दस–2010	6 अगस्त, 2010	अतिरिक्त पेंशन की अनुमन्यता	58
14	सा–3–1622 / दस–2010–308 / 97	10 नवम्बर, 2010	20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पर पूर्ण पेंशन का लाभ दिनांक 1 जनवरी, 2016 से	59

क्र0 सं0	शासनादेश सं0	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
			दिया जाना	
15	सा0–3–2036 / दस–2008 / 97टी0सी0	15 दिसम्बर, 2010	दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक / उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का संशोधन	59–60
16	सा–3–958 / दस–2011–308 / 97 टी0सी0	3 अगस्त, 2011	दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक / उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का संशोधन	60–61
17	सा–3–1509 / दस–2011	8 नवम्बर, 2011	आगामी दो वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची	61
18	सा0–3–2472 / दो–4–11–45(12) / 91टी0सी0–4	27 दिसम्बर, 2011	दिनांक 01 जुलाई, 1996 से दिनांक 31–12–2005 के मध्य सेवानिवृत्त न्यायिक सेवा के अधिकारियों की पेंशन का पुनरीक्षण	62
19	सा0–3–04 / दस–12–308 / 97 टी0सी0	06 जनवरी, 2012	दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक / उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का संशोधन	62–63
20	सा0–3–1251 / दस–2012–308 / 97टी0सी0	21 दिसम्बर, 2012	दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में	63
21	सा0–3–1273 / दस–2013	29 अक्टूबर, 2013	पेंशन प्रपत्र के भाग–5 में संशोधन	64
22	सा0–3–जी0आई0–02 / दस–2014–308 / 97टी0सी0	14 जुलाई, 2014	कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–3–1358 / दस–2010 दिनांक 19 जुलाई, 2010 तथा सा–3–1648 / दस–2010 दिनांक 12 अक्टूबर, 2010 का शुद्धि पत्र	65–66
23	12–सा–3–1005 / दस–2014–308 / 97 टी0सी0	7 नवम्बर, 2014	वेतनमान–4500–125–7000 में निर्धारित न्यूनतम पेंशन में संशोधन	66–67
24	13 / 2015 / सा0–3–631 / दस–2015–944 / 88	24 जून, 2015	पेंशनर्स दिवस का आयोजन	67
25	48 / 2015 / वे0आ0–2–784 / दस–54(एम) / 2008 टी0सी0	25 अगस्त, 2015	वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के संदर्भ में कार्य प्रभारित कार्मिकों के लिये राजकीय कर्मियों के सादृश्य पर भत्तों, सुविधाओं तथा पेंशन की देयता पर विचार हेतु प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में	68–69
26	4 / 2016–सा–3–75 / दस–2016–3018 / 97 टी0सी	21 जनवरी, 2016	न्यूनतम पेंशन / पारिवारिक पेंशन की दरों में संशोधन	69–71
27	8 / 2016 / सा–3–179 / दस–2016–	28 मार्च,	उ0प्र0 सिविल सर्विस (संशोधन)	71–72

क्र0 सं0	शासनादेश सं0	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
	301(08)/2015	2016	विनियमावली, 2016–अनुच्छेद 486 में संशोधन	
28	11/2016/सा–3–236/दस–2016 – 301(08)/2015	18 अप्रैल, 2016	उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशन के अनुच्छेद–468 का स्पष्टीकरण	73
29	14/2016/सा0–3–341/दस–2016 –944/88	12 मई, 2016	सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनकी सेवा पुस्तिका हस्तगत कराया जाना	74–75
30	22/2016–सा–3–342/दस–2016–308/97 टी0सी	5 जुलाई, 2016	दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व के पेंशनरों की पुनरीक्षित पेंशन को 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा से डी–लिंक किया जाना	75–77
31	32/2016/सा0–3–768/दस–2016 –944/88टी0सी0–1	21 अक्टूबर, 2016	दिनांक 17 दिसम्बर, 2016 को पेंशनर्स दिवस मनाये जाने के सम्बन्ध में	77
32	36/2016–सा–3–342/दस–2016–308/97 टी0सी	8 नवम्बर, 2016	दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व के पेंशनरों की पुनरीक्षित पेंशन को 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा से डी–लिंक किये जाने संबंधी कार्यालय ज्ञाप दिनांक 5 जुलाई, 2016 का क्रियान्वयन	78
33	35/2017–सा–3–700/दस–2017–308/97	17 नवम्बर, 2017	दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पूर्व के पेंशनरों आदि की न्यूनतम पेंशन निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 21 जनवरी, 2016 का संशोधन	79

अध्याय 3–वेतन समिति 1997 के क्रम में निर्गत शासनादेश

क्र0 सं0	शासनादेश सं0	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	सा–3–1720/दस–308–97	23 दिसम्बर, 1997	वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 1997 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की दरों का पुनरीक्षण किया जाना	83–85
2	सा–3–1721/दस–308/97	23 दिसम्बर, 1997	वेतन समिति उत्तर प्रदेश 1997 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 1996 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अभिनवीकरण/पुनरीक्षण	86–89
3	सा–3–984/दस–98/308/97	24 जुलाई, 1998	वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 1997 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–3–1720–दस–308/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 एवं सा–3–1721/दस– 308/97, दिनांक	89–91

क्र0 सं0	शासनादेश सं0	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
			23 दिसम्बर, 1997 के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण	
4	सा–3–926/दस–98/308/97टी0सी0	31 जुलाई, 1998	वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 1997 को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप पेंशन/ग्रेच्युटी एवं राशिकरण की पुनरीक्षित दरों पर भुगतान–स्पष्टीकरण	91–92
5	सा–3–1062/दस–308/97	24 अगस्त, 1998	वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 1997 की सिफारिशों पर लिये गये सरकारी निर्णयों के कार्यान्वयन में 1986 के पूर्व के पेंशनभागियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन	92–114
6	सा0–3–340/दस–308/97	26 मार्च, 1999	वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 1997 की सिफारिशों पर लिये गये सरकारी निर्णयों के कार्यान्वयन में 1986 के पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशन भोंगियों की पेंशन में संशोधन–कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा0–3–1062/दस–308/97 दिनांक 24 अगस्त, 1998 के संदर्भ में स्पष्टीकरण	114–115
7	सा0–3–346/दस–101(4)–2000	07 अप्रैल, 2000	सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नैवृत्तिक लाभों को शीघ्रता से निस्तारित करने हेतु	116–117
8	सा–3–384/दस–300/99	13 अप्रैल, 2000	दिनांक 1 जनवरी, 1986 के बाद किन्तु 1 जनवरी, 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की कुटुम्ब पेंशन के संशोधन/अद्यतन करने हेतु एवं दिनांक 1 जनवरी, 1996 से सभी पेंशन भोगियों की पेंशन, दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50 प्रतिशत से कम न होने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु	117–123
9	सा–3–697/दस–308/97	5 मई, 2000	दिनांक 1 जनवरी, 1996 के पूर्व की अवधि में सरकारी कार्मिकों द्वारा आहरित पुराने वेतन का 40 प्रतिशत वेतन में जोड़कर लाभ देने हेतु	124–126
10	सा–3–1029/दस–308/97	13 जून, 2000	कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–3–1062/दस– 308/97, दिनांक 24 अगस्त, 1998 एवं शासनादेश संख्या सा–697–दस–308/97, दिनांक 5 मई, 2000 एवं शासनादेश संख्या सा–3–384/दस–300/99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के संदर्भ में स्पष्टीकरण	127–130

क्र0 सं0	शासनादेश सं0	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
11	सा0–3–150 / दस–2000	16 अगस्त, 2000	दिनांक 01 जनवरी, 1986 के पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन पुनरीक्षण–वेतन वृद्धि लाभ के सम्बन्ध में	130
12	सा–3–जी0आई0–37 / दस–301(79) / 99	19 सितम्बर, 2000	वेतन समिति उत्तर प्रदेश 1997 की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन में वर्ष 1986 के पूर्व के पेंशन भोगियों / कुटुम्ब पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन में सीमान्त वेतन की अनुमन्यता पर स्पष्टीकरण	131
13	सा–3–1712 / दस–2000 / 99	5 जनवरी, 2001	शासनादेश संख्या सा0–3–384 / दस–2000–300 / 99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के कार्यान्वयन हेतु स्पष्टीकरण	132–135
14	सा–3–350 / दस–300 / 99	3 मार्च, 2001	शासनादेश संख्या सा0–3–384 / दस– 2000–300 / 99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 एवं शासनादेश संख्या सा–3–1712 / दस– 2001–300 / 99, दिनांक 5 जनवरी, 2001 में निर्गत स्पष्टीकरण के संदर्भ में	135–136
15	सा–3–911 / दस–2001–933–89 टी0सी0	16 जुलाई, 2001	पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण	136–137
16	सा0–3–911 / दस–2001–933 / 89 टी0सी0	05 दिसम्बर, 2001	शासनादेश संख्या सा0–3–911 / दस–2001–933 / 89टी0सी0 दिनांक 16 जुलाई, 2001 के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में	137–138
17	सा0–3–1071 / दस–2002–300(9)–2000	15 जून, 2002	उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के सेवानिवृत्तिक लाभों की स्वीकृति प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में	138–139
18	सा0–3–873 / दस–03–308(9)–02	04 जुलाई, 2003	नामांकित व्यक्ति को ग्रेच्युटी की धनराशि भुगतान किये जाने पर मांगा गया मार्गदर्शन विषयक	139–140
19	सा–3ए0जी0–15 / दस–2004–308 / 97	23 जुलाई, 2004	कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–3–1062 / दस– 308 / 97, दिनांक 24 अगस्त, 1998 एवं शासनादेश संख्या सा–3–384 / दस–300 / 99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 तथा शासनादेश संख्या सा–3–697 / दस–308 / 97, दिनांक 5 मई, 2000 के संदर्भ में स्पष्टीकरण	140
20	सा0–3–469 / दस–2005–301(9)–03	07 अप्रैल, 2005	उत्तर प्रदेश रिटायरमेंन्ट बेनिफिट्स (संशोधन) रूल्स, 2005	141
21	सा0–3–1517 / दस–2005–308–	22 सितम्बर,	राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि के मूल पेंशन के 50	141–142

क्र0 सं0	शासनादेश सं0	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
	2004	2005	प्रतिशत के बराबर महंगाई राहत का महंगाई पेंशन में परिवर्तन	
22	सा0–3–1746 / दस–2005–308–2004	02 दिसम्बर, 2005	राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि के मूल पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई राहत का महंगाई पेंशन में परिवर्तन	142–143
23	सा0–3–151 / दस–2006–308–2004	31 जनवरी, 2006	राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि के मूल पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई राहत के महंगाई पेंशन में परिवर्तन की तिथि में संशोधन	144
24	सा–3–35 / दस–07–101(6)–2006	16 जनवरी, 2007	पेंशन प्राधिकरण–पत्र को निर्गत करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पेंशन प्रपत्रों की जाँच करते समय सेवानिवृत्त कर्मचारी के वेतन निर्धारण की संनिरीक्षा की अवधि का निर्धारण	145–146
25	सा0–3–833 / दस–2007–308–2004 टी0सी0–2	15 जून, 2007	राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि के मूल पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई राहत के महंगाई पेंशन में परिवर्तन की तिथि में संशोधन विषयक शासनादेश दिनांक 31 जनवरी, 2006 में संशोधन	146–147
26	सा0–3–72 / दस–2009–300–99	02 मार्च, 2009	शासनादेश संख्या सा0–3–384 / दस–300 / 99 दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के परिप्रेक्ष्य में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित अन्तिम पद के वेतनमान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण	147–148

अध्याय 4–वेतन समिति 1997 से पूर्व निर्गत महत्त्वपूर्ण शासनादेश

क्र0 सं0	शासनादेश सं0	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	जी0–2–2585 / ग–944 / 1959	12 सितम्बर, 1961	Uttar Pradesh Liberalised Pension Rules-1961	151–161
2	जी–2–749 / दस–917–961	29 मार्च, 1962	The Uttar Pradesh Retirement Benefit Rules-1961	162–176
3	सा–3–897 / दस–52(3)–74	2 जून, 1975	अशक्तता पेंशन की न्यूनतम धनराशि	177
4	सा–3–574 / दस–942–75	19 जून, 1976	सेवारत अस्थायी कर्मचारियों को, जो सेवा अवधि के दौरान ही अंधे अथवा विकलांग हो जायें, 'एक्स–ग्रेशिया पेंशन' देना	177–179
5	सा–565–दस–912 / 1977	20 अप्रैल, 1977	उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस–आठवाँ संशोधन विनियमावली, 1977	180–181

क्र0 सं0	शासनादेश सं0	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
6	5–7–77(3)–कार्मिक–1	24 अगस्त, 1977	स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन आदि में अतिरिक्त सेवा का लाभ दिया जाना	181–182
7	सा–3–2085 / दस–907 / 76	13 दिसम्बर, 1977	अधिवर्षता पेंशन और मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से कार्यविधि का सरलीकरण।	182–189
8	सा–3–1405 / दस–905 / 77	8 फरवरी, 1978	सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 351 के अन्तर्गत पेंशन जब्त करना	190
9	सा–3–1004 / दस–907–76	11 जुलाई, 1978	पेंशन और मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से कार्यविधि का सरलीकरण	191
10	सा–3–2827 / दस–907 / 76	2 दिसम्बर, 1978	पेंशन और मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से कार्यविधि का सरलीकरण	192
11	सा–3–200 / दस–938 / 75	25 जनवरी, 1979	पेंशन के आगणन हेतु निःसंवर्गीय पद पर प्राप्त की गई परिलब्धियों का लेखे में लिया जाना	193
12	सा–3–107 / दस–900 / 79	6 फरवरी, 1979	मिलिट्री / वार सर्विस को सिविल पेंशन हेतु अर्ह सेवा में गिना जाना	194
13	सा–3–296 / दस–912 / 79	30 अप्रैल, 1979	छटनीशुदा कर्मचारियों के पुनर्नियुक्ति के मामलों में सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 422 के प्राविधानों का शिथिलीकरण	194–195
14	सा–3–1584 / दस–917 / 79	20 अगस्त, 1979	भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन प्रदत्त अस्थायी सेवा के पेंशनरी भार का विभाजन	195–196
15	सा–3–1949 / दस–900 / 79	26 मार्च, 1980	सैन्य सेवा / युद्ध सेवा को पेंशनरी लाभों हेतु सिविल सेवा में सम्मिलित किये जाने के लिये पेंशन नियमों का सरलीकरण	196–198
16	सा–3–449 / दस–917 / 79	2 मई, 1980	भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन प्रदत्त अस्थायी सेवा के पेंशनरी भार का विभाजन	198
17	सा–3–2133 / दस–904–78	29 दिसम्बर, 1980	उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (नवाँ संशोधन) विनियमावली, 1980	199
18	सा–3–1998 / दस–932 / 80	16 जनवरी, 1981	पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण	200–204
19	सा–3–628 / दस–935–78	16 अप्रैल, 1981	सेवारत कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन पर डी0आर0 अनुमन्य नहीं	205
20	सा–3–1239 / दस–917 / 79	13 सितम्बर,	भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के	205–207

क्र0 सं0	शासनादेश सं0	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
		1981	अधीन प्रदत्त अस्थायी सेवा के पेंशनीय भार का विभाजन	
21	सा–3–23 / दस–112–81	3 अक्टूबर, 1981	पुनर्योजित सरकारी सेवक को पेंशन पर स्वीकृत राहत का भुगतान	207
22	सा–3–677 / दस–955 / 80	26 अप्रैल, 1982	प्रपत्र 25–ए सी0एस0आर0 में पेंशन की प्रशासनिक स्वीकृति भेजने की आवश्यकता को समाप्त करना।	208
23	सा–3–1240 / दस–927 / 81	26 जुलाई, 1982	सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त सेवा में बनाये रखने की अनियमितता।	209
24	सा–3–949 / दस–900–79	8 सितम्बर, 1982	सैन्य सेवा का सत्यापन सिविल सेवा में नियुक्ति के तुरन्त बाद ही करा लेना	210
25	सा–3–1947 / दस–900 / 79	18 नवम्बर, 1982	सैन्य / युद्ध सेवा का सत्यापन	211–212
26	सा–3–585 / दस–935–78	16 मई, 1983	दो पेंशन–सर्विस पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ताओं को राहत का भुगतान	212
27	सा–3–1224 / दस–914 / 83	18 अगस्त, 1983	पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण	213–215
28	सा–3–660 / दस–2013 / 83	22 दिसम्बर, 1983	पेंशनर्स की मृत्यु हो जाने पर उसके जीवनकालीन पेंशन के अवशेष का भुगतान किये जाने हेतु नामांकन	216–217
29	सा–3–828 / दस–924–88	26 जून, 1984	नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन एक वर्ष की अविरल सेवा सम्बन्धी प्रावधान का शिथिलीकरण	218
30	सा–3–807 / दस–914 / 83	17 जुलाई, 1984	पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण	218–223
31	सा–3–1431 / दस–903 / 84	29 सितम्बर, 1984	उ0प्र0 सिविल सर्विस (ग्यारहवाँ संशोधन) नियमावली, 1984	224
32	सा–3–882 / दस–910 / 84	9 मई, 1985	भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन प्रदत्त सेवा के पेंशनीय भार का विभाजन	225
33	सा–3–672 / दस–85–911–85	13 जून, 1985	अनन्तिम पेंशन पर राहत की स्वीकृति	226
34	सा–3–489 / दस–913 / 87	16 मई, 1987	पेंशनर्स की मृत्यु हो जाने पर उसके जीवनकालीन पेंशन के अवशेष का भुगतान किये जाने हेतु नामांकन	226–227
35	सा–3–1019 / दस–932–87	28 मई, 1987	माह नवम्बर, 1986 में कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को पेंशन	227–228
36	सा–3–1168 / दस–935 / 87	22 जून,	1 जनवरी, 1986 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त / मृत राज्य	228–231

क्र0 सं0	शासनादेश सं0	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
		1987	कर्मचारियों को पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के आगणन का सरलीकरण/उदारीकरण	
37	सा–4–1120/दस–87–301–87	28 जुलाई, 1987	दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन के ढांचे का सरलीकरण	231–238
38	सा–3–2230/दस–935/87	7 नवम्बर, 1987	दिनांक 1 जनवरी, 1986 अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त, मृत राज्य कर्मचारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के आगणन का सरलीकरण/उदारीकरण	239–240
39	सा–4–176/दस––88–301–87	1 मार्च, 1988	दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन ढांचे का सरलीकरण/अभिनवीकरण विषयक वित्त विभाग की राजाज्ञा सा–4–1120/दस––87–301–87, दिनांक 28 जुलाई, 1987 की व्यवस्थाओं के संबंध में प्राप्त शंकायें और उनका समाधान	241
40	सा–3–1603/दस–935–87	3 जुलाई, 1989	दिनांक 1 जनवरी, 1986 अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत राज्य कर्मचारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के आगणन का सरलीकरण/ उदारीकरण	242
41	सा–3–1713/दस–87–933/89	28 जुलाई, 1989	अधिवर्षता पेंशन, पारिवारिक पेंशन मृत्यु/ सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा राशिकरण की धनराशि की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने हेतु वर्तमान कार्यप्रणाली का सरलीकरण	242–276
42	सा–3–2764/दस–933/89	7 नवम्बर 1989	अधिवर्षता पेंशन पारिवारिक पेंशन मृत्यु/ सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा राशिकरण की धनराशि की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने हेतु वर्तमान कार्यप्रणाली का सरलीकरण	276–277
43	सा–3–772/दस––90–935–87	7 मार्च, 1990	दिनांक 1 जनवरी, 1986 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त/मृत राज्य कर्मचारियों को देय पेंशन पारिवारिक पेंशन के आगणन का सरलीकरण	277
44	सा–3–1612/दस–918/87	27 जून, 1990	न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण	278

क्र0 सं0	शासनादेश सं0	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
45	सा–3–1864 / दस–91	11 नवम्बर, 1991	मृत्यृ आनुतोषिक हेतु नामांकन	279
46	सा–3–1163 / दस–92–910–92	15 जुलाई, 1992	केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के मध्य अवकाश वेतन तथा पेंशन के आवंटन के समायोजन की पद्धति का सरलीकरण	279–280
47	सा–3–923 / दस–92	4 सितम्बर, 1992	राजकीय सेवक की मृत्यु की दशा में लाभार्थियों को भुगतान	280–281
48	सा–3–810 / दस–1993	6 अगस्त, 1993	सेवानिवृत्तिक लाभों की स्वीकृति में विलम्ब–सघन अनुश्रवण	282–283
49	सा–3–जी0आई0–32 / दस–901–94	21 फरवरी, 1994	मृत्यु उपादान तथा सेवानिवृत्ति उपादान के प्रयोजन के लिए महंगाई भत्ते के एक भाग को महंगाई वेतन के रूप में गिना जाना	284
50	सा–3–272 / दस–1994	18 जुलाई, 1994	दो पेंशन–सर्विस पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन या उससे अधिक पेशन प्राप्त कर्ताओं को महंगाई राहत के भुगतान के संबंध में	284–285
51	सा–3–744 / दस–3 / 95	29 मई, 1995	पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक पत्र व्यवहार को निरूत्साहित करने हेतु	285–286
52	जी–2–514 / दस–1995	19 जुलाई, 1995	तीन माह की नोटिस के बदले वेतन देकर अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने पर देय भुगतान	286–287
53	सा–3–जी0आई0–13 / दस–901 / 94	13 सितम्बर, 1995	मृत्यु उपादान तथा सेवानिवृत्ति उपादान के प्रयोजन के लिए महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन के रूप में गिना जाना तथा उपादान की धनराशि की अधिकतम सीमा में वृद्धि	287–288
54	सा–3–1644 / दस–904 / 94	2 नवम्बर, 1955	उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 1995	288–291
55	सा–3–424 / दस–933 / 89	12 फरवरी, 1996	उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (बारहवाँ संशोधन) नियमावली, 1996	292–293

अध्याय 5–पेंशन के राशिकरण से सम्बन्धित शासनादेश

क्र0 सं0	शासनादेश सं0	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	M-3151/x-96-1938	19 December, 1940	Uttar Pradesh Civil Pensions Commutation Rules	297–308
2	सा–3–640 / दस–7040 / 76	3 जून, 1980	पेंशन राशिकरण के नियमों का सरलीकरण एवं	308–309

क्र0 सं0	शासनादेश सं0	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
			उदारीकरण–राशिकरण स्वीकृत करने के अधिकार का विभागाध्यक्षों को प्रतिनिधायन	
3	सा–3–1445 / दस–7040 / 78	3 जून, 1980	सेवानिवृत्त होने पर पेंशन का राशिकरण–स्वास्थ्य परीक्षा	309–311
4	सा–3–2727 / दस–7040 / 78	10 अक्टूबर, 1980	पेंशन के एक भाग का राशिकरण–प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश	312–314
5	सा–3–710 / दस–7040 / 78	8 मई, 1981	सेवानिवृत्ति पर पेंशन के एक भाग के राशिकरण हेतु स्वास्थ्य परीक्षा की आवश्यकता से छूट	314–315
6	सा–3–1196 / दस–7040 / 78	19 अगस्त, 1981	सेवानिवृत्त होने पर पेंशन का राशिकरण– स्वास्थ्य परीक्षा	315–316
7	सा–3–1647 / दस–7000 / 82	6 अक्टूबर, 1981	बिना स्वास्थ्य परीक्षा के पेंशन राशिकरण के मामलों में राशिमूल्य की गणना स्वीकर्ताधिकारी द्वारा ही करके स्वीकृति प्रदान किया जाना	316–317
8	सा–3–616 / दस–7002 / 82	21 दिसम्बर, 1982	सेवानिवृत्त होने पर पेंशन का राशिकरण– स्वास्थ्य परीक्षा से छूट	317–318
9	सा–3–184 / दस–7040 / 78	18 मई, 1983	पेंशन राशिकरण की प्रक्रिया का उदारीकरण	318–320
10	सा–3–54 / दस–7040 / 78	6 मार्च, 1984	उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्युटेशन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1984	320–330
11	सा–3–7 / दस–7040 / 78 टी0सी0	30 जनवरी, 1985	सा–3–184 / दस–7040 / 78 टी0सी0 दिनांक 18 मई, 1983 के प्रस्तर 7 में संशोधन	331
12	सा–3–1537 / दस–87–958 / 80	23 जुलाई, 1987	पेंशन के राशिकृत भाग का सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष उपरान्त पुनर्स्थापन (रिस्टोरेशन)	331–334
13	सा–3–भा0स0–32 / दस–90–958 / 80	6 दिसम्बर, 1990	पेंशन के राशिकृत भाग का सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष उपरान्त पुनर्स्थापन (रिस्टोरेशन)	335
14	सा–3–560–दस–94–904 / 91	15 अप्रैल, 1991	पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप पेंशन में हुई वृद्धि के एक तिहाई भाग के राशिकरण के सम्बन्ध में	335–336

अध्याय–6 पारिवारिक पेंशन से सम्बन्धित शासनादेश

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	जी–2–769 / दस–917–61	24 अगस्त, 1966	नई पारिवारिक पेंशन योजना–1965	339–345
2	G-2-561/X-917-1961	24 अगस्त, 1966	Grant of option to persons in pensionable establishments who are on contributory Provident	345–347

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
			Fund benefits to come over to pensionable service	
3	G-2-561/X-917-1961	3 अगस्त, 1967	Grant of option to persons in pensionable establishments who are on contributory Provident Fund benefits to come over to pensionable service.	347–349
4	सा0–3–1426 / दस–917–64	13 जून, 1973	न्यू फैमली पेंशन स्कीम, 1965 का किंचित उदारीकरण तथा पूर्ववर्ती नियमों के अधीन देय फैमली पेंशन के लाभों का विस्तरण	350–351
5	सा0–3–657 / दस–900– 78	10 मई, 1978	नयी पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन प्राप्त होने वाली पारिवारिक पेंशन की दरों एवं शर्तों का उदारीकरण	351–353
6	सा0–3–1819 / दस–919–79	18 अगस्त, 1979	नयी पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन के लाभों का विस्तरण	353
7	सा0–3–1358 / दस–918–79	21 सितम्बर, 1979	नयी पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन की शर्तों से एक वर्ष की निरन्तर सेवा संबंधी शर्त हटाया जाना	354
8	सा0–3–1185 / दस–927–80	11 नवम्बर, 1980	सरकारी अधिकारी / कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन / ग्रेच्युटी के शीघ्र भुगतान हेतु कार्यवाही	355–358
9	सा0–3–1220 / दस–905–81	16 सितम्बर, 1981	सरकारी सेवकों की हत्या करने अथवा उस अपराध के दुष्प्रेरण के लिये दोषी पाये गये परिवार के सदस्यों को पारिवारिक पेंशन पाने से विवर्जन	359
10	सा0–3–1254 / दस–935–75	16 सितम्बर, 1981	उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन (तृतीय संशोधन) नियमावली–1981	360–361
11	सा0–3–1563 / दस–921–81	03 नवम्बर, 1981	नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन प्राप्त होने वाली पारिवारिक पेंशन की दरों में वृद्धि	361–362
12	सा0–3–1382 / दस–3–82	6 सितम्बर, 1982	पारिवारिक पेंशन की पात्रता के लिये पुत्र एवं पुत्री की निर्धारित आयु सीमा में वृद्धि	363
13	सा0–3–828 / दस–924–83	25 जून, 1984	नयी पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन एक वर्ष की अविरल सेवा सम्बन्धी प्रावधान का शिथिलीकरण	364

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
14	सा0—3—859 / दस—3—82	30 अप्रैल, 1986	पारिवारिक पेंशन की पात्रता के लिये पुत्र एवं पुत्री की निर्धारित आयु सीमा में वृद्धि	365
15	सा0—3—969 / दस—923—85	8 अगस्त, 1986	नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 की प्रसुविधा को ऐसे सरकारी सेवकों के परिवारों को अनुमन्य कराना जो दिनांक 30.03.1965 को अथवा उसके पूर्व सेवानिवृत्त / दिवंगत हो चुके हों अथवा जिनके परिवार उपर्युक्त स्कीम 1965 के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र नहीं है	365–377
16	सा0—3—2693 / दस—89—3— 82	15 नवम्बर, 1989	पारिवारिक पेंशन की पात्रता के लिये पुत्र एवं पुत्री की निर्धारित आयु सीमा में वृद्धि	378
17	सा0—3—1137 / दस—908—90	25 जून, 1991	नयी पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन सेवानिवृत्ति के बाद किये गये विवाह को पारिवारिक पेंशन हेतु मान्यता	379
18	सा0—3—296 / दस—93—19— 92	12 मार्च, 1993	नयी पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन के लाभों का विस्तरण	380–381
19	सा0—3—ए0जी05 / दस—91— 96	10 अक्टूबर, 1996	नयी पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन की शर्तों से एक वर्ष की निरन्तर सेवा सम्बन्धी शर्त का हटाया जाना	381–382
20	सा0—3—1341 / दस—2010—308 / 97टी0सी0	23 अगस्त, 2010	पारिवारिक पेंशनरों को 80 वर्ष अथवा अधिक आयु प्राप्त कर लेने पर अनुमन्य अतिरिक्त पेंशन सम्बन्धी व्यवस्था का सरलीकरण	382–383
21	सा0—3—1648 / दस—2010	12 अक्टूबर, 2010	कार्यालय ज्ञाप संख्या—सा—3—1515दस— 2008—308 / 97 दिनांक 08.12.2008 का शुद्धिपत्र	383–385
22	सा0—3—1523 / दस—2011—308 / 97टी0सी0	14 नवम्बर, 2011	पारिवारिक पेंशनरों को 80 वर्ष अथवा अधिक आयु प्राप्त कर लेने पर अनुमन्य अतिरिक्त पेंशन सम्बन्धी व्यवस्था का सरलीकरण	385–386
23	सा0—3—1665 / दस—2012—308 / 97	03 दिसम्बर, 2012	दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त / मृत राज्य सरकार के पेंशनर / कर्मचारियों की अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की पात्रता के सम्बन्ध में	386–387
24	सा0—3—482 / दस—2014—308 / 97	20 मई, 2014	राज्य सरकार के पेंशनरों / मृत कर्मचारियों की अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्रियों का नाम	388–390

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
			पारिवारिक पेंशन हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना	
25	सा0–3–227 / दस–2014– 308 / 97	01 जुलाई, 2014	राज्य सरकार के सेवानिवृत्त / मृत कर्मचारियों / पेंशनरों की अविवाहित / अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की पात्रता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण	391
26	सा0–3–533 / दस–2014– 308 / 97	04 अगस्त, 2014	वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप बढ़ी हुयी दरों पर पारिवारिक पेंशन का भुगतान	392
27	सा0–3–1036 / दस–2014– 308 / 97	29 नवम्बर, 2014	राज्य सरकार की सिविल सेवा अथवा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों / स्वायत्त निकाय / स्थानीय निधियों में पुनर्योजित भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को सिविल सेवा तथा सैन्य सेवा के लिये पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता	393–395
28	सा0–3–03 / दस–2016–19 / 92टी0सी0	13 जनवरी, 2016	नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन के लाभों का विस्तरण	396
29	सा0–3–180 / दस–2016– 308(06) / 2000	17 मार्च, 2016	सेवायोजित पारिवारिक पेंशन भोगियों को महँगाई राहत	397

अध्याय–7 विकलांग सन्तान को पारिवारिक पेंशन सम्बन्धी शासनादेश

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	सा–3–1155 / दस–2–81	6 अगस्त, 1981	नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन पारिवारिक पेंशन की पात्रता–विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त संतानों को पारिवारिक पेंशन का विस्तरण	401–402
2	सा–3–1513 / दस–97–2 / 81 (टी0सी0)	12 नवम्बर, 1997	नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन पारिवारिक पेंशन की पात्रता–विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त संतानों को पारिवारिक पेंशन का विस्तरण	403

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
3	सा–33–2016–सा–3–784 / दस–2016 / 308 / 97	27 अक्टूबर, 2016	सेवानिवृत्त / मृत सरकारी कर्मचारी की विकलांग संतान को पारिवारिक पेंशन	404

अध्याय–8 लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को पेंशनरी देयों के भुगतान सम्बन्धी शासनादेश

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	सा–3–जी0आई0 88 / दस–909–87	20 मार्च, 1987	लापता सरकारी सेवकों को मृत मानते हुए उनके परिवारों को उनके सेवानैवृत्तिक लाभों तथा अन्य अवशेषों का भुगतान	407
2	सा–3–ए0जी0–13 / दस– 1997	8 अगस्त, 1997	लापता सरकारी सेवकों के परिवार को सेवानैवृत्तिक लाभों तथा अन्य अवशेषों का भुगतान	408–410
3	09 / 2017 / सा–3–120 / दस–2017 –909 / 1987	13 अप्रैल, 2017	लापता सरकारी सेवकों / पेंशनरों के परिवार के अर्ह सदस्य को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति	410–411

अध्याय–9 अस्थायी सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति / मृत्यु पर पेंशनरी लाभों की देयता सम्बन्धी शासनादेश

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	सा–3–1152 / दस–915–89	1 जुलाई, 1989	अस्थायी सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति / मृत्यु पर पेंशनरी लाभों की अनुमन्यता	415–416
2	सा–3–2049 / दस–915–89	26 अगस्त, 1989	अस्थायी सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति / मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता	416
3	सा–3–1380 / दस–2001–301 (40)– 2001	31 जुलाई, 2001	अस्थायी सरकारी सेवकों के सेवानिवृत्त किये जाने पर सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता	417

अध्याय–10 उपदान के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज की देयता सम्बन्धी शासनादेश

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	सा–3–664 / दस–971–80	29 अप्रैल, 1983	डेथ–कम–रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की देर से अदायगी किये जाने पर ब्याज का भुगतान	421–422
2	सा–3–1373 / दस–971–80	12 सितम्बर, 1983	डेथ–कम–रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की देर से अदायगी किये जाने पर ब्याज का भुगतान	422–423
3	सा–3–1776 / दस–971 / 80	30 नवम्बर, 1984	डेथ–कम–रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की देर से अदायगी किये जाने पर ब्याज का भुगतान	423

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
4	सा–3–2102/दस–971/80	6 दिसम्बर, 1994	मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के विलम्ब से अदायगी किये जाने पर देय ब्याज की दर में वृद्धि	424
5	सा–3–1519/दस–1997	15 जुलाई, 1997	मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान (डेथ–कम–रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी) के विलम्ब से अदायगी पर ब्याज का भुगतान	425–426
6	सा–3–712/दस–2001–305(4)/2000	17 मई, 2001	सेवानैवृत्तिक लाभों का समय से भुगतान–न्यायिक/विभागीय कार्यवाहियों की समाप्ति पर ग्रेच्युटी के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज का भुगतान	426–428
7	सा–3–1901/दस–2002–971/80	30 अक्टूबर, 2002	मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के विलम्ब से अदायगी किये जाने पर देय ब्याज के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण	428
8	सा–3–1478/दस–2010	22 सितम्बर, 2010	सेवानिवृत्ति हित लाभों के विलम्ब से अदायगी पर ब्याज के भुगतान के लेखाशीर्ष में संशोधन	429

अध्याय–11 पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी शासनादेश

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	सा–3–1338/दस–912/85	16 जुलाई, 1985	पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण	433
2	सा–3–1446/दस–912/85	06 अगस्त, 1985	पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण	434–443
3	सा–3–50–86/दस–912/85	03 जनवरी, 1986	पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण	443
4	सा–3–555/दस–912/85	19 मार्च, 1987	पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण	444–445
5	सा–3–796/दस–907/87	06 मई, 1987	पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण	445
6	सा–3–893/दस/88–912/85	02 जून, 1988	सरकारी कर्मचारियों के सेवानैवृत्तिक लाभों के प्रधिकार पत्रों के निर्गमन का कार्य महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से वापस लिया जाना तथा एक पेंशन निदेशालय की स्थापना	446–450
7	सा–3–1353/दस–88–912/85	12 अगस्त, 1988	पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण	451–455
8	सा–3–1078/दस–89–91/85	27 अप्रैल, 1989	पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण	455–456
9	सा–3–780/दस–901/96	24 जून,	पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का	456–466

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
		1996	विकेन्द्रीकरण	
10	सा–3–697 / दस–26 / 98	08 अक्टूबर, 1999	पेंशन देयों की कम्प्यूटर आधारित प्रक्रिया तथा मण्डल स्तर पर विकेन्द्रीकरण	466–471
11	सा–3–1212 / दस–99–26–98	26 अक्टूबर, 1999	पेंशन देयों की कम्प्यूटर पर आधारित प्रक्रिया तथा मण्डल स्तर पर विकेन्द्रीकरण	472
12	सा–3–1320 / दस–26 / 98	28 जुलाई, 2000	पेंशन देयों की कम्प्यूटर पर आधारित प्रक्रिया तथा मण्डल स्तर पर विकेन्द्रीकरण	473
13	सा–3–1792 / दस–26 / 98	15 नवम्बर, 2000	पेंशन देयों की कम्प्यूटर पर आधारित प्रक्रिया तथा मण्डल स्तर पर विकेन्द्रीकरण	473–474
14	सा–3–135 / दस–2004–26 / 98	27 फरवरी, 2004	पेंशन देयों की कम्प्यूटर पर आधारित प्रक्रिया तथा मण्डल स्तर पर विकेन्द्रीकरण–स्पष्टीकरण	475
15	सा–3–837–दस–2010–26 / 98 टी0सी0	12 जून, 2010	सेवानैवृत्तिक देयों की स्वीकृति हेतु मिर्जापुर, आजमगढ़ एवं सहारनपुर मण्डलों के अपर / संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में	476

अध्याय–12 समूह 'घ' के कार्मिकों की पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया सम्बन्धी शासनादेश

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	सा–3–297 / दस–918–92	26 मई, 1993	पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया को विकेन्द्रित कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जिला स्तर पर पेंशन स्वीकृत किए जाने की सुविधा दिया जाना	479–486
2	सा–3–640 / दस–913–9	08 मई, 1996	पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया को विकेन्द्रित कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विषय में की गयी व्यवस्था का सरलीकरण	487–488
3	सा–3–1997 / दस–2010–101(12) / 2009	10 दिसम्बर, 2010	चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया में संशोधन	488–489
4	सा–3–1272 / दस–2010–101(12) / 2009	20 दिसम्बर, 2011	चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया में संशोधन	489

अध्याय–13 अनन्तिम पेंशन स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	सा–3–2921 / दस–म0ले0–7–78	27 जनवरी, 1979	सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनन्तिम पेंशन और अनन्तिम मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक की स्वीकृति तथा उनके भुगतानों पर नियंत्रण	493–502
2	सा–3–1085 / दस–907–76	12 दिसम्बर, 1981	पेंशन और मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से कार्य विधि का सरलीकरण	503
3	सा–3–79 / दस–909–79	19 जनवरी, 1983	उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (दसवाँ संशोधन) विनियमावली, 1983	504–505
4	सा–3–138 / दस–म0ले0–7–78	18 फरवरी, 1983	सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन तथा आनुतोषिक के अनन्तिम भुगतानों की स्वीकृति तथा उसके भुगतानों पर नियंत्रण	506
5	सा–3–1797 / दस–921–84	13 फरवरी, 1985	पेंशन और मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से कार्य विधि का सरलीकरण	506–507
6	सा–3–1657 / दस–931–87	09 जून, 1987	पारिवारिक पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया का सरलीकरण–अनन्तिम पारिवारिक पेंशन के भुगतान की स्वीकृति	507–515
7	सा–3–1679 / दस–80–909–79	28 अक्टूबर, 1980	सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों, जिनके विरूद्ध वैभागिक अथवा न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण / सतर्कता जाँच चल रही हो, को अनन्तिम पेंशन का भुगतान	515–516
8	सा–3–1608 / दस–909–79	24 अक्टूबर, 1981	सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों, जिनके विरूद्ध वैभागिक अथवा न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण / सतर्कता जाँच चल रही हो, को अनन्तिम पेंशन का भुगतान	516–517
9	जी–3–1555 / दस–909–79	30 सितम्बर, 1982	सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों, जिनके विरूद्ध सतर्कता जाँच चल रही हो, को अन्तिम पेंशन का भुगतान	517–518
10	सा–3–1407 / दस–2010	23 जुलाई, 2010	दिनांक 01 जनवरी, 1996 के पूर्व स्वीकृत अन्तिम पेंशन का अभिनवीकरण / पुनरीक्षण किये जाने के संबंध में	519

अध्याय–14 असाधारण पेंशन (सिविल) सम्बन्धी शासनादेश

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	M-1157/X-406-1937	23 जून, 1941	The Uttar Pradesh Civil Services (Extraordinary Pension) Rules	523–533
2	सा–3–1863 / दस–926–81	28 दिसम्बर, 1981	उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981	534–537

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
3	सा–3–1306 / दस–926–81	06 अगस्त, 1982	विशेष जोखिम के मामलों में असाधारण पेंशन की स्वीकृति का अधिकार विभागाध्यक्षों को देना	538–539
4	सा–3–722 / दस–926–81	16 मई, 1983	उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1983	539–541
5	सा–3–1340 / दस–88–916–88	19 अगस्त, 1988	विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय गम्भीर रूप से घायल अथवा मृत्यु होने पर सरकारी सेवकों को मिलने वाली विशेष आर्थिक सहायता को अधिक उदार बनाया जाना	541–542
6	सा–3–115 / दस–3 / 02	24 फरवरी, 1992	पारिवारिक पेंशन की पात्रता के लिए पुत्र एवं पुत्री की निर्धारित आयु सीमा–स्पष्टीकरण	543
7	सा–3–1145 / दस–916 / 88	18 अगस्त, 1993	विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय गम्भीर रूप से घायल अथवा मृत्यु होने पर सरकारी सेवकों को मिलने वाली विशेष आर्थिक सहायता को अधिक उदार बनाया जाना	543–545
8	सा–3–वी0आई0पी0–15 / दस–2007–322(1) / 2007	12 जुलाई, 2007	प्रदेश में सरकारी सेवकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष हो जाने के कारण सिविल तथा पुलिस कार्मिकों के आश्रितों के पक्ष में स्वीकृत आसाधारण पेंशन की वैधता अवधि का निर्धारण	545–546
9	सा–3–1320 / दस–2010	10 अगस्त, 2010	दिनांक 01–01–2006 के पूर्व स्वीकृत असाधारण पेंशन के वेतन समिति उ0प्र0, 2008 की संस्तुतियों के लागू होने के फलस्वरूप पुनरीक्षण के संबंध में	546
10	20 / 2016–सा–3–374 / दस–2016–322(1) / 2008	22 जून, 2016	सेवायोजित पारिवारिक पेंशनभोगियों की भांति सेवायोजित असाधारण पेंशन भोगियों को महंगाई राहत के भुगतान के संबंध में स्पष्टीकरण	547
11	21 / 2018 / सा–3–484 / दस–2018 / 308 / 2016	19 सितम्बर, 2018	वर्ष 2016 के पूर्व के सेवाकाल में मृत हुए राजकीय कार्मिकों की असाधारण पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में	548

अध्याय–15 असाधारण पेंशन (पुलिस) सम्बन्धी शासनादेश

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	2981आर / 8–ख–2–1000(23)–54	21 जुलाई, 1964	उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961	551–553
2	1406–पी0 / आठ–अनु0–6–1000 (17)–65	07 जुलाई, 1975	उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975	554
3	2333 / पी0–आठ–6–1000(17)– 65	19 जुलाई, 1978	उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 के नियम 3 की व्याख्या	555

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
4	73वी/छः–पु0–6–96–1000(58)–94	23 अप्रैल, 1996	असाधारण पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर राहत की अनुमन्यता	555–556
5	सा–3–462/दस–2000	21 जून, 2000	असाधारण पेंशन नियमावली 1961 के स्वीकृत पेंशनों के संशोधन हेतु	556
6	2624पी/छः–पु–6–2000–1998/99	नवम्बर, 2000	पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि में वृद्धि	557
7	सा–3–435/दस–2007	07 मई, 2007	उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961 के अन्तर्गत स्वीकृत असाधारण पेंशन की अवधि समाप्ति के उपरान्त साधारण पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने संबंधी दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में	558–559
8	9/2015–सा–3–575/दस–2015–10एल0सी0/2015	17 जून, 2015	उ0प्र0 पुलिस असाधारण पेंशन नियमावली, 1961 के अन्तर्गत स्वीकृत असाधारण पेंशन की अवधि समाप्ति के उपरान्त पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में	559

अध्याय–16 पेंशनरी लाभों हेतु सेवाओं के जोड़े जाने सम्बन्धी शासनादेश

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	सा–3–728/दस–98–901–98	10 जुलाई, 1998	राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्तशासी निकायों में संविलियन मांगने वाले केन्द्रीय सरकारी तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में संविलियन मांगने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के प्रयोजन से सेवा का गिना जाना	563–564
2	सा–3–1984/दस–2001–901–98	28 दिसम्बर, 2001	राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्तशासी निकायों में संविलियन मांगने वाले केन्द्रीय सरकारी तथा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में संविलियन मांगने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के प्रयोजन से सेवा का गिना जाना	565

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
3	सा–3–950 / दस–2006–901– 96	20 जुलाई, 2006	राज्य सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के राजकीय सेवा में आने से पूर्व की गयी सेवा को पेंशन के प्रयोजनार्थ आगणित किया जाना	566
4	17 / 2019 / सा–3–346 / दस–2019–933 / 89	30 अप्रैल, 2019	सेवानैवृत्तिक लाभों के लिये सेवाओं को जोड़ा जाना	567–569

अध्याय–17 पेंशनरी अंशदान सम्बन्धी शासनादेश

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	जी–1–1850 / दस–534–(10)–82	17 नवम्बर, 1989	राज्य सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों की सार्वजनिक उपक्रमों आदि में वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति के दौरान देय पेंशन के सम्बन्ध में पेन्शनरी अंशदान की गणना किया जाना	573
2	जी–1–194 / दस–2001–534(1)–93	29 मई, 2001	पेंशन / अवकाश वेतन अंशदान जमा कराने विषयक	574–575
3	जी–1–404 / दस–2004–534(11)–93	28 अप्रैल, 2004	प्रदेश शासन के अधीन गठित कतिपय उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में वाह्य सेवा पर भेजे गये सरकारी अधिकारियों के मामले में वाह्य सेवा अवधि से संबंधित पेंशनरी अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान से छूट प्रदान किया जाना	575–576
4	जी–1–885 / दस–2006–534(11)–93	9 नवम्बर, 2006	प्रदेश शासन के अधीन गठित सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों, विश्वविद्यालयों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों एवं सहकारी संस्थाओं में वाह्य सेवा अवधि से संबंधित पेंशनरी अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान से छूट प्रदान किया जाना	577–578
5	जी–1–828 / दस–2007–534(11)–93	13 जून, 2008	प्रदेश शासन के अधीन गठित सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों, विश्वविद्यालयों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों एवं सहकारी संस्थाओं में वाह्य सेवा अवधि से संबंधित पेंशनरी अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान से छूट प्रदान किया जाना	579–580

अध्याय–18 पेंशन प्रपत्रों के प्रेषण/मानीटरिंग सम्बन्धी शासनादेश

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	सा–3–559/दस–89–908–89	25 फरवरी, 1989	सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के पेंशन प्रपत्रों के प्रेषण की मानीटरिंग	583–584
2	सा–3–688/दस–89–809–89	13 मार्च, 1989	सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के पेंशन प्रपत्रों का प्रेषण	584–585
3	सा–3–361/दस–933–89	9 अप्रैल, 1991	पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारण	585
4	सा–3–642/दस–1993	24 अप्रैल, 1993	सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के पेंशन प्रपत्रों के प्रेषण की मानीटरिंग	586
5	सा–3–103/दस–908/89	23 जुलाई, 1998	सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के पेंशन प्रपत्रों के प्रेषण विषयक	587
6	सा–3–734/दस–2008–300(1)/99	04 जून, 2008	सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों से पेंशन प्रपत्र की प्राप्ति स्वीकार किया जाना	588
7	एस–2–2109/दस–2011–33(67)–2011	11 अक्टूबर, 2011	प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी/राशिकरण प्रपत्रों के अग्रसारण हेतु सक्षम स्तर का निर्धारण	588–589
8	एस–2–2388/दस–11–87 (30)/76टी0सी0–1	30 नवम्बर, 2011	उ0प्र0 वित्त एवं लेखा समूह–''क'' के वेतनमान रू0 18,400–22,400 (अपुनरीक्षित) से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के सेवानैवृत्तिक लाभों से सम्बन्धित प्रपत्रों पर हस्ताक्षर हेतु सक्षम स्तर का निर्धारण	589

अध्याय–19–ई–पेंशन सिस्टम सम्बन्धी शासनादेश

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	9–सा–3–850/दस–2014–301(18)/2013	18 सितम्बर, 2014	ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति प्रणाली ई–पेंशन सिस्टम को लागू किया जाना	593–602
2	10/सा–3–979/दस–2014–301(18)/2013	28 अक्टूबर, 2014	ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति प्रणाली ई–पेंशन सिस्टम को लागू किया जाना	603–604
3	15/सा–3–1036/दस–2014–301 (18)/2013	28 नवम्बर, 2014	''ई–पेंशन सिस्टम'' का क्रियान्वयन	604–605
4	4/2015–सा–3–441/दस–2015–301 (18)/2013	30 अप्रैल, 2015	ऑन लाइन पेंशन स्वीकृति प्रणाली ई–पेंशन सिस्टम का क्रियान्वयन	605–606
5	6/2015–सा–3–513/दस–2015–301 (18)/2013	29 मई, 2015	ऑन लाइन पेंशन स्वीकृति प्रणाली ई–पेंशन सिस्टम का क्रियान्वयन	606
6	12/2015–सा–3–585/दस–2015–301 (18)/2013	24 जून, 2015	ऑन लाइन पेंशन स्वीकृति प्रणाली ई–पेंशन सिस्टम का क्रियान्वयन	607
7	22/2015–सा–3–1067/दस–2015 – 301(18)/2013	17 दिसम्बर, 2015	ऑन लाइन पेंशन स्वीकृति प्रणाली ई–पेंशन सिस्टम का क्रियान्वयन	608–609

अध्याय–20–पेंशन भुगतान/जीवन प्रमाण पत्र सम्बन्धी शासनादेश

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	ए–1–549/दस–5(2)/71	3 जनवरी, 1972	प्रशासकीय सुधार आयोग की कोषागारों से सम्बन्धित संस्तुतियों का कार्यान्वयन	613–615
2	ए–1–2840/दस–10(16)/76	1 जनवरी, 1979	उत्तर प्रदेश शासन के पेंशनरों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों के माध्यम से पेंशन भुगतान की योजना	616–629
3	ए–1–912/दस–5(4)/84	6 अप्रैल, 1985	उत्तर प्रदेश सरकार के पेशनरों को बैंक के माध्यम से पेंशन का सीधे भुगतान	630–642
4	ए–1–1048/दस–91–23(2)/82 /टी0सी0	2 जुलाई, 1991	राज्य सरकार के ऐसे पेंशनरों जिनकी मासिक पेंशन की धनराशि अन्तरिम सहायता को छोड़कर रू0 1000/तक है, कोषागार/उप कोषागार से नगद भुगतान किया जाना	642–643
5	ए–1–549/दस–93–23(2)/82 /टी0सी0	21 अगस्त, 1993	राज्य सरकार के ऐसे पेंशनरों जिनकी मासिक पेंशन की धनराशि अन्तरिम सहायता को छोड़कर रू0 1000/तक है, कोषागार/उप कोषागार से नगद भुगतान किया जाना	643
6	सा–3–769/दस–96–901/96	22 जून, 1996	राजकीय पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पहचान–पत्र निर्गत किया जाना	644–645
7	ए–1–1482/दस–96–10(4)/95	10 सितम्बर, 1996	अवशेष पेंशन भुगतान के सम्बन्ध में प्रक्रिया	645–646
8	सा–3–1092/दस–96–901/96	28 सितम्बर, 1996	राजकीय पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पहचान–पत्र निर्गत किया जाना–स्पष्टीकरण	646–547
9	ए–1–2072/दस–96–10(23)/95	16 दिसम्बर, 1996	उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों को बैंक के माध्यम से पेंशन का सीधे भुगतान	647–648
10	एस–3–2120/दस–1998	18 अगस्त, 1998	उत्तर प्रदेश के कोषागारों द्वारा सीधे पेंशनभोगी के एकल नाम के खाते में प्रतिमाह पेंशन सम्बन्धी देय धनराशि चेक द्वारा प्रेषित किया जाना	649–650
11	ए–1–1080/दस–2001–10(23)/ 95	19 जुलाई, 2001	उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों को बैंक के माध्यम से पेंशन का सीधे भुगतान	651–653
12	ए–1–2147/दस–2001–10(23)/ 93	29 सितम्बर, 2001	उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों को बैंक के माध्यम से पेंशन भुगतान सम्बन्धी जवाहर भवन पेंशन योजना के सम्बन्ध में	654

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
13	ए–1–1995 / दस–2003–10(23) / 95	21 नवम्बर, 2003	उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों को बैंक के माध्यम से पेंशन का सीधे भुगतान	655–657
14	ए–1–1695 / दस–2004–10(23) / 95 टी0सी0	14 अक्टूबर, 2004	उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों को बैंक के माध्यम से पेंशन का सीधे भुगतान	657–658
15	ए–1–427 / दस–2008–10(23) / 96	12 मई, 2008	उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों को संयुक्त खाता की भी सुविधा प्रदान किया जाना	658–660
16	ए–1–27 / दस–2010–11(1) / 2008	29 जनवरी, 2010	उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों को कोषागारों / राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से जीवित प्रमाण–पत्र दिया जाना	660–661
17	ए–1–489 / दस–2010–10(23) / 95टी0सी0–2	16 दिसम्बर, 2010	विदेश में रह रहे उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों के जीवित प्रमाण–पत्र तथा पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में	661–663
18	ए–1–137 / दस–2012–10(42) / 2010	07 फरवरी, 2012	वेतन समिति 2008 द्वारा पेंशन प्रक्रिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर कार्यवाही	663–664
19	9 / 2015 / ए–1–431 / दस–2015–10(23) / 95	13 मई, 2015	उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों द्वारा कोषागारों / राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से जीवित प्रमाण–पत्र दिया जाना	664–665
20	26 / 2016 / सा–3–592 / दस–2016–85एल0सी0 / 2016	10 अगस्त, 2016	कोषागारों द्वारा ई–पेमेन्ट के माध्यम से पेंशन का भुगतान	665–666
21	28 / 2016सा–3–653 / दस–2016–301 (09) / 2015	24 अगस्त, 2016	कोषागारों में पेंशन कक्ष की व्यवस्था	666
22	19 / 2016 / ए–1–907 / दस–2016–10 (65) / 2014	14 दिसम्बर, 2016	प्रदेश के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र की व्यवस्था लागू किया जाना	667–668

अध्याय–21–पेंशन अदालत सम्बन्धी शासनादेश

क्रमांक	शासनादेश संख्या	दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	सा–3–923 / दस–96–17–95	19 अगस्त, 1996	उत्तर प्रदेश सरकार में पेंशन अदालत गठित किया जाना	671–672
2	सा–3–1186 / दस–98–17–95	15 सितम्बर, 1998	मण्डल स्तर पर पेंशन अदालत के अयोजन हेतु	672–673

अध्याय–1

वेतन समिति 2016 के क्रम में निर्गत शासनादेश

संख्या 38/2016–सा–3–921/दस–2016/308–2016

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 23 दिसम्बर, 2016

विषय :– **वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन– पेंशन/उपदान/पेंशन की संराशीकरण/पारिवारिक पेंशन/अशक्तता पेंशन/एक मुश्त अनुग्रह राशि का विनियमन करने वाले प्रावधानों का संशोधन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन के भाग–2 की संस्तुतियों को राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त संकल्प संख्या–62/2016/वे0आ0–2–2643/दस–04(एम)/2016 दिनांक 16–12–2016 द्वारा स्वीकार किये जाने के अनन्तर श्री राज्यपाल दिनांक 01–01–2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी एवं पेंशन राशिकरण के प्रावधानों का विनियमन करने वाले प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधित किये जाने के सहर्ष आदेश देते हैं।

2–यह आदेश उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स द्वारा नियंत्रित राज्य सरकार के उन कर्मचारियों जो उत्तर प्रदेश लिबरलाईज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 तथा शासनादेश संख्या–सा–3–969/दस–923/85 दिनांक 08–08–1986 के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानैवृतिक लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, तथा जो दिनांक 01–01–2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवंगत होंगे, पर लागू होंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे, किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे।

3–(1) प्रभावी होने की तिथि–

इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थायें उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगी जो दिनांक 1 जनवरी, 2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत हुए हों। दिनांक 1 जनवरी, 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी सेवकों की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जा रहें हैं।

3–(2)

इन आदेशों से आच्छादित ऐसे सरकारी सेवकों, जिनके मामलों में दिनांक 1 जनवरी, 2016 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी एवं पेंशन के एक भाग के राशिकरण की स्वीकृति पूर्व व्यवस्था के अनुसार निर्गत की जा चुकी हैं, उनका पुनरीक्षण इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर के लिये लाभप्रद न हो, तो ऐसे मामलों में ऐसा पुनरीक्षण नही किया जायेगा।

4–(1) परिलब्धियाँ

पेंशन एवं अन्य नैवृतित्क लाभों (सेवानैवृतिक/मृत्यु गेच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है जैसा कि मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृति की तिथि से ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

4–(2)

उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन का आशय उस वेतन से है, जो दिनांक 1 जनवरी, 2016 से लागू पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर पर आहरित किया गया है किन्तु इसमें अन्य किसी प्रकार का वेतन यथा विशेष वेतन आदि शामिल नहीं होंगे।

4–(3)

सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को देय महँगाई भत्ता परिलब्धियों में सम्मिलित किया जायेगा।

5–पेंशन

5–(1)

सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद 474 की वयवस्था के अधीन ऐसे सरकारी सेवकों, जो 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उन्हें पेंशन अनुमन्य नहीं होती है, परन्तु उक्त श्रेणी के कार्मिक राज्य सरकार के नियमों के अधीन अनुमन्य सर्विस ग्रेच्युटी पाने के पात्र होंगे।

5–(2)

उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2016 को या उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी अर्हकारी सेवा 20 वर्ष की है, को पूर्ण पेंशन अनुमन्य की गयी है। उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों में इस व्यवस्था को यथावत् बनाये रखा गया है । जो सरकारी सेवक 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य है। यदि अर्हकारी सेवा 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम हैं तो पेंशन की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जायेगी परन्तु यह राशि किसी भी दशा में रू0 9,000/– प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

5–(3)

पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0 9,000/– प्रतिमाह तथा अधिकतम राशि राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन के 50 प्रतिशत प्रतिमाह की धनराशि से अधिक नहीं होगी।

5–(4)

वृद्ध पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को प्राप्त होने वाली अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन निम्नानुसार पूर्व की भाँति अनुमन्य रहेगी:–

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष से अधिक परन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी का यह दायित्व होगा कि पेंशन प्राधिकार पत्र में पेंशनर की जन्म तिथि, पेंशनर द्वारा धारित अन्तिम पदनाम, वेतनमान, अन्तिम आहरित वेतन एवं औसत परिलब्धियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाये जिससे अनुमन्यता की तिथि को अतिरिक्त पेंशन की धनराशि का आगणन एवं भुगतान करने में सुविधा हो। पेंशन प्राधिकार पत्र में अतिरिक्त पेंशन की धनराशि अलग से प्रदर्शित की जायेगी। उदाहरणार्थ यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष से अधिक है और उसकी पेंशन की धनराशि रू0 10000/–प्रतिमाह है, में पेंशन इस प्रकार दर्शायी जायेगी, (i) मूल पेंशन रु0 10000/–

(ii) अतिरिक्त पेंशन रु0 2,000/–। 85 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, (i) मूल पेंशन–रु0 10,000/– (ii) अतिरिक्त पेंशन रू0 3,000/– प्रतिमाह होगी।

6–अर्हकारी सेवा से अतिरिक्त सेवा की गणना–

पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा की गणना के व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त सेवा को पेंशन के लिये अर्हकारी सेवा में गणना किये जाने की व्यवस्था को कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–3–1508/दस–2008–308/97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2006 से समाप्त कर दिया गया है।

7–नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965–

7(1)–पुनरीक्षित वेतन संरचना में पारिवारिक पेंशन एक समान दर मूल वेतन के 30 प्रतिशत के बराबर इस प्रतिबन्ध के अधीन स्वीकृत की जायेगी कि पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि रु0 9000/– प्रतिमाह होगी और अधिकतम राज्य सरकार में उच्चतम वेतन का 30 प्रतिशत होगी।

7(2)–पुनरीक्षित वेतन संरचना में उच्चीकृत पारिवारिक पेंशन मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी, जिसकी न्यूनतम धनराशि रू0 9000/–तथा अधिकतम राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन का 50 प्रतिशत होगी।

7(3)–वृद्ध पारिवारिक पेंशनरों को देय अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का आगणन प्रस्तर 5(4) में दी गयी तालिका के अनुसार किया जायेगा।

7(4)–पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगाः–

वर्ग–1

(क)–विधवा/विधुर, आजन्म अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो।

(ख) पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक।

वर्ग–2

(च)–अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो वर्ग–1 से आच्छादित नहीं है, को विवाह/पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो।

(छ)–ऐसे माता–पिता जो सरकारी सेवक पर उनके जीवनकाल में पूर्णतः आश्रित रहे हों तथा मृत सरकारी सेवक के पीछे कोई विधवा/विधुर अथवा बच्चे न हों।

आश्रित माता–पिता, अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन जीवनपर्यन्त मिलेगी।

वर्ग–2 से आच्छादित अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता–पिता को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में उक्त वर्ग–1 में सम्मिलित पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तथा मृतक सरकारी सेवक के परिवार में ऐसी कोई संतान न हो, जो विकलांग हो। पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों को उनकी जन्म–तिथि के क्रम में होगी अर्थात् पहले जन्म लिये बच्चे को अनुमन्यता पहले होगी और उसकी पात्रता समाप्त होने के उपरान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चे की पात्रता स्थापित होगी।

सेवानिवृत्त/मृत पेंशनरों/सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को, चाहे उनका वैधव्य/तलाक, उनकी 25 वर्ष की आयु के पूर्व अथवा पश्चात् घटित हुआ हो, दोनों ही दशाओं में, पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी परन्तु ऐसी पुत्रियों जो सरकारी सेवक/पेंशनर, उसकी पत्नी,/पति की मृत्यु के उपरान्त तलाकशुदा/विधवा होती हैं, को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

7(5)–संतानहीन विधवा को पारिवारिक पेंशन का भुगतान उसके पुनर्विवाह के उपरान्त भी किया जायेगा परन्तु शर्त यह हैं कि यदि विधवा की सभी व्यक्तिगत आय पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि

की सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जायेगी उस दशा में पारिवारिक पेंशन बंद हो जायेगी। उक्त प्रकार के प्रकरणों में विधवा को संबंधित कोषागार में प्रत्येक 06 माह पर एक प्रमाण–पत्र देना होगा जिसमें उसकी सभी स्रोतों से आय का उल्लेख होगा।

7(6)–सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों की मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम संतान, जो जीविकोपार्जन में समर्थ नहीं है, को विवाह के उपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी। यह व्यवस्था शासनादेश संख्या 33/2016–सा–3–784/दस–2016–308/97, दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 द्वारा तत्काल प्रभाव अर्थात् 27 अक्टूबर, 2016 से अनुमन्य की गयी है तथा इससे वह प्रकरण भी आच्छादित होंगे जिनमें मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम संतानों को विवाहोपरान्त पारिवारिक पेंशन बंद की जा चुकी है परन्तु इन आदेशों के तहत पारिवारिक पेंशन का भुगतान तत्काल प्रभाव अर्थात् 27 अक्टूबर, 2016 से अनुमन्य होगा। शासनादेश दिनांक 6 अगस्त, 1981 सपठित शासनादेश दिनांक 12 नवम्बर, 1997 की शेष व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

7(7)–उपरोक्त व्यवस्था के अधीन पारिवारिक पेंशन हेतु आश्रित माने जाने का आधार पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम सीमा राशि तथा उस पर अनुमन्य महँगाई राहत पर निर्धारित होगी।

7(8)–ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है, के परिवार को मृत्यु की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी, तथा इस हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी। पेंशनर की मृत्यु की दशा में बढ़ी हुई दरों पर पेंशन का लाभ दिवंगत पेशनर की मृत्यु की तिथि से 07 वर्ष अथवा पेंशनर की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक अनुमन्य होगी।

8–सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी–

8(1)– मृत्यु ग्रेच्युटी की दर निम्नानुसार संशोधित की जायेगी :–

अर्हकारी सेवा की अवधि	मृत्यु ग्रेच्युटी की दर
01 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 02 गुना
01 वर्ष से अधिक किन्तु 05 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 06 गुना
05 वर्ष या अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 12 गुना
11 वर्ष या अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 20 गुना
20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये परिलब्धियों के 1/2 के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर अथवा रू0 20 लाख, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

8(2)–सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी एवं मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रू0 20 लाख होगी। महंगाई भत्ता मूलवेतन का 50 प्रतिशत हो जाने पर उपदान की सीमा 25 प्रतिशत तक बढ़ जायेगी।

9–पेंशन का राशिकरण–

प्रत्येक सरकारी सेवक को यह सुविधा अनुमन्य होगी कि वह अपनी पेंशन के एक भाग, जिसकी अधिकतम सीमा पेंशन की धनराशि की 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, का राशिकरण करा लें। राशिकृत भाग का पूनर्स्थापन पूर्व की भाँति पी0पी0ओ0 निर्गत होने के 03 माह बाद अथवा भुगतान की तिथि, जो भी पहले हो, से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि के ठीक अगली तिथि से होगा।

10–महँगाई राहत–

पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पर समय–समय पर अनुमन्य महँगाई राहत देय होगी। इन आदेशों के अन्तर्गत निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01–01–2016 से शून्य प्रतिशत तथा दिनांक 01–07–2016 से 02 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।

11—एक्स—ग्रेशिया एकमुश्त कम्पेन्सेशन—

एक्स—ग्रेशिया एकमुश्त कम्पेन्सेशन की धनराशि जो ऐसे राज्य सरकार के सिविल सेवा के कर्मचारियों के परिवारों को देय है, जिनकी मृत्यु अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान हो जाती है उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली एक्स—ग्रेशिया की धनराशि की दरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

परिस्थितियाँ		धनराशि (रूपये)
(क)	कर्तव्य निर्वहन के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर	25 लाख
(ख)	कर्तव्य निर्वहन के दौरान आतंकवादियों अथवा असामाजिक तत्वों के द्वारा हिंसा में मृत्यु होने पर	25 लाख
(ग)	सीमावर्ती क्षेत्रों में उग्रवादियों, आतंकवादियों, अतिवादियों अथवा समुद्री लुटेरों के विरूद्ध कार्यवाही के दौरान मृत्यु होने पर	35 लाख
(घ)	विशिष्ठ रूप से चिन्हित ऊँची पहाड़ियों या दुर्गम सीमा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं या कठिन जलवायु परिस्थिति में कार्यरत होने पर मृत्यु की दशा में।	35 लाख
(ङ)	युद्ध में शत्रुओं के हमले या ऐसे हमले जिन्हें रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाये अथवा भारतीयों को विदेश में युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने के दौरान हुई मृत्यु पर।	45 लाख

उपरोक्त संदर्भित संशोधनों के फलस्वरूप सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश लिब्रलाईज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश असाधारण पेंशन नियमावली एवं नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन तथा आवश्यक नियम/व्यवस्थायें संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष नियम/व्यवस्थायें पूर्ववत रहेंगी।

12—अवशेष भुगतान की प्रक्रिया—

(क)—इन आदेशों के तहत निर्धारित/पुनर्निर्धारित सेवा नैवृतिक लाभों का भुगतान माह जनवरी, 2017 जिसका भुगतान फरवरी, 2017 में किया जाना है, से किया जाये। पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को जनवरी, 2016 से दिसमबर, 2016 की अवधि के लिये देय अवशेष के 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017—18 तथा 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018—19 में संबंधित वर्ष के माह अक्टूबर में नकद किया जायेगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाये।

(ख)—किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उनके अवशेष के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षों में देय भुगतान सहित) की धनराशि का एकमुश्त नकद भुगतान, ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को, कर दिया जायेगा।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव।

संख्या–39/2016–सा–3–923/दस–2016/308/2016

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 23 दिसम्बर, 2016

विषय :– वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन– वर्ष 2016 से पूर्व के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन के भाग–2 की संस्तुतियों को राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त संकल्प संख्या–62/2016/वे0आ0–2–2643/दस–04(एम)/2016 दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 द्वारा किये जाने के अनन्तर श्री राज्यपाल दिनांक 1 जनवरी, 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने संबंधी प्राविधानों का विनियमन करने वाले प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधित किये जाने के सहर्ष आदेश देते हैं।

2–यह आदेश उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स द्वारा नियंत्रित राज्य सरकार के उन पेंशनरों, जो उत्तर प्रदेश लिब्रलाईज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 तथा शासनादेश संख्या–सा–3–969/दस–923/85 दिनांक 8 अगस्त, 1986 के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं, तथा जो दिनांक 1 जनवरी, 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त या दिवंगत हो चुके हैं, पर लागू होंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे, किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे।

3–इन आदेशों के अन्तर्गत–

(क) वर्तमान पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का तात्पर्य उन पेंशनरों से है जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को राज्य सरकार के नियमों के अर्न्तगत पेंशन/पारिवारिक पेंशन आहरित कर रहे थे या पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार थे।

(ख) ''वर्तमान पेंशन'' का तात्पर्य मूल पेंशन (राशिकृत भाग, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को देय थी, से है। पेंशन में वे सभी श्रेणी की पेंशनें सम्मिलित हैं जिनका उल्लेख उक्त प्रस्तर 2 में किया गया है।

(ग) ''वर्तमान पारिवारिक पेंशन'' का तात्पर्य उस मूल पारिवारिक पेंशन से है जो नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन शासनादेश संख्या–सा–3–657/दस–900/78, दिनांक 10 मई, 1978 अथवा शासनादेश संख्या–सा–3–1563/दस–921/81, दिनांक 3 नवम्बर, 1981 में उल्लिखित दरों पर, दिनांक 31 दिसम्बर, 1995 को अथवा शासनादेश संख्या–सा–3–969/

दस—923/85, दिनांक 8 अगस्त, 1986 से विनियमित पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को अनुमन्य थी।

4—ऐसे वर्तमान पेंशनर जो दिनांक 1 जनवरी, 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत हुए हैं, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के क्रम में मिल रही पेंशन को 2.57 से गुणा कर आगणित किया जायेगा। इस प्रकार से आगणित धनराशि को अगले रूपये में पूर्णांकित करते हुए पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जायेगा।

उदाहरण—1 पेंशनर—ए वेतनमान रू0 67000—79000 में अन्तिम मूल वेतन रू0 79000/— प्राप्त करते हुए दिनांक 31 मई, 2015 को उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लागू वेतनमानों में प्राप्त करते हुए सेवानिवृत्त होता है, उसकी पेंशन उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लागू वेतनमानों में रू0 39500/— निर्धारित होती है। उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर 2.57 के गुणांक का उपयोग करते हुए उसकी पेंशन पुनरीक्षित होकर रू0 1,01,515/— निर्धारित होगी।

उदाहरण—2 पेंशनर—बी चतुर्थ वेतन आयोग की संस्तुतियों पर लागू वेतनमानों में वेतनमानों रू0 3000—100—3500—125—4500 में अन्तिम मूल वेतन रू0 4000/— पाते हुए दिनांक 31 जनवरी, 1989 को सेवानिवृत्त हुआ और उसकी पेंशन तत्समय रू0 1940/— निर्धारित हुई। उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर उसकी पुनरीक्षित पेंशन रू0 12600/— निर्धारित हुई। उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर 2.57 के गुणांक के आधार पर उसकी पेंशन रू0 32,382/— निर्धारित होगी।

5—पुनरीक्षित पेंशन में राशिकृत धनराशि, यदि कोई है, भी सम्मिलित होगी। राशिकृत धनराशि को काटते हुए, जो धनराशि आयेगी, उसके अनुसार मासिक पेंशन दी जायेगी।

6—दिनांक 01—01—2016 से न्यूनतम पेंशन की धनराशि रू0 9000/— होगी। (80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन को छोड़कर) पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन की उच्च सीमा राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन की क्रमशः 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत होगी।

6(1)—वृद्ध पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को अनुमन्य पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि निम्नानुसार मिलना जारी रहेगी :—

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि
80 वर्ष की आयु परन्तु 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष की आयु परन्तु 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष की आयु परन्तु 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष की आयु परन्तु 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष की आयु या उससे अधिक	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

अतिरिक्त पेंशन को पेंशन भुगतान आदेश में अलग से दिखाया जायेगा। उदाहरणार्थ यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष से अधिक है और उसकी पेंशन की धनराशि रू0 10,000/— प्रतिमाह है, में पेंशन इस प्रकार दर्शायी जायेगी, (i) मूल पेंशन—रु0—10,000/— (ii) अतिरिक्त पेंशन रु0—2,000/—। 85 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, (i) मूल पेंशन—रु0—10,000/— (ii) अतिरिक्त पेंशन रु0—3,000/— प्रतिमाह होगी।

6(2)—उपर्युक्तानुसार निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन दिनांक 1 जनवरी, 2016 से स्वीकृत महँगाई राहत भी सम्मिलित है।

7–उन मामलों में जहाँ पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि न्यूनतम धनराशि रु0 9000/– से कम आगणित होती है, तो उसे रू0 9000/– के स्तर पर उच्चीकृत कर दिया जायेगा और यह दिनांक 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन होगी।

8–राजकीय पेंशनरों को पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन राशिकरण, पारिवारिक पेंशन, महँगाई राहत तथा अन्य सुविधायें यथा अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन, एक्स–ग्रेशिया एकमुश्त कम्पेन्शेसन आदि, जो केन्द्र के समान देय रही हों, को दिनांक 1 जनवरी, 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य की जाये।

9–इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण संबंधित कोषागारों द्वारा किया जायेगा। पुनरीक्षण के फलस्वरूप निर्धारित होने वाली पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम तथा अधिकतम धनराशि इस आदेश के प्रस्तर 6 में दी गयी सीमा के अनुसार होगी। जहॉ पुनरीक्षण के फलस्वरूप पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि रु0 9000/– प्रतिमाह से कम हो रही हो वहॉ संबंधित कोषागार द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि रु0 9000/– प्रतिमाह तक बढ़ा दी जायेगी। पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु संबंधित पेंशनर से आवेदन किये जाने की अपेक्षा न की जाये। इसी प्रकार पदक भत्ते का उल्लेख भी पी0पी0ओ0 में होने के कारण पदक भत्ते का भुगतान/पुनरीक्षण में कठिनाई नहीं होगी। कोषागारों द्वारा जब संबंधित पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षित की जाये, तो तत्संबंधी सूचना भी पेंशनरों को उपलब्ध करा दी जाये, जिसमें पुनरीक्षित पेंशन एवं राशिकरण आदि के समायोजन का भी उल्लेख किया जाये।

10–महंगाई राहत–

पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पर समय समय पर अनुमन्य महँगाई राहत देय होगी। इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 1 जनवरी, 2016 से शून्य प्रतिशत तथा दिनांक 1 जुलाई, 2016 से 2 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।

11–अवशेष भुगतान की प्रक्रिया

(क)–इन आदेशों के तहत निर्धारित/पुनर्निधारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान माह जनवरी, 2017 जिसका भुगतान फरवरी, 2017 में किया जाना है, से किया जाये। पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को जनवरी , 2016 से दिसम्बर, 2016 की अवधि के लिये देय अवशेष के 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017–18 तथा 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018–19 में संबंधित वर्ष के माह अक्टूबर में नकद किया जायेगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाये।

(ख)–किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवेशष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उनके अवेशष के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षों में देय भुगतान सहित) की धनराशि का एकमुश्त नकद भुगतान, ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को, कर दिया जायेगा।

12–राजकोष से पेंशन पाने वाले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम पेंशन का निर्धारण संबंधित कोषागार द्वारा वित्त विभाग के स्तर से निर्गत किये गये शासनादेशों की व्यवस्थानुसार किया जायेगा। यह व्यवस्था सरकारी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों, तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनके पेशनरों को सरकारी पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमन्य है, तथा जिनका भुगतान कोषागारों के द्वारा किया जा रहा है, पर लागू होगी । इन संस्थाओं के कर्मचारियों के अन्य सेवा नैवृत्तिक लाभों के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा पृथक से आदेश किये जाने होंगे।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव।

संख्या–2/2016–सा–3–86/दस–2017/308/2016

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
कक्ष संख्या–1018, जवाहर भवन,
लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 20 फरवरी, 2017

विषयः– वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन–वर्ष 2016 से पूर्व के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 3307/कम्प्यू0/150/मि0मो0प्रो0/बैठक/को0नि0, दिनांक 31 जनवरी, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा शासनादेश संख्या–39/2016/–सा–3–923/दस–2016/308/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए आपके द्वारा शासन का मार्गदर्शन चाहा गया है।

2–इस संबंध में मुझे यह स्पष्ट किये जाने का निदेश हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों, राज्य सरकार द्वारा अनुदानित अशासकीय शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायतशासी संस्थाओं के दिनांक 01–01–2016 के पूर्व के ऐसे सभी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों जिन्हें राज्य सरकार के पेंशनरों को अनुमन्य दरों पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है तथा जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कोषागारों द्वारा किया जा रहा है, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01–01–2016 से पुनरीक्षण/अभिनवीकरण संबंधित कोषागारों द्वारा शासनादेश संख्या–39/2016–सा–3–923/दस–2016–308/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

3–ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लि0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 तथा उ0प्र0 जल विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों पर यह आदेश लागू नही होंगे। इनके संबंध में ऊर्जा विभाग द्वारा अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अजय अग्रवाल,
सचिव।

<u>संख्या–8 / 2017–सा–3–125 / दस–2017–308 / 2016</u>

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च, 2017

विषयः–वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय के क्रम में सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं / राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वशासी संस्थाओं के दिनांक 1 जनवरी, 2016 के उपरान्त के पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियां राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के अनन्तर, दिनांक 1 जनवरी, 2016 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में शासनादेश संख्या 38 / 2016– सा–3–921 / दस–2016–308 / 2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 तथा दिनांक 1 जनवरी, 2016 एवं उसके उपरान्त के राज्य सरकार के पेशनरों की पेंशन एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों के संबंध में शासनादेश संख्या 39 / 2016–सा– 923 / दस–2016–308 / 2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 निर्गत किया जा चुका है।

2–राज्य सरकार द्वारा सहायतित शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की पेंशन / पारिवारिक पेंशन तथा अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों के पुनरीक्षण के संबंध में उ0प्र0 वेतन समिति (2016) द्वारा यह संस्तुति की गयी कि सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिये पेंशन तथा अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता की व्यवस्था में राजकीय कर्मचारियों से कतिपय भिन्नतायें है, अतः इन संस्थाओं के कर्मचारियों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों में वर्तमान व्यवस्थानुसार भिन्नता बनाये रखते हुये पेंशन पुनरीक्षण संबंधी आदेश निर्गत किये जायें। इसी प्रकार की संस्तुति राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वशासी संस्थाओं के संबंध में की गयी। समिति की उपर्युक्त संस्तुतियों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया जा चुका है।

3–उपर्युक्त के क्रम में विभिन्न प्रशासकीय विभागों से यह अपेक्षित है कि उनके नियंत्रणाधीन सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं एवं / अथवा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वशासी संस्थाओं जहाँ पेंशन योजना लागू है, के दिनांक 01–01–2016 के उपरान्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानैवृतिक लाभों का पुनरीक्षण, वर्तमान भिन्नता को बनाये रखते हुए, जैसा इस आदेश के प्रस्तर–2 में उल्लिखित है, किये जाने हेतु प्रस्ताव, शासनादेश के आलेख सहित संबंधित वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभागों को अविलम्ब प्रेषित किये जायें। प्रस्तावों का परीक्षण वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभागों द्वारा वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 एवं वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 से करा लिया जायेगा।

4–राज्य सरकार द्वारा अनुदानित शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायतशासी संस्थाओं के दिनांक 1 जनवरी, 2016 के पूर्व के ऐसे सभी पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों जिन्हें राज्य सरकार के पेंशनरों को अनुमन्य दरों पर पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 2–2016 / सा–3–86 / दस–2017–308 / 2016, दिनांक 20 फरवरी, 2017 द्वारा स्पष्टीकरण निर्गत किया जा चुका है।

भवदीय,

अजय अग्रवाल,

सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या 13/2017–सा–3–रिट–103/दस–2017–328(122)–2016

लखनऊ : दिनांक 14 जून, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

शासन को विभिन्न कर्मचारी संगठनों से इस आशय के प्रत्यावेदन समय–समय पर प्राप्त होते रहे है कि कार्य–प्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत रहे ऐसे कर्मचारी जिन्हें विनियमित कर दिया गया है, के विनियमितीकरण के पूर्व की कार्य–प्रभारित अधिष्ठान की सेवाओं को सेवानैवृतिक लाभों के लिये अर्हकारी सेवा के रूप में जोड़ा जाये।

2–उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद–361, 368 एवं 370 में सेवानैवृत्तिक लाभों के लिये अर्हकारी सेवा के आगणन के संबंध में व्यवस्था दी गयी है। उक्त अनुच्छेद नीचे उद्धृत किये गये हैं :–

361. The service of an office does not qualify for pension unless it conforms to the following three conditions :-

First-The service must be under Government.

Second-The employment must be substantive and permanent.

Third-The service must be paid by Government.

368. Service dose not qualify unless the officer holds a substantive office on a permanent establishment.

370. Continuous temporary or officiating service under the Government of Uttar Pradesh followed without interruption by confirmation in the same or any other post shall qualify except:-

(i) periods of temporary or officiating service in non-pensionable establishment;

(ii) periods of service in work-charged establishment; and

(iii) periods of service in a post paid form contingencies."

स्पष्टतः कार्य–प्रभारित अधिष्ठान में की गयी सेवायें अर्हकारी सेवा में आगणित नहीं की जाती।

3–कार्य–प्रभारित अधिष्ठान में की गयी सेवाओं को सम्मिलित कर पेंशन एवं अन्य सेवानैवृतिक लाभ अनुमन्य किये जाने के प्रयोजन से मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 24239(एमबी)/2016 नाहर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के आदेश दिनांक 03–02–2017 द्वारा खारिज कर दी गयी है। उपर्युक्त रिट याचिका कई अन्य रिट याचिकाओं के साथ सम्बद्ध की गयी थी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नानुसार है–

" No doubt pension is not a bounty, it is a valuable right given to an employee, but, in the first place it must be shown that the employee is entitled to pension under a particular rule or the scheme, as the case may be.

Thus, a similar claim was declined by the Supreme Court. In the present cases also the same deficiencies exist as noticed in Prabhu Narain's case (supra).

The claim of the petitioners is also unsustainable as this issue is squarely covered by the Full Bench decision of this Court in Babu Ram (supra) wherein a similar claim for counting

work-charged services for pensionary benefits has already been turned down relying upon various decisions of the Supreme Court, some of which have been noticed by us also, herein above.

As far as the contention raised on behalf of the petitioners based on the alleged notification dated 01.01.2000 is concerned, the said Government Order, which is prospective, merely states that the Government had taken a decision to abolish the arrangement of appointments in the work-charged establishment under Para 667, 668, 669 of the Financial Handbook, Vol.-VI which does not mean that work-charged services rendered under such establishment were liable to be counted for service/pensionary benefits, in respect of persons engaged prior to 01.01.2000. Para 669 referred herein above categorically barred the benefit of pension to members of work-charged establishment, consequently also to the benefit of services rendered in the work-charged establishment for pensionary benefits. Even otherwise, for the reasons already discussed hereinabove the two establishments being distinct, the work-charged services are not liable to be counted for pensionary benefits in the regular establishment.

In this context, it is not out of place to refer to the order of the Supreme Court dated 05.09.2014 passed while dismissing the Special Leave Petition against the Division Bench judgment of this Court in Jai Prakash Singh's, case (supra), wherein it observed as under :-

"There is nothing on the record to suggest that any Rule or Scheme
framed by the State to count the work-charge period for the purpose
of pension in the regular establishment, In absence of any such
Rule or Scheme, we find no merit to interfere with the impugned judgment.
The special leave petition is dismissed."

This order of the Supreme Court as also the judgment in Prabhu Narain (supra) and the Full Bench decision in Babu Ram (supra) veritably clinche the issue as far as question no. 2 is concerned.

As regards the claim for counting the said services for service benefits such as, promotional pay-scale/financial upgradation under ACP Scheme is concerned, there are various Government Orders dated 02.12.2000 and those issued in 2010 and thereafter, prescribing specified periods of regular satisfactory service as a pre-condition for grant of such benefits and as work-charged service is not regular service in regular establishment and as this issue is squarely covered by the judgment of the Supreme Court in Jaswant Singh's case (supra), therefore, in view of the said judgment and for ther reasons already discussed hereinabove, this claim is also not tenable.

For the reasons aforesaid, questions no. 1, 2 and 3 as framed by us are answered in the negative, Consequently, the writ petitions fail and are accordingly, dismissed."

4—माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश में कार्य—प्रभावित अधिष्ठान में की गयी सेवाओं को सेवानैवृतिक लाभों के प्रयोजनार्थ अर्हकारी सेवा माने जाने संबंधी याचिका को पोषणीय नहीं पाते हुये याचिका निरस्त की गयी है।

5—शासन के समस्त ऐसे प्रशासकीय विभागों जिनके अधीन कार्य—प्रभावित अधिष्ठान कार्यरत हैं, से यह अपेक्षा की जाती है कि उ0प्र0 सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स के अनुच्देद 361, 368 तथा 370 एवं मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश दिनांक 3 फरवरी, 2017 के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अधीनस्थ विभागाध्यक्षों / कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अजय अग्रवाल,
सचिव।

संख्या–23 / 2017 / सा–3–329 / दस–2017 / 308 / 2016

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 18 जुलाई, 2017

विषयः– वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन–वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन

महोदय,

वर्ष 2016 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन का दिनांक 1 जनवरी, 2016 से संशोधित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या 39 / 2016–सा–3–923 / दस–2016–308 / 2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 निर्गत किया जा चुका है।

2–वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन के संशोधन विषयक 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में निर्गत केन्द्र सरकार के संकल्प संख्या 38 / 37 / 2016-P&PW(A), दिनांक 4 अगस्त, 2016 में उल्लिखित प्रथम विकल्प के संबंध में संस्तुति प्रदान किये जाने हेतु गठित समिति की संस्तुतियों के क्रम में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 38 / 37 / 2016-P&PW(A), दिनांक 12 मई, 2017 निर्गत किया गया है।

3–केन्द्र सरकार के उक्त कार्यालय–ज्ञाप में यह व्यवस्था की गयी है कि दिनांक 1 जनवरी, 2016 के पूर्व सेवानिवृत कार्मिकों द्वारा सेवानिवृति के समय जिस वेतनमान में अन्तिम वेतन आहरित किया गया था, उसका प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षण, उसकी सेवानिवृति की तिथि के उपरान्त के वेतन आयोगों की संस्तुतियों के अनुसार किया जायेगा और इस प्रकार दिनांक 1 जनवरी, 2016 को निर्धारित प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन / पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जायेगा। केन्द्र सरकार के पूर्व कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 4 अगस्त, 2016 की व्यवस्थानुसार, दिनांक 1 जनवरी, 2016 के पहले की पेंशन / पारिवारिक पेंशन को 2.57 से गुणा करने पर संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन तथा दिनांक 12 मई, 2017 के कार्यालय–ज्ञाप में दी गयी व्यवस्थानुसार दिनांक 1 जनवरी, 2016 को प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षित वेतन के आधार पर निर्धारित पेंशन / पारिवारिक पेंशन में से जो अधिक हो, वह दिनांक 1 जनवरी, 2016 को पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमन्य होगी।

4–उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2016 द्वारा यह संस्तुति की गयी है कि केन्द्र सरकार के संकल्प दिनांक 4 अगस्त, 2016 में उल्लिखित प्रथम विकल्प पर केन्द्र सरकार का निर्णय आने पर, राज्य सरकार द्वारा तदनुसार आदेश निर्गत किये जाएं।

5–अतः केन्द्र सरकार के उपर्युक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 12 मई, 2017 में की गयी व्यवस्थाओं के अनुसार प्रदेश सरकार के वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन के संशोधन हेतु व्यवस्था कराये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

6–इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 में दी गयी रीति के अनुसार वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन के संशोधन के साथ–साथ आगे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार भी पेंशन का संशोधन किया जायेगा और दोनों रीतियों से पेंशन संशोधन किये जाने पर दिनांक 1 जनवरी, 2016 से, संबंधित पेंशनर को पेंशन की वह धनराशि अनुमन्य होगी जो अधिक हो।

7–इस व्यवस्था के अन्तर्गत, दिनांक 1 जनवरी, 2016 के पहले सेवानिवृत / मृत उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित वेतनमान में आहरित अन्तिम वेतन का प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षण उस

कर्मचारी की सेवानिवृति/मृत्यु की तिथि के उपरान्त जब–जब केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वेतनमानों का पुनरीक्षण किया गया, तब–तब प्रकल्पित रूप से किया जायेगा। इस प्रकार, दिनांक 1 जनवरी, 2016 को निर्धारित होने वाले प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। यदि इस प्रकार निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 39/2016–सा–3–923/दस–2016–308/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 में दी गयी व्यवस्थानुसार दिनांक 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन से अधिक होती है तो वह राशि उसे दिनांक 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमन्य होगी अन्यथा शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 की व्यवस्थानुसार पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन यथावत् प्राप्त होती रहेगी।

8–ऐसे मामले जिनमें बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, उनमें बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण भी उपर्युक्त प्रक्रियानुसार किया जायेगा तथा जिस तिथि से सामान्य दर पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य हो उस तिथि से सामान्य दर पर पारिवारिक पेंशन का भी पुनरीक्षण उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

9–ऐसे पेंशनर्स जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायतशासी निकायों में स्थायी संविलियन के उपरान्त राजकीय सेवा के लिए पृथक से पेंशन प्राप्त कर रहें हैं, उनकी सरकारी सेवा के लिए स्वीकृत पेंशन का पुनरीक्षण भी उपर्युक्त प्रक्रियानुसार किया जायेगा। ऐसे मामले जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायतशासी निकाय रूप से संविलियन की शर्तों में राज्य सरकार के नियमों के अधीन पारिवारिक पेंशन अनुमन्य हो, उन मामलों में पारिवारिक पेंशन का भी पुनरीक्षण उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

10–चूँकि समेकित पेंशन की धनराशि में राशिकृत पेंशन का अंश सम्मिलित होता है, अतः उपर्युक्तानुसार निर्धारित पेंशन में से राशिकृत पेंशन की धनराशि घटाते हुए मासिक पेंशन का भुगतान किया जायेगा।

11–इस शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रकल्पित रूप से वेतन का निर्धारण करते हुए पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 2016 के पूर्व की अवधि के लिए कोई एरियर देय नहीं होगा। इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने पर दिनांक 1 जनवरी, 2016 से एरियर का भुगतान, शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर–10 के अनुसार किया जायेगा। माह जनवरी, 2017 से देय अवशेष का भुगतान भी शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर–10 के अनुसार किया जायेगा तथा माह जुलाई, 2017 से संशोधित पेंशन का भुगतान माह अगस्त, 2017 से देय होगा।

12–प्रकल्पित आधार पर भिन्न–भिन्न वेतनमानों में वेतन निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा करते हए पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को संशोधित पेंशन भुगतानादेश (पी0पी0ओ0) निर्गत किये जाने हेतु वेतन निर्धारण सम्बन्धी आदेश प्रेषित किये जायेंगे। नया भुगतानादेश उसी पी0पी0ओ0 संख्या पर निर्गत किया जायेगा जिस पी0पी0ओ0 संख्या द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन मूल रूप से स्वीकृत की गयी है।

13–यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीशों/संविधिक संस्थाओं/परिषदीय विद्यालयों/ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/स्वायतशासी संस्थाओं के पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे। इन संस्थाओं के पेंशनरों के संबंध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

14–इन आदेशों के तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संशोधन की प्रक्रिया को इस शासनादेश के साथ संलग्न तालिका में दिये गये उदाहरणों से समझाया गया है।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव।

उदाहरण संलग्नक

कृपया शासनादेश का प्रस्तर–5 देखें

क्रमांक	विवरण	प्रथम उदाहरण	द्वितीय उदाहरण	तृतीय उदाहरण	चतुर्थ उदाहरण
1	सेवानिवृति की तिथि	31–12–1984	31–01–1989	30–06–1999	31–5–2015
2	सेवानिवृति के समय वेतनमान अथवा पे–बैण्ड एवं ग्रेड–पे या दिनांक 01–01–1986 के पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिक का दिनांक 01–01–1986 को प्रकल्पित वेतनमान	975–1660 (चतुर्थ वेतन आयोग)	3000–4500 (चतुर्थ वेतन आयोग)	4000–6000 (पंचम वेतन आयोग)	67000–79000 (छठवां वेतन आयोग)
3	सेवानिवृति के समय वेतन या दिनांक 01–01–1986 के पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिक का दिनांक 01–01–1986 को प्रकल्पित वेतन	1210	4000	4800	79000
4	पुनरीक्षण के पूर्व दिनांक 01–01–2016 को पेंशन	4191	12600	5424	39500
5	पुनरीक्षण के पूर्व दिनांक 01–01–2016 को पारिवारिक पेंशन	3500	7560	3500	23700
6	पुनरीक्षण के पूर्व दिनांक 01–01–2016 को बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन (जहाँ लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	39500
7	अपुनरीक्षित पेंशन में 2.57 का गुणा करने पर प्राप्त पुनरीक्षित पेंशन	10771	32382	13940	101515
8	अपुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन में 2.57 का गुणा करने पर प्राप्त पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन	9000	19430	9000	60909
9	अपुनरीक्षित बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन में 2.57 का गुणा करने पर अपुनरीक्षित दर पर पारिवारिक पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	101515
10	दिनांक 01–01–1996 को प्रकल्पित रूप से निर्धारित वेतन	3710 (3200–4900)	11300 (10000–15200)	लागू नहीं	लागू नहीं
11	दिनांक 01–01–2006 को प्रकल्पित रूप से निर्धारित वेतन	8910 पे बैण्ड–1 ग्रेड पे 2000	27620 पे बैण्ड–3 ग्रेड पे 6600	11330 पे बैण्ड–1 ग्रेड पे 2400	लागू नहीं

क्रमांक	विवरण	प्रथम उदाहरण	द्वितीय उदाहरण	तृतीय उदाहरण	चतुर्थ उदाहरण
12	दिनांक 01–01–2016 को प्रकल्पित रूप से निर्धारित वेतन	23100 (लेवल–3)	71800 (लेवल–11)	29600 (लेवल–4)	205100 (लेवल–15)
13	प्रथम विकल्प के अनुसार दिनांक 01–01–2016 से पुनरीक्षित पेंशन	11550	35900	14800	102550
14	प्रथम विकल्प के अनुसार दिनांक 01–01–2016 से पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन	9000	21540	9000	61530
15	प्रथम विकल्प के अनुसार दिनांक 01–01–2016 से बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	102550
16	अनुमन्य पुरीक्षित पेंशन (क्रमांक 7 एवं क्रमांक 13 में से जो अधिक हो)	11550	35900	14800	102550
17	अनुमन्य पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन (क्रमांक 8 एवं क्रमांक 14 में से जो अधिक हो)	9000	21540	9000	61530
18	अनुमन्य बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन (क्रमांक 9 एवं क्रमांक 15 में से जो अधिक हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	102550

———

संख्या 28–2017 / सा–3–333 / दस–2017–308 / 2016 तृतीय

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 22 अगस्त, 2017

विषयः– उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2016 की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 के प्रथम प्रतिवेदन के भाग–2 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने संबंधी राज्य सरकार के संकल्प संख्या 62 / 2016 / वे0आ–2–2643 / दस–04(एम) / 2016 दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 के क्रम में दिनांक 1 जनवरी, 2016 से पेंशन संशोधन विषयक शासनादेश संख्या 39 / 2016–सा–3–923 / दस–2016–308 / 2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 द्वारा 2016 के पूर्व के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में तथा शासनादेश संख्या 38 / 2016–सा–3–921 / दस–2016–308 / 2016 दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त / मृत सरकारी कर्मचारियों / उनके आश्रितों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन के नियमन के संबंध में आदेश निर्गत किये जा चुके है।

2–संकल्प दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर (18) पर की गयी संस्तुति जो पेंशनरों द्वारा स्वेच्छा से विभिन्न कार्यों में अपनी सेवायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, पर पृथक से कार्यवाही कर आदेश जारी किये जायेंगे।

3–संकल्प दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 के क्रमांक (11), (12) तथा (14) के क्रम में निम्नानुसार आदेश निर्गत किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है–

(1) ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जिन्हें न्यायालय अथवा आयोग अथवा किसी जांच समिति आदि में सेवाकाल में किये गये कार्यों के आधार पर साक्ष्य हेतु बुलाया जाता है, को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता उनके द्वारा धारित अंतिम पद एवं वेतनमान हेतु अनुमन्य दरों पर प्रदान किया जायेगा। सम्बन्धित पेंशनर द्वारा यात्रा भत्ता देयक उसी भाँति तैयार किया जायेगा जैसे सेवारत कार्मिकों द्वारा तैयार किया जाता हे। यात्रा भत्ता देयक उस कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जायेगा जिसके माध्यम से साक्ष्य हेतु बुलाये जाने के आदेश पेंशनर को प्राप्त हुए हैं। यात्रा भत्ता देयक में पेंशनर द्वारा धारित अंतिम पद, वेतनमान एवं वेतन का अंकन यथास्थान किया जायेगा। कार्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यात्रा भत्ता देयक की राशि आहरित कर पेंशनर के बैंक खाते में अन्तरित कर दी जायेगी। साक्ष्य में बुलाये जाने संबंधी आदेश/सम्मन तथा सम्बन्धित न्यायालय/आयोग जांच समिति के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत साक्ष्य हेतु उपस्थित होने संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि यात्रा भत्ता देयक के साथ संलग्न की जायेगी। यात्रा भत्ता देयक के ऊपरी भाग पर पेंशनर के नाम के सम्मुख पी0पी0ओ0 संख्या एवं बैंक खाता संख्या जिसमें पेंशन की राशि का भुगतान कोषागार द्वारा किया जाता है तथा बैंक शाखा एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड पेंशनर द्वारा अंकित किया जायेगा।

(2) सेवानिवृति के समय निर्गत होने वाले पेंशन भुगतानादेश में अन्तिम धारित पदनाम, वेतनमान/पे–बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतन मैट्रिक्स में आहरित अन्तिम वेतन, अर्हकारी सेवा की अवधि का उल्लेख अनिवार्यतः किया जाये।

(3) राजकोष से पेंशन पाने वाले पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों (ऊर्जा विभाग के अधीन सार्वजनिक निगमों/कंपनियों के पेंशनरों को छोड़कर) की न्यूनतम पेंशन का निर्धारण सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार कोषागारों द्वारा किया जायेगा तथा इस हेतु पेंशनर से आवेदन की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(4) कोषागारों द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षित किये जाने पर उसकी सूचना सम्बन्धित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को भेजी जाये। कोषागार में प्रयोग किये जाने वाले पेंशन भुगतान पैकेज में इस हेतु आवश्यक संशोधन करा दिया जाये ताकि पेंशन पुनरीक्षण सम्बन्धी सूचना पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को भेजे जाने हेतु कम्प्यूटर से पत्र जेनरेट हो सके।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव।

संख्या 31/2017/सा–3–524/दस–2017–308(8)/2016

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0 प्र0 शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 04 सितम्बर, 2017

विषयः–वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों आदि की पेंशन का संशोधन।

महोदय,

वर्ष 2016 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का दिनांक 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षण किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या 39/2016–सा–3–923/दस–2016–308/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 एवं शासनादेश संख्या 23/2016–सा–3–329/दस–2017–308/2016, दिनांक 18 जुलाई, 2017 निर्गत किये जा चुके हैं।

2–वर्ष 2016 के पूर्व के केन्द्र सरकार के पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या 38/37/2017–पी0 एण्ड पी0डब्लू0 (ए), दिनांक 6 जुलाई, 2016 द्वारा 1 जनवरी, 1986 से 1 जनवरी, 2016 तक विभिन्न वेतनमानों में प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण के आधार पर दिनांक 1 जनवरी, 2016 से निर्धारित होने वाली पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन की गणना के संबंध में वेतन प्रक्रमवार तालिकायें निर्गत की गयी है।

3–केन्द्र सरकार के कार्यालय–ज्ञाप संख्या 4/23/2017–पी0 एण्ड पी0डब्लू0 (डी), दिनांक 25 जुलाई, 2017 यह निर्देश निर्गत किये गये हैं कि वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण हेतु पूर्व निर्गत आदेशों के अनुसार विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिए पेंशनरों से किसी प्रकार की सूचना अथवा आवेदन प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नही है। संबंधित विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा निर्गत शासनादेशों के अधीन कार्यवाही स्वतः तत्काल की जाये।

4–इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार के उपर्युक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 6 जुलाई, 2017 के साथ संलग्न तालिकाओं जिन्हें इस शासनादेश के साथ संलग्न किया गया है, के आधार पर शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2017 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संबंधित विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा पेंशनरों से बिना आवेंदन की अपेक्षा किये तत्काल कार्यवाही की जाये।

5–इस शासनादेश तथा शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2017 के अनुसार प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण करते हुए दिनांक 1 जनवरी, 2016 से पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने पर दिनांक 1 जनवरी, 2016 से पूर्व की अवधि के लिए कोई एरियर देय नही होगा। शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2017 एवं इस शासनादेश की व्यवस्थाओं के अधीन पेंशन पुनरीक्षण पर देय एरियर का भुगतान शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर 10 एवं शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2017 के प्रस्तर 11 के अनुसार किया जायेगा।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या 32/2017/सा–324/दस–2017–301(8)/2015

प्रेषक,

एम0पी0 अग्रवाल,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 5 अक्टूबर, 2017

विषयः– **वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 8/2016–सा–3–179/दस–2016–301(8)/2015, दिनांक 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (संशोधन) विनियमावली, 2016 का स्पष्टीकरण।**

महोदय,

वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रख्यापित उ0 प्र0 सिविल सर्विस (संशोधन) विनियमावली, 2016 तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त है।

2–उक्त अधिसूचना द्वारा उ0 प्र0 सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद 486 में इस आशय का संशोधन किया गया है कि किसी सरकारी कर्मचारी को यदि सेवानिवृत्ति के उपरान्त नोशनल पदोन्नति प्रदान की गयी है, तो नोशनल पदोन्नति की तिथि से उसका वेतन प्रकल्पित रूप से निर्धारित करते हुए सेवानिवृत्ति की तिथि को देय प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन स्वीकृत की जायेगी, परन्तु इस प्रकार स्वीकृत पेंशन नोशनल पदोन्नति के आदेश की तिथि से देय होगी, और इसके पूर्व की अवधि के लिये एरियर अनुमन्य नहीं होगा।

3–शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण लाये गये हैं जिनमें नोशनल पदोन्नति के आदेश वित्त विभाग की उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2016 के पूर्व निर्गत हो चुके थे। निदेशक, पेंशन द्वारा इस बिन्दु पर मार्गदर्शन मांगा गया है कि ऐसे प्रकरणों में प्रकल्पित रूप से निर्धारित वेतन के आधार पर पेंशन का भुगतान नोशनल पदोन्नति के आदेश जारी होने की तिथि से देय होगा अथवा दिनांक 28 मार्च, 2016 से अथवा ऐसे प्रकरण अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2016 से आच्छादित होंगे या नही?

4–इस संबंध में मुझे यह स्पष्ट किये जाने का निदेश हुआ है कि ''दिनांक 28 मार्च, 2016 की अधिसूचना के पूर्व सेवानिवृत्ति के उपरान्त हुये नोशनल पदोन्नति के प्रकरण उक्त अधिसूचना द्वारा प्रख्यापित उ0 प्र0 सिविल सर्विस (संशोधन) विनियमावली, 2016 से आच्छादित होंगे, परन्तु इन प्रकरणों में प्रकल्पित रूप से निर्धारित अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन का लाभ उक्त अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तिथि 28 मार्च, 2016 से देय होगा, तथा इसके पूर्व की अवधि के एरियर अनुमन्य नहीं होगा। इस प्रकार उक्त संशोधन विनियमावली के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ दिनांक 28 मार्च, 2016 अथवा नोशनल पोन्नति के आदेश की तिथि, जो बाद में हो से देय होगा।''

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
एम0 पी0 अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या 34/2017/सा–3–313/दस–2017–308/2016–द्वितीय

प्रेषक,

एम0 पी0 अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख/सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 10 अक्टूबर, 2017

विषयः– राज्य सरकार की सेवा से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं में स्थायी रूप से संविलीन कार्मिको की राजकीय सेवाओं हेतु अनुमन्य पेंशन का दिनांक 01–01–2016 से संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0 प्र0 वेतन समिति, 2017 की संस्तुति दिनांक 25 अप्रैल, 2017 में यह अनुशंसा की गयी है कि–

(1) जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों में स्थायी रूप से संविलीन होने वाले सरकारी कर्मचारी, सरकार से पृथक रूप से अपनी पेंशन आहरित करना जारी रखतें हैं ऐसे कर्मचारियों को सरकार से प्राप्त होने वाली पेंशन का दिनांक 01–01–2016 से पुनरीक्षण सरकारी पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 39/2016–सा–3–923/दस–2016–308/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। जहाँ सरकारी कर्मचारियों ने अपनी पेंशन के 100 प्रतिशत के समान एकमुश्त सीमांत लाभ अर्जित कर लिया है और पेंशन के सारांशीकृत भाग की बहाली के पात्र हो गये हैं, उन कर्मचारियों के मामले उपर्युक्त शासनादेश से आच्छादित नहीं होंगे। ऐसे पेंशनभोगियों की पेंशन के विनियमन के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा आदेश निर्गत किये जाने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2) ऐसे मामलों में जहाँ सरकारी कर्मचारियों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों में स्थाई संविलियन की शर्तों या नियमों में राज्य सरकार की भांति पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता सम्मिलित हो, वहाँ पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण उपर्युक्त शासनादेश संख्या 39/2016–सा–3–923/दस– 2016– 308/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के प्रावधानों के अधीन किया जायेगा।

2–उ0 प्र0 वेतन समिति (2017) की उपर्युक्त संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार की सेवा से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकायों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में स्थाई रूप से संविलीन होने के उपरान्त सेवानिवृत्त हुये ऐसे पेंशनर जिन्हें राजकीय सेवा के अंश की पेंशन/पारिवारिक पेंशन सरकार से पृथक रूप से प्राप्त हो रही है, उनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01–01–2016 से पुनरीक्षण वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 39/2016–सा–3–923/दस–2016–308/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 की व्यवस्थाओं के अनुसार किया जायेगा। यह व्यवस्था उक्त श्रेणी के ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नही होगी जिनकी 100 प्रतिशत पेंशन का एक मुक्त भुगतान किया जा चुका है तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15 दिसम्बर, 1975 के अधीन राशिकृत भाग की पुनर्स्थापना किया जा चुका है।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

एम0 पी0 अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या 1/2018/सा–3–798/दस–2017–308/2016

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 01 जनवरी, 2018

विषयः– वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन–वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन।

महोदय,

वर्ष 2016 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन का दिनांक 01–01–2016 से संशोधन किये जाने विषयक शासनादेश संख्या 29/2016–सा–3–923/दस–2016/308/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के क्रम में शासनादेश संख्या 23/2017–सा–3–329/दस–2017–308/2016, दिनांक 18 जुलाई, 2017 एवं संख्या 31/2017–सा–3–524/दस–2017–308/2016, दिनांक 4 सितम्बर, 2017 निर्गत किये गये हैं।

2–शासनादेश संख्या 39/2016–सा–3–923/दस–2016–308/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर–12 में यह व्यवस्था की गयी है कि न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सुविघा सरकारी पेंशनरों/पारिवारिक पेशनरों के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा अनुदानित शिक्षण संस्थाओं व राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं जिनके पेंशनरों को सरकारी पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमन्य है तथा जिनका भुगतान कोषागारों के द्वारा किया जा रहा है, पर लागू होगी।

3–शासनादेश संख्या 39/2016–सा–3–923/दस–2016/308/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 2/2016–सा–3–86/दस–2017/308/2016, दिनांक 20 फरवरी, 2017 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों, राज्य सरकार द्वारा अनुदानित अशासकीय शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं के दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पूर्व के ऐसे सभी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों जिन्हें राज्य सरकार के पेंशनरों को अनुमन्य दरों पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है तथा जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कोषागार से किया जा रहा है, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01–01–2016 से पुनरीक्षण/अभिनवीकरण सम्बन्धित कोषागारों द्वारा शासनादेश संख्या 39/2016–सा–3– 923/दस–2016/308/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

4–शासनादेश संख्या 23/2017–सा–3– 329/दस–2017/308/2016, दिनांक 18 जुलाई, 2017 का प्रस्तर–13 नीचे उद्धृत किया गया है :–

''यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों/संविधिक संस्थाओं/परिषदीय विद्यालयों/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/स्वायतशासी संस्थाओं के पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे। इन संस्थाओं के पेंशनरों के संबंध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।''

5–उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2017 के प्रस्तर–13 जिसे ऊपर उद्धृत किया गया है, में परिषदीय विद्यालयों/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं का उल्लेख त्रुटिवश हो गया है। अतः शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2017 के प्रस्तर–13 में से ''परिषदीय विद्यालयों/ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं'' वाक्यांश को सदैव से विलोपित समझा जाये। शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2017 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

नील रतन कुमार,

विशेष सचिव।

———

संख्या 14/2018/सा–3–312/दस–2018–308/2016

प्रेषक,

अलकनंदा दयाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 01 मई, 2018

विषयः– वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन।

महोदय,

वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन संशोधन के विषय में वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 39/2016–सा–3–923/दस–2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016, शासनादेश संख्या 23/2017–सा–3–329/दस–2017, दिनांक 18 जुलाई 2017 एवं शासनादेश संख्या 31/2017–सा–3–524/ दस–2017, दिनांक 04 सितम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2–शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2017 एवं 04 सितम्बर, 2017 के संदर्भ में शासन से इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा जा रहा है कि दिनांक 01 जनवरी, 2016 से संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू पे–मैट्रिक्स में समवर्ती लेवल में न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत/30 प्रतिशत से कम न होने की व्यवस्था लागू है अथवा नहीं।

3–इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2017 सपठित शासनादेश दिनांक 04 सितम्बर, 2017 के अनुसार नोशनल रूप से निर्धारित वेतन के आधार पर पेंशन का निर्धारण सेवानिवृत्त कार्मिक की अर्हकारी सेवा के आधार पर करते हुए किया जायेगा परन्तु उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2016, शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2017 सपठित शासनादेश दिनांक 04 सितम्बर, 2017 की व्यवस्थाओं के अधीन दिनांक 01 जनवरी, 2016 से संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू वेतन मैट्रिक्स के संगत पे–लेवल में न्यूनतम वेतन के क्रमशः 50 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत से किसी भी दशा में कम नहीं होगी भले ही सेवानिवृत्त कार्मिक की अर्हकारी सेवा पूर्ण पेंशन हेतु आवश्यक अर्हकारी सेवा से कम हो।

4–यह आदेश दिनांक 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी समझे जायेंगे।

भवदीय,

अलकनंदा दयाल

सचिव।

संख्या 15/2018/सा–3–10/दस–2018–308/2016

प्रेषक,

अलकनंदा दयाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 01 मई, 2018

विषय :– दिनांक 01–01–2016 के पूर्व अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन का दिनांक 01–01–2016 से पुनरीक्षण।

महोदय,

वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अन्तिम आहरित वेतन के नोशलन पुनरीक्षण के आधार पर संशोधित पेंशन के निर्धारण सम्बन्धी संस्तुति के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 38/37/2016 पी एण्ड पी डब्ल्यू (ए), दिनांक 12 मई, 2017 का प्रस्तर–11 नीचे उद्धृत है :–

''11–ये आदेश उन पेंशनभोगियों की पेंशन के संशोधन के लिए लागू नहीं होंगे, जो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के नियम 40 के तहत अनिवार्य सेवानिवृति पेंशन अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के नियम 41 के तहत अनुकंपा भत्ता आहरित कर रहे थे। इन श्रेणियों के पेंशनभोगी इस विभाग के दिनांक 04–08–2016 के का0ज्ञा0सं0 38/37/2016–पी एण्ड पी डब्ल्यू (ए) (ii) में निहित निर्देशों के अनुसार संशोधित पेंशन प्राप्त करने के हकदार बने रहेंगे।''

2–इस क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–23/2017–सा–3–329/दस–2017–308/2016, दिनांक 18–07–2017 के प्रस्तर–7 के परन्तुक के रूप में अधोलिखित प्रस्तर जोड़ दिया जाये :–

''ये आदेश उन पेंशनभोगियों की पेंशन के संशोधन के लिए लागू नहीं होंगे, जो राज्य सरकार की सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन अथवा अनुकंपा भत्ता आहरित कर रहे थे। इन श्रेणियों के पेंशनभोगी वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 39/2016–सा–3–923/दस–2016–308/2016, दिनांक 23–12–2016 में निहित निर्देशों के अनुसार संशोधित पेंशन प्राप्त करने के हकदार बने रहेंगे।''

भवदीय,
अलकनंदा दयाल
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

वित (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या 16 / 2019–सा–3–322 / दस–2019–301(8) / 2015

लखनऊ, 16 अप्रैल, 2019

<u>अधिसूचना</u>

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अंगीकृत सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (संशोधन) विनियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (संशोधन) विनियमावली, 2019 कही जायेगी।

(2) यह अधिसूचना संख्या सा–3–379 / दस–2005–301(9)–2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 के निर्गत होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

अनुच्छेद 350 में नये परन्तुक का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स में, अनुच्छेद 350 के विद्यमान परन्तुक के नीचे निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाये–

"Provided further that the provisions of this Article shall apply to the Government servants who have joined service before April 01, 2005. The Government servants who join service on or after April 01, 2005 shall be governed by the new defined contribution pension system notified by the State Government *vide* noification no. G-3-379/X-2005-301(9), 2003, dated March 28, 2005 with all subesquent amendments."

आज्ञा से,

संजीव मित्तल

अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या 23 / 2019 / सा–648 / दस–2019–308 / 2016</u>

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2–प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
3–निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 — लखनऊ : दिनांक 09 अगस्त, 2019

विषयः– प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की दर में पुनरीक्षण के फलस्वरूप चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के सेवानिवृत्त राजकीय चिकित्सकों / दन्त शल्य चिकित्सकों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का संशोधन।

महोदय,

चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 2578 / सेक–2–5–09–7(5) / 97 दिनांक 24–08–2009 द्वारा दिनांक 01.01.2006 से लागू वेतन संरचना में मूल वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग के 25 प्रतिशत की

दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता इस शर्त के साथ अनुमन्य किया गया था कि मूल वेतन, ग्रेड वेतन तथा प्रैक्टिस बन्दी भत्ते के योग की अधिकतम सीमा रु0 58,000/– मासिक होगी।

2–वित्त (वेतन–आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 67/2016/वे0आ0–2–1447/दस–04 (एम)/2016 दिनांक 22–12–2016 द्वारा दिनांक 01–01–2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण संबंधी आदेश निर्गत किये गये हैं जिसके प्रस्तर–5(ब) में चिकित्साधिकारियों के मामले में वेतन पुनरीक्षण की व्यवस्था दी गयी है।

वित्त (वेतन–आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 2/2019/वे0आ0–2–08/10–2019–01 (एम)/2019 दिनांक 09–03–2019 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की दर मूल वेतन के 20 प्रतिशत के बराबर कर दी गयी है।

3–प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की दर दिनांक 09–03–2019 से संशोधित कर दिये जाने के फलस्वरूप उक्त तिथि से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनर्निर्धारण हेतु आदेश निर्गत किये जाने की आवश्यकता है।

4–दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त चिकित्सकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन :–

वर्ष 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त चिकित्सकों, जिन्हें प्रैक्टिस बन्दी भत्ता अनुमन्य था/है, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनर्निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा –

(i) वर्ष 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त चिकित्सकों के वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 23/2017/सा0–3–329/दस–2017/308/2016 दिनांक 18–07–2017 सपठित शासनादेश संख्या 31/2017/सा–3–524/दस–2017–308(8)/2016 दिनांक 04–09–2017 के अनुसार दिनांक 01–01–2016 को निर्धारित होने वाले प्रकल्पित मूल वेतन में 31–12–2015 को देय प्रैक्टिस बन्दी भत्ता की राशि जोड़ते हुए दिनांक 01–01–2016 से दिनांक 08–03–2019 तक के लिये पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण किया जायेगा।

(ii) दिनांक 09–03–2019 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनर्निर्धारण दिनांक 01–01–2016 को निर्धारित प्रकल्पित मूल वेतन में 20 प्रतिशत के बराबर प्रैक्टिस बन्दी भत्ता जोड़ते हुये किया जायेगा।

(iii) पेंशन/पारिवारिक पेंशन का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/पुनर्निर्धारण इस शर्त के अधीन होगा कि दिनांक 01–01–2016 अथवा दिनांक 09–03–2019 को प्रकल्पित मूल वेतन तथा प्रैक्टिस बन्दी भत्ता का योग रुपये 2,37,500/– से अधिक नहीं होगा।

5–दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 08 मार्च, 2019 तक सेवानिवृत्त चिकित्सकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन :

दिनांक 01–01–2016 से 08–03–2019 तक सेवानिवृत्त चिकित्सकों जिन्हें प्रैक्टिस बन्दी भत्ता अनुमन्य था/है, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनर्निधारण निम्नानुसार किया जायेगा–

(i) दिनांक 01–01–2016 से 08–03–2019 तक सेवानिवृत्त चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की तिथि को पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण दिनांक 01–01–2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में आहरित अंतिम वेतन में, सेवानिवृत्ति की तिथि को देय प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की राशि को जोड़ते हुये किया जायेगा।

(ii) दिनांक 09–03–2019 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनर्निर्धारण सेवानिवृत्ति की तिथि को दिनांक 01–01–2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में आहरित अंतिम मूल वेतन में 20 प्रतिशत प्रैक्टिस बन्दी भत्ता जोड़ते हुये किया जायेगा।

(iii) पेंशन/पारिवारिक पेंशन का उपर्युक्तानुसार पुनर्निर्धारण इस शर्त के अधीन होगा कि मूल वेतन तथा प्रैक्टिस बन्दी भत्ते का योग रुपये 2,37,500/– से अधिक नहीं होगा।

भवदीय,

संजीव मित्तल

अपर मुख्य सचिव।

अध्याय–2

वेतन समिति 2008 के क्रम में निर्गत शासनादेश

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या सा–3–1508/दस–2008–308–97

लखनऊ दिनांक 8 दिसम्बर, 2008

कार्यालय–ज्ञाप

विषय :– वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की दरों का पुनरीक्षण किया जाना।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी एवं पेंशन राशिकरण की दरों को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश दिनांक 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी समझे जायेंगे तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनर्निधारण/समायोजन किया जायेगा।

2–यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों पर (जो उत्तर प्रदेश लिब्रलाइज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 तथा शासनादेश संख्या सा–3–969/दस–933–85, दिनांक 8 अगस्त, 1986 के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं) लागू समझे जायेंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे। किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे।

2–(1) प्रभावी होने की तिथि–

इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थायें उन राजकीय कर्मचारियों पर लागू होंगी जो दिनांक 1 जनवरी, 2006 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा मृत हुए हैं। दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त/ मृत सरकारी सेवकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के संदर्भ में विस्तृत प्रक्रिया के संबन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

2–(2)

जिन सरकारी सेवकों के मामले में दिनांक 1 जनवरी, 2006 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एवं पेंशन के एक भाग के राशिकरण की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, उनका पुनरीक्षण, इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर के लिए लाभप्रद न हो, उन प्रकरणों में ऐसा पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

3–(1) परिलब्धियाँ–

पेंशन एवं अन्य नैवृत्तिक लाभों (सेवानिवृत्तिक/डेथ ग्रेच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है जैसा कि मूल नियम–9(21)(1) में परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

3–(2)

''वेतन'' से आशय उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर आधारित पुनरीक्षित वेतनमान में पे बैंड तथा लागू ग्रेड पे से है तथा इसमें अन्य किसी प्रकार का वेतन यथा विशेष वेतन आदि सम्मिलित नहीं है।

3–(3)

सेवानिवृत्ति/डेथ ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को अनुमन्य महँगाई भत्ते को भी सम्मिलित किया जायेगा।

4–पेंशन–

पेंशन की गणना पूर्व की भाँति, औसत परिलब्धियों पर किये जाने के साथ–साथ सेवानिवृत्ति के समय के वेतनमान में पुनर्स्थापित पे बैंड के न्यूनतम तथा पे ग्रेड के योग के 50 प्रतिशत के आधार पर भी की जायेगी और जो भी अधिक लाभप्रद हो वह अनुमन्य होगा परन्तु न्यूनतम पेंशन की धनराशि रु0 3500/– प्रतिमाह से कम तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन (दिनांक 1 जनवरी, 2006) के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। तदनुसार राज्य सरकार की पेंशन की पूर्व व्यवस्था उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

4–(1)

सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद–474 की व्यवस्था के अधीन ऐसे सरकारी सेवकों जो 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उन्हें पेंशन अनुमन्य नहीं होती है, परन्तु उक्त श्रेणी के कार्मिक राज्य सरकार के नियमों के अधीन अनुमन्य सर्विस ग्रेच्युटी पाने के पात्र होंगे।

4–(2)

वर्तमान में राज्य सरकार में पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकतम 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा प्रदान करना अनिवार्य है परन्तु तत्काल प्रभाव से उक्त व्यवस्था को संशोधित करते हुए यह व्यवस्था की जाती है कि सरकारी सेवक को पूर्ण पेंशन प्राप्त करने हेतु 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा करना अनिवार्य है। जो सरकारी सेवक 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा अन्तिम 10 माह में आहरित वेतन के औसत के आधार पर जो भी अधिक लाभप्रद हो, के आधार पर पेंशन अनुमन्य होगी।

4–(3)

ऐसे सरकारी सेवक जो दस वर्ष की अर्हकारी सेवा करने के उपरान्त सेवानिवृत्त होते हैं तथा पेंशन पाने के पात्र हैं, उन्हें भी उपरोक्त व्यवस्था के अधीन पेंशन स्वीकृत की जाएगी।

4–(4)

उपरोक्त प्रस्तर–4(2) एवं 4(3) की व्यवस्था इन आदेशों के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे तथा उन सरकारी कार्मिकों पर लागू होंगे जो उक्त दिनांक को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होंगे। जो सरकारी सेवक दिनांक 1 जनवरी, 2006 को अथवा उसके उपरान्त परन्तु इस कार्यालय–ज्ञाप के जारी होने के मध्य सेवानिवृत्त हुए हैं उन पर पेंशन संबंधी वही नियम लागू होंगे जो इस कार्यालय–ज्ञाप के जारी होने की तिथि के पूर्व लागू थे।

4–(5)

पेंशन की न्यूनतम धनराशि की सीमा रु0 3500/– प्रतिमाह तथा अधिकतम सरकारी सेवक द्वारा धारित अन्तिम वेतन के 50 प्रतिशत की धनराशि से अधिक नहीं होगी। (राज्य सरकार में दिनांक 1 जनवरी, 2006 से अधिकतम वेतन की धनराशि रुपया 80,000/– है)।

4–(6)

सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स की संबन्धित व्यवस्थाएँ उपरोक्त प्रस्तर–1 से 5 में पुनरीक्षित व्यवस्था के अनुसार संशोधित समझी जाएंगी। शेष व्यवस्थाएँ यथावत् लागू रहेंगी।

4–(7)

वरिष्ठ पेंशनरों को सामान्य अनुमन्य पेंशन की धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित अतिरिक्त पेंशन भी अनुमन्य की जाएगी :–

पेंशनर की आयु	अतिरिक्त पेंशन की धनराशि
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20% प्रतिमाह
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष की आयु से कम	मूल पेंशन का 30% प्रतिमाह
90 वर्ष से अधिक परन्तु 95 वर्ष की आयु से कम	मूल पेंशन का 40% प्रतिमाह
95 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष की आयु से कम	मूल पेंशन का 50% प्रतिमाह
100 वर्ष की आयु अथवा अधिक	मूल पेंशन का 100% प्रतिमाह

पेंशन स्वीकृत अधिकारी का यह दायित्व होगा कि पेंशन प्राधिकार–पत्र में पेंशनर की जन्म तिथि एवं आयु का स्पष्ट उल्लेख करे जिससे अनुमन्यता की तिथि को अतिरिक्त पेंशन की धनराशि का आगणन एवं भुगतान करने में सुविधा हो। पी0पी0ओ0 में अतिरिक्त पेंशन की धनराशि अलग से प्रदर्शित की जाएगी उदाहरणतया यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष है और उसकी पेंशन की धनराशि रुपया 10,000.00 प्रतिमाह है तो उसमें मूल पेंशन (क) रुपया 10,000/– तथा (ख) अतिरिक्त पेंशन रुपया 2,000 होगी। इसी प्रकार से 85 वर्ष की आयु पर मूल पेंशन (क) रुपया 10,000.00 (ख) अतिरिक्त पेंशन रुपया 3,000 प्रतिमाह होगी।

5–ग्रेच्युटी–

5–(1)

सभी प्रकार की ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रुपया 10 लाख होगी। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961 के संबंधित नियम को दिनांक 1 जनवरी, 2006 से संशोधित समझा जाएगा तथा नियम के अधीन सेवानिवृत्तिक/मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रु0 10 लाख से अधिक नहीं होगी।

6–अर्हकारी से अतिरिक्त सेवा की गणना–

उपरोक्त प्रस्तरों 1 से 5 में उल्लिखित पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा की गणना व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त सेवा को पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा में गणना की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तथा संबंधित नियम तद्नुसार संशोधित समझा जाएगा।

7–नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965–

पारिवारिक पेंशन की धनराशि सभी प्रकरणों में सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय आहरित मूल वेतन का 30 प्रतिशत होगी, जो न्यूनतम 3500/– प्रतिमाह तथा अधिकतम 24,000/– होगी।

7–(1)

वर्तमान में राज्य सरकार में सरकारी सेवक/पेंशनर की मृत्यु की दशा में अधिकतम 07 वर्ष की सीमा तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सामान्य पेंशन से दुगुनी दर अथवा सामान्य दशा में अनुमन्य पेंशन की धनराशि से अधिक नहीं तक पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होती है। दिनांक 1 जनवरी, 2006 से तथा उसके उपरान्त के प्रकरणों में 07 वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। पेंशनर की मृत्यु की दशा में उक्त अवधि में कोई संशोधन नहीं होगा। पूर्व व्यवस्था उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाए।

7–(2)

वृद्ध पारिवारिक पेंशनरों की पारिवारिक पेंशन की धनराशि में निम्न प्रकार से अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

पारिवारिक पेंशनर की आयु	पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि
80 वर्ष परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 20% प्रतिमाह
85 वर्ष परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 30% प्रतिमाह
90 वर्ष परन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 40% प्रतिमाह
95 वर्ष परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 50% प्रतिमाह
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पारिवारिक पेंशन का 100% प्रतिमाह

उपरोक्त अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता के लिए शेष सभी कार्यवाही उपरोक्त प्रस्तर–4(7) के अनुसार की जाएगी।

7–(3)

पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा :–

वर्ग–I

(क) विधवा/विधुर, आजन्म अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो,

(ख) पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक।

वर्ग–II

(ग) अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो उपरोक्त वर्ग–1 से आच्छादित नहीं है, को विवाह/पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो,

(घ) ऐसे माता पिता जो सरकारी सेवक पर उसके जीवनकाल में पूर्णतः आश्रित रहे हों तथा मृत सरकारी सेवक ने अपने पीछे कोई विधवा/विधुर अथवा बच्चे न छोड़ें हों।

आश्रित माता–पिता अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन जीवन पर्यन्त मिलेगी।

वर्ग–II से आच्छादित अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता/पिता को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तथा मृतक सरकारी सेवक के परिवार में उसकी ऐसी कोई संतान नहीं है जो विकलांग हो। पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों में उनकी जन्मतिथि के क्रम में होगी अर्थात् पहले जन्म लिये बच्चे को अनुमन्यता पहले होगी और उसकी पात्रता समाप्त होने के उपरान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चे की पात्रता स्थापित होगी।

7–(4)

उपरोक्त व्यवस्था के अधीन पारिवारिक पेंशन हेतु आश्रित माने जाने का आधार पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम सीमा राशि तथा उस पर अनुमन्य महँगाई राहत पर निर्धारित होगी।

7–(5)

संतानहीन विधवा को पारिवारिक पेंशन का भुगतान उसके पुनर्विवाह के उपरान्त भी किया जाएगा परन्तु शर्त यह है कि यदि विधवा की सभी व्यक्तिगत आय पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि की सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाएगी उस दशा में पारिवारिक पेंशन बन्द हो जाएगी। उक्त प्रकार के प्रकरणों में विधवा को संबंधित कोषागार को प्रत्येक 6 माह पर एक प्रमाण–पत्र देना होगा जिसमें उसकी सभी स्रोतों से आय का उल्लेख होगा।

8–पेंशन के एक भाग का राशिकरण–

8–(1)

प्रत्येक सरकारी सेवक को यह सुविधा अनुमन्य होगी कि वह अपनी पेंशन के एक भाग जिसकी अधिकतम सीमा पेंशन धनराशि की 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी का राशिकरण करा ले।

8–(2)

पेंशन राशिकरण की तालिका सम्बद्ध है तथा इस हेतु उ0प्र0 कम्युटेशन ऑफ पेंशन रूल्स को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

8–(3)

पेंशन राशिकरण से संबंधित पुनरीक्षित तालिका उन सभी प्रकरणों में प्रभावी होगी जिनमें इस कार्यालय–ज्ञाप के निर्गत होने के उपरान्त राशिकरण कराया गया है जिन प्रकरणों में पेंशन राशिकरण की कार्यवाही इस कार्यालय–ज्ञाप के निर्गत होने से पूर्व सम्पन्न की जा चुकी है, उनमें राशिकरण की पूर्व

तालिका में दर्शायी गयी दरों के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा। पेंशनरों को यह विकल्प भी होगा कि दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित अतिरिक्त पेंशन के एक भाग (अधिकतम सीमा तक) का राशिकरण करा लें। इस प्रकार अतिरिक्त पेंशन की धनराशि का राशिकरण का भुगतान पेंशन राशिकरण की नई तालिका में निर्धारित की गयी दरों के आधार पर किया जाएगा। इस कार्यालय–ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि के उपरान्त राशिकरण के प्रकरणों में नई तालिका के अनुसार धनराशि आगणित की जाएगी। उपरोक्त व्यवस्थाओं के प्रकाश में उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्यूटेशन) रूल्स उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे।

9–एक्स–ग्रेसिया एक मुश्त कम्पेन्सेशन–

वर्तमान व्यवस्था के अधीन जिन सरकारी सेवकों की मृत्यु सरकारी कार्य के दायित्वों के निर्वहन के फलस्वरूप हो जाती है उन्हें राज्य सरकार द्वारा एक्स–ग्रेसिया की धनराशि का एक मुश्त भुगतान किया जाता है। इस कार्यालय–ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि से पूर्व निर्धारित दरों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :–

रुपया

(क)	यदि कर्तव्य पालन की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है	10.00 लाख
(ख)	कर्तव्य पालन के समय आतंकवादी/अराजक तत्वों की गतिविधियों में हुयी हिंसा के फलस्वरूप हुयी मृत्यु	10.00 लाख
(ग)	देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुटपुट घटनाओं/अथवा लड़ाकू/आतंकवादियों, अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	15.00 लाखा
(घ)	अति दुर्लभ पहाड़ी ऊँचाइयों/दुर्लभ सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्य पालन करते हुए मृत्यु होने पर	15.00 लाख

संगत नियम उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

10–ऐसे सरकारी कार्मिकों जिन्होंने दिनांक 1 जनवरी, 2006 से लागू नये वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है, विकल्प देने की तिथि से 10 माह की अवधि के अन्दर सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनकी पेंशन की गणना हेतु निम्नलिखित व्यवस्था अपनाई जायेगी :–

(क) पुनरीक्षित वेतनमान/निर्धारित पे बैंड तथा ग्रेड पे में आगणित धनराशि।

(ख) शेष अवधि के लिए दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पूर्व में अवधि में आहरित मूल वेतन/महँगाई वेतन तथा वास्तविक महँगाई भत्ता, जो कि दिनांक 1 जनवरी, 2006 को प्रभावी थे तथा संगत अवधि में आहरित किया गया है।

सरकारी सेवक जिन्होंने दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व में प्रभावी वेतनमान को बनाए रखने का विकल्प दिया है, के संबंध में विशेष व्यवस्था :–

12–ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व प्रभावी वेतनमान को बनाए रखने का विकल्प दिया है और अब दिनांक 1 जनवरी, 2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनकी पेंशन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की धनराशि का निर्धारण निम्नवत् किया जाएगा :–

(1)–''परिलब्धियाँ'' शब्द से तात्पर्य उस वेतन से होगा जो मूल नियम 9(21)(ए)(1) तथा उस पर महँगाई वेतन तथा औसत AICPI-536 तक अनुमन्य महँगाई राहत (वर्ष 1982 = 100 के आधार पर) पर आगणित होगी।

(2)–पेंशन की गणना परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर पर अथवा औसत परिलब्धियों, जो भी अधिक लाभप्रद हो, पर की जाएगी।

(3)—मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की गणना हेतु उपरोक्त 12(1) में परिभाषित परिलब्धि तथा उस पर इन आदेशों के निर्गत होने की तिथि के पूर्व अनुमन्य महँगाई भत्ता सम्मिलित होगा। ग्रेच्युटी की धनराशि की अधिकतम सीमा रुपया 3,50,000/— (तीन लाख पचास हजार मात्र) से अधिक नहीं होगी।

(4)—पेंशन राशिकरण की दरें वही होंगी जैसा कि इन आदेशों के निर्गत होने के पूर्व प्रभावी थे।

(5)—पारिवारिक पेंशन की गणना/स्वीकृति उसी प्रकार होती रहेगी जैसी कि इन आदेशों के निर्गत होने के पूर्व प्रभावी थी एवं उसकी गणना दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पूर्व लागू वेतनमान में मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। उपरोक्त गणना हेतु AICPI-536 (वर्ष 1982—100 के आधार पर) निर्धारित महँगाई राहत, जैसी कि शासनादेश संख्या सा—3—1746/दस—308—05, दिनांक 2 दिसम्बर, 2005 में बताई गयी है, को सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार आगणित पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर AICPI-536 औसत के उपरान्त ही महँगाई राहत की गणना की जाएगी।

(6)—उपरोक्त संदर्भित संशोधनों के फलस्वरूप सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स/उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961/उ0प्र0 लिब्रलाइज्ड पेंशन रूल्स 1961/उ0प्र0 असाधारण पेंशन नियमावली एवं नई पारिवारिक पेंशन स्कीम के अधीन यथाआवश्यक नियम/व्यवस्थाएँ संशोधित समझे जाएँगे तथा शेष नियम/व्यवस्थाएँ पूर्ववत् रहेंगी।

(7)—इस कार्यालय—ज्ञाप के आधार पर आगणित/अनुमन्य पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर AICPI-536 के औसत के उपरान्त अनुमन्य कराये जाने वाला महँगाई राहत अनुमन्य होगा।

(8)—अवशेष भुगतान की प्रक्रिया—

दिनांक 1 जनवरी, 2006 से दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक के देय अवशेष का 20 प्रतिशत भाग वित्तीय वर्ष 2008—09 में 40 प्रतिशत भाग वित्तीय वर्ष 2009—10 में तथा शेष 40 प्रतिशत का भुगतान वित्तीय वर्ष 2010—11 में किया जाए। पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को विभिन्न वित्तीय वर्षों में देय अवशेष का भुगतान नकद किया जाए। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाए। पूर्व में भुगतान की गयी धनराशि समायोजित कर ली जायेगी।

किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किए जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षों में देय भुगतान सहित) की धनराशि ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को अविलम्ब एक मुश्त नकद भुगतान कर दिया जाए।

अनूप मिश्रा,
प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

(1)—समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

(2)—समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।

(3)—समस्त जिला अधिकारी, उ0प्र0।

ANNEXURE

COMMUTATION VALUE FOR A PENSION OF Re. 1 PER ANNUM

Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase
20	9.188	41	9.075	62	8.093
21	9.187	42	9.059	63	7.982
22	9.186	43	9.040	64	7.862
23	9.185	44	9.019	65	7.731
24	9.184	45	8.996	66	7.591
25	9.183	46	8.971	67	7.431
26	9.182	47	8.943	68	7.262
27	9.180	48	8.913	69	7.083
28	9.178	49	8.881	70	6.897
29	9.176	50	8.846	71	6.703
30	9.173	51	8.808	72	6.502
31	9.169	52	8.768	73	6.296
32	9.164	53	8.724	74	6.085
33	9.159	54	8.678	75	5.872
34	9.152	55	8.627	76	5.657
35	9.145	56	8.572	77	5.443
36	9.136	57	8.512	78	5.229
37	9.126	58	8.446	79	5.018
38	9.116	59	8.371	80	4.812
39	9.103	60	8.287	81	4.611
40	9.090	61	8.194		

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

————

संख्या सा–3–1515/दस–2008–308–97

लखनऊ दिनांक 8 दिसम्बर, 2008

—————

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः–वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अभिनवीकरण/पुनरीक्षण।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत सभी सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशनों के अभिनवीकरण/पुनरीक्षण के संबंध में निम्न आदेश प्रदान किए हैं।

2–यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों पर (जो उत्तर प्रदेश लिब्रलाइज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 तथा शासनादेश संख्या सा–3–969/दस–933–85, दिनांक 8 अगस्त, 1986 के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं) लागू समझे जायेंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे। किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे।

3–इन आदेशों के अन्तर्गत–

(क) ''वर्तमान पेंशनर'' अथवा ''पारिवारिक पेंशनर'' का तात्पर्य उन पेंशनरों से है जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 को राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन आहरित कर रहे थे या पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार थे।

(ख) ''वर्तमान पेंशन'' का तात्पर्य मूल पेंशन (राशिकृत भाग यदि कोई हो को सम्मिलित करते हुए) जो 31 दिसम्बर, 2005 को देय थी, से है। पेंशन में वे सभी श्रेणी की पेंशन सम्मिलित हैं जिनका उल्लेख ऊपर प्रस्तर–2 में किया गया है।

(ग) ''वर्तमान पारिवारिक पेंशन'' का तात्पर्य उस मूल पारिवारिक पेंशन से है जो नयी पारिवारिक पेंशन योजना 1965 के अधीन शासनादेश संख्या सा–3–657/दस–900/78, दिनांक 10 मई, 1978 अथवा शासनादेश संख्या सा–3–1563/दस–921/81, दिनांक 3 नवम्बर, 1981 में उल्लिखित दरों पर, दिनांक 31 दिसम्बर, 1995 को अथवा शासनादेश संख्या सा–3–969/दस–923/85, दिनांक 8 अगस्त, 1986 से विनियमित पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 को अनुमन्य थी।

4–(1)

ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, का समेकन दिनांक 1 जनवरी, 2006 से निम्नलिखित धनराशियों को सम्मिलित करके किया जायेगा :–

(I) वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन;

(II) महँगाई पेंशन जहाँ अनुमन्य हो;

(III) वर्तमान महँगाई राहत जैसा कि औसत AICPI 536 (वर्ष 1982–100 के आधार पर) मूल पेंशन/मूल पारिवारिक पेंशन तथा महँगाई पेंशन के 24 प्रतिशत के बराबर अनुमन्य है, शासनादेश संख्या सा–3–1746/दस–2005–308–2004, दिनांक 2 दिसम्बर, 2005 के अनुसार महँगाई राहत के 50 प्रतिशत के बराबर धनराशि को महँगाई पेंशन में परिवर्तित करते हुए;

(IV) पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 40 प्रतिशत के फिटमेन्ट वेटेज की धनराशि भी सम्मिलित होगी।

जिन प्रकरणों में वर्तमान पेंशन की धनराशि में 50 प्रतिशत की महँगाई राहत की धनराशि सम्मिलित है उन प्रकरणों में फिटमेन्ट वेटेज की धनराशि की गणना मूल पेंशन पर अर्थात् महँगाई पेंशन की धनराशि घटाकर की जाएगी।

इस प्रकार आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन को दिनांक 1 जनवरी, 2006 से मूल पेंशन माना जाएगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पेंशनर की पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति के समय उसके पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित पे बैण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत की धनराशि से कम नहीं होगी। जहाँ अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है वहाँ यह धनराशि अनुपातिक रूप से कम कर दी जाएगी किन्तु किसी भी दशा में यह रु0 3500/– प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

इसी प्रकार पारिवारिक पेंशन की धनराशि संबंधित सरकारी सेवक के दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित पे बैण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 30 प्रतिशत किन्तु किसी भी दशा में यह रु0 3500/– प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

4–(2)

क्योंकि उपरोक्त प्रकार आगणित पेंशन की धनराशि में पेंशन के राशिकरण का अंश भी सम्मिलित है, इसलिए मासिक भुगतान में उक्त अंश को घटा दिया जाएगा।

4–(3)

पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व न्यूनतम/अधिकतम सीमा क्रमशः रुपया 1275 एवं रुपया 13,000 थी, दिनांक 1 जनवरी, 2006 से रुपया 3500 तथा 40,000 हो जाएगी।

4–(4)

वृद्ध पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशनरों की धनराशि में निम्न प्रकार वृद्धि की जाएगीः–

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि
80 वर्ष की आयु परन्तु 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 20 प्रतिशत
85 वर्ष की आयु परन्तु 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत
90 वर्ष की आयु परन्तु 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 40 प्रतिशत
95 वर्ष की आयु परन्तु 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष की आयु या उससे अधिक	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

पेंशन भुगतानादेश में अतिरिक्त पेंशन की धनराशि अलग से दर्शायी जाएगी। उदाहराणार्थ यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष से अधिक है और उसकी पेंशन की धनराशि रु0 10,000/– है, उस दशा में उसके सम्मुख रु0 2000/– प्रतिमाह अंकित किया जाएगा। इसी प्रकार से उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी पेंशन एवं अतिरिक्त पेंशन दर्शायी जाएगी। उपरोक्त प्रकरणों में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की जन्मतिथि अवश्य अंकित की जाएगी जिससे कि भुगतान में कठिनाई न हो।

4–(5)

वर्तमान में ऐसे पेंशनर जो दिनांक 31 मार्च, 1985 तथा 31 दिसम्बर, 1985 के मध्य सेवानिवृत्त हुए और जिन्हें ''वयैक्तिक पेंशन'' मिल रही है, वे उसे पूर्व की भाँति प्राप्त करते रहेंगे तथा उसे पेंशन समेकन में शामिल नहीं किया जायेगा।

4–(6)

उपरोक्त प्रकार से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि में औसत सूचकांक 536 (1982=100 बेस वर्ष) के अनुसार स्वीकृत महँगाई राहत सम्मिलित है, इस कारण अब उक्त सूचकांक के ऊपर बढ़ी हुयी महँगाई राहत का भुगतान अनुमन्य होगा। महँगाई राहत के भुगतान के संदर्भ में आदेश अलग से निर्गत किए जा रहे हैं।

5–यदि समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रु0 3500/– प्रतिमाह से कम आती है तो उसे रु0 3500/– प्रतिमाह कर दिया जाएगा तथा इसे दिनांक 1 जनवरी, 2006 से मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन माना जायेगा। जिन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को एक से अधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त है, उनकी दोनों पेंशने अधिकतम सीमा रु0 3500/– प्रतिमाह होगी।

5–(1)

उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज असाधारण पेंशन नियमावली के अधीन पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर को यदि सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अधीन भी पेंशन स्वीकृत की गयी है तो उन प्रकरणों में भी दोनों पेंशनों का योग रु0 3500/– प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी। यदि केवल अशक्तता पेंशन स्वीकृत की गयी है तो उसकी न्यनूतम पेंशन की धनराशि रु0 3500/– से कम नहीं होगी। जहाँ केवल अवकाश पेंशन अनुमन्य है। उक्त धनराशि केवल उन प्रकरणों में भुगतान की जाएगी जिनमें 100 प्रतिशत अशक्तता प्रमाणित है तथा यदि अशक्तता की श्रेणी कम है तो उन प्रकरणों में उसी अनुपात में पेंशन घटा दी जाएगी।

6–सेवायोजित/पुनर्योजित पेंशनर–

सेवायोजित/पुनर्योजित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशनों पर वर्तमान में महँगाई राहत अनुमन्य नहीं है। उनके मामलों में अतिरिक्त राहत की गणना हेतु प्रकल्पित महँगाई राहत की उस धनराशि को आधार माना जायेगा जो उन्हें उस दशा में अनुमन्य होती। यदि वे सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवायोजित/पुनर्योजित नहीं हुए होते और उसी के अनुसार उनकी पेंशन का समेकन किया जायेगा। दिनांक 1 जनवरी, 2006 से उनका वेतन उपरोक्तानुसार आगणित/समेकित पेंशन के परिप्रेक्ष्य में पुनर्निर्धारित किया जायेगा। दिनांक 1 जनवरी, 2006 के उपरान्त होने वाली वृद्धि से संबंधित महँगाई राहत उन्हें सेवायोजन/पुनर्योजन की अवधि में अनुमन्य नहीं होगी।

7–सरकारी सेवक के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में आमेलन पर पेंशन की व्यवस्था–

(क)–पेंशन :–

ऐसे सरकारी सेवक जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में आमेलन के उपरान्त पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को भी इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पुनरीक्षित किया जायेगा। परन्तु उन प्रकरणों में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा जिनमें आमेलित कार्मिक को उसकी 100 प्रतिशत पेंशन की एक मुश्त धनराशि का भुगतान किया जा चुका है तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15 दिसम्बर, 1975 के अधीन राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन किया जा चुका है।

(ख)–पारिवारिक पेंशन :–

ऐसे प्रकरणों में जिनमें सरकारी उपक्रम/स्वायत्तशासी संस्थाओं में आमेलन के उपरान्त कार्मिक की मृत्यु के फलस्वरूप पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गयी है, उन पारिवारिक पेंशनों का भी पुनरीक्षण किया जायेगा।

उपरोक्त निर्धारित व्यवस्था के अधीन पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन की गणना करते हुए एक तालिका बनायी गयी है जो इस आदेश के साथ संलग्न है। समस्त कोषागार इस तालिका के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस संदर्भ में अलग से प्राधिकार–पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग)–भुगतान की प्रक्रिया :–

दिनांक 1 जनवरी, 2006 से दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक के देय अवशेष का 20 प्रतिशत भाग वित्तीय वर्ष 2008–09 में, 40 प्रतिशत भाग वित्तीय वर्ष 2009–10 में तथा शेष 40 प्रतिशत का भुगतान वित्तीय वर्ष 2010–11 में किया जायेगा। पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को विभिन्न वित्तीय वर्षों में देय अवशेष का भुगतान नकद किया जाए। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाएगा।

किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किए जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षों के देय भुगतान सहित) की धनराशि ऐसे पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को अविलम्ब एक मुश्त नकद भुगतान कर दिया जाए।

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

(1)–समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
(2)–समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(3)–समस्त जिला अधिकारी, उ0प्र0।

नोट :– स्थानाभाव के कारण पेंशन समेकन सम्बन्धी तालिका प्रकाशित नहीं की जा सकी है।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या सा–3–1517/दस–2008–308–97

लखनऊः दिनांक 10 दिसम्बर, 2008

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः– वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप अशक्तता पेंशन भोगियों हेतु नियत परिचर भत्ता स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय सम्यक विचारोपरान्त 100 प्रतिशत अशक्तता के आधार पर अशक्तता पेंशन प्राप्त ऐसे पेंशन भोगियों को जो अपने दैनिक कार्यों के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर पूरी तरह आश्रित हैं, उन्हें अशक्तता पेंशन के अतिरिक्त रु0 3000/– प्रतिमाह नियत परिचर भत्ता स्वीकृत किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उपर्युक्त प्रयोजन हेतु संबंधित पेंशनर द्वारा त्रैमासिक आधार पर (त्रैमास अप्रैल–जून से संबंधित भत्ते का, 10 जुलाई तक, त्रैमास जुलाई–सितम्बर से संबंधित भत्ते का 10 अक्टूबर तक एवं इसी प्रकार आगे) संलग्न प्रारूप पर आवश्यक प्रमाण–पत्र कोषाधिकारी के समक्ष त्रैमास की समाप्ति के बाद अगले माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत किए जाने पर कोषाधिकारी द्वारा अनुदान संख्या 62 (वित्त विभाग अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) के लेखाशीर्षक ''2071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ–01–सिविल–800–अन्य व्यय–08–अशक्तता पेंशन भोगियों हेतु नियत परिचर भत्ता–42–अन्य व्यय'' के प्रमाण–पत्र से आच्छादित

त्रैमास के लिए देय भत्ते की धनराशि आहरित करते हुए उसका भुगतान संबंधित पेंशनर को किया जाएगा।

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

(1)–समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
(2)–समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(3)–समस्त जिला अधिकारी, उ0प्र0।

———

प्रमाण–पत्र

कोषाधिकारी,
(जहाँ से पेंशन आहरित की जाती है)

मैं ———————————————————— सिविल/पारिवारिक पेंशन के रूप में (पद/कार्यालय) ——————————————— उ0प्र0 से दिनांक ——————— को सेवानिवृत्त हुआ था। मुझे शासनादेश संख्या सा–3–1517/दस–2008–308–97, दिनांक ——————— के अनुसार रु0 3,000/– (रुपया तीन हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से "नियत परिचर भत्ता" अनुमन्य है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा माह ————— से तक की अवधि में अपने आवास संख्या ————————— पर परिचर के रूप में —————————— को निरंतर सेवायोजित रखते हुए उसकी सेवाओं का उपभोग किया गया है।

(हस्ताक्षर दिनांक सहित)
नाम ————————
अन्तिम धारित पद —————
पी0पी0ओ0 संख्या —————
आवासीय पता ——————
——————————

दिनांक ————————

———

संख्या सा–3–1520/दस–2008–101(24)–2008

प्रेषक,

बी0एन0 दीक्षित,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 11 दिसम्बर, 2008

विषय :– छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर जारी शासनादेश संख्या सा–3–1250/दस–2008, दिनांक 20 अक्टूबर, 2008 के अन्तर्गत कोषागार एवं निदेशक, पेंशन के स्तर पर क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स के पेंशन पुनरीक्षण हेतु शासनादेश संख्या सा–3–1250/दस–2008, दिनांक

20 अक्टूबर, 2008 द्वारा आदेश जारी किये गये है। पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु कोषाधिकारियों की सुविधा के लिये शासनादेश के साथ रेडी रेकनर जिसमें प्रत्येक पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर की वर्तमान पेंशन तथा समेकित पेंशन जो दिनांक 01–01–2006 से देय है संलग्न कर दिया गया है। इस आदेश के क्रम में अग्रेतर निम्न आदेश दिये जाते हैं :–

1–समस्त कोषाधिकारियों द्वारा अखिल भारतीय सेवा के दिनांक 01–01–2006 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में भारत सरकार के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 01–09–2008 के प्रस्तर 4.1 के अनुसार पेंशन का पुनरीक्षण कर भुगतान करने की कार्यवाही स्वयमेव की जायेगी। इसके अतिरिक्त जिस प्राधिकार पत्र में पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि का उल्लेख है उनके संबंध में शासनादेश दिनांक 01 सितम्बर, 2008 के प्रस्तर 4.5 के अनुसार भुगतान की कार्यवाही स्वयंमेव की जायेगी। उक्त हेतु पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी/विभागाध्यक्ष से पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने की प्रतीक्षा नही की जायेगी। प्रत्येक कोषाधिकारी पुनरीक्षित पेंशन विवरण पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को प्रेषित करेंगे जिससे कि वे पेंशन स्वीकृति रजिस्टर को अद्यावधिक कर सकें।

2–भारत सरकार के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 01–09–2008 के प्रस्तर 1.2 के अनुसार समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व राजकीय सेवक जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुआ है, उस विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का होगा। उपर्युक्तानुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण कराने की कार्यवाही विभागाध्यक्ष द्वारा स्वतः प्रारम्भ की जायेगी और इसके लिए संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों से संबंधित विवरण संलग्न प्रारूप पर पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को संशोधित पेंशन प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु प्रेषित किया जायेगा। पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों से इसके लिए उनके मूल पेंशन आदेश किसी भी मामले में वापस नही मांगे जायेंगे। दिनांक 01–01–2006 से पूर्व के जिन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की जन्मतिथि एवं अन्य वांछित सूचनाएं कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में उपलब्ध न हों उन पेंशनरों से आवश्यक सूचना प्राप्त कर संलग्न प्रारूप पर प्रमाणित करते हुए कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष संबंधित पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा देंगे। सूचना प्राप्त होने पर पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत कर संबंधित कोषाधिकारी को प्रेषित कर दिया जायेगा एवं उसकी एक प्रति संबंधित पेंशनर को भी प्रेषित की जायेगी।

3–दिनांक 01–01–2006 के पश्चात सेवानिवृत्त अधिकारियों के संबंध में कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष द्वारा छठे वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर दिनांक 01–01–2006 को उनके द्वारा आहरित अन्तिम वेतन, संबंधित Pay band एवं Grade pay तथा उसका अन्तिम 10 माह का आहरित औसत वेतन विवरण पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। सेवानिवृत्त राजकीय सेवक की जन्मतिथि के साथ–साथ परिवार के सदस्यों की जन्मतिथि भी पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को अनिवार्य रूप से अवगत करायी जायेगी।

4–संबंधित विभागो द्वारा उक्त विवरण प्राप्त होने पर पेंशन पुनरीक्षण करते समय पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत सरकार के कार्यालय–ज्ञाप संख्या एफ नं0 38/37/ 08–P&PW(A) दिनांक 01 सितम्बर 2008 के प्रस्तर 4.2 के अनुसार दिनांक 01–01–2006 के सभी पेंशन भोगियो की पेंशन उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि को ध्यान किये बिना पेंशनभोगी द्वारा आहरित अन्तिम माह के वेतनमान का दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतनमान संबंधी Pay band में न्यूनतम वेतन में अनुमन्य grade pay जोड़ने पर आये योग के 50 प्रतिशत से कम नही होगी, तथापि पूर्ण पेंशन के लिए अर्ह सेवा और न्यूनतम पेंशन को विनियमित करने वाले समस्त उपबन्ध उसी प्रकार प्रभावी रहेंगे। इसी प्रकार दिनांक 01–01–2006 से पारिवारिक पेंशन, पेंशनभोगी/मृतक कर्मचारी द्वारा आहरित अन्तिम वेतन के दिनांक 01–01–2006 से लागू संशोधित Pay band में grade pay जोड़ने पर आये योग के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

5–संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उपरोक्तानुसार विवरण निदेशक, पेंशन को 30 दिन के अन्दर प्रेषित करेंगे। निदेशक, पेंशन द्वारा एक माह के अन्दर संशोधित प्राधिकार–पत्र कोषाधिकारी के लिए जारी किया जायेगा। संशोधित पेंशन प्राधिकार–पत्र के अनुसार कोषागारों द्वारा पेंशन का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

बी0 एन0 दीक्षित

सचिव, वित्त।

––––

<u>प्रारूप</u>

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय, उ0प्र0,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

विषय :– **शासनादेश संख्या सा–3–1250/दस–2008, दिनांक 20 अक्टूबर 2008 के अनुसरण में पेंशन/पारिवारिक पेंशन संशोधित करने का कष्ट करे। अपेक्षित ब्योरे नीचे दिये है :–**

1– सरकारी कर्मचारी/पेंशन भोगी का नाम–

2– सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तारीख

3– तारीख, जिससे पेंशन पारिवारिक पेंशन आहरित की जा रही हो–

4– पेंशन भुगतानादेश संख्या–

5– पेंशनभोगी/दिवंगत सरकारी कर्मचारी के अन्तिम कार्यालय/विभाग का नाम तथा उसके द्वारा धारित पद–

6– पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी का पदनाम–

7– पेंशन संवितरण प्राधिकारी का पदनाम (बचत खाता संख्या जहां लागू हो)–

8– अन्तिम धारित पद का वेतनमान तथा अन्तिम आहरित वेतन–

9– सेवानिवृत्त/मृत्यु के समय धारित पद के वेतनमान का दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतनमान तथा पे बैण्ड एवं ग्रेड पे–

10–कर्मचारी की अर्हकारी सेवा अवधि

11–पेंशनर श्री/श्रीमती..की जन्मतिथि................................. है। पारिवारिक पेंशनर श्री/श्रीमती/कु0...की जन्मतिथि....................................है।

दिनांक

हस्ताक्षर,
विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पदनाम मुहर सहित।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

————————

संख्या सा–3–जी0आई0-28/दस–2008

लखनऊः दिनांक 6 जनवरी, 2009

———————

कार्यालय–ज्ञाप

शुद्धि–पत्र

वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1508/दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 तथा कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1515/ दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि :–

(1) कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1508/दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–4(2) एवं 4(4) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा अन्तिम 10 माह में आहरित वेतन के औसत के 50 प्रतिशत, जो भी अधिक लाभप्रद हो, पेंशन अनुमन्य होगी। यह व्यवस्था उन कार्मिकों पर लागू होगी जो दिनांक 1 जनवरी, 2006 से 7 दिसम्बर, 2008 के मध्य 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होंगे। जो कार्मिक दिनांक 1 जनवरी, 2006 से दिनांक 7 दिसम्बर, 2008 के मध्य सेवा निवृत्त हुए हों परन्तु उनकी अर्हकारी सेवा 33 वर्ष की पूर्ण नहीं होती है उन्हें पेंशन के पूर्व नियमों के अधीन, उनकी सेवा अवधि के आधार पर आनुपातिक दर से अनुमन्य होगी।

(2) कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1508/दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–4(3) की द्वितीय पंक्ति में ''उपरोक्त व्यवस्था के अधीन'' के स्थान पर ''उनकी सेवा अवधि के आधार पर आनुपातिक दर से'' पढ़ा जाये।

(3) कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1508/दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–10 की अन्तिम पंक्ति में ''पेंशन की गणना हेतु निम्नलिखित व्यवस्था अपनायी जायेगी के स्थान पर पेंशन की गणना हेतु निम्नलिखित धनराशियों को जोड़ा जाएगा'' पढ़ा जाए।

(4) कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1508/दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–10 में निम्नलिखित अंश जोड़ा जाए :–

(ग) मूल वेतन के 40 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का फिटमेन्ट लाभ प्रकल्पित रूप से।

(5) कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1508/दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–8 की पाँचवी पंक्ति में की गयी व्यवस्था को निम्नवत पढ़ा जाए :–

''80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर चुके/प्राप्त करने वाले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान उनके 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में ही किया जाये।''

2–कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1515/दस–2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–4(1) की द्वितीय पंक्ति में दिनांक 1 अक्टूबर, 2006 के स्थान पर दिनांक 1 जनवरी, 2006 पढ़ा जाए।

3–कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1515/दस–2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–5 में पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम सीमा रु0 3500/– प्रतिमाह से किये जाने का उल्लेख किया गया है उक्त प्रस्तर की अन्तिम दो पंक्तियों में की गयी व्यवस्था को निम्नवत पढ़ा जाए।

''जिन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को एक से अधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त है उनके मामलों में उक्त न्यूनतम सीमा का लाभ सभी पेंशन/पारिवारिक पेंशन के योग के रु0 3500/– प्रतिमाह से कम होने पर ही देय होगा।''

4–कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1515/दस–2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–5(1) की चौथी पंक्ति में ''अधिक'' के स्थान पर ''कम'' पढ़ा जाए और इसी प्रस्तर की पाँचवी पंक्ति में उल्लिखित ''जहाँ केवल अवकाश पेंशन अनुमन्य है'' को विलुप्त समझा जाए।

5–कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1515/दस–2003, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–6 की द्वितीय पंक्ति में दो बार उल्लिखित ''पारिवारिक पेंशनरों'' शब्द में से एक को विलुप्त समझा जाए।

इसी कार्यालय–ज्ञाप के प्रस्तर–7(ग) की द्वितीय पंक्ति में वर्ष 2008–09 में के पश्चात'' तथा पाँचवी पंक्ति में ''पेंशनरों पारिवारिक पेंशनरों'' के स्थान पर ''पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों'' पढ़ा जाए।

6–कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1508/दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–4(7) तथा 7(2) तथा कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1515/दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–4(4) में उल्लिखित वरिष्ठ पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को सामान्य पेंशन की धनराशि पर अनुमन्य की गयी अतिरिक्त पेंशन पर समय–समय पर निर्गत महँगाई राहत भी अनुमन्य होगी।

7–उपरोक्त कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1508/दस–2008–308–97, एवं संख्या सा–3–1515/दस– 2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 की संबंधित व्यवस्था इस सीमा तक संशोधित समझी जाए।

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

(1)–समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
(2)–समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(3)–समस्त जिला अधिकारी, उ0प्र0।

––––

संख्या सा–3–1541/दस–2008–308–97 टी0सी0

प्रेषक,

बी0 एन0 दीक्षित,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 7 जनवरी, 2009

विषय :– वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अभिनवीकरण/पुनरीक्षण।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण हेतु शासनादेश संख्या सा–3–1250/दस–2008, दिनांक 20 अक्टूबर, 2008 एवं शासनादेश संख्या सा–3–1520/

दस–2008–101(24)–2008, 11 दिसम्बर, 2008 जारी किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण हेतु शासनादेश संख्या सा–3–1515/दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 जारी किया गया है। उपरोक्त शासनादेशों में पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार–पत्र पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों के कार्यालय से जारी करने की व्यवस्था के कारण यह कठिनाई अवगत करायी जा रही है कि समय–समय पर पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी में परिवर्तन होता रहा है। संबंधित अवधि में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश विभागों में कार्यरत वित्त नियंत्रक, मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन तथा चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के मामले में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन प्राधिकार–पत्र जारी हुए हैं। जिन कार्यालयों से पेंशन स्वीकृति का कार्य हटाया गया है वहाँ से पेंशन स्वीकृति हेतु सृजित पद भी समाप्त हो गये हैं। ऐसी स्थिति में पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार–पत्र पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों के कार्यालय से जारी किये जाने की व्यवस्था से पुनरीक्षित पेंशन के भुगतान में कठिनाई आयेगी। उक्त कठिनाई के निराकरण एवं उपरोक्त शासनादेशों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु अग्रेतर निम्नवत् आदेश दिये जाते हैं :–

(1) शासनादेश संख्या सा–3–1520/दस–2008–101(24)–2008, दिनांक 11 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–2 के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पेंशन पुनरीक्षण सम्बन्धी प्राधिकार–पत्र निर्गत करने का उत्तरदायित्व पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को सौंपा गया है। इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे पेंशनर जिनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 30 सितम्बर, 1988 अथवा उसके पूर्व की है, एवं जिनके पेंशन प्राधिकार–पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 द्वारा निर्गत किये गये हैं ऐसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पेंशन पुनरीक्षण का कार्य कोषाधिकारी स्तर पर किया जायेगा। इस हेतु उक्त शासनादेश के साथ संलग्न प्रारूप–1 पर वांछित सूचना संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित करते हुये सम्बन्धित कोषाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। महालेखाकार स्तर से पुनरीक्षित प्राधिकार–पत्र निर्गत किये जाने की प्रतीक्षा नहीं की जायेगी अपितु संलग्न प्रारूप–1 पर प्राप्त सूचना के आधार पर संबंधित कोषागारों द्वारा भारत सरकार के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 1 सितम्बर, 2008 के प्रस्तर–4.2 के अनुसार पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण कर दिया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या सा–3–1515/दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 द्वारा जारी आदेश के अनुसार दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण किया जाना है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–4.1 के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही इस शर्त के साथ की जानी है कि पेंशनर के पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति के समय उसके पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित पे बैण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत की धनराशि से कम नहीं होगी। जहाँ अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है वहाँ यह धनराशि आनुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी किन्तु किसी भी दशा में यह रु0 3500/– प्रतिमाह से कम नहीं होगी। इसी प्रकार पारिवारिक पेंशन की धनराशि संबंधित सरकारी सेवक के दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित पे बैण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 30 प्रतिशत किन्तु किसी भी दशा में रु0 3500/– प्रतिमाह से कम नही होगी। दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त समस्त पेंशनरों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण भी कोषागार स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा भले ही पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी कोई हो।

(3) इस शासनादेश के प्रस्तर–1 व 2 के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु पेंशनर से संबंधित विवरण संलग्न प्रारूप –1 पर भर कर उसे प्रमाणित करते हुए संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित कोषागार को प्रेषित किया जायेगा। संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा कि समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के उक्त विवरण दिनांक 31 मार्च, 2009 तक प्रत्येक दशा में कोषागार को प्रेषित कर दिया जाए। कोषागार स्तर पर सूचना प्राप्त होने पर पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही कोषागार द्वारा की जायेगी। पुनरीक्षित पेंशन से संबंधित विवरण संलग्नक–2 पर पेंशनर्स को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। पुनरीक्षित पेंशन की एक प्रति पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी। पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी उक्त सूचना के आधार पर अपने अभिलेख को अद्यावधिक कर लेंगे।

(4) 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को शासनादेश के अनुसार अतिरिक्त पेंशन भुगतान किये जाने की कार्यवाही भी कोषाधिकारी स्तर पर की जायेगी।

(5) पेंशनरों की भांति पारिवारिक पेंशनरों को शासनादेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर लेने पर अतिरिक्त पेंशन की सुविधा अनुमन्य है सामान्यतया पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि पेंशन अभिलेखों में अंकित नहीं है अतएव समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि के सम्बन्ध में अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को अवगत कराया जायेगा। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष कार्यालय में अनुरक्षित अभिलेखों से इसका परीक्षण करेंगे कार्यालय अभिलेख यथा सामान्य भविष्य निर्वाह निधि या अन्य प्रयोजन हेतु भरे गये नामांकन प्रपत्र अथवा पेंशन प्रपत्र में पारिवारिक पेंशनर की आयु से संबंधित कोई विवरण उपलब्ध मिलता है तो उसे ही मान्यता प्रदान की जायेगी और तद्नुसार कोषागार को उपलब्ध करायेंगे। मात्र आयु का उल्लेख होने पर, (जन्म तिथि का उल्लेख न होने की दशा में) में उस वर्ष की 1 जुलाई को जन्म तिथि माना जायेगा। उपर्युक्त अभिलेखों में आयु का उल्लेख न होने पर पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि हेतु हाईस्कूल प्रमाण–पत्र और यदि हाईस्कूल का प्रमाण–पत्र उपलब्ध न हो तो ऐसे पारिवारिक पेंशनरों की जन्म तिथि हेतु ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/निर्वाचन पहचान–पत्र में अंकित जन्म तिथि यदि कोई हो, को मान्यता दी जायेगी यदि किसी पारिवारिक पेंशन के पास उपरोक्त में से कोई भी साक्ष्य या प्रमाण नहीं है तो ऐसी स्थिति में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के उक्त आशय का अलग से प्रमाण दिया जाये और ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जन्म तिथि हेतु सी0एम0ओ0 द्वारा दिया गया आयु प्रमाण–पत्र मान्य होगा। पेंशन प्रपत्रों में पूर्व से ही पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि पेंशनर की आयु से अधिक अंकित होने पर उसे भी मान्यता प्रदान की जायेगी अन्यथा की स्थिति में पारिवारिक पेंशनर की आयु पेंशनर की आयु से अधिक अवगत कराये जाने पर पेंशनर की आयु को ही पारिवारिक पेंशनर की आयु माना जायेगा।

भवदीय,

बी0 एन0 दीक्षित

सचिव, वित्त।

प्रारूप–1

सेवा में,

मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

———————————————

विषय :– शासनादेश के अनुसार दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन संशोधित करने का कष्ट करें।

अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिये हैं :–

1–सरकारी कर्मचारी/पेंशन भोगी का नाम ———————————————

2–सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तारीख ———————————————

3–तारीख, जिससे पेंशन/पारिवारिक पेंशन आहरित की जा रही हो ———————————————

4–पेंशन भुगतानादेश संख्या ———————————————

5–पेंशनभोगी/दिवंगत सरकारी कर्मचारी के अन्तिम कार्यालय/विभाग का नाम तथा उसके द्वारा धारित पद ———————————————

6–पेंशन भुगतानादेश जारी करने वाले प्राधिकारी का पदनाम ———————————————

7–पेंशन संवितरण प्राधिकारी का पदनाम (बचत खाता संख्या, जहाँ लागू हो) ———————————————

8–अन्तिम धारित पद का वेतनमान तथा अन्तिम आहरित वेतन ———————————————

9–सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय के पद के वेतनमान का दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित पे–बैण्ड एवं ग्रेड पे ———————————————

10–कर्मचारी की अर्हकारी सेवा अवधि ———————————————

11–पेंशनर श्री/श्रीमती ——————————————— की जन्म तिथि ——————————————— है। पारिवारिक पेंशनर

श्री/श्रीमती/कु0 ———————————————की जन्म तिथि ——————————————— है।

दिनांक : ———————————————

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

पदनाम मुहर सहित।

संलग्नक–2

शासनादेश संख्या सा–3–1515/दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 एवं शासनादेश संख्या सा–3–1520/दस–2008–101(24)–2008, दिनांक 11 दिसम्बर, 2008 के अन्तर्गत दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार–पत्र :–

1–कोषागार का नाम ———————————————————————————

2–पेंशनर का नाम —————————————————————————————

3–कार्यालय का नाम ———————————————————————————

4–पेंशनर की जन्म तिथि ————————————————————————

5–(1) सेवा प्रारम्भ करने की तिथि ———————————————————————

(2) सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि ——————————————————————

(3) अर्ह सेवा अवधि ———————— वर्ष ——————— माह ——————— दिन

6–(1) 1 जनवरी, 1996 को अनुमन्य वेतनमान : ——————————————————

(2) 1 जनवरी, 2006 को समकक्ष पे बैण्ड एवं ग्रेड पे ———————————————

7–(1) पेंशन आगणन–

(1) 1 जनवरी, 2006 को वर्तमान पेंशन रु0 ————

(2) वर्तमान पेंशन के आधार पर समेकित पेंशन रु0 ————

(3) वेतन के न्यूनतम पे बैण्ड एवं ग्रेड पे के आधार पर आगणित पेंशन रु0 ————

(4) देय पेंशन जो उपरोक्त में से लाभप्रद हो रु0 ————

(5) राशिकृत भाग को कम करते हुए शुद्ध देय पेंशन रु0 ————

(2) पारिवारिक पेंशन–

(1) पारिवारिक पेंशनर का नाम रु0 ————

(2) पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि रु0 ————

(3) 1 जनवरी, 2006 को वर्तमान पारिवारिक पेंशन रु0 ————

(4) वर्तमान पारिवारिक पेंशन के आधार पर समेकित पेंशन* रु0 ————

(5) पे बैण्ड के न्यूनतम व ग्रेड पे के आधार पर आगणित पारिवारिक पेंशन*रु0 ————

(6) बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन रु0 ————

(7) साधारण दर पर अनुमन्य पारिवारिक पेंशन रु0 ————

*(क्रमांक–4 एवं 5 में से जो लाभप्रद हो)

(3) अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन

(1) 80 वर्ष से अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम आयु–मूल पेंशन/पारि0 पेंशन का 20%

(2) 85 वर्ष से अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम आयु–मूल पेंशन/पारि0 पेंशन का 30%

(3) 90 वर्ष से अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम आयु–मूल पेंशन/पारि0 पेंशन का 40%

(4) 95 वर्ष से अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम आयु–मूल पेंशन/पारि0 पेंशन का 50%

(5) 100 वर्ष अथवा अधिक आयु———————मूल पेंशन/पारि0 पेंशन का 100%

लेखाकार स0 कोषाधिकारी कोषाधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी ———————————————————————

(2) पेंशनर श्री/श्रीमती ——————————————————————————

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

————————

संख्या सा–3–135/दस–2009–308–97

लखनऊ दिनांक 10 फरवरी, 2009

———————

कार्यालय–ज्ञाप

शुद्धि–पत्र

वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व तथा दिनांक 1 जनवरी, 2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1515/दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 तथा कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1508/दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि :–

(1) उक्त उल्लिखित कार्यालय–ज्ञापों के प्रस्तर–2 की आठवीं पंक्ति में उल्लिखित ''उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों'' के स्थान पर ''उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं राज्य के न्यायिक तथा उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों'' पढ़ा जाए।

(2) कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1508/दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–3(2) में उल्लिखित ''पुनरीक्षित वेतनमान'' के स्थान पर ''पूर्व वेतनमान के पुनर्स्थापित पे बैण्ड तथा लागू ग्रेड पे के योग से है'' तथा प्रस्तर–4 की द्वितीय पंक्ति में उल्लिखित ''पे ग्रेड'' के स्थान पर ''ग्रेड पे'' पढ़ा जाए।

(3) कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1508/दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–8 अवशेष भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1 जनवरी, 2006 से 30 नवम्बर, 2008 तक सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को उनके ग्रेच्युटी, पेंशन के राशिकरण एवं अवकाश नकदीकरण की धनराशि का भुगतान एक मुश्त नकद किया जायेगा तथा पेंशन के एरियर का 20 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2008–09, 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009–10 में तथा शेष 40 प्रतिशत का भुगतान वित्तीय वर्ष 2010–11 में नकद किया जयेगा।

(4) उपरोक्त कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1508/दस–2008–308–97, एवं संख्या सा–3–1515/दस– 2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 की संबंधित व्यवस्था इस सीमा तक संशोधित समझी जाए।

आज्ञा से,

अनूप मिश्र,

प्रमुख सचिव, वित्त।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

————————

संख्या सा–3–342 / दस–2009–308–97

लखनऊ दिनांक 9 अप्रैल, 2009

——————

कार्यालय–ज्ञाप

शुद्धि–पत्र

वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व / उपरान्त सेवानिवृत्त / मृत कार्मिकों की पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1515 / दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 तथा कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1508 / दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा निर्गत स्पष्ट आदेशों / निर्देशों के बाद भी कतिपय कोषागारों द्वारा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को शासनादेश की व्यवस्थानुसार अतिरिक्त पेंशन का लाभ अनुमन्य नहीं कराया जा रहा है जिससे सम्बन्धित पेंशनरों को असुविधा हो रही है।

2–शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि कतिपय ऐसे पेंशनर जो 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर चुके हैं, के पूर्व निर्गत पेंशन भुगतान आदेश में अंकित उनकी जन्मतिथि को संज्ञान में न लेते हुए उनके पेंशन पुनरीक्षण में विलम्ब किया जा रहा है। यह निर्देशित किया जाता है कि यदि पेंशन भुगतान आदेश में सम्बन्धित पेंशनर की जन्मतिथि या उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि का स्पष्ट उल्लेख है, तो उसे स्वीकार करते हुए / मान्यता प्रदान करते हुए, उसके आधार पर उनकी पेंशन पुनरीक्षित करने एवं जिन पेंशनरों के पेंशन भुगतान आदेश सम्बन्धित कोषागारों में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हो, उस दशा में पेंशनर द्वारा उपलब्ध करायी गयी पूर्व निर्गत पेंशन भुगतान आदेश की प्रमाणित छायाप्रति को आधार मानते हुए पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करायी जाये तथा संगत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार अवशेष देयों का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाये।

बी0 एन0 दीक्षित,

सचिव।

<u>संख्या सा–3–342(1) / दस–2009 तद्‌दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।

(3) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(4) इरला चेक अनुभाग।

(5) महालेखाकर, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

हेमन्त कुमार सक्सेना,

विशेष सचिव।

संख्या सा–3–1272/दस–2009

प्रेषक,

मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 30 सितम्बर, 2009

विषय :–राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन प्रकरणों को शीघ्रता से निस्तारित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 1133(एस0एस0) 2001 इन्द्रजीत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 2008 को निर्णय पारित करते हुए यह अपेक्षा की गई है कि शासनादेश निर्गत करते हुए भी विभागों, स्थानीय निकायों एवं निगमों को निर्देशित किया जाये कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा डा0 उमा अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश शासन एवं अन्य में दी गयी व्यवस्थानुसार सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के सेवानैवृतितक लाभों के भुगतान के संबंध में समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए (मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न है)।

2–उपरोक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन प्रकरणों को शीघ्रता से निस्तारित किए जाने हेतु समय समय पर निर्गत पार्श्वांकित शासनादेशों के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट किया गया है।

1–संख्या–सा0–3–2085/दस–907/76, दि0 12–12–1977
2–संख्या–सा0–3–1713/दस–87–933/89, दि0 28–7–1989
3–संख्या–सा0–3–1644/दस–907/94, दि0 02–11–1995
4–संख्या–सा0–3–743/दस–2000–308(1)/2000, दि0 03–5–2001
5–संख्या–सा0–3–425/दस–2001–308(1)/2000, दि0 23–3–2001
6–संख्या–सा0–3–270/दस–2003, दि0 24–02–2003
7–संख्या–सा0–3–1422/दस–2008–101(10)/02, दि0 18–11–2008
8–संख्या–सा0–3–2010/दस–2008–101(10)/02, दि0 06–01–2009

3–उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 1995 में समय–सारिणी भी निर्गत की गयी है, जिसमें सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक की सेवा पुस्तिका का पुनर्विलोकन और कोई कमी यदि सेवा पुस्तिका में हों, तो उसको सेवानिवृत्ति के 08 मास पूर्व पूरा कराने, अदेयता प्रमाण–पत्र सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सेवानिवृत्त के 02 मास पूर्व पूरा कराने तथा सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन प्रपत्र उसकी सेवानिवृत्त के 08 मास पूर्व उपलब्ध कराने जिसे सम्बन्धित सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक द्वारा 06 मास पूर्व भर कर प्रस्तुत किया जायेगा, आशय की व्यवस्था की गई है।

4–ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि शासन द्वारा समय–समय पर उपरोक्तानुसार आदेश निर्गत किये जाने के उपरान्त भी सेवानिवृत्त/मृत राजकीय कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु

सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर यथासमय अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही है जिसके कारण पर्याप्त संख्या में पेंशन प्रकरण लम्बित रहते हैं, जिसके फलस्वरूप सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों एवं उसके परिवार को समय से पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान न होने से आर्थिक एवं मानसिक कष्ट सहना पड़ता है एवं राज्य सरकार की छवि भी धूमिल होती है। इसके अतिरिक्त सेवानैवृत्तिक लाभों का विलम्ब से भुगतान होने के कारण अनावश्यक रूप से ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता है।

5–उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित कर दें कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण से सम्बन्धित कार्यवाही दो वर्ष पूर्व प्रारम्भ कर दी जाए एवं उन्हें उक्त नियमावली–1995 में निर्दिष्ट समय–सारिणी के अनुसार निश्चित रूप से निस्तारित कराने की व्यवस्था की जाए, जिन मामलों में विलम्ब प्रशासकीय त्रुटि के कारण हो, उन सभी मामलों में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी को चिन्हित कर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जाये। यह भी स्पष्ट कर दिया जाए कि पेंशन प्रकरणों के विलम्ब से निस्तारण के कारण यदि राज्य सरकार को ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, तो इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–सा–3–2102/दस–971/80ए दिनांक 06 दिसम्बर, 1994 में दी गयी व्यवस्थानुसार ब्याज अनुमन्य होगा तथा उसकी वसूली विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से अनिवार्यतः की जायेगी। इस प्रकार विभिन्न स्तरों पर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वह सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानैवृत्तिक लाभों का भुगतान समय से करवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
मनजीत सिंह
प्रमुख सचिव, वित्त।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या सा–3–40 वी0आई0पी0/दस–2009–308–97 टी0सी0

लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2010

कार्यालय–ज्ञाप

शुद्धि–पत्र

वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की दरों के पुनरीक्षण से संबंधित राज्य सरकार के कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1508/दस–2008– 308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त उल्लिखित कार्यालय–ज्ञाप के प्रस्तर–7(1) के अंश ''दिनांक 1 जनवरी, 2006 से तथा उसके उपरान्त के प्रकरणों में 7 वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है'' के स्थान पर ''दिनांक 1 जनवरी, 2006 से 7 वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है, 10 वर्ष की अवधि सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख से गिनी जायेगी। परन्तु 10 वर्ष की अवधि उस मामले में लागू नहीं होगी जहाँ बढ़ी हुई कुटुम्ब पेंशन की 7 वर्ष की अवधि पहले ही दिनांक 1 जनवरी, 2006 को पूरी हो गयी थी और परिवार को दिनांक 1 जनवरी, 2006 को सामान्य कुटुम्ब पेंशन प्राप्त हुई थी'', पढ़ा जाये।

(2) उपरोक्त कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1508/दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 की संबंधित व्यवस्था इस सीमा तक संशोधित समझी जाए।

मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

(2) समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।

(3) समस्त जिला अधिकारी, उ0प्र0।

———

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

————

संख्या सा–3–1358/दस–2010

लखनऊ दिनांक 19 जुलाई, 2010

———

कार्यालय–ज्ञाप

शुद्धि–पत्र

वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अभिनवीकरण/पुनरीक्षण विषयक कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1515/दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय–ज्ञाप के प्रस्तर–4(I)(IV) को आंशिक रूप से निम्नवत् संशोधित समझा जाये :–

वर्तमान व्यवस्था	एतदद्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था
किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पेंशनर की पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति के समय उसके पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित पे बैण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत की धनराशि से कम नहीं होगी।	किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पेंशनर की पुनरीक्षित पेंशन पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के सदृश (corresponding) वेतन बैण्ड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत से कम नही होगी। एच0ए0जी0 तथा उच्च वेतनमानों के लिए यह वेतनमान के न्यूनतम का 50 प्रतिशत होगी।

(2) दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व लागू वेतनमान तथा दिनांक 1 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सदृश वेतन बैण्ड, जैसा कि वित्त (वेतन–आयोग) अनुभाग–2 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या वे0आ0–2–13400/दस–59(एम)/2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 में दिये गये हैं, में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे एवं दिनांक 1 जनवरी, 2006 को न्यूनतम पेंशन की धनराशि संलग्न तालिका में दिए गए हैं। प्रतिबन्ध यह होगा कि जहाँ अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है, वहाँ यह धनराशि आनुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी किन्तु किसी भी दशा में यह रुपये 3500/– प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

3–दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त एवं पुनर्योजित पेंशनरों, पुनर्योजन पर जिनके वेतन का निर्धारण उनके द्वारा आहरित अंतिम वेतन में से शुद्ध पेंशन (राशिकृत पेंशन को सम्मिलित करते हुये)

घटा कर किया गया है, को इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरीक्षित पेंशन का लाभ, पुनर्योजन की अवधि समाप्त होने की अगली तिथि से देय होगा।

भवदीय,

संलग्नक : यथोक्त। अनूप मिश्र,

प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1358/दस–2010, दिनांक 19 जुलाई, 2010 का संलग्नक

क्र0 सं0	दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व लागू वेतनमान	दिनांक 1 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड पे		वेतन बैण्ड में न्यूनतम वेतन	ग्रेड पे	न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे का योग	दिनांक 1 जनवरी, 2006 को न्यूनतम पेंशन
1	2	3		4	5	6	7
1	2750–70–3800–75–4400	5200–20200	1800	5200	1800	7000	3500
2	3050–75–3950–80–4590	5200–20200	1900	5830	1900	7730	3865
3	3200–85–4900	5200–20200	2000	6460	2000	8460	4230
4	4000–100–6000	5200–20200	2400	7510	2400	9910	4955
1	2	3		4	5	6	7
5	4500–125–7000	5200–20200	2800	8560	2800	11360	5680
6	4500–125–7250	5200–20200	2800	8560	2800	11360	5680
7	5000–150–8000	9300–34800	4200	9300	4200	13500	6750
8	5500–175–9000	9300–34800	4200	9300	4200	13500	6750
9	6500–200–10500	9300–34800	4200	9300	4200	13500	6750
10	7450–225–11500	9300–34800	4600	12540	4600	17140	8570
11	7500–250–12000	9300–34800	4800	13350	4800	18150	9075
12	8000–275–13500	9300–34800	5400	15600	5400	21000	10500
13	8000–275–13500	15800–39100	5400	15600	5400	21000	10500
14	8550–275–14800	15800–39100	5400	15600	5400	21000	10500
15	10000–325–15200	15800–39100	6600	18750	6600	25350	12675
16	10650–325–15850	15600–39100	6600	18750	6600	25350	12675
17	12000–375–16500	15600–39100	7600	21900	7600	29500	14750
18	14300–400–18300	37400–67000	8700	37400	8700	46100	23050
19	16400–450–20000	37400–67000	8900	40200	8900	49100	24550
20	18400–500–22400	37400–67000	10000	43000	10000	53000	26500
21	22400–525–24500	67000–79000	–––	67000	–––	67000	33500

टिप्पणी :—

(1)—दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व के वेतनमान रु0 2550—3200, रु0 2610—3540 तथा रु0 2650—4000 का उल्लेख इस तालिका में नहीं किया गया है क्योंकि दिनांक 1 जनवरी, 2006 से इन वेतनमानों के पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे का योग रु0 7000/— से कम होने के कारण, इन वेतनमानों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन स्वतः रु0 3500/— प्रतिमाह निर्धारित होगी।

(2)—वित्त (वेतन—आयोग) अनुभाग—2 के कार्यालय—ज्ञाप दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के उपरान्त, जहाँ किसी पुराने वेतनमान के सदृश बैण्ड अथवा ग्रेड वेतन में संशोधन किये गये हों, वहाँ ऐसे संशोधनों को संज्ञान में लेते हुए संशोधनों के प्रभावी होने की तिथि से न्यूनतम वेतन एवं ग्रेड वेतन की राशियों में संशोधन कर न्यूनतम पेंशन की राशि का आगणन किया जायेगा।

———————

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3

————————

संख्या सा—3—1287/दस—2010

लखनऊ दिनांक 28 जुलाई, 2010

———————

कार्यालय—ज्ञाप

विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय सरकारी सेवकों की मृत्यु पर उनके परिवारों को उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेंशन नियमावली के नियम—10 सपठित शासनादेश संख्या सा—3—1340/दस—88—910—88, दिनांक 19 अगस्त, 1988 के प्रस्तर—2 में वर्ग 1, 2, 3 एवं 4 कर्मचारियों के लिए क्रमशः रु0 50,000/—, रु0 40,000/—, रु0 30,000/— एवं रु0 20,000/— अनुग्रह धनराशि के रूप में दिये जाने की व्यवस्था है।

2—वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की दरों का पुनरीक्षण किये जाने संबंधी कार्यालय—ज्ञाप संख्या सा—3—1508/दस—2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर—9 की व्यवस्थानुसार दिनांक 1 जनवरी, 2006 से अनुग्रह धनराशि की व्यवस्था निम्नानुसार संशोधित की जा चुकी है :—

रुपया

(क)	यदि कर्तव्यपालन की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है	10.00 लाख
(ख)	कर्तव्यपालन के समय आतंकवादी/अराजक तत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा के फलस्वरूप हुई मृत्यु	10.00 लाख
(ग)	देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुटपुट घटनाओं/अथवा लड़ाकू/आतंकवादियों, अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	15.00 लाख
(घ)	अति दुर्लभ पहाड़ी ऊँचाइयों/दुर्लभ सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्यपालन करते हुए मृत्यु होने पर	15.00 लाख

उक्त कार्यालय—ज्ञाप में यह व्यवस्था भी की गयी है कि संगत नियम उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

3–तद्नुसार शासनादेश दिनांक 19 अगस्त, 1988 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

अनूप मिश्र,

प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या सा–3–1287(1)/दस–2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2–समस्त सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।

3–प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0 सचिवालय।

4–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

5–निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।

6–निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

7–समस्त कोषागार, उ0प्र0।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार,

संयुक्त सचिव।

———

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

————

संख्या सा–3–1469/दस–2010

लखनऊ दिनांक 6 अगस्त, 2010

———

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व/उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के कार्यालय–ज्ञाप क्रमशः संख्या सा–3–1515/दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–4(4) एवं संख्या सा–3–1508/ दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–4(7) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार के वरिष्ठ पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को 80 वर्ष या उससे अधिक आयु पर अनुमन्य अतिरिक्त पेंशन हेतु आयु की गणना उस माह की पहली तारीख से की जायगी जिस माह में उनकी जन्मतिथि होगी।

2–उक्त कार्यालय–ज्ञाप इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

अनूप मिश्र,

प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

(1)–समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(2)–समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(3)–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

———

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

————————

संख्या सा–3–1622/दस–2010–308–97

लखनऊ दिनांक 10 नवम्बर, 2010

———————

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1508/दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–4(2) एवं कार्यालय–ज्ञाप/शुद्धि–पत्र संख्या सा–3–जी0आई0–28/दस–2008, दिनांक 6 जनवरी, 2009 के प्रस्तर–(1) के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 1 जनवरी, 2006 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों को 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पर पूर्ण पेंशन का लाभ दिये जाने की व्यवस्था दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के स्थान पर दिनांक 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी होगी।

2–उक्त कार्यालय–ज्ञाप इस सीमा तक संशेधित समझे जायेंगे।

भवदीय,
अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,
(1)–समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2)–समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3)–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

————————

संख्या सा–3–2036/दस–2008–308/97टी0सी0

प्रेषक,
बी0 एस0 भुल्लर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
1–निदेशक,
पेंशन, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।
2–निदेशक,
कोषागार, उत्तर प्रदेश,
जवाहर भवन, लखनऊ।
3–समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2010

विषय :–दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन।

महोदय,

नियुक्ति अनुभाग–4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2977/दो–4–10–45(12)/91 टी0सी0 दिनांक 04 नवम्बर, 2010 तथा शासनादेश संख्या 3083/दो–04–2010–45(12)/91टी0सी0 दिनांक 19 नवम्बर, 2010

जिनके द्वारा सेवानिवृत्त न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संबंध में आदेश प्रसारित किये गये हैं, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का समेकन संबंधित कोषागारों द्वारा उसी रीति से किया जायेगा जो दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–3–1515/दस–2008–308–97 दिनांक 08 दिसमबर, 2008, शासनादेश संख्या सा–3–1541/दस–2008–308–97टी.सी. दिनांक 07 जनवरी, 2009, कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–3–1358/दस–2010 दिनांक 19 जुलाई, 2010 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–3–1648/दस–2010 दिनांक 12 अक्टूबर, 2010 द्वारा लागू की गई है।

भवदीय,

बी0 एस0 भुल्लर

सचिव।

———

संख्या सा–3–958/दस–2011–308–97 टी0सी0

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–निदेशक, पेंशन, उ0प्र0,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।
2–निदेशक, कोषागार, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।
3–समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 3 अगस्त, 2011

विषय :– दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का संशोधन।

महोदय,

दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के संशोधन विषयक शासनादेश संख्या सा–3–2036/दस–2010–308–97टी0सी0, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 के संदर्भ में प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक/ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों की पेंशन का समेकन करते समय पेंशन की धनराशि में कोषागारों द्वारा अनुपातिक कटौती की जा रही है।

2–उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 के क्रम में मुझे यह स्पष्ट किये जाने का निदेश हुआ है कि दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त उत्तर प्रदेश न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को नियुक्ति अनुभाग–4 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या 2977/दो–4–10–45(12)–91 टी0सी0–VI, दिनांक 4 नवम्बर, 2010 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत पेंशन, दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित किये जाने हेतु कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1515/ दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के साथ संलग्न रेडी रेक्नर का उपयोग किया जाय। इसी प्रकार, दिनांक 1 जनवरी, 2006 को न्यूनतम पेंशन का निर्धारण करने हेतु कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1358/दस–2010, दिनांक 19 जुलाई, 2010 के साथ संलग्न तालिका का उपयोग किया जाय। दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों की पेंशन उपर्युक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 8 दिसम्बर, 2008

तथा 19 जुलाई, 2010 के साथ संलग्न तालिकाओं का उपयोग करते हुये, दिनांक 1 जनवरी, 2006 से समेकित (consolidate) की जानी है। इस प्रक्रिया में पेंशन का पुनर्आगणन नहीं किया जाना है।

भवदीय,

नील रतन कुमार

संयुक्त सचिव।

———

संख्या सा–3–1509/दस–2011

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3–महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 8 नवम्बर, 2011

विषय :– आगामी दो वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या सा–3–103/दस–908, दिनांक 23 जुलाई, 1998 द्वारा सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स के अनुच्छेद 906(1) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिये गये थे कि प्रत्येक वर्ष दो बार अर्थात् 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को, आगामी दो वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार कर जारी करवा दें, परन्तु उक्त व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2–अतः, इस प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स के अनुच्छेद 906(1) में दी गयी व्यवस्था के क्रम में जारी उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23 जुलाई, 1998 द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को, आगामी दो वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियो/कर्मचारियों की सूची तैयार कर सम्बन्धित पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को प्रेषित की जाय।

3–समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों की सूची निदेशक, पेंशन को, समूह 'ग' के कर्मचारियों की सूची मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन को, तथा समूह 'घ' के कर्मचारियों की सूची सम्बन्धित जनपदीय कोषागारों को भेजी जाय।

4–पेंशन अदालतों में इस बिन्दु को कार्यवाही/अनुश्रवण के लिये सम्मिलित किया जाय तथा जिन विभागों द्वारा समूह 'ग' एवं 'घ' की सूची न भेजी जाय, उनकी सूचना मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी को दी जाय। समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों की सूची जिन विभागों से प्राप्त न हो, उनकी निदेशक, पेंशन द्वारा सूची सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव तथा वित्त विभाग को दी जाय।

इन आदेशों का तत्परता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

विशेष सचिव।

———

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग–4

———

संख्या :2472/दो–4–11–45(12)91 टी0सी0–4
लखनऊ : दिनांक 27 दिसम्बर, 2011

———

कार्यालय–ज्ञाप

न्यायिक सेवा के अधिकारियों को जो दिनांक 01–7–1996 से 31–12–2005 के मध्य की अवधि में सेवानिवृत्त हुए हैं, के पेंशन निर्धारण में हो रही विसंगति से सम्बन्धित निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, वित्त (सामान्य) अनु0–3–उ0प्र0 शासन को सम्बोधित तथा नियुक्ति विभाग को पृष्ठांकित पत्र संख्या पें. नि. /102/न्यायिक सेवा/4054 दिनांक 19–7–2011 के संबंध में यह स्पष्ट करना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश से गठित जस्टिस ई0 पद्मनाभन समिति की संस्तुतियों के अनुपालन में सेवानिवृत्त न्यायिक/ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को प्रदत्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन सम्बन्धित नियुक्ति अनुभाग–4 का कार्यालय ज्ञाप संख्या–2977/दो–4–2010–45(12)/91टी0सी0–6, दिनांक 04–11–2010 अपने आप में स्वतः सपष्ट है जिसके अनुसार दिनांक 01–01–2006 से पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पुनरीक्षित पेंशन समय–समय पर पुनरीक्षित वेतनमानों में उनके द्वारा सेवानिवृत्त के समय धारित पद के वेतनमान के न्यूनतम के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। इससे स्वतः स्पष्ट हैं कि दिनांक 01–7–96 से दिनांक 31–12–2005 की बीच के अवधि के सभी सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन का भी पुनरीक्षण उपरोक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 04–11–2010 की व्यवस्थानुसार ही किया जायेगा।

2–यह आदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग 3 के अशासकीय संख्या सा–3–1376/दस–2011, दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

मिनिस्ती एस0
विशेष सचिव।

———

संख्या सा–3–04/दस–12–308–97 टी0सी0

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–निदेशक, पेंशन उ0प्र0,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।
2–निदेशक, कोषागार,
जवाहर भवन, लखनऊ।
3–समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 6 जनवरी, 2012

विषय :– 01–01–2006 के पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन।

महोदय,

दिनांक 01–01–2006 के पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन किये जाने विषयक निर्गत शासनादेश संख्या सा–3–958/दस–

2011–308/97 टी0सी0, दिनांक 03 अगस्त, 2011 को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियुक्ति अनुभाग–4 द्वारा निर्गत कार्यालय–ज्ञाप संख्या–2472/दो–4–11–45(12)/91टी0सी0–4, दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 (सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न है।) की व्यवस्थानुसार पेंशन पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

नील रतन कुमार

संयुक्त सचिव।

———

संख्या सा–3–1251/दस–2012–308/97टी0सी0

प्रेषक,

आनन्द मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 21 दिसम्बर, 2012

विषय :– दिनांक 01–01–2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि वेतन समिति, उ0प्र0 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01–01–2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन /पारिवारिकं पेंशन के पुनरीक्षण विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–3–1358/दस–2010, दिनांक 19–7–2010 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–3–1648/दस–2010, दिनांक 12 अक्टूबर, 2010 के संलग्नक की टिप्पणी के बिन्दु 2 के सम्बन्ध में कतिपय विभागों के सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा इस प्रकार की जिज्ञासाएं की जा रही हैं कि यदि किसी कार्मिक की सेवानिवृत्त के उपरान्त, वह पद जिससे कार्मिक सेवानिवृत्ति हुआ, कार्मिक की सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद की तिथि से उच्चीकृत किया जाता है तो क्या उच्चीकृत पे–बैण्ड/ग्रेड–पे के आधार पर उसकी पेंशन का पुनर्निधारण किया जायेगा ?

2–इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पेंशनरी लाभ का निर्धारण, कार्मिक द्वारा सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व आहरित वेतन के आधार पर किया जाता है। यदि किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति के उपरान्त उस पद, जिससे वह सेवानिवृत्ति हुआ, को उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त किसी तिथि से उच्चीकृत किया जाता है, तो ऐसे कार्मिक की पेंशन का पुनर्निधारण उच्चीकृत वेतन बैण्ड/ग्रेड–पे के आधार पर नहीं किया जायेगा।

3–यदि किसी प्रकरण में ऐसा किया गया हो तो तत्काल इस त्रुटि का निराकरण करते हुए अधिक भुगतान की राशि की नियमानुसार वसूली सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जाय, तथा इसकी सूचना निदेशक, पेंशन एवं निदेशक, कोषागार को भी दी जाय।

भवदीय,

आनन्द मिश्र

प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या सा–3–1273/दस–2013

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 29 अक्टूबर, 2013

विषय :– पेंशन प्रपत्र के भाग 5 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या सा–3–1281/दस–2011, दिनांक 24–1–2012 द्वारा पेंशन प्रपत्र के भाग 5 के क्रमांक संख्या 12 के बाद कालम संख्या 12 (क) ''औसत/अन्तिम परिलब्धियों का विवरण विभाग के वित्त नियंत्रक/वरिष्ठतम लेखाधिकारी द्वारा सत्यापित (दिनांक सहित हस्ताक्षर तथा पदनाम)'' जोड़े जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त कालम जोड़े जाने से पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में उत्पन्न व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कतिपय प्रमुख विभागों के वित्त नियंत्रको द्वारा पेंशनर संघों द्वारा उक्त कालम को विलोपित किये जाने का अनुरोध किया जाता रहा है। निदेशक, पेंशन के पत्र संख्या पे0नि0मानी/2012–13/2017, दिनांक 25–3–2013 द्वारा भी यह सुस्तुति की गयी है कि पेंशन प्रपत्र के भाग 5 में कालम 12 (क) जोड़े जाने से पेंशन स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया का प्रकारान्तर से केन्द्रीकरण हो गया है जिससे पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब हो रहा है, अतः उक्त कालम को विलोपित किया जाये।

2–इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन प्रपत्र के भाग 5 में उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 24–1–2012 द्वारा जोड़े गये कालम संख्या 12 (क) को तात्कालिक प्रभाव से विलोपित कर दिया जाये।

3–मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्ष पूर्व उसके वेतन निध्ररण आदि का परीक्षण विभाग/कार्यालय के वित्त नियंत्रक/वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी से करा लें तथा यदि कोई त्रुटियां प्रकाश में आती है तो उसका निराकरण तत्परता से करा लिया जाये ताकि पेंशन स्वीकृति के समय वेतन निर्धारण सम्बन्धी त्रुटियों के बने रहने की सम्भावना कम से कम हो सके। जिन विभागों में वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारी नियुक्त नहीं हैं वहाँ के कार्मिकों के वेतन निर्धारण आदि का परीक्षण उस अधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसे विभाग का लेखा एवं बजट सम्बन्धी कार्यों के लिये अधिकृत किया गया है।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

———

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या :7 / सा–3–जी0आई0–02 / दस–2014–308–97टी0 सी0

लखनऊ : दिनांक 14 जुलाई, 2014

कार्यालय–ज्ञाप / शुद्धि–पत्र

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01–01–2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन के दिनांक 01–01–2006 से अभिनवीकरण संबंधी कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–1515 / दस–2008–308 / 97, दिनांक 08–12–2008 के क्रम में कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–1358 / दस–2010, दिनांक 19–7–2010 एवं कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–1648 / दस–2010, दिनांक 12–10–2010 द्वारा दिनांक 01–01–2006 के क्रमशः न्यूनतम पेंशन एवं न्यूनतम पारिवारिक पेंशन की दरें निर्धारित की गयी थी।

2–पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, कार्मिक लोक शिकायतें एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–38 / 37 / 08 पी0 एण्ड पी0 डब्ल्यू (ए), दिनांक 28–01–2013 द्वारा दिनांक 01–01–2006 से न्यूनतम पेंशन एवं न्यूनतम पारिवारिक पेंशन की दरों में पुनरीक्षण के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन एवं न्यूनतम पारिवारिक पेंशन की दरें संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3–संलग्न तालिका में दी गयी दरें इस कार्यालय–ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि से लागू होंगी अर्थात इन आदेशों के अन्तर्गत न्यूनतम पेंशन की राशि का निर्धारण किये जाने के फलस्वरूप न तो कोई एरियर देय होगा और न ही कोई वसूली पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों से की जायेगी।

4–पूर्वोक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 19–7–2010 एवं 12–10–2010 उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। उक्त कार्यालय ज्ञापों की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

राहुल भटनागर

प्रमुख सचिव, वित्त।

कार्यालय–ज्ञाप संख्या–7 / सा–3–जी0आई–02 / दस–2014–308 / 97 टी0सी0, दिनांक 14 जुलाई, 2014 का संलग्नक

क्रम सं0	दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व लागू वेतनमान	दिनांक 1 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड पे		शासनादेश दिनांक 19–7–2010 द्वारा निर्धारित न्यूनतम पेंशन	संशोधित न्यूनतम पेंशन	शासनादेश दिनांक 12–10–2010 द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिवारिक पेंशन	संशोधित न्यूनतम पारिवारिक पेंशन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3050-75-3950-80-4590	5200-20200	1900	3865	3890	3500	3500
2	3200-85-4900	5200-20200	2000	4230	4030	3500	3500
3	4000-100-6000	5200-20200	2400	4955	4920	3500	3500

क्रम सं0	दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व लागू वेतनमान	दिनांक 1 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड पे		शासनादेश दिनांक 19–7–2010 द्वारा निर्धारित न्यूनतम पेंशन	संशोधित न्यूनतम पेंशन	शासनादेश दिनांक 12–10–2010 द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिवारिक पेंशन	संशोधित न्यूनतम पारिवारिक पेंशन
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4500-125-7000	5200-20200	2800	4680	4585	3500	3500
5	4500-125-7250	5200-20200	2800	5680	5585	3500	3500
6	5000-150-8000	9300-34800	4200	6750	6750	4050	4050
7	5500-175-9000	9300-34800	4200	6750	7215	4050	4329
8	6500-200-10500	9300-34800	4200	6750	8145	4050	4887
9	7450-225-11500	9300-34800	4600	8570	9230	5142	5538
10	7500-250-12000	9300-34800	4800	9075	9375	5445	5625
11	8000-275-13500	9300-34800	5400	10500	10140	6300	6084
12	8000-275-13500	15600-39100	5400	10500	10500	6300	6300
13	8550-275-14600	15600-39100	5400	10500	10500	6300	6300
14	10000-325-15200	15600-39100	6600	12675	12600	7605	7560
15	10650-325-15850	15600-39100	6600	12675	13205	7605	7923
16	12000-375-16500	15600-39100	7600	14750	14960	8850	8976
17	14300-400-18300	37400-67000	8700	23050	23050	13830	13830
18	16400-450-20000	37400-67000	8900	24550	24295	14730	14577
19	18400-500-22400	37400-67000	10000	26500	27350	15900	16410
20	22400-525-24500	67000-79000	---	33500	33500	20100	20100

———

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

————

संख्या 12/सा–3–1005/दस–2014–308–97 टी0सी0

लखनऊ दिनांक 07 नवम्बर, 2014

————

कार्यालय–ज्ञाप/शुद्धि–पत्र

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के दिनांक 1 जनवरी, 2006 से अभिनवीकरण संबंधी कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1515/दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के क्रम में न्यूनतम पेंशन एवं न्यूनतम पारिवारिक पेंशन की दरें निर्धारित किये जाने संबन्धी निर्गत कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1358/दस–2010, दिनांक 19 जुलाई, 2010 एवं कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1648/दस–2010, 12 अक्टूबर, 2010 सपठित कार्यालय–ज्ञाप/शुद्धि–पत्र संख्या सा–3– जी0आई0–02/दस–2014–308–97 टी0सी0, दिनांक 14 जुलाई, 2014 के साथ संलग्न तालिका के क्रम संख्या 4 पर उल्लिखित वेतनमान में निर्धारित न्यूनतम पेंशन को निम्नवत् पढ़ा जाये :–

क्रम संख्या	दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व लागू वेतनमान	दिनांक 1 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड पे		शासनादेश दिनांक 19 जुलाई, 2010 द्वारा निर्धारित न्यूनतम पेंशन	संशोधित न्यूनतम पेंशन	शासनादेश दिनांक 12 अक्टूबर, 2010 द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिवारिक पेंशन	संशोधित न्यूनतम पारिवारिक पेंशन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4500–125–7000	5200–20200	2800	5680	5585	3500	3500

2–कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 14 जुलाई, 2014 के साथ संलग्न तालिका के क्रमांक–20 पर मुद्रण की त्रुटि से स्तम्भ–3 में वेतनमान रु0 67000–7900 अंकित हो गया है जिसे रु0 67000–79000 पढ़ा जाये।

3–कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 14 जुलाई, 2014 उपर्युक्त सीमा तक दिनांक 14 जुलाई, 2014 से संशोधित समझा जाये, अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

अजय अग्रवाल,
सचिव, वित्त।

सेवा में,

(1)–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2)–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(3)–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(4)–समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

———

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

———

संख्या :13/2015/सा–3–631/दस–2015–944/88

लखनऊ : दिनांक 24 जून, 2015

——

विज्ञप्ति

राज्य सरकार के पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं की जनपद स्तर पर सुनवाई एवं निराकरण हेतु प्रति वर्ष दिनांक 17 दिसम्बर को एक बार पेंशनर दिवस पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में आयोजित किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

2–पेंशनर दिवस जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित किया जायेगा, जिसका समन्वयन जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा किया जायेगा। पेंशनर दिवस में जनपद के प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष भी प्रतिभाग करेंगे, ताकि पेंशनरों की ऐसी समस्यायें जिनका निराकरण कार्यालयाध्यक्षों द्वारा किया जाना है, की भी सुनवाई हो सके एवं उन पर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

3–उपर्युक्त निर्धारित पेंशनर दिवस की तिथि का व्यापक प्रचार–प्रसार निदेशक, पेंशन, निदेशक, कोषागार एवं जनपद के कोषाधिकारियों द्वारा किया जायेगा, ताकि पेंशनर दिवस प्रभावकारी एवं सार्थक रूप से आयोजित हो सके।

भवदीय,
राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

संख्या 48 / 2015 / वे0आ0—2—784 / दस—54(एम)—2008 टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उ0 प्र0 शासन।
2—अभियन्त्रण विभागों के समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—2 लखनऊः दिनांक 25 अगस्त, 2015

विषय :— वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के संदर्भ में कार्य प्रभारित कार्मिकों के लिये राजकीय कर्मियों के सादृश्य पर भत्तों, सुविधाओं तथा पेंशन की देयता पर विचार हेतु प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के संदर्भ में कार्य प्रभारित कार्मिकों के लिये राजकीय कर्मियों के सादृश्य पर भत्तों, सुविधाओं तथा पेंशन की देयता पर विचार हेतु प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार निम्न व्यवस्था लागू करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(1) दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से एवं उसके बाद की तिथि से विनियमित किये गये कार्यप्रभारित कर्मचारी नई पेंशन योजना से आच्छादित होंगे।

(2) दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से पूर्व विनियमित हुए ऐसे कार्यप्रभारित कर्मचारी, जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा नियमित अधिष्ठान में पूरी कर ली है वह नियमानुसार दिनांक 31 मार्च, 2005 तक लागू रही पुरानी पेंशन योजना के पात्र माने जायेंगे।

(3) दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से पहले विनियमित होने वाले तथा विनियमितीकरण के पश्चात् 10 वर्ष की सेवा पूर्ण किये बिना सेवानिवृत्त होने वाले कार्यप्रभारित कर्मचारी सिविल सर्विसेज रेग्युलेशन (सी0एस0आर0) के अनुच्छेद—370 तथा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद—475(बी) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पुरानी पेंशन योजना के पात्र नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन के अर्हता हेतु न्यूनतम 10 वर्ष की नियमित सेवा अनिवार्य है।

(4) कार्यप्रभारित अवधि की सेवा पेंशन हेतु जोड़े जाने के लिये मा0 उच्च न्यायालय / मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित वाद / वादों में मा0 न्यायालय के आदेशों की अद्यतन स्थिति से प्रशासनिक विभागों द्वारा अवगत कराये जाने पर उसके परिप्रेक्ष्य में विचार किया जा सकेगा सिविल सर्विसेज रेग्युलेशन में कार्यप्रभारित अधिष्ठान की सेवा को पेंशन हेतु अर्ह नही माना गया है।

(5) वर्तमान में वर्कचार्ज के रूप में कार्यरत महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश राजकीय कर्मियों की भाँति दिया जाय।

(6) ऐसे भत्ते / सुविधायें, जो कार्यप्रभारित कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों के सादृश्य अनुमन्य नहीं हैं, की अनुमन्यता के सम्बन्ध में अब नये सिरे से विचार किये जाने का औचित्य नहीं रह गया है।

2–राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कार्मिकों को भत्तों, सुविधाओं तथा पेंशन/तत्क्रम में देय लाभ इस शासनादेश द्वारा की जा रही व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य कराये जायेंगे।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव।

———

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

————

संख्या 4/2016/सा–3–75/दस–2016–308–97 टी0सी0

लखनऊ दिनांक 21 जनवरी, 2016

———

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के दिनांक 1 जनवरी, 2006 से अभिनवीकरण संबंधी कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1515/दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के क्रम में कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1358/दस–2010, दिनांक 19 जुलाई, 2010, कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1648/ दस–2010, दिनांक 12 अक्टूबर, 2010 एवं संख्या 7/सा–3–जी0आई0–02/दस–2014–308–97 टी0सी0, दिनांक 14 जुलाई, 2014 तथा कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1005/दस–2014–308–97 टी0सी0, दिनांक 7 नवम्बर, 2014 द्वारा न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दरें निर्धारित की गयी थीं।

2–पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक लोक शिकायतें एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय–ज्ञाप संख्या 38/37/08 पी0 एण्ड पी0डब्ल्यू0(ए0), दिनांक 28 जनवरी, 2013 सपठित कार्यालय–ज्ञाप संख्या 38/37/08 पी0 एण्ड पी0डब्ल्यू0(ए0), दिनांक 30 जुलाई, 2015 द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2006 से न्यूनतम पेंशन एवं न्यूनतम पारिवारिक पेंशन की दरों में पुनरीक्षण के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन एवं न्यूनतम पारिवारिक पेंशन की दरें संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3–संलग्न तालिका में दी गयी दरें दिनांक 1 जनवरी, 2006 से लागू होंगी परन्तु इन आदेशों के अन्तर्गत न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि का निर्धारण किये जाने के फलस्वरूप पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों से कोई वसूली नहीं की जायेगी।

4–पूर्वोक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 19 जुलाई, 2010, 12 अक्टूबर, 2010, दिनांक 14 जुलाई, 2014 एवं दिनांक 7 नवम्बर, 2014 उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

उक्त कार्यालय–ज्ञापों की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

संलग्नक : यथोक्त।

अजय अग्रवाल,

सचिव, वित्त।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4–समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय–ज्ञाप संख्या 4/2016/सा–3–75/दस–2016–308–97 टी0सी0,

दिनांक 21 जनवरी, 2016 का संलग्नक

क्र0 सं0	दिनांक 1 जनवरी, 1986 से लागू वेतनमान	दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू वेतनमान	छठवें उ0प्र0 वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुसार दिनांक 1 जनवरी, 2006 से संशोधित पे बैण्ड	ग्रेड वेतन	पे–बैण्ड में न्यूनतम तथा ग्रेड वेतन का योग	न्यूनतम पेंशन	न्यूनतम पारिवारिक पेंशन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	825-15-900-20-1200	2750-70-3800-75-4400	5200-20200	1800	7330	3665	3500
2	950-20-1150-25-1400 950-20-1150-25-1500	3050-75-3950-80-4590	5200-20200	1900	7780	3890	3500
3	975-25-1150-30-1540 975-25-1150-30-1660	3200-85-4900	5200-20200	2000	8060	4030	3500
4	1200-30-1440-30-1800 1200-30-1560-40-2040 1320-30-1560-40-2040	4000-100-6000	5200-20200	2400	9840	4920	3500
5	1350-30-1440-40-1800-50-2200 1400-40-1800-50-2300	4500-125-7000	5200-20200	2800	11,170	5585	3500
6	1400-40-1800-50-2400	4500-125-7250	5200-20200	2800	11,170	5585	3500
7	1400-40-1600-50-2300-60-2600 1600-50-2300-60-2600 1600-50-2300-60-2660	5000-150-8000	9300-34800	4200	13500	6750	4050
8	1640-60-2600-75-2900	5500-175-9000	9300-34800	4200	14430	7215	4329
9	2000-60-2300-75-3200 2000-60-2300-75-3200-100-3500	6500-200-10500	9300-34800	4200	16290	8145	4887
10	2375-75-3200-100-3500	7450-225-11500	9300-34800	4600	18460	9230	5538
11	2200-75-2800-100-4000 2350-75-2800-100-4000 2275-75-2800-100-4100	8000-275-13500	9300-34800	5400	20280	10140	6084
12	2200-75-2800-100-4000	8000-275-13500 (सीधी भर्ती)	15600-39100	5400	21000	10500	6300
13	2350-75-2800-100-4300 2350-75-2800-100-4400	8550-275-14600	15600-39100	5400	21000	10500	6300
14	3000-100-3500-125-4500 3000-100-3500-125-4750 3000-100-3500-125-5000	10000-325-15200	15600-39100	6600	25200	12600	7560
15	3200-100-3500-125-4875	10650-325-15850	15600-39100	6600	26410	13205	7923
16	3700-125-4700-150-5000	12000-375-16500	15600-39100	7600	29920	14960	8976
17	4100-125-4850-150-5300 4500-150-5700	14300-400-18300	37400-67000	8700	46100	23050	13830

1	2	3	4	5	6	7	8
18	5100-150-5700 5100-150-6150 5100-150-5700-200-6300	16400-450-20000	37400-67000	8900	48590	24295	14577
19	5900-200-6700	18400-500-22400	37400-67000	10000	54700	27350	16410
20	7300-100-7600	22400-525-24500	67000-79000	NIL	67000	33500	20100
21	8000/- FIXED	26000 (FIXED)	80000 (FIXED)	NIL	80000	40000	24000

नोट :– क्रमांक–1 पर अंकित वेतनमानों से निम्नतर वेतनमान छोड़ दिये गये हैं क्योंकि उन वेतनमानों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि रु0 3500/– प्रतिमाह होगी।

———

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

————

संख्या 8/2016/सा–3–179/दस–2016–301(8)–2015

लखनऊ दिनांक 28 मार्च, 2016

———

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अंगीकृत सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (संशोधन) विनियमावली, 2016

1–(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (संशोधन) विनियमावली, 2016 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी

2–उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अनुच्छेद 486 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया अनुच्छेद रख दिया जायेगा, अर्थात् :– अनुच्छेद 486 का संशोधन

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान अनुच्छेद	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुच्छेद
486. The term "Emoluments" when used in these Regulations means the "Pay" as defined in Rule 9(21) of the U.P. Fundamental Rules, which the officer was receiving immediately before his retirement.	486. The term "Emoluments" when used in these Regulations means the "Pay" as defined in Rule 9(21) of the U.P. Fundamental Rules, which the officer was receiving immediately before his retirement.
NOTE-If an officer immediately before his retirement or death, has	NOTE-If an officer immediately before his retirement or death, has

been absent from duty on leave with allowances, his emoluments for the purpose of calculating service gratuity and or death-cum-retirement gratuity should be taken at what they would have been had he not been absent from duty:

Provided that the amount of gratuity is not increased on account of increase in pay not actully drawn and that benefit of higher officiating or temporary pay is given only if it is certified that he would have continued to hold the higher officiating or temporary appointment but for his proceeding on leave.

been absent from duty on leave with allowances, his emoluments for the purpose of calculating service gratuity and or death-cum-retirement gratuity should be taken at what they would have been had he not been absent from duty:

Provided that the amount of gratuity is not increased on account of increase in pay not actully drawn and that benefit of higher officiating or temporary pay is given only if it is certified that he would have continued to hold the higher officiating or temporary appointment but for his proceeding on leave.

Provided further that if a retired officer is subsequently granted notional promotion from a date falling earlier to his date of retirement, he shall be entitled to revised pension with effect fron the date on which the order of notional promotion was issued, on the basis of the pay notionally arrived at immediately before his retirement by granting admissible increments notionally after fixing his pay on the date of notional promotion. However, no arrear of pay shall be admissible on account of pay fixation on notional promotion, and, similarly, no arrear of pension on account of grant of pension under this proviso shall be admissible for the period falling prior to the date of issue of order of notional promotion.

By order,

RAHUL BHATNAGAR

Principal Secretary.

संख्या 11/2016/सा–2336/दस–2016–301(8)–2015

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,

सचिव, वित्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 18 अप्रैल, 2016

विषय :– उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद–468 का स्पष्टीकरण।

महोदय,

रिट याचिका संख्या 1685(एस/एस)/2016 कर्ता राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28 जनवरी, 2016 के सुसंगत अंश नीचे उद्धृत किये गये हैं :–

".................. the services rendered by the petitioner as a muster-roll work-charge employee cannot be counted for the purposes of calculating the qualifying service for pension, nevertheless, he is entitled to be considered for the bnenefit of the provision contained in regulation 468 of the Civil Service Regulations. The matter is remanded back to the competent authority for taking a fresh decision in terms of the observations made hereinabove within a period of six weeks from the date a certified copy of this order is produced before him. Consequences as regards payment of pension and other post-retirement benefits shall follow as per rules based on the decision so taken."

दिनांक 28 जनवरी, 2016 के आदेश में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित निर्देश भी दिये गये हैं :–

"Considering the fact that such petitions are coming up before this Court everyday, let a copy of this judgment and order be sent to the Chief Secretary, U.P. and Principal Secretary, karmik as also to the Principal secretary, finance for ensuring compliance of the said provisions at the time of calculation of qualifying service of Government Servants who are due to retire or have retired so that they may not be compelled to approach this Court unnecessarily."

2–उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद–468 की व्यवस्था अर्हकारी सेवा के आगणन हेतु समस्त प्रकरणों में समान रूप से प्रभावी हैं चाहे संबंधित कर्मचारी की अर्हकारी सेवा अवधि 10 वर्ष अथवा अधिक अथवा उससे कम हो। अतः ऐसे प्रकरण, जिनमें किसी सरकारी कर्मचारी की अर्हकारी सेवा अवधि 09 वर्ष, 09 माह अथवा उससे अधिक परन्तु 10 वर्ष से कम हो, में सेवा के अंतिम 03 माह अथवा उससे अधिक की अवधि को एक पूर्ण छमाही मानते हुये अर्हकारी सेवा 10 वर्ष मानी जायेगी तथा तदनुसार पेंशन स्वीकृत की जायेगी।

3–ऐसे समस्त प्रकरणों का निस्तारण तदनुसार सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव, वित्त।

संख्या–14/2016–सा–3–341/दस–2016–944/88

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 12 मई, 2016

विषय :– सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनकी सेवा पुस्तिका हस्तगत कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में संयुक्त पेंशनर्स समन्वय समिति, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 21.02.2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि पेंशनर्स को उनकी सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं करायी जा रही है जबकि वित्तीय हस्त पुस्तिका में इस संबंध में व्यवस्था विद्यमान है। पेंशनर्स के पास अपनी सेवा संबंधी विवरण उपलब्ध न होने के कारण उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता है। समन्वय समिति द्वारा अनुरोध किया गया है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका की व्यवस्थानुसार पेंशनर्स को सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराये हेतु एक औपचारिक आदेश निर्गत कर दिया जाय।

2– उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड–2 भाग–2 से 4 में संकलित सहायक नियम 136(क) जिसका उद्धरण संलग्न है, में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

———————

संख्या–14/2016–सा–3–341/दस–2016–944/88 का संलग्नक

वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड–2 भाग–2 से 4 में संकलित सहायक नियम 136(क) का उद्धरण

136-A. If a government servant retirs on reaching the age of superannuation his service book may, if desired, be returned to him after his pension has been finally sanctioned. where the service book is not given up, it should be retained for a period of five years after retirement or until six months after the government servant's death, whichever is earlier, after which it should be destroyed. In the event of a government servant's service terminating by his death, his service book may be given to his relatives on application. Should no application be made within six months of the death of the government servant, the service books should be destroyed.

The service book of a government servant who retires, resigns or is discharged from the service without fault prior to his reaching the age of superannuation, should not be given up to him before the expiry of five years from the date of retirement, resignation or discharge. If he applies for it within six months after the expiry of this period, it may be given to him after an

entry about his retirement, resignation or discharge has been made therein. Should no application be made within this time-limit, the service book may be destroyed. In the case of the government servant's death, the service book should be destroyed after six months from the date of death or returned to his relatives if they apply for it within that period.

when a government servant's service is terminated by dismissal or removal, his service book should be retained for a period of five years after the date of dismissal or removal or until six months after his death, whichever is earlier, after which it should be destroyed.

The service book of a government servant who has been dismissed or removed and who is afterwards reinstated should on requisition be returned to the head of the office in which he re-employed. A similar course should be adopted when a government servant has been discharged without fault or has resigned and is subsequently re-employed.

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या 22/2016/सा–3–342/दस–2016–308–97 टी0सी0

लखनऊः दिनांक 5 जुलाई, 2016

कार्यालय–ज्ञाप

विषय :– दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व के पेंशनरों की पुनरीक्षित पेंशन को 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा से डी–लिंक किया जाना।

कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1515/दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–4(1) में यह व्यवस्था की गयी है कि दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व के पेंशनरों की दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित पेंशन की धनराशि, सेवानिवृत्ति के समय उसके वेतनमान के प्रतिस्थापन पे–बैण्ड के न्यूनतम तथा ग्रेड–पे के योग के पचास प्रतिशत से कम नहीं होगी परन्तु जहाँ अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम रही हो, ऐसे मामलों में न्यूनतम पेंशन की राशि अनुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी किन्तु किसी भी दशा में यह रु0 3500/– प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

2–कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1358/दस–2010, दिनांक 19 जुलाई, 2010 के साथ संलग्न तालिका में उल्लिखित न्यूनतम पेंशन की धनराशियों का कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–3–जी0आई0–02/दस–2014–308–97, दिनांक 14 जुलाई, 2014 तथा कार्यालय–ज्ञाप संख्या–4/2016–सा–3–75/दस–2016–308–97, दिनांक 21 जनवरी, 2016 द्वारा संशोधित की गयी है, के प्रस्तर–2 में भी इसी आशय का प्रतिबन्ध उल्लिखित है। दिनांक 19 जुलाई, 2010 के कार्यालय–ज्ञाप के संलग्नक में अंकित दिनांक 1 जनवरी, 2006 से न्यूनतम पेंशन की धनराशियाँ कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–3–जी0आई0–02/दस–2014–308–97, दिनांक 14 जुलाई, 2014 तथा कार्यालय–ज्ञाप संख्या 4/2016– सा–3–75/दस–2016–308–97, 21 जनवरी, 2016 द्वारा संशोधित की जा चुकी है।

3–भारत सरकार के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–38/37/08/पी एण्ड पी डब्ल्यू(ए), दिनांक 6 अप्रैल, 2016 के प्रस्तर–6 में यह व्यवस्था की गयी है कि ''कि 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हुये पेंशन भोगियों की संशोधित समेकित पेंशन, उनकी सेवानिवृत्ति के समय 33 वर्ष से कम अर्हक सेवा होने के बावजूद, पेंशन को यथानुपात घटाए बिना निर्धारण तालिका (फिटमेंट टेबल) के अनुसार, संशोधन पूर्व वेतनमान के तदनुरूपी वेतन बैण्ड में वेतन और ग्रेड–पे (जहाँ लागू हो) में न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।''

4–भारत सरकार के उपरोक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 6 अप्रैल, 2016 में दी गयी उपर्युक्त व्यवस्था के क्रम में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कार्यालय–ज्ञाप संख्या–5/16–सा–3–75/दस–2016–308–97 टी0सी0, दिनांक 21 जनवरी, 2016 के संलग्नक में विभिन्न वेतनमानों के सम्मुख अंकित पुनरीक्षित न्यूनतम पेंशन की धनराशि में प्रो–रेटा कमी नहीं की जायेगी, भले ही पेंशनर की अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम रही हो। इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन पुनरीक्षण इस शासनादेश के संलग्नक में दिये उदाहरण द्वारा समझाया गया है।

5–शासनादेश संख्या–सा–3–1515/दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 तथा तद्विषयक अन्य उपरिसंदर्भित आदेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

6–यह व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी। इन आदेशों के अनुसार न्यूनतम पेंशन के संशोधन के फलस्वरूप एरियर का भुगतान देय नहीं होगा।

7–इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन का संशोधन वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या सा–3–1541/दस–2008–308–97 टी0सी0, दिनांक 7 जनवरी, 2009 की व्यवस्था अनुसार उस कोषागार द्वारा किया जायेगा जहाँ से पेंशनर अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा है।

8–कृपया उपयुक्तानुसार कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित की जाये।

संलग्नक : यथोक्त।

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

शासनादेश संख्या–22/2016/सा–3–342(1)/दस–2016–308–97 टी0सी0, दिनांक 5 जुलाई, 2016 का संलग्नक

उदाहरण :

(1) मान लिया जाये कि दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व कोई व्यक्ति दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 को रु0 10000–325–15200 के वेतनमान में रु0 15200 के वेतन पर सेवानिवृत्त होता है। उसकी अर्हकारी सेवा 15 वर्ष की है तथा अन्तिम दस मासों की औसत परिलब्धियाँ रु0 15200 है। दिनांक 1 जनवरी, 2005 को उस व्यक्ति की पेंशन रु0 3455 (15200/2) x (15/33) निर्धारित होगी। दिनांक 1 जनवरी, 2006 को समेकन तालिका के अनुसार संशोधित पेंशन रु0 7809 होगी। कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 21 जनवरी, 2016 की व्यवस्थानुसार रु0 10000–325–15200 के वेतनमान के तदनुरूपी वेतन बैण्ड रु0 15600–39100 ग्रेड वेतन रु0 6600 के सापेक्ष दिनांक 1 जनवरी, 2006 से अनुमन्य न्यूनतम पेंशन रु0 12600 है जिसे पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अर्हकारी सेवा के आधार पर अनुपातिक रूप से कम कर दिये जाने पर अनुमन्य पेंशन रु0 5727 (12600 x 15/33) होती है जो समेकन के फलस्वरूप पुनरीक्षित पेंशन रु0 7809 प्रति माह से कम है। अतः उस व्यक्ति की पुनरीक्षित पेंशन रु0 7809 प्रति माह ही रहेगी। अब प्रस्तावित व्यवस्था जिसमें न्यूनतम पेंशन की राशि में अनुपातिक कमी नहीं की जानी है, के अनुसार प्रकरण में दिनांक 1 जनवरी, 2006 से अनुमन्य संशोधन पेंशन रु0 12600 हो जायेगी।

(2)–मान लिया जाये कि दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व कोई व्यक्ति दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 को रु0 10000–325–15200 के वेतनमान में रु0 15200 के वेतन पर सेवानिवृत्त होता है। उसकी अर्हकारी सेवा 30 वर्ष की है तथा अन्तिम दस मासों की औसत परिलब्धियाँ रु0 15200 है। दिनांक 1 जनवरी, 2005 को उस व्यक्ति की पेंशन रु0 6909 (15200/2) x (30/33) निर्धारित होगी। दिनांक 1 जनवरी, 2006 को समेकन तालिका के अनुसार संशोधित पेंशन रु0 15616 होगी।

कार्यालय—ज्ञाप दिनांक 21 जनवरी, 2016 की व्यवस्थानुसार रु0 10000— 325—15200 के वेतनमान के तदनुरूपी वेतन बैण्ड रु0 15600—39100 ग्रेड वेतन रु0 6600 के सापेक्ष दिनांक 1 जनवरी, 2006 से अनुमन्य न्यूनतम पेंशन रु0 12600 है। इस प्रकरण में दिनांक 1 जनवरी, 2006 को समेकित पेंशन की राशि न्यूनतम पेंशन से अधिक होने के कारण पेंशनर को रु0 15616 मासिक पेंशन प्राप्त हाती रहेगी।

————————

संख्या—32 / 2016—सा—3—768 / दस—2016—944 / 88टी0सी0—1

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—समस्त जिला अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2—समस्त एवं मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 लखनऊः दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

विषय :— दिनांक 17 दिसम्बर, 2016 को पेंशनर्स दिवस मनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

विज्ञप्ति संख्या—13 / 2015—सा—3—631 / दस—2015—944 / 88, दिनांक 24 जून, 2015 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय प्रसारित किया गया है कि प्रति वर्ष 17 दिसम्बर को प्रदेश के सभी जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पेंशनर दिवस आयोजित किया जायेगा।

2—गत वर्ष दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को प्रदेश में पहली बार पेंशनर दिवस का आयोजन किया गया, परन्तु विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना के अनुसार पेंशनर दिवस के आयोजन में कई कार्यालयाध्यक्षों द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया। कुछ जनपदों में, विभिन्न कार्यालयों के कनिष्ठ कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इससे पेंशनर दिवस की प्रभावोत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

3—मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया दिनांक 17 दिसम्बर, 2016 को आयोजित होने वाले पेंशनर दिवस को प्रभावकारी एवं सार्थक रूप से आयोजित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

4—उक्त के संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिले के सभी पेंशनर्स संगठनों के पदाधिकारियों को आयोजन में अवश्य आमंत्रित किया जाये तथा उन्हें अपनी समस्यायें एवं सुझाव देने का अवसर दिया जाये तथा जिले के विभागाध्यक्षों एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को भी आमंत्रित किया जाये। कार्यालयाध्यक्षों द्वारा आयोजन में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। जिन कार्यालयाध्यक्षों द्वारा स्वयं प्रतिभाग नहीं किया जाता है, उनका स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जाये।

चर्चा में उठाये गये महत्वपूर्ण बिन्दुओं को कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से उल्लिखित करते हुये यह इंगित किया जाये कि उसके संबंध में किस प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी है एवं उनका नियमित अनुश्रवण किया जाये। कार्यवृत्त की प्रतिलिपि पेंशनर संगठनों, जिला के विभागाध्यक्षों / प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों, निदेशक पेंशन तथा वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 को पृष्ठांकित की जाये।

भवदीय,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

संख्या 36/2016/सा–3–342/दस–2016–308–97 टी0सी0

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

2–निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 8 नवम्बर, 2016

विषय :– दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व के पेंशनरों की पुनरीक्षित पेंशन को 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा से डी–लिंक किये जाने संबंधी कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 5 जुलाई, 2016 का क्रियान्वयन।

महोदय,

शासन के संज्ञान में लाया गया है कि दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व के पेंशनरों की पुनरीक्षित पेंशन को 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा से डी–लिंक किये जाने संबंधी वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–22/2016–सा–3–342/दस–2016–308–97 टी0सी0, दिनांक 5 जुलाई, 2016 के क्रियान्वयन हेतु कोषागारों द्वारा पेंशनरों से उनकी सेवा संबंधी सूचनायें यथा–अंतिम धारित पद का वेतनमान, दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में समवर्ती वेतन–बैण्ड तथा ग्रेड–वेतन एवं अर्हकारी सेवा की अवधि आदि संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जा रही है।

2–दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों की पेंशन के अभिनवीकरण/पुनरीक्षण संबंधी शासनादेश संख्या–सा–3–1541/दस–2008–308–97 टी0सी0, दिनांक 19 जनवरी, 2009 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे। दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु आवश्यक सूचनायें उक्त शासनादेश के साथ संलग्न प्रारूप पर कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के माध्यम से कोषागारों को उपलब्ध कराये जाने पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण कोषागारों द्वारा किया गया। उक्त प्रारूप में वह सभी सूचनायें अंकित हैं, जो कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 5 जुलाई, 2016 के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक हैं। यह सूचना कोषागारों में रक्षित पेंशनरों के अभिलेखों में अवश्य उपलब्ध है। अतः पेंशनरों से पुनः इन्हीं सूचनाओं को मांगा जाना उचित नहीं है।

3–इस संबंध में मुझे आपसे यह करने का निदेश हुआ है कि कृपया समस्त कोषागारों को उपर्युक्तानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

———

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

————————

संख्या–35/2017/सा–700/दस–2017–308–97

लखनऊः दिनांक : 17 नवम्बर, 2017

———————

<u>कार्यालय–ज्ञाप</u>

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन/न्यूनतम पारिवारिक पेंशन निर्धारित किये जाने सम्बन्धी वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या 4/2016/सा–3–75/दस–2016–308–97, दिनांक 21 जनवरी, 2016 के साथ संलग्न तालिका के क्रमांक–9 को निम्नानुसार संशोधित समझा जाये :–

दिनांक 1 जनवरी, 1986 से लागू वेतनमान	दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू वेतनमान	छठवें उ0प्र0 वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के अनुसार दिनांक 1 जनवरी, 2006 से संशोधित पे–बैण्ड	ग्रेड वेतन	पे–बैण्ड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड वेतन का योग	न्यूनतम पेंशन	न्यूनतम पारिवारिक पेंशन
2000-60-2300-75-3200 2000-60-2300-75-3200-100-3500	6500-200-10500	9300-34800	4600	16690	8345	5007

2–उपर्युक्त संशोधन दिनांक 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी माना जायेगा। कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 21 जनवरी, 2016 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा उक्त कार्यालय–ज्ञाप की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4–समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।

अध्याय–3

वेतन समिति 1997 के क्रम में निर्गत शासनादेश

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या :सा–3 / 1720–दस–308–97

लखनऊ : दिनांक 23 दिसम्बर, 1997

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः–वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 1997 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप पेंशन / ग्रेच्युटी / पारिवारिक पेंशन एवं राशिकारण की दरों का पुनरीक्षण किया जाना।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने वेतन समिति उत्तर प्रदेश 1997 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन / पारिवारिक पेंशन / ग्रेच्युटी एवं पेंशन राशिकरण की दरों को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश दिनांक 1 जनवरी, 1996 से प्रभावी समझे जायेंगे तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनर्निर्धारण / समायोजन किया जायेगा।

2–यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों पर (जो उत्तर प्रदेश लिब्रलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश रिटाायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स, 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 तथा शासनादेश संख्या सा–3–969 / दस–923 / 85, दिनांक 8 अगस्त, 1986 के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं) लागू समझे जायेंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे। किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे।

2–(1) प्रभावी होने की तिथि–

इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थायें उन राजकीय कर्मचारियों पर लागू होंगी जो दिनांक 1 जनवरी, 1996 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा मृत हुए हैं। दिनांक 1 जनवरी, 1996 के पूर्व सेवानिवृत्त / मृतक सरकारी सेवकों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के संदर्भ में विस्तृत प्रक्रिया के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

2–(2) जिन सरकारी सेवकों के मामले में दिनांक 1 जनवरी, 1996 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन / पारिवारिक पेंशन / मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एवं पेंशन के एक भाग राशिकरण का निर्धारण / भुगतान किया जा चुका है, का पुनरीक्षण, इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर के लिए लाभप्रद न हो, उन प्रकरणों में ऐसा पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

3–(1) परिलब्धियां–

पेंशन एवं अन्य नैवृत्तिक लाभों (सेवा निवृत्ति / डेथ ग्रेच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है जैसाकि मूल नियम 9 (21) (1) में परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

3–(2)''वेतन'' से आशय उत्तर प्रदेश वेतन समिति 1997 की संस्तुतियों पर आधारित पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित वेतन से है।

3–(3) सेवानिवृत्ति / डेथ ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवा निवृत्ति / मृत्यु की तिथि को अनुमन्य महंगाई भत्ते को भी सम्मिलित किया जायेगा।

4–पेंशन

पेंशन की गणना पूर्व की भाँति औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत के आधार पर की जायेगी परन्तु न्यूनतम पेंशन की धनराशि रू0 1275 / –प्रतिमाह तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम

वेतन (दिनांक 1 जनवरी, 1996 से) के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। तदनुसार राज्य सरकार की पेंशन की दर से संबंधी पूर्व व्यवस्था संशोधित समझी जायगी।

5–सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी

सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम धनराशि की सीमा रू0 3.50 लाख से अधिक नही होगी।

पारिवारिक पेशन–

6–(1) पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर सामान्य रूप से की जायेगी। पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0 1275 प्रतिमाह होगी तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन के 30 प्रतिशत तक सीमित होगी । इस संदर्भ में पारिवारिक पेंशन की दरों से संबंधित व्यवस्था दिनांक 1 जनवरी, 1996 से तदनुसार संशोधित समझी जायेगी।

6–(2) पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु "परिवार" की परिभाषा निम्नलिखित होगीः–

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1996 के पूर्व की व्यवस्था के अधीन परिवार की परिभाषा निम्न प्रकार निर्धारित हैः–

(1) पत्नी/पति

(2) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम के पुत्र को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे तो जीविकोपार्जन की तिथि तक अथवा 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।

(3) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम की अविवाहित पुत्री को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे या उसका विवाह हो जाए, अथवा 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।

उपरोक्त सन्तानों में सौतेली तथा सेवानिवृत्त के पूर्व विधिवत गोद ली गयी सन्तानें भी सम्मिलित हैं।

विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त सन्तानों पर आयु का बन्धन नहीं है तथा सम्बन्धित आदेश के प्रतिबन्धों के अधीन पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र होंगे। दिनांक 1 जनवरी, 1996 से विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को भी परिवार में सम्मिलित माना जाएगा। दिनांक 1 जनवरी, 1996 से भी यह भी व्यवस्था की जाती है कि यदि स्वर्गीय सरकारी सेवक के परिवार में उसकी पत्नी तथा उपर्युक्त वर्णित श्रेणी की पात्र सन्तान नहीं है तो उसके माता/पिता जो उस पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, को उसके परिवार में सम्मिलित समझा जाएगा। पूर्णतया आश्रित होने एवं जीविकोपार्जन से सम्बन्धित मासिक आय के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अलग से जारी किया जाएगा। शेष व्यवस्थाएं पूर्ववत् रहेंगी।

7–पेंशन के एक भाग का राशिकरण

पेशन के एक निर्धारित भाग अर्थात 40 प्रतिशत तक की धनराशि का राशिकरण अनुमन्य होगा। राशिकरण के सम्बन्ध में शेष व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी।

8–जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है और नये वेतनमान में 10 माह की पूर्ण अवधि का लाभ पाने के पूर्व ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनकी सेवानिवृत्ति के 10 माह पूर्व के वेतन की गणना निम्न प्रकार की जायेगीः–

(क) जिस अवधि में पुराने वेतनमान में वेतन आहरित किया है उस अवधि का मूल वेतन तथा उस पर देय महँगाई भत्ता एवं अन्तरिम सहायता की प्रथम एवं द्वितीय किश्त जो 1 जनवरी, 1996 को लागू थी, और

(ख) जिस अवधि में वेतन पुनरीक्षित हो गया है उसके पुनरीक्षित मूल वेतन की धनराशि।

दिनांक 1–1–1996 एवं 31–12–1997 के मध्य सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्थाः–

9–ऐसे सरकारी सेवक जो दिनांक 1 जनवरी, 1996 और 31–12–1997 के मध्य सेवानिवृत्त हुए हैं या होंगे, को यह विकल्प होगा कि वे अपने पुराने वेतनमान को बनाये रखें एवं पुराने वेतनमान में ही

पेंशन एवं डेथ कम रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी के निर्धारण कराने का विलल्प दें, ऐसे प्रकरणों में पेंशन एवं डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगाः–

(1) ग्रेच्युटी की गणना हेतु परिलब्धियों से आशय उस ''वेतन'' से होगा जैसा कि मूल नियम 9 (21) (1) में परिभाषित है तथा इसमें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 1436 अंक के बराबर मंहगाई भता तथा अन्तरिम सहायता के प्रथम तथा द्वितीय किश्त की धनराशि सम्मिलित होगी।

(2) पेंशन की गणना औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर पर की जायेगी। इस प्रकार आगणित पेंशन की धनराशि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का 1510 अंक के बराबर महँगाई भत्ता जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार जो धनराशि आगणित होगी वही पेंशन की धनराशि होगी।

(3) मृत्यु एवं सेवा निवृत्तिक ग्रेच्युटी की गणना उपरोक्त प्रस्तर 9 (1) में उल्लिखित परिलब्धि के संदर्भ में अनुमन्य होगी। इस प्रकार के मामलों में ग्रेच्युटी की अधिकतम धनराशि रू0 2.50 लाख से अधिक नहीं होगी।

(4) पेंशन के एक भाग का राशिकरण इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व लागू व्यवस्था के अधीन ही किया जायेगा।

(5) पारिवारिक पेंशन की गणना इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व लागू व्यवस्था के अधीन की जायेगी । इस प्रकार आगणित पारिवारिक पेंशन पर मूल्य सूचकांक 1510 पर अनुमन्य दर के समान महंगाई भत्ते को जोड़ दिया जायेगा और उपरोक्त प्रकार से आगणित धनराशि पारिवारिक पेंशन होगी।

10–ऐसे सरकारी सेवक, जो पुराने वेतनमान को बनाए रखने का विकल्प देते हैं और उनकी मृत्यु सेवारत दशा में दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के उपरान्त हो जाती है, की पेंशन सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, मृत्यु ग्रेच्युटी एवं पारिवारिक पेंशन जैसी भी स्थिति हो, की गणना उपरोक्त प्रस्तर 4 से 7 में निहित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी। इस श्रेणी के प्रकरणों में ''परिलब्धियों'' की गणना हेतु पुनरीक्षण से पूर्व के मुल वेतन मूल्य सूचकांक 1510 पर अनुमन्य महंगाई भत्ते की धनराशि तथा अन्तरिम राहत की प्रथम तथा द्वितीय किश्त की धनराशि सम्मिलित की जायेगी।

11–पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की गणना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नई प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

12–इन आदेशों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि के समेकन के उपरान्त अनुमन्य धनराशि के अवशेष का भुगतान दिनांक 1 अक्टूबर, 1997 से नकद किया जायेगा। दिनांक 1 जनवरी, 1996 से 30 सितम्बर, 1997 की अवधि के अवशेष का भुगतान दो समान किश्तों में होगा। प्रथम किश्त का भुगतान दिनांक 31 मार्च, 1998 तक किया जाएगा तथा द्वितीय किश्त का भुगतान 31 जुलाई, 1998 तक किया जाएगा, किन्तु जिन प्रकरणों में दिनांक 1 जनवरी, 1996 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु उपरोक्त प्रकार से अनुमन्य अवशेष धनराशि की प्राप्ति के पूर्व हो गई है, उनमें स्वर्गीय कर्मचारी के पात्र उत्तराधिकारी को समस्त अवशेष का भुगतान एक मुश्त नकद किया जाएगा।

आलोक रंजन

सचिव, वित्त।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0

(2) समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0

(3) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या : सा–3/1721–दस–308–97

लखनऊ : दिनांक 23 दिसम्बर, 1997

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः–वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 1997 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 1–1–1996 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अभिनवीकरण/पुनरीक्षण।

——————

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 1997 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए दिनांक 1–1–1996 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत सभी सिविल पेंशनरों/पारिवारकि पेंशनरों की पेंशनों के अभिनवीकरण/पुनरीक्षण के सम्बन्ध में निम्न आदेश प्रदान किए हैं।

2–यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों पर (जो उत्तर प्रदेश लिब्रलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स, 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 तथा शासनादेश संख्या सा–3–969/दस–923/85, दिनांक 8 जनवरी, 1986 के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे है) लागू समझें जायेंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे। किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे।

3–इन आदेशों के अन्तर्गत–

(क) ''वर्तमान पेंशनर'' अथवा ''पारिवारिक पेंशनर'' का तात्पर्य उन पेंशनरों से है जो दिनांक 31–12–1995 को राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन आहरित कर रहे थे या पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार थे।

(ख) ''वर्तमान पेंशन'' का तात्पर्य मूल पेंशन (राशिकृत भाग, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए) जो दिनांक 31–12–1995 को देय थी, से है। पेंशन में वे सभी श्रेणी की पेंशन सम्मिलित हैं जिनका उल्लेख ऊपर प्रस्तर–2 में किया गया है।

(ग) ''वर्तमान पारिवारिक पेंशन'' का तात्पर्य उस मूल पारिवारिक पेंशन से है जो नयी पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन शासनादेश संख्या सा–3–657/दस–900/78, दिनांक 10–5–1978 अथवा शासनादेश संख्या सा–3–1563/दस–921/81, दिनांक 3–11–1981 में उल्लिखित दरों पर दिनांक 31–12–95 को अथवा शासनादेश संख्या सा–3–969/दस–923/85, दिनांक 8–8–1986 से विनियमित पारिवारिक पेंशनरों को 31–12–95 को अनुमन्य थी।

(घ) ''वर्तमान महंगाई राहत'' का तात्पर्य पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों को 1510 मूल्य सूचकांक के बराबर मिल रही राहत से है।

4–(1) ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो दिनांक 1–1–1996 के पूर्व से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, का समेकन दिनांक 1–1–1996 से निम्नलिखित धनराशियों को सम्मिलित करके किया जायेगा :–

(i) वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन,

(ii) वर्ततान महँगाई राहत जैसा कि महँगाई के 1510 मूल्य सूचकांक अर्थात 148%, 111% एवं 96% जैसी भी स्थिति हो, के बराबर स्वीकृत,

(iii) अन्तरिम राहत प्रथम किश्त,

(iv) अन्तरिम राहत द्वितीय किश्त,

(v) वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 40% अतिरिक्त जोड़कर।

उपरोक्तानुसार आगणित/समेकित धनराशि 1–1–1996 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन समझी जायेगी। इस प्रकार पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अधिकतम धनराशि की सीमा रूपया 4500/– एवं रूपया 1250/– प्रतिमाह से बढ़ाकर क्रमशः राज्य सरकार के अधिकतम वेतन के 50% एवं 30% कर दी गयी है। चूँकि उपरोक्तानुसार आगणित समेकित पेंशन में पेंशन का राशिकृत भाग सम्मिलित होगा, अतः पेंशन का भुगतान करते समय पेंशन के सम्बन्धित राशिकृत भाग को पेंशन की धनराशि से घटा दिया जायेगा।

4–(2) ऐसे वर्तमान पेंशनर जो 31–3–1985 और 31–12–1985 के बीच सेवानिवृत्त हुए हों और जिन्हें वैयक्तिक पेंशन स्वीकृत की गयी हो, के मामलों में वैयक्तिक पेंशन पृथक से अनुमन्य होती रहेगी और ऐसी वैयक्तिक पेंशन को उपरोक्तानुसार पेंशन का भाग माने जाने हेतु समेकित नहीं किया जायेगा।

4–(3) चूंकि उपरोक्त प्रस्तर–4(1) में किए गए पेंशन/पारिवारिक पेंशन के समेकन में महंगाई के 1510 औसत मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई राहत को सम्मिलित कर लिया गया है अतः 1–1–1996 के उपरान्त 1510 औसत मूल्य सूचकांक के आगे महंगाई के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नई नीति के अधीन (अलग से आदेश निर्गत किए जा रहे हैं) महंगाई राहत अनुमन्य होगी। महंगाई राहत की जो किश्तें शासनादेश संख्या सा–3–1206/दस–301/96, दिनांक 22–10–1996 एवं शासनादेश संख्या सा–3–111/दस–301/97, दिनांक 1–5–1997 से क्रमशः दिनांक 1–7–1996 से पूर्व 1–1–1997 से स्वीकृत की जा चुकी है, को समायोजित कर लिया जायगा।

4–(4) शासनादेश संख्या सा–3–जी0आई0–21/दस–901/94, दिनांक 22–10–1996 के अधीन स्वीकृत अन्तरिम सहायता की तीसरी किश्त की धनराशि उपरोक्त प्रस्तर–4(1) के अनुसार समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं उस पर अनुमन्य महंगाई राहत की धनराशि से समायोजित कर ली जायेगी।

5–(1) जिन मामलों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का समेकन उपरोक्त प्रस्तर–4(1) की व्यवस्था के अनुसार किए जाने के उपरान्त भी समेकित धनराशि रूपया 1275/– से कम आती है उनमें इस प्रकार वृद्धि कर दी जाए कि न्यूनतम धनराशि रूपया 1275/– की सीमा तक हो जाए। इस प्रकार आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि दिनांक 1–1–1996 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन मानी जायेगी जिन पेंशनरों को एक से अधिक पेंशनें मिल रही हैं, उनकी सभी पेंशनों का योग लेते हुए न्यूनतम पेंशन रूपया 1275/– निर्धारित की जायेगी।

5–(2) जिन प्रकरणों में असाधारण पेंशन नियमावली के अधीन अशक्तता पेंशन सिविल अशक्तता पेंशन के अतिरिक्त मिल रही है उनमें दोनों पेंशनों के योग की न्यूनतम सीमा रूपया 1275/– प्रतिमाह से कम नहीं होगी। जिन प्रकरणों में केवल शत–प्रतिशत अक्षमता के आधार पर पेंशन स्वीकृत की गई है, उनमें पेंशन की धनराशि रूपया 1275/–प्रतिमाह ही रहेगी, परन्तु शत–प्रतिशत अक्षमता न होने पर उसकी पेंशन उसी अनुपात में कम कर दी जायेगी।

सेवायोजित/पुनर्योजित पेंशनर–

6–सेवायोजित/पुनर्योजित पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशनों/पारिवारिक पेंशनों पर वर्तमान में महंगाई राहत अनुमन्य नहीं है। उनके मामलों में अतिरिक्त राहत की गणना हेतु प्रकल्पित महंगाई राहत की उस धनराशि को आधार माना जायगा जो उन्हें उस दशा में अनुमन्य होती यदि वे सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवायोजित/पुनर्योजित नहीं हुए होते और उसी के अनुसार उपरोक्त प्रस्तर–4(1) के अन्तर्गत उनकी पेंशन का समेकन किया जाएगा। दिनांक 1–1–1996 से उनका वेतन उपरोक्तानुसार आगणित/समेकित पेंशन के परिप्रेक्ष्य में पुनर्निर्धारित किया जाएगा। दिनांक 1–1–1996 के उपरान्त होने वाली वृद्धि से सम्बन्धित महंगाई राहत भी उन्हें सेवायोजन/पुनर्योजन की अवधि में अनुमन्य नहीं होगी।

7–राज्य सरकार के ऐसे सेवकों के मामलों को, जिसमें राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित सरकारी सेवकों द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में स्थायी संविलियन ले लिया गया हो, निम्न प्रकार विनियमित किया जाएगा :–

(क) पेंशन–

उन स्थायी संविलियन के मामलों में जिनमें सम्बन्धित सरकारी सेवक राज्य सरकार से अपनी पेंशन पृथक से आहरित कर रहा हो उसकी पेंशन इन आदेशों के अनुसार पुनरीक्षित कर दी जायगी। उन मामलों में जिनमें सम्बन्धित सरकारी सेवकों के पेंशनरी लाभों का भुगतान एक–मुश्त में, सम्बन्धित सरकारी सेवक/संस्था को कर दिया गया हो, इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन का पुनरीक्षण नहीं किया जायगा।

(ख) पारिवारिक पेंशन–

सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में संविलीन हुए जिन सरकारी सेवकों के संविलियन की शर्तों में पारिवारिक पेंशन अनुमन्य की गयी है उनकी पारिवारिक पेंशन की धनराशि इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरीक्षित कर दी जायेगी।

8–पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के मामलों में इन आदेशों के अंतर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु समस्त पेंशन भुगतान अधिकारियों अर्थात् कोषाधिकारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को जो पेंशन का भुगतान करते हैं एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है। इस श्रेणी के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशनों/पारिवारिक पेंशनों के पुनरीक्षण हेतु कोई पत्र/आदेश महालेखाकार अथवा अन्य पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा भेजे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु कोषाधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सुविधा के लिये एक रेडी रैकनर संलग्न (संलग्नक–एक) किया जा रहा है जिसमें प्रत्येक पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की वर्तमान पेंशन तथा समेकित पेंशन जो 1–1–1996 से देय है इंगित कर दी गयी है। यदि कोई पेंशनर एक से अधिक पेंशनें प्राप्त कर रहा है तो उनका पुनरीक्षण उपरोक्त प्रस्तर–4 (1) एवं प्रस्तर–5 में निर्धारित सीमा के अधीन किया जायेगा। पेंशन भुगतान अधिकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रत्येक पेंशन भुगतान प्राधिकार पत्र (पी0पी0ओ0) के दोनों अर्द्धभागों (हाव्स) पर पुनरीक्षित पेंशन की धनराशि अंकित कर दी जायेगी। उपरोक्तानुसार आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सूचना पेंशन भुगतान अधिकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा महालेखाकार/वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी/निदेशक पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को भी जैसी स्थिति हो, प्रारूप–II (संलग्नक–दो) पर दी जायगी जिससे वे उसकी सूचना पेंशन पेमेन्ट आडिट रजिस्टर में अंकित कर लें। पेंशन भुगतान अधिकारी/महालेखाकार/पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गतकर्ता अधिकारी को भेजी गयी उपरोक्त सूचना की प्राप्ति भी स्वीकार की जाए।

9.1–उपर्युक्त प्रस्तर–4(1) में निहित प्रक्रिया के आधार पर समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन दिनांक 1–1–1996 से ''मूल पेंशन'' मानी जायेगी और इस पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर इसके उपरान्त स्वीकृत महंगाई राहत अनुमन्य होगी। महंगाई राहत की पात्रता हेतु पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की निम्नलिखित श्रेणी होगी :–

(i) पेंशनर जो दिनांक 1–1–1986 से 31–12–1995 के मध्य सेवानिवृत्त हुये हैं,

(ii) ऐसे पारिवारिक पेंशनर जो दिनांक 1–1–1986 से 31–12–95 की अवधि में पारिवारिक पेंशन के हकदार हुये तथा जिन्हें मृत कर्मचारी द्वारा आहरित अन्तिम वेतन के 30% की दर से पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गई।

10–इन आदेशों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि के समेकन के उपरान्त अनुमन्य धनराशि के अवशेष का भुगतान दिनांक 1–10–1997 से नगद किया जायेगा। दिनांक 1–1–1996 से

30–9–1997 की अवधि के अवशेष का भुगतान दो समान किश्तों में होगा। प्रथम किश्त का भुगतान दिनांक 31–3–1998 तक किया जायेगा तथा द्वितीय किश्त का भुगतान 31–7–1998 तक किया जायेगा। किन्तु जिन प्रकरणों में दिनांक 1–1–1996 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु उपरोक्त प्रकार से अनुमन्य अवशेष धनराशि की प्राप्ति के पूर्व हो गई है, उनमें, स्वर्गीय कर्मचारी के पात्र उत्त्राधिकारी को समस्त अवशेष का भुगतान एक मुश्त नकद किया जायेगा।

आज्ञा से,
आलोक रंजन
सचिव, वित्त।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0,

(2) समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0,

(3) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

———————

संख्या सा–3–984/दस–98–308/97

प्रेषक,

श्री अलोक रंजन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 24 जुलाई, 1998

विषयः–वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 1997 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–3–1720/दस–308/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 एवं सा–3–1721/दस–308/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के संदर्भ में स्पष्टीकरण।

महोदय,

वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 1997 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा–3–1720/दस–308/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997, कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–3–1721/दस–308/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997, एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा–3–1722/दस–309/97 दिनांक 23 दिसम्बर, 1997, निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेशों में निहित कतिपय व्यवस्थाओं के संदर्भ में पेंशनर संघों एवं पेंशनरों के व्यक्तिगत संदर्भ एवं अनेकों विभागों द्वारा जिज्ञासा की गई है तथा स्थिति और स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है। अतएव सभी प्राप्त संदर्भो पर सम्यक् रूप से विचारोपरान्त मुझे आवश्यक स्पष्टीकरण निर्गत करने का निदेश हुआ है :–

(1) कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा–3–1720/दस–308/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के संदर्भ में :–

इस कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर 6(3) में यह व्यवस्था है कि दिनांक 1 जनवरी, 1996 से विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को परिवार में सम्मिलित माना जायेगा। यह भी व्यवस्था है कि यदि स्वर्गीय कर्मचारी के परिवार में पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति नहीं है तो स्वर्गीय कर्मचारी के माता-पिता जो इस पर पूर्णरूप से आश्रित थे, को उसके परिवार में सम्मिलित समझा, जाएगा। विभिन्न स्तरों से यह जिज्ञासा

की गई हैं कि पूर्णतया आश्रित होने एवं जीविकोपार्जन से संबंधित मौलिक आय से क्या तात्पर्य है। यह भी जिज्ञासा की गई हे कि विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को किस आयु तक पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी तथा कितनी प्रतिमाह आय तक के व्यक्तियों को उक्त लाभ अनुमन्य होगा। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि माता पिता तथा विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों के बारे में 2550 रुपये प्रतिमाह से अधिक आय न हो, यह मानदण्ड होगा। माता-पिता दिवंगत कर्मचारी के मूल वेतन के 30% की दर पर कुटुम्ब पेंशन प्राप्त कर सकेंगे, बशर्ते कि न्यूनतम राशि 1275 रुपये प्रतिमाह से कम न हो। जिनकी आय 2550 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं है, उन्हें इस आशय का वार्षिक प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अतिरिक्त विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों के सम्बन्ध में कुटुम्ब पेंशन, उनके 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा उसके पुनर्विवाह करने की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक अनुज्ञेय होगी।

पुत्र/पुत्रियों (विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों सहित) के सम्बन्ध में कुटुम्ब पेंशन इस शर्त के अध्यधीन होगी कि जब पात्र पुत्र/पुत्री सरकारी, निजी क्षेत्र, स्वरोजगार इत्यादि में रोजगार पाने के बाद 2550 रुपया प्रतिमाह अर्जित करने लगता है, तो भुगतान राशि बन्द/निरस्त हो जायेगी। यह भी आगे स्पष्ट किया जाता है कि पुत्रों/पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन उनके 25 वर्ष आयु प्राप्त करने या उनके विवाह/पुनर्विवाह इनमें से जो भी पहले हो, तक अनुज्ञेय होगी।

माता-पिता तथा विधवा/तलाकशुदा पुत्री को अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन 1 जनवरी, 1998 से प्रभावी होगी बशर्ते कि अन्य सभी शर्तें पूरी हों। इस आदेश के जारी/कार्यान्वयन होने से पहले 1 जनवरी, 1998 के बाद जिन पुत्र/पुत्रियों को पहले से ही अर्जन शर्त के बिना कुटुम्ब पेंशन मंजूर कर दी गई उन मामलों को दुबारा न खोला जाए।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा–3–1720/दस–308/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के प्रस्तर 9(2) के सन्दर्भ में यह जिज्ञासा की जा रही है कि औसत परिलब्धियों के 50% पर परिकलित पेंशन में महंगाई राहत की कौन सी धनराशि जोड़ी जायेगी। एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञाप के प्रस्तर 9(1) के अनुसरण में पेंशन की गणना के प्रयोजनार्थ अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1436 तक के महंगाई भत्ते को परिलब्धियों के रूप में माना जायेगा तथा एक बार पेंशन की गणना औसत परिलब्धियों के 50% पर कर ली जाती है जिसमें (अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1436 तक महंगाई भत्ता सम्मिलित है) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1436 से 1510 तक महंगाई राहत अर्थात अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1436 से 1510 के बीच का अन्तर, निर्धारित दर पर जोड़ा जायेगा। इस प्रकार प्राप्त धनराशि को पेंशन की धनराशि माना जायेगा।

(2) कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा–3–1721/दस–308/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के संबंधित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरणः–

अतिरिक्त पेंशन की धनराशि जोड़कर पेंशन समेकन हेतु अनेकों पेंशनरों/पेंशन संघों द्वारा यह बात उठाई गई है कि कोषागार उनकी पेंशन की धनराशि का समेकन करते समय उनके पी0पी0ओ0 पर अंकित एडीशनल पेंशन (अतिरिक्त पेंशन) की धनराशि को नहीं जोड़ रहे हैं जिसके फल्स्वरूप उनकी पेंशन की धनराशि कम हो रही है। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार ने उक्त दिशा में कोई निर्देश जारी नहीं किये हैं, अतएव कोषागार या अन्य ऐसी एजेन्सी जो पेंशन पुनरीक्षण हेतु प्राधिकृत हैं के द्वारा ऐसी कार्यवाही करना उचित नहीं है। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता कि कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा–4–1120/दस–87–301/87, दिनांक 28 जुलाई, 1987 के प्रस्तर 6.1 में इस प्रकार व्यवस्था है ''वर्तमान पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन, पारिवारिक पेंशन, 1 जनवरी, 1986 से निम्न धनराशियों को सम्मिलित करके समेकित की जायेगीः–

1–वर्तमान पेंशन/वर्तमान पारिवारिक पेंशन;

2–वर्तमान महँगाई राहत, तथा

3–प्रस्तर 4 के अन्तर्गत आगणित अतिरिक्त राहत तथा प्रस्तर 5 के अन्तर्गत स्वीकृत अतिरिक्त पेंशन।

उपरोक्तानुसार आगणित/समेकित धनराशि 1 जनवरी, 1986 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन समझी जायेगी। जिन पेंशनरों के पी0पी0 ओ0 महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा वास्तविक आगणन के आधार पर पुनरीक्षित किये गये हैं, उनमें महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ने एडिशनल पेंशन शब्द लिख दिया है। जबकि वह मूल पेंशन का ही भाग है। ऐसी दशा में यह अनुरोध है कि जिन पी0पी0ओ0 पर उपर्युक्तानुसार एडिशनल पेंशन शब्द लिखकर धनराशि अंकित की गई है, उसे भी दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षण में सम्मिलित कर लिया जाए।

प्रस्तर–9.2

कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा–3–1721/दस–308/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 में प्रस्तर 9.1(I)(II) की व्यवस्था के क्रम में प्रस्तर–9.2 निम्न प्रकार व्यवस्थित किया जाता है:–

दिनांक 1 जनवरी, 1986 से 31 दिसम्बर, 1995 की श्रेणी के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन की पुनरीक्षण/समेकन इन आदेशों के अधीन दिनांक 1 जनवरी, 1996 से अन्तरिम व्यवस्था के आधार पर किया जायगा, जिससें कि उन्हें तात्कालिक लाभ मिल सके। उक्त श्रेणी के पेंशनरों अर्थात दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण/समेकन के बिन्दु पर अलग से विस्तृत आदेश जारी किये जायेंगे। जिस तिथि तक विस्तृत आदेश निर्गत नहीं होंगे, उस तिथि तक दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण/समेकन इसी आदेशों के अधीन किया जाएगा।

2–अनुरोध है कि उपर्युक्त स्पष्टीकरण को कार्यालय ज्ञाप की संबंधित व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ा जाय एवं तदनुसार कार्यवाही की जाये।

भवदीय,
आलोक रंजन
सचिव, वित्त।

<u>संख्या सा–3–926/दस–98–308/97टी0सी0</u>

प्रेषक,

श्री अलोक रंजन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 | लखनऊः दिनांक 31 जुलाई, 1998

विषयः– वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 1997 को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप पेंशन/ग्रेच्युटी एवं राशिकरण का पुनरीक्षित दरों पर भुगतान–स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा–3–1720/दस–308/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के प्रस्तर 4, 5 एवं 7 में पेंशन, ग्रेच्युटी एवं पेंशन के राशिकरण के संदर्भ में पुनरीक्षण के आदेश निर्गत किए गए हैं। राज्य सरकार में प्रभावी सामान्य व्यवस्था के अधीन ग्रेच्युटी एवं राशिकरण की धनराशि का आहरण विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा करके संबंधित पेंशनर को भुगतान किया जाता है।

2–उपरोक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 की व्यवस्था दिनांक 1 जनवरी, 1996 से प्रभावी की गई है। जो कर्मचारी दिनांक 1 जनवरी, 1996 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप तत्समय प्राप्त परिलब्धियों के आधार पर पेंशन आहरित कर रहा है तथा उसकी पेंशन के एक भाग का राशिकरण हो चुका है तथा उपादान की धनराशि भी प्राप्त कर चुका है। परन्तु कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 की व्यवस्था के अधीन उसकी पेंशन एवं ग्रेच्युटी का पुनरीक्षण किया गया है तथा पुनरीक्षित पेंशन के 40 प्रतिशत की धनराशि की सीमा तक राशिकरण भी अनुमन्य है। पेंशन के 40 प्रतिशत

भाग के राशिकरण की प्रभावी होने की तिथि वही रहेगी जैसी कि पहली बार पेंशन राशिकरण के समय थी, यदि पेंशनर ने कोई अन्यथा विकल्प न दिया हो।

3—उपरोक्त वर्णित व्यवस्था के अधीन कार्यवाही करने के फलस्वरूप स्थिति यह हो रही है कि जो पेंशनर दिनांक 1 जनवरी, 1996 से अथवा उसके बाद अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से पेंशन आहरित कर रहा है और कालान्तर में पूर्व से कराए पेंशन के 1/3 भाग के राशिकरण के अतिरिक्त पुनरीक्षित पेंशन के 40 प्रतिशत की धनराशि की सीमा ताकि राशिकरण कराने का विकल्प देता है उन प्रकरणों में चूँकि पेंशन की धनराशि का पूरी दर पर भुगतान हो चुका है जबकि 40 प्रतिशत राशिकरण कराने के फलस्वरूप उसकी पेंशन को पूर्व राशिकरण की तिथि से कम की जानी है पेंशन की धनराशि का भुगतान कोषाधिकारी स्तर से पेंशन की पूरी दर पर हो रहा है और पुनरीक्षित ग्रेच्युटी एवं पुनरीक्षित दर पर राशिकरण की धनराशि का आहरण एवं भुगतान विभागाध्यक्ष स्तर से किया जा रहा है। चूँकि कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर पेंशन भुगतान के संदर्भ में स्थिति की जानकारी नहीं होती है, इसलिए उसके समायोजन में कठिनाई हो रही है। इस समस्या पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि पुनरीक्षित राशिकरण एवं पुनरीक्षित उपादान की धनराशि का भुगतान विभाग स्तर पर आहरित करने के बजाय विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्वीकृति आदेश संबंधित कोषाधिकारी को प्रेषित करेंगे कि पेंशन राशिकरण व उपादान की धनराशि से पेंशन के रूप में भुगतान की गयी अधिक धनराशि को एकमुश्त समायोजित/वसूल कर लेंगे। जिन मामलों में ग्रेच्युटी तथा राशिकरण का भुगतान किया जा चुका है उन प्रकरणों में पेंशन की धनराशि से मासिक किश्तों में वसूली की जाय जिनकी मासिक किश्तें न्यूनतम 10 या अधिकतम 20 निर्धारित कर दी जायें।

4—उपरोक्त प्रस्तर—3 की व्यवस्था केवल कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा—3—1720/दस—308—97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के संदर्भ में ही लागू होगी।

भवदीय,
आलोक रंजन,
सचिव।

——————

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3

संख्या सा—3—1062/दस—308—97

लखनऊ : दिनांक 24 अगस्त, 1998

कार्यालय—ज्ञाप

विषयः—वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 1997 की सिफारिशों पर लिये गये सरकारी निर्णयों के कार्यान्वयन में 1986 से पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 1997 की सिफारिशों पर लिये गये निर्णयों के अनुसरण में कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा—3—1721/दस—308—97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के अनुक्रम में राज्यपाल महोदय ने यह निर्णय लिया है कि 1986 से पूर्व के ऐसे सभी पेंशन भोगियों/कुटुम्ब पेंशन भोगियों, जो उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन नियम, 1961 उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स, 1961, असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी पेंशनरों को छोड़कर) नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 एवं उसके क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या सा—3—969/दस—923/85, दिनांक 8 अगस्त, 1986 एवं नीचे उल्लिखित श्रेणी की पेंशन के अधीन दिनांक 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन ले रहे थे, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन में 1 जनवरी, 1996 से आगे के प्रस्तरों में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जाएगाः

(1) सेवानिवृत्ति पेंशन

(2) अधिवर्षता पेंशन

(3) प्रतिपूर्ति पेंशन

(4) अशक्तता पेंशन

2—राज्य सरकार के वर्तमान नियमों में निहित उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत जारी सरकारी आदेशों के अनुसरण में फिलहाल 1986 से पूर्व के सभी पेंशन भोगियों की पेंशन, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से तत्काल पूर्व के अन्तिम 10 महीने के दौरान, उनके द्वारा आहरित औसत परिलब्धियों पर आधारित है और इसी प्रकार कुटुम्ब पेंशन दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के द्वारा आहरित अन्तिम वेतन पर आधारित है। सरकार ने वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 1997 की सिफारिशों को अन्य बातों के साथ साथ इस आशय तक स्वीकार कर लिया है कि 1986 से पूर्व के सभी सेवानिवृत्त की पेंशन, सेवारत कर्मचारियों के संबंध में अपनाएं जाने वाले फार्मूले से ही, 1 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार, उनके वेतन को सैद्धान्तिक आधार पर निर्धारित करके अद्यतन की जाए और तत्पश्चात 1 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार उनकी पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के समेकन के प्रयोजनार्थ, उनको 1 जनवरी, 1986 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्ति के समान समझा जाए। तदनुसार 1 जनवरी, 1986 से पूर्व के सभी सरकारी कर्मचारी जो 1 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार पेंशन ले रहे थे, तथा 1 जनवरी, 1986 से पूर्व दिवंगत राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में जो 1 जनवरी, 1986 को कुटुम्ब पेंशन ले रहे थे, इन सभी का वेतन, सेवानिवृत्ति के समय या मृत्यु होने की तारीख को उनके द्वारा धारित पद अथवा उत्तरोत्तर वेतन आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वयन में संशोधित वेतनमानों के लागू होने के परिणामस्वरूप या विवाचन बोर्ड के निर्णय अथवा न्यायालय के अधिनिर्णय अथवा पद इत्यादि के लिए वेतनमानों में सामान्य संशोधन होने के कारण संशोधित वेतनमान में सैद्धान्तिक आधार पर नियत होगा। प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में, सैद्धान्तिक आधार पर वेतन नियतन के अवसरों की संख्या भिन्न होगी और 50 तथा 60 के दशक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में अनेक अवसरों पर संशोधन अपेक्षित होगा। पहले अवसर पर सैद्धान्तिक आधार पर वेतन नियतन के ऐसे सभी मामलों में, दूसरे अवसर पर संशोधित वेतनमान में वेतन का पुनः नियतन करने हेतु परिलब्धियों के प्रयोजनार्थ वेतन समझा जाएगा तथा इस सैद्धान्तिक वेतन पर आधारित अन्य घटकों अर्थात महंगाई भत्ता/तदर्थ महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता/अंतरिम राहत इत्यादि को हिसाब में लिया जायेगा। इसी तरीके से परवर्ती अवसरों पर सैद्धान्तिक आधार पर वेतन नियतन किया जायगा। शासनादेश संख्या वे—आ0—1—1763—दस—39(एम)/89 दिनांक 3 जून , 1989 की प्रति संलग्न अनुलग्नक IV पर है। अन्तिम बार उ0प्र0 वेतन समता समिति, 1986 के द्वारा दिये गये वेतनमानों के आधार पर वेतन का नियतन 1 जनवरी, 1986 से प्रभावी होगा। इस प्रकार हर बार सैद्धान्तिक आधार पर वेतन नियतन करते समय, सरकार द्वारा अनुमोदित वेतन नियतन फार्मूला तथा इस संबंध में समय समय पर लागू अन्य संगत अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। तथापि संगंत समय पर लागू नियम तथा अनुदेशों के अनुसरण में अनुज्ञेय किसी सैद्धान्तिक वेतनवृद्धि के लाभ को, सैद्धान्तिक आधार पर वेतन पुनः नियतन के किसी मामले में न बढ़ाया जाए। इस प्रकार 1 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार प्राप्त सैद्धान्तिक वेतन को पेंशन की गणना के प्रयोजनार्थ, औसत परिलब्धियां माना जाएगा और तदनुसार 1 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार पेंशन की गणना निर्धारित पेंशन फार्मूले के अनुसार की जाएगी। इस प्रकार परिकलित पेंशन, कार्यालय—ज्ञाप संख्या सा—3—1721/दस—308/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के पैरा 4.1 में निहित उपबन्धों के अनुसार 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार समेकित की जाएगी और भविष्य में महंगाई राहत देने के प्रयोजनार्थ मूल पेंशन मानी जायेगी।

3—कुटुम्ब पेंशन के मामले में 1 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार सैद्धान्तिक वेतन, दिवंगत सरकारी कर्मचारियों/पेंशनर द्वारा आहरित अंतिम वेतन समझा जाएगा और कुटुम्ब पेंशन की गणना 1 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार उस पर लागू दरों के अनुसार की जाएगी। दिनांक 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार इस कुटुम्ब पेंशन का समेकन, कार्यालय—ज्ञाप संख्या सा—3—1721/दस—308/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 में निहित उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

4—मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि सभी मामलों में 1 जनवरी, 1996 से कुटुम्ब पेंशन की गणना, स्लैब प्रणाली की बजाए, मूल वेतन के 30% की एक समान दर पर की जाएगी और बशर्ते कि न्यूनतम 1275 रू0 तथा अधिकतम सरकारी शीर्षस्थ वेतन के 30% तक होगी। यह भी निर्णय लिया गया है

कि 1 जनवरी, 1986 से लागू कुटुम्ब पेंशन की वृद्धि दर प्रसुविधा को उसी तारीख से 1996 से पूर्व के कुटुम्ब पेंशनभोगियों तक बढ़ा दिया जाए। तदनुसार 1986 से पूर्व के उन पेंशनरों के मामले में, जिनकी कुटुम्ब पेंशन की गणना, स्लेब प्रणाली के अन्तर्गत कर ली गई है उनकी पेंशन की पुनः गणना 1 जनवरी, 1986 को यथा निर्धारित सैद्धान्तिक वेतन के 30% की दर पर की जाएगी। स्लैब प्रणाली तथा 30% की दर पर अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन के बीच के अन्तर के कारण देय अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन को, उपयुक्त पैरा–3 के उपबन्धों के अनुसरण में प्राप्त समेकित कुटुम्ब पेंशन में जोड़ दिया जायेगा। दोनों राशियों का योग अर्थात, समेकित पेशन जमा कुटुम्ब पेंशन 1 जनवरी, 1996 से मूल कुटुम्ब पेंशन होगी, जो न्यूनतम 1275 रू0 तथा अधिकतम 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार सरकारी शीर्षस्थ वेतन का 30% इस शर्त के अधीन होगी। उस पर 1 जनवरी, 1996 के बाद समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसरण में महंगाई राहत अनुज्ञेय होगी। कुटुम्ब पेंशन की उपर्युक्त निर्धारित तरीके से गणना करने के कुछेक उदाहरण इस का0ज्ञा0 के अनुलग्नक–1 पर दिए हुए हैं।

5–1986 से पूर्व के मौजूदा उन पेंशन भोगियों के मामले में जिनकी कुटुम्ब पेंशन 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार जैसा कि पेंशनर जीवित हैं/थे, प्रारम्भ नहीं की गई है, 1 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार सैद्धान्तिक वेतन के आधार पर उनकी पेंशन को अद्यतन करते समय, कुटुम्ब पेंशन को जहां आवश्यक हो, इन आदेशों तथा उनके पेंशन भुगतान आदेश के अनुसार, पेंशन मंजूरीदाता प्राधिकारी के द्वारा, संशोधित, समेकित तथा अद्यतन किया जाएगा। ऐसे मामले में जब कुटुम्ब पेंशन देय हो जाती है, तो कुटुम्ब पेंशन की दरें लागू होगी।

6–वेतन के सैद्धान्तिक नियतन पर पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के संशोधन के कारण 1 जनवरी, 1996 से पूर्व की अवधि का कोई बकाया अनुज्ञेय नहीं होगा।

7–इस संशोधन के कारण अनुमन्य पेंशन की अतिरिक्त राशि पर किसी भी प्रकार का संराशीकरण अनुज्ञेय नहीं होगा। यदि कोई संराशीकृत पेंशन का भाग अभी रहता है तो मासिक संवितरण करते समय समेकित पेंशन में से, उसकी कटौती जारी रखी जाएगी।

8– 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार वेतन का सैद्धान्तिक नियतन मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की पूर्व निर्धारित पात्रता को प्रभावित नहीं करेगा तथा सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय पर लागू नियमानुसार देय होगा।

9–कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1721/दस–308/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के स्पष्टीकरण के संदर्भ में निर्गत शासनादेश संख्या सा–3–984/दस–98–308/97, दिनांक 24 जुलाई, 1998 के प्रस्तर 9.2 में निर्गत व्यवस्था तथा कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के प्रस्तर 4.2 में निहित उपबंधों के अनुसार पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के समेकन के कारण अथवा 1986 से पूर्व के पेंशनरों/कुटुम्ब पेंशनरों के मामले में अन्तरिम साधन के रूप में व्यक्तिगत पेंशन देने के अनुक्रम में पूर्व देय बकाया राशि को सम्बन्धित कोषाधिकारियों के द्वारा इस आदेश के आधार पर, पेंशन कुटुम्ब पेंशन में संशोधित होने के कारण देय बकाया राशि पर समायोजित किया जाएगा।

10–कार्यालय, जिसमें सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति या अपनी मृत्यु से ठीक पहले कार्यरत था, उसके कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष (स्वीकर्ताधिकारी) की यह जिम्मेदारी होगी कि वे 1986 से पूर्व के पेंशनरों/कुटुम्ब पेंशनरों की पेंशन/कुटुम्ब पेंशन 1 जनवरी, 1986 से इन आदेशों के आधार पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से संशोधित कराके संशोधित पेंशन भुगतान प्राधिकार–पत्र जारी करायें जिससे सम्बन्धित कोषागार/बैंक उसका भुगतान कर सकें।

11–1986 से पूर्व के प्रत्येक पेंशनर/कुटुम्ब पेंशनर जो 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार पेंशन प्राप्त करते थे, उन्हें अपनी पेंशन संशोधन के लिए, अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष (स्वीकर्ताधिकारी) को, जैसी भी स्थिति हो, इस आदेशों के जारी होने की तारीख से 180 दिनों के अन्दर अनुबंध–II पर दिए हुए निर्धारित प्रपत्र (2 प्रतियां) में आवेदन करना अनिवार्य है। इस निर्धारित अवधि के

अन्दर आवेदन नहीं करने की स्थिति में यह समझ लिया जाएगा कि वे अपनी मौजूदा पेंशन/कुटुम्ब पेंशन को जारी रखना चाहते हैं। तथापि पेंशन संशोधन के लिए आवेदन देने में हुए किसी भी विलम्ब को, केवल शासन के वित्त विभाग के अनुमोदन से माफ किया जा सकता है। यह पेंशनर के हित में है कि वे अपने पास उपलब्ध सम्पूर्ण ब्योरों को दें, ताकि उसके द्वारा किए गए आवेदन के द्वारा सैद्धान्तिक आधार पर उसके वेतन नियतन का कार्य सुगमता से किया जा सके।

12—ऐसे मामलों में जहां पेंशनर/कुटुम्ब पेंशनर 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार जीवित था तथा बाद में उसकी मृत्यु हो गई, उसके कानूनी उत्तराधिकारी पेंशनर/कुटुम्ब पेंशनर की मृत्यु होने की तारीख तक 1 जनवरी, 1996 से जीवन पर्यन्त पेंशन प्राप्त करने के भी हकदार हैं। कानूनी उत्तराधिकारी इस प्रयोजनार्थ सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष (स्वीकर्ताधिकारी), को आवेदन करें।

13—पेंशन कार्यालय अथवा विभाग इत्यादि, जिसमें सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति अथवा अपनी मृत्यु के ठीक पहले कार्यरत था, पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को, उनसे आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अन्दर, आवेदन प्राप्त होने की पावती भेजेंगे। यह कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष (स्वीकर्ताधिकारी), जैसी भी स्थिति हो, की जिम्मेदारी होगी कि वे संबंधित प्राधिकारियों को जोर देकर कहें कि प्रत्येक मामले में, सैद्धान्तिक आधार पर वेतन नियतन तत्काल किया जाए, जिससे कि पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों से आवेदन मिलने की तारीख से 90 दिनों के भीतर संशोधित प्राधिकार—पत्र जारी करना सुनिश्चित हो सके। तथापि, किसी भी मामले में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष (स्वीकर्ताधिकारी) संशोधित प्राधिकार—पत्र जारी करने हेतु, पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी को अपना मूल पेंशन भुगतान आदेश वापस करने के लिए नहीं कहेगा अथवा दावे के समर्थन हेतु, किसी भी दस्तावेज के लिए परेशान नहीं करेगा। संशोधित प्राधिकार—पत्र मौजूदा पेंशन भुगतान आदेश संख्या के अन्तर्गत ही जारी किया जाएगा तथा पेंशन संवितरण प्राधिकारी के पास उस प्रकार पहुंचेगा जैसे मूल पेंशन भुगतान आदेश पहुंचा था। पेंशन संवितरण प्राधिकारी इस प्राधिकार—पत्र को पेंशन भुगतान आदेश के दोनों भागों पर चिपका देगा। विभाग/कार्यालय के अन्य विभाग में समापन/संविलयन होने के मामले में सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारी की पेंशन संशोधन करने का कार्य, संविलयित हुए मूल विभाग अथवा समाप्त विभाग/कार्यालय के रिकार्ड रख रहे कार्यालय के द्वारा किया जाएगा।

14—ऐसे भी मामले हैं, जहां कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष (स्वीकर्ताधिकारी) के लिए वेतनमानों में समय—समय पर संशोधन होने तथा कुछ वेतनमानों का विशेष समयावधि के बाद निष्क्रिय हो जाने के कारण, पूर्व संशोधित वेतनमानों के तदरूप संशोधित वेतनमानों को निर्धारित करना कठिन होगा। ऐसे मामलों में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष (स्वीकर्ताधिकारी), समाकलित वित्त विभाग से परामर्श करने के बाद पूर्व संशोधित वेतनमान के समान संशोधित वेतनमान के बारे में निर्णय लेगा। तथापि ऐसे मामले जिनमें इस बारे में निर्णय लेने में कड़िनाई हो, विभागाध्यक्ष वित्त वेतन आयोग एवं कार्मिक विभाग परामर्श करने के बाद अन्तिम निर्णय ले सकता है।

15—पूर्ववर्ती पैराग्राफ में समय—समय पर यथानिर्दिष्ट सैद्धान्तिक आधार पर वेतन संशोधन हेतु विगत अवधियों के पुराने रिकार्डों की आवश्यकता रहेगी। जैसा कि इस अवधि के दौरान राज्य सरकार के कार्यालयों/विभागों का कई बार पुनर्गठन होने की स्थिति में यह सम्भावना है कि बहुत से कर्मचारियों के सेवा रिकार्ड तत्काल उपलब्ध न हों। यह भी सम्भावना है कि रिकार्ड रखने की तय अवधि के समाप्त होने के कारण सेवा रिकार्ड नष्ट कर दिये गये हों। ऐसे मामलों में पेंशनरों/कुटुम्ब पेंशनरों से कहा जाए कि वे अपने पास उपलब्ध सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय पर सरकारी कर्मचारी के द्वारा धारित पद का वेतनमान (केवल पेंशनरों के मामले में), उनके द्वारा की गई अर्हक सेवा इत्यादि संगत रिकार्डों के आदेशों की प्रतियाँ प्रस्तुत करें। तथापि ऐसे मामलों में पेंशनरों/कुटुम्ब पेशनरों के द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकार्डों की यथातथ्यता के सत्यापन का दायित्व प्रशासनिक प्राधिकारियों पर होगा। 1972 से पूर्व सेवानिवृत्त कुछेक मामलों में यदि विभागाध्यक्ष संतुष्ट हो तथा इस आशय का प्रमाण—पत्र दे दें कि संबंधित पेंशनर/कुटुम्ब

पेंशनर से सम्पर्क सहित विभाग के द्वारा सभी प्रयास करने के बावजूद इस विशेष मामले में संगत रिकार्डों के उपलब्ध न होने के कारण सैद्धान्तिक आधार पर वेतन संशोधन सम्भव नहीं हो पाया हो तो 1972 से पूर्व के पेंशनर/दिवगंत सरकारी कर्मचारी का वेतन 1 अगस्त, 1972 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर तत्काल निर्धारित कर दिया जाए।

16–सामान्य परिस्थितियों के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी के द्वारा स्थापना में कार्यग्रहण की तारीख से पेंशन देय हो जाती है। इस प्रकार सेवावधि की गणना, सरकारी सेवा ग्रहण करने की तारीख से लेकर सेवानिवृत्त होने की तारीख तक के अन्य सभी उपलब्ध संगत रिकार्डों को हिसाब में लेकर भी की जा सकती है।

17–सभी सम्बन्धित प्राधिकारियों के द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सम्बद्ध प्रयास किये जाएं कि 1986 से पूर्व पेंशनरों/कुटुम्ब पेंशनरों को उनके वेतन/पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के पुनः नियतन के संबंध में कोई कठिनाई या परेशानी न हो। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष का यह दायित्व है कि वे पेंशन पुनरीक्षण के प्रकरण को महालेखाकार कार्यालय सहित प्रत्येक स्तर से प्राथमिकता पर निस्तारित कराएं। सम्बन्धित पेंशन/कुटुम्ब पेंशनर को दौड़ भाग न करनी पड़े।

18–1986 से पूर्व के पेंशनरों/कुटुम्ब पेंशनरों से प्राप्त आवेदनों पर पेंशन संवितरण प्राधिकारियों तथा अन्य प्राधिकारियों के द्वारा वेतन संशोधन तथा पेंशन/कुटुम्ब पेंशन की पुनः संगणना हेतु की जाने वाली कार्यवाही संबंधी विस्तृत प्रक्रिया/मार्गदर्शी सिद्धान्त इस का0ज्ञा0 के अनुलग्नक–III पर दिए हुए है।

19–राज्य सरकार के उन कर्मचारियों, जिन्हें स्थाई तौर से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में संविलय किया जा चुका है, के मामलों को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा।

(क) पेंशन–

जहां सरकारी कर्मचारी के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में स्थायी तौर से संविलयित होने पर सरकार से अलग से पेंशन लेते आ रहे हों, वहां ऐसे संविलयित कर्मचारियों का पेंशन इन आदेशों के अनुसार अद्यतन की जाएगी। ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में जो अपनी पेंशन के 100% के बराबर एक बार में सेवान्त प्रसुविधाएं प्राप्त कर चुकें हों और उच्चतम न्यायालय के दिनांक 15 दिसम्बर, 1995 के अधिनिर्णय के अनुसार पेंशन के संराशीकृत एक तिहाई भाग की बहाली के हकदार हों, इन आदेशों के अन्तर्गत नहीं आएंगे।

(ख) कुटुम्ब पेंशन–

जिन मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में स्थायी तौर से संविलयित होने पर संविलयन की शर्तें, आमेलन नियमावली, 1984 के अधीन कुटुम्ब पेंशन दी जा रही हो उनमें भी कुटुम्ब पेंशनभोगियों को दी जा रही पेंशन आदेशों के अनुसार अद्यतन की जाएगी।

मु0 हलीम खाँ
सचिव, वित्त।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0,

(2) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश,

(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,

(4) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

<u>अनुलग्नक–1</u>

उदाहरण

कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1062/दस–308–97, दिनांक 24 अगस्त, 1998 के प्रस्तर 4 के सन्दर्भ में।

		सं0 1	सं0 2	सं0 3
1–	सेवानिवृत्ति की तारीख	30–1–1985	30–6–1976	31–12–1980
2–	सेवानिवृत्ति के समय पर वेतनमान	1200–1600	1500–2000	500–900
3–	आहरित अंतिम वेतन	1200	2000	500
4–	1–1–1986 को सैंद्धान्तिक आधार पर वेतन नियतन	3100 (3000–4500 रू0 के वेतनमान में)	4575 (3700–5000 रू0 के वेतनमान में)	1640 (1640–2900 रू0 के वेतनमान में)
5–	उपर्युक्त (4) में सैंद्धान्तिक वेतन की तारीख को लागू दरों पर 1–1–1986 को अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन	600	687	450
6–	कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1772/दस–308/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के अनुसरण में उपर्युक्त (V) में 1–1–1996 को अनुज्ञेय समेकित कुटुम्ब पेंशन	1838	2098	1396
7–	उपर्युक्त (4) में सैंद्धान्तिक आधार पर 30% की दर से वेतन नियतन पर 1–1–1996 को अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन	930	1373	492
8–	1–1–1996 को (स्तम्भ–7, स्तभ–5) अनुज्ञेय अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन	930–600 330	1373–687 686	492–450 42
9–	1–1–1996 को (स्तम्भ–6, स्तभ–8) अनुज्ञेय कुल कुटुम्ब पेंशन	1838+330 2168	2098+686 2784	1396+42 1438

अनुलग्नक–II

कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1062 / दस–308 / 97 दिनांक 24 अगस्त, 1998 के प्रस्तर में II में यथा संदर्भित आवेदन प्रपत्र का प्रारूप।

आवेदन प्रपत्र

सेवा में,

....

....

....

....

कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष (स्वीकर्ताधिकारी)

विषयः– कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1062 / दस–308-97, दिनांक 24 अगस्त, 1998 अनुसरण में 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार 1986 से पूर्व के पेंशनभोगियों / कुटुम्ब पेंशनभोगियों के मामले में पेंशन / कुटुम्ब पेंशन का संशोधन।

महोदय,

कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1062 / दस–308-97 दिनांक 24 अगस्त, 1998 के अनुसरण में मेरे पेंशन भुगतान आदेश (फोटो प्रति संलग्न) में दर्शायी पात्रतानुसार मेरी पेंशन / कुटुम्ब पेंशन को संशोधित करने की कृपा करें। अपेक्षित ब्योरे नीचे दिए अनुसार हैंः–

1–आवेदक का नाम तथा पूरा पता (स्पष्ट अक्षरों में)

2–अनुमन्य पेंशन का नाम

*3–कुटुम्ब पेंशन के मामले में दिवंगत कर्मचारी / पेंशन भोगी का नाम

4–सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति / मृत्यु की तारीख

5–तारीख जिससे पेंशन / कुटुम्ब पेंशन आहरित की जा रही हो

6–पेंशन भगुतान आदेश संख्या

7–पेंशनभोगी / दिवंगत सरकारी कर्मचारी के अन्तिम कार्यालय / विभाग का नाम तथा उसके द्वारा धारित पदनाम

8–अन्तिम धारित पद का वेतनमान तथा अन्तिम आहरित वेतन

9–पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी का नाम अर्थात पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाला प्राधिकरण

10–यदि कोई दस्तावेज / साक्ष्य पेंशनर / दिवंगत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के द्वारा धारित अन्तिम पद के संशोधित वेतनमान के अनुसार अर्हक सेवा की गणना की सुविधा हेतु संलग्न किया जा रहा है तो उसका ब्यौरा

दिनांक...   (पेंशनभोगी / कुटुम्ब पेंशनभोगी के)

....   हस्ताक्षर

....   2,3,5 तथा 6 ब्योरे सत्यापित

....   हस्ताक्षर

....   पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी की रबर मुहर सहित

——————————————————

*केवल कुटुम्ब पेंशनभोगियों के मामले मे लागू।

अनुलग्नक III

दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व के पेंशन भोगी/कुटुम्ब पेंशन भोगी की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु दिशा निर्देश :–

1–पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी के लिए

(क) कार्यालय अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष (पेंशन स्वीकर्ताधिकारी) ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों जो दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं तथा दिनांक 1 जनवरी, 1996 को पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, से निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना–पत्र (दो प्रतियों में) प्राप्त करेंगे। पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी प्रार्थना–पत्र की प्राप्ति की रसीद प्रार्थी को अवश्य देंगे।

(ख) प्रार्थना–पत्र में उल्लिखित विवरण जैसे प्रार्थी का नाम, पेंशन की श्रेणी, पेंशन भुगतानादेश संख्या एवं पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति तिथि को पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी प्रमाणित करेंगे।

(ग) उपरोक्त प्रमाणित प्रार्थना–पत्र की एक प्रति महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को तत्काल अथवा विलम्बतम् प्रार्थना–पत्र की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर भेज दी जाएगी।

(घ) यह संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष (पेंशन स्वीकर्ताधिकारी) की जिम्मेदारी होगी कि वह महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्रार्थना–पत्र की प्राप्ति के 90 दिन के भीतर पुनरीक्षित पी0पी0ओ0 निर्गत करा लें।

(ङ) पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष) किसी भी दशा में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर से पुनरीक्षित पी0पी0ओ0 निर्गत करने हेतु उसका मूल पी0पी0ओ0 नहीं मागेंगे। पुनरीक्षित भुगतानादेश उसके वर्तमान भुगतानादेश संख्या के अधीन ही निर्गत होगा तथा पेंशन भुगतानाधिकारी को उसी प्रकार प्रेषित होगा जैसे कि प्रथम बार प्रेषित किया गया था। पेंशन भुगतान करने वाला प्राधिकारी उक्त पुनरीक्षित पी0पी0ओ0 को पी0पी0ओ0 के दोनों भागों के साथ चस्पा कर लेंगे।

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद हेतु

दिनांक 1 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु प्रत्येक प्रकरण में निम्नलिखित विवरण प्राप्त किए जाएंगे :–

(1) पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति का दिनांक।

(2) पद, सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तारीख को कर्मचारी के पद का वेतनमान एवं वेतन।

(3) पेंशनर/दिवंगत कर्मचारी को स्वीकृत पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति की दिनांक से 1 जनवरी, 1986 के मध्य कितनी बार पुनरीक्षित की गई। ऐसे पुनरीक्षण विभिन्न वेतन आयोगों/वेतन समितियों/न्यायालय के निर्णय अथवा विवाचन बोर्ड के अभिनिर्णय के आधार पर किया गया होगा।

(4) प्रत्येक अवसर पर पूर्व निर्धारित वेतनमान का कारेस्पान्डिंग वेतनमान।

(5) पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण का तत्कालीन लागू सिद्धान्त।

उसके उपरान्त प्रत्येक प्रकरण में 1986 के पूर्व के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का वेतन निर्धारण सैद्धान्तिक आधार पर किया जाएगा इसका आशय यह है कि प्रथम बार पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण अन्तिम आहरित वेतन पर इस प्रकार किया जाएगा जैसे कि संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी वही वेतन प्राप्त कर रहा था। दूसरी बार पुनरीक्षित वेतनमान में सैद्धान्तिक वेतन निर्धारण यह मानकर किया जाएगा जैसे कि अन्तिम बार निर्धारित वेतन संबंधित कर्मचारी ने पूरी सेवा अवधि में आहरित किया है।

इसी प्रक्रिया के अनुसार उसका वेतन निर्धारण तब तक किया जाएगा जब तक कि दिनांक 1 जनवरी, 1986 को सैद्धान्तिक वेतन निर्धारण उत्तर प्रदेश वेतन समता समिति की संस्तुतियों को स्वीकार

किए जाने पर निर्गत शासनादेश संख्या वे0आ0–1–1763/दस–39(एम)–89, दिनांक 3 जून, 1989 (संलग्नक–4) के अधीन नहीं कर लिया जाता है। सैद्धान्तिक वेतन निर्धारण के प्रकरणों में संबंधित कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त कोई भी वेतन–वृद्धि नहीं दी जाएगी। उपरोक्त प्रकार से दिनांक 1 जनवरी, 1986 को निर्धारित वेतन को पेंशन गणना हेतु औसत वेतन माना जाएगा। दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पेंशन निर्धारण उपरोक्त उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसरण में किया जाएगा परन्तु पेंशन गणना का सिद्धान्त पूर्ववत् रहेगा। जैसे 33 वर्ष की सेवा के 50% के औसत अथवा उससे कम सेवा अवधि पर उसके अनुपात में पेंशन निर्धारण किया जाएगा। परन्तु 10 वर्ष से कम अर्हकारी सेवा पर पेंशन अनुमन्य नहीं होगी। इस प्रकार से आगणित पेंशन की धनराशि रुपया 375 प्रतिमाह से कम एवं रुपया 4500 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी। उसी प्रकार से पारिवारिक पेंशन की भी गणना की जाएगी अर्थात् दिनांक 1 जनवरी, 1986 को निर्धारित वेतन पर दिनांक 1 जनवरी, 1986 को लागू नियमों के अधीन पारिवारिक पेंशन का निर्धारण होगा। उपरोक्त प्रकार से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के निर्धारण के उपरान्त दिनांक 1 जनवरी, 1986 से लागू व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जाएगा। दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के समेकन में निम्नलिखित मदें जोड़ी जाएंगी :–

(I) दिनांक 1 जनवरी, 1986 को सैद्धान्तिक आधार पर आगणित वेतन के आधार पर 1 जनवरी, 1996 को निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन।

(II) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1510 अर्थात् मूल पेंशन के 148%, 111% एवं 96% पर निर्धारित महंगाई राहत।

(III) अन्तरिम सहायता की प्रथम एवं द्वितीय किश्त।

(IV) मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 40%, जोड़कर।

उपरोक्त प्रकार से समेकित पेंशन दिनांक 1 जनवरी, 1996 से मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन मानी जाएगी। इस निर्धारण में न्यूनतम/अधिकतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सीमा राज्य सरकार के नियमों के अधीन प्रभावी रहेगी। चूंकि उपरोक्त समेकित पेंशन की धनराशि में औसत मूल्य सूचकांक का 1510 अंक का महंगाई राहत सम्मिलित है, अतएव यदि उक्त अंक के उपरान्त बढ़ोत्तरी के आधार पर महंगाई राहत स्वीकृत की जाती है तो वह इन्हें अनुमन्य होगी। पेंशन के एक भाग का राशिकरण, यदि कराया गया है तो उसकी कटौती पूर्ववत् होती रहेगी।

पारिवारिक पेंशन के जिन प्रकरणों में दिनांक 1 जनवरी, 1986 से सैद्धान्तिक वेतन निर्धारण के आधार पर पारिवारिक पेंशन की गणना 30% से कम की दर पर आगणित की गई है उसे दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पुनः 30% की दर पर आगणित किया जाएगा। दिनांक 1 जनवरी, 1986 से स्लैब पद्धति पर निर्धारित पारिवारिक पेंशन तथा दिनांक 1 जनवरी, 1996 को 30% की दर पर निर्धारित पेंशन के अन्तर की धनराशि को उपरोक्त व्यवस्था के अधीन समेकन हेतु जोड़ लिया जाएगा। समेकित पेंशन तथा अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के योग को दिनांक 1 जनवरी, 1996 से मूल पारिवारिक पेंशन माना जाएगा। इसकी न्यूनतम धनराशि रूपया 1275 एवं अधिकतम धनराशि राज्य सरकार में प्रभावी अधिकतम वेतनमान के 30% से अधिक नहीं होगी तथा उस धनराशि पर महंगाई राहत अनुमन्य होगी।

पेंशनरों के लिए

यह पेंशन भोगी/पारिवारिक पेंशन भोगी के हित में है कि पेंशन पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र में सभी अपेक्षित सूचना देने का कष्ट करें। वे अपने पेंशन स्वीकर्ताधिकारी को यथा–सम्भव सहयोग प्रदान करके अपनी पेंशन/वेतन/पेंशन/पारिवारिक पेंशन को पुनरीक्षण कराने का कष्ट करें।

<u>अनुलग्नक IV</u>

<u>संख्या वे0आ0–1-1763/दस–39(एम)-89</u>

प्रेषक,

डा0 विजय कृष्ण सक्सेना,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 3 जून, 1989

विषय :– पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण।

महोदय,

मुझे समता समिति, उत्तर प्रदेश (1989) के प्रतिवेदन पर शासकीय संकल्प संख्या वे0आ0-1–1739/दस–89–11(एम)–89, दिनांक 19 मई, 1989 के प्रस्तर 6, जो पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण से सम्बन्धित है, के संदर्भ में कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 1 जनवरी, 1989 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में प्रत्येक कर्मचारी, जो दिनांक 1 जनवरी, 1989 को या 1 जनवरी, 1986 तथा 31 मार्च, 1989 के मध्य राज्य सरकार की पूर्णकालिक सेवा में था, का प्रारम्भिक वेतन उसके मूल/मौलिक पद और स्थानापन्न पद पर अलग–अलग उसकी ''वर्तमान परिलब्धियों'' (जिसकी परिभाषा नीचे दी गयी है) के आधार पर निम्नलिखित आदेशों के अनुसार उसके विकल्प के आधार पर निश्चित किया जायेगा :–

''वर्तमान परिलब्धियों'' की परिभाषा

2–(क) किसी कर्मचारी की ''वर्तमान परिलब्धियाँ'', दिनांक 1 जनवरी, 1986 को, निम्नलिखित को जोड़कर निर्धारित की जायेंगी :–

(1) पद के वर्तमान विशेष वेतनमान, सेलेक्शन ग्रेड/समयमान वेतनमान, ज्येष्ठ वेतनमान अथवा साधारण वेतनमान, जैसी भी स्थिति हो, में दिनांक 1 जनवरी, 1986 को आहरित मूल वेतन या वेतन की निश्चित दर जैसी भी स्थिति हो।

(2) दिनांक 1.1.1986 को प्राप्त उपर्युक्त उप प्रस्तर (1) के अधीन मूल वेतन पर दिनांक 1 जनवरी, 1986 की दर पर अनुमन्य महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता तथा दिनांक 1 अप्रैल, 1986 से अनुमन्य तदर्थ महंगाई भत्ता।

(3) दिनांक 1 जनवरी, 1986 को वर्तमान वेतनमान में आहरित वेतन के ऊपर एक वेतन वृद्धि की धनराशि।

(4) उपर्युक्त उप प्रस्तर (1) के अनुसार मूल वेतन तथा उप प्रस्तर (3) के अनुसार एक काल्पनिक वेतन वृद्धि की धनराशि के योग का 33.3 प्रतिशत की अतिरिक्त धनराशि, जिसका न्यूनतम रु0 175 तथा अधिकतम रु0 700 होगा।

(ख) ऐसे कर्मचारी जो पुनरीक्षित वेतनमान चुनने का विकल्प दिनांक 1 जनवरी, 1986 के बाद अपनी वेतन–वृद्धि के दिनांक से लेते है, उनकी वर्तमान परिलब्धियां निम्नलिखित को जोड़कर निर्धारित की जायेंगी :–

(1) पद के वर्तमान विशेष वेतनमान, सेलेक्शन ग्रेड/समयमान वेतनमान, ज्येष्ठ वेतनमान अथवा साधारण वेतनमान, जैसी भी स्थिति हो, में विकल्प की तिथि को आहरित मूल वेतन या वेतन की निश्चित दर, जैसी भी स्थिति हो।

(2) विकल्प की तिथि को प्राप्त उपर्युक्त उप प्रस्तर (1) के अधीन मूल वेतन पर दिनांक 1 जनवरी, 1986 की दर पर अनुमन्य महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता तथा दिनांक 1 अप्रैल, 1986 से अनुमन्य तदर्थ महंगाई भत्ता।

(3) उपर्युक्त उप प्रस्तर (1) के अनुसार मूल वेतन का 33.3 प्रतिशत की अतिरिक्त धनराशि, जिसका न्यूनतम रू0 175 तथा अधिकतम रू0 700 होगा।

(ग) ऐसे मामलों में जहां पूर्व से मिल रहे विशेष वेतन को समाप्त कर उसके स्थान पर उच्च वेतनमान स्वीकृत किया गया हो, उपरोक्त प्रस्तर 2(क) और 2(ख) के अन्तर्गत वर्तमान परिलब्धियों की गणना में, मिल रहे विशेष वेतन की धनराशि को उपर्युक्त उप प्रस्तर 2(क)(1) तथा 2(ख)(1) के अनुसार मूल वेतन के साथ सम्मिलित करते हुए, उस पर दिनांक 1 जनवरी, 1986 की दर पर देय महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता को जोड़कर किया जायेगा।

(घ) ''वर्तमान परिलब्धियों'' की परिगणना में निम्नलिखित मदें सम्मिलित नहीं की जायेंगी :-

(1) वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2, भाग 2-4 के मूल नियम 9(25) के अधीन स्वीकृत विशेष वेतन जो उपर्युक्त प्रस्तर 2(ग) से आवृत्त विशेष वेतन से भिन्न हो।

(2) स्नातकोत्तर वेतन।

(3) प्रैक्टिस बन्दी भत्ता/वेतन।

(4) ऐसा वेतन जो उक्त प्रस्तर-2(क), (ख) तथा (ग) के अधीन नहीं आता।

(5) वैयक्तिक वेतन, जो वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भविष्य की वेतन वृद्धियों में संविलीन नहीं किया जा सकता हो, अर्थात् जिन मामलों में वर्तमान आदेश के अनुसार उसे कम न किया जा सकता हो।

(6) अन्य कोई वैयक्तिक वेतन अथवा भत्ता।

(7) अन्तरिम सहायता।

3-(1) उक्त प्रक्रिया के अनुसार ''वर्तमान परिलब्धियां'' अवधारित करने के पश्चात् पुनरीक्षित वेतनमान में प्रत्येक कर्मचारी का प्रारम्भिक वेतन उसके विकल्प के अनुसार उसके मूल/मौलिक पद तथा स्थानापन्न पद पर, यदि कोई हो, उसकी ''वर्तमान परिलब्धियों'' के अगले उच्च स्तर पर निर्धारित किया जायेगा और यदि इस प्रकार आगणित धनराशि पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम से अधिक हो तो उन मामलों में इस प्रकार आगणित धनराशि और पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम का अन्तर वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जायेगा, जो उस समय संविलीन किया जायगा जब संबंधित कर्मचारी वृद्धिरोध वेतन-वृद्धि अर्जित करे अथवा प्रोन्नति के वेतनमान में नियुक्ति के फलस्वरूप वेतन-वृद्धि अर्जित करें।

(2) यदि किसी कर्मचारी ने दिनांक 1 जनवरी, 1986 और 31 मार्च, 1989 (दोनों दिन सम्मिलित) के मध्य एक से अधिक पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य किया हो, तो उसका पुनरीक्षित वेतनमानों में प्रारम्भिक वेतन उसके मूल/मौलिक पद के पुनरीक्षित वेतनमान के अतिरिक्त, किसी ऐसे स्थानापन्न पद के पुनरीक्षित वेतनमान में भी निश्चित किया जायेगा जिस पर वह दिनांक 1 जनवरी, 1986 अथवा दिनांक 1 जनवरी, 1986 से 31 मार्च, 1989 के मध्य स्थानापन्न रूप से कार्यरत था और जिसके लिए उसने पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प चुना हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वह उस विशिष्ट तिथि को जिससे उसने स्थानापन्न पद के लिए विकल्प चुना हो, वास्तव में उसी स्थानापन्न पद पर कार्यरत रहा हो।

(3) स्थानापन्न पद के पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प चुनने की तिथि के पश्चात् ऐसे कर्मचारी की अन्य पदों पर नियुक्ति पुनरीक्षित वेतनमानों में मानी जायेगी और उन पदों पर उसका वेतन सामान्य नियमों के अन्तर्गत निर्धारित होगा।

(4) ऐसे मामलों में जहां किसी मध्यवर्ती स्थानापन्न पद का विकल्प नहीं चुना गया है, मध्यवर्ती स्थानापन्न पद पर प्रारम्भिक वेतन निश्चित करना आवश्यक न होगा और ऐसे मध्यवर्ती स्थानापन्न पद/पदों पर वेतन निर्धारण का कोई लाभ किसी कर्मचारी को नहीं दिया जायेगा। जब किसी ऐसे

कर्मचारी का मध्यवर्ती स्थानापन्न पद पर प्रत्यावर्तन हो, तो उस पद पर उसका वेतन उसी प्रक्रम में निश्चित किया जायेगा जो वह उससे और उच्च पद के धारण न करने की दशा में पाता। ऐसी दशा में यह माना जायेगा कि संबंधित कर्मचारी द्वारा उच्च स्थानापन्न पद के सम्बन्ध में चुने गये विकल्प की तिथि से ही वह मध्यवर्ती स्थानापन्न पद के पुनरीक्षित वेतनमान में आ गया।

(5) यदि किसी कर्मचारी द्वारा धारित मौलिक पद और स्थानापन्न पद दोनों के वेतनमान पुनरीक्षित होकर एक ही हो गये हैं और उक्त उप प्रस्तर 3(1) के अनुसार स्थानापन्न पद पर निर्धारित प्रारम्भिक वेतन अपेक्षाकृत अधिक हो, तो मौलिक पद पर उसका प्रारम्भिक मौलिक वेतन, स्थानापन्न पद के वेतनमान में अनुमन्य ''वर्तमान परिलब्धियों'' के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

(6) किसी कर्मचारी का यदि पुनरीक्षित वेतनमानों में उप प्रस्तर–3(1) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रारम्भिक मौलिक और स्थानापन्न वेतन, दोनों एक ही प्रक्रम पर निर्धारित होता हो अथवा उसका स्थानापन्न वेतन उसके मौलिक वेतन से कम हो तो पुनरीक्षित वेतनमान में उसका प्रारम्भिक स्थानापन्न वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित उसके प्रारम्भिक मौलिक वेतन के अगले प्रक्रम पर पुनः निर्धारित किया जायेगा।

(7) ऐसे संवर्ग/पद जिनमें दिनांक 1 जनवरी, 1986 तथा 31 मार्च, 1989 के बीच दो प्रकार के वेतनमान प्रचलित थे, उनमें संबंधित पदधारक का वेतन, यदि वह दिनांक 1 जनवरी, 1986 का वेतनमान चुनता है, तो उससे निर्धारित करने के बाद संशोधित वेतनमान में, यदि वह स्तर उपलब्ध है, तो उसी स्तर पर किया जायेगा, अन्यथा संस्तुत पुनरीक्षित वेतनमान में अगला स्तर प्रदान किया जायेगा। उदाहरण के लिए ऐसा पद जिसका वेतनमान दिनांक 1 जनवरी, 1986 को रु0 1660–2300 था और बाद में पुनरीक्षित होकर रु0 1840–2400 हुआ है, में यदि संबंधित पदधारक दिनांक 1 जनवरी, 1986 को रु0 1660–2300 के पुनरीक्षित वेतनमान रु0 3200–4875 चुनने का विकल्प देता है और उसका वेतन उस वेतनमान में रु0 4250 के स्तर पर निर्धारित होता है, तो उस दिनांक से जिस दिनांक से इस पद का वेतनमान शासन ने संशोधित कर रु0 1840–2400 किया था और उसके आधार पर ''समता समिति'' द्वारा संस्तुत वेतनमान रु0 3700–5000 दिया जाता है, उसमें इसका वेतन चूंकि रु0 4250 का स्तर उपलब्ध नहीं है, इसलिए रु0 4325 पर निर्धारित किया जायेगा और अगली वेतन–वृद्धि उस दिनांक से एक वर्ष बाद देय होगी।

(8) ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व सेलेक्शन ग्रेड अथवा समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय सेलेक्शन ग्रेड/उच्च वेतमान प्राप्त कर रहे थे, उसका वेतन, समता समिति द्वारा संस्तुत सम्बन्धित पद के वेतनमान में ही दिनांक 1 जनवरी, 1986 से अथवा उसके विकल्प की तिथि से निर्धारित किया जायेगा। मेडिकल कालेजों के लेक्चरार तथा रीडर जिन्हें एक निश्चित सेवा अवधि के आधार पर प्रोन्नति का वेतनमान दिया गया हो, का वेतन निर्धारण भी उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार समता समिति द्वारा संस्तुत क्रमशः लेक्चरार तथा रीडर के वेतनमान में ही किया जायेगा। ऐसे पदधारक जो 16 वर्ष या 19 वर्ष की सेवा के आधार पर समयमान वेतनमान के बाद प्रोन्नति का वेतनमान/उच्च वेतनमान में नियुक्त किये जा चुके थे, उनका वेतन निर्धारण उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार सीधे प्रोन्नति के वेतनमान में किया जायेगा। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 10 वर्ष की संतोषजनक अनवरत सेवा दिनांक 1 जनवरी, 1986 को पूरी कर ली थी और जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु0 3500 तक है, उनका वेतन निर्धारित समता समिति द्वारा संस्तुत वेतनमान में ही उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 1 जनवरी, 1986 को निर्धारित करने के पश्चात पुनरीक्षित वेतनमान में ही अगले प्रक्रम में नियत कर दिया जाय।

(9) ऐसे कर्मचारी जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु0 3500 तक है, जो 10 वर्ष की संतोषजनक अनवरत सेवा दिनांक 1 जनवरी, 1986 के बाद आगामी तिथि को पूर्ण करते हैं, सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य कराने हेतु उनका वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में ही उस तिथि को अगले प्रक्रम पर निर्धारित कर दिया जाय। इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी को, जिसे यह लाभ अनुमन्य कराया, जाय, 10 वर्ष की सेवा के पश्चात् एक वेतन–वृद्धि का लाभ उसी वेतनमान में मिलेगा। रु0 3500 तक के सम्बन्धित पदधारक जब अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच जायं तो उनके वेतनमानों को उनमें अन्तिम वेतन–वृद्धि के बराबर 3 वेतन–वृद्धियों की धनराशि जोड़कर बढ़ा दिया जाय।

(10) ऐसे कर्मचारी जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु0 3500 तक है और जो सम्बन्धित पद पर नियमित हो चुके हैं, उनकी जब 6 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की तिथि से पूर्ण हो जाती है, प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया जाय। सेलेक्शन ग्रेड की सेवा की गणना दिनांक 1 जुलाई, 1982 अथवा वास्तविक रूप से अनुमन्य सेलेक्शन ग्रेड की तिथि, जो भी बाद में हो, से की जायेगी। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिये प्रोन्नति का कोई पद नहीं है, उनको उस वेतनमान से अगला वेतनमान देय होगा। उदाहरण स्वरूप ऐसा पदधारक जो पुनरीक्षित वेतनमान रु0 1200–2040 में है, उसे रु0 1350–2200 का पुनरीक्षित वेतनमान वैयक्तिक वेतनमान के रूप में देय होगा।

(11) ऐसे कर्मचारी, जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु0 3500 से अधिक है, वृद्धिरोध वेतन–वृद्धि की व्यवस्था लागू की जाय अर्थात् वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने पर प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक वेतन–वृद्धि दी जाय। ऐसी वेतन–वृद्धियों की अधिकतम संख्या 3 होगी। इस प्रकार अनुमन्य धनराशि वैयक्तिक वेतन मानी जायेगी।

टिप्पणी :–पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के कुछ उदाहरण संलग्नक ''क'' में दिये गये हैं।

पुनरीक्षित वेतनमान चुनने अथवा पुराने वेतनमान बनाये रखने का विकल्प

4–(1) ऐसे समस्त पूर्णकालिक कर्मचारियों को, जो दिनांक 1 जनवरी, 1986 को या दिनांक 1 जनवरी, 1986 तथा 31 मार्च, 1989 (दोनों दिन सम्मिलित) के मध्य राज्य सरकार की सेवा में थे, [सेवा का तात्पर्य उक्त अवधि में की गयी वाह्य सेवा अथवा अन्य शासन के अधीन प्रतिनियुक्ति पर की गयी सेवा मूल नियम 9(6) (बी) के अधीन ड्यूटी घोषित ट्रेनिंग की अवधि से होगा] उनके द्वारा धारित पदों के लिए अपना वर्तमान वेतनमान ही बनाये रखने या पुनरीक्षित वेतनमान चुनने का विकल्प प्रशासनिक आदेश जारी होने के 90 दिन की अवधि के अन्दर देना होगा। जो कर्मचारी उपर्युक्त निर्धारित अवधि में अपना कोई विकल्प नहीं देगा उसके बारे में यह माना जायेगा कि उसने दिनांक 1 जनवरी, 1986 या नियुक्ति की तिथि जो भी बाद में हो, से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकार कर लिया है। एक बार विकल्प चुन लेने पर वह अन्तिम होगा। प्रत्येक कर्मचारी, जो दिनांक 1 जनवरी, 1986 को या दिनांक 1 जनवरी, 1986 से 31 मार्च, 1989 के मध्य किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो अपने मूल/मौलिक पद तथा जिस पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो दोनों के संबंध में या तो वर्तमान वेतनमान ही बनाये रख सकता है या दोनों पदों के संबंध में पुनरीक्षित वेतनमान चुन सकता है। दूसरे शब्दों में, वह एक पद के लिए वर्तमान वेतनमान तथा दूसरे पद के लिये पुनरीक्षित वेतनमान नहीं चुन सकता, जब तक कि उनमें से एक पद का वेतनमान पुनरीक्षित ही न किया गया हो। यदि कोई कर्मचारी, जो मूल/मौलिक पद के लिए पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प चुनने के दिनांक के बाद किसी दिनांक से स्थानापन्न पद के लिए पुनरीक्षित वेतनमान चुने, तो स्थानापन्न पद पर विकल्प चुनने की तिथि तक वह वर्तमान वेतनमान मे ही वेतन पाता रहेगा। यदि कोई कर्मचारी अपने मूल मौलिक और स्थानापन्न पद में से किसी एक के लिए सही विकल्प प्रस्तुत करता है और दूसरे के लिए अमान्य (Invalid) विकल्प अथवा दोनों के लिए अमान्य (Invalid) विकल्प प्रस्तुत करता है तो यह मान लिया जायेगा कि जिस पद/पदों के लिए उसने अमान्य (Invalid) विकल्प दिया है, उस पर वह पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1 जनवरी 1986 अथवा उसके बाद नियुक्ति की तिथि से जैसी भी स्थिति हो आ गया है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने विकल्प की सूचना सीधे महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जो भी प्राधिकारी संबंधित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें रखता हो, को संलग्नक ''ख'' के प्रपत्र में देकर रसीद प्राप्त कर लेंगे। यदि यह विकल्प सक्षम प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से न दिया जा सकता हो, तो उसे रजिस्ट्री डाक से (प्राप्ति की स्वीकृति पत्र के साथ) भेजा जाना चाहिए।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार चुना गया विकल्प महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद अथवा नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो, के कार्यालय में प्रशासनिक आदेश जारी होने के 90 दिन की अवधि के अन्दर पहुच जाना चाहिए। इस प्रकार चुने गये विकल्प के बारे में प्रविष्टि जिसे समुचित रूप से प्रमाणित किया जाय, उन सभी कर्मचारियों

की सेवा पुस्तिका में भी की जानी चाहिए, जिनके वेतन तथा भत्ते विभागाध्यक्षों/प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों जैसी भी स्थिति हो, द्वारा आहरित किये जाते हैं।

(2) यदि कर्मचारी पुनरीक्षित वेतनमान चुने तो वह उसे या तो पुनरीक्षित वेतनमान प्रारम्भ होने के दिनांक अर्थात 1 जनवरी, 1986 से या उसके बाद दिनांक 31 मार्च, 1989 तक पड़ने वाली किसी भी वेतन वृद्धि के दिनांक से अथवा नियुक्ति के दिनांक से ऐसा कर सकता है। वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड 2 भाग 2–4 के मूल नियम 23 में तदनुसार आवश्यक संशोधन कर दिया जायेगा।

(3) कोई सरकारी कर्मचारी उच्च पद पर जिस पर वह स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो और निम्न मूल/मौलिक पद, दोनों ही के सम्बन्ध में चाहें (I) एक ही दिनांक अर्थात, 1 जनवरी 1986 या (II) दोनों पदों (उच्च अथवा निम्न) में से किसी भी एक पद के संबंध में दिनांक 31 मार्च 1989 तक पड़ने वाली किसी भी वेतन वृद्धि के दिनांक से अथवा (III) दोनों पदों (उच्च तथा निम्न) के संबंध में दिनांक 1 जनवरी 1986 के बाद और दिनांक 31 मार्च 1989 तक पड़ने वाली वेतन वृद्धि के भिन्न भिन्न दिनांकों से पुनरीक्षित वेतनमान को चुन सकता है। पश्चातवर्ती दशाओं में उपर्युक्त प्रस्तर 3 के उप प्रस्तर (5) या (6) के अधीन वेतन को पुनः निश्चित करने के संबंध में होने वाला लाभ उसे उस दिनांक से अनुमन्य होगा, जिससे वह उच्चतर पद के लिये वेतनमान को चुने अथवा उस दिनांक से अनुमन्य होगा, जिससे वह निम्न पद का वेतन चुने जो भी बाद में पड़े।

(4) ऐसे मामलों में, जहां किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पुनरीक्षित वेतनमान लागू होने की तिथि अर्थात दिनांक 1 जनवरी, 1986 और विकल्प प्रस्तुत करने की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही बिना विकल्प प्रस्तुत किये हुये हो गयी हो, यह मान लिया जायेगा कि संबंधित कर्मचारी ने ऐसी तिथि/तिथियों से पुनरीक्षित वेतनमान चुना था अथवा वर्तमान वेतनमान बनाये रखा था, जो भी उसे लाभप्रद हो। ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भिक वेतन नियत कर दिया जायेगा और संदेहास्पद मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संदर्भित होने पर अन्तिम निर्णय संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा लिया जायेगा।

(5) निलंबित कर्मचारियों को निम्नलिखित के अधीन विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त होगाः–

(क) ऐसे मामलों में जिनमें पुनरीक्षित वेतनमान कर्मचारी के निलम्बन के पूर्व की तिथि से लागू हुए हैं, वहां कर्मचारी को मूल नियम 23 के अन्तर्गत विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त होगा यद्यपि विकल्प प्रस्तुत करने की तिथि निलम्बन की अवधि में पड़ती हो। इस प्रकार से चुने गये विकल्प के फलस्वरूप बढ़े हुए वेतन का लाभ, यदि कोई हो, निलंबन के पूर्व की ड्यूटी की अवधि तथा निलंबन की अवधि में निर्वाह भत्ते के संबंध में संबंधित कर्मचारी को अनुमन्य होगा।

(ख) (I) ऐसे मामलों में जिनमें पुनरीक्षित वेतनमान कर्मचारी के निलम्बन की अवधि के मध्य से ही लागू हुए हों, और संबंधित कर्मचारी किसी पद पर ''गहन'' (Lien) रखता हो, तो उसे विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायगा। ऐसे कर्मचारी को विकल्प का लाभ, निलम्बन की अवधि हेतु उस समय अनुमन्य होगा जब उसके पुनः पदस्थ करने संबंधी आदेश से यह विदित हो जाय कि उसके निलम्बन की अवधि को ड्यूटी माना गया है, अन्यथा नहीं।

(II) यदि किसी निलम्बित कर्मचारी का ''गहन'' (Lien) उस पद पर नहीं है, जिसका वेतनमान पुनरीक्षित हुआ है तो उसे इसे मूल नियम–23 के अधीन विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त न होगा तथापि यदि वह उस पद पर पुनः पदस्थ हो जाता है और निलम्बन की अवधि को ड्यूटी माना जाता है तो उसे पुनः पदस्थ होने के बाद विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाय। ऐसे प्रत्येक मामले में आवश्यकतानुसार विकल्प प्रस्तुत करने की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, यदि विकल्प प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि बीत चुकी हो।

(6) ऐस मामलों में जब कोई कर्मचारी उस दिनांक को, जब से विकल्प चुना गया हो, छुट्टी पर रहा हो तो वेतन निम्नलिखित रीति से विनियमित होगा :–

(I) यदि छुट्टी की अवधि मूल नियम 26(ग) के अधीन उसमें दी गयी शर्तों के पूरा करने तथा उसमें विहित प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करने पर मौलिक/मूल तथा स्थानापन्न पदों पर

वेतन–वृद्धि के लिये जोड़ी जाती हो, तो सरकारी कर्मचारी का वेतन, इस शासनादेश की शर्तों के अनुसार विकल्प चुनने के दिनांक से ही उसी प्रकार निर्धारित किया जायगा मानों कि वह उस दिनांक को छुट्टी पर नहीं था, तथापि वेतन में वृद्धि का लाभ उसे केवल उसी दिनांक से ग्राह्य होगा जिस दिनांक को उसने कार्य–भार ग्रहण किया हो, किन्तु अगली वेतन–वृद्धि विकल्प के दिनांक के एक वर्ष बाद देय होगी।

(II) ऐसे मामलों में जहां छुट्टी की अवधि वेतन वृद्धि के लिये आगणित नहीं की जाती हो, सरकारी कर्मचारी का वेतन, पुनरीक्षित वेतनमान में उसके छुट्टी से वापस आने के दिनांक से निर्धारित किया जायेगा। ऐसी दशा में उसे अगली वेतन–वृद्धि कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक से ड्यूटी की निर्धारित अवधि के पूरे होने के बाद ही देय होगी, सिवाय उस दशा के जब वह मूल नियम 31(2) के अधीन उससे पूर्व दिनांक से वेतन के पुनः निर्धारण के लिये हकदार हो जाय। मूल नियम 31(2) में समुचित रूप से संशोधन किया जायेगा।

5–सभी कर्मचारियों को दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पश्चात् निम्नलिखित शासनादेश द्वारा विभिन्न तिथियों से उनमें उल्लिखित दरों पर महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है :–

(क) सं0 वे0 आ0–1–30 / दस–36 (एम) / 86, दिनांक 3 जनवरी, 1987

(ख) सं0 वे0 आ0–1–1101 / दस–36 (एम) / 86, दिनांक 23 मई, 1987

(ग) सं0 वे0 आ0–1–3366 / दस–36 (एम) / 86, दिनांक 9 मार्च, 1988

(घ) सं0 वे0 आ0–1–1234 / दस–48 (एम) / 88, दिनांक 15 जून, 1988

(च) सं0 वे0 आ0–1–3453 / दस–48 (एम) / 88, दिनांक 7 जनवरी, 1989

समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर लिये गये निर्णयानुसार पुनरीक्षित वेतनमानों में महंगाई भत्ते की उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित वेतन श्रेणी तथा महंगाई भत्ते की मासिक दरें यथावत् रहेंगी किन्तु वेतन सीमा के आगणन हेतु दिनांक 1 जनवरी, 1986 को पुराने वेतनमान के साथ देय महंगाई भत्ता की धनराशि को जोड़ने का प्रश्न नहीं रहेगा। ऐसे कर्मचारी जिनके वेतनमान अभी पुनरीक्षित नहीं किये गये हैं उन्हें वर्तमान दरों पर महंगाई भत्ता उस समय तक पूर्ववत् मिलता रहेगा जब तक उनके वेतनमान पुनरीक्षित न कर दिये जायं। उन्हें अन्तरिम सहायता की तीनों किश्तें भी पूर्ववत् उस समय तक मिलती रहेंगी जब तक उनके भुगतान के संबंध में कोई अन्य आदेश जारी न कर दिये जायं।

6–पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के पश्चात् कर्मचारियों को दिनांक 1 नवम्बर, 1986, 1 जून, 1987 तथा 1 सितम्बर, 1987 से स्वीकृत अन्तरिम सहायता का भुगतान बन्द कर दिया जायगा तथा महंगाई भत्ते का आगणन उपर्युक्त प्रस्तर–5 के अनुसार किया जायगा। जो कर्मचारी अपने वर्तमान वेतनमान में ही बने रहने का विकल्प दें उन्हें अपने उसी वेतनमान में वेतन तथा वर्तमान दरों पर महंगाई भत्ता व अन्तरिम सहायता मिलती रहेगी।

7–विभिन्न प्रकार के भत्तों आदि के बारे में आदेश अलग से जारी किये जा चुके है। वेतन सीमा के आधार पर पुनरीक्षित दरों पर विभिन्न भत्तों को देने के लिये वेतन सीमा निर्धारित करने हेतु वेतन के साथ महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता तदर्थ महंगाई भत्ता व अन्तरिम सहायता की तीनों किश्तों की धनराशि जोड़ने की प्रक्रिया पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा वेतन सीमा के आधार पर विभिन्न भत्ते पुनरीक्षित वेतनमान में देय मूल वेतन के आधार पर ही अनुमन्य होंगे।

पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन वृद्धि का दिनांक एवं दक्षतारोक तथा अवशेष का भुगतान

8–किसी ऐसे कर्मचारी की अगली वेतन वृद्धि, जिसका वेतन उपर्युक्त प्रस्तर–3 के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में निश्चित किया गया है, उस दिनांक से एक वर्ष के बाद, उन मामलों को छोड़कर जो कि ऊपर प्रस्तर–4 के उप प्रस्तर (6) से नियंत्रित हो, स्वीकृत की जायेगी, जिससे वह पुनरीक्षित वेतनमान में आने का विकल्प चुने।

9–पुनरीक्षित वेतनमान चुनने वाले कर्मचारी का वेतन ऊपर प्रस्तर–3 में बतायी गयी रीति से निश्चित किया जायगा और दक्षतारोक, संलग्नक ''ग'' में दिये गये अनुमोदित वेतनमानों के अनुसार ही कार्यान्वित होंगे।

10–यदि किसी राज्य कर्मचारी को वर्तमान वेतनमान में दक्षतारोक पार करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी हो, तो उसके पुनरीक्षित वेतनमान में पुनः दक्षतारोक पार करने की तब तक अपेक्षा नहीं की जायेगी, जब तक कि वर्तमान वेतनमान में उसके दक्षतारोक पार करने के दिनांक से कम से कम पांच वर्ष की अवधि व्यतीत न हो चुकी हो। ऐसे मामलों में यह मान लिया जायेगा कि संबंधित कर्मचारी ने पुनरीक्षित वेतनमान में भी दक्षतारोक पार कर ली है और उसे पुनरीक्षित वेतनमान में दक्षतारोक पार करने की अनुमति देने के लिये कोई औपचारिक आदेश जारी करना आवश्यक न होगा। यदि पुनरीक्षित वेतनमान में दक्षतरोक प्रक्रम पांच साल की अवधि के बाद पड़ता हो तो इस प्रक्रम पर पहुंच कर दक्षतारोक पार करना आवश्यक होगा। इस संबंध में यह स्पष्ट करना है कि वर्तमान वेतनमान से तात्पर्य उस पद के वेतनमान से है जिससे संबंधित कर्मचारी ने दक्षता रोक पार की है। यदि किसी कर्मचारी ने निचले पद के वेतनमान में पांच वर्ष के अन्दर दक्षता रोक पार की है किन्तु जिस उच्च पद पर वह स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा है उसमें यदि दक्षता रोक पांच वर्ष के अन्दर पड़ रही हो तो उसे उच्च वेतनमान में दक्षता रोक पार करना आवश्यक होगा।

11–ऐसे कर्मचारियों, जिन्हें वर्तमान वेतनमान में दक्षतारोक प्रक्रम पर रोक लिया गया हो, के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल स्थिति को प्रत्यावर्तित करने के आदेश दिये जाने पर कोई रोक नहीं है और जब ऐसा किया जायेगा तो पुनरीक्षित वेतनमान में उनका वेतन उस आदेश के प्रभावी होने के दिनांक से पुनः निर्धारित कर दिया जायेगा।

12–समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी जो दिनांक 31 मार्च, 1989 के पश्चात् सेवा में प्रविष्ट हुए हों अथवा पदोन्नत हुये हों, स्वतः नया वेतनमान और नये आधार पर स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ता पायेंगे।

13–दिनांक 1 जनवरी, 1986 या विकल्प की तिथि को पुनरीक्षित वेतनमान में दी जाने वाली धनराशि में से उस धनराशि को घटाते हुये अवशेष निकाला जायेगा जो संबंधित कर्मचारी ने उस दिनांक को पुराने वेतनमान में वेतन, महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता, तदर्थ महंगाई भत्ता और अन्तरिम सहायता के रूप में समय–समय पर आहरित किया हो। ऐसे मामले जिनमें विशेष वेतन समाप्त कर दिया गया हो, उनमें पुराने वेतन के साथ उक्त विशेष वेतन की धनराशि भी सम्मिलित की जायेगी। इस प्रकार यदि वेतन निर्धारण की तिथि को किसी कर्मचारी द्वारा आहरित पूर्व परिलब्धियां नये वेतनमान की परिलब्धियों से अधिक हो तो उस अन्तर के बराबर धनराशि वैयक्तिक रूप से दी जायेगी।

14–पुनरीक्षित वेतन में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय अवशेष का भुगतान निम्न प्रकार किया जायगा :–

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1986 से 31 दिसम्बर, 1986 तक की अवशेष धनराशि, कर्मचारियों/अधिकारियों के भविष्य निधि खाते में अलग से जमा की जायेगी और तीन वर्ष तक किसी भी प्रकार के आहरण के लिये इसकी गणना भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि में नहीं की जायेगी। तीन वर्ष के बाद इस धनराशि का नियमानुसार आहरण हो सकेगा।

(ख) दिनांक 1 जनवरी, 1987 से 31 मई, 1987 तक की अवशेष धनराशि भी कर्मचारियों/अधिकारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जायगी किन्तु इसका नियमानुसार आहरण किया जा सकेगा।

(ग) दिनांक 1 जून, 1986 से 31 मार्च, 1989 तक की अवशेष धनराशि का 50 प्रतिशत नगद भुगतान होगा और 50 प्रतिशत भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा। जिन कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते नहीं खुले होंगे, उनकी देय अवशेष धनराशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र के रूप में दी जायेगी। किन्तु धनराशि के जिस अंश का बचत प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं हो सकता है वह उसे नकद दी जायेगी।

(घ) दिनांक 1 अप्रैल, 1989 से समस्त धनराशि का नगद भुगतान किया जायेगा।

15–ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 1 जनवरी, 1986 से 31 मार्च, 1989 तक सेवानिवृत्त हुये होंगे, उन्हें नये वेतनमानों में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय अवेशष का भुगतान नकद किया जायेगा। साथ ही ऐसे कर्मचारी जो 30 नवम्बर, 1989 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों उन्हें भी अवशेष का नकद भुगतान किया जायेगा।

16–उपर्युक्त वेतन निर्धारण संबंधी आदेश आवश्यक परिवर्तनों सहित राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों जिन पर समता समिति की संस्तुतियां लागू होती हैं, पर लागू होंगे।

17–वेतन समिति (1987) की संस्तुतियों पर निर्गत नये वेतनमानों में वेतन निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या वे0आ0–1–2671/दस–63(एम)-1988, दिनांक 20 सितम्बर, 1988 को निरस्त समझा जाय।

संलग्नक : उपर्युक्त के अनुसार

भवदीय,
विजय कृष्ण सक्सेना
प्रमुख सचिव, वित्त।

संलग्नक ''क''

उदाहरण–1

पदनाम	: चपरासी
वर्तमान वेतनमान	: रू0 305–5–330–द0रो0–6–360–द0रो0–6–390
पुनरीक्षित वेतनमान	: रू0 750–12–870–द0रो0–14–940

	(रू0)
(1) दिनांक 1–1–86 को मूल वेतन	305.00
(2) वर्तमान वेतनमान में एक वेतन–वृद्धि	5.00
(3) मूल वेतन पर देय महंगाई भत्ता/अति0 महंगाई भत्ता	256.20
(4) तदर्थ महंगाई भत्ता	.....
(5) वेतन+एक वेतन वृद्धि का 33.3 प्रतिशत (न्यूनतम रू0 175)	175.00
(6) दिनांक 1–1–86 की वर्तमान परिलब्धियां	741.20
(7) पुनरीक्षित वेतनमान में अगला उच्च प्रक्रम	750.00
(8) पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1–1–86 को निर्धारित होने वाला वेतन	750.00

उदाहरण–2

पदनाम	: चपरासी
वर्तमान वेतनमान	: रु0 305–5–330–द0रो0–6–360–द0रो0–6–390
पुनरीक्षित वेतनमान	: रु0 750–12–870–द0रो0–14–940

	(रु0)
(1) दिनांक 1 जनवरी, 1986 के बाद विकल्प के दिनांक को वर्तमान वेतनमान में मूल वेतन	330.00
(2) वर्तमान वेतनमान में एक वेतन–वृद्धि	....
(3) उक्त वेतन पर देय महंगाई भत्ता/अति0 महंगाई भत्ता (दिनांक 1 जनवरी, 1986 को अनुमन्य दरों पर)	277.20
(4) तदर्थ महंगाई भत्ता	.....
(5) विकल्प के दिनांक को मूल वेतन का 33.3 प्रतिशत (न्यूनतम रु0 175)	175.00
(6) विकल्प के दिनांक को वर्तमान वेतनमान में कुल परिलब्धियां	782.20
(7) पुनरीक्षित वेतनमान में अगला उच्च प्रक्रम	786.00
(8) पुनरीक्षित वेतनमान में विकल्प के दिनांक को निर्धारित होने वाला वेतन	786.00

उदाहरण–3

पदनाम	: सीनियर इन्वेस्टीगेटर
वर्तमान वेतनमान	: रु0 625–30–835–द0रो0–30–925–35–1065–द0रो0–35–1240
पुनरीक्षित वेतनमान	: रु0 1600–50–2300–द0रो0–60–2600

	(रु0)
(1) दिनांक 1 जनवरी, 1986 को मूल वेतन	925.00
(2) वर्तमान वेतनमान में एक वेतन–वृद्धि	35.00
(3) मूल वेतन पर देय महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता	647.50
(4) तदर्थ महंगाई भत्ता	.....
(5) वेतन+एक वेतन वृद्धि का 33.3 प्रतिशत	319.70
(6) दिनांक 1 जनवरी, 1986 की वर्तमान परिलब्धियां	1927.20
(7) पुनरीक्षित वेतनमान में अगला उच्च प्रक्रम	1950.00
(8) पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1 जनवरी, 1986 को निर्धारित होने वाला वेतन	1950.00

उदाहरण–4

पदनाम	: सीनियर इन्वेस्टीगेटर
वर्तमान समयमान वेतनमान	: रु0 925–35–1065–द0रो0–35–1240–40–1360
पुनरीक्षित वेतनमान	: रु0 1600–50–2300–द0रो0–60–2660

	(रु0)
(1) दिनांक 1 जनवरी, 1986 को वर्तमान वेतनमान में मूल वेतन	1240.00
(2) वर्तमान वेतनमान में एक वेतन वृद्धि	40.00
(3) उक्त वेतन पर देय महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता	868.00
(4) तदर्थ महंगाई भत्ता	.....
(5) वेतन+एक वेतन वृद्धि का 33.3 प्रतिशत	426.20
(6) दिनांक 1 जनवरी, 1986 को वर्तमान परिलब्धियां	2574.20
(7) पुनरीक्षित वेतनमान में अगला उच्च प्रक्रम	2600.00
(8) दिनांक 1 जनवरी, 1986 को निर्धारित होने वाला वेतन	2600.00

उदाहरण–5

पदनाम	: अधीक्षण अभियन्ता
वर्तमान वेतनमान	: रु0 2050–75–2200– 100–2500
पुनरीक्षित वेतनमान	: रु0 4100–125–4850–150–5300

	(रु0)
(1) दिनांक 1 जनवरी, 1986 को मूल वेतन	2400.00
(2) वर्तमान वेतनमान में एक वेतन वृद्धि	100.00
(3) उक्त वेतन पर देय महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता	1080.00
(4) तदर्थ महंगाई भत्ता (1 अप्रैल, 1986 को अनुमन्य)	258.10
(5) वेतन+एक वेतन वृद्धि का 33.3 प्रतिशत (अधिकतम रु0 700)	700.00
(6) दिनांक 1 जनवरी, 1986 को वर्तमान परिलब्धियां	4538.10
(7) पुनरीक्षित वेतनमान में अगला उच्च प्रक्रम	4600.00
(8) दिनांक 1 जनवरी, 1986 को पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित होने वाला वेतन	4600.00

उदाहरण–6

पदनाम	: संख्या सहायक
वर्तमान वेतनमान	: रु0 570–25–770–द0रो0–30–980–द0रो0–30–1100
पुनरीक्षित वेतनमान	: रु0 1400–40–1600–50–2300–द0रो0–60–2600

	(रु0)
(1) दिनांक 1 जनवरी, 1986 को मूल वेतन	950.00
(2) वर्तमान वेतनमान में एक वेतन वृद्धि	30.00
(3) उक्त वेतन पर देय महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता	665.00
(4) तदर्थ महंगाई भत्ता	.....
(5) वेतन+एक वेतन वृद्धि का 33.3 प्रतिशत	326.30
(6) दिनांक 1 जनवरी, 1986 को वर्तमान परिलब्धियां	1971.30
(7) पुनरीक्षित वेतनमान में अगला उच्च प्रक्रम	2000.00
(8) पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1–1–86 को निर्धारित होने वाला वेतन	2000.00
(9) यदि पदधारक दिनांक 1 जनवरी, 1986 को 10 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर सेलेक्शन ग्रेड पाने के लिए अर्ह है, तो 1 जनवरी, 1986 को पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित होने वाले वेतन पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए 1 जनवरी, 1986 को निर्धारित होने वाला वेतन	2050.00

संलग्नक ''ख''

विकल्प का प्रपत्र

(क) उन कर्मचारियों के लिये जो पुनरीक्षित वेतनमान के लिये विकल्प चुनें।

मैं...घोषणा करता हूँ कि मैं...रु0 के पुनरीक्षित वेतनमान के लिये...के अपने मौलिक*/मूल पद के लिए (1) 1 जनवरी, 1986/(2)* अपनी वेतन वृद्धि के दिनांक...................से जो 1 जनवरी, 1986 के बाद पड़ी थी/पड़ती है* और ....रु0 के पुनरीक्षित वेतनमान के लिए...के पद में स्थानापन्न नियुक्ति के लिये (1) जनवरी, 1986 (2)* स्थानापन्न नियुक्ति में अपनी वेतन वृद्धि के दिनांक........................ से जो 1 जनवरी 1986 के बाद पड़ी थी/पड़ती है*, विकल्प चुनता हूँ। मैं यह भी स्पष्ट रूप से विकल्प देता हूँ कि मूल/मौलिक पद पर मेरा वेतन प्रस्तर 3 (1) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाय। मैं स्पष्ट रूप से समझता हूँ कि यह विकल्प अन्तिम और अपरिहार्य होगा।

हस्ताक्षर...

पूरा नाम...

पदनाम..

कार्यालय..

दिनांक...

(जो दिनांक 1 जनवरी, 1986 ओर 31 मार्च, 1989 के मध्य नियुक्त हुए हों उन्हें दिनांक 1 जनवरी, 1986 के स्थान पर अपनी नियुक्ति के दिनांक का उललेख करना चाहिए, यदि वे अपनी नियुक्ति के दिनांक से विकल्प चुनते हैं।)

(ख) उन कर्मचारियों के लिये जो वर्तमान वेतनमान के लिये विकल्प चुनें।

मैं...घोषणा करता हूँ कि मैं.. के अपने मौलिक/मूल पद में ....रु0 के वर्तमान वेतनमान में और .... स्थानापन्न पद में....................................रू0 के वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प चुनता हूँ।

हस्ताक्षर...
पूरा नाम...
पदनाम...
कार्यालय...
दिनांक...

नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाधयक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/सम्परीक्षा अधिकारी द्वारा विकल्प के प्रपत्र की प्राप्ति स्वीकार किये जाने के लिये निर्देश।

संख्या...
दिनांक...

सेवा में,

....
....
....

महोदय,

मुझे शासनादेश संख्या..दिनांक....................................में दी हुई शर्तों के अनुसार ....प्रपत्र में आपके द्वारा भेजे गये आपके विकल्प दिनांक ....की प्राप्ति स्वीकार करने का निदेश हुआ है। मैं शासनादेश सख्या.. दिनांक में दी हुई शर्तों के अनुसार...प्रपत्र में आपके द्वारा भेजे गये विकल्प दिनांक........ ....की प्राप्ति स्वीकार करता हूँ।

भवदीय,

हस्ताक्षर तथा पदनाम

नियुक्ति अधिकारी//विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/सम्परीक्षा अधिकारी ( ) जो बात लागू न हो उन्हें काट दिया जाय।

संलग्नक ''ग''

प्रस्तर–9

1 जनवरी, 1986 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान

क्रमांक	पुनरीक्षित वेतनमान (रु0)
1	2
1	750–12–870–द0रो0–14–940
2	775–12–955–द0रो0–14–1025
3	825–15–900–द0रो0–20–1200
4	950–20–1150–द0रो0–25–1400
5	950–20–1150–द0रो0–25–1500
6	975–25–1150–द0रो0–30–1540
7	975–25–1150–द0रो0–30–1660
8	1200–30–1440–द0रो0–30–1800
9	1200–30–1560–द0रो0–40–2040
10	1320–30–1560–द0रो0–40–2040
11	1350–30–1440–40–1800–द0रो0–50–2200
12	1400–40–1800–द0रो0–50–2300
13	1400–40–1800–द0रो0–50–2400
14	1400–40–1600––50–2300–द0रो0–60–2600
15	1600–50–2300–द0रो0–60–2600
16	1600–50–2300–द0रो0–60–2660
17	1640–60–2600–द0रो0–75–2900
18	2000–60–2300–द0रो0–75–3200
19	2000–60–2300–द0रो0–75–3200–100–3500
20	2375–75–3200–द0रो0–100–3500
21	2200–75–2800–द0रो0–100–4000
22	2350–75–2800–द0रो0–100–4000
23	2375–75–2800–द0रो0–100–4300
24	3000–100–3500–125–4500
25	3000–100–3500–125–4750
26	3200–100–3500–125–4875
27	3700–125–4700–150–5000
28	3200–125–4700–150–5300
29	4100–125–4850–150–5300
30	4500–150–5700
31	5100–150–5700
32	5100–150–6150
33	5900–200–6700
	ऐलोपैथिक मेडिकल कालेज
1	2350–75–2800–द0रो0–100–4300
2	3200–100–3500–125–4875
3	3825–125–4700–150–5600
4	5900–200–6700

आयुर्वेदिक / यूनानी / होम्योपैथिक मेडिकल कालेज

1	2275—75—2800—द0रो0—100—4100
2	2350—75—2800—द0रो0—100—4400
3	3000—100—3500—125—4750
4	3200—100—3500—125—5000

राजकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक वर्ग के लिए

1	850 नियत
2	950—20—1150—द0रो0—25—1400
3	975—25—1150—द0रो0—30—1540(प्रारम्भिक वेतन रू0 1100)
4	975—25—1150—द0रो0—30—1660—30—1840 (प्रारम्भिक वेतन रू0 1360)
5	1200—30—1560—द0रो0—40—2040(प्रारम्भिक वेतन रू0 1350)
6	1350—30—1440——40—1800—द0रो0—50—2200(प्रारम्भिक वेतन रू0 1480)
7	1400—40—1800—द0रो0—50—2300
8	1600—50—2300—द0रो0—60—2660
9	2000—60—2300—द0रो0—75—3200—100—3500
10	2200—75—2800—द0रो0—100—4000

——————

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3

———————

संख्या सा—3—340 / दस—308—97

लखनऊ, दिनांक 26 मार्च, 1999

———————

कार्यालय—ज्ञाप

विषय :—**वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 1997 की सिफारिशों पर लिए गए सरकारी निर्णयों के कार्यान्वयन में 1986 के पूर्व के पेंशन—भोगियों, कुटुम्ब पेंशन—भोगियों की पेंशन में संशोधन कार्यालय—ज्ञाप संख्या सा—3—1062 / दस—308—97, दिनांक 24 अगस्त, 1998 के संदर्भ में स्पष्टीकरण।**

Subject :– Clarification of G.O. no. सा—3—1062 / दस—308—97, dated August 24, 1998, regarding revision of pension and family pension of Pre-1986 pensioners, as a result of decision taken by Govt. on the recommendations of the Pay Committee, U.P. 1997.

उपर्युक्त विषयक कार्यालय—ज्ञाप संख्या सा—3—1062 / दस—308—97, दिनांक 24 अगस्त, 1998 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय—ज्ञाप में प्रार्थना—पत्र देने के लिए आदेश निर्गत होने के दिनांक से 180 दिन का समय निर्धारित था, जो दिनांक 24 फरवरी, 1999 को समाप्त हो गया है। इस संदर्भ में अनेकों पेंशनर्स संघों ने यह मांग की है कि क्योंकि राज्य सरकार के अनेकों पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त सुविधा की जानकारी नहीं हो सकी है, जिसके कारण वे अपना प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, अतएव प्रार्थना—पत्र देने की अवधि बढ़ा दी जाए। उक्त मांग पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया

गया है कि दिनांक 24 फरवरी, 1999 के उपरान्त, प्रार्थना–पत्र देने की अवधि 90 दिन और बढ़ा दी जाए। इस अवधि के समाप्त होने पर अवधि पुनः नहीं बढ़ाई जायेगी।

2–कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1062/दस–308–97 के प्रस्तर–13 में स्पष्ट व्यवस्था है कि प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष (स्वीकर्ताधिकारी) नोशनल वेतन निर्धारित करते हुए पेंशन पुनरीक्षण हेतु महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजेंगे और उनसे पुनरीक्षित पी0पी0ओ0 निर्गत कराने की कार्यवाही करेंगे। परन्तु महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं अन्य स्रोतों से शासन को यह जानकारी हुई है कि संबंधित प्राधिकारी यह समझ रहे हैं कि नोशनल वेतन निर्धारण की कार्यवाही महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद के स्तर पर की जाएगी और इसलिए प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर उन्हें महालेखाकार कार्यालय को अग्रसारित कर दे रहे हैं। यह स्थिति सही नहीं है और ऐसा किए जाने के कारण पेंशनरों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। अतएव यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि नोशनल वेतन निर्धारण की कार्यवाही संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष (स्वीकर्ताधिकारी) जैसी भी स्थिति हो, के स्तर पर ही की जाएगी और ऐसा करने के उपरान्त उक्त प्रार्थना–पत्र (आवश्यक दस्तावेजों सहित) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजेंगे एवं उनसे संबंधित पी0पी0ओ0 निर्गत करने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करायेंगे।

(I) शासन की जानकारी में यह भी तथ्य आया है कि कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष (स्वीकर्ताधिकारी) नोशनल वेतन निर्धारण के कुछ प्रकरणों में इसलिए कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं कि संबंधित अधिकारी के सेवा अभिलेख उनके कार्यालय में उपलब्ध न होकर महालेखाकार कार्यालय इलाहाबाद में उपलब्ध हैं। ऐसे प्रकरणों के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष (स्वीकर्ताधिकारी) अपेक्षित अभिलेख महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से व्यक्तिगत प्रयास करके प्राथमिकता पर प्राप्त स्थिति सत्यापित करेंगे और उसके आधार पर नोशनल वेतन निर्धारण कराके महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजकर पेंशन पुनरीक्षण कराएंगे।

(II) कुछ ऐसे कार्यालय/विभाग भी हैं जो इतने समय के अन्तराल में या तो समाप्त हो गए हैं अथवा किसी अन्य विभाग में संविलीन हो गए हैं, उनसे संबंधित पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के नोशनल वेतन निर्धारण के विषय में यह कठिनाई आ रही है कि इस कार्य को कौन विभाग करेगा। इस संदर्भ में सम्यक् विचार करके यह निर्णय लिया गया है कि उक्त श्रेणी के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के नोशनल वेतन निर्धारण का कार्य उस कार्यालय/विभाग द्वारा किया जाएगा जिस कार्यालय/विभाग में संबंधित विभाग संविलीन किया गया है।

3–राज्य सरकार में पारिवारिक पेंशनरों का ऐसा भी वर्ग है जिन्हें शासनादेश संख्या सा–3–969/दस–923–85, दिनांक 8 अगस्त, 1986 के अधीन पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गई है। यह पारिवारिक पेंशन उसी कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की गई है जहाँ संबंधित कर्मचारी अपनी मृत्यु के समय कार्य कर रहा था या उस विभाग से सेवानिवृत्त हुआ है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार के पेंशन पुनरीक्षण के प्रकरण महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद नहीं भेजे जाएंगे। अस्तु ऐसे प्रकरणों में पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण का कार्य उसी कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा जिन्होंने मूलतया पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की थी। यदि किन्हीं मामलों महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा पुनरीक्षण कर दिया गया है तो उन्हें पुनरुद्घाटित नहीं किया जाएगा।

4–कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1062/दस–308–97, दिनांक 24 अगस्त, 1998 के प्रस्तर–15 में निर्धारित प्रक्रिया को समान परिस्थितियों में दिनांक 1 अगस्त,1972 के मामलों में लागू करने के साथ ही वर्ष 1979 एवं वर्ष 1986 में भी लागू किया जाएगा।

5–यह भी अपेक्षा की जाती है कि कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 24 अगस्त, 1998 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए पुनरीक्षित पी0पी0ओ0 निर्गत कराने का काष्ट करें।

मुहम्मद हलीम खाँ

सचिव, वित्त।

संख्या सा–3–346/दस–101(4)–2000

प्रेषक,

वी0 के0 शर्मा,
सचिव वित्त, वेतन आयोग एवं समन्वय,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांक 7 अप्रैल, 2000

विषयः– सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नैवृत्तिक लाभों को शीघ्रता से निस्तारित करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या सा–3–2085/दस–907–96, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 एवं शासनादेश संख्या सा–3–1713/दस–87–933–89, दिनांक 28 जुलाई, 1989 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन का सदैव यह प्रयास रहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं सेवारत/मृत कर्मचारियों के नैवृत्तिक लाभों एवं देयों का भुगतान निर्धारित तिथि पर कर दिया जाए। इस सन्दर्भ में समय–समय पर आवश्यकतानुसार पेंशन सम्बन्धी जटिल नियमों को समाप्त करने एवं संशोधित करने की भी कार्यवाही की गयी है। पेंशन प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित कराने के लिए उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 1995 प्रख्यापित की गयी है। इस नियमावली में नैवृत्तिक लाभों के निस्तारण हेतु एक विस्तृत समय–सारिणी निर्धारित की गयी है। विलम्ब से कार्यवाही करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने की भी व्यवस्था है, परन्तु शासन स्तर पर निरन्तर यह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि इस दिशा में विभाग अपेक्षानुसार संवेदनशील नहीं हैं और पेंशन प्रकरण समय से निस्तारित नहीं किये जा रहे हैं। विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों का यह दायित्व है कि उपरोक्त प्रख्यापित नियमावली में निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार कार्यवाही न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करें, परन्तु कदाचित ऐसा नहीं किया जा रहा है जिससे उक्त नियमावली प्रख्यापित कराने का उद्देश्य ही पराजित हो जा रहा है।

2–ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत से पेंशन प्रकरण इसलिए अन्तिम रूप से निस्तारित नहीं किए जाते हैं कि उनमें अदेयता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, या अमुक कर्मचारी ने शासन को वित्तीय क्षति पहुंचाई है और उसके विरुद्ध जांच कार्यवाही लम्बित है। उक्त आधार पर नैवृत्तिक लाभों को रोके रखना न्यायोचित नहीं है, अपितु उस पर कुशलता पूर्वक विचार करके यथोचित निर्णय लेने की आवश्यकता है। अदेयता प्रमाण–पत्र कर्मचारी द्वारा नहीं दिया जा सकता है। इसे सम्बन्धित विभाग द्वारा ही दिया जाता है। इसी के साथ अदेयता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या सा–3–1713/दस–933–89, दिनांक 28 जुलाई, 1989 में विस्तृत व्यवस्था है। अधिसूचना संख्या सा–3–1644/दस–904–94, दिनांक 2 नवम्बर, 1995 उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 1995 की अनुसूची के क्रमांक–3 पर यह व्यवस्था है कि अदेयता प्रमाण–पत्र सेवानिवृत्ति के दो माह पूर्व निर्गत कर दिया जाना चाहिए। अतएव यह अपेक्षा की जाती है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के सम्बन्ध में यथा आवश्यकतानुसार अदेयता प्रमाण–पत्र सेवानिवृत्ति की तिथि से दो माह पूर्व आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जाए और पेंशन प्रकरण निर्धारित तिथि को निस्तारित किया जाए।

3–जिन प्रकरणों में कर्मचारी के विरुद्ध किसी प्रकार की जांच लम्बित है, उन जांचों को निस्तारित कराने के सम्बन्ध में भी उक्त अधिसूचना दिनांक 2 नवम्बर, 1995 में विस्तृत व्यवस्था है और कार्यवाही की अवधि भी निर्धारित है।

प्रत्येक मामले में सम्बन्धित अधिकारी का यह दायितव है कि लम्बित जांचों का समय से निस्तारण करायें जिससे कि पेंशन प्रकरणों को समयान्तर्गत निस्तारित किया जाये।

4–मुझे यह भी कहना है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नैवृत्तिक लाभों को निस्तारित कराने के सम्बन्ध में शासनादेशों में निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यह भी कहना है कि यदि प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब किया जाता है और किसी प्रकार के ब्याज के भुगतान की स्थिति उत्पन्न होती तो उसके लिए दोषी कर्मचारी/अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए दिए गए ब्याज की वसूली कराने की कार्यवाही करें।

भवदीय,
वी0 के0 शर्मा
सचिव, वित्त।

————

<u>संख्या सा–3–384/दस–300–99</u>

प्रेषक,

वी0के0 शर्मा,
सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 13 अप्रैल, 2000

विषयः– **दिनांक 1 जनवरी, 1986 के बाद किन्तु 1 जनवरी, 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की कृटुम्ब पेंशन के संशोधन/अद्यतन करने हेतु एवं दिनांक 1 जनवरी, 1996 से सभी पेंशन भोगियों की पेंशन, दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम न होने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति उत्तर प्रदेश 1997 की संस्तुतियों जैसी कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की गयी हैं, के अनुपालन में कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1720/दस–308–97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997, कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1721/दस–308– 97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997, कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1722/दस–309/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 एवं कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1062/ दस–308–97, दिनांक 24 अगस्त, 1998 निर्गत किये जा चुके हैं। वेतन समिति उत्तर प्रदेश 1997 की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल ने सहर्ष यह आदेश दिये हैं कि–

1–दिनांक 1 जनवरी, 1986 से 31 दिसम्बर, 1995 के बीच की अवधि में सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों जिनका अन्तिम आहरित वेतन 1500 रुपया से अधिक था के प्रकरण में कुटुम्ब पेंशन का दिनांक 1 जनवरी, 1996 से संशोधन किया जायेगा। पेंशन संशोधन भाग एक में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

2–दिनांक 1 जनवरी, 1996 से सभी पेंशन भोगियों के मामले में उनकी पूर्ण पेंशन, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख का ध्यान किये बिना, पेंशन भोगी द्वारा अन्तिम धारित पद के दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम नहीं होगी। तथापि पूर्ण पेशन के लिए अर्ह सेवा और न्यूनतम पेंशन को विनियमित करने वाले उपबन्ध उसी प्रकार प्रभावी रहेंगे। इसी प्रकार दिनांक

1 जनवरी, 1996 से पारिवारिक पेंशन, पेंशन भोगी/मृतक कर्मचारी के द्वारा धारित अन्तिम पद के दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू संशोधित वेतनमान में न्यूनतम वेतन के 30% से कम नहीं होगी। पेंशन संशोधन भाग दो में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

भाग–1

कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1721/दस–308/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 सपठित शासनादेश संख्या सा–3–984/दस–98–308/97, दिनांक 24 जुलाई, 1998 के क्रम में दिनांक 1 जनवरी, 1986 से 31 दिसम्बर, 1995 के बीच की अवधि में सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों जिनका अन्तिम वेतन 1500 रूपया से अधिक था, के प्रकरण में कुटुम्ब पेंशन, दिनांक 1 जनवरी, 1996 से निम्न प्रकार से संशोधित की जायेगी।

1–इन आदेशों के अनुसरण में कुटुम्ब पेंशन में संशोधन कराने के पात्र प्रत्येक पेंशन भोगी/पारिवारिक पेंशन भोगी को पारिवारिक पेंशन संशोधन हेतु अनुबंध 1 पर दिये गए प्रपत्र (तीन प्रतियों) में, इन आदेशों के जारी होने की तारीख से 180 दिनों के अन्दर अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष जहां से सेवानिवृत्त हुआ हो या कार्य करते हुए मृत्यु हुई हो, आवेदन करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में आवेदन न करने पर, यह मान लिया जायेगा कि वे अपनी वर्तमान पारिवारिक पेंशन को ही जारी रखना चाहते हैं। तथापि, विशिष्ट मामलों में जहां संबंधित प्राधिकारी यह समझते हैं कि पारिवारिक पेंशन के संशोधन का आवेदन निर्धारित समय से करना आवेदक के वश में नहीं था, ऐसे आवेदन के प्रस्तुतीकरण के विलम्ब को केवल शासन के वित्त विभाग की सहमति से माफ किया जा सकता है।

2–ऐसे प्रकरणों में जहां पारिवारिक पेंशन भोगी, दिनांक 1 जनवरी, 1996 को जीवित था तथा बाद में मृत्यु होने की स्थिति में उसकी/उसका कानूनी वारिस, 1 जनवरी, 1996 से पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु तक, बकाया प्राप्त करने के भी हकदार होंगे। कानूनी वारिस भी इस प्रयोजनार्थ उपरोक्त प्राधिकारी को आवेदन कर सकते हैं।

3–सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों आदि में स्थायी संविलयन हुए, सरकारी कर्मचारियों के मामलों में, पारिवारिक पेंशन की पात्रता संबंधी आदेश शासन द्वारा समस–समय पर निर्गत किये गये हैं। ऐसे मामलों में, जहां संविलयत दिवंगत कर्मचारी के कुटुम्ब का पात्र सदस्य इन आदेशों के अनुसरण में 1 जनवरी, 1996 को पारिवारिक पेंशन ले रहा है/हकदार था, उसकी पारिवारिक पेंशन भी इन आदेशों के अनुसार संशोधित होगी।

4– कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1721/दस–308/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के प्रस्तर 4.1 में निहित उपबंधों के अधीन पारिवारिक पेंशन को समेकित किया जाय।

5–पारिवारिक पेंशन की पुनःगणना, पेंशन भोगी/दिवंगत कर्मचारी के द्वारा आहरित अन्तिम वेतन के 30% की दर पर की जायेगी तथा स्लैब प्रणाली के अन्तर्गत पूर्व अनुज्ञेय तथा अन्तिम आहरित वेतन के 30% की दर से पारिवारिक पेंशन का अन्तर निकाला जायेगा।

6–स्लैब प्रणाली के अन्तर्गत पूर्व अनुज्ञेय पारिवारिक पेंशन और अन्तिम आहरित वेतन के 30% की दर के बीच अन्तर के कारण देय अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन को, उपर्युक्त प्रस्तर–4 के द्वारा निकाली गयी समेकित पेंशन में जोड़ दिया जायेगा। इन दोनों धनराशियों अर्थात समेकित पारिवारिक पेंशन जमा अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग दिनांक 1 जनवरी, 1996 से मूल पारिवारिक पेंशन होगी। उपरोक्त प्रकार से निर्धारित मूल पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 1 जनवरी, 1996 शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अधीन महंगाई राहत अनुमन्य होगी। दिनांक 1 जनवरी, 1996 के पूर्व की अवधि का कोई अवशेष देय नहीं होगा।

7–कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–3–1721/दस–308–97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 सपठित शासनादेश संख्या सा–3–984/दस–98/308–97, दिनांक 24 जुलाई, 1998 में निहित अनुबन्धों के अनुसार, अन्तरिम व्यवस्था के रूप में समेकित पारिवारिक पेंशन के कारण, पूर्व में भुगतान की गयी बकाया राशि और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत, इन दोनों का कोषागारों/बैंकों के द्वारा इस आदेश के आधार

पर संशोधित पारिवारिक पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत के कारण देय बकाया राशि में समायोजित किया जायेगा।

8—पेंशनर से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष प्राथमिकता के आधार पर उसका परीक्षण करके यह प्रमाणित करेंगे कि—

- मृत कर्मचारी द्वारा धारित पद क्या था।
- मृत कर्मचारी मृत्यु के समय किस वेतनमान में कार्यरत था तथा उसका अन्तिम आहरित मूल वेतन क्या था।
- मृत्यु के समय धारित पद/वेतनमान का दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान क्या है।

उपरोक्त कार्यवाही करके संबंधित प्राधिकारी प्रार्थना पत्र को उसकी प्राप्ति से 30 दिन की अवधि के भीतर संबंधित कोषाधिकारी को, दो प्रतियों में भेज देंगे। संबंधित कोषाधिकारी 15 दिन की अवधि में उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर पारिवारिक पेंशन का आगणन/पुनरीक्षण करके भुगतान में पूर्व भुगतान की गयी धनराशि समायोजित कर आरम्भ कर देंगे। भुगतान दिनांक 1—1—1996 से आरम्भ होगा। इसके पूर्व की तिथि का कोई अवशेष भुगतान नहीं किया जायेगा।

9—कोषाधिकारी, उक्त प्रकार से पेंशन पुनरीक्षण के प्राधिकार—पत्र की एक प्रति, विभागाध्यक्ष से प्राप्त सूचना की प्रति सहित, महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद को इस आशय से भेजेंगे कि महालेखाकार, उ0प्र0 उक्त पेंशन पुनरीक्षण के सही होने की पुष्टि कर दें। महालेखाकार, उ0प्र0 प्राप्त प्रपत्रों की प्राप्ति के छह (06) माह के भीतर यथासम्भव यह सुनिश्चित करके कि पेंशन पुनरीक्षण की धनराशि ठीक है अथवा नहीं, संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/कोषाधिकारी तथा पेंशनर को सूचित कर दें। यदि महालेखाकार से 6 माह की अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त न हो, तो किया गया पेंशन पुनरीक्षण अन्तिम माना जायेगा।

भाग—2

1—दिनांक 1 जनवरी, 1996 से सभी पेंशन भोगियों के मामलों में पूर्ण पेंशन उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख का ध्यान किये बिना, पेंशन भोगी द्वारा अन्तिम धारित पद के दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम नहीं होगी। तथापि पूर्ण पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा और न्यूनतम पेंशन को विनियमित करने वाले उपबन्ध उसी प्रकार प्रभावी रहेंगे। इसी प्रकार दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पारिवारिक पेंशन, पेंशनभोगी/मृतक सरकारी कर्मचारी के द्वारा धारित अन्तिम पद के 1 जनवरी, 1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 30% से कम नहीं होगा।

(i) दिनांक 1 जनवरी, 1996 से 31 दिसम्बर, 1995 के बीच सेवानिवृत्त सहित पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशन भोगी जो इन आदेशों के अनुसार प्रसुविधा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें चाहिए कि वे अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो, को अनुबन्ध—2 में यथा निर्धारित प्रपत्र (तीन प्रतियों में) भरकर दिनांक 30 सितम्बर, 2000 तक जमा करा दें। सभी सम्बद्ध प्राधिकारियों के द्वारा यह सुनिश्चित करने के सार्थक प्रयास किये जायेंगे कि जहां तक सम्भव हों, पेंशन संशोधन तत्काल करें।

(ii) पेंशन भोगियों से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष प्राथमिकता के आधार पर उसका परीक्षण करके यह प्रमाणित करेंगे कि—

- कर्मचारी द्वारा धारित पद क्या था।
- कर्मचारी किस वेतनमान से सेवानिवृत्त हुआ तथा उसका अन्तिम आहरित मूल वेतन क्या था।
- कर्मचारी के द्वारा अन्तिम धारित पद/वेतनमान का दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान क्या है।
- कर्मचारी की पेंशन हेतु कुल अर्ह सेवा कितनी थी।

उपरोक्त कार्यवाही करके संबंधित प्राधिकारी प्रार्थना–पत्र को उसकी प्राप्ति से 30 दिन की अवधि के भीतर संबंधित कोषाधिकारी को दो प्रतियों में भेज देंगे। संबंधित कोषाधिकारी 15 दिन की अवधि में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर पेंशन का पुनरीक्षण करके भुगतान पूर्व में भुगतान की गयी धनराशि समायोजित कर आरम्भ कर देंगे। भुगतान दिनांक 1 जनवरी, 1996 से आरम्भ होगा। इसके पूर्व तिथि का कोई अवशेष का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(iii) कोषाधिकारी, उक्त प्रकार से पेंशन पुनरीक्षण के प्राधिकार पत्र की एक प्रति, विभागाध्यक्ष से प्राप्त सूचना की प्रति सहित, महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी), इलाहाबाद को इस आशय से भेजेंगे कि महालेखाकार, उक्त पेंशन पुनरीक्षण के सही होने की पुष्टि कर दें। महालेखाकार उ0प्र0 प्राप्त प्रपत्रों के छह (06) माह के भीतर यथासंभव यह सुनिश्चित करके कि पेंशन पुनरीक्षण की धनराशि ठीक है अथवा नहीं, संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष तथा पेंशनर को सूचित कर दें। यदि महालेखाकार से 6 माह की अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्ति न हो तो किया गया पेंशन पुनरीक्षण अन्तिम माना जायेगा।

(iv) यह स्पष्ट किया जाता है कि जैसी भी स्थिति हो, किसी भी मामले में पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी से उसका मूल पेंशन भुगतान आदेश, संशोधित प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु लौटाने के लिए नहीं कहेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संशोधित पेंशन भुगतान आदेश की एक प्रति पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी को प्रेषित किया जाए।

(v) इस शासनादेश के उपबन्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में आमेलित उन सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिन्होंने यथानुपात मासिक पेंशन (एक भाग के संराशीकरण के विकल्प सहित) की अदायगी का विकल्प दिया था।

2–उपरोक्त संशोधित व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में निर्गत संबंधित प्रार्थना पत्र कार्यालय–ज्ञाप नीचे दिए अनुसार संशोधित समझा जाये।

(क) कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–3–1720/दस–308/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997

उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप के पैरा 4.1 के उप पैरा के प्रथम वाक्य ''उपरोक्तानुसार आगणित/समेकित...........समझी जायेगी।'' के बाद निम्नलिखित स्थापित किया जाए–

''तथापि ऐसे मामलों में, जहां उपरोक्त प्रकार से समेकित पेंशन को अन्तिम पेंशन समझा जाता है, तो ऐसी पूर्ण पेंशन, पेंशनभोगी की सेवानिवृत्ति के समय, उसके द्वारा धारित पदके दिनांक 01–01–1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम वेतन के 50% से कम नहीं होगी। ऐसी पेंशन समुचित यथानुपात तरीके से कम हो जायेगी, जहां पेंशन भोगी ने, पेंशन भोगियों पर उसके/उसकी अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति की तारीख की स्थिति के अनुसार लागू सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के नियमानुसार पूर्ण पेंशन हेतु अपेक्षित अधिकतम सेवा से कम सेवा की हो और यह किसी भी मामले में 1275 रूपये प्रति माह से कम नहीं होगी। इसी प्रकार, जहां इस प्रकार समेकित कुटुम्ब पेंशन को अन्तिम पेंशन समझा जाता है तो ऐसी कुटुम्ब पेंशन संबंधित पेंशनभोगी/मृतक सरकारी कर्मचारी के द्वारा धारित अन्तिम पद के 01–01–1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम वेतन के 30% से कम नहीं होगी।

(ग) कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–3–1062/दस–308/97, दिनांक 24 अगस्त, 1998

3–(क) उपरोक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 24–8–1998 के प्रस्तर–2 के अन्तिम वाक्य के स्थान पर निम्नानुसार स्थापित किया जाए–

''इस प्रकार परिकलित पूर्ण पेंशन को, कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–3–1721/दस/308/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के प्रस्तर–4.1 के निहित उपबन्धों के अनुसार, दिनांक 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार समेकित किया जायेगा। तथापि, ऐसी समेकित पेंशन, संबंधित पेंशन भोगी द्वारा धारित

अन्तिम पद के 01–01–1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम वेतन का 50% से कम नहीं होगी। इस समेकित पेंशन को भविष्य में, पेंशन पर महंगाई राहत देने के प्रयोजनार्थ मूल पेंशन समझा जायेगा।''

(ख) उपरोक्त संदर्भित कार्यालय–ज्ञाप, दिनांक 24 अगस्त, 1998 के प्रस्तर–3 के अन्तिम वाक्य के स्थान पर निम्नानुसार रखा जाए–

''कुटुम्ब पेंशन को, कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–3–1721/दस/308/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के पैरा 4.1 में निहित उपबन्धों के अनुसार, दिनांक 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार समेकित किया जायेगा। तथापि ऐसी समेकित कुटुम्ब पेंशन, संबंधित पेंशन भोगी/मृतक सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित अन्तिम पद के 1 जनवरी, 1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम वेतन के 30% से कम नहीं होगी।''

(ग) उपरोक्त प्रस्तर–3(क) में संदर्भित कार्यालय–ज्ञाप, दिनांक 24 अगस्त, 1998 के प्रस्तर–4 के चौथे वाक्य के बाद निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए।

''इस प्रकार परिकलित मूल कुटुम्ब पेंशन, संबंधित पेंशन भोगी/मृतक सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित अन्तिम पद के 1 जनवरी, 1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम वेतन के 30% से कम नहीं होगी।

4–संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि कुटुम्ब पेंशन/पेंशन के पुनर्निर्धारण के संदर्भ में शासनादेश एवं इसमें निहित भाग–1 एवं भाग–2 में निहित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करें कि पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को यथासम्भव किसी भी असुविधा से बचाया जाए।

भवदीय,
विजय कुमार शर्मा
सचिव, वित्त

——————

पारिवारिक पेंशन हेतु–अनुबन्ध

शासनादेश संख्या–सा–3–384 / दस–300–99

दिनांक 13 अप्रैल, 2000

आवेदन का प्रपत्र

सेवा में,

....

....

....

....

कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष

विषयः– **शासनादेश संख्या–सा–3–384 / दस–300–99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के अनुसरण में कुटुम्ब पेंशन का संशोधन।**

महोदय,

शासनादेश संख्या–सा–3–384 / दस–300–99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के अनुसरण में, मेरे पेंशन भुगतान आदेश (फोटो प्रति संलग्न) में दर्शायी गयी पात्रतानुसार मेरी कुटुम्ब पेंशन संशोधित करने की कृपा करें। अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिये हैं–

1–आवेदक का नाम तथा पूरा पता
(स्पष्ट अक्षरों में)

2–दिवंगत सरकारी कर्मचारी / पेंशनभोगी का नाम

3–सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति / मृत्यु की तारीख

4–तारीख, जिससे कुटुम्ब पेंशन आहरित की जा रही हो

5–पेंशन भुगतान आदेश संख्या

6–पेंशन भोगी / दिवंगत सरकारी कर्मचारी (पेंशनभोगी) के अन्तिम कार्यालय / विभाग का नाम तथा उसके द्वारा धारित पदनाम

7–अंतिम धारित पद का वेतनमान तथा अंतिम आहरित वेतन

8–मृत्यु के समय धारित पद के वेतनमान का दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान क्या है?

9–पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम

10–पेंशन संवितरण प्राधिकारी का नाम
(बचत खाता संख्या, जहां लागू हो)

दिनांक : (पेंशनभोगी / कुटुम्ब पेंशनभोगी के हस्ताक्षर) उन्हीं मामलों में लागू होगा जहां आवेदक कुटुम्ब पेंशन भोगी है।

नोट – उपरोक्त क्रमांक 7 एवं 8 की सूचना यदि पेंशनर द्वारा दिया जाना सम्भव नहीं है / नहीं दी गयी है, तो कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष अपने अभिलेखों के आधार पर उक्त सूचना अंकित करके अग्रेतर कार्यवाही करें।

दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम 50% के पेंशन निर्धारण हेतु

अनुबन्ध–2

शासनादेश संख्या सा–3–384/दस–300–99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 में संदर्भित

आवेदन का प्रपत्र

सेवा में,

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष

विषयः– शासनादेश संख्या–सा–3–384/दस–300–99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के अनुसार 1–1–1996 से पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का संशोधन।

महोदय,

कृपया मेरे, पेंशन भुगतानादेश (फोटो प्रति संलग्न) में दर्शायी पेंशन/कुटुम्ब पेंशन की पात्रता को, शासनादेश संख्या–सा–3–384/दस–300–99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के अनुसार संशोधित करें। अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं–

1–आवेदक का नाम तथा पूरा पता (स्पष्ट अक्षरों में) ....

2–अनुज्ञेय पेंशन का प्रकार ....

3–कुटुम्ब पेंशन के मामले में पेंशन भोगी दिवंगत सरकारी कर्मचारी (पेंशनभोगी) का नाम ....

4–सेवानिवृत्ति की तारीख/सरकारी कर्मचारी के दिवंगत होने की तारीख ....

5–पेंशन/कुटुम्ब पेंशन को आहरित करने की तारीख ....

6–पेंशन भुगतानादेश संख्या ....

7–पेंशन भोगी/दिवंगत सरकारी कर्मचारी (पेंशनभोगी) के अन्तिम सेवारत कार्यालय/विभाग का नाम तथा कर्मचारी द्वारा धारित पदनाम ....

8–अन्तिम धारित पद का वेतनमान तथा अन्तिम आहरित वेतन ....

9–कर्मचारी की अर्हकारी सेवा अवधि ....

10– 01–01–1996 से अनुज्ञेय समेकित अन्तिम पेंशन/कुटुम्ब पेंशन ....

11–पेंशन भुगतानादेश जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम ....

12–पेंशन संवितरण प्राधिकारी का नाम, बचत खाता संख्या सहित, जहां कहीं लागू हो ....

13–यदि मामले को सरलता से निपटाने हेतु, कोई दस्तावेज साक्ष्य संलग्न किया हो, तो उसका ब्यौरा ....

दिनांक ....

( )

पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी के हस्ताक्षर

नोट– उपरोक्त क्रमांक 7 एवं 8 की सूचना प्रार्थी द्वारा दिया जाना सम्भव नहीं है/नहीं दी गयी है तो कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष अपने कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार सूचना अंकित करके अग्रेतर कार्यवाही करेंगे।

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या सा–3–697 / दस–308 / 97

लखनऊ : दिनांक 5 मई, 2000

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः–दिनांक 1 जनवरी, 1996 के पूर्व की अवधि में सरकारी कार्मिकों द्वारा आहरित पुराने वेतन का 40% वेतन में जोड़कर लाभ देने हेतु।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा–3–1720 / दस–308–97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के प्रस्तर 8 में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी हैंः–

''8–जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है और नये वेतनमान में 10 माह की पूर्ण अवधि का लाभ पाने के पूर्व ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनकी सेवानिवृत्ति के 10 माह पूर्व के वेतन की गणना निम्न प्रकार की जायेगीः–

(क) जिस अवधि में पुराने वेतनमान में वेतन आहरित किया है उस अवधि का मूल वेतन तथा उस पर देय महगांई भत्ता एवं अन्तरिम सहायता की प्रथम एवं द्वितीय किस्त जो 1–1–1996 को लागू थी, और

(ख) जिस अवधि में वेतन पुनरीक्षित हो गया है उसके पुनरीक्षित मूल वेतन की धनराशि।

उपरोक्त प्रस्तर 8 (क) की व्यवस्था में दिनांक 1 जनवरी, 1996 के पूर्व के माहों की अवधि में आहरित वेतन की धनराशि के 40% के बराबर धनराशि जोड़कर अन्तिम 10 माह के औसत निकालने की व्यवस्था नहीं है।

2–उपरोक्त संदर्भित व्यवस्था पर सम्यक् विचारोंपरान्त राज्यपाल महोदय ने उक्त व्यवस्था के स्थान पर निम्न व्यवस्था स्थापित करने के आदेश दिए हैंः–

8–(क) जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है और नये वेतनमान में 10 माह की पूर्ण अवधि का लाभ पाने के पूर्व ही सेवानिवृत्त हो गये हैं उनकी सेवानिवृत्ति के 10 माह पूर्व के वेतन की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी।

(1) मूल वेतन (वेतनवृद्धियों सहित, यदि मध्यवर्ती अवधि के दौरान आहरित की गयी)।

(2) महंगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1510 तक अर्थात मूल वेतन के 148%, 111%, और 96% की दर से जैसा भी मामला हो।

(3) संगत अवधि के दौरान आहरित मूल वेतन पर अन्तरिम राहत की समूचित पहली और दूसरी किश्तें।

(4) पूर्व संशोधित वेतनमान मे मूल वेतन पर 40% निर्धारण लाभ देते हुए मूल वेतन में सैद्धान्तिक वृद्धि।

(ख) उस अवधि हेतु जिसमें वेतन संशोधित वेतनमान में आहरित किया गया। उन महीनों के मूल वेतन का पूर्णयोग जिसमें संशोधित वेतनमान में वेतन आहरित किया गया।

अन्तिम 10 माह के औसत वेतन की गणना उपरोक्त 8 (क) (1), (2), (3), (4) एवं 8 (ख) की मदों को जोड़कर की जाएगी।

3–उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार पेंशन संशोधन की कार्यवाही संबंधित पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से की जायेगी। 40% धनराशि को जोड़कर (जहाँ अनुमन्य हो) पेंशन पुनरीक्षित किये जाने की कार्यवाही हेतु सरकारी कर्मचारी द्वारा नये आवेदन पत्र दिये जाने की आवश्यकता नहीं है तथा उक्त व्यवस्था उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी जो 1 जनवरी, 1996 से 30 सितम्बर 1996 तक की अवधि

के दौरान सेवानिवृत्त हुए हों। पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी संशोधित प्राधिकार पत्र संबंधित कोषाधिकारी को यथा शीघ्र भेजेंगे।

4—तत्काल संदर्भ की सुविधा हेतु सोदाहरण उपलब्ध है।

5—कार्यालय—ज्ञाप संख्या सा—3—1720/दस—308—97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के प्रस्तर 8(क) एवं (ख) की व्यवस्था उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझी जाये।

6—समस्त कोषाधिकारियों/बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त आदेशों के अनुसार कार्यवाही करते हुए संबंधित पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षित करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

विजय कुमार शर्मा
सचिव, वित्त।

सेवा में,

1—समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3—समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सोदाहरण

पूर्व संशोधित वेतनमान (1 जनवरी, 1996 से पूर्व)	2200—4000 रू0
तदनुरूप संशोधित वेतनमान (1 जनवरी, 1996 से)	8000—13500 रू0
पूर्व संशोधित वेतनमान में वेतन—वृद्धि की तारीख	1 जून, 1995
पूर्व संशोधित वेतनमान में मूल वेतन, मई, 1995 तक	3400 रू0
जून से दिसम्बर, 1995 तक	3500 रू0
सेवानिवृत्ति की तारीख	31 जनवरी, 1996

(क) पूर्व में संशोधित वेतनमान में आहरित परिलब्धियाँ :—

1 अप्रैल, 1995 से 30 अप्रैल, 1995	
मूल वेतन	3400 रू0
महंगाई भत्ता उ0मू0सू0 1510 (इस मामले में 148% की दर से)	5032 रू0
अन्तरिम राहम (I) और (II) (100रू0+मूल का 10%)	440 रू0
निर्धारण संबंधी लाभ (मूल वेतन का 40%)	1360 रू0
कुल	**10232 रू0**

2 महीने (अप्रैल और मई, 1995) की कुल परिलब्धियाँ	
10232 रु0 X 2 =	20464 रू0
(II) 1 जून, 1995 से 30 जून, 1995	
मूल वेतन	3500 रू0
महंगाई राहत उ0मू0सू0 1510 (इस मामले में 148% की दर से)	5180 रू0
अन्तरिम राहम (I) और (II) (100 रु0 + मूल वेतन का 10%)	450 रू0
निर्धारण संबंधी लाभ (मूल वेतन का 40%)	1400 रू0
कुल	**10530 रू0**
7 महीने की कुल परिलब्धियाँ (अर्थात् जून से दिसम्बर, 1995)	
10530 X 7 =	73710 रू0

(ख) संशोधित वेतनमान में आहरित परिलब्धियाँ :–

1 जनवरी, 1996 से 31 जनवरी, 1996 तक (एक महीना)	
मूल वेतन	10750 रू0
एक महीने की कुल परिलब्धियाँ	10750 रू0

(ग) 10 महीने की कुल परिलब्धियाँ–

क (I) + क (II) + (ख)	104924 रू0
(घ) औसत परिलब्धियाँ = 104924 / 10	10492 रू0
मासिक पूर्ण पेंशन (औसत परिलब्धियाँ का 50%)	
अर्थात् घ का 50%) $\frac{10492\text{रू0}}{2}$	5246 रू0

टिप्पणी : (क) पूर्व संशोधित वेतनमान के मूल वेतन में मूल वेतन का 40% निर्धारण लाभ जमा होगा।

(ख) वास्तविक आहरित महंगाई भत्ते के स्थान पर उ0मू0सू0 1510 की दर से महंगाई राहत मूल वेतन के विशेष स्लैब के सुसंगत होगी।

संख्या सा0–3–1029/दस–308-97

प्रेषक,

सुशील चन्द्र त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव, वित्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 13 जून, 2000

विषयः– कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1062/दस–308–97, दिनांक 24 अगस्त, 1998 एवं शासनादेश संख्या सा–3–384/दस–300–99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 एवं शासनादेश संख्या सा–3–697– दस–308–97, दिनांक 5 मई, 2000 के संदर्भ में स्पष्टीकरण।

महोदय,

दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संशोधन के संदर्भ में कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1062/दस–308–97, दिनांक 24 अगस्त, 1998 निर्गत किया गया है। शासनादेश संख्या सा–3–384/दस–300–99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 में यह व्यवस्था की गयी है कि दिनांक 1 जनवरी, 1996 से सभी पेंशनरों की धनराशि दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम नहीं होगी, बशर्ते कि सेवानिवृत्ति की तिथि को कर्मचारी ने 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हो। इसी प्रकार से दिनांक 1 जनवरी, 1986 से 31 दिसम्बर, 1995 के मध्य सेवानिवृत्ति/दिवंगत कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन की धनराशि, अन्तिम आहरित वेतन के 30% से कम नहीं होगी। कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–697/दस–309–97, दिनांक 5 मई, 2000 में यह व्यवस्था की गयी है कि जो कर्मचारी दिनांक 1 जनवरी, 1996 को अथवा उसके उपरान्त परन्तु दिनांक 30 सितम्बर, 1996 के पूर्व सेवानिवृत्ति हुए हैं और पुनरीक्षित वेतनमान को चुनने का विकल्प दिया है, परन्तु 10 माह का औसत वेतन प्राप्त नहीं कर सके हैं, उन्हें दिनांक 1 जनवरी, 1996 के पूर्व अवधि में आहरित वेतन के 40% का वेटेज दे दिया जाए।

2–उपरोक्त निर्गत कार्यालय–ज्ञापों एवं शासनादेशों के संदर्भ में शासन को विभिन्न क्षेत्रों से कतिपय जिज्ञासा/प्रस्ताव संदर्भित हुए जिन पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे निम्नलिखित स्पष्टीकरण निर्गत करने के निर्देश हुए हैं–

1–कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1062/दस–308–97, दिनांक 24 अगस्त, 1998 के अधीन प्रार्थना–पत्र देने हेतु–

उपरोक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 24 अगस्त, 1998 के अधीन दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा अपनी पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनर्निर्धारण हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन–पत्र प्रस्तुत किये गये थे, जिन्हें कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के माध्यम से महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को प्रेषित किया जाना था। शासन स्तर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा बहुत ही कम मामलों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण करके संशोधित पी0पी0ओ0 निर्गत किये गये हैं और बहुत बड़ी संख्या में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण अभी भी नहीं हो सका हैं। जिन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण अभी तक नहीं हो पाया है, उन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों से यह आपेक्षा की जाती है कि वे शासनादेश संख्या सा–3–384/दस–300–99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के साथ संलग्न अनुबन्ध–1 एवं 2 (जो भी लागू हो) पर अपना आवेदन पत्र भरकर उसमें की गयी अपेक्षानुसार प्रेषित करने का कष्ट करें। विभागाध्यक्ष/

कोषाधिकारी को ऐसा प्रपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त, संबंधित पेंशनर पूर्व में भरे गए प्रपत्र के अनुसार कार्यवाही करने के लिए बाध्य नहीं करेंगें। ऐसे प्रपत्र शासनादेश निर्गत होने के 180 दिन के भीतर प्रस्तुत कर दिये जायें। यदि कोषाधिकारी द्वारा शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के अनुसार पेंशन पुनरीक्षित किये जाने के 06 माह के भीतर महालेखाकार से शासनादेश दिनांक 24 अगस्त, 1998 के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षित प्राधिकार–पत्र आ जाता है तो कोषाधिकारी द्वारा शासनादेश 13 अप्रैल, 2000 की न्यूनतम सीमा का संरक्षण किया जाना (पूर्ण सेवा पेंशन, वेतनमान के न्यूनतम के 50% तथा कम सेवा होने पर पेंशन आनुपातिक रूप से कम एवं पारिवारिक पेंशन नये वेतनमान के न्यूनतम का 30%) सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

2–शासनादेश संख्या सा–3–384 / दस–300 / 99, दिनांक 13–4–2000 के संदर्भ में–

शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि कुछ विभागाध्यक्षों के यहां उक्त शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल, 2000 का लाभ केवल 1 जनवरी, 1986 से 31 दिसम्बर, 1995 के मध्य सेवानिवृत्त / मृत सरकारी सेवकों की पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु ही किया जा रहा है और अन्य अवधि में सेवानिवृत्त / मृत सरकारी सेवकों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण यह कह कर नहीं किया जा रहा है कि उक्त शासनादेश केवल दिनांक 1 जनवरी, 1986 से 31 दिसम्बर, 1995 के मध्य सेवानिवृत्त / मृत सरकारी सेवकों पर लागू है। उक्त के सम्बन्ध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के प्रथम पृष्ठ के प्रस्तर–1 की व्यवस्था दिनांक 1 जनवरी, 1986 से 31 दिसम्बर, 1995 के मध्य सेवानिवृत्त / दिवंगत सरकारी सेवकों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु है तथा प्रक्रिया का विस्तृत विवरण शासनादेश के भाग–एक में दिया गया है। इसी शासनादेश के पृष्ठ–1 के प्रस्तर–2 में दिनांक 1 जनवरी, 1996 से सभी पेंशनभोगियों चाहे वे कभी भी सेवानिवृत्त हुए हों, की पेंशन पुनरीक्षण की व्यवस्था निहित है। इस हेतु की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख शासनादेश के भाग–2 में दिया गया है। अतः जिन पेंशनभोगियों की पेंशन पुनरीक्षण शासनादेश 13 अप्रैल, 2000 के प्रस्तर–2 के अनुसार किया जाना है उनमें समयबद्ध गति से कार्यवाही की जाये।

2(1)– शासनादेश संख्या सा–3–38 / दस–300–99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 में यह आदेश प्रसारित है कि दिनांक 1 जनवरी, 1996 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्ति के मामलों में कर्मचारी को पेंशन उसके पद के वेतनमान के पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम नहीं होगी बशर्ते कि कर्मचारी की अर्हकारी सेवा 33 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। यह जिज्ञासा की गयी कि उपरोक्त प्रकार के संशोधन के फलस्वरूप क्या पेंशन के अन्तर की धनराशि का राशिकरण अनुमन्य होगा। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 1 जनवरी, 1996 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्ति के मामले में शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के अनुसार पुनरीक्षण के फलस्वरूप पेंशन में अन्तर की धनराशि के एक भाग का राशिकरण अनुमन्य होगा जो पूर्व पेंशन तथा उसके राशिकृत भाग के अनुपात में ही अनुमन्य होगा। (उल्लेखनीय है कि राशिकरण विगत 1 जनवरी, 1996 को या उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को मूल पेंशन का अधिकतम 40% ही अनुमन्य है) और यह अनुपात अंतर की धनराशि के एक भाग के राशिकरण हेतु परिवर्तित नही किया जा सकेगा। राशिकरण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी–

क–कोषाधिकारी द्वारा पेंशन का पुनरीक्षण किया जायेगा।

ख–(क) उपरोक्त क के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन और मूलतया स्वीकृत पेंशन की धनराशि के अन्तर की धनराशि के एक भाग का राशिकरण कराने के इच्छुक पेंशनर अपने पेंशन स्वीकर्ताधारी को सादे कागज पर प्रार्थना–पत्र देगे। पेंशन स्वीकर्ताधिकारी उक्त प्रार्थना–पत्र के आधार पर परीक्षण करके पेंशन राशिकरण के भुगतान का प्राधिकार–पत्र निर्गत करेंगे।

ग–राशिकरण का मूल्य वही रहेगा जैसा कि मूल राशिकरण स्वीकृत करते समय उसकी आयु के आधार पर अनुमन्य था।

घ–शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अन्तर की धनराशि का राशिकरण कराने के लिए स्वास्थ्य परीक्षण कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

ङ–उपरोक्त प्रकार के राशिकरण के मामलों में पेंशन की धनराशि से कटौती भुगतान की तिथि से की जायेगी तथा राशिकृत धनराशि के पुनर्स्थापन हेतु ऐसे भुगतान की तिथि से 15 वर्ष की गणना की जायेगी। अर्थात इस प्रकार के मामलों में राशिकरण के पुनर्स्थापन की दो तिथियां होगी अर्थात पहली तिथि मूल पेंशन के राशिकरण की तिथि के 15 वर्ष बाद होगी तथा दूसरी तिथि वर्तमान राशिकरण के भुगतान की तिथि के 15 वर्ष बाद होगी।

अ–यदि किन्ही मामलों में पुनरीक्षण पेंशन के एक अंश का राशिकरण कराने का विकल्प देने से पूर्व पेंशनर की मृत्यु हो चुकी है/हो जाती है तो उसके परिवार को राशिकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

2(II)–शासनादेश संख्या सा–3–384/दस–300–99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के भाग–1 के प्रस्तर–9 एवं भाग–2 के प्रस्तर–1 (III) में यह व्यवस्था है कि कोषाधिकारी पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन करके उसकी एक प्रति महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस आशय से भेजेंगे कि वे किये गये संशोधन के सही/गलत होने की पुष्टि 6 माह की अवधि में कर दें। इस संदर्भ में पुनर्विचार किया गया और यह पाया गया कि कयोंकि दिनांक 1 अगस्त, 1985 से शनैः शनैः पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार महालेखाकार उत्तर प्रदेश से लेकर संबंधित विभागों को दिया जा चुका है, अतएव संबधित संशोधित प्राधिकारपत्र की प्रति उसी प्राधिकारी को भेजेंगे जिनके द्वारा मूल भुगतानादेश निर्गत किये गये हैं, अर्थात इन मूल भुगतानादेश महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने निर्गत किये हैं तो महालेखाकार उत्तर प्रदेश, को अन्यथा अन्य उस अधिकारी को जिसने भुगतानादेश निर्गत किये हैं जो 6 माह के अन्दर पेंशन पुनरीक्षण के सही/गलत होने की पुष्टि संबंधित कोषाधिकारी को करेंगे।

2(III)–शासनादेश संख्या सा–3–384/दस–300–99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के भाग–2 के प्रस्तर–1 में व्यवस्था है कि "दिनांक 1 जनवरी, 1996 से सभी पेंशनभोगियों के मामलों में पूर्व पेंशन उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख का ध्यान किये बिना, पेंशनभोगी द्वारा अन्तिम धारित पद के दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम नहीं होगी। तथापि पूर्ण पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा और न्यूनतम पेंशन को विनियमित करने वाले उपबन्ध उसी प्रकार प्रभावी रहेंगे। इसी प्रकार दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पारिवारिक पेंशन, पेंशनभोगी/मृतक सरकारी कर्मचारी के द्वारा धारित अन्तिम पद के 1 जनवरी, 1996 से लागू संशोधित वेतनमान से 30% से कम नहीं होगी। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाना है कि यदि भविष्य में किसी कर्मचारी के अन्तिम दस माह के औसत के आधार पर पूर्ण पेंशन उसके 1 जनवरी, 1996 के पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम आती है तो उसे मूल प्राधिकार–पत्र निर्गत करते समय ही इस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा, किन्तु अर्हकारी सेवा पूर्ण (33 वर्ष) न होने पर यह अनुपातिक रूप से कम स्वीकृत की जायेगी। यही प्रक्रिया पारिवारिक पेंशन हेतु अपनायी जायेगी।

3–शासनादेश संख्या सा–3–697/दस–308/97, दिनांक 5–5–2000 के संदर्भ में–

दिनांक 1 जनवरी, 1996 से जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है और नये वेतनमान में 10 माह पूर्व की पूर्ण अवधि का लाभ पाने के पूर्व ही सेवानिवृत्त हो गये हैं, उन्हें दिानांक 1 जनवरी, 1996 के पूर्व के माहों में आहरित वेतन पर 40% वेटेज का लाभ नहीं दिया गया था। जिसके फलस्वरूप 10 माह के औसत वेतन की धनराशि कम हो रही थी और पेंशन में हानि हो रही है। शासनादेश दिनांक 5–5–2000 से उक्त प्रकार के मामलों में औसत वेतन की गणना हेतु 40% का लाभ दे दिया गया है। अतएव ऐसा विश्वास किया जाता है कि कर्मचारी की पेंशन में हो रही हानि की पूर्ति हो जायेगी, परन्तु यह भी सम्भावना है कि कुछ ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिसमें 40% का लाभ देने के उपरान्त भी पुनरीक्षित पूर्ण पेंशन, पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम 50% तक न पहुंचे। अतएव यह स्पष्ट किया जाता है कि पेंशन पुनरीक्षित करते समय यदि ऐसी स्थिति आ जाती है कि 40% वेटेज

का लाभ देने के बावजूद भी पूर्ण पेंशन की धनराशि पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम 50% से कम आती है तो उसे 50% तक कर दिया जाए। यदि अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है तो पेंशन आनुपातिक रूप से कम स्वीकृत की जायेगी। संबंधित प्राधिकारी पेंशन संशोधित करते समय उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

अनुरोध है कि आप कृपया उपरोक्त स्पष्टीकरण के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुशील चन्द्र त्रिपाठी
प्रमुख सचिव।

———————

संख्या सा–3–150/दस–2000

प्रेषक,

विजय कुमार शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांक 16 अगस्त, 2000

विषय :– दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन पुनरीक्षण– वेतनवृद्धि लाभ के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1062/दस–308–97, दिनांक 24 अगस्त, 1998 के प्रस्तर–2 में यह व्यवस्था है कि सैद्धान्तिक वेतन नियतन करते समय संगत समय पर लागू नियम तथा अनुदेशों के अनुश्रवण में अनुज्ञेय किसी सैद्धान्तिक वेतनवृद्धि के लाभ को, सैद्धान्तिक आधार पर वेतन पुनः नियतन के किसी भी मामले में न बढ़ाया जाए। इस प्रकार 1 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार प्राप्त सैद्धान्तिक वेतन को पेंशन की गणना के प्रयोजनार्थ, औसत परिलब्धियाँ माना जाएगा और तद्नुसार 1 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार पेंशन की गणना निर्धारित पेंशन फार्मूला के अनुसार की जाएगी।

2–उपर्युक्त स्पष्ट व्यवस्था होने के उपरान्त भी अनेकों ऐसे प्रकरण शासन के संज्ञान में आ रहे हैं जिनमें संबंधित विभाग सरकारी कार्मिक के पेंशन प्रपत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजते समय एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ देते हुए पेंशन पुनरीक्षण का प्रस्ताव कर रहे हैं। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इसी सूचना के आधार पर पेंशन का पुनरीक्षण कर रहे हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। यह एक ओर शासकीय आदेशों की अवहेलना है वहीं दूसरी ओर शासन पर अनावश्यक वित्तीय व्यय–भार भी पड़ रहा है।

3–उपरोक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 24 अगस्त, 1998 से आच्छादित प्रकरणों में उक्त शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की जाए तथा जिन प्रकरणों में भी वेतनवृद्धि का लाभ देकर पेंशन का पुनरीक्षण किया गया है उनमें वेतनवृद्धि की सीमा तक के अतिरिक्त लाभ के कारण हुए अधिक भुगतान की वसूली/समायोजन करना सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
विजय कुमार शर्मा
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या : सा–3–जी0आई0–37/दस–301(79)/99

लखनऊ : दिनांक 19 सितम्बर, 2000

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः–वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 1997 की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन में वर्ष 1986 से पूर्व के पेंशन भोगियों/कुटुम्ब पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन में सीमान्त वेतन की अनुमन्यता पर स्पष्टीकरण।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा–3–1062/दस–308–97, दिनांक 24 अगस्त, 1998 में दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण संबंधी आदेश निर्गत किये गये हैं। उपर्युक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 24 अगस्त, 1996 के संदर्भ में अनेकों पेंशनरों एवं पेंशनर संघों ने यह शिकायत की है कि दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व के प्रकरणों में पेंशन पुनरीक्षण हेतु नोशनल वेतन निर्धारण करने में सीमान्त वेतन को सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। और ऐसा न करने से उन्हें पेंशन में हानि हो रही है। अतएव नोशनल वेतन निर्धारण करने में सीमान्त वेतन को भी सम्मिलित किया जाए।

2–उपर्युक्त के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व सेवानिवृत्ति के सभी प्रकरणों में जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ था तो उसकी मूल पेंशन तत्समय उसके द्वारा आहरित अन्तिम दस माह के मूल वेतन तथा सीमान्त विशेष वेतन, जहां अनुमन्य था, के योग पर स्वीकृत हुई थी, जिसका पुनरीक्षण शासनादेश संख्या सा–3–1721/दस–308–97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के आधार पर हुआ है और इस पुनरीक्षण पेंशन में सीमान्त विशेष वेतन का लाभ भी अन्तर्निहित है। अतएव सीमान्त विशेष वेतन का पुनः लाभ दिए जाने का औचित्य नहीं है। इसी के साथ यह भी स्पष्ट करना है कि सीमान्त विशेष वेतन को प्रकल्पित वेतन निर्धारण हेतु तथा परिणामी पेंशन आगणन हेतु भी आगणित नहीं किया जायेगा।

भवदीय,
विजय कुमार शर्मा
सचिव।

सेवा में,

1–समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

2–समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4–महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

—————

संख्या सा0–3–1712/दस–2000-99

प्रेषक,

श्री वी0के0 शर्मा,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 5 जनवरी, 2001

विषयः– शासनादेश संख्या सा–3–384/दस–2000–300–99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के कार्यान्वयन हेतु स्पष्टीकरण।

महोदय,

शासनादेश संख्या सा–3–384/दस–300–99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 में निम्नलिखित व्यवस्था लागू की गयी है–

1– दिनांक 1 जनवरी, 1986 से 31 दिसम्बर, 1995 के बीच की अवधि में सेवानिवृत्त/दिवगंत सरकारी कर्मचारी जिनका अन्तिम आहरित वेतन 1500 रुपया से अधिक था के प्रकरण में कुटुम्ब पेंशन का दिनांक 1 जनवरी, 1996 से संशोधन किया जाएगा।

2– दिनांक 1 जनवरी, 1996 से सभी पेंशन भोगियों के मामलें में उनकी पूर्ण पेंशन, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख का ध्यान किये बिना पेंशन भोगी द्वारा अन्तिम धारित पद के दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम नहीं होगी। तथापि पूर्ण पेंशन के लिए अर्ह सेवा और न्यूनतम पेंशन को विनियमित करने वाले उपबन्ध, उसी प्रकार प्रभावी रहेंगे। इसी प्रकार दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पारिवारिक पेंशन, पेंशनभोगी/मृतक कर्मचारी के द्वारा धारित अन्तिम पद के दिनांक 1 जनवरी, 96 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम वेतन के 30% से कम नहीं होगी। उपरोक्त शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल, 2000 में निहित व्यवस्थाओं के संदर्भ में शासनादेश संख्या–सा–3–1029/दस–308–97, दिनांक 13 जून, 2000 में कतिपय स्पष्टीकरण भी निर्गत किये गये परन्तु उपरोक्त शासनादेशों में निर्गत स्पष्टीकरण के उपरान्त भी, विभिन्न विभागों/कोषाधिकारियों से पारिवारिक पेंशन के संशोधन के संदर्भ में एवं पेंशन के अद्यतन किये जाने के संदर्भ में कतिपय जिज्ञासायें की गयी हैं। उक्त जिज्ञासाओं के निवारण हेतु सम्यक् विचारोपरान्त निम्न प्रकार से स्थिति स्पष्ट करने का मुझे निदेश हुआ है :–

2–(I) शासनादेश संख्या–सा–3–384/दस–300–99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के भाग–1 के अधीन परिवारिक पेंशन के निर्धारण हेतु :–

उपरोक्त शासनादेश के भाग–1 एवं 2 में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशनर द्वारा आवेदन करने पर उसकी पारिवारिक पेंशन की धनराशि का भी पुनरीक्षण, उसके दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 30% की दर पर किया जाना अपेक्षित है। परन्तु शासन स्तर पर यह सूचना प्राप्त हो रही है कि संबंधित कोषागार यह कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इससे पेंशनरों में असंतोष व्याप्त है और वे इस बात के लिए चिन्ताग्रस्त है कि यदि उनके जीवन काल में पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण होकर उनके पी0पी0ओ0 में अंकित नहीं किया गया तो उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके परिवार द्वारा उक्त कार्यवाही कराना संभव ही नही होगा। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि कोषाधिकारी शासनादेश में निहित व्यवस्था के अधीन पारिवारिक पेंशन की धनराशि का भी पुनरीक्षण करके संबधित पेंशनर के पी0पी0ओ0 में आवश्यक रूप से इस आशय की प्रविष्टि अंकित करने का कष्ट करें।

2–(II) सात वर्ष की निरन्तर सेवा करने के उपरान्त मृत्यु होने पर परिवारिक पेंशन के सामान्य दर से दोगुनी होने के संबंध में :–

राज्य सरकार में यह व्यवस्था है कि सेवारत मृत्यु हो जाने की दशा में यदि मृतक ने कम से कम सात वर्ष की अविरल अर्हकारी सेवा की है तो मृत्यु की तिथि से बाद की तिथि से प्रारम्भिक सात वर्ष या उस तिथि तक जब उसने जीवित रहने की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली होती जो भी पहले समाप्त हो, पारिवारिक पेंशन मूल वेतन की आधी अथवा उक्त योजना के अधीन, सामान्य दर पर अनुमन्य पारिवारिक पेंशन की धनराशि की दुगना, जो भी कम हो, के बराबर होगी।

सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु हो जाने की दशा में बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन उस तिथि तक जिस तिथि तक मृत पेंशनर जीवित रहने की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता अथवा सात वर्ष की अवधि, जो भी इन दोनों अवधियों में से पहले घटित हो, इस प्रतिबन्ध के अधीन देय होगी कि पारिवारिक पेंशन की धनराशि किसी भी दशा में सेवानिवृत्ति के उपरान्त सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत की गयी सेवा पेंशन की धनराशि से अधिक नहीं होगी।

विभिन्न कोषागारों से यह जिज्ञासा की जा रही है कि क्या राज्य सरकार की उक्त व्यवस्था अभी प्रभावी है तथा क्या शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के अधीन पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप भी उक्त व्यवस्था के अधीन, जहाँ आच्छादित हो, कार्यवाही की जायेगी। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त प्रसतर–2(II) में उल्लिखित व्यवस्था अभी प्रभावी है और तदनुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

2–(III) शासनादेश संख्या–सा–3–384/दस–300–99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 की व्यवस्था के अधीन कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यवाही करना :–

उपरोक्त शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल, 2000 में पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही हेतु कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त आवेदन–पत्र को संबंधित कोषागारों को भेजने की व्यवस्था है। कुछ कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा आवेदन–पत्र में दिये गये तथ्यों के आधार पर पेंशनर की पुनरीक्षित पेंशन की भी गणना करके कोषगारों को भेजने पर कोषागारों ने इस आशय की आपत्ति की है कि शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल, 2000 की व्यवस्था के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही करने का अधिकार कोषागारों में निहित किया गया है। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि यह सही है कि पेंशन पुनरीक्षण कार्यवाही करने का अधिकार कोषागारों को दिया गया है, परन्तु यदि किन्हीं मामलों में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष ने पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही करके कोषगारों को भेजा है तो ऐसे प्रकरणों को वापस भेजने की आवश्यकता नही है, अपितु कोषाधिकारी उसे पुनः चेक कर लें और यदि यह सही है तो उसके आधार पर अथवा अन्यथा होने पर उसे अपने स्तर से सही करते हुए भुगतान की कार्यवाही करने का कष्ट करें। कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यालय में प्राप्त आवेदन–पत्रों में दी गयी सूचना/तथ्यों को प्रमाणित करके कोषागारों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दें।

2–(IV) साधारण वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान एवं प्रोन्नति वेतनमान के आधार पर पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही हेतु :–

कतिपय कार्यालयों एवं कोषागारों ने यह जिज्ञासा की है शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल, 2000 की व्यवस्था के अधीन दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पेंशन पुनरीक्षण हेतु कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को आहरित साधारण वेतनमान को आधार माना जाए अथवा यदि उसे सेलेक्शन ग्रेड मिला है तो उसे सेलेक्शन ग्रेड के वेतनमान में आहरित वेतन को आधार माना जाय। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पेंशन पुनरीक्षण हेतु कर्मचारी के पद के साधारण वेतनमान के आधार पर दिनांक 1 जनवरी, 1996 को अनुमन्य पुनरीक्षित वेतनमान को ही आधार माना जाय और उसी के आधार पर पारिवारिक पेंशन हेतु उसके न्यूनतम के 30% एवं पूर्ण पेंशन हेतु उसके न्यूनतम के 50% का लाभ

अनुमन्य कराने की कार्यवाही की जाये। उपरोक्त प्रकार से ही जिन प्रकरणों में सरकारी सेवक को वैयक्तिक रूप से प्रोन्नति वेतनमान दे दिया गया है, उन प्रकरणों में भी क्योंकि उसका पदनाम नहीं बदला है, अतएव उन प्रकरणों में भी दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पेंशन पुनरीक्षण हेतु कर्मचारी के मूल पद के साधारण वेतनमान के आधार पर ही उपरोक्तानुसार पेंशन पुनरीक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

2–(V) जहां कर्मचारी का पद समाप्त हो चुका है उनमें पेंशन पुनरीक्षण किया जाना :–

कदाचित कुछ ऐसे भी प्रकरण हो सकते हैं जिनमें सरकारी सेवक दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुआ है और शासन की नीति के अधीन उसका पद भी समाप्त कर दिया गया है या दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पद उच्चीकरण हो गया है या दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पूर्व पद से वरिष्ठ पद सृजित किया गया है और पुराना पद भी विद्यमान है। ऐसे प्रकरणों के संदर्भ में यह जिज्ञासा की जा रही है कि दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पेंशन पुनरीक्षण की क्या नीति रहेगी।

इस संदर्भ में यह स्पष्ट कराना है कि :–

1–जहाँ दिनांक 1 जनवरी, 1996 के पूर्व के पद को दिनांक 1 जनवरी, 1996 से उच्चीकृत कर दिया गया है, उन प्रकरणों में दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पूर्व के पद के उच्चीकृत वेतनमान के न्यूनतम के आधार पर ही दिनांक 1 जनवरी, 96 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण किया जाना आपेक्षित है।

2–जहाँ दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पूर्व के पद से वरिष्ठ पद सृजित किया गया है और पुराना पदनाम विद्यमान है उन प्रकरणों में पुराने पदनाम का जो वेतनमान दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित हुआ है, उसी के आधार पर उसके न्यूनतम के आधार पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

3–जहाँ दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पूर्व का पदनाम समाप्त कर दिया गया है तथा नये नाम से पद सृजित हो गया है, उन प्रकरणों में पुराने पद के वेतनमान के दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन का निर्धारण किया जायेगा। या फिर भी कोई शंका हो तो उसे शासन को संदर्भित कर सकते हैं।

2–(VI) राज्य सरकार के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर यदि अन्य राज्यों में निवास कर रहें हैं तो पेंशन के भुगतान हेतु :–

राज्य सरकार के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से बाहर अन्य राज्यों में रहते हैं और वही के कोषागारों से पेंशन आहरित कर रहे हैं। ऐसे मामलों में पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के पुनरीक्षण के आवेदन–पत्र संबंधित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को भेजेंगे। संबधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष इन आवेदन–पत्रों पर शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल, 2000 में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही करते हुए पेंशन प्रपत्र निर्गमन अधिकारी (महालेखाकार/निदेशक पेंशन/वित्त नियंत्रक, जैसी भी स्थिति हो) को भेंजेगे। जो पेंशन पुनरीक्षित करते हुए इन पुनरीक्षित प्राधिकार–पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजेंगे। महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ऐसे पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्रों को संबधित राज्य के महालेखाकार को अपनी सील अथारिटी सहित भुगतान हेतु प्रेषित कर देंगे।

2–(VII) शासनादेश संख्या–सा–3–384/दस–300–99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 भाग–1 के प्रस्तर–9 एवं भाग–2 प्रस्तर–1(III) के अधीन पुनरीक्षित भुगतानादेश के सत्यापन की कार्यवाही :–

यद्यपि शासनादेश संख्या–सा–3–1029/दस–308–97, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के प्रस्तर–2(II) में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि कोषागारों द्वारा पुनरीक्षित भुगतानादेश की प्रति उसी प्राधिकारी को, उसके सही होने/न होने के सत्यापन हेतु भेजी जाएगी जिसने मूल भुगतानादेश निर्गत किया है। फिर भी विभिन्न कोषागार अभी भी इस दिशा में आश्वस्त नहीं है और निरन्तर शंका व्यक्त कर रहें हैं कि पुनरीक्षित

प्रधिकार–पत्र सत्यापन हेतु किसे भेजा जाए। इस संदर्भ में मुझे पुनः स्पष्ट करना है कि संबंधित कोषाधिकारी संशोधित प्राधिकार–पत्र की प्रति उसी प्राधिकारी को भेजेगें जिनके द्वारा मूल भुगतानादेश निर्गत किये गये है, अर्थात् यदि मूल भुगतानादेश महालेखाकर उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने निर्गत किये है तो महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को अन्यथा अन्य उस प्राधिकारी को जिसने भुगतानादेश निर्गत किये हैं भेजेंगे। जो 6 माह के अन्दर पेंशन पुनरीक्षण के सही/गलत होने की पुष्टि संबंधित कोषाधिकारी को करेंगे।

2–(VII) शासन स्तर पर ऐसे भी प्रकरण संदर्भित हो रहे हैं जहां यह उल्लेख किया जा रहा है कि शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार पेंशन का पुनरीक्षण करने पर संबधित पेंशनर की पेंशन पूर्व से मिल रही पेंशन से कम आ रही है, अतएव उनमें पुनरीक्षण किस प्रकार किया जाये। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पुनरीक्षण के पूर्व से मिल रही पेंशन/पारिवारिक पेंशन से कम आ रही है तो ऐसा पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा और पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को प्राप्त हो रही पेंशन/पारिवारिक पेंशन ऐसे पुनरीक्षण के फलस्वरूप कम नहीं की जाएगी।

अनुरोध है कि आप कृपया उपरोक्त स्पष्टीकरण के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
वी0 के0 शर्मा
सचिव।

———

संख्या सा0–3–350/दस–300-99

प्रेषक,

विजय कुमार शर्मा,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 3 मार्च, 2001

विषयः– शासनादेश संख्या सा–3–384/दस–300–99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 एवं शासनादेश संख्या सा–3–1712/दस–300–99, दिनांक 5 जनवरी, 2001 में निर्गत स्पष्टीकरण के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या सा–3–384/दस–300–99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या सा–3–1712/दस–2001–300–99, दिनांक 5 जनवरी, 2001 में कतिपय स्पष्टीकरण निर्गत किए गए हैं। उक्त शासनादेश दिनांक 5 जनवरी, 2001 के प्रस्तर–1(II) में इस आशय का स्पष्टीकरण निर्गत किया जा चुका है कि दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पेंशन पुनरीक्षण हेतु कर्मचारी के पद के साधारण वेतनमान के आधार पर दिनांक 1 जनवरी, 1996 को अनुमन्य पुनरीक्षित वेतनमान को ही आधार माना जाए और उसी के आधार पर पारिवारिक पेंशन हेतु उसके न्यूनतम के 30% एवं पूर्ण पेंशन हेतु उसके न्यूनतम के 50% का लाभ अनुमन्य कराने की कार्यवाही की जाए। उपरोक्त प्रकार से ही जिन प्रकरणों में सरकारी सेवक को वैयक्तिक रूप से प्रोन्नति वेतनमान दे दिया गया है, उन प्रकरणों में भी क्योंकि उसका पदनाम नहीं बदला गया है, दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षण हेतु कर्मचारी के मूल पद के साधारण वेतनमान के आधार पर ही पुनरीक्षण किया जाए। परन्तु शासन स्तर पर इस आशय की जानकारी निरन्तर प्राप्त हो रही है कि विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल, 2000 की व्यवस्था के अधीन पेंशन पुनरीक्षण करते हुए सेलेक्शन ग्रेड के वेतनमान/वैयक्तिक रूप से सेलेक्शन ग्रेड

के उपरान्त दिये गये वेतनमान के आधार पर दिनांक 1 जनवरी, 1996 से शासनादेश 13 अप्रैल, 2000 सपठित शासनादेश 13 जून, 2000 तथा शासनादेश दिनांक 5 जनवरी, 2001 के परिप्रेक्ष्य में पेंशन पुनरीक्षण की संस्तुति कर रहे हैं। यह कार्यवाही नियमानुसार नहीं है क्योंकि यह शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल, 2000 तथा शासनादेश दिनांक 5 जनवरी, 2001 में निर्गत स्पष्टीकरण की भावना के अनुकूल नहीं है। उक्त प्रकार की कार्यवाही करने से जहाँ नियमों का सही पालन नहीं हो रहा है, वहीं राज्य सरकार को वित्तीय हानि भी हो रही है।

2–शासनादेश संख्या सा–3–384/दस–300–99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के भाग–2 के प्रस्तर–1(II) में यह व्यवस्था है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा अपने आवेदन–पत्र में दी गयी सूचना की सत्यता को आपके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। इसी प्रकार से शासनादेश से संलग्न अनुबन्ध–2 के कालम–8 में पेंशनर द्वारा उल्लिखित अंतिम धारित पद के वेतनमान तथा अन्तिम आहरित वेतन को भी प्रमाणित किया जायेगा। इसी क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन–पत्र के कालम–8 में ही आपके द्वारा आवश्यक रूप से यह भी प्रमाणित किया जाएगा कि उल्लिखित वेतनमान कर्मचारी के पद का साधारण वेतनमान है तथा उसे अनुमन्य कराए गए सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान अथवा वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराये गये प्रोन्नति वेतनमान नहीं है। उक्त सूचना को प्रमाणित किये बगैर भुगतानादेश कोषागारों को न भेजे जाएं।

3–इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जिन प्रकरणों में शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल, 2000 की भावना के विपरीत पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही की गयी है, उनकी जाँच करके, उसे सही करते हुए अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली की कार्यवाही करने का कष्ट करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल, 2000 एवं शासनादेश दिनांक 5 जनवरी, 2001 में निर्गत स्पष्टीकरण की भावना के विपरीत भविष्य में भी कार्यवाही न की जा जाए।

भवदीय,

विजय कुमार शर्मा

सचिव, वित्त।

————

<u>संख्या सा–3–911/दस–2001–933-89 टी0सी0</u>

प्रेषक,

श्री वी0 के0 शर्मा,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 16 जुलाई, 2001

विषय :– पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या सा–3–1713/दस–87–933–89, दिनांक 28 जुलाई, 1989 द्वारा पेंशन प्रकरणों को अन्तिम रूप देने में होने वाले अनेक प्रकार के विलम्बों में कमी लाने के उद्देश्य से विस्तृत आदेश निर्गत किये गये हैं किन्तु अब भी अनेक मामलों में विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों के स्तर पर पेंशन प्रपत्रों को प्रेषित करने में विभिन्न कारणों से काफी विलम्ब किया जाता है जिसके कारण पेंशन के अनेक प्रकरणों में सेवानिवृत्ति के दिनांक के तत्काल बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन एवं अन्य देय प्राप्त नहीं हो पाते हैं। पेंशन के मामलों के सही तरीके से निस्तारित करने के संबंध में शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारी के सेवाकाल के मध्य गलत वेतन निर्धारण, सेवा पुस्तिका का पूर्ण न होना तथा अदेयता प्रमाण–पत्र निर्गत न होने के कारण पेंशन प्रकरण निस्तारित करने

में विलम्ब होता है। अतः सम्यक् रूप से विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्न प्रकार और सरलीकृत प्रक्रिया अपनाने के आदेश प्रदान करते हैं :–

1–पेंशन प्राधिकार–पत्र जारी करने से पूर्व पेशंन प्राधिकर्ता अधिकारी सामान्यतया संबंधित सरकारी सेवक की अन्तिम 10 माह की परिलब्धियों की संनिरीक्षा करेंगे और पूरी अवधि के सही वेतन निर्धारण एवं भुगतान का दायित्व संबंधित कार्यालयाध्यक्षों/आहरण वितरण अधिकारियों का रहेगा। अदेयता प्रमाण–पत्र के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि कार्यालयाध्यक्ष निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं स्थिति स्पष्ट करते हुए अदेयता प्रमाण–पत्र निर्गत करेंगे। यदि किन्हीं कारणोंवश सेवानिवृत्ति की तिथि तक अदेयता की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो संबंधित पेंशनर से निर्धारित बन्धक–प्रपत्र पर बन्धक–पत्र भरवाकर सेवानिवृत्त लाभ अवमुक्त कर दिया जाये तथा बन्धक–प्रपत्र की निर्धारित अवधि के भीतर अदेयता की स्थिति को पूर्णतया स्पष्ट करा लिया जाय ताकि शासकीय क्षति न हो।

2–जिन मामलों में लम्बित विभागीय कार्यवाही के कारण अदेयता प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना संभव न हो उन मामलों में स्वयं से कर्मचारी को अनन्तिम पेंशन स्वीकृत करते हुए विभागीय कार्यवाही यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर ली जाये।

3–अतएव अनुरोध है कि आप तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्ति की तिथि को ही पेंशन भुगतान आदेश प्राप्त हो सके।

भवदीय,
वी0 के0 शर्मा
सचिव, वित्त।

संख्या सा–0–000/दस–0000

प्रेषक,

शिव प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांक 5 दिसम्बर, 2001

विषय :– शासनादेश संख्या सा–3–911/दस–2001–933–89 टी0सी0, दिनांक 16 जुलाई, 2001 के स्पष्टीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या पे0नि0–कैम्प–3–2001–697, दिनांक 4 सितम्बर, 2001 में संदर्भित जिज्ञासा बिन्दुओं के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 16 जुलाई, 2001 के निर्गत होने के पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों के 36 माह में आहरित वेतन की संनिरीक्षा की जाती थी, परन्तु उसके साथ आवश्यकता पड़ने पर उसके पूर्व वर्षों में आहरित वेतन की भी संनिरीक्षा की जा सकती थी। शासनादेश दिनांक 16 जुलाई, 2001 में केवल यह संशोधन किया गया है कि पेंशन प्राधिकारी पत्र जारी करने से पूर्व पेंशन प्राधिकर्ता अधिकारी सामान्यतया संबंधित सरकारी सेवक की अन्तिम 10 माह की परिलब्धियों की संनिरीक्षा करेंगे और पूर्व अवधि के सही वेतन निर्धारण एवं भुगतान का दायित्व संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी का रहेगा। उपरोक्त के साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि सरकारी सेवक के अन्तिम 10 माह के पूर्व किसी अवधि में गलत वेतन निर्धारण

परिलक्षित होता है जिसके कारण राज्य सरकार को वित्तीय क्षति हुई है तो राज्य सरकार को वित्तीय क्षति से बचाने के उद्‌देश्य से, उस तथ्य की जानकारी उसके कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से कराई जाए और कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्यवाही कराने के उपरान्त ही सुसंगत नियमों के अन्तर्गत परिक्षणोपरान्त प्राधिकार—पत्र निर्गत किया जाए।

2—शासनादेश संख्या सा—3—911/दस—2001—933—89 टी0सी0, दिनांक 16 जुलाई, 2001 में निहित व्यवस्था का यह आशय कदापि नहीं है कि पेंशन प्रकरण त्रुटिपूर्ण होने पर भी उसे मान्यता प्रदान कर दी जाए और उससे शासन को वित्तीय क्षति उठानी पड़े। पेंशन प्रकरणों को निस्तारित करते समय शासन के हितों का विशेष ध्यान अवश्य रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाये कि शासन को किसी भी स्थिति में वित्तीय क्षति न हो।

भवदीय,
शिव प्रकाश
विशेष सचिव।

—————

संख्या सा—3—1071/दस—2002—300(9)—2000

प्रेषक,

शिव प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 लखनऊ, दिनांक 15 जून, 2002

विषय :— उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के सेवानैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके अर्धशासकीय पत्र संख्या पे0नि0/अधि0/02/4785, दिनांक 17 मई, 2002 में संदर्भित कठिनाइयों के निराकरण के बिन्दु पर सम्यक् रूप से विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :—

(1) जिन मामलों में पेंशन प्रपत्र अभी तक नहीं भेजे गए हैं, ऐसे सभी मामले जिस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हों, उस राज्य द्वारा ही निस्तारित किए जाएं। अर्थात् उत्तरांचल राज्य की भौगोलिक सीमाओं में स्थित कार्यालयों में कार्यरत दिनांक 8 नवम्बर, 2000 तक सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों के पेंशन प्रकरण यदि उनके पेंशन प्रपत्र पहली बार भेजे जाने हैं तो वह उत्तरांचल राज्य द्वारा ही निस्तारित किये जायें।

(2) उत्तरांचल राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के जिन मामलों में आपत्तियाँ हैं अथवा कुछ पृच्छाएं की गयी हैं और प्रकरण निस्तारित नहीं हो सके हैं, ऐसे प्रकरणों में भी इनके निस्तारण की पूर्ण कार्यवाही उत्तरांचल राज्य द्वारा ही की जाए किन्तु इस हेतु आप ऐसे प्रकरणों का पूर्ण विवरण तैयार कर यह प्रमाणित करते हुए कि यह प्रकरण अभी तक अन्तिम रूप से निस्तारित नहीं हो सके हैं, निदेशक कोषागार एवं वित्तीय सेवाएं उत्तरांचल राज्य को भेज देंगे ताकि वे अपने स्तर से इनका निस्तारण करा सकें।

(3) उत्तरांचल राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के जिन मामलों में पेंशन स्वीकृति के आदेश निर्गत हो चुके थे और उनका पुनरीक्षण किन्हीं कारणों से अपेक्षित है, ऐसे प्रकरण में पुनरीक्षण की कार्यवाही आपके द्वारा अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा की जाएं। किन्तु इस कार्यावाही से पूर्व समस्त तथ्य एवं सूचना उत्तरांचल राज्य के निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवाएं से प्रमाणित करा ली जाएगी।

(4) यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निर्गत होने वाले पेंशन प्राधिकार–पत्रों में इस सूचना का स्पष्ट उल्लेख है कि भुगतान की जाने वाली धनराशि का कितना अंश उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा तथा कितना अंश उत्तरांचल राज्य द्वारा वहन किया जाएगा।

(5) आप कृपया उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव प्रकाश
विशेष सचिव।

————

संख्या सा–3–873 / दस–03–308(9)–02

प्रेषक,

शिव प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांक 4 जुलाई, 2003

विषय :– नामांकित व्यक्ति को ग्रेच्युटी की धनराशि भुगतान किये जाने पर मांगा गया मार्गदर्शन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्ध शा0 पत्र संख्या 101 / 50457 / 12599 / 9859, दिनांक 15 नवम्बर, 2002 के संदर्भ में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि ग्रेच्युटी दो प्रकार की हो सकती है :–

1–मृत्यु ग्रेच्युटी

2–सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी

मृत्यु ग्रेच्युटी के संबंध में यह स्पष्ट करना है कि यदि सरकारी सेवक की मृत्यु सेवारत दशा में होती है तो उसके नामांकन के आधार पर यदि है, भुगतान किया जाएगा। नामांकन के संबंध में यह प्रतिबन्ध है कि यदि सरकारी सेवक का परिवार है तो नामांकन परिवार के सदस्यों के ही मध्य किया जाएगा। यदि नामांकन नहीं है और परिवार है तो शासनादेश में निहित प्राविधान के अधीन बराबर–बराबर बांट दिया जाएगा। यदि नामांकन भी नहीं है और परिवार भी नहीं है, इस दशा में धनराशि शासन को व्यपगत हो जाएगी। यह भी स्पष्ट करना है कि मृत्यु ग्रेच्युटी के लिए उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र मान्य नहीं है।

सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के संबंध में यह स्पष्ट करना है कि यदि सरकारी सेवक ने सेवानिवृत्ति से पूर्व अथवा बाद में अपने पेंशन प्रपत्र प्रस्तुत कर दिए हैं और सेवानिवृत्ति के उपरान्त उसमें निहित मदों की धनराशि प्राप्त करने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका भुगतान उसके नामांकन के आधार पर

किया जाएगा। यह भी स्पष्ट करना है कि क्योंकि सेवानिवृत्ति के उपरान्त उसने अपने पेंशन दावे को प्रस्तुत कर दिया है अतएव उस दशा में ग्रेच्युटी की मद की धनराशि पर उसका स्वामित्व स्थापित मान लिया जाएगा और उस धनराशि को यदि कोई वैध उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र लेकर आता है तो, भुगतान करने में कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। क्योंकि यह उसकी निजी सम्पत्ति मानी जायेगी।

कृपया तदनुसार स्थिति से अवगत होना चाहें।

भवदीय,

शिव प्रकाश

विशष सचिव।

————

संख्या सा–3 ए0जी0–15 / दस–2004–308-97

प्रेषक,

मनजीत सिंह,
सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 23 जुलाई, 2004

विषयः– कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1062 / दस–308–97, दिनांक 24 अगस्त, 1998 एवं शासनादेश संख्या सा–3–384 / दस–300–99, दिनांक 13 अप्रैल, 2004 तथा शासनादेश संख्या सा–3–697 / दस–308–97, दिनांक 5 मई, 2000 के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन के संशोधन हेतु निर्गत आदेशों के संदर्भ में निर्गत स्पष्टीकरण संख्या सा–3–1029 / दस–308–97, दिनांक 13 जून, 2000 के प्रस्तर–2(2) के उप प्रस्तर–2(III) की अन्तिम पंक्ति में यह व्यवस्था की गयी है कि ''यही प्रक्रिया पारिवारिक पेंशन हेतु अपनायी जायेगी''। उक्त के सम्बन्ध में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा यह जिज्ञासा की गयी है कि क्या पारिवारिक पेंशन में भी अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम होने पर अनुपातिक कमी की जायेगी।

2–इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि निर्गत सपष्टीकरण शासनादेश संख्या सा–3–1029 / दस–308–97, दिनांक 13 जून, 2000 के प्रस्तर–2(2) के उप प्रस्तर–2(III) की अन्तिम पंक्ति ''यही प्रक्रिया पारिवारिक पेंशन हेतु अपनायी जायेगी'' को विलुप्त कर दिया जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 13 जून, 2000 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3–अनुरोध है कि आप कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

मनजीत सिंह

सचिव, वित्त।

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

———

संख्या सा–3–469/दस–2005–301(9)–03

लखनऊ, दिनांक 7 अप्रैल, 2005

———

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (संशोधन) रूल्स, 2005

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (संशोधन) रूल्स, 2005 कही जायेगी।

(2) यह 1 अप्रैल, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

नियम 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 में, नियम 2 में, वर्तमान उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपनियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(3) यह नियमावली राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में पेंशनी स्थापन सेवाओं और पदों पर, चाहे वे अस्थायी हों या स्थायी हों, 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् प्रवेश करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।''

आज्ञा से,

रीता शर्मा

वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव।

———

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

———

संख्या सा–3–1517/दस–2005–308–2004

लखनऊ, दिनांक 22 सितम्बर, 2005

———

कार्यालय–ज्ञाप

विषय :– राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि के मूल पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई राहत का महंगाई पेंशन में परिवर्तन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों के मूल पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई राहत को मूल पेंशन में परिवर्तित करते हुए दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से ''महंगाई पेंशन'' के रूप में अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

2–''महंगाई पेंशन'' को संबंधित देयकों में अलग से प्रदर्शित किया जायेगा।

3–उपर्युक्त निर्णय के फलस्वरूप वर्तमान में अनुमन्य 64 प्रतिशत महंगाई राहत के स्थान पर दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से पेंशन एवं ''महंगाई पेंशन'' के योग पर 14 प्रतिशत महंगाई राहत देय होगी।

4–दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से दिनांक 31 जनवरी, 2006 के मध्य सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन निर्धारण में कोई हानि न हो, इस हेतु उनके मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई भत्ता को दिनांक 1 अप्रैल, 2005 के पूर्व से ही ऐसी तिथि से प्रकल्पित आधार पर संविलीन मानते हुए पेंशन निर्धारण की गणना की जायेगी जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व के 10 माह की अवधि ऐसे संविलियन से आच्छादित हो जाये।

5–यह आदेश ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू है, और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, पर भी लागू होंगे।

6–यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

शेखर अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

———

संख्या सा–3–1746/दस–2005–308–2004

प्रेषक,

मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांक 2 दिसम्बर, 2005

विषय :– राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि के मूल पेंशन के 50% बराबर महंगाई राहत का महंगाई पेंशन में परिवर्तन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 द्वारा जारी किए गए शासनादेश संख्या वे0आ0–2–975/दस–2005–41–2004, दिनांक 22 सितम्बर, 2005 में राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मूल वेतन के 50% के बराबर महंगाई भत्ते का परिवर्तन दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से महंगाई वेतन के रूप में किया

गया है। इसके अतिरिक्त कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1517/दस–2005–308–2004, दिनांक 22 सितम्बर, 2005 द्वारा सिविल/पारिवारिक पेंशनर्स आदि के मूल पेंशन के 50% बराबर महंगाई राहत को दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से महंगाई पेंशन के रूप में परिवर्तित किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में शासन को कतिपय प्रश्न संदर्भित हुए हैं जिनके संबंध में निम्नवत् स्पष्टीकरण जारी किए जा रहे हैं :–

उठाये गये प्रश्न	स्पष्टीकरण
1–दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 22 सितम्बर, 2005 में महंगाई वेतन को पेंशनरी लाभों के प्रयोजनार्थ मूल वेतन माना गया है। अतएव दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामलों में पेंशन निर्धारण मूल वेतन तथा महंगाई वेतन के योग के आधार पर किया जयेगा। परिणामस्वरूप इन मामलों में महंगाई पेंशन को अलग प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिये जिसकी कृपया पुष्टि कर दी जाये।	कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1517/दस–2005–308–2004, दिनांक 22 सितम्बर, 2005 के प्रावधानों के अनुसार पेंशन के 50% के बराबर महंगाई राहत को महंगाई पेंशन में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से परिवर्तित किये जाने के कारण यह परिवर्तिन उन्हीं पेंशनरों के मामले में अपेक्षित होगा जिन्हें दिनांक 1 अप्रैल, 2005 के पहले पेंशन देय हो चुकी थी। दूसरे शब्दों में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामलों में महंगाई राहत का कोई अंश महंगाई पेंशन के रूप में अलग से प्रदर्शित किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पेंशन का निर्धारण ही वेतन एवं महंगाई वेतन दोनों के योग पर आधारित होगा।
2–प्रदेश में वर्तमान समय में न्यूनतम पेंशन रु0 1275 तथा अधिकतम पेंशन रु0 13,000 निर्धारित है। 50 प्रतिशत महंगाई राहत को महंगाई पेंशन में परिवर्तित किए जाने के कारण क्या पेंशन की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमाएं भी अनुपातिक रूप में बढ़ जायेंगी?	चूँकि, कार्यालय–ज्ञाप संख्या वे0आ0–2–975/दस–2005–41–04, दिनांक 22 सितम्बर, 2005 के प्रस्तर–4 में यह स्पष्ट किया गया है कि वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन के रूप में परिवर्तित करते हुए उसे सेवानैवृत्तिक लाभों के प्रयोजनार्थ मूल वेतन मान लिया गया है, अतः कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1720/दस–308–97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के प्रस्तर–4 एवं 6(1) में उल्लिखित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से 50 प्रतिशत बढ़ी हुई समझी जायेगी। दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के उल्लिखित आदेश तदनुसार इस सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे।

2–कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
मनजीत सिंह
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

———————

संख्या सा–3–151 / दस–2006–308–2004

लखनऊ, दिनांक 31 जनवरी, 2006

———————

कार्यालय–ज्ञाप

विषय :– राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि के मूल पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई राहत का महंगाई पेंशन में परिवर्तन की तिथि में संशोधन।

राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों के मूल पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई राहत को मूल पेंशन में परिवर्तित करते हुए दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से ''महंगाई पेंशन'' के रूप में अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–151 / दस–2005–308–2004, दिनांक 22 सितम्बर, 2005 द्वारा की गयी थी, जिसके क्रम में कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति शासनादेश संख्या सा–3–1746 / दस–2005–308–2004, दिनांक 2 दिसम्बर, 2005 द्वारा स्पष्ट की गयी। इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उक्त व्यवस्था को दिनांक 1 अप्रैल, 2005 के स्थान पर दिनांक 1 अप्रैल, 2004 से लागू करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसके फलस्वरूप दिनांक 1 अप्रैल, 2004 को अनुमन्य 61 प्रतिशत महंगाई राहत के स्थान दिनांक 1 अप्रैल, 2004 से पेंशन एवं ''महंगाई पेंशन'' के योग पर 11 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत देय होगी। इसी क्रम में दिनांक 1 जुलाई, 2004 तथा दिनांक 1 जनवरी, 2005 से मूल पेंशन एवं महंगाई पेंशन के योग पर क्रमशः 14 प्रतिशत तथा 17 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत देय होगी।

2–दिनांक 1 अप्रैल, 2004 से दिनांक 31 जनवरी, 2005 के मध्य सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन निर्धारण में कोई हानि न हो, इस हेतु उनके मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई भत्ता को दिनांक 1 अप्रैल, 2004 के पूर्व से ही ऐसी तिथि से प्रकल्पित आधार पर संविलीन मानते हुए पेंशन निर्धारण की गणना की जायेगी जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व के 10 माह की अवधि ऐसे संविलियन से आच्छादित हो जाये।

3–जिन मामलों में पेंशन राशिकरण पूर्व में स्वीकृत हो चुका है, उनमें इसका पुनः निर्धारण नहीं किया जायेगा।

4–उपर्युक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 22 सितम्बर, 2005 तथा शासनादेश दिनांक 2 दिसम्बर, 2005 एवं अन्य सुसंगत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायें।

शेखर अग्रवाल

प्रमुख सचिव।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

—————

संख्या सा–3–35/दस–07–101(6)-2005

प्रेषक,

श्री शेखर अग्रवाल,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 16 जनवरी, 2007

विषयः– पेंशन प्राधिकार–पत्र को निर्गत करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पेंशन प्रपत्रों की जाँच करते समय सेवानिवृत्त कर्मचारी के वेतन निर्धारण की संनिरीक्षा की अवधि का निर्धारण।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि समय–समय पर यह प्रश्न उठाया जाता रहा है कि पेंशन प्राधिकार–पत्र को निर्गत करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पेंशन प्रपत्रों की जाँच करते समय सेवानिवृत्त कर्मचारी के वेतन निर्धारण की संनिरीक्षा किस सीमा तक की जाए। इस विषय पर पिछली बार जो शासनादेश संख्या सा–3–1952/दस–933/89 टी0सी0, दिनांक 5 दिसम्बर, 2001 को जारी किया गया है उसमें निम्नांकित व्यवस्था है :–

''यदि सरकारी सेवक के अन्तिम 10 माह के पूर्व किसी अवधि में गलत वेतन निर्धारण परिलक्षित होता है, जिसके कारण राज्य सरकार को वित्तीय क्षति हुई है तो राज्य सरकार को वित्तीय क्षति से बचाने के उद्देश्य से, उस तथ्य की जानकारी उसके कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से करायी जाय और कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्यवाही कराने के उपरान्त ही सुसंगत नियमों के अन्तर्गत परीक्षणोपरान्त प्राधिकार–पत्र निर्गत किया जाए।''

''पेंशन प्रकरणों को निस्तारित करते समय शासन के हितों का विशेष ध्यान अवश्य रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि शासन को किसी भी स्थिति में वित्तीय क्षति न हो।''

2–शासन स्तर से निर्गत उपरोक्त आदेशों के आधार पर पेंशन प्राधिकर्ता अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारी की केवल सेवानिवृत्ति के पूर्व के 10 महीनों की परिलब्धियों की ही नहीं, बल्कि सेवापुस्तिका/अभिलेखों के आधार पर दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण से लेकर आगे समय–समय पर हुये वेतन निर्धारण की संनिरीक्षा भी की जा रही है, जिससे पेंशन प्राधिकार–पत्र निर्गत करने में विलम्ब होने के अलावा कतिपय अन्य कठिनाइयाँ भी प्रकाश में आयी हैं।

3–अधिवर्षता पेंशन और मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक की अदायगी में होने वाले विलम्ब आदि को दूर करने के उद्देश्य से कार्यविधि का सरलीकरण विषय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या सा–3–2085/दस–907–76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 के प्रस्तर–2 के उप प्रस्तर–2(ग) का निम्नांकित अंश विशेष रूप से अवलोकनीय है :–

''इस कार्य में केवल औसत परिलब्धियों के लिए गणितात्मक (Arithmetical) संगणना ही अन्तर्ग्रस्त नहीं है बल्कि परिलब्धियों की सत्यता की जाँच भी करानी होगी। परिलब्धियों की सत्यता स्वभावतः इस बात पर निर्भर करेगी कि इस दस माह की अवधि के आरम्भ होने वाली पहली तारीख को प्राप्त परिलब्धियाँ भी सही हों। परन्तु पहले की

परिलब्धियों की सत्यता की जाँच, चाहे पेंशन के कागज, तैयार करने वाले कार्यालय में हों अथवा बाद में पेंशन अदायगी आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार कार्यालय में हो, गहरी छान–बीन हेतु काफी पीछे जाने का अवसर नहीं होना चाहिए, कम से कम उतनी जाँच की जानी चाहिए जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है। किसी भी स्थिति में उक्त जाँच सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व के 34 महीने की अवधि से अधिक अवधि के सम्बन्ध में करने की आवश्यकता साधारणतया नहीं होनी चाहिये।''

4–शासन के उपरोक्त आदेश अभी तक प्रभावी हैं परन्तु संदर्भित शासनादेश दिनांक 5 दिसम्बर, 2001 में दिये गये निर्देशों को देखते हुये पेंशन प्राधिकर्ता अधिकारी दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण तक की जाँच भी करने लगे हैं, जिससे पेंशन प्राधिकार–पत्र निर्गत करने में विलम्ब होता है। अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नांकित आदेश प्रदान किये गये हैं :–

(1) उक्त संदर्भित शासनादेश, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 के उपरोक्त प्रावधान के ही अनुसार पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृति हेतु सेवानिवृत्ति की तारीख से 10 माह पूर्व की परिलब्धियाँ तथा उसके 2 वर्ष पूर्व अर्थात् कुल 34 महीने का रिकार्ड ही देखा जायेगा।

(2) पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी का किसी कर्मचारी के सेवाकाल में वेतन के निर्धारण में त्रुटि को ठीक कराने का दायित्व उपरोक्त (1) में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगा। वेतन–निर्धारण की त्रुटियों को कर्मचारी के सेवारत रहते हुए ही सामान्य जाँच/आडिट के माध्यम से दूर किये जाने की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जाये।

5–कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कराने का कष्ट करें, जिससे कि भविष्य में पेंशन स्वीकृत किये जाने में विलम्ब न हो।

भवदीय,
शेखर अग्रवाल
प्रमुख सचिव, वित्त।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या सा–3–833/दस–2007–308–2004 टी0सी0 II

लखनऊ, दिनांक 15 जून, 2007

कार्यालय–ज्ञाप

राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि के मूल पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई राहत का महंगाई पेंशन में परिवर्तन के सम्बन्ध में कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–151/दस–2006–308–2004, दिनांक 31 जनवरी, 2006 के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों के मूल पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई राहत को मूल पेंशन में परिवर्तित करते हुए दिनांक 1 अप्रैल, 2004 से अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था उक्त संदर्भित कार्यालय–ज्ञाप, दिनांक 31 जनवरी, 2006 के द्वारा की गयी थी। उक्त

कार्यालय–ज्ञाप के प्रस्तर–3 में यह उल्लेख है कि ''जिन मामलों में पेंशन राशिकरण पूर्व में स्वीकृत हो चुका है, उनमें इसका पुनः निर्धारण नहीं किया जायेगा।''

2–उक्त के सम्बन्ध में शासन को प्राप्त अनेक संदर्भों पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–151/दस–2006–308–2004, दिनांक 31 जनवरी, 2006 के प्रस्तर–3 को एतद्द्वारा विलुप्त किया जाता है।

3–इसका प्रभाव यह होगा कि सम्बन्धित पद धारक यदि चाहेगा तो पेंशन राशिकरण को संशोधित करा लेगा जिसके फलस्वरूप पेंशन में होने वाली कमी के कारण अधिक भुगतान की धनराशि का उसे राशिकरण के रूप में मिलने वाले भुगतान में से समायोजित कर लिया जायेगा।

4–उपर्युक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 31 जनवरी, 2006 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

शेखर अग्रवाल

प्रमुख सचिव।

————

संख्या सा–3–72/दस–2009–300–99

प्रेषक,

बी0 एन0 दीक्षित,

सचिव, वित्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांक 2 मार्च, 2009

विषय :– शासनादेश संख्या सा–3–384/दस–300–99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के परिप्रेक्ष्य में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित अन्तिम पद के वेतनमान के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

शासनादेश संख्या सा–3–384/दस–300–99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 द्वारा यह निर्देश जारी किए गए थे कि :–

(1) ''दिनांक 1 जनवरी, 1986 से 31 दिसम्बर, 1995 के बीच की अवधि में सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों जिनका अन्तिम आहरित वेतन 1500 रुपया से अधिक था के प्रकरण में कुटुम्ब पेंशन का दिनांक 1 जनवरी, 1996 से संशोधित किया जायेगा। पेंशन संशोधन भाग एक में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(2) दिनांक 1 जनवरी, 1996 से सभी पेंशनभोगियों के मामले में उनकी पूर्ण पेंशन, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख का ध्यान किए बिना, पेंशनभोगी द्वारा अन्तिम धारित पद के दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। तथापि पूर्ण पेंशन के लिए अर्ह सेवा और न्यूनतम पेंशन को विनियमित करने वाले उपबन्ध, उसी प्रकार प्रभावी रहेंगे। इसी प्रकार दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पारिवारिक पेंशन, पेंशनभोगी/मृत कर्मचारी के द्वारा धारित अन्तिम पद के दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू संशोधित वेतनमान में

न्यूनतम वेतन के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी। पेंशन संशोधन भाग दो में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।''

उक्त शासनादेश के फलस्वरूप अन्तिम धारित पद के वेतनमान के न्यूनतम के सापेक्ष पूर्ण पेंशन (33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पर) का लाभ उन राज्य कर्मियों को नहीं मिल सका था जिनको वैयक्तिक रूप से समयमान वेतनमान अथवा प्रोन्नत वेतनमान अनुमन्य हुआ है क्योंकि वैयक्तिक रूप से समयमान वेतनमान/ प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त होने से अन्तिम धारित पद का वेतनमान परिवर्तित नहीं होता है।

2–इस संबंध में राज्य सरकार को इस आशय के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए है कि वैयक्तिक रूप से प्राप्त समयमान वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान के प्रकरणों में भी न्यूनतम पेंशन से संबंधित लाभ अनुमन्य कराया जाए।

3–अतएव सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष आदेश देते हैं कि शासनादेश संख्या सा–3–384/दस–300–99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के प्रस्तर–1(2) के अंश ''दिनांक 1 जनवरी, 1996 से सभी पेंशनभोगियों के मामले में उनकी पूर्ण पेंशन, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख का ध्यान किए बिना, पेंशनभोगी द्वारा अन्तिम धारित पद के दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी'' का अर्थ होगा कि ''सभी पेंशनभोगी की पेंशन उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर विचार किए बिना दिनांक 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार पेंशनभोगी के द्वारा अधिवर्षता/सेवानिवृत्ति के समय पर धारित वेतनमान के पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।'' शासनादेश संख्या सा–3–384/दस–300–99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 में निहित अन्य उपबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,
बी0 एन0 दीक्षित
सचिव, वित्त।

अध्याय–4

वेतन समिति 1997 से पूर्व निर्गत महत्वपूर्ण शासनादेश

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

THE UTTAR PRADESH LIBERALISED PENSION RULES, 1961

———————

(Published with Notification no. G-2-2585/X-944-1959,

dated September 12, 1961 and Corrected

to August 31, 1968.)

THE UTTAR PRADESH LIBERALISED PENSION RULES, 1961

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Uttar Pradesh is pleased to make the following rules :

1. (1) These Rules shall be called the Uttar Pradesh Liberalised Pension Rules, 1961.

(2) They shall and be deemed to have come into force with effect from April 1, 1961.

(3) In these Rules unless there is anything repugnant in the subject or context--

(a) "Audit Officer" means the Accountant General, Uttar Pradesh.

(b) "Emoluments" Means--

(i) Pay as defined in Fundamental Rule 9(21) of Financial Handbook, Volume II Parts II -IV, and

(ii) dearness pay, if any,

admissible to the officer per month at the time of retirement or death, as the case may be.

Provided that if an officer was on leave at the time of retirement or death, as the case may be, the emoluments shall be taken at what they would have been had he not been on leave at that time.

(c) "Family" includes the following relatives of an officer-

(i) wife, in the case of a male officer,

(ii) husband, in the case of a female officer,

(iii) sons } including step children and

(iv) unmarried and widowed daughters, } adopted children.

(v) brothers below the age of 18 years and unmarried and widowed sisters (including step-brothers and step-sisters)

(vi) father,

(vii) mother,

(viii) married daughters (including step-daughters), and

(ix) children of a pre-deceased son.

(d) "Government" means the Government of Uttar Pradesh;

(e) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;

(f) "Officer" means a government servant, whether belonging to superior or inferior service, who holds a lien on a permanent pensionable post under the Government or would have held a lien on such a post had his lien not been suspended;

(g) "Person" includes any company or association or body of individuals whether incorporated or not;

(h) "Qualifying Service" means service which qualifies for pension in accordance with the provisions of the Civil Service Regulation; and

(i) "Retirment" means discharge of an officer from government service on superannuation, retiring, invalid or compensation pension (inculuding gratuity).

2. These Rules shall apply to all officers under the rule making control of the Governor who become eligible for pension after the promulgation of these Rules and to all the serving officers who are eligible for pension:

Provided firstly all officers who were already in service on the date immediately preceding the date of commencement of these Rules shall have the option to elect these Rules [within a period of four months][1] from the date of their notification in the official gazette subject to the condition that their entire subscriptions in the Contributory Provident Pension Fundas, if any, inluding interest thereon shall be transferred to their General Provident Fund, if any, otherwise to be opened after the exercise of such option:

1. Substituted by nitification No. G-2-2585(1)/x-944-1959, dated december 11,1961, for the words "within a period of three months.

[Provided secondly that these rules not apply to any officer to whom the Uttar Pradesh Retirement Benefits Rules, 1961 apply and who has not exercised the option conferred by the first proviso to sub-rule (1) of rule 2 thereof.][2]

PART I-DEATH-Cum-RETIREMENT GRATUITY*

3. (1) An officer may on retirement be paid gratuity, the amount of which shall, subject to a maximum of 15 times the emoluments, be an amount equal to [one fourth][3] of the emoluments multiplied by the total number of completed [six-monthly periods][4] of qualifying service.

(2) If an officer dies while in service, a gratuity, the amount of which shall subject to a minimum of 12 times and a maximum of 15 times emoluments, be an amount equal to [one-fourth][2] the emoluments of the officer multiplied by the total number of completed [six-monthly periods][2] of qualifying service shall be paid to the person or persons on whom the right to receive the gratuity is conferred under sub-rules (1) to (8) of rule 4 and if there is no such person it shall be paid in the manner indicated in sub-rule (9) of that rule.

(3) The amount of gratuity admissible in accordance with sub-rule (1) and sub-rule (2) above shall in no case exceed Rs. 24,000.

(4) If an officer governed by these Rules who has become eligible for or has actually received a pension or gratuity under articles 474 or 474-A of the Civil Service Regulation dies within a period of five years from the date of compulsory retirement from service and the aggregate of any sums actually received by him till the time of death on account of such gratuity or pension together with the gratuity granted under sub-rule (1) and the commuted value of any portion of pension commuted by him is less than the amount equal to 12 times his "emoluments", a gratuity equal to the deficiency shall be granted to the person or persons specified in sub-rule (2)

NOMINATIONS

4. (1) A Government servent shall as soon as he acquires a lien on a permanent pensionable post make a nomination conferring on one or more persons the right to receive any gratuity that may be sanctioned under sub-rules (2) and (4) of rule 3 and gratuity which after becoming admissible to him under sub-rule (1) of that rule is not paid to him before death:

Provided that if at the time of making the nomination the officer has a family the nomination shall not be in favour of any person other than one or more of the members of his family.

Note-While a nomination as also any change therein will normally be made by an officer during his service, he may be allowed in the case of non-gazetted officer by the head of office and in the case of gazetted officer by the Audit officer to make a fresh nomination or a change in his earlier nomination after retirement if such a contingency arises.

(2) If an officer nominates more than one person under sub-rule (1) above, he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole amount of the gratuity.

(3) An officer may provide in a nomination-

(*a*) that in the event of any specified nominee predeceasing the officer the right conferred upon that nominee shall pass to such other person as may be specified in the nomination provided that if at the time of making the nomination the officer has a family consisting of more than one member the person so specified shall not be a person other than a member of his family.

(*b*) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein.

(4) The nomination made by an officer who has no family at the time of making the nomination or a provision made in a nomination under clause (a) of sub-rule (3) by an officer whose family consists, at the date of making the nomination of only one member shall become invalid in the event of the officer subsequently acquiring a family or an additional member in the family as the case may be.

(5) (*a*) Every nomination shall be in such one of the forms A to D as may be appropriate in the circumstances of the case.

[ ] 2, 3 and 4 Substituted by notification No. G-2-3007(1)/x-944-59, dated November 16,1962 and given retrospective effect from April 1, 1961.

* For entitlements in respect of Death-Com-Retirement Gratuity in cases to which the New Faimly Pension Scheme. 1965 apply, see G.O.S nos.G–2–769/X-917-1961 and G-2–561/X–917-61, dated August 24, 1966, appended at the end of this booklet.

(*b*) An officer may at any time cancel a nomination by sending a notice in writing to the appropriate authority mentioned in sub-rule (7) below provided that the officer shall along with such notice, sent a fresh nomination made in accordance with these Rules.

(6) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no provision about the passing of his right to another person has been made in the nomination under clause (a) of sub-rule (3) or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of clause (*b*) of sub-rule (3) or sub-rule (4), the officer shall send to the appropriate authority a notice in writing formally cancelling the nomitaion together with a fresh nomination made in accordance with these Rules.

(7) Every nomination made and every notice of cancellation given by an officer under this rule, shall be sent by the officer to the Audit Officer in the case of a gazetted officer and to the head of his office in the case of a non-gazetted officer. Immediately on reciept of a nomination from a non-gazetted officer. the head of the office shall countersign it indicating the date of receipt and keep it under his custody.

(8) Every nomination made, and every notice of cancellation given, by an officer shall, to the extent it is valid, take effect on the date on which it is received by the authority mentiond in sub-rule (7).

(9) If an Officer having a family dies without making a nomination conferring on one or more of the members of his family the right to receive the amount of death-cum-retirement gratutity, it shall be paid in equal shares to those surviving members of his family who belong to categories (i) to (iv) mentioned in clause (c) of sub-rule (3) of rule 1 except widowed daughters. Where there are no such surviving members, but there is/are survivng widowed daughter (s) and/or one or more members of the family of the officer who belong to categories (v) to (ix) mentioned in the said clause, the gratuity shall be paid to all such persons in equal shares.

PART II-FAMILY PENSION*

5. (1) A family pension not exceeding the amount specified in sub-rule (2) below may be granted for a period of ten years to the family of an officer who dies, whether after retirement or while still in service after completion of not less than 20 year's qualifying service:

Provided that the period of payment of family pension shall in no case extend beyond a period of five years, in the case of death taking place after retirement, from the date on which the deceased officer reached or would have reached the age of compulsory retirement, or, in the case of death taking place during service, from the date on which he would have retired on superannuartion pension in the normal course.

Notes- *(1) In the case of an officer who dies while on leave preparatory to retirement on retiring pension, the period of five years for the purpose of the grant of family pension shall be reckoned from the date on which the officer would have retired on a superannuation pension in the normal course, and not the intended date of retirement on a retiring pension which did not actually come about.*

(2) Government may in exceptional circumstaces, consider at their direction the award of family pension to the family of an officer who may die before completing 20 years qualifing service but after completing not less than 10 years qualifying service.

(3) In cases where the qualifying service is less than the prescribed minimum the deficiency should not be condoned by invoking the provisions of Article 423(1) of the Civil Service Regulations.

(2) The amount of family pension will be:

(a) in the event of death while in service one-half of the superannuation pension which would have been admissible to the officer had he retired on the date following the date of his death, and

(b) in the event of death after retirement, one-half of the pension sanctioned to him at the time of retirement.

Provided that the amount of family pension will be subject to a maximum of Rs. 150 p.m. and a minimum of Rs. 30 p.m.:

* For Family Pension benefits as in force from April 1, 1965, *see* New Family Pension Scheme 1965 as detailed in G.O. nos. G–2–769/X-917-1961 and G-2–561/X–917-61, dated August 24, 1966 and nos. G–2–2093/X-917-1961 and G-2–2099/X–917-61, dated August 3, 1967 appended at the end of this booklet.

Provided further that the minimum pension will not in any case exceed the full amount of the pension sanctioned to the deceased officer at the time of his retirement or, in case he dies while in service, the pension that would have been admissible to him if he had retired on a superannuation pension on the date following the date of his death.

***Note** – the amount of family pension will be reduced by the amount of pension commuted if any, by the pensioner before his death. For example, if the ordinary pension was Rs. 90 p.m. and an amount of Rs. 30 out of this had been commuted, the amount of family pension will be Rs. 90/2-30=Rs. 15 p.m.,*

(3) No pension shall be payable under this Part-

(a) to a person mentioned in clause (b) of sub-rule (4) below unless the sanctioning authority is satisfied that such person was dependant on the deceased officer for support;

(b) to an unmarried female member of the family, in the event of her marriage;

(c) to a widowed female member of the family, in the event of her remarriage;

(d) to a brother of the deceased officer on his attaining the age of 18 years; and

(e) to a person who is not a member of the deceased officer's family.

(4) Except as may be provided by a nomination under sub-rule (5) below:

(a) a pension sanctioned under this Part shall be granted-

(i) to the eldest surviving widow, if the decased was a male officer or to the husband, if the deceased was a female officer;

(ii) failing the widow or husband, as the case may be, to the eldest surviving son;

(iii) failing (i) and (ii) above, to the eldest surviving unmarried daughter; and

(iv) these failing to the eldest widowed daughter ; and

(b) in the event of the pension not becoming payble under clause (a) the pension may be granted-

(i) to the father;

(ii) failing the father, to the mother;

(iii) failing the father and the mother both to the eldest surviving brother below the age of 18;

(iv) these failing, to the eldest survivings unmarried sister;

(v) failing (i) to (iv) above, to the eldest surviving widowed sister; and

(vi) failing (i) to (v) above, to the children of a pre-deceased son in the order it is payable to the children of the deceased officer under clause (a) (iii), and (iv) above.

***Note-** The expression "eldest surviving widow" occurring in clause (a) (i) above should be construed with referance to the seniority according to the date of marriage with the officer and not with refence to the age of the surviving widow.*

(5) A Government servant shall immediately after his confirmation , make a nomination in From E indicating the order in which a pension sanctioned under this Part should be payble to the members of his family; and to the extent it is valid the pension will be payable in accordance with such nomination provided the nominee concerned is not ineligible, on the date on which the pension may become payble to him or her to receive the pension under the provisions of sub-rule (3), In case the nominee concerned is or has become ineligible to receive the pension under the said sub-rule the pension shall be granted to the person next lower in the order in such nomination. The provisions of sub-rules (5) (b), (7) and (8) of rule 4 shall apply in respect of nomination under this sub- rule.

(6) (a) A pension awarded under this Part shall not be payable to more than one member of the deceased officer's family at the same time.

(b) If a pension awarded under this Part ceases to be payble before the expiry of the period mentioned in the proviso to sub-rule (1) on account of death or marriage of the recipient or any other cause, it will be re-granted to the person next lower in the order mentioned in sub-rule (4) or to the person next lower in the order shown in the nomination made under sub-rule (5), as the case may be, who satisfies the other provisions of this Part.

(7) A pension sanctioned under this Part will be tenable in addition to any extraodinary pension gratuity or compensation that may be granted to the members of an officer's family under the existing rules or Acts.

(8) Future good conduct of the recipient is an implied condition of every grant of pension under this Part. Government reserve to themselves the right of withholding or withdrawing such pension or any part therof, if the recipient be convicted of serious crime or be guilty of grave misconduct. Decision of the Government in such matters shall be final.

PART III- PENSION

6. The pension rules contained in the Civil Service Regulations shall apply to all officers to whom these Rules apply, and the amount of pension admissible shall be regulated by articles 474 and 474-A of the Civil Service Regulation :

Provided that the amount of pension actually payable shall be the amount equal to the difference between the pension admissible under the above Articles and the pension equivalent of the amount of gratuity admissible to the officer under sub-rule (1) of rule 3.

Notes- *(1) The pension equivalent will be determined on the basis of the commutation table given in the Uttar Pradesh Civil pensions (Commutation) Rules.*

(2) Where an officer actually retires on one of his Birthdays, the age next birthday for the calculation of pension equivalent of the gratuity shall be taken as the completed years of age on the date of rerirement. In all other cases the pension equivalent should be calculated on the basis of the next birthday.

7. If only a gratuity is payable to an officer in accordance with clause (a) of Aricle 474 of the Civil Service Regulations, the actual amount of gratuity payable to the officer shall be the difference between the amount of gratuity admissible under the aforesaid Article and the grauity admissible under sub-rule (1) of rule 3 to such officer.

8. The pension actually payable under the proviso to rule 6 shall be paid to the officer till the date of his death. If the officer dies before rerirement, no pension shall be payable.

PART IV- COMMUTATION

9. Facilities for commuting pension in accordance with the Uttar Pradesh Civil Pensions (Commutation) Rules will continue but the maximum amount of pension which may be commuted will be restricted to one-third of the pension admissible under the proviso to rule 6:

Provided that the pension actually payable under the proviso to rule 6 is after commutation, not in any case less than one-half of the pension admissible under Articles 474 and 474-A of the Civil Service Regulations or Rs. 20, whichever may be less.

PART V- MISCELLANEOUS

10. (1) Government will have the right to effect recoveries from a gratuity or family pension sanctioned under Parts I and II in the same circumstances as recoveries can be effected from an ordinary pension under Article 351-A of the Civil Service Rgulations.

(2) No gratuity or family pension may be granted under Parts I and II if the officer was dismissed or removed for misconduct, insolvncy or inefficiency. Compassionate grant may, however, be made under these Parts in accordance withArticle 353 of the Civil Service Regulation.

(3)A gratuity or family pension shall be sanctioned under Parts I and II after giving due regard to the provisions of Aricle 470 of the Civil Service Regulations.

(4) The existing rules which apply to the grant of an ordinary pension shall also apply in respect of a gratuity or pension that may be sanctioned under Parts I andII in so far as such rules are not inconsistent with these Rules.

FORM "A"

NOMINATION FOR DEATH-CUM-RETIREMENT GRATUITY

(When the officer has a family and wishes to nominate one member thereof)

I hereby nominate the person mentioned below, who is a member of my family, and confer on him the right to receive any gratuity that may be sanctioned by Government in the event of my death while in service and the right to receive on my death any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death.

Name and address of nominee	Relationship with officer	Age	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person or persons, if any, to Whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of the nominee predeceasing the officer or the nominee dying after the death of the officer but before receiving payment of gratuity	Amount or share of gratuity payable to each*
1	2	3	4	5	6

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on .... which stands cancelled.

Dated this ...., day of ....19 , at ....

Witnesses to signature :

1. ....
2. ....

Signature of officer.

*This column should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity.

(To be filled in by the head of office in the case of non-gazetted officer)

Nomination by ....

Designation ....

(Signature of Head of Office).

Date ....

Office ....   Designation ....

FORM "B"

NOMINATION FOR DEATH-CUM-RETIREMENT GRATUITY

(When the officer has a family and wishes to nominate more than one member thereof)

I hereby nominate the persons mentioned below, who are members of my family, and confer on them the right to receive, to the extent specified below any gratuity that may be sanctioned by Government in the event of my death while in service and the right to receive on my death, to the extent specified below any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death:

Name and address of nominees	Relationship with officer	Age	Amount or share of gratuity payable to each*	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person or persons, if any, to Whom the right conferred on nominee shall pass in the event of the nominee predeceasing the officer or the nominee dying after the death of the officer but before receiving payment of the gratuity	Amount or share of gratuity payable to each+
1	2	3	4	5	6	7

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on ...., which stands cancelled.

N.B. :– The officer shall draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed.

Dated this ...., day of ....196 , at ....

Witnesses to signature :

1. ....
2. ....

Signature of officer.

* This column should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity.

\+ The amount/share of gratuity shown in this column should cover the whole amount/share payable to the original nominees.

(To be filled in by the head of office in the case of a non-gazetted officer)

Nomination by ....

Designation ....

Office ....

(Signature of Head of Office).

Date ....

Designation ....

FORM "C"

NOMINATION FOR DEATH-CUM-RETIREMENT GRATUITY

(When the officer has no family and wishes to nominate one person)

I, having no family, hereby nominate the person mentioned below and confer on him the right to receive any gratuity that may be sanctioned by Government in the event of my death while in service and the right to receive on my death any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death:

Name and address of nominee	Relationship with officer	Age	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person or persons, if any, to Whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of the nominee pre-deceasing the officer or the nominee dying after the death of the officer but before receiving payment of the gratuity	Amount or share of gratuity payable to each*
1	2	3	4	5	6

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on .... which stands cancelled.

Dated this ...., day of ....19 , at ....

Witnesses to signature :

1. ....
2. ....

Signature of officer.

* This column should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity.

(To be filled in by the head of office in the case of a non-gazetted officer)

Nomination by ....

Designation ....

(Signature of Head of Office).

Date ....

Office ....

Designation ....

FORM "D"

NOMINATION FOR DEATH-CUM-RETIREMENT GRATUITY

(When the officer has no family and wishes to nominate more than one person)

I, having no family, hereby nominate the persons mentioned below and confer on them the right to receive to the extent specified below, any gratuity that may be sanctioned by Government in the event of my death while in service and the right to receive on my death, to the extent specified below any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death:

Name and address of nominees	Relationship with officer	Age	Amount or share of gratuity payable to each*	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person or persons, if any, to Whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of the nominee predeceasing the officer or the nominee dying after the death of the officer but before receiving payment of the gratuity	Amount or share of gratuity payable to each+
1	2	3	4	5	6	7
			Rs.			Rs.

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on ...., which stands cancelled.

N.B. :– The officer should draw lines across blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed.

Dated this ...., day of ....19, at ....

Witnesses to signature :

1. ....
2. ....

Signature of officer.

(To be filled in by the head of office in the case of non-gazetted officer)

Nomination by ....

Designation ....

(Signature of Head of Office).

Date ....

Office ....   Designation ....

* This column should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity.

+ The amount/share of gratuity shown in this column should cover the whole amount/share payable to the original nominees.

FORM "E"

NOMINATION FOR FAMILY PENSION

I, hereby nominate the persons mentioned below, who are members of my family, to receive in the order shown below the Family Pension which may be granted by Government in the event of my death after completion of 10 years' qualifying service:

Name and address of nominee	Relationship with officer	Age	Whether married or unmarried
1	2	3	4

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on ...., which stands cancelled.

N.B. :– The officer should draw lines across blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed.

Dated this ...., day of ....19 , at ....

Witnesses to signature :

1. ....
2. ....

Signature of officer.

(To be filled in by the head of office in the case of a non-gazetted officer)

Nomination by ....

Designation ....

Office ....

(Signature of Head of Office).

Date ....

Designation ....

THE UTTAR PRADESH RETIREMENT BENEFITS RULES, 1961*

(Corrected up to April 1983)

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to make the following rules :

1. (1) These rules shall be called the Uttar Pradesh Retirement Benefits Rules, 1961.

(2) They shall and be deemed to have come into force with effect from April 1, 1961.

Application-

2. (1) These rules shall apply to all officers under the rule making power of the Governor, other than those who retired before the date of the coming into force of these rules:

Provided firstly, that [a person who was an officer][2] on the date immediately preceding the date of commencement of these rules shall have the option to elect for the existing pension rules applicable to him, in which case he will not be eligible for any of the benefits granted under these rules except as provided in rule 11. The option shall be exercised within a period of [six months][1] from the date of notification of these rules in the official *Gazette*. The option once exercised shall be final:

["Provided secondly that in the event of a person entitled to the option under the first proviso, dying without having exercised that option after march 31, 1961 but before the expiry of the period for exercising the said option, the pension sanctioning authority shall forward full particulars of the case to Government who will decide, keeping in view the interest of the deceased, whether pension should be regulated under these rules or the existing pension rules applicable to him and if the Government decides that the pension should be regulated under these rules, the sanctioning authority shall keeping in view the interest of the deceased, further decide whether the pension for the purposes of family pension should be calculated in accordance with the Annexure to these Rules or in accordance with rule 11]"[3].

(2) The pension provisions contained in Civil Service Regulations shall continue to apply to officers governed by these rules except in so far as they are inconsistent with any of the provisions of these rules.

Definitions-

3. In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context—

(1) "Audit Officer" means the Accountant General, Uttar Pradesh;

(2) "Emoluments"means the pay as defined in rule 9(21) of the U.P. Fundamental Rules, which the officer was receiving immediately before his retirement :—

Provided that in the case of an officer who on the date of his retirement is drawing pay in the scale of pay as in force on March 29, 1962 the term "emoluments"shall also include the dearness allowance as admissible therein on that date.

Note : – If an officer immediately before his retirement or death has been absent form duty on leave with allowance his emoluments for the purpose of calculating service gratuity and/or death-cum-retirement gratuity should be taken at what they would have been, had he not been absent from duty.

Provided that the amount of gratuity is not increased on account of increase in pay not actually drawn and that benefit of higher officiating or temporary pay is given only if it is certified that he would have continued to hold the higher officiating or temporary appointment but for his proceeding on leave.

---

* Published originally with notification No. G-2-749/X–917-961, dated March 29, 1962 and corrected upto 20-6-1979.

[] 1. **Substituted** by notification No. G-2-2650/X–917-1961, dated August 23, 1962 and given retrospective effect from April 1, 1961.

[] 2 and 3. **Substituted** by notification No. G-2-749/X–917-961, dated April 15, 1963 and given retrospective effect from April 1, 1961.

*(3) "Family" means the following relatives of an officer:

(i) wife, in the case of an male officer;

(ii) husband, in the case of a female officer;

(iii) sons } including such step-children and adopted children,

(iv) unmarried and widowed daughters; }

(v) brothers below the age of 18 years and unmarried and widowed sisters (including step-brothers and step-sisters);

(vi) father;

(vii) mother;

(viii) married daughters (including step-daughters), and

(ix) children of a pre-deceased son.

(4) "Government" means the Government of Uttar Pradesh;

(5) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;

(6) "Officer"means a government servant (whether belonging to superior or inferior service) who holds a lien on a permanent pensionable post under the Government or would have held a lien on such a post had his lien not been suspended;

(7) "Person"includes any company or association or body of individuals, whether incorporated or not;

(8) "Qualifying sevice" means service which qualifies for pension in accordance with the provisions of Article 368 of the Civil Service Regulations:

Provided that continuous temporary or officiating service under the Government of Uttar Pradesh followed without interruption by confirmation in the same or any other post except—

(i) periods of temporary or officiating service in a non-pensionable establishment;

(ii) periods of service in a work-charged establishment, and

(iii) periods of service in a post paid from contingencies, shall also count as qualifying service.

Note :— If service rendered in a non-pensionable establishment, work-charged establishment or in a post paid from contingencies falls between two periods of temporary service in a pensionable establishment or between a period of temporary service and permanent service in a pensionable establishment, it will not constitute an interruption of service.

(9) "Retirement" means discharge of an officer from government service on superannuation, retiring, invalid or compensation pension or gratuity.

Part-I – PENSION

Pension-

4. (1) The amount of superannuation, retiring, invalid and compensation pension or gratuity shall be the appropriate amount set out in the annexure.

(2) No special additional pensions shall be granted.

Part-II – DEATH-CUM-RETIREMENT GRATUITY+

Death-cim-retirement Gratuity-

+5. (1) An officer may, on retirement, be paid an additional gratuity the amount of which shall, subject to a maximum of 16½ times the emoluments, be an amount equal to one-fourth of the emoluments multiplied by the total number of completed six monthly periods of qualifying service.

* As amended vide Notification No. G-3-1200/X–935/75, dated 20-6-79.

+ For entitlements in respect of Death-cum-retirement Gratuity in cases to which the New Family Pension Scheme, 1965 apply, see G.O.s Nos. G–2-769/X–917-61 and G-2-561/X–917-61 dated August 24, 1966, appeneded at the end of this booklet.

+(2) if an officer dies while in service a gratuity, the amount of which shall, subject to a minimum of 12 times and a maximum of 16½ times the emoluments, be an amount equal to one-fourth of the emoluments of the officer multiplied by the total number of six monthly periods of qualifying service, shall be paid to the person or persons on whom the right to receive the gratuity is conferred under sub-rules (1) to (8) of rule 6 and if there is no such person, it shall be paid in the manner indicated in sub-rule (9) of that rule.

(3) If an officer who has become eligible for or has actually received, a pension or gratuity under part-I of these rules, dies within a period of five years from the date of retirement and the aggregate of any sums admissible to him or actually received by him till the time of death on account of such gratuity or pension together with the gratuity granted under sub-rule (1) and the commuted value of any portion of pension commuted by him is less than the amount equal to 12 times his "emoluments" a gratuity equal to the deficiency shall be granted to the person or persons referred to in sub-rule (2).

+(4) The amount of gratuity admissible in accordance with sub-rule (1) or sub-rule (2) above shall in no case exceed Rs. 36,000/- and the emoluments exceeding Rs. 2500/- per month shall be ignored in computing the amount of such gratuity.

Nomination

6. (1) A government servant shall, as soon as he acquires or if he already holds a lien on a permanent pensionable post, make a nomination conferring on one or more persons the right to receive any gratuity that may be sanctioned under sub-rule (2) or sub-rule (3) of rule 5 and gratuity which after becoming admissible to him under sub-rule (1) of that rule is not paid to him before death:

Provided that if at the time of making the notification the officer has a family, the nomination shall not be in favour of any person other than one or more of the members of his family.

Note :– While a nomination as also any change therein will normally be made by an officer during his service he may be allowed in the case of a non-gazetted officer by the head of office and in the case of a gazetted officer by the audit Officer to make a fresh nomination or a change in his earlier nomination after retirement if such a contingency arises.

(2) If an officer nominates more than one person under sub-rule (1) above, he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole amout of the gratuity.

(3) An officer may provide in a nomination–

(a) that in the event of any specified nominee pre-deceasing the officer the right conferred upon that nominee shall pass to such other person as may be specified in the nomination;

Provided that if at the time of making the nomination the officer has a family consisting of more than one member the person so specified shall not be a person other than a member of his family.

(b) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein.

(4) The nomination made by an officer who has no family at the time of making the nomination or a provision made in a nomination under clause (a) of sub-rule (3) by an officer whose family consists, at the date of making the nomination of only one member, shall become invalid in the event of the officer subsequently acquiring a family, or an additional member in the family, as the case may be.

+ As amended vide Notification No. G-3-543/X-910/82, dated April 13, 1983.

(5) (a) Every nomination shall be in such one of the Forms A to D as may be appropriate in the circumstances of the case.

(b) An officer may at any time cancel a nomination by sending a notice in writing to the appropriate authority mentioned in sub-rule (7) below, provided that the officer shall, along with such notice, send a fresh nomination made in accordance with these rules.

(6) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no provision about the passing of his right to another person has been made in the nomination under clause (a) of sub-rule (3) or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of clause (b) of sub-rule (3) or sub-rule (4), the officer shall send to the appropriate authority a notice in writing formally cancelling the nomination together with the fresh nomination made in accordance with these rules.

(7) Every nomination made, and every notice of cancellation given by an officer under this rule, shall be sent by the officer to the Audit Officer in the case of a gazetted officer and to the head of his office in the case of a non-gazetted officer. Immediately on receipt of a nomination from a non-gazetted officer, the head of the office shall countersign it indicating the date of receipt and keep it under his costody.

(8) Every nomination made, and every notice of cancellation given, by an officer shall, to the extent it is valid, take effect on the date on which it is received by the authority mentioned in sub-rule (7).

(9) If an officer having a family dies without making a nomination conferring on one or more of the members of his family the right to receive the amount of death-cum-retirement gratuity, it shall be paid in equal shares to those surviving members of this family who belong to categories (i) to (iv) mentioned in sub-rule (3) of rule 3 except widowed daughters. Where there are no such surviving members, but there is/are surviving widowed daughter(s) and /or one or more members of the family of the officer who belong to categories (v) to (ix) mentioned in the said sub-rule, the gratuity shall be paid to such person or to all such persons in equal share.

[+](10) If an officer dies while in service or after retirement without receiving the amount of gratuity and such officer leaves behind no family and has made no nomination or the nomination made by him does not subsist, the amount of death-cum-retirement gratuity payable to him under these rules shall lapse to govt.

Part-III–FAMILY PENSION[*]

Family Pension-

7. (1) A family pension not exceeding the amount specified in sub-rule (2) below may be granted for a period of ten years to the family of an officer who dies, whether after retirement or while still in service after completion of not less than 20 years' qualifying service:

[++] Provided that the period of payment of family pension shall in no case extend beyond a period of five years from the date on which the deceased officer reached or would have reached the age of compulsory retirement.

Notes–(1) Government may in exceptional circumstances, consider at their discretion the award of family pension to the family of an officer who may die before completing 20 years'qualifying service but after completing not less than 10 years' qualifying service.

[+] As added vide Notification No. G-3-1200/X–935/75, dated 20-6-79.

[*] For family pension benefits as in force from April 1, 1965 *see* New Family Pension Scheme, 1965 as detailed in G.O.s Nos. G-2-769/X–917-61 and G-2-561/X–917-61, dated Aug 24, 1966 and Nos. G-2-2098/X–917-61 and G-2-2099/X–917-1961, dated August 3, 1967, appended at the end of this booklet.

[++] As amended vide Notification No. G-3-2173/–917–64, dated 29-9-75.

(2) In cases where the qualifying service is less than the prescribed minimum the deficiency should not be condoned by invoking the provisions of Article 423(1) of the Civil Service Regulations.

(2) The amount of family pension will be—

(a) in the event of death while in service, one-half of the superanuation pension which would have been admissible to the officer had he retired on the date following the date of his death; and

(b) in the event of death after retirement, one-half of the pension sanctioned to him at the time of retirement:

Provided that the amount of family pension will be subject to a maximum of Rs. 150 per mensem and a mininum of Rs. 30 per mensem:

Provided further that the minimum pension will not in any case, exceed the full amount of the pension sanctioned to the deceased officer at the time of his retirement or, in case he dies while in service, the pension that would have been admissible to him if he had retired on a superannuation pension on the date following the date of his death.

Note :– The amount of family pension will be reduced by the amount of pension commuted, if any, by the pensioner before his death. For example, if the ordinary pension was Rs. 90 per mensem and an amount of Rs. 30 out of this had been commuted, the amount of family pension will be Rs. 90/2–30=Rs. 15 per mensem.

(3) No pension shall be payable under this Part—

(a) to a person mentioned in clause (b) of sub-rule (4) below unless the pension sanctioning authority is satisfied that such person was dependent on the deceased officer for support;

(b) to an unmarried female member of the family, in the event of her marriage;

(c) to a widowed famale member of the family, in the event of her re-marriage;

(d) to a brother of the deceased officer on his attaining the age of 18 year; and

(e) to a person who is not a member of the deceased officer's family.

(4) Except as may be provided by a nomination under sub-rule (5) below:

(a) a pension sanctioned under this Part shall be granted—

(i) to the eldest surviving widow, if the deceased was a male officer or to the husband if the deceased was a female officer;

(ii) failing the widow or husband, as the case may be, to the eldest surviving son;

(iii) failing (i) and (ii) above, to the eldest surviving unmarried daughter;

(iv) these failing to the eldest widowed dauthter; and

(b) in the event of the pension not becoming payable under clause (a) the pension may be granted—

(i) to the father;

(ii) failing the father, to the mother;

(iii) failing the father and mother both, to the eldest surviving brother below the age of 18;

(iv) these failing, to the eldest surviving unmarried sister;

(v) failing (i) to (iv) above, to the eldest surviving widowed sister; and

(vi) failing (i) to (v) above, to the children of a predeceased son in the order it is payable to the children of the deceased officer under clause (a) (ii), (iii) and (iv) above.

Note :—The expression "eldest surviving widow" occurring in clause (a) (i) above, should be construed with reference to the senority according to the date of marriage with the officer and not with reference to the age of surviving widows.

(5) A Government servant shall immediately after his confirmation, make a nomination in Form "E" indicating the order in which a pension sanctioned under his Part should be payable to the members of his family; and to the extent it is valid the pension will be payable in accordance with such nomination provided the nominee concerned is not ineligible on the date on which the pension may become payable to him or her to receive the pension under the provisions of sub-rule (3). In case the nominee concerned is or has become ineligible to receive the pension under the said sub-rule, the pension shall be granted to the person next lower in the order in such nomination. The provisions of sub-rules (5)(b), (7) and (8) of rule 6 shall apply in respect of nominations under this sub-rule.

(6) (a) A pension awarded under this Part shall not be payable to more than one member of the deceased officer's family at the same time.

(b) if a pension awarded under this Part ceases to be payable before the expiry of the period mintioned in the proviso to sub-rule (1) on account of death or marriage of the recipient or any other cause, it will be regranted to the person next lower in the order mentioned in sub-rule (4) or to the person next lower in the order shown in the nomination under sub-rule (5) as the case may be, who satisfies the other provisions of this Part.

(7) A pension sanctioned under this Part will be tenable in addition to any extraordinary pension, gratuity or compensation that may be granted to the members of an officer's family under the existing rules or Acts.

(8) Future good conduct of the recipient is an implied condition of every grant of pension under this part. Government reserve to themselves the right of withholding or withdrawing such pension or any part thereof if the recipient be convicted of serious crime or be guilty of grave misconduct. Decision of the Government in such matters shall be final.

Part-IV–COMMUTATION

Commutation-

8. Facilities for commuting pension in accordance with the Uttar Pradesh Civil Pension (Commutation) Rules will continue, but the maximum amount of pension which may be commuted will be restricted to one-third of the pension admissible under Part-I of these Rules:

Provided that where option had been exercised under rule 11 the maximum amount of pension which may be commuted will be restricted to one-third of the pension admissible after deduction of the pension equivalent of death-cum-retirement gratuity subject to the condition that the pension actually payable after commutatin is not in any case less than one-half of the pension admissible under Article 474 and 474-A of the Civil Service Regulations:

Provided further that the pension actually payable after commutation is not less than Rs. 20.

Part-V–MISCELLANEOUS

Miscellaneous-

9. (1) Government will have the right to effect recoveries from a gratuity or family pension sanctioned under Parts-II and III in the same circumstances as recoveries can be effected from an ordinary pension under Article 351-A of the Civil Service Regulations.

(2) No gratuity or family pension may be granted under Parts-II and III if the officer was dismissed or removed for misconduct, insolvency or inefficiency. Compassionate grant may, however, be made under these Parts in accordance with Article 353 of the Civil Service Regulations.

(3) A gratuity or family pension shall be sanctioned under Parts-II and III after giving due regard to the provisions of Article 470 of the Civil Service Regulations.

(4) Death-cum-retirement gratuity admissible in addition to pension calculated at the rate given in the annexure shall be treated as gift and recoveries of any Government dues may be effected from the same.

(5) The existing rules which apply to the grant of an ordinary pension shall also apply in respect of a gratuity or family pension that may be sanctioned under Parts-II and III in so far a such rules are not inconsistent with the Rules.

10. [The entire assets in and liabilities to, the contributory Provident Pension fund, if any, including interest thereon, of an officer governed by these Rules or only by rule 11 shall be transferred to his general Provident Fund opened in accordance with the General Provident Fund (U.P.) Rules. Such person will not be entitled to Government's contribution to his Contributory Provident Pension Fund:

Provided that no such transfer will be necessary in the case of an officer who retires, dies, resigns or is removed or dismissed from service on or before December 31, 1962.

Note :– The asets in the Contributory Provident Fund will include the amount of premia, if any, realised by per contra debit to the Contributory Provident Pension fund towards the policy of an insurant in whose case insurance is compulsory under rule 20 of the U.P. Contributory Provident Fund Pension Insurance Rules, 1948.][1]

[11. (1) A person exercising option under the first proviso to sub-rule (1) of rule 2 may also opt for death-cum-retirement gratuity and family pension benefits admissible under Parts-II and III of these rules. such option shall be in supersession of option, if any, to be governed by the U.P. Liberalised Pension rules, 1961. Procedure for exercising such option shall be the same as for opting the existing rules and the option once exercised shall be final.

(2) On the exercise of such option the person will be governed by rules 8, 9 (except sub-rule 4) and 10. His pension shall be calculated on the emoluments as defined in these rules and in accordance with the provisions of the Civil Service Regulations, but the amount of such pension will be reduced by the pension equivalent of the gratuity admissible under Part-II of these rules.

Note :– (1) The pension equivalent will be determined on the basis of the commutation table given in the Uttar Pradesh Civil Pensions (Commutation) Rules.

(2) Where an officer actually retires on one of his birthdays, the age next birthday for the calculation of pension equivalent of the gratuity shall be taken as the completed years of age on the date of retirement. In all other cases, the pension equivalent should be calculated on the basis of the age next birthday.][2]

12[*] (1) If a person, who in the event of death of a Government servant while in service, is eligible to receive death-cum-retirement gratuity or/and family pension under these rules, is

[ ] 1 and 2 substituted by notification No. G-2-1008(1)/X-917-1961, dated April 15, 1963 and given retrospective effect from April 1, 1961.

* As inserted vide Notification No. G-3-1253/X–935-75, dated 16-9-1981.

charged with the offence of murdering the Government servant or for abetting in the commission of such an offence, his claim to receive his share of gratuity and in the case of family pension, the claim of such a pension, including other eligible member/members of the family to receive the family pension, shall remain suspended till the conclusion of the criminal proceedings instituted against him.

(2) (i) If on the conclusion of the criminal proceedings referred to in sub-rule (1) above, the person concerned–

(a) is convicted for the murder or abetting in the murder of the Government servant, he shall be debarred from receiving his share of gratuity or/and family pension which shall be payable to other eligible member/members of the family, if any;

(b) is acquitted of the charge of murdering or abetting in the murder of the Government servant, his share of gratuity or/and family pension shall be payable to him.

(ii) The family pension under clauses (a) and (b) above shall be payable from the date of death of the Government servant.

(3) The provisions of sub-rule (1) and sub-rule (2) above shall also apply to the undisbursed death-cum-retirement gratuity which after becoming admissible to the Government servant is not paid to him before death and the family pension becoming payable on the death of a Government servant after his reirement.

ANNEXURE**

Referred to in Rule 4 (1)

Completed six monthly preiods of qualifying service	Scale of gratuity or pension	Maximum pension (in rupees per annum)
1	2	3
	(a) Gratuity	
1	½ month's emoluments	Rs. P.
2	1 "	-
3	1½ "	-
4	2 "	-
5	2½ "	-
6	3 "	-
7	3½ "	-
8	4 "	-
9	4 3/8 "	-
10	4 3/4 "	-
11	5 1/8 "	-
12	5 ½ "	-
13	5 7/8 "	-
14	6¼ "	-
15	6 5/8 "	-
16	7 "	-

** As amended vide notification no. G-3-1477–X-52/74, dated 5-6-1976.

Completed six monthly preiods of qualifying service	Scale of gratuity or pension	Maximum pension (in rupees per annum)
1	2	3
17	7 3/8 "	-
18	7 3/4 "	-
19	8 1/8 "	-
	(b) Pension	
20	10/80th of average emoluments	3,750.00
21	10½/80th "	3,937.50
22	11/80th "	4,125.00
23	11½/80th "	4,312.50
24	12/80th "	4,500.00
25	12½/80th "	4,687.50
26	13/80th "	4,875.00
27	13½/80th "	5,062.50
28	14/80th "	5,250.00
29	14½/80th "	5,437.50
30	15/80th "	5,625.00
31	15½/80th "	5,812.50
32	16/80th "	6,000.00
33	16½/80th "	6,187.50
34	17/80th "	6,375.00
35	17½/80th "	6,562.50
36	18/80th "	6,750.00
37	18½/80th "	6,937.50
38	19/80th "	7,125.00
39	19½/80th "	7,312.50
40	20/80th "	7,500.00
41	20½/80th "	7,687.50
42	21/80th "	7,875.00
43	21½/80th "	8,062.50
44	22/80th "	8,250.00
45	22½/80th "	8,437.50
46	23/80th "	8,625.00
47	23½/80th "	8,812.50
48	24/80th "	9,000.00
49	24½/80th "	9,187.50
50	25/80th "	9,375.00
51	25½/80th "	9,562.50
52	26/80th "	9,750.00
53	26½/80th "	9,937.50

Completed six monthly preiods of qualifying service	Scale of gratuity or pension	Maximum pension (in rupees per annum)
1	2	3
54	27/80th "	10,125.00
55	27½/80th "	10,312.50
56	28/80th "	10,500.00
57	28½/80th "	10,687.50
58	29/80th "	10,875.00
59	29½/80th "	11,062.00
60	30/80th "	11,250.00
61	30½/80th "	11,437.50
62	31/80th "	11,625.00
63	31½/80th "	11,812.50
64	32/80th "	12,000.00
65	32½/80th "	12,000.00
66	33/80th "	12,000.00

FORM "A"

NOMINATION FOR DEATH-CUM-RETIREMENT GRATUITY

(When the officer has a family and wishes to nominate one member thereof)

I hereby nominate the person mentioned below, who is a member of my family, and confer on him the right to receive any gratuity that may be sanctioned by Government in the event of my death while in service and the right to receive on my death any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death:

Name and address of nominee	Relationship with officer	Age	Contingencies on the happening of which the nomination shall be come invalid	Name, address and relationship of the person or persons, if any to Whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of the nominee predeceasing the officer or the nominee dying after the death of the officer but before receiving payment of the gratuity	Amount or share of gratuity payable to each*
1	2	3	4	5	6

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on .... which stands cancelled.

Dated this ...., day of ....20 , at ....

Witnesses to signature :

1. ....
2. ....

Signature of officer.

(To be filled in by the head of office in the case of non-gazetted officer)

Nomination by ....

Designation ....

(Signature of Head of Office).

Date ....

Office ....

Designation ....

* This column should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity.

FORM "B"

NOMINATION FOR DEATH-CUM-RETIREMENT GRATUITY

(When the officer has a family and wishes to nominate more than one member thereof)

I hereby nominate the person mentioned below, who are member of my family, and confer on them the right to receive, to the extent specified below any gratuity that may be sanctioned by Government in the event of my death while in service and the right to receive on my death, to the extent specified below any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death:

Name and address of nominee	Relationship with officer	Age	Amount or share of gratuity payable to each*	Contingencies on the happening of which the nomination shall be come invalid	Name, address and relationship of the person or persons, if any to Whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of the nominee predeceasing the officer or the nominee dying after the death of the officer but before receiving payment of the gratuity	Amount or share of gratuity payable to each+
1	2	3	4	5	6	7

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on ...., which stands cancelled.

N.B. :– The officer should draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed.

Dated this ...., day of ....20 , at ....

Witnesses to signature :

1. ....
2. ....

Signature of officer.

(To be filled in by the head of office in the case of non-gazetted officer)

Nomination by ....

Designation ....

(Signature of Head of Office).

Date ....

Designation ....

Office ....

* This column should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity.

\+ The amount/share of gratuity shown in this column should cover the whole amount/share payable to the original nominees.

FORM "C"

NOMINATION FOR DEATH-CUM-RETIREMENT GRATUITY

(When the officer has no family and wishes to nominate one person)

I, having no family, hereby nominate the person mentioned below and confer on him the right to receive any gratuity that may be sanctioned by Government in the event of my death while in service and the right to receive on my death any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death:

Name and address of nominee	Relationship with officer	Age	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person or persons, if any to Whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of the nominee predeceasing the officer or the nominee dying after the death of the officer but before receiving payment of the gratuity	Amount or share of gratuity payable to each+
1	2	3	4	5	6

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on .... which stands cancelled.

Dated this ...., day of ....20 , at ....

Witnesses to signature :

1. ....
2. ....

Signature of officer.

(To be filled in by the head of office in the case of non-gazetted officer)

Nomination by ....

Designation ....

(Signature of Head of Office).

Date ....

Office ....

Designation ....

* This column should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity.

FORM "D"

NOMINATION FOR DEATH-CUM-RETIREMENT GRATUITY

(When the officer has no family and wishes to nominate more than one person)

I, having no family, hereby nominate the person mentioned below and confer on them the right to receive to the extent specified below, any gratuity that may be sanctioned by Government in the event of my death while in service and the right to receive on my death, to the extent specified below any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death:

Name and address of nominee	Relationship with officer	Age	Amount or share of gratuity payable to each*	Contingencies on the happening of which the nomination shall be come invalid	Name, address and relationship of the person or persons, if any, to Whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of the nominee predeceasing the officer or the nominee dying after the death of the officer but before receiving payment of the gratuity	Amount or share of gratuity payable to each+
1	2	3	4	5	6	7

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on ...., which stands cancelled.

N.B. :– The officer should draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed.

Dated this ...., day of ....20 at ....

Witnesses to signature :

1. ....
2. ....

Signature of officer.

(To be filled in by the head of office in the case of non-gazetted officer)

Nomination by ....

Designation ....

(Signature of Head of Office).

Date ....

Office ....   Designation ....

* This column should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity.

\+ The amount/share of gratuity shown in this column should cover the whole amount/share payable to the original nominees.

FORM "E"

NOMINATION FOR FAMILY PENSION

I, hereby nominate the person mentioned below, who are members of my family, to receive in the order shown below the Family Pension which may be granted by Government in the event of my death after completion of 10 years' qualifying service:

Name and address of nominee	Relationship with officer	Age	Whether married or unmarried
1	2	3	4

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on ...., which stands cancelled.

N.B. :– The officer should draw lines across blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed.

Dated this ...., day of .... 20 ...., at ....

Witnesses to signature :

1. ....
2. ....

Signature of officer.

(To be filled in by the head of office in the case of a non-gazetted officer)

Nomination by ....

Designation ....

(Signature of Head of Office).

Date ....

Office ....

Designation ....

संख्या सा–3–897 / दस–52(3)74

प्रेषक,

श्री हर कृष्ण मेहरोत्रा,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं अन्य समस्त
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 2 जून, 1975

विषयः– अशक्तता पेंशन की न्यूनतम धनराशि।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

मुझे यह कहने का निदेश मिला है कि भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के सन्दर्भ में यह व्यवस्था कर दी है कि अशक्तता पेंशन पर सेवा निवृत्त होने वाला कोई कर्मचारी अशक्तता पेंशन के रूप में उससे कम धनराशि नहीं पायेगा जो अशक्तता दिवस पर बजाये अशक्त होने के उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में, उसके परिवार को सेन्ट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1972 के नियम 54(2) के अधीन फैमिली पेंशन के रूप में प्राप्त होती। राज्य सरकार ने उपरोक्त व्यवस्था के औचित्य को अंगीकार करते हुए अपने कर्मचारियों के लिये भी ऐसा ही सिद्धान्त अंगीकार करने का निर्णय लिया है। तदनुसार श्री राज्यपाल ने सहर्ष यह आदेश करने की कृपा की है कि दिनांक 1 अप्रैल, 1975 या उसके बाद के किसी दिनांक को अशक्तता पेंशन पर जाने वाले सरकारी कर्मचारी को अनुमन्य अशक्तता पेंशन किसी भी हालत में उस धनराशि से कम न होगी जो उसके परिवार को उक्त तिथि पर उसकी मृत्यु की दशा में न्यू फैमिली पेंशन स्कीम, 1965 जैसी कि वह उस समय हो, के अधीन फैमिली पेंशन के रूप में देय होती।

नियमों में सम्बन्धित संशोधन पृथक रूप से किये जा रहे हैं।

भवदीय,
हर कृष्ण मेहरोत्रा
विशेष सचिव, वित्त।

––––––

संख्या सा–3–574 / दस–942–75

प्रेषक,

श्री बन विहारी टंडन,
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं अन्य
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 19 जून, 1976

विषय :– सेवारत अस्थाई कर्मचारियों को, जो सेवा अवधि के दौरान ही अंधे अथवा विकलांग हो जायें, ''एक्सग्रेसिया पेंशन'' देना।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे राज्य कर्मचारियों को, जो सेवा अवधि के दौरान अंधे अथवा विकलांग हो जायें और जो किसी अन्य नियमावली

के अन्तर्गत किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त करने के अन्यथा अधिकारी नहीं हैं, आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन रहा है। इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त, राज्यपाल महोदय निम्नलिखित दरों पर ''एक्सग्रेसिया पेंशन'' दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

वेतन सीमा		पेंशन की दरें
(1) 800 रु0 तथा उससे अधिक	–	वेतन का 10 प्रतिशत जिसकी न्यूनतम धनराशि 95 रु0 प्रति माह तथा अधिकतम धनराशि 140 रु0 प्रति माह होगी।
(2) 200 रु0 तथा उससे अधिक परन्तु 800 रु0 से कम	–	वेतन का 12 प्रतिशत जिसकी न्यूनतम धनराशि 50 रु0 प्रति माह तथा अधिकतम धनराशि 90 रु0 प्रति माह होगी।
(3) 200 रु0 से नीचे	–	वेतन का 25 प्रतिशत

प्रस्तावित पेंशन उन मामलों में नहीं दी जायेगी जिनमें अंधे हुए या विकलांग हुए कर्मचारी पर कोई अन्य नियम लागू होते हैं जिनके अन्तर्गत वे पेंशन प्राप्त कर रहे हों या प्राप्त कर सकते हों।

इस प्रयोजन के लिये वेतन का तात्पर्य फाइनेंसियल हैन्डबुक खण्ड–2, के फंडामेंटल रूल 9(21) में परिभाषित ऐसे वेतन से है जो सरकारी कर्मचारी अंधे होने अथवा विकलांग हो जाने के दिनांक को पा रहा हो। यदि उक्त दिनांक को सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर होने से (जिसमें असाधारण छुट्टी भी सम्मिलित है) या निलम्बित किये जाने के कारण ड्यूटी से अनुपस्थित रहा हो, तो वेतन का तात्पर्य उस वेतन से होगा जो उक्त कर्मचारी ने ऐसी छुट्टी पर जाने या निलम्बित किये जाने से ठीक पहले प्राप्त किया हो।

2–यह योजना इन आदेशों के जारी होने की तिथि से लागू होगी और इसके निमित्त किसी प्रकार का अवशेष देय नहीं होगा। किन्तु ऐसे अंधे हुए अथवा विकलांग हुए कर्मचारियों के आवेदन–पत्रों पर गुणागुण के आधार पर पर भी विचार कर लिया जायगा, जो इन आदेशों के जारी होने के दिनांक से पूर्व ही अंधे अथवा विकलांग हो जाने के फलस्वरूप सेवा से अलग कर दिये गये थे और जिन्हें किसी प्रकार की पेंशन किसी अन्य नियमावली के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली पेंशन के लिये सम्बन्धित राज्य सेवक को अपना आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप में, (प्रति संलग्न है) अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन के संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत करना होगा।

3–पेंशन की धनराशि निर्धारित करते समय पेंशन की धनराशि कुल रुपयों में दी जायेगी और पूर्ण रुपयों के ऊपर यदि एक पैसा भी अतिरिक्त आता है तो उसे अगला पूर्ण रुपया माना जायेगा।

4–इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जाने वाली ''एक्सग्रेसिया पेंशन'' का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक के लेखा शीर्षक ''266–पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ–आयोजनेतर–ज–अन्य पेंशन–सेवा के दौरान अंधे या विकलांग हो जाने वाले अस्थाई सरकारी कर्मचारियों को एक्सग्रेसिया पेंशन (मतदेय)'' के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

बन विहारी टंडन

आयुक्त एवं वित्त सचिव।

––––––

एक्सग्रेसिया पेंशन की स्वीकृति हेतु आवेदन–पत्र

1–सरकारी कर्मचारी का नाम ————————————————————————

2–प्रार्थी के पिता/पति का नाम ——————————————————————

3–जन्म तिथि ——————————————————————————————

4–अन्तिम धारित पदनाम तथा अधिष्ठान का नाम ————————————

5–नियुक्ति की प्रकृति–स्थाई अथवा अस्थाई यदि नियुक्ति स्थानापन्न हो तो मौलिक नियुक्ति का उल्लेख किया जाय ——————————————

6–अन्तिम आहरित वेतन तथा वेतनमान जिसमें वेतन आहरित किया गया हो ——————————————————————————————

7–अशक्तता की तिथि —————————————————————————

8–अशक्तता की प्रकृति ————————————————————————

9–अशक्तता की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाण–पत्र ——————————————

10–क्या उ0प्र0 सिविल सर्विसेज (एक्सट्रा आडिनरी पेंशन) रूल्स के अधीन पेंशन तथा/अथवा ग्रेच्युटी प्राप्त हो चुकी है या प्राप्त होने वाली है ——————————————————————————————

11–ट्रेजरी का नाम जहाँ से भुगतान अपेक्षित हो ————————————
——————————————————————————————————

12–नामिनी का नाम तथा संबंध, जिसे जीवनकालीन अवशेष, यदि कोई हो भुगतान किये जाने अपेक्षित हों ————————————————————

प्रार्थी के विधिवत सत्यापित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के लिये स्थान।

स्थान ——————————————————————————————

प्रार्थी के हस्ताक्षर/
प्रार्थी का निशानी अंगूठा

दिनांक ——————————————————————————————

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी में सही है।

प्रार्थी के हस्ताक्षर/
प्रार्थी का निशानी अंगूठा

अग्रसारित करने वाले प्राधिकारी की संस्तुति

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के
हस्ताक्षर तथा
पदनाम————————————

————

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 20 अप्रैल, 1977

चैत्र 30, 1899 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या सा–3–565 दस–912(–कांस्टीट्यूशन–रूल–1970ए0एस0–(8)–1977

लखनऊ, 20 अप्रैल, 1977

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा अंगीकृत सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (आठवां संशोधन), विनियमावली 1977

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (आठवां संशोधन) विनियमावली, 1977 कही जायेगी।

(2) यह इस विनियमावली द्वारा यथाप्रस्थापित अनुच्छेद 350 को छोड़कर जिसे सदैव से रखा गया समझा जायेगा, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

Amendment of Articles 350 and 370.

2. In the Uttar Pradesh Civil Service Regulations for the articles set out in Column-I below, the articles as set out in Column-II, shall be substituted :

COLUMN-I *Existing articles*	COLUMN-II *Articles as hereby substituted*
350. The pensions of all other officers are regulated by the rules in this part :	350. All establishments, whether temporary or permanent, shall be deemed to be pensionable establishments :

Provided that it is open to the State Government to rule that the service of any class of officers serving under it does not qualify for pension.	Provided that it is open to the State Government to rule that the service in any establishment does not qualify for pension.
370. An officer may count continuous temporary or officiating service under the Government of Uttar Pradesh followed without interruption by confirmation in the same or any other post except-	370. Continuous temporary or officiating service under the Government of Uttar Pradesh followed without interruption by confirmation in the same or any other post shall qualify except-
(i) periods of temporary or officiating service in a non-pensionable establishment;	(i) periods of temporary or officiating service in non-pensionable establishment;
(ii) Periods of service in a work-charged establishment; and	(ii) Periods of service in work-charged establishment; and
(iii) Periods of service in a post paid from contingencies.	(iii) Periods of service in a post paid from contingencies.

आज्ञा से,

बन बिहारी टन्डन

आयुक्त एवं वित्त सचिव।

———————

NOTES- The Handbook captioned Civil Service Regulations (Parts I, IV and X) as adopted for application in Uttar Pradesh First Edition, was published as corrected up to April 30, 1970. The following amendments were made subsequently :

(1) Notification no. G-3-1932/X-915-73, dated 1-11-1973.

(2) Notification no. G-3-1732/X-914-73, dated 13-11-1973.

(3) Notification no. G-3-234/X-904(1)-62, dated 7-10-1974.

(4) Notification no. G-3-754/X-917-74, dated 11-6-1975.

(5) Notification no. G-3-3159/X-904(9)-60, dated 6-10-1975.

(6) Notification no. G-3-1476/76-X-52-74, dated 5-6-1976.

(7) Notification no. G-3-1928/X-908-70, dated 8-10-1976.

———

संख्या–5/7/77(3)कार्मिक–1

कार्मिक अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 24 अगस्त, 1977

विषय :–स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन आदि में अतिरिक्त सेवा के लाभ का दिया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश फन्डामेंन्टल रूल, 56 (संशोधन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1976) द्वारा संशोधित मूल नियम 56 के अनुसार स्वेच्छा सेवानिवृत्ति की आयु 50 वर्ष से घटाकर 45 वर्ष हो गयी है। इसके साथ ही उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा मूल नियम 56 के खण्ड (ख) में बढ़ाये गये प्रतिबन्धात्मक खण्ड में यह भी प्राविधान कर दिया गया है

कि जहां कोई सरकारी सेवक जो इस नियम के अधीन स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होता है या जिसे स्वेच्छा सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी उसे पेंशन और उपादान यदि कोई हो, के प्रयोजनार्थ 5 वर्ष की या ऐसी अवधि की, जिसमें यह कार्य किया होता, यदि वह अपनी अधिवर्षता की आयु के साधारण दिनांक तक रहता, जो भी कम हो, अतिरिक्त सेवा के लाभ को अनुज्ञा दे सकता है। सामान्यतया अतिरिक्त सेवा का उक्त लाभ सभी सरकारी सेवकों को अनुमन्य होगा, किन्तु आत्यायिक, परिस्थितियों में, जहाँ किसी सेवक की चरित्र पंजी में उसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध प्रकट हो, यह लाभ अनुमन्य न होगा।

2—उक्त प्राविधान से यह विदित होता है कि यदि कोई सरकारी सेवक जिसकी अधिवर्षता आयु 58 वर्ष है 45 वर्ष से अधिक, किन्तु 53 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर स्वेच्छा सेवानिवृत्त होता है या जिसे स्वेच्छा सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है, तो उसको पेंशन तथा उपादान यदि कोई हो के प्रयोजन के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ दिया जा सकता है। यदि कोई सरकारी सेवक 53 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद किसी समय स्वेच्छा सेवानिवृत्त होता या स्वेच्छा सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है तो उसको 5 वर्ष से कम उतनी ही अवधि की अतिरिक्त सेवा का लाभ दिया जा सकता है जितनी अवधि मे वह अधिवर्षता के साधारण दिनांक तक सेवा में रहता । यद्यपि उक्त प्राविधान के फलस्वरूप किसी सरकारी सेवक को 5 वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ दिया जायेगा, तथापि पेंशन तथा उपादान के आगणन हेतु उसकी परिलब्धियाँ वही मानी जायेगी जो वह स्वेच्छा सेवानिवृत्त के दिनांक को प्राप्त कर रहा था। अवर सेवा के कर्मचारियों के संबंध में जिसकी अधिवर्षता आयु 60 वर्ष है, ऊपर उल्लिखित उपबन्ध (Mutatis Mutandis) लागू होंगे।

3—आपसे अनुरोध है कि आप कृपया उपरोक्त प्राविधानों को ध्यान में रखें तथा अपने अधीनस्थ समस्त पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों की जानकारी में संशोधित मूल नियम—56 के उपर्युक्त प्राविधान भली प्रकार ला दें तथा यह निदेश दे दें कि स्वेच्छा सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को उपर्युक्त सुविधा का लाभ देने के लिए आवश्यक कार्यवाही तत्परता से यथाशीघ्र करें।

————

संख्या सा—3—2085/दस—907—76

प्रेषक,

श्री बन विहारी टंडन,
आयुक्त एवं वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 13 दिसम्बर, 1977

विषय :— अधिवर्षता पेंशन और मृत्यु—तथा—सेवा निवृत्ति आनुतोषिक की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने के उद्‌देश्य से कार्यविधि का सरलीकरण।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3

सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की स्वीकृति देने सम्बन्धी कार्यविधियों का सरलीकरण करने एवं उनमें गति लाने का प्रश्न इस शासन के विचाराधीन रहा है। अतएव इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त श्री राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान कये हैं कि सिविल सर्विस रेगुलेशन्स में निम्नलिखित संशोधन तथा अन्य संगत आदेश दिनांक 1 नवम्बर, 1977 से अर्थात् उक्त दिनांक संगत अधिकारी का प्रथम कार्य विलग दिवस (Non Working day) हो, या उसके उपरान्त किसी दिनांक से अधिवर्षता आयु प्राप्त करके सेवा निवृत्त होने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रभावी होंगे।

2–कार्य के लिये समय–सारिणी–प्रत्येक मामले में अधिवर्षता पेंशनों की अदायगी जिस महीने में देय हो उसी महीने की पहली तारीख से शुरू होनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिये विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों तथा पेंशन स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारियों को, (महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सम्मिलित करते हुये) पेंशन और आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) के प्राधिकरण तथा अदायगी से सम्बन्धित विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित 24 मासीय समय–सूची का पालन करना होगा :–

(1) 16 मास की अवधि में पेंशन सम्बन्धी कागजों की तैयारी के लिये अर्हकारी सेवा की गणना सेवा अभिलेखों की जाँच तथा उन्हें पूर्ण कराना आदि;

(2) अगले 8 मास की अवधि में से :–

(क) प्रथम 6 माह की अवधि में पेंशन सम्बन्धी कागजों की तैयारी का वास्तविक कार्य;

(ख) अगले एक माह की अवधि के अन्त तक पेंशन भुगतानादेश तथा अनुतोषिक भुगतानादेश जारी करना;

(ग) सेवा के अन्तिम माह की पहली तारीख को पेंशन तथा अनुतोषिक के अन्तिम भुगतानादेशों का सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारी को दे दिया जाना।

शासन का आशय यह है कि प्राथमिक और प्रारम्भिक कार्य काफी समय पहले से ही शुरू किया जाना चाहिये तथा कार्य के लिए विभिन्न स्तरों और प्रक्रिओं के लिये पर्याप्त समय देते हुए इन्हें अनुचित रूप से विलम्बित नहीं होने देना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक स्तर के सम्बन्ध में विभाजन तारीखें निर्धारित की गई हैं ताकि जब विभाजन दिनांक आ जाये तो कार्य अनिवार्य रूप से अगले स्तर पर पहुँच जाये।

(क) पेंशन सम्बन्धी कागजों को तैयार करने के लिये कार्यालयाध्यक्षों अथवा अन्य जिम्मेदार प्रधिकारी सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति की तारीख के दो वर्ष पहले ही पेंशन के मामले पर कार्यवाही शुरू करेंगे। इस स्तर पर मुख्य कार्य अर्हकारी सेवा का हिसाब लगाने के लिये अपेक्षित सूचना इकट्ठा करने का होगा। चूँकि पेंशन के मामलों में अधिकतर विलम्ब सेवा–पुस्तिका रिकार्ड में व्यवधानों तथा अपूर्णताओं के कारण होता है इसलिए इस स्तर पर इनको दूर करने के लिये पूरा प्रयत्न किया जाना आवश्यक होगा लेकिन इसके साथ–साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखा जायेगा कि सम्पूर्ण सेवा पुस्तिका अथवा रिकार्ड की पूर्ण जाँच अथवा निरीक्षण कराने का अभिप्राय नही है परन्तु केवल जो तुरन्त उद्देश्य सम्मुख हैं उसी सीमा तक जाँच करनी है–उदाहरणतः पेंशन सम्बन्धी कागजों को तैयार करना। यह प्रक्रिया समय रहते हुए तथा किसी भी स्थिति में सरकारी कर्मचारी की सेवा–निवृत्ति की तारीख से कम से कम आठ महीने पहले पूरी हो जानी चाहिए।

(ख) सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ महीने पहले पेंशन के कागजों को तैयार करने संबंधी वास्तविक कार्य को हाथ में लेना चाहिए–उदाहरणतः अर्हकारी सेवा की संगणना तथा औसत परिलब्धियों का हिसाब लगाना। सेवा रिकार्ड में कोई कमी अथवा अपूर्णता अथवा चूक अभी यदि विद्यमान रह जाती है तो उसकी इस स्तर पर उपेक्षा कर दी जायेगी तथा सेवा रिकार्ड में उस समय तक ऊपर उप–पैरा (क) के अनुसार पूर्ण की गई प्रविष्टियों के आधार पर अर्हकारी सेवा का निर्धारण किया जायेगा।

(ग) औसत परिलब्धियाँ पिछले 10 महीनों के दौरान प्राप्त (12 महीने की नहीं जैसा कि अब से पहले होना था) की गई परिलब्धियों के संदर्भ में निर्धारित

की जायेगी। यद्यपि औसत की गणना करने संबंधी अवधि को कम कर दिया गया है, परन्तु सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 487 के अन्य उपबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

इस कार्य में केवल औसत परिलब्धियों के लिए गणितात्मक (Arithmetical) संगणना ही अन्तर्गस्त नही है बल्कि परिलब्धियों की सत्यता की जाँच भी करानी होगी। परिलब्धियों की सत्यता स्वभावतः इस बात पर निर्भर करेगी कि इस दस माह की अवधि के आरम्भ होने वाली पहली तारीख को प्राप्त परिलब्धियाँ भी सही हों। परन्तु पहले की परिलब्धियों की सत्यता की जाँच, चाहे पेंशन के कागज तैयार करने वाले कार्यालय में हों अथवा बाद में, पेंशन अदायगी आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार कार्यालय में हो, गहरी छान–बीन हेतु काफी पीछे जाने का अवसर नहीं होना चाहिये, कम से कम उतनी जाँच की जानी चाहिए जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है। किसी भी स्थिति में उक्त जाँच सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व के 34 महीने की अवधि से अधिक अवधि के संबंध में करने की आवश्यकता नही होनी चाहिए।

(घ) अर्हकारी सेवा का निर्धारण और औसत परिलब्धियाँ तथा स्वीकार्य पेंशन और आनुतोषिक से संबंधित प्रक्रिया हर हालत में दो महीने के अन्दर पूरी हो जानी चाहिए तथा पेंशन संबंधी कागज महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय को सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम छः महीने पहले ही भेज देने चाहिये। वह कार्यालय कागजों की उपर्युक्त पैराग्राफ (क) और (ग) में उल्लिखित उद्देश्यों तक ही सीमित रखते हुए आवश्यक जाँच करने के पश्चात् सेवानिवृत्ति की तारीख के कम से कम एक महीने पहले पेंशन अदायगी आदेश (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक की अदायगी के अदेश सहित) जारी करेगा।

(ङ) उन मामलों में जिनमें किसी सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति अधिवर्षता सेवानिवृत्ति की सामान्य तारीख से पहले हो चाहे वह वित्तीय नियमावली खण्ड 2, भाग 2–4 के मूल नियम 56 (सी) अथवा (ई) के उपबन्धों के अनुसरण में हो, अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/निगम आदि में स्थायी रूप से खपा लिये जाने के आधार पर सेवानिवृत्ति हो जाने के फलस्वरूप हो, ऐसे मामलों में भी पेंशन के मामलों का निस्तारण शीघ्रता से किया जायेगा और इस संबंध में अलग से अनुदेश जारी किये जायेंगे।

3–असाधारण छुट्टी और निलम्बन–(क) सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 408, 419(बी) तथा 487 के नीचे दिये नियमों के अनुसार पेंशन की गणना के प्रयोजन के लिये केवल सवेतन अवकाश की अवधि ही अर्हकारी सेवा में सम्मिलित की जाती है तथा किसी भी दशा में असाधारण अवकाश की अवधि (जो बिना वेतन की होती है) को पेंशन के लिये अर्हकारी सेवा में नहीं गिना जाता है। शासन ने अब यह निर्णय लिया है कि असाधारण अवकाश की अवधि को भी पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा में सम्मिलित किया जायेगा यदि असाधारण अवकाश निम्नलिखित कारणों के आधार पर स्वीकृत किया गया हो :–

(1) सक्षम चैकित्सिक प्राधिकारी द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर;

(2) नागरिक अशांति होने के कारण ड्यूटी पर आने अथवा पुनः आने में उसकी असमर्थता; अथवा

(3) उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक अध्ययनों में अनुशीलन के कारण।

अन्य आधारों पर लिया गया असाधारण अवकाश अर्हकारी सेवा नहीं माना जायेगा और इसी लिये सेवा रिकार्ड में इस आशय की एक निश्चित प्रविष्टि की जानी आवश्यक होगी। सेवा अर्हकारी है अथवा नहीं उसके सम्बन्ध में प्रविष्टियाँ भी घटना के साथ–साथ ही की जानी चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो प्रारम्भिक कार्यवाही अर्थात् सेवानिवृत्ति की तारीख के दो वर्ष पूर्व से सेवानिवृत्ति के आठ महीने पहले तक के लिये स्वीकार्य अवधि के दौरान, अर्थात् सेवानिवृत्ति के दिनांक से 16 माह पूर्व की अवधि में, इस चूक को सुधार देना संभव होना चाहिये। परन्तु उस अवधि के अन्त में [अर्थात् जैसा कि उक्त पैराग्राफ 2 (ख) में निर्धारित किया हुआ है।] पेंशन के कागजों की वास्तविक तैयारी का काम शुरू किये जाने पर पहले की घटनाओं अथवा पहले के रिकार्डों के सम्बन्ध में कोई भी और आगे पूंछ–तांछ अथवा जांच नहीं की जानी चाहिये। जो अवधि/अवधियाँ अर्हकारी न हों उनके सम्बन्ध में सेवा रिकार्ड में विशिष्ट प्रविष्टियों को नोट किया जायेगा तथा ऐसी अवधि/अवधियों को सेवा में से निकाल दिया जायेगा। इस प्रकार की विशिष्ट प्रविष्टियों के अन्तर्गत न आयी असाधारण अवकाश की सभी अल्पावधियों को अर्हकारी सेवा माना जायेगा।

(ख) वित्तीय नियमावली खण्ड 2, भाग 2–4 के मूल नियम 54 तथा मूल नियम 54–बी में यह प्राविधान उपलब्ध है कि किसी भी निलम्बित सरकारी सेवक को सेवा में पुनः स्थापित करते समय सक्षम अधिकारी द्वारा यह विशिष्ट आदेश दिया जायेगा कि निलम्बन अवधि का विनियमन किस प्रकार होगा अर्थात् क्या ऐसी अवधि किसी प्रयोजन के लिये ड्यूटी मानी जायेगी या नहीं। सक्षम अधिकारी द्वारा निलम्बन काल के बारे में कोई आदेश न दिये जाने के कारण उपरोक्त नियम के अनुसार ऐसी अवधि को अभी अर्हकारी सेवा में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अतः अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें निलम्बन को पूर्णतः अनुचित माना गया हो, अन्य सभी मामलों में सक्षम प्राधिकारी को उपयुक्त समय पर ही इस बात का स्पष्ट आदेश सेवा अभिलेख में करना चाहिए कि क्या तथा किस हद तक निलम्बन की अवधि को अर्हकारी सेवा माना जायेगा। अर्हकारी सेवा का हिसाब लगाते समय सेवा–पुस्तिका रिकार्ड में उस आशय की विशिष्ट टिप्पणियों का ध्यान रखा जायेगा। किसी विशिष्ट प्रविष्टि के न होने पर निलम्बन की अवधि को अर्हकारी सेवा के रूप में गणना की जायेगी।

4–सेवा में व्यवधान–सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 422 के अनुसार सेवा की दो अवधियों के मध्य उत्पन्न हुए व्यवधान/व्यवधानों का यदि मर्षण नहीं किया जाता है तो व्यवधान/ व्यवधानों से पूर्व की सेवा अर्हकारी सेवा में सम्मिलित नहीं होती है। अब यह निर्णय लिया गया है कि सेवा रिकार्ड में कोई विशिष्ट संकेत न होने पर राज्य सरकार के अन्तर्गत की गई सेवा की दो अवधियों के बीच हुए व्यवधान/व्यवधानों को स्वतः ही मर्षित माना जायेगा और पेंशन के लिये व्यवधान/व्यवधानों से पूर्व की सेवा अर्हकारी सेवा मानी जायेगी सिवाय इसके कि जहाँ अन्यथा यह जानकारी हो कि व्यवधान सेवा से त्याग–पत्र देने, बरखास्त कर दिये जाने अथवा सेवा से निकाल दिये जाने अथवा किसी हड़ताल में भाग लेने के कारण हुआ हो। किसी भी हालत में पेंशन के लिये व्यवधान/व्यवधानों की अवधि अर्हकारी सेवा के रूप में आगणित नहीं की जायेगी।

5–प्रतिनियुक्ति बाह्य सेवा–(क) बाह्य सेवा की शर्तों के अनुसार बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों में पेंशन सम्बन्धी अंशदान के भुगतान की जिम्मेदारी प्रायः स्वयं सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी पर होती है जिससे वह अपनी पेंशन–योग्य सेवा की निरन्तरता कायम रख सके। ऐसे मामलों में यह पता लगाना अवश्य होगा कि बाह्य सेवा की अवधि की अर्हकारी सेवा के रूप में गणना

करने से पहले वसूलियाँ कर ली गई हैं अथवा नहीं। परन्तु कभी–कभी सरकारी कर्मचारी को प्रशासनिक/लेखा कार्यालयों द्वारा गलत तरह से अथवा अपूर्ण रूप से रखे गये रिकार्ड के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में यद्यपि सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारी से युक्त–संगत रूप में है तो पूछा जा सकता है कि वह यह बताये कि क्या वास्तव में उसने अंशदान का भुगतान किया है परन्तु प्रशासनिक प्राधिकारियों को भी जो साक्ष्य वह इस सम्बन्ध में प्रस्तुत करे उसके प्रति इस प्रकार के दिये गये साक्ष्य का मूल्यांकन करने तथा स्वीकार करने में औचित्य और समंजन की भावना (spiri of reasonableness and accommodation) दिखानी चाहिये तथा उसे सेवा तथा सेवा सम्बन्धी अभिलेखों के संदर्भ में, जिनके रख–रखाव की जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारी की नहीं होती है, कड़ाई के साथ औपचारिक प्रमाण पर आग्रह नही करना चाहिये।

(ख) परन्तु जहाँ पेंशन सम्बन्धी अंशदान का भुगतान करने की जिम्मेदारी प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले संगठन/बाह्य सेवायोजक की हो तथा जिसमें या तो कुछ अंशदानों की वसूली न की गई हो या इस प्रकार के अंशदानों की की गई वसूलियों का रिकार्ड अपूर्ण हो, वहाँ जब कि संबद्ध प्राधिकारियों को उपयुक्त कार्यवाही के लिये उपरोक्त संगठन से अंशदानों की वसूली से सम्बन्धित कार्यवाही तो करते रहना चाहिये परन्तु इसका पेंशन के कागजों की प्रक्रिया और निस्तारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये।

6–पेंशन की प्रशासनिक स्वीकृति तथा अनुमोदित सेवा की अवधारणा–(क) वर्तमान व्यवस्था के अनुसार विभागाध्यक्ष अथवा नियुक्ति अधिकारी को सेवा से निवृत्त होने वाले सरकारी सेवक की अनुमोदित सेवा की अवधारणा के सन्दर्भ में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक होता है, यद्यपि अधिकांश मामलों में यह केवल एक औपचारिकता मात्र ही होती है, परन्तु इसमें पेंशन के मामलों के निस्तारण में काफी देरी हो जाती है। इसलिये यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन के लिये प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। अतएव पेंशन का निर्धारण नियमों के अनुसार सिर्फ एक संगणना का ही मामला होगा; और पेंशन के कागजों पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 470 (बी) के उपबन्धों में निहित आशय को त्याग देने का अभिप्राय कदापि नहीं है जिनके अन्तर्गत असंतोषजनक सेवा अथवा आचरण के आधार पर किन्हीं विशेष मामलों में विहित औपचारिकतायें पूरी करने के पश्चात् पेंशन/आनुतोषिक की पूर्ण स्वीकार्य धनराशि से कम धनराशि स्वीकार की जा सकती है। इस उपबन्ध का सहारा केवल अपवादस्वरूप मामलों में ही लिया जायेगा और इस प्रयोजन के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि पेंशन सम्बन्धी समस्त मामलों को विभागाध्यक्ष अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के पास भेजा जाय अथवा प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में डाला जाय। इसके बजाय उस समय जब पेंशन के कागजों को तैयार करने का काम शुरू किया जाय, अर्थात् सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ महीने पहले, पेंशन स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी को नियुक्ति प्राधिकारी से (उस दशा में जब पेंशन स्वीकृत करने वाला सक्षम अधिकारी नियुक्ति अधिकारी से भिन्न है), इस आशय की अलग से पूँछताछ करनी चाहिये कि क्या पूर्ण पेंशन मंजूर करने के बजाय कम पेंशन देने का आशय है अथवा कोई कार्यवाही प्रारम्भ करने का विचार है। (इस प्रयोजन के लिये उस प्राधिकारी को पेंशन के कागज भेजने की आवश्यकता नहीं है)। इस पूँछताछ के उत्तर के अभाव में पेंशन के कागज तैयार करने वाले प्राधिकारी को यह मान लेना चाहिये कि पूर्ण पेंशन/आनुतोषिक की धनराशि से कम धनराशि की स्वीकृति देने की कोई मंशा नहीं है और तदनुसार पेंशन के कागजों पर इस प्रकार से कार्यवाही करनी चाहिये ताकि उनको

पेंशन अदायगी आदेश जारी करने के लिये महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को निर्धारित समय की अवधि तक भेजा जा सके। यदि, इसके विपरीत, नियुक्ति प्रधिकारी इस बात का निर्णय करता है कि पूर्ण स्वीकार्य पेंशन/आनुतोषिक से कम धनराशि की स्वीकृति देने का मामला है तो निर्धारित संवैधानिक कार्यविधि को अपनाया जाना चाहिये और पेंशन अदायगी आदेश जारी करने के लिये महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पास पेंशन सम्बन्धी कागजों को भेजने की अन्तिम तारीख से पहले ही, अर्थात् सेवानिवृत्ति की तारीख के 6 महीने पहले से यह प्रक्रिया हर हालत में पूरी कर लेनी चाहिये। पेंशन स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी के स्वयं के मामलों में कार्यवाही उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार उनसे उच्चतर अधिकारी द्वारा की जायेगी।

7—अनन्तिम पेंशन और आनुतोषिक की अदायगी—(क) उक्त पैराग्राफ 2 में विनिर्दिष्ट समय—सारिणी का दृढ़ता से पालन किया जाना है। किन्हीं विशिष्ट कारणों से, यदि किसी विशेष मामले में निर्धारित समय सूची के अन्दर अन्तिम आदेश जारी करने के लिये महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पेंशन के कागज पूर्ण करके भेजना संभव न हुआ हो, अथवा उनके कार्यालय को पेंशन के कागज देरी से भेजे गये हों और अथवा उस कार्यालय ने या तो और आगे सूचना लेने के लिये सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष को कागज वापस किये हों या वह सरकारी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की तारीख से एक महीना पहले पेंशन अदायगी आदेश जारी नहीं कर सका हो तो उन मामलों में भी सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा उस माह की पहली तारीख तक अन्तिम पेंशन और आनुतोषिक की अदायगी प्राधिकृत करने के लिये कदम उठाये जायेंगे जिस से अन्तिम पेंशन देय होती हो। इस प्रयोजन के लिये जो भी सूचना कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध हो उसी का उपयोग किया जायेगा, और इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी से एक साधारण विवरण भी माँग लेना होगा जिसमें उसका सम्पूर्ण—सेवा—काल (ड्यूटी पर आने की तारीख तक, जिसमें सेवानिवृत्ति की तारीख तक, जिसमें सेवा में व्यवधान की अवधि का भी, यदि कोई हो, उल्लेख हो) तथा सेवा के अन्तिम दस महीनों के दौरान प्राप्त परिलब्धियों का भी उल्लेख किया हुआ हो। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी से यह प्रमाणित करने के लिये भी कहा जायेगा कि उसके द्वारा दिये गये तथ्य उसकी सर्वोत्म जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। यदि पिछले दस महीनों के दौरान प्राप्त की गई परिलब्धियों के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना विभागाध्यक्ष के पास अथवा सरकार के पास उपलब्ध न हों, तो प्राप्त की गई अनन्तिम परिलब्धियों को ही अन्तिम रूप से औसत परिलब्धियाँ मान लिया जायेगा। विभागाध्यक्ष इस प्रकार से प्राप्त की गई सूचना के संदर्भ में संगणना की गई पेंशन की शत—प्रतिशत स्वीकृति अनन्तिम पेंशन के रूप में देंगे। मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक का निर्धारण भी इसी प्रकार से किया जायेगा।

अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में (सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 914 के नीचे दिये ''स्पष्टीकरण'' के अनुसार) अनन्तिम पेंशन और आनुतोषिक का आहरण तथा वितरण सम्बन्धी कार्य सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 919(1) के अनुसार यथावत् जारी रहेगा। अनन्तिम आनुतोषिक का भुगतान करने से पहले बकाया दीर्घावधि अग्रिम, वेतन और भत्तों आदि के लिये किये गये अधिक भुगतान और अन्य देय वसूलियों जैसी ज्ञात सभी देय रकमों का समायोजन किया जायेगा। जहाँ इस प्रकार के कोई समायोजन नहीं किये जाने हों वहाँ विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित की गई आनुतोषिक की धनराशि के 10 प्रतिशत या 1,000 रु0, जो भी कम हो, की कटौती अंशतः अनिर्धारित देय रकमों को, यदि हों तो, पूरा करने के लिये और अंशतः आनुतोषिक के अन्तिम निर्धारण में समायोजन किये जाने के लिये कर ली जायेगी।

(ख) वर्तमान में, राजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में जहाँ अन्तिम पेंशन का निर्धारण न किया गया हो वहाँ पूर्वानुमानित पेंशन अदायगी आदेश महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा जारी किया जा सकता है। इसका संशोधन करते हुये यह निर्णय लिया गया है कि इन मामलों में भी यदि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा सेवानिवृत्ति की तारीख के एक महीना पहले अन्तिम पेंशन अदायगी आदेश जारी नहीं किये गये हैं तो राजपत्रित अधिकारी अनन्तिम पेंशन और आनुतोषिक के आहरण और वितरण के लिये अपने विभागाध्यक्ष से अनुरोध कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिये उप पैराग्राफ (क) में विनिर्दिष्ट कार्य–विधि समान रूप से लागू होगी।

(ग) सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 919(1) में यह प्राविधान है कि जब पेंशन कागजात महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेज दिये जांय तो उसके पश्चात् विभागाध्यक्ष अराजपत्रित कर्मचारियों को जैसा कि सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 914 के नीचे दिये ''स्पष्टीकरण'' में इंगित हैं उसके द्वारा ही आगणित की गई पेंशन का भुगतान 12 माह की अवधि के के लये अनन्तिम रूप से करेंगे। उपयुक्त उप–पैराग्राफ (क) और (ख) में बताई व्यवस्था भी 12 माह की अवधि के लिये लागू रहेगी परन्तु यदि अब इस बारह मास की अवधि के भीतर ही पेंशन एवं आनुतोषिक अन्तिम रूप से निर्धारित न किये जा सके हों तो बारह मास की अवधि की समाप्ति पर अनन्तिम रूप से स्वीकृत की गई पेंशन अन्तिम रूप से स्वीकृत की गई पेंशन मान ली जायेगी और महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी पेंशन तथा आनुतोषिक के अन्तिम भुगतानादेश तदनुसार अधिकृत किये जायेंगे।

8–अन्तिम वेतन–पत्र–अनन्तिम पेंशन की अदायगी से पहले अन्तिम वेतन–पत्र के जारी करने के लिये आग्रह नहीं करना चाहिये। सेवनिवृत्ति से बारह महीने की अवधि के दौरान सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष अथवा अन्य सम्बद्ध कार्यालय के लिये यह संभव होना चाहिये कि वह सरकारी कर्मचारी को अन्तिम वेतन–पत्र जारी करें। उन मामलों में जिनमें पेंशन/आनुतोषिक अदायगी आदेशों के प्राप्त होने तक अन्तिम वेतन–पत्र जारी नहीं किया जा सका हो, अन्तिम वेतन–पत्र के तैयार होने तक किसी भी स्थिति में, आनुतोषिक अदायगी आदेश में, आनुतोषिक का 10 प्रतिशत अथवा 1,000 रु0 इनमें से जो भी कम हो, रोक लेने की व्यवस्था भी की जायेगी।

9–सरकार को देय रकमों का समायोजन–सेवानिवृत्ति की तारीख के दो वर्ष पहले जब पेंशन सम्बन्धी कागजों पर कार्यवाही शुरू की जाय तो उसी समय से विभागाध्यक्ष, सक्षम अधिकारी आदि द्वारा बकाया देय रकमों का पता लगाने अथवा निर्धारण करने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये। चूँकि वस्तुतः पेंशन के कागजों को तैयार करने का अगला स्तर एक वर्ष और चार महीनों पश्चात् आता है, इसलिये सरकार को दी जाने वाली सभी प्रकार की रकमों का पता लगाने के लिये पर्याप्त समय मिल जाता है। उक्त 16 मास की अवधि के उपरान्त, अर्थात् सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के आठ महीने पहले, तो देय रकम की वसूली के लिये रिकार्ड की छानबीन केवल एक सीमित अवधि तक के लिये की जायेगी अर्थात् सेवानिवृत्ति की तारीख के दो वर्ष पहले की अवधि तक ही। इसलिये यह विभागाध्यक्ष अथवा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद जैसी भी स्थिति हो, के लिये बिल्कुल संभव होना चाहिये कि वह पेंशन अदायगी/आनुतोषिक अदायगी आदेश अथवा अनन्तिम पेंशन/अनन्तिम आनुतोषिक आदेश के जारी करने की निर्धारित अवधि से पहले सभी देय रकमों का पता लगायें अथवा निर्धारण करें, विशेषकर जिनका सम्बन्ध मकान निर्माण अथवा वाहन अग्रिमों जैसे दीर्घावधि अग्रिमों, वेतन और भत्तों की अधिक भुगतान की गई धनराशियों तथा इसी प्रकार की अन्य देय रकमों से होता है। पेंशन सम्बन्धी कागजों में कुल बकाया देय रकमों का स्पष्ट रूप से उल्लेख

किया जाना चाहिये जिनकी वसूली मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक की अदायगी (चाहे अन्तिम हो अथवा अनन्तिम हो) का प्रधिकार–पत्र जारी करने से पहले आनुतोषिक से की जायेगी और यदि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पेंशन के कागज भेजने के बाद आनुतोषिक से की जाने वाली कुछ अन्य वसूलियाँ भी ज्ञात हो जांय तो इस तथ्य की सूचना तत्काल महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दे दी जायेगी। उस मामले में, जहाँ कोई भी भारी वसूलियाँ देय नहीं हों, परन्तु सरकार को सम्भावित देय रकमों के कारण निर्धारण न करने अथवा उक्त पैराग्राफ 7 (क) के अनुसार आनुतोषिक की अदायगी अनन्तिम रूप से किये जाने के कारण या अन्तिम वेतन–पत्र के प्राप्त न होने के कारण (उक्त पैरा 8 देखिये) आनुतोषिक का 10 प्रतिशत अथवा 1,000 रु0, जो भी कम हो, रोक लिया गया है तो सेवानिवृत्ति के 12 महीने समाप्त हो जाने के बाद रोकी गई रकम स्वतः ही देय हो जायेगी। विभागाध्यक्ष अथवा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, जैसी भी स्थिति हो, अनन्तिम आनुतोषिक या अन्तिम आनुतोषिक अदायगी आदेश की स्वीकृति के आदेशों में ही रोकी गई आनुतोषिक की धनराशि का उल्लेख करेंगे तथा इस बात का और आगे उल्लेख करेंगे कि सेवानिवृत्ति की तारीख से 12 महीने की अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् रोकी गई धनराशि बिना किसी अग्रिम आदेशों की प्रतीक्षा किये संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को दे दी जायेगी, बशर्ते कि उक्त अवधि के अन्दर रोकी गई धनराशि में से किसी विशिष्ट धनराशि की वसूली के लिये अनुदेश जारी न किये गये हों।

10–रिकार्ड रखने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व–उपर्युक्त निर्णय लेने में सरकार ने इस आधार पर कार्यवाही की है कि भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी रिकार्ड और कार्य–विधि में अपूर्णता रह सकती है परन्तु सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के लिये यह अन्याय होगा यदि उसे सेवा रिकार्ड के उपयुक्त रख–रखाव के लिये जिम्मेदार अधिकारियों की गलतियों के कारण कष्ट उठाना पड़े। नई कार्य–विधि के अन्तर्गत यदि रिकार्ड अपूर्ण हैं या उसमें किसी प्रकार की कमी है तो परिकल्पना सरकारी कर्मचारी के पक्ष में कर ली जायेगी। इससे संबंधित अधिकारियों द्वारा सेवा और लेखा संबंधी सभी रिकार्ड की उचित प्रकार से नियमित तौर पर और समय पर पूरा किये जाने की सुनिश्चित व्यवस्था करने का महत्व बढ़ जाता है ताकि इस प्रकार की कल्पना किये जाने के अवसर कम से कम हों। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि यदि भविष्य में पेंशन के मामलों पर कार्यवाही करते समय तथा उनको निपटाते समय सेवा के रिकार्डों में अपूर्णता अथवा अधूरापन पाया जाये तो उन मामलों में देरी नहीं की जायेगी परन्तु रिकार्डों के रखने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों को, उसमें किसी प्रकार की कमियों, खराबी अथवा की गई चूकों के लिये जिम्मेदार ठहराया जायेगा और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। अतः समस्त विभागाध्यक्षों आदि से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करें कि इन अनुदेशों का पूर्णतः पालन किया जाये।

11–उक्त अदेशों द्वारा पेंशन सम्बन्धी नियम संशोधित किये गये समझे जायेंगे तथा औपचारिक संशोधन यथासमय जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

वन बिहारी टण्डन

आयुक्त एवं सचिव।

———

संख्या सा–3–1405/दस–905–77

प्रेषक,

श्री उदय प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

लखनऊः दिनांक 8 फरवरी, 1978

विषय :– सी0 एस0 आर0 के अनुच्छेद 351 के अन्तर्गत पेंशन जब्त करना।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी पेंशनर के दुराचरण का दोषी होने के कारण दण्डित कर दिये जाने पर उसकी पेंशन रोकने/अपहरित करने का प्रश्न काफी समय से शासन के विचाराधीन रहा है। सी0 एस0 आर0 के अनुच्छेद 351 द्वारा शासन को किसी पेंशनर की पेंशन आंशिक रूप से अथवा पूरी तौर से रोकने/अपहरित करने का अधिकार प्राप्त है किन्तु विचाराधीन प्रश्न यह रहा है कि ऐसे मामलों में पेंशन किस तिथि से रोकी जाय अर्थात् पेंशन उस तिथि से रोकी जाय जिस दिन अपराध अथवा दुराचरण किया गया हो अथवा उस दिन से जब से अपराधी व्यक्ति को सजा या दण्ड दिया गया हो। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि घटना के दिनांक तथा पेंशन के भुगतान रोकने के आदेशों के बीच कुछ न कुछ समयावधि अवश्य व्यतीत हो जाती है और उस अवधि की पेंशन का भुगतान प्रायः हो चुका होता है जिसकी वसूली करना संभव नहीं होता है। सी0 एस0 आर0 के अनुच्छेद 351 में केवल पेंशन रोकने का प्राविधान तो है किन्तु भुगतान की जा चुकी पेंशन की वसूली करने का कोई प्राविधान नहीं है। ऐसी दशा में पेंशनर को भुगतान की जा चुकी पेंशन की धनराशि को वापस लेना न तो विधिवत् प्रतीत होती है और न संभव हो सकेगा।

2–इसी संदर्भ में लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या जी–III–979/17–ए0डी0सी0–68–69, दिनांक 30 अक्टूबर, 1976 में आयोग का यह मत प्राप्त हुआ है कि अदालत के फैसले के बाद जितने दिन तक अपराधी व्यक्ति जेल में रहे केवल उतने ही समय तक की पेंशन जब्त होनी चाहिये किन्तु यदि जेल जाने की तिथि तक पेंशन मिल गई हो तो वह वापस न कराई जाय। शासन ने लोक सेवा आयोग के उपर्युक्त मत पर विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया है कि किसी पेंशनर के दुराचरण के कारण दण्डित किये जाने की दशा में उसकी पेंशन उस तिथि से ही रोकना उचित होगा जिस तिथि से उसे न्यायालय द्वारा सजा दी गई हो किन्तु यदि जेल जाने की तिथि तक पेंशन मिल गई हो, तो उसे वापस नहीं कराया जायगा।

भवदीय,
उदय प्रताप सिंह
उप सचिव।

————

संख्या सा–3–1004 / दस–907–76

प्रेषक,

श्री त्रिभुवन प्रसाद,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 11 जूलाई, 1978

विषय :– पेंशन और मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से कार्यविधि का सरलीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय विज्ञप्ति संख्या सा–3–754 / दस–917–74, दिनांक 11 जून, 1975 द्वारा सिविल सर्विस रेगुलेंशन्स के अनुच्छेद 919 (1) में यह प्राविधान किया गया था कि लेखा परीक्षा अधिकारी को पेंशन के पत्रादि भेज दिये जाने के पश्चात विभागाध्यक्ष प्रत्येक पेंशन भोगी के लिये पृथकतः पेंशन अनुमन्य होने की दशा में अस्थायी पेंशन का भुगतान सरकारी सेवक के सेवा निवृत्त होने के दिनांक से केवल 12 माह की अवधि तक ही जारी रखेगा जब तक कि सिविल सर्विस रेगुलेंशन्स के अनुच्छेद 920 (5) के अधीन लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा उक्त अवधि न बढ़ायी जाय। तत्पश्चात् शासनादेश संख्या सा–3–2085 / दस–907–76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 के पैरा 7 (ग) में यह प्राविधान किया गया कि पैरा 7 (क) तथा (ख) के अनुसार स्वीकृत की जाने वाली अनन्तिम पेंशन का भुगतान 12 माह तक की अवधि के लिये किया जा सकेगा और यदि इस 12 माह की अवधि के भीतर ही पेंशन एवं ग्रेच्युटी अंतिम रूप से निर्धारित न किये जा सके हों, तो 12 माह की अवधि की समाप्ति पर, अनन्तिम रूप से स्वीकृति की गई पेंशन अंतिम रूप से स्वीकृत की गई मान ली जायगी और महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी पेंशन तथा आनुतोषिक के अन्तिम भुगतानादेश तदनुसार अधिकृत किये जायेंगे।

2–इसी प्रकार उक्त शासनादेश दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 के पैरा 9 में यह प्राविधान किया गया था कि जिन मामलों में सरकार को सम्भावित देय रकमों के कारण, आनुतोषिक की अदायगी अनन्तिम रूप से किये जाने के कारण या अन्तिम वेतन पत्र के प्राप्त न होने के कारण आनुतोषिक का 10 प्रतिशत अथवा 1,000 रू0 जो भी कम हो, रोक लिया गया है तो सेवा निवृत्ति के 12 महीने समाप्त हो जाने के बाद रोकी गई रकम स्वतः ही, देय हो जायेगी और ऐसी धनराशि बिना किसी अग्रिम आदेशों की प्रतीक्षा किये सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी को दे दी जायगी बशर्ते कि उक्त अवधि के अन्दर उक्त धनराशि से किसी विशिष्ट धनराशि की वसूली के लिये अनुदेश जारी न किये गये हों। इस विषय पर शासन ने पुनः विचार किया है तथा यह निर्णय लिया है कि इन आदेशों के जारी होने के दिनांक से अनन्तिम पेंशन के भुगतान की अवधि 12 माह के बजाय 6 माह ही रहेगी तथा ग्रेच्युटी की धनराशि से 10 प्रतिशत अथवा 1,000 रु0 जो भी कम हो, 6 माह की अवधि तक ही रोका जायगा और यदि इस अवधि में कोई देय रिपोर्ट प्राप्त न हो तो रोकी गई धनराशि 6 माह की समाप्ति पर सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी को दे दी जायेगी।

3–शासनादेश संख्या सा–3–2085 / दस–907–76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 के पैरा 7 (ग) तथा पैरा 9 तथा विज्ञप्ति संख्या सा–3–754 / दस–917–74, दिनांक 11 जून, 1975 के अनुसार संशोधित सिविल सर्विस रेगुलेंशन्स के अनुच्छेदे 919 (1) तथा 920 (5) भी ऊपर पैरा 2 में वर्णित निर्णय के अनुसार संशोधित समझे जायेंगे। इस सम्बन्ध में औपचारिक संशोधन यथा समय जारी किये जायेंगे।

भवदीय,
त्रिभुवन प्रसाद
वित्त सचिव।

संख्या सा–3–2827 / दस–907–76

प्रेषक,

श्री त्रिभुवन प्रसाद,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 2 दिसम्बर, 1978

विषय :– अधिवर्षता पेंशन और मृत्यु–तथा–सेवानिवृत्ति आनुतोषिक की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने के उद्‌देश्य से कार्यविधि का सरलीकरण।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या संख्या सा–3–2085 / दस–907–76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 की ओर अपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश के पैरा 2(घ) में यह प्राविधान है कि पेंशन सम्बन्धी कागज महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय को सम्बन्धित कर्मचारी / अधिकारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम छः महीने पहले भेज देना चाहिए और वह कार्यालय आवश्यक जाँच करने के पश्चात् सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम एक महीना पहिले पेंशन अदायगी आदेश (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक की अदायगी के आदेश सहित) जारी करेगा। इस प्रक्रिया के अनुसार महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में पेंशन और आनुतोषिक की संगणना इस अनुमान पर ही करना संभव होगा कि कर्मचारियों / अधिकारियों के पेंशन के कागजों में अर्हकारी सेवा और परिलब्धियों का जो विवरण उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक के लिए अनुमानित रूप से दिखाया गया हो वह वस्तुतः सत्य प्रमाणित हो। यदि किसी कर्मचारी / अधिकारी के पेंशन सम्बन्धी कागज महालेखाकार के कार्यालय को भेजने के पश्चात् तथा उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि के बीच कोई ऐसी घटना हो जाय जिसके कारण उस कर्मचारी के पेंशन प्रकरण में भेजे गये विवरण में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो इसकी सूचना महालेखाकार, उत्तर प्रदेश–3, इलाहाबाद को तुरन्त भेजना अनिवार्य होगा। इन आदेशों का परिपालन करने हेतु उपरोक्त शासनादेश संख्या सा–3–2085 / दस–907–76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 के पैरा 6(ख), के बाद एक नया उप–पैरा(ग) निम्न प्रकार से जोड़ दिया समझा जायेगा :–

"(ग) यदि पेंशन सम्बन्धी कागज महालेखाकार के कार्यालय का पैरा 2(घ) के अन्तर्गत प्रस्तुत करने के पश्चात् कोई ऐसी घटना होती है जिससे कर्मचारी को देय पेंशन या आनुतोषिक प्रभावित होती है तो उसकी सूचना तुरन्त महालेखाकार, उत्तर प्रदेश–3, इलाहाबाद को भेज देना चाहिए तथा उस कार्यालय से इसकी पावती ले लेनी चाहिए। यदि ऐसी कोई घटना न हो जिससे सम्बन्धित कर्मचारी की अनुमानित सेवा तथा परिलब्धियों में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो तो उक्त कर्मचारी का अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र (लास्ट पे सर्टीफिकेट) महालेखाकार के कार्यालय को भेजने से पहले उस पर निम्नलिखित प्रमाण–पत्र भी अंकित कर दिया जाय :–

"यह प्रमाणित किया जाता है कि पत्र संख्या ...., दिनांक ...., के साथ भेजे गये उक्त कर्मचारी के पेंशन योग्य सेवा तथा परिलब्धियों के विवरण में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे कि उसकी पेंशन / ग्रेच्युटी की संगणना प्रभावित हो तथा उनके दावों पर अन्तर पड़े।"

यह अति आवश्यक है कि अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र सम्बन्धित कर्मचारी / अधिकारी की सेवानिवृत्ति के बाद शीघ्रताशीघ्र भेज दिया जाय।

भवदीय,
त्रिभुवन प्रसाद
वित्त सचिव।

संख्या सा–3–200/दस–938–75

प्रेषक,

त्रिभुवन प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 25 जनवरी, 1979

विषय :– पेंशन के आगणन हेतु निःसंवर्गीय पद पर प्राप्त की गई परिलब्धियों का लेखे में लिया जाना।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

आपका ध्यान शासनादेश संख्या सा–3–3534/दस–938–75, दिनांक 24 मई, 1976 की ओर आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में यह निर्देश जारी किये गये थे केवल ऐसे स्थायी निःसंवर्गीय पदों पर आहरित की गई परिलब्धियाँ ही पेंशन आगणन हेतु लेखे में ली जायेंगी जो अपेंशनीय घोषित न किये गये हों और जिन पर पेंशन प्राप्ति की अन्य शर्तें पूरी होती हों।

2–इस विषय पर शासनादेश द्वारा पुनर्विचार किये जाने पर यह देखा गया है कि असंवर्गीय पदों पर नियुक्तियाँ योग्यता एवं प्राप्त अनुभव के आधार पर की जाती है और ऐसे पदों का सृजन शासन द्वारा जनहित में ही किया जाता है। निःसंवर्गीय पद पर प्राप्त किया गया वेतन वस्तुतः स्थानापन्न वेतन ही होता है और सी0 एस0 आर0 के अनुच्छेद 486 के अनुसार स्थापन्न वेतन भी पेंशन हेतु ली जाने वाली परिलब्धियों में शामिल किया जाता है। अतएव पेंशन आगणन हेतु ली जाने वाली परिलब्धियों के लिये संवर्गीय अथवा निःसंवर्गीय पद का विभेद किया जाना उचित नहीं है।

3–अतः शासनादेश संख्या सा–3–3524/दस–938–75, दिनांक 24 मई, 1976 का अतिक्रमण करते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन आगणन के लिये संवर्गीय अथवा निःसंवर्गीय पद का विभेद नहीं किया जायगा तथा निःसंवर्गीय पद पर प्राप्त परिलब्धियाँ भी पेंशन आगणन हेतु औसत परिलब्धियों में शामिल की जायेगी।

4–यह आदेश तुरन्त प्रभावी होंगे। अनिर्णीत मामलों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जा सकेगा किन्तु निर्णीत हो चुके मामलों को पुनर्जीवित नहीं किया जायगा।

भवदीय,

त्रिभुवन प्रसाद
वित्त सचिव।

आ0 शा0 पत्र संख्या सा–3–107/दस–900–79

त्रिभुवन प्रसाद,
वित्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
लखनऊ दिनांकः 6 फरवरी, 1979

प्रिय महोदय,

मिलिटरी/वार सर्विस को सिविल पेंशन हेतु अर्ह सेवा में गिने जाने विषयक आपके अर्धशासकीय पत्र संख्या ए0 जी0 तीन/सेन्ट्रल कोर्ड 0/10(2)–1580, दिनांक 10 जनवरी, 1979 के सन्दर्भ में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि शासन आपके इस प्रस्ताव से सहमत है कि सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 356(ए) के अन्तर्गत मिलिटरी सेवा को सिविल पेंशन में गिने जाने के लिये उक्त सेवा के मिलिटरी नियमों के अधीन पेंशनीय होने की शर्त न लगाई जाय तथा समस्त रेगुलर तथा नानरेगुलर (अस्थायी) मिलिटरी सर्विस को अर्ह सेवा में गिन लिया जाया करे।

2–इस संबंध में शासन इस प्रस्ताव से भी सहमत है कि मिलिटरी एवं सिविल सेवा के मध्य अथवा ''मिलिटरी'' सेवा के साथ ऐसी ''वार सर्विस'' जो सी0 एस0 आर0 के अनुच्छेद 357–सी के अन्तर्गत स्वीकार हो एवं सिविल सेवा के बीच यदि कोई व्यवधान हो तो उसे सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मर्षित कर दिया जाय। जिन मामलों में ''वार सर्विस'' सी0 एस0 आर0 के अनुच्छेद 357–सी के प्राविधानों से आच्छादित न होने के कारण अर्ह सेवा में नहीं गिनी जायेगी, उन मामलों में भी मिलिटरी सेवा तथा सिविल सेवा के बीच से ''वार सर्विस'' की अवधि के व्यवधान का मर्षण भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर दिया जाय।

3–आपके उपर्युक्त पत्र के साथ इंगित किये गये लम्बित प्रकरणों को भी उपरोक्तानुसार निर्णीत किया जा सकता है।

साभिवादन

भवदीय,
त्रिभुवन प्रसाद

श्री ओ0 पी0 गोयल
महालेखाकार,
उत्तर प्रदेश–3, इलाहाबाद।

———

संख्या सा–3–296/79 दस–912–79

प्रेषक,

कुलदीप नारायण भटनागर,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष एवं
अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

लखनऊः दिनांक 30 अप्रैल, 1979

विषय :– छटनीशुदा कर्मचारियों के पुनर्नियुक्ति के मामलों में सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 422 के प्राविधानों का शिथिलीकरण।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के सम्मुख यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद 422 के नीचे अंकित ''राज्य सरकार के निर्णय'' में उल्लिखित शासनादेश संख्या सा–2–3060/दस–6–67,

दिनांक 30 जनवरी, 1968 का संदर्भ निकाल दिया जाये जिससे वांछित लाभ छटनी के सभी मामलों में समान रूप से प्राप्त हो सके।

2–सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद 422 के नीचे 'राज्य सरकार के निर्णय' में शासनादेश संख्या सा–2–3060/दस–6–67, दिनांक 30 जनवरी, 1968 का उल्लेख होने से शासन का निर्णय केवल उन्हीं कर्मचारियों तक सीमित रह जाता है जो उक्त शासनादेश में संदर्भित नियमावली से ही आच्छादित होते हों। शासन का वह उद्देश्य कदापि नहीं था कि केवल दिनांक 30 जनवरी, 1968 के शासनादेश से आच्छादित कर्मचारियों के मामलों का ही विनियमन अनुच्छेद 422 के नीचे दिये गये शासन के निर्णय के अनुसार हो। चूँकि अधिकांश मामलों में उपरोक्त शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जा चुकी है और केवल कुछ मामलों में ही यह शासनादेश लागू नहीं होता है, अतः प्रत्येक ऐसे मामले के निस्तारण में शासन के आदेश अपेक्षित हो जाते हैं। इस प्रकार पेंशन सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण में भी विलम्ब होता है। इस विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से शासन ने उपरिकथित प्रस्ताव पर विस्तारपूर्वक विचार कर लिया है और राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान करने की कृपा की है कि उपरिकथित 'राज्य सरकार के निर्णय' में उल्लिखित शासनादेश संख्या सा–2–3060/दस–6–67, दिनांक 30 जनवरी, 1968 का संदर्भ निकाल दिया जाये और इसे सदैव ही निकाला गया समझा जायगा।

भवदीय,

कुलदीप नारायण भटनागर

उप सचिव।

————————

<u>संख्या सा–3–1584/दस–917–79</u>

प्रेषक,

त्रिभुवन प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग),
भारत सरकार, नई दिल्ली।

लखनऊः दिनांक 20 अगस्त, 1979

विषय :– भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन प्रदत्त अस्थाई सेवा के पेंशनरी भार का विभाजन।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

उपरिकथित विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ 21(5)–ई0वी0(सी)/63, दिनांक 30 नवम्बर, 1968 में यह आदेश जारी किए गए थे कि राज्य सरकारों के अस्थाई कर्मचारी यदि केन्द्रीय सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते हैं और भारत सरकार के अधीन संविलीन कर लिये जाते हैं तो उन अस्थाई कर्मचारियों की राज्य सरकार के अधीन प्रदत्त समस्त अनवरत अस्थाई सेवा पेंशनरी लाभों की अनुमन्यता हेतु अर्हकारी सेवा में सम्मिलित कर ली जायेगी। ऐसे कर्मचारियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के मध्य पेंशनरी दायित्वों का निर्वहन केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के

आधीन की गई सेवा की अवधि के अनुपात में किया जायेगा। भारत सरकार के उपरोक्त आदेश भारत में समस्त राज्य सरकारों पर (केवल उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकारों को छोड़कर) लागू किये गये थे। यह आदेश पारस्परिक समझौते के आधार पर भारत सरकार ने जारी किए थे और उनमें यह भी अपेक्षा की थी कि केन्द्रीय सरकार के अस्थाई कर्मचारी यदि राज्य सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर जाकर अंततः वहाँ स्थाई हो जाते हैं तो उनके मामलों में भी उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

2—भारत सरकार के उपरोक्त आदेश उनके दिनांक 13 अप्रैल, 1964 में जारी किए गए आदेशों के क्रम में जारी हुए थे। दिनांक 13 अप्रैल, 1964 के आदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किए गए थे। फलस्वरूप राज्य सरकार अपने अस्थाई कर्मचारियों के मामले कोई पेंशनरी दायित्व वहन नहीं करती रही है और इसी प्रकार भारत सरकार के अस्थाई कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी पेंशन का आगणन केन्द्रीय सरकार के अधीन प्रदत्त अस्थाई सेवा को सम्मिलित करके नहीं किया गया है।

3—इस शासन द्वारा इस विषय पर अब पुनः विचार किया गया है और यह देखते हुए कि अभी तक अपनायी गयी व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के नैवृत्तिक लाभों में पर्याप्त हानि होती है तथा भारत की अधिकांश प्रादेशिक सरकारों ने भारत सरकार की व्यवस्था को ग्रहण कर लिया है, अतः राज्य सरकार भी उपरोक्त व्यवस्था को स्वीकार किए जाने में सहमत हो गयी है। तदनुसार उत्तर प्रदेश सरकार भी पारस्परिक आधार पर भारत सरकार के दिनांक 30 नवम्बर, 1968 के शासनादेश में जारी व्यवस्था को दिनांक 1 अप्रैल, 1979 से स्वीकार करती है। अतएव ऐसे समस्त मामलों का विनियमन इन आदेशों के अनुसार किया जायेगा और राज्य सरकार इन कर्मचारियों के संबंध में पेंशनरी दायित्व का आनुपातिक भार वहन करेगी। यही व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के अस्थायी कर्मचारियों के उन मामलों में भी उपरिकथित दिनांक से प्रभावी होगी जिन्हें राज्य सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर लिया गया था और अंततः राज्य सरकार के अधीन स्थायी रूप से संविलीन कर लिया गया।

4—मुझे आपसे यह अनुरोध करने का भी निदेश हुआ है कि कृपया दिनांक 30 नवम्बर, 1968 में जारी आदेशों को तद्नुसार संशोधित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
त्रिभुवन प्रसाद
सचिव।

——————

<u>संख्या सा—3—1949/दस—900—79</u>

प्रेषक,

श्री सुरेन्द्र सिंह पांगती,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 26 मार्च, 1980

विषयः— सैन्य सेवा/युद्ध सेवा की पेंशनरी लाभों हेतु सिविल सेवा में सम्मिलित किये जाने के लिये पेंशन नियमों का सरलीकरण।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3

सिविल पेंशन की गणना करने में सैन्य सेवा/युद्ध सेवा को पेंशनरी लाभों हेतु सम्मिलित किये जाने के विषय पर सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद 356 तथा 357—सी के प्राविधानों में सरलीकरण तथा उदारीकरण किये जाने का विषय कुछ समय से शासन के विचाराधीन था। गम्भीरतापूर्वक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा यह निर्णय

लिया गया है कि अब इस दिशा में निम्न प्रकार कार्यवाही की जायेगी :–

1–सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद 356 के अनुसार 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के उपरान्त किसी कर्मचारी द्वारा प्रदत्त ऐसी सैन्य सेवा जो सेना के नियमों के अधीन पेंशनीय हो तथा पेंशन अर्जित कर लेने से पूर्व ही समाप्त हो गयी हो, पेंशन के लिये अर्ह सिविल सेवा से अनुचरित होने पर राज्य सरकार के विवेकानुसार अर्ह सेवा मानी जा सकती है। उक्त अनुच्छेद के अनुपालन में शासन के सम्मुख यह कठिनाई उपस्थित होती रही है कि प्रत्येक मामले में यह देखना होता है कि सैनिक सेवा पेंशनीय थी अथवा अपेंशनीय। इस प्रश्न के निवारण में प्रायः पर्याप्त समय लग जाता है जिससे सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की पेंशन का निर्धारण अन्तिम रूप से नहीं हो पाता है। प्रतिरक्षा सेवा के नियमों के अनुसार सेवा में कोई भी अपेंशनीय अधिष्ठान नहीं होते हैं। सेना के अधिकारी/कार्मिक या तो रेगुलर टर्म्स पर होते हैं अथवा नान–रेगुलर टर्म्स पर। रेगुलर तथा नानरेगुलर शब्दावली से तात्पर्य सेना में स्थायी तथा अस्थायी सेवा से होता है। इस प्रकार शासन ने यह निर्णय लिया है कि चूँकि सैनिक अधिष्ठान पेंशनीय होते हैं, इसलिये ऐसे अधिठानों में स्थायी अथवा अस्थायी रूप से की गई सेवायें पेंशनरी लाभों हेतु अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत अर्हकारी सेवा में सम्मिलित की जायेंगी तथा युद्ध/सैन्य सेवा के संबंध में सैनिक नियमों के अन्तर्गत उनकी पेंशनीयता के बारे में कोई जानकारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

2–अनुच्छेद 356 सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अधीन नियुक्ति अधिकारियों को यह अधिकार प्रदत्त हैं कि वह अनुच्छेद 356 की शर्तों के पूरा होने पर युद्ध/सैन्य सेवा का लाभ पेंशन हेतु दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करें। इस संबंध में यह विचारणीय हो जाता है कि क्या सक्षम नियुक्ति अधिकारियों द्वारा लिया गया उपरोक्त निर्णय सैन्य सेवा और सिविल सेवा के मध्य अथवा सैन्य सेवा में ही उत्पन्न किसी व्यवधान का मर्षण भी कर सकता है या नहीं। इस विषय पर निर्णय लिया गया है कि यदि ऐसा कोई व्यवधान किसी सरकारी सेवक की सैन्य सेवा की अवधि में तथा सैन्य सेवा और सिविल सेवा के मध्य की अवधि में उत्पन्न हुआ है तो उसे मर्षित समझा जायेगा और व्यवधान की अवधि किसी भी दशा में अर्हकारी सेवा में सम्मिलित नहीं की जायेगी। उपरोक्त आदेश उन मामलों में भी लागू होंगे जहाँ किसी सरकारी सेवक ने सैन्य सेवा के साथ युद्ध सेवा भी सिविल सेवा में आने के पूर्व की है तथा ऐसे मामले भी आच्छादित होंगे जो सिविल रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद 357–सी से ही आच्छादित होते हैं। इस प्रकार इस श्रेणी के मामलों का निस्तारण भी सक्षम नियुक्ति अधिकारियों द्वारा स्वतः ही किया जायगा।

3–अनुच्छेद 357–सी का लाभ केवल प्रादेशिक सेवाओं के अधिकारियों को युद्ध कालीन आरक्षित पदों पर नियुक्त होने पर ही लागू होता है। उन मामलों में जहाँ युद्ध सेवा अनुच्छेद 357–सी के अनुसार सिविल सेवा में अर्हकारी सेवा के रूप में सम्मिलित करना सम्भव नहीं है, ऐसे मामलों में सैन्य सेवा के उपरान्त की गई युद्ध सेवा उपेक्षित कर दी जायेगी और केवल सैन्य सेवा का ही लाभ अर्हकारी सेवा के लिये दिया जायेगा और यह सेवा उपरोक्तानुसार अर्हकारी सेवा में सम्मिलित समझी जायेगी।

2–मुझे आपसे यह भी अनुरोध कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त निर्णयों के अनुसार ही समस्त लम्बित मामलों का निस्तारण किया जायेगा।

3–सेवा अभिलेखों में किसी विपरीत दिशा में निर्दिष्ट संकेत होने की दशा में दो

ऐसी सेवाओं के मध्य उत्पन्न व्यवधान जिनका भुगतान डिफेंस सर्विसेज द्वारा किया जाता है, स्वतः ही मर्षित समझी जायेगी और मर्षण से पूर्व की सेवा अर्हकारी सेवा में सम्मिलित कर ली जायेगी केवल उन मामलों को छोड़कर जहाँ यह विदित होगा कि व्यवधान संबंधित कर्मचारी द्वारा पत्र देने, सेवा से बरखास्त हो जाने अथवा सेवा से अलग कर दिये जाने के कारण उत्पन्न हुआ हो और ऐसी परिस्थिति में व्यवधान की अवधि अर्हकारी सेवा में किसी भी दशा में नहीं जोड़ी जायेगी।

भवदीय,

सुरेन्द्र सिंह पांगती

विशेष सचिव।

<u>संख्या सा–449/ दस–917–79</u>

प्रेषक,

श्री त्रिभुवन प्रसाद,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 2 मई, 1980

विषय :– भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन प्रदत्त अस्थाई सेवा के पेंशनरी भार का विभाजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र सं0–3(1)–ई–5(क)/76, दिनांक 4 फरवरी, 1980 के संदर्भ में तथा सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) भारत सरकार को सम्बोधित इस शासन के पत्र संख्या सा–3–1584/दस–917–79, दिनांक 20 अगस्त, 79 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र में बताई गई स्थिति पर विचारोपरान्त यह सरकार भारत सरकार के शासनादेश संख्या–एफ 21(5)–ई–5(सी)–63, दिनांक 30 नवम्बर, 1968 में निर्धारित की गई व्यवस्था को पारस्परिक आधार पर दिनांक 1 अप्रैल, 1979 के बजाए दिनांक 1 जून, 1972 अर्थात् केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के लागू होने की तिथि से स्वीकार करती है। इस शासन के पत्र दिनांक 20 अगस्त, 1979 को कृपया तदनुसार संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

त्रिभुवन प्रसाद

सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या :सा–3–2133/दस–904–78

लखनऊ : दिनांक 29 दिसम्बर, 1980

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में यथा अंगीकृत सिविल सर्विस रेगुलेशन्स को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते है :–

उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (नवां संशोधन) विनियमावली, 1980

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (नवां संशोधन) विनियमावली, 1980 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

अनुच्छेद 351–ए का संशोधन।

2–उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में यथा अंगीकृत सिविल सर्विस रेगुलेशन्स में, अनुच्छेद 351–ए में, खण्ड (सी) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :–

> ''परन्तु यह और कि यदि राज्यपाल द्वारा दिया गया आदेश उत्तर प्रदेश अनुशासनिक कार्यवाही (प्रशासनाधिकरण) नियमावली, 1947 के अधीन निपटाये गये मामले से संबंधित हो तो लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा।''

आज्ञा से,
आर0 के0 दर
वित्त सचिव,

टिप्पणी–उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन के लिये अंगीकृत सिविल सर्विस रेगुलेंशन्स (भाग–1, 4 और 10) प्रथम संस्करण, नामक हैण्डबुक 30 अप्रैल, 1970 तक यथा संशोधित प्रकाशित किया गया था। बाद में निम्नलिखित संशोधन किये गये–

(1) अधिसूचना संख्या जी–3–1932/दस–915–73, दिनांक 1 नवम्बर, 1973

(2) अधिसचूना संख्या जी–3–1732/दस–914–73, दिनांक 13 नवम्बर, 1973

(3) अधिसूचना संख्या जी–3–234/दस–904(1)–62, दिनांक 7 अक्टूबर, 1974

(4) अधिसूचना संख्या जी–3–754/दस–917–74, दिनांक 11 जून, 1975

(5) अधिसूचना संख्या सा–3–3159/दस–904(9)–60, दिनांक 6 अक्टूबर, 1975

(6) अधिसूचना संख्या सा–3–1476/76–दस–52–74, दिनांक 5 जून, 1976

(7) अधिसूचना संख्या सा–3–1928/दस–908–70, दिनांक 8 अक्टूबर, 1976

(8) अधिसूचना संख्या सा–3–565/दस–912(3)–74, दिनांक 20 अप्रैल, 1977

संख्या सा–3–1998 / दस–932–80

प्रेषक,

श्री आर0 के0 दर,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 16 जनवरी, 1981

विषय :– पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेंशन पत्रों के साथ अथवा सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के पश्चात् अदेय प्रमाण–पत्र (नो डिमाण्ड सर्टीफिकेट) महालेखाकर को भेजा जाता है। इसके अभाव में पेंशन एवं आनुतोषिक के भुगतान निर्गत करने में विलम्ब होता है। यह प्रमाण–पत्र कितनी अवधि का एकत्र किया जाय इसके बारे में अभी तक कोई आदेश नहीं है। पूरी सेवा का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में विलम्ब होता है और फलस्वरूप सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को अर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि अदेय प्रमाण–पत्र सेवा के अन्तिम 5 वर्ष की सेवा की छानबीन के आधार पर जारी कर दिया जाना चाहिये यदि अन्यथा इस बात की जानकारी हो कि 5 वर्ष से पहले की अवधि में संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई शासकीय देय है, तो पाँच वर्ष से पहले के अभिलेखों की भी जाँच की जानी चाहिये और देय धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये। 5 वर्ष की सेवा की छानबीन करने के लिये सक्षम प्राधिकारी उन सभी कार्यालयों, जहाँ संबंधित सरकारी सेवक ने कार्य किया हो, से अदेयता के विषय में पूछतांछ करेंगे तथा यदि निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित कार्यालयों से उत्तर नहीं आता है तो मान लेंगे कि सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई राशि देय नहीं है और यदि बाद में कोई देय ज्ञात होते हैं तो उसके लिये संबंधित अधिकारियों को दोषी ठहराया जायेगा और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। सेवानिवृत्ति होने वाले ऐसे सरकारी सेवकों से जिनके संबंध में अदेय प्रमाण–पत्र न मिल पाये इस आशय का एक बन्ध–पत्र (संलग्नक–1) भी भरवा लिया जाय कि यदि सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष के अन्दर उनके विरुद्ध कोई देय निकलते हैं तो उनकी वसूली उनसे कर ली जायेगी। यदि सरकारी सेवक की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाय तो उसके उत्तराधिकारियों से इसी आशय का बन्ध–पत्र (संलग्नक–2) भरवा लिया जाय। इन बन्ध–पत्रों पर देय स्टैम्प ड्यूटी शासन द्वारा वहन की जायेगी।

2–इस प्रसंग में यह इंगित किया जाना है कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की स्वीकृति यथा समय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शा0 आ0 संख्या सा–3–2085 / दस–907–76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 में समस्त कार्यवाहियों की समय–सारिणी निर्धारित की गई है जिसके अनुसार पेंशन संबंधी कागजों पर कार्यवाही सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्ष पहले प्रारम्भ किया जाना अपेक्षित है। तभी से विभागाध्यक्ष, अधिकारियों आदि द्वारा बकाया देय रकमों का पता लगाने अथवा निर्धारण करने के लिए कदम

उठाये जाने चाहिये। उसी प्रकार मदों के विषय में अदेय प्रमाण–पत्रों के लिये छानबीन भी दो वर्ष पूर्व आरम्भ कर दी जानी चाहिये और सेवानिवृत्ति होने से पहले सारी कार्यवाही पूरी कर ली जानी चाहिये। यदि सतर्कता विभाग से किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो उसके लिये भी कम से कम सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले संदर्भ किया जाय।

3–कुछ सरकारी सेवकों के मामलों में पूर्ण सेवा का सत्यापन नहीं हो पाता है। ऐसी दशा में सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स के अनुच्छेद 915(सी) के अनुसार संबन्धित कर्मचारी से एक लिखित बयान तथा घोषणा पत्र लेना होता है और उन्हें उसके समर्थन में सेवा अभिलेख तथा वह सारी सूचनायें, जो वह देने में समर्थ हो, भी देनी होती है। समय बीतने पर सरकारी सेवक के लिये ये सभी अभिलेख उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाता है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि असत्यापित सेवा के संबंध में सरकारी सेवक से एक शपथ–पत्र (ऐफिडेविट) जिसका प्रारूप संलग्न है (संलग्नक–3), प्राप्त कर उस भाग को पेंशन के प्रयोजन के लिये अर्ह सेवा मान लिया जायेगा। उक्त अनुच्छेद 915 (सी) को इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा और औपचारिक संशोधन यथा समय बाद में किया जायगा।

4–उपर्युक्त आदेश 1 जनवरी, 1981 से लागू होंगे किन्तु यदि उपर्युक्त कारणों से कोई लम्बित प्रकरण उक्त तिथि को अनिर्णीत है तो उनका भी निस्तारण इस आदेश के प्रकाश में कर दिया जायेगा।

भवदीय,

आर0 के0 दर

सचिव।

––––

संलग्नक–1

This deed of indemnity is made on the .... day of .... 19 corresponding to Saka Samvat the .... day of ....19 By Sri .... S/o ....Resident of .... (Bounden) IN FAVOUR OF the Governor of Uttar Pradesh (called "the Governor") ....

Whereas :–

1. The Bounden above named was/is in the service of the Government of Uttar Pradesh (called "the Government") as.. (designation) in .... (name of office) ....

2. The Bounden above named has retired/is due for retirement on ....

3. A 'No demand certificate' is require to be issued in favour of the Bounden by .... before sanction of pension, gratuity *etc.* to the Bounden but the said certificate could not be isued so far and the scrutiny of records for that purpose is likely to take further time.

4. The Government is willing to sanction pension and gratuity *etc.* to the Bounden on condition that the Bounden shall execute a bond, being these presents, to indemnify and save harmless the Government from any loss which the Government may incure by reason of any moneys found due against the Bounden within a period of two years from the date of retirement of the Bounden.

Now this deed witnesses—

1. In consideration of Government agreeing to sanction pension and gratuity *etc.* to the Bounden before issue of 'No demand certificate' in his favour, the Bounden hereby covenants with the Governor that the Bounden shall pay on demand to the Government all moneys which may be discovered, whithin a period of two years from the date of retirement of the Bounden, to be due against him,

2. Any amount due under this deed may, on the certificate of .... which shall be final, conclusive and binding on the Bounden, be recovered from him as arrears of land revenue.

In Witness to the above written bond and the conditions thereof the Bounden has signed hereunder on the day and year first above written.

The stamp duty on this instrument will be borne by the Government.

Signed by
Bounden

Witnesses

1. ....
....
Address

2. ....
....
Address

संलग्नक–2

This Deed of Indemnity is made on the ....day of................................ 19 .... corresponding to Saka Samvat the............................day of ....19 .... By (1) Srimati/Sri .... W/o s/o late Sri... r/o.. (Bounden I)* [and (2) II] Sri... s/o .... r/o .... (Bounden jointly called the ''Boundens'') IN FAVOUR OF THE GOVERNOR OF UTTAR PRADESH (called ''the Governor'').

Whereas :—

1. Late Sri..was in the service of the Government of Uttar Pradesh (called the ''Government'') as.. (designation) in....................... .... (name of office).

2. Late Sri.. (called ''deceased'') died on .... and family pension and death-*cum*-retirement gratuity is to be sanctioned to his family.

3. Bounden I is the .... (relationship with deceased) *(and Bounden II is the .... (relationship with deceased) and is/are entitled to the family pension and gratuity.

4. A 'No demand certificate' is required to be issued in regard to the deceased by .... before sanction of family pension, gratuity etc. to the Bounden, but the said certificate could not be issued so far and scrutiny of records for that purpose is likely to take further time.

5. The Government is willing to sanction family pension and gratuity etc. to the Bounden on condition that the Bounden shall execute a bond, being these presents, to indemnify and save harmless the Government from any loss which the Government may incur by reason of any moneys found due against the deceased within a period of two-years from the date of his death.

Now this deed witnesses that —

1. In consideration of Government agreeing to sanction family pension and gratuity etc. to the Bounden before issue of 'No demand certificate' the Bounden hereby covenants if necessary, [Jointly and severally convenant] with the Governor that the Bounden shall pay on demand to the Government all moneys which may be discovered to be due against the deceased within a period of two years from the date of his death, subject to a maximum of the amount of gratuity and family pension paid to the Bounden.

2. Any amount due under this deed may on the certificate of .... which shall be final, conclusive and binding on the Bounden, be recovered from her/him/them as arrears of land revenue.

In witness to the above written bond and the conditions thereof the Bounden has/have signed hereunder on the day and year first above written.

The stamp duty on this instrument will be borne by the Government.

Witness I — Signed

1. ————
   .... — Bounden I
   Address
2. ————
   .... — Bounden II
   Address

*** If necessary.**

संलग्नक–3

पब्लिक नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर निम्नलिखित शपथ–पत्र दिया जाय (इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899 की अनुसूची 1–बी के आर्टिकल 4 के अनुसार स्टाम्प लगाने की आवश्कता नहीं है)।

शपथ–पत्र

मैं ––––––––––––––––––––––––––– आत्मज श्री ––––––––––––––––––––– जो ––––––––––––––––––––––––––– (पदनाम) पर/से ––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––– (कार्यालय का नाम) कार्यरत हूँ/दिनांक ––––––––––––––– को सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, शपथपूर्वक घोषित करता हूँ :–

(1) कि शपथी ने निम्नलिखित अवधि/अवधियों में उनके सम्मुख उल्लिखित कार्यालय/कार्यालयों में तथा पद/पदों पर राजकीय सेवा की है :–

सेवा अवधि	कार्यालय का नाम	पदनाम
–––––––	–––––––––––	–––––

(2) शपथी को बताया गया है कि उसके द्वारा की गई उपर्युक्त सेवा/सेवाओं के संबंध में शपथी की सेवा पुस्तिका में सत्यापन उपलब्ध नहीं है।

*(3) कि उपर्युक्त सेवा अवधियों में कोई व्यवधान सेवा से त्याग–पत्र देने, बरखास्त कर दिये जाने अथवा सेवा से निकाल दिये जाने अथवा किसी हड़ताल में भाग लेने के कारण नहीं हुआ है/हुए हैं।

शपथी

मैं –––––––––––––––––––––––––––––––– (शपथी) घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त शपथ–पत्र के अनुच्छेद (1) तथा (2) तथा* (3) का कथन मेरी पूर्ण जानकारी में सत्य है और कोई भी आवश्यक तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आज दिनांक ––––––––––––––––––––––––– को ––––––––––––––––––––––––– (स्थान का नाम) शपथी द्वारा हस्ताक्षरित तथा प्रमाणित।

शपथी

––

* व्यवधान न होने की दशा में काट दिया जाय।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

––––––

संख्या सा–3–628/दस–935–78

लखनऊ, दिनांक 16 अप्रैल, 1981

––––––

कार्यालय–ज्ञाप

राज्य के पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर्ताओं को अतीत में शासकीय कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1949/दस–935–78, दिनांकित 21 जून, 1979 द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 1979 से तथा शासकीय कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3– 1913/दस–935–78, दिनांकित 15 नवम्बर, 1980 द्वारा 1 जनवरी, 1980 और 1 अप्रैल, 1980 से उनकी पारिवारिक पेंशनों पर उन्हीं दरो पर राहत और अतिरिक्त राहत अनुमन्य की गई जो उक्त तिथियों से राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों को स्वीकृत की गई थी। उपर्युक्त शासनादेशों मे ऐसे पारिवारिक पेंशनरों को, जो किसी सरकारी या गैर सरकारी विभाग/कार्यालय अथवा संस्था में नियुक्त हों, राहत की देयता के संबंध में कोई प्रतिबन्ध नही था।

2–अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विषय में शासन द्वारा पुनर्विचार किया गया है और राज्यपाल महोदय ने सहर्ष आदेश प्रदान किये हैं कि उपर्युक्त स्वीकृत राहत/अतिरिक्त राहत तथा पारिवारिक पेंशन पर जो राहत भविष्य में स्वीकृत की जाय, ऐसे पारिवारिक पेंशनरों को देय नहीं होगी जो किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग/कार्यालय में सरकार अथवा राज्य सरकार या/तथा केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी सार्वजनिक कम्पनी/निगम/उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी प्रतिष्ठान अथवा स्थानीय निधि/निकाय अथवा राष्ट्रीय बैंक में नियुक्त हों सरकारी क्षेत्र के कम्पनी/निगम/उपक्रम आदि से तात्पर्य उन उपक्रमों आदि से होगा जिनमें केन्द्रीय या तथा किसी राज्य सरकार/सरकारों का वित्तीय योगदान कम से कम उसकी आधी आय या शेयर पूंजी तक हो। इनमें वे कम्पनी/निगम/उपक्रम भी शामिल है जो किसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी हैं ।

3–यह आदेश इस शासनादेश के दिनांक से प्रभावी होंगे।

4–कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार की जाय।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

राज कुमार दर
वित्त सचिव।

––––

<u>संख्या सा–3–1239/ दस–917–79</u>

प्रेषक,

श्री जे0 एल0 बजाज,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 13 सितम्बर, 1981

विषय :– भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन प्रदत्त अस्थायी सेवा के पेंशनीय भार का विभाजन।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के सेवकों के भारत सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर जाकर अन्ततः वही संविलीन कर लिये जाने की दशा में इस शासन के अधीन प्रदत्त समस्त अर्ह सेवा को पारस्परिक समझौते के आधार पर भारत सरकार के अधीन सिविल पेंशन के लिये गिना जाता है।

और उस पर पड़ने वाले पेंशनीय भार का विभाजन सम्बन्धित सरकार द्वारा सेवा के अनुपात में किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी सेवा के अनुपात में पेंशनीय भार वहन करने की व्यवस्था उपलब्ध है जो इस शासन के अधीन स्थायी रहे हों और भारत सरकार के अधीन प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर स्वेच्छया चले जाने के बाद वहीं स्थायी हो जाने और उसके स्थायीकरण की तिथि तक इस शासन के अधीन उनका धारणाधिकार बनाये रखा गया हो। किन्तु स्वेच्छया भारत सरकार के अधीन नियुक्त प्राप्त कर लेने वाले अस्थायी कर्मचारियों के सम्बन्ध में अभी तक दोनों सरकारों के मध्य कोई पारस्परिक समझौता नहीं रहा है।

2—उपरोक्त कोटि के अस्थायी कर्मचारियों के मामलों में उनके द्वारा प्रदत्त अस्थायी सेवा का लाभ दूसरी सरकार के अधीन पेंशन हेतु दिये जाने का प्रश्न गत कुछ समय से शासन के विचाराधीन रहा है और इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 3(20)/पेंशन(क)/79, दिनांक 31 मार्च, 1982 में राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त करके पारस्परिक समझौते के आधार पर अस्थायी सेवा को गिने जाने तथा सेवा के अनुपात में पेंशनीय भार सम्बन्धित सरकार द्वारा वहन किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं, जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन की गयी अस्थायी सेवा के सम्बन्ध में आनुपातिक पेंशन का दायित्व सम्बन्धित सरकारों द्वारा उस सीमा तक वहन किया जायेगा, जिस सीमा तक कि ऐसी सेवा सम्बन्धित सरकारों के नियमों के अधीन पेंशन की मंजूरी के लिये अर्हक होती, ताकि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की मंजूरी के लिये केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के अधीन अपनी अर्हक सेवा की गणना किये जाने की प्रसुविधा उस राज्य सरकार द्वारा दी जा सके जहाँ से वे अन्ततः सेवा निवृत्त होते हैं। किन्तु, सरकारी कर्मचारी द्वारा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अधीन की गयी अस्थायी सेवा के लिये कोई उपदान प्राप्त किया गया हो तो उसे सम्बनिधत सरकार को वापस करना होगा। उक्त शासनादेश में अस्थायी सेवा का लाभ दिये जाने का दावा करने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित तीन वर्गों में रखा गया है :—

(1) ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने केन्द्रीय/राज्य सरकारों की सेवा से छंटनी किये जाने पर छंटनी की तारीख तथा नई नियुक्ति की तारीख के बीच व्यवधान अथवा बिना व्यवधान के राज्य/केन्द्रीय सरकार के अधीन स्वेच्छा से नौकरी प्राप्त कर ली हो;

(2) वे कर्मचारी, जो केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधीन अस्थायी पदों पर कार्य करते हुए उचित माध्यम से सम्बन्धित प्रशासनिक प्राधिकारी की उचित अनुमति से राज्य/केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों के लिये आवेदन करते हैं।

(3) वे कर्मचारी, जो केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधीन अस्थायी पदों पर कार्य करते हुए सम्बन्धित प्रशासनिक प्राधिकारी की अनुमति के बिना सीधे ही राज्य/केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों के लिये आवेदन करते हैं तथा राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार के अधीन नई नियुक्तियों का कार्य ग्रहण करने के लिए अपने पिछले पदों से त्याग—पत्र दे देते हैं।

भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार उक्त सुविधा उपर्युक्त (1) तथा (2) वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को दी गयी है तथा यह भी व्यवस्था है कि जहाँ वर्ग (2) के किसी कर्मचारी को नई नियुक्ति का कार्यभार ग्रहण करने से पहले प्रशासनिक कारणों से अथवा तकनीकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये उसके द्वारा धारित अस्थायी पद से त्याग—पत्र देना आवश्यक हो तो वहाँ त्याग—पत्र स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण—पत्र जारी किया जायेगा कि ऐसा त्याग—पत्र उचित अनुमति से प्रशासनिक कारणों तथा अथवा किसी तकनीकी आवश्यकता की पूर्ति के लिये नये पद

का कार्यभार ग्रहण करने के लिये दिया गया था। इस प्रमाण–पत्र का रिकार्ड उचित प्रमाणीकरण के अधीन उसकी सेवा पंजी में भी किया जायेगा ताकि सेवा निवृत्ति के समय उक्त सुविधा दिये जाने में कठिनाई न हो। वर्ग (3) में उल्लिखित सरकारी कर्मचारी स्पष्टतः पेंशन के लिये अपनी पिछली सेवा की गणना कराने के हकदार नहीं होंगे।

3–भारत सरकार द्वारा की गयी उपरोक्त व्यवस्था इस शासन के अधीन भी भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों की तिथि दिनांक 31 मार्च, 1982 को तथा उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी पर यथावत् लागू मानी जायेगी।

भवदीय,

जे0 एल0 बजाज

वित्त सचिव।

————

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

——————

संख्या सा–3–23 / दस–112–81

लखनऊ, दिनांक 3 अक्टूबर, 1981

——————

कार्यालय–ज्ञाप

विषय :– पुनर्योजित सरकारी सेवक को पेंशन पर स्वीकृत राहत का भुगतान।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि नियमानुसार सेवा निवृत्ति के उपरान्त सरकारी सेवा में पुनर्योजित कर्मचारी को वह वेतन दिया जाता है जो उसके समस्त नैवृत्तिक लाभों को सम्मिलित करते हुए उसके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजन पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, से अधिक न हो। सामान्यतया पुनर्योजन की अवधि में शुद्ध वेतन तथा सकल पेंशन के योग की धनराशि पर अनुमन्य महॅगाई भत्ता भी दिया जाता है, परन्तु उक्त अवधि में उसकी पेंशन की धनराशि पर स्वीकृत राहत / अतिरिक्त राहत / तदर्थ राहत की धनराशि अनुमन्य नहीं होती हैं। कुछ पुनर्योजन के मामले ऐसे भी होते हें जिनमें केवल समेकित वेतन (Consolidated pay) ही अनुमन्य किया जाता है जिसके साथ न महॅगाई भत्ता दिया जाता है और न वेतन में महँगाई भत्ते का अंश ही सम्मिलित होता है। अतएव इस बिन्दु पर भली–भाँति विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने यह आदेश दिये हैं कि पुनर्योजित कर्मचारियों को समय समय पर उनकी पेंशन की धनराशि पर स्वीकृत की गई राहत की कटौती उस समेकित राशि में से न की जाय जो उन्हें पुनर्योजन की अवधि में वेतन, मानदेय या फीस के रूप में देय हो, बशर्ते कि इस प्रकार की राशि में महंगाई भत्ते का कोई अंश सम्मिलित न हो।

2– ये आदेश इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

नृपेन्द्र मिश्र

विशेष सचिव।

संख्या सा–3–677/ दस–955–80

प्रेषक,

श्री जे0 एल0 बजाज,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 26 अप्रैल, 1982

विषय :– प्रपत्र 25–ए सी0एस0आर0 में पेंशन की प्रशासनिक स्वीकृति भेजने की आवश्यकता को समाप्त करना।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान शासनादेश संख्या सा–3–2085/दस–907–76, दिनांक 13 दिसम्बर 1977 की ओर आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के पैरा–6 में जारी आदेशों के अनुसार पेंशन की प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था और यह व्यवस्था की गई थी कि पेंशन पेपर्स अग्रसारित करने वाले प्राधिकारी सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि के 8 माह पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी से इस आशय की पूछ–तांछ कर लेंगे कि क्या पूर्ण पेंशन मंजूर करने के बजाय कम पेंशन देने का आशय है अथवा कोई कार्यवाही प्रारम्भ करने का विचार है और यदि कोई ऐसी जानकारी न प्राप्त हो, तो पेंशन प्रपत्रों को निर्धारित तिथि के अन्दर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को भेज दिया जाना चाहिये और यदि पेंशन की पूर्ण आगणित धनराशि से कम देने का अभिप्राय हो तो अपेक्षित कार्यवाही हर हालत में सेवानिवृत्ति की तिथि के 6 माह के पूर्व सम्पन्न कर ली जानी चाहिये ताकि पेंशन प्रकरण महालेखाकार को यथासमय भेजा जा सके।

2–शासन की जानकारी में यह लाया गया है कि उपरोक्त आदेशों के बावजूद पेंशन प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रशासनिक स्वीकृति देने की प्रक्रिया को अब भी अपनाया जा रहा है और प्रपत्र 25–ए, सी0एस0आर0 पेंशन प्रकरण के साथ महालेखाकार को भेजा जाता है। इससे पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में कुछ न कुछ विलम्ब होता है और शासनादेश दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 में जारी आदेशों का उल्लंघन भी होता है। अतएव आपसे अनुरोध है कि पेंशन प्रकरणों के साथ उक्त प्रपत्र 25–ए, सी0एस0आर0 अब न भेजा जाया करे और ऊपर पैरा–1 में इंगित कार्यवाही करके यह जानकारी प्राप्त कर ली जाया करे कि संबंधित सेवक को पूर्ण पेंशन के बजाय कम पेंशन/ग्रेच्युटी दिये जाने की अपेक्षा तो नहीं। ऐसी जानकारी के अभाव में यह मान लिया जाना चाहिये कि पूर्ण पेंशन/ग्रेच्युटी से कम धनराशि देने की मंशा नहीं है किन्तु इसके साथ ही इस बात को महत्व और बढ़ जाता है कि उक्त पूछ–तांछ यथा समय अवश्य सुनिश्चित कर ली जाय और नियुक्ति प्राधिकारी भी इस दशा में अपेक्षित कार्यवाही यथासमय अवश्य सुनिश्चित करायें और यदि किसी मामले में चूक की जाती है तो उसके लिये संबंधित प्राधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जायेगा।

3–इस शासनादेश की प्राप्ति की सूचना भी शासन को भेजी जाय।

भवदीय,
जे0 एल0 बजाज
सचिव।

संख्या सा–3–1240/दस–927–81

प्रेषक,

श्री जे0 एल0 बजाज,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष एवं अन्य प्रमुख
कार्यालयाध्यक्ष।

लखनऊः दिनांक 26 जुलाई, 1982

विषय :– सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त सेवा में बनाये रखने की अनियमितता।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान शासनादेश संख्या सा–3–1216/दस–917–78, दिनांक 22 जुलाई, 1978 की ओर आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि सरकारी सेवकों को अधिवर्षता की आयु के उपरान्त बगैर शासकीय अनुमति के सेवा में बनाये रखने की प्रवृत्ति का तुरन्त समाप्त किया जाये। यह भी आदेश दिये गये थे कि सरकारी सेवकों को उनकी अधिवर्षता की आयु के उपरान्त अनियमित रूप से सेवा में बनाये रखने के लिये दोषी पाये गये विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से शासन को हुई आर्थिक क्षति की वसूली की जायेगी।

2–खेद की बात है कि उपर्युक्त आदेशों के बावजूद अनेक ऐसे मामले आते रहे हैं जिनमें यह देखा गया है कि सरकारी सेवकों को अतिवयता आयु प्राप्त हो जाने पर भी सेवा में बनाये रखा जाता है तथा वे अपने पद का वेतन आदि आहरित करते रहते हैं। पहले भी यह बताया जा चुका है तथा पुनः स्पष्ट किया जा रहा है कि वित्तीय दृष्टिकोण से यह एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि कोई भी सरकारी सेवक अतिवयता आयु प्राप्त करने के उपरान्त सेवा में उसी दशा में रह सकता है जबकि उसे सेवा में बनाये रखने के लिये शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई हो। यह देखा गया है कि विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष कार्यालयों में सेवा संबंधी रिकार्ड संतोषजनक रूप से न रखे जाने के कारण कभी–कभी सरकारी सेवक अधिवर्षता की आयु के उपरान्त सेवा में बने रह जाते हैं। सेवा संबंधी रिकार्ड एवं समय से पूर्व पेंशन कागज तैयार किये जाने के लिये शासन द्वारा कितने ही आदेश निर्गत किये गये हैं, परन्तु ऐसा आभास होता है कि उनमें निहित निर्देशों का वांछित कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप इस प्रकार की सेवा अनियमितता के मामलों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है।

3–अतएव मुझे आपसे यह अनुरोध करना है कि आप अपने स्तर पर सरकारी सेवकों के सेवा रिकार्ड उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तथा निर्धारित समय के भीतर पेंशन कागज आदि तैयार करने की कार्यवाही स्वयं अपने निरीक्षण में करायें तथा सुनिश्चित करें कि कोई सरकारी सेवक अधिवर्षता की आयु के उपरान्त सेवा में न बना रहे।

4–यह भी स्पष्ट करना है कि विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में पूर्वोक्त प्रकार के मामले घटित होने पर उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष की होगी तथा उस मामले में शासन को हुई आर्थिक क्षति की वसूली भी की जायेगी। इस प्रकार की अनियमितता करने वाले दोषी सरकारी सेवक/अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी।

भवदीय,
जे0 एल0 बजाज
वित्त सचिव।

संख्या सा–3–949/दस–900–79

प्रेषक,

श्री जे0 एल0 बजाज,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 8 सितम्बर, 1982

विषय :–सैन्य सेवा का सत्यापन सिविल सेवा में नियुक्ति के तुरन्त बाद ही करा लेना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक की सिविल पेंशन की गणना करने में सैन्य सेवा/युद्ध सेवा, यदि रही हों, को पेंशनरी लाभों हेतु सम्मिलित किये जाने के संबंध में प्राविधान सिविल सर्विस रेगुलेंशन्स के अनुच्छेद 356 तथा 357–सी में निहित हैं। उपर्युक्त सेवा का लाभ दिये जाने के लिए उसके द्वारा प्रदत्त सैन्य सेवा/युद्ध सेवा का सत्यापन और इस निमित्त अनुच्छेद 356 के अपैन्डिक्स ''ए'' में सूचनाएं संबंधित सैन्य प्राधिकारियों से प्राप्त करना अपेक्षित है। ऐसा देखने में आया है कि अनेक मामलों में सरकारी सेवक की सेवा निवृत्ति के समय उसके द्वारा सिविल सेवा में आने से पूर्व सेना में प्रदत्त सेवा का लाभ पेंशन हेतु दिये जाने का प्रश्न उठाया जाता है जबकि सैन्य सेवा से अवमुक्त हुए लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने पर सैन्य सेवा से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नही हो पाते जिसके कारण उस सेवा का भलीभांति सत्यापन नहीं हो पाता है। परिणामस्वरूप उसके पेंशन प्रकरण की तैयारी में कठिनाई होती है और अन्ततः प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब भी होता है। यदि सरकारी सेवा में नियुक्ति के समय ही सैन्य सेवा से संबंधित विवरण तथा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये जायें तो सेवानिवृत्ति के समय कथित कठिनाई उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं रह जायेगी।

2–अतएव आपसे अनुरोध है कि जिन कर्मचारियों की सिविल सेवा में नियुक्ति से पूर्व सैन्य सेवा/युद्ध सेवा रही हो, उनकी नियुक्ति के शीघ्र बाद ही उक्त सेवा से सम्बन्धित विवरण तथा प्रमाण पत्र सरकारी सेवक के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवश्य प्राप्त कर लिये जाने चाहिए तथा उन्हें संबंधित सेवक की सेवा पुस्तिका तथा निजी पत्रावली में रख दिया जाना चाहिए ताकि उसकी सेवा निवृत्ति के समय पेंशन प्रकरण की तैयारी में कठिनाई न हो।

3–कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार की जाय।

भवदीय,
जे0 एल0 बजाज
वित्त सचिव।

––––

संख्या सा–3–1947/दस–900–79

प्रेषक,

श्री जगमोहन लाल बजाज,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 18 नवम्बर, 1982

विषय :– सैन्य/युद्ध सेवा का सत्यापन।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों, जो राज्य की सिविल सेवा में आने से पूर्व सेना की सेवा में रहे हों, की पेंशन हेतु, सैन्य/युद्ध सेवा को सिविल सेवा के साथ जोड़ने के संबंध में व्यवस्था सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 356–357 सी में निहित है और उक्त सेवा के सत्यापन के लिये अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत विहित अपेन्डिक्स–ए में सैन्य अधिष्ठान कार्यालय से विवरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। शासन की जानकारी में ऐसे अनेक प्रकरण आये हैं जिनमें सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के पेंशन कागजात की तैयारी के समय मांग किये जाने पर संबंधित सैन्य अधिष्ठान से कर्मचारी के उक्त विवरण इस कारण प्राप्त नहीं हो सके कि अधिक समय व्यतीत हो जाने के कारण या तो संबंधित रिकार्ड नष्ट हो गये या अन्यथा उपलब्ध न हो सके। उक्त स्थिति में नियम की अपेक्षा पूर्ण न होने पर सैन्य/युद्ध सेवा के सत्यापन न हो सकने से उसे अर्हकारी सेवा में शामिल करना संभव नहीं हुआ। राज्य शासन के अधीन सरकारी सेवक द्वारा प्रदत्त सेवा के किसी अंश का सत्यापन न हो पाने की स्थिति में संबंधित सेवक से एक शपथ–पत्र लेकर उस सेवा के अंश को पेंशन प्रयोजन हेतु अर्ह सेवा मान लिये जाने की व्यवस्था शा0आ0 संख्या सा–3–1998/दस–932–80, दिनांक 16 जनवरी, 1981 के पैरा 3 में की गयी है। पूर्वोक्त सैन्य/युद्ध सेवा के सत्यापन की कठिनाई के निराकरण के विषय में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की सहमति से शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन मामलों से संबंधित सेवक द्वारा प्रदत्त सैन्य सेवा के विवरण सेना अधिष्ठान से प्राप्त न हो सकें उनमें भी सम्बन्धित सेवक से उसके द्वारा प्रदत्त सैन्य/युद्ध सेवा तथा सेना से प्राप्त ग्रेच्युटी आदि के संबंध में शपथ–पत्र लेकर उस सेवावधि को अर्ह सेवा में गिन लिया जा सकेगा, बशर्ते संबंधित सेना अधिष्ठान से विशिष्ट रूप से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हो गया हो कि उक्त सेवा संबंधी रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण सैन्य/युद्ध सेवा का सत्यापन संभव नही है। साथ ही उक्त शपथ–पत्र के अतिरिक्त उस सेवा की पुष्टि में संबंधित सेवक से अन्य सम्पार्श्विक साक्ष्य (Collateral evidence), जो भी उसके पास हो या वह उपलब्ध कर सके, प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी जिसका उपयोग निर्णय लेने में किया जा सकेगा। सैन्य/युद्ध सेवा का लाभ दिये जाने के संबंध में यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि नियमों की अन्य अपेक्षाएं पूर्ण होती हैं।

2–मुझे आपका ध्यान पुनः शा0आ0 संख्या सा–3–949/दस–900–79, दिनांक 8 सितम्बर, 1982 की ओर आकर्षित करना है, जिसमें यह आदेश जारी किये गये हैं कि जिन कर्मचारियों की सिविल सेवा में नियुक्ति से पूर्व सैन्य सेवा/युद्ध सेवा रही हो, उनकी नियुक्ति के शीघ्र बाद ही उक्त सेवाओं से संबंधित विवरण तथा प्रमाण–पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवश्य प्राप्त कर लिये जाने चाहिये तथा उन्हें संबंधित सेवक की

सेवा–पुस्तिका तथा निजी पत्रावली में रख दिया जाना चाहिये ताकि उसकी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन प्रकरण की तैयारी में कठिनाई न हो। आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेशों का समयक् अनुपालन भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3–कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,
जगमोहन लाल बजाज
वित्त सचिव।

————

संख्या सा–3–585/दस–935–78

प्रेषक,

जे0 एल0 बजाज,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 16 मई, 1983

विषय :–दो पेंशन सर्विस पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ताओं को राहत का भुगतान।

महोदय,

शासन में यह प्रश्न विचाराधीन रहा है कि यदि कोई सेवानिवृत्त सरकारी सेवक दो पेंशने प्राप्त कर रहा है, अर्थात एक अपनी सेवा के आधार पर सेवा पेंशन तथा दूसरी अपने पति/पत्नी, जो सरकारी सेवक रहा/रही हो की मृत्यु हो जाने के परिणाम स्वरूप पारिवारिक पेंशन, तो ऐसे मामलों में राहत किस प्रकार देय होगी, अर्थात दोनों पेंशनों की धनराशियों के योग पर राहत आगणित की जायेगी अथवा अलग अलग आगणित की जायेगी। मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर भलीभांति विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त प्रकार के मामलों में राहत की गणना दोनों पेंशनों, अर्थात सेवा पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन की धनराशि के योग पर की जायेगी। राहत की गणना हेतु यह देखा जायेगा कि श्रेणी के हिसाब से सेवा पेंशन पर अनुमन्य राहत की दर तथा पारिवारिक पेंशन पर अनुमन्य राह की दर में से जो अधिक हो, उस दर से पेंशनों के योग पर राहत देय होगी जिससे पेंशनर को हानि न हो।

2–उपर्युक्त आदेश शासनादेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी समझे जायेंगे। कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,
जे0 एल0 बजाज
वित्त सचिव।

————

संख्या सा–3–1224/दस–914–83

प्रेषक,

श्री जगमोहन लाल बजाज,
सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 18 अगस्त, 1983

विषयः– पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने मुख्यमंत्री को प्रेषित अपने पत्र में सूचित किया है कि 31 मार्च, 1983 को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 1335 सेवानिवृत्ति प्रकरण और 666 पारिवारिक पेंशन प्रकरण अनिर्णीत थे। इन अनिर्णीत प्रकरणों में सेवानिवृत्ति के 36 एवं पारिवारिक पेंशन के 54 प्रकरण 5 वर्ष से अधिक पुराने थे। इन संख्याओं में वे प्रकरण सम्मिलित नहीं हैं जो महालेखाकार को भेजे ही नहीं गये। निसन्देह यह स्थिति चिन्ताजनक है। नियंत्रक के अनुसार इस विलम्ब के मुख्य कारण विभागीय अधिकारियों द्वारा महालेखाकार को पेंशन–पत्र देर से प्रेषित किया जाना, सेवा–पुस्तिकायें, अग्रिम की स्वीकृतियाँ, अदेयता प्रमाण–पत्र, वैध उत्तराधिकारिता और संरक्षक प्रमाण–पत्र से संबंधित पूर्ण पत्र न प्रस्तुत किया जाना है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि पेंशन–पत्र महालेखाकार को विलम्ब से भेजने पर भी पेंशन एवं उपदान के अनन्तिम भुगतान नहीं किये जा रहे हैं। इस संबंध में मुझे आपका ध्यान निम्नलिखित शासनादेशों की ओर आकर्षित करने का निदेश हुआ है :–

(1) **शासनादेश संख्या सा–3–2085/दस–907–76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977–**

उपर्युक्त शासनादेशमें पेंशन–पत्रों की तैयारी के लिये एक समय–सारिणी निर्धारित कर दी गई, जिसके अनुसार पेंशन–पत्रों की तैयारी सेवानिवृत्ति से 24 माह पूर्व प्रारम्भ कर 6 मास पूर्व महालेखाकार को भेज दिये जाने चाहिये। प्रथम 16 मास की अवधि में सेवा–पुस्तिका की पूर्णता की जाँच कर लेनी चाहिये और यदि अपूर्ण हो तो उसे पूर्ण करा लेना चाहिये। यदि तब भी सेवा रिकार्ड में कोई कमी या अपूर्णता या चूक विद्यमान रह जाती है तो उसकी उपेक्षा कर पेंशन–पत्र 6 मास पूर्व महालेखाकार को अवश्य भेज देने चाहिए। महालेखाकार सेवानिवृत्ति के दिनांक से कम से कम 1 मास पूर्व पेंशन तथा आनुतोषिक के भुगतानादेश निर्गत करेंगे। यदि किसी कारण ऐसा सम्भव न हुआ हो तो संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा उस मास की पहली तारीख तक अनन्तिम पेंशन तथा उपदान की अदायगी प्राधिकृत करने के लिये कदम उठायेंगे, जिस मास से अनन्तिम पेंशन देय होती है।

(2) **शासनादेश संख्या सा–3–1998/दस–932–80, दिनांक 16 जनवरी, 1981–**

पेंशन–पत्रों के साथ भेजे जाने वाला अदेय प्रमाण–पत्र कितनी अवधि का एकत्र किया जायेगा इसके बारे में कोई आदेश नहीं थे। पूरी सेवा का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में विलम्ब होता है और फलस्वरूप सेवानिवृत्त कर्मचारी को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः यह निर्णय लिया गया था कि अदेय प्रमाण–पत्र सेवा के अन्तिम 5 वर्ष की सेवा की छानबीन के आधार पर जारी कर

लिया जाना चाहिये। यदि अन्यथा इस बात की जानकारी हो कि 5 वर्ष से पहले की अवधि में संबंधित सेवक के विरुद्ध कोई शासकीय देय है तो 5 वर्ष से पहले के अभिलेखों की भी जाँच की जानी चाहिये और देय धनराशि की वसूली के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये। 5 वर्ष की सेवा की छानबीन करने के लिये सक्षम अधिकारी उन सभी कार्यालयों, जिनमें संबंधित सरकारी सेवक ने कार्य किया हो, से अदेयता के विषय में पूछतांछ करेंगे तथा यदि एक निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित कार्यालय से उत्तर नहीं आता है तो यह मान लेंगे कि सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई राशि देय नहीं है। यदि बाद में कोई देय ज्ञात होते हैं तो उनके लिये संबंधित अधिकारी दोषी ठहराये जायेंगे और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सरकारी सेवकों से जिनके संबंध में अदेय प्रमाण–पत्र न मिल पाये, इस आशय का एक बन्ध–पत्र भी भरवा लिया जाय कि यदि सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष के अन्दर उनके विरुद्ध कोई देय निकलते हैं तो उसकी वसूली उनसे कर ली जायेगी। यदि सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये तो उसके उत्तराधिकारियों से इसी आशय का बन्ध–पत्र भरवा लिया जाये।

कुछ सरकारी सेवकों के मामलों में पूर्ण सेवा का सत्यापन नहीं हो पाता है ऐसी दशा में सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद 915(सी) के अनुसार संबंधित कर्मचारी से लिखित बयान तथा घोषणा–पत्र लेना होता है और उन्हें वह सभी सेवा अभिलेख तथा सेवा सूचनायें, जो वह देने में समर्थ हों, देनी होती है। समय बीतने पर सरकारी सेवक के लिये यह सभी अभिलेख उपलब्ध कराना सम्भव नहीं होता। अतः उक्त शासनादेश में यह निर्णय लिया गया था कि सत्यापित सेवा के संबंध में सरकारी सेवक से एक शपथ–पत्र, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न की गयी थी प्राप्त कर, उस भाग को पेंशन के प्रयोजन के लिये अर्ह सेवा मान लिया जायगा।

(3) **शासनादेश संख्या सा–3–1185/दस–927–80, दिनांक 11 नवम्बर, 1980–**

उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स तथा उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स दोनों नियमावलियों में सरकारी सेवक से नामांकन–पत्र प्राप्त करने का प्राविधान है। शासनादेश संख्या जी–2–818/दस–916–1964, दिनांक 24 जुलाई, 1969 में यह आदेश दिये गये थे कि प्रत्येक कर्मचारी से परिवार का विवरण–पत्र प्राप्त कर लिया जाये। उक्त शासनादेश दिनांक 11 नवम्बर, 1980 के साथ परिवार के विवरण के प्रारूप की प्रतिलिपि संलग्न की गयी की गयी थी तथा इस बात पर बल दिया गया था कि प्रत्येक कर्मचारी से नामांकन–पत्र एवं परिवार का विवरण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय ताकि सेवाकाल में अचानक मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों से तुरन्त सम्पर्क स्थापित किया जा सके। कभी–कभी परिवार से उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र की मांग की जाती है जिसमें न केवल समय लगता है वरन् परिवार को न्यायालय जाने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस शासनादेश में यह स्पष्ट किया गया था कि पेंशन नियमों में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र मांगे जाने का कोई प्राविधान नहीं है। परिवार के सदस्यों द्वारा फार्म एफ, या परिशिष्ट–2 तथा फार्म एच में क्रमशः पारिवारिक पेंशन तथा उपदान के प्रार्थना–पत्र दिये जाते हैं जिसे दो व्यक्तियों को सत्यापित तथा दो व्यक्तियों को साक्ष्य करना होता है। यदि विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष इन सत्यापनकर्ताओं तथा साक्षियों से संतुष्ट है तो उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र की

मांग नहीं करनी चाहिये। इसमें यह भी निदेश दिये गये थे कि यह संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी कि वह पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों को एक मास में अवश्य निस्तारित कर दें। खेद है कि इस शासनादेश के अनुसार कार्यवाही न कर सन्तप्त परिवार के सदस्यों के साथ अन्याय किया जा रहा है।

(4) **शासनादेश संख्या जी–2–2911/दस–912–65, दिनांक 6 मई, 1966–**

प्राकृतिक संरक्षक के अभाव में संरक्षकता प्रमाण–पत्र की मांग की जाती है जिससे आनुतोषिक के भुगतान में विलम्ब होता है और फलस्वरूप मृत कर्मचारी की अवयस्क संतानों को आर्थिक कठिनाइयाँ होती हैं। अतः इस शासनादेश में यह निर्णय लिया गया था कि 5 हजार रुपये तक (और पाँच हजार रुपये से अधिक धनराशि होने पर प्रथम रु0 5,000) की आनुतोषिक का भुगतान अवयस्क के प्राकृतिक संरक्षक के अभाव में न्यायालय से संरक्षकता प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बिना अवयस्क के संरक्षक को कर दिया जायेगा। ऐसे व्यक्ति को वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड 5, भाग–1 में दिये गये फार्म–3ए में एक क्षतिपूर्ति बन्ध–पत्र तथा स्वीकृति अधिकारी को संतोषजनक जमानत भी देनी होगी। 5 हजार रुपये से अधिक धनराशि, यदि कोई है, की आनुतोषिक तथा पारिवारिक पेंशन का भुगतान संरक्षकता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही किया जा सकेगा।

(5) **अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या सा–3–546/दस–906–82, दिनांक 7 अप्रैल, 1982–**

वित्त सचिव द्वारा समस्त सचिव/विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित उक्त अर्द्ध–शासकीय–पत्र के साथ पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण से संबंधित विभिन्न शासनादेशों का सार सक्षेप संलग्न करते हुए यह भी इंगित किया गया है कि मुख्य सचिव के अर्द्ध–शासकीय परिपत्र संख्या सा–3–888/दस–907–76, दिनांक 29 अप्रैल, 1980 में यह आदेश जारी किये गये थे कि विभागाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक विभाग तथा कार्यालय के लिये समुचित स्तर के एक अधिकारी को मनोनीत किया जाना चाहिये जो पेंशन–प्रपत्रों की समय से तैयारी के लिये उत्तरदायी बनाया जाये और पेंशन प्रकरणों में विलम्ब के लिये उन पर उत्तरदायित्व निर्धारण किया जा सके तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सके। जहाँ अभी तक इस कार्य के लिये अधिकारी मनोनीत न किये गये हों वहाँ तुरन्त मनोनीत किये जायें।

2–उपर्युक्त शासनादेशों की ओर आपका ध्यान पुनः आकृष्ट करते हुए निवेदन है कि तदनुसार कार्यवाही तुरन्त करना सुनिश्चित करने की कृपा करें ताकि पेंशन प्रकरणों का निस्तारण समय से हो सके और कर्मचारी एवं उनके परिवार को आर्थिक कठिनाइयाँ न हों।

भवदीय,

जग मोहन लाल बजाज

सचिव।

<u>संख्या सा–3–1660/दस–2013–83</u>

प्रेषक,

श्री बसन्त लाल शाह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महालेखाकार (द्वितीय) उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 22 दिसम्बर, 1983

विषय :– पेंशनर्स की मृत्यु हो जाने पर उनकी जीवन कालीन पेंशन के अवशेष का भुगतान किये जाने हेतु पेंशनर्स से नामांकन प्राप्त करना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेंशनर्स की मृत्यु हो जाने पर उनकी जीवन कालीन पेंशन का भुगतान पेंशनर्स के परिवार को दिये जाने के सम्बन्ध में होने वाली कठिनाइयों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है और यह जानकारी में लाया गया है कि पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के सदस्यों को सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में पर्याप्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचार किया गया है और यह पाया गया है कि शासनादेश संख्या एक–1428/दस–3(4)–1962, दिनांक 23 मई, 1962 (प्रतिलिपि संलग्न) में इस आशय के आदेश जारी किये जा चुके हैं कि यदि कोई पेंशनर चाहे तो वह अपने जीवन कालीन अवशेषों का भुगतान किये जाने का नामांकन कर सकता है। इस उद्‌देश्य हेतु उक्त शासनादेश में नामांकन के लिये प्रारूप भी निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार पेंशन स्वीकृति के लिये आवेदन–पत्र, जो प्रपत्र संख्या 30 सी0एस0आर0 के रूप में निर्धारित है, उसके पैरा–4 में भी इसी आशय की व्यवस्था उपलब्ध है कि ''मेरी मृत्यु, चाहे पेंशन स्वीकृति होने के पूर्व हो अथवा बाद में पेंशन के अवशेष अंश का भुगतान प्राप्त करने हेतु मैं श्री/श्रीमती .... को नामांकित करता हूँ/करती हूँ जो मेरे जीवन कालीन पेंशन के अवशेष को प्राप्त करेंगे''।

2–ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 23 मई, 1962 में जारी आदेशों का समुचित अनुपालन नहीं हुआ है और न ही पेंशन प्रपत्र 30 में निर्धारित प्रारूप के अनुसार किये गये नामांकन का उल्लेख पी0पी0ओ0 में किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप मृतक पेंशनर के परिवार के लोगों को भुगतान प्राप्त करने में कठिनाई होती है। अतएव आपसे अनुरोध है कि आप कृपया यह सुनिश्चित कराने की कृपा करें कि उपरोक्त व्यवस्थाओं का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जाये और पेंशनर के नाम जारी होने वाले पी0पी0ओ0 में पेंशनर की मृत्यु की दशा में भुगतान प्राप्त करने हेतु नामित किये गये व्यक्ति का उल्लेख उपलब्ध रहे ताकि समय पर कोषाधिकारियों द्वारा मृतक पेंशनर के परिवार को भुगतान प्राप्त करने में कठिनाई न हो।

भवदीय,
बसन्त लाल शाह
संयुक्त सचिव।

संख्या सा–3–1660(1)/दस–2013–83

प्रतिलिपि समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 23 मई, 1962 में जारी आदेशों का अनुपालन अवश्य किया जाये यदि पी0पी0ओ0 में नामांकन का उल्लेख नहीं है।

प्रतिलिपि समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि पेंशन फार्म 30 सी0एस0आर0 के पैरा–4 में निर्धारित प्रविष्टि अवश्य की जाये और यदि किसी कारणवश छूट गई हो तो उसे पूरा कराके ही पेंशन प्रपत्र महालेखाकार को अग्रसारित किये जायें।

प्रतिलिपि निदेशक, कोषागार एवं लेखा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया कोषाधिकारियों से शासनादेश संख्या लेखा–1–1428/दस–3(4)–1962, दिनांक 23 मई, 1962 का अनुपालन ऐसे पी0पी0ओ0 जिनमें जीवन कालीन अवशेषों के भुगतान हेतु नामांकन दर्ज न हो, सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
बसन्त लाल शाह
संयुक्त सचिव।

No. A-1-1428/X-3(4)/1962

From,

Sri R. Raman,
Sahayak Sachiv,
Uttar Pradesh Shasan.

To,

All District Offcers in Uttar pradesh.
Vitt (Account-1) Section.

Sub-Nomination of heirs by Civil Pensioners. Dated Lucknow, May 23, 1962

Sir,

I am directed to refer to paragraph 16 of G.O. No. A-1-5671/(29)-57, dated February 1, 1958 on the subject of Reorganization of Treasuries which lays down that civil pensioners should be encouraged to nominate their heirs for facilitating payment of the life time arrears of their pensions. For this purpose a provision has now been made in the standard form of application for pension (Form C.S.R. 30) prescribed under G.O. No. G-II-862-I/X-927-195, dated July 20, 1961. In order that pensioners who retired earlier and did not get the opportunity of making the nomination in the application for pension may also be able to nominate their heirs, it has been decided by Government that, if a civil pensioner so desires, he may make a nomination in the following form "I .... holder of P.P.O. No. .... do hereby nominate Sri/Srimati .... my .... aged...

(relationship)

years residing at .... as the person to whom my life time arrears of pension if any, shall be payable in the event of my death."

Dated Signature of the
pensioner.

Nomination should be retained in the Treasury and the other should be sent to the Accountant General, Uttar Pradesh for being kept with the pension papers of the pensioner. The Treasury Officers may please be directed accordingly.

Yours faithfully,
(*Sd.*) R. RAMAN
Sahayak sachiv.

सा–3–828/दस–924–88

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 26 जून, 1984

विषय :– नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन एक वर्ष की अविरल सेवा सम्बंधी प्राविधान का शिथिलीकरण।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–जी0–2–769/दस–917–61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 के प्रस्तर 3 (क) के अधीन पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता के लिये सेवारत अवस्था में मृत्यु होने की दशा में एक वर्ष की अविरल सेवा प्रदान करना आवश्यक था। शासनादेश संख्या सा–3–3–1258/दस–918–79, दिनांक सितम्बर, 1979 में उक्त प्राविधान को इस शर्त के अधीन समाप्त कर दिया गया है कि यदि सरकारी सेवक ने सेवा में प्रवेश करते समय चिकित्साधिकारी द्वारा अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया है तो उस दशा में यदि उसकी सेवा अवधि एक वर्ष से कम है तो भी वह परिवार पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का पात्र होगा। शासन के सम्मुख दिनांक 21 सितम्बर 1979 के पूर्व के कुछ इस प्रकार के मामले भी संदर्भित हुए हैं, जिनमें सरकारी सेवक की मृत्यु एक वर्ष की अविरल सेवा प्रदान करने के पूर्व हो गयी है। उदाहरणतया एक अस्थायी सेवक ने किसी विभाग में सेवा की और छटनी के आधार उसकी सेवायें समाप्त कर दी गयी । कालान्तर मे पुनः इसी शासन के अधीन किसी सरकारी पद पर नियुक्ति कर लिया गया। दिनांक 21 सितम्बर 1979 के पूर्व की व्यवस्था के अनुसार उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं होगी। ऐसे मामलों में शासन ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि स्वर्गीय सरकारी सेवक के परिवार को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य कराये जाने के प्रयोजन के लिये सेवा की दो अवधियों के बीच उत्पन्न व्यवधान को गर्हित मान लिया जाये। उक्त बिन्दु पर समुचित विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय ने यह आदेश प्रदान करने की कृपा की है कि दिनांक 21 सितम्बर 1979 के पूर्व के ऐसे मामलों में जिनमें अस्थायी सरकारी सेवक की सम्पूर्ण सेवा अवधि के मध्य व्यवधान हो और मृत्यु से पूर्व सरकारी सेवक ने एक वर्ष की अविरल सेवा प्रदान न की हो, उक्त प्रकार के मामलों में नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन पारिवारिक पेंशन अनुमन्य कराये जाने के प्रयोजन के लिये व्यवधान की अवधि गर्हित समझी जायेगी, यदि ऐसा व्यवधान सेवा से त्याग पत्र देने, बरखास्त किये जाने अथवा हड़ताल मे भाग लेने के कारण न हुआ हो।

वेद प्रकाश अग्रवाल
संयुक्त सचिव।

––––

संख्या सा–3–807/दस–914–83

प्रेषक,
डा0 जे0 पी0 सिंह,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 17 जुलाई, 1984

विषय :– पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर देय नैवृत्तिक लाभों के प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु शासन सतत् प्रयत्नशील है और समय–समय पर अनेक अनुदेश जारी किये जाते रहे हैं। ऐसे विभिन्न महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण पुनः अंकित करते हुए शासनादेश संख्या सा–3–546/दस–906–82, दिनांक 7 अप्रैल, 1982 एवं संख्या सा–3–1224/दस–914–83,

दिनांक 18 अगस्त, 1983 में पेंशन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण पर बल दिया गया है किन्तु अब भी निस्तारण में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है। शासन इस स्थिति से संतुष्ट नहीं है।

अतएव उक्त आदेशों की प्रति संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि आप कृपया उक्त शासनादेशों में जारी अनुदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

डा0 जे0 पी0 सिंह

वित्त सचिव।

प्रतिलिपि

जे0 एल0 बजाज, अर्द्ध शा0प0 संख्या सा–3–546/दस–906–82

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

लखनऊ दिनांक 7 अप्रैल, 1982

प्रिय महोदय,

मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि शासन इस बात के लिये सदैव इच्छुक रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण और पेंशन निर्धारण का कार्य तत्परता से यथासमय इस प्रकार किया जाय कि सेवानिवृत्त होते ही उसे नैवृत्तिक लाभों का भुगतान हो जाये और अगले माह से वह पेंशन प्राप्त करने लगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये समय–समय पर पेंशन नियमों और प्रक्रियाओं में उदारीकरण तथा सरलीकरण किये गये हैं और अनुदेश जारी किये गये हैं। समय–समय पर नियमों और शासनादेशों के सम्यक् अनुपालन के लिये भी कड़े निदेश जारी किये गये हैं जिनमें शा0 सं0 सा–3–3725/दस–905–75, दिनांक 15 दिसम्बर, 1975 तथा मुख्य सचिव का अर्द्ध शा0प0 सं0 सा–3–888/दस–907–76, दिनांक 29 अप्रैल, 1980 विशेष रूप से द्रष्टव्य है। इसके बावजूद स्थिति में संतोषजनक सुधार दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है और महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा शासन की जानकारी में यह बात लाई गई है कि अनेक पेंशन प्रकरण उन्हें न केवल यथासमय नहीं प्रेषित किये जाते हैं और विलम्ब से या सेवानिवृत्ति के बाद भेजे जाते हैं वरन् मामले अपूर्ण होते हैं और अन्तिम वेतन–पत्र, अदेयता प्रमाण–पत्र, क्लियरेन्स सर्टिफिकेट (इंजीनियरिंग विभागों के सम्बन्ध में), पहचान अभिलेख, फार्म 'ए' व 'बी' में घोषणा–पत्र, पेंशन, ग्रेच्युटी से वसूली के सम्बन्ध में पेंशनर की सहमति, सर्विस बुक आदि का अभाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इससे प्रकरणों को अन्तिम रूप देकर भुगतानादेश जारी करना संभव नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त महालेखाकार को विभागों से परिहार्य लिखा–पढ़ी भी करनी पड़ती है। शासन के समक्ष स्थिति से विदित होता है कि निहित अनुदेशों का सभी कार्यालयों में सम्यक् अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिसे शासन गम्भीर दृष्टि से देखता है।

2–इस प्रसंग में मुझे आपका ध्यान कुछ महत्वपूर्ण शासनादेशों की ओर आकर्षित करना है जिनमें पेंशन नियमों में उदार व्यवस्थायें की गई हैं तथा पेंशन प्रकरणों के यथासमय निस्तारण और अनुसरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। सुगम सन्दर्भ हेतु इन शासनादेशों का संक्षिप्त विवरण और समीक्षा अनुलग्नक में अंकित किया जा रहा है। तथापि पूर्ण विवरण हेतु सम्बन्धित शासनादेश का अवलोकन आवश्यक है।

3–यह भी उल्लेखनीय हे कि अन्तिम वेतन–पत्र, अदेयता प्रमाण–पत्र, वसूलियों के विवरण आदि न प्राप्त होने पर तथा सेवा के किसी अंश के सत्यापित न होने पर पेंशन प्रकरण के निस्तारण हेतु अनुलग्नक में इंगित शासनादेशों में उदार व्यवस्थायें की गई हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये। महालेखाकार का कुछ मामलों को जिनमें अपेक्षित सूचनायें प्राप्त होने में विलम्ब होता है, अपने यहाँ क्लोज कर देने का भी सुझाव है। इस प्रकार अब पेंशन प्रेषण अधिकारियों का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है तथा किसी त्रुटि या अनियमितता रह जाने पर उन पर जिम्मेदारी आयेगी क्योंकि महालेखाकार शासनादेशों के निर्देशानुसार पेंशन प्रकरणों को अन्तिम रूप दे देंगे।

4–अतएव आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये और सभी कार्यालयों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन कागजात की तैयारी सेवानिवृत्ति से 24 माह पूर्व अवश्य आरम्भ करके तथा निर्धारित समयसारिणी के अनुसार कार्यवाही पूरी करके सभी प्रकार से पूर्ण अभिलेखों व फार्मों के साथ पेंशन कागजात यथासमय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को भेजे जायें तथा सरकारी सेवक की मृत्यु के मामलों में भी पारिवारिक पेंशन आदि के सम्बन्ध में कार्यवाही तत्परता से की जाये। इस बात के लिये भी कदम उठाये जायें कि लम्बित पेंशन प्रकरणों को भी महालेखाकार कार्यालय से अनुसरण कराकर यथाशीघ्र अन्तिम रूप से निस्तारित कराया जाय जिससे 6 माह के भीतर स्थिति अद्यतन हो जाये। पेंशन प्रकरणों में कार्यवाही में ढिलाई और विलम्ब के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही भी की जाये। जहाँ अभी तक इस कार्य के लिये अधिकारी मनोनीत न किये गये हों वहाँ तुरन्त मनोनीत कर दिये जायें।

भवन्निष्ठ,

जे0 एल0 बजाज

सेवा में,

1–समस्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

———

अनुलग्नक

(संदर्भ अर्द्ध शा0 प0 संख्या सा–3–546/दस–906–82, दिनांक 7 अप्रैल, 1982)

क्र0सं0	शासनादेश	निहित अनुदेशों का संक्षिप्त विवरण एवं समीक्षा (पूर्ण विवरण के लिये शासनादेश देखें)
1	2	3
1	शा0सं0सा–3–2085/दस–907–76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 सपठित शा0सं0 सा–3–1004/दस–907–76, दिनांक 11 जुलाई, 1978	पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु समय–सारिणी निर्धारित की गई है जिसके अनुसार विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों तथा पेंशन स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारियों को कार्यवाही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से 24 माह पूर्व आरम्भ करना अपेक्षित है। प्रथम 18 माह में सेवा अभिलेखों को पूरा करके सेवा सत्यापन, अर्हकारी सेवा की संगणना और परिलब्धियों का हिसाब लगाना, स्वीकार्य पेंशन व आनुतोषिक का आगणन, बकाया देय रकमों व दीर्घावधि अग्रिमों (यथा भवन निर्माण अथवा वाहन अग्रिम) की स्थिति का पता लगाना, कर्मचारी आवेदन–पत्र व अन्य कागजात व निर्धारित प्रपत्रों में घोषणा–पत्र आदि प्राप्त करने की कार्यवाही तत्परता से पूरी करके पूर्ण पेंशन कागजात महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय को सेवानिवृत्ति से छः माह पूर्व भेज देने चाहिये। वह कार्यालय आवश्यक जाँच करके सेवानिवृत्ति से एक माह पहले पेंशन/आनुतोषिक भुगतानादेश जारी करेगा। पूर्ण पेंशन स्वीकार करने या सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 470 के अधीन कम पेंशन स्वीकार किया जाना हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख पेंशन कागजात में अवश्य कर दिया जाना चाहिये। किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में यदि अन्तिम पेंशन आदेश सेवानिवृत्ति तक जारी करना या पूर्ण कागजात महालेखाकार को यथासमय भेजना संभव न हो सका हो तो विभागाध्यक्ष नियमानुसार आगणित पेंशन के बराबर अनन्तिम पेंशन और बकाया या अन्य देय वसूलियों का समायोजन करके निर्धारित की गई अनुतोषिक की धनराशि के 10 प्रतिशत या 1,000 रु0 जो भी कम हो, की कटौती करके, अनन्तिम आनुतोषिक के भुगतान की स्वीकृति देंगे। यह स्वीकृति सेवानिवृत्ति से 6 माह तक के लिये होगी जिसे सामान्यतः इस अवधि में अंतिम निर्धारण की अन्यथा कार्यवाही होने पर अन्तिम मान लिया जायेगा और महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा तदनुसार पेंशन व आनुतोषिक के अन्तिम भुगतानादेश जारी किये जायेंगे। अतः इस अवधि में अन्तिम वेतन–पत्र अदेय प्रमाण–पत्र और अन्य वसूली के अनुदेश, यदि कोई हों, सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा

क्र0सं0	शासनादेश	निहित अनुदेशों का संक्षिप्त विवरण एवं समीक्षा (पूर्ण विवरण के लिये शासनादेश देखें)
1	2	3
		महालेखाकार को अवश्य भेज दिये जाने चाहिये जिससे भुगतानादेश जारी करने में विलम्ब न हो। पेंशन की प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। किन्तु 1 नवम्बर, 1977 से पूर्व की सेवानिवृत्ति के मामलों में यह स्वीकृति आवश्यक थी। अतः यदि ऐसे कुछ लम्बित मामले हों, तो उनकी प्रशासनिक स्वीकृति अपेक्षित होगी और दी जानी चाहिये ताकि महालेखाकार द्वारा उन्हें अन्तिम रूप दिया जा सके। शासनादेश में असाधारण अवकाश, निलम्बन काल, प्रतिनियुक्ति की सेवा को अर्हकारी सेवा में आगणन के सम्बन्ध में तथा सेवा में व्यवधान मर्षण के संबंध में शिथिलीकरण एवं उदारीकरण करके व्यवस्था की गई है।
2	शा0सं0 जी0–2–862/दस–927– 58, दिनांक 20 जुलाई, 1961 सपठित मुख्य सचिव का अर्द्ध शा0 परिपत्र संख्या सा0–3–888/दस–907–76, दिनांक 29 अप्रैल, 1980	विभागाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक विभाग तथा कार्यालय के लिये समुचित स्तर के एक अधिकारी को मनोनीत किया जाना चाहिये जो पेंशन–पत्रों की समय से तैयारी के लिए उत्तरदायी बनाया जाय। ऐसे अधिकारी का नाम तथा पदनाम शासन के वित्त (पेंशन) अनुभाग को सूचित किया जाना चाहिये।
3	शा0 सं0 सा–3–2821/दस–म0ले0–7–78, दिनांक 27 जनवरी, 1979	विभागाध्यक्षों द्वारा प्रत्येक छमाही में अगले 24 माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार की जायेगी और मामलों का अनुसरण किया जायेगा। विभागाध्यक्ष प्रगति सुनिश्चित करने के लिये कार्यालयाध्यक्षों से त्रैमासिक रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। कार्यालयाध्यक्षों द्वारा निर्धारित प्रारूप में पेंशन के मामलों के नियंत्रण का एक कंट्रोल रजिस्टर रखा जायेगा। कोषागारों में भी निगरानी के लिये रजिस्टर की अपेक्षा की गई है।
4	शा0सं0 सा–3–1679/दस–80–909–79, दिनांक 28 अक्टूबर, 1980 सपठित शा0सं0 सा–3–1608/दस–909–79, दिनांक 24 अक्टूबर, 1981	ऐसे कर्मचारियों के मामलों में, जिनके विरुद्ध वैभागिक/न्यायिक कार्यवाही अथवा सतर्कता/प्रशासनाधिकरण जाँच चल रही हो अथवा किया जाना अपेक्षित हो, कतिपय उपबन्धों व शर्तों के अधीन कार्यवाही/जाँच पूरी होने तक अनन्तिम पेंशन अधिकृत किये जाने की व्यवस्था की गई है, किन्तु मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति आनुतोषिक का भुगतान किसी भी दशा में नही किया जायेगा।

क्र0सं0	शासनादेश	निहित अनुदेशों का संक्षिप्त विवरण एवं समीक्षा (पूर्ण विवरण के लिये शासनादेश देखें)
1	2	3
5	शा0सं0सा–3–1998/दस–932–80, दिनांक 16 जनवरी, 1981	अदेय प्रमाण–पत्र सेवा के अन्तिम 5 वर्ष की सेवा की छानबीन के आधार पर जारी कर दिया जाना चाहिये। यदि अन्यथा इस बात की जानकारी हो कि पाँच वर्ष के पहले की अवधि में सम्बन्धित सरकारी सेवक के विरुद्ध शासकीय देय है तो पाँच (5) वर्ष से पहले के भी सम्बन्धित कार्यालयों से पूछताछ तत्परता से की जानी चाहिये और देय धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिये। जिन मामलों में अदेय प्रमाण–पत्र न मिल पाये तो उन राजकीय सेवकों से निर्धारित प्रारूप में बन्ध–पत्र और, यदि सरकारी सेवक की सेवा के दौरान मृत्यु हो गई हो, तो उत्तराधिकारियों से बन्ध–पत्र भरवा लिया जाना चाहिये। यदि सरकारी सेवक की पूर्ण सेवा का सत्यापन न हो पाये और असत्यापित अंश के संबंध में सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 915 (सी) के अनुसार सरकारी सेवक के लिये पुष्टि हेतु अभिलेख उपलब्ध करा पाना संभव न हो, तो असत्यापित सेवा के लिये निर्धारित प्रारूप में सरकारी सेवक से शपथ–पत्र प्राप्त करके उस भाग को पेंशन के प्रयोजन के लिये अर्ह सेवा मान लिया जायेगा।
6	शा0सं0सा–3–1316/दस–933–80, दिनांक 4 जुलाई, 1980	सेवानिवृत्ति प्रकरणों और मृत्यु प्रकरणों में पेंशन कागजात में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को भेजे जाने वाले अभिलेखों और फार्मों की चेकलिस्ट प्रसारित की गई है। महालेखाकार को भेजने से पहले सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि प्रकरण पूर्ण और सही है।

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

––––––

संख्या सा–3–1431/दस–903–84

लखनऊ, दिनांक 29 सितम्बर, 1984

––––––

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा अंगीकृत सिविल सर्विस रेगुलेशन्स का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (ग्यारहवाँ सेशोधन) विनियमावली, 1984

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (ग्यारहवाँ) विनियमावली, 1984 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 8 मई, 1984 से प्रवृत्त होगी।

अनुच्छेद 468 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा अंगीकृत सिविल सर्विस रेगुलेशन्स में, स्तम्भ–1 में दिये गये अनुच्छेद 468 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया अनुच्छेद रख दिया जायगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
468. The amount of pension that may be granted is determined by length of service as set-forth in Articles 474 to 485. Frractions of a year equal to six month and above shall be treated as a completed six monthly period for the purpose of calculating of any pension admissible under these Regulations.	468–पेंशन की धनराशि जो स्वीकृति की जाय, सेवा की अवधि के आधार पर अवधारित की जाती है। अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना करने में, किसी अर्द्ध वर्ष के भाग को जो तीन मास या इससे अधिक के बराबर हो, पूरा अर्द्ध वर्ष समझा जायेगा और उसे अर्हकारी सेवा के रूप में गिना जायेगा।

आज्ञा से,

जे0 पी0 सिंह

वित्त सचिव।

टिप्पणी :– उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त होने के लिए यथा अंगीकृत सिविल सर्विस रेगुलेशन्स (भाग–1, 4 और 10) नामक हस्तपुस्तिका (प्रथम संस्करण) 30 अप्रैल, 1970 तक ठीक करके प्रकाशित की गयी थी। बाद में उसमें निम्नलिखित संशोधन किय गये :–

(1) अधिसूचना संख्या सा–3–1932/दस–915–73, दिनांक 1 नवम्बर, 1973।
(2) अधिसूचना संख्या सा–3–1732/दस–914–73, दिनांक 13 नवम्बर, 1973।
(3) अधिसूचना संख्या सा–3–234/दस–904(1)–62, दिनांक 7 अक्टूबर, 1974।
(4) अधिसूचना संख्या सा–3–754/दस–917–74, दिनांक 11 जून, 1975।
(5) अधिसूचना संख्या सा–3–3159/दस–904(9)–60, दिनांक 6 अक्टूबर, 1975।
(6) अधिसूचना संख्या सा–3–1476/दस–52–74, दिनांक 5 जून, 1976।
(7) अधिसूचना संख्या सा–3–1928/दस–908–70, दिनांक 8 अक्टूबर, 1976।
(8) अधिसूचना संख्या सा–3–565/दस–912(3)–74, दिनांक 20 अप्रैल, 1977।
(9) अधिसूचना संख्या सा–3–2133/दस–904–78, दिनांक 29 दिसम्बर, 1980।
(10) अधिसूचना संख्या सा–3–79/दस–909–79, दिनांक 19 जनवरी, 1983।

––––

संख्या सा–3–882/दस–910–84

प्रेषक,

श्री हरगोविन्द डबराल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 9 मई, 1985

विषय :– भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन प्रदत्त सेवा के पेंशनीय भार का विभाजन।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा–3–1239/दस–917–79, दिनांक 13 सितम्बर, 1982 में यह आदेश जारी किये गये थे कि यदि राज्य सरकार का कोई अस्थायी कर्मचारी प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से भारत सरकार के अधीन सेवा ग्रहण कर लेता है और अन्ततः वहीं स्थायी हो जाता है तो उसके द्वारा इस शासन के अधीन अर्पित अस्थाई सेवा का लाभ उसकी पेंशन हेतु भारत सरकार के अधीन दिया जायेगा बशर्ते कि उसने उक्त सेवा ग्रहण करने हेतु उचित माध्यम से आवेदन किया हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे अनुमति प्रदान कर दी गई हो। यदि किसी प्रशासनिक कारणों से अथवा तकनीकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उसे अपने अस्थाई पद से त्याग–पत्र देना पड़ा हो और त्याग–पत्र स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाण–पत्र दे दिया गया हो कि ऐसा त्याग–पत्र उचित अनुमति से प्रशासनिक कारणों से अथवा किसी तकनीकी आवश्यकता की पूर्ति के लिये नये पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिये दिया गया था तो ऐसे मामलों में भी त्याग–पत्र से पूर्व की सेवा का लाभ दिया जा सकेगा। इसके विपरीत स्थायी कर्मचारियों के मामलों में समान परिस्थितियों में अपने पद से त्याग–पत्र देकर भारत सरकार के अधीन नई नियुक्ति ग्रहण कर लेने पर त्याग–पत्र से पूर्व की सेवा का लाभ नहीं दिया जाता है।

2–इस सम्बन्ध में भारत सरकार का परामर्श भी प्राप्त किया गया है और तदनुसार शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अस्थायी कर्मचारी के समान उपरोक्त शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर, 1982 में जारी आदेशों का लाभ स्थायी कर्मचारियों के मामलों में भी समस्त परिस्थितियों में दिया जायेगा।

भवदीय,

हरगोविन्द डबराल

विशेष सचिव।

संख्या सा–3–672 / दस–85–911–85

प्रेषक,

श्री हरगोविन्द डबराल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 13 जून, 1985

विषय :–अनन्तिम पेंशन पर राहत की स्वीकृति।

महोदय,

सरकारी सेवकों की सेवा निवृत्ति पर देय पेंशन पर राहत का भुगतान शासन द्वारा स्वीकृत दरों पर किया जाता है और उक्त राहत का आगणन करने हेतु रेडीरेकनर भी जारी किया जाता है जिसकी सहायता से आसानी से देय राहत की धनराशि आकलित हो जाती है। शासन के सम्मुख यह बात लायी गयी है कि कुछ विभागों द्वारा अनन्तिम पेंशन की धनराशि पर राहत का भुगतान किया जाता है परन्तु कुछ विभागों द्वारा नहीं किया जाता है। पेंशन पर देय राहत के सम्बन्ध में जारी होने वाले आदेशों में अनन्तिम एवं अन्तिम पेंशन में विभेद नही किया गया है। उपरोक्त स्थिति में शासन द्वारा विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अनन्तिम पेंशन पर भी राहत अनुमन्य होगी। अतः उसको समय समय पर पेंशन पर राहत के लिये जारी किये गये रेडीरेकनर के आधार पर स्वीकृत करके भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
हरगोविन्द डबराल
विशेष सचिव।

———–

<u>संख्या सा–3–489 / दस–913–87</u>

प्रेषक,

वेद प्रकाश अग्रवाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांक 16 मई, 1987

विषय :– पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर उनकी जीवन कालीन पेंशन के अवशेष का भुगतान किये जाने हेतु नामांकन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या ए–1–1428 / दस–3(4)–1962, दिनांक 23 मई, 1962 तथा संख्या सा–3– 1660 / दस–2013–83, दिनांक 22 दिसम्बर, 1983 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की जानकारी में अब भी ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें पेंशनर्स द्वारा अपनी जीवन कालीन पेंशन के हेतु कोई नामांकन नहीं किया गया है जिससे पेंशनरों के परिवार को कठिनाई होने के साथ–साथ अनावश्यक पत्र व्यवहार भी करना पड़ता है।

सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर पेंशन स्वीकृति के लिऐ भरे जाने वाले प्रपत्रों में प्रपत्र संख्या 3 में उपरोक्त नामांकन के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध है और पेंशन प्रकरण को अग्रसारित करते समय इसे अवश्य चेक कर लिया जाना चाहिये। इसी प्रकार उपरोक्त शासनादेश दिनांक 23 मई, 1962 में जारी आदेशों के अनुसार वर्तमान पेंशनरों से, यदि उन्होंने नामांकन पत्र नहीं भरा है तो नामांकन कराया जा सकता है।

2–अतएव आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 23 मई, 1962 तथा 22 दिसम्बर, 1983 में जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
वेद प्रकाश अग्रवाल
संयुक्त सचिव।

––––

संख्या सा–3–1019/दस–932–87

प्रेषक,

श्री सोम दत्त त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 28 मई, 1987

विषय :–माह नवम्बर 1986 में कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को पेंशन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग 4 से जारी शासनादेश संख्या 4229/का–4–45–ई0एम0–86, दिनांक 5/6 दिसम्बर, 1986 में यह आदेश जारी किये गये थे कि हड़ताल पर गये कर्मचारियों/अधिकारियों को माह नवम्बर, 1986 के सम्पूर्ण देय वेतन का भुगतान कर दिया जाये किन्तु इसमें से हड़ताल की अवधि के वेतन के बराबर धनराशि अग्रिम के रूप मे मानी जायेगी और इसके समायोजन के संबंध में बाद में आदेश निर्गत किये जायेंगे। चूंकि इस संबंध में अभी तक अन्तिम आदेश जारी नहीं हो सके है और इस बीच सेवा निवृत्त हो चुके सरकारी सेवकों के नैवृत्तिक लाभों के निर्धारण में कठिनाई हो रही है। अतः इस समस्या के समाधान के लिये शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन/ग्रेच्युटी के आगणन हेतु हड़ताल की अवधि को अनन्तिम रूप से अर्हकारी सेवा में शामिल कर लिया जायेगा और अन्तिम 10 माह के औसत का वेतन आगणन करने में यदि उक्त अवधि का कोई अंश आता है तो उसे भी अनन्तिम रूप से सम्मिलित करके औसत परिलब्धियों का आगणन कर लिया जायेगा जिसके आधार पर पेंशन का आगणन किया जायेगा। इस प्रकार आगणित पेंशन/ग्रेच्युटी अनन्तिम रूप से स्वीकृत कर दी जायेगी जो तब तक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में लागू रहेंगे जब तक इस मामले में अन्तिम निर्णय ले लिया जाय। जिन मामलों में इस व्यवस्था के अनुसार अनन्तिम पेंशन स्वीकृत की जायेगी उनमें सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक से संलग्न प्रपत्र पर एक धोषणा पत्र भी भरा लिया जायेगा।

भवदीय,
सोमदत्त त्यागी
विशेष सचिव।

<u>घोषणा पत्र</u>

मै श्री ....एतद्द्वारा स्वीकार करता हूं कि मुझे जो पेंशन/ग्रेच्युटी तथा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक की धनराशियां स्वीकृत की जानी हैं वे अनन्तिम होंगी और मैं यह भलीभांति समझता हूं कि उक्त पेंशन/ग्रेच्युटी तथा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक की धनराशियां मुझे नियमानुसार देय सीमा से अधिक पाये जाने पर पुनरीक्षित की जा सकती हैं जिसके लिये मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मै यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि मुझे कोई अधिक भुगतान हो गया है तो मै उसे वापस कर दूंगा।

दिनांक :

सेवानिवृत्त होने वाले सेवक के हस्ताक्षर।
पद नाम ....

———

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

———

संख्या सा–3–1168/दस–935–87
लखनऊ, दिनांक 22 जून, 1987

———

कार्यालय–ज्ञाप

विषय :– 1 जनवरी, 1986 अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/मृतक राज्य कर्मचारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के आगणन का सरलीकरण/उदारीकरण।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1 जनवरी, 1986 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों तथा सेवारत मृत्यु हो जाने वाले सरकारी सेवकों के परिवारों के लिये पेंशन/पारिवारिक पेंशन के आगणन की प्रक्रिया तथा दरों में निम्न संशोधन किये हैं :–

लागू करने की तिथि–

2–1 यह आदेश उन सरकारी सेवकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संबंध में लागू होंगे जो 1 जनवरी, 1986 अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त हुए हो अथवा जिनकी मृत्यु 1 जनवरी, 1986 अथवा उसके उपरान्त हुई हो। जो सरकारी सेवक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत्यु हो चुके थे उनके सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

2.2–1 जनवरी, 1986 के बाद सेवानिवृत्त अथवा मृतक सरकारी सेवकों के जिन मामलों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन निर्धारित की जा चुकी है उन्हें इन आदेशों के अनुसार पुनरीक्षित कर दिया जायेगा।

परिलब्धियाँ–

3.1–इस कार्यालय–ज्ञाप के अन्तर्गत पेंशनरों एवं मृत्यु संबंधी समस्त लाभों के आगणन हेतु परिलब्धियों का अभिप्राय मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित मूल वेतन से होगा। पेंशन का आगणन सेवानिवृत्ति के पूर्व ठीक 10 माह के औसत के आधार पर किया जायेगा तथा अन्य पेंशनरी लाभों के आगणन हेतु परिलब्धियों का अभिप्राय मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित अन्तिम आहरित मूल वेतन से होगा।

3.2–पेंशनीय लाभों के आगणन हेतु उपरोक्त प्रस्तर 3.1 के अनुसार आगणित परिलब्धियों में मंहगाई के 608 मूल्य सूचकांक के बराबर मंहगाई भत्ता जो शासनादेश संख्या वे0आ0 715/दस–66 (एम)–1982, दिनांक 1 अप्रैल, 1986 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था को भी सम्मिलित किया जायेगा। साथ ही शासनादेश संख्या वे0आ0 312/ दस–7(एम)–84, दिनांक 6 फरवरी, 1985, संख्या वे0आ0

1–2425/दस–7(एम)–84, दिनांक 15 अक्टूबर, 1985 तथा संख्या वे0आ0 1–742/दस–7(एम)–84, दिनांक 1 अप्रैल, 1986 के अन्तर्गत स्वीकृत तदर्थ मंहगाई भत्ते को भी यथास्थिति सम्मिलित किया जायेगा। उसके अतिरिक्त पेंशन के आगणन हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1986 के उपरान्त स्वीकृत अन्तरिम सहायता की किस्तों को भी सम्मिलित किया जायेगा। औसत परिलब्धियों के आगणन हेतु मंहगाई भत्ते/तदर्थ मंहगाई भत्ते तथा अन्तरिम सहायता का आगणन सेवानिवृत्ति के पीछे के 10 मासों के औसत के आधार पर किया जायेगा। 1 जनवरी, 1986 के पूर्व के मासों के लिये देय 568 मूल्य सूचकांक के बराबर मंहगाई भत्ते को ही परिलब्धियों में जोड़ा जायेगा।

4.1–10 वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन के स्थान पर सर्विस ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी जिसकी दर प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की सेवा के लिये आधे माह की परिलब्धियों के बराबर होगी।

4.2–पेंशन का आगणन 1 जनवरी, 1986 के पूर्व लागू स्लैब सिस्टम के बजाय औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा और उसका अधिकतम 4,500 रु0 होगा।

अतिरिक्त पेंशन के आधार पर राशिकरण–

5.1–इन आदेशों के अन्तर्गत किये गये पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप यदि पेंशन में वृद्धि हुई हो तो उस वृद्धि के एक तिहाई के आधार पर राशिकरण की धनराशि भी पुनरीक्षित की जा सकती है और अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किया जा सकता है।

डेथ–कम–रिटायरमेंट ग्रेच्युटी–

6.1–वर्तमान में अनुमन्य डेथ–कम–रिटायरमेंट ग्रेचुटी के स्थान पर रिटायरमेंट ग्रेच्युटी तथा डेथ ग्रेच्युटी के अलग–अलग प्राविधान किये जाते हैं। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी केवल उन्ही सरकारी सेवकों को अनुमन्य होगी जिन्होंने 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की धनराशि अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 1/4 के बराबर होगी तथा जिसका अधिकतम परिलब्धियों के 16–1/2 गुने के बराबर होगा, अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की धनराशि रुपया एक लाख से अधिक नहीं होगी। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के आगणन हेतु ली जाने वाली परिलब्धियों को कोई अधिकतम सीमा नहीं रहेगी।

6.2–सेवारत मृत्यु होने की दशा में डेथ ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी जिसकी दरें निम्नवत् होंगी :–

सेवा अवधि		डेथ ग्रेच्युटी की दर
1–एक वर्ष से कम	. .	परिलब्धियों का दो गुना।
2–एक वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम		परिलब्धियों का 6 गुना।
3–5 वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम		परिलब्धियों का 12 गुना।
4–20 वर्ष या उससे अधिक	. .	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये परिलब्धियों के आधे के बराबर जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर होगी, अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी होगा कि ग्रेच्युटी की धनराशि किसी भी दशा में एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

आगणन योग्य परिलब्धियों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

पारिवारिक पेंशन–

पारिवारिक पेंशन की दरें निम्नवत् होंगी। इन दरों में 608 मूल्य सूचकांक के बराबर मंहगाई भत्ते को सम्मिलित कर लिया गया है :–

मूल वेतन प्रतिमाह		**पारिवारिक पेंशन की मासिक दर जिसमें 608 मूल्य सूचकांक के बराबर मंहगाई भत्ता सम्मिलित कर लिया गया है**
1–1,500 रु0 से अनधिक	. .	मूल वेतन का 30 प्रतिशत।
2–1,500 रु0 से अधिक किन्तु 3,000 रु0 से अनधिक		मूल वेतन का 20 प्रतिशत जिसका न्यूनतम 450 रु0 प्रतिमाह होगा।
3–3,000 रु0 से अधिक	. .	मूल वेतन का 15 प्रतिशत जिसका न्यूनतम 600 रु0 तथा अधिकतम 1,200 रु0 होगा।

दिनांक 1 जनवरी, 1986 तथा वर्तमान तिथि के बीच सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के संबंध में स्पष्टीकरण

8.1–भारत सरकार द्वारा अपने सेवकों के संबंध में दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा अपने सेवकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण हेतु एक वेतन समिति का गठन किया गया है जिसकी सिफारिशें अभी अपेक्षित हैं। अतः उपरोक्त अवधि में सेवानिवृत्त पेंशनरों की पेंशनों के नये वेतनमानों के आधार पर पुनरीक्षण हेतु वेतन समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी होगी। तदुपरान्त उपरोक्त अवधि में सेवानिवृत्त सभी सरकारी सेवकों को यह विकल्प उपलब्ध कराया जाना होगा कि वे पुराने वेतनमानों के तथा पेंशन के आगणन की तत्समय उपलब्ध व्यवस्था के आधार पर अपनी पेंशन का आगणन करा लें अथवा नये वेतनमानों तथा नयी पेंशन व्यवस्था के आधार पर अपनी पेंशन का आगणन करायें।

8.2–इस अवधि के बीच सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के इस कार्यलय–ज्ञाप के अन्तर्गत प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार पेंशनरी लाभों का पुनरीक्षण सम्बन्धित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि कोई पेंशनर उपरोक्त प्रस्तर 8.1 में उल्लिखित वेतन समिति की सिफारिशों पर वेतनमानों के पुनरीक्षण के पूर्व ही अपनी पेंशन पुनरीक्षित करवाना चाहता है तो उसे यह छूट होगी कि वह अपना प्रार्थना–पत्र उसके पूर्व ही सम्बन्धित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी को भेज दें। पेंशन के पुनरीक्षण हेतु आवश्यक प्रार्थना–पत्र का प्रारूप भी संलग्न है।

9.1–उपरोक्त आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर–सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा निगमों आदि के सेवकों पर स्वतः लागू नहीं समझे जायेंगे। उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

वी0 के सक्सेना
प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

––––––

शासनादेश संख्या .... दिनांक ....

के अन्तर्गत पेंशन पुनरीक्षण का प्रार्थना–पत्र

सेवा में,

.... (महालेखाकार अथवा मुख्य लेखा–
.... अधिकारी का पदनाम एवं पूरा पता)
....

1–प्रार्थी का नाम

2–पिता/पति का नाम

3–सेवानिवृत्ति के समय धारित पद

4–कार्यालय/विभाग का पूरा नाम एवं पता जहाँ से सेवानिवृत्त हुए

5–पी0पी0ओ0 संख्या–

6–स्वीकृत पेंशन की धनराशि–

(i) राशिकरण के पूर्व ....

(ii) राशिकरण के बाद ....

7–कोषागार जहाँ से पेंशन आहरित होती है –

8–पेंशनर की मृत्यु हो जाने की दशा में जीवन कालीन अवशेष पाने वाले का नाम तथा पता

9–क्या अतिरिक्त पेंशन का राशिकरण चाहते हैं :–

भवदीय,

————————

दिनांक .... (पेंशनर का पूरा नाम एवं पता)

———

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–4

———

संख्या सा0–4–1120/दस–87–301–87

लखनऊ, दिनांक 28 जुलाई, 1987

———

कार्यालय–ज्ञाप

विषय :– दिनांक 1–1–86 से पूर्व सेवा निवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन ढांचे का सरलीकरण/अभिनवीकरण।

————

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1–1–86 से पूर्व सेवा निवृत्त/मृत हुए सभी सिविल पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों की पेन्शनों के सरलीकरण/अभिनवीकरण के सम्बन्ध निम्न आदेश प्रदान किये हैं :

उपरोक्त पेंशनरों की पेंशनें एवं पारिवारिक पेंशनें 1–1–86 से निम्न प्रस्तरों में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार पुनर्निर्धारित/विनियमित की जायेंगी। यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों पर (जो उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट रूल्स 1961, नयी पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 तथा शासनादेश संख्या सा–3–969/दस–923/85 दिनांक 8–8–86 के अन्तर्गत स्वीकृत पारिवारिक पेंशन स्कीम के अधीन पारिवारिक पेंशन प्राप्त करते हैं) लागू समझे जायेंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे। उनके सम्बन्ध में संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3–इन आदेशों के अन्तर्गत :

(क) ''वर्तमान पेंशनर'' अथवा ''वर्तमान पारिवारिक पेंशनर'' का तात्पर्य उन पेंशनरों से है जो 31—12—85 को राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन आहरित कर रहे थे या पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार थे।

(ख) ''वर्तमान पेंशन'' का तात्पर्य मूल पेंशन (राशिकृत भाग, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए) जो 31—12—85 को देय थी, से है। 'वर्तमान पेंशन' में 1—4—75 के पूर्व सेवा निवृत्त पेंशनरों को अनुमन्य तदर्थ राहत तथा 31—3—79 के पूर्व सेवा निवृत्त पेंशनरों को 209 रूपये तक की पेंशन पर दी जा रही अस्थायी वृद्धि, तदर्थ वृद्धि तथा अतिरिक्त तदर्थ वृद्धि को भी सम्मिलित कर लिया जायेगा।

(ग) ''वर्तमान पारिवारिक पेंशन'' का तात्पर्य उस मूल पारिवारिक पेंशन से है जो नयी पारिवारिक पेंशन योजना 1965 के अधीन शासनादेश संख्या सा—3—657/दस—900/78 दिनांक 10—5—78 अथवा शासनादेश सं0 सा—3—1563/दस—921/81 दिनांक 3—11—81 में उल्लिखित दरों पर 31—12—85 को अथवा शासनादेश सं0 सा—3—969/X—923/85 दिनांक 8—8—86 से विनियमित पारिवारिक पेंशनरों को 1—5—86 से अनुमन्य थी।

(घ) ''वर्तमान महंगाई राहत'' का तात्पर्य पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई के 608 मूल्य सूचकांक के बराबर मिल रही उस राहत से है जो शासनादेश संख्या सा—4—जीआई—18/दस—86—300/85 दिनांक 6 मई, 1986 के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी थी।

4.1—विभिन्न पेंशनरों के लिए अतिरिक्त राहत :

(क) ऐसे ''वर्तमान पेंशनर'' जो 31—3—79 के पूर्व सेवा निवृत्त हुए तथा उन सरकारी सेवकों के परिवार जो 1—7—79 के पूर्व मरे/सेवा निवृत्त हुए और जिन्हें पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, को अतिरिक्त राहत निम्न दरों पर अनुमन्य होगी :

(i) रू0 500 से अनधिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के मामलों में अतिरिक्त राहत वर्तमान पेंशन तथा वर्तमान राहत के योग के 15 प्रतिशत के बराबर होगी जिसका न्यूनतम रू0 75 होगा।

(ii) रू0 500 से अधिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के मामलों में अतिरिक्त राहत वर्तमान पेंशन [जैसी उपरोक्त प्रस्तर 3 (ख) में परिभाषित है] के 95 प्रतिशत की दर से आगणित नोशनल रिलीफ में से वर्तमान में प्राप्त राहत अर्थात रू0 638 को घटाकर आने वाली धनराशि के बराबर होगी किन्तु यदि ऐसी धनराशि ऋण में हो अथवा रू0 175 से कम हो तो अनुमन्य अतिरिक्त राहत की धनराशि रू0 175 से कम नहीं होगी।

(ख) ऐसे ''वर्तमान पेंशनर'' (पारिवारिक पेंशनरों को छोड़कर) जो 31—3—79 अथवा उसके बाद किन्तु 1—7—79 के पूर्व सेवा निवृत्त हुए के मामलों में अतिरिक्त राहत निम्न दरों पर अनुमन्य होगी :—

(i) रू0 500 से अनधिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के मामलों में अतिरिक्त राहत की धनराशि वर्तमान पेंशन तथा वर्तमान राहत के योग का 10 प्रतिशत होगी किन्तु ऐसी धनराशि रू0 50 से कम नहीं होगी।

(ii) रू0 500 से अधिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के मामलों में अतिरिक्त राहत वर्तमान पेंशन [जैसी उपरोक्त प्रस्तर 3 (ख) में परिभाषित है] के 80 प्रतिशत की दर से आगणित नोशनल रिलीफ में से वर्तमान में प्राप्त राहत अर्थात रू0 538 को घटाकर आने वाली धनराशि के बराबर होगी किन्तु यदि ऐसी धनराशि ऋण में हो अथवा रू0 125 से कम हो तो अनुमन्य अतिरिक्त राहत की धनराशि रू0 125 से कम नहीं होगी।

(ग) ऐसे ''वर्तमान पेंशनर'' जो 1—7—79 को अथवा उसके बाद किन्तु 31—3—85 के पूर्व सेवा निवृत्त हुए तथा उन सरकारी सेवकों के परिवारों को जो 1—7—79 को या उसके बाद मरे/सेवा निवृत्त हुए और जिन्हें पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, अतिरिक्त राहत निम्न दरों पर अनुमन्य होगी :—

(i) रू0 500 से अनधिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के मामलों में अतिरिक्त राहत

वर्तमान पेंशन तथा वर्तमान राहत के योग के 10 प्रतिशत के बराबर होगी जिसका न्यूनतम रू0 50 होगा।

(ii) रू0 500 से अधिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के मामलों में अतिरिक्त राहत वर्तमान पेंशन [जैसी उपरोक्त प्रस्तर 3 (ख) में परिभाषित है] के 65 प्रतिशत की दर से आगणित नोशनल रिलीफ में से वर्तमान में प्राप्त राहत रू0 438 को घटाकर आने वाली धनराशि के बराबर होगी किन्तु यदि ऐसी धनराशि ऋण में हो अथवा रू0 100 से कम हो तो अनुमन्य अतिरिक्त राहत की धनराशि रू0 100 से कम नहीं होगी।

(घ) ऐसे सरकारी सेवकों, को, जो 31–3–85 अथवा उसके उपरान्त किन्तु 31–12–85 तक सेवा निवृत्त हुए अतिरिक्त राहत उपरोक्त पैरा (क), (ख), (ग) के अनुसार अनुमन्य नहीं होगी। ऐसे पेंशनरों की अतिरिक्त राहत की धनराशि रेडी रेकनर के भाग I की तालिका 4 एवं भाग II के स्तम्भ–5 में दर्शायी गयी दर के अनुसार होगी ।

4.2–यदि अतिरिक्त राहत की धनराशि एक रूपये के गुणांक में आगणित होगी तो उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जायेगा।

स्लैब फार्मूले के स्थान पर औसत परिलब्धियों के 50% की दर से पेंशन का पुनर्आगणन।

5. वर्तमान पेंशनर, जिनकी पेंशन स्लैब फार्मूले के अनुसार आगणित है, की पेंशन औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर से पुनर्आगणित की जायेगी। इस प्रकार पुनर्आगणित पेंशन की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। तथापि इस प्रस्तर के अभिप्राय हेतु अर्हकारी सेवा तथा परिलब्धियां जिनके आधार पर मूल रूप से पेंशन आगणित की गयी थी उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायगी तथा इस प्रस्तर के अन्तर्गत अनुमन्य अतिरिक्त पेंशन न तो अतिरिक्त राहत के आगणन हेतु ''वर्तमान पेंशन'' में सम्मिलित की जायगी और न ही उसका कोई राशिकरण किया जा सकेगा।

पेंशन का समेकन (Consolidation)

6.1–वर्तमान पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन, 1-1–86 से, निम्न धनराशियों को सम्मिलित करके समेकित की जायेगी––

(1) वर्तमान पेंशन/वर्तमान पारिवारिक पेंशन,

(2) वर्तमान महंगाई राहत, तथा

(3) उपरोक्त प्रस्तर–4 के अन्तर्गत आगणित अतिरिक्त राहत तथा प्रस्तर–5 के अन्तर्गत स्वीकृत अतिरिक्त पेंशन।

उपरोक्तानुसार आगणित/समेकित धनराशि 1–1–86 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन समझी जायेगी। चूँकि उपरोक्तानुसार आगणित/समेकित पेंशन में पेंशन का राशिकृत भाग सम्मिलित होगा अतः पेंशन का मासिक/नियमित भुगतान करते समय पेंशन के संबंधित राशिकृत भाग को पेंशन की धनराशि से घटा दिया जायेगा।

6.2–ऐसे वर्तमान पेंशनर जो 31–3–85 तथा 31–12–85 के बीच सेवानिवृत्त हुए हों और जिन्हें वैयक्तिक पेंशन स्वीकृत की गयी हो, के मामलों में वैयक्तिक पेंशन पृथक से अनुमन्य होती रहेगी और ऐसी वैयक्तिक पेंशन को उपरोक्त प्रस्तर 6.1 के प्रयोजन हेतु पेंशन का भाग नहीं माना जायेगा।

6.3–चूंकि उपरोक्त प्रस्तर 6.1 में किये गये पेंशन/पारिवारिक पेंशन के समेकन में महंगाई के 608 औसत मूल्य सूचकांक के वराबर महंगाई राहत को सम्मिलित कर लिया गया है अतः 1–1–86 के उपरान्त 608 औसत मूल्य सूचकांक के आगे की महंगाई के लिये शासनादेश संख्या सा–4–1121/दस–301–87 दिनांक 28 जुलाई, 1987 में निर्धारित पुनरीक्षित योजना के अन्तर्गत तथा उसमें अनुमन्य दरों के अनुसार ही महंगाई राहत अनुमन्य होगी। महंगाई राहत की जो किस्तें शासनादेश संख्या सा–4–1084/दस–86–300–85 दिनांक 21–7–86, शासनादेश संख्या सा–4–1523/दस–86–300–85 दिनांक 8–10–86 तथा शासनादेश संख्या सा–4–1816/ दस–86–300–85 दिनांक 18–12–86 के अन्तर्गत क्रमशः 1–4–86, 1–6–86 तथा 1–7–86 से स्वीकृत की गयी थी उनकी

धनराशि शासनादेश संख्या सा–4–1121/दस– 87–301/87 दिनांक 28 जुलाई, 1987 के अन्तर्गत स्वीकृत महंगाई राहत की धनराशि से समायोजित कर ली जायेगी।

सेवायोजित/पुनर्योजित पेंशनर

7. सेवायोजित/पुनर्योजित पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशनों/पारिवारिक पेंशनों पर वर्तमान में महंगाई राहत अनुमन्य नहीं है। उनके मामलों में अतिरिक्त राहत की गणना हेतु नोशनल महंगाई राहत की उस धनराशि को आधार माना जायेगा जो उन्हें उस दशा में अनुमन्य होती यदि वे सेवा निवृत्ति के उपरान्त सेवायोजित/पुनर्योजित नहीं हुए होते और उसी के अनुसार उपरोक्त प्रस्तर 6.1 के अन्तर्गत उनकी पेंशन का समेकन किया जायगा। दिनांक 1–1–86 से उनका वेतन उपरोक्तानुसार आगणित समेकित पेंशन के परिप्रेक्ष्य में पुनःनिर्धारित किया जायगा। दिनांक 1-1–86 के उपरान्त होने वाली मूल्य वृद्धि से संबंधित महंगाई राहत भी उन्हें सेवायोजन/पुनर्योजन की अवधि में अनुमन्य नहीं होगी।

पारिवारिक पेंशन का पुनर्आगणन

8.1–पारिवारिक पेंशन की दो दरें होती है––(1) सामान्य दर और (2) बढ़ी हुई दर जो सरकारी सेवक/पेंशनर की मृत्यु के बाद प्रथम 7 वर्ष तक अथवा उसकी 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने के दिनांक तक, यदि वह जीवित रहता, जो भी पहले हो, अनुमन्य होती है। इस आदेश के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन का समेकन निम्न विधि से किया जायगा :–

(क) जिन मामलों में पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर आहरित की जा रही है उनमें से 1–7–79 के पूर्व सेवा निवृत्त अथवा मृतक सरकारी सेवकों के परिवारों की पारिवारिक पेशन में जोड़ी जाने वाली अतिरिक्त राहत की धनराशि वह होगी जो उपरोक्त प्रस्तर 4(क) के अन्तर्गत अनुमन्य है। ऐसे सरकारी सेवकों के मामलों में जो 1–7–79 तथा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा मरे हैं, के परिवारों की पारिवारिक पेंशन में उपरोक्त प्रस्तर 4(ग) के अन्तर्गत अनुमन्य अतिरिक्त राहत जोड़ी जायगी तथा दोनों दशाओं में इस प्रकार आगणित अतिरिक्त राहत को जोड़ते हुए उपरोक्त प्रस्तर 6.1 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पारिवारिक पेंशन का समेकन किया जायेगा।

(ख) उन मामलों में जिनमें पारिवारिक पेंशन शासनादेश संख्या सा–3–657/दस–900/78 दिनांक 10–5–78 के अन्तर्गत मृत्यु के बाद पहले सात वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने के दिनांक तक, यदि वह जीवित रहता, जो भी पहले हो, बढ़ी हुई दर पर मिलती है, की पेंशन का समेकन बढ़ी हुई दर तथा साधारण दर दोनों पर उपरोक्त प्रस्तर 6.1 सपठित प्रस्तर 8.1(क) के अनुसार अलग अलग किया जायगा। जिससे सामान्य दर पर आगणित पारिवारिक पेंशन, बढ़ी हुई पर मिलने वाला पारिवारिक पेंशन की अवधि की समाप्ति पर, तुरन्त प्रारम्भ हो जाय। पारिवारिक पेंशन के समेकन हेतु वास्तविक पारिवारिक पेंशन की दोनों धनराशियों पर अतिरिक्त राहत अलग अलग निकाली जायगी।

8.2–ऐसे मामलों में जिनमें संबंधित पेंशनर 1–1–86 को जीवित था और जिसके पेंशन भुगतान आदेश पर पारिवारिक पेंशन की सामान्य तथा बढ़ी हुई दोनों दरें अंकित हैं, की पारिवारिक पेंशन का उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित विधि के अनुसार पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा ही समेकन कर के पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन की दोनों दरों का उल्लेख पेंशन भुगतान आदेश के दोनों अर्ध भागों (हाब्स) पर कर दिया जायेगा। पारिवारिक पेंशन की पुनरीक्षित दरें संबन्धित पेंशनर की मृत्यु के उपरान्त लागू हो जायेंगी।

8.3–(क) शासनादेश संख्या सा–3–969/दस–923/85 दिनांक 8–8–86 द्वारा राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवकों के परिवारों को भी जो दिनांक 31–3–65 अथवा उसके पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत हो चुके हैं अथवा जिन्हें नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं थी, दिनांक 1–5–86 से पारिवारिक पेंशन अनुमन्य की गयी है। इस श्रेणी के पारिवारिक पेंशनरों को राहत उन्ही दरों पर अनुमन्य है जो दिनांक 1–7–79 अथवा उसके पूर्व सेवा निवृत्त/मृत सरकारी सेवकों के परिवारों के लिये अनुमन्य है। ऐसे पेंशनरों को पारिवारिक पेंशन के समेकन के प्रयोजन हेतु उनकी मूल

पारिवारिक पेंशन की धनराशि में शासनादेश संख्या सा–4–जी0आई0–18 / दस–86–300 / 85 दिनांक 6–5–86 के अन्तर्गत राहत (जो 608 मूल्य सूचकांक के बराबर है) तथा ऐसी अतिरिक्त राहत की धनराशि सम्मिलित की जायेगी जो उपरोक्त प्रस्तर 4.1 (क) (1) में उल्लिखित सिद्धान्त के अनुसार आगणित की गयी हो और इस प्रकार समेकित धनराशि को 1–5–86 से पारिवारिक पेंशन समझा जायेगा।

(ख) चूंकि उपरोक्तानुसार समेकित पारिवारिक पेंशन की धनराशि में मंहगाई के 608 औसत मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई राहत को सम्मिलित कर लिया गया है अतः उससे आगे मूल्य वृद्धि के लिये शासनादेश संख्या सा–4–1121 / दस–87–301 / 87 दिनांक 28 जुलाई, 1987 के अन्तर्गत निर्धारित पुनरीक्षित योजना के अन्तर्गत तथा उसमें अनुमन्य दरों के अनुसार ही महंगाई राहत अनुमन्य होगी। महंगाई राहत की जो किस्तें शासनादेश संख्या सा–4–1084 / दस–86–300–85 दिनांक 21–7–86, शासनादेश संख्या सा–4–1523 / दस–86–300–85 दिनांक 8–10–86 तथा शासनादेश संख्या सा–4–1816 / दस–86–300–85 दिनांक 18–12–86 के अन्तर्गत क्रमशः 1–4–86–1–686 तथा 1–7–86 से स्वीकृत की गयी थी उनकी धनराशि शासनादेश संख्या सा–4–1121 / दस–87–301 / 87 दिनांक 28 जुलाई, 1987 के अन्तर्गत स्वीकृत महंगाई राहत की धनराशि से समायोजित कर ली जायगी।

9. राज्य सरकार के ऐसे सेवकों के मामलों का, जिनमें राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत संबंधित सरकारी सेवकों द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं में स्थायी संविलयन ले लिया गया हो, निम्न प्रकार विनियमित किया जायेगा।

(क) पेंशन

उन स्थायी संविलयन के मामलों में, जिनमें संबंधित सरकारी सेवक राज्य सरकार से अपनी पेंशन पृथक से आहरित कर रहा हो उसकी पेंशन इन आदेशों के अनुसार पुनरीक्षित कर दी जायगी। उन मामलों में जिनमें संबंधित सरकारी सेवक के पेंशनरी लाभों का भुगतान, एक मुश्त में, संबंधित सरकारी सेवक / संस्था को कर दिया गया हो, इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन का पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

(ख) पारिवारिक पेंशन

सार्वजनिक उपक्रमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं में संविलीन हुए जिन सरकारी सेवकों के सविलयन की शर्तों में पारिवारिक पेंशन अनुमन्य की गयी है उनकी पारिवारिक पेंशन की धनराशि इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरीक्षित कर दी जायेगी।

10.1–उपरोक्त आदेशों के कार्यान्वयन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

(क) रू0 500 से अनधिक पेंशन / पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के मामलों में इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन / पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु समस्त पेंशन भुगतान अधिकारियों अर्थात् कोषाधिकारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जो पेंशन का भुगतान करते हैं, एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है। इस श्रेणी के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशनों / पारिवारिक पेंशनों के पुनरीक्षण हेतु कोई पत्र / आवेदन महालेखाकार अथवा अन्य पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करने वाले अधिकारी को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन / पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु कोषाधिकारियों / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सुविधा के लिये एक रेडी रेकनर संलग्न किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की वर्तमान पेंशन तथा समेकित पेंशन जो 1–1–86 से देय है, इंगित कर दी गयी है। यदि कोई पेंशनर एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है तो उनका पुनरीक्षण पृथक–पृथक किया जायेगा और पेंशन भुगतान अधिकारी द्वारा उनको तदनुसार भुगतान किया जायगा। पेंशन भुगतान अधिकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रत्येक पेंशन भुगतान प्राधिकार पत्र (पी0पी0ओ0) के दोनों अर्धभागों (हाब्स) पर पुनरीक्षित पेंशन की धनराशि अंकित कर दी जायेगी। उपरोक्तानुसार आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन की सूचना पेंशन भुगतान अधिकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा

महालेखाकार/मुख्य लेखाअधिकारी को भी, जैसी स्थिति हो, प्रारूप III पर दी जायेगी जिससे वे उसकी सूचना पेंशन पेमेन्ट आर्डर रजिस्टर में अंकित कर लें। पेंशन भुगतान अधिकारी महालेखाकार/पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गतकर्ता अधिकारी को भेजी गयी उपरोक्त सूचना की प्राप्ति भी स्वीकार करवा लें।

(ख) ऐसे पेंशनर जो रू0 500 से अधिक पेंशन पाते है, की पेंशनों का समेकन दो चरणों में किया जायगा :

(1) प्रथम चरण में संबंधित पेंशन भुगतान अधिकारियों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संबंधित पेंशनरों के पी0पी0ओ0 (दोनों अर्ध भागों) पर संलग्न रेडी रेकनर के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन अंकित कर दी जायगी और तदनुसार भुगतान किया जायगा। इस हेतु संबंधित पेंशनर को महालेखाकार/मुख्य लेखाधिकारी को किसी आवेदन–पत्र के देने की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) द्वितीय चरण में संबंधित पेंशनरों को अपनी पेंशनों के उपरोक्त प्रस्तर 5 के अन्तर्गत पुनर्निधारण हेतु महालेखाकार अथवा अन्य पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गतकर्ता अधिकारी को, जैसी स्थिति हो, संलग्न प्रारूप I पर एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त महालेखाकार अथवा संबंधित पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गतकर्ता अधिकारी संबंधित पेंशनर की पेंशन की धनराशि का प्रस्तर–5 के अनुसार पुनरीक्षण करेंगे और उसकी सूचना संलग्न प्रारूप II पर संबंधित कोषाधिकारी/बैंक को भेजेंगे। इस सूचना की प्राप्ति के बाद संबंधित कोषाधिकारी/बैंक पी0पी0ओ0 के दोनों अर्ध भागों पर पुनरीक्षित पेंशन का उल्लेख कर देंगे और उपरोक्त उप प्रस्तर 10.1 (ख) (1) के अन्तर्गत पुनरीक्षित तथा उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित दोनों धनराशियों की सूचना संलग्न प्रारूप III पर महालेखाकार/मुख्य लेखाकारी को इस आशय से प्रेषित कर देंगे कि वे उसे पेंशन पेंमेन्ट आर्डर रजिस्टर में अंकित कर लें। पेंशन भुगतान अधिकारी महालेखाकार/पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गतकर्ता अधिकारी को भेजी गई उपरोक्त सूचना की प्राप्ति भी स्वीकार करवा लें।

10.2–यदि किसी मामले में, चाहे वह रू0 500 से कम पेंशन पाने वाले पेंशनर का हो अथवा उससे अधिक पेंशन पाने वाले पेंशनर का हो, पेंशन भुगतान प्राधिकारी को कोई संदेह हो या पेंशनर द्वारा विवाद उत्पन्न किया जाय तो उन्हें ऐसे मामलों को महालेखाकार अथवा पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी को संदर्भित करना होगा।

वी0 के0 सक्सेना
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं
कार्यालयाध्यक्ष, उ0 प्र0।

(2) समस्त कोषाधिकारी, उ0 प्र0।

(3) समस्त जिला अधिकारी, उ0 प्र0।

प्रारूप–1

(यह प्रार्थना–पत्र केवल उन्ही पेंशनरों द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा जिनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व 10 माह की औसत परिलब्धियां रू0 1,000 से अधिक रहीं हों)

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा) द्वितीय
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
अथवा
मुख्य लेखा अधिकारी (या अन्य पदनाम जिससे विभागीय मुख्य लेखा अधिकारी विभाग में जाने जाते हो)
....
....

विषय– शासनादेश संख्या सा–04–1120/दस–87–301–87 दिनांक 28 जुलाई, 1987 के प्रस्तर–5 के अन्तर्गत औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर से पेंशन का पुनर्आगणन

———————

महोदय,

मेरा विवरण निम्नवत् हैः–

1–नाम (पूरा नाम)..

2–कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष का पद नाम एवं पता जहां से सेवानिवृत्त हुआ..................................
....

3–महालेखाकार/मुख्य लेखाधिकारी द्वारा निर्गत पी0पी0ओ0संख्या...

4–मासिक पेंशन (राशिकरण की धनराशि को सम्मिलित करते हुए)..

5–कोषागार/बैंक का नाम (जहां से पेंशन प्राप्त की जा रही है) ....
....

मेरा अनुरोध है कि उपरिलिखित शासनादेश के प्रस्तर–5 के प्राविधानों के अनुसार मेरी वर्तमान पेंशन का पुनरीक्षण करने की कृपा करें और...

कोषाधिकारी/प्रबन्धक...(उस कोषागार का नाम/बैंक का नाम जहां से पेंशन आहरित की जा रही हो) को तद्नुसार सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
प्रार्थी, पेंशनर के हस्ताक्षर।

———

प्रारूप–II

प्रेषक,

1–महालेखाकार (लेखा) द्वितीय
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

2–..(मुख्य लेखाधिकारी अथवा अन्य पेंशन प्राधिकार–पत्र निर्गत कर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम एवं पता)

....

सेवा में,

....(कोषाधिकारी/बैंक का नाम एवं पता)

....

संख्या..दिनांक..

विषय – शासनादेश संख्या सा–4–1120/दस–87–301–87 दिनांक 28 जुलाई, 1987 के प्रस्तर 5 के अन्तर्गत पुनरीक्षित पेंशन की धनराशि की सूचना।

———————

महोदय,

श्री...(पेंशनर का नाम.. ....(पेंशनर का पूरा पता) जिनकी पी0पी0ओ0 संख्या ....है ने इस कार्यालय को उपरिलिखित शासनादेश के प्रस्तर–5 के अन्तर्गत अपनी पेंशन के पुनर्निर्धारण के लिए आवेदन किया है। उनकी वर्तमान पेंशन रु0 ....है। एवं उपरोक्त प्रस्तर–5 के अन्तर्गत पुनरीक्षण के उपरान्त दिनांक 1 जनवरी, 1986 से उसकी धनराशि रु0...हो जायेगी।

आप कृपया सम्बन्धित पेंशनर को तद्नुसार उसकी पेंशन का भुगतान करने का कष्ट करें और उपरिलिखित शासनादेश के प्रस्तर–10.1(क) तथा 10.1 (ख) (1) व (2) के अन्तर्गत पुनरीक्षित धनराशि की सूचना प्रारूप III पर इस कार्यालय को अविलम्ब भेजने का कष्ट करें।

भवदीय,

( )

मुख्य लेखाधिकारी, लेखाधिकारी
महालेखाकार कार्यालय।

कार्यालय महालेखाकार अथवा मुख्य लेखाधिकारी (सम्बन्धित विभाग)
संख्या.......................................तद्दिनांक

————————

प्रतिलिपि श्री/श्रीमती..
(पेंशनर का नाम व पता) को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

( )

लेखाधिकारी, महालेखाकार कार्यालय अथवा
मुख्य लेखाधिकारी (सम्बन्धित विभाग)

प्रारूप–III

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय,
पेंशन विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

अथवा

मुख्य लेखाधिकारी (या अन्य पद नाम जिससे विभागीय
मुख्य लेखाधिकारी विभाग में जाने जाते हों)

विषयः– शासनादेश संख्या सा–4–1120/दस–87–301–87 दिनांक 28 जुलाई, 1987 के प्रस्तर–10.1 (क) व 10.1 (ख) (1) तथा (2) के अनुदेशों के अनुपालन में पुनरीक्षित पेंशन की सूचना।

———————

महोदय,

शासनादेश संख्या सा–4–1120/दस–87–301–87 दिनांक 28 जुलाई, 1987 के प्रस्तर–10.1 (क) व 10.1 (ख) (1) तथा (2) के अनुदेशों के अनुपालन में श्री/श्रीमती.. धारक पी0पी0ओ0/एफ0पी0पी0ओ0 संख्या ....की पुनीरीक्षित पेंशन का समेकन आपको सूचित किया जाता है, जो निम्नलिखित हैः–

	रु0
1–वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन	''
2–रेडीरेकनर में दर्शायी गई समेकित/पुनरीक्षित पेंशन की धनराशि	''
3–शासनादेश के प्रस्तर 5 के अन्तर्गत स्वीकृत अतिरिक्त पेंशन	''
4–कुल योग	''

भवदीय,
कोषाधिकारी (अथवा अन्य पेंशन
भुगतानकर्ता अधिकारी)

————

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

—————

संख्या सा–3–2230/दस–935–87
लखनऊ, दिनांक 7 नवम्बर, 1987

—————

कार्यालय–ज्ञाप

विषय :– दिनांक 1 जनवरी, 1986 अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/मृतक राज्य कर्मचारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के आगणन का सरलीकरण/उदारीकरण।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3– 1168/दस–935–87, दिनांक 22 जून, 1987 में जारी किये गये आदेशों के संदर्भ में कार्यालयाध्यक्षों द्वारा कतिपय शंकायें उठायी गयी हैं। उक्त कार्यालय–ज्ञाप के संदर्भ में कतिपय शंकाओं का निराकरण कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1871/दस–935–87, दिनांक 20 अगस्त, 1987 में पहले भी किया जा चुका है और उसी अनुक्रम में अब उठाई गयी शंकाओं के सम्बन्ध में पुनः स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की जाती हैं :–

शंका	समाधान
1–उपरोक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 22 जून, 1987 के प्रस्तर–7 के संदर्भ में यह शंका उठाई गई है कि पारिवारिक पेंशन के आगणन हेतु वेतन में 608 मूल्य सूचकांक के बराबर मंहगाई भत्ते को भी शामिल किया जायेगा अथवा नहीं।	उक्त कार्यालय–ज्ञाप के पैरा 3.2 में पेंशनीय लाभों के आगणन हेतु परिलब्धियों की व्याख्या की गई है जिसके अनुसार पेंशनीय लाभों के आगणन हेतु 608 मूल्य सूचकांक के बराबर मंहगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता की किस्तों को भी यथास्थिति वेतन के साथ सम्मिलित किया जायेगा। अतएव पारिवारिक पेंशन का आगणन भी तदनुसार किया जायेगा।
2–क्या प्रथम 7 वर्ष तक के लिये सामान्य दर पर आगणित पारिवारिक पेंशन के दो गुने के बराबर पारिवारिक पेंशन देने की पूर्व व्यवस्था लागू रहेगी।	इस संबन्ध में कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1871/दस–935–87, दिनांक 20 अगस्त, 1987 में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है कि उक्त व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी।
3–जिन सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्ति के पूर्व 10 माह की औसत परिलब्धियों के आगणन में कुछ अवधि 1 जनवरी, 1986 के पूर्व की है तो क्या उक्त अवधि के लिये भी 608 मूल्य सूचकांक के बराबर ही मंहगाई भत्ता जोड़ा जायेगा।	इस बिन्दु पर भी कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 20 अगस्त, 1987 में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है कि ऐसी अवधि के लिए 568 मूल्य सूचकांक से 605 मूल्य सूचकांक के बीच जो भी मंहगाई भत्ता/तदर्थ महंगाई भत्ता वास्तव में अनुमन्य रहा हो उसे ही औसत परिलब्धियों के आगणन में सम्मिलित किया जायेगा।
4–कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 22 जून, 1987 के प्रस्तर 3–2 के सम्बन्ध में यह शंका उठाई गई है कि क्या मृत्यु एवं सेवानिवृत्त आनुतोषिक के आगणन हेतु भी परिलब्धियों में 608 मूल्य सूचकांक के बराबर मंहगाई भत्ते/तदर्थ मंहगाई भत्ते तथा अन्तरिम सहायता का लाभ देय होगा।	जैसा कि ऊपर बिन्दु–1 के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जा चुका है समस्त पेंशनीय लाभों के आगणन हेतु मंहगाई भत्ते/अतिरिक्त मंहगाई भत्ते तथा अन्तरिम सहायता की किस्तों को यथास्थिति मूल वेतन के साथ सम्मिलित किया जायेगा।
5–क्या अन्तरिम सहायता का लाभ उन मामलों में भी देय होगा जिनमें सेवानिवृत्ति/मृत्यु अन्तरिम सहायता के आदेश जारी होने के पहले हो गई हो।	अन्तरिम सहायता को जिस तिथि से प्रभावी माना गया है उससे पूर्व हुई सेवानिवृत्ति/मृत्यु के मामलों में उसका लाभ नहीं दिया जायेगा।
6–उपरोक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 22 जून, 1987 के पैरा 4.2 के संदर्भ में यह आशंका की गई है कि परिलब्धियों के 50 प्रतिशत के आधार पर पेंशन का आगणन करने की व्यवस्था के साथ 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा होने की शर्त लागू रहेगी अथवा नहीं।	उक्त पैरा 4.2 में यह आदेश जारी किये गये हैं कि पेंशन का आगणन 1 जनवरी, 1986 के पूर्व लागू स्लैब स्स्टिम के बजाये औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा जिसका तात्पर्य है कि पेंशन के आगणन हेतु केवल स्लैब सिस्टम की व्यवस्था को ही संशोधित किया गया है तथा अन्य व्यवथायें यथावत लागू रहेंगी। अवएव उपरोक्तानुसार परिलब्धियों के 50 प्रतिशत के आधार पर आगणित धनराशि 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने पर ही देय होगी और उससे कम अर्हकारी सेवा होने पर उक्त धनराशि सेवा के अनुपात में ही निर्धारित की जायेगी।

वेद प्रकाश अग्रवाल

संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–4

———

संख्या सा0—4—176 / दस—88—301—87
लखनऊ, 1 मार्च, 1988

———

शुद्धि—पत्र

विषय :— दिनांक 1—1—86 के पूर्व सेवा निवृत्त राज्य सरकार के सिविल /पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन ढांचे का सरलीकरण/अभिनवीकरण विषयक वित्त विभाग की राजाज्ञा संख्या सा—4—1120/दस—87—301—87 दिनांक 28 जुलाई, 1987 की व्यवस्थाओं के संबंध में प्राप्त शंकाये और उनका समाधान।

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शुद्धि—पत्र संख्या सा—4—1732/दस—87—301—87 दिनांक 17 नवम्बर, 1987 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन को एक अन्य संदर्भ भी प्राप्त हुआ है जिसका समाधान निम्न रूप से किये जाने का निदेश हुआ है :—

राजाज्ञा संख्या सा—4—1120 / दस—87 —301—87 दिनांक 28 जुलाई, 1987 की वर्तमान व्यवस्था / शंका	एतद्दद्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था / दिया गया स्पष्टीकरण
1	2
वित्त विभाग की उक्त राजाज्ञा के प्रस्तर 9 में उल्लिखित राज्य सरकार के ऐसे सेवक जो किसी उपक्रम आदि में स्थायी रूप से संविलीन / आमेलित हो चुके है और शासकीय सेवा अवधि के एवज में पेंशन प्राप्त कर रहे है किन्तु उस पर महंगाई राहत नहीं पा रहे है—क्या ऐसे पेंशनरों की पेंशन का समेकन / पुनरीक्षण 28—7—87 की उक्त राजाज्ञा के प्रस्तर—6 के अनुसार किया जायेगा ?	जी हां। ऐसे पेंशनरों की पेंशन का समेकन / पुनरीक्षण 28 जुलाई, 1987 की राजाज्ञा के प्रस्तर—6 के अनुसार किया जायेगा —किन्तु इस समेकित / पुनरीक्षित पेंशन पर उन्हें उपक्रम आदि के सेवाकाल में महंगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी ?

भवदीय,
वेद प्रकाश अग्रवाल
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

1—समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2—समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
3—समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

———

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

———

संख्या : सा–3–1603/दस–935–87

लखनऊ : दिनांक 3 जुलाई, 1989

————

कार्यालय–ज्ञाप

विषय :– दिनांक 1–1–86 अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/मृतक राज्य कर्मचारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के आगणन का सरलीकरण/उदारीकरण।

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या–सा–3–1163/दस–935/87, दिनांक 22 जून, 1987 के प्रस्तर 3–1 के द्वारा यह आदेश निर्गत किये गये थे कि 1–1–1986 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त अथवा मृतक राज्य कर्मचारियों के पेंशनरी एवं मृत्यु सम्बन्धी समस्त लाभों के आगणन हेतु परिलब्धियों का अभिप्राय मूल नियम 9 (21) (1) में परिभाषित मूल वेतन से होगा। उक्त प्राविधान लागू करने के उपरान्त शासन के संज्ञान में लाया गया है कि ऐसे सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी जो 1–1–1986 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुये है तथा जिनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व के दस मासों में कुछ अवधि 1–1–1986 से पहले की भी पड़ती है तो उस अवधि में जो 1–1–1986 के पूर्व की हैं, परिलब्धियों का अभिप्राय मूल नियम 9 (21)(1) में परिभाषित मूल वेतन से नहीं होना चाहिए वरन् मूल नियम 9 (21) में परिभाषित वेतन से होना चाहिए। इस प्रश्न पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय आदेश देते हैं कि उपरिलिखित शासनादेश दिनांक 22–6–1987 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय कि यदि किसी ऐसे सरकारी सेवक की जो 1–1–1986 के बाद सेवानिवृत्त हुआ हो, सेवानिवृत्ति के पूर्व के दस मासों की अवधि में 1–1–1986 के पूर्व की कोई अवधि पड़ती हो तो 1–1–1986 के पूर्व की अवधि में परिलब्धियों का अभिप्राय उस वेतन से होगा जो मूल नियम 9 [21] में परिभाषित है।

भवदीय,
वी0के0 सक्सेना
प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

———

संख्या सा–3–1713/दस–933–89

प्रेषक,
डा0 वी0 के0 सक्सेना,
प्रमुख सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 28 जुलाई, 1989

विषय :– अधिवर्षता पेंशन, पारिवारिक पेंशन, मृत्यु/सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा राशिकरण की धनराशि की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने हेतु वर्तमान कार्यप्रणाली का सरलीकरण।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या सा–3–2085/दस–907–76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 द्वारा पेंशन के मामलों को अन्तिम रूप देने में होने वाले अनेक प्रकार के विलम्बों में कमी लाने के उद्देश्य से विस्तृत आदेश निर्गत किये गये थे। तदुपरान्त अनेक अन्य आदेशों के द्वारा प्रक्रिया में और अधिक सरलीकरण लाने का

प्रयास किया गया है किन्तु अब भी अनेक मामलों में कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों के स्तर पर पेंशन प्रपत्रों को प्रेषित करने में विभिन्न कारणों से काफी विलम्ब किया जाता है जिसकी वजह से अनेक पेंशन के मामलों में सेवानिवृत्ति के दिनांक के तत्काल बाद सेवानिवृत्त व्यक्ति को पेंशन तथा अन्य देय प्राप्त नही हो पाते हैं। पूर्व निर्गत शासनादेशों के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम यह उठाया गया है कि पेंशन प्राधिकार–पत्रों के निर्गमन का कार्य महालेखाकार के स्थान पर अब 14 विभागों के लिये विभागीय मुख्य लेखा अधिकारियों द्वारा तथा शेष विभागों के लिये निदेशक पेंशन द्वारा किया जा रहा हैं पेंशन देयों की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने के प्रश्न पर पुनः सम्यक रूप से विचार करने तथा प्रक्रिया का सरलीकरण करने के उपरान्त यह अपेक्षा की जाती है कि अब समस्त सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की पेंशन का भुगतान सेवानिवृत्ति के अगले माह के बाद पहली तारीख को तथा अन्य सभी देयों का भुगतान सेवानिवृत्ति के बाद की पहली तारीख को कर दिया जाय। पेंशन देयों के भुगतान हेतु आवश्यक पेंशन प्रपत्रों की तैयारी में विभिन्न कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों के समक्ष जो कठिनाइयाँ समय–समय पर आती हैं उनकी ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है। अतः उन समस्याओं के सम्बन्ध में सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय आदेश देतें हैं कि अब पेंशन प्रपत्रों के बनाने में निम्न सरलीकृत प्रक्रिया अपनायी जाय :–

2–पेंशन प्रपत्र–

इस राज्य में सम्प्रति लगभग 18 पेंशन प्रपत्र प्रचलन में हैं। चूँकि सम्बन्धित सरकारी सेवक तथा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन तथा अन्य देयों की स्वीकृति हेतु की जाने वाली तैयारी में अनेकानेक पेंशन प्रपत्रों को तैयार करना पड़ता है अतः सम्बन्धित सरकारी सेवकों तथा कार्यलयाध्यक्षों की सुविधा हेतु अब एक नया ''एकीकृत पेंशन प्रपत्र'' संलग्नक–1 बनाया गया है जिसे पूर्व निर्धारित प्रपत्रों के स्थान पर प्रयोग में लाया जायेगा। यह पेंशन प्रपत्र हर जिले में कोषाधिकारी द्वारा कार्यालयाध्यक्षों को निर्गत किया जायेगा। यह प्रयास किया जायेगा कि ''एकीकृत पेंशन प्रपत्र'' की छपाई हेतु राजकीय मुद्रणालय से कहा जाये और वांछित प्रतियाँ प्रत्येक कोषागार पर शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करा दी जाय लेकिन जब तक राजकीय मुद्रणालय के माध्यम से ''एकीकृत पेंशन प्रपत्र'' की वांछित प्रतियाँ प्राप्त न हो जायं तब तक समस्त कार्यालयाध्यक्षों को यह निदेश दिये जाते हैं कि अपने स्तर पर इनकी वांछित प्रतियाँ टंकित करवा लें और इन्हें उपयोग में लायें। प्रत्येक मामले में ''एकीकृत पेंशन प्रपत्र'' की दो प्रतियाँ तैयार की जायेंगी जिनमें से प्रथम प्रति स्वीकृति हेतु पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी के पास भेज दी जायेगी तथा द्वितीय प्रति कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय में रहेगी। ऐसे मामलों में जहाँ पेंशनर प्रदेश के बाहर किसी अन्य प्रदेश में पेंशन प्राप्त करना चाहते हों तो उन्हें ''एकीकृत पेंशन प्रपत्र'' की दो अतिरिक्त प्रतियाँ और प्रस्तुत करनी होगी। जिन्हें स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया जायेगा। स्वीकर्ता अधिकारी के माध्यम से प्राप्त ऐसे ''एकीकृत पेंशन प्रपत्र'' की एक प्रति को महालेखाकार अपनी स्पेशल सील अथारिटी के सथ सम्बन्धित महालेखाकार को प्रेषित कर देंगे तथा दूसरी प्रति अपने अभिलेखों में रखेंगे।

3–पेंशन प्रपत्र का अग्रसारण–

(क) उपरिलिखित शासनादेश दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 द्वारा राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय संसूचित किया गया था कि भविष्य में विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पेंशन की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। इस आदेश के बावजूद अब भी अनेक अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यरत सरकारी सेवकों के पेंशन प्रपत्र

विभागाध्यक्षों/नियुक्ति प्राधिकारियों के माध्यम से प्रेषित करते हैं। पेंशन प्रपत्रों के शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पेंशन प्रपत्रों के विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी के माध्यम से भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है और पेंशन प्रपत्रों को केवल कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ही पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को भेज देना पर्याप्त होगा। कार्यालयाध्यक्ष के स्वयं के मामलें में पेंशन प्रपत्र उसके अगले उच्च अधिकारी के माध्यम से अग्रसारित किये जायेंगे और वे ही उसकी सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पूर्व पेंशन प्रपत्रों की तैयारी के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे। जो अधिकारी अन्य विभागों में तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, उनके पेंशन प्रपत्र उनके पैतृक विभाग के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।

(ख) सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 912(ई) में यह प्राविधान है कि जब कोई सरकारी सेवक सेवानिवृत्त हो तो उसकी वास्तविक सेवानिवृत्ति के दिनांक के एक सप्ताह के भीतर सरकारी गजट में अधिसूचना जारी की जायेगी तथा उसकी एक प्रतिलिपि तत्काल महालेखाकार को दे दी जायेगी। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल को अपने अधीनस्थ ऐसे समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की, जो अगले वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले हों, सूचियाँ बनवाकर एक कार्यालय–ज्ञाप जारी करेंगे जिसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित मुख्य लेखाधिकारी को अथवा पेंशन निदेशालय को प्रेषित की जायेगी।

4–सेवा पुस्तिका का पूरा किया जाना–

(क) उपरिलिखित शासनादेश दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 में प्राविधानित है कि प्रत्येक मामले की तैयारी हेतु आवश्यक कार्यवाही कार्यालयाध्यक्ष के स्तर पर सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पूर्व प्ररम्भ किया जाना अनिवार्य है। प्रथम 16 माह की अवधि में सर्वप्रथम सेवापुस्तिका का पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने आदेश दिये हैं कि उपर्युक्त 16 मास की अवधि में प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष (कार्यालयाध्यक्ष के स्वयं के मामले में उससे अगले उच्च अधिकारी तथा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सरकारी सेवकों के मामले में उनके पैतृक विभाग) सेवापुस्तिका का परीक्षण करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि सेवापुस्तिका में किसी प्रकार का कोई व्यवधान आदि तो नहीं है और सेवापुस्तिका में पूर्ण सेवा सत्यापित है अथवा नहीं। सेवापुस्तिका के सत्यापन से अभिप्राय सेवापुस्तिका में दर्शायी गयी उस अवधि के सेवा के सत्यापन से है जो वास्तव में सरकारी सेवा के रूप में व्यतीत की गयी हो और उसका सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा वेतन बिल रजिस्टर आदि देखकर सत्यापन कर लिया गया हो। यदि कोई अवधि असत्यापित छूट गयी है तो सर्वप्रथम कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उस अवधि का सत्यापन वेतन बिल रजिस्टर आदि देखकर किया जायेगा और यदि सम्बन्धित सरकारी सेवक उस अवधि में किसी और कार्यालय में कार्यरत रहा हो तो उस अवधि का सत्यापन उस कार्यलय से करवा लिया जायेगा। यदि सेवा अवधि का कोई अंश उपरोक्तानुसार सत्यापित किया जाना सम्भव न हो तो सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष, उपर्युक्त उच्च अधिकारी अथवा पैतृक विभाग का यह दायित्व होगा कि वह सम्बन्धित सरकारी सेवक से जो भी साक्ष्य उसके पास उपलब्ध हो प्राप्त करके एक शपथ–पत्र इस आशय का प्राप्त कर लें कि उसने सम्बन्धित अवधि में राजकीय सेवा की है और ऐसे शपथ–पत्र के आधार पर सेवा सत्यापित कर देगा। यदि यह कार्यवाही सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व पूरी न हो पाये तो यह मानते हुये कि इसमें सरकारी सेवक का कोई दोष नहीं है, सम्बन्धित अवधि को पेंशन योग्य मानते हुये पेंशन प्रपत्रों को पूर्ण कर लिया जायेगा। उपर्युक्त तथा अन्य निम्नलिखित विभिन्न मदों के लिये सरलीकृत प्रक्रिया पूर्ण करने के

उपरान्त पेंशन प्रपत्रों को सेवानिवृत्ति के ठीक 6 माह पूर्व निश्चित रूप से स्वीकर्ता अधिकारी को प्रेषित कर दिया जायेगा।

(ख) यदि सम्बन्धित अवधि में सरकारी सेवक राजकीय सेवा पर न होकर किसी सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत रहा है तो कार्यलयाध्यक्ष अथवा उसका पैतृक विभाग यह देखेगा कि सम्बन्धित उपक्रम से सरकारी कर्मचारी को प्रश्नगत अवधि का पेंशनरी अंशदान प्राप्त हुआ है अथवा नहीं। इस हेतु वह अपने अभिलेख तथा सम्बन्धित उपक्रम से जानकारी करने के अतिरिक्त सम्बन्धित सरकारी सेवक से भी साक्ष्य मांगेगा। किन्तु इसके कारण पेंशन प्रपत्रों के बनाने तथा उनके स्वीकर्ता अधिकारी को भेजने में कोई विलम्ब नहीं किया जायेगा और निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार पेंशन प्रपत्र स्वीकर्ता अधिकारी को भेज दिये जायेंगे। साथ ही कार्यालयाध्यक्ष, उच्च अधिकारी अथवा पैतृक विभाग द्वारा इस हेतु भी प्रयास जारी रखे जायेंगे कि सम्बन्धित उपक्रम से पेंशनरी अंशदान शीघ्र प्राप्त हो जाय। इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया है कि ऐसे सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में जिन्हें राज्य सरकार से केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया हो, ऐसा पेंशनरी अंशदान भेजने की अथवा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। उपरोक्त कार्यवाही के उपरान्त सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष प्रश्नगत अवधि को पेंशन अर्ह मानते हुये उसका सेवापुस्तिका में उल्लेख कर देगा और पेंशन प्रपत्र अग्रसारित कर देगा।

(ग) यदि किसी सरकारी सेवक की सेवापुस्तिका खो गयी हो तो कार्यालयाध्यक्ष के लिये पेंशन प्रपत्रों की तैयारी के लिये उपलब्ध प्रथम 16 मासों में यह सम्भव होना चाहिये कि वेतन बिल राजिस्टरों आदि के आधार पर सेवापुस्तिका पुनर्निमित कर लें किन्तु यदि पूर्ण सेवा अथवा कुछ भाग उपरोक्तानुसार पुनर्निमित करना अथवा पुनः सत्यापित कर पाना सम्भव न हो पाये तो सरकारी सेवक से इस आशय का शपथ–पत्र लेकर अर्हकारी सेवा का आगणन कर लिया जायेगा कि सरकारी सेवक ने सम्बन्धित अवधि में किस पद पर सेवा की है।

(घ) यदि सेवापुस्तिका में उपरोक्त के अतिरिक्त कोई और त्रुटियाँ/कमियाँ आदि दृष्टिगोचर हों जिनका अर्हकारी सेवा पर सीधा प्रभाव प्रड़ता हो तो सम्बन्धित कार्यलयाध्यक्ष द्वारा इस प्रकार की त्रुटियों/कमियों को दूर करने का प्रयास किया जायेगा। उदाहरणार्थ यदि कोई सरकारी सेवक निलम्बित रहा हो और सेवापुस्तिका में यह उल्लेख न हो कि निलम्बन की अवधि को अर्हकारी सेवा नहीं माना जायेगा तो कार्यालयाध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह उसके विषय में सेवा में पुनर्स्थापन के आदेश देखकर यह सुनिश्चित कर ले कि सम्बन्धित जाँच अधिकारी द्वारा निलम्बन की अवधि को अर्हकारी सेवा मानने के आदेश दिये गये थे अथवा नहीं। यदि ऐसी अवधि को अर्हकारी सेवा न मानने के स्पष्ट आदेश न हों अथवा पुनर्स्थापन के आदेश उपलब्ध न हों तो ऐसी अवधि को अर्हकारी सेवा स्वतः मान लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त सेवापुस्तिका में किसी अन्य प्रकार की त्रुटियाँ अथवा कमियाँ दृष्टिगोचर हों जो उपरोक्त विधि के अनुसार सत्यापित न की जा सकें तो ऐसी अवधि के सम्बन्ध में सत्यापन की औपचारिकता को समाप्त मानते हुये ऐसी अवधि को छोड़कर शेष अवधि को अर्हकारी सेवा मान लिया जायेगा और तदनुसार सेवापुस्तिका पूर्ण कर ली जायेगी।

(ङ) सेवापुस्तिका में सम्बन्धित सरकारी सेवक की जन्म–तिथि की प्रविष्टि के सम्बन्ध में अन्तिम बार कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 41/2/69–कार्मिक–2, दिनांक 7 जून, 1980 द्वारा यह आदेश जारी किये गये थे कि किसी सरकारी सेवक की जन्म–तिथि सेवा में प्रवेश के समय हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाण–पत्र में उल्लिखित तिथि मानी जायेगी किन्तु यदि

सरकारी सेवक ने ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण ही न की हो अथवा सेवा प्रारम्भ करने के बाद उत्तीर्ण की हो तो जन्म–तिथि वही मानी जायेगी जो सेवा प्रारम्भ करने के दिनांक को सेवापुस्तिका में अभिलिखित की गयी हो और ऐसे दिनांक को शुद्ध करने के बारे में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन किसी भी परिस्थिति में ग्रहण नहीं किया जायेगा।

शासनादेश संख्या 41/2/69/नियुक्ति(ख), दिनांक 20 अगस्त, 1971 में यह भी प्राविधान है कि यदि किसी सरकारी सेवक की सही जन्म–तिथि की जानकारी न होकर केवल वर्ष की जानकारी हो तो उसकी जन्म–तिथि सम्बन्धित वर्ष की पहली जुलाई मानकर उसे 30 जून को सेवानिवृत्त कर दिया जायेगा और यदि वर्ष के अतिक्ति माह की भी जानकारी हो तो सम्बन्धित माह की 16 तारीख मानकर उस माह की अन्तिम तिथि को सेवानिवृत्त कर दिया जायेगा।

इस शासनादेश के द्वारा उपरोक्त व्यवस्था में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है अतः जन्म–तिथि के सम्बन्ध में सभी कार्यालयाध्यक्ष उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही करेंगे।

(च) सेवा में व्यवधान का प्रभाव –

1–निम्न परिस्थितियों को छोड़कर एक सरकारी सेवक की सेवा में व्यवधान के कारण उसकी पूर्व सेवा व्यपगत हो जाती है :–

1–ऐसी अनुपस्थिति जिसका अवकाश प्राधिकृत कर दिया गया हो;

2–अनधिकृत अनुपस्थिति जो स्वीकृत अवकाश की निरन्तरता में हुई हो, बशर्ते कि सम्बन्धित पद को स्थायी रूप से भर न दिया गया हो;

3–निलम्बन, यदि ऐसे निलम्बन की समाप्ति पर सरकारी सेवक को उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर पुनर्स्थापित कर दिया गया हो अथवा जिस सरकारी सेवक की मृत्यु हो गयी तो अथवा सरकारी सेवक को निलम्बन की अवधि में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया हो अथवा सेवानिवृत्ति हेतु अनुमति प्रदान कर दी गयी हो;

4–सरकारी सेवक को जनहित में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसे अधिष्ठान में नियुक्त कर दिया गया हो जो सरकारी सेवा में न आता हो;

5–एक पद से दूसरे पद पर हुये स्थानान्तरण के फलस्वरूप लिया गया कार्यभार ग्रहण काल।

2–उपरोक्त प्राविधानों के बावजूद नियुक्ति प्राधिकारी बिना अवकाश की ऐसी अनुपस्थिति की अवधियों को असाधारण अवकाश में पूर्वगामी तिथि से परिवर्तित कर सकते हैं और ऐसी दशा में असाधारण अवकाश से पूर्व की सेवा अवधि को अर्हकारी सेवा माना जा सकता है।

(छ) अवकाश का प्रभाव –

सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 400, 419बी तथा 487 के अन्तर्गत सवेतन अवकाश की अवधि अर्हकारी सेवा मानी जाती है किन्तु यदि सेवाकाल में कुछ अवधि असाधारण अवकाश अर्थात् बिन वेतन की हो तो उसे अर्हकारी सेवा में सम्मिलित नहीं माना जायेगा जब तक असाधारण अवकाश निम्न कारणों के आधार पर स्वीकृत न किया गया हो :–

1–सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर;

2–नागरिक अशान्ति के कारण ड्यूटी पर आने अथवा पुनः आने में असमर्थता के कारण;

3–उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक अध्ययनों में अनुशीलन के कारण;

4–अन्य आधारों पर लिया गया असाधारण अवकाश अर्हकारी सेवा नहीं माना जायेगा और उस अवधि के सम्बन्ध में सेवापुस्तिका में तदनुसार प्रविष्टि कर दी जायेगी।

(ज) व्यवधानों का भर्षण –

सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 422 के अनुसार यदि सेवा की दो अवधियों के मध्य उत्पन्न हुए व्यवधान/व्यवधानों का भर्षण नहीं किया गया है तो व्यवधान से पूर्व की सेवा अवधि अर्हकारी सेवा नहीं मानी जाती है। इस सम्बन्ध में उपरिलिखित शासनादेश दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 में यह निर्णय लिया गया है कि सेवा अभिलेख में कोई विशेष संकेत न होने पर राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी सेवा की दो अवधियों के बीच हुये व्यवधान/व्यवधानों को केवल ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ अन्यथा यह जानकारी हो कि व्यवधान सेवा से त्याग–पत्र देने, बर्खास्त किये जाने, निकाल दिये जाने अथवा हड़ताल में भाग लेने के कारण हुआ है, स्वतः भर्षित मान लिया जायेगा।

(झ) सेवा का इतिहास –

सम्बन्धित सरकारी सेवक की सेवापुस्तिका को उपरोक्तानुसार सही एवं पूर्ण करने के उपरान्त पेंशन प्रपत्र के भाग–4 में सेवा का संक्षिप्त इतिहास इस उद्देश्य से अंकित किया जायेगा कि पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्रों के निर्गमन के उपरान्त सेवापुस्तिका को सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को वापस कर दिया जायेगा और सेवा का इतिहास स्वीकर्ता प्राधिकारी के अभिलेखों में रह जायेगा।

5–अदेयता प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में कार्यवाही –

शासन की जानकारी में लाया गया है कि अनेक विभागों में पेंशन प्रपत्र सेवानिवृत्ति के दिनांक के पहले इस कारण प्रेषित नहीं किये जाते कि सम्बन्धित सेवक की सेवानिवृत्ति के पूर्व अदेयता प्रमाण–पत्र प्रदत्त किया जाना सम्भव नहीं होता। स्पष्ट है कि विभागीय अधिकारियों की यह उलझन पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 की मंशा के विपरीत है और यदि 6 माह पूर्व अदेयता प्रमाण–पत्र न दिये जा सकने के कारण पेंशन प्रपत्र भेजा जाना सम्भव न हो सके तो यह भी सम्भव नहीं हो सकेगा कि सम्बन्धित सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद पेंशन देयों का भुगतान हो जाय और अगले माह से मासिक पेंशन मिलना प्रारम्भ हो जाय। इस प्रकरण के विभिन्न पहलुओं पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त तथा भारत सरकार में उपलब्ध व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल महोदय निदेश देते हैं कि :–

1–(क) प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष की यह जिम्मेदारी होगी कि वह प्रत्येक सरकारी सेवक के विरुद्ध देयों के सम्बन्ध में जानकारी करने की कार्यवाही सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पहले प्रारम्भ कर दे।

(ख) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इस प्रकार के आकलित देयों को जो सेवानिवृत्ति के दिनांक तक समायोजित/वसूल न हो सके हों, सेवानिवृत्ति/मुत्यु ग्रेच्युटी से समायोजित किया जायेगा।

(ग) ''सरकारी देयों'' से अभिप्राय निम्न देयों से होगा :–

1–सरकारी आवास से सम्बन्धित देय जिसमें सरकारी भवन का किराया भी सम्मिलित है।

2–सरकारी आवास के अतिरिक्त देय जैसे भवन निर्माण आदि अग्रिम, वाहन अग्रिम अथवा अन्य कोई अग्रिम अथवा वेतन, भत्ता, अवकाश वेतन की

मद में किया गया अधिक भुगतान।

(घ) चूँकि उपरोक्त तथा अन्य मदों के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति के दिनांक को अवशेष देयों की पूर्ण जानकारी सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व होना सम्भव नहीं है अतः राज्यपाल महोदय आदेश देते हैं कि प्रत्येक सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के विरुद्ध अवशेष सरकारी देयों की सेवानिवृत्ति के दिनांक के आठ माह पूर्व की स्थिति आंकलित कर ली जायेगी और उसे सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यथावत् ''एकीकृत पेंशन प्रपत्र'' के भाग–5 (कार्यालयाध्यक्ष के उपयोग के लिये) में प्रदर्शित कर दिया जायेगा। तदुपरान्त कार्यालयाध्यक्ष द्वार सेवानिवृत्ति के दिनांक की स्थिति का पुनः आंकलन किया जायेगा और उससे सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रारूप संख्या–2 पर प्रत्येक दशा में सेवानिवृत्ति के दिनांक के अगले कार्य दिवस को पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी। इस प्रारूप की एक प्रति सम्बन्धित कोषाधिकारी को इस आशय से प्रेषित की जायेगी कि वह सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी से अवशेष धनराशि का समायोजन कर लें किन्तु यदि इस बीच सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा अवशेष धनराशि का अन्यथा भुगतान किया जा चुका हो तो कोषाधिकारी उसका साक्ष्य एकत्रित करके उससे सन्तुष्ट होने पर शेष का भुगतान कर देगा और उसकी सूचना सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष (जिसने पेंशन प्रपत्र अग्रसारित किये हैं) तथा पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को भेज देगा। इस मद के अन्तर्गत भुगतान हेतु वही प्रपत्र उपयोग में लाये जायेंगे जो पेंशन के भुगतान हेतु लाये जाते हैं।

(ङ) उक्त नयी प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते हैं कि स्वीकर्ता अधिकारियों द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्राधिकार पत्र सेवानिवृत्ति के दिनांक के दो माह बाद तक अनन्तिम माने जायेंगे। सभी कार्यालयाध्यक्षों का यह दायित्व होगा कि वे इस अवधि के बीच प्रत्येक दशा में उपर्युक्त प्रारूप संख्या–2 स्वीकर्ता अधिकारी को उपलब्ध करा दें किन्तु यदि दो माह की अवधि की समाप्ति तक भी सरकारी देयों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायेगी तो कोषाधिकारी द्वारा पेंशन, ग्रेच्युटी आदि को अन्तिम मान लिया जायेगा और उसके उपरान्त यदि कोई देय निकलेंगे तो उनकी जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष की होगी।

(च) यह भी निर्णय लिया गया है कि सरकारी सेवक के विरुद्ध देयों की जानकारी अन्तिम 5 वर्ष की सेवा की छानबीन के आधार पर की जायेगी। यदि अन्यथा इस बात की जानकारी हो कि 5 वर्ष से पहले की अवधि से सम्बन्धित सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई शासकीय देय हैं तो 5 वर्ष से पहले के अभिलेखों की भी जाँच की जायेगी। पाँच वर्ष की अवधि की छानबीन करने हेतु कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उन सभी कार्यालयों से जहाँ सम्बन्धित सरकारी सेवक ने कार्य किया हो, अदेयता के सम्बन्ध में पूछताछ की जायेगी और सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व की स्थिति को ''एकीकृत पेंशन प्रपत्र'' के भाग–5 में दर्शाया जायेगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित कार्यालयों से उत्तर नहीं आता है तो यह मान लिया जायेगा कि सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई देय नहीं है और यदि बाद में कोई देय ज्ञात होते हैं तो उसके लिये सम्बन्धित अधिकरियों को दोषी ठहराया जायेगा और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह प्रयास किया जायेगा कि भाग–5 में दर्शाये गये सभी देयों की सेवानिवृत्ति के दिनांक तक वसूली पूर्ण हो जाय किन्तु यदि किसी मद में वसूली पूर्ण न हो पाये तो सर्वप्रथम शेष देयों की वसूली सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी से की जायेगी किन्तु यदि फिर भी वसूली पूर्ण न हो पाय तो फार्म संलग्नक–1 पर इस आशय का एक बन्धकपत्र भरवा कर कि यदि सेवानिवृत्ति के दो वर्ष के अन्दर

उसके विरुद्ध कोई देय निकलते हैं तो उसकी वसूली उससे कर ली जायेगी, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के अवमुक्त करने की संस्तुति कर दी जायेगी। सेवारत मृत्यु होने की दशा में उत्तराधिकारियों से फार्म संलग्नक–2 पर बन्धकपत्र भरवाया जायेगा। बन्धकपत्रों पर देय स्टैम्प ड्यूटी शासन द्वारा वहन की जायेगी।

2–सामान्यतः सरकारी सेवकों के विरुद्ध निम्न प्रकार के मामले लम्बित होते हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के मामलों में निम्नवत् कार्यवाही की जाय :–

(क) यदि सरकारी सेवक द्वारा सरकारी भवन में आवास किया जा रहा हो –

1–कार्यालयाध्यक्ष, उच्च अधिकारी अथवा पैतृक विभाग, जैसी स्थिति हो, द्वारा सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पूर्व लखनऊ में स्थित भवनों के सम्बन्ध में राज्य सम्पत्ति विभाग को तथा विभिन्न जिलों में निर्मित भवनों के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग को सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में सेवानिवृत्ति की तिथि से अवगत कराकर अदेयता प्रमाणपत्र की मांग की जायेगी। राज्य सम्पत्ति विभाग अथवा जिलों के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व उससे पहले की अवधि के सम्बन्ध में अदेयता प्रमाणपत्र निर्गत कर दिया जायेगा। यदि ऐसा प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने के उपरान्त किराये की मासिक दर में कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर हो अथवा किसी अन्य धनराशि की देयता के सम्बन्ध में तथ्य प्रकाश में आये तो राज्य सम्पत्ति विभाग अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उस परिवर्तन/तथ्य से पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को सीधे अवगत कराया जायेगा। कार्यालयाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि सम्बन्धित सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति के अन्तिम आठ माहों के वेतन से किराये की नियमित रुप से वसूली हो जाय। यदि किसी सरकारी सेवक के वेतन से सेवानिवृत्ति के पूर्व इस प्रकार के किराये की वसूली सम्भव न हो सके तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा शेष धनराशि पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को सूचित कर दी जायेगी जिससे सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी से उसकी वसूली की जा सके।

2–सरकारी भवनों में निवास करने वाले सरकारी सेवकों से यह आशा की जाती है कि वे सरकारी भवनों को सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद खाली कर दें किन्तु यदि राज्य सम्पत्ति विभाग अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग सरकारी सेवक से उसकी सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद भवन तत्काल खाली न करा पाये तो सेवानिवृत्ति के बाद के चार माह का किराया (एक माह का किराया सामान्य दर पर तथा शेष तीन माह का किराया मानक दर पर) पेंशन की देय ग्रेच्युटी से वसूल कर लिया जायेगा और उससे आगे के किराये की वसूली अथवा भवन खाली कराने की जिम्मेदारी राज्य सम्पत्ति विभाग अथवा सम्बन्धित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता की होगी।

3–सम्बन्धित सरकारी सेवक के सेवारत मृत्यु होने पर कार्यालय अध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वे उससे सम्बन्धित सूचना राज्य सम्पत्ति विभाग अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को मृत्यु के एक सप्ताह के भीतर भेज दें और उनसे एक माह के भीतर देयों की सूचना की जानकारी देने का अनुरोध करें। यदि ऐसी सूचना एक माह के भतर प्राप्त न हो सके तो पारिवारिक पेंशन प्रपत्रों के अग्रसारण में विलम्ब न किया जाय और उन्हें स्वीकर्ता अधिकारी को पारिवारिक पेंशन/मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकृत करने हेतु

एक माह की समाप्ति के बाद तुरन्त भेज दिया जाय। इस बीच मृतक के परिवार को असुविधा से बचाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या सा–3–1667/दस–931–87, दिनांक 9 जून, 1987 के अन्तर्गत अनुमन्य अनन्तिम पारिवारिक पेंशन तथा इस शासनादेश के अन्तर्गत अनुमन्य अनन्तिम मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकृत कर दी जाय।

(ख) सरकारी भवन के अतिरिक्त अन्य देयों के सम्बन्ध में कार्यवाही :

1–सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 470 बी में यह प्राविधान है कि किसी सरकारी सेवक की पेंशन स्वतः देय नहीं होती जब तक कि उसकी सेवा पूर्णतः सन्तोषजनक न पायी गयी हो। शासनादेश दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 में यह निर्णय लिया गया था कि इस प्राविधान का सहारा केवल अपवाद स्वरूप मामलों में ही लिया जायेगा और यह आवश्यक नहीं होगा कि पेंशन सम्बन्धी समस्त मामलों को विभागाध्यक्ष अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के पास भेजा जाय। उक्त शासनादेश में यह प्राविधान कर दिया गया था कि सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ महीने पहले पेंशन प्रपत्र अग्रसारण करने वाले अधिकारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी से इस तथ्य की पूछताछ की जायेगी कि क्या पूर्ण पेंशन मंजूर करने के बजाय कम पेंशन देने का विचार है अथवा कोई कार्यवाही प्रारम्भ करने का विचार है। उक्त शासनादेश में यह भी निर्णय लिया गया था कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी से ऐसी पूछताछ का उत्तर प्राप्त न हो तो यह मान लिया जायगा कि पूरी पेंशन से कम धनराशि स्वीकृत करने की कोई मंशा नहीं है और पेंशन प्रपत्रों को स्वीकर्ता अधिकारी को भेज दिया जायेगा। उपरोक्त प्राविधान के परिपेक्ष्य में अब यह निर्णय लिया गया है कि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह कार्यवाही सेवानिवृत्ति के आठ माह पहले की जायेगी और नियुक्ति प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे वांछित सूचना एक माह के भीतर उपलब्ध करा दें। यदि नियुक्ति प्राधिकारी से एक माह के भीतर ऐसी सूचना प्राप्त नहीं होती है तो और आगे प्रतीक्षा किये बिना कार्यालयाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वे पेंशन प्रपत्र पूर्ण पेंशन स्वीकृत करने हेतु अग्रसारित कर दें।

2–सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 351–ए में यह प्राविधान है कि यदि कोई सरकारी सेवक किसी विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप जाने अनजाने राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुँचाने का अथवा किसी अन्य गम्भीर दुराचरण का दोषी पाया गया हो अथवा किसी न्यायिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप दण्डित किया गया हो तो राज्यपाल को अधिकार है कि वह उसकी पूरी अथवा आंशिक पेंशन रोक सकते हैं। ऐसी विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही तब तक प्रारम्भ हुई नहीं मानी जाती है जब तक सरकारी सेवक को आरोप–पत्र न दे दिया गया हो। अतः यदि उपरोक्तानुसार कोई कार्यवाही सम्पन्न नहीं की गयी है तो इस नियम के अन्तर्गत किसी भी सरकारी सेवक की पेंशन न तो रोकी जा सकती है और न ही कम की जा सकती है। ऐसी दशा में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है अथवा पूर्ण नहीं की गयी है तो उसकी पेंशन रोकन का कोई औचित्य नहीं है और उसके पेंशन प्रपत्र स्वीकर्ता अधिकारी को भेजकर उसे पूर्ण पेंशन स्वीकृत करवा दी जायेगी। केवल सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी से ऐसे देयों की वसूली की जायेगी जिनकी स्थिति सेवानिवृत्ति के दिनांक तक स्पष्ट हो चुकी हो।

3–ऐसे सरकारी सेवकों को, जिनके विरुद्ध, सेवानिवृत्ति के दिनांक को, विभागीय/न्यायिक अथवा प्रशासनाधिकरण की जाँच चल रही हो अथवा प्रशासनाधिकरण की जाँच किया जाना अपेक्षित हो शासनादेश संख्या सा–3–

1679/दस–80–909–79, दिनांक 28 अक्टूबर, 1980 के अनुसार अनन्तिम पेंशन का भुगतान कर दिया जायेगा किन्तु ग्रेच्युटी की पूर्ण धनराशि तब तक रोकी जायेगी जब तक ऐसी जाँच का परिणाम प्राप्त न हो जाय। ग्रेच्युटी की धनराशि से वह कटौतियाँ की जायेंगी जिनका उल्लेख विभागीय/प्रशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप पारित आदेश में किया गया हो। इस प्राविधान के अन्तर्गत स्वीकृत अनन्तिम पेंशन को अन्तिम रूप से स्वीकृत होने वाली पेंशन से समायोजित कर लिया जायेगा किन्तु यदि अन्तिम रूप से स्वीकृत होने वाली पेंशन की राशि अनन्तिम पेंशन से कम हो अथवा पेंशन स्थायी रूप से अथवा किसी निश्चित अवधि के लिये कम कर दी जाय या आस्थगित की जाय तो सरकारी सेवक से कोई वसूली नहीं की जायेगी। यह प्राविधान अन्य सामान्य मामलों में जहाँ अनन्तिम पेंशन की धनराशि अन्तिम पेंशन की धनराशि से आगणन की त्रुटि अथवा अन्यथा किसी अन्य कारण से अधिक पायी जाय, लागू नहीं होगा। इस प्रकार के मामलों में अधिक भुगतान की गयी धनराशि अन्तिम पेंशन की धनराशि से समायोजित कर ली जायेगी। इस हेतु यदि पेंशनर अपनी पेंशन से एक मुश्त अथवा मासिक कटौती करवाने पर आपत्ति करे तो वांछित रिकवरी राहत की धनराशि से करने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

4–सतर्कता जाँच ''फैक्ट फाइंडिंग इन्क्वायरी'' होती है अतः सेवानिवृत्ति के दिनांक को उसके लम्बित रहने पर पेंशन तथा ग्रेच्युटी नहीं रोकी जायेगी।

5–मृत्यु होने की दशा में चूँकि सम्बन्धित सरकारी सेवक अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता है और चूँकि एकतरफा कार्यवाही विधिक दृष्टि से न्यायोचित नहीं कही जा सकती अतः मृत्यु के दिनांक को ऐसी विभागीय/न्यायिक कार्यवाही समाप्त हुई समझी जायेगी।

6–सार्वजनिक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग में प्रशासकीय विभागों द्वारा प्रत्येक राजपत्रित सरकारी सेवक के बारे में पेंशन स्वीकृत होने के पूर्व जाँच लम्बित न होने का प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की प्रथा प्रचलित है जिसके कारण अनावश्यक विलम्ब होता है। इस विषय पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय आदेश देते हैं कि प्रत्येक मामले में ऐसा प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना आवश्यक न रखा जाय। वरन उसके स्थान पर इन विभागों के सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष अपने स्तर से अथवा विभागाध्यक्ष के स्तर से व्यक्तिगत रूप से सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व यह जानकारी कर लें कि सम्बन्धित सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई जाँच लम्बित है अथवा नहीं। प्रशासकीय विभाग प्रत्येक त्रैमास के अन्त में एक बार विभागाध्यक्ष को ऐसे मामलों की सूचियाँ उपलब्ध करा देंगे जिनमें जाँच लम्बित है और संक्षेप में जाँच का सार अंकित कर देंगे।

7–शासन की जानकारी में ऐसे भी दृष्टांत आये दिन आया करते हैं कि महालेखाकार द्वारा किये जाने वाले सम्प्रेक्षण अथवा आन्तरिक विभागीय सम्प्रेक्षण के आधार पर पेंशन रोक दी जाती है जो अनुचित है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त स्थिति में पेंशन प्रपत्रों को अग्रसारित करके पूर्ण पेंशन स्वीकृत की जाय तथा पेचीदा मामलों में अथवा उन मामलों में जिनमें सरकारी सेवक पर सरकार को हानि पहुँचाने की सीधी जिम्मेदारी आरोपित हो सकती है, अगर सम्बन्धित विभाग आवश्यक समझता है तो न्याय विभाग की राय ले सकता है और उस समय तक सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी रोक सकता है लेकिन संभावित वसूली के आधार पर भुगतान न रोका जाय। यदि सम्प्रेक्षण के दौरान यह पाया जाय कि सरकारी सेवक द्वारा सरकार को गंभीर रूप से हानि

(अन्य सामान्य प्रकार की अनियमितताओं के आधार पर कोई कटौती करना उचित नहीं है) पहुँचाई गयी है तो केवल हानि की विशिष्ट धनराशि को रोक कर सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की शेष धनराशि अवमुक्त कर दी जाय। ऐसी विशिष्ट हानियों के सम्बन्ध में भी सरकारी सेवक को सेवानिवृत्ति के पूर्व आरोप–पत्र दिया जाय और सभी आरोपों पर आवश्यक जाँच सेवानिवृत्ति के दो माह के भीतर पूर्ण कर ली जाय यदि ऐसी जाँच के परिणामस्वरूप सरकारी सेवक दोषी पाया जाय तो हानि की धनराशि के बराबर ग्रच्युटी की धनराशि व्यपगत कर दी जाय और यदि दोषी न पाया जाय तो उसे अवमुक्त कर दिया जाय। इस प्राविधान से सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 351–ए के परन्तुक का प्रभाव समाप्त नहीं समझा जायेगा। अत्यधिक गंभीर मामलों में जैसे सरकारी धन का अपहरण आदि जिनमें पेंशन से कमी किया जाना संभव हो सकता है उपरोक्त अनुच्छेद 351–ए के परन्तुक के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी किन्तु ऐसी कार्यवाही किसी ऐसी घटना के सम्बन्ध में प्रारम्भ नहीं की जा सकती जो जाँच प्रारम्भ करने के चार वर्ष पूर्व से पहले घटित हुई हो।

8–बहुधा कतिपय सरकारी सेवकों के पास सरकारी स्टोर्स का चार्ज होता है और सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व आडिट न हो पाने के कारण अथवा अन्यथा उनकी लेनदारी/ देनदारी की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सरकारी सेवकों से यथासंभव एक डेढ़ वर्ष पूर्व स्टोर्स का चार्ज वापस ले लिया जाय और उनके विरुद्ध लेनदारी/देनदारी की स्थिति सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर ली जाय। फिर भी यदि किसी मामले में सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व पूर्ण स्थिति सुनिश्चित किया जाना संभव न हो तो ऐसे मामलों में पेंशन प्रपत्रों को भेजने में कोई विलम्ब न किया जाय। केवल सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के अवमुक्त करने के सम्बन्ध में पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा यह उल्लेख कर दिया जाय कि सम्बन्धित सरकारी सेवक के चार्ज में स्टोर्स होने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी है और स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी कार्यालयाध्यक्ष से आख्या प्राप्त होने के उपरान्त ही अवमुक्त की जाय। चूँकि सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के विलम्ब से भुगतान होने की स्थिति में ब्याज देना पड़ता है अतः सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस सम्बन्ध में अपनी आख्या सेवानिवृत्ति के हद से हद दो माह के भीतर भेज देना अनिवार्य है। यदि दो माह के भीतर ऐसी आख्या प्राप्त नहीं होगी तो स्वीकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति से एक बन्धक–पत्र प्राप्त करके सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी अवमुक्त कर दे और ऐसी दशा में यद्यपि बाद में निकाले गये देयों की रिकवरी पेंशन अथवा अन्य देयों से नियमान्तर्गत कर ली जायेगी किन्तु यदि किसी कारणवश किसी धनराशि की रिकवरी न हो सके तो उसके लिये व्यक्तिगत रूप से कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेवार होंगे।

9–सभी कार्यालयाध्यक्षों का यह दायित्व होगा कि वे अपने अभिलेखों से अथवा कोषागार के अभिलेखों से अथवा महालेखाकार के अभिलेखों से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक द्वारा लिये गये विभिन्न अग्रिमों जैसे भवन संबंधी अग्रिमों, मोटरकार, स्कूटर आदि से सम्बन्धित अग्रिमों आदि की वसूली की स्थिति की सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व पूर्ण जानकारी कर लें और यदि सेवानिवृत्ति के आठ माह में कोई मासिक कटौती जिसमें ब्याज सम्बन्धी कटौती भी शामिल है, की जानी अवशेष हो तो उसका उल्लेख पेंशन प्रपत्रों के

अग्रसारित करते समय कर दें। पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी को अवमुक्त करते समय कोषाधिकारी को यह आदेश दे दिया जायेगा कि वे प्रश्नगत धनराशि को सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी से समायोजित कर लें किन्तु यदि सम्बन्धित सरकारी सेवक यह साक्ष्य उपलब्ध कराये कि उसने प्रश्नगत धनराशि को मासिक किस्तों में अथवा अन्यथा पहले ही जमा कर दिया है तो वह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की पूर्ण धनराशि अवमुक्त कर दे। यदि किसी मामले में पूर्ण अदेयता प्रमाण–पत्र पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को प्राप्त न हो तो ऐसी दशा में ग्रेच्युटी रोके जाने का प्राविधान उपलब्ध है परन्तु यदि ग्रेच्युटी रोके जाने से पेंशनर को विषम आर्थिक कठिनाई हो रही हो तो पेंशनर से क्षतिपूर्ति बन्धक–पत्र (इन्डोमिनिटी बॉंड) प्राप्त करके ग्रेच्युटी अवमुक्त कर दी जाय। यदि क्षतिपूर्ति बन्धक–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त पेंशनर के विरुद्ध कोई देय प्रकाश में आते हैं तो उनकी वसूली नियमानुसार की जायेगी।

10–जहाँ तक सेवारत रहते हुए मृत्यु हो जाने की दशा में मृतक सरकारी सेवक के परिवार के पेंशन देयों के अवमुक्त करने का प्रश्न है इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा पूरी पारिवारिक पेंशन तत्काल अवमुक्त कर दी जायेगी और केवल ऐसी वसूलियों को छोड़कर, जैसे भवन, मोटरकार, मोटरसाइकिल आदि अग्रिमों से संबंधित वसूलियाँ जिनकी रिकवरी मृत्यु ग्रेच्युटी से करना अनिवार्य है (शेष वसूलियाँ केवल उसी दशा में की जायेंगी जब मृत्यु से पूर्व संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध या तो वैभागिक कार्यवाही सम्पन्न की जा चुकी हो और या उसे ''शो काज नोटिस'' देकर उसे उसका पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा चुका हो) शेष मृत्यु ग्रेच्युटी भी तत्काल अवमुक्त कर दी जायेगी।

6–अन्तिम वेतन प्रमण–पत्र–

शासन की जानकारी में यह लाया गया है कि चूँकि सेवानिवृत्ति के पूर्व अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना सम्भव नहीं है अतः अनेक कार्यालयाध्यक्ष पेंशन प्रपत्रों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त ही अग्रसारित करना चाहते हैं। भारत सरकार की व्यवस्था में अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र प्रेषित करने की व्यवस्था नहीं है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि चूँकि ''एकीकृत पेंशन प्रपत्र'' जो इस शासनादेश के द्वारा प्रारम्भ किया जा रहा है, में अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र में उल्लिखित सभी बिन्दुओं का समावेश कर लिया गया है अतः अब अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य नहीं होगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि चूँकि सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व सरकारी सेवक के अन्तिम 6 माह की परिलब्धियों की पूर्ण जानकारी हो जाना सम्भव नहीं है अतः सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के दिनांक को कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकर्ता अधिकारी को प्रारूप–2 पर एक सूचना भेजी जायेगी जिसमें अन्तिम 10 माह की औसत परिलब्धियों का पुनः आगणन अंकित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इस परिपत्र में यह भी उल्लेख होगा कि सेवानिवृत्ति की तिथि को संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध देयों की क्या स्थिति है और उसी के आधार पर ग्रेच्युटी के अंतिम रूप से भुगतान के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृत की गयी पेंशन तथा सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तब तक अनन्तिम मानी जायेगी जब तक संबंधित कार्यालयाध्यक्ष से उपरोक्त परिपत्र प्राप्त न हो जाये। यह भी निर्णय लिया गया है कि अनन्तिम सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी स्वीकृत करते समय अब प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के एक माह के वेतन अथवा रु0 3,000/– जो भी कम हो, को इस आशय से रोक लिया जायेगा कि अन्तिम आठ माह की अवधि में जो भी देय और अवशेष निकलें उनकी वसूली उक्त धनराशि से कर

ली जाय किन्तु यह धनराशि किसी भी दशा में सेवानिवृत्ति के दो माह के बाद नहीं रोकी जायेगी। संबंधित कार्यालयाध्यक्षों का यह भी कर्तव्य होगा कि वह सेवानिवृत्ति के दिनांक को ही ऐसी धनराशि के बारे में स्वीकर्ता अधिकारी को प्रारूप–2 पर सूचना भेज दे जिससे उपरोक्त निर्णय की प्रतिपूर्ति हो सके। यदि इस संबंध में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किये गये विलम्ब के कारण राज्य सरकार को ग्रेच्युटी पर ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा तो उसके लिये कार्यालयाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

7–अनन्तिम पेंशन तथा अनन्तिम सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी–

उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार यदि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकर्ता अधिकारी को वांछित पेंशन प्रपत्र सेवानिवृत्ति के 6 माह पहले भेज दिये गये हैं तो इसकी कोई सम्भावना नहीं है कि सेवानिवृत्ति के पूर्व पेंशन तथा सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के प्राधिकार–पत्र निर्गत न कर दिये जांय। फिर भी यदि किसी मामले में स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा पेंशन तथा सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के प्राधिकार–पत्र निर्गत न किये जा सकें तो कार्यालयाध्यक्ष पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनन्तिम पेंशन तथा अनन्तिम सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी स्वीकृत कर देंगे। अनन्तिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किया जाना अनिवार्य (मेन्डेटरी) है, वैकल्पिक नहीं।

8–अनन्तिम पारिवारिक पेंशन तथा अनन्तिम मृत्यु ग्रेच्युटी–

1–(क) वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या सा–3–1667/दस–931–87, दिनांक 9 जून, 1987 के अन्तर्गत सरकारी सेवक के कार्यरत रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को सामान्यतया आगणित पारिवारिक पेंशन की धनराशि के 90 प्रतिशत के बराबर धनराशि का भुगतान मृत्यु के अगले माह की पहली तरीख को करने का प्राविधान किया गया है। यह भी प्राविधान किया गया है कि अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का भुगतान कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उसी प्रक्रिया के अनुसार प्रारम्भ कर दिया जायेगा जिस प्रकार अनन्तिम पेंशन का भुगतान किया जाता है। शेष 10 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हेतु पारिवारिक पेंशन प्रपत्र स्वीकर्ता अधिकारी को भेज दिये जायेंगे जिनके आधार पर अन्तिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कर दी जायेगी। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के नियमों में सरकारी सेवक की मृत्यु होने की दशा में अनन्तिम मृत्यु ग्रेच्युटी अनुमन्य किये जाने का प्राविधान भी उपलब्ध है अतः यह निर्णय लिया गया है कि उक्त प्राविधान की भांति इस राज्य में भी किसी सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को सामान्यतया आगणित मृत्यु ग्रेच्युटी में से सम्बन्धित मृतक सरकारी सेवक के एक माह के वेतन के बराबर धनराशि अथवा रु0 3,000/– जो भी कम हो रोककर शेष धनराशि का भुगतान अनन्तिम मृत्यु ग्रेच्युटी के रूप में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ही कर दिया जाय।

(ख) कार्यालयाध्यक्षों की सुविधा हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि सरकारी सेवक द्वारा ग्रेच्युटी हेतु नामीनेशन कर दिया गया हो तो ऐसी अनन्तिम मृत्यु ग्रेच्युटी नामीनेशन के अनुसार ही परिवार के सदस्यों में वितरित की जायेगी किन्तु यदि सम्बन्धित सरकारी सेवक ने नामीनेशन नहीं किया है तो मृत्यु ग्रेच्युटी का भुगतान निम्नवत् किया जायेगा :–

1–यदि परिवार के निम्न सदस्यों में से एक अथवा अधिक सदस्य जीवित हैं तो उनमें सम्बन्धित धनराशि को बराबर–बराबर वितरित कर दिया जायेगा :–

(अ) पत्नी (पुरुष कर्मचारी के मामले में);

(ब) पति (महिला कर्मचारी के मामले में);

(स) पुत्र (सौतेली संतानों तथा गोद ली हुई संतानों को सम्मिलित करते हुए);

(द) अविवाहित पुत्रियाँ।

2—यदि उपरिलिखित उपखण्ड के अन्तर्गत उल्लिखित परिवार का कोई सदस्य जीवित न हो और यदि निम्न सदस्य जीवित हों तो मृत्यु ग्रेच्युटी उनमें बराबर—बराबर बांट दी जायेगी :—

(1) विधवा पुत्रियाँ;

(2) 18 वर्ष से कम आयु वाले भाई तथा अविवाहित एवं विधवा बहनें (सौतेले भाई व बहनों को सम्मिलित करते हुए);

(3) पिता;

(4) माता;

(5) विवाहित पुत्रियाँ (सौतेली पुत्रियों को सम्मिलित करते हुए); तथा

(6) पूर्व मृतक पुत्र की संतानें।

(ग) यदि परिवार में अवयस्क सदस्य हैं तो उनका हिस्सा संबंधित विधवा को तथा यदि विधवा की मृत्यु हो चुकी हो अथवा उसने दूसरी शादी कर ली हो तो ऐसी अनन्तिम ग्रेच्युटी वयस्क पुत्र अथवा पुत्री को उनके हिस्से के अनुसार और अवयस्क बच्चों को उनके हिस्से के अनुसार उनके विधिक संरक्षक को दे दी जायेगी।

(घ) यदि एक सरकारी सेवक की, सेवा में रहते हुए अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त, बिना ग्रेच्युटी की धनराशि प्राप्त किये मृत्यु हो जाये और उसके परिवार में कोई सदस्य न हो और उसने कोई नामिनेशन भी न किया हो तो मृत्यु ग्रेच्युटी अथवा सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी राज्य सरकार को व्यपगत हो जायेगी।

2—यदि मृतक सरकारी सेवक के विरुद्ध सामान्य रिकवरी जैसे भवन निर्माण अग्रिम, मोटर कार अग्रिम अथवा स्कूटर अग्रिम अथवा मकान किराये की वसूली आदि देय हों तो उनकी रिकवरी मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि से कर ली जायेगी लेकिन अन्य देयों की वसूली तब तक नहीं की जायेगी जब तक यह सुनिश्चित न हो जाय कि उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित सरकारी सेवक को ''शो काज नोटिस'' देकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जा चुका है। पुनः यदि भवन निर्माण अग्रिम, मोटर कार, स्कूटर आदि अग्रिम की किस्तें अथवा उन पर ब्याज की वसूली किया जाना शेष हो तो शासनादेश संख्या बी—2—317/दस—184—64, दिनांक 17 दिसम्बर, 1969 के अनुसार मृत्यु के दिनांक से बकाया अग्रिम पर ब्याज की वसूली मृत्यु ग्रेच्युटी अथवा अवकाश नकदीकरण की धनराशि से नहीं की जायेगी। यदि मृत्यु के समय सरकारी सेवक सरकारी आवास में रह रहा हो तो परिवार को अनुमन्य की जाने वाली ग्रेच्युटी से चार महीने के किराये (एक माह का सामान्य दर पर तथा तीन माह का मानक दर पर) के बराबर कटौती कर ली जायेगी किनतु उसके बाद के किराये की वसूली हेतु राज्य सम्पत्ति विभाग अथवा सम्बन्धित जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3—यह भी निर्णय लिया गया है कि उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जाने वाली अनन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि में मृत्यु के दिनांक को लागु दरों पर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ही महँगाई राहत भी अनुमन्य कर दी जयेगी। उसके उपरान्त राहत की दरों में वृद्धि हो तो वे भी अनन्तिम पारिवारिक पेंशन के साथ अनुमन्य कर दी जायेंगी।

4—सामान्यतया मृतक के परिवार का संबंधित सदस्य अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का भुगतान व्यक्तिगत रूप से उस कार्यालय से प्राप्त करेगा जहाँ पर सम्बन्धित सरकारी सेवक मृत्यु से पूर्व कार्यरत था किन्तु यदि परिवार का सम्बन्धित सदस्य मृतक की नियुक्ति के स्थान से किसी अन्य स्थान पर पारिवारिक पेंशन प्राप्त करना चाहता है

तो वह सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को उसे बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर से भेजने हेतु अनुरोध कर सकता है। किन्तु ऐसी दशा में मनीआर्डर अथवा बैक ड्राफ्ट पर होने वाला व्यय पारिवारिक पेंशन से समायोजित कर लिया जायेगा।

9—सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 905(3) के प्राविधान के अनुसार अनन्तिम पेंशन स्वीकृत करने हेतु वही अधिकारी प्राधिकृत है जिसका कार्यक्षेत्र एक जिले अथवा एक जिले से अधिक में फैला हुआ है। इस प्राविधान के कारण अनेक कार्यालयाध्यक्ष अनन्तिम पेंशन स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत नहीं हैं और उन्हें अधीनस्थ कर्मचारियों की अनन्तिम पेंशन स्वीकृत करने हेतु पेंशन प्रपत्र स्वीकर्ता अधिकारी को भेजने आवश्यक होते हैं। चूँकि इस प्रक्रिया में विलम्ब निहित है और दूसरे ऐसा कोई समुचित कारण नहीं है कि अनन्तिम पेंशन केवल ऐसे अधिकारी द्वारा ही प्राधिकृत की जाय जिसका कार्यक्षेत्र एक जिले अथवा एक जिले से अधिक तक फैला हुआ है अतः यह निर्णय लिया गया है कि इस प्राविधान को समाप्त करते हुए अब अनन्तिम पेंशन स्वीकृत करने हेतु सभी कार्यालयाध्यक्ष अधिकृत होंगे।

10—उपरोक्त सरलीकृत प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनेक अनुच्छेदों में संशोधन अपेक्षित हैं। यद्यपि सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के संबंधित अनुच्छेदों में औपचारिक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जा रही है तथापि सुविधा की दृष्टि से राज्यपाल महोदय उपरोक्त सरलीकृत प्रक्रिया को इन अदेशों के निर्गत होने की तिथि से लागू होने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा संबंधित नियम उक्त तिथि से उपरोक्तानुसार संशोधित समझे जायेंगे।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्नक : प्रपत्र—1 एवं 2

भवदीय,

विजय कृष्ण सक्सेना

प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।

————

प्रपत्र–1

पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी/राशिकरण की स्वीकृति हेतु प्रार्थना–पत्र

भाग–1

<u>पेंशन / सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी / राशिकरण के लिये प्रार्थना–पत्र</u>

(फार्म भरने के पूर्व भाग–6 में उल्लिखित निदेश पढ़ लिये जायं)

सेवा में,

.... (कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम तथा पता)

....

....

महोदय,

मेरा विवरण निम्नवत् है। मुझे पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेंशन का राशिकरण स्वीकृत करने की कृपा करें :–

1–नाम : ....

2–पिता / पति का नाम : ....

3–सेवानिवृत्ति के पश्चात् का पता :

(क) स्थायी निवास स्थान ....

(ख) पत्र–व्यवहार का पता ....

4–जन्म तिथि : ....

5–सेवा प्रारम्भ करने की तिथि : ....

6–सेवानिवृत्ति की तिथि : ....

7–अन्तिम पद जहाँ से सेवानिवृत्त हुए का पदनाम तथा ....
कार्यालय / विभाग का नाम एवं पता : ....

8–मृत्यु होने की दशा में नामिनी का नाम एवं पता जिसे जीवनकालीन अवशेष का भुगतान किया जाय : ....

9–पेंशन का भाग या पेंशन की धनराशि जिसका राशिकरण अपेक्षित हैं : ....

10–भुगतान किस कोषागार से आहरित करना चाहते हैं : ....

11–परिवार का विवरण : ....

क्र0सं0	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्म तिथि	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	विवाहित / अविवाहित	पता
1	2	3	4	5	6
1–					
2–					
3–					
4–					
5–					
6–					

भवदीय / भवदीया,

....

(सरकारी सेवक के हस्ताक्षर)

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया उपर्युक्त विवरण सही है। मुझे नियमानुसार पेंशन/सेवा आनुतोषिक, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेंशन का राशिकरण स्वीकृत कर दिया जाय। मैं भली–भाँति अवगत हूँ कि यदि मुझे इस प्रार्थना–पत्र के आधार पर उपर्युक्त मदों में भुगतान की गयी धनराशियाँ नियमानुसार अनुमन्य धनराशियों से अधिक पायी जायेंगी तो मुझे अधिक प्राप्त धनराशियाँ वापस करनी होंगी। मैं वचन देता/देती हूँ कि मुझे उपरोक्तानुसार आगणित वास्तविक धनराशि की स्वीकृति के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के पुनरीक्षित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं अधिक प्राप्त धनराशि को तत्काल शासन को वापस कर दूँगा/दूँगी।

(सरकारी सेवक के हस्ताक्षर)

दो साक्षी जिनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये
(यथासंभव उसी कार्यालय के सदस्य होने चाहिये
जहाँ से सेवानिवृत्त हुए)

1–नाम .... हस्ताक्षर
पदनाम ....
पता ....

2–नाम .... हस्ताक्षर
पदनाम ....
पता ....

भाग–2

पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी के लिये प्रार्थना–पत्र

सेवा में,

.... (कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम तथा पता)
....
....

महोदय,

मेरा तथा मृत सरकारी सेवक का विवरण निम्नवत् है। मुझे पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकृत करने की कृपा करें :–

1–मृत सरकारी सेवक का नाम : ....
2–मृत सरकारी सेवक के पिता/पति का नाम : ....
3–मृत सरकारी सेवक द्वारा धारित अन्तिम पद का नाम तथा विभाग/कार्यालय ....
का नाम एवं पता : ....
4–क्या मृत सरकारी सेवक पेंशन पा रहा था? यदि हाँ तो :–
(क) सेवानिवृत्ति का दिनांक ....
(ख) पेंशन भुगतानादेश संख्या ....
(ग) पेंशन प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का ....
पदनाम एवं पता :. ....

5–प्रार्थी का–

(क) नाम ....

(ख) पिता/पति का नाम ....

(ग) जन्म तिथि ....

(घ) मृत सरकारी सेवक से सम्बन्ध ....

6–मृत्यु के उपरान्त विधवा अथवा परिवार के सम्बन्धित सदस्य का पता जिसे पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जायेगी :–

(क) स्थायी निवास स्थान : ....

....

(ख) पत्र–व्यवहार का पता : ....

....

7–सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक : (मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न है) ....

8–मृत सरकारी सेवक के परिवार का विवरण :

क्र0सं0	परिवार के सदस्यों का नाम	जन्मतिथि	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	विवाहित/अविवाहित	पता
1	2	3	4	5	6
1–					
2–					
3–					
4–					
5–					
6–					

9–कोषागार का नाम जहाँ से भुगतान अपेक्षित है ....

10–अनन्तिम पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी की धनराशि (यदि कोई हो) :

(क) पारिवारिक पेंशन ....

(ख) मृत्यु ग्रेच्युटी ....

(प्रार्थी के हस्ताक्षर)
या अंगूठे के निशान

घोषणा

मैं .... पत्नी/पति, पुत्र/पुत्री स्वर्गीय श्री .... की (विभाग/कार्यालय का नाम) .... द्वारा दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकार करते हुए यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि नियमानुसार अनुमन्य पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी से अधिक धनराशि किसी त्रुटिवश भुगतान कर दी जाती है तो उसके पुनरीक्षण में तथा अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वापसी में मुझे कोई आपत्ति न होगी।

(प्रार्थी के हस्ताक्षर)
या अंगूठे के निशान

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

1– नाम ....

पदनाम ....

पता ....

2– नाम ....

पदनाम ....

पता ....

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

(उपर्युक्त साक्षी यथासंभव उसी कार्यालय में कार्यरत होने चाहिये जहाँ मृतक कर्मचारी कार्यरत था अन्य स्थिति में आहरण एंव वितरण अधिकारी साक्षियों के सम्बन्ध में अपने विवेक से निर्णय लेंगे)

———

भाग–3

प्रार्थी का विवरण

(स्वीकृति अधिकारी को भेजी जाने वाली प्रति में यह भाग दो प्रतियों में भरकर भेजा जायेगा। कार्यालयाध्यक्ष अपने अभिलेख हेतु इस फार्म की एक प्रति ही भरवायेंगे। प्रदेश के बाहर पेंशन प्राप्त करने की स्थिति में अतिरिक्त दोनों फार्मों में भाग 3 की एक ही प्रतिलिपि रखी जायेगी।)

1–सरकारी सेवक की पत्नी/पति के साथ पासपोर्ट आकार का सत्यापित संयुक्त फोटो (मृत्यु की दशा में प्रार्थी का पासपोर्ट आकार में अपना फोटो)

2–सरकारी सेवक का नाम, पदनाम तथा कार्यालय का नाम ....

3–सरकारी सेवक की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन/मृत्यु ग्रेच्युटी हेतु प्रार्थी का नाम तथा सरकारी सेवक से सम्बन्ध ....

4–नमूने के हस्ताक्षर ....

(क) सरकारी सेवक के (उसके जीवित रहने पर करवाये जायेंगे)

(ख) सरकारी सेवक की पत्नी/पति या अन्य प्रार्थी के (उसके जीवित रहने अथवा मृत्यु होने दोनों दशाओं में करवायें जायेंगे)

5–यदि सरकारी सेवक या उसकी पत्नी/पति अथवा अन्य प्रार्थी अंग्रेजी, हिन्दी अथवा उर्दू में हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो दायें अथवा बायें हाथ के अंगूठे एवं उंगलियों का निशान :–

(क) सरकारी सेवक के ....

(ख) पत्नी/पति या अन्य प्रार्थी के ....

6–वैयक्तिक पहचान :–

(क) सरकारी सेवक/पारिवारिक पेंशन की ऊँचाई ....

(ख) सरकारी सेवक/पारिवारिक पेंशनर के पहचान चिन्ह ....

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के दिनांक सहित

हस्ताक्षर, नाम तथा पदनाम (सील सहित)

भाग–4

<u>सेवा का इतिहास</u>

सरकारी सेवक का नाम ....

क्रमांक	कब से कब तक (केवल दिनांक दिये जायं)	पद का नाम, जिस पर कार्य किया (स्थान सहित) अवकाश असाधारण अवकाश, निलम्बन	स्तम्भ–3 में दर्शाई गयी अवधि का प्रकार	यदि कोई अवधि पेंशन युक्त नहीं है तो कारण सहित उसका विवरण दिया जाय
1	2	3	4	5

दिनांक :

हस्ताक्षर .... (कार्यालयाध्यक्ष का नाम एवं पता)

भाग–5

(कार्यालयाध्यक्ष के उपयोग हेतु)

1–सरकारी सेवक का नाम : ....

2–सरकारी सेवक की जन्मतिथि : ....

3–सेवा में आने का दिनांक : ....

4–सेवानिवृत्ति का दिनांक : ....

	वर्ष	मास	दिन
5–कुल अवधि (4-3)	....		
6–सैन्य सेवा जो पेंशन के लिये अर्ह है, की अवधि :	....		
7–अन्य सेवा (यदि कोई हो) जिसे पेंशन हेतु अर्ह माना गया :	....		
8–पेंशन अनर्ह सेवा :			
(क) 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व की सेवा :	....		
(ख) सेवा में विच्छेद :	....		
(ग) पेंशन के लिये अनर्ह निलम्बन की अवधि :	....		
(घ) कोई अन्य सेवा जो पेंशन हेतु अनर्ह हो : (कारण सहित उल्लेख किया जाय)	....		
योग			

	वर्ष	मास	दिन
9–पेंशन हेतु अर्ह सेवा की कुल अवधि : (5+6+7–8)	....		

10–पेंशन का प्रकार : या .... (छमाहियाँ)

प्रतिकर/अशक्तता/रिटायरिंग/अधिवर्षता

11–सेवानिवृत्ति के दिनांक को मूलनियम 9(21)(1) में परिभाषित वेतन : ....

12–औसत परिलब्धियों का आगणन : ....

अन्तिम दस मास में प्राप्त परिलब्धियाँ

धारित पद	से दिनांक	तक दिनांक	परिलब्धियाँ	
			मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित	अन्य
1	2	3	4	5

योग (स्तम्भ–4 का)÷10 रु

....

14–सर्विस ग्रेच्युटी का आगणन :

(पेंशन अर्ह सेवा से 10 वर्ष से कम होने पर

पेंशन के स्थान पर अनुमन्य) ....

15–सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी का आगणन : ....

16–सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी धनराशि से कटौती (यदि कोई हो) :..

17–शुद्ध सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि : ....

18–पारिवारिक पेंशन का आगणन : ....

(क) सामान्य दर

(ख) 7 वर्ष की सेवा के उपरान्त मृत्यु की दशा में दिनांक .... से रु0 .... प्रतिमाह तथा दिनांक .... से रु0 .... प्रतिमाह (सामान्य दर)

19–पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ होने का दिनांक : ....

20–पेंशन का भाग अथवा धनराशि जिसका राशिकरण अनुमन्य है :..

..

21–राशिकृत मूल्य का आगणन : ....

22–राशिकरण के उपरान्त अनुमन्य पेंशन की धनराशि : रु0 ....

23–कोषागार का नाम जहाँ से पेंशन/सेवानिवृत्ति अथवा

मृत्यु ग्रेच्युटी/राशिकरण के भुगतान आहरित किये जायेंगे : ....

24–अनन्तिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन :

(यदि कोई स्वीकृत की गई हो) ....

25–अनन्तिम सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी :

(यदि कोई स्वीकृत की गई हो) ....

26–पेंशन प्रपत्रों के प्रेषण की तिथि के पूर्व

अर्थात् दिनांक ....

(यह तिथि सेवानिवृत्ति के ठीक आठ माह पूर्व की होनी चाहिये) तक :–

1–भवन निर्माण अग्रिम में से रु0 .... की धनराशि देना शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है।

2–मोटरकार/मोटरसाइकिल/स्कूटर/मोपेड आदि अग्रिम में से रु0 .... की धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है।

3–किसी अन्य प्रकार के अग्रिम में से रु0 .... की धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है।

4–सरकारी भवन में आवास करने हेतु दिनांक .... तक रु0 .... की धनराशि किराये के रूप में अवशेष है/कोई धनराशि अवशेष नहीं है तथा सेवानिवृत्ति के दिनांक .... तक रु0 .... और देना शेष रह जायेगा।

5–आडिट के परिणामस्वरूप रु0 .... की धनराशि देय है/कोई धनराशि शेष नहीं है।

6–विभागीय अथवा किसी अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप रु0 .... की धनराशि देय है/कोई धनराशि देय नहीं है।

7—अन्य मदों में (मद स्पष्ट की जाय) रु0 .... की धनराशि देय है/कोई धनराशि देय नहीं है।

8—श्री .... (सरकारी सेवक का नाम) के विरुद्ध कोई न्यायिक/ वैभागिक अथवा प्रशासनाधिकरण जाँच लम्बित नहीं है/है।

(यदि लम्बित है तो उसका संक्षिप्त विवरण, जैसे यदि सरकार को वित्तीय हानि पहुँचाई गयी हो तो उसका आधार एवं धनराशि अथवा यदि गंभीर दुराचरण के दोषी हों तो उसका विवरण दिया जाय।)

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के
हस्ताक्षर तथा पद नाम

———

भाग—6

खण्ड—1 (नियम तथा प्रक्रिया)

1—पेंशन प्रपत्रों की तैयारी :

पेंशन प्रपत्रों की तैयारी सेवानिवृत्ति के दिनांक से 24 मास पूर्व प्रारम्भ की जायेगी और उसके लिये निम्नलिखित 24 मासीय सयमसारणी का पालन करना होगा।

(1) 16 मास की अवधि में पेंशन प्रपत्र की तैयारी हेतु सर्वप्रथम सेवापुस्तिका की जाँच करके अर्हकारी सेवा की गणना की जायेगी। यदि सेवापुस्तिका के कोई अंश असत्यापित हों अथवा पूर्ण न हों तो ऐसे अंशों को सम्बन्धित अभिलेखों के आधार पर सत्यापित करके सेवापुस्तिका को पूर्ण करने की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही सरकारी सेवक के विरुद्ध अवशेष देयों की जानकारी हेतु इस प्रकार कदम उठाये जायेंगे कि ऐसी जानकारी सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व उपलब्ध हो जाय।

(2) सेवापुस्तिका को पेंशन प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। पेंशन देयों की स्वीकृति के उपरान्त सेवापुस्तिका को सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को वापस कर दिया जायेगा।

(3) अगले आठ मास की अवधि में —

(क) प्रथम मास की अवधि में पेंशन प्रपत्र की तैयारी का वास्तविक कार्य पूर्ण कर सेवानिवृत्ति के कम से कम 6 मास पूर्व पेंशन प्रपत्र को निदेशक पेंशन/मुख्य लेखाधिकारी के पास भेज दिया जायेगा।

(ख) यदि पेंशन प्रपत्र तथा सेवापुस्तिका पूर्ण हो तो उनकी प्राप्ति के उपरान्त निदेशक पेंशन/मुख्य लेखाधिकारी द्वारा भुगतान आदेश इस अभ्युक्ति के साथ निर्गत किये जायेंगे कि कौन सा भुगतान किस तिथि से प्रभावी होगा। यदि प्रपत्रों में कोई कमी पायी जायेगी तो उन्हें सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को वापस कर दिया जायेगा और उनसे अपेक्षित होगा कि वे त्रुटि सुधार करने के उपरान्त उन्हें तत्काल वापस कर दें।

(ग) पेंशन, ग्रेच्युटी तथा राशिकरण के भुगतानादेश सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के दिनांक को दे दिये जायेंगे किन्तु यह भुगतानादेश अगले दो मास तक इस उद्देश्य से अनन्तिम समझे जायेंगे कि दो माहों में अवशेष देयों की स्थिति स्पष्ट करके ग्रेच्युटी की धनराशि अन्तिम रूप से भुगतान हो जाय। इस सम्बन्ध में अग्रसारण अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति के दिनांक के अगले दिन निर्धारित प्रारूप पर एक पत्र निदेशक पेंशन/मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी को भेजा जायेगा।

2—सेवा का इतिहास :

पेंशन प्रपत्र के भाग—4 में सेवा का इतिहास दिया जायेगा। इस हेतु पूरी सेवापुस्तिका की प्रतिलिपि करने की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न नियुक्तियों, पदोन्नतियों तथा सेवा समाप्ति के दिनांक, मास तथा वर्ष देना पर्याप्त है। टूटी अवधियाँ जोड़ने के प्रयोजन के लिए एक माह 30 का गिना जायेगा।

सरकारी सेवा में प्रवेश/पदोन्नति तथा प्रत्यावर्तन आदि के दिनांक सही रूप में अभिलिखित एवं प्रमाणित किये जाने चाहिए। जिस सरकारी सेवक को कभी निलम्बित, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया हो, सेवा से हटाया गया हो या पदच्युत किया गया हो और तत्काल उसे सेवा में पुनर्स्थापित किया गया हो तो उसके पुनर्स्थापन के आदेश की प्रतिलिपि यदि उपलब्ध हो, तो उसे लगाया जाना चाहिए।

3–जन्म दिनांक :

(क) प्रत्येक सरकारी सेवक का जन्म दिनांक जैसा उसके सेवा में प्रवेश के समय हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के प्रमाण–पत्र में अभिलिखित हो माना जायेगा लेकिन जहाँ किसी सरकारी सेवक ने ऐसी कोई परीक्षा उत्तीर्ण ही न की हो या सेवा में प्रवेश करने के पश्चात् ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की हो वहाँ उसके सरकारी सेवा में प्रवेश करने के समय उसकी सेवापुस्तिका में अभिलिखित दिनांक उसके सेवा सम्बन्धी सभी प्रयोजनों के लिऐ जिसके अन्तर्गत पदोन्नति/अधिवार्षिकी/समयपूर्व सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति सम्मिलित हैं, उसका ठीक जन्म दिनांक माना जायेगा और ऐसे दिनांक को शुद्ध करने के बारे में कोई आवेदन–पत्र या अभ्यावेदन किसी भी परिस्थिति में ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(ख) जन्म दिनांक के सामने केवल वर्ष का उल्लेख होने पर उस वर्ष की पहली जुलाई जन्म तिथि मानी जायेगी और सरकारी सेवक 30 जून को सेवानिवृत्त होगा। यदि वर्ष और मास दोनों लिखे हैं तो जन्म दिनांक उस मास की 16 तारीख माना जायेगा और सरकारी सेवक मास के अन्तिम दिन को सेवानिवृत्त होगा। मास का प्रथम दिन जन्म दिनांक होने पर सरकारी सेवक पिछले मास के अन्तिम दिनांक को सेवानिवृत्त हो जायेगा।

4–पेंशन अर्ह सेवा :

(क) सेवा प्रारम्भ करने के दिनांक से सेवानिवृत्ति/मुत्यु के दिनांक तक की गयी सेवा पेंशन अर्ह सेवा मानी जाती है। 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व की गयी सेवा पेंशन अर्ह नहीं होगी। सारी कार्यावधि (ड्युटी) तथा सारा सवेतन अवकाश, चाहे पूर्ण वेतन पर हो या अर्द्ध वेतन पर, पेंशन अर्ह होगा। वेतन रहित अवकाश निम्नलिखित तीन स्थितियों के अतिरिक्त पेंशन अर्ह नहीं है :–

1–सक्षम चैकित्सिक प्राधिकारी द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर।

2–नागरिक अशान्ति होने के कारण ड्युटी पर आने अथवा पुनः आने में उसकी असमर्थता, अथवा

3–उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक अध्ययनों में अनुशीलन के कारण।

निलम्बन की अवधि पेंशन अर्ह नहीं है किन्तु सेवापुस्तिका में किसी विशेष प्रविष्टि के न होने पर निलम्बन की अवधि अर्ह सेवा में गिनी जायेगी। सेवा में हुआ व्यवधान पेंशन अर्ह नहीं है किन्तु सेवा रिकार्ड में कोई विशेष संकेत न होने पर राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी सेवा की दो अवधियों की बीच हुये व्यवधान/व्यवधानों को स्वतः मर्षित माना जयेगा और पेंशन के लिए व्यवधान/व्यवधानों से पूर्व की सेवा पेंशन अर्ह मानी जायेगी सिवाय इसके कि जहाँ अन्यथा यह जानकारी हो कि व्यवधान सेवा से त्याग–पत्र देने, बरखास्त कर दिये जाने अथवा सेवा से निकाल दिये जाने अथवा किसी हड़ताल में भाग लेने के कारण हुआ हो।

(ख) पूर्ण अर्हकारी सेवा को पूर्ण छमाहियों में परिवर्तित किया जायेगा और ऐसी छमाहियों की गणना करते समय तीन मास या उससे अधिक की अवधि को एक छमाही माना जायेगा। उदाहरणार्थ 29 वर्ष 9 माह की पेंशन अर्ह सेवा 30 वर्ष या 60 छमाही मानी जायेगी।

5–पेंशन का आगणन :

दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पेंशन की धनराशि मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित सेवानिवृत्ति के अन्तिम दस मास के औसत वेतन का 50% होगी बशर्ते सरकारी सेवक ने 33 वर्ष की पेंशन अर्ह सेवा पूर्ण कर ली हो। यदि पेंशन अर्ह सेवा की अवधि कम है तो पेंशन की धनराशि उसी अनुपात में कम हो जायेगी। ऐसे सरकारी सेवक जो 1 जनवरी, 1986 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुए हों किन्तु उनकी सेवा के

अन्तिम दस माह का कुछ भाग 1 जनवरी, 1986 से पूर्व का हो तो उस भाग के लिए जो 1 जनवरी, 1986 से पूर्व का है परिलब्धियों का आशय मूल नियम 9(21) में परिभाषित वेतन से होगा।

6–ग्रेच्युटी :

(क) सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी–

दिनांक 1 जनवरी, 1986 के उपरान्त सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी केवल उन्हीं सरकारी सेवकों को अनुमन्य है जिन्होंने पाँच वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हो। सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की धनराशि अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 1/4 के बराबर होगी जिसका अधिकतम परिलब्धियों के साढ़े सोलह गुने के बराबर अथवा रुपये एक लाख, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। उराहरणार्थ यदि मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित वेतन रु0 1660 है और पेंशन अर्ह सेवा 30 वर्ष है तो सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी = 1/4 x 1660 x 60=24,900/– होगी।

(ख) मृत्यु ग्रेच्युटी–

मृत्यु ग्रेच्युटी की दरें निम्न प्रकार हैं :–

सेवा अवधि	मृत्यु ग्रेच्युटी की दर
1–एक वर्ष से कम	परिलब्धियों का दो गुना
2–एक वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	परिलब्धियों का छः गुना
3–पाँच वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 12 गुना
4–20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए परिलब्धियों के 1/2 के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर अथवा रु0 एक लाख, जो भी कम हो, से अधिक न होगी।

7–ग्रेच्युटी भुगतान हेतु परिवार की परिभाषा :

परिवार में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हैं :–

(क) पति/पत्नी

(ख) पुत्र (ऐसी सौतेली और गोद ली गयी सन्तानें भी।)

(ग) अविवाहित तथा विधवा पुत्रियाँ

(घ) 18 वर्ष की आयु से कम भाई, अविवाहित तथा विधवा बहनें (सौतेले भाई बहन भी)

(च) पिता/माता

(छ) विवाहित पुत्रियाँ (सौतेली पुत्रियाँ भी)

(ज) पूर्व मृत पुत्र की सन्तानें भी।

8–पारिवारिक पेंशन की दरें :

दिनांक 1 जनवरी, 1986 के उपरान्त निम्न दरों पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है :–

मूल वेतन प्रतिमास	पारिवारिक पेंशन दर
1–1500 रु0 से अनधिक	मूल वेतन का 30%
2–1500 रु0 से अधिक किन्तु 3000 रु0 से कम	मूल वेतन का 20% जिसका न्यूनतम रु0 450 प्रतिमास होगा।
3–3000 रु0 से अधिक	मूल वेतन का 15% जिसका न्यूनतम रु0 600 तथा अधिकतम रु0 1250 होगा।

9–पारिवारिक पेंशन के लिये परिवार की परिभाषा :

(1) पत्नी/पति

(2) मृत्यु के दिन 21 वर्ष की आयु से कम के पुत्र

(3) मृत्यु के दिन 25 वर्ष से कम आयु की अविवाहित पुत्रियाँ — सौतेली तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व (विधिवत गोद ली गयी सन्तानें भी।)

पारिवारिक पेंशन उपर्युक्त क्रम में एक समय में एक सदस्य को ही अनुमन्य है। विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त सन्तानों पर आयु का बन्धन नहीं है।

10–अस्थायी सरकारी सेवकों को पेंशन की अनुमन्यता :

ऐसे अस्थायी सरकारी सेवाकें को जिन्होंने दिनांक 1 जून, 1989 के पूर्व अथवा उसके बाद अपनी सेवानिवृत्ति के दिनांक तक कम से कम 10 वर्ष की अस्थायी सेवा पूर्ण कर ली हो, स्थायी सरकारी सेवकों की भांति, सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के प्राविधानों के अन्तर्गत, पेंशन अनुमन्य होगी।

——————

खण्ड–2 (प्रपत्र भरने के सम्बन्ध में अनुदेश)

भाग–1 (सामान्यतया दो प्रतियों में भरा जायेगा। प्रदेश से बाहर पेंशन आहरित करने के मामलों में चार प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा)

1–यह प्रार्थना–पत्र अधिवर्षता पर, स्वेच्छा से, अनिवार्य रूप से, अथवा अन्य प्रकार से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों द्वारा भरा जायेगा। कम्पेन्सेशन तथा इनवैलिड पेंशन के मामलों में भी यही प्रार्थना–पत्र प्रयोग में लाया जायेगा। अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामलों में इस प्रार्थना–पत्र को सेवानिवृत्ति के दिनांक के आठ माह पूर्व भरा जाना अनिवार्य है।

2–इस प्रार्थना–पत्र को संबंधित सरकारी सेवक द्वारा सावधानी पूर्वक भरा जायेगा क्योंकि त्रुटि अथवा अपूर्ण छोड़ देने से उसके पेंशन स्वीकृति के मामले में विलम्ब हो सकता है।

3–इस भाग में उल्लिखित घोषणा पर संबंधित सरकारी सेवक द्वारा सावधानी पूर्वक पढ़ने के उपरान्त हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

4–घोषणा पर हस्ताक्षर करने के साक्ष्य हेतु संबंधित साक्षी यथासंभव उसी कार्यालय के सदस्य होने चाहिए जहाँ से सरकारी सेवक सेवानिवृत्त हुआ है। साक्षियों के उसी कार्यालय के सदस्य न होने की स्थिति में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष साक्षियों के चयन में अपने पूर्ण विवेक से काम लेंगे क्योंकि शासन को हानि होने की दशा में साक्षी जिम्मेदार होंगे।

भाग–2 (सामान्यतया दो प्रतियों में भरा जायेगा। प्रदेश से बाहर पारिवारिक पेंशन आहरित करने के मामलों में चार प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा)

1–यह प्रार्थना–पत्र पारिवारिक पेंशन/मृत्यु ग्रेच्युटी प्राप्त करने हेतु सरकारी सेवक की मृत्यु के उपरान्त विधवा अथवा परिवार के सम्बन्धित सदस्य जिसे पारिवारिक पेंशन/मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकृत की जा सकती है द्वारा भरा जायेगा।

2–इस प्रार्थना–पत्र को मृत सरकारी सेवक के परिवार के सम्बन्धित सदस्य द्वारा सावधानी पूर्वक भरा जायेगा क्योंकि त्रुटि अथवा अपूर्ण छोड़ देने से उसके पारिवारिक पेंशन/मृत्यु ग्रेच्युटी की स्वीकृति के मामले में विलम्ब हो सकता है।

3–इस भाग में उल्लिखित घोषणा–पत्र पर सरकारी सेवक के परिवार के सम्बन्धित सदस्य द्वारा सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरान्त हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

4–घोषणा पर हस्ताक्षर करने के साक्ष्य हेतु सम्बन्धित साक्षी यथा सम्भव उसी कार्यालय के सदस्य होने चाहिए जहाँ सरकारी सेवक मृत्यु के पूर्व कार्यरत था। साक्षियों के उसी कार्यालय के सदस्य न होने की स्थिति में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष साक्षियों के चयन में अपने पूर्ण विवेक से काम लेंगे क्योंकि शासन को हानि होने की दशा में साक्षी जिम्मेदार होंगे।

भाग–3

1–यह विवरण सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक द्वारा तथा सेवारत मृत्यु के उपरान्त परिवार के सम्बन्धित सदस्य द्वारा, दोनों दशाओं में भरा जायेगा।

2–स्तम्भ 3 एवं 4 में नमूने के हस्ताक्षर करवाये जायेंगे किन्तु यदि प्रार्थी हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो स्तम्भ 5 में पुरुष की स्थिति में बायें हाथ के अथवा स्त्री की स्थिति में दायें अंगूठे तथा उंगलियों के निशान लगवाये जायेंगे।

3–पहचान चिन्ह शरीर के ऐसे भागों जैसे चेहरा, हाथ आदि जो बाहर दिखते हैं, के होने चाहिए। यदि बाहरी भागों पर कोई ऐसा चिन्ह न हो तो भीतरी भाग के पहचान चिन्ह भी इंगित किये जा सकते हैं।

4–सामान्यतया सरकारी सेवक को अपनी पत्नी/पति के साथ का संयुक्त फोटो देना चाहिए। यदि पत्नी/पति में से एक ही जीवित हो अथवा पत्नी/पति में सम्बन्ध विच्छेद हो गया हो तो पेंशनर अथवा पारिवारिक पेंशनर केवल अपना फोटो ही दे सकता है। फोटो की 3 प्रतियाँ प्रस्तुत की जायेंगी जिनमें से दो प्रतियाँ दो फार्म्स पर चिपकायी जायेगी तथा एक प्रति छोटे लिफाफे में पेंशन प्रपत्र के साथ डिस्बर्सहाफ पर लगाने हेतु अलग से रख दी जायेगी। प्रदेश से बाहर पेंशन लेने पर 5 प्रतियाँ प्रस्तुत की जायेंगी जिनमें से 4 प्रतियाँ चारों फार्म्स पर तथा पाँचवी प्रति एक छोटे लिफाफे में डिस्बर्सहाफ पर लगाने हेतु अलग से रख दी जायेगी। फोटोग्राफों की सभी प्रतियों को कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनुप्रमाणित किया जायेगा।

5–उपरोक्त विवरण केवल 18 वर्ष या उससे अधिक के आयु के प्रार्थियों का ही दिया जायेगा। भुगतान पाने के लिए अर्ह व्यक्ति के अवयस्क होने की दशा में विधिक संरक्षक को भगुतान किया जायेगा।

भाग–4

इस भाग में सेवापुस्तिका के आधार पर आगणित अर्हकारी सेवा का इतिहास दिया जायेगा इस हेतु पूरी सेवापुस्तिका की प्रतिलिपि करने की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न नियुक्तियों, पदोन्नतियों तथा सेवा समाप्ति के दिनांक, मास तथा वर्ष देना पर्याप्त है। अनर्हकारी सेवा की अवधियों तथा उनका पूर्ण विवरण भी दिया जायेगा। यदि कोई अवधि मर्षण योग्य हो तो उसका भी विवरण दिया जायेगा।

भाग–5

1–पेंशन पारिवारिक पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, मृत्यु ग्रेच्युटी तथा राशिकरण की राशियों के आगणन हेतु कृपया खण्ड–1 में उल्लिखित अनुदेश भली प्रकार पढ़ लिये जायं।

2–सरकारी सेवक के विरुद्ध देयों की स्थिति की जानकारी करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पूर्व प्रारम्भ करनी चाहिए और स्तम्भ–26 के द्वारा पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी को विभिन्न देयो/जाँच के बारे में सेवानिवृत्ति की तिथि के आठ माह पूर्व की स्थिति से अवगत करा दिया जाय। अदेयता प्रमाण–पत्र अन्तिम पाँच वर्ष की सेवा की छानबीन के आधार पर निर्गत किया जायेगा। यदि अन्यथा इस बात की जानकारी हो कि पाँच वर्ष से पहले की अवधि से सम्बन्धित सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई शासकीय देय है तो पाँच वर्ष से पहले के अभिलेखों की भी जाँच की जाय। 5 वर्ष की अवधि की छानबीन करने हेतु कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उन सभी कार्यालयों से जहाँ सम्बन्धित सरकारी सेवक ने कार्य किया हो अदेयता के विषय में पूछताछ की जायेगी और सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व की स्थिति को भाग–5 में दर्शा दिया जायेगा। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह प्रयास किया जायेगा कि इस भाग में दर्शाये गये सभी देयों की सेवानिवृत्ति के दिनांक तक वसूली पूर्ण हो जाये किन्तु यदि किसी मद में वसूली पूर्ण न हो पाये अथवा किसी अधिकारी से देयता के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्राप्त न हो पाये तो संलग्न्क–1 पर इस आशय का एक बन्ध पत्र भरवाकर यदि सेवानिवृत्ति के दो वर्ष के अन्दर उसके विरुद्ध कोई देय निकलते हैं तो उसकी वसूली उससे कर ली जायेगी, ग्रेच्युटी की शेष धनराशि भी अवमुक्त कर दी जायेगी। सेवारत मृत्यु होने की दशा में उत्तराधिकारियों से संलग्नक–2 पर बन्धक पत्र भरवाया जायेगा। बन्धक पत्रों पर देय स्टैम्प ड्यूटी शासन द्वारा वहन की जायेगी।

3–इस भाग के स्तम्भ–27 में दर्शायी गयी विभिन्न मदों के सम्बन्ध में कार्यवाही निम्नवत् की जायेगी :–

(1) सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष भवन निर्माण, वाहन अथवा अन्य अग्रिमों की वसूली की आठ माह पूर्व की स्थिति का आकलन अपने अभिलेखों के आधार पर करेंगे। राजपत्रित अधिकारियों द्वारा लिये गये अग्रिमों की स्थिति का आंकलन कोषागार, इरला चेक अनुभाग अथवा महालेखाकर के लेखों के आधार पर किया जायेगा। सामान्यतया सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व ऐसे देयों की स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए और सेवानिवृत्ति के पूर्व ऐसे देयों की वसूली पूर्ण हो जानी चाहिए किन्तु यदि किसी कारणवश ऐसा न हो पाये तो शेष धनराशि की वसूली को बन्धक पत्र–1 से आच्छादित मानकर ग्रेच्युटी को अवमुक्त कर दिया जायगा।

(2) सरकारी भवन में आवासित सरकारी सेवकों से किराया वसूल करने का दायित्व राज्य सम्पत्ति विभाग अथवा जिलों के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। उनका दायित्व है कि वे नियमित रूप से ऐसी वसूली करते रहें किन्तु यदि किसी मामले में कोई अवशेष देय रह जाय तो सम्बन्धित सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व तक की पूर्ण सूचना राज्य सम्पत्ति विभाग अथवा जिलों के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर दी जायेगी जिससे सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उसकी अगले आठ माह में वसूली करके शून्य ''लास्ट ड्यूज सर्टीफिकेट'' भेजा जा सके और सेवानिवृत्ति के उपरान्त के चार माह के किराये (एक माह का किराया सामान्य दर पर तथा तीन माह का किराया मानक दर पर) की वसूली ग्रेच्युटी से करके ग्रेच्युटी अवमुक्त की जा सके।

(3) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अन्य सभी प्रकार की वसूलियों की स्थिति का आकलन भी हर दशा में सेवानिृत्ति के आठ माह पूर्व पूर्ण कर लेना चाहिए और शेष आठ माहों में वसूल होने वाली शेष धनराशि को इस भाग में दर्शा कर शेष धनराशि अगले आठ माह में वसूल कर लेना चाहिए। सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी से सेवानिवृत्ति के दिनांक तक जानकारी में आ गये देयों की वसूली की जा सकती है। अतः सेवानिवृत्ति के दिनांक तक जानकारी में न आ पाये देयों की वसूली हेतु बन्धक पत्र (संलग्नक–1) भरवाकर शेष ग्रेच्युटी अवमुक्त कर दी जाय।

(4) इसी स्तम्भ के उप पैरा (8) में आठ माह पूर्व तक की न्यायिक, वैभागिक अथवा प्रशासनाधिकरण की जाँच की स्थिति दर्शायी जायेगी। सेवानिवृत्ति के दिनांक की स्थिति पुनः ''लास्ट ड्यूज सर्टीफिकेट'' में दर्शा दी जायेगी जिससे पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह जानकारी हो जाय कि ग्रेच्युटी की पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा सकती है अथवा नहीं। सतर्कता आयोग द्वारा की जा रही जाँच के आधार पर ग्रेच्युटी नहीं रोकी जायगी।

––––––

संलग्नक–I

This deed of indemnity is made on the .... day of .... 19 corresponding to Saka Samvat the .... day of .... 19 .... (Bounden) In FAVOUR OF the Governor of Uttar Pradesh (called "the Governor") ....

Whereas :

1. The Bounden above named was/is in the service of the government of Uttar Pradesh (Called "the Government") as .... (designation) in .... (name of office).

2. The Bounden above named has retired/is due for retirement on ....

3. A 'No demand certificate' is required to be issued in favour of the Bounden by .... before sanction of pension, gratuity *etc*. to the Bounden but the said certificate could not be issued so far and the scrutiny of records for that purpose is likely to take further time.

4. The Government is willing to sanction pension and gratuity *etc*. to the Bounden on condition that the Bounden shall execute a bond, being these presents, to indemnify and save harmless the Governnment from any loss which tha Government may incur by reason of any moneys found due against the Bounden within a period of two years from the date of retirement of the Bounden.

Now this deed witnesses–

1. In consideration of government agreeing to saction pension and gratuity *etc*. to the Bounden before issue of 'No demand certificate in his favour' the Bounden hereby covenants with the Governor that the Bounden shall pay on demand to the Government all moneys which may be descovered, within a period of two years from the date of retirement of the Bounden, to be due against him.

2. Any amount due under this deed may, on the certificate of .... which shall be final, conclusive and binding on the Bounden, be recovered from him as arrears of land revenue.

In witness to the above written bond and the conditions thereof the Bounden has signed hereunder on the day and year first above written.

The stamp duty on this instrument will be borne by the Government.

Witness :

Signed by
Bounden

1..

Address

2. ....

Address

————

संलग्नक–II

THIS DEED OF INDEMNITY is made on the .... day of .... 20...... corresponding to Saka Samvat the .... day of .... 19............. By (I) Srimati/Sri .... W/o S/o late Sri .... R/o .... (Bounden 1)* and (2) II Sri .... S/o .... R/o...................................... (Bounden) (Jointly called the "Boundens") IN FAVOUR OF THE GOVERNOR OF UTTAR PARDESH (called "the Governor").

whereas:

1. Late Sri .... was in the service of the Government of Uttar Pradesh (called the "Government") as .... (designation) in .... (name of offiece).

2. late Sri .... (called "deceased") died on .... and family pension and death cum retirement gratuity is to be sanctioned to his family.

3. Bounden I is the .... (relationship with deceased)* and Bouden II is the .... (relationship with deceased) and is/are entitled to the family pension and gratuity.

4. A 'No Demand Certificate' is required to be issued in regard to the deceased by .... before sanction of family pension, gratuity, *etc*. to the Bounden, but the said certificate could not be issued so far and serutiny of records for that purpose is likely to take further time.

5. That Government is willing to sanction family pension and gratuity *etc*. to the Bounden on condition that the Bounden shall excute a bond, being these presents, to idemnify and save harmless the Government from any loss which the Government may incur by reason of any moneys found due against the deceased within a period of two years from the date of his death.

Now this deed witnesses that—

1. In consideration of Government agreeing to sanction family pension and gratuity *etc*. to the Bounden before issue of 'No Demand Certificate' the Bounden hereby covenants, if necessary, (Jointly and severally covenant), with the Governour that the Bounden shall pay on demand to the Government all moneys which may be descovered to be due against the deceased within a period of two years from the date of his death, subject to a maximum of the amount of gratuity and family pension paid to the Bounden.

2. Any amount due under this deed may, on the certificate of .... Which shall be final, conclusive and binding on the Bounden, be recovered from her/him/them as arrears of land revenues.

In witness to the above written bond and the conditions thereof the Bounden has/have signed hereunder on the day and year first above written.

The stamp duty on this instrument will be borne by the Government.

Witness :

Signed

1. .... Bounden I

Address

2. .... Bounden II

Address

*** If necessary.**

प्रपत्र–2

अन्तिम देय प्रमाण–पत्र

प्रेषक,

....

....

....

सेवा में,

मुख्य लेखाधिकारी,

....

....

अथवा

निदेशक,

पेंशन निदेशालय, उ0प्र0,

लखनऊ।

संख्या : दिनांक :

विषय :– पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारण।

महोदय,

इस कार्यालय के श्री .... (नाम) .... (पदनाम) के पेंशन प्रपत्र आपको इस कार्यालय के पत्र संख्या .... दिनांक .... द्वारा स्वीकृतार्थ अग्रसारित किये गये थे। उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्त होने पर दिनांक .... को कार्यभार छोड़ दिया गया है।

2–उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी के अन्तिम दस माह की वास्तविक परिलब्धियों के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित सूचना के उपरान्त कोई परिवर्तन नहीं हुआ है/निम्न परिवर्तन हुआ है :–

अन्तिम दस माह की औसत परिलब्धियों का पुनरीक्षित आगणन :–

माह का नाम	परिलब्धियाँ
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
योग–	____________________

औसत परिलब्धियाँ = ____________________ (योग÷10)

3–इस कार्यालय के उपर्युक्त पत्र दिनांक .... को उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध निम्न मदों में उनके विरुद्ध निम्नलिखित धनराशि शेष दर्शायी गयी थी :–

1–भवन निर्माण अग्रिम रु0 ....

2–मोटरकार/मोटर सायकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम रु0 ....

3–किसी अन्य प्रकार का अग्रिम रु0 ....

4–सरकारी आवास से सम्बन्धित धनराशि रु0 ....

5–आडिट के परिणामस्वरूप देय धनराशि रु0 ....

6–विभागीय अथवा अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय धनराशि रु0 ....

7–अन्य मदों (मद स्पष्ट की जाय) के अन्तर्गत देय धनराशि रु0 ....

योग रु0 ....

4–उपरोक्त सरकारी सेवक द्वारा सेवानिवृत्ति के दिनांक तक उपर्युक्त सभी धनराशियों का भुगतान कर दिया गया है/निम्न धनराशियाँ शेष हैं :–

1–भवन निर्माण अग्रिम रु0 ....

2–मोटरकार/मोटर सायकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम रु0 ....

3–किसी अन्य प्रकार का अग्रिम रु0 ....

4–सरकारी आवास से सम्बन्धित देय धनराशि रु0 ....

5–आडिट के परिणामस्वरूप देय धनराशि रु0 ....

6–विभागीय अथवा अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय धनराशि रु0 ....

7–अन्य मदों (मद स्पष्ट की जाय) के अन्तर्गत देय धनराशि रु0 ....

योग रु0 ....

8–उपरोक्त सरकारी सेवक के विरुद्ध सेवानिवृत्ति के दिनांक को लम्बित न्यायिक/वैभागिक जाँच की स्थिति निम्नवत् है :–

5–उपरोक्त सरकारी सेवक को कार्यालय आदेश संख्या .... दिनांक .... (जिसकी प्रति आपको भी प्रेषित की गयी है) द्वारा रु0 .... की अनन्तिम पेंशन प्रतिमाह तथा संख्या.................................... दिनांक .... द्वारा रु0 .... की धनराशि अनन्तिम सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के रूप में स्वीकृत की जा रही है/चुकी है।

आपसे अनुरोध है कि आप उपर्युक्त सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी से उपरोक्त प्रस्तर–4 में सेवानिवृत्ति/मृत्यु के दिनांक को देय कुल रु0 .... की कटौती करके तथा अन्तिम पेंशन एवं सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकृत करके अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने की कृपा करें।

भवदीय

(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

संख्या :   दिनांक :

प्रतिलिपि :–

1–कोषाधिकारी .... को इस आशय से प्रेषित कि वे उपर्युक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी से उपरोक्त प्रस्तर–4 के अनुसार कटौती करके (यदि ऐसी कटौती मुख्य लेखाधिकारी/ निदेशक पेंशन, के स्तर से सूचित न की गयी हो) अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें। यदि उपर्युक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ऐसी धनराशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका हो तो अपने स्तर पर उसके संबंध में आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करके ग्रेच्युटी की शेष धनराशि अवमुक्त कर दें।

2–श्री .... (पेंशनर का नाम) .... (पूर्ण पता) को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

———

संख्या सा–3–2764/दस–933–1989

प्रेषक,

श्री सोम दत्त त्यागी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

2–समस्त कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त सामान्य अनुभाग–3   लखनऊ, दिनांक 7 नवम्बर, 1989

विषय :– अधिवर्षता पेंशन, पारिवारिक पेंशन, मृत्यु/सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा राशिकरण की धनराशि की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने हेतु वर्तमान कार्य प्रणाली का सरलीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या सा–3–1713/दस–87–933–89, दिनांक 28 जुलाई, 1989 के अन्तर्गत पूर्व में प्रचलित अनेकानेक पेंशन प्रपत्रों के स्थान पर एक नया ''एकीकृत पेंशन प्रपत्र'' लागू किया गया है जिसे निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री द्वारा मुद्रित कराकर भण्डार में रखा जायेगा और प्रत्येक जिले में कार्यालयाध्यक्षों की आवश्यकतानुसार कोषाधिकारी के माध्यम से वितरित कराया जायेगा। ऐसे मामलों में जहाँ पेंशनर प्रदेश के भीतर किसी कोषागार से पेंशन आहरित करना चाहते हैं वहाँ इस प्रपत्र की दो प्रतियाँ तथा जहाँ प्रदेश के बाहर किसी कोषागार से पेंशन आहरित करना चाहते हैं प्रपत्र की चार प्रतियाँ भरा जाना आवश्यक है। अतएव प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष अपनी आवश्यकतानुसार एक वित्तीय वर्ष का कोटा सम्बन्धित कोषागार से प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में प्राप्त कर लें। इस उद्देश्य से कि इन प्रपत्रों का दुरुपयोग न हो यह आवश्यक होगा कि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उस वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों की सूची (दो प्रतियों में), उनकी जन्म तिथि तथा सेवानिवृत्ति की तिथि के साथ

कोषागार को प्रस्तुत की जाये। उक्त प्रतियों में से सम्बन्धित कोषाधिकारी एक प्रति निदेशक, पेंशन को अप्रैल माह के अन्त तक प्रेषित कर देंगे।

2—चालू वित्तीय वर्ष में इन प्रपत्रों के वितरण हेतु सभी कार्यालयाध्यक्षों से अपेक्षित होगा कि वे शेष वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की सूचियाँ कोषाधिकारियों को देकर अपनी आवश्यकता की प्रतिपूर्ति करा लें। उक्त प्रपत्र की अपेक्षित प्रतियाँ निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा कोषागारों को भेजी जायेगी किन्तु यदि किसी कोषागार में अतिरिक्त प्रतियों की आवश्यकता हो, तो सम्बन्धित कोषाधिकारी मांग—पत्र भेजकर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री से प्राप्त कर सकते हैं।

भवदीय,

सोम दत्त त्यागी

सचिव।

————

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3

——————

संख्या : सा—3—772/दस—90—935—87

लखनऊ : दिनांक 7 मार्च, 1990

————

कार्यालय—ज्ञाप

विषय :— दिनांक 1—1—86 अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत राज्य कर्मचारियों को देय पेंशन/पारिवारिक पेंशन के आगणन का सरलीकरण।

उपरोक्त विषय पर कार्यालय ज्ञाप संख्या सा—3—2048/दस—935/87, दिनांक 25 अगस्त, 1989 के पैरा 2 (2) मे जारी आदेशों का आंशिक संशोघन करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि दिनांक 1 जनवरी, 1986 के उपरान्त सेवानिवृत्त किसी कर्मचारी की पेंशन आगणन हेतु ली जाने वाली औसत परिलब्धियों के आगणन हेतु दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व की कोई अवधि पड़ती है और उस अवधि में 568 मूल्य सूचकांक से अधिक मूल्य सूचकांक के बराबर वास्तविक रूप से महंगाई भत्ता प्राप्त हुआ है तो ऐसी अवधि के संबंध में महंगाई भत्ते की वह धनराशि औसत परिलब्धियों में सम्मिलित की जायेगी जो कर्मचारी द्वारा वास्तविक रूप से आहरित की गई है।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे

विशेष सचिव।

————

संख्या सा–3–1612/दस–918–87

प्रेषक,

श्री भोला नाथ तिवारी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त सामान्य अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांक 27 जून, 1990

विषय :– न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि निर्धारित करने का प्रस्ताव काफी समय से शासन के विचाराधीन रहा है। सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश किये हैं कि दिनांक 1 अप्रैल, 1990 से सरकारी सेवकों को देय पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि 375 रु0 निर्धारित कर दी जाय तथा पूर्व में सेवानिवृत्त ऐसे सरकारी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों, जिनकी दिनांक 31 मार्च, 1990 को मिल रही समेकित पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की धनराशि 375 रु0 (तीन सौ पचहत्तर रुपये) प्रतिमाह से कम थी उसमें दिनांक 1 अप्रैल, 1990 से उतनी वृद्धि कर दी जाय कि न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि 375 रुपये प्रतिमाह हो जाय।

2–न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन के निर्धारण का लाभ ऐसे पेंशनरों को अनुमन्य होगा जो सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अधीन अधिवर्षता, रिटायरिंग, अशक्तता अथवा कम्पेन्सेशन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा उन मामलों में भी अनुमन्य होगा जिनमें सिविल सर्विस (असाधारण पेंशन) नियमावली के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन मिल रही है। इस सुविधा का लाभ उन मामलों में भी अनुमन्य होगा जिनमें उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश रिटायमेंट बेनिफिट रूल्स, 1961 के अधीन स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन स्वीकृत की गयी हो।

3–समस्त कोषागारों/बैंकों तथा पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान करने वाले प्राधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि पेंशन भुगतान देयों में वास्तविक रूप से बढ़ाई जा रही पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का उल्लेख संहत रूप तथा बढ़ाई गयी धनराशि को अलग से भी अंकित करने का काष्ट करें।

4–पेंशन में उपरोक्त प्रकार से की गई वृद्धि की धनराशि का राशिकरण अनुमन्य नहीं होगा।

5–दिनांक 1 अप्रैल, 1990 से बढ़ी हुई उक्त धनराशि पर यथा अनुमन्य राहत का भी भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,
भोला नाथ तिवारी
सचिव।

संख्या सा–3–1864 / दस–91

प्रेषक,

श्री गणेश दत्त दीक्षित,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 11 नवम्बर, 1991

विषय :– मृत्यु आनुतोषिक हेतु नामांकन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यू0पी0 लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स नियम 1961 के नियम 4 तथा यू0पी0रिटायरमेंट पेंशनरी बेनीफिट्स रूल्स 1961 के नियम 6 में विद्यमान व्यवस्था के अनुसार सरकारी सेवक के किसी स्थायी पेंशनरी पद पर धारणाधिकार अर्जित करते ही आनुतोषिक के लिए किसी एक या अधिक व्यक्तियों को निर्धारित प्रपत्र पर नामित कर देना चाहिए ताकि उसकी सेवारत अवस्था में मृत्यु हो जाने की दशा में आनुतोषिक का भुगतान नामित व्यक्ति / व्यक्तियों को किया जा सके। इस व्यवस्था का सम्यक अनुपालन किए जाने हेतु समय समय पर जारी किए गए आदेशों के बावजूद यह देखा गया है कि नामांकन के अभाव से मृतक सरकारी सेवक के परिवार को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

2–अब शासनादेश संख्या सा–3–1152 / दस–915 / 89, दिनांक 1–7–1989 द्वारा अस्थायी कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों के समान मृत्यु एवं नैवृत्तिक लाभों की सुविधा प्रदान कर दी गई है जिसके फलस्वरूप उक्त शासनादेश से आच्छादित अस्थायी कर्मचारियों द्वारा भी नामांकन पत्र भरने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है।

3–अतः अनुरोध है कि समस्त अस्थायी कर्मचारियों से आनुतोषिक के लिए उसी प्रकार नामांकन अनिवार्य रूप से भरा लिया जाय जैसे कि स्थायी कर्मचारियों से भराया जाता है। ऐसे स्थायी कर्मचारी जो वर्तमान समय में सेवारत हैं और उन्होंने आनुतोषिक के लिए नामांकन नहीं भरा है तो उनसे भी उसी प्रकार शीघ्रतिशीघ्र नामांकन भरा लिया जाय।

भवदीय
गणेश दत्त दीक्षित
संयुक्त सचिव।

————

संख्या सा–3–1163 / दस–92–910 / 92

प्रेषक,

श्री गणेश दत्त दीक्षित,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 15 जुलाई, 1992

विषय :– केन्द्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अवकाश वेतन तथा पेंशन के आवंटन के समायोजन की पद्धति का सरलीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या जी0–1–553 / दस–201 / 85, दिनांक 18 मई, 1987 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के साथ संलग्न भारत सरकार के कार्यालय

ज्ञाप संख्या 14(5)–86/टी0ए0/1029 दिनांक 9 अक्टूबर, 1986 में भारत सरकार द्वारा सरकारी सेवकों के केन्द्र सरकार से प्रदेशीय सरकारों/प्रदेशीय सरकार से केंन्द्र सरकार में नियुक्ति के मामलों में पेंशनीय दायित्व को दोनों सरकारों के मध्य एकाउन्ट्स कोड की व्यवस्था के अनुसार कर्मचारी की सेवा के अनुपात में वहन किए जाने की प्रथा को प्रतिनियुक्ति के मामलों में समाप्त किये जाने के आदेश जारी किये गये थे। भारत सरकार द्वारा अब उस व्यवस्था को कार्यालय ज्ञाप संख्या 14(5)–86/टी0ए0/1112 दिनांक 5–12–89 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सभी प्रकार के मामलों पर लागू कर दिया गया है।

2–भारत सरकार के उक्त कार्यालय ज्ञाप की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे यह कहना है कि शासनसदेश संख्या सा–3–1239/दस–917/79, दिनांक 13–9–82 का आंशिक अतिक्रमण करते हुंए शासन द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार में भी उक्त व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतएव आप से अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार की सेवा में आने वाले तथा राज्य सरकार की सेवा से केन्द्रीय सरकार की सेवा में जाने वाले कर्मचारियों के प्रकरणों में तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय

गणेश दत्त दीक्षित

संयुक्त सचिव।

––––

संख्या सा–3–92/दस–92

प्रेषक,

श्री के0के0 बाजपेई,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 4 सितम्बर, 1992

विषय :– राजकीय सेवक की मृत्यु की दशा में लाभार्थियों को भुगतान।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या ये0नि0/91/1683 दिनांक 31–12–1991 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में उठाये गए बिन्दुओं के संदर्भ में निम्नलिखित विधिक परामर्श प्राप्त हुआ है–

''हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 में हिन्दु अवयस्क के प्राकृतिक संरक्षक को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार अवस्यक लड़के और अविवाहित लड़की की प्राकृतिक संरक्षक पिता होते है और उनके बाद माता होती हैं। परन्तु 5 वर्ष तक के अवयस्क सन्तानों की कस्टडी के लिये साधारणतया माता ही संरक्षक मानी जाती है। अवैध सन्तानों के बारे में माता प्राकृतिक संरक्षक मानी जाती है और उसके बाद पिता। अवयस्क विवाहिता लड़की के प्राकृतिक संरक्षक उसके पति होते हैं। मुस्लिम स्वीय विधि के अन्तर्गत 7 वर्ष तक के लड़के और Puberty प्राप्त होने तक की लड़की की प्राकृतिक संरक्षक माता होती हैं और शेष अवयस्कों के संरक्षक पिता होते है। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 हिन्दु और

मुस्लिम दोनों पर लागू होता हैं। न्यायालयों द्वारा इसी अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षक नियुक्त किये जाते हैं।'' जिसके अनुसार आपके उपरोक्त पत्र में उठाये गए बिन्दुओं की स्थिति निम्न प्रकार हो सकती है :–

<u>तात्कालिक सहायता</u>

(क) पात्र व्यक्ति के अवयस्क होने तथा विधवा पत्नी/विधुर पति जीवित न होने पर प्राकृत अभिभावक की अनुपस्थिति में तात्कालिक सहायता किसी अवयस्क को नही दी जा सकती है क्योंकि नियमों में यह व्यवस्था है कि उक्त सहायता देने के पूर्व लाभग्राही व्यक्ति से औपचारिक रूप से वह लिखित करार प्राप्त करना आवश्यक है कि ''अग्रिम की धनराशि मृत कर्मचारी को देय वेतन और भत्ते के बकायों या ग्रेच्युटी, जी0पी0एफ0 अथवा अदायगी से वसूल किए जाने में वह सहमत है।'' ऐसी दशा में अवयस्क द्वारा दिया गया लिखित करार न्यायिक दृष्टिकोण से मान्य न होगा।

(ख) चूँकि यह सहायता मृतक के अन्तिम संस्कार के लिए उसके परिवार को प्रदान की जाती है और उसकी प्रतिपूर्ति भी अपेक्षित होती है अतः मृतक को देय जिस धनराशि से उसकी प्रतिपूर्ति की जानी हो, उसमें से तात्कालिक सहायता की धनराशि घटाकर ही उस धनराशि का भुगतान मृतक के परिवार को नियमानुसार किया जाना उपयुक्त होगा, भले ही तात्कालिक सहायता एक लाभग्राही को ही क्यों न दी गई हो,

(ग) जब शासनादेश में लाभग्राही व्यक्ति से दी जाने वाली तात्कालिक सहायता की प्रतिपूर्ति के संबंध में पहले ही औपचारिक रूप से लिखित करार लेने की व्यवस्था है, तब ऐसी स्थिति में, जब कोई लाभग्राही जीवित ही नही हो, तात्कालिक सहायता दिये जाने का प्रश्न ही नही उठता है।

2–पारिवारिक पेंशन

(क) सरकारी सेवक की मृत्यु के बाद उसके पति/पत्नी द्वारा पुनः विवाह कर लेने पर पारिवारिक पेंशन का उसका हक समाप्त हो जाता है और पेंशन बच्चों को हस्तांतरित हो जायेगी। ऐसी स्थिति में यदि बच्चा अवयस्क है और पुनर्विवाहित माता/पिता के साथ रहता है तो उक्त माता/पिता प्राकृतिक संरक्षक बने रहेंगे अन्यथा नही।

(ग) पात्रता क्रम में पहले पुत्र का उल्लेख होने के आधार पर उसे वरीयता नही मिलेगी क्योंकि पुत्र/पुत्री में से किसी एक को क्रम में ऊपर रखना ही पड़ेगा। अतएव विधवा/विधुर को पेंशन देय न रहने पर आयु में वरिष्ठ संतान (पुत्र या पुत्री) को ही पारिवारिक पेंशन देय होगी।

(घ) मृतक के माता/पिता तथा वयस्क पुत्र/वयस्क पुत्री उक्त प्रयोजन हेतु प्राकृतिक संरक्षक नहीं माने जाते है।

2–उपरोक्त परामर्श के अतिरिक्त यदि किसी बिन्दु पर संदेह/जिज्ञासा हो तो कृपया उसे संदर्भित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

के0के0 बाजपेई

अनु सचिव।

—————

संख्या सा–3–810/दस–5–1993

प्रेषक,

श्री सी0एम0 वासुदेव,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 6 अगस्त, 1993

विषय :– सेवानिवृत्तिक लाभों की स्वीकृति में विलम्ब–सघन अनुश्रवण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की नीति है कि सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को निवृत्तिक लाभ अविलम्ब भुगतान किये जायें तथा पेंशन, सेवानिवृत्ति के अगले माह के बाद पड़ने वाली पहली तारीख से मिलना सुनिश्चत किया जाये। इसी सन्दर्भ में शासन द्वारा समय समय पर पार्श्वांकित शासनादेश पेंशन भुगतान प्रक्रिया के सरलीकरण तथा स्वीकृति प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में जारी किये गये हैं और दिनांक 1–10–1988 से पेंशन निदेशालय ने भी अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है, किन्तु उक्त शासनादेशों का अपेक्षित प्रभाव देखने को नही मिल रहा है। इसका मुख्य कारण शासनादेशों में निहित पेंशन प्रपत्रों के प्रस्तुतीकरण, मानीटरिंग और स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्धारित समय सारिणी का विभिन्न स्तर पर पालन न होना है। सेवानिवृत्तिक लाभ स्वीकृत किये जाने में निम्नलिखित मुख्य गतिरोध प्रकाश में आये है :–

(1) पेंशन प्रपत्रों के अग्रसारण में विलम्ब–(क) शासनादेश संख्या सा–3–2085/ दस–907/76, दिनांक 13 दिसम्बर 1977 तथा शासनादेश संख्या सा–3–1713/दस–933/89, दिनांक 28 जुलाई 1989 में प्रावधान किया गया है कि कार्यालयाध्यक्ष सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रपत्र सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी को भेजेंगे, किन्तु यह देखने में आ रहा है कि पेंशन प्रपत्र निवृत्ति तिथि के बाद काफी विलम्ब से पेंशन स्वीकृति अधिकारी को भेजे जाते हैं। इस प्रकार भेजे गये प्रपत्रों में विलम्ब का कोई उचित कारण भी नही इंगित होता है। ऐसी स्थिति में यह देखना आवश्यक है कि पेंशन प्रपत्र समय से स्वीकर्ता अधिकारी को अग्रसारित कर दिये जायें।

(ख) उक्त शासनादेश में यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि किसी कारण से 6 माह पूर्व पेंशन प्रपत्र भेजना संभव न हो तो कार्यालयाध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी को नियमानुसार अनन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी अनिवार्य रूप से स्वीकृत कर दें। पेंशन निदेशालय में विलम्ब के साथ प्रस्तुत प्रकरणों की समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि इन प्रकरणों में अनन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी भी स्वीकृत नहीं की जाती है और प्रकरण को बिना कारण के अत्यधिक विलम्ब से भेजा जाता है।

(ग) विलम्ब का अन्य कारण जो पेंशन निदेशालय की जानकारी में आया है, उसके अनुसार जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाता है, उन मामलों में विभागीय जांच पूर्ण हो जाने पर भी शासन/विभागाध्यक्ष स्तर से निर्णय लेने में कई कई वर्ष लग जाते है और यह विलम्ब किसी भी कारण से उचित नही कहा जा सकता है। शासन के कार्मिक विभाग से विभागीय कार्यवाही के निस्तारण के संबंध में एक नयी समय–सारिणी जारी की गयी है। कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि इन प्रकरणों का निस्तारण उसी समय–सारिणी के अनुसार हो।

(घ) पेंशन निदेशालय स्तर पर मुख्य लेखा अधिकारी की बैठकों में प्राप्त सूचनाओं तथा प्रकरणों की समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ है कि लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग आदि विभागों में पेंशन प्रकरण इस आधार पर काफी समय तक रोके रखे जाते हैं कि सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी से सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 470–बी के अन्तर्गत इस आशय का अनापत्ति प्रमाण–पत्र (कि उनकी पेंशन कम करने का कोई मन्तव्य तो विचाराधीन नहीं है) समय से प्राप्त नही होता है। ऐसे मामलों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख शासनादेश दिनांक 28 जुलाई, 1989 में किया गया है।

(ङ) इस सम्बन्ध में कार्यालयाध्यक्षों को शासनादेश दिनांक 13 दिसम्बर 1977 के पैरा (ख) की ओर भी ध्यान रखना चाहिए जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 470 की भावना का परित्याग नहीं किया जाना है, वरन् नियुक्ति प्राधिकारियों को समय रहते इस ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि उपरोक्त व्यवस्था का अनुसरण आपवादिक मामलों में करना पड़े। इसी सन्दर्भ में कार्यालयाध्यक्षों को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 351–ए की व्यवस्थाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए और सेवानिवृत्ति से पूर्व यह भी देख लेना चाहिए कि सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध कदाचार के आरोपों अथवा शासन को हुई आर्थिक हानि आदि की वसूली की कार्यवाही तो नहीं की जानी अपेक्षित है ताकि समय रहते ऐसी कार्यवाही आरंभ की जा सके। अतः उक्त दोनों अनुच्छेदों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत की गयी व्यवस्था का अनुपालन हर स्तर पर सुनिश्चित किया जाये।

(2) **प्रभावी अनुश्रवण**–शासन के दिशा निर्देशों का समय से और ठीक से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त विभागाध्यक्षों को सम्बोधित मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के परिपत्र संख्या सा–3–559/दस–89–908/89, दिनांक 25 फरवरी 1989 द्वारा यह अपेक्षा की गयी थी कि वह अपने कार्यालय में अतिरिक्त विभागाध्यक्ष स्तर के किसी अधिकारी को, जो अधिष्ठान का कार्य देखता हो, नोडल अधिकारी नियुक्त कर दें, जो पेंशन प्रपत्रों के प्रेषण आदि के सम्बन्ध में आ रही बाधाओं को दूर करें और समय–समय पर पेंशनरों की समस्याओं का निराकरण करें। इन आदेशों के बावजूद कुछ विभागों में अभी तक नोडल अधिकारी नियुक्त नही किये गये हैं। जहाँ कहीं भी नोडल अधिकारी नियुक्त हैं वहाँ भी पेंशन प्रकरणों का प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है। इसी शासनादेशों में व्यवस्था थी कि प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को अगले 24 माह में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची विभाग से प्राप्त कर नोडल अधिकारी, पेंशन निदेशक अथवा पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी (मुख्य लेखाधिकारी) जैसी भी स्थिति हो, को भेजेंगे तथा देखेंगे कि इस प्रकार सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन स्वीकृति में कोई अनावश्यक विलम्ब तो नही हो रहा है। पेंशन निदेशालय में इस सम्बन्ध में की गयी समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि किसी भी विभाग की सूचियां नियमित रूप से प्राप्त नहीं हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग, आबकारी विभाग आदि में निदेशक, पेंशन द्वारा बारम्बार अनुरोध करने पर भी इस प्रकार की सूचियां उपलब्ध नही करायी गयी हैं, जिससे उस स्तर पर भी मामलों का अनुश्रवण नहीं हो पा रहा है।

2–अतः आपसे अनुरोध है कि सेवानिवृत्तिक लाभों की स्वीकृति से सम्बन्धित शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों/निर्देशों का अनुपालन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाये तथा समय समय पर सम्बन्धित मामलों की समीक्षा करके लंबित प्रकरणों की स्थिति सचिव की बैठकों में समीक्षा हेतु नियमित रूप से प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रत्येक माह अपने विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव को भी उपलबध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

सी0 एम0 वासुदेव

प्रमुख सचिव, वित्त।

––––

संख्या सा–3–जी0 आई0–32/दस–901/94

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 21 फरवरी, 1994

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

विषय :– मृत्यु उपादान तथा सेवानिवृत्ति उपादान के प्रयोजन के लिए महँगाई भत्ते के एक भाग को महंगाई वेतन के रूप में गिना जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुछ समय से शासन के अधीन यह विचारणीय रहा है कि राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले महँगाई भत्ते के एक अंश को महंगाई वेतन मानते हुए उसे अन्तिम वेतन में जोड़कर मृत्यु उपादान तथा सेवानिवृत्ति उपादान की धनराशि की गणना की जाय। उपरोक्त बिन्दु पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने यह आदेश दिये हैं कि दिनांक 16 सितम्बर, 1993 को अथवा इस तारीख के बाद जो सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा जिनकी मृत्यु हुई है, उन्हें मिलने वाले महँगाई भत्ते , जैसा कि दिनांक 1–3–1988 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 729.91 के औसत से जोड़ा गया था, के एक भाग को, अर्थात मूल वेतन के 20 प्रतिशत को महँगाई वेतन के रूप में गिना जायगा। यह महँगाई वेतन केवल सेवानिवृत्ति उपादान और मृत्यु उपादान के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों की गणना के लिए ही गिना जायगा, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

2–यह आदेश दिनांक 16 सितम्बर, 1993 से लागू होंगे तथा जिन व्यक्तियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति दिनांक 16 सितम्बर 1993 को अथवा इसके बाद हुई हो उनकी मृत्यु/सेवानिवृत्ति उपादानों की गणना इन आदेशों के आधार पर की जायेगी और यदि कोई बकाया बनता हो तो उन्हें उनकी अदायगी की जायेगी।

भवदीय,
अनूप मिश्र
विशेष सचिव।

———

संख्या सा–3–272/दस–1994

प्रेषक,

श्री एस0ए0 टी0 रिजवी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 18 जुलाई, 1994

विषय :– दो पेंशन–सर्विस पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन या उससे अधिक पेंशन प्राप्तकर्ताओं को महंगाई राहत के भुगतान के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा–3–585/दस–935/78, दिनांक 16 मई 1983 में यह व्यवस्था है कि यदि कोई सरकारी पेंशनर दो

पेंशन या पेंशन के साथ पारिवारिक पेंशन भी प्राप्त कर रहा है तो उसकी पेंशनों पर राहत की गणना किस प्रकार की जाएगी। उक्त शासनादेश के संदर्भ में विभिन्न स्तरों से शंकायें एवं जिज्ञासायें शासन को प्राप्त हुईं। इन शंकाओं एवं जिज्ञासाओं पर भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को दृष्टि में रखते हुए सम्यक रूप से विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई पेंशनर दो पेंशनें, यथा दो सेवा पेंशनें या सेवा पेंशन और पारिवारिक पेंशन या इससे अधिक पेंशने प्राप्त कर रहा है तो महॅगाई राहत की गणना समस्त पेंशनों के योग पर की जायेगी।

2—उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार महँगाई राहत के आगणन का एक उदाहरण प्रस्तुत है—

सेवा/पारिवारिक पेंशन	पेंशन की धनराशि
पहली पेंशन	2150/—रू0
दूसरी पेंशन	1560/—रू0
कुल योग	**3710/— रू0**
अनुमन्य राहत की धनराशि	2486/—रु0
(1—1—94 के रेडीरेकनर के अनुसार)	

3710 रु0 की पेंशन पर अनुमन्य महँगाई राहत रेडीरेकनर के अनुसार 2486 रु0 आती है । अतः दोनों पेंशनों के योग पर महँगाई राहत रु0 2486 होगी। दूसरे शब्दों में दो या अधिक पेंशनों के योग करने के पश्चात् उस पर जो महँगाई राहत निर्धारित दर के अनुसार अनुमन्य होगी, उसी का भुगतान किया जायेगा।

3—अतः अनुरोध है कि एक से अधिक अनुमन्य पेंशनों पर महॅगाई राहत की गणना उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार की जाए।

4—उक्त प्रकार से महँगाई राहत के आगणन की व्यवस्था इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से लागू होगी। जिन मामलों मे महँगाई राहत का भुगतान पहले ही हो चुका है, उन्हें पुनरुद्घाटित (Re-open) न किया जाएगा परन्तु जिन पुराने मामलों में अभी तक महँगाई राहत का भुगतान नही हुआ हो उन मामलों में इस शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार आगणन करके भुगतान किया जाएगा।

भवदीय,

एस0 ए0 टी0 रिजवी

प्रमुख सचिव।

———

संख्या सा—3—744/दस—98

प्रेषक,

श्री शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 लखनऊ : दिनांक : 29 मई, 1995

विषय :— पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक पत्र व्यवहार को निरूत्साहित करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यद्यपि राज्य सरकार अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों के नैवृत्तिक लाभों एवं पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों को निस्तारित करने के दिशा में निरन्तर एवं सतत प्रयास कर रही है, फिर भी अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन प्रकरणों में नियमों की

व्यवस्था के विपरीत संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी/उसके परिवार से अनावश्यक जिज्ञासा करते रहते है जिनसे पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब हो जाता है। उदाहरणतया यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन कालीन अवशेष पेंशन/ग्रेच्युटी/भविष्य निधि व सामूहिक बीमे की धनराशि आदि के भुगतान के सन्दर्भ में परिवार से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग की जाती है जिससे कि स्वर्गीय कर्मचारी के परिवार के सम्मुख अनेकों समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं। पेंशन संबंधी नियमों में कर्मचारी द्वारा नामांकन की व्यवस्था है और उसी के आधार पर उसे देय धनराशि का भुगतान किया जाता है। पेंशन नियमों में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगे जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की एक न्यायिक प्रक्रिया है और उसकी व्यावहारिकता एक अलग बिन्दु है। अतएव आप कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि जिन प्रकरणों में नामांकन उपलब्ध है तथा अन्य कोई कमी नही है उसमें यथा अनुमन्य धनराशि का यथाशीघ्र भुगतान करा दिया जाय।

2—लोकायुक्त संगठन उत्तर प्रदेश को कतिपय ऐसे प्रकरण भी संदर्भित किए गये हैं जिनमें पेंशन के कागज सभी प्रकार से पूर्ण पाए गए, फिर भी संबंधित विभागाध्यक्ष अथवा शासन से अनावश्यक पत्र व्यवहार किया गया जिससे पेंशनर को अथवा उसके परिवार को अत्यधिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अतः अनुरोध है कि आप कृपया अपने विभाग में उपरोक्त प्रकार की परिहार्य अभिदेश की कार्यवाही की प्रवृत्ति को समाप्त करने का कष्ट करें तथा यदि इस प्रकार का कोई प्रकरण लम्बित है तो उसे प्राथमिकता से निस्तारण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव प्रकाश
संयुक्त सचिव।

————

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग—2

संख्या : जी0—2—514/सा—1995
लखनऊ : दिनांक 19 जुलाई, 1995

कार्यालय—ज्ञाप

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 56 के सम्बन्ध में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कार्यालय ज्ञाप संख्या 7(2)—ई0बी0 (ए)—75 दिनांक 18 मार्च, 1976 [भारत सरकार के उक्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 7(2)—ई0बी0 (ए)—75 दिनांक 17 अगस्त, 1976 द्वारा यथा संशोधित] द्वारा जारी स्पष्टीकरण की प्रति संलग्न करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य शासन ने भी यह निर्णय लिया है कि निम्न स्पष्टीकरण जारी कर दिया जाय—

(1) 3 माह की नोटिस के बदले वेतन देकर जिस तिथि को किसी सरकारी सेवक को सेवानिवृत्त किया जाएगा उस तिथि को उसे सेवानिवृत्ति के आदेश के साथ अन्तिम प्राप्त वेतन के आधार पर 3 माह की वेतन की धनराशि का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही उसे सेवानिवृत्ति के दिनांक से ही पेंशन का भुगतान भी पूरा किया जाएगा। इन धनराशियों का किसी प्रकार परस्पर समायोजन नही किया जाएगा तथा नोटिस अवधि का वेतन पेंशन के अतिरिक्त होगा।

(2) 3 माह के वेतन के साथ मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता भी यथावत् अनुमन्य किए जायेंगे जैसा कि उन्हें सेवा में रहने पर उस वेतन पर देय होगा।

(3) नोटिस के 3 माह की अवधि में अनुमन्य होने वाली वेतन वृद्धि का लाभ देय नही होगा।

(4) चूंकि सम्बन्धित सरकारी सेवक उस तिथि को सेवानिवृत्त हो जायगा, अतः नोटिस के 3 माह की अवधि की पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा हेतु गणना नही की जाएगी और सेवानिवृत्ति के दिनांक को जितनी सेवा पूरी हो जाएगी उसी को अर्हकारी सेवा मानकर पेंशन स्वीकृत की जाएगी।

(5) उक्त तीन माह के वेतन एवं भत्ते पर स्रोत पर आयकर की कटौती की जाएगी।

सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
पी0के0 मिश्रा
सचिव।

संख्या–सा–3–जी0 आई0–13 / दस–901 / 94

प्रेषक,

विनोद कुमार मित्तल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 13 सितम्बर, 1995

विषय :– मृत्यु उपादान तथा सेवानिवृत्ति उपादान के प्रयोजन के लिए महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन के रूप में गिना जाना तथा उपादान की धनराशि की अधितम सीमा में वृद्धि।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा–3–जी0 आई0–32 / दस–901 / 94, दिनांक 21 फरवरी, 1994 में की गई व्यवस्था के अधीन दिनांक 16 सितम्बर, 1993 को अथवा इस तारीख के बाद जो सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए है अथवा जिनकी मृत्यु हुई है, उन्हें मिलने वाले महंगाई भत्ते जैसा कि दिनांक 1 मार्च, 1988 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 729.91 के औसत से जोड़ा गया था, के एक भाग को अर्थात मूल वेतन के 20 प्रतिशत को महंगाई वेतन के रूप में गिना जाएगा।

2–उक्त आदेशों के क्रम में राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1 अप्रैल, 1995 को अथवा इस तिथि के उपरान्त सेवानिवृत्त / मृत होने वाले सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्ति उपादान / मृत्यु उपादान के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों की गणना करने के लिए नीचे दिए अनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1201.66 से जुड़े महँगाई भत्ते को, महंगाई वेतन के रूप में गिने जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान की हैः–

वेतन श्रेणियाँ	उपादान गणना के लिए वेतन में महंगाई भत्ता जोड़ना
1–मूल वेतन प्रत्येक माह 3500 रुपये तक।	वेतन का 97%
2–मूल वेतन प्रत्येक माह 3500 रुपये से अधिक, परन्तु प्रत्येक माह 6,000 रुपये से कम।	वेतन का 73% परन्तु कम से कम 3,395 रुपये ।
3–मूल वेतन प्रत्येक माह 6,000 रुपये से अधिक।	वेतन का 63% परन्तु कम से कम 4,380 रुपये ।

3–उपर्युक्त दरों में, शासनादेश संख्या–सा–3–जी0 आई0–32/दस–901/94, दिनांक 21 फरवरी 1994 के अनुसार 16 सितम्बर, 1993 से सेवानिवृत्ति उपादान/मृत्यु उपादान के प्रयोजनार्थ पहले से ही मूल वेतन का 20% के बराबर महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन के रूप में सम्मिलित हैं।

4–राज्यपाल महोदय ने यह भी निर्णय लिया है कि सेवानिवृत्ति उपादान/मृत्यु उपादान की अधिकतम राशि एक लाख रूपये की सीमा को 1 अप्रैल, 1995 से बढ़ाकर 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार मात्र) कर दी जाए।

5–ऐसे कर्मचारियों के मामले में, जिनकी 1 अप्रैल, 1995 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्ति/मृत्यु हो गई, की सेवानिवृत्ति उपादान/मृत्यु उपादान को पेंशन स्वीकृताधिकारी द्वारा इन आदेशों के आधार पर स्वप्रेरणा से पुनःपरिकलित की जाए, यदि कोई बकाया है तो उसका भुगतान किया जाएं।

6–उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स, 1961 के संबंधित नियम में औपचारिक संशोधन को अलग से जारी किया जायगा।

7–उपरोक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित महंगाई वेतन केवल सेवानिवृत्ति उपादान और मृत्यु उपादान के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों की गणना के लिए ही गिना जायगा, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नही।

भवदीय,

विनोद कुमार मित्तल

प्रमुख सचिव।

———

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

———

संख्या सा0–3–1644/दस–904–94

लखनऊ, दिनांक 2 नवम्बर, 1995

———

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :–

उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 1995

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 1995 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगीं।

परिभाषायें

2–जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :–

(क) ''मुख्य नोडल अधिकारी'' का तात्पर्य पेंशन निदेशक, उत्तर प्रदेश से है;

(ख) ''विलम्ब'' का तात्पर्य समय–अनुसूची से अधिक अवधि से है;

(ग) ''अग्रसारण अधिकारी'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो समय–समय पर सरकार द्वारा इस रूप में कार्य करने के लिये सशक्त हो;

(घ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(ङ) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(च) ''विभागाध्यक्ष'' का तात्पर्य समय–समय पर सरकार द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से है;

(छ) ''कार्यालयाध्यक्ष'' का तात्पर्य समय–समय पर सरकार द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से है;

(ज) ''नोडल अधिकारी'' का तात्पर्य समय–समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार इस रूप में सशक्त व्यक्ति से है;

(झ) ''पेंशन'' का तात्पर्य सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद–41 में यथा परिभाषित पेंशन से है;

(ञ) ''पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी'' का तात्पर्य समय–समय पर सरकार के द्वारा इस रूप में सशक्त व्यक्ति से है;

(ट) ''समय अनुसूची'' का तात्पर्य अनुसूची के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट किसी कार्य के संबंध में स्तम्भ–3 में विनिर्दिष्ट समय से है।

अध्यारोही प्रभाव

3–किन्हीं अन्य नियमों या आदेशों में अन्तर्दिष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी, यह नियमावली प्रभावी होगी।

समय अनुसूची और सहबद्ध विषयों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया

4–(1) किसी विलम्ब को नोडल अधिकारी/मुख्य नोडल अधिकारी :–

(क) पेंशन प्राप्तकर्ता/पेंशन प्राप्तकर्ताओं के संगठनों की शिकायत पर;

(ख) पेंशन के मामलों के निस्तारण के अनुवर्तन पर, अभिनिश्चित कर सकते हैं।

(2) जब कभी नोडल अधिकारी/मुख्य नोडल अधिकारी की जानकारी में कोई विलम्ब का मामला आता है तो वह विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष से विलम्ब के कारणों के संबंध में सभी सुसंगत सूचनायें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा और ऐसी जाँचोपरान्त जिसे वे उचित समझे विलम्ब के लिये उत्तरदायी व्यक्ति का पता लगायेगा और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये एक प्रस्ताव सम्बद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजेगा। नोडल अधिकारी/ मुख्य नोडल अधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाही के पूर्ण होने तक मामले का अनुसरण करेगा और ऐसी कार्यवाही का अभिलेख रखेगा। नोडल अधिकारी ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम के संबंध में मुख्य नोडल अधिकारी को सूचित करेगा।

(3) कोई व्यक्ति, जो कि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के संबंध में या उससे संबंधित किसी अन्य मामले के संबंध में अपेक्षित सूचना नोडल अधिकारी/मुख्य नोडल अधिकारी को, देने में असफल रहता है, या जो विलम्ब के लिये उत्तरदायी है, वह कदाचार का दोषी होगा और उस पर लागू दण्डात्मक नियमों के अधीन दण्डनीय होगा।

(4) सम्यक् रूप से पूर्ण पेंशन के कागज पत्रों को सभी सुसंगत दस्तावेजों के साथ उसके संबंध में अनुसूची में विनिर्दिष्ट समय अनुसूची के भीतर, पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को भेजा जायेगा।

(5) मुख्य नोडल अधिकारी/नोडल अधिकारी और पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी पेंशन के मामलों का समय–अनुसूची के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करेगा।

(6) पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी ऐसे अधिकारियों/पदाधिकारियों की नियमित मासिक बैठक आयोजित करेगा या आयोजित होने देगा, जो ऐसे मामलों में व्यवहार करते हों और ऐसे मामलों के परीक्षण और निस्तारण के लिये सभी समुचित कदम उठायेगा।

(7) सरकार से संबंधित विभाग के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव सभी पेंशन संबंधी मामलों के संबंध में विभागाध्यक्ष/कर्यालयाध्यक्ष के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और समय–अनुसूची के भीतर ऐसे मामलों का परीक्षण और निस्तारण सुनिश्चित करायेगा।

पी0 के0 मिश्र

सचिव।

अनुसूची

[नियम 2 (ख) और 2 (ट) देखिये]

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	समय अनुसूची समय जिसके भीतर कार्य किया जाना है	कार्य के लिये उत्तरदायी व्यक्ति
1	2	3	4
1	सेवा पुस्तिका का पूरा किया जाना और सत्यापन	प्रत्येक वर्ष का जून मास	1—विभाग के संबंधित अधिष्ठान का संबंधित लिपिक 2—कार्यालय का अधीक्षक 3—कार्यालयाध्यक्ष
2	सेवा पुस्तिका का पुनर्विलोकन और कमी यदि कोई हो, का पूरा किया जाना	सेवानिवृत्ति के 8 मास पूर्व	1—संबंधित अधिष्ठान लिपिक 2—कार्यालय अधीक्षक 3—कार्यालयाध्यक्ष
3	अदेयता प्रमाण—पत्र का (सेवा अवधि में) जारी किया जाना	सेवानिवृत्ति के दो मास पूर्व	कार्यालयाध्यक्ष
4	क—सेवानिवृत्त होने वाले पदधारी को पेंशन प्रपत्र प्रदान किया जाना	सेवानिवृत्ति के 8 मास पूर्व	कार्यालयाध्यक्ष
	ख—पेंशन प्रपत्र का भरा जाना	सेवानिवृत्ति के 6 मास पूर्व	सेवानिवृत्त होने वाला सरकारी सेवक
5	मृत्यु के मामलों में प्रपत्र का भरा जाना	मृत्यु के एक मास पश्चात्	1—पेंशन लिपिक 2—कार्यालय अधीक्षक 3—कार्यालयाध्यक्ष
6	नियुक्ति प्राधिकारी से जाँच किया जाना कि क्या कोई विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है या नहीं	सेवानिवृत्ति के 8 मास पूर्व	1—कार्यालय अधीक्षक 2—कार्यालयाध्यक्ष
7	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त सूचना की पूर्ति	सेवानिवृत्ति के 7 मास पूर्व	नियुक्ति प्राधिकारी
8	पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारण :		
	(क) सेवा पेंशन	सेवानिवृत्ति के पाँच मास पूर्व	कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष
	(ख) पारिवारिक पेंशन	मृत्यु के एक मास पश्चात्	कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष
9	पेंशन प्रपत्रों आदि का परीक्षण और संवीक्षा और यदि उसमें कोई आपत्ति कमी पायी जाये तो, उसे दूर करने के लिये विभाग को लिखा जाना	पेंशन प्रपत्रों की (प्राप्ति) के दो मास	1—लेखाकार 2—सहायक लेखाधिकारी 3—पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाला अधिकारी
10	आपत्तियों का निराकरण	आपत्ति प्राप्त करने के पश्चात् एक मास	विभागीय कार्यालयाध्यक्ष

1	2	3	4
11	पेंशन मामले का पुनः परीक्षण/निस्तारण	शुद्ध किये गये प्रपत्रों के प्राप्त होने के पश्चात् एक मास	1—लेखाकार 2—सहायक लेखा अधिकारी 3—पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाला अधिकारी
12	रोके गये उपादान के निर्मुक्त किये जाने के लिये प्रपत्र—2 पर अदेयता प्रमाण—पत्र का अग्रसारण	सेवानिवृत्ति के दो मास पश्चात्	कार्यालयाध्यक्ष
13	(पेंशन/उपादान/पेंशन के सारांशीकरण) के भुगतान आदेश का जारी किया जाना	सेवानिवृत्ति की संध्या तक या पर	1—लेखाकार 2—सहायक लेखा अधिकारी 3—पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाला अधिकारी
14	अनन्तिम पेंशन की स्वीकृति (यदि अन्तिम रूप दिया जाना सम्भव न हो)	सेवानिवृत्ति/मृत्यु के एक मास पश्चात्	1—पेंशन लिपिक 2—कार्यालय अधीक्षक 3—कार्यालयाध्यक्ष
15	अनन्तिम पेंशन का भुगतान	प्रत्येक मास के सातवें दिन तक	आहरण और वितरण अधिकारी
16	पेंशन का भुगतान	भुगतान आदेश प्राप्त होने के दिनांक से एक मास	कोषाधिकारी/आहरण और वितरण अधिकारी
17	सेवानिवृत्त कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही	सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद—351—क में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार और सरकारी आदेश के प्राप्त होने के तीन मास के भीतर निर्णय का लिया जाना यदि विभागीय कार्यवाही सेवा—निवृत्ति के पूर्व संस्थिति की गयी हो तो इसे सेवानिवृत्ति के दिनांक से छः मास के भीतर पूरा कर दिया जना चाहिये	सरकार का प्रशासनिक विभाग/नियुक्ति प्राधिकारी
18	पेंशन से संबंधित मामलों के संबंध में दायर विधिक वादों का प्रतिवाद	न्यायालय के आदेश के अनुसार या रिट याचिका की प्राप्ति के दिनांक से दो मास के भीतर, जो पहले हो, प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत होना चाहिये	संबंधित विभाग का प्रतिवादी

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

––––––

संख्या सा0–3–424/दस–933–89

लखनऊ, दिनांक 12 फरवरी, 1996

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में यथा अंगीकृत सिविल सर्विस रेगुलेशन्स का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (बारहवाँ संशोधन) नियमावली, 1996

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(i) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (बारहवाँ संशोधन) विनियमावली, 1996 कही जायेगी।

2–अनुच्छेद 470 का निकाला जाना–उत्तर प्रदेश से उसकी प्रवृत्ति के संबंध में यथा अंगीकृत सिविल सर्विस रेगुलेशन्स में नीचे विनिर्दिष्ट अनुच्छेद 470 निकाल दिया जायेगा।

वर्तमान अनुच्छेद

470. (a) The full pension admissible under the rules is not to be given as a matter of course or unless the service rendered has been really approved.

(b) If the service has not been throughly satisfactory the authority sanctioning the pension should make such reduction in the amount as it thinks proper.

Provided that in cases where the authority sanctioning pension is other than the appointing authority, no order regarding reduction in the amount of pension shall be made without the approval of the appointing authority.

Note–For the purpose of this Article appointing authority shall mean the authority which is competent to make substantive appoints to the post or service from which the officer concerned retires.

आज्ञा से,

पी0 के0 मिश्र

सचिव।

टिप्पणी–उत्तर प्रदेश में प्रवृत्ति होने के लिए यथा अंगीकृत सिविल सर्विस रेगुलेशन्स (भाग–1, 4 और 10) नामक हस्त पुस्तिका (प्रथम संस्करण) 30 अप्रैल, 1979 तक ठीक करके प्रकाशित की गयी थी। बाद में उसमें निम्नलिखित संशोधन किये गये :–

(1) अधिसूचना संख्या सा–3–1952/दस–915–75, दिनांक 1 नवम्बर, 1973

(2) अधिसचूना संख्या सा–3–1732/दस–944–73, दिनांक 13 नवम्बर, 1973

(3) अधिसूचना संख्या सा–3–234/दस–904(1)–62, दिनांक 7 अक्टूबर, 1974

(4) अधिसूचना संख्या सा–3–754/दस–917–74, दिनांक 11 जून, 1974

(5) अधिसूचना संख्या सा–3–3159/दस–904–60, दिनांक 6 अक्टूबर, 1975

(6) अधिसूचना संख्या सा–3–1476/दस–92–74, दिनांक 5 जून, 1976

(7) अधिसूचना संख्या सा–3–1928/दस–908–70, दिनांक 8 अक्टूबर, 1976

(8) अधिसूचना संख्या सा–3–565/दस–912(3)–74, दिनांक 20 अप्रैल, 1974

(9) अधिसूचना संख्या सा–3–2133/दस–924–70, दिनांक 19 दिसम्बर, 1980

(10) अधिसचूना संख्या सा–3–79/दस–909–79, दिनांक 19 जनवरी, 1983

(11) अधिसूचना संख्या सा–3–1431/दस–909–74, दिनांक 29 सितम्बर, 1984,

(12) अधिसूचना संख्या सा–3–424/दस–933–89, दिनांक 12 फरवरी, 1996

अध्याय–5

राशिकरण से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण शासनादेश

THE UTTAR PRADESH CIVIL PENSIONS (COMMUTATION) RULES
(Published with notification no. M-3151/X-96-1938, dated December 19, 1940 and corrected upto June 30, 1959)

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 241 of the Government of India Act, 1935, the Governor of the Uttar Pradesh is pleased to make the following rules, in supersession of those published in Finance Department Notification no. C-127/X–62, dated the 19th January, 1933, as modified from time to time, to govern the commutation of pension of servants under his rule-making control:

The Uttar Pradesh Civil Pensions (Commutation) Rules

1. (a) These rules may be called "the Uttar Pradesh Civil Pensions (Commutation) Rules".

(b) They shall come into force with effect from 1st January, 1941.

(c) In these rules "State Government" means the Government of the Uttar Pradesh in the Finance Department.

2. These rules shall apply–

(i) to persons who were at the time of retirement Government servants in the Provincial and Subordinate Services, or who were holders of special posts under the rule-making control of the Government of the Uttar Pradesh; and

(ii) to other Government pensioners of similar standing whose pension are a charge upon the revenues of the Government of the Uttar Pradesh.

NOTE - *(1) These rules do not apply to the staff attached to the High Court of Judicature and the Chief Court of oudh, the members and staff of the Uttar Pradesh Public Service Commission, and the subordinate ranks of the various Police Forces in the State but they may be made applicable to these by the competent authority, under section 242 (4) or 265 (2) of the Government of India Act, 1935, or section 2 of the Police Act, 1861 (Act V of 1861), as the case may be.*

NOTE - (2) These rules do not apply to Government servants to whom rule 3 of the Civil Pensions (Commutation) Rules, issued by the Secretary of State for India in Council, applies.

3. (a) The power to sanction commutation of Civil Pensions for a lump sum payment is hereby vested in the State Government in cases falling under clause (a) of rule 6 of these rules; and in the High Commissioner for India in cases falling under clause (b) of that rule.

(b) The State Government reserve to themselves the right to–

(i) allow,

(ii) reduce, or

(iii) refuse

Commutation of any pension, without assigning any reason and to call for any information. The High Commissioner for India will exercise similar right in cases following under clause (b) of rule 6.

PART-I

General Provisions regarding commutation of Pensions

4. Subject to the provisions of rule 3 above and the conditions hereinafter specified and also subject to the existence of budget provision to meet the charge, a Government servant, to whom these rules apply, may be permitted to commute for a lump sum payment any portion not exceeding one-half of the pension which has been granted to him under the civil rules, provided that:

(a) when the pension is payable in sterling :

(i) if the pension is £180 or more, not less than £150 of its value shall remain uncommuted; and

(ii) if the pension is less than £ 180 not more than £ 30 of its value shall be commuted and not less than £ 120 shall remain uncommuted; and

(b) when the pension is payable in rupees :

(i) the residue of pension after commutation shall not be less than Rs. 20 a month in any individual case; and

(ii) the commuted value shall ordinarily be spent on one or more of the objects specified below, *wiz* :

(1) construction or purchase of a house,

(2) Liquidation of debt,

(3) education of children or dependents,

(4) marriage expenses, and

(5) starting a business enterprise:

Provided further that in calculating the amount of pension for the purpose of clauses (a) and (b) of the foregoing proviso there may be added to it the uncommuted portion of any other permanent pension or pensions payable to the applicant form Indian or other Government revenues.

*[**NOTE** - In the case of a government servant subject to the U.P. contributory Provident Fund Pension Insurance Rules, 1948, who elects to draw the pension payable under the first proviso to rule 16 of the said rules, the portion of the pension actually payable to him which can be commuted for a lump sum payment will be determined in accordance with rule 19 of the said rules.]*

5. Ordinarly commutation shall not be allowed of a compassionate allowance granted under Article 353 of the Civil Service Regulation, but the State Government may sanction commutation of such an allowance, if they are satisfied that commutation will be for the permanent benefit of the commuter’s family.

6. Applications, unless otherwise directed, shall be addressed–

(a) to the State Government in the case of pensioners who draw their pensions from Indian treasuries, or who, being resident in colonies having an account current with the Accountant general, Central Revenues, draw their pensions from the local treasuries ; and

(b) to the High Commissioner for India in the case of all other pensioners:

in accordance with the procedure detailed in Part II of these rules.

7. No commutation will be sanctioned until the pensioner has produced a certificate from the competent medical authority to the effect that his bodily health and prospects of duration of life are such as to justify commutation. In respect of pensions payable in India the State Government may, at their discretion, require the production of a second medical certificate or direct the pensioner to appear before a medical board.

If the applicant makes any statement found to be false within his knowledge or wilfully suppresses any material fact in answer to any question, written or oral, put to him in connexion with his medical examination, the State Government may cancel the sanctiion at any time before payment is actually made ; and such a statement or suppression may also be treated as grave misconduct for the purpose of Article 351 of the Civil Service Regulations.

8. The lump sum payable on commutation shall be the amount certified by the Accounts Officer to be admissible in accordance with the table or tables of present values prescribed by the President in the case of pensioner whose domicile at the time of first appointment to Government

service was Asiatic and by the Secretary of State in all other cases. For the purpose of this rule the age in the case of inpaired lives shall be assumed to be such age, not being less than the actual age, as the certifying medical authority may direct, and domicile shall be determined in accordance with the provisions of fundamental Rule 75-A and the Schedule thereunder, contained in the Uttar Pradesh financial Handbook, Volume II.

9. The lump sum, in cases in which applications are addressed to the State Government under clause (a) of rule 6, shall be payable in rupees; in all other cases it shall be payable at the British Treasury or in a Dominion or Colony, in sterling, the rate of exchange for conversion of the lump sum, where the question of conversion arises, being such rate as the Secretary of State may by order prescribe.

10. Commutation, when sanctioned, shall take effect from a date, to be specified in the order, which will ordinarily be about fifteen days later than the date of the order; and all calculations shall be made with reference to that date.

Note - *In special cases the sanctioning authority may permit commutation to have effect from an earlier date than that mentioned in this rule, but not preceding the date of the sanctioning order. All calculations shall then be made with reference to such earlier date.*

11. (1) The pensioner may, if he so desires, withdraw his application by written notice to the State Government or the High commissioner for India, as the case may be, so as to reach that authority before the date on which commutation becomes absolute.

(2) If he does not withdraw his application within the period specified in clause (1), the commutation shall become absolute, that is, the title to receive the commuted protion of the pension shall cease and the title to receive the commuted value shall accrue on the date from which the commutation is effective. Payment of the commuted value shall be made as far as possible on the date from which the commutaion is effective; but whatever the date of actual payment may be, the amount paid and the effect upon the pension shall be the same as if the commuted value were paid on the date on which commutation became absolute. If the commuted portion of the pension has been drawn after the date on wich commutation became absolute, the amount drawn shall be deducted from the amount payable in commutation.

12. A commutation once applied for, sanctioned and given effect to, cannot be rescinded, *i.e.*, the portion of a pension commuted cannot be restored on refund of its capitalized value.

13. If the pensioner dies on or after the day on which commutation became absolute but before receiving the commutation value, this value be paid to his heirs.

PART II

Procedure for Commutation

14. An application for commutation of pension shall be made in Form "A" appended to these rules, and, unless otherwise directed in any case or class of cases, shall be addressed as prescribed in rule 6 :

Provided that –

(a) in the case of pensioners who draw their pensions in India, it shall be addressed to the State Government through the Head of the Department in which the pensioner served, or through the collector of the district and Commissioner of the division where the pensioner resides, if he rendered active service outside this State but draws his pension from a treasury in the Uttar Pradesh and the charge for the pension falls on State revenues; and

(b) in the case of pensioners residing in a Dominion or Colony, other than those referred to in clause (a) of rule 6, it shall be addressed to the High Commissioner for India through the official from whom the pension is drawn.

15. Applications for commutation of pension shall be made only after the pension has been sanctioned by the competent authority.

16. The applicant must give full information regarding his financial position, the need for commutation and the advantage that he expects to derive therefrom. In the case of applications submitted under clause (a) of rule 6, the Head of Department or other officer will scrutnize the application, and in particular will see that commutation will be to the distinct and permanent advantage of the pensioner or his family, and that the residue of pension which will be left over after commutation will be suficient to maintain the pensioner and his family in accordance with his station in life in retirement due regard being had to the manner in which the amount realized on commutation will be applied. The forwarding authority is further required to make recommendations as regards the extent and the purpose for which commutation is desired. The State Government or the High Commissioner, as the case may be, may call for any further information.

***NOTE** - A medical certicicate should not accompany the application, and should not be submitted till called for.*

17. Before deciding in each case whether commutation should be allowed at all, and if so, to what extent, the budget provision should be taken into account. When the total demand is in excess of the funds available, the applications will normally be disposed of in the order of receipt.

18. For the purpose of rule 7 the competent medical authority for pensions drawn in India is as follows :

(1) The medical board of the division in which the pensioner draws his pension in the case of an applicant who has been granted an invalid pension, or in the case of any other applicant, unless the total of the amount of pension to be commuted, together with the amount or amounts previously commuted, if any, is Rs. 25 or less of the monthly pension.

(2) A medical officer not being of lower status than the civil surgeon, district medical officer or presidency surgeon of the area in which pension is drawn in the case of an applicant not governed by clause (1) above who applies for commutation of a sum such that the total amount of pension to be commuted, together with the amount or amounts previously commuted, if any, is Rs. 25 or less of the monthly pension.

The medical certificate shall be in Form B attached to these rules.

***Notes** - (1) If in the opinion of the medical authority prescribed in clauses (1) and (2) above, some special examination is necessary which it is not in a position to carry out itself, it may require the applicant to undergo such examination at his own expense. No refund of such expenditure will be given by the State Government in any circumstances, even where commutation is refused under clause (b) of rule 3.*

(2) A pensioner suffering from any of the diseases enumerated below which are considered to be so dangerous to life that they may prove fatal at any time, is ineligible for commutation, viz :

(1) Aneurism,

(2) Tuberculosis of lung,

(3) Diabetes,

(4) High blood pressure over 200 systolic,

(5) High blood pressure over 160 systolic with albuminuria,

(6) Uncompensated cardiac disease,

(7) Pernicious anaemia,

(8) Leukaemia,

(9) Angina pectoris,

(10) Apoplexy,

(11) Ascities,

(12) Beri beri,

(13) After operations for cancer,

(14) Mitral stenosis,

(15) Insanity.

(3) In the case of a woman pensioner, not covered by clause (1) above, who applies for commutation of a sum such that the total amount of pension to be commuted, together with the amount or amounts previously commuted, if any, is Rs. 25 or less of the monthly pension, Government may, at their discretion, accept a certificate in Form "B" from any registered medical woman, and preferably from a registered medical woman in government employ.

Where, however, an examination by the medical board is required in accordance with clause (1) above, one of the members of the Board should, if possible, be a registered woman medical paractitioner preferably in Government employ.

19. (i) The medical authority after obtaining from the applicant a statement in Part I of Form B attached to these rules which must be signed in the presence of the medical authority shall subject him to strict medical examination, enter the results in Part II of Form B and record as opinion as to the accuracy with which the pensioner has answered the questions prescribed in Part I regarding his medical history and habits. Lastly, it shall complete the certificate contained in Part III of Form B, which must be signed by the pensioner in the presence of the certifying medical authority. That authority shall, in the case of non-gazetted Government servants other than those specially exempted by the State Government, also obtain very carefully in its presence on the medical certificate, the left hand thumb and finger impressions.

(ii) In the case of an applicant who has been granted an invalid pension, the grounds of invaliding or the statement of the medical case shall be duly considered by the certifying medical autheority before the certificate (Part III of Form B) is signed.

20. When a pension is drawn in England, or in a Dominion or Colony that does not exchange accounts with the Accountant General, Central Revenues, the competent medical authority is the medical board at the India Office, or such authority as the high Commissioner arrange in consultation with the Dominion or Colonial Government.

***NOTE -** The form of medical certificate will be determined by the High Commissioner.*

21. When a pension is drawn neither in India nor in places mentioned in rule 20, but in a place which exchanges accounts with the Accountatnt General, Central Revenues, the State Government shall determine the competent medical authority in consultation with the Government of the place concerned, and also the form of medical certificate.

22. If the examination is conducted by a single medical officer in the Uttar Pradesh, under clause (2) of rule 18, the applicant shall himself pay a fee of Rs. 8 if the officer belongs to the Provincial Medical Service, or a fee of Rs. 16 if the officer is of the Indian Medical Service. If the examination is conducted by a single medical officer outside the Uttar Pradesh the pensioner shall pay to that officer such fees as may be required of him. In the case of and

applicant who is required to be examined by a Medical Board in India, under clause (1) of rule 18, he shall pay a fee of Rs. 4 into a Government treasury and make over the receipt for the fee to the Board before examination together with an additional fee of Rs 12 in cash to be retained and divided by the members of the board among themselves. If he is examined by a medical officer or board outside India, he shall pay to that authority such fees as may be required of him.

NOTES - *(1) A medical certificate should normally be deemed to be valid for three months only. If, in any individual case, the final orders of Government, sanctioning the commutation, do not issue within three months of the date of the medical examination of the pensioner, a fresh medical certificate may be required.*

(2) In cases where the State Government desire a second medical opinion under rule 7, or where a fresh medical certificate is required under note (1) above, the pensioner applying for commutation shall not be required to pay any further fee.

(3) If an applicant decides to withdraw his application for commutation after depositing a fee of Rs 4 into a Government treasury, under this rule, but before he is actualy examined by the medical board, the State Government may, at their descretion, sanction the refund to him of this fee.

23. A fresh medical certificate shall be required on the occasion of each commutation, irrespective of the period intervening between the date of the last madical examination in connexion with any previous application and the date of the subsequent application for commutation.

24. A pensioner who has once been rejected as not a fit subject for commutation or who has once declined to accept commutation on the basis of an addition of years to his actual age recommended by the medical authority, may be permitted to present himself subsequently at his own expense for a second medical examination with a view to the revision of the original finding, provided that –

(i) an interval of not less than a year must have elapsed between the date of the first medical examination and that of the second;

(ii) the second examination must invariably be made by a medical board ; and

(iii) the medical authority examining the pensioner in addition to documentary evidence to show that there has been an interval of not less than a year, must be supplied with a copy of the report of the medical authority which made the previous examination.

25. A copy of the medical certificate must be sent to the Accounts Officer when a report of the commuted value is called for.

26. The order sanctioning commutation shall be communicated to the pensioner through the usual channel, and shall specify –

(i) the amount of the present value of the commuted portion of the pension;

(ii) the date with effect from which commutation is sanctioned; and

(iii) the period within which the pensioner may, if he so desires, withdraw his application by written notice to State Government or the High commissioner for India, as the case may be.

Note - *The lump sum payable on commutation shall be paid at the treasury at which the pension is drawn.*

27. The Accounts Officer on receipt of a copy of the order sanctioning commutation shall arrange forthwith for the payment of the appropriate commuted value and for the corresponding reduction of pension. He shall also forward to the treasury officer concerned the medical certificate in Form B (*vide* rule 25) containing the signature and the thumb and finger

impressions taken in the presence of the medical authority, with instructions that they should be verified with those received with the pension payment order.

FORM–A

(FORM OF APPLICATION FOR COMMUTATION)

(*Rule* 14)

I, ____________________________________, desire to commute a portion of my ______________________ pension of Rs. ____________ as ______________ a month. I intend to utilize the commuted value on the objects specified on the reverse, and I am convinced that the commutation will be to the distinct and premanent advantage of myself and my family. I also certify that I have carefully answered each and all of the questions below :

Date ______________________ *Signature* ______________________

Place ______________________ *Designation* ______________________

Address ______________________

Questions	Answers
1. What is your date of birth?	
2. (a) How much of your pension do you wish to commute? (b) Have you already commuted a portion of your pension? If so, give full particulars. (c) Has any application from you for commutation of pension ever been rejected, accepted or have you ever ----------------------------- declined to accept commutation of pension on the basis of an addition of years to your actual age recommended by the medical authority? If so, particulars.	
3. Have you any debts or liabilitied? Give particulars.	
4. Have you a wife? Detail the members of your family dependent on you with their respective ages.	

5. What was your monthly income from all sources during the past year? Give particulars.	
6. Do you suffer from any complaint likely to shorten life? If so, state its nature.	
7. (a) What is the number of your pension payment order?	

Questions	Answers
(b) Name the treasury from which you draw your pension. (c) State the class of pension drawn (superannuation, retiring, compensation or invalid).	
8. Have you been a subscriber to the contributory Provident Pension fund? If so, state the amount of pension originally sanctioned as well as the net pension payable to you.	

Date ________________________

Signature ________________________

Place ______________________

NOTE - Not more than one-half of a pension can be commuted and in the case of pensioners who were members of the Contibutory Provident Pension fund, the amount of pension to be commuted should not also exceed one-third of the net pension and the residue of pension must be at least Rs. 20 a month.

STATEMENT OF OBJECT OR OBJECTS ON WHICH THE COMMUTED VALUE WILL BE SPENT

NOTE - The applicant must give full information of his financial position, the need for commutation, and the advantage to be derived therefrom. If, for example, he proposes to purchase or build a house, he should state the rent he pays for a hired building, whether he has secured a site or negotiated for a building, *etc.* . Debts must be detailed with the amount and rate of interest against each; and the applicant must explain to what extent commutation means a saving in charges on interest and the like. Where a business enterprise is the object, it is necessary to state capital outalay, working expenses, the prospect of business in the locality, profits anticipated and so on.

Object	Estimate of cost with full details
1. Construction or purchase of a house	
2. Liquidation of debt	

3. Education of children or dependents		. .	. .
4. Marriage expenses	. .	. .	. .
5. Starting a business enterprise	. .	. .	. .

Date ______________________

Signature ___________________

Place _____________________

FORM–B

(FORM OF MEDICAL CERTIFICATE)

(*Rule* 18 and 19)

MEDICAL EXAMINTAION BY THE ....

(Here enter the medical authority)

PART I

Statement by the applicant for commutation of a portion of his pension

The applicant must complete this statement prior to his examination by the .... (here enter the medical authority) and must sign the declaration appended thereto in the presence of that authority.

1. Name in full (in BLOCK letters) . . . . . .

2. Date of birth . . . .

3. Have you ever been granted leave on medical certificate? If so, state periods of leave and nature of illness?

4. Has any applicaion for insurance on your life ever been declined or accepted at an increased premium?

5. Have you ever been told that you had albumen or sugar in the urine?

Do you rise at night to urinate? . . . . . .

Are you now or have you ever been on special diet for your health?

Has there been any marked increase or decrease in your weight within the past three years? If so, how much?

6. Have you been under the treatment of any doctor within the last three months? If so, for what illness?

Declaration by applicant

(To be signed in presence of the medical authority)

I declare all the above answers to be to the best of my believe true and correct.

I will fully reveal to the medical authority all circumstances within my knowledge that concern my health and fitness.

I am fully aware that by wilfully making a false statement or concealing a relevant fact I shall incur the risk of losing the commutation I have applied for and of having my pension withheld or withdrawn under Article 351, Civil Service Regulations.

____

Applicant's signature

Signed in presence of

____________________ ____

Signature and designation of medical authority.

Part II

(To be filled in by the examining medical authority)

1. Apparent age	. .	. .	. .
2. Height	. .	. .	. .
3. Weight	. .	. .	. .
4. Girth of abdomen at level of umbilicus	. .	. .	. .
5. Pulse rate –			
(a) Sitting	. .	. .	. .
(b) Standing	. .	. .	. .
What is character of pulse?	. .	. .	. .
6. What is condition of arteries?	. .	. .	. .
7. Blood pressure –			
(a) Systolic	. .	. .	. .
(b) Diastolic	. .	. .	. .
8. Is there any evidence of disease of the main organs –			
(a) Heart	. .	. .	. .
(b) Lungs	. .	. .	. .
(c) Liver	. .	. .	. .
(d) Spleen	. .	. .	. .
(e)	. .	. .	. .
	. .	. .	. .
	. .	. .	. .
9. Does chemical examinaton of urine show (i) albumen, (ii) sugar? State specific gravity	. .	. .	. .

10. Has the applicant a rupture? If so, state their kind and if reducible	. . . . . .	
11. Discribe any scars or identifying marks	. . . . . .	
12. Any additional information	. . . . . .	

PART III

I/We have carefully examined ______________________ and am/are of opinon that –

(1) he is in good bodily health and has the prospect of an average duration of life;

(2) he is not in good bodily health and is not a fit subject for commutation;

or

(in the case of an impaired life which is yet considered a fit subject or commutation).

As ______________________ is suffering from ______________ his age for the purpose of commutation, that is, his age next birthday should be taken to be _______ ______________ years more than his actual age.

Signature of the applicant for commutation of pension.

Left-hand thumb and finger impression of non-gazetted Government servant.

Station ______________

Signature and designation of examining medical authority

Date ______________

N. B. – The attention of the examining medical authority is invited to extracts from the Uttar Pradesh Civil Pensions (Commutation) Rules, printed below.

Rule 7-No commutation will be sanctioned until be pensioner has produced a certificate from a competent medical authority to the effect that his bodily health and prospects of duration of life are such as to justify commutation. In respect of pensions payable in India the State Government may, at their descretion, require the production of a second medical certificate or direct the pensioner to appear before a medical board.

NOTE - (1) *to rule* 18 – If in the opinion of the medical authority prescribed in clauses (1) and (2) of the rule 18, some special examination is necessary which it is not in a position to carry out itself, it may require the applicant to undergo such examination at his own expense. No refund of such expenditure will be given by the State Government in any circumstances, even where commutation is refused under clause (b) of rule 3.

(2) *to rule* 18 – A pensioner suffering from any of the diseases enumerated below which are considered to be so dangerous to life that they may prove fatal at any time is ineligible for commutation, *viz* :

(1) Aneurism.

(2) Tuberculosis of lung.

(3) Diabetes.

(4) High blood pressure over 200 systolic.

(5) High blood pressure over 160 systolic with albuminuria.

(6) Uncompensated cardiac disease.

(7) After operations for cancer.

(8) Penicious anaemia.

(9) Leukaemia.

(10) Angina pectoris.

(11) Apoplexy.

(12) Ascites.

(13) Beri-beri.

(14) Mitral stenosis.

(15) Insanity.

NOTE (3) *to rule 22 – If an applicant decides to withdraw his application for commutation after depositing a fee of Rs. 4 into a Government treasury under this rule, but before he is actually examined by a medical board, the State government may at their discretion, sanction the refund to him of this fee.*

————

संख्या–सा–3–610 / दस–7040 / 78

प्रेषक,

त्रिभुवन प्रसाद,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 3 जून, 1980

विषय :– पेंशन राशिकरण नियमों का सरलीकरण एवं उदारीकरण–राशिकरण स्वीकृत करने के अधिकार का विभागाध्यक्षों को प्रतिनिधायन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्यूटेशन) रूल्स में निहित पेंशन राशिकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के आशय से राज्यपाल महोदय ने विचारोपरान्त पेंशन के राशिकरण को स्वीकृत करने के अधिकार का निम्न प्रकार से प्रतिनिधायन करने के आदेश दिये हैं :–

1–जिन सरकारी सेवकों की पेंशन विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की जाती है उनकी पेंशन का राशिकरण स्वीकृत करने के अधिकार संबंधित विभागाध्यक्षों को होंगे।

2—जिन सरकारी सेवकों की पेंशन शासन स्तर पर स्वीकृत होती है उनकी पेंशन का राशिकरण स्वीकृत करने के अधिकार संबंधित विभागों के सचिवों को होगा।

जिन मामलों में पेंशन शासन स्तर पर पहले स्वीकृत की जा चुकी है तथा बाद में विभागाध्यक्षों को पेंशन स्वीकृत करने के अधिकारों का प्रतिनिधायन हुआ है उन मामलों में राशिकरण स्वीकृत करने के अधिकार संबंधित विभागों के सचिवों को होगा।

2—उक्त आदेश दिनांक 1 जुलाई, 1980 से लागू होंगे अर्थात उक्त तिथि के बाद पेंशनरों को पेंशन के राशिकरण की स्वीकृति उपरोक्तानुसार उन विभागाध्यक्षों/सचिवों द्वारा जारी की जायेगी जिनके अधीन संबंधित पेंशनर कार्यरत रहते हुए सेवानिवृत्त हुआ होगा।

3—इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पेंशन राशिकरण के आवेदन—पत्र जो अब आपके कार्यालय में प्राप्त हों उन्हें शासन के वित्त विभाग को अग्रसारित न किया जाए बल्कि इस सम्बंध में सिविल पेंशन (कम्यूटेशन) रूल्स के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाए।

4—संबंधित नियमावली में आवश्यक संशोधन यथा समय अलग से किया जायेगा।

कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,

त्रिभुवन प्रसाद

वित्त सचिव।

———

संख्या—सा—3—1445/दस—7040/78

प्रेषक,

श्री त्रिभुवन प्रसाद,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 लखनऊ : दिनांक : 3 जून, 1980

विषय :— सेवानिवृत्ति होने पर पेंशन का राशिकरण—स्वास्थ्य परीक्षा।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्यूटेशन) रूल्स के नियम 7 में प्राविधान के अनुसार यदि कोई राजकीय पेंशनर अपनी पेंशन के एक भाग के राशिकरण हेतु आवेदन—पत्र देता है तो उसे राशिकरण की स्वीकृति उसी दशा में प्रदान की जाती है जब कि सक्षम चिकित्साधिकारी ने पेंशनर के स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर उसे राशिकरण के लिए उपयुक्त (फिट) घोषित कर दिया हो। उपर्युक्त प्रक्रिया को सरलीकृत एवं उदारीकृत करने के उददेश्य से राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश दिये है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, जो अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से 1 वर्ष के भीतर पेंशन के राशिकरण के लिए आवेदन करे, तो उसे उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्यूटेशन) रूल्स के नियम—4 सपठित उत्तर प्रदेश लिबरलाईज्ड पेंशन रूल्स, 1961 के नियम—9 तथा उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के नियम—8 में निर्धारित

सीमाओं के अधीन रहते हुए पेंशन के राशिकृत मूल्य की अदायगी के प्रयोजन के लिए डाक्टरी जांच करवानी आवश्यक नहीं होगी।

2—यह, आदेश अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों के अतिरिक्ति ऐसे पेंशनरों पर भी लागू होंगे जो ऐच्छिक, अनिवार्य अथवा अशक्तता पेंशन प्राप्त करते हों।

3—उपर्युक्त प्रस्तर—1 के आदेश उपर्युक्त प्रस्तर—2 में उल्लिखित पेंशनरों पर अथवा अन्य ऐसे पेंशनरों पर नहीं लागू होंगे जो अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि के एक वर्ष के बाद पेंशन की राशिकरण के लिए आवेदन करेंगे।

4—इन नियमों के अधीन पेंशन के राशिकरण के लिये आवेदन, अन्तिम रूप से पेंशन स्वीकृत किए जाने के उपरान्त ही किया जायेगा और यह राशिकरण सभी प्रकार से अन्तिम होगा, अर्थात सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष को उनका आवेदन—पत्र सब प्रकार से पूर्ण प्राप्त हो जाने की तिथि से राशिकृत मूल्य पाने का हकदार हो जायेगा और आवेदन—पत्र वापिस लेने की छूट न होगी।

5—यह आदेश इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। यह आदेश उन अनिस्तारित मामलों पर भी लागू होंगे जहां पेंशनर ने सेवानिवृत्ति के बाद एक वर्ष के भीतर ही राशिकरण का आवेदन पत्र दिया हो।

6— उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्यूटेशन) रूल्स को इन आदेशों द्वारा संशोधित किया गया समझा जायेगा। औपचारिक संशोधन यथा समय अलग से किया जायेगा। इन आदेशों के जारी होने के बाद सभी पेंशनर पेंशन के राशिकरण का प्रार्थना—पत्र संलग्न प्रपत्र पर देंगे।

कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,

त्रिभुवन प्रसाद

वित्त सचिव।

————

प्रारूप

डाक्टरी जांच कराये बिना पेंशन का राशिकरण कराने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप (शा0आ0संख्या—सा—3—1445 / दस—7040—78, दिनांक 3 जून, 1980 के अधीन निर्धारित)

फोटो के लिए स्थान

मैं...अपनी.. पेंशन रूपया..में से रूपये..का राशिकरण करने की प्रार्थना करता हूँ । मैं राशिकृत धनराशि का उपयोग पृष्ठ 2 पर उल्लिखित उद्देश्य के लिए करूंगा। मुझे यह विश्वास है कि राशिकरण मेरे एवं मेरे परिवार के लिए विशिष्ट एवं स्थायी रूप से लाभप्रद रहेगा। मैंने नीचे अंकित कालम में वांछित सूचना ध्यान पूर्वक अंकित की हैः—

दिनांक — हस्ताक्षर..........................

स्थान — पदनाम.............................

पता.......................................

1—स्पष्ट अक्षरों में नाम

2—जन्म तिथि

3—(क) सेवानिवृत्ति की तिथि

(ख) सेवानिवृत्ति के समय वास्तविक आयु

4–सेवानिवृत्ति के समय पदनाम तथा कार्यालय का नाम

5–पेंशन की धनराशि

6–पेंशन की श्रेणी

7–खजाने अथवा बैंक का नाम तथा लेखा संख्या जिससे पेंशन ली जा रही है

8–यदि राशिकृत मूल्य की अदायगी उस लेखा अधिकारी के मार्फत नही ली जाती है जिसने पेंशन प्राधिकृत की है तो उस खजाने अथवा बैंक का नाम लिखें जिसकी मार्फत राशिकृत मूल्य की अदायगी की जाए

9–पी0पी0ओ0 संख्या –

10–रकम (पूर्ण रूपयों में) अथवा पेंशन का वह भाग जिसका राशिकरण कराने का प्रस्ताव है।

11–(क) क्या आप उत्तर प्रदेश लिबरलाईज्ड पेंशन रूल्स, 1961 अथवा

(ख) उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स, 1961 के नियम 11 अथवा

(ग) उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स, 1961 (सम्यक्) से शासित है।

(घ) उपर्युक्त (क) अथवा (ख) से शासित होने की दशा में सकल पेंशन की धनराशि अंकित की जाए।

12–पहले यदि पेंशन राशिकरण करवाने संबंधी कोई आवेदन–पत्र दिया गया हो तो उसका विवरण तथा क्या पहले कभी आप किसी चिकित्साधिकारी के सामने पेश हुए हैं अथवा नहीं :

हस्ताक्षर....................

पदनाम.......................

दिनांक.......................

राशिकरण का उद्‌देश्य — अनुमानित व्यय

1–भवन क्रय अथवा निर्माण हेतु ....

2–ऋण की अदायगी हेतु ....

3–बच्चों की शिक्षा हेतु ....

4–विवाह संबंधित व्यय हेतु ....

5–व्यापार आरम्भ करने हेतु ....

......................दिनांक

.......................स्थान

हस्ताक्षर

––––

संख्या—सा—3—2727 / दस—7040 / 75

प्रेषक,

श्री बसन्त लाल शाह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2—शासन के सभी विभागीय सचिव।

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 लखनऊ : दिनांक : 10 अक्टूबर, 1980

विषय :— पेंशन के एक भाग का राशिकरण—प्रक्रिया संबंधी निर्देश।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा—3—610 / दस—7040 / 78 दिनांक 3 जून, 1980 में दिनांक 1 जुलाई, 1980 से पेंशन राशिकरण स्वीकृत करने के अधिकारों का प्रतिनिधायन वित्त विभाग द्वारा विभागाध्यक्षों व शासन के विभागीय सचिवों को कर दिया गया है। इस संबंध में कतिपय कार्यालयों से यह जानकारी चाही गयी है कि उक्त दिनांक 1 जुलाई, 1980 के पूर्व जो मामले शासन के वित्त (सामान्य—3) अनुभाग को भेजे जा चुके हैं व स्वीकृति के आदेश नहीं जारी किये जा सके हैं उनका निस्तारण किस स्तर से होना अपेक्षित है अर्थात् शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी की जायगी अथवा उन मामलों को संबन्धित विभागों को वापस कर दिया जायेगा। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जो मामले पहले ही शासन को संदर्भित किये जा चुके हैं और उन्हें शासन द्वारा लौटाया नहीं गया है वरन् उन पर कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है, उन पर अंतिम स्तर तक कार्यवाही शासन द्वारा ही की जायेगी। आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि जो आवेदन—पत्र शासन में अपूर्ण प्राप्त हुए थे व उनके संबंध में कतिपय सूचनायें शासन द्वारा मांगी गई हैं, अविलम्ब शासन को भेजें और यदि प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके कार्यवाही आप अपने स्तर पर ही करना चाहें तो तदनुसार शासन को अविलम्ब और अवश्यमेव अवगत कराया जाय, जिससे कि उन आवेदन—पत्रों को आपको वापस किया जा सके जिससे कि राशिकरण की स्वीकृति की दोहरी कार्यवाही न होने पाये।

2—पेंशन राशिकरण का कार्य आपके कार्यालयों के लिये बिल्कुल नया नहीं है क्योंकि पहले भी सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पेंशन के एक भाग के राशिकरण के लिये निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन—पत्र कार्यालयाध्यक्षों / विभागाध्यक्षों को ही प्रस्तुत करते थे और उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्यूटेशन) रूल्स के प्राविधानों की पृष्ठभूमि में परीक्षण कर अपेक्षित सूचना और प्रमाण—पत्र सहित उन्हें आपके द्वारा शासन के वित्त विभाग को अग्रसारित किया जाता रहा है। कार्यवाही के विभिन्न स्तरों पर शासन और आपके बीच पत्र व्यवहार भी होता रहा है। फिर भी कुछ कार्यालयों के इस विषय में प्रक्रिया संबंधी कठिनाई अनुभव किये जाने की सूचना शासन को प्राप्त हुई है। इसलिये सुविधा के लिये इस विषय संबंधी विशिष्ट बिन्दुओं और ऐसे प्रकरणों के निस्तारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में स्थिति इस पत्र के अनुलग्नक में स्पष्ट कर दी जा रही है, परन्तु यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आपका होगा कि जो कार्यवाही की गई है, वह पूर्णतः नियमानुसार है। मामलों का निस्तारण प्रत्येक स्तर पर तत्परता से किया जाना अपेक्षित है।

3—मुझे यह भी कहना है कि पेंशन राशिकरण की जो धनराशियाँ स्वीकृत की जायें उनका पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में रखा जाय तथा उक्त विवरणों की त्रैमासिक सूचना त्रैमास की समाप्ति के अगले महीने की 15 तारीख तक शासन के वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 को संलग्न प्रारूप में अवश्य उपलब्ध करा दी जाया करे।

भवदीय,
बसन्त लाल शाह
संयुक्त सचिव।

अनुलग्नक

(शा0 आ0 सं0 सा–3–2727/दस–7040–78

दिनांक 10 अक्टूबर, 1980)

पेंशन राशिकरण संबंधी प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया

(1) पेंशनर के बारे में सर्वप्रथम यह सुनिश्चित किया जाना है कि पेंशनर पेंशन के किस नियम से शासित है। यदि वह उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स, रूल्स, 1961 से शासित है तो यह देखें कि वह उससे पूर्णतया शासित है अथवा उसके नियम 11 से शासित है। उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 के नियम 11 से या यू0पी0 लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 से शासित होने की दशा में पेंशनर की ग्रास पेंशन (Gross Pension) भी ज्ञात की जाय। ग्रास पेंशन का तात्पर्य नेट पेंशन तथा डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के पेंशनरी समतुल्य (पी0ई0) के योग से है। यदि यह सूचना आपके कार्यालय में उपलब्ध न हो तो इस महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से मंगाई जा सकती है।

(2) यह भी देख लिया जाय कि निम्नलिखित सूचनायें भी उपलब्ध हैं :

1–पेंशनर की नेट पेंशन (Net Pension) क्या थी?

2–उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्यूटेशन) रूल्स के नियम 16 के अधीन विभागाध्यक्षों/अग्रसारित करने वाले प्राधिकारी द्वारा किया गया संस्तुति प्रमाण–पत्र मूल रूप में उपलब्ध है।

3–पेंशनर की जन्मतिथि।

4–पेंशनर की अवकाश प्राप्ति की तिथि।

5–पेंशनर को नियमानुसार उनकी पेंशन के 1/3 भाग से अधिक का राशिकरण अनुमन्य नहीं है। यदि यह अधिक धनराशि के राशिकरण हेतु आवेदन करता है तो उससे पूछ लिया जाय कि वह पेंशन के 1/3 भाग के राशिकरण के लिये तैयार है अथवा नहीं और यदि हो तो उनकी लिखित सहमति प्राप्त कर ली जाय।

(3) उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनीफिट रूल्स, 1961 से पूर्णतया शासित होने की दशा में मासिक नेट पेंशन के 1/3 भाग तक का राशिकरण अनुमन्य है।

(4) उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनीफिट रूल्स, 1961 के नियम 11 से या उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 से शासित होने की दशा में भी नेट पेंशन के 1/3 भाग तक का राशिकरण स्वीकृत किया जा सकता है किन्तु यह भी प्रतिबन्ध है कि राशिकरण के बाद जो धनराशि बचे वह उसकी ग्रास पेंशन के आधे से कम न हो।

(5) उपर्युक्त की गणना के बाद यदि नियमों सपठित शासनादेश संख्या सा–3–1445/दस–7040–78, दिनांक 3 जून, 1980 के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षा कराये जाने की आवश्यकता हो तो उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन्स (कम्यूटेशन) रूल्स के नियम 18 तथा 19 के अनुसार उसकी स्वास्थ्य परीक्षा हेतु लिखा जाय। इसके लिये यह आवश्यक है कि यह देखा जाय कि पेंशनर किस कोषागार से पेंशन लेता है। यदि राशिकरण हेतु आवेदित व अनुमन्य धनराशि 25 रु0 तक है तो उसी जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को लिखा जायेगा किन्तु उससे अधिक की अनुमन्य व आवेदित धनराशि के लिये मण्डलीय चिकित्सा परिषद् से स्वास्थ्य परीक्षा वांछनीय है और उसके लिये पेंशन पा रहे जनपद के मण्डल के मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा व संस्तुति के लिये मण्डल के मुख्यालय के मुख्य चिकित्साधिकारी को लिखा जायेगा। चिकित्सा प्रमाण–पत्र के लिये निर्धारित प्रपत्र की एक प्रति संलग्न है जिसकी दो प्रतियां मुख्य चिकित्साधिकारी को भेजी जायेगी जिनको (दोनों प्रतियां) वे विभाग को वापस कर देंगे। ये प्रपत्र अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार छपवा लिये जायें।

(6) जिन मामलों में स्वास्थ्य परीक्षा आवश्यक नहीं हो अथवा जिन मामलों में स्वास्थ्य परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की जाय और पेंशनर को राशिकरण स्वीकृत करने हेतु योग्य संस्तुत किया जाय उनके बारे में स्वीकार की गई राशिकरण हेतु राशिकरण के बाद देय एक मुश्त धनराशि की सूचना भेजे जाने हेतु

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (तृतीय) पेंशन आडिट विभाग, (पेंशन आडिट अनुभाग–5) इलाहाबाद से अनुरोध किया जाय। यह सूचना मांगते समय स्वास्थ्य परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति भी जिन मामलों में आवश्यक हो नियमानुसार भेजी जानी अपेक्षित है।

(7) महालेखाकार से सूचना प्राप्त हो जाने पर सूचित राशिकरण मूल्य की स्वीकृति के अन्तिम आदेश जारी कर दिये जायेंगे। इस आदेश के जारी करने के पूर्व यह अवश्य देख लिया जाय कि पेंशनर की जिस आगामी जन्मतिथि को आधार मानकर महालेखाकार द्वारा देय धनराशि की सूचना भेजी गई है उसके आदेश उस तिथि से पहले ही जारी हों और उक्त तिथि के पहले ही Absolute होते हों क्योंकि यह तिथि निकल जाने के बाद आयु की पृष्ठभूमि में राशिकृत मूल्य कम हो जाता है। उक्त तिथि निकल जाने की दशा में पुनरीक्षित मूल्य ज्ञात करना आवश्यक हो जायेगा। इसके बाद महालेखाकार द्वारा भुगतान के निर्देश संबंधित कोषागार को जारी किये जायेंगे तथा तदनुसार पेंशनर को संबंधित कोषागार से उक्त धनराशि प्राप्त हो सकेगी।

(8) इस संबंध में अन्त में यह उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन्स (कम्युटेशन) रूल्स की प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं। यथा समय उसके छप जाने पर ही उसकी प्रतियां उपलब्ध कराई जा सकेगी। सुविधा हेतु नियमावली के नियम 4(बी)(II), 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18(1), (2), 19, 22 के नोट्स (1), (2) व (3), 23, 24, 25 व 26 के उद्धरण संलग्न हैं।

——————

<u>संख्या सा–3–710 / दस–7040 / 78</u>

प्रेषक,

श्री राज कुमार दर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 8 मई, 1981

विषय :– सेवानिवृत्ति पर पेंशन के एक भाग के राशिकरण हेतु स्वास्थ्य परीक्षा की आवश्यकता से छूट।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या सा–3–1445/दस–7040–78, दिनांक 3 जून, 1980 में इस आशय के आदेश जारी किये गये है कि यदि कोई राजकीय पेंशनर अपनी सेवानिवृत्ति के दिनांक से एक वर्ष के भीतर पेंशन के किसी भाग के (निर्धारित सीमा तक) राशिकरण के लिये आवेदन करे तो उसे अपनी स्वास्थ्य परीक्षा करवानी आवश्यक नहीं होगी। आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के लिये यह आवश्यक है कि पेंशनर को अन्तिम रूप से पेंशन स्वीकृत हो गई हो अर्थात्, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा पेंशन भुगतानादेश (पी0पी0ओ0) जारी कर दिया गया हो। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के लिये समयबद्ध प्रक्रिया निर्धारित है और समय–समय पर उक्त प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिये अनुदेश प्रसारित किये गये हैं, फिर भी यह अनुभव किया गया है, कि कतिपय मामलों में पी0पी0ओ0 जारी होने में विलम्ब हो जाता है और सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर पी0पी0ओ0 के न प्राप्त हो सकने पर पेंशनर उक्त शासनादेश में अनुमन्य स्वास्थ्य परीक्षा से मुक्ति के लाभ से वंचित हो जाता है।

2–किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय न्यायिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण सतर्कता जांच आदि जारी होने अथवा प्रस्तावित होने की दशा में उसे उस कार्यवाही/जांच पूरी होकर अन्तिम निर्णय होने तक अन्तिम पेंशन स्वीकार नहीं की जाती है। अन्तिम निर्णय पर यदि उसे पूरी पेंशन अथवा आंशिक पेंशन स्वीकार की जाती है और तब तक उसकी

सेवानिवृत्ति के दिनांक से एक वर्ष से अधिक समय हो जाता है, तो उस पेंशनर द्वारा पेन्शन राशिकरण का आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने पर उसको उपर्युक्त शासनादेश में अनुमन्य स्वास्थ्य परीक्षा से छूट की सुविधा नहीं मिल पाती है।

3–उपर्युक्त प्रस्तर 1 व 2 में वर्णित परिस्थितियों में पेंशनरों को होने वाली कठिनाई पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने यह आदेश दिये हैं कि स्वास्थ्य परीक्षा के बिना पेंशन के राशिकरण के प्रयोजन के लिये, एक वर्ष की अवधि सेवानिवृत्ति की तिथि के बजाय अन्तिम रूप से पेंशन की स्वीकृति की तिथि से अर्थात् पी0पी0ओ0 जारी होने के दिनांक से गिनी जायेगी। अन्य शर्तें और प्रतिबन्ध वही होंगे जो शासनादेश दिनांक 3 जून, 1980 में दी गई हैं और राशिकृत मूल्य की धनराशि वह होगी जो आवेदन–पत्र पूर्ण होकर प्राप्त होने के समय उसकी आयु के अनुसार अनुमन्य हो। तदनुसार शासनादेश दिनांकित 3 जून, 1980 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। अब यह आवश्यक होगा कि राशिकरण के आवेदन–पत्र में पी0पी0ओ0 की संख्या के साथ उसका दिनांक भी अंकित कराया जाय।

4–इस संबन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि शासन का आशय यह नहीं है कि उक्त सुविधा के फलस्वरूप पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या सा–3–2085/दस–907–76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 द्वारा निर्धारित समयबद्ध प्रक्रिया में किसी प्रकार की शिथिलता आये। अतः आपसे अनुरोध है कि पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की दिशा में अपेक्षित कार्यवाही तत्परता से की जानी सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,
राज कुमार दर
सचिव।

संख्या सा–3–1196/दस–7040/78

प्रेषक,

श्री राज कुमार दर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक : 19 अगस्त, 1981

विषय :– सेवानिवृत्त होने पर पेंशन का राशिकरण–स्वास्थ्य परीक्षण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या सा–3–1445/दस–7040–78, दिनांक 3 जून, 1980 में इस आशय के आदेश जारी किये गये हैं कि यदि कोई सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर पेंशन के एक भाग के राशिकरण के लिये आवेदन–पत्र प्रस्तुत करे तो उसे उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्युटेशन) रूल्स के नियम 4 सपठित उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 के नियम 9 तथा उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 के नियम 8 में निर्धारित सीमाओं के अधीन रहते हुए पेंशन के राशिकृत मूल्य की अदायगी के प्रयोजन के लिये डाक्टरी जांच करवानी आवश्यक नहीं होगी। उसके

प्रस्तर 5 के अनुसार उक्त आदेश शासनादेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी हुए और इसी प्रस्तर में यह आदेश भी निहित हैं कि यह आदेश उन अनिस्तारित मामलों पर भी लागू होंगे जहां पेंशनर ने सेवानिवृत्ति के बाद एक वर्ष के भीतर ही राशिकरण का आवेदन–पत्र दिया हो।

2–संदर्भित शासनादेश दिनांक 3 जून, 1980 के उक्त प्रस्तर 5 में उल्लिखित अनिस्तारित मामलों से संबंधित शासन को प्रेषित कतिपय प्रत्यावेदनों में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि स्वास्थ्य परीक्षा से छूट उन सभी मामलों में अनुमन्य होना चाहिये जिनमें सेवानिवृत्ति से एक वर्ष के भीतर राशिकरण का आवेदन–पत्र दे दिया गया था चाहे सेवानिवृत्ति शासनादेश की तिथि से कितने ही अवधि पहले हुई हो। अतः यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि उक्त प्राविधान उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए केवल उन मामलों के विषय में किया गया था जिनमें कर्मचारी उक्त शासनादेश जारी होने की तिथि से पूर्व एक वर्ष के अन्दर सेवानिवृत्त हुए हों और उसका आशय यह नहीं था कि उक्त सुविधा इससे पुराने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुमन्य होगी। शासनादेश दिनांक 3 जून, 1980 के जारी होने के दिनांक को ऐसे अनिस्तारित मामलों में ही निर्धारित शर्तों के अधीन स्वास्थ्य परीक्षा से छूट की सुविधा अनुमन्य होगी जिसमें पेंशनर 3 जून, 1980 से पिछले एक वर्ष के भीतर अर्थात् 4 जून, 1979 से 3 जून, 1980 के बीच सेवानिवृत्त हुआ हो। तदनुसार ऐसे मामलों में कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

राज कुमार दर

सचिव।

––––

संख्या सा–3–1647 / दस–7000 / 82

प्रेषक,

श्री जगमोहन लाल बजाज,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 6 अक्टूबर, 1981

विषय :– बिना स्वास्थ्य परीक्षा के पेंशन राशिकरण के मामलों में राशिमूल्य की गणना स्वीकृताधिकारी द्वारा ही करके स्वीकृति प्रदान किया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा–3–1445 / दस– 7040–78, दिनांक 3 जून, 1980 सपठित शासनादेश संख्या सा–3–710 / दस–7040–78, दिनांक 8 मई, 1981 में निहित आदेशों के अनुसार उनमें उल्लिखित शर्तों के अधीन सेवानिवृत्ति अथवा पी0पी0ओ0 जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर राज्य पेंशनर द्वारा अपनी पेंशन के भाग के राशिकरण हेतु आवेदन करने पर उसे राशिकरण प्रयोजन हेतु स्वास्थ्य परीक्षा से छूट अनुमन्य की गई है। उ0प्र0 सिविल पेंशन (कम्युटेशन) रूल्स के नियम 8 सपठित नियम 25 के अनुसार अपेक्षित है कि आवेदित अथवा अनुमन्य राशिकृत पेंशन के भाग की देय राशिमूल्य की सूचना महालेखाकार से मांग कर ही अन्तिम स्वीकृति जारी की जाय। इस प्रक्रिया के अनुसरण में पर्याप्त समय लग जाता है और पेंशनर को स्वीकृति मिलने में विलम्ब होने से कठिनाई होती है।

2–उपर्युक्त कठिनाई के निराकरण के लिए महालेखाकार के परामर्श से विचारोपरान्त राज्यपाल

महोदय ने सहर्ष आदेश दिये हैं कि तात्कालिक प्रभाव से इस संबंध में निम्न संशोधित व्यवस्था लागू कर दी जाय :–

(1) जिन मामलों में पेंशन के एक भाग के राशिकरण हेतु स्वास्थ्य परीक्षा से छूट अनुमन्य हो उन मामलों में स्वीकर्ताधिकारी अपने स्तर पर ही शासन द्वारा निर्धारित राशि मूल्य की दरों के आधार पर राशि मूल्य की गणना करके अनुमन्य धनराशि के राशिकरण की स्वीकृति के आदेश महालेखाकार उत्तर प्रदेश को भेज दें।

(2) ऐसे मामलों में स्वीकृति के आदेश महालेखाकार के कार्यालय में प्राप्त होने पर उनके द्वारा कोषाधिकारी को धनराशि के भुगतानादेश जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृताधिकारी द्वारा की गई राशिमूल्य की गणना ठीक है तथा राशिकृत भाग की धनराशि पेंशनर के पेन्शन के तिहाई भाग, जो कि नियमानुसार अनुमन्य है, से अधिक नहीं है।

अतः उक्त श्रेणी के पेन्शन राशिकरण के मामलों में स्वीकृति उक्त संशोधित प्रक्रिया के अनुसार जारी की जाय। अन्य मामलों में जिनमें स्वास्थ्य परीक्षा कराया जाना अपेक्षित हो, पूर्व की भांति राशिमूल्य की सूचना महालेखाकार से प्राप्त करके ही स्वीकृति जारी की जायेगी। राशिकरण हेतु राशि की निर्धारित दरों की तालिका की प्रति सूचनार्थ एवं उपयोगार्थ संलग्न है। सुविधा एवं मार्गदर्शन हेतु अनुलग्नक में राशिमूल्य की संगणना के कुछ उदाहरण भी दिये गये हैं।

3–उत्तर प्रदेश सिविल पेन्शन (कम्युटेशन) रूल्स को इन आदेशों द्वारा उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। औपचारिक संशोधन यथासमय अलग से किया जायेगा।

भवदीय,
जे0 एल0 बजाज
वित्त सचिव।

————

<u>संख्या सा–3–616/दस–7002/82</u>

प्रेषक,

श्री जगमोहन लाल बजाज,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 21 दिसम्बर, 1982

विषय :– सेवानिवृत्ति होने पर पेंशन का राशिकरण–स्वास्थ्य परीक्षा से छूट।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा–3–1445/दस– 7040–78, दिनांक 3 जून, 1980 में इस आशय के आदेश निर्गत किये गये थे कि कोई सरकारी कर्मचारी जो अपनी सेवानिवृत्त की तिथि से एक वर्ष के भीतर पेंशन राशिकरण के लिये आवेदन–पत्र प्रस्तुत करे, उसे उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्युटेशन) रूल्स 1961 के नियम 4 सपठित उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 के नियम 9 तथा उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स के नियम 8 में निर्धारित सीमाओं के अधीन रहते हुए राशिकरण के प्रयोजन हेतु स्वास्थ्य परीक्षा करवानी आवश्यक नहीं होगी। उसी क्रम में शासनादेश संख्या सा–3–710/दस–7040–78, दिनांक 8 मई, 1981 में इस आशय का संशोधन किया गया कि स्वास्थ्य परीक्षा के बिना पेंशन के राशिकरण के प्रयोजन के लिए एक वर्ष की अवधि सेवानिवृत्ति

की तिथि के बजाय अन्तिम रूप से पेंशन की स्वीकृति की तिथि से अर्थात् पी0पी0ओ0 जारी होने के दिनांक से गिनी जायेगी।

2—शासन की जानकारी में यह बात आई है कि दिनांक 1 जुलाई, 1979 और उत्तर प्रदेश वेतन आयोग के संकल्प के दिनांक अर्थात् 29 सितम्बर, 1981 के बीच सेवानिवृत्त कुछ पेंशनर्स ने पुराने वेतनमान में निर्धारित पेशन के एक तिहाई भाग का राशिकरण बिना स्वास्थ्य परीक्षा के करा लिया, जैसा कि पी0पी0ओ0 की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन—पत्र प्रस्तुत कर देने पर अनुमन्य था, जबकि कालान्तर में वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार नये उच्च वेतनमान का विकल्प देने पर उनके वेतन का पुनर्निर्धारण हो गया व उसके फलस्वरूप उनकी पुनरीक्षित पेंशन की धनराशि अधिक हो गई और उसमें से राशिकरण हेतु अनुमन्य एक तिहाई भाग की धनराशि भी बढ़ गई। फलस्वरूप यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यदि पेंशनर द्वारा वेतन आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप पुनर्निर्धारित नये वेतनमान में पुनरीक्षित पेंशन के आधार पर राशिकरण हेतु अनुमन्य एक तिहाई भाग व पुराने वेतनमान में पूर्व निर्धारित पेंशन के एक तिहाई भाग के राशिकृत पेंशन की धनराशि के अन्तर के बराबर की धनराशि के पुनः राशिकरण हेतु आवेदन किया जाये तो उस दशा में उसको स्वास्थ्य परीक्षा से छूट अनुमन्य होगी अथवा नहीं। तदनुसार मामले में विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त मामलों में पेंशन के पुनर्निर्धारण अर्थात् पुनरीक्षित पी0पी0ओ0 की तिथि के एक वर्ष के अन्दर आवेदन—पत्र प्रस्तुत कर देने पर राशिकरण के प्रयोजन हेतु स्वास्थ्य परीक्षा से छूट अनुमन्य होगी।

भवदीय,
जगमोहन लाल बजाज
सचिव।

———

संख्या सा—3—184/दस—7040/78

प्रेषक,

श्री जे0 एल0 बजाज,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 लखनऊ : दिनांक : 18 मई, 1983

विषय :— पेंशन राशिकरण की प्रक्रिया का उदारीकरण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा—3—1445/दस— 7040—78, दिनांक 3 जून, 1980 सपठित शासनादेश संख्या सा—3—710/दस—7040—78, दिनांक 8 मई, 1981 व शासनादेश संख्या सा—3—1647/दस—7000—82, दिनांक 6 अक्टूबर, 1982 में की गई व्यवस्थानुसार राजकीय सिविल पेंशनरों द्वारा राशिकरण आवेदन—पत्र सेवानिवृत्ति अथवा पी0पी0ओ0 की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत कर देने पर पेंशन के एक भाग के राशिकरण के प्रयोजन हेतु स्वास्थ्य परीक्षा से छूट अनुमन्य होती है तथा स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा राशिमूल्य देयता का आगणन अपने स्तर पर करके स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। ऐसे मामलों में पेंशनर आवेदित राशिकृत पेंशन की धनराशि के राशिमूल्य के पाने का हकदार कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के यहां आवेदन—पत्र प्राप्त होने की तिथि से हो जाता है और राशिकरण की स्वीकृति भी उसी तिथि से प्रदान की जाती है अर्थात् राशिकरण उसी तिथि से 'एब्सोल्यूट' होता है।

2—उपर्युक्त शासनादेशों के तहत न आने वाले मामलों में राशिकरण के प्रयोजन हेतु पेंशनर की

स्वास्थ्य परीक्षा करायी जानी अनिवार्य होती है। ऐसे मामलों में राशिकृत पेंशन पर देय राशिमूल्य की सूचना महालेखाकार से प्राप्त की जाती है व तत्पश्चात् स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा राशिकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं स्वीकृति के आदेश में उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्युटेशन) रूल्स के नियम 10 के अनुसार सामान्यतः आदेश के दिनांक से एक पक्ष बाद की स्वीकृति की तिथि (Absolute होने की तिथि) अंकित की जाती है।

3—उपर्युक्त दोनों प्रकार के मामलों में स्वीकृति के आदेश प्राप्त होने पर महालेखाकार द्वारा संबंधित कोषाधिकारी को राशिमूल्य के भुगतानादेश निर्गत किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्युटेशन) रूल्स के नियम 11(2) की व्यवस्था के अनुसार राशिकरण की धनराशि का भुगतान पेंशनर को स्वीकृति की तिथि के बाद चाहे जब हो राशिकृत पेंशन की धनराशि स्वीकृति की तिथि (Absolute होने की तिथि) से ही उसकी मासिक पेंशन में से कम हो जाती है और स्वीकृत की तिथि से भुगतान की तिथि तक भुगतान की गई राशिकृत पेंशन की समस्त धनराशि राशिकरण की धनराशि में से काट ली जाती है।

4—वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पेंशनर द्वारा पेंशन राशिकरण हेतु आवेदन—पत्र देने पर कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के पास उसकी स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अग्रसारित किया जाता है। तत्पश्चात् राशिकरण स्वीकृति करने के अधिकारों के प्रतिनिधायन के अनुसार स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। शासन द्वारा यह अनुभव किया गया है कि स्वीकृति प्रदान किये जाने की इस प्रक्रिया में भी कभी—कभी विलम्ब हो जाता है तथा पेंशनर को कठिनाई हो सकती है। अतः इस प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया को समाप्त कर दिये जाने का औचित्य पाया गया है।

5—उपर्युक्त प्रस्तर—1 में उल्लिखित बिना स्वास्थ्य परीक्षा के राशिकरण अनुमन्य होने वाले मामलों में यदि पेंशनर की मृत्यु आवेदन कार्यालयाध्क्ष को प्रस्तुत करने के बाद राशिकरण की धनराशि के भुगतान प्राप्त करने के पूर्व हो जाती है तो उसको स्वीकृत राशिकरण की धनराशि का भुगतान उसके वारिसों को कर दिया जाना नियमानुसार अनुमन्य है, परन्तु जिन मामलों में पूर्व प्रस्तर—2 में वर्णित परिस्थिति के अनुसार राशिकरण के प्रयोजन हेतु पेंशनर को स्वास्थ्य परीक्षा करानी पड़ती है उन मामलों में उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन्स (कम्युटेशन) रूल्स के नियम 13 में व्यवस्थानुसार पेंशनर की मृत्यु स्वीकृति की तिथि (Absolute होने की तिथि) को या उसके बाद किन्तु राशिकरण की धनराशि का भुगतान प्राप्त करने के पूर्व होने की दशा में ही उक्त धनराशि का भुगतान उसके वारिसों को अनुमन्य है अन्यथा नहीं।

6—पेंशन राशिकरण विषयक उपर्युक्त प्राविधानों को और उदार बनाने तथा तत्विषयक प्रक्रिया को और सरल बनाने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने आदेश दिये हैं कि पेंशन राशिकरण के संबंध में निम्नानुसार संशोधित व्यवस्थायें कर दी जायें :—

(1) राशिकरण के फलस्वरूप पेंशन में पेंशन के राशिकृत भाग के बराबर कमी, पेंशनर को राशिकरण की धनराशि के भुगतान की तिथि, अथवा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा उसके लिये निर्गत भुगतानादेश की तिथि के तीन महीने बाद, जो भी पहले हो, से की जायेगी।

(2) जिन मामलों में पेंशन के एक भाग के राशिकरण के प्रयोजन हेतु स्वास्थ्य परीक्षा करायी जानी आवश्यक हो, उन मामलों में यदि पेंशनर स्वास्थ्य परीक्षा में योग्य पाया जाय तो मुख्य चिकित्साधिकारी / चिकित्सा परिषद् जो भी लागू हो, द्वारा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में चिकित्सा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तिथि से राशिकरण का पात्र माना जाये व उस तिथि के बाद यदि राशिकरण की धनराशि का भुगतान प्राप्त किये बिना पेंशनर की मृत्यु हो जाये तो अनुमन्य राशिकरणकी धनराशि का भुगतान उसके वारिसों को कर दिया जायेगा। ऐसे मामलों में देय राशिमूल्य की गणना उक्त तिथि के आधार पर की जायेगी।

(3) अब पेंशन राशिकरण की औपचारिक स्वीकृति जारी किया जाना आवश्यक नहीं होगा। अब जो राज्य कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद ही राशिकरण कराना चाहेंगे वे उसके लिये आवेदन–पत्र सेवानिवृत्ति से पूर्व यथासमय कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। कार्यालयाध्यक्ष आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर यह देख लेंगे कि अंकित प्रयोजन हेतु राशिकरण अनुमन्य है और अपने स्तर से राशिकरण के भाग का राशिमूल्य आकलन कर आवेदन–पत्र पर अंकित करेंगे और अन्य पेंशन कागजातों के साथ महालेखाकार को भेज देंगे। महालेखाकार सभी तथ्यों, जिनमें राशिकृत भाग की अनुमन्यता और राशिमूल्य की गणना भी शामिल है, की अपने कार्यालय में जांच करके राशिमूल्य का भुगतानादेश भी पेंशन/ग्रेच्युटी के भुगतानादेश के साथ जारी करेंगे। ऐसा उन्हीं मामलों में किया जायेगा जिनमें पेंशन अन्तिम रूप से से दी जा रही हो। किन्तु जहां कर्मचारी/सेवानिवृत्त कर्मचारी पी0पी0ओ0 जारी होने के उपरांत ही अपनी पेंशन का राशिकरण कराना चाहें, उन्हें भी यह सुविधा उपलब्ध होगी परन्तु उनके मामलों में भी राशिकरण का आवेदन–पत्र कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ही महालेखाकार को भेजा जायेगा। ऐसे जिन मामलों में नियमानुसार स्वास्थ्य परीक्षा करायी जानी आवश्यक हो, उन आवेदन–पत्रों को कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यथा उपयुक्त विभागाध्यक्ष/विभागीय सचिव को अग्रसारित किया जायेगा जो निर्धारित प्रक्रियानुसार पेंशनर की स्वास्थ्य परीक्षा कराकर चिकित्सा रिपोर्ट के साथ आवेदन–पत्र महालेखाकार को भेजेंगे और महालेखाकार द्वारा जांच करके राशिमूल्य की अनुमन्य धनराशि का भुगतानादेश जारी किया जायेगा।

7–ये आदेश दिनांक 1 जून, 1983 से लागू माने जायेंगे और उसी तिथि से संबंधित नियम संशोधित माने जायेंगे। उक्त तिथि से पूर्व के मामलों में कार्यवाही विद्यमान आदेशों और नियमों के अनुसार की जायेगी।

8–कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार की जाये।

भवदीय,
जे0 एल0 बजाज
वित्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या : सा–3–54/दस–7040/78

लखनऊ : दिनांक 6 मार्च, 1984

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति और तदर्थ समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्युटेशन) रूल्स, 1940 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्युटेशन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1984

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्युटेशन) (प्रथम संशोधन) नियमावली 1984 कही जाये।

(2) इस नियमावली द्वारा यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्युटेशन) रूल्स 1940 के नियम 7, 10, 11, 13, 14 और 26 तीन जून, 1980 को प्रवृत्त समझे जायेंगे। इस नियमावली द्वारा यथा संशोधित उक्त रूल्स के नियम 3, 4, 6 और 9 पहली

जुलाई, 1980 को प्रवृत्त समझे जायेंगे और इस नियमावली द्वारा यथा संशोधित उक्त रूल्स का नियम 8, छः अक्टूबर, 1982 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

नियम 3,4,6,7,8, 9,10, 11,13,14 और 26 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्युटेशन) रूल्स 1940 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये नियमों के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे।

स्तम्भ—1 **वर्तमान नियम**	स्तम्भ—2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
3. (a) The power to sanction commutation of civil pensions for a lump-sum payment is hereby vested in the State Government in cases falling under clause (a) of rule 6 of these rules; and in the High Commissioner for India in cases falling under clause (b) of that rule. (b) The State Government reserve to themselves the right to: (i) allow, (ii) reduce, or (iii) refuse commutation of any pension, without assigning any reason and to call for any information. The High Commissioner for India will exercise a similar right in cases falling under clause (b) of rule 6.	3—(क) इस नियमावली के नियम 6 के खण्ड (क) के अधीन आने वाले मामलों में एकमुश्त भुगतान के लिए सिविल पेंशन के राशिकरण स्वीकृत करने की शक्ति राज्य सरकार में और उक्त नियम के खण्ड (ख) के अधीन आने वाले मामलों में भारत उच्चायुक्त में एतद्द्वारा निहित की जाती है। परन्तु राज्य सरकार राशिकरण स्वीकृत करने की अपनी शक्ति को अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती है। टिप्पणी :— दिनांक 1 जुलाई, 1980 से ऐसे मामलों के सम्बन्ध में जिसमें पेंशन सरकारी स्तर पर स्वीकृत की जाय, राज्य सरकार के सचिवों को और ऐसे मामलों में जहां पेंशन विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की जाय, विभागाध्यक्षों को राशिकरण स्वीकृत करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है। (ख) राज्य सरकार बिना कोई कारण बताये किसी पेंशन के राशिकरण कराने की (एक) अनुमति देने, (दो) कम करने या (तीन) इन्कार करने और किसी सूचना को मांगने का अधिकार अपने लिए आरक्षित करती है। भारत का उच्चायुक्त नियम 6 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में तत्सदृश अधिकार का प्रयोग करेगा।
4. Subject to the provisions of rule 3 above and the conditions hereinafter specified and also subject to the existence of budget provision to meet the charge, a Government servant, to whom these rules apply, may be permitted to commute for a lump-sum payment any portion not excecding one-half of the pension which has been granted to him under the civil rules provided that :	4—उपयुक्त नियम 3 के उपबन्धों और आगे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए और प्रभार की पूर्ति के लिए विद्यमान बजट प्राविधान के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे सरकारी सेवक को, जिस पर यह नियमावली लागू हो, पेंशन, जो उसे सिविल नियमों के अधीन स्वीकृत की गई हो, के एक तिहाई से अनधिक किसी भाग के एकमुश्त भुगतान के लिए राशिकरण कराने की अनुमति दी जा सकती है जब तक कि पेंशनभोगी के मामले में

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	पेंशन लागू नियमों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, परन्तु
(a) When the pension is payable in sterling :	(क) जब पेंशन स्टर्लिंग में देय हो,
(i) if the pension is £180 or more, not less than £150 of its value shall remain uncommuted; and	(एक) यदि पेंशन 180 पौंड या इससे अधिक हो, उसके मूल्य का कम से कम 150 पौंड अराशिकृत रह जायेगा, और
(ii) if the pension is less than £180 not more than £30 of its value shall be commuted and not less than £120 shall remain uncommuted; and	(दो) यदि पेंशन 180 पौंड से कम हो तो अधिक से अधिक उसके मूल्य के 30 पौंड का राशिकरण कराया जायेगा और कम से कम 120 पौंड अराशिकृत रह जायेगा, और
(b) When the pension is payable in rupees :	(ख) जब पेंशन रूपयों में देय हो, तब–
(i) the residue of pension after commutation shall not be less than Rs. 20 a month in any individual case; and	(एक) राशिकरण कराने के पश्चात् किसी वैयक्तिक मामले में पेंशन का शेष भाग 20 रूपये प्रति मास से कम नहीं होगा, और
(ii) the commuted value shall ordinarily be spent on one or more of the objects specified below, viz;	(दो) राशिकृत धनराशि साधारणतया नीचे विनिर्दिष्ट किसी एक या उससे अधिक उद्देश्यों के लिए व्यय की जायेगी अर्थात–
(1) construction or purchase of a house,	(1) किसी मकान का निर्माण या क्रय,
(2) Liquidation of debt,	(2) ऋण का समापन,
(3) education of children or dependents,	(3) बालकों या आश्रित व्यक्तियों की शिक्षा,
(4) marriage expenses, and	(4) विवाह सम्बन्धी व्यय, और
(5) starting a business enterprise :	(5) किसी उद्यम को प्रारम्भ करना
Provided futher that in calculating the amount of pension for the purpose of clauses (a) and (b) of the foregoing proviso there may be added to it the uncommuted portion of any other permanent pension or pensions payable to the applicant from Indian or other Government revenues.	परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के खण्ड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिये पेंशन की धनराशि की गणना करने में भारतीय या अन्य सरकारी राजस्व से आवेदक को देय किसी अन्य स्थायी पेंशन या पेंशनों के अराशिकृत भाग को उसमें सम्मिलित किया जा सकता है।
(Note : In the case of a government servant subject to the U.P. Contributory Provident Fund pension Insurance Rules 1948, who elects to draw the pension payable under the first proviso to rule 16 of the said rules, the portion of the pension actually payable to him which can be commuted for a lump sum payment will be determined in accordance with rule 19 of the said rules.)	**टिप्पणी** :–ऐसे सरकारी सेवक के मामले में जो यू0पी0 कन्ट्रीब्युटरी प्राविडेन्ट फन्ड पेंशन इंश्योरेन्स रूल्स, 1948 के अधीन हो, और नियमावली के नियम 16 के प्रथम परन्तुक के अधीन देय पेंशन लेने को चुनता है, तो वास्तव में देय पेंशन के उस भाग को जिसे एकमुश्त भुगतान के लिये राशिकरण कराया जा सकता है, उक्त नियमावली के नियम 19 के अनुसार अवधारित किया जाय।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
6. Applications, unless otherwise directed, shall be addressed--	6–जब तक अन्यथा निदेश न दिया जाये, आवेदन पत्र इस नियमावली के भाग दो में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित को सम्बोधित किये जायेंगे :
(a) to the State Government in the case of pensioners who draw their pensions from Indian treasuries, or who, being resident in Colonies having an account current with the Accountant General, Central Revenues, draw their pensions from the local treasuries, and	(क) ऐसे पेंशन भोगियों के मामले में जो भारतीय कोषागारों से अपनी पेंशन आहरित करते हों या जो ऐसे कालोनी के, जिनका कोई लेखा महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, में हो, निवासी होते हुए स्थानीय कोषागारों से अपनी पेंशन आहरित करते हों, यथा स्थिति, राज्य सरकार को या राशिकरण कराने की स्वीकृति देने के लिए सशक्त प्राधिकारी को, और
(b) to the High Commissioner for India in the case of all other pensioners : in accordance with the procedure detailed in part II of these rules.	(ख) समस्त अन्य पेंशन भोगियों के मामले में, भारत के उच्चायुक्त को।
7. No commutation will be sanctioned until the pensioner has produced a certificate from the competent medical authority to the effect that his bodily health and prospects of duration of life are such as to justify commutation. In respect of pensions payable in India, the State Government may, at their discretion, require the production of a second medical certificate or direct the pensioner to appear before medical board.	7–(1) कोई राशिकरण तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि पेंशनभोगी ने सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर दिया हो कि पेंशन भोगी का शारीरिक स्वास्थ्य और जीने की सम्भावनायें हैं राशिकरण किये जाने के लिए उचित है। भारत में देय पेंशनों के सम्बंध में यथास्थिति राज्य सरकार या राशिकरण स्वीकृत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी, स्वविवेक से पेंशनभोगी से एक दूसरा चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है या उसे किसी चिकित्सा बोर्ड के सक्षम उपस्थित होने का निदेश दे सकता है।
If the applicant makes any statement found to be false within his knowledge or wilfully suppresses any material fact in answer to any question, written or oral, put to him in connection with his medical examination, the State Government may cancel the sanction at any time before payment is actually made, and such statement or suppression may also be treated as grave	परन्तु चिकित्सा परीक्षा और सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा, जहां पेंशनभोगी, जिनमें वह पेंशनभोगी भी है जो स्वेच्छा से, अनिवार्य रूप से या अशक्त होने पर सेवा निवृत्त हुआ हो, अपने/अपनी सेवा निवृत्ति के दिनांक से या पेंशन भुगतान आदेश के जारी होने के दिनांक से, इसमें जो भी पश्चातवर्ती हो, एक वर्ष के भीतर विहित प्रपत्र 'कक' में

* सरकारी आदेश संख्या सा–3–710/दस–7040/78 दिनांक 8 मई, 1981 के साथ पठित सरकारी आदेश संख्या सा–3–1445/दस–7040/78 दिनांक 3 जून, 1980 देखिए।

स्तम्भ—1	स्तम्भ—2
वर्तमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
misconduct for the purpose of Article 351 of the Civil Service regulations.	राशिकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।
	(2) यदि आवेदक अपनी चिकित्सा परीक्षा के संबंध में पूछे गये किसी लिखित या मौखिक प्रश्न के उत्तर में अपनी जानकारी में ऐसा कोई कथन करता है जिसे मिथ्या पाया जाय या किसी तात्विक तथ्य को जानबूझकर छिपाता है तो, यथास्थिति राज्य सरकार या राशिकरण स्वीकृत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी वास्तविक भुगतान किये जाने के पूर्व किसी भी समय ऐसी स्वीकृति को रद्द कर सकता है और ऐसे किसी कथन या तथ्य के छिपाने को सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद, 351 के प्रयोजनार्थ गम्भीर कदाचार भी माना जायेगा।
8. The lump sum payable on commutation shall be the amount certified by the Accounts Officer to admissible in accordance with the table or tables of present values prescribed by the President in the case of pensioner whose domicile at the time of first appointment to Government service was Asiatic and by the Secretary of State in all other cases. For the purpose of this rule the age in the case of impaired lives shall be assumed to be such age, not being less than the actual age, as the certifying medical authority may direct, and domicile shall be determined in accordance with the provisions of fundamental Rule 75—and the schedule thereunder, contained in the Uttar Pradesh Financial Handbook, Volume-II.	8—राशिकरण पर देय एकमुश्त धनराशि ऐसी धनराशि होगी जो राष्ट्रपति द्वारा विहित वर्तमान मूल्य की सारिणी या सारणियों के अनुसार लेखा अधिकारी द्वारा अनुमन्य प्रमाणित की जाय। इस नियम के प्रयोजनार्थ, परिक्षीण व्यक्तियों के मामले में, आयु ऐसी आयु मान ली जायेगी जो वास्तविक आयु से कम न हो, जैसा प्रमाणकर्ता चिकित्सा प्राधिकारी को निदेश दे। फिर भी नियम 7 के उपनियम (1) के परन्तुक के अन्तर्गत आने वाले मामलों में अर्थात् ऐसे राशिकरण के मामले, जिसमें चिकित्सा परीक्षा आवश्यक नहीं है, लेखा अधिकारी से राशिकरण कराने पर देय एकमुश्त धनराशि पर रिपोर्ट मँगाना आवश्यक नहीं होगा। उक्त धनराशि की गणना राशिकरण स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने स्तर पर ऊपर निर्दिष्ट वर्तमान मूल्य की सारिणी या सारणियों, और विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन—पत्र की प्राप्ति के दिनांक के पश्चात् पड़ने वाले अगले जन्मतिथि के दिनांक को पेंशनभोगी की आयु के अनुसार की जायेगी। लेखाधिकारी उक्त प्राधिकारी से स्वीकृति आदेश प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्ध कोषागार को भुगतान के लिए प्राधिकार जारी करने के पूर्व राशिकरण के मूल्य की गणना

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	की शुद्धता की जांच करेगा और यह भी देखेगा कि राशिकृत भाग पेंशन के एक तिहाई से अधिक न हो।
9. the lump sum, in cases in which applications are addressed to the State Government under clause (a) of rule 6, shall be payable in rupees; in all other cases it shall be payable at the British treasury or in a Dominion or colony, in sterling, the rate of exchange for conversion of the lump sum, where the question of conversion arises, being such rate as the Secretary of State may by order prescribe.	9–ऐसे मामलों में, जिनमें आवेदन–पत्र राज्य सरकार को नियम 6 के खण्ड (क) के अधीन या राशिकरण स्वीकृत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी को सम्बोधित हो, एकमुश्त धनराशि रुपयों में देय होगी। समस्त अन्य मामलों में, यह किसी ब्रिटिश ट्रेजरी या डोमिनियन या कालोनी में स्टर्लिंग में देय होगा। एकमुश्त धनराशि के सपरिवर्तन के लिए, जहां सपरिवर्तन का प्रश्न उत्पन्न हो, विनिमय दर ऐसी दर होगी जो नियम 10 में उल्लिखित दिनांक पर लागू हो।
10.Commutation, when sanctioned, shall take effect from a date, to be specified in the order, which will ordinarily be about fifteen days later than the date of the order, and all calculations shall be made with refernee to that date.	10–(1) नियम 7 के उपनियम (1) के परन्तुक के अधीन आने वाले मामलों को छोड़कर, राशिकरण, जब स्वीकृत हो जाये, आदेश में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से, जो साधारणतया आदेश के दिनांक से पन्द्रह दिन पश्चात् का दिनांक होगा, प्रभावी होगा और समस्त गणना उस दिनांक के निर्देश से की जायेगी।
Note :– In special cases the sanctioning authority may permit commutation to have effect from earlier date than that mentioned in this rule, but not preceding the date of the sanctioning order. all calculations shall then be made with reference to such earlier date.	**नोट**:–विशेष मामलों में, स्वीकृति प्राधिकारी इस नियम में उल्लिखित दिनांक से पूर्व के किसी दिनांक से, किन्तु वह स्वीकृत आदेश के दिनांक से पूर्व का नहीं होगा, राशिकरण की अनुमति दे सकता है। तब समस्त गणना ऐसे पूर्ववर्ती दिनांक से की जायेगी।
	(2) नियम 7 के उपनियम (1) के परन्तुक के अधीन मामलों में, अर्थात् बिना चिकित्सा परीक्षा के पेंशन के राशिकरण के मामलों में राशिकरण उस दिनांक से प्रभावी होगा जब सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन–पत्र विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के पास पहुंचे और समस्त गणना उस दिनांक के निर्देश से और नियम 8 के अनुसार की जायेगी।
11. (1) The pensioner may, if he so desires, withdraw his application by written notice to the State Government or the High Commissioner for India, as the case may be, so as to reach that authority before the date	11–(1) नियम 7 के उपनियम (1) के परन्तुक के अधीन मामलों को छोड़कर पेंशनभोगी यदि वह ऐसा चाहे, यथास्थिति, राज्य सरकार या राशिकरण स्वीकृत करने के

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
on which commutation becomes absolute.	लिए सशक्त प्राधिकारी या भारत के उच्चायुक्त को लिखित नोटिस द्वारा, जिससे कि वह उस दिनांक के जब राशिकरण अन्तिम हो जाय, पूर्व उक्त प्राधिकारी के पास पहुंच जाय, अपने आवेदन–पत्र को वापस ले सकता है।
(2) If he does not withdraw his application with in the period specified in clause (1), the commutation shall become absolute, that is, the title to receive the commuted portion of the pension shall cease and the title to receive the commuted value shall accrue on the date from which the commutation is effective. Payment of the commuted value shall be made as far as possible on the date from which the commutation is effective; but whatever the date of actual payment may be, the amount paid and the effect upon the pension shall be the same as if the commuted values were paid on the date on which commutation became absolute. If the commuted portion of the pension has been drawn after the date on which commutation becomes absolute, the amount drawn shall be deducted from the amount payable in commutation.	(2) यदि वह खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने आवेदन–पत्र को वापस नहीं लेता है तो राशिकरण अन्तिम हो जायेगा अर्थात् पेंशन के राशिकृत भाग को प्राप्त करने का हक समाप्त हो जायेगा और राशिकृत भाग को प्राप्त करने का हक उस दिनांक को प्रोद्भूत होगा, जब से राशिकरण प्रभावी हो। राशिकृत मूल्य का भुगतान, यथासंभव, उस दिनांक को किया जाएगा जबसे राशिकरण प्रभावी हो, किन्तु जो भी हो, वास्तविक भुगतान का दिनांक, भुगतान की धनराशि और पेंशन पर प्रभाव वही होगा मानों राशिकृत मूल्य का भुगतान उस दिनांक को किया गया हो जब से राशिकरण अन्तिम हो गया। यदि पेंशन का राशिकृत भाग उस दिनांक के पश्चात् आहरित किया गया हो जब राशिकरण अन्तिम हो गया हो, तो आहरित धनराशि को राशिकरण में देय धनराशि से काट लिया जायेगा।
	(3) नियम 7 के उपनियम (1) के परन्तुक के अधीन आने वाले मामलों में, पेंशनभोगी को अपना आवेदन–पत्र वापस लेने का हक नहीं होगा और राशिकरण उस दिनांक को अन्तिम हुआ समझा जायेगा जब राशिकरण के लिए आवेदन–पत्र, जो सभी प्रकार से पूर्ण हो, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्राप्त हो जाये।
13. If the pensioner dies on or after the day on which commutation became absolute but before receiving the commutation value, this value be paid to his heirs.	13–यदि पेंशनभोगी की मृत्यु राशिकरण अन्तिम हो जाने के दिनांक या उसके पश्चात् किन्तु राशिकरण का मूल्य प्राप्त करने के पूर्व हो जाये, तो इस मूल्य का भुगतान उसके दायादों को किया जायेगा।
	टिप्पणी :– नियम 7 के उपनियम (1) के परन्तुक के अधीन आने वाले बिना चिकित्सा परीक्षा के राशिकरण के मामलों में, राशिकरण उस दिनांक को अन्तिम हो जाता है जब

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
	उसका पूर्ण आवेदन–पत्र विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्राप्त हो जाये। यदि ऐसे मामले में पेंशनभोगी की मृत्यु राशिकृत मूल्य प्राप्त करने के पूर्व उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् हो जाये तो इस मूल्य का भुगतान उसके दायादों को किया जायेगा।
14. An application for commutation of pension shall be made in Form "A" appended to these rules. and, unless otherwise directed in any case or class of cases, shall be addressed as prescribed in rule :	14–पेंशन के राशिकरण के लिए आवेदन–पत्र इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र 'क' या प्रपत्र 'कक' में, जैसा प्रयोज्य हो, प्रस्तुत किया जायेगा और जब तक किसी मामले में या मामले के वर्ग में अन्यथा निदेश न दिया जाय, इस नियमावली में यथाविहित रूप में सम्बोधित किया जायेगा :
Provided that:–	परन्तु :–
(a) in the case of pensioners who draw their pensions in India, it shall be addressed to the State Governnment through the Head of the Department in which the pensioner served, or through the Collector of the district and Commissioner of the division where the pensioner resides, if he rendered active service outside this State but draws his pension from a treasury in the Uttar Pradesh and the charge for the pension falls on State revenues; and	(क) ऐसे पेंशनभोगियों के मामले में जो अपनी पेंशन भारत में आहरित करते हैं, यह राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी को उस विभाग के जिसमें पेंशनभोगी ने काम किया हो, अध्यक्ष के माध्यम से या उस जिले के कलेक्टर या उस मण्डल के आयुक्त के माध्यम से जिसमें वह निवास करता हो, सम्बोधित किया जायेगा, यदि उसने इस राज्य के बाहर सक्रिय सेवा की हो किन्तु उत्तर प्रदेश के किसी कोषागार से अपनी पेंशन आहरित करता हो और पेंशन का प्रभार राज्य के राजस्व पर पड़ता हो।
(b) in the case of pensioners residing in a Dominion or Colony, other than those referred to in clause (a) of rule 6, it shall be addressed to the High Commissioner for India through the official from whom the pension is drawn.	(ख) नियम 6 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट पेंशनभोगियों से भिन्न किसी डोमिनियन या कालोनी में निवास करने वाले पेंशनभोगियों के मामले में वह उस पदधारी जिसके द्वारा पेंशन आहरित की जाय, के माध्यम से भारत के उच्चायुक्त को सम्बोधित किया जायेगा।
26. The order sanctioning commutation shall be communicated to the pensioner through the usual channel and shall specify–	26–राशिकरण स्वीकृत करने का आदेश उचित माध्यम से पेंशनभोगी को संसूचित किया जायेगा और उसमें निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा–
(i) the amount of the present value of the commuted portion of the pension;	(एक) पेंशन के राशिकृत भाग के वर्तमान मूल्य की धनराशि;
(ii) the date with effect from which	(दो) वह दिनांक जब से राशिकरण स्वीकृत

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
commutation is sanctioned; and (iii) the period within which the pensioner may, if he so desires, withdraw his application by written notice to State Government or the High Commissioner for India, as the case may be.	की जाय; और (तीन) चिकित्सा परीक्षण कराये बिना राशिकरण के ऐसे मामलों को छोड़कर जो नियम 7 के उपनियम (1) के परन्तुक के अन्तर्गत आते हैं, वह अवधि जिसके भीतर पेंशनभोगी यदि वह ऐसा चाहे, यथास्थिति, राज्य सरकार या राशिकरण स्वीकृत करने के लिए सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी या भारत के उच्चायुक्त को लिखित सूचना देकर अपना आवेदन–पत्र वापस ले सकता है।
Note :– The lump sum payable on commutation shall be paid at the treasury at which the pension is drawn.	टिप्पणी :– राशिकरण के लिए देय एकमुश्त धनराशि का भुगतान उस कोषागार में किया जायेगा जहां से पेंशन आहरित की जाय।

नया प्रपत्र ''कक'' का बढ़ाया जाना

3–उक्त नियमावली में, प्रपत्र 'क' के पश्चात् निम्नलिखित नया प्रपत्र 'कक' बढ़ा दिया जायेगा।

प्रपत्र 'कक'

(नियम 14 देखिए)

चिकित्सा परीक्षा के बिना राशिकरण के लिए आवेदन का प्रपत्र

फोटो के लिये स्थान

मैं .... अपनी .... रुपये की मासिक पेंशन में से .... रुपये का राशिकरण कराना चाहता हूं। मेरा विचार राशिकृत मूल्य का उपयोग पृष्ठ 2 पर उल्लिखित उद्देश्यों के लिए करने का है और मुझे विश्वास है कि राशिकरण मेरे और मेरे परिवार के लिए निश्चित और स्थायी रूप से लाभप्रद होगा। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने नीचे स्तम्भों में प्रत्येक अपेक्षित सूचना सावधानी से उल्लिखित की है।

हस्ताक्षर

दिनांक पद नाम

स्थान पता

1—नाम ——————————————————————————————

(स्पष्ट अक्षरों में)

2—जन्म दिनांक ——————————————————————————

3—(क) सेवानिवृत्ति का दिनांक ————————————————————

(ख) सेवानिवृत्ति के समय वास्तविक आयु ——————————————————

4—सेवानिवृत्ति के समय पद नाम और कार्यालय का नाम ———————————————

5—पेंशन की धनराशि ————————————————————————

6—पेंशन की श्रेणी ——————————————————————————

7—कोषागार या बैंक का नाम जहां से पेंशन ली जा रही है और लेखा संख्या ———————

8—यदि राशिकृत मूल्य का भुगतान उस लेखा अधिकारी के माध्यम से नहीं किया जाता है जिसने पेंशन प्राधिकृत की है तो उस कोषागार या बैंक का नाम जिसके माध्यम से राशिकृत मूल्य का भुगतान किया जाय ——————————————————————————————

9—पेंशन पेमेण्ट आर्डर (पी0पी0ओ0)/संख्या ——————————————————

10—धनराशि (पूर्ण रुपये में) या पेंशन का वह भाग जिसका राशिकरण कराने का विचार है ———

11—(क) क्या आप उ0प्र0 लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 द्वारा नियन्त्रित है?

(ख) क्या आप उ0प्र0 रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 के नियम 11 द्वारा नियन्त्रित हैं?

(ग) क्या आप उ0प्र0 रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 के द्वारा नियन्त्रित हैं? (सम्पूर्णतः)

(घ) यदि उपर्युक्त (क) या (ख) द्वारा नियन्त्रित हैं तो सकल पेंशन की धनराशि का उल्लख करें।

12—यदि राशिकरण के लिए पहले आवेदन—पत्र दिया गया हो तो उसका विवरण दीजिये और क्या आप उसके सम्बन्ध में किसी चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए या नहीं?

हस्तक्षर ....

पद नाम ....

दिनांक ....

राशिकरण का उद्देश्य	अनुमानित व्यय
1—भवन का निर्माण या क्रय करने के लिए	
2—ऋण के समापन के लिए	
3—बच्चों या आश्रितों की शिक्षा के लिए	
4—विवाह सम्बन्धी व्यय के लिए	
5—कारबार प्रारम्भ करने के लिए	हस्ताक्षर

दिनांक ———————————

स्थान ————————————

पेंशन की श्रेणी, अर्थात् अधिवर्षता, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त आदि जो लागू हो

आज्ञा से,

जे0 एल0 बजाज

सचिव।

संख्या सा—3—54(1)/दस—7040—78

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—समस्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

2—महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3—विधानसभा सचिवालय।

4—विधान परिषद सचिवालय।

5—राज्यपाल सचिवालय।

6—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

त्रिलोक सिंह भण्डारी

अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

————

संख्या : सा–3–7/दस–84–7040/78–टी0सी0

लखनऊ : दिनांक 30 जनवरी, 1985

————

कार्यालय–ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग की राजाज्ञा संख्या सा–3–184/दस–7040/78–टी0सी0, दिनांक 18 मई, 1983 के प्रस्तर–6(1) में यह व्यवस्था है कि ''राशिकरण के फलस्वरूप पेंशन में, पेंशन के राशिकृत भाग के बराबर कमी, पेंशनर को राशिकरण की धनराशि के भुगतान की तिथि, अथवा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा उसके लिये निर्गत भुगतानादेश की तिथि के तीन महीने बाद, जो भी पहले हो, से की जायेगी।'' इसी राजाज्ञा के प्रस्तर–7 के द्वारा इस व्यवस्था को 1 जून, 1983 से लागू किया गया है।

2–शासन द्वारा उक्त व्यवस्था के लागू होने की तिथि पर पुनर्विचार किया गया है तथा राज्यपाल महोदय ने शासनादेश दिनांक 18 मई, 1983 के पैरा–7 को इस सीमा तक संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है कि प्रस्तर–6(1) में उल्लिखित व्यवस्था दिनांक 1 जुलाई, 1981 से लागू समझी जायेगी और उस तिथि से नियम संशोधित माने जायेंगे। उक्त तिथि से पूर्व के मामले तत्समय विद्यमान आदेशों और नियमों से विनियमित होंगे।

3–उक्त 18 मई, 1983 के शासनादेश के शेष प्रस्तर यथावत् रहेंगे।

डा0 जे0 पी0 सिंह

वित्त सचिव।

————

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या : सा–3–1587/दस–87–958–80

लखनऊ : दिनांक 23 जुलाई, 1987

————

कार्यालय–ज्ञाप

————

विषय :– पेंशन के राशिकृत भाग का सेवा निवृत्ति के 15 वर्ष उपरान्त पुनर्स्थापन (रेस्टोरेशन)।

उत्तर प्रदेश लिबरलाईज्ड पेंशन नियमावली, 1961 की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक सेवा निवृत्त सरकारी सेवक उसे स्वीकृत की गयी पेंशन के एक तिहाई भाग से अनधिक धनराशि का राशिकरण करवा सकता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बंधित पेंशनर की पेंशन के राशिकृत भाग के बदले एक मुश्त धनराशि प्राप्त हो जाती है और राशिकरण कराने के दिनांक से उसकी पेंशन की धनराशि में से राशिकृत भाग के बराबर कमी करके शेष धनराशि पेंशन के रूप आजीवन भुगतान की जाती है।

2—पेंशन के इस राशिकृत भाग के पुनर्स्थापन का मामला पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार के विचाराधीन था। इस विषय पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने आदेश प्रदान किये है कि ऐसे पेंशनर जिन्होंने अपनी पेंशन के एक भाग का राशिकरण करवाया था उनकी पेंशन के राशिकृत भाग की सेवा निवृत्ति के दिनांक से 15 वर्ष बाद दिनांक 1 जुलाई, 1987 से अथवा यदि 15 वर्ष की अवधि 1 जुलाई, 1987 के बाद पूरी होती हो तो उस दिनांक से पुनःस्थापित कर दिया जाये।

3—ऐसे सरकारी सेवक, जो राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम/स्वशासी संस्था में संविलीन हो गये हों, और जो अपनी रिटायरिंग पेंशन के एक तिहाई भाग का राशिकरण करवा चुके हों, उन्हें इन आदेशों के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा क्योंकि संविलियन के उपरान्त वे राज्य के सरकारी सेवक नहीं रहते है।

4—इस आदेश के अन्तर्गत अनुमन्य प्रसुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित पेंशनर को, संलग्न प्रारूप में उस कोषाधिकारी अथवा बैंक को, जहां से वह अपनी पेंशन आहरित कर रहा है, एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि पेंशन प्राधिकार पत्र पर पेंशन के राशिकृत भाग का उल्लेख नहीं है तो उस दशा में प्रार्थना पत्र की एक प्रतिलिपि महालेखाकार को भी भेजी जायेंगी और उस दशा में प्रार्थना पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। यदि उसके पेंशन प्राधिकार पत्र (पी0पी0ओ0) पर राशिकृत धनराशि का उल्लेख है तो सम्बन्धित कोषाधिकारी अथवा बैंक इन आदेशों के अन्तर्गत प्रश्नगत राशिकृत भाग को पुनर्स्थापित (रेस्टोर) कर देंगे और तद्नुसार पेंशन प्राधिकार पत्र पर उसका उल्लेख कर देंगे किन्तु यदि उस पर राशिकृत भाग का उल्लेख नहीं है तो कोषाधिकारियों/बैंकों को उनके सम्बन्ध में वांछित जानकारी महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से प्राप्त करनी होगी। इस हेतु महालेखाकार को भेजने के लिए पत्र का प्रारूप भी संलग्न है। महालेखाकार से वांछित जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित कोषाधिकारी/बैंक द्वारा उसका उल्लेख पेंशन प्राधिकार पत्र पर कर दिया जायेगा और उसका पुर्नस्थापन कर दिया जायेगा।

विजय कृष्ण सक्सेना
प्रमुख सचिव, वित्त।

—————

प्रारूप–I

सेवा में,

——————————————————

——————————————————

विषय :– सेवा निवृत्ति के 15 वर्ष बाद पेंशन के राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन।

महोदय,

कृपया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के आदेश संख्या सा–3–1587/दस–87–958–80, दिनांक 23 जुलाई, 1987 के प्राविधान के अन्तर्गत मेरी पेंशन के राशिकृत भाग को पुनर्स्थापित (रेस्टोर) करने का कष्ट करें।

विवरण निम्नवत् है :–

1–पेंशनर का पूरा नाम——————————————————————————————————

2–सेवा निवृत्ति की तिथि————————————————————————————————

3–विभाग तथा कार्यालय, जहाँ से सेवा–निवृत्त हुआ——————————————————
(स्थान एवं जिला सहित)

4–पी0 पी0 ओ0 संख्या———————————————————————————————————

5–कोषागार/बैंक की गार्ड फाइल अथवा रजिस्टर संख्या—————————————————

6–मूल पेंशन की धनराशि————————————————————————————————

7–राशिकृत भाग की धनराशि——————————————————————————————

दिनांक पेंशनर के हस्ताक्षर,

पूरा पता :

*उपरोक्त विवरण प्रमाणित किया जाता है।
कोषाधिकारी/बैंक के सम्बन्धित अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं सील।

* इसकी आवश्यकता उस दशा में है जब राशिकृत भाग की सूचना महालेखाकार से मंगवाने हेतु प्रार्थना–पत्र अग्रसारित किया जाये।

प्रारूप–II

महालेखाकार कार्यालय से पेंशन के राशिकृत भाग की सूचना मंगाने हेतु।

प्रेषक,

———————————————————————————

———————————————————————————

———————————————————————————

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा) द्वितीय,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

विषय :– सेवा निवृत्ति के 15 वर्ष बाद पेंशन के राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन।

महोद्य,

श्री————————————————————————————————————पेंशन पी0पी0ओ संख्या——————————————————————ने शासनादेश संख्या–सा0–3–1587/दस–958–80, दिनांक—————————————————————के अन्तर्गत इस कार्यालय को अपनी पेंशन के राशिकृत भाग के पुनर्स्थापन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उनके प्रार्थना–पत्र की एक प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कृपया उनके पेंशन राशिकृत भाग की सूचना इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।

स्थान
दिनांक

भवदीय,
हस्ताक्षर
पूरा नाम एवं सील।
कोषाधिकारी/बैंक के अधिकारी

———

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

———

संख्या : सा–3–भा0स0–32 / दस–90–958–80

लखनऊ : दिनांक 6 दिसम्बर, 1990

———

कार्यालय–ज्ञाप

विषय :– पेंशन के राशिकृत भाग का सेवा निवृत्ति के 15 वर्ष उपरान्त पुनर्स्थापन (रेस्टोरेशन)।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई व्यवस्था के आधार पर पेंशन के राशिकृत भाग के पुनर्स्थापन के सम्बन्ध में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–3–1587 / दस–87–958–80, दिनांक 23 जुलाई, 1987 में यह आदेश जारी किए गए थे कि पेंशन के राशिकृत भाग को सेवानिवृत्ति के दिनांक के 15 वर्ष बाद दिनांक 1 जुलाई, 1987 से अथवा यदि 15 वर्ष की अवधि 1 जुलाई, 1987 के बाद पूरी होती है तो उस दिनांक से पुनर्स्थापित कर दिया जाये।

2–केन्द्रीय शासन द्वारा इस सम्बन्ध में अब यह स्पष्ट किया गया है कि सेवानिवृत्ति की तिथि के 15 वर्ष बाद राशिकरण के पुनर्स्थापन की व्यवस्था केवल उन मामलों में लागू रहेगी जिनमें राशिकरण सेवानिवृत्ति के साथ–साथ प्रभावी हुआ है तथा अन्य मामलों में राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन उस तिथि के 15 वर्ष बाद माना जायेगा जबकि राशिकरण पूर्ण हुआ हो अर्थात् राशिकरण के फलस्वरूप पेंशन की धनराशि से अपेक्षित कमी की गई हो। तदनुसार राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किए हैं कि राशिकरण के पुनर्स्थापन के मामलों में उपर्युक्तानुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, किन्तु यदि इस बीच कोई मामले अन्यथा निस्तारित हो चुके हों तो उन्हें पुनरोद्घाटित नहीं किया जाएगा।

आज्ञा से,

गणेश दत्त दीक्षित

संयुक्त सचिव।

———

संख्या सा–3–560 / दस–94–904–91

प्रेषक,

श्री गणेश दत्त दीक्षित,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक,
पेंशन निदेशालय, लेखराज मार्केट–2 (प्रथम तल),
इन्दिरा नगर, लखनऊ।

(2) समस्त मुख्य लेखाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 15 अप्रैल, 1991

विषय :– पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप पेंशन में हुई वृद्धि के एक तिहाई भाग के राशिकरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3– 1168 / दस–935–87, दिनांक 22 जून, 1987 के पैरा 5.1 में नये वेतनमानों के लागू होने की पृष्टभूमि में पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप पेंशन में हुई वृद्धि के एक तिहाई के आधार पर राशिकरण की धनराशि भी पुनरीक्षित किये जाने तथा उसका भुगतान किये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। उक्त बढ़ी

हुई पेंशन पर राशिकरण के संबंध में जिज्ञासा की जा रही है कि बढ़ी हुई पेंशन के राशिकृत भाग का राशिमूल्य वास्तविक भुगतान की तिथि पर पेंशनर की आयु के आधार पर अथवा पूर्व में स्वीकृत राशिकरण की दर से तथा राशिकृत भाग की पेंशन की धनराशि में कमी किस तिथि से की जायेगी।

2—उक्त जिज्ञासा के संबंध में यह इंगित करना है कि शासनादेश दिनांक 22 जून, 1987 की उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार दिनांक 1 जनवरी, 1986 से नये वेतनमान लागू हो जाने के कारण उक्त तिथि के बाद सेवानिवृत्त हुए ऐसे कर्मचारियों जिनके लिए प्रकरणों का निस्तारण पुराने वेतनमान के आधार पर किया गया हो, पेंशन आदि दिनांक 1 जनवरी, 1986 से लागू नये वेतनमान में वेतन के आधार पर ही पुनरीक्षित की जायेगी और पेंशन की धनराशि पुनरीक्षित होकर बढ़ जाने के फलस्वरूप पूर्व स्वीकृत राशिकरण को भी पेंशन की बढ़ी हुई धनराशि के आधार पर पुनरीक्षित करके भुगतान कर दिया जायेगा। इससे स्पष्ट है कि ऐसा राशिकरण नया नहीं माना जायेगा और मूल राशिकरण का ही अंग होगा। अतएव इस राशिकरण में राशिमूल्य की गणना तथा पेंशन की भुगतान की जाने वाली धनराशि कभी भी उसी तिथि से की जायेगी जैसी कि सेवानिवृत्ति पर पेंशन प्रकरण के निस्तारण के समय की गई हो।

भवदीय,

गणेश दत्त दीक्षित

संयुक्त सचिव।

अध्याय–6

पारिवारिक पेंशन से सम्बन्धित शासनादेश

संख्या जी–2–769/दस–917–61

प्रेषक,

विनोद कुमार दीक्षित,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य–2)विभाग लखनऊ : दिनांक 24 अगस्त, 1966

विषय :– नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार कुछ समय से उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 तथा उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन प्रवृत्त परिवार पेंशन योजनाओं को उदार करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। राज्यपाल ने अब परिवार पेंशन की एक नयी योजना, जिसका इसके बाद उल्लेख नयी परिवार पेंशन योजना, 1965 नाम से किया गया है, स्वीकृत की है जिसके अधीन निम्नलिखित लाभ दिये जा रहे हैं :–

अधिकारी का वेतन	विधवा/विधुर/बच्चों की मासिक पेंशन
1–800 रु0 और उससे अधिक	वेतन का 12 प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक 150 रु0
2–200 रु0 और उससे अधिक किन्तु 800 रु0 से कम	वेतन का 15 प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक 96 रु0 और कम से कम 60 रु0
3–200 से कम	वेतन का 30 प्रतिशत किन्तु कम से कम 25 रु0

इस प्रयोजन के लिये वेतन का तात्पर्य फण्डामेन्टल रूल्स के नियम 9(21) में परिभाषित ऐसे वेतन से है जिसमें मंहगाई वेतन, यदि हो, सम्मिलित है जो सरकारी कर्मचारी अपनी मृत्यु के दिनांक को यदि मृत्यु सेवा काल में हुई हो, अन्यथा अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पहले पा रहा हो। यदि मृत्यु के दिनांक को जब कि वह सेवा में हुई हो या उसकी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर होने से (जिसमें असाधारण छुट्टी भी सम्मिलित है) या निलम्बित किये जाने के कारण ड्यूटी से अनुपस्थित रहा हो तो "वेतन" का तात्पर्य उस वेतन से है जो उक्त कर्मचारी ने ऐसी छुट्टी पर जाने या निलम्बित किये जाने से ठीक पहले लिया हो।

2–उपर्युक्त योजना 1 अप्रैल, 1965 से प्रवृत्त होगी और पैरा 5, 6, 10 और 13 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए पेंशन योग्य अधिष्ठानों के ऐसे समस्त सरकारी अधिकारियों स्थायी या अस्थायी पर लागू होगी जो 1 अप्रैल, 1965 को सेवा में थे या उसके बाद भर्ती किये जायं।

3–उपर्युक्त योजना का प्रशासन निम्नलिखित प्रकार से होगा :–

(क) पारिवार पेंशन सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने पर उस दशा में अनुमन्य (admissible) होगी जब सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने की दशा में सरकारी कर्मचारी मृत्यु के समय कोई प्रतिकर (compensation), अशक्तता (invalid), सेवानिवृत्ति (retiring) या अधिवर्ष (superannuation) पेंशन पा रहा हो या पा रहा होता और सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की दशा में यदि उसने कम से कम एक वर्ष की लगातार सेवा जिसमें भत्ता रहित छुट्टी की अवधि, ड्यूटी के रूप में न माना गया निलम्बन तथा 20 वर्ष की आयु से पहले की गई सेवा अवधि सम्मिलित नहीं है, पूरी कर ली हो।

(ख) इस योजना के प्रयोजनों के लिए 'परिवार' में सरकारी कर्मचारी के निम्नलिखित सम्बन्धी सम्मिलित रहेंगे :–

(1) पत्नी / पति,

(2) अवयस्क पुत्र,

(3) अविवाहित अवयस्क पुत्रियां

टिप्पणी 1–उपर्युक्त (2) और (3) में सेवानिवृत्ति से पहले वैध रूप से गोद ली गई सन्तान भी सम्मिलित होगी।

टिप्पणी 2–सेवानिवृत्ति के बाद किया गया विवाह इस योजना के प्रयोजनों के लिये मान्य नहीं समझा जायगा।

(ग) पेंशन निम्नलिखित दशाओं में उपलभ्य (admissible) होगी –

1–विधवा / विधुर की दशा में मृत्यु या पुनर्विवाह, जो भी पहले हो, के दिनांक तक।

2–अवयस्क पुत्र की दशा में जब तक कि उसकी आयु 18 वर्ष की न हो जाय।

3–अविवाहित पुत्री की दशा में जब तक कि उसकी 21 वर्ष की आयु या विवाह, जो भी पहले हो, न हो जाय।

टिप्पणी–जहाँ दो या दो से अधिक विधवायें हों तो पेंशन जयेष्ठतम उत्तरजीवी विधवा को देय होगी। उसकी मृत्यु / पुनर्विवाह होने पर यह पेंशन अगली उत्तरजीवी विधवा, यदि कोई हो, को देय होगी। शब्द 'ज्येष्ठतम' का तात्पर्य विवाह के दिनांक के निर्देश वरिष्ठता से है।

(घ) इस योजना के अधीन दी गई पेंशन एक ही समय में सरकारी कर्मचारी के परिवार के एक से अधिक सदस्यों को देय नहीं होगी। यह निम्नलिखित क्रम से अनुमन्य (admissible) होगी अर्थात् पहले विधवा / विधुर को, उसके बाद ज्येष्ठतम उत्तरजीवी अवयस्क पुत्र को और तत्पश्चात् ज्येष्ठतम उत्तरजीवी अविवाहित अवयस्क पुत्री को।

(ङ) विधवा / विधुर का पुनर्विवाह / मृत्यु हो जाने पर, पेंशन उसके अवयस्क सन्तानों को उनके प्रकृत अभिभावक (natural guardian) के माध्यम से ही दी जायगी किन्तु विवादास्पद मामलों में भुगतान विधिक अभिभावक (Legal guardian) के माध्यम से किया जायगा।

(च) शासनादेश सं0 जी–2–1160 / दस–909–1959, दिनांक 4 अप्रैल, 1964 में स्वीकृत तदर्थ वृद्धि इस योजना के अधीन स्वीकृत परिवार पेंशन के लिये अनुमन्य (admissible) नहीं होगी।

4–इस योजना द्वारा प्रशासित प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिये अपने आनुतोषिक का, जहां वह अनुमन्य हो, एक भाग समर्पित करना होगा, जिसकी धनराशि यदि आनुतोषिक की गणना परिलब्धियों के आधार पर की गई हो तो उसकी दो महीने की परिलब्धियों के बराबर या यदि आनुतोषिक की गणना वेतन के आधार पर की गई है तो दो मास के वेतन के बराबर होगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह धनराशि अधिक से अधिक 3,600 रु0 होगी। यदि इस योजना द्वारा प्रशासित सरकारी कर्मचारी अविवाहित ही सेवानिवृत्त हो जाय और उसने कोई बच्चा गोद न लिया हो तो उसके आनुतोषिक से कोई कटौती नहीं की जायेगी। यदि अनुमन्य आनुतोषिक दो महीने की परिलब्धियों / वेतन से कम हो तो वह धनराशि सरकार द्वारा इस योजना के अधीन अनुमन्य परिवार पेंशन सम्बन्धी लाभों के हेतु पुनर्ग्रहण कर ली जयेगी।

5–सरकारी कर्मचारी जो 31 मार्च, 1965 को सेवा में रहे हों (जिसमें ऐसे कर्मचारी सम्मिलित नहीं हैं जो उस दिन अपराह्न में सेवानिवृत्त हुये थे अर्थात् जिनके लिये 31 मार्च, 1965 अन्तिम कार्य दिवस था) और जो उक्त दिनांक को उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 (सम्पूर्ण रूप में) या अन्तिमोक्त नियमावली के नियम 11 द्वारा प्रशासित हों उन्हें वर्तमान परिवार पेंशन लाभों के बदले में जो पूर्वोक्त नियमावलियों के अधीन अनुमन्य हो, इस योजना को

चुनने या अपने वर्तमान लाभों को बनाये रखने का विकल्प प्राप्त होगा। यह विकल्प 31 दिसम्बर, 1966 तक प्रपत्र 'क' (संलग्न) में चुनना होगा। एक बार विकल्प चुन लिये जाने पर वह अन्तिम होगा। यदि उक्त अवधि के भीतर कोई सरकारी कर्मचारी विकल्प न चुने तो उसके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उसने नई परिवार पेंशन योजना को चुन लिया है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की 1 जनवरी, 1967 से पहले विकल्प चुने बिना मृत्यु हो जाय तो मृत सरकारी कर्मचारी पर लागू होने वाली पेंशन नियमावली के अधीन सभी लाभार्थियों को इस योजना को चुनकर इस विकल्प को संयुक्त रूप से प्रयोग करने का अधिकार होगा जिसकी सूचना वे लिखित रूप में पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को 31 दिसम्बर, 1966 तक या सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के 4 महीने के भीतर, जो भी बाद में हो, उस प्रपत्र में देंगे जो पृथक रूप से निर्धारित किया जायेगा। उक्त लाभार्थियों को एक बन्ध–पत्र भी निष्पादित करना होगा कि यदि भविष्य में कोई दावा उत्पन्न हो तो वे सरकार की क्षतिपूर्ति करेंगे।

6–जो कर्मचारी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित नियमावली या कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फन्ड रूल्स द्वारा, जिसके सम्बन्ध में अलग से आदेश जारी किये जा रहे हैं, प्रशासित न हों, उन्हें इस योजना के लाभ प्राप्त करने का तब तक अधिकार नहीं होगा जब तक कि वे उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स (सम्पूर्ण रूप में) को न चुन लें। तदनुसार यह निश्चय किया गया है कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये नया विकल्प चुनने की अनुमति दी जाय। इस विकल्प का प्रयोग भी अधिक से अधिक 31 दिसम्बर, 1966 तक प्रपत्र 'ख' (संलग्न) में करना होगा, किन्तु नई परिवार पेंशन योजना, 1965 के लाभों को बिना प्राप्त किये उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 (सम्पूर्ण रूप में) को चुनने का कोई विकल्प प्राप्त नहीं होगा। एक बार विकल्प चुन लेने पर वह अन्तिम होगा। जो कर्मचारी उक्त अवधि के भीतर विकल्प नहीं चुनेंगे उनके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उन्होंने उन पर प्रयोज्य वर्तमान पेंशन नियमों द्वारा पूर्ववत् प्रशासित होने का विकल्प चुना है। इस पैरा के अधीन विकल्प चुनने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसके सेवानिवृत्ति लाभ उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फन्ड पेंशन इन्श्योरेन्स रूल्स, 1948 द्वारा अन्यथा प्रशासित हों, सरकारी अंशदान की धनराशि उस पर ब्याज सहित जो कन्ट्रब्यूटरी प्राविडेन्ट पेंशन फन्ड में उक्त कर्मचारी के नाम जमा हो, सरकार द्वारा वापस ले ली जायेगी। उक्त निधि में सरकारी कर्मचारी का अपना अभिदान (Subscription) उस पर ब्याज सहित एक ऐसे जनरल प्राविडेन्ट फन्ड लेखा में संक्रमित कर दिया जायगा जो जनरल प्राविडेन्ट फंड के अनुसार खोला जायगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में जिसकी सेवानिवृत्ति 31 मार्च, 1967 को या उसके पहले होती हो जनरल प्राविडेन्ट फंड निधि में कोई ऐसा संक्रमण करना आवश्यक नहीं होगा। इस पैरा के अधीन विकल्प चुनने के हकदार किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी की जिसकी मृत्यु उक्त विकल्प चुने बिना 1 जनवरी, 1967 के पहले हो गई हो तो ऐसे मामलों के लिये उपर्युक्त पैरा 5 में निर्धारित प्रक्रिया लागू होगी।

7–यह हो सकता है कि उपर्युक्त पैरा 5 में या 6 में उल्लिखित श्रेणियों में से किसी श्रेणी का कोई सरकारी कर्मचारी नयी परिवार पेंशन योजना के प्रख्यापन के पहले सेवा से विमुक्त किया गया हो या हटाया गया हो और विकल्प चुनने की अवधि की समाप्ति के बाद अन्ततः फिर नौकरी में बहाल कर दिया गया हो जिसके फलस्वरूप वह उपर्युक्त पैरा 5 या 6 में, जैसी कि स्थिति हो उल्लिखित विकल्प चुनने से वंचित रह गया हो। ऐसे मामलों में सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को इस प्रकार नौकरी में बहाल किये जाने के दिनांक से 4 महीने के भीतर विकल्प चुनने की अनुमति होगी।

8–उपर्युक्त पैरा 5, 6 और 7 में उल्लिखित विकल्प लिखित रूप में चुना जायगा और सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी द्वारा यदि वह अपत्रित अधिकारी है तो अपने कार्यालय के अध्यक्ष को और यदि राजपत्रित अधिकारी है तो महालेखाकर, उत्तर प्रदेश को रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया जायगा। अपत्रित सरकारी कर्मचारी का विकल्प कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिये और उसकी सेवा पुस्तिका सेवा पंजी में चिपकाया जाना चाहिये।

9–पैरा 5 के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के ऐसे मामलों में जो 1 अप्रैल, 1965 (प्रवर्तन का दिनांक) और 31 दिसम्बर, 1966 (विकल्प चुनने के लिए निर्धारित अन्तिम दिनांक) के बीच के हों

जब तक उक्त पैरा के अनुसार विकल्प यथा विधि न चुना गया हो, जिस दशा में इस मामले पर विकल्प के आधार पर कार्यवाही की जायगी, 2 महीने की परिलब्धियों या वेतन, जैसी भी स्थिति हो के बराबर धनराशि आनुतोषिक में से तब तक रोक ली जानी चाहिए जब तक सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी अपेक्षित विकल्प को न चुन लें। यदि वह अन्ततः नई परिवार पेंशन योजना, 1965 को नहीं चुनता है तो आनुतोषिक की शेष धनराशि जो कि रोक ली गई हो उसे भुगतान कर दी जाय। पैरा 6 के अधीन विकल्प चुनने के हकदार ऐसे सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो अभी उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट पेंशन फंड रूल्स द्वारा प्रशासित हों, उनके कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फंड में सरकार के अंशदान की सारी धनराशि उस पर ब्याज सहित तब तक रोक ली जाय जब तक कि उपर्युक्त पैरा 6 के अनुसार विकल्प को न चुन लें। इसका भुगतान ऐसे अधिकारी को तभी किया जाय जब वह अपने वर्तमान पेंशन सम्बन्धी लाभों को बनाये रखना चाहता हो या यह समझ लिया गया हो कि वह उक्त पेंशन सम्बन्धी लाभों को बनाये रखना चाहता है, उक्त पैरा 6 के अन्तर्गत आने वाले सभी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को तब तक के लिये केवल प्रत्याशित (anticipatory) पेंशन स्वीकृत की जानी चाहिये जब तक उक्त पैरा के अनुसार वे विकल्प को न चुन लें। ऐसी प्रत्याशित पेशंन की धनराशि किसी भी दशा में उस धनराशि से अधिक न होनी चाहिए जो उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स (सम्पूर्ण रूप में) के अधीन अनुमन्य हो।

10—उस दशा में जब कि पेंशन तथा या आनुतोषिक का किन्हीं परिस्थितियों में किसी सरकारी कर्मचारी या उसके दायाधिकारियों को उस धनराशि से अधिक भुगतान हो गया है जो उसे चुने गये या चुना समझे गये विकल्प के आधार पर अनुमन्य होती, तो ऐसा विकल्प तब तक मान्य और प्रवर्तनीय (enforceable) न होगा जब तक कि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी या यदि उसकी मृत्यु हो गई हो तो उसके दायाधिकारी किसी सरकारी खजाने में मांग के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर शीर्षक : ''48 पेंशनों तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के हेतु अंशदान तथा वसूलियाँ प्रकीर्ण'' के अन्तर्गत इस प्रकार भुगतान की गयी समस्त धनराशि एक मुश्त जमा न कर दें।

11—1 अप्रैल, 1965 को या उसके बाद सेवा में आने वाले सरकारी कर्मचारी इस योजना द्वारा स्वतः प्रशासित होंगे।

12—इस योजना द्वारा प्रशासित ऐसे सरकारी कर्मचारियों की/के विधवायें/विधुर किसी अन्य नियमावली के अधीन परिवार पेंशन के तब तक हकदार नहीं होंगी/होंगे जब तक कि वह नियमावली अधिक लाभप्रद न हो। किन्तु परिवार पेंशन केवल किसी एक ही नियमावली के अधीन ग्राह्य होगी।

13—यह योजना निम्नलिखित पर लागू न होगी :—

(क) सरकारी कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 1965 को या उसके पहले सेवानिवृत्त हो गये हों (अर्थात् जिनके लिये 1 अप्रैल, 1965 कार्य दिवस नहीं था),

(ख) प्रासंगिक व्यय से वेतन पाने वाले व्यक्ति;

(ग) कार्य प्रभारित अधिष्ठान,

(घ) अनियत मजदूर (Casual Labour), तथा

(ङ) संविदाधीन अधिकारी (Contract Officer)।

इस योजना से ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों को अवगत कराने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जाय जो आपके प्रशासकीय नियंत्रण में हो जिनमें ऐसे कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जो छुट्टी पर हों, विदेश सेवा में हों या प्रतिनियुक्ति पर हों अथवा जो 1 अप्रैल, 1965 के बाद सेवानिवृत्त हुये हों अर्थात् जिनके लिये वह दिवस एक कार्य दिवस था। यह वांछनीय होगा कि इन आदेशों के सम्बन्ध में प्रत्येक कर्मचारी से एक प्राप्ति स्वीकार—पत्र प्राप्त किया जाय ताकि फिर बाद में यह न कहा जा सके कि उसे इन आदेशों की जानकारी ही नहीं हुई है।

भवदीय,

विनोद कुमार दीक्षित

उप सचिव।

इस विकल्प को चुनने का अन्तिम दिनांक 31 दिसम्बर, 1966

प्रपत्र 'क'

[इसका प्रयोग उन व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 के नियम 11 द्वारा प्रशासित होते हैं]

नयी परिवार पेंशन योजना, 1965, जैसा कि वह मुझ पर लागू हो सकती है के तुलनात्मक लाभों तथा अलाभों को पूरी तरह समझ लेने के बाद .... (1) मैं, उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 के नियम 11 के अधीन अनुमन्य वर्तमान परिवार पेंशन योजना के स्थान पर वित्त (सामान्य–2) विभाग शासनादेश संख्या जी–2–769/दस–917–61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 द्वारा लागू की गयी नयी परिवार पेंशन योजना, 1965 को स्वीकार करने का विकल्प चुनता हूँ।

(2) मैं, उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्य, 1961 के नियम 11 के अधीन वर्तमान परिवार पेंशन के लाभों को, जो कि पहले से मुझे अनुमन्य है, बनाये रखने का विकल्प चुनता हूँ।

साक्षी :	हस्ताक्षर
हस्ताक्षर	दिनांक
पूरा नाम	पूरा नाम
पद नाम	पद नाम
कार्यालय	कार्यालय

जो व्यक्ति अंग्रेजी या हिन्दी में अपना नाम न लिख सकें उनके बायें अंगूठे का निशान लगाया जाय।

टिप्पणी (1)–चुने गये विकल्प के अनुसार मद (1) या (2) को तथा लागू न होने वाली नियमावलियों को काट दिया जया।

टिप्पणी (2)–यदि कोई सरकारी कर्मचारी 31 दिसम्बर, 1966 को उक्त विकल्प न चुने तो यह समझा जायगा कि उसने नयी परिवार पेंशन योजना नियमावली, 1965 को चुन लिया है।

प्रमाण–पत्र

[यह केवल निम्न श्रेणी के कर्मचारियों (inferior servants) तथा निरक्षर कर्मचारियों के संबंध में प्रयोज्य होगा और इस पर अधिष्ठान का कार्य करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे]

उक्त नियमावली श्री ––––––––––––––––––––––––––– को मेरे समक्ष समझा दी गयी थी।

हस्ताक्षर
नाम
पद नाम

प्राप्ति स्वीकृति

सं0	दिनांक
श्री	पद नाम
कार्यालय	से एक विकल्प दिनांक

निम्नलिखित के लिये प्राप्त हुआ :–

(1) नयी परिवार पेंशन योजना, 1965 के पक्ष में,

(2) उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स के नियम 11 के अधीन वर्तमान परिवार पेंशन के लाभों को बनाये रखने के पक्ष में।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद नाम

कार्यालय

टिप्पणी—चुने गये विकल्प के अनुसार मद (1) या (2) को तथा लागू न होने वाली नियमावलियों को काट दिया जाय।

———

इस विकल्प को चुनने का अन्तिम दिनांक 31 दिसम्बर, 1966

प्रपत्र 'ख'

[यह केवल ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाया जाय जो उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 के नियम 11 से प्रशासित नहीं होते हैं।]

(1) मैं, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 (सम्पूर्ण रूप में) द्वारा प्रशासित होने का विकल्प चुनता हूँ जिसमें वित्त (सामान्य–2) विभाग, शासनादेश संख्या जी–2–769/दस–917–61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 द्वारा लागू की गयी परिवार पेंशन योजना, 1965 का लाभ भी सम्मिलित है।

(2) मैं, वर्तमान पेंशन नियमावली, जो कि मुझ पर प्रयोज्य है, द्वारा पूर्ववत् प्रशासित होने का विकल्प चुनता हूँ।

साक्षी :	हस्ताक्षर
हस्ताक्षर	दिनांक
पूरा नाम	पूरा नाम
पद नाम	पद नाम
कार्यालय	कार्यालय

ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो साक्षर न होने से अपना नाम अंग्रेजी या हिन्दी में न लिख सकते हों, उनके बायें अंगूठे का निशान लिया जय।

टिप्पणी (1)—चुने गये विकल्प के अनुसार मद (1) या (2) को काट दिया जया।

टिप्पणी (2)—यदि कोई सरकारी कर्मचारी 31 दिसम्बर, 1966 तक उक्त विकल्प न चुने तो यह समझा जायगा कि उसने उस पर प्रयोज्य वर्तमान पेंशन नियमावली द्वारा पूर्ववत् प्रशासित होते रहने का विकल्प चुना है।

प्रमाण—पत्र

[यह केवल निम्न श्रेणी के कर्मचारियों (inferior servants) तथा निरक्षर कर्मचारियों के संबंध में प्रयोग होगा और इस पर अधिष्ठान का कार्य करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे]

उक्त नियमावली श्री ———————————————————— को मेरे समक्ष समझा दी गयी थी।

हस्ताक्षर

नाम

पद नाम

प्राप्ति स्वीकृति

सं0 | दिनांक

श्री | पद नाम

कार्यालय | से एक विकल्प दिनांक

निम्नलिखित के लिये प्राप्त हुआ :–

(1) उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961, (सम्पूर्ण रूप में) जिसमें नयी परिवार पेंशन योजना, 1965 सम्मिलित है, के पक्ष में।

(2) वर्तमान पेंशन नियमावली जो कि उस पर प्रयोज्य है, के पक्ष में,

हस्ताक्षर

नाम

पद नाम

कार्यालय

Copy of G. O. No. G-2-561/X–917-61, dated August 24, 1966

SUBJECT–Grant of option to persons in pensionable establishments who are on Contributory Provident Fund benefits to come over to pensionable service.

I am directed to invite a reference to G. O. no. G-2-769/X–917-61, dated August 24, 1966 introducing the New Family Pension Scheme, 1965 and to say that the Governor is pleased to order that such Government servant in pensionable establishments as have retained the Contributory Provident Fund benefits in terms of rule 28(1)(a) of Contributory Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules may be allowed an opportunity to opt for the U. P. Retirement Benefits Rules, 1961 (in toto) along with the benefit of the aforesaid New Family Pension Scheme, 1965 by December 31, 1966. The option now exercised will be final and will be available to every Government servant who his serving in such capacity on the date of issue of this letter. The benefit of this option will also be available to those who were serving in such capacity on April 1, 1965, but retire or die before, January 1, 1967 without exercising option, provided such retired Government servant or the heirs or nominees of the deceased Government servant as the case may be submit an application in writing to the pension sanctioning authority by December 31, 1966 or within four months of the death of the Government servant concerned, whichever is later, opting this scheme and agreeing to deposit within one month on demand in any Government treasury by credit to the head "XLVIII-Contributions and Recoveries towards Pensions and other Retirement Benefits–Miscellaneous" in one lump sum the entire amount of Government's contribution to the Contributory Provident Fund of such Government servant and interest thereon. The option shall be effective only after such deposit has been made in full. There will be no option to elect the U. P. Retirement Benefit Rules, 1961 (in toto) without the benefits of the New Family Pension Scheme, 1965, or to elect only Rule 11 of the U.P. Retirement Benefits Rules, 1961 with or without the benefits of the New Family Pension Scheme.

2. Option should be communicated (in the form attached) by the officer concerned to the head of office in the case of a non-gazetted officer and to the Accountant General, U. P., in the case of a gazetted officer. The option of a non-gazetted officer shaould be countersigned by the head of office and pasted in the service book/roll of the officer concerned. The receipt of every option shall be acknowledged in the attached form. It will be the responsibility of the officer

concerned to ensure that he receives acknowledgment of his option from the Accountant General, U. P., or his head of office, as the case may be.

3. A Government servant who does not exercise the option referred to in para 2 within the prescribed period, or quits service, or whose option is incomplete or not strictly in the prescribed form, or in respect of whom the deposit referred to in para 1 is not made as requierd shall be deemed to have opted to remain under the existing Contributory Provident Fund benefits.

4. In the case of a Government servant who elects to be governed by the U.P. retirement Benefits Rules (in toto) along with the benefits of the New Family Pension Scheme, 1965, the amount of Government contribution with interest thereon standing to his credit in the Contributory Provident Fund shall be resumed by Government. The Government servant's subscription together with interest thereon in that Fund shall be transferred to his General Provident Fund Account which shall be opened in accordance with the General Provident Fund (U.P.) Rules, provided that no such transfer to General Provident Fund will be necessary in the case of a Government servant whose retirement falls on or before March 31, 1967. The past service rendered by such a Govrenment servant shall be deemed to have been rendered *ab initio* in a pensionable establishment and shall count as service qualifying for pension in the manner and to the extent provided for in the relevant pension rules in force from time to time, provided that no inflated rates of pay in lieu of retirement benefits were drawn for the period during which he did not subscribe to the Contributory Provident Fund.

5. Steps should be taken immediately to bring the contents of this G. O. to the notice of all Government servants under your administrative control who are affected or their heirs, where necessary and possible, including those on leave, foreign service or drputation or who have retired after April 1, 1965 (*i.e.*, for whom this day was a working one). It would be desirable to obtain an acknowledgment from each individual so that ingorance of these orders is not pleaded at a later date.

LAST DATE FOR EXERCISING THIS OPTION-DECEMBER 31, 1966

FORM

Having understood the comparative advantages and disadvantages of pensionary and Provident Fund benefits as applicable in my case :

(i) I opt for the U. P. retirement Benefits Rules, 1961 (in toto) including the benefit of the New Family Pension Scheme, 1965 introduced by Finance (G-2) Department G.O. no. G-2-769/X–917-61, dated August 24, 1966 on the terms and conditions laid down in that Department G. O. no. G-2-561/X–917-61, dated August 24, 1966.

(ii) I opt to continue under the existing Contributory Provident Fund benefits.

Witness	**Signature*
Name in full	Name in full
(In block letters)	(In block letters)
Designation	*Designation*
Office	Office
	Date

*Left hand thumb-inpression in the case of those who can-not sign their name in English or Hindi.

Notes–(1) Strike out item (i) or (ii) as per option.

(2) If the above option is not exercised by December 31, 1966 by any government servant, he will be deemed to have elected to remain under the existing Contributory Provedent Fund benefits.

CERTIFICATE

(Applicable only in the case of inferior servants and illiterate employees and to be signed by the officer dealing with the establishment).

The rules were explained to Sri .... in my presence.

Signature

Name

(In block letters)

Designation

ACKNOWLEDGMENT

NO. .... Date ....

Received from Sri ....Designation..

Office .... an option dated ....

(1) for the pensionary benefits along with the New Family Pension Scheme, 1965.

(2) for existing Contributory Provident Fund benefits.

Signature

Name in full

Designation

Office

Note–Strike out (1) or (2) as per option.

Copy of G. O. No. G-2-2098/X–917-61, dated August 3, 1967

SUBJECT–Grant of option to persons in pensionable establishments who are on Contributory Provident Fund benefits to come over to pensionable service.

I am directed to invite a reference to G. O. no. G-2-561/X–917-61, dated August 24, 1966 on the subject noted above and to say that in para 1 thereof the Government servant in pensionable establishments who have retained the Contributory Provident Fund benefits in terms of rule 28(1)(a) of Contributory Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules were allowed the option of choosing the U. P. Retirement Benefits Rules, 1961 (in toto) along with the benefits the New Family Pension Scheme, 1965 by December 31, 1966. The benefits of the above option was also given to those who were serving in such capacity on April 1, 1965, but retire or died before January 1, 1967 without exercising the option. The Governor is now pleased to extend the last date for the exercise of the above option till September 30, 1967. As a result of this, all references to the dates, December 31, 1966, January 1, 1967 and March 31, 1967, occurring in the said

Government Order (including the form appended thereto) should now be read respectively as September 30, 1967, October 1, 1967 and December 31, 1967.

2. It had been laid down in para 1 of the Government Order referred to above that the heirs or nominies of Government servants who were in service on April 1, 1965 but had died before January 1, 1967 (which date will, in pursuance of the direction in para 1 above, now be read as October 1, 1967), without exercising option of the said scheme would, in the event of their wishing to opt the said scheme have to submit within the stipulated period an application opting this scheme and agreeing to deposit within one month on demand in any Government treasury in one lump the entire amount of Government's contribution to the Contributory Provident Fund of such deceased Government servant along with interest tereon. In those of such cases where the Government contribution to the deceased Government servant's Contributory Provident Fund has not been received, an indemnity bond, as in the enclosed form, will have to be filled in addition.

3. I am to request that immediate steps may kindly be taken to bring the above orders to the notice of all the Government servants under your administrative control who are affected or their heirs where necessary and possible including those on leave, foeign service or deputation or who have retired after April 1, 1965 (*i.e.* for whom this day was a working one) and obtain acknowledgments from them lest ignorance of these orders is pleaded at a later date.

4. The receipt of this Government Order may please be acknowledged.

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENT THAT I/WE

(1) ....
....r/o * *

(2) ....
....r/o * *

(3) ....
....r/o * *

etc , etc.

[hereinafter called the beneficiary claimant (s)'] of the late Sri **

who at the time of his death was serving the Government of Uttar Pradesh ....

as .... being the only beneficiary claimant (s) of the said deceased Government servant in respect of the retirement benefits accruing to the family of the deceased under the Contributory Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules applicable to the deceased at the time of his death, are held and firmly bound to the Governor of Uttar Pradesh (hereinafter called the Government), in the sums hereinafter stated FOR WHICH payment to be well and truly made, each of us jointly and severally bind himself/herself and his/her heirs, executors, administrators and assigns firmly by these presents.

Whereas the late** .... died on the ...., day of .... 19 .... without exercising the option under the New Family Pension Scheme, 1965 of the Government as inrtoduced in G. O. no. G-2-769/X–917-61, dated August 24, 1966 (hereinafter called the said scheme) *read* with G. O. no. G-2-561/X–917-61, dated August 24, 1966 and the beneficiary claimant (s) has/have jointly opted for the said Scheme;

And whereas, upon the said option being exercised, the claims for contributory provident fund benefits, if any, admissible to the family of the deceased Government servant under the

contributory provident fund rules applicable to the deceased at the time of his death, shall be deemed to have ceased and surrenererd;

And whereas, the said scheme provides that the pension awarded under the said scheme will not be payable to more than one member of the deceased Government servant's family at the same time and that it will be admissible in the following order so however that during the life-time of the first, the second and third, *etc.*, shall not be entitled to receive the same and similarly on the death of the first the same would be admissible to the second to the exclusion of all others and so on:

(1)

(2)

(3)

---

*Here state relationship with the deceased Government servant.

**Here state the name of the deceased Government servant.

*Here state the designation of the deceased Government servant.

And Whereas, the above beneficiary claimant(s) claim to be entitled to the said sum as heirs of the said deceased Government servant, but has/have not obtained letters of administration of or a succession certificate to the property and effects of the said deceased Government servant;

And Whereas, the beneficiary claimant (s) has/have satisfied *the .... (hereinafter called 'the Authority') that the beneficiary claimant (s) is/are entitled to the aforesaid sums and that it would cause undue delay and hardship if the claimant (s) were required to produce letters of administration of or a succession certificate to the property and effects of the said deceased Government servant;

And Whereas, Government desire to pay the said sums to the beneficiary claimant (s) but it is necessary that the claimant (s) should first execute a bond to indemnify government against claims to the amount so due as aforesaid before the said sums can be paid to the beneficiary claimant (s);

Now The Condition, of this bond is such that if after payment has been made to the beneficiary claimant (s), the beneficiary claimant (s) shall, in the event of a claim being made by any other person against the Government with respect to the aforesaid sums, refund to the Government the said sums and shall otherwise indemnify and save Government harmless from all liability in respect of the aforesaid sums and all cost incurred in consequence of any claim thereto THEN the above written bond or obligation shall be void but otherwise the same shall remain in full force and virtue.

The stamp duty shall be borne by the Government.

In Witness to the above written bond the beneficiary claimant (s) has/have signed on the .... day of 19

Signed by:

Witnesses ....

1.

2.

---

*Here state the designation of the officer sanctioning the family pension and death cum-retirment gratuity.

संख्या सामान्य–3–1426 / दस–917–64

प्रेषक,

श्री न0 म0 मजुमदार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 13 जून, 1973

विषय :– न्यू फेमिली पेंशन स्कीम, 1965 का किंचित उदारीकरण तथा पूर्ववर्ती नियमों के अधीन देय फेमिली पेंशन के लाभों का विस्तरण।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या जी–2–769 / दस–917–64, दिनांक 24 अगस्त, 1966 जिसके द्वारा न्यू फेमिली पेंशन स्कीम, 1965 का प्रवर्तन किया गया था की ओर आकृष्ट करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि इस तथ्य को देखते हुए कि उन दुर्भाग्यपूर्ण मामलों में जिनमें सेवारत सरकारी कर्मचारी की असामयिक मृत्यु से उनके परिवारों को प्रायः बड़ी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ जाता है तथा यह महसूस करते हुए कि ऐसे उदाहरणों में प्रारम्भिक कतिपय वर्षों में कुछ अधिक परिमाण में आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है, राज्यपाल महोदय ने यह निर्णय लेने की कृपा की है कि उक्त स्कीम से शासित ऐसे मामलों में जिनमें मृत कर्मचारी ने मृत्यु से पूर्व कम से कम 7 वर्ष की अविरल सेवा प्रदान कर दी हो, मृत्यु की तिथि के बाद की तिथि से प्रारम्भिक 7 वर्ष या उस तिथि तक जब उसने जीवित रहने की दशा में अतिवयता आयु (age of superannuation) प्राप्त कर ली होती, जो भी पहले समाप्त हो, न्यू फेमिली पेंशन स्कीम, 1965 के अधीन देय फेमिली पेंशन की धनराशि मूल वेतन का आधा या उक्त स्कीम के अधीन अन्यथा देय धनराशि का दोगुना जो भी कम हो, के बराबर होगी। ऐसे मामलों में जिसमें मृत्यु सेवा प्रसार (extension) के मध्य से हुई हो, वह दिनांक जब तक के लिये सेवा प्रसार मृत्यु की घटना से पूर्व स्वीकृत हो चुका हो, इस उद्देश्य के लिये साधारण अतिवयता तिथि (normal date of superannuation) मानी जायेगी। यह आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 1973 से प्रभावी समझे जायेंगे तथा केवल उन्हीं पर लागू होंगे जिन पर न्यू फेमिली पेंशन स्कीम, 1965 लागू है।

2–कि न्यू फेमिली पेंशन स्कीम, 1965 के प्रवर्तन से ठीक पहले, अर्थात् 31 मार्च, 1965 को जिन मृत सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं / अवयस्क सन्तानों को उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 (सम्यक्) या उक्त रूल्स के नियम 11 के अधीन (सीमित अवधि वाली) फेमिली पेंशन मिल रही थी, उनका फेमिली पेंशन संबंधी अधिकार इस प्रकार परिवर्धित हुआ समझा जायगा :–

(1) उस अवधि के लिये जब तक फेमिली पेंशन अधिकारी उक्त लागू नियमों के अधीन अधिकारी रहे।	जैसा लागू नियमों के अधीन देय है।
(2) उसके बाद विधवा को आजीवन या पुनर्विवाह तक, अवयस्क पुत्र को 18 वर्ष की आयु तक, अथवा अवयस्क एवं अविवाहित पुत्री को विवाह या 21 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, इस शर्त के साथ कि यह सुविधा उपरोक्त में से केवल एक को ही मिलेगी और उसके अनर्ह हो जाने पर सुविधा समाप्त हो जायेगी।	(1) अगर पहले मिलने वाली फेमिली पेंशन 20 रु0 प्रतिमास या उससे कम थी तो वही धनराशि। (2) अगर पहले मिलने वाली फेमिली पेंशन 20 रु0 प्रतिमास से अधिक थी तो पहले वाली फेमिली पेंशन के आधे परन्तु 20 रु0 से अन्यून धनराशि के बराबर।

यह सुविधा उन मामलों में भी प्रदान की गयी समझी जायगी जिनमें सम्बन्धित कर्मचारी न्यू फेमिली पेंशन स्कीम, 1965 के प्रवर्तन की तिथि (1 अप्रैल, 1965) से पूर्व सेवा निवृत्त हो चुका हो और उक्त तिथि (1 अप्रैल, 1965) के बाद परन्तु सेवानिवत्ति से पांच वर्ष के अन्दर उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उसकी विधवा/अवयस्क सन्तान को लागू नियमों [उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 (सम्यक) अथवा उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 का नियम 11] के मातहत फेमिली पेंशन का हक हो गया हो।

भवदीय,

न0 म0 मजुमदार

विशेष सचिव।

संख्या सा–3–657/दस–900–78

प्रेषक,

श्री त्रिभुवन प्रसाद,

आयुक्त एवं वित्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 10 मई, 1978

विषय :– नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन प्राप्त होने वाली पारिवारिक पेंशन की दरों एवं शर्तों का उदारीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासकीय आदेश संख्या जी–2–769/दस–917–61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 जिसके द्वारा नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 दिनांक 1 अप्रैल, 1965 से उक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं दरों से प्रभावी की गयी थी तथा शासनादेश संख्या सामान्य–3–1426/दस–917–64, दिनांक 13 जून, 1973 के पैरा–1 में प्रसारित आदेशों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने पारिवारिक पेंशन योजना को उदार बनाने के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित आदेश प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है :–

(क) शासनादेश संख्या जी–2–769/दस–937–61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 के पैरा–4 के अनुसार संबंधित कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली डेथ–कम–रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की धनराशि से सेवाकालीन अन्तिम दो माह के वेतन अथवा परिलब्धियों के बराबर, जैसी भी स्थिति हो, की धनराशि जिसकी अधिकतम सीमा 3,600 रु0 थी, की कटौती पारिवारिक पेंशन के निमित्त कर ली जाती थी। उपरोक्त प्राविधान वित्त विभाग के शासनादेश संख्या सा–3–896/दस–52(1)–74, दिनांक 2 जून, 1975 के पैरा–1(4) के अनुसार इस सीमा तक संशोधित कर दिया गया था कि अभ्यपर्णणीय वेतन की अधिकतम सीमा 3,600 रु0 के स्थान पर 5,000 रु0 कर दी गई थी। मृतक कर्मचारी के परिवार को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन शासन पर एक सामाजिक सुरक्षा का दायित्व है। अतः इस दायित्व का निर्वहन करने के लिये कर्मचारी से कोई अंशदान के रूप में

धनराशि प्राप्त करने का प्राविधान समाप्त कर दिया जाय। तदनुसार दिनांक 1 जनवरी, 1078 से डेथ–कम–रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की कुल धनराशि से पारिवारिक पेंशन हेतु की जाने वाली कटौती का उक्त प्रतिबन्ध समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय उन सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की अपराह्न में सेवा से निवृत्त हुए हों अर्थात् जिनके लिये दिनांक 1 जनवरी, 1978 प्रथम कार्य–विलग दिवस (First non-working day) था अतएव उपरिलिखित दिनांक 24 अगस्त, 1966 के शासनादेश के पैरा–4 तथा शासनादेश दिनांक 2 जून, 1975 के पैरा–1(4) इस सीमा तक संशोधित किये जाते हैं। इस संबंध में किसी प्रकार के प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे–

(ख) (i) उपरोक्त शासन दिनांक 24 अगस्त, 1966 के पैरा–1 में उल्लिखित पारिवारिक पेंशन की दरों को नीचे लिखी दरों के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल, 1978 से संशोधित किया जाता है:–

राज्य कर्मचारी का वेतन	पारिवारिक पेंशन की धनराशि
(1) 400 रु0 से कम	वेतन का 30 प्रतिशत जिसकी न्यूनतम धनराशि रु0 60 प्रतिमाह तथा अधिकतम धनराशि रु0 100 प्रतिमाह होगी।
(2) 400 रु0 और उससे अधिक किन्तु 1,200 रु0 से कम	वेतन का 15 प्रतिशत जिसकी न्यूनतम धनराशि 100 रु0 प्रतिमाह और अधिकतम धनराशि 160 रु0 प्रतिमाह होगी।
(3) 1,200 रु0 और उससे अधिक	वेतन का 12 प्रतिशत जिसकी न्यूनतम धनराशि 160 रु0 प्रतिमाह और अधिकतम धनराशि 250 रु0 प्रतिमाह होगी।

(ii) शासनादेश संख्या सामान्य–3–1426/दस–917–64, दिनांक 13 जून, 1973 के पैरा–1 में यह आदेश प्रसारित किये गये थे कि दिनांक 1 अप्रैल, 1973 से नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1975 से शासित ऐसे मामलों में जिनमें मृत कर्मचारी ने मृत्यु से पूर्व कम से कम सात वर्ष की अविरल सेवा प्रदान की हो, मृत्यु की तिथि के बाद तिथि से प्रारम्भिक सात वर्ष या उस तिथि तक जब उसने जीवित रहने की दशा में अतिवयता आयु प्राप्त कर ली होती, जो भी पहले समाप्त हो, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन की धनराशि मूल वेतन का आधा या उक्त योजना के अधीन अन्यथा देय धनराशि का दुगना जो भी कम हो, के बराबर होगी। उक्त आदेशों के अनुक्रम में पारिवारिक पेंशन की धनराशि का विनियमन दिनांक 1 अप्रैल, 1978 से निम्न प्रकार किया जायेगा –

(क) सेवारत मृत्यु हो जाने की दशा में यदि मृतक ने कम से कम सात वर्ष की अविरल सेवा प्रदान की है तो मृत्यु की तिथि के बाद की तिथि से प्रारम्भिक सात वर्ष या उस तिथि तक जब उसने जीवित रहने की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली होती, जो भी पहले समाप्त हो, पारिवारिक पेंशन मूल वेतन की आधी अथवा उक्त योजना के अधीन अन्यथा देय धनराशि का दुगना, जो भी कम हो, के बराबर होगी।

(ख) सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु हो जाने की दशा में बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन उस तिथि तक जिस तिथि तक मृत पेंशनर जीवित रहने की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता अथवा सात वर्ष की अवधि तक, जो भी इन दोनों अवधियों में से पहले हो, इस प्रतिबन्ध के अधीन देय होगी कि पारिवारिक पेंशन की धनराशि किसी भी दशा में सेवानिवृत्ति के उपरान्त सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत की गई सेवा पेंशन की धनराशि से अधिक नहीं होगी। अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि जिन मामलों में उप पैराग्राफ (ख)(i) के अन्तर्गत देय पारिवारिक पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति पर स्वीकृत की गई सेवा पेंशन से अधिक हो तो उन मामलों में इस उपखण्ड के अन्तर्गत स्वीकार की जाने वाली पारिवारिक पेंशन की धनराशि उस धनराशि से कम नहीं होगी। सेवानिवृत्ति के समय स्वीकार की गई सेवा पेंशन के तात्पर्य उस पेंशन से है जो पेंशनर को मूलतः से स्वीकृत हुई अर्थात् पेंशन की वह धनराशि जो राशिकरण से पूर्व, यदि कोई हो, स्वीकृत की गई थी।

2–मुझे अपसे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पारिवारिक पेंशन की पुनरीक्षित दरें दिनांक 1 अप्रैल, 1978 को अथवा इस तिथि के उपरान्त मृतक सरकारी कर्मचारियों/पेंशनरों के परिवार को ही देय होगी और वर्तमान परिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ताओं को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशनों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भवदीय,

त्रिभुवन प्रसाद

आयुक्त एवं वित्त सचिव।

———————

संख्या सा–3–1819/दस–9/9–79

प्रेषक,

त्रिभुवन प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 18 अगस्त, 1979

विषय :– नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन के लाभों का विस्तरण।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या जी–2–769/दस–917–61, दिनांक 24 अगस्त, 1966, जिसके द्वारा नई पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1965 का प्रवर्तन किया गया था, की ओर आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त स्कीम के नियम 3(ग) के उप नियम (1), (2) एवं (3) में यह प्राविधान है कि पारिवारिक पेंशन पति की मृत्यु होने पर पत्नी को, अथवा पत्नी की मृत्यु होने पर, यदि वह सरकारी कर्मचारी है तो, उसके पति को अथवा विधवा/विधुर की अनुपस्थिति में मृतक के अवयस्क पुत्र को 18 वर्ष की आयु तक तथा अविवाहित पुत्री को विवाह/21 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक मिलेगी। पारिवारिक पेंशन की दरों में परिवर्तन दिनांक 1 अप्रैल, 1978 के शासनादेश संख्या सा–3–657/दस–900–78, दिनांक 10 मई, 1978 द्वारा किया जा चुका है जिसके फलस्वरूप अब पारिवारिक पेंशन की अधिकतम धनराशि रु0 250 प्रतिमाह निर्धारित की गई है।

वर्तमान समय में अब अनेकों परिवारों में पति तथा पत्नी दोनों ही राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त होते हैं। अतएव सेवारत मृत्यु होने के भी अवसर आते हैं। शासन के सम्मुख यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि यदि पति तथा पत्नी दोनों की सेवारत मृत्यु हो जाये तो उनकी सन्तान को प्राप्त होने वाली पारिवारिक पेंशन किस आधार पर विनियमित की जायेगी। इस विषय पर विस्तारपूर्वक विचार करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय ने यह आदेश प्रदान करने की कृपा की है कि ऐसे मामलों में मृतक पति तथा पत्नी के सम्बन्ध में पारिवारिक पेंशन लाभार्थी को नियमानुसार देय होगी परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इस प्रकार से प्राप्त होने वाले दोनों पारिवारिक पेंशनों की धनराशि का कुल योग रु0 500 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

भवदीय,

त्रिभुवन प्रसाद

सचिव।

संख्या सामान्य–3–1358/दस–918–79

प्रेषक,

श्री सुरेन्द्र सिंह पांगती,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं अन्य समस्त
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 21 सितम्बर, 1979

विषय :– नई पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन की शर्तों से एक वर्ष की निरन्तर सेवा संबंधी शर्त का हटाया जाना।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या सा–2–769/दस–917–61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 की ओर आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नई पारिवारिक पेंशन येजना, 1965 लागू की थी और इस शासनादेश में उन शर्तों का भी उल्लेख किया गया था जिनका पालन होने पर ही पारिवारिक पेंशन ग्राह्य होती थी। उक्त शासनादेश के पैरा–3(क) में यह प्रतिबन्ध लगाया गया था कि सेवारत मृत्यु हो जाने की दशा में पारिवारिक पेंशन मृतक कर्मचारी के परिवार को केवल उसी दशा में प्राप्त होगी यदि मृतक कर्मचारी ने अपनी मृत्यु के दिनांक को कम से कम एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो। यह भी स्पष्ट किया गया था कि इस एक वर्ष की अवधि का आगणन करने के लिए भत्ता रहित छुट्टी, ड्यूटी के रूप में न माना गया निलम्बन तथा 20 वर्ष की आयु से पहले की गई सेवा अवधि सम्मिलित नहीं होगी।

2–शासन के सम्मुख कुछ मामले ऐसे आये हैं जिसमें सेवा अवधि में ही कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन केवल इस कारण उपलब्ध न हो सकी थी कि उसने मृत्यु से पूर्व एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी नहीं की थी। शासन अपने कर्मचारियों एवं उसके परिवारों के प्रति कल्याणकारी योजनायें लागू करता रहा है परन्तु उपरोक्त प्रतिबन्ध के कारण पारिवारिक पेंशन एक वर्ष की निरन्तर सेवा अवधि की शर्त का पालन न होने के कारण न दिया जाना कल्याणकारी कदम नहीं समझा गया। अतः इस मामले पर शासन द्वारा विचार किया गया है। विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय ने इन आदेशों के जारी होने की तिथि से यह आदेश प्रदान करने की कृपा की है कि पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता के लिये उपरिकथित शासनादेश दिनांक 24 अगस्त, 1966 के पैरा–3(क) में लगाया एक वर्ष की निरन्तर सेवा अवधि पूरी करने की शर्त को इस प्रतिबन्ध के अधीन समाप्त किया जाता है कि संबंधित सेवक की राजकीय पद पर नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार चिकित्सा परीक्षा की गई थी और वह सरकारी सेवा के लिये योग्य पाया गया था।

भवदीय,
सुरेन्द्र सिंह पांगती
विशेष सचिव।

संख्या सा–3–1185/दस–927–80

प्रेषक,

श्री बाल कृष्ण चतुर्वेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 11 नवम्बर, 1980

विषय :– सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी के शीघ्र भुगतान हेतु कार्यवाही।

महोदय,

शासनादेश संख्या जी–2–769/दस–917–61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 द्वारा नई पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1965 का प्रवर्तन किया गया है। उक्त स्कीम को वरण करने के संबंध में विकल्प देने की अन्तिम तिथि दिनांक 30 सितम्बर, 1967 थी। जिन कर्मचारियों की मृत्यु दिनांक 1 अप्रैल, 1965 से 30 सितम्बर, 1967 के मध्य बिना विकल्प दिये हो गई है उनके मामले में शासन को संदर्भित होने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है तथा पर्याप्त औचित्य होने पर मृतक के परिवार से शासनादेश संख्या जी–2–2099/दस–917–61, दिनांक 3 अगस्त, 1967 में निर्धारित प्रारूपों पर विकल्प–पत्र एवं बन्ध–पत्र भरवाकर समय सीमा के प्रतिबन्ध को शिथिल करके पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति के आदेश प्रदान कर दिये जाते हैं। परन्तु खेद है कि शासन द्वारा किये गये स्पष्ट प्राविधानों के बावजूद प्रायः यह भेदभाव किया जा रहा है कि जिन सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की मृत्यु सेवारत दशा में हो गई हो, अधिकांशतः उनके परिवारों को पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी के भुगतान किये जाने में अप्रत्याशित एवं अवांछनीय विलम्ब होता है।

2–इस विभाग से सम्बद्ध पेंशन अधिकारी को विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों से विदित होता है कि यह विलम्ब मुख्यतः निम्न कारणों से होता है :–

(1) कर्मचारियों से नामांकन–पत्र तथा परिवार के विवरण–पत्र प्राप्त नहीं किये जाते हैं। पेंशन अधिकारी द्वारा समय–समय पर नामांकन फार्म तथा परिवार के विवरण–पत्र (प्रारूप संलग्न) भी उपलब्ध कराये जाते हैं किन्तु फिर भी उन्हें कर्मचारियों से भराया नहीं जाता। फलस्वरूप मृत कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों से सम्पर्क स्थापित करने में कठिनाई और विलम्ब होता है। समय पर भुगतान प्राप्त न होने पर आर्थिक विपन्नता होने के कारण कभी–कभी परिवार जीविकोपार्जन के लिए अन्यत्र चले जाते हैं जिसके कारण उनसे सम्पर्क करना असम्भव हो जाता है।

(2) नामांकन फार्म तथा परिवार के विवरण–पत्र के अभाव में कभी–कभी परिवार से उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र की मांग की जाती है। इस प्रमाण–पत्र को प्राप्त करने में न केवल समय लगता है वरन परिवार को न्यायालय जाने में कई प्रकार की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। पेंशन नियमों में इस प्रमाण–पत्र को मांगे जाने का कोई प्राविधान नहीं है। परिवार के सदस्यों द्वारा फार्म 'एफ' (या परिशिष्ट–2) तथा फार्म 'एच' (प्रारूप संलग्न) में क्रमशः पारिवारिक पेंशन तथा आनुतोषिक के लिये प्रार्थना–पत्र दिया जाता है जिसमें दो व्यक्तियों को सत्यापन तथा दो व्यक्तियों को साक्ष्य करना होता है। यदि विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष इन सत्यापन कर्ताओं तथा साक्षियों से संतुष्ट हैं तो उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र की मांग नहीं करनी चाहिए।

(3) परिवार के सदस्यों को आवश्यक फार्म नहीं उपलब्ध कराये जाते जिससे उन्हें प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब होता है।

3—समस्त परिस्थितियों पर विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय ने यह आदेश प्रदान किये हैं कि कर्मचारियों से परिवार के विवरण—पत्र तुरन्त प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षरित कर उनकी सेवा पुस्तिकाओं में लगा दिये जावें तथा आपके स्तर पर जितने भी पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी के प्रकरण अनिस्तारित पड़े हुए हैं उन्हें एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार तथा सर्वोच्च प्राथमिकता देकर निस्तारित कराने की कृपा करें। पारिवारिक पेंशन का कोई भी प्रकरण आपके स्तर पर एक माह से अधिक नहीं रुकना चाहिए तथा सभी वांछित पत्रादि पूर्ण कराके महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेज दिये जाने चाहिए। इस विभाग के पेंशन निरीक्षक मण्डलायुक्तों के कार्यालयों में तैनात हैं तथा अपने मण्डलों का दौरा किया करते हैं। उनसे पेंशन—पत्र बनाने में सहायता ली जा सकती है। यह संबंधित विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी कि वे पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों को एक माह में अवश्य निस्तारित करा दें। इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से ऐसे मामलों को शीघ्र निस्तारित कराये जाने की भी जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षें की ही होगी। आपसे यह भी अनुरोध है कि भविष्य में भी किसी कर्मचारी की मृत्यु होने की दशा में उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी के भुगतान की कार्यवाही तत्परता से की जाय और प्रत्येक स्तर पर अनुसरण किया जाय।

4—कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वकार करें।

भवदीय,
बाल कृष्ण चतुर्वेदी
विशेष सचिव।

———

FORM 'F'

APPLICATION FOR A FAMILY PENSION FOR THE FAMILY
OF SRI LATE

IN THE OFFICE/DEPARTMENT OF

1. Name of the applicant
2. Relationship to the deceased officer/pensioner
3. Date of retirement, if the deceased was a pensioner
4. Date of death of the officer/pensioner
5. The order in which the applicant's name appears in the nomination Form 'E'
6. Name and ages of surviving kindred of the deceased:

	Name	Date of birth (by Christian Era)
	Including step-children and adopted children.	
(a) Widows/husband		
Sons		
Unmarried daughters		
Widowed daughters		
(b) Father	Including step-brothers and step-sisters.	
Mother		
Brother		
Unmarried sisters		
Widowed sisters		

7. Name of Treasury/Sub-Treasury at which payment is desired
8. Descriptive roll of the applicant

(i) Date of birth (by Christian Era)

(ii) Height

(iii) Personal marks, if any, on the hand, face *etc*.

(iv) Signature or left hand thumb and finger impressions:

Small finger	Ring finger	Middle finger	Index finger	Thumb

9. Full address of the applicant Attested by:

(1)	(1)
(2)	(2)

Witnesses

Note :–(1) The descriptive roll and signature, thumb and finger impressions accompanying the application for family pension should be in duplicate and attested by two or more persons of respectibility in the town, village or paragana in which the applicant resides.

(2) If the applicant belongs to a category mentioned in item 6(b) he should furnish proof of his dependence on the deceased officer/pensioner for support.

(3) If the applicant is a minor brother of the deceased officer/pentioner, the statement against item 8(i) should be supported by a certificate of age (in original with two attested copies) showing the date of birth of the applicant. The original will be returned to the applicant after the necessary verification.

———

FORM 'H'

APPLICATION FOR THE GRANT OF DEATH-CUM-RETIREMENT GRATUITY/RESIDUARY GRATUITY TO THE FAMILY OF SRI
LATE IN THE OFFICE/DEPARTMENT OF

1. Name of applicant
2. Relationship to deceased officer/pensioner
3. Date of birth
4. Date of retirement if the deceased was a pensioner
5. Date of death of officer/pensioner
6. Name of the Treasury/Sub-Treasury at which payment is desired
7. Full address of the applicant

8. Signature or thumb-impression of the applicant

*9. Attested by–

(i)
(ii)

10. Witnesses :

Name	Full address	Signature
(i)		
(ii)		

---

*Attestation should be done by two or more persons of respectability in the town, village, pargana in which the applicant resides. Their designation or profession should also be given within brackets below their names.

*परिवार का विवरण

क्रम–संख्या	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्म तिथि	कर्मचारी से सम्बन्ध	पता
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				

प्रतिहस्ताक्षरित

हस्ताक्षर कर्मचारी ——————————

कर्मचारी का पूरा नाम ———————

पदनाम ————————————————

दिनांक ————————————————

कार्यालयाध्यक्ष
का नाम तथा पद
दिनांक ———————————————

---

*परिवार में केवल पत्नी, पति, अवयस्क पुत्र तथा अविवाहित अवयस्क पुत्रियां सम्मिलित हैं।

संख्या सा–3–1220/दस–905–81

प्रेषक,

श्री राज कुमार दर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 16 सितम्बर, 1981

विषय :– सरकारी सेवक की हत्या करने अथवा उस अपराध के दुष्प्रेरण के लिये दोषी पाये गये परिवार के सदस्यों को पारिवारिक पेंशन पाने से विवर्जन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि शासनादेश संख्या जी–2–769/दस–917–61, दिनांकित 24 अगस्त, 1966 द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 लागू की गई थी और उसमें समय–समय पर संशोधन भी किये गये हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत, विनिर्दिष्ट दशाओं में सरकारी सेवक की सेवाकाल में अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु हो जाने पर निर्धारित क्रम में उसके परिवार के सदस्यों में विधवा/विधुर, अवयस्क पुत्र/पुत्री को निर्धारित दर पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है।

2–शासन को यह इंगित किया गया है कि कतिपय ऐसे भी मामले होते हैं जिनमें सरकारी सेवक पेंशनर की मृत्यु उसकी हत्या किये जाने के कारण होने और उस अपराध के पीछे, उसकी मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन पाने के लिये पात्र व्यक्ति का हाथ होने का संदेह हो, तो क्या ऐसे मामले में उक्त व्यक्ति को नई पारिवारिक पेंशन योजना के अधीन पारिवारिक पेंशन स्वीकार की जानी चाहिये। इस विषय में सविस्तार विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय में निम्नलिखित आदेश प्रदान किये हैं :–

(1) यदि कोई व्यक्ति, जो सेवाकाल में अथवा सेवानिवृत्योपरान्त किसी सरकारी सेवक की मृत्यु होने की स्थिति में उक्त योजना के अधीन पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र हो, सरकारी सेवक की हत्या करने के अपराध के लिये या ऐसे अपराध किये जाने के दुष्प्रेरण के लिये आरोपित हो, तो पारिवारिक पेंशन के भुगतान हेतु ऐसे व्यक्ति का दावा, जिसके अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन पाने के लिये पात्र पारिवार का/के अन्य सदस्य के दावे भी हैं/हों, उसके विरुद्ध संस्थित दाण्डिक कार्यवाही की समाप्ति तक निलम्बित रहेगा।

(2) यदि उपर्युक्त दाण्डिक कार्यवाही की समाप्ति पर, सम्बद्ध व्यक्ति –

(क) सरकारी सेवक की हत्या करने या उसकी हत्या करने के लिये दुष्प्रेरित करने के लिये दोषी सिद्ध किया जाय तो वह व्यक्ति पारिवारिक पेंशन पाने से विवर्जित कर दिया जायेगा जो निर्धारित क्रम में परिवार के अन्य पात्र सदस्य को, यदि कोई हो, देय होगी।

(ख) सरकारी सेवक की हत्या करने या उसकी हत्या करने के लिये दुष्प्रेरित करने के आरोप से दोषमुक्त हो जाय तो उसे पारिवारिक पेंशन सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से देय होगी।

(3) यह आदेश शासनादेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

(4) उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 तथा उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन अनुमन्य मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान तथा पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में ऐसे मामलों में समान व्यवस्था अलग से की जा रही है।

(5) कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार की जाय।

भवदीय,
राज कुमार दर
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

———

संख्या सा–3–1254/दस–935–75

लखनऊ : दिनांक, 16 सितम्बर, 1981

———

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1981

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1981 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नये नियम 11 का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 में, नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 11 बढ़ा दिया जायेगा :–

''11 (1) यदि कोई व्यक्ति, जो किसी सरकारी सेवक के सेवा में रहते हुये मृत्यु होने की स्थिति में, इस नियमावली के अधीन मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान या/और पारिवारिक पेंशन पाने के लिए पात्र हो, सरकारी सेवक की हत्या करने के अपराध से या ऐसा अपराध किये जाने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपित हो तो उपदान में अपना अंश पाने का उसका दावा और पारिवारिक पेंशन की स्थिति में, ऐसे व्यक्ति का दावा, जिसके अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र परिवार का/के अन्य सदस्य के दावे भी हैं उसके विरुद्ध संस्थित दाण्डिक कार्यवाही की समाप्ति तक निलम्बित रहेगा।

(2) (एक) यदि उपर्युक्त उपनियम (1) में निर्दिष्ट दाण्डिक कार्यवाही की समाप्ति पर, सम्बद्ध व्यक्ति–

(क) सरकारी सेवक की हत्या करने या उसकी हत्या करने के लिये दुष्प्रेरित करने के लिए दोषसिद्ध किया जाय तो वह उपदान का अपना अंश या/और पारिवारिक पेंशन पाने से विवर्जित किया जायेगा जो परिवार के अन्य पात्र सदस्य/सदस्यों को, यदि कोई हो, देय होगा।

(ख) सरकारी सेवक की हत्या करने या उसकी हत्या के लिये दुष्प्रेरित करने के आरोप से दोषमुक्त हो जाय तो उपदान का उसका अंश या/और पारिवारिक पेंशन उसे देय होंगे।

(दो) उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अधीन पारिवारिक पेंशन सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से देय होगी।

(3) उपर्युक्त उपनियम (1) और उपनियम (2) के उपबन्ध ऐसे असंवितरित मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान पर जिसका सरकारी सेवक को अनुमन्य हो जाने के पश्चात् उसकी मृत्यु के पूर्व भुगतान न किया गया हो, और सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के पश्चात् मृत्यु होने पर देय पारिवारिक पेंशन पर भी लागू होंगे।''

आज्ञा से,

राज कुमार दर

सचिव।

टिप्पणी–अधिसूचना संख्या जी–2–2585/दस–944–1959, दिनांक 12 सितम्बर, 1961 के अधीन जारी किये गये उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 को 31 अगस्त, 1968 तक किये गये संशोधनों को सम्मिलित करते हुए प्रकाशित किया गया था। बाद में निम्नलिखित संशोधन किये गये :–

(1) अधिसूचना संख्या जी–3–1477/76–दस–52–74, दिनांक 5 जून, 1976।

(2) अधिसूचना संख्या जी–3–1201/दस–935–75, दिनांक 20 जून, 1979।

———

संख्या सा–3–1563/दस–921–81

प्रेषक,

श्री जे0 एल0 बजाज,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 3 नवम्बर, 1981

विषय :– नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन प्राप्त होने वाली पारिवारिक पेंशन की दरों में वृद्धि।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि शासनादेश संख्या जी–2–769/दस–917–61, दिनांकित 24 अगस्त, 1966 द्वारा नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965, दिनांक 1 अप्रैल, 1965 से लागू की गई थी और उक्त शासनादेश के प्रस्तर–1 में पारिवारिक पेंशन की दरें निर्धारित की गई थीं और बाद में शासनादेश संख्या सा–3–657/दस–900–78, दिनांक 10 मई, 1978 द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 1978 से संशोधित की गई थी, जो निम्न प्रकार है :–

दिनांक 1 अप्रैल, 1965 से लागू रदें

अधिकारी का वेतन	**विधवा/बिधुर/बच्चों की मासिक पेंशन**
1–800 रुपये और उससे अधिक	वेतन का 12 प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक 150 रुपये
2–200 रुपये और उससे अधिक किन्तु 800 रुपये से कम	वेतन का 15 प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक 96 रुपये और कम से कम 60 रुपये।
3–200 रुपये से कम	वेतन का 30 प्रतिशत किन्तु कम से कम 25 रुपये।

दिनांक 1 अप्रैल, 1978 से लागू दरें

1–400 रुपये से कम	वेतन का 30 प्रतिशत जिसकी न्यूनतम धनराशि रुपये 60 प्रतिमाह तथा अधिकतम धनराशि 100 रुपये प्रतिमाह
2–400 रुपये और उससे अधिक किन्तु 1,200 रुपये से कम	वेतन का 15 प्रतिशत जिसकी न्यूनतम धनराशि 100 रुपये प्रतिमाह और अधिकतम धनराशि 160 रुपये प्रतिमाह
3–1,200 रुपये और उससे अधिक	वेतन का 12 प्रतिशत जिसकी न्यूनतम धनराशि 160 रुपये प्रतिमाह और अधिकतम धनराशि 250 रुपये प्रतिमाह।

द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग द्वारा पारिवारिक पेंशन दरों के पुनरीक्षण के संबंध में की गई संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए राज्यपाल महोदय ने सहर्ष आदेश दिये हैं कि शासकीय आदेश संख्या सा–3–657/दस–900–78, दिनांक 10 मई, 1978 द्वारा निर्धारित पारिवारिक पेंशन की दरों को दिनांक 1 जुलाई, 1979 से निम्नानुसार संशोधित किया जये, जो दिनांक 1 जुलाई, 1979 को अथवा इस तिथि के उपरान्त मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनर के परिवार को ही अनुमन्य होगी :–

राज्य कर्मचारियों का वेतन	**पारिवारिक पेंशन की धनराशि**
1–1,500 रुपये प्रतिमाह से कम	वेतन का 15 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम 100 रुपये और अधिकतम 200 रुपये प्रतिमास।
2–1,500 रुपये प्रतिमाह या उससे अधिक	वेतन का 12 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम 200 रुपये और अधिकतम 300 रुपये प्रतिमास।

2–शासकीय आदेश दिनांक 10 मई, 1978 की निम्न शर्तें उपर्युक्त संशोधित दरों के साथ पूर्ववत् लागू रहेंगी :–

(क) सेवारत मृत्यु हो जाने की दशा में यदि मृतक ने कम से कम सात वर्ष की अविरल सेवा प्रदान की है तो मृत्यु की तिथि के बाद की तिथि से प्रारम्भिक सात वर्ष या उस तिथि तक जब उसने जीवित रहने की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली होती, जो भी पहले समाप्त हो, पारिवारिक पेंशन मूल वेतन की आधी अथवा उक्त योजना के अधीन अन्यथा देय धनराशि का दुगना, जो भी कम हो, के बराबर होगी।

(ख) सेवानिवृत्ति के उपरांत मृत्यु हो जाने की दशा में बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन उस तिथि तक जिस तिथि तक मृत पेंशनर जीवित रहने की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता अथवा सात वर्ष की अवधि तक, जो भी इन दोनों अवधियों में से पहले हों, इस प्रतिबन्ध के अधीन देय होगी कि पारिवारिक पेंशन की धनराशि किसी भी दशा में सेवानिवृत्ति के उपरांत सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत की गई सेवा पेंशन की धनराशि से अधिक नहीं होगी। अग्रेतर प्रतिबंध यह भी है कि जिन मामलों में उपर्युक्त संशोधित दरों के अनुसार देय पारिवारिक पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति पर स्वीकृत की गई सेवा पेंशन से अधिक हो तो उन मामलों में इस प्रकार स्वीकार की जाने वाली पारिवारिक पेंशन की धनराशि उस धनराशि से कम नहीं होगी। सेवानिवृत्ति के समय स्वीकार की गई सेवा पेंशन से तात्पर्य उस पेंशन से है जो पेंशनर को मूलतः स्वीकृत हुई अर्थात् पेंशन की वह धनराशि जो राशिकरण से पूर्व, यदि कोई हो, स्वीकृत की गई थी।

3–दिनांक 1 जुलाई, 1979 से पूर्व मिल रही पारिवारिक पेंशन की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी। जिन मामलों में सरकारी सेवक/पेंशनर की मृत्यु दिनांक 1 जुलाई, 1979 से पूर्व हो चुकी है परन्तु किन्हीं कारणोंवश मृतक के परिवार को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत नहीं की जा सकी हो, उन मामलों में भी नई दरों का लाभ नहीं दिया जायगा।

भवदीय,

जे0 एल0 बजाज

सचिव।

संख्या सा–3–1382 / दस–3–82

प्रेषक,

श्री जगमोहन लाल बजाज,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 6 सितम्बर, 1982

विषय :– पारिवारिक पेंशन की पात्रता के लिये पुत्र एवं पुत्री की निर्धारित आयु सीमा में वृद्धि।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अन्तर्गत सरकारी सेवकों की सेवारत दशा में या सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु हो जाने पर, यदि उन्होंने उक्त योजना का वरण किया है अथवा वह उन पर लागू हैं उक्त योजना के नियम 3 के अधीन पारिवारिक पेंशन परिवार के सदस्यों में निम्न क्रम में एक समय में एक सदस्य को अनुमन्य होती है :–

(1) विधवा / विधुर को आजीवन अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो, के दिनांक तक।

(2) अवयस्क पुत्र को 18 वर्ष की आयु तक, तथा

(3) अविवाहित पुत्री को 21 वर्ष की आयु या विवाह, जो भी पहले हो, के दिनांक तक।

2–सरकारी सेवकों / पेंशनरों की मृत्यु के उपरान्त उनके परिवारों को और आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से पारिवारिक पेंशन की देयता हेतु परिवार के अवयस्क पुत्र एवं पुत्री की उपर्युक्त प्रकार से निर्धारित आयु सीमा में वृद्धि करने के प्रश्न पर भली भाँति विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने यह आदेश दिये हैं कि नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हेतु –

(1) अवयस्क पुत्र की निर्धारित आयु सीमा को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष, तथा

(2) अवयस्क पुत्री की निर्धारित आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 24 वर्ष कर दिया जाये।

3–उक्त आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 1982 से प्रभावी होंगे तथा उक्त दिनांक को उक्त योजना के अधीन जिस पुत्र तथा पुत्री की पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो रही हो उन्हें भी पुनरीक्षित आयु सीमा का लाभ अनुमन्य होगा।

4–नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के संबन्धित प्राविधानों को उपर्युक्तानुसार संशोधित समझा जाये।

5–कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार की जाये।

भवदीय,
जगमोहन लाल बजाज
सचिव।

–––––

उत्तर प्रदेश शासन

संख्या सा–3–828/दस–924–83

लखनऊ, दिनांक 25 जून, 1984

————

कार्यालय–ज्ञाप

विषय :– **नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन एक वर्ष की अविरल सेवा संबंधी प्रावधान का शिथिलीकरण।**

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि शासनादेश संख्या जी–2–769/दस–917–61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 के प्रस्तर–3 (क) के अधीन पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता के लिए सेवारत अवस्था में मृत्यु होने की दशा में एक वर्ष की अविरल सेवा प्रदान करना आवश्यक था। शासनादेश संख्या सा–3–1358/दस–918–79, दिनांक 21 सितम्बर, 1979 में उक्त प्राविधान को इस शर्त के अधीन समाप्त कर दिया गया है कि यदि सरकारी सेवक ने सेवा में प्रवेश करते समय सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया है, तो उस दशा में यदि उसकी सेवा अवधि एक वर्ष से कम है तो भी वह परिवार पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का पात्र होगा। शासन के सम्मुख दिनांक 21 सितम्बर, 1979 के पूर्व के कुछ इस प्रकार के मामले भी संदर्भित हुए हैं जिनमें सरकारी सेवक की मृत्यु एक वर्ष की अविरल सेवा प्रदान करने के पूर्व हो गयी है। उदाहरणतया एक अस्थायी सेवक ने किसी विभाग में सेवा की और छटनी के आधार पर उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी गई। कालान्तर में उसे पुनः इसी शासन के अधीन किसी सरकारी पद पर नियुक्त कर लिया गया। दिनांक 21 सितम्बर, 1979 के पूर्व की व्याख्या के अनुसार उनके परिवार को पेंशन अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे मामलों में शासन ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि स्वर्गीय सरकारी सेवक के परिवार को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य कराये जाने के प्रयोजन के लिए सेवा की दो अवधियों के बीच उत्पन्न व्यवधान को मर्षित मान लिया जाये। उक्त बिन्दु पर समुचित विचारोपरान्त श्री राज्यपाल ने यह आदेश प्रदान करने की कृपा की है कि दिनांक 21 सितम्बर, 1979 के पूर्व के ऐसे मामलों में जिनमें अस्थायी सरकारी सेवा की सम्पूर्ण अवधि के मध्य व्यवधान हो और मृत्यु से पूर्व सरकारी सेवक ने एक वर्ष की अविरल सेवा प्रदान न की हो, उक्त प्रकार के मामलों में नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन पारिवारिक पेंशन अनुमन्य कराये जाने के लिए व्यवधान की अवधि मर्षित समझी जाएगी, यदि ऐसे व्यवधान सेवा से त्यागपत्र देने, बरखास्त किये जाने या हड़ताल में भाग लेने के कारण न हुआ हो।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

भवदीय,

वेद प्रकाश अग्रवाल

संयुक्त सचिव।

————

संख्या सा–3–859/दस–3–82

प्रेषक,

श्री हर गोविन्द डबराल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 30 अप्रैल, 1986

विषय :– पारिवारिक पेंशन की पात्रता के लिये पुत्र एवं पुत्री की निर्धारित आयु सीमा में वृद्धि।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या सा–3–1382/दस–3–82, दिनांक 6 सितम्बर, 1982 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता के लिए पुत्र एवं पुत्री की पूर्व निर्धारित सीमा की क्रमशः 18 वर्ष के बढ़ाकर 21 वर्ष तथा 21 वर्ष से बढ़ाकर 24 वर्ष की गई है, परन्तु उक्त आदेशों में ''पुत्र'' शब्द से पूर्व ''अवयस्क'' शब्द जोड़ दिया गया है। उक्त बिन्दु पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त संदर्भित शासनादेश में जिन स्थानों पर पुत्र के पूर्व ''अवयस्क'' शब्द प्रयोग किया गया है उसे हटा दिया जाये। शासनादेश संख्या सा–3–1882/दस–3–82, दिनांक 6 सितम्बर, 1982 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

2–उपरोक्त अंकित संशोधन तदैव से प्रभावी समझे जायेंगे।

भवदीय,
हर गोविन्द डबराल
विशेष सचिव।

संख्या सा–3–969/दस–923–85

प्रेषक,

डा0 जे0 पी0 सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 8 अगस्त, 1986

विषय :– नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 की प्रसुविधा को ऐसे सरकारी सेवकों के परिवारों को अनुमन्य कराना जो दिनांक 31 मार्च, 1965 को अथवा उसके पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत हो चुके हों अथवा जिनके परिवार उपर्युक्त स्कीम 1965 के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र नहीं हैं।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नयी पारिवारिक पेंशन योजना, 1965, शासनादेश संख्या जी–2–769/दस–917–61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 1965 से निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन सरकारी सेवकों पर लागू की गयी थी :–

(क) यह योजना उन सरकारी सेवकों पर लागू थी जो दिनांक 1 अप्रैल, 1965 को पेंशन योग्य अधिष्ठानों की सेवा में थे या उसके बाद भर्ती किये गये थे।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक सरकारी सेवक के लिये दो माह की परिलब्धियों के बराबर धनराशि समर्पित करनी होती थी। तदुपरान्त शासनादेश संख्या सा–3–657/दस–900–78, दिनांक 10 मई, 1978 द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1978 से उक्त दो माह के वेतन के बराबर धनराशि काटे जाने का प्राविधान समाप्त कर दिया गया था।

2–उपर्युक्त योजना के लागू होने के उपरान्त अनेक सरकारी सेवकों ने उक्त योजना का वरण (opt.) नहीं किया और डेथ कम रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की पूरी धनराशि प्राप्त कर ली जिसके फलस्वरूप उनका परिवार पारिवारिक पेंशन की सुविधा से वंचित रह गया। राज्य सरकार ऐसे सरकारी सेवकों के परिवारों को जो 1 अप्रैल, 1965 के पूर्व दिवंगत/सेवानिवृत्त हो चुके थे तथा ऐसे सरकारी सेवकों के परिवारों को जिन्होंने नयी पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 का वरण नहीं किया था पारिवारिक पेंशन अनुमन्य कराये जाने के बिन्दु पर काफी समय से विचार कर रही थी। इसी बीच दिनांक 30 अप्रैल, 1985 को श्रीमती पूनामल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया की रिट याचिका में उच्चतम न्यायालय द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार की पारिवारिक पेंशन योजना 1964 केन्द्र सरकार के ऐसे सरकारी कर्मचारियों के परिवारों पर भी लागू की जाय जो पेंशनबुल अधिष्ठानों में थे और जो उस समय उपर्युक्त योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं थे अथवा जिन्होंने उक्त योजना का वरण नहीं किया था। भारत सरकार के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल महोदय ने आदेश दिये हैं कि नयी पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 की प्रसुविधायें दिनांक 1 अप्रैल, 1965 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत ऐसे सभी सरकारी सेवकों के परिवारों को तथा ऐसे सरकारी सेवकों के परिवारों को जिन्होंने उक्त योजना से बाहर रहने का विकल्प दिया था तथा जो अपने सेवानिवृत्ति के दिनांक को राज्य सरकार के किसी पेंशनबुल अधिष्ठान में कार्यरत थे भी अनुमन्य कर दी जाय।

3–यह आदेश 1 मई, 1986 से लागू समझे जायेंगे अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल, 1965 के पूर्व के सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी सेवकों के परिवारों को तथा उन सरकारी सेवकों के परिवारों को जिन्होंने उक्त योजना से बाहर रहने का विकल्प दिया था यदि उनके परिवारों में पारिवारिक पेंशन पाने हेतु पात्र व्यक्ति 1 मई, 1986 को जीवित हो, 1 मई, 1986 से पारिवारिक पेंशन अनुमन्य की जायेगी।

4–इस योजना के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन उन्हीं दरों पर अनुमन्य होगी जो शासनादेश संख्या सा–3–657/दस–900–78, दिनांक 10 मई, 1978 के द्वारा निर्धारित की गयी थी। सुविधा हेतु यह दरें निम्नवत् अंकित की जा रही हैं :–

अधिकारी का वेतन	विधवा/विधुर/बच्चे की मासिक पेंशन
(1) 400 रुपये से कम	वेतन का 30 प्रतिशत जिसकी न्यूनतम धनराशि रु0 60/– प्रतिमाह और अधिकतम धनराशि रु0 100/– प्रतिमाह होगी।
(2) 400 रु0 और उससे अधिक किन्तु 1,200 रु0 से कम	वेतन का 15 प्रतिशत जिसकी न्यूनतम धनराशि रु0 100/– प्रतिमाह और अधिकतम रु0 160/– प्रतिमाह होगी।
(3) रु0 1,200 और उससे अधिक	वेतन का 12 प्रतिशत जिसकी न्यूनतम धनराशि रु0 160/– प्रतिमाह और अधिकतम धनराशि रु0 250/– प्रतिमाह होगी।

5–पारिवारिक पेंशन पाने हेतु पात्रता निम्न प्रकार निर्धारित की जायेगी :–

(1) उपर्युक्त श्रेणी के यदि कोई पेंशनर अब भी जीवित हैं तो वह उस कोषाधिकारी से जहाँ से वे पेंशन प्राप्त कर रहे हैं एक प्रार्थनापत्र (सादे कागज पर) देकर अधोलिखित प्रस्तर–8 में उल्लिखित दरों पर शासनादेश संख्या सा–3–530–80/दस–900–78, दिनांक 5 अप्रैल, 1980 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने पी0पी0ओ0 तथा डिसबर्सर्स हाफ पर पारिवारिक पेंशन की

धनराशि अंकित करवा लेंगे और कोषाधिकारी उसकी सूचना उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित प्रारूप पर महालेखाकार कार्यालय को एक माह की अवधि में भेज देंगे। इस पी0पी0ओ0 पर पेंशनर तथा उसकी पत्नी का संयुक्त फोटोग्राफ जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होगा, चिपका होना चाहिए। यदि पी0पी0ओ0 पर ऐसा संयुक्त फोटोग्राफ न चिपका हो तो कोषाधिकारी उसे अब चिपकवा लेंगे। तदुपरान्त पेंशनर की मृत्यु होने की दशा में कोषाधिकारी उसकी पत्नी/पति को जैसी भी स्थिति हो पारिवारिक पेंशन का भुगतान वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करने के उपरान्त प्रारम्भ कर देंगे।

(2) यदि उपर्युक्त श्रेणी के किसी पेंशनर की मृत्यु हो गयी हो तो शासनादेश संख्या जी–2–769/दस–917–61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 के अनुसार उसकी विधवा/विधुर पारिवारिक पेंशन हेतु पात्र समझे जायेंगे किन्तु यदि विधवा/विधुर की भी मृत्यु हो गयी हो तो संबंधित पेंशनर के पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री जिसकी आयु क्रमशः 21 तथा 24 वर्ष से अनधिक हो पात्र समझे जायेंगे। यदि संबंधित पेंशनर के परिवार में न तो विधवा/विधुर जीवित हो और न ही कोई पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री जीवित हो जिनकी आयु क्रमशः 21 अथवा 24 वर्ष से अनधिक हो तो परविार का कोई सदस्य पारिवारिक पेंशन पाने हेतु अधिकृत नहीं होगा किन्तु यदि पेंशनर की संतान में से कोई संतान ऐसी हो जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो अथवा शारीरिक रूप से विकलांग हो तो ऐसी संतान शासनादेश संख्या सा–3–1155/दस––2–81, दिनांक 6 अगस्त, 1981 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चैकित्सिक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर आजीवन पारिवारिक पेंशन पाने का हकदार होगा।

6–इस योजना के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु परिवार के पात्र व्यक्ति [उपरोक्त प्रस्तर 5(2) के अनुसार] द्वारा संलग्न प्रपत्र जो (दो प्रतियों में) उस कार्यालयाध्यक्ष को प्रार्थना–पत्र (अनुलग्नक–1) प्रेषित करना होगा जहाँ संबंधित सरकारी सेवक सेवानिवृत्त/मृत्यु के दिनांक को कार्यरत था। राजपत्रित सरकारी सेवकों के संबंध में आवश्यक प्रार्थना–पत्र विभागाध्यक्ष को प्रेषित करना होगा। यदि फार्म उपलब्ध न हो तो एक साधारण कागज पर सब तथ्यों को लिखते हुए भी प्रार्थना–पत्र दिया जा सकता है।

7–उपर्युक्तानुसार प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के स्तर पर निम्नलिखित तीन कार्यवाहियाँ अपेक्षित होंगी :–

(1) संबंधित पेंशनर की सेवानिवृत्ति/मुत्यु के दिनांक को उसे प्राप्त हो रहे वेतन की धनराशि की जानकारी करना तथा उसके अधार पर पारिवारिक पेंशन का निर्धारण करना।

(2) पारिवारिक पेंशन की पात्रता हेतु सही व्यक्ति का निर्धारण करना।

(3) पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान करना।

8–उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

(1) सामान्यतः प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के लिए यह संभव होना चाहिए कि वे अपने कार्यालय अभिलेख से संबंधित सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु के दिनांक को उसके अंतिम वेतन की जानकारी कर लें। राजपत्रित सरकारी सेवकों के संबंध में यदि किसी कारणवश जानकारी कार्यालय में उपलब्ध न हो तो यह जानकारी जिस कोषागार से अंतिम वेतन आहरित किया गया था उससे की जा सकती है। कार्यालय के अभिलेखों से अथवा कोषागार के अभिलेखों से अंतिम वेतन की जानकारी करने के उपरान्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा उपरलिखित प्रस्तर–4 में उल्लिखित दरों के अनुसार पारिवारिक पेंशन की गणना की जायेगी। यदि उसके बावजूद अंतिम वेतन की जानकारी न हो पाये तो कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित पेंशनर द्वारा प्राप्त की गयी पेंशन की जानकारी की जाय और निम्न सारणियों के अनुसार पारिवारिक पेंशन निर्धारित कर दी जाय। [निम्नलिखित सारिणी में दर्शायी गयी दरें मूल पेंशन (राशिकरण के पूर्व) की दरें हैं जो शासनादेश दिनांक 10 मई, 1984 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनरीक्षित होने के पूर्व लागू थी।]

सारणी–1

(1 अप्रैल, 1961 के पूर्व सेवानिवृत्त तथा 1 अप्रैल, 1961 एवं उसके उपरान्त सेवानिवृत्त पेंशनर जो यू0पी0 लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 अथवा यू0पी0 रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्य, 1961 के नियम 11 से शासित थे)

पेंशन (रु0)	पारिवारिक पेंशन
(1) 200 रु0 से कम	60 प्रतिशत न्यूनतम 60 रु0 अधिकतम 100 रु0
(2) 200 रु0 तथा अधिक किन्तु 600 रु0 से कम	30 प्रतिशत न्यूनतम 100 रु0 अधिकतम 160 रु0
(3) 600 रु0 और उससे अधिक	24 प्रतिशत न्यूनतम 160 रु0 अधिकतम 250 रु0

सारणी–2

[1 अप्रैल, 1961 और 31 मार्च, 1975 के बीच सेवानिवृत्त पेंशनर जो उ0प्र0 रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्य, 1961 (सम्यक) से शासित थे]

पेंशन (रु0)	पारिवारिक पेंशन
75.00 तक	रु0 60.00
76.00 से 125.00 तक	पेंशन का 80 प्रतिशत (100 रु0 से अनधिक)
126.00 से 250.00 तक	रु0 100.00
251.00 से 400.00	पेंशन का 40 प्रतिशत (150 रु0 से अनधिक)
401.00 से 500.00	रु0 160.00
501.00 से ऊपर	पेंशन का 32 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रु0 250.00

सारणी–3

[1 अप्रैल, 1975 और 1 अप्रैल, 1978 के बीच सेवानिवृत्त पेंशनर जो उ0प्र0 रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्य, 1961 (सम्यक) से शासित थे]

पेंशन (रु0)	पारिवारिक पेंशन
80.00 तक	रु0 60.00
81.00 से 140.00 तक	पेंशन का 75 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 100 रु0
141.00 से 275.00 तक	रु0 100.00
276.00 से 440.00	पेंशन का 36 प्रतिशत (160 रु0 से अनधिक)
441.00 से 550.00	रु0 160.00
551.00 से ऊपर	पेंशन का 29 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रु0 250.00

यदि किसी पेंशन के संबंध में कार्यालय के अभिलेखों से उसके अंतिम वेतन की जानकारी प्राप्त करना संभव न हो और पेंशन पट्टे से पेंशन की जानकारी करना भी संभव न हो तो कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा पारिवारिक पेंशन की गणना संबंधित सरकारी सेवक के पद के वेतनमान के मध्य धनराशि को आधार मानकर की जायेगी। उदाहरण के रूप में यदि किसी पद का वेतनमान

रु0 160–400 है तो उसकी पारिवारिक पेंशन की धनराशि की गणना के लिए रु0 280/– को आधार माना जायेगा।

9–प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त आवेदक को संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को इस बात से संतुष्ट करना होगा कि वह संबंधित सरकारी सेवक की विधवा/विधुर अथवा पात्र संतान है। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष उपरोक्त की पुष्टि प्रथमतः अपने कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों अथवा आवेदक द्वारा प्रस्तुत संगत दस्तावेजों के अधार पर करेंगे। यदि आवेदक अपनी पहचान हेतु कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर सके और कार्यालय में भी इस हेतु कोई अभिलेख उपलब्ध न हो तो संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष अपने कार्यालय के किन्हीं दो वरिष्ठ तथा स्थायी कर्मचारियों से आवेदक की शिनाख्त करवा लें। यदि उपर्युक्तानुसार भी कार्यवाही किया जाना संभव न हो सके तो संबंधित आवेदक को निम्न में से एक साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा :–

(1) न्यायालय द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र या

(2) कार्यकारी मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार के समक्ष दिया गया शपथ–पत्र।

10–उपरोक्तानुसार पेंशन के आगणन का कार्य करने तथा पारिवारिक पेंशन की पात्रता हेतु संबंधित व्यक्ति की पहचान करने के उपरान्त संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष निर्धारित प्रपत्र (पी0पी0ओ0 तथा डिसबर्सर्स हाफ) पर पेंशन स्वीकृत करके उसे कोषाधिकारी को प्रेषित कर देंगे। इस प्रस्तर के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी पारिवारिक पेंशन का आहरण प्रथम बार उस स्थान के कोषागार से किया जयेगा जहाँ के कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष ने पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की है। यदि आवेदक उस स्थान के कोषागार के अतिरिक्त उ0प्र0 के किसी अन्य कोषागार से पारिवारिक पेंशन आहरित करना चाहता है तो उसे तदनुसार उपरोक्त कोषाधिकारी को अपने पेंशन प्रपत्र स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थना–पत्र देना होगा और यह संबंधित कोषाधिकारी का दायित्व होगा कि वे ऐसा प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने के तत्काल बाद सभी पेंशन प्रपत्र उस कोषागार को स्थानान्तरित कर दें जहाँ से संबंधित पारिवारिक पेंशनर अपनी पारिवारिक पेंशन आहरित करना चाहता है।

11–इस हेतु आवश्यक पी0पी0ओ0 तथा डिसबर्सर्स हाफ की प्रतियाँ कोषागारों में उपलब्ध करा दी जायेंगी और संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष आवश्यकतानुसार उन्हें स्थानीय कोषागारों से प्राप्त कर सकते हैं। शासन द्वारा छपवाये गये पी0पी0ओ0 (पेंशनर्स हाफ) के प्रारूप में पारिवारिक पेंशन से संबंधित कालम्स उपलब्ध हैं और संबन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष उसी के अनुसार वांछित प्रविष्टियाँ कर दें। किन्तु डिसबर्सर्स हाफ में पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने से संबंधित कालम्स उपलब्ध नहीं है अतः उस पर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष डिसबर्सर्स हाफ में आवश्यक संशोधन करके तथा प्रविष्टियाँ करके उसे कोषाधिकारी अथवा महालेखाकार (जैसी स्थिति हो) को प्रेषित कर दें।

12–इस प्रकार स्वीकृत की जाने वाली पारिवारिक पेंशन के लिए संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा अनुलग्नक–2 पर उल्लिखित प्रारूप पर एक इन्डेक्स–रजिस्टर का रख रखाव किया जायेगा तथा पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हेतु एक चेक रजिस्टर का, जिसका प्रारूप अनुलग्नक–3 पर संलग्न है, रख रखाव किया जायेगा। पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने तथा इन्डेक्स रजिस्टर तथा चेक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ करने के उपरान्त संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष पी0पी0ओ0 (पेंशनर्स हाफ एवं डिस्बर्सर्स हाफ की मूल प्रतियाँ) तथा पारिवारिक पेंशन हेतु दिये गये आवेदन–पत्र की एक प्रति एवं अग्रसारण पत्र के साथ जिसका प्रारूप अनुलग्नक–4 पर संलग्न है, कोषाधिकारी को भेजेंगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, द्वितीय (लेखा एवं हकदारी) को भेजेंगे। इस अग्रसारण पत्र के साथ वे चेक रजिस्टर में की गयी प्रविष्टियों (अनुलग्नक–3) की एक प्रति भी संबंधित कोषाधिकारी एवं महालेखाकार को भेजेंगे। यदि पारिवारिक पेंशन का भुगतान प्रदेश के बाहर किसी अन्य कोषागार से अपेक्षित हो तो मूल प्रति ही महालेखाकार को प्रेषित की जायेगी और उसके स्थानीय कोषाधिकारी को पृष्ठांकन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि पारिवारिक पेंशन किसी कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की गयी है तो उक्त अग्रसारण पत्र की एक प्रति विभागाध्यक्ष को भी प्रेषित की जायेगी। संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा स्वयं तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इस शासनादेश के अन्तर्गत स्वीकृत

पारिवारिक पेंशन के मामलों की एक सूची महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद को प्रत्येक माह में प्रेषित की जायेगी।

13—उच्चतम न्यायालय के दिनांक 30 अप्रैल, 1985 के निर्णय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन व्यक्तियों को उपर्युक्तानुसार पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जायेगा उसके लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वे दो माह की परिलब्धियों के बराबर अंशदान दें। इसी प्रकार पेंशन भोगियों द्वारा पहले से किये गये अंशदान की वापसी के लिए भी किसी प्रकार की माँग पर विचार नहीं किया जायेगा। तदुपरान्त सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने आदेश प्रदान किये हैं कि उपर्युक्त पैरा—2 में देय लाभ हेतु दो माह के वेतन/परिलब्धियों के बराबर अंशदान नहीं लिया जायेगा और जिन पेंशनरों से नयी परिवारिक पेंशन योजना, 1965 का लाभ देने हेतु दो माह के वेतन/परिलब्धियों के बराबर अंशदान लिया जा चुका है उसे वापस करना भी स्वीकार नहीं किया जायेगा।

14—उपर्युक्तानुसार स्वीकृत की गयी पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत भी अनुमन्य होगी। महँगाई राहत की दर/दरें वही होगी जो 1 अप्रैल, 1979 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों की पेंशन की धनराशि पर 1 मई, 1986 को अनुमन्य है अथवा जो उसके बाद समय—समय पर स्वीकृत की जाय। कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के स्तर पर केवल मूल पारिवारिक पेंशन का आगणन किया जायेगा। राहत की गणना तथा पी0पी0ओ0 (पेंशनर्स हाफ एवं डिसबर्सर्स हाफ) पर उसका उल्लेख कोषाधिकारी/महालेखाकार के स्तर पर किया जयेगा।

15—उपर्युक्त व्यवस्था/प्रक्रिया केवल उन सरकारी सेवकों के संबंध में ही अपनायी जायेगी जो 1 अप्रैल, 1965 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत हो चुके थे अथवा जो नयी पारिवारिक पेंशन योजना 1965 से शासित नहीं थे। शेष नये मामलों में वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो वर्तमान में प्रचलित है।

16—जिन सरकारी सेवकों के परिवारों को उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961, उ0प्र0 रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन दिनांक 1 जनवरी, 1961 तथा 31 मार्च, 1965 के मध्य सीमित अवधि के लिए पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गयी थी तथा शासनादेश संख्या सा—3—1426/दस—917—64, दिनांक 13 जून, 1973 के प्राविधानों के अनुसार उन्हें उसमें निर्धारित दरों के अनुसार, आजीवन या पुनर्विवाह जो भी पहले घटित हो तक, पारिवारिक पेंशन का लाभ अंकित कर दिया गया था, उनके मामलों में भी संबंधित कोषाधिकारी उनकी पारिवारिक पेंशन की धनराशि शासनादेश संख्या सा—3—657/दस—900—78, दिनांक 10 मई, 1978 की दरों के अनुसार अनन्तिम रूप से निर्धारत कर देंगे तथा उसका भुगतान 1 मई, 1986 से सुनिश्चित करते हुए उसकी सूचना शासनादेश संख्या सा—3—530—80/दस—900—78, दिनांक 5 अप्रैल, 1980 में निर्धारित प्रारूप पर एक माह की अवधि में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दे देंगे। यदि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 10 मई, 1978 के अनुसार संबंधित पेंशनर के मूल वेतन की जानकारी के अभाव में कोषाधिकारी के लिए पारिवारिक पेंशन का आगणन करना संभव न हो तो सर्वप्रथम कोषाधिकारी उक्त मूल वेतन की जानकारी संबंधित पेंशनर द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर करेंगे। यदि अभिलेख उपलब्ध न हो तो संबंधित पारिवारिक पेंशन द्वारा इस हेतु एक शपथ—पत्र भी दिया जा सकता है। कोषाधिकारी इस प्रकार की सूचना के सही होने की पुष्टि शासनादेश संख्या जी—2—769/दस—917—61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 के अनुसार वर्तमान में मिल रही पारिवारिक पेंशन की धनराशि से कर सकते हैं। किन्तु यदि उपरोक्तानुसार भी मूल वेतन की जानकारी न हो सके तो उसे कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से प्राप्त करेंगे जहाँ से संबंधित पेंशनर सेवानिवृत्त हुआ हो और उसके आधार पर शासनादेश दिनांक 10 मई, 1978 के अनुसार पारिवारिक पेंशन का आगणन कर देंगे। महालेखाकार उत्तर प्रदेश अन्य मामलों के समान इस प्रकार के मामलों में किये गये आगणन को चेक करते हुए कोषाधिकारी तथा संबंधित पेंशनर को सूचित करेंगे। पूर्व में स्वीकृत की गयी पारिवारिक पेंशन की धनराशि 1 मई, 1986 से वर्तमान में स्वीकृत की गयी पारिवारिक पेंशन की धनराशि में से समायोजन कर ली जायेगी।

17—ऐसे सरकारी सेवक जो दिनांक 1 अप्रैल, 1965 एवं 31 मार्च, 1978 के मध्य सेवानिवृत्त हो गये थे तथा जिनकी मृत्यु भी दिनांक 31 मार्च, 1978 के पूर्व हो चुकी थी तथा जिन पर नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 लागू है, के परिवारों की शासनादेश संख्या जी—2—769/दस—917—61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 में निर्धारित दरों के अनुसार पारिवारिक पेंशन मिल रही है। यह निश्चित है कि शासनादेश दिनांक 24 अगस्त, 1966 में निर्धारित दरें शासनादेश दिनांक 10 मई, 1978 में निर्धारित दरों से कम हैं, अतएव दिनांक 1 मई, 1986 से उनकी पारिवारिक पेंशनों को शासनादेश दिनांक 10 मई, 1978 में निर्धारित दरों तथा उपरोक्त प्रस्तर—16 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कोषाधिकारियों द्वारा अनन्तिम रूप से पुनरीक्षित कर दिया जायेगा तथा उसकी सूचना महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को शासनादेश संख्या सा—3—530—80/दस— 900—78, दिनांक 5 अप्रैल, 1980 में निर्धारित प्रारूप पर एक माह की अवधि में दे दी जायेगी जो उसको चेक करके आवश्यकतानुसार कोषाधिकारी तथा संबंधित पेंशनर को अवगत करा देंगे। इस प्रकार स्वीकृत की जाने वाली पारिवारिक पेंशन पूर्व में स्वीकृत की गयी पारिवारिक पेंशन में से समायोजित कर ली जायेगी।

18—उपर्युक्तानुसार कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/कोषाधिकारी द्वारा दी गयी स्वीकृति अनंतिम मानी जायेगी और उसके आधार पर अधिकतम अठारह माह तक भुगतान किया जायेगा। महालेखाकार से यह अपेक्षित होगा कि वह संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की गयी अनंतिम पेंशन की जाँच कर लें और पेंशन केस की प्राप्ति के दिनांक से अठारह माह के भीतर यथासंभव यह सुनिश्चित करके कि अनंतिम पेंशन की धनराशि ठीक है अथवा नहीं संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/कोषाधिकारी तथा पारिवारिक पेंशनर को सूचित कर दें। यदि महालेखाकार से अठारह माह के भीतर कोई सूचना प्राप्त न हो तो कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत किये गये आदेश अंतिम माने जायेंगे।

19—उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1986—87 के आय व्ययक के लेखा शीर्षक ''266—पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ'' के नाम डाला जायेगा।

20—यह आदेश महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
जे0 पी0 सिंह
सचिव।

—————

अनुलग्नक—1

पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हेतु आवेदन—पत्र का प्रारूप

सेवा में,

(कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष जहाँ से सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ या/उसकी मृत्यु हुई थी)

विषय :— ऐसे सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान करना जो दिनांक 1 अप्रैल, 1965 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा जिनकी मृत्यु हो गई थी अथवा जो अन्यथा नई पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1965 के अन्तर्गत न आते हों।

महोदय,

मैं शासनादेश संख्या सा—3—969/दस—923—85, दिनांक 8 अगस्त, 1986 के अनुसार पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति के लिये आवेदन—पत्र प्रस्तुत करता/करती हूँ।

2—अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :—

(1) आवेदक का नाम : ....

(क) विधवा/विधुर : ....

(ख) संरक्षक का नाम : ....

(संरक्षक की आवश्यकता केवल निम्न परिस्थितियों में ही होगी। यदि दिवंगत व्यक्ति की विधवा/विधुर जीवित न हो और परिवार में ऐसे पुत्र/पुत्री हो जिनकी आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 24 वर्ष से कम हो, या ऐसे पुत्र/पुत्री जीवित हों जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो अथवा शारीरिक रूप से विकलांग हो तथा अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हो।)

(2) आवेदक का पूरा पता : ....

....

3–उत्तरजीवी विधवा/विधुर और दिवंगत सरकारी सेवक/पेंशन भोगी की संतानों के नाम तथा आयु (दिनांक 1 मई, 1986 को यदि पुत्र की आयु 21 वर्ष तथा पुत्री की आयु 24 वर्ष बीत चुकी है तो वे पारिवारिक पेंशन के पात्र नहीं होंगे। परन्तु यदि संतान मानसिक रूप से विक्षिप्त अथवा शारीरिक रूप से विकलांग हैं और आजीविका कमाने में असमर्थ हैं, तो उन्हें लाभ मिलेगा।)

क्र0सं0	नाम	स्व0 सरकारी कर्मचारी के साथ संबंध	ईसवी सन् के अनुसार जन्मतिथि
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

4–दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशन भोगी का नाम : ....

5–सरकारी कर्मचारी/पेंशन भोगी की मृत्यु की तारीख : ....

6–कार्यालय/विभाग/अधिष्ठान जिसमें दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशन भोगी ने सबसे बाद में सेवा की हो और उसके द्वारा अवधारित पद : ....

7–दिवंगत सरकारी कर्मचारी के पेंशन प्रमाण–पत्र/पी0पी0ओ0 संख्या, यदि कोई हो : ....

8–लेखाधिकारी का पद नाम अर्थात् पेंशन प्रमाण–पत्र/पेंशन अदायगी आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी : ....

9–यदि आवेदक संरक्षक है तो उसकी जन्मतिथि और दिवंगत सरकारी कर्मचारी (पेंशन भोगी के साथ उसका संबंध) : ....

10–क्या आवेदक (संरक्षक के अलावा अन्य व्यक्ति) पारिवारिक पेंशन भोगी है यदि हाँ–तो मासिक पेंशन की धनराशि कितनी है : ....

11–आवेदन–पत्र के साथ निम्न पत्रादि भी संलग्न करें :–

(1) आवेदक के नमूने के दो हस्ताक्षर जो विधिवत् अनुप्रमाणित किये गये हों (दो अलग–अलग कागजों पर प्रस्तुत किये जायें)।

(2) आवेदक के पासपोर्ट साइज की फोटो की दो प्रतियाँ जो अनुप्रमाणित की गई हों।

(3) दो प्रतियाँ जिनमें से प्रत्येक पर आवेदक के बायें हाथ के अँगूठे और अँगुलियों के निशान हों जो विधिवत अनुप्रमाणित की गई हों।

(4) आवेदक की विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित विवरण पंजी जिसमें (क) कद और (ख) हाथ, चेहरे आदि पर वैयक्तिक चिन्ह यदि कोई हो दर्शाये जायें। कुछ पहचान चिन्ह निर्दिष्ट करें जो यदि सम्भव हो तो दो, एक से कम न हों।

(5) आयु का प्रमाण–पत्र–

बच्चों की जन्मतिथि के संबंध में हाईस्कूल परीक्षा पास करने का प्रमाण–पत्र (दो अनुप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न की जायें) उपलब्ध न हो तो यह प्रमाण–पत्र नगर प्राधिकरण या स्थानीय पंचायत या मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक का होना चाहिये (यदि बच्चा इस प्रकार के विद्यालय में पढ़ रहा हो)

(6) यदि आवेदक स्वर्गीय सरकारी सेवक की ऐसे संतान है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है या शारीरिक रूप से विकलांग है और आजीविका कमाने में असमर्थ है तो उसे मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध कराना होगा कि ''वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है या शारीरिक रूप से विकलांग है तथा अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है''।

12–आवेदक के हस्ताक्षर या बायें हाथ के अँगूठे का निशान : ....

13–निम्नलिखित द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित :

नाम	पूरा पता	हस्ताक्षर
(1)		
(2)		
साक्षी		
(1)		
(2)		

14–कोषागार का नाम :

(जिसके माध्यम से पारिवारिक पेंशन का भुगतान चाहते हैं)

15–संलग्न किये गये दस्तावेज/साक्ष्य की सूची :–

(1) सेवानिवृत्ति आदेश की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति

(2) सरकारी कर्मचारी की मृत्यु का प्रमाण–पत्र

(3) सरकारी कर्मचारी का पेंशन अदायगी आदेश

(4) पेंशन के लिये प्रपत्र/बच्चों की जन्मतिथि का प्रमाण–पत्र

(5) अन्य कोई दस्तावेज जो यह दर्शाते हों कि आवेदक वास्तविक दावेदार है

भवदीय,

दिनांक : (आवेदक के हस्ताक्षर)

नोट :–

1–आवेदक के बायें हाथ के अँगूठे के निशान उस स्थिति में दिये जायें जबकि प्रार्थी इतना पढ़ा लिखा/लिखी पढ़ी न हो कि अपने नाम के हस्ताक्षर कर सकें।

2–प्रतिहस्ताक्षरित, दो राजपत्रित सरकारी सेवकों द्वारा अथवा उस नगर, गाँव या परगने के जिसमें आवेदक निवास करता है, दो या दो से अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा, किया जाना चाहिए।

3–यदि कोई आवेदक अपनी पारिवारिक पेंशन उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य के कोषागार से लेना चाहते हैं तो उपरोक्त प्रस्तर–14 में स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख करते हुए अपना आवेदन–पत्र अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करें। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष इस प्रकार के आवेदन–पत्रों पर पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करके सीधे महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ भेज देंगे कि पी0पी0ओ0 को इंगित राज्य के महालेखाकार को संबंधित कोषागार के माध्यम से भुगतान करवाने हेतु अग्रसारित कर दें।

संलग्नकों की तालिका :–

1–आवेदक के नमूने को दो हस्ताक्षर जो राजपत्रित अधिकारी द्वार अनुप्रमाणित होंगे।

2–आवेदक के पासपोर्ट साइज के दो अनुप्रमाणित फोटो।

3–आवेदक के बायें हाथ के अँगूठे के और अँगुलियों के निशानों की दो अनुप्रमाणित प्रतियाँ (अलग–अलग कागज पर)।

4–आवेदक का (1) कद एवं (2) हाथ, चेहरे आदि पर वैयक्तिक चिन्ह, यदि कोई हो, दर्शाये जायें। दो पहचान चिन्ह भी दर्शायें। उपरोक्त विवरण राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित होने चाहिये।

5–आयु का प्रमाण–पत्र [जैसा कि आवेदन–पत्र के प्रस्तर–2 (5) में बताया गया है]।

6–यदि आवेदक स्वर्गीय सरकारी सेवक की ऐसी सन्तान है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त अथवा शारीरिक रूप से विकलांग है और अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है तो उक्त आशय का मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र होना चाहिये।

7–स्वर्गीय सरकारी सेवक का अनुप्रमाणित मृत्यु प्रमाण–पत्र।

8–पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति के समर्थन में कोई अन्य जानकारी सूचना यदि कोई हो।

————————

अनुलग्नक–2
पारिवारिक पेंशन इंडेक्स रजिस्टर

दिनांक	क्रमांक पी0पी0ओ0 संख्या	कार्यालय का नाम	आवेदक का नाम व स्थाई पता	पारिवारिक पेंशनर के पिता/ पत्नी का नाम	सेवानिवृत्ति/ मृत्यु की तिथि	पारिवारिक पेंशन की धनराशि एवं स्वीकृति का पत्र एवं संख्या एवं दिनांक	कोषाधिकारी/ महालेखाकर का पद नाम जिसे पारिवारिक पेंशन पत्र निर्गत किया गया	कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर	पारिवारिक पेंशन चेक राजिस्टर का क्रमांक एवं पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अनुलग्नक–3

पारिवारिक पेंशन चेक रजिस्टर

दिनांक	क्रमांक	कार्यालय का नाम तथा पता	पारिवारिक पेंशनर का नाम व स्थाई पता	परिवारिक पेंशनर के पिता/ पति/ पत्नी का नाम	सेवानिवृत्ति / मृत्यु की तिथि	पारिवारिक पेंशन का आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि	पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति का पत्र संख्या एवं दिनांक	पारिवारिक पेंशन की धनराशि का वास्तविक आगणन		
								अंतिम वेतन के अधार पर	पेंशन की धनराशि के आधार पर	वेतनमान के मध्य बिन्दु के अधार पर
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
								1	2	3

पारिवारिक पेंशन की धनराशि (स्तम्भ–9 के आधार पर)	कोषाधिकारी/ महालेखाकार का पद नाम जिसे पारिवारिक पेंशन का प्राधिकार–पत्र निर्गत किया गया	इन्डेक्स रजिस्टर का		हस्ताक्षर		विवरण
		पृष्ठ संख्या	क्रम संख्या	लिपिक/मुख्य लिपिक	कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष	
10	11	12	13	14	15	16

अनुलग्नक–4

प्रेषक,

.... (कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष)

....

....

सेवा में,

कोषाधिकारी / महालेखाकार   दिनांक :

....

विषय :– शासनादेश संख्या सा–3–969 / दस–923–85, दिनांक 8 अगस्त, 1986 के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने का आदेश।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे सूचित करना है कि इस कार्यालय द्वारा श्री / श्रीमती .... विधुर / विधवा स्व0 श्री .... (पेंशनर / स्वर्गीय सरकारी सेवक का नाम एवं कार्यालय का पता जहाँ से सेवानिवृत्त हुआ था) .... पी0पी0ओ0 संख्या .... (यदि कोई हो) को उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित प्रक्रिया एवं दरों के अनुसार रुपये (अंको में ....शब्दों में ....) प्रतिमाह की पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गई है। पारिवारिक पेंशन के आगणन एवं अन्य विवरण से संबंधित पारिवारिक पेंशन चेक रजिस्टर की एक प्रति आपके सूचनार्थ संलग्न की जा रही है। कृपया उपरोक्त व्यक्ति को पारिवारिक पेंशन का भुगतान करने का कष्ट करें। यदि भुगतान किसी अन्य कोषागार से अपेक्षित हो तो प्रथम भुगतान करने के उपरान्त सभी प्रपत्र संबंधित कोषागार को प्रेषित कर दिये जायें।

2–उपरोक्त पी0पी0ओ0 पर भुगतान करने के पूर्व उसे कोषागार के इंडेक्स रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाये और पी0पी0ओ0 को कोषागार की इंडेक्स रजिस्टर संख्या प्रदत्त कर दिया जाये। भविष्य के लिये यही संख्या पी0पी0ओ0 संख्या मानी जायेगी। पी0पी0ओ0 संख्या के साथ कोषागार का नाम भी स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया जाये जिससे भविष्य में यह जानकारी हो सके कि प्रथम भुगतान तथा इन्डेक्स रजिस्टर संख्या किस कोषागार से संबंधित है। यदि भुगतान प्रदेश के बाहर किसी कोषागार से अपेक्षित है तो महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा पी0पी0ओ0 संख्या इंगित की जायेगी।

भवदीय,

(   )

संख्या ——————————

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) ....(संबंधित पारिवारिक पेंशनर का नाम व पता)

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश को चेक रजिस्टर तथा पारिवारिक पेंशन हेतु दिये गये आवेदन पत्र की प्रति के साथ।

(3) ....(विभागाध्यक्ष का नाम व पता)

आज्ञा से,

(   )

संख्या सा–3–2693 / दस–89–3–82

प्रेषक,

श्री सोमदत्त त्यागी,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 15 नवम्बर, 1989

विषय :– पारिवारिक पेंशन की पात्रता के लिये पुत्र एवं पुत्री की निर्धारित आयु सीमा में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अर्न्तगत योजना से शासित सरकारी सेवकों की सेवारत दशा में अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु हो जाने पर देय पारिवारिक पेंशन की पात्रता हेतु शासनादेश संख्या सा–3–1382 / दस–3–82, दिनांक 6 सितम्बर, 1982 द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 1982 से निर्धारित पुत्र एवं पुत्री की आयु सीमाओं के अधिकतम क्रमशः 21 वर्ष तथा 24 वर्ष के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने यह आदेश दिये हैं कि नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हेतु पात्र पुत्र / पुत्री की अधिकतम आयु सीमा में निम्न प्रकार वृद्धि कर दी जाये :–

(1) पुत्र की निर्धारित आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष या जब से वह जीविकोपार्जन करने लगे, जो भी पहले हो तक, तथा

(2) पुत्री के मामले में 24 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष अथवा उसका विवाह अथवा जीविकोपार्जन करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक।

2–आयु सीमा में उपरोक्त संशोधन पारिवारिक पेंशन हेतु पात्र ऐसे पुत्र एवं पुत्री के संबंध में लागू होगा जिसकी आयु इस शासनादेश के जारी होने की तिथि तक क्रमशः 21 वर्ष एवं 24 वर्ष नहीं हुई थी। इन आदेशों का शासनादेश संख्या सा–3–1155 / दस–2–81, दिनांक 6 अगस्त, 1981 की व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3–नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के संबंधित प्राविधानों को उपरोक्तानुसार संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

सोमदत्त त्यागी

सचिव।

———

संख्या सा–3–1137 / दस–908–90

प्रेषक,

श्री भोला नाथ तिवारी,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 25 जून, 1991

विषय :– नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन सेवानिवृत्ति के बाद किये गये विवाह को पारिवारिक पेंशन हेतु मान्यता।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965, से सम्बन्धित शासनादेश संख्या जी–2–769 / दस–917–61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 के प्रस्तर–3(ख) के नीचे दी गई टिप्पणी–2 की व्यवस्था के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद किया गया विवाह इस योजना के प्रयोजनों के लिये मान्य नहीं समझा जायेगा। शासन के सम्मुख कतिपय ऐसे मामलें संदर्भित हुए हैं जिनमें सरकारी सेवकों ने सेवानिवृत्ति के उपरान्त विवाह किया है और वे इस प्रकार के पति / पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य कराये जाने पर बल दे रहे हैं। इसी तरह के एक मामले में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णयोपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त कुटुम्ब पेंशन योजना, 1964 की सुविधा का लाभ सेवानिवृत्ति के बाद के दम्पत्ति के लिये भी पेंशन भोगी की मृत्यु के ठीक बाद की तारीख से स्वीकृत किया गया है।

2–अतः सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश दिये हैं कि यदि इस राज्य के किसी सरकारी सेवक ने अपनी सेवानिवृत्ति के उपरान्त विवाह किया है तो पति / पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, को भी नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन अनुमन्य लाभ यथा पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी। इस सुविधा का लाभ पेंशन भोगी की मृत्यु के ठीक बाद की तारीख से देय होगा।

3–उपरोक्त सुविधा शासनादेश संख्या जी–2–769 / दस–917–61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 के प्रभावी होने की तिथि अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल, 1965 से अनुमन्य मानी जायेगी तथा उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

4–उपरोक्त प्रकार के मामलों के निस्तारण के संबंध में शेष प्रक्रिया एवं परिपत्र वही अपनाये जायेंगे जो पारिवारिक पेंशन के सामान्य मामलों में व्यवहृत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

भोला नाथ तिवारी

प्रमुख सचिव।

———

संख्या सा–3–296/दस–93–19–92

प्रेषक,

श्री सी0 एम0 वासुदेव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 12 मार्च, 1993

विषय :– नई पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन के लाभों का विस्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा–3–657/दस–900–78, दिनांक 10 मई, 1978 के साथ पठित शासनादेश संख्या सा–3–1819/दस–919–79, दिनांक 18 अगस्त, 1979 में यह व्यवस्था की गई थी कि सरकारी सेवकों को सेवारत/सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु पर देय पारिवारिक पेंशन की अधिकतम धनराशि रुपया 250/– होगी तथा यदि पति–पत्नी दोनों ही सरकारी सेवक हों और दोनों की मृत्यु हो गई हो तो मृतकों के लाभार्थी बच्चों को दो पारिवारिक पेशंन देय होगी किन्तु उनके योग की अधिकतम सीमा रुपया 500/– प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी।

2–दिनांक 1 जनवरी, 1986 से नये वेतनमान लागू किये जाने के फलस्वरूप पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि में पर्याप्त वृद्धि अपेक्षित हो गई थी और तदनुसार शासनादेश संख्या सा–3–1168/दस–935–87, दिनांक 22 जून, 1987 में जारी आदेशों के अनुसार दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पारिवारिक पेंशन की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की गई हैं :–

मूल वेतन प्रतिमाह	पारिवारिक पेंशन की मासिक दर
1,500 रुपये से अनधिक	मूल वेतन का 30 प्रतिशत
1,500 से अधिक परन्तु रु0 3,000 से अनधिक	मूल वेतन का 20 प्रतिशत जिसका न्यूनतम 450 रुपये प्रतिमाह होगा
3,000 रुपये से अधिक	मूल वेतन का 15 प्रतिशत जिसका न्यूनतम 600 रुपया तथा अधिकतम 1,250 रुपये होगा

3–उपरोक्त दरों के अनुसार दो पारिवारिक पेंशनें मिलने की दशा में निर्धारित 500 रुपये को अधिकतम सीमा में भी संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है। इस संबंध में समस्त परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1 जनवरी, 1986 से उन मामलों में जिनमें पति–पत्नी दोनों सरकारी सेवक रहे हों और दोनों की मृत्यु हो जाने के कारण उनके बच्चों को नियमानुसार दो पेंशनें देय हो तो दोनों पेंशनों की अधिकतम धनराशि निम्न प्रकार विनियोजित करने के आदेश प्रदान किए हैं :–

(1) यदि उक्त दोनों पेंशनें बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन दिये जाने की व्यवस्था के अन्तर्गत देय होंगी तो प्रथम 7 वर्ष या कम, जैसी स्थिति हो, के लिये अन्तिम आहरित वेतन के आधे अथवा सामान्य दर पर देय पारिवारिक पेंशन के 1½ गुने के बराबर जो भी कम हो के अनुसार आगणित प्रत्येक पारिवारिक पेंशन के योग की धनराशि का अधिकतम रुपया 2,500/– प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

(2) यदि एक पारिवारिक पेंशन उपरोक्तानुसार बढ़ी हुई दर पर तथा एक सामान्य दर पर देय होगी तो भी दोनों पेंशनों का योग अधिकतम रुपया 2,500/– प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा, तथा

(3) यदि दोनों पारिवारिक पेंशनें सामान्य दर पर देय होगी तो दोनों पेंशनों की धनराशि को योग रुपया 1,250/– प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

(4) अतएव आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त आदेशों के अनुसार पारिवारिक पेंशन/पेंशनों की देय धनराशि निर्धारित कराने का कष्ट करें। जिन मामलों में दिनांक 1 जनवरी, 1986 से स्वीकृत की जा चुकी पारिवारिक पेंशनों की धनराशि को उपरोक्त आदेशानुसार पुनरीक्षित करके पी0पी0ओ0 पर अंकित किया जाना अपेक्षित हो, उनमें संबंधित कोषाधिकारी द्वारा अगला भुगतान करते समय अथवा पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता द्वारा मात्र सादे कागज पर आवेदन किये जाने पर पारिवारिक पेंशन की धनराशि को दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पुनरीक्षित करके पी0पी0ओ0 पर अंकित कर दिया जायेगा तथा उसका भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

सी0 एम0 वासुदेव

प्रमुख सचिव, वित्त।

———

<u>संख्या सा–3–ए0जी0 5/दस–91–96</u>

प्रेषक,

नृपेन्द्र मिश्र,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 10 अक्टूबर, 1996

विषय :– नई पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन की शर्तों से एक वर्ष की निरन्तर सेवा संबंधी शर्त का हटाया जाना।

महोदय,

नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के शासनादेश संख्या जी–2–769/दस–917–61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 के प्रस्तर–3(क) की व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक पेंशन, सेवा में रहते हुये या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने पर उस दशा में अनुमन्य होगी जब सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु होने की दशा में सरकारी कर्मचारी मृत्यु के समय कोई प्रतिकर, अशक्तता, सेवानिवृत्ति या अधिवर्ष पेंशन पा रहा हो या पा रहा होता, और सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की दशा में यदि उसने कम से कम एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली होती।

2–शासनादेश संख्या सा–3–1358/918–79, दिनांक 21 सितम्बर, 1979 में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 24 अगस्त, 1966 की एक वर्ष की निरन्तर सेवा संबंधी प्राविधान को इस शर्त के अधीन समाप्त कर दिया गया कि कर्मचारी ने सेवा में योगदान करने से पूर्व सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया हो और वह सेवा योग्य घोषित किया गया हो। उक्त शासनादेश दिनांक 21 सितम्बर, 1979 से प्रभावी किए गए हैं।

3–राज्य सरकार के सम्मुख पारिवारिक पेंशन स्वीकृति हेतु कतिपय ऐसे प्रकरण संदर्भित हुए हैं जिनमें कर्मचारी की नियुक्ति दिनांक 21 सितम्बर, 1979 के पूर्व सक्षम चिकित्साधिकरी द्वारा फिट घोषित किए जाने के फलस्वरूप की गई है और उसकी मृत्यु एक वर्ष की अविरल सेवा प्रदान करने के पूर्व हो गई। ऐसे प्रकरणों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश दिए हैं कि जिन प्रकरणों में सरकारी सेवक की नियुक्ति दिनांक 21 सितम्बर, 1979 के पूर्व सक्षम चिकित्साधिकारी के फिटनेस प्रमाण–पत्र के आधार पर की गई है और उसकी मृत्यु एक वर्ष की अविरल सेवा प्रदान करने से पूर्व हो गई है, उसके परिवार को शासनादेश दिनांक 24 अगस्त, 1966 की अन्य अर्हतायें पूर्ण होने पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य करा दी जाए।

4–यह आदेश इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे अर्थात् यदि दिनांक 21 सितम्बर, 1979 के पूर्व की तिथि से संबंधित कोई प्रकरण स्वीकृति हेतु प्राप्त होता है तो उसमें इस आदेश की तिथि से ही पारिवारिक पेंशन अनुमन्य कराई जायेगी।

भवदीय,

नृपेन्द्र मिश्र

प्रमुख सचिव, वित्त।

———–

संख्या सा–3–1341/दस–2010–308–97 टी0सी0

प्रेषक,

अनूप मिश्र,

प्रमुख सचिव, वित्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 23 अगस्त, 2010

विषय :– पारिवारिक पेंशनरों को 80 वर्ष अथवा अधिक आयु प्राप्त कर लेने पर अनुमन्य अतिरिक्त पेंशन संबंधी व्यवस्था का सरलीकरण।

महोदय,

शासन के पत्र संख्या सा–3–1541/दस–2008–308–97 टी0सी0, दिनांक 7 जनवरी, 2009 के प्रस्तर–5 में यह प्रावधान है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के पारिवारिक पेंशनरों जिनकी जन्मतिथि के संबंध में उक्त शासनादेश में उल्लिखित मान्य अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख उपलब्ध न हो तो मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाण–पत्र मान्य होगा परन्तु आयु प्रमाण–पत्र विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जहाँ से पेंशनर सेवानिवृत्त हुआ था के माध्यम से कोषागार को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

2–वर्तमान में उक्त व्यवस्था के कारण पारिवारिक पेंशनरों को होने वाली कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिये गया है कि पारिवारिक पेंशनर सेवानिवृत्ति के जनपद से भिन्न जनपद से यदि पेंशन प्राप्त कर रहा/रही है तो पेंशन आहरण के जनपद के विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा शासनादेश दिनांक 7 जनवरी, 2009 के प्रस्तर–5 की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

3–कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त जनपदीय अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

4–उपरोक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

5–समस्त कोषाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पेंशनरों से उनकी पारिवारिक पेंशन के हकदार व्यक्ति (जैसा पी0पी0ओ0 में अंकित है) की जन्मतिथि की जानकारी अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर प्राप्त कर कोषागार के अभिलेखों एवं पेंशनर डाटा बेस में अंकित कर लें। इसी प्रकार पारिवारिक पेंशनर जिनकी आयु अभी 80 वर्ष की नहीं हुई है, से भी उनकी जन्मतिथि संबंधी मान्य अभिलेख/प्रमाण–पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये ताकि उन्हें अतिरिक्त पेंशन का लाभ समय से सुगमतापूर्वक मिल सके। कोषाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस संबंध में स्थानीय समाचार–पत्रों में समय–समय पर नोटिस के माध्यम से या स्थानीय पेंशनर संघों आदि के माध्यम से, यथेष्ट जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करें।

भवदीय,

अनूप मिश्र

प्रमुख सचिव।

———

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

———

संख्या सा–3–1648/दस–2010

लखनऊ, दिनांक 12 अक्टूबर, 2010

———

कार्यालय–ज्ञाप/शुद्धि पत्र

वेतन समिति, उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अभिनवीकरण/पुनरीक्षण विषयक कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1515/दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 एवं कार्यालय–ज्ञाप/शुद्धि पत्र संख्या सा–3–1358/दस–2010, दिनांक 19 जुलाई, 2010 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–4(I)(IV) के अन्तिम उप प्रस्तर को निम्नवत् संशोधित समझा जाये :–

वर्तमान व्यवस्था	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था
पारिवारिक पेंशन की धनराशि संबंधित सरकारी सेवक के दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित पे बैण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 30 प्रतिशत किन्तु किसी भी दशा में यह रु0 3,500/– प्रतिमाह से कम नहीं होगी।	पारिवारिक पेंशन की धनराशि संबंधित सरकारी सेवक के दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित पे बैण्ड में न्यूनतम वेतन तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 30 प्रतिशत किन्तु किसी भी दशा में यह रु0 3,500/– प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

2–दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व लागू वेतनमान तथा दिनांक 1 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सदृश वेतन बैण्ड, जैसा कि वित्त (वेतन–आयोग) अनुभाग–2 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या वे0आ0–2–13400/दस–59(एस)–2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 में दिये गये हैं, में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे एवं दिनांक 1 जनवरी, 2006 को न्यूनतम पारिवारिक पेंशन की धनराशि संलग्न तालिका में दिए गए हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

सेवा में,

1–समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

2–समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

अनूप मिश्र

प्रमुख सचिव, वित्त।

कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1648/दस–2010, दिनांक 12 अक्टूबर, 2010 का संलग्नक

क्रम संख्या	दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व लागू वेतनमान	दिनांक 1 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड पे		वेतन बैण्ड में न्यूनतम वेतन	ग्रेड पे	न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे का योग	दिनांक 1 जनवरी, 2006 को न्यूनतम पारिवारिक पेंशन
1	2	3		4	5	6	7
1	5000–150–8000	9300–34800	4200	9300	4200	13500	4050
2	5500–175–9000	9300–34800	4200	9300	4200	13500	4050
3	6500–200–10500	9300–34800	4200	9300	4200	13500	4050
4	7450–225–11500	9300–34800	4600	12540	4600	17140	5142
5	7500–250–12000	9300–34800	4800	13350	4800	18150	5445
6	8000–275–13500	9300–34800	5400	15600	5400	21000	6300
7	8000–275–13500	15600–39100	5400	15600	5400	21000	6300
8	8550–275–14600	15600–39100	5400	15600	5400	21000	6300
9	10000–325–15200	15600–39100	6600	18750	6600	25350	7605
10	10650–325–15850	15600–39100	6600	18750	6600	25350	7605
11	12000–375–16500	15600–39100	7600	21900	7600	29500	8850
12	14300–400–18300	37400–67000	8700	37400	8700	46100	13830
13	16400–450–20000	37400–67000	8900	40200	8900	49100	14730
14	18400–500–22400	37400–67000	10000	43000	10000	53000	15900
15	22400–525–24500	67000–79000		67000		67000	20100

टिप्पणी :–

(1) दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व के वेतनमान रु0 2550–3200, रु0 2610–3540, रु0 2750–4400, रु0 3050–4590, रु0 3200–4900, रु0 4000–6000, रु0 4500–7000 एवं रु0 4500–7250 का उल्लेख इस तालिका में नहीं किया गया है क्योंकि दिनांक 1 जनवरी, 2006 से इन वेतनमानों के पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे के योग का 30 प्रतिशत रु0 3500/– से

कम होने के कारण इन वेतनमानों के सापेक्ष दिनांक 1 जनवरी, 2006 से न्यूनतम पारिवारिक पेंशन रु0 3500/– प्रतिमाह होगी।

(2) वित्त (वेतन–आयोग) अनुभाग–2 के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के उपरान्त जहाँ किसी पुराने वेतनमान के सदृश बैण्ड अथवा ग्रेड वेतन में संशोधन किये गये हों, वहाँ ऐसे संशोधनों को संज्ञान में लेते हुए संशोधनों के प्रभावी होने की तिथि से न्यूनतम वेतन एवं ग्रेड वेतन की राशियों में संशोधन कर न्यूनतम पेंशन की राशि का आगणन किया जायेगा।

––––––

संख्या सा–3–1523/दस–2011–308–97 टी0सी0

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 14 नवम्बर, 2011

विषय :– पारिवारिक पेंशनरों को 80 वर्ष अथवा अधिक आयु प्राप्त कर लेने पर अनुमन्य अतिरिक्त पेंशन संबंधी व्यवस्था का सरलीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या सा–3–1541/दस–2008–308–97 टी0सी0, दिनांक 7 जनवरी, 2009 के प्रस्तर–5 में यह व्यवस्था की गयी है कि यदि अभिलेखों में पारिवारिक पेंशनर की जन्म–तिथि का उल्लेख न हो तथा केवल आयु का उल्लेख हो तो 80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर लेने पर अतिरिक्त पेंशन की अनुमन्यता हेतु उस वर्ष की पहली जुलाई जन्म–तिथि मानी जायेगी।

2–पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय–ज्ञाप संख्या 38/37/08–पी0 एण्ड पी0 डब्ल्यू (ए), दिनांक 21 मई, 2009 के प्रस्तर–5 में यह व्यवस्था की गयी है कि यदि अभिलेखों में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की जन्म–तिथि का उल्लेख न हो तथा केवल आयु का उल्लेख हो तो उसके आधार पर जिस वर्ष की पहली जनवरी को उसकी आयु 80 वर्ष, 85 वर्ष इत्यादि पूर्ण हो रही हो, उसे उस वर्ष की पहली जनवरी से अतिरिक्त पेंशन देय होगी।

3–उपरोक्त के क्रम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 7 जनवरी, 2009 के उपर्युक्त शासनादेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं कि ऐसे सभी मामलों में जिनमें पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की सही–सही जन्म–तिथि अभिलेखों में अंकित न हो तथा केवल आयु का उल्लेख हो तो, उनमें अतिरिक्त पेंशन उस वर्ष की पहली जनवरी से अनुमन्य होगी जिस वर्ष पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु 80 वर्ष, 85 वर्ष इत्यादि पूरी हो रही हो।

4–शासनादेश संख्या सा–3–1541/दस–2008–308–97 टी0सी0, दिनांक 7 जनवरी, 2009 सपठित शासनादेश संख्या सा–3–1341/दस–2010–97 टी0सी0, दिनांक 23 अगस्त, 2010 में यह व्यवस्था दी गयी है कि पारिवारिक पेंशनर की आयु सम्बन्धी प्रमाण–पत्र पेंशन आहरण के जनपद में स्थित विभागीय कार्यालय के माध्यम से कोषागार कार्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे। शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि उपर्युक्त व्यवस्था के अनुपालन में वयोवृद्ध पेंशनर को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः सम्यक् विचारोंपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पारिवारिक पेंशनर द्वारा आयु सम्बन्धी प्रमाण–पत्र जैसे शासनादेश दिनांक 7 जनवरी, 2009 में निर्दिष्ट किये गये हैं, सीधे कोषागार

कार्यालय में इस आशय के आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे कि उक्त प्रमाण–पत्र के आधार पर उन्हें अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत की जाय। उपर्युक्त आवेदन–पत्र एवं जन्म–तिथि/आयु प्रमाण–पत्र के आधार पर संबंधित कोषागार कार्यालय द्वारा अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत करते हुए उसकी सूचना जनपद स्थित विभागीय कार्यालय को भी दे दी जायेगी। आवेदन–पत्र तथा जन्म–तिथि/आयु संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि उस जनपद, जहाँ से पेंशन प्राप्त की जा रही हो, में स्थित विभागीय कार्यालय में भी पेंशनर द्वारा सूचनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन तत्परता से सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

वृन्दा सरूप

प्रमुख सचिव।

——————

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

——————

संख्या सा–3–1665/दस–2012–308–97

लखनऊ, दिनांक 3 दिसम्बर, 2012

——————

कार्यालय–ज्ञाप

विषय :– दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत राज्य सरकार के पेंशनरों/कर्मचारियों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की पात्रता के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या सा–3–1508/दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2006 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है :–

वर्ग–(I)

(क) विधवा/विधुर, आजन्म अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो,

(ख) पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि जो भी पहले हो, तक।

वर्ग–(II)

(ग) अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो उपरोक्त वर्ग–(I) से आच्छादित नहीं है, को विवाह/ पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो,

(घ) ऐसे माता–पिता जो सरकारी सेवक पर उसके जीवनकाल में पूर्णतः आश्रित रहे हों तथा मृत सरकारी सेवक ने अपने पीछे कोई विधवा/विधुर अथवा बच्चे नहीं छोड़े हैं।

आश्रित माता–पिता अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन जीवन पर्यन्त मिलेगी।

वर्ग–(II) से आच्छादित अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता / पिता को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में उपर्युक्त वर्ग–(I) में सम्मिलित पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तथा मृतक सरकारी सेवक के परिवार में ऐसी कोई संतान न हो, जो विकलांग हो। पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों को उनकी जन्मतिथि के क्रम में होगी अर्थात् पहले जन्म लिये बच्चे को अनुमन्यता पहले होगी और उसकी पात्रता समाप्त होने के उपरान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चे की पात्रता स्थापित होगी।

उपर्युक्त व्यवस्था दिनांक 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी किये जाने के कारण दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त / मृत सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित / तलाकशुदा / विधवा पुत्रियों को उपर्युक्त लाभ अनुमन्य नहीं हो पा रहा है।

2–शासन को इस आशय के प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त / मृत सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्रियों को भी उपर्युक्तानुसार पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमन्य की जाय।

3–केन्द्र सरकार में दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त / मृत पेंशनरों / कर्मचारियों की अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन 25 वर्ष की आयु के उपरान्त भी संगत शर्तों के साथ समान रूप से अनुमन्य है, चाहे उनका वैधव्य / तलाक 25 वर्ष की आयु के पूर्व हुआ हो अथवा उसके पश्चात्।

4–उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त / मृत पेंशनरों / सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्रियों को चाहे उनका वैधव्य / तलाक, उनकी 25 वर्ष की आयु के पूर्व अथवा पश्चात् घटित हुआ हो, दोनों ही दशाओं में, पारिवारिक पेंशन उपर्युक्त शासनादेश संख्या सा–3–1508 / दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–7(3), (4) एवं (5) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

5–ऐसे प्रकरण जिनमें अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन हेतु आश्रितों की सुची में सम्मिलित नहीं किया गया है, उन प्रकरणों में पेंशन प्रपत्र के भाग–2 में सम्बन्धित पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों द्वारा अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्रियों के नाम तथा जन्म तिथि (यथेष्ट प्रमाण–पत्र के साथ) अंकित कर सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष उपरोक्त नामांकन प्रपत्र (पेंशन प्रपत्र का भाग–2) को सत्यापित करते हुए सम्बन्धित पेंशन स्वीकर्ताधिकारी को प्रेषित करेंगे। पेंशन स्वीकर्ताधिकारी उक्त नामांकन प्रपत्र के आधार पर पारिवारिक पेंशनरों की पात्रता सूची में अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्रियों के नाम एवं जन्मतिथि अंकित किये जाने सम्बन्धी आदेश सम्बन्धित कोषाधिकारी एवं प्रतिलिपि सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष तथा पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर को प्रेषित करेंगे।

आनन्द मिश्र

प्रमुख सचिव, वित्त।

–––––

संख्या 1/सा–3–482/दस–2014–308–97

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 20 मई, 2014

विषय :– राज्य सरकार के पेंशनरों/मृत कर्मचारियों की अविवाहिता/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों का नाम पारिवारिक पेंशन हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना।

महोदय,

शासनादेश संख्या सा–3–1508/दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2006 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों/पेंशनरों की अविवाहिता/ तलाकशुदा/विधवा पुत्रियों को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन, 25 वर्ष की आयु के उपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य की गयी है। दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत राजकीय कर्मचारियों/पेंशनरों की अविवाहिता/तलाकशुदा/विधवा पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु के उपरान्त भी पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था शासनादेश संख्या सा–3–1665/दस–2012–308–97, दिनांक 3 दिसम्बर, 2012 द्वारा की गयी है।

2–दिनांक 3 दिसम्बर, 2012 के उपर्युक्त शासनादेश में यह व्यवस्था की गयी है कि ऐसे प्रकरण जिनमें अविवाहिता/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन हेतु आश्रितों की सूची में शामिल नहीं किया गया है, उन प्रकरणों में पेंशन प्रपत्र के भाग–2 में संबंधित पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा ऐसी पुत्रियों के नाम एवं अन्य विवरण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के माध्यम से पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को पारिवारिक पेंशन हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

3–उपर्युक्त प्रयोजन हेतु पेंशन प्रपत्र के भाग–2 का उपयोग किये जाने के बिन्दु पर शासन को इस आशय के प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि पेंशन प्रपत्र के भाग–2 के प्रयोग में कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयाँ आ रही हैं।

4–उपर्युक्त पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामले जिनमें पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर अभी जीवित हों तथा उनकी अविवाहिता/विधवा/तलाकशुदा पुत्री/पुत्रियों का/के नाम पात्रता सूची में सम्मिलित न हों, के नाम पात्रता सूची में अंकित किये जाने हेतु इस आदेश के साथ संलग्न रूप–पत्र–1 में यथेष्ट विवरण निर्दिष्ट अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों के साथ पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के माध्यम से पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

यदि पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो चुकी हो तथा अविवाहिता/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों का/के नाम पात्रता सूची में सम्मिलित न हों, तो ऐसी पुत्री/पुत्रियों द्वारा पारिवारिक पेंशन हेतु पात्रता सूची में अपना/अपने नाम सम्मिलित किये जाने हेतु आवेदन पेंशन प्रपत्र के भाग–2 पर, निर्दिष्ट अभिलेखों/ प्रमाण–पत्रों के साथ कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के माध्यम से पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को प्रेषित किया जयेगा। जिन प्रकरणों में, ग्रेच्युटी का भुगतान पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को हो चुका हो, उनमें पेंशन प्रपत्र के भाग–2 में अंकित शब्द समूह ''मृत्यु ग्रेच्युटी'' को काट दिया जायेगा।

5–कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित एवं अग्रसारित आवेदन निर्धारित रूप पत्र प्राप्त होने पर संबंधित पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा पारिवारिक पेंशन हेतु पात्रता सूची में अविवाहिता/विधवा/

तलाकशुदा पुत्रियों का नाम वरीयता क्रम में यथानियम यथास्थान अंकित कर लिया जायेगा तथा संगत शासनादेशों के अधीन उन्हें नियमानुसार पारिवारिक पेंशन का भुगतान किये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

6—दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व तथा उक्त तिथि को अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पेंशनरों की अविवाहिता/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों के प्रकरण इस आदेश से आच्छादित होंगे।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

———

रूप-पत्र—1

सेवा में,

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष का पदनाम तथा पता,

....

....

विषय :— अविवाहिता/विधवा/तलाकशुदा पुत्री/पुत्रियों के नाम पारिवारिक पेंशन हेतु पात्र सदस्यों की सूची में सम्मिलित किया जाना।

महोदय,

मुझे पी0पी0ओ0 संख्या .... द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गयी है जिसका आहरण मेरे द्वारा .... कोषागार से किया जा रहा है। संबंधित विवरण निम्नानुसार है :—

1—सरकारी कर्मचारी का नाम ....

2—कार्यालय जहाँ से सेवानिवृत्त हुए ....

3—सेवानिवृत्ति की तिथि ....

4—पी0पी0ओ0 संख्या ....

5—पेंशन प्ररम्भ होने की तिथि एवं राशि ....

6—पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि एवं राशि ....

7—पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का बैंक बचत खाता संख्या ....

2—पेंशन प्रपत्र में मेरी अविवाहिता/विधवा/तलाकशुदा पुत्री जो अपने भरण—पोषण के लिये पूर्णतया मुझ पर आश्रित है, का नाम पारिवारिक पेंशन हेतु पात्र सदस्यों में सम्मिलित नहीं है। अनुरोध है कि कृपया अधोलिखित विवरण के अनुसार मेरी अविवाहिता/विधवा/तलाकशुदा पुत्री/पुत्रियों के नाम वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 के शासनादेश संख्या सा—3—1508/दस—2008—308—97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 एवं संख्या सा—3—1665/दस—2008—308—97, दिनांक 3 दिसम्बर, 2012 के प्राविधानों के अनुसार पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र सदस्यों की सूची में सम्मिलित करने का कष्ट करें :—

क्र0 सं0	नाम	प्रास्थिति (अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा)	जन्मतिथि (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	वैधव्य / तलाक की तिथि (पति की मृत्यु / तलाक के सक्षम न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि संलग्न की जाय)	बचत बैंक खाता संख्या
1	2	3	4	5	6

***नोट** :– उपर्युक्त तालिका में वर्णित पुत्री / पुत्रियों की पासपोर्ट आकर की कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित फोटो तीन प्रतियों में तथा सत्यापित निदर्शन हस्ताक्षर इस आवेदन–पत्र के साथ, सादे कागज पर प्रस्तुत की जायें।

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया उपर्युक्त विवरण पूर्णतया सही है तथा उक्त विवरण में उल्लिखित पुत्री / पुत्रियों का विवाह / पुनर्विवाह नहीं हुआ है तथा वह / वे मुझ पर आश्रित हैं। यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत विवरण त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसके आधार पर पारिवारिक पेंशन का भुगतान कर दिया जाता है तो पारिवारिक पेंशन तत्काल बंद कर दी जाये तथा भुगतान की गयी धनराशि वसूल कर ली जाये।

दो साक्षियों के हस्ताक्षर (दिनांक सहित)

(पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर के हस्ताक्षर दिनांक सहित)

1–नाम ....

पता .... (हस्ताक्षर)

2–नाम ....

पता .... (हस्ताक्षर)

(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर दिनांक सहित)

संख्या 6—सा—3—227 / दस—2014—308—97

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2—समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

3—निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 लखनऊः दिनांक 1 जुलाई, 2014

विषय :— राज्य सरकार के सेवानिवृत्त / मृत कर्मचारियों / पेंशनरों की अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त / मृत कर्मचारियों / पेंशनरों की अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन दिये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 एवं 3 दिसम्बर, 2012 में यह व्यवस्था की गयी है कि सेवानिवृत्त / मृत सरकारी कर्मचारियों / पेंशनरों की अविवाहित / तलाकशुदा / विधवा पुत्रियों को कतिपय शर्तों के अधीन 25 वर्ष के उपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

2—कतिपय विभागों द्वारा इस बिन्दु पर मार्गदर्शन मांगा गया है कि ऐसी पुत्रियों, जो सरकारी सेवक / पेंशनर, उसकी पत्नी / पति की मृत्यु के उपरान्त तलाकशुदा / विधवा होती हैं, को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी अथवा नहीं ?

3—इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की संतानों को पारिवारिक पेंशन इसलिये अनुमन्य है कि उन्हें पेंशनर पर आश्रित माना जाता है। पारिवारिक पेंशन केवल उन्हीं संतानों को अनुमन्य है, जो सरकारी सेवक अथवा उसकी पत्नी / पति की मृत्यु की तिथि, जो बाद में हो, को अपने पिता / माता पर आश्रित हैं एवं उक्त तिथि को अर्हता की अन्य शर्तें पूर्ण करती हों। यदि उक्त तिथि को दो अथवा अधिक संतानें पारिवारिक पेंशन के लिए अर्ह हों, तो ऐसी प्रत्येक संतान को पारिवारिक पेंशन देय होगी जो पारिवारिक पेंशन हेतु उसकी बारी आने पर पारिवारिक पेंशन के लिए अर्हता की सारी शर्तें पूरी करती हों।

4—इसी प्रकार किसी विधवा / तलाकशुदा पुत्री को पारिवारिक पेंशन तभी अनुमन्य होगी जब वह सरकारी सेवक अथवा उसकी पत्नी / पति की मृत्यु की तिथि पर पारिवारिक पेंशन हेतु पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करती हों।

5—उपर्युक्तानुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी पुत्रियों जो सरकारी सेवक / पेंशनर अथवा उसकी पत्नी / पति की मृत्यु की तिथि जो बाद में हो, को तलाकशुदा / विधवा थीं, को पात्रता की अन्य शर्तें पूर्ण करने पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी परन्तु ऐसी पुत्रियों जो सरकारी सेवक / पेंशनर, उसकी पत्नी / पति की मृत्यु के उपरान्त तलाकशुदा / विधवा होती हैं, को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

भवदीय,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

संख्या 8—सा—3—533 / दस—2014—308—97 टी0सी0

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 लखनऊः दिनांक 4 अगस्त, 2014

विषय :— वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किऐ जाने के फलस्वरूप बढ़ी हुयी दरों पर पारिवारिक पेंशन का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय—ज्ञाप संख्या सा—3—1508 / दस—2008—308—97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 एवं कार्यालय—ज्ञाप / शुद्धि—पत्र संख्या सा—3—40 वी0आई0पी0 / दस—2009—308—97, दिनांक 11 जनवरी, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है, के परिवार को मृत्यु की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी, तथा इस हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी। यह व्यवस्था दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व दिवंगत होने वाले कर्मचारियों के मामले में भी लागू होगी बशर्ते दिनांक 1 जनवरी, 2006 को सामान्य दरों पर पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ न हो चुकी हो। पेंशनर की मृत्यु की दशा में बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन का लाभ दिवंगत पेंशनर की मृत्यु की तिथि से 7 वर्ष अथवा पेंशनर की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक अनुमन्य होगा।

2—ऐसे प्रकरण, जिनमें पूर्व व्यवस्था के अनुसार बढ़ी हुयी दरों पर पारिवारिक पेंशन बन्द कर सामान्य दरों पर पारिवारिक पेंशन दिनांक 1 जनवरी, 2006 से प्रारम्भ हो चुकी हो, इन आदेशों के तहत पुनरुद्घाटित नहीं किये जायेंगे।

3—उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय—ज्ञाप दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 एवं 11 जनवरी, 2010 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,
राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव, वित्त।

———

संख्या 14–सा–3–1036/दस–2014–308–97

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 29 नवम्बर, 2014

विषय :– राज्य सरकार की सिविल सेवा अथवा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निधियों में पुनर्योजित भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को सिविल सेवा तथा सैन्य सेवा के लिए पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता।

महोदय,

कृपया कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन), इलाहाबाद के परिपत्र संख्या–504, दिनांक 17 जनवरी, 2013 तथा उसके साथ संलग्न रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय–ज्ञाप संख्या 01(05)/2010 D (Pen/Policy), दिनांक 17 जनवरी, 2013 का संदर्भ ग्रहण करें।

2–रक्षा मंत्रालय के उपर्युक्त कार्यालय–ज्ञाप द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि ऐसे सैन्य पेंशनर जो सैन्य सेवा से डिस्चार्ज अथवा सेवानिवृत्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की सिविल सेवा में अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निधियों में पुनर्योजित होते हैं, तथा जिन्हें उनकी मृत्यु की तिथि तक सैन्य सेवा के लिए पेंशन प्राप्त हो रही थी, के परिवार को उनकी सिविल सेवा के लिए स्वीकृत पारिवारिक पेंशन (यदि कोई हो) के साथ–साथ दिनांक 24 सितम्बर, 2012 से सैन्य सेवा के लिए भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

3–इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने विभाग में तथा विभाग के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/स्थानीय निधि में पुनर्योजित सैन्य पेंशनरों को इस संबंध में अवगत करा दिया जाये ताकि वे संबंधित रिकार्ड आफिस से सम्पर्क कर रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन) के परिपत्र दिनांक 17 जनवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार इस संबंध में अग्रेतर कार्यवाही कर सकें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

––––––

कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन)

OFFICE OF THE PR. CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS (PENSIONS)

द्रौपदी घाट, इलाहाबाद–211014

DRAUPADIGHAT, ALLAHABAD-211014

MOST IMPORTANT CIRCULAR

Circular No. 504. Dated : 17th January, 2013.

To,

The OI/C
Ros/PAOs(ORs)
....
....

Subject :- Implementation of the Government decision on the recommendattions of Committee on the issue related to Defence Service Personnel and Ex-Servicemen-2012 Grant of dual (Two) family pension from military as well as civil employment.

Reference :- This office circular No. 284 dated 18.09.2001

****

Consequent upon issue of Govt. of India. Ministry of Defence letter No. 01(05)/2010-D(Pen-Poilcy) dated 17.01.2013 (copy enclosed), the families of an Armed Forces Pensioners who get second re-employment in Central Civil departments or State Govt./PSUs/Autonomous bodies/Local Funds of Central/State Governments after getting retired/discharged from military service and were in receipt of ordinary family Pension would be entitled to draw two family pension *i.e.*, the Family Pension (Ordinary) from Military side in addition to the Family pension of any authorized by the re-employer for re-employed civil service subject to fulfillment of other prescribed conditions as hiethertofore.

2. There may be case where ordinary family pension already sanctioned to Next of Kin (NOK) of ex-serviceman has been stopped for payment/held in abeyance for sanction of family pension for civil service of the ex-serviceman being more beneficial. Such cases may be reviewed and submitted for continuance/grant of ordinary family pension to Officer-in-Charge, Grants-4 Section of this Office for necessary action along with following documents :-

(a) Corr/Fresh LPC-Cum-Data-sheet duly supported with sheet roll.

(b) A certificate regarding grant/non-grant of Family pension from re-employer along with family details or details of grant of family pension for civil service with the following details :-

(i) Name and address of the Civil Office where the ex-servicemen served after discharge from Armed Forces.

(ii) Death Certificate of Ex Serviceman.

(iii) PPO No. notifying family pension for civil service and name and address of PPO issuing authority.

(iv) Pension Disbursing Agency in case of Bank, name of Bank, Branch Address and Account Number.

(c) An application from widow for grant of family pension from Army side.

(d) Last payment certificate by PDA, in respect of ordinary family pension for military service indicating date up to which Family Pension was paid to, if pension was sanctioned, name of family pensioner date of stoppage of family pension, PPO number notifying family pension must be clearly mentioned.

(e) Descriptive Roll of widow duly affixed with recent Photographs.

3. The provision of this circular shall be effective from 24th September, 2012.

4. This circular has been uploaded on this office wedsite www.pcdapension. nic.in for disseminating across the all concerned.

Please acknowledge receipt.

(ALOKPATNI)
ACDA (P)

No. Grants/Tech/0167/XII(504)

Dated : 17.01.2013

No. 01(05)/2010-D(Pen/Policy)

Government of India

Ministry of Defence,

Department of Ex-Servicemen Welfare.

New Delhi,

Dated : 17th January, 2013

To,

The chief of the Army Staff

The chief of the Naval Staff

The chief of the Air Staff

Subject :- Implement of the Government decision on the recomnedations of committee on the issues related to Defence Service Personnel and Ex-Servicemen, 2012 Grant of dual Family pension from Military as well as civil employment.

Sir,

The under signed is directed to refer to the provisions contained in Army Instructions 51/1980 read with provisions contained in this Ministry's letter No. 10(6)/92/D(Pen/Sers) dated 28.9.1992 and Regulation 78 of Pension Regulations for the Army Part-I (2008) according to which the NOK of Armed Forces Pensioners, who got re-employed in Civil Departments/PSUs/Autononous bodies/Local Funds of Central/State Governments after getting retired from military service with pension are authorized to draw Ordinary Family pension either from military side or from civil side in terms of provisions contained in this Ministry's above said letter dated 28.9.1992 and Rule 54(13-A) and Rule 54(13-B) of CCS (Pension) Rule 1972.

2. In order to consider various issues on pension of Armed Forces personnel and Ex-Servicemen, the Government had constituted a Committee of Secretaries headed by Cabinet Secretary. The Committee in its Report has recommended that NOK of a pensioner who gets second employment in the Government after discharge from military service would be entitled to draw two Family Pensions.

3. The above recommendation of the Committee has been accepted by the Government and the President is pleased to decide that the families of Armed Forces Pensioners who got re-employed in Civil Departments/PSUs/Autonomous bodies/Local Funds of Central/State Governments after getting retired from military service and were in receipt of military pension till death, shall be allowed to draw Family pension from military side in addition to the family pension, if any, authorized from the re-employed civil department subject to fulfillment of other prescribed conditions as hithertofore.

4. The provisions of this letter shall be applicable to the Armed Forces personnel who got discharged/retired/invalided out from service with effect from 24th September, 2012 or thereafter. Benefit of these provisions shall also be allowed in past cases however the financial benefit shall be granted from 24th September, 2012 only.

5. Pension Reguiations of the three Services shall be amended in due course.

6. This issues with the concurrence of Finance Division of this Ministry vide their ID No. PC1/ 10(12)/2012/FIN/PEN dated 10.01.2013.

Hindi version will follow.

Your faithfully

(Malathi Narayanan)

Under Secretary to the
Government of India.

Copy to :

As per standard distribution list.

संख्या 3/2016—सा—3—03/दस—2016—19/92टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 लखनऊः दिनांक 13 जनवरी, 2016

विषय :— नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन के लाभों का विस्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या सा—3—296/दस—93—19/92, दिनांक 12 मार्च, 1993 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में यह व्यवस्था की गयी थी कि यदि पति—पत्नी दोनों ही सरकारी सेवक हों और दोनों की मृत्यु हो जाती है तो मृतकों के लाभार्थी बच्चों को दो पारिवारिक पेंशन देय होगी किन्तु जहाँ दोनों पारिवारिक पेंशनें बढ़ी हुयी दर पर स्वीकृत की गयी हैं वहाँ उनके योग की अधिकतम सीमा रू0 2500/— प्रतिमाह, जहाँ एक पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुयी दर पर तथा दूसरी पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर अनुमन्य हो तो भी उनके योग की अधिकतम सीमा रू0 2500/— प्रतिमाह तथा जहाँ दोनों पारिवारिक पेंशनें सामान्य दर पर अनुमन्य हो, वहाँ उनके योग की अधिकतम सीमा रू0 1250/— प्रतिमाह होगी।

2— दिनाँक 01—01—2006 से पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0 3500/— प्रतिमाह अनुमन्य है। अतः दो पारिवारिक पेंशन मिलने की दशा में निर्धारित उपर्युक्त अधिकतम सीमा में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने दो पारिवारिक पेंशनों की अधिकतम धनराशि निम्न प्रकार संशोधित करने के आदेश प्रदान किये हैं :—

(1) यदि दोनों पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुयी दरों पर अनुमन्य की गयी हो, तो उनका योग रू0 15,000/— प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

(2) जहाँ एक पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुयी दर पर तथा दूसरी पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हो, वहाँ भी दोनों पारिवारिक पेंशन का योग रू0 15,000/— प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

(3) जहाँ दोनों पारिवारिक पेंशनें सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हो, वहाँ उनका योग रू0 9,000/— प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी।

3— उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इस व्यवस्था से ऐसे सभी लाभार्थी आच्छादित होंगे जिन्हें सम्प्रति दो पारिवारिक पेंशनें अनुमन्य हैं चाहे दिवंगत सरकारी सेवकों (पति एवं पत्नी) की मृत्यु कभी भी हुई हो।

4—ऐसे मामले जिनमें दो पारिवारिक पेंशनें पूर्व में स्वीकृत हुयी थी परन्तु इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि को एक पारिवारिक पेंशन अथवा दोनों पारिवारिक पेंशनें बन्द हो चुकी हैं, इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरूद्धघाटित नहीं किये जायेंगे। इन आदेशों के अन्तर्गत एरियर का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।

5— इन आदेशों के अन्तर्गत दो पारिवारिक पेंशनों का भुगतान सम्बन्धित कोषागारों द्वारा स्वतः किया जायेगा तथा इस हेतु अलग से पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता से आवेदन की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव, वित्त।

संख्या 7/2016–सा–3–180/दस–2016–308(06)/2000

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 17 मार्च, 2016

विषय :– सेवायोजित पारिवारिक पेंशन भोगियों को महँगाई राहत।

महोदय,

शासनादेश संख्या सा–3–628/दस–935/78, दिनांक 16–04–1981 के प्रसारित होने से पूर्व राज्य सरकार के ऐसे पारिवारिक पेंशनरों, जो किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के किसी विभाग/कार्यालय में अथवा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन किसी सार्वजनिक कंपनी/निगम/उपक्रम या स्वायत्तशासी प्रतिष्ठान या स्थानीय निकाय या राष्ट्रीयकृत बैंक में नियुक्त हों, को पारिवारिक पेंशन पर महँगाई राहत की देयता के संबंध में कोई प्रतिबन्ध नहीं था। उक्त शासनादेश दिनांक 16–04–1981 द्वारा यह आदेश दिये गये कि राज्य सरकार के ऐसे पारिवारिक पेंशनर जो ऊपर वर्णित कार्यालयों में सेवायोजित हैं, को पारिवारिक पेंशन पर महँगाई राहत अनुमन्य न होगी।

2–इस प्रकार राज्य सरकार के वर्तमान आदेशों के अधीन ऐसे पारिवारिक पेंशनरों, जो राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा में अथवा उनके नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में सेवायोजित हैं, को उनकी पारिवारिक पेंशन पर महँगाई राहत अनुमन्य नहीं है।

3–भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पेंशनर तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के आदेश संख्या–45/73/97–पी एण्ड पी डब्ल्यू(जी), दिनाँक 02–07–1999 के अनुसार केन्द्र सरकार के ऐसे पारिवारिक पेंशनर जो सेवायोजित हैं, को उनकी पारिवारिक पेंशन पर भी महँगाई राहत अनुमन्य होगी।

4–शासन को निरन्तर इस प्रकार के प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहें है कि राज्य सरकार के अधीन सेवायोजित पारिवारिक पेंशनरों की वेतन पर महँगाई भत्ते के साथ–साथ पारिवारिक पेंशन पर महँगाई राहत का भी भुगतान अनुमन्य किया जाये।

5–प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्या सा–3–628/दस–935/78, दिनांक 16–04–1981 को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार के ऐसे पारिवारिक पेंशनर जो राज्य सरकार की सेवा में अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/सहकारी संस्थाओं आदि में सेवायोजित हैं तथा इस कारण उनकी पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा हैं, को तात्कालिक प्रभाव से वेतन पर महंगाई भत्ते के भुगतान के साथ–साथ पारिवारिक पेंशन पर महँगाई राहत का भी भुगतान अनुमन्य होगा किन्तु इसके अधीन किसी प्रकार के एरियर का भुगतान देय नहीं होगा।

6–इस शासनादेश के क्रम में, सेवायोजित पारिवारिक पेंशनर द्वारा पारिवारिक पेंशन पर राहत का भुगतान प्रारंभ किये जाने हेतु अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से संबंधित कोषागार को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उपर्युक्त आवेदन के आधार पर कोषागार द्वारा इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से पारिवारिक पेंशन पर प्रचलित दर से महँगाई राहत का भुगतान प्रारंभ किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

अध्याय–7

विकलांग सन्तान को पारिवारिक पेंशन सम्बन्धी शासनादेश

संख्याः सा–3–1155/दस–2/81

प्रेषक,

श्री राजकुमार दर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 6 अगस्त, 1981

विषय :– नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन पारिवारिक पेंशन की पात्रता विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त संतानों को पारिवारिक पेंशन का विस्तरण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या जी–2–769/दस–917–61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 द्वारा लागू की गई और उसके बाद यथा संशोधित नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार में, एक समय में, निर्धारित क्रम में एक ही व्यक्ति को दी जा सकती है। यह निम्नलिखित क्रम में अनुमन्य होती है अर्थात् पहले विधवा/विधुर को, उसके बाद ज्येष्ठतम उत्तरजीवी अवयस्क पुत्र को और तत्पश्चात् ज्येष्ठतम् उत्तरजीवी अविवाहित अवयस्क पुत्री को। विधवा/विधुर की दशा में पेंशन मृत्यु या पुर्नविवाह, जो भी पहले हो, के दिनांक तक दी जाती है, अवयस्क पुत्र की दशा में जब तक कि उसकी आयु 18 वर्ष की न हो जाये तथा अविवाहित पुत्री की दशा में 21 वर्ष की आयु या विवाह, जो भी पहले हो, तक पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होती है।

2–यदा कदा यह देखने में आया है कि मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों में ऐसे भी पुत्र अथवा पुत्री होते हैं जो शारीरिक रूप से अपंग अथवा विकलांग या मानसिक रूप से अक्षम अथवा विक्षिप्त होते हैं जिसके कारण वे उक्त 18 या 21 वर्ष, जो लागू हो, की आयु के बाद भी अपना जीविकोपार्जन करने के लिए असमर्थ होते हैं। ऐसी संतानों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण एवं उदार दृष्किोण अपनाते हुए और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने उक्त पारिवारिक पेंशन योजना में आंशिक संशोधन करते हुए सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि यदि मृत सरकारी सेवक के परिवार में उसका कोई पुत्र अथवा पुत्री शारीरिक रूप से अपंग अथवा विकलांग हो या मानसिक रूप से अक्षम अथवा विक्षिप्त हो, जिसके कारण वह अपना जीविकोपार्जन करने में असमर्थ हो, तो उस पत्रु/पुत्री को उसके वयस्क हो जाने, अर्थात पुत्र की दशा में 18 वर्ष और पुत्री की दशा में 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद भी, शासनादेश जी–2–769/दस–917–61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 में निर्धारित शर्तों की पूर्ति होने पर आजीवन पारिवारिक पेंशन निम्नलिखित शर्तों के अधीन देय होगी–

(1) पारिवारिक पेंशन के प्रयोजन के लिये संतान की केवल वह शरीरिक अथवा मानसिक अशक्तता विचार में ली जायेगी जो सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति अथवा सेवाकाल में उसकी मृत्यु से पहले प्रकट हुई थी।

(2) इन आदेशों के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन तभी देय होगी जब उसके लिये विधवा/विधुर न हो और उसकी पात्रता बच्चों की बनती हो।

(3) यदि मृत सरकारी सेवक के परिवार में एक से अधिक संतानें हैं तथा उनमें से एक मानसिक रूप से विक्षिप्त/अक्षम अथवा अपंग/विकलांग पुत्र/पुत्री है तो ऐसी दशा में पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ में

योजना के अन्तर्गत शासकीय आदेश दिनांक 24 अगस्त, 1966 में निर्धारित क्रम में अवयस्क बच्चों को तब तक देय होगी जब तक अन्तिम अवयस्क बच्चा, पुत्र होने की दशा में 18 वर्ष तथा पुत्री होने की दशा में 21 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले। उसके उपरान्त उक्त पारिवारिक पेंशन मानसिक रूप से विक्षिप्त/अक्षम या शारीरिक रूप से विकलांग अथवा अपंग पुत्र अथवा पुत्री को पुनः देय (resume) हो जायेगी यह पेंशन आजीवन दी जायेगी।

(4) यदि मृत सरकारी सेवक के एक से अधिक ऐसे मानसिक रूप से अक्षम/विक्षिप्त अथवा विकलांग/अपंग पुत्र/पुत्री हैं तो पारिवारिक पेंशन की देयता निम्न क्रम में होगी :–

(क) पहले पुत्र को, और यदि एक से अधिक ऐसे पुत्र हैं, तो आयु में ज्येष्ठ पुत्र को और उसके न रहने पर कनिष्ठ को मिलेगी।

(ख) ऐसा पुत्र न हो तब पुत्री को, और यदि मृत सरकारी सेवक के ऐसी एक से अधिक पुत्रियां हैं, तो आयु में ज्येष्ठ पुत्री को आजीवन मिलेगी तथा उसके जीवनकाल के बाद कनिष्ठ पुत्री को देय होगी।

(5) मानसिक रूप से अक्षम/विक्षिप्त अथवा विकलांग/अपंग पुत्र अथवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन उसी प्रकार संरक्षक के माध्यम से दी जायेगी जैसे कि वह पुत्र/पुत्री/अवयस्क हो।

(6) पारिवारिक पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी मृत सरकारी सेवक के ऐसे पुत्र अथवा पुत्री को आजीवन पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने से पूर्व इसकी सन्तुष्टि करेगा कि जिसे पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जा रही है उसकी मानसिक अक्षमता/विक्षिप्तता अथवा शारीरिक रूप से विकलांगता/अपंगता ऐसी है जिसके कारण वह अपना जीविकोपार्जन करने में असमर्थ है। इसकी पुष्टि में वह कम से कम मुख्य चिकित्साधिकारी या उसके समकक्ष चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा, जिसमें, जहां तक संभव हो, बच्चे की वास्तविक मानसिक अथवा शारीरिक स्थिति का उल्लेख किया गया हो।

(7) मानसिक रूप से विक्षिप्त/विकलांग अथवा अपंग पुत्र/पुत्री की ओर से पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले संरक्षक को प्रत्येक तीन वर्ष पर कम से कम मुख्य चिकित्साधिकारी या उसके समकक्ष चिकित्सा अधिकारी से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा कि जिसके लिये पारिवारिक पेंशन प्राप्त की जा रही है, वह निरन्तर मानसिक रूप से अक्षमता/विक्षिप्तता अथवा शारीरिक विकलांगता/अपंगता से ग्रसित है।

(8) ऐसे पुत्र अथवा पुत्री को प्राप्त होने वाली पारिवारिक पेंशन का भुगतान बन्द कर दिया जायेगा यदि वह जीविकोपार्जन प्रारम्भ कर देता/देती है। पुत्री की दशा में उसका विवाह हो जाने पर भी पारिवारिक पेंशन उसके विवाह की तिथि से बन्द कर दी जायेगी।

(9) उपर्युक्त प्रकार की पेंशन प्राप्त करने वाले संरक्षकों का यह दायित्व होगा कि वे प्रत्येक माह कोषाधिकारी अथवा बैंक, जैसी भी स्थिति हो, को यह प्रमाण-पत्र दें कि ऐसे पुत्र अथवा पुत्री ने अभी जीविकोपार्जन प्रारम्भ नहीं किया है तथा पुत्री की दशा में यह प्रमाण-पत्र भी देना होगा कि उसका विवाह अभी नही हुआ है।

3–यह आदेश इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

राज कुमार दर

सचिव।

संख्या सा–3–1513/दस–97–2/81 टी0सी0

प्रेषक,

आलोक रंजन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य अनुभाग–3) लखनऊ : दिनांक : 12 नवम्बर, 1997

विषय :– नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन पारिवारिक पेंशन की पात्रता विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त संतानों को पारिवारिक पेंशन का विस्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 1155/दस–2–81, दिनांक 6 अगस्त, 1981 में यह व्यवस्था की गयी है कि किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार में कोई पुत्र/पुत्री मानसिक रूप से विक्षिप्त/शरीर से विकलांग है और मुख्य चिकित्साधिकारी या उसके समकक्ष चिकित्साधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है कि वह अपनी जीविकोपार्जन करने में असमर्थ है तो माता पिता की मृत्यु के उपरान्त ऐसे विकलांग/मानसिक रूप से विक्षिप्त सन्तान को आजीवन अथवा जीविकोपार्जन करने की तिथि जो भी पहले हो, तक पारिवारिक पेंशन मिलेगी। शासनादेश दिनांक 6 अगस्त, 1981 के प्रस्तर–2 (1) में यह प्रतिबन्ध है कि ऐसी विकलांगता/मानसिक विक्षिप्तता कर्मचारी की सेवाकाल में परिलक्षित हो गई हो। इस शासनादेश की शर्त संख्या 2(5) में वह व्यवस्था है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त अथवा विकलांग पुत्र अथवा पुत्री को आजीवन पारिवारिक पेंशन उसी प्रकार संरक्षक के माध्यम से दी जायेगी जैसे वह पुत्र/पुत्री अवयस्क हो। उपरोक्त प्रस्तर–2 (1) एवं 2 (5) की व्यवस्था के रहते पारिवारिक पेंशनरों को कठिनाई हो रही है तथा यह भी अनुभव किया गया कि ऐसी सन्तानें लाभ से वंचित हो रही हैं जिसकी विकलांगता/मानसिक विक्षिप्तता कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के उपरान्त परिलक्षित हुई है।

2–अतः सरकारी सेवकों एवं उनके परिवार की कठिनाइयों पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने शासनादेश दिनांक 6 अगस्त, 1981 के प्रस्तर–2 (1) तथा 2 (5) में निहित व्यवस्था को निम्नवत् संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी हैः–

(क) पुत्र/पुत्री की विकलांगता/मानसिक विक्षिप्तता यदि कर्मचारी की सेवाकाल के उपरान्त भी परिलक्षित हुई है तो उसे पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी, बशर्ते उसे किसी अन्य नियमों के अधीन पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रही है।

(ख) शारीरिक रूप से विकलांग वयस्क, यदि स्वयं पेंशन प्राप्त कर सकने में सक्षम है, तो पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु संरक्षक नियुक्त किए जाने की आवश्यकता नहीं ।

3–उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 6–8–1981 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
आलोक रंजन
सचिव।

संख्या 33/2016–सा–3–784/दस–2016/308/97

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 27 अक्टूबर, 2016

विषय :– सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों की विकलांग संतान को पारिवारिक पेंशन।

महोदय,

शासनादेश संख्या 1155/दस–2–81, दिनांक 6 अगस्त, 1981 सपठित शासनादेश संख्या सा–3–97–1513/दस–2–81, टी0सी0 दिनांक 12 नवम्बर, 1997 द्वारा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों के मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम अविवाहित पुत्र/पुत्री को आजीवन पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विकलांग पुत्री के विवाहोपरान्त उसकी पारिवारिक पेंशन बन्द कर दी जायेगी।

2–पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/33/2012–पी0एण्डपी0डब्लू(ई0) दिनांक 16 जनवरी, 2013 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि विकलांग संतान को विवाहोपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

3–इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों की मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम संतान, जो जीविकोपार्जन में समर्थ नहीं है, को विवाह के उपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

4–यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी तथा इसे वह प्रकरण भी आच्छादित होंगे जिनमें मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम संतानों को विवाहोपरान्त पारिवारिक पेंशन बन्द की जा चुकी है परन्तुं इन आदेशों के तहत पारिवारिक पेंशन का भुगतान तत्काल प्रभाव से अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या 1155/दस–2–81, दिनांक 6 अगस्त, 1981 सपठित शासनादेश संख्या सा–3–1513/दस–97–2–81 (टी0सी0) दिनांक 12 नवम्बर, 1997 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। उपर्युक्त शासनादेशों की शेष व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव।

अध्याय–8

लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को पेंशनरी देयों के भुगतान सम्बन्धी शासनादेश

संख्या सा–3–जी0आई0 88/दस–909/87

प्रेषक,

श्री सोम दत्त त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 20 मार्च, 1987

विषय :– लापता सरकारी सेवकों को मृत मानते हुए उनके परिवारों को उनके सेवा नैवृत्तिक लाभों तथा अन्य अवशेषों का भुगतान।

महोदय,

यदाकदा शासन के समक्ष ऐसे मामले आते हैं जिनमें सरकारी सेवक अपने सेवाकाल में ही अचानक गुम हो जाते हैं और जिनका कोई पता ठिकाना मालूम नहीं होता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 पर आधारित सिद्धान्त के अनुसार जब तक किसी कर्मचारी के गुम हो जाने की तिथि से सात साल की अवधि व्यतीत नहीं होती तब तक उसे मृत नहीं समझा जा सकता और उसके परिवार को सेवा नैवृत्तिक प्रसुविधाओं का भुगतान नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि संबंधित सरकारी सेवक के परिवार को कठिन आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल महोदय ने इस बिन्दु पर सम्यक् विचारोपरान्त यह आदेश देने की कृपा की है कि (1) जब कोई कर्मचारी, परिवार को छोड़कर गुम हो जाता है तो उसके द्वारा किये गये नामितीकरण के आधार पर शुरू में उसके परिवार को उसे देय अवशेष वेतन, देय अवकाश का नकदीकरण तथा भविष्य निधि में उपलब्ध धनराशि का भुगतान किया जा सकता है।(2) एक साल की अवधि व्यतीत होने पर उसके परिवार की अन्य प्रसुविधायें जैसे पारिवारिक पेंशन/सेवा एवं मृत्यु आनुतोषिक का भुगतान भी आगामी प्रस्तरों में निर्धारित शर्तों के पूरा करने पर किया जा सकता है।

2–उपरोक्त प्रसुविधायें केवल निम्न औपचारिकताओं के पूर्ण करने पर ही अनुमन्य की जा सकती हैं :–

(1) संबंधित सरकारी सेवक के परिवार ने संबंधित पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी हो और पुलिस द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र दे दिया गया हो कि पुलिस द्वारा सभी प्रयास किये जाने के बाद संबंधित कर्मचारी को नहीं ढूंढा जा सका।

(2) संबंधित कर्मचारी के नामिती/आश्रितों द्वारा इस आशय का क्षतिपूर्ति बंध पत्र (इन्डेमिनिटी बांड) दे दिया गया हो कि यदि गुमशुदा कर्मचारी उपस्थित हो जायेगा और दावा करेगा तो कर्मचारी के देय भुगतनों में से उसके परिवार को दिये गये भुगतानों का समायोजन कर लिया जायेगा।

(3) संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालध्यक्ष संबंधित सरकारी सेवक के विरूद्ध निकल रहे शासकीय देयों का आगणन कर लेंगे और परिवार के देय अवशेष अथवा सेवानैवृत्तिक लाभों में से नियमानुसार उसकी वसूली करेंगे।

(4) पारिवारिक पेंशन एवं सेवा एवं मृत्यु आनुतोषिक की स्वीकृति के संबंध में वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जैसी उक्त प्रकार के सामान्य मामलों में अपनायी जाती है। अन्य अवशेषों के भुगतान के संबंध में सामान्य प्रक्रिया ही अपनायी जायेगी।

भवदीय,
सोम दत्त त्यागी
विशेष सचिव।

संख्या सा–3–ए0जी0–13/दस–1997

प्रेषक,

शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी)–II
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 8 अगस्त, 1997

विषय :– लापता सरकारी सेवकों के परिवार को सेवानैवृत्तिक लाभों तथा अन्य अवशेषों का भुगतान विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने अर्द्धशा0पत्र सं0–पेंशन/विविध/पारिवारिक पेंशन–123, दिनांक 12 मार्च, 1997 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लापता सरकारी सेवकों के परिवार को सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतान के संबंध में शासनादेश सं0 सा–3–जी0आई0–98/दस–909/87, दिनांक 20 मार्च, 1987 में जारी की गयी व्यवस्था के संबंध में की गई जिज्ञासा के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मामले का निस्तारण निम्न प्रकार किया जाना अपेक्षित होगाः–

जिज्ञासा	समाधान
1–उक्त शासनादेश के अनुसार गुमशुदा कर्मचारियों के गुम होने के एक वर्ष बाद से पारिवारिक पेंशन का लाभ दिये जाने का प्राविधान है। कृपया यह स्पष्ट करें कि एक वर्ष की अवधि की गणना किस तिथि से की जायेगी?	1–कर्मचारी के लापता होने की तिथि से एक वर्ष का गणना की जायेगी।
2–क्या शासनादेश दिनांक 20 मार्च, 87 का लाभ गुमशुदा पेंशनरों के मामलों में ग्राह्य होगा?	2–यह आदेश गुमशुदा कर्मचारियों के मामले में ही लागू होने के साथ गुमशुदा पेंशनरों के मामलों में भी लागू होगा। दोनों ही प्रकार के मामलों में लाभार्थी से एक अन्डरटेकिंग ले ली जायेगी कि यदि कर्मचारी/पेंशनर प्रकट होता है तो भुगतान की गई समस्त धनराशि उसके साथ वेतन एवं भत्तों अथवा पेंशन से समायोजन द्वारा वसूल कर ली जाएगी।
3(I)–कृपया यह स्पष्ट करें कि क्या उक्त आदेशों के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन देय होने की तिथि से ही बढ़ी हुई दर से देय होगी या सर्व प्रथम सामान्य दर से भुगतान की जायेगी तथा गुमशुदा हुए सात वर्ष बीत जाय तभी बढ़ी हुई दर से प्राधिकृत की जायेगी?	3(I)–शासनादेश दिनांक 20 मार्च, 87 के पैरा 4 की व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि गुम होने की तिथि से ही बढ़ी हुई दर पर पेंशन स्वीकृत की जायेगी। यही प्रक्रिया पेंशनरों के मामलों में यथास्थिति अपनाई जाएगी। सात वर्ष तक प्रतीक्षा नहीं की जायेगी।

3(II)–उपर्युक्त स्पष्टीकरण के साथ यह भी स्पष्ट करें कि सात वर्ष बीत जाने पर सामान्य तौर पर मृत्यु मानकर बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन के अन्तर का भुगतान प्राधिकृत कर दिया जायेगा या मृत्यु के लिए न्यायालय का आदेश अपेक्षित होगा?	3(II)–प्रस्तर (I) में स्पष्ट की गई स्थिति के उपरान्त इस बिन्दु को स्पष्ट करने का औचित्य नहीं है।
4(I)–शासनादेश दिनांक 20 मार्च, 87 जारी होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा। अतः यह स्पष्ट करें कि 20 मार्च, 87 के पूर्व के मामलों का निस्तारण किस प्रकार किया जायेगा। अतः समझा जाता है कि यदि 20 मार्च, 87 के पूर्व ही गुमशुदा होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि बीत गयी हो तथा परिवार ने पुलिस में एफ0आई0आर0 दायर कर दिया हो तथा एफ0आई0आर0 की तिथि भी 20 मार्च, 87 से एक वर्ष पूर्व की हो तथा पुलिस से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त की गयी हो कि कर्मचारी की तलाश नहीं हो पायी तो ऐसे मामलों में पारिवारिक पेंशन दिनांक 20 मार्च, 87 से स्वीकृत कर दी जायेगी ?	4(I)–शासनादेश दिनांक 20 मार्च, 87 से प्रभावी किया गया है। अतएव इस तिथि के पूर्व के मामलों में उक्त सुविधा का लाभ दिनांक 20 मार्च, 87 से ही देय होगा।
4(II)–यदि 20 मार्च 87 के पूर्व ही गुमशुदा हुए सात वर्ष बीत गये हों तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारी/पेंशनर की मृत्यु मानकर पारिवारिक पेंशन का निस्तारण किया जायेगा?	4(II)–यदि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत उसे मृत घोषित किया जा चुका है तो उसे पेंशन की सुविधा अनुमन्य होगी।
4(III)–4(II) के मामलों में, समझा जाता है कि पारिवारिक पेंशन का भुगतान दिनांक 20 मार्च, 87 से अथवा यदि 20 मार्च, 87 के पूर्व ही सात वर्ष बीतने की तिथि से ही अनुमन्य होगा। इसकी पुष्टि करें।	4(III)–4(II) यदि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अन्तर्गत किसी कर्मचारी को दिनांक 20 मार्च, 87 से पूर्व ही मृत घोषित किया जा चुका है तो पारिवारिक पेंशन का भुगतान मृत घोषित किये जाने की तिथि से ही नियमानुसार अनुमन्य होगा।
5. ये प्रावधान केवल सामान्य परिस्थितियों में लापता हुए कर्मचारियों के मामलों में हांगे यदि कर्मचारी कोई धोखाधड़ी गबन इत्यादि करके लापता हुआ हो तो ऐसे मामलों में भी यह लाभ अनुमन्य होगा जब कर्मचारी न्यायालय से दोषमुक्त हो जाय या अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त होने पर उसे दोषमुक्त माना गया हो।	5. उक्त शासनादेश सामान्य परिस्थितियों में ही लागू होगा।
6. ऐसे प्रकरणों में पारिवारिक पेंशन के भुगतान की प्रशासनिक स्वीकृति विभागाध्यक्ष द्वारा अथवा यदि नियुक्ति प्राधिकारी शासन हो तो शासन के प्रशासनिक विभाग द्वारा दी जायेगी या वही प्रक्रिया अपनायी जायगी जैसा सामान्य पारिवारिक पेंशन प्रकरणों में।	6. इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था शासनादेश दिनांक 20 मार्च, 1987 के पैरा–4 में दी गयी है।

7–कृपया मृत्यु ग्रेच्युटी के बारे में भी स्पष्टीकरण आदेश जारी करें। यह समझा जाता है कि यदि कर्मचारी दिनांक 1 जनवरी, 86 के बाद लापता हो जाय तथा नियमानुसार जब आवश्यक औपचारिकतायें पूरी होने पर पारिवारिक पेंशन देय हो जाय तो पहले सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी देय होगी तथा जब सात वर्ष बीत जायें यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत मृत्यु का एक्सप्रेस प्रिजम्शन हो जाय तभी नियमानुसार मृत्यु ग्रेच्युटी एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के अन्तर की धनराशि देय होगी ?	7–इस संबंध में अनुरोध है कि शासनादेश दिनांक 20 मार्च, 87 की सुविधा शासनादेश जारी होने के दिनांक से प्रभावी है अतएव दिनांक 1 जनवरी, 86 के बाद लापता मामलों में उक्त सुविधा अनुमन्य न होगी। ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में आवश्यक व्यवस्था शासनादेश के पैरा (1)(2) में स्पष्ट की गयी है। कृपया उसके अनुसार ही कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

भवदीय,

शिव प्रकाश

संयुक्त सचिव।

———

संख्या–09/2017/सा–3–120/दस–2017–909/1987

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष, प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3–निदेशक, पेंशन निदेशालय, 8वाँ तल इन्दिरा भवन, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 13 अप्रैल, 2017

विषय :– लापता सरकारी सेवकों /पेंशनरों के परिवार के अर्ह सदस्य को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–सा–3–जी0आई0–88/दस–909/87, दिनांक 20 मार्च, 1987 में यह व्यवस्था है कि यदि कोई सरकारी सेवक अपने सेवाकाल में अचानक गुम हो जाता है तो एक साल की अवधि व्यतीत होने पर उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन/सेवा एवं मृत्यु आनुतोषिक का भुगतान शासनादेश में वर्णित निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर किया जा सकता है।

2–भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी वेलफेयर विभाग के आदेश संख्या–एफ0–1/17/2011–पी0 एण्ड पी0 डब्ल्यू(ई), दिनांक 24 जून, 2013 द्वारा यह वयवस्था की गयी है कि यदि कोई कर्मचारी/पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर लापता है तो उसके परिवार द्वारा उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराने तथा पुलिस से यह रिपोर्ट कि समस्त प्रयास के उपरान्त भी लापता सरकारी

सेवक/पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का पता नहीं चल सका, प्राप्त कर लेने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के छः माह पश्चात उसके परिवार द्वारा उसकी तैनाती के अन्तिम कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष को पारिवारिक पेंशन, देय वेतन की राशि, देय अवकाश नकदीकरण की राशि तथा जी0पी0एफ0 एवं ग्रेच्युटी का भुगतान स्वीकृत किये जाने हेतु विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत सरकार के उक्त कार्यालय ज्ञाप में अग्रतर यह व्यवस्था भी की गयी है कि लापता सरकारी सेवक के मामले में यथास्थिति बढ़ी हुई दर अथवा सामान्य पेंशन दर पर पारिवारिक पेंशन, लापता सरकारी सेवक के अवकाश की अवधि समाप्त होने अथवा जिस तिथि तक उसके वेतन/पेंशन का भुगतान किया गया है, की अगली तिथि से देय होगी।

3—राज्य सरकार को इस संबंध में प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 जून, 2013 की व्यवस्था के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा भी आदेश जारी किये जाये।

4—इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई सरकारी सेवक/पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर लापता हो जाता है तो उसके लापता होने की रिपोर्ट उसके परिवार द्वारा पुलिस में दिये जाने तथा पुलिस से यह रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि समस्त प्रयासों के उपरान्त भी लापता सरकारी सेवक/पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का पता नहीं चल सका, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की छः माह की अवधि के उपरान्त, उसके अवशेष वेतन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी/अवकाश नकदीकरण का भुगतान शासनादेश दिनांक 20 मार्च, 1987 के प्रस्तर—2 में उल्लिखित औपचारिकताओं को पूर्ण करने पर किया जा सकता है।

5—शासनादेश दिनांक 20 मार्च, 1987 उपर्युक्त सीमा तक तात्कालिक प्रभाव से संशोधित समझा जायगा। इस आदेश से वे प्रकरण भी आच्छादित होंगे जिनमें सरकारी सेवक/पेंशनर गुमशुदगी की रिपोर्ट इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के पूर्व लिखायी जा चुकी है। शासनादेश दिनांक 20 मार्च, 1987 की शेष सभी शर्तें तथा वयवस्था यथावत रहेंगी।

भवदीय,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

अध्याय–9

अस्थायी सरकारी सेवकों के मामलों में पेंशनरी लाभों की देयता सम्बन्धी शासनादेश

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

———————

संख्या सा–3–1152/दस–915–89

लखनऊ दिनांक 1 जुलाई, 1989

———————

कार्यालय–ज्ञाप

विषय :– अस्थायी सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर पेंशनरी लाभों की अनुमन्यता।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 368 की व्यस्था के अनुसार राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी सेवा पेंशन हेतु तब तक अर्ह नही मानी जाती है जब तक कि सरकारी सेवक किसी पद पर स्थायी न हो गया हो। सरकारी सेवको के यथासमय स्थायीकरण किये जाने हेतु शासन के विद्यमान आदेशों के बावजूद कुछ मामलों में प्रकिया संबंधी अपेक्षायें पूरी न हो पाने के कारण संबंधित कर्मचारी स्थायी हुए बिना ही अधिवर्षता पर सेवा निवृत्त हो जाते हैं जिससे उन्हें पेंशनीय लाभ अनुमन्य नहीं हो पाते हैं।

2–उपरोक्तानुसार अस्थायी रहते हुए सेवा निवृत्त हो जाने के कारण सरकारी सेवकों को होने वाली कठिनाइयों को दूर किये जाने का प्रश्न काफी समय से शासन के विचाराधीन रहा है और सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि ऐसे सरकारी सेवकों को जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, अधिवर्षता पर सेवा निवृत्त होने अथवा सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा करने हेतु पूर्णतया अक्षम घोषित कर दिये जाने पर अधिवर्षता/अशक्तता पेंशन सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पारिवारिक पेंशन उसी प्रकार एवं उन्ही दरों पर देय होगी जैसी कि स्थायी कर्मचारियों को उन्हीं परिस्थितियों में संगत नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य होती है।

3–यह व्यवस्था उन मामलों में भी लागू होगी जहाँ अस्थायी रहते हुए 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने, जो भी पहले हो, के उपरान्त मूल नियम 56 के अन्तर्गत स्वेच्छया सेवा निवृत्त होने की अनुमति प्रदान की गयी हो।

4–यह आदेश 1 जून 89 से लागू माने जायेंगे। उक्त दिनांक से पूर्व अस्थायी रहते हुए अधिवर्षता/अशक्तता पर अथवा स्वेच्छया सेवानिवृत्त हो चुके ऐसे कर्मचारियों के मामलों में जो उक्त दिनांक को जीवित हो, संगत वयवस्थाओं के अन्तर्गत मिल चुकी ग्रेच्युटी, यदि कोई हो, का कोई पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा। जिन मामलों में, संगत नियमों के अन्तर्गत, कोई ग्रेच्युटी अनुमन्य नहीं थी उनमें इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत कोई ग्रेच्युटी अनुमन्य नहीं होगी। ऐसे सरकारी सेवकों की जो अस्थायी रहते हुए दिनांकं 1 जून 89 के पूर्व सेवा निवृत्त हो चुके थे और और जिन्हें उसके कारण कोई पेंशन अनुमन्य नहीं हुई थी, दिनांक 1 जून, 89 से सेवानिवृत्ति के पूर्व की अन्तिम 10 मास की औसत परिलब्धियों (दिनांक 1 जनवरी, 86 के पूर्व सेवा निवृत्त कर्मचारियों के मामलों में औसत परिलब्धियों का आशय उस वेतन से है जो उन्हें मूल नियम 9(21) के अन्तर्गत मिल रहा था तथा 1 जनवरी 86 अथवा उसके उपरान्त के मामलों में परिलब्धियों का आशय उस वेतन से है जो मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित हो) के 50 प्रतिशत की दर से उस दशा में पेंशन अनुमन्य होगी जब सेवानिवृत्ति के पूर्व उन्होंने 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो। यदि अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम रही हो तो पेंशन उसी अनुपात से कम हो जायेगी। इस प्रकार आगणित ऐसे कर्मचारियों की पेंशनों को जो दिनांक 1 जनवरी 86 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके थे वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या सा–4–1120/दस–37–301–1987 दिनांक 28 जुलाई, 87 के रेडी–रेक्नर्स भाग–1 एवं भाग–2 जैसी स्थिति हो के अनुसार 608 मूल्य सूचकांक के बराबर महगांई राहत का लाभ देते हुए पुनरीक्षित कर दिया जायेगा और दिनांक 1 जून 89 से पुनरीक्षित धनराशि का लाभ दिया जायेगा।

5–इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत पेंशन का किसी ऐसे कर्मचारी को राशिकरण अनुमन्य नहीं होगा जो 31 मई 1974 अथवा उसके पूर्व सेवानिवृत्त हुआ हो। यदि इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत किसी ऐसे कर्मचारी को पेंशन दी जाये जो 31 मई 1974 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुआ हो तो उसे 1 जून 89 के उपरान्त अगली जन्म तिथि के समय उसकी आयु के समरूप दर पर मूल पेंशन की धनराशि पर राशिकरण अनुमन्यं होगा ओर उसकी पेंशन से कम की गई धनराशि उसकी वास्तविक सेवानिवृत्ति के दिनांक के 15 वर्ष के बाद रेस्टोर कर दी जायेगी।

6–दिनांक 1 जून 1989 अथवा उसके बाद सेवानिवृत्ति/मृत्यु के जिन मामलों में उपर्युक्त व्यवस्था का लाभ दिया जायेगा, उनमें कार्मिक अनुभाग 1 के शासनादेश संया 19/8/1980 कार्मिक–1 दिनांक 29 अप्रैल 80 के अन्तर्गत आनुतोषिक का लाभ देय नही होगा।

आज्ञा से,
विजय कृष्ण सक्सेना
प्रमुख सचिव।

———

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

———

संख्या सा–3–2049/दस–915–89
लखनऊ दिनांक 26 अगस्त, 1989

———

<u>कार्यालय–ज्ञाप</u>

विषय :– अस्थायी सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता।

उपरोक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–3–1152/दस–915–89 दिनांक 1 जुलाई, 1989 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे सरकारी सेवकों को जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति होने अथवा सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा आगे सेवा करने हेतु पूर्णतया अक्षम घोषित कर दिये जाने पर अधिवर्षता/अशक्ता पेंशन सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पारिवारिक पेंशन उसी प्रकार एवं उन्हीं दरों पर देय होगी जैसी कि स्थायी कर्मचारियों को उन्हीं परिस्थितियों में संगत नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य होंती है। इस सन्दर्भ में अग्रेतर यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–3–1152/दस–915–89 दिनांक 1 जुलाई, 1989 के अन्तर्गत जिन मामलों में दिनांक 1 जून, 1989 से पेंशन दी जाय अथवा उक्त दिनांक को यदि वे जीवित होते तो देय होती उनमें ऐसे कर्मचारी सेवक की मृत्यु पर उन्हीं दशाओं में पारिवारिक पेंशन भी सामान्य नियमों के अन्तर्गत देय होगी।

गणेश दत्त दीक्षित
उप सचिव।

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

———

संख्या–सा–3–1380 / दस–2001–301(40) / 2001

प्रेषक,

श्री विजय कुमार शर्मा,
सचिव वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त विभागाध्यक्ष /
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 31 जुलाई, 2001

विषय :– सरकारी सेवकों के सेवानिवृत्त किये जाने पर सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या सा–3–1152 / दस–915–89 दिनांक 1 जुलाई, 1989 द्वारा अस्थायी रहते हुए सेवानिवृत्त हो जाने वाले सरकारी सेवकों को पेंशन एवं ग्रेच्युटी उसी प्रकार तथा उन्ही दरों के अन्तर्गत अनुमन्य कराई गयी थी जैसा कि स्थायी कर्मचारियों को उन्ही परिस्थितियों में संगत नियमों के अन्तर्गत होती है, बशर्ते कि उन्होंने कम से कम 10 वर्ष की न्यूनतम अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो। इसी शासनादेश के प्रस्तर–3 में कहा गया था कि ''यह व्यवस्था उन मामलों में भी लागू होगी जहाँ अस्थायी रहते हुए 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने, जो भी पहले हो, के उपरान्त मूल नियम 56 के अन्तर्गत स्वेच्छया सेवानिवृत्त होने की अनुमन्यता प्रदान की गयी हो''। उक्त क्रम में शासन के समक्ष यह प्रश्न संदर्भित किया गया है कि जिन मामलों में मूल नियम 56 के अन्तर्गत किसी सरकारी सेवक को राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्त किये जाने की अपेक्षा की जाती हो अर्थात उसे अनिवार्य रूप से सेवानिव्त्त कर दिया जाता है उनमें संबंधित सरकारी सेवकों को क्या सेवानैवृत्तिक लाभ अनुमन्य किये जायेंगे। उपरोक्त के संबंध में स्थिति को स्पष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 के भाग–2 से 4 के मूल नियम 56 (ङ) के अन्तर्गत ''प्रत्येक सरकारी सेवक के जो इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होते हैं या जिससे सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की जाती है या जिसे सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है, सुसंगत नियमों के अनुसार और उसके प्रतिबन्धों अधीन रहते हुए सेवानैवृत्तिक पेंशन देय होगी और सेवानिवृत्ति संबंधी अन्य लाभ, यदि कोई हों, उपलबध होंगे।'' तद्नुसार यदि किसी सरकारी सेवक से मूल नियम 56 के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की जाती है अर्थात् उसे लोकहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है तो उसे सेवानैवृत्तिक लाभ अनुमन्य होगे।

भवदीय,
श्री विजय कुमार शर्मा
सचिव वित्त।

अध्याय-10

उपदान के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज की देयता सम्बन्धी शासनादेश

संख्या–सा–3–664 / दस–971 / 80

प्रेषक,

श्री जे0एल0 बजाज,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 29 अप्रैल, 1983

विषय :– डेथ–कम–रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की देर से अदायगी किये जाने पर ब्याज का भुगतान।

महोदय,

सरकारी कर्मचारियों की सेवारत अवस्था में मृत्यु हो जाने पर अथवा सेवानिवृत्ति होने पर पेंशन नियमों की व्यवस्था के अनुसार डेथ–कम–रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी देय होती है। विभिन्न कारणों से कई प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब हो जाता है और उन प्रकरणों में ग्रेच्युटी के भुगतान में अधिक विलम्ब हो जाने पर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाई होती है। इस संबंध में विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने यह निर्णय लिया है कि मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के देय हो जाने के बाद तीन महीने से आगे की अवधि के लिये देर से अदायगी किये गये उपदान (ग्रेच्युटी) पर पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जायेगा। यह ब्याज उस महीने के पूर्ववर्ती महीने के अन्त तक देय होगा जिसमें वास्तविक रूप से भुगतान किया जाता है। यह ब्याज केवल उन्ही परिस्थितियों में दिया जायेगा जहां यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो कि ग्रेच्युटी के भुगतान में विलम्ब प्रशासनिक त्रुटि के कारण अथवा उन कारणों से हुआ है जो संबंधित सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण के बाहर थे। ब्याज के भुगतान के प्रत्येक मामले पर शासन के प्रशासनिक विभाग द्वारा विचार किया जायेगा और ब्याज का भुगतान शासन द्वारा ही प्राधिकृत किया जायेगा। जिन मामलों में ब्याज का भुगतान किया जाना होगा उन सभी मामलों में विलम्ब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही की जायेगी और उसके लिये उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी।

2–जिन मामलों में सेवानिवृत्ति के समय संबंधित सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक अथवा न्यायिक कार्यवाही लम्बित होने अथवा चलाये जाने के कारण कार्यवाही के अपूर्ण रहने तक ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाता है और केवल अनन्तिम पेंशन दी जाती है, और उनमें यदि कार्यवाही के समाप्त हो जाने और अन्तिम निर्णय के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को ग्रेच्युटी लेने की अनुमति दे दी गई हो, तो उन मामलों में ग्रेच्युटी के भुगतान में विलम्ब के संबंध में ब्याज के भुगतान के प्रयोजन के लिये उपदान सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की तिथि से देय माना जायेगा, किन्तु जिनमें कर्मचारी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया जाता है उनमें उक्त प्रयोजन हेतु सेवानिवृत्ति की तिथि से अगली तिथि को उपदान देय होने की तिथि माना जायेगा। यह लाभ ऐसे मामलों में कर्मचारियों को देय नहीं होगा जिनमें कर्मचारी की मृत्यु कार्यवाही के दौरान हो गई हो जिसके कारण कार्यवाही समाप्त कर दी जाये। ब्याज की गणना के लिये ऐसे मामलों में उपदान की देयता की तिथि से तीन माह बाद की अवधि विचार में ली जायेंगी।

3–उक्त व्यवस्था इन आदेशों की तिथि से लागू मानी जायेगी। उक्त तिथि को प्रस्तर 1 के अन्तर्गत आने वाले लम्बित प्रकरणों को भी तदनुसार निर्णीत किया जायेगा अर्थात् जो सरकारी कर्मचारी इस तिथि से पूर्व सेवानिवृत्त हो गये अथवा जिनका निधन सेवा में रहते हो गया हो और यदि उपदान का

भुगतान इस शासनादेश के जारी होने की तिथि तक नहीं किया गया है तथा उसके भुगतान में उनकी सेवानिवृत्ति/निधन की तारीख के तीन महीने से आगे देरी हुई है, तो उसमें विलम्बित भुगतान के लिये ब्याज देय होगा किन्तु वह ब्याज इस शासनादेश की तिथि से ही अथवा सेवानिवृत्ति/निधन की तारीख से तीन महीने बाद की तिथि से, जो भी बाद की हो, देय होगा।

4–कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,
जे0एल0 बजाज
वित्त सचिव।

संख्या सा–3–1373/दस–971/80

प्रेषक,

श्री जे0एल0 बजाज,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 12 सितम्बर, 1983

विषय :– डेथ–कम–रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की देर से अदायगी किये जाने पर ब्याज का भुगतान।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा–3–664/दस–971–80, दिनांकित 29 अप्रैल, 1983 में निहित निर्णयानुसार उसमें अंकित परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारियों को डेथ–कम–रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी के विलम्ब से भुगतान किये जाने पर ग्रेच्युटी के देय हो जाने के तीन महीने से बाद की अवधि के लिये अदायगी की गई ग्रेच्युटी पर पांच प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जायेगा। यह ब्याज ग्रेच्युटी के वास्तविक भुगतान के महीने के पूर्ववर्ती महीने के अन्त तक देय होगा। इस प्रसंग में यह प्रश्न उठा कि वास्तविक भुगतान की तिथि की जानकारी करने में कभी–कभी कठिनाई हो सकती है तथा कुछ अन्य संभावित कठिनाइयां शासन के समझ रखी गई। उक्त कठिनाइयों पर महालेखाकार (तृतीय), उत्तर प्रदेश के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त ग्रेच्युटी के विलम्ब से भुगतान के मामलों में ब्याज के आगणन हेतु ग्रेच्युटी के भुगतान की तिथि वह मानी जायेगी जो महालेखाकार द्वारा ग्रेच्युटी के भुगतानादेश (प्राधिकार–पत्र) जारी होने की तिथि होगी।

2–उक्त शासनादेश दिनांकित 29 अप्रैल, 1983 के पैरा 1 में यह भी व्यवस्था दी गई है कि ग्रेच्युटी के भुगतान में विलम्ब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित कर उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी कार्यवाही के विषय के मामले महालेखाकार द्वारा कर्मचारी से सम्बन्धित शासन के प्रशासकीय विभाग को सन्दर्भित किये जायेंगे न कि वित्त विभाग को और यथोचित कार्यवाही का दायित्व उस प्रशासकीय विभाग का होगा।

भवदीय,
जे0एल0 बजाज
वित्त सचिव।

संख्या–सा–3–1373(1)/दस–971/80, तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार (तृतीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दिनांक 20 जुलाई, 1983 को वित्त सचिव से विचार–विमर्श के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालय में भुगतानादेश जारी करने में विलम्ब न हो व पंजीकृत डाक से सम्बन्धित राजकीय कर्मचारी को निर्गत किये जाये तथा अनुशासनिक कार्यवाही हेतु शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों को सन्दर्भित करें।

आज्ञा से,

बसन्त लाल शाह

संयुक्त सचिव।

संख्या सा–3–1776/दस–971/80

प्रेषक,

श्री जे0पी0 सिंह,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 30 नवम्बर, 1984

विषय :– डेथ–कम–रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की देर से अदायगी किये जाने पर ब्याज का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के देय हो जाने के बाद तीन महीने से आगे की अवधि के लिये देर से अदायगी की गई ग्रेच्युटी पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिये जाने की व्यवस्था शासनादेश संख्या सा–3–664/दस–971–80, दिनांक 29 अप्रैल, 1983 में की गई थी। अब शासन द्वारा इस संबंध में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ग्रेच्युटी के विलम्ब से भुगतान किये जाने पर देय ब्याज की दर को निम्न प्रकार संशोधित कर दिया जाय :–

(1) तीन मास के बाद तथा एक वर्ष तक .. .. 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज

(2) एक वर्ष के बाद .. .. .. 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज

उपरोक्त दरें आदेश जारी होने के दिनांक से लागू मानी जायेंगी।

2–इस संबंध में यह भी अनुरोध है कि ऐसे सभी मामलों में, जिनमें ब्याज की अदायगी की जानी हो, विलम्ब के लिये जिम्मेदारी नियत करने के उद्देश्य से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिये और जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जानी चाहिए। ब्याज की उपरोक्तानुसार निर्धारित दरों के सम्बन्ध में अन्य सारी शर्तें उपरोक्त शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 1983 तथा शासनादेश संख्या सा–3–1373/दस–971/80, दिनांक 12 सितम्बर, 1983 के अनुसार ही लागू मानी जायेंगी।

भवदीय,

जे0पी0 सिंह

वित्त सचिव।

<u>संख्या सा—3—2102 / दस—971 / 80</u>

प्रेषक,

श्री वी0 वेंकटाचलम,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 लखनऊ : दिनांक : 6 दिसम्बर, 1994

विषय :— मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान (डेथ—कम—रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी) के विलम्ब से अदायगी किये जाने पर देय ब्याज की दर में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मृत्यु—एवं—सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के देय हो जाने के बाद तीन महीने की अवधि के विलम्ब पर 7% एवं एक वर्ष की अवधि के विलम्ब पर 10% वार्षिक ब्याज दिये जाने की व्यवस्था शासनादेश संख्या सा—3—1776 / दस—971—80, दिनांक 30—11—1984 में की गई थी। अब शासन द्वारा इस संबंध में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन माह की अवधि के उपरान्त मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान की धनराशि भुगतान किए जाने पर उसी दर पर ब्याज अनुमन्य होगा जैसा कि सामान्य भविष्य निधि की संहत जमा धनराशि पर (वर्तमान में 12% प्रतिवर्ष है) समय—समय पर अनुमन्य होता है। संबंधित कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उक्त ब्याज का भुगतान उसके आश्रितों को किया जाएगा।

2—उपरोक्त आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी माने जायेंगे किन्तु मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान के जिन प्रकरणों में अब तक भुगतान नहीं किया गया है और विलम्ब की स्तिथि प्रमाणित हो जाती है, तो उन प्रकरणों में भी उपरोक्त प्रस्तर—1 में उल्लिखित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

3—इस संबंध में यह भी अनुरोध है कि ऐसे सभी मामलों में जिनमें प्रशासकीय विलम्ब के कारण ब्याज की अदायगी की जानी हो उनमें विलम्ब के लिए जिम्मेदारी नियत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए और जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। अन्य सारी शर्ते पूर्व में जारी शासनादेश दिनांक 29—4—1983, 12—9—1983 एवं दिनांक 30—11—1984 के अनुसार यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय,
वी0 वेंकटाचलम
वित्त सचिव।

————————

संख्या सा–3–1519 / दस–1997

प्रेषक,

शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 15 जुलाई, 1997

विषय :– मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान (डेथ–कम–रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी) के विलम्ब से अदायगी पर ब्याज का भुगतान।

महोदय,

शासनादेश संख्या सा–3–2102 / दस–971–90, दिनांक 6–12–94 द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन माह की अवधि के उपरान्त मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की धनराशि का भुगतान किये जाने पर उसी दर पर ब्याज अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था की गयी है जैसा कि सामान्य भविष्य निर्वाह निधि की संहत जमा धनराशि पर (वर्तमान में 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष है) समय–समय पर अनुमन्य होता है। इसी शासनादेश में यह भी व्यवस्था है कि ऐसे सभी मामलों में जिनमें प्रशासकीय विलम्ब के कारण ब्याज की अदायगी हो जाती हों, उनमें विलम्ब के लिए जिम्मेदारी नियत करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए और जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस संबंध में शासन के समक्ष कतिपय जिज्ञासा संदर्भित की गयी है। इन जिज्ञासाओं के समाधान हेतु स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की जाती है :–

जिज्ञासा	**समाधान**
1–ब्याज का स्वीकर्ता अधिकारी कौन होगा ?	ग्रेच्युटी पर ब्याज के भुगतान के स्वीकर्ता अधिकारी विभागाध्यक्ष होंगे।
2–इसका भुगतान किस स्तर से किया जायेगा ?	जिस स्तर से ग्रेच्युटी का भुगतान होता है उसी स्तर से उस पर ब्याज का भुगतान भी किया जायेगा।
3–क्या इसके लिए प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा ?	इसके लिए प्राधिकार पत्र जारी किया जाना अपेक्षित होगा।
4–आय–व्यय में इसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था करायी जायेगी एवं किस लेखाशीर्षक / अनुदान सं0 के अन्तर्गत भुगतान किया जायेगा?	ब्याज के भुगतान की व्यवस्था शासन द्वारा अनुदान सं0 62 के अधीन लेखा शीर्षक–2049 के अनतर्गत कराई जाती है।
5–उत्त्रदायित्व निर्धारण करने का कार्य प्रशासनिक अधिकारियों का है। अतः उत्तरदायित्व निर्धारित करना और दण्डादेश पारित करने के लिए विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्षों को अलग से निदेशित किया जाय।	ब्याज के भुगतान के लिए अलग से निर्देश जारी किया जाना अपेक्षित होगा।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान के विलम्ब से अदायगी के शासनादेश संख्या–सा–3–2102 / दस–971 / 80, दिनांक 6–12–1984 के अधीन ब्याज का भुगतान किया जाना अपेक्षित हो उन मामलों के निस्तारण में उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

2–इस प्रसंग में यह भी अनुरोध है कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन/ग्रेच्युटी आदि की स्वीकृति यथा समय सुनिश्चित कराये जाने के लिए शासनादेश सं0–3–2085/दस–907/76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 एवं शासनादेश सं0 सा–3–1713/दस–89–933/76, दिनांक 28–7–89 में जो समयसारिणी निर्धारित की गयी है, उस समयसारिणी के अनुसार पेंशन संबंधी कागजातों पर यथा आवश्यक कार्यवाही सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्ष पहले ही प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिए तभी से विभागाध्यक्ष/अधिकारियों आदि के द्वारा बकाया देय धनराशियों का पता लगाने अथवा निर्धारण करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए और अदेयता प्रमाण–पत्रों के लिए छानबीन भी सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पूर्व प्रारम्भ कर दी जानी चाहिये तथा सेवानिवृत्ति से पहले सारी कार्यवाही यदि समय से पूरी कर ली जायें तो पेंशन/ग्रेच्युटी आदि के भुगतान में विलम्ब की सम्भावना नहीं रहेगी।

भवदीय,
शिव प्रकाश
वित्त सचिव।

––––

संख्या सा–3–712/दस–2001–305(4)/2000

प्रेषक,
भोलानाथ तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 17 मई, 2001

विषय :– सेवानैवृत्तिक लाभों का समय से भुगतान न्यायिक/विभागीय कार्यवाहियों की समाप्ति पर ग्रेच्युटी के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज का भुगतान।

महोदय,

मुझे कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार अपने पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन प्रकरणों एवं यथा अनुमन्य देयों को समय से भुगतान करने के सम्बन्ध में समय–समय पर विस्तृत आदेश निर्गत करती रही है। ग्रेच्युटी की अनुमन्य धनराशि को समय से भुगतान न होने पर ब्याज दिए जाने की भी व्यवस्था की गयी है तथा समय से भुगतान न करने के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही एवं ब्याज के रूप में भुगतान की गयी धनराशि की वसूली के भी आदेश निर्गत किए गए है। इस सन्दर्भ में शासनादेश संख्या सा–3–684/दस–971–80, दिनांक 29–04–1983, शासनादेश संख्या सा–3–1776/दस–971–80, दिनांक 30–11–1984, शासनादेश संख्या सा–3–2102/दस–971–80, दिनांक 06–12–1994 एवं अर्द्धशासकीय पत्र संख्या सा–3–902/दस–99–303/99, दिनांक 28–09–1999 भी निर्गत किए गए है। विभिन्न विभागों से इस आशय की जिज्ञासा की जा रही है कि जिन कर्मचारियों के विरूद्ध न्यायिक/विभागीय कार्यवाही लम्बित होने के कारण उपदान एवं राशिकृत धनराशि के भुगतान में विलम्ब होता है, उन प्रकरणों में ब्याज किस प्रकार अनुमन्य होगा। इस सन्दर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि :–

1– यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को उसके विरूद्ध अनुशासनिक अथवा न्यायिक कार्यवाही लम्बित है, तो उसे ग्रेच्युटी की धनराशि का भुगतान तब तक नहीं किया जाता है, जब तक उक्त कार्यवाही समाप्त करके अन्तिम आदेश निर्गत नहीं हो जाते हैं। ऐसे प्रकरणों में, यदि ग्रेच्युटी के भुगतान का निर्णय लिया जाता है तो भुगतान की तिथि वही होगी जिस तिथि

में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश निर्गत किए जाते हैं। जिन प्रकरणों में सरकारी सेवक के विरूद्ध चल रही कार्यवाही में अन्तिम निर्णय के फलस्वरूप उसे पूर्णतया दोषमुक्त किया जाता है, उन प्रकरणों में सेवानिवृत्ति की तिथि से ग्रेच्युटी की अनुमन्यता मानी जाएगी और ऐसे तीन माह से अधिक के विलम्ब की अवधि हेतु ब्याज अनुमन्य हो जाएंगा। परन्तु जिन प्रकरणों में विभागीय/न्यायिक कार्यवाही लम्बित रहते हुए सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाती है, उन प्रकरणों में ब्याज अनुमन्य नहीं होगा।

2– उपरोक्त व्यवस्था केवल उन प्रकरणों में लागू होगी जो अभी तक निर्णीत नहीं हो सके है, परन्तु जिन प्रकरणों में निर्णय लिया जा चुका है उन्हें पुनरुद्घटित नहीं किया जाएगा।

3– सेवानिवृत्त कर्मचारी के सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतानादेश सेवानिवृत्ति की तिथि को ही निर्गत किए जाने के प्राविधान है तथा इस ओर समय–समय पर शासनादेश भी निर्गत किए गए हैं। सेवानैवृत्तिक लाभों को समय से भुगतान करने के सन्दर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली वर्ष 1995 निर्गत की जा चुकी है। उक्त नियमावली में पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु समय सारिणी भी निर्धारित है तथा विलम्ब के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध दण्ड दिए जाने की भी व्यवस्था है। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त नियमावली का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतानादेश निर्गत किए जाएं तथा यदि पेंशन निर्धारण में विलम्ब की सम्भावना हो तो उनमें अनन्तिम पेंशन का भुगतान किया जाए। यदि सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतानादेश सम्बन्धित कार्मिक की सेवानिवृत्ति की तिथि को निर्गत नहीं हो सके हैं तो उसकी जानकारी भुगतानादेश निर्गत न हो सकने के कारणों सहित, उच्चतर अधिकारी को दिया जाना अपेक्षित होगा जो पेंशन प्रकरण का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।

4– यदि प्रशासनिक कारणों से ग्रेच्युटी का भुगतान निर्धारित तिथि से तीन माह बाद किया जाता है तो भुगतान अनुमन्य होने की तिथि से तीन माह की अवधि के बाद से निर्धारित दर पर ब्याज दिया जायेगा। यदि यह निर्णित हो जाता है कि ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना है तो इसका भुगतान तुरन्त कर दिया जाए और ब्याज की मद पर शीघ्र निर्णय लेकर कार्यवाही की जाए। ऐसा करने से ब्याज के मद में दी जाने वाली धनराशि में बचत की जा सकेगी। परन्तु यह ब्याज केवल उन्हीं परिस्थितियों में दिया जाएगा जहाँ यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो कि ग्रेच्युटी के भुगतान में विलम्ब प्रशासनिक त्रुटि के कारण अथवा उन कारणों से हुआ है जो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण के बाहर हो। ब्याज के भुगतान के प्रत्येक मामले में शासन के प्रशासनिक विभाग द्वारा विचार किया जाएगा और ब्याज का भुगतान शासन द्वारा ही प्राधिकृत किया जाएगा। जिन मामलों में ब्याज का भुगतान किया जाना होगा उन सभी मामलों में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी तथा ब्याज के रूप में भुगतान की गयी धनराशि की वसूली दोषी व्यक्तियों से उसके वेतन के अनुपात में की जाए।

5– प्रायः सेवानिवृत्त कार्मिक उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन कम्यूटेशन रूल्स के अधीन अपनी पेंशन के एक भाग के राशिकरण की धनराशि को विलम्ब से भुगतान किए जाने पर भी ब्याज की माँग करते हैं। इस संन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त नियम के अधीन देय धनराशि को विलम्ब से भुगतान पर कोई ब्याज देय नहीं है क्योंकि पेंशन के एक भाग की राशिकृत मूल्य की स्वीकृति हो जाने पर भी उसके भुगतान की तिथि तक पूर्ण पेंशन का भुगतान होता रहता है तथा भुगतान की तिथि के उपरान्त ही पेंशन कम होती है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को उसके विरूद्ध विभागीय/न्यायिक कार्यवाही

लम्बित है तो उसे उस कार्यवाही के लम्बित रहते पेंशन के एक भाग का राशिकरण अनुमन्य नहीं होगा।

अनुरोध है कि उपरोक्त प्रस्तरों में स्पष्ट की गयी स्थिति के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
भोलानाथ तिवारी
मुख्य सचिव।

———–

संख्या सा–3–1901/दस–2002–971/80

प्रेषक,

श्री आनन्द मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 30 अक्टूबर, 2002

विषय :– मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ''ग्रेच्युटी'' के विलम्ब से अदायगी किये जाने पर देय ब्याज के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

आप अवगत है कि राज्य सरकार द्वारा पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को अनुमन्य देयों का भुगतान समय से करने के संबंध में समय–समय पर विस्तृत आदेश निर्गत किये गये हैं। प्रशासनिक कारणों से ''ग्रेच्युटी'' की अनुमन्य धनराशि के समय से भुगतान न होने पर भुगतान अनुमन्य होने की तिथि से तीन माह की अवधि के बाद से ब्याज दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस संदर्भ में शासनादेश संख्या सा–3–684/दस–971/80, दिनांक 29–4–1983, शासनादेश संख्या सा–3–1776/दस–971/80, दिनांक 30–11–1984, शासनादेश संख्या सा–3–2102/दस–971/80, दिनांक 6–12–1994, अर्धशासकीय पत्र संख्या सा–3–902/दस–99–303/99, दिनांक 28–9–1999 एवं शासनादेश संख्या सा–3–712/दस–2001–305(4)/2000, दिनांक 17–5–2001 निर्गत किये गये हैं।

2–शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि प्रायः कर्मचारियों द्वारा ग्रेच्युटी के भुगतान में विलम्ब होने पर चक्रवृद्धि ब्याज दिये जाने की मांग की जाती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में स्थिति को स्पष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रेच्युटी पर ब्याज के भुगतान की दर वही रखी गयी है जो संगत अवधि में सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि पर ब्याज की हो, किन्तु चक्रवृद्धि ब्याज दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। अतः ग्रेच्युटी पर तीन माह से अधिक के विलम्ब पर भुगतान की अवधि में नियमानुसार साधारण ब्याज का ही भुगतान अनुमन्य होगा और उसकी दर संगत अवधि में सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा धनराशि पर अनुमन्य ब्याज की दर के समान होगी।

3–अनुरोध है कि ग्रेच्युटी भुगतान पर ब्याज दिये जाने के मामलों में स्पष्ट की गयी उपरोक्त स्थिति के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अन्य शर्तें पूर्व निर्गत शासनादेशों के अनुसार यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
आनन्द मिश्र
सचिव वित्त।

संख्या सा–3–1478 / दस–2010–971 / 80

प्रेषक,

श्री नील रतन कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2– प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4–समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष / कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5–निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
6–निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 22 सितम्बर, 2010

विषय :–सेवानिवृत्ति हित लाभों के विलम्ब से अदायगी पर ब्याज के भुगतान के लेखाशीर्ष में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवानिवृत्ति हित लाभों के विलम्ब से भुगतान होने पर संबंधित पेंशनरों को किये जाने वाले ब्याज के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्सा–62 वित्त विभाग (पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ) के लेखाशीर्ष ''2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ–01 सिविल–800–अन्य व्यय–09–सेवानिवृत्ति हित लाभों के विलम्ब से अदायगी पर देय ब्याज'' के अधीन मानक मद ''33–पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ'' में बजट व्यवस्था की गयी है। अतः विलम्ब से सेवानिवृत्ति हित लाभों के भुगतान पर देय ब्याज संबंधी आदेशों में उक्त लेखाशीर्ष अंकित किया जाये।

भवदीय,
नील रतन कुमार
संयुक्त सचिव।

अध्याय-11

पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी शासनादेश

संख्या–सा–3–1338/दस–912/85

प्रेषक,

श्री हरगोविन्द डबराल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2–प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3–प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4–सचिव, राजस्व परिषद,
लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 16 जुलाई, 1985

विषय :–पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि आपके विभाग में दिनांक 31 जुलाई, 1985 तथा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त होने वाले समस्त सरकारी सेवकों के पेंशन प्राधिकार पत्र तथा पेंशन संबंधी अन्य देयों जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन के राशिकरण आदि के प्राधिकार पत्र निर्गत करने का कार्य अब महालेखाकार की बजाय आपके विभाग के मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा किया जायेगा और इस हेतु आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने अधीनस्थ सभी विभागाध्यक्षों तथा कार्यालयाध्यक्षों को यह आदेश निर्गत करने की कृपा करें कि वे पेंशन प्रपत्रों को महालेखाकार को भेजे जाने की प्रक्रिया को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दें और पेंशन प्रपत्रों को जो इसके पूर्व ही महालेखाकार को भेजे जा चुके हों, महालेखाकार को विशेष वाहक भेजकर वापस मंगवा लें। इसके सम्बन्ध में शासन द्वारा विस्तृत प्रक्रिया तैयार की जा रही है और उसे शीघ्र ही आपको प्रेषित कर दिया जायेगा।

भवदीय,
हरगोविन्द डबराल
विशेष सचिव।

संख्या–सा–3–1446 / दस–912 / 85

प्रेषक,

डा0 जे0 पी0 सिंह,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2–प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3–प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4–सचिव, राजस्व परिषद,
लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 6 अगस्त, 1985

विषय :– पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या सामान्य–3–1338 / दस–912–85, दिनांक 16 जुलाई, 1985 के क्रम में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि महालेखाकार के स्तर से पेंशन प्राधिकार पत्र तथा पेंशन संबंधी अन्य देयों जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन के राशिकरण आदि का प्राधिकार पत्र निर्गत करने में आ रही कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त प्राधिकार पत्रों को निर्गत करने की कार्यवाही का विकेन्द्रीकरण किया जाय और यह कार्य अब महालेखाकार के बजाय आपके विभाग के मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा किया जाय। इस प्रणाली को आपके विभाग में 31 जुलाई, 85 अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले सभी स्तर के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के संबंध में प्रयोगात्मक रूप से लागू किया जायेगा। इस प्रणाली की विस्तृत रूपरेखा निम्नवत् होगी–

(1) इस प्रणाली के अन्तर्गत उपरोक्त विभागों के प्रमुख विभागाध्यक्षों के साथ संलग्न मुख्य लेखा अधिकारी अथवा उनके स्तर के अन्य अधिकारी (यदि पद नाम में अन्तर हो) पेंशन, ग्रेच्युटी तथा राशिकरण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(2) यह प्रणाली उपरोक्त विभागों के उन अधिकारियों / कर्मचारियों पर लागू होगी जिनके वेतन अधिष्ठान बिल पर आहरित किये जाते हैं। ऐसे अधिकारी जो स्वयं बिल बनाकर सीधे कोषागार से अपना वेतन आहरित करते हैं, के संबंध में फिलहाल यह प्रणाली लागू नहीं की जायेगी। राजस्व विभाग में यह योजना केवल उन अधिकारियों / कर्मचारियों के लिये लागू समझी जायेगी जो राजस्व परिषद् के अधीन कार्यरत हैं।

(3) यह प्रणाली ऐसे अधिकारियों / कर्मचारियों के संबंध में भी लागू होगी जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति प्राप्त करेंगे अथवा जिन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जायेगा। इस प्रणाली के अन्तर्गत अशक्यता पेंशन, पारिवारिक पेंशन तथा असाधारण पेंशन भी उपरोक्त सक्षम अधिकारी द्वारा ही स्वीकृत की जायेगी।

(4) यह प्रणाली उपरोक्त विभागों के ऐसे अधिकारियों / कर्मचारियों पर लागू समझी जायेगी जो 31 जुलाई, 85 अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होंगे। 31 जुलाई, 85 के पूर्व जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके पेंशन प्रपत्र महालेखाकार को ही भेजे जायेंगे और वे ही उनके पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण, पारिवारिक पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति देयों से संबंधित प्राधिकार पत्रों को निर्गत करेंगे।

(5) इस प्रणाली के अन्तर्गत संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा पेंशन संबंधित सभी मामलों का निस्तारण किया जायेगा जैसे पेंशन की स्वीकृति, ग्रेच्युटी की स्वीकृति, पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति अथवा पेंशन के राशिकरण की स्वीकृति आदि।

(6) बीमा योजना के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि, भविष्य निर्वाह निधि के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि तथा सेवा निवृत्ति के समय अवशेष उपार्जित अवकाश के नकदीकरण से संबंधित मामले इस योजना से आच्छादित नहीं होंगे। इनके सम्बन्ध में विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत जो प्रक्रियायें निर्धारित हैं वही यथावत् लागू समझी जायेंगी।

(7) इस प्रणाली के अन्तर्गत पेंशन प्रपत्रों को तैयार करने का कार्य उस प्रक्रिया तथा समय–सारिणी के अनुसार किया जायेगा जैसी वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या सा–3–2085/दस–907–76, दिनांक 13 दिसम्बर, 77 में निर्धारित है। केवल अन्तर इतना ही होगा कि संबंधित अधिकारी द्वारा वांछित पेंशन–प्रपत्र अब महालेखाकार को भेजने के बजाय प्रमुख विभागाध्यक्ष के साथ संलग्न मुख्य लेखा अधिकारी को भेजे जायेंगे। मुख्य लेखा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे उसे 6 माह की अवधि में, जो उन्हें पेंशन प्रपत्रों का परीक्षण कर पेंशन निर्धारित करने हेतु मिलेगी, पेंशन प्रपत्रों का भलीभंति परीक्षण कर लें और यदि उनमें कोई त्रुटि/कमी हो तो उसे संबंधित कार्यालयाध्यक्ष से समय रहते ठीक करवा लें और सेवानिवृत्ति के एक माह पहले ही पेंशन, ग्रेच्युटी तथा राशिकरण के भुगतान आदेश उस कोषाधिकारी अथवा आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित कर दें जहां से पेंशनर ने पेंशन प्राप्त करने का विकल्प दिया हो अथवा जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ हो और उसकी एक प्रतिलिपि संबंधित कार्यालयाध्क्ष/कोषाधिकारी तथा पेंशनर को भेज दें। हर हालत में यह सुनिश्चित किया जाय कि ग्रेच्युटी व राशिकरण की धनराशि का भुगतान संबंधित पेंशनर की सेवा निवृत्ति के बाद के माह की पहली तारीख को प्राप्त हो जाय तथा पेंशन का भुगतान सेवानिवृत्ति के दिनांक के एक माह के बाद की पहली तारीख को हो जाय।

(8) इस प्रणाली को नियमित रूप से चलाने हेतु पेंशन तथा अन्य प्राधिकार पत्रों की प्रतियां शासन द्वारा मुद्रित करवायी जायेंगी और संबंधित अधिकारियों को भेजी जायेंगी।

(9) संबंधित मुख्य लेखा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने नमूने के हस्ताक्षर पहली बार महालेखाकार से सत्यापित करवा कर प्रदेश के सभी कोषाधिकारियों को सील्ड कवर में गोपनीय रूप से रजिस्ट्री से प्रेषित कर दें। इसकी एक प्रति महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय इलाहाबाद को भी प्रेषित कीं जायगी। अपने विभाग के कार्यालयाध्यक्षों/आहरण एवं वितरण अधिकारियों के उपयोगार्थ वे अपने हस्ताक्षर प्रमुख विभागाध्यक्ष से सत्यापित करवायेंगे और उन्हें संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करेंगे। उसके उपरान्त एक मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यभार छोड़ने पर वह अपने उत्तराधिकारी के हस्ताक्षर परिचालनार्थ प्रमाणित कर देंगे।

(10) संबंधित मुख्य लेखा अधिकारी/कोषाधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों/आहरण एवं वितरण अधिकारियों को भेजे जाने वाले अपने नमूने के हस्ताक्षर पर तथा पेंशन तथा अन्य प्राधिकार पत्रों पर अपनी एक इम्बोसिंग सील लगायेंगे। इस स्पेशल सील का व्यास लगभग 2 इंच होगा। संबंधित मुख्य लेखा अधिकारी इस सील को अपनी व्यक्तिगत कस्टडी में रखेंगे और स्वीकृति संबधित हस्ताक्षर करते समय प्रपत्रों पर लगायेंगे।

2–इस उद्देश्य से कि नयी प्रणाली के कार्यान्वयन में मुख्य लेखा अधिकारियों को संबंधित कार्यालयाध्यक्षों से पेंशन प्रपत्र आदि मंगवाने में कठिनाई का सामना न करना पड़े, उपरोक्त विभागों के प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष अपने कार्यालय के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को इस प्रणाली के लागू करने हेतु समन्वय अधिकारी के रूप में नामित करेंगे। उपरोक्त विभागों के कार्यालयाध्यक्ष प्रतिवर्ष पहली जनवरी

तथा पहली जुलाई को ऐसे व्यक्तियों की एक छमाही सूची तैयार करेंगे जो अगले 24 से 30 माह तक सेवानिवृत्त होने वाले हों तथा उसकी एक प्रति मुख्य लेखा अधिकारी को तथा एक प्रति उपरोक्तानुसार नामित प्रशासनिक अधिकारी को भेजेंगे। यदि सूचना शून्य हो तो संबंधित कार्यालयाध्यक्ष मुख्य लेखा अधिकारी को शून्य सूचना भेजेंगे। मुख्य लेखा अधिकाररी तथा उपरोक्तानुसार नामित अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वे इन सूचियों में उल्लिखित नामों को अपने कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र (फार्म–1) पर एक रजिस्टर में अंकित कर लें। यह रजिस्टर मास्टर रजिस्टर के रूप में उपयोग में लाया जायगा तथा पेंशन प्रपत्रों की प्राप्ति तथा निर्गमन संबंधी सूचना इस रजिस्टर में दर्ज की जायेगी। जो पेंशन–प्रपत्र प्राप्त होंगे उन्हें उपरोक्त रजिस्टर के अतिरिक्त एक अन्य रजिस्टर (फार्म–2) में दर्ज किया जायगा। यह रजिस्टर पेंशन चेक रजिस्टर कहलायेगा और स्वीकृति संबंधी पूर्व सूचना का मुख्य रजिस्टर होगा। इस रजिस्टर को कभी बीड नहीं किया जायेगा और इसी रजिस्टर को भविष्य में संदर्भ हेतु तथा समय–समय पर होने वाले पेंशनों के पुनरीक्षण हेतु उपयोग में लाया जायेगा। पेंशन प्राधिकार पत्रों पर भी इस रजिस्टर के सन्दर्भ का नम्बर होगा और यही सन्दर्भ सम्बन्धित पेंशनर के सम्बन्ध में भविष्य में उपयोग में लाया जायेगा। पुलिस विभाग संदर्भ संख्या पहले शब्द 'पुलिस' का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण तथा राजस्व विभाग शब्द 'सिंचाई', 'सानिवि' तथा 'राजस्व' का प्रयोग करेंगे। बाद में यदि किसी व्यक्ति के पेंशन–प्रपत्र निर्धारित समय सारिणी के अनुसार प्राप्त न हों तो मुख्य लेखा अधिकारी तथा उपरोक्तानुसार नामित अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को पेंशन प्रपत्र भेजने के संबंध में पत्र भेजें। यदि फिर भी किसी कार्यालयाध्यक्ष से पेंशन प्रपत्र प्राप्त न हो तो उपरोक्तानुसार नामित अधिकारी संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करें।

3–संबंधित पेंशन प्राधिकार–पत्र के कोषाधिकारी के स्तर पर तथा ग्रेच्युटी/राशिकरण संबधी प्राधिकार–पत्र आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्तर पर प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी उन्हें एक रजिस्टर, जो वित्त हस्त–पुस्तिका भाग–पांच, खंड–दो के फार्म सं0 51 (प्रारूप संलग्न) में निर्धारित है, पर दर्ज कर लेंगे। कोषाधिकारी इसी रजिस्टर के क्रमांक को पेंशन प्राधिकार–पत्र (दोनों प्रतियों) पर दर्ज करेंगे और कोषाधिकारी के कार्यालय में डिस्बर्स हाफ को ढूंढने में उसका उपयोग करेंगे।

4–पेंशन प्रपत्रों के प्राप्त होने के उपरान्त मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय में निम्न कार्यवाही अपेक्षित होगी :–

(1) वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पेंशन–प्रपत्र हर प्रकार से पूर्ण हैं।

(2) सेवा–पुस्तिका में सेवा संबंधी समस्त प्रविष्टियां पूर्ण हैं तथा वे उचित स्तर से प्रमाणित की गयी हैं। यदि सेवा–पुस्तिका में कुछ अवधि/अवधियां सत्यापित न हों, तो संबंधित सरकारी सेवक से, शासनादेश संख्या सा–3–1998/दस–932–80, दिनांक 16 जनवरी, 1981 के पैरा 3 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार एक शपथ–पत्र प्राप्त कर उस भाग को पेंशन के प्रयोजन हेतु अर्ह सेवा मान लेंगे।

(3) यदि अभिलेख पूर्ण है तो वे निर्धारित प्रपत्र पर संबंधित सरकारी सेवक की सेवा निवृत्ति की तिथि से ठीक 10 माह पूर्व का औसत वेतन आगणित करेंगे और सेवा पुस्तिका की सहायता से उसकी अर्हकारी सेवा आगणित करेंगे। इन आंकड़ों के आधार पर पेंशन नियम एवं शासनादेशों में उल्लिखित प्रक्रिया और दरों पर पेंशन का आगणन करके पेंशन प्राधिकार–प्रपत्र निर्गत करेंगे।

(4) इसी प्रकार के पेंशन नियमों में एवं शासनादेशों में उल्लिखित प्रक्रिया और दरों पर मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेंशन की राशिकरण की धनराशि का आगणन करेंगे और निर्धारित प्रपत्र पर प्राधिकार–पत्र निर्गत करेंगे।

(5) पेंशन तथा अन्य प्राधिकार पत्रों को निर्गत करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि उक्त पत्रों पर निर्धारित सभी सूचना सही–सही भर दी गयी है जिससे संबंधित कोषाधिकारी अथवा आहरण एवं वितरण अधिकारी को उसका भुगतान करने में कठिनाई न हो।

(6) यदि किसी सरकारी सेवक की सेवा की अवधि वाह्य सेवा की है तो संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को पेंशन–प्रपत्र भेजने के पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहय सेवायोजक द्वारा संबंधित अवधि के अवकाश एवं पेंशन अंशदान उन्हें भेज दिये गये हैं अथवा नहीं और यदि भेज दिये गये हों तो पेंशन प्रपत्रों के साथ उनकी चालान संख्या तथा कोषागारों के नाम तथा उस धनराशि की सूचना संलग्न करनी होगी जिनके माध्यम से अवकाश वेतन अंशदान एवं पेंशन अंशदान जमा किये गये हों। यदि ऐसी सूचना उपलब्ध न हो तो पेंशन प्रपत्रों को भेजे जाने में विलम्ब न किया जाय बल्कि कार्यालयाध्यक्ष यथाशीघ्र उसके बाद ऐसी सूचना एकत्रित करके मुख्य लेखा अधिकारी को उपलब्ध करा दें। यदि फिर भी पेंशन स्वीकृति के संबंध में उक्त सूचना उपलब्ध न हो पाये तो मुख्य लेखा अधिकारी पेंशन स्वीकृति संबंधी कार्य में ऐसी सूचना प्राप्त न होने के कारण विलम्ब न करें किन्तु कार्यालयाध्यक्ष से निरन्तर पत्र व्यवहार करके वांछित सूचना प्राप्त कर लें।

5–यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश से बाहर किसी अन्य प्रदेश के कोषागार के माध्यम से पेंशन आहरित करना चाहता है तो उसके लिये उसे फार्म संख्या 25 सी0एस0आर0 की तीन प्रतियां भेजनी चाहिये। मुख्य लेखा अधिकारी पेंशन आदि की स्वीकृति प्रदान कर फार्म संख्या 25 सी0एस0आर0 की दो प्रतियां महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर प्रदेश को पेंशन स्वीकृति संबंधी अन्य प्रपत्रों के साथ इस आशय से प्रेषित करेंगे कि वे संबंधित महालेखाकार को उसकी पेंशन के वितरण करने हेतु संबंधित कोषाधिकारी को अधिकृत कर दें। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश संबंधित महालेखाकार को भेजे गये ऐसे पत्र की एक प्रति मुख्य लेखा अधिकारी तथा एक प्रति संबंधित पेंशनर को भी भेजेंगे।

6–यदि कोई व्यक्ति प्रदेश में ही पेंशन का भुगतान अपनी नियुक्ति के स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से लेना चाहता है तो मुख्य लेखा अधिकारी पेंशन प्राधिकार–पत्र उस जिले के कोषाधिकारी को भेज देंगे और कवरिंग–पत्र की एक प्रति कार्यालयाध्यक्ष को तथा एक प्रति संबंधित पेंशनर को भेजेंगे।

7–इस प्रणाली के अन्तर्गत उपरोक्त विभागों के मुख्य लेखा अधिकारियों द्वारा निर्गत किये गये पेंशन प्राधिकार पत्रों पर पहले तथा उसके उपरान्त किये जाने वाले मासिक भुगतान उस जिले के कोषाधिकारी द्वारा किये जायेंगे, जहां से संबंधित पेंशनर अपनी पेंशन लेना चाहता हो। यदि कोई पेंशनर कोषागार के स्थान पर उप कोषागार से पेंशन आहरित करना चाहता है तो पेंशन प्राधिकार–पत्र जिले के कोषाधिकारी को ही भेजे जायेंगे तथा वे ही पेंशन आहरण करने हेतु संबंधित उप कोषागार को अधिकृत करेंगे। मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेंशन के राशिकरण की धनराशियों का भुगतान कोषागार के माध्यम से नहीं किया जायेगा बल्कि संबंधित मुख्य लेखा अधिकारी इस प्रकार के भुगतानों के प्राधिकार–पत्र उस आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित कर देंगे जहां से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्त हुआ हो। यदि पेंशन का राशिकरण पेंशन स्वीकृत होने के साथ नहीं कराया गया है तो पेंशन राशिकृत धनराशि का भुगतान कोषाधिकारी द्वारा किया जायगा तथा पेंशनर की पेंशन कोषाधिकारी द्वारा तदनुसार घटा दी जायेगी।

संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी उपरोक्त भुगतानों के आहरण हेतु निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनायेंगे और उन्हें कोषागार से पारित करवाकर संबंधित व्यक्ति को उसका भुगतान कर देंगे। यदि भुगतान नियुक्ति के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से किये जाने हेतु आवेदन किया जाय तो उस दशा में संबंधित व्यक्ति को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान कर दिया जायेगा। सिंचाई तथा सार्वजनिक निर्माण

विभाग में चेक प्रणाली लागू है अतः संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की ग्रेच्युटी एवं पेंशन के राशिकरण के भुगतान हेतु बिल बनाकर उन्हें कोषागार को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।

8–पेंशन एवं अन्य देयों से संबंधित प्राधिकार–पत्र निर्गत करने के उपरान्त एक अन्य अधिकारी द्वारा, जो पेंशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अन्तर्गत कार्यरत होंगे तथा उन्हीं को सीधे उत्तरदायी होंगे, सभी प्राधिकार पत्रों की शत–प्रतिशत कार्योत्तर सम्परीक्षा की जायेगी। कार्योत्तर सम्परीक्षा किये जाने के उपरान्त ऐसे अधिकारी निर्धारित प्रपत्र पर आवश्यक सूचना पेंशन अधिकारी को प्रेषित करेंगे। यदि कार्योत्तर सम्परीक्षा के उपरान्त पेंशन अथवा अन्य देयों के संबंध में त्रुटि पायी गयी तो मुख्य लेखा अधिकारी का दायित्व होगा कि वे त्रुटि सुधार करके प्रश्नगत प्राधिकार–पत्र पुनः निर्गत करें। अधिक भुगतान होने की दशा में कोषाधिकारी अथवा आहरण एवं वितरण अधिकारी संबंधित पेंशनर से अधिक भुगतान हुई धनराशि की वसूली की कार्यवाही करेंगे। पेंशन में अधिक भुगतान होने की दशा में यह वसूली किश्तों में की जा सकती है। अन्य भुगतानों के संबंध में संबंधित पेंशनर को अधिक भुगतान की गयी धनराशि को एक मुश्त में कैश में जमा करना होगा। इस हेतु संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी पेंशनर को भुगतान किये जाने के पूर्व एक इन्डेम्निटी बान्ड (फार्म–3) भरवा लेंगे जिस पर कार्यालय के दो अधिकारियों / कर्मचारियों का साक्ष्य प्राप्त किया जायगा।

9–यदि किसी कारणवश सेवा निवृत्ति के दिनांक के एक मास पूर्व किसी व्यक्ति की पेंशन अथवा मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी के संबंध में प्राधिकार–पत्र निर्गत किया जाना संभव न हो पाये तो संबंधित कार्यालयाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वे शासनादेश संख्या सा–3–2085 / दस–907 / 76, दिनांक 13–12–77 एवं सा–3–1797 / दस–921 / 84, दिनांक 13–2–85 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित व्यक्ति को अनन्तिम पेंशन एवं ग्रेच्युटी स्वीकृत कर दें एवं शासनादेश संख्या सा–3–2921 / दस–भ0ले0–7–78, दिनांक 27–1–79 के अन्तर्गत निर्धारित परिशिष्ट 1 पर आवश्यक सूचना महालेखाकार के स्थान पर विभाग के मुख्य लेखा अधिकारी को प्रेषित कर दें और उसका आहरण पेंशन के मामले में सेवा निवृत्ति के एक माह के बाद के माह की पहली तिथि से प्रारम्भ कर दें तथा मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी की धनराशि का भुगतान सेवा निवृत्ति के माह से अगले माह की पहली तिथि को ही कर दें।

10–मुख्य लेखा अधिकारी पेंशन तथा अन्य देयों से संबंधित प्राधिकार पत्र निर्गत करने के लिये अंतिम रूप से जिम्मेदार होंगे। यदि संबंधित अधिकारी / कर्मचारी अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इनके निर्णय में कोई विवाद उत्पन्न किया जायेगा तो संबंधित अधिकारी / कर्मचारी विभागाध्यक्ष को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे जो विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यक निर्णय हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा।

11–भारत के संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा बनाये गये ट्रेजरी रूल्स में यह प्राविधान है कि कोषाधिकारी सामान्य प्रकार से भुगतान करने हेतु अधिकृत नहीं है जब तक ऐसा भुगतान नियमों के अन्तर्गत किया जाना अपेक्षित न हो अथवा उसके लिये महालेखाकार का प्राधिकार पत्र उपलब्ध न हो। ट्रेजरी रूल 22 में यह प्राविधान है कि सरकारी सेवकों को मिलने वाली पेंशन की दरें महालेखाकार द्वारा कोषाधिकारी को सूचित की जायेंगी। उपरोक्त प्रणाली को लागू करने हेतु संबंधित ट्रेजरी रूल्स को संशोधित करना होगा जिसमें समय लगने की सम्भावना है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित नियमों के संशोधन के औपचारिक आदेश निर्गत होने के पूर्व इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से उन्हें संशोधित माना जायेगा और संबंधित कोषाधिकारी मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा जारी किये गये भुगतान प्राधिकार पत्रों पर भुगतान करने हेतु अधिकृत समझे जायेंगे।

12–उपरोक्त कार्य के लिये संबंधित विभागों में निम्नलिखित अस्थायी पदों के 28 फरवरी, 1986 तक अथवा यदि उसके पूर्व समाप्त न कर दिये जायं, सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

	सहायक लेखा अधिकारी (690—1420)	लेखाकार (570—1100)	टंकक (354—550)	रिकार्ड कीपर (430—685)	चपरासी (305—390)	योग
1—पुलिस विभाग	1	6	1	1	1	10
2—सार्वजनिक निर्माण विभाग	1	4	1	1	1	8
3—सिंचाई विभाग	1	5	1	1	1	9
4—राजस्व विभाग	1	4	1	1	1	8
					कुल योग	35

उपरोक्त पदों में से निम्न पद संबंधित विभाग द्वारा वर्तमान स्टाफ में से भरे जायेंगे तथा शेष पदों को सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति से भरा जायेगा।

	लेखाकार
पुलिस विभाग	2
सार्वजनिक निर्माण विभाग	2
सिंचाई विभाग	2
राजस्व विभाग	2

उपरोक्तानुसार स्वीकृत सभी पदों पर कार्यरत कर्मचारी सीधे मुख्य लेखा अधिकारी के अधीन कार्य करेंगे और उन्हीं को उत्तरदायी होंगे। वे ही उनकी चरित्र पंजिका में प्रविष्टि करने हेतु अधिकृत होंगे।

13—उपरोक्त विभागों के मुख्य लेखा अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस बीच सभी पेंशन नियमों तथा शासनादेशों का अध्ययन कर लें जिससे पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत करने में कठिनाई न हो।

आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त प्रणाली का भली प्रकार अध्ययन कर लें और उसे अपने विभाग में 1—8—85 से लागू करने की कृपा करें।

भवदीय,
जे0 पी0 सिंह
वित्त सचिव।

फार्म–1 (मास्टर इण्डेक्स रजिस्टर)

दिनांक	क्रमांक	कार्यालय का नाम तथा पता	पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का नाम व स्थायी पता	पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर के पिता / पति का नाम	सेवा निवृत्ति / मृत्यु तिथि	पेंशन प्रपत्र प्राप्त होने की तिथि	पेंशन तथा अन्य देयों की स्वीकृति का पत्र सं0 एवं दिनांक	उस अधिकारी का पद नाम जिसे पेंशन तथा अन्य प्राधिकार पत्र निर्गत किये गये	चेक रजिस्टर का		हस्ताक्षर		विवरण
									पृष्ठ सं0	क्रम सं0	पेंशन लिपिक	सहायक लेखा अधिकारी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

फार्म–2 (चेक रजिस्टर)

क्र0 सं0	मास्टर इण्डेक्स रजिस्टर का क्रम संख्या एवं दिनांक	सरकारी सेवक का नाम, पिता/पति का नाम व वर्तमान पता तथा सेवानिवृत्ति के उपरान्त स्थायी पता	सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के नाम/जन्म तिथि पते यदि परविार न हो तो विधिक उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों के नाम जन्म तिथि तथा पते	सरकारी सेवक					पत्र संख्या एवं दिनांक जिसके साथ पेंशन प्रपत्र प्राप्त हुए
				की जन्म तिथि	की सेवा प्रारम्भ की तिथि	की सेवा सेवानिवृत्ति की तिथि	की मृत्यु की तिथि	का पद जिस पर स्थायी घोषित किया गया तथा स्थायीकरण का दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

सेवा में व्यवधान/व्यवधानों की अवधि यदि कोई हो और क्या अर्हकारी सेवा का आगणन करते समय उसके पूर्व की सेवा को सम्मिलित किया गया	सेवा की अन्य अवधियों जैसे निलम्बन की अवधि अथवा अन्य अनधिकृत अनुपस्थितियों का विवरण तथा यदि वे विनियमित की जा चुकी हों तो उस अधिकारी का पद नाम तथा पत्र संख्या एवं दिनांक जिसके द्वारा उसे विनियिमित किया गया। यदि विनियमित न किया गय हो तो उसका कारण और क्या अर्हकारी सेवा का आगणन करते समय उसे सेवा में सम्मिलित किया गया।	अर्हकारी सेवा का आगणन	सेवा निवृत्ति के दिनांक से 10 माह पूर्व तक के औसत वेतन का आगणन	पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का वास्तविक आगणन	ग्रेच्युटी की धनराशि का आगणन	राशिकरण की धनराशि का आगणन	पत्र/पत्रों की संख्या एवं दिनांक जिसके/जिनके द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी राशिकरण प्राधिकार पत्र भेजे गये
11	12	13	14	15	16	17	18

आहरण एवं वितरण अधिकारी तथा कोषाधिकारी का नाम जिसे ग्रेच्युटी/राशिकरण तथा पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्राधिकार पत्र भेजे गये	हस्ताक्षर			विवरण
	पेंशन लिपिक	सहायक लेखाधिकारी	मुख्य लेखा अधिकारी	
19	20			21

FORM 3

(*To be signed by the retired Government servant*)

This deed of indeminty is made on the.. day of ....19..... corresponding to Saka Samvat the day..19.... by Sri.. S/o.. Resident of... (Bounden) IN FAVOUR OF the Governor.

Whereas:

1. the Bounden above named was in the service of the Government of Uttar Pradesh (called 'the Government') as .... (designation) in .... (name of office).

2. The Bounden above named has retired on ....

3. Government is willing to disburse death-*cum*-retirement gratuity and/or commuted value of pension to the Bounden on condition that the bounden shall execute a bond, being these presents, to indemnify and save harmless the Government from any loss which the Government may incur by reason of any moneys the bounden may be paid in excess of those admissible to him under the Rules.

Now this deed witnesses:

1. In consideration of Government agreeing to pay death-*cum*-retirement gratuity or commuted value of pension to the Bounden, the Bounden hereby covenants with the Governor that the Bounden shall pay on demand to the Government all moneys that might have been paid to him excess of those admissible to him under the Rules.

2. Any amount due under this deed may, on the intimation of the Chief Accounts Officer which shall be final, conclusive and binding on the Bounden, be recoverd from him and in the event of default be recovered as arreas of land revenue.

In witness to the above writen bond and the conditions thereof the Bounden has signed hereunder on the day and year first above written.

The stamp duty on this instrument will be borned by the Government.

Signed by

Bounden

Witness:

1. Signature

Full name

Address

2. Signature

Full name

Address

FORM No. 51

(*See* Chapter 21, Para 511, F. H.B. Vol. V, Part II)

REGISTER OF PENSION PAYMENT ORDERS ON.................................TREASURY

Number of Pension payment Order	Name of pensioner	Monthly amount		Remarks
		Rs.	P.	

————————

संख्या सा—3—50—86 / दस—912 / 85

प्रेषक,

श्री हरगोविन्द डबराल,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक कोषागार,

लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 लखनऊ : दिनांक : 3 जनवरी, 1986

विषय :— पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या सा—3 / 1446(1) / दस—912 / 85, दिनांक 6 अगस्त, 1985 के क्रम में मुझे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि उक्त शासनादेश के पैरा 1(9) में यह प्राविधान किया गया था कि संबंधित मुख्य लेखा अधिकारी अपने नमूने के हस्ताक्षर पहली बार महालेखाकार से सत्यापित करवाकर प्रदेश के सभी कोषाधिकारियों को सील्ड कवर में गोपनीय रूप से प्रेषित करेंगे। इस बिन्दु के संबंध में महालेखाकार द्वारा पूर्व निर्धारित प्राविधान में अपने परिपत्र संख्या टी0एम0 / पेंशन / 469, दिनांक 25—11—85 के पैरा 2 द्वारा किंचित संशोधन कर अब यह प्रक्रिया प्रदेश के कोषाधिकारी को संसूचित की गयी है कि प्रश्नगत विभागों के विभागाध्यक्ष अपने अधिकृत मुख्य लेखा अधिकारियों के नमूने के हस्ताक्षर स्वयं सत्यापित कर तथा अपनी सील के साथ निदेशक, कोषागार एवं लेखा के माध्यम से कोषाधिकारियों को भेजेंगे।

2—महालेखाकार द्वारा निर्धारित की गयी उपरोक्त प्रक्रिया का शासन स्तर पर परीक्षण किया गया है और परीक्षण उपरान्त राज्यपाल महोदय ने सहर्ष आदेश प्रदान किये है कि शासनादेश संख्या सा—3 / 1446(1) / दस—912 / 85, दिनांक 6 अगस्त, 1985 के पैरा 1(9) में उल्लिखित प्रक्रिया को महालेखाकार द्वारा संशोधित प्रक्रिया से प्रतिस्थापित कर दिया जाय।

3—आपसे अनुरोध है कि आप तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

हरगोविन्द डबराल

विशेष सचिव।

<u>संख्या–सा–3–555 / दस–912 / 85</u>

प्रेषक,

श्री विजय कृष्ण सक्सेना,
प्रमुख वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–निदशक, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
2–निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3–आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, उ0 प्र0, लखनऊ।
4–निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 19 मार्च, 1987

विषय :– पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का दिनेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा–3 / 1446 / दस–912–85, दिनांक 6 अगस्त, 1985 में जारी आदेशों के अनुसार पुलिस विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा राजस्व परिषद् के कर्मचारियों के सेवा निवृत्त होने पर देय पेंशनीय लाभों की स्वीकृति एवं भुगतानादेश जारी करने का कार्य महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के बजाय उक्त विभागों के मुख्य लेखा अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत प्रक्रिया भी उपर्युक्त शासनादेश में ही निर्धारित की गई थी। यह योजना उक्त विभागों के दिनांक 31 जुलाई, 1985 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के संबंध में लागू की गयी थी।

2–अब शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त योजना के आधार पर ही दिनांक 31 मार्च, 1987 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त होने वाले आपके विभाग के सरकारी सेवकों के संबंध में भी पेंशनीय लाभों की स्वीकृति एवं भुगतानादेश जारी करने का कार्य महालेखाकार के बजाय आपके विभाग के मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा ही सम्पादित किया जायेगा। आपके विभाग में इस योजना को लागू करने हेतु विस्तृत रूपरेखा वही रहेगी जैसी कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 6 अगस्त, 1985 (प्रतिलिपि संलग्न) में जारी की गयी है। उक्त शासनादेश के पैरा–1(9) में जारी आदेशों में शासनादेश संख्या सा–3–85–86 / दस–912–85, दिनांक 3 जनवरी, 1986 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा किंचित संशोधन कर दिया गया है।

3–चूंकि ग्राम्य विकास विभाग तथा पशुपालन विभाग में मुख्य लेखा अधिकारी का पद नहीं है अतएव उक्त विभागों में वरिष्ठ लेखा अधिकारी के वर्तमान पद को उच्चीकृत करके मुख्य लेखा अधिकारी का पद सृजित करा लिया जायेगा।

4–उपरोक्त कार्य के संचालन हेतु उपरोक्त पांचों विभागों के लिये निम्नलिखित अतिरिक्त अस्थायी पदों के 25 फरवरी, 1988 तक अथवा यदि उसके पूर्व समाप्त न कर दिये जायें, सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है––

	सहायक लेखा अधिकारी (690–1,420)	लेखाकार (570–1,100)	टंकक (354–550)	रिकार्डकीपर (430–685)	चपरासी (305–390)	योग
1–उद्योग विभाग	1	2	1	1	1	6
2–कृषि विभाग	1	3	1	1	1	7
3–ग्राम्य विकास विभाग	1	3	1	1	1	7
4–पशुपालन विभाग	1	2	1	1	1	6
5–शिक्षा विभाग	1	5	1	1	1	9

उपरोक्त पदों में सहायक लेखा अधिकारी का पद निदेशक, कोषागार एवं लेखा द्वारा तथा टंकक, रिकार्ड कीपर एवं चपरासी के पद सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। लेखाकार का पद, यदि विभाग आवश्यक समझे तो लेखा परीक्षकों अथवा कोषागार के लिपिक सम्वर्ग से भी भरा जा सकता है और उस स्थिति में यह पद असंवर्गीय पद समझा जायेगा। उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त यदि आवश्यक हुआ तो संबंधित विभाग अपने वर्तमान स्टाफ को लगायेगा।

उपरोक्त योजना पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग के लेखा शीर्षक से चालू वित्तीय वर्ष की बचतों से वहन किया जायेगा। आगामी वर्षों के व्यय हेतु संबंधित विभाग अपने आय–व्ययक में स्वयं प्राविधान करायेंगे।

भवदीय,

विजय कृष्ण सक्सेना

प्रमुख सचिव।

——————

संख्या–सा–3–796/दस–907/87

प्रेषक,

श्री विजय कृष्ण सक्सेना,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 6 मई, 1987

विषय :– पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त योजना के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्य की समीक्षा करने पर यह तथ्य शासन की जानकारी में आया है कि कतिपय विभागों में कार्यभार की तुलना में पूर्व स्वीकृत स्टाफ कम महसूस हो रहा है। अतएव योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु भी राज्यपाल महोदय ने 28 फरवरी, 1988 अथवा यदि उसके पूर्व ही समाप्त कर दिये जायें, तक निम्नलिखित अतिरिक्त अस्थाई पदों के सृजन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है :–

विभाग का नाम	सहायक लेखा अधिकारी	लेखाकार
राजस्व परिषद्	1	5
सार्वजनिक निर्माण विभाग	. .	2
सिंचाई विभाग	1	3
पुलिस मुख्यालय	1	..

उपरोक्त अतिरिक्त पद पूर्व स्वीकृत पदों के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही भरे जायेंगे। इन पदों पर होने वाला व्यय सम्बन्धित विभाग के लेखा शीर्षक के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक में बचतों से वहन किया जायेगा और आगामी वर्षों के लिये सम्बन्धित विभाग स्वयं अपने आय–व्ययक में आवश्यक प्राविधान करायेंगे तथा उसकी निरन्तरता की स्वीकृति जारी करायेंगे।

भवदीय,

विजय कृष्ण सक्सेना

प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या सा–3–893/दस–88–912–85

लखनऊ, दिनांक 2 जून, 1988

कार्यालय–ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि पेंशन प्राधिकार पत्रों के निर्गम में होने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिये राज्य सरकार ने पार्श्वांकित शासनादेशों द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, खाद्य तथा रसद विभाग, वन विभाग, बिक्रीकर विभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग, उद्योग विभाग, कृषि विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुधन विभाग तथा शिक्षा विभाग के पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करके इन विभागों से सम्बन्धित पेंशन तथा अन्य सेवा नैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति आदि के कार्यो को महालेखाकार कार्यालय से वापस लेकर उसे विभागीय मुख्य लेखाधिकारियों के माध्यम से करवाने के लिये स्वीकृति प्रदान की थी। विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रिया के अच्छे परिणामों तथा फरवरी, 1987 में मुख्य सचिवों के सम्मेलन में की गई संस्तुति ''कि राजस्थान सरकार की भांति अन्य सरकारों द्वारा अपने सेवकों के पेंशन सम्बन्धी कार्य को महालेखाकार कार्यालयों से वापस लेकर स्वयं कराया जाये'' के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा उक्त 13 विभागों, जिनका प्रश्नगत कार्य पहले ही महालेखाकार कार्यालय से वापस लिया जा चुका है, के अतिरिक्त अन्य सभी विभागों (भारतीय सेवा के अधिकारियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के सदस्यों, राजनैतिक पेंशनरों, विधान सभा तथा विधान परिषद् के सदस्यों को छोड़कर) के सरकारी कर्मचारियों के सेवा नैवृत्तिक लाभों यथा पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन के राशिकरण आदि के प्राधिकार पत्रों के निर्गमन के कार्य को 1 अक्टूबर, 1988 से महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से वापस लेने तथा उसे सुचारू रूप से सम्पादित करने के लिये एक पेंशन निदेशालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

(1) शा0 आ0 सं0 सा–3–1446(1)/दस–912/ 85, दिनांक 6 अगस्त, 1985
(2) शा0 आ0 सं0 सा–3–1480/दस–912/85, दिनांक 6 अगस्त, 1986
(3) शा0 आ0 सं0 सा–3–555/दस–912/85, दिनांक 19 मार्च, 1987

2–पेंशन निदेशालय द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जायेंगे :–

(1) उक्त पैरा–1 में उल्लिखित 13 विभागों के अतिरिक्त शेष सभी विभागों के सरकारी सेवकों, जो 30 सितम्बर, 1988 या उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होंगे, के सेवानैवृत्तिक लाभों के देयों के प्राधिकार पत्र जारी करना।

(2) प्रदेश के विभिन्न पेंशनरों की पेंशन सम्बन्धी समस्याओं तथा कठिनाइयों का निराकरण करना। कठिनाइयों एवं समस्याओं के निराकरण के लिये पेंशन निदेशालय ''नोडल प्वाइंट''' होगा।

(3) उक्त पैरा–1 में उल्लिखित 13 विभागों द्वारा किये जा रहे पेंशन प्राधिकार पत्रों/भुगतानादेशों के निर्गमन के कार्य का समन्वय करना तथा उनका मार्ग दर्शन करना।

(4) पेंशन सम्बन्धी समस्त जानकारी व आंकड़ों को वैज्ञानिक ढंग से एकत्रित करना और सुरक्षित रखना तथा शासन को उपलब्ध कराना।

(5) पेंशन सम्बन्धी कार्य–प्रणाली व नियमों के सरलीकरण आदि के सम्बन्ध में शासन को समय–समय पर सुझाव देना और आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना।

(6) अन्य कार्य जो शासन द्वारा समय–समय पर सौंपे जायें, का सम्पादन करना।

3–चूंकि पेंशन निदेशालय की स्थापना का निर्णय 1 अक्टूबर, 1988 से लिया गया है और निदेशालय 1 अक्टूबर, 1988 से कार्य करना आरम्भ करेगा, अतः इसके पूर्व के सभी मामलों में महालेखाकार ही पेंशन सम्बन्धी सभी प्राधिकार–पत्र निर्गमन करने हेतु अधिकृत रहेंगे और सभी अभिलेख उन्हीं के कार्यालय द्वारा यथावत रखे जायेंगे। इसके अतिरिक्त महालेखाकार द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राजनैतिक पेंशनरों, विधान सभा व विधान परिषद् के सदस्यों के पेंशन प्राधिकार–पत्रों के निर्गमन से सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्व की भांति यथावत् किया जाता रहेगा।

4–उक्त पैरा–1 व 2 में उल्लिखित प्रयोजन हेतु राज्यपाल महोदय अक्टूबर, 1988 से पेंशन निदेशालय को स्थापना करने एवं उसके कार्य को समुचित एवं सुचारू रूप से सम्पादित एवं संचालित करने के लिये संलग्नक–1 में उल्लिखित अस्थायी पदों को उसके समक्ष अंकित वेतनमानों में इस शासनादेश की तिथि या नियुक्ति की तिथि, जो कि बाद में हो, से 28 फरवरी, 1989 तक, यदि इसके पूर्व ही उन्हें किसी सूचना के बिना समाप्त न कर दिया जाये, के लिये सृजित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

5–संलग्नक–1 में उल्लिखित पदों के धारकों को वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा सम्य–समय पर स्वीकृत महंगाई एवं अन्य भत्ते, जो भी नियमानुसार अनुमन्य हो, भी देय होंगे।

6–पेंशन निदेशालय की स्थापना के बाद पेंशन अधिकारी के कार्यालय के कार्यकलाप व संलग्नक–2 में उनके कार्यालय के लिये स्वीकृत स्टाफ/पद के अलग से बने रहने की कोई आवश्यकता एवं औचित्य नही है, अतः राज्यपाल महोदय पेंशन अधिकारी के कार्यालय को पेंशन निदेशालय में सम्मिलित करके उसे समाप्त करने तथा उसके लिये स्वीकृत स्टाफ को संलग्नक–1 में निदेशालय के लिये स्वीकृत समकक्षीय पदों में समायोजित करने एवं संलग्नक–2 में उल्लिखित अस्थायी पदों को समायोजन की तिथि को समाप्त करने तथा स्थायी पदों को आस्थगित रखने के लिये भी स्वीकृति प्रदान करते हैं। पेंशन अधिकारी के कार्यालय के सभी कर्मचारी पेंशन निदेशालय में ही कार्य करेंगे। पेंशन निरीक्षकों को निदेशालय के लिये स्वीकृत लेखाकारों के पदों के समक्ष उसी वेतनमान में समायोजित कर दिया जायेगा। अन्य कर्मचारियों को उनके समकक्षीय पदों पर या उनकी योग्यता व अनुभव के आधार पर उच्च पदों पर निदेशालय में समायोजित कर दिया जायेगा।

7–चूंकि पेशन सम्बन्धी कार्य के लिये अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता है। अतः पेंशन निदेशालय के लिये स्वीकृत पदों में से निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं उपनिदेशक के पद वित्त एवं लेखा संवर्ग से तथा सहायक लेखाधिकारियों के पद सहायक लेखाधिकारी संवर्ग से भरे जायेंगे तथा सम्बन्धित सेवा संवर्गों में अस्थायी संवर्द्धन के रूप में होंगे। लेखाकारों के पदों को वित्त विभाग के अधीन विभागाध्यक्षों तथा अन्य विभागाध्यक्षों व महालेखाकार के कार्यालयों से उपयुक्त एवं अनुभवी कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेकर भरा जायेगा, लेकिन अन्य विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार के कार्यालयों से लिए गये कर्मचारियों की संख्या स्वीकृत पदों के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी। शेष पदों को नियमानुसार सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

8–राज्यपाल महोदय पेंशन निदेशालय के लिये निम्नलिखित साज–सज्जा, मशीनों, स्टाफ, कार, टेलीफोन आदि की व्यवस्था के लिये चालू वित्तीय वर्ष में 6,64,000 रू0 (छः लाख चौसठ हजार रुपये मात्र) के अनावर्तक व्यय की भी स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) टाइपराइटर	10	60,000
(2) साइक्लोस्टाईल मशीन	1	8,000

(3) फोटो कापियर्स	1	1,50,000
(4) फर्नीचर	..	3,00,000
(5) स्टाफ कार	1	1,10,000
(6) टेलीफोन	4	36,000
(निदेशक व संयुक्त निदेशक के लिये एक–एक कार्यालय हेतु तथा एक–एक आवास हेतु)	योग	6,64,000

9–उक्त मशीनों, फर्नीचर, स्टाफ कार, टेलीफोन की व्यवस्था स्टोर परचेज रूल्स व शासन के संगत नियमों एवं आदेशों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

10–पेंशन निदेशालय के लिये संलग्नक–3 में उल्लिखित मदों के अन्तर्गत कुल 29,63,000 रु0 के व्यय हेतु चालू वित्तीय वर्ष के बजट में प्राविधान किया गया है। इस धनराशि का व्यय शासन के संगत आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

11–उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक के लेखा शीर्षक ''2054–01 पेंशन निदेशालय'' राजकोष और लेखा प्रशासन–आयोजनेतर–800–अन्य व्यय (अनुदान संख्या 58) के नामे लिखा जायेगा।

12–राज्यपाल महोदय पेंशन निदेशालय के निदेशक को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1, 2 (भाग–2 से 4) 3 तथा 5 (भाग–1) एवं जी0पी0एफ0 रूल्स में उल्लिखित संगत नियमों के प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष एवं उसके अराजपत्रित अधिष्ठान के नियुक्ति प्राधिकारी एवं विभागाध्यक्ष तथा पेंशन निदेशालय के बजट के लिये नियंत्रक अधिकारी घोषित करते हैं।

भवदीय,
वी0 के0 सक्सेना
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

शासन के समस्त सचिव।
विशेष सचिव एवं विभागाध्यक्ष।

कार्यालय ज्ञाप संख्या सा0–3–893/दस–88–912, दिनांक 2 जून, 1988 का

संलग्नक–1

पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के लिये स्वीकृत स्टाफ का विवरण

क्रम–संख्या	पद	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	निदेशक	2400–100–2800	1
2	संयुक्त निदेशक	1840–60–1900–75–2200–100–2400	1
3	उप निदेशक	1250–50–1300––60–16660–द0रो0–60–1900–75–2050	3
4	सहायक लेखाधिकारी	690–40–970–द0रो0–40–1050–50–1200–द0रो0–50–1300–60–1420	6
5	लेखाकार	570–25–770–द0रो0–30–980–द0रो0–30–1100	32
6	आशुलिपिक (निदेशक से सम्बद्ध)	625–30–835–द0रो0–30–925–35–1065–द0रो0–35–1240–द0रो0–40–1360	1
7	आशुलिपिक	515–15–590–18–626–द0रो0–18–680–20–780–द0रो0–20–860	3
8	रिकार्ड कीपर	430–12–490–15–520–द0रो0–15–640–द0रो0–15–685	6
9	वरिष्ठ लिपिक	430–12–490–15–520–द0रो0–15–640–द0रो0–15–685	2
10	बिल लिपिक	430–12–490–15–520–द0रो0–15–640–द0रो0–15–685	1
11	कैशियर	430–12–490–15–520–द0रो0–15–640–द0रो0–15–685	1
12	स्टोर कीपर–कम–नाजिर	430–12–500–15–520–द0रो0–15–640–द0रो0–15–685	1
13	टंकक	354–10–424–द0रो0–10–454–12–514–द0रो0–12–550	7
14	प्राप्ति/निर्गमन लिपिक	354–10–424–द0रो0–10–454–12–514–द0रो0–12–550	1
15	स्वागती	354–10–424 द0रो0–10–454–12–514–द0रो0–12–550	1
16	चालक	330–7–365–8–381–द0रो0–8–405–9–450–द0रो0–9–495	1
17	दफ्तरी	315–6–351–द0रो0–6–363–7–384–8–400–द0रो0–8–440	1
18	चपरासी	305–5–330–द0रो0–6–360–द0रो0–6–390	8
19	चौकीदार	305–5–530–द0रो0–6–360–द0रो0–6–390	1
20	स्वीपर	305–5–530–द0रो0–6–360–द0रो0–6–390	1
21	फर्राश	305–5–330–द0 रो0–6–360–द0रो0–6–390	1
		योग	**81**

(इक्यासी पद)

आज्ञा से,

वी0के0 सक्सेना

प्रमुख सचिव, वित्त।

कार्यालय ज्ञाप संख्या सा0—3—893 / दस—88—912—85, दिनांक 2 जून, 1988 का

संलग्नक—2

पेंशन अधिकारी के कार्यालय में विद्यमान स्टाफ जिसे संलग्नक—1 में उल्लिखित स्टाफ में समायोजित किया जाना है और समायोजन के पश्चात् स्थायी पद आस्थगित रहेंगे तथा अस्थायी पद समाप्त हो जायेंगे :—

क्रम—सं0	पद	वेतनमान	पद संख्या		
			स्थायी	अस्थायी	योग
1	पेंशन अधिकारी	1250—2050	...	1	1
2	पेंशन निरीक्षक	515—860	12	4	16
3	आशुलिपिक	470—735	1	...	1
4	वरिष्ठ सहायक	470—735	...	3	3
5	ज्येष्ठ लिपिक	430—685	...	3	3
6	कनिष्ठ लिपिक	354—550	2	1	3
7	चपरासी	305—390	1	...	1
8	अर्दली	305—390	...	1	1
		योग	20	10	30

आज्ञा से,
वी0के0 सक्सेना,
प्रमुख सचिव, वित्त।

————

कार्यालय ज्ञाप संख्या सा0—3—893 / दस—88—912—85, दिनांक 2 जून, 1988 का

संलग्नक—3

पेंशन निदेशालय के लिए स्वीकृत प्राविधान वर्ष 1988—89

	रु0
1—वेतन	7,39,000
2—महंगाई भत्ता	6,32,000
3—यात्रा व्यय	30,000
4—अन्य भत्ते	1,13,000
5—कार्यालय व्यय	5,00,000
6—टेलीफोन पर व्यय	60,000
7—मोटर गाड़ियों का क्रय	1,10,000
8—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण पेट्रोल की खरीद	10,000
9—मशीन साज—सज्जा, उपकरण एवं संयंत्र	5,18,000
10—अन्तरिम सहायता	2,50,000
11—अन्य व्यय	1,000
योग ...	**29,63,000**

वी0के0 सक्सेना
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या–सा–3–1353 / दस–88–912 / 85

प्रेषक,

श्री विजय कृष्ण सक्सेना,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक पेंशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 12 अगस्त, 1988

विषय :– पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–3–893 / (सामान्य) दस / 912–85, दिनांक 2 जून, 1988 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, खाद्य तथा रसद विभाग, बिक्रीकर विभाग, वन विभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग, उद्योग विभाग, कृषि विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुधन विभाग तथा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त शेष विभागों के सरकारी सेवकों के पेंशन देयों की स्वीकृतियाँ प्रदान करने के हेतु एक पेंशन निदेशालय के स्थापित करने तथा उसके अधीन आवश्यक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था। इस शासनादेश के प्रस्तर–2 में पेंशन निदेशक के कार्यकलापों का भी उल्लेख किया गया था किन्तु उसमें पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत करने हेतु आवश्यक पेंशन प्रपत्रों की प्राप्ति, उन पर पेंशन निदेशालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, पेंशन प्राधिकार पत्रों के निर्गमन आदि की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गयी थी। पेंशन प्राधिकार पत्रों के निर्गमन के कार्य को पहली बार महालेखाकार कार्यालय से वापस लेने के समय शासनादेश संख्या सा–3–1446 / दस–912–85, दिनांक 6 अगस्त, 1985 के अन्तर्गत विभागाध्यक्षों / कार्यालयाध्यक्षों द्वारा पेंशन प्रपत्र भेजने तथा विभागीय मुख्य लेखाधिकारियों द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्रों के बनाने / निर्गत करने की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी। चूँकि यह प्रक्रिया विभिन्न मुख्य लेखाधिकारियों के कार्यालयों में सफलतापूर्वक चल रही है और उसको लागू किये जाने के पूर्व महालेखाकार से भी उसका विधीक्षण करा लिया गया था अतः यह निर्णय लिया गया है कि इस प्रक्रिया में कोई मौलिक परिवर्तन न किया जाये। फिर भी इस बीच उपरोक्त प्रक्रिया के संचालन में अनुभव की गयी कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल महोदय पेंशन निदेशालय के कार्य संचालन हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित करते हैं :–

(1) कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–3–893 / दस–88–912–85, दिनांक 2 जून, 1988 के अन्तर्गत यह प्राविधान किया गया था कि पेंशन निदेशालय 1 अक्टूबर, 1988 से अपना कार्य आरम्भ करेगा अतः इसके पूर्व के सभी मामले महालेखाकार द्वारा तथा उसके बाद के सभी मामले पेंशन निदेशालय द्वारा निस्तारित किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तर में उल्लिखित 13 विभागों के अतिरिक्त सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पेंशन प्रपत्र जो 30 सितम्बर, 1988 अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होंगे विभागाध्यक्षों / कार्यालयाध्यक्षों द्वारा पेंशन निदेशालय को अग्रसारित किये जायेंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि 30 सितम्बर, 1988 के पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पेंशन सम्बन्धी अभिलेख महालेखाकार के कार्यालय में रहेंगे अतः 30 सितम्बर, 1988 से पूर्व के सेवानिवृत्ति / पुनरीक्षण आदि के मामलों में महालेखाकार ही प्राधिकार पत्र निर्गत करेंगे।

(2) पेंशन निदेशक तथा पेंशन निदेशालय के जिन अधिकारियों को पेंशन निदेशक द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधायन किया जायेगा, पेंशन पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी तथा राशिकरण आदि की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे। जिन मामलों में पेंशन, निदेशालय द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत किये जायेंगे उनसे सम्बन्धित सभी समस्याओं के निस्तारण तथा पेंशन आदि के पुनरीक्षण का कार्य पेंशन निदेशालय द्वारा ही किया जायेगा।

(3) पेंशन निदेशक उपरोक्त 13 विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के, जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होंगे अथवा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये जायेंगे, पेंशन देयों के प्राधिकार पत्र निर्गत करने हेतु अधिकृत होंगे।

(4) पेंशन निदेशक अशक्तता पेंशन, पारिवारिक पेंशन तथा असाधारण पेंशन भी स्वीकृत करने हेतु अधिकृत होंगे।

(5) पेंशन निदेशालय द्वारा बीमा योजना के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि, भविष्य निर्वाह निधि के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि तथा सेवानिवृत्ति के समय अवशेष उपार्जित अवकाश के नगदीकरण से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण नहीं किया जायेगा। इनके सम्बन्ध में विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत जो प्रक्रियाएं निर्धारित हैं वही यथावत लागू समझी जायेंगी।

(6) पेंशन प्रपत्रों के तैयार करने का कार्य उस प्रक्रिया तथा समय–सारिणी के अनुसार किया जायेगा जो वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या सा–3–2085/दस–907–79, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 में निर्धारित है। केवल अन्तर इतना ही होगा कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा वांछित पेंशन प्रपत्र अब महालेखाकार को भेजने के बजाय पेंशन निदेशक को भेजे जायेंगे। पेंशन निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि वे 6 माह की अवधि में जो उन्हें पेंशन प्रपत्रों का परीक्षण कर पेंशन निर्धारित करने हेतु मिलेगी, पेंशन प्रपत्र का भली-भांति परीक्षण कर लें और यदि उनमें कोई त्रृटि/कमी हो तो सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष से समय रहते ठीक करवा लें और सेवानिवृत्ति के एक माह पहले ही पेंशन, ग्रेच्युटी तथा राशिकरण आदि के भुगतान आदेश उस कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रेषित कर दें जहाँ से पेंशनर ने पेंशन प्राप्त करने का विकल्प दिया हो अथवा जहाँ से वह सेवानिवृत्त हुआ हो और उसकी एक प्रतिलिपि सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष तथा पेंशनर को भेज दें। हर हालत में यह सुनिश्चित किया जाये कि ग्रेच्युटी तथा राशिकरण की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित पेंशनर को सेवानिवृत्ति के बाद के माह की पहली तारीख को प्राप्त हो जाये तथा पेंशन का भुगतान सेवानिवृत्ति के दिनांक के एक माह के बाद की पहली तारीख को हो जाये। विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शासनादेश संख्या सा–3–2985/दस–907–79, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार यह सुनिश्चित कर लें कि सेवानिवृत्त होने वाले प्रत्येक सरकारी सेवक के पेंशन प्रपत्र पेंशन निदेशक को सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व अवश्य प्राप्त करवा दिये जायें किन्तु यदि किसी मामले में ऐसा करना सम्भव न हो तो विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रत्येक ऐसे मामले में अनन्तिम पेंशन तथा अनन्तिम ग्रेच्युटी की स्वीकृति अवश्य प्रदान कर दी जाय। यदि किसी मामले में किसी सरकारी सेवक के पेंशन प्रपत्र सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व पेंशन निदेशालय में प्राप्त नहीं होते हैं तो पेंशन निदेशालय द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्र तथा ग्रेच्युटी एवं राशिकरण आदि के प्राधिकार पत्रों को निर्गत करने में विलम्ब होने की स्थिति में संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष की ही जिम्मेदारी होगी और पेंशन प्रपत्र विलम्ब से प्राप्त होने के परिणामस्वरूप ग्रेच्युटी के भुगतान में होने वाले विलम्ब के कारण यदि किसी मामले में ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा तो उसकी जिममेदारी सीधे सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष की होगी।

(7) इस उद्देश्य से कि सभी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के पेंशन प्रपत्र शासनादेश संख्या सा–3–2085/दस–907–76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 में निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पेंशन निदेशालय को प्रेषित कर दें उनसे यह अपेक्षित होगा कि वे प्रति वर्ष पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को ऐसे व्यक्तियों की एक छमाही सूची तैयार करें जो अगले 24 से 30 माह तक सेवानिवृत्त होने वाले हों तथा उनकी एक

प्रति पेंशन निदेशक को प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को प्रेषित कर दें। यदि सूचना शून्य हो तो संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष शून्य सूचना पेंशन निदेशक को प्रेषित करेंगे। इस उद्देश्य से, कि यह सूचना नियमित रूप से भेजी जाती रहे सभी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष अपने कार्यालय के किसी एक वरिष्ठ अधिकारी को इस हेतु नामित कर देंगे और उसकी सूचना पेंशन निदेशक को भेज देंगे।

(8) सभी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष अपने विभाग अथवा कार्यालय से संबंधित पेंशनरों की शिकायतों के निराकरण करने हेतु भी उत्तरदायी होंगे। वे गम्भीर तथा ऐसी शिकायतों का व्यक्तिगत स्तर पर अनुश्रवण कर उनका तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करेंगे जो भारत सरकार, राज्य सरकार, महालेखाकार कार्यालय अथवा पेंशन निदेशक के माध्यम से प्राप्त हुई हों अथवा जिनमें पेंशन प्रपत्र भेजे जाने अथवा पेंशनर को कठिनाई के निवारण में अत्यधिक विलम्ब हो गया हो।

(9) पेंशन निदेशालय द्वारा पेंशन/अन्य प्राधिकार पत्र तथा कार्यालय के अभिलेख हेतु वही प्रपत्र प्रयोग में लाये जायेंगे जो पूर्व में 13 विभागों के मुख्य लेखा अधिकारियों के प्रयोग हेतु निर्धारित किये गये थे।

(10) पेंशन निदेशालय में पेंशन प्रपत्रों की प्राप्ति तथा पेंशन प्राधिकार पत्रों के निर्गमन के संबंध में मूलतः फार्म–1 (मास्टर इन्डेक्स रजिस्टर) तथा फार्म–2 (चेक रजिस्टर)व अन्य आवश्यक अभिलेख रखे जायेंगे। इसके अतिरिक्त पेंशन निदेशक ऐसे अन्य अभिलेख भी रख सकते हैं जो वे आवश्यक समझते हों। चेक रजिस्टर स्वीकृति संबंधी पूर्ण सूचना का मुख्य रजिस्टर होगा। इस रजिस्टर को कभी वीड नहीं किया जायेगा और इसी रजिस्टर को भविष्य में संदर्भ हेतु तथा समय–समय पर होने वाले पेंशनों के पुनरीक्षण हेतु उपयोग में लाया जायेगा।

(11) पेंशन तथा अन्य प्राधिकार पत्र पूर्व में शासन द्वारा राजकीय मुद्रणालय के माध्यम सें छपवाये गये थे और उपरोक्त 13 विभागों के मुख्य लेखा अधिकारी उन्हें प्रयोग में ला रहे हैं। पेंशन निदेशक द्वारा भी उन प्रपत्रों की प्रतिपूर्ति राजकीय मुद्रणालय से करवाई जायेगी। किन्तु यदि राजकीय मुद्रणालय से उपरोक्त प्रपत्र प्राप्त करने में कठिनाई/विलम्ब हो तो पेंशन निदेशक को शासन की अनुमति से उक्त प्राधिकार पत्रों को स्थानीय प्रेसों से मुद्रित कराने का अधिकार होगा। पेंशन निदेशक इन प्रपत्रों का अपने कार्यालय में सुरक्षा से रखवाना सुनिश्चित करेंगे।

(12) पेंशन प्राधिकार पत्रों के निर्गमन के पूर्व पेंशन निदेशक अपने हस्ताक्षर निदेशक कोषागार से सत्यापित करवाकर सभी कोषाधिकारियों को सील्ड कवर में गोपनीय रूप से रजिस्ट्री से प्रेषित कर देंगे। तदुपरान्त वे पेंशन प्राधिकार पत्रों पर हस्ताक्षर करने हेतु उन अधिकारियों के हस्ताक्षर प्रमाणित करके सभी कोषाधिकारियों को भेज देंगे जिन्हें पेंशन प्राधिकार पत्रों के निर्गमन हेतु अधिकार प्रदान किया गया है। उसके उपरान्त एक पेंशन निदेशक के कार्यभार छोड़ने पर वह अपने उत्तराधिकारी के हस्ताक्षर परिचालनार्थ प्रमाणित कर देंगे।

(13) पेंशन तथा अन्य प्राधिकार पत्रों पर पेंशन निदेशक अपनी एक इम्बोसिंग सील लगायेंगे। इस सील का व्यास 1–1/2 इंच होगा। पेंशन निदेशक अथवा उनके अधीनस्थ संबंधित अधिकारी इस सील को अपनी व्यक्तिगत कस्टडी में रखेंगे और स्वीकृत संबंधी हस्ताक्षर कर संबंधित प्रपत्रों पर लगायेंगे।

2–इस उद्देश्य से कि पेंशन देयों के प्राधिकार पत्रों के निर्गमन में विलम्ब न हो, पेंशन निदेशक प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा प्रेषित किये जाने वाले पेंशन प्रपत्रों के मुख्य मानीटरिंग अधिकारी होंगे। इस हेतु वह मण्डलीय आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों के साथ अथवा मण्डल स्तर के विभागाध्यक्षों के साथ

बैठकें आयोजित करेंगे। सुविधानुसार वे ऐसी बैठकें अपने मुख्यालय पर ही आयोजित करेंगे। चूंकि पेंशन निदेशालय की स्थापना के फलस्वरूप पेंशन अधिकारी का कार्यालय एवं कार्यकलाप समाप्त हो जायेंगे अतः पेंशन निदेशक समय–समय पर विभिन्न विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों के पेंशन प्रपत्र बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु मण्डलीय/जिला स्तर पर विजिट्स आयोजित करेंगे और कार्यक्रम के पूर्व उसका स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार करवा देंगे।

3–पेंशन निदेशक अपने अधीनस्थ कार्यरत स्टाफ का इस प्रकार बंटवारा करेंगे कि वे कुछ स्टाफ पेंशन प्रपत्रों की जांच, सेवा पुस्तिका की जाँच, पेंशन ग्रेच्युटी, राशिकरण आदि देयों के आगणन, पेंशन अभिलेखों के भरने के कार्य, अभिलेखों में उसकी प्रविष्टियाँ आदि करने हेतु अलग कर देंगे। केवल कुछ स्टाफ इस प्रकार तैयार किये गये पेंशन प्राधिकार पत्रों की चेकिंग हेतु कुछ स्टाफ मानीटरिंग हेतु तथा कुछ स्टाफ ग्रीवान्सेज के निस्तारण हेतु नियुक्त कर देंगे। पेंशन प्राधिकार पत्रों के निर्गमन के कार्य की उसी स्टाफ की पब्लिक जिम्मेदारी होगी जो उन्हें तैयार करेगा।

4–पेंशन निदेशक को यह अधिकार होगा कि वे किसी छोटी अथवा अपरिहार्य सूचना के उपलब्ध न होने के बावजूद पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत कर दें किन्तु ऐसी दशा में यह अनिवार्य न होगा कि पूरी पेंशन की स्वीकृति की जाये। पेंशन निदेशक को यह भी अधिकार होगा कि वे किसी ऐसे मामले में भी पेंशन स्वीकृत कर दें जिसमें विभागीय अधिकारियों द्वारा पेंशन प्रपत्र भेजने में जानबूझकर अथवा अकारण परिहार्य विलम्ब किया गया हो। इस हेतु पेंशन निदेशक संबंधित पेंशनर से एक शपथ-पत्र तथा एक इन्डेमिनिटी बांड लेकर कार्यवाही करेंगे। शपथ पत्र तथा इन्डेमिनिटी बांड का प्रारूप पेंशन निदेशक द्वारा निर्धारित किया जायेगा। इस शपथ-पत्र में एक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समझ शपथ ली जायेगी। इस प्रकार के मामलों में भी केवल अनन्तिम पेंशन ही स्वीकृत की जायेगी और यह अनिवार्य न होगा कि पूरी पेंशन ही स्वीकृत की जाये। उपरोक्त दोनों प्रकार के मामलों में पेंशन निदेशक अपने विवेकानुसार तय करेंगे कि किस मामले में कितनी पेंशन स्वीकृत की जाये लेकिन किसी भी दशा में अनन्तिम पेंशन की धनराशि पूरी पेंशन के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार अनन्तिम पेंशन स्वीकृत करने से पूर्व यह भी आवश्यक होगा कि पेंशन निदेशक पेंशन प्रपत्र अग्रसारित करने वाले अधिकारी को एक रजिस्टर्ड नोटिस भेजें जिसमें उत्तर देने वाले अधिकारी को उत्तर देने हेतु एक माह का समय दिया गया हो। उत्तर प्राप्त न होने की दशा में सरकारी सेवक के विरुद्ध लम्बित देयों आदि की रिकवरी तथा गलत पेंशन स्वीकृत हो जाने की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष की होगी।

5–यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश से बाहर किसी अन्य प्रदेश के कोषागार के माध्यम से पेंशन आहरित करना चाहता है तो उसके लिए उसे फार्म 25 सी0एस0आर0 की तीन प्रतियां भेजनी होंगी। पेंशन निदेशक पेंशन आदि की स्वीकृति प्रदान कर फार्म 25 सी0एस0आर0 की दो प्रतियां महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर प्रदेश को पेंशन स्वीकृति संबंधी अन्य प्रपत्रों के साथ इस आशय से प्रेषित करेंगे कि वे संबंधित महालेखाकार को पेंशन का वितरण करने हेतु संबंधित कोषाधिकारी को अधिकृत कर दें। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश संबंधित महालेखाकार को भेजे गये ऐसे पत्र की एक–एक प्रति पेंशन निदेशक, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष तथा संबंधित पेंशनर को भी भेजेंगे।

6–यदि कोई व्यक्ति प्रदेश में ही पेंशन का भुगतान अपनी नियुक्ति के स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से लेना चाहता है तो पेंशन निदेशक उसे उस जिले के कोषाधिकारी के पास भेज देंगे और कवरिंग पत्र की एक प्रति विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष तथा संबंधित पेंशनर को भेज देंगे।

7–इस योजना के अन्तर्गत पेंशन निदेशक द्वारा निर्गत किये गये पेंशन प्राधिकार पत्रों पर पहले तथा उसके उपरान्त किये जाने वाले मासिक भुगतान उस जिले के कोषाधिकारी द्वारा किये जायेंगे जहां संबंधित पेंशनर अपनी पेंशन लेना चाहता हो। यदि कोई पेंशनर कोषागार के स्थान पर उप कोषागार से पेंशन आहरित करना चाहता है, तो पेंशन प्राधिकार पत्र जिले के कोषाधिकारी को ही भेजे जायेंगे। वे ही पेंशन आहरण करने हेतु संबंधित उप कोषागार को अधिकृत करेंगे।

8–भारत के संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा बनाये गये ट्रेजरी रूल्स में यह प्राविधान है कि कोषाधिकारी सामान्य प्रकार से भुगतान करने हेतु अधिकृत नहीं है जब तक ऐसे भुगतान नियमों के अन्तर्गत किया जाना अपेक्षित न हो अथवा उसके लिये महालेखाकार का प्राधिकार पत्र उपलब्ध न हो। ट्रेजरी रूल 22 में यह प्राविधान है कि सरकारी सेवकों को मिलने वाली पेंशन की दरें महालेखाकार द्वारा कोषाधिकारी को सूचित की जायेगी। इस शासनादेश के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के लागू करने हेतु संबंधित ट्रेजरी रूल को संशोधित करना होगा जिसमें समय लगने की सम्भावना है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित नियमों के संशोधन के औपचारिक आदेश निर्गत होने के पूर्व दिनांक 1 अक्टूबर, 1988 से उन्हें संशोधित माना जायेगा और संबंधित कोषाधिकारी पेंशन निदेशक द्वारा जारी किये गये भुगतान प्राधिकार पत्रों का भुगतान करने हेतु अधिकृत समझे जायेंगे।

भवदीय,
विजय कृष्ण सक्सेना
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या सा0–3–1078 / दस–89–912–85

लखनऊ दिनांक 27 अप्रैल, 1989

कार्यालय–ज्ञाप

विषय :– पेंशन देयों को स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर पार्श्वांकित शासनादेशों के द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों के पेंशन प्राधिकार पत्रों के निर्गमन के कार्य को महालेखाकार कार्यालय से वापस लेकर विभागीय मुख्य लेखाधिकारियों तथा निदेशक, पेंशन के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया था इसी

सा–3–1446 / दस–912 / 85, दि0 6–8–1985; सा–3–2480 / दस–912 / 85, दि0 6–8–1985, सा–3–555 / दस–912 / 85, दि0 19–3–1987; सा–3–893 / दस–88–912 / 85, दि0 2–6–1988,

क्रम में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं राजनैतिक पेंशनरों के पेंशन प्राधिकार पत्रों के निर्गमन के कार्य को महालेखाकार कार्यालय से वापस लेकर पेंशन निदेशालय उत्तर प्रदेश के माध्यम से करवायें जाने तथा विधान सभा एवं विधान परिषद् के सदस्यों के पेंशन प्राधिकार पत्रों के निर्गमन का कार्य मुख्य लेखाधिकारी विधान सभा एवं मुख्य लेखाधिकारी विधान परिषद् के माध्यम से करवाये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया जा रहा था। महालेखाकार द्वारा अपने अर्धशासकीय पत्र संख्या पेंशन / विकेन्द्रीकरण पेंशन / 527 दिनांक 17–3–1989 द्वारा इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कर दी गयी है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्य को छोड़कर राज्य सरकार शेष कार्य को भी वापस ले ले और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष तथा राजनैतिक पेंशनरों को पेंशन प्राधिकार पत्रों के निर्गमन के कार्य को निदेशक, पेंशन के माध्यम से तथा विधान सभा एवं विधान परिषद् के सदस्यों के पेंशन प्राधिकार पत्रों के निर्गमन के कार्य को उसके मुख्य लेखाधिकारियों के माध्यम से करवा लें।

2—उपर्युक्त स्थिति में राज्यपाल महोदय आदेश देते हैं कि अप्रैल, 1989 तथा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के व्यक्तियों को पेंशन प्राधिकार पत्रों के निर्गमन का कार्य भविष्य में विधान सभा सचिवालय तथा विधान परिषद् सचिवालय के मुख्य लेखाधिकारियों द्वारा तथा निदेशक पेंशन द्वारा किया जायेगा। अप्रैल, 1989 से पूर्व के सभी मामलों के लिये महालेखाकार ही उत्तरदायी होंगे। इस सम्बन्ध में सम्पत्ति वही प्रपत्र तथा प्रक्रिया लागू रहेगी जो वर्तमान में प्रचलित है। विधान सभा तथा विधान परिषद् सचिवालयों के सचिव प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश वित्त विभाग को सहमति अलग से जारी करेंगे।

———————

संख्या—सा—3—780 / दस—901 / 96

प्रेषक,

नृपेन्द्र मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—निदेशक,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2—निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3—निदेशक,
न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4—आयुक्त,
गन्ना तथा चीनी विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5—प्रमुख सचिव,
राज्यपाल सचिवालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6—आयुक्त,
चकबन्दी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7—निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

8—सचिव,
अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9—मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

10—महानिरीक्षक,
कारागार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

11—निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12—महानिरीक्षक,
होम गार्डस,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13—निदेशक,
प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान,
उत्तर प्रदेश, नैनीताल।
14—आयुक्त,
आबकारी विभाग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
15—आयुक्त,
श्रम विभाग,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।
16—सचिव,
लोक सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
17—आयुक्त,
परिवहन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
18—महानिदेशक,
स्वास्थ्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
19—निदेशक,
परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
20—निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
21—निदेशक,
प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
22—प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज,
आगरा।
23—प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज,
इलाहाबाद।
24—प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज,
कानपुर।

25—प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज,
मेरठ।

26—प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज,
झाँसी।

27—प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज,
गोरखपुर।

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 लखनऊ : दिनांक : 24 जून, 1996

विषय :— पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पेंशन प्राधिकार पत्रों के निर्गमन में होने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिये राज्य सरकार ने पार्श्वांकित शासनादेशों द्वारा प्रदेश के निम्नलिखित चौदह विभागों के पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करके इन विभागों से संबंधित कर्मचारियों के पेंशन तथा अन्य सेवा नैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति आदि के कार्य को महालेखाकार कार्यालय से वापस लेकर इसे विभागीय मुख्य लेखाधिकारी के माध्यम से करवाने के लिये स्वीकृति प्रदान की थीः—

(1) शा0 आ0 सं0 सा—3—1446(1)/दस—912/ 85, दिनांक 6—8—85
(2) शा0 आ0 सं0 सा—3—1480/दस—912/85, दिनांक 6—8—85
(3) शा0 आ0 सं0 सा—3—555/दस—912/85, दिनांक 19—3—87
(4) शा0 आ0 सं0 सा—3—2138/दस—89—912/85, दिनांक 28—1—89

1. पुलिस विभाग
2. लोक निर्माण विभाग
3. सिंचाई विभाग
4. राजस्व परिषद्
5. व्यापार कर विभाग
6. वन विभाग
7. सचिवालय प्रशासन विभाग
8. खद्य एवं रसद विभाग
9. उद्योग विभाग
10. कृषि विभाग
11. ग्राम्य विकास विभाग
12. पशुपालन विभाग
13. शिक्षा विभाग
14. विधान सभा/विधान परिषद्

2—उपरोक्त विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी विभागों के सरकारी कर्मचारियों के सेवानैवृतिक लाभों, यथा—पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन की राशिकरण आदि के प्राधिकार पत्रों के निर्गमन के कार्य को दिनांक 01 अक्टूबर, 1988 से महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से वापस लेकर उसे शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—सा—3—893/दस—88—912/85, दिनांक 02 जून, 1988 द्वारा स्थापित पेंशन निदेशालय द्वारा संपादित किये जाने के आदेश जारी किये गये थे। पेंशन देयों की स्वीकृति के विकेन्द्रीकरण संबंधी योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों में किया गया है।

3—पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के अधिकारों के प्रतिनिधायन की प्रक्रिया में ऐसा अनुभव किया गया है कि अभी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की दिशा में अपेक्षित गति नहीं प्राप्त की जा सकी है और पेंशन निदेशालय उत्तर प्रदेश व अन्य विभागों में अधिक संख्या में पेंशन प्रकरण लम्बित हैं। अतएव सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त योजना के आधार पर ही दिनांक 31 जुलाई, 1996 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त होने वाले आपके विभाग के सरकारी सेवकों

के सम्बन्ध में भी पेंशनीय लाभों की स्वीकृति एवं भुगतानादेश जारी करने का कार्य पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के बजाय आपके विभाग के वित्त नियंत्रक द्वारा सम्पादित किया जायेगा। आपके विभाग में इस योजना को लागू करने हेतु विस्तृत रूपरेखा वही रहेगी जैसी कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 6 अगसत, 1985 (प्रतिलिपि संलग्न) में जारी की गयी है। उक्त शासनादेश के पैरा–1(19) में जारी आदेशों में शासनादेश संख्या–सा–3–50–86/दस–912/85, दिनांक 3 जनवरी, 1986 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा किंचित संशोधन कर दिया गया है।

4–शासनादेश संख्या–सा–3–1713/दस–90–933/89, दिनांक 28 जुलाई, 1989 में पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था का उल्लेख है। उक्त शासनादेश की एक प्रति आपके मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। इसी के साथ आपकी सुविधा हेतु पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी के लिये आवश्यक दिशा निर्देश की प्रति भी संलग्न है।

5–उपरोक्त कार्य के सम्पादन हेतु कोई अतिरिक्त स्टाफ नहीं दिया जायेगा। इस कार्य हेतु अपने वर्तमान स्टाफ से ही कार्य सम्पादित कराने का कष्ट करें।

कृपया इन आदेशों की प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,
नृपेन्द्र मिश्र
प्रमुख सचिव।

———

पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश

1–पेंशन प्रकरण प्राप्त होते ही इसे मास्टर इन्डेक्स तथा चेक रजिस्टर में अंकित करें जिसका प्रारूप शासनादेश संख्या–सा–3–1446/दस–912/85, दिनांक 6 अगस्त, 1985 में दिया हुआ है। ये दोनों अभिलेख स्थाई हैं।

2–पेंशन युक्त पद पर सेवाओं के लिये ही पेंशन देय होती है, यह देख लिया जाय कि सेवायें पेंशन पद युक्त की ही हैं। सामान्यतया स्वीकृत अधिष्ठान स्थाई/अस्थाई सेवायें पेंशन युक्त हैं (सी0एस0आर0 का अनुच्छेद–350)।

3–नियत वेतन, अवधि विशिष्ट कार्य हेतु सृजित पद, आकस्मिक व्यय से भुगतान की गई सेवायें, पेंशन युक्त नहीं हैं। (सी0एस0आर0 का अनुच्छेद–350)।

4–विभागीय/न्यायिक कार्यवाही से आच्छादित मामलों में अन्तिम रूप से पेंशन न स्वीकृत की जाए। ऐसे मामलों में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा मामले में अन्तिम निर्णय तक अनन्तिम पेंशन स्वीकृत की जायेगी, किन्तु ग्रेच्युटी रूकी रहेगी। (सी0एस0आर0 का अनुच्छेद–350) 'क' 'क'।

5–पेंशन स्वीकृत न होने की दशा में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष पूरी सेवा पेंशन तथा मृत्यु की दशा में 90% पारिवारिक पेंशन अनन्तिम रूप से स्वीकृत कर देंगे और ग्रेच्युटी एक माह के वेतन या रुपया 3,000 रोक कर स्वीकृत की जाएगी जो अन्तिम भुगतान में से समायोजित की जायेगी।

6–पेंशन का मामला निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की सेवानिवृत्ति के संबंध में हो सकता है ,–

(1) मूल नियम 56 के अन्तर्गत :–

क–अधिवर्षता पर–यह दिनांक 5 नवम्बर, 1985 से पूर्व नियुक्त समूह घ (इन्फीरियर सर्विस) के कर्मचारियों के मामले में 60 वर्ष पर तथा अन्य सभी मामलों में 58 वर्ष की आयु पर होगी।

ख–स्वेच्छा–20 वर्ष की अर्हकारी सेवा या 45 वर्ष की आयु के बाद कर्मचारियों द्वारा ली गई स्वेच्छा सेवानिवृत्ति।

ग–अनिवार्य–50 वर्ष की आयु के बाद नियुक्ति अधिकारी द्वारा नोटिस देकर की गई सेवानिवृत्ति।

(2) अन्य :–

क–अशक्तता–सरकारी सेवा के लिए अशक्त होने पर सक्षम चिकित्साधिकारी के परामर्श पर की गई सेवानिवृत्ति।

ख–प्रतिकर–स्थायी पद समाप्त होने की दशा में कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने पर की गई सेवानिवृत्ति।

ग–सेवारत मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन।

7–पेंशन प्रपत्र सेवा पेंशन हेतु प्रपत्र–1 भाग–1,3 (दो प्रतियों) 4 तथा 5 ठीक से भरे होने चाहिए। मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन हेतु पेंशन प्रपत्र–1, भाग–1 के बजाय भाग–2 भरा जायेगा, शेष उक्तानुसार होंगे। प्रविष्टियां तथा फोटो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये।

8–अर्ह सेवा की पुष्टि में सेवापुस्तिका/सेवारोल अथवा सेवा विवरण होना चाहिये।

9–जन्म तिथि सेवा में प्रवेश के समय सेवा पुस्तिका में अंकित तिथि को मान्यता दी जानी चाहिये। इस तिथि में अपर लेखन की दशा में इसे हाईस्कूल के प्रमाण–पत्र के आधार पर तथा जो हाईस्कूल पास नहीं है उनके लिये अन्य प्रमाणों के आधार पर विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये।

10–यदि कोई सरकारी सेवक त्रुटिवश अथवा अन्यथा अधिवर्षता की आयु के उपरांत भी सेवा में बना रहता है तो उसकी पेंशन अधिवर्षता की वास्तविक तिथि के अन्तिम दस माह के औसत वेतन तथा उस तिथि तक की गयी सेवा के आधार पर स्वीकृत की जानी चाहिये। गेच्युटी भी अधिवर्षता की तिथि तक की गई सेवा के आधार पर दी जानी चाहिये। अधिवर्षता की तिथि के उपरान्त की गयी सेवा से संबंधित वेतन आदि के अधिक भुगतान का उत्तरदायित्व निर्धारित करके दोषी सरकारी सेवक से इसकी वसूली की जायेगी।

11–पेंशन हेतु अर्ह सेवा आगणित करने के लिये यह सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य है कि निम्न तीन शर्तें पूरी होती है (सी0एस0आर0 का अनुच्छेद–361)।

1–सेवा सरकार के अधीन हो,

2–सेवा मौलिक तथा स्थाई हो किन्तु दिनांक 1–6–1989 के बाद अधिवर्षता, स्वेच्छा, अशक्तता तथा प्रतिकर पेंशन सेवानिवृत्त होने वालों के लिए स्थाई होना अनिवार्य नहीं है। इन प्रकरणों में 10 वर्ष की नियमित सेवा पर अर्ह सेवा की गणना स्थाई की भांति की जायेगी।

3–सेवा के लिये सरकारी कोष से भुगतान होना चाहिए। इस शर्त की पुष्टि सेवा प्रमाण से की जायेगी।

4–20 वर्ष कम आयु की सेवा को पेंशन हेतु अर्ह नहीं माना जायेगा (सी0एस0आर0 का अनुच्छेद–358)।

5–सेवा में व्यवधान की अवधि मर्षित किये जाने पर भी ऐसे व्यवधान की अवधि अर्हकारी सेवा में नहीं जोड़ी जायेगी। अवैतनिक अवकाश की अवधि जो चिकित्सीय प्रमाण–पत्र के आधार पर नहीं है, पेंशन हेतु अर्ह नहीं होगी।

6–सेवा में व्यवधान के मामले सिविल रेग्युलेशन के अनुच्छेद–422 से आच्छादित हैं। यदि यह व्यवधान त्यागपत्र देने, हड़ताल में भाग लेने के कारण अथवा सेवा से निकाल देने के कारण नहीं हुआ है, तो स्वतः मर्षित मान लिया जायेगा। मर्षित न होने का प्रभाव पूर्व की सेवाओं के व्यपगत होने के रूप में होगा।

12– अर्हकारी सेवा की गणना हेतु–

1–सेवानिवृत्ति की तिथि से सेवा में प्रवेश की तिथि से घटाने पर आई सेवा।

2–पूर्व की सैन्य सेवा जिस पर सेना से पेंशन प्राप्त नहीं हुई है (सी0एस0आर0 के अनुच्छेद–356) और उस सेवा के लिये सेना से प्राप्त उपादान सरकारी कोष में जमा कर दिया गया है। इसकी पुष्टि हेतु अपेंडिक्स (ए) पर सेना कार्यालय से सेवा सत्यापित होना चाहिए।

3–यदि किसी कर्मचारी ने भारत सरकार में सेवा की है और उसके उपरान्त राज्य सरकार में नियुक्त हो जाता है तो ऐसी दशा में शासनादेश संख्या–सा–3–1239/दस–917/79, दिनांक 13–9–82 सपठित शासनादेश संख्या–सा–3–882/दस–910/84, दिनांक 9–5–1985 की व्यवस्थाओं के अधीन भारत सरकार के अधीन प्रदत्त सम्पूर्ण सेवा पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा मानी जायेगी। इस प्रयोजन के लिए अवकाश वेतन/पेंशन अनुदान का विभाजन नहीं होगा। सम्पूर्ण दायित्व राज्य सरकार वहन करेगी।

4–20 वर्ष की आयु से पूर्व की सेवा अवधि पेंशन हेतु अर्ह नही है।

5–पेंशन में ऐसी अवधि का व्यवधान जिसे मर्षित नहीं किया गया है, पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा नही मानी जायेगी।

6–पेंशन हेतु अनर्ह निलम्बन अवधि यदि दण्डन आदेश में निलम्बन काल को पेंशन हेतु अर्ह नही बताया गया है तो यह अवधि अर्ह सेवा से कम की जाएगी। यदि इसके बारे में कुछ नही कहा गया है तो यह पेंशन हेतु अर्ह मानी जाएगी और नहीं घटाई जाएगी।

7–(–) अन्य सेवा जो पेंशन हेतु अनर्ह हो या अपेन्शन युक्त पद की सेवा अथवा देश से बाहर की प्रतिनियुक्ति की अवधि हो सकती है जिसका अंशदान न जमा किया गया हो।

शुद्ध अर्ह सेवा (1+2+3)(-)(4+5+6+7)

(+) स्वेच्छा सेवानिवृत्ति की दशा में अधिवर्षता सेवानिवृत्ति में शेष अवधि, अधिकतम 5 वर्ष का लाभ देय होगा बशर्ते स्वेच्छा सेवानिवृत्ति स्वीकृति आदेश में अन्यथा उल्लेख न हो।

13–शुद्ध अर्हकारी सेवा छमाहियों में आगणित की जाएगी। 3 माह या उससे अधिक अवधि पूरी छमाही मान ली जाएगी। 66 छमाही अधिकतम पर पेंशन की देयता है।

14–अनिवार्य सेवानिवृत्ति 1–7–89 के शासनादेश से आच्छाादित नही है अतः अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर पेंशन की देयता के लिए स्थायी होना आवश्यक है।

15–पेंशन, अर्हकारी सेवा और परिलब्धियों के अनुपात में देय होती है। पेंशन के लिए परिलब्धियों से तात्पर्य मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित वेतन से है इसमें वैयक्तिक वेतन अथवा विशेष वेतन शामिल नहीं होगा। किन्तु चिकित्सकों को मिलने वाला प्रैक्टिस बन्दी भत्ता परिलब्धियों का भाग होगा।

16–पेंशन की गणना हेतु पिछले 10 माह की परिलब्धियों का औसत आधार होगा और पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी अंतिम आहरित परिलब्धियों पर आगणित की जाएगी।

17–औसत परिलब्धियों की गणना करते समय सेवानिवृत्ति के पूर्व दस माहों में अवकाश तथा निलम्बन की ऐसी अवधि जिसमें पूर्ण वेतन से कम मिला है और यह अवधि अर्हकारी सेवा में जोड़ी जानी है तो इस अवधि के लिए वह पूर्ण वेतन जोड़ा जायेगा जिसे वह अवकाश अथवा निलम्बन की तिथि में न होने पर प्राप्त करता। अनर्ह अवकाश अवधि, निलम्बन, अथवा व्यवधान की अवधि निकाल दी जायेगी और उतनी पिछली अवधि शामिल कर ली जायेगी।

18–पेंशन 66 छमाही अर्हकारी सेवा पर औसत परिलब्धियों का 50% होगी और इसे अगलो रूपया तक पूर्णांकित किया जायेगा। 66 छमाही से कम अर्हकारी सेवा पर पेंशन अनुपातिक रूप से कम हो जायेगी। यह निम्न सूत्र से आगणित की जायेगी।

$$\frac{\text{औसत परिलब्धियाँ} \times \text{अर्हकारी सेवा की छमाहियां}}{132}$$

क– पेंशन 10 वर्ष या अधिक की अर्हकारी सेवा होने की दशा में ही देय होती है।

ख–दिनांक 1–4–1990 से न्यूनतम पेंशन रु0 375/–है सेवा में भूतपूर्ण पेंशनरों की सेना और सिविल पेंशन मिलाकर 375/–से कम होती है तो बढ़ाकर 375/–कर दी जायेगी अन्यथा सिविल पेंशन वास्तविक गणनानुसार स्वीकृत की जाएगी।

ग—अशक्तता पेंशन की दशा में पेंशन उस धनराशि से कम नहीं होगी जो तत्समय मृत्यु की दशा में उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमन्य होती।

घ—पेंशन प्रपत्र भाग—1 के कालम 9 पर मांग के अनुसार राशिकरण वास्तविक स्वीकृत पेंशन पर अनुमन्य होगा यह सामान्यतः पेंशन के अधिकतम 1/3 तक अनुमन्य हो सकता है।

च—राशिकरण की धनराशि सेवानिवृत्ति की अगली जन्मतिथि को आयु के गणनांक जो संलग्नक में दिये हैं, में 12 से गुणाकर एक रूपये का राशिकृत मूल्य मानकर की जाएगी, 58 वर्ष की आयु के लिए 125.52 तथा 60 वर्ष के लिए 117.72 रू0 हैं।

छ—सेवानिवृत्ति के समय वांछित राशिकृत भाग की कटौती प्राधिकार पत्र जारी होने के तीन माह या राशिकरण की धनराशि प्राप्त होने की तिथि जो पहले हो से की जाएगी। बाद में आवेदित राशिकरण की दशा में राशिकृत भाग कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रेषित प्रार्थना-पत्र की तिथि से कम किया जाएगा।

ज—प्राधिकार-पत्र जारी होने के एक वर्ष तक बिना चिकित्सीय जांच के राशिकरण कराया जा सकेगा। बाद में चिकित्सीय जांच आवश्यक होगी।

19—उपादान—उपादान की गणना अन्तिम आहरित परिलब्धियों पर की जायेगी। 16—9—1993 के बाद सेवानिवृत्ति की दशा में 20% महंगाई भत्ता तथा 1—4—1995 या उसके पश्चात् सें होने वाले मामलों में निम्न महंगाई भत्ता परिलब्धियों में शामिल होगा।

3500 तक 97%

3500 से 6000 तक 73% न्यूनतम 3395

6000 से कम 63% न्यूनतम 4380

क—दस वर्ष से कम सेवा पर प्रति छमाही अर्हकारी सेवा उपादान आधे माह की परिलब्धियों के बराबर देय होगी। 5 वर्ष से अधिक अर्ह सेवा की दशा में प्रति छमाही 1/4 माह की परिलब्धियों के बराबर सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी देय होगी, जो अधिकतम परिलब्धियों का 16—1/2 गुनी ग्रेच्युटी देय होगी।

ख—दस वर्ष से कम की अर्ह सेवा होने की दशा में ग्रेच्युटी की देयता हेतु स्थायी होना आवश्यक है।

ग—1—4—1995 को या उसके बाद सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी की अधिकतम धनराशि 2.50 लाख रुपया अनुमन्य होगी।

घ—सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन प्रपत्र प्राप्त होने की दशा में ग्रेच्युटी एक माह के वेतन के बराबर अधिकतम 3000 रु0 रोकी जायेगी जिसे प्रपत्र—2 पर अंतिम अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त होते ही मुक्त कर दिया जाएगा।

<u>20—मृत्यु उपादान की दरें निम्न है :—</u>

सेवा अवधि	मृत्यु ग्रेच्युटी की दर
1—एक वर्ष से कम	परिलब्धियों का दो गुना
2—एक वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	परिलब्धियों का छः गुना
3—पांच वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 12 गुना
4—20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए परिलब्धियों के 1/2 के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर अथवा 2.50 लाख रु0 जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

21—मृत्यु उपादान की पात्रता :—

कर्मचारी नामांकन के आधार पर होगी। नामांकन के अभाव में पात्रता के लिए परिवार को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी के परिवार के सदस्यों में उपादान की धनराशि बराबर—बराबर देय होगी यदि इस श्रेणी का कोई व्यक्ति नहीं है तो दूसरी श्रेणी के परिवार के सदस्यों में इसे बराबर—बराबर बांटा जाएगा। यदि नामांकन नहीं है और परिवार में कोई सदस्य नहीं है तो ग्रेच्युटी शासन के पक्ष में व्यपगत हो जाएगी।

22—परिवार प्रथम श्रेणी :—

पत्नी या पति

पुत्र — सौतेली तथा गोद ली संताने भी शामिल होंगी।

अविवाहित पुत्रियां,

दूसरी श्रेणी :—

विवाहित पुत्री एवं विधवा पुत्रियां 18 वर्ष से कम उम्र के भाई तथा अविवाहित बहनें, माता/पिता, पूर्व मृत पुत्र की संताने,

23—परिवारिक पेंशन की दरें :—

दिनांक 1—1—1986 के उपरान्त निम्न दरों पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है :—

मूल वेतन प्रतिमाह	पारिवारिक पेंशन दर
1500 रु0 से अनधिक	मूल वेतन का 30% किन्तु न्यूनतम 375 रुपया प्रतिमाह
1500 रु0 से अधिक किन्तु 3000 रु0 से अनधिक	मूल वेतन का 20% जिसका न्यूनतम 450रु0 प्रतिमाह होगा।
3000 रु0 से अधिक	मूल वेतन का 15% जिसका न्यूनतम 600रु0 तथा अधिकतम 1250 रु0 होगा।

7 वर्ष की अविरल सेवा के बाद मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन उक्त दरों की दूनी, परिलब्धियों का आधा अगले 7 वर्ष या कर्मचारी की 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो तक देय होगी। उसके उपरान्त सामान्य दर पर अनुमन्य होगी।

24—परिवारिक पेंशन हेतु पात्रता :—

(1) पति/पत्नी को आजीवन, या पुनर्विवाह तक

(2) पुत्र—25 वर्ष की आयु तक या आजीविका अर्जन तक

(3) पुत्री—25 वर्ष की आयु तक या आजीविका कमाने तक या विवाह तक, जो भी पहले हो तक देय होगी। विकलांग संतान को आजीवन, किन्तु पति/पत्नी की मृत्यु के बाद संतान को आयु की वरीयता क्रम में देय होगी किन्तु विकलांग संतान यदि वरीयता में पहले आती है तो पहले सभी संतानों का क्रम समाप्त होने पर विकलांग की पेंशन पुनः जीवित हो जाएगी।

1— यदि उत्तर—जीवी दो पत्नियां हैं तो वरिष्ठ अर्थात जिसका विवाह पहले हुआ हो को पहले क्रम से पारिवारिक पेंशन स्वीकृत होगी बाद में दूसरी पत्नी को।

2— विकलांग तथा अवयस्क को पेंशन का भुगतान विधिक संरक्षक के माध्यम से किया जाएगा।

3– पारिवारिक पेंशन, सेवा पेंशन के साथ ही स्वीकृत कर दी जाएगी, ताकि पेंशनर की मृत्यु के साथ ही उसके परिवार को पेंशन आरम्भ हो सके।

4– यदि माता तथा पिता दोनों सरकारी सेवा में थे और उनकी मृत्यु पर उनके पात्र संतानो को शासनादेश संख्या सा–3–296/दस–93, दिनांक 12–3–1993 के अनुसार दोनों की पेंशन देय होगी। दोनों पेंशनें साधारण दर की दशा में 1250 तथा विशेष दर की दशा में 2500 रु0 तक होगी। इन मामलों में विशेष दर सामान्य दर के 1–1/2 गुना ही की जाएगी।

25–<u>ग्रेच्युटी से वसूली</u> :–

भाग–5 के कालम 16 तथा कालम 26 में अंकित धनराशि ग्रेच्युटी से वसूली की जाएगी। पेंशन से वसूली हेतु सी0एस0आर0 के अनुच्छेद–351ए के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।

26–<u>पुनः वैधीकरण</u> :– यदि प्राधिकार जारी होने के एक वर्ष तक किसी कारण से भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी कोषागार से आवश्यक रिपोर्ट लेकर पुनर्वैध कर देंगे।

27–<u>कार्यालय से स्वीकृति हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी</u> :–

क–प्रकरण प्राप्ति के बाद प्रथम आगत प्रस्तुत के अनुसार लेखाकार प्रकरण संबंधी सूचना नोटशीट पर निम्न चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्तुत करेंगे :–

1–..से लगातार पेंशन युक्त पद पर नियुक्त रहते हुए................................ पद पर...को स्थाई घोषित हुए।

2–पेंशन प्रपत्र 1/2 भाग–1 के सभी कालम ठीक से भरे हैं और इस पर घोषित पत्र गवाहों के सामने कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया है।

3–भाग–3 दो प्रतियों में है इस पर फोटो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित है।

4–भाग–4 में सेवा विवरण सेवा पुस्तिका के अनुसार ठीक है।

5–वेतन निर्धारण ठीक है।

6–सेवा में प्रवेश के समय जन्म तिथि सेवा पुस्तिका के प्रथम खण्ड पर निर्विवाद स्पष्ट है।

7–मृत्यु प्रमाण–पत्र उपलब्ध है।

8–नामांकन उपलब्ध है।

9–क्या पेंशन प्रपत्र कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अथवा कार्यालयाध्यक्ष के स्वयं के मामले में उच्चतम अधिकारी द्वारा अग्रसारित किए गए हैं।

10–पेंशनर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है/नहीं है।

11–भाग–5 के कालम 16 तथा 26 के अनुसार रु0 ग्रेच्युटी से वसूल होने हैं।

12–अनन्तिम पेंशन.......................तथा..........................अनन्तिम ग्रेच्युटी विभाग द्वारा स्वीकृत की गई है, इसका समायोजन किया गया है।

13–प्रकरण में निम्न कमी हैं इन्हें दूर कराया जाना चाहिए।

14–पे0नि0 फार्म 6 पर आगणन प्रस्तुत है :–

लेखाकार सहायक लेखाधिकारी स्वीकृताधिकारी

28–सहायक लेखाधिकारी गणना तथा अनुमन्यता चेक कर आगणन चार्ट पर हस्ताक्षर कर देंगे और स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा अनुमोदन के उपरान्त पे0नि0 फार्म–5 पर अग्रसारण बनाया जाएगा तथा पेंशन ग्रेच्युटी तथा राशिकरण के प्राधिकार–पत्र बनाए जायेंगे।

29–प्राधिकार-पत्रों पर इम्बोसिंग सील लगाई जाएगी जो 2'' व्यास की बनवाई जाएगी।

30–कोषाधिकारियों को स्वीकृताधिकारी अपने नमूने के हस्ताक्षर निदेशक, कोषागार/पेंशन से प्रमाणित कराकर भेजेंगे।

31–पेंशन की देयता तथा नियमों में भ्रम हो तो निदेशक, पेंशन/शासन से स्थिति स्पष्ट करा ली जाए।

32–<u>समय सारणी</u> :–

पेंशन प्रपत्र प्राप्त होने के दो माह के भीतर इनकी जांच करली जाए यदि कोई कमी नहीं है तो प्राधिकार–पत्र जारी कर दिये जायें। यदि कमी है तो आपत्ति-पत्र भेज दिया जाए।

आपित्त/कमी की दशा में विभाग से आपत्ति निवारण/अनुपालन के एक माह के अन्दर प्रकरण निस्तारित कर दिया जाए।

33–पेंशन संबंधी नियम सी0एस0आर0, आर0बी0आर0 1961, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 तथा समय–समय पर जारी शासनादेशों में संकलित हैं। विवाद की दशा में नियमों से पुष्टि की जाए।

34–अंत में स्वीकृताधिकारियों को सुनिश्चित करना है :–

1–नैवृत्तिक लाभ पात्र व्यक्ति को मिल जाए।

2–जितना देय है उतना मिल जाए।

3–भुगतान शासन के किसी सकारात्मक आदेश से आच्छादित हो।

35–पेंशन स्वीकृति का अनुश्रवण विभाग स्तर पर विभागीय नोडल अधिकारियों द्वारा तथा प्रदेश स्तर पर निदेशक पेंशन द्वारा नियमित रूप से किया जाएगा।

ANNEXURE

Commutation Table effective from 1st March, 1971 Prescribed by Government of India *Vide* Ministry of Finance O.M. no. 2(1)-E.V-71, dated March 6, 1971 and circulated by Government of U.P. Endorsement No. G-2-667/X–5-57, dated March 29, 1971

COMMUTATION VALUES FOR PENSION AS PER ANNUM

Age Next birthday	Commutation Value expressed as number of years purchase	Age Next birthday	Commutation Value expressed as number of years purchase
	Rs. P.		Rs. P.
17	19.28	51	12.95
18	19.20	52	12.66
19	19.11	53	12.35
20	19.01	54	12.05
21	18.91	55	11.73
22	18.81	56	11.42
23	18.70	57	11.10
24	18.59	58	10.78
25	18.47	59	10.46
26	18.34	60	10.13
27	18.21	61	9.81
28	18.07	62	9.48
29	17.93	63	9.15
30	17.78	64	8.82
31	17.62	65	8.50
32	17.46	66	8.17
33	17.25	67	7.85
34	17.11	68	7.53

Age Next birthday	Commutation Value expressed as number of years purchase	Age Next birthday	Commutation Value expressed as number of years purchase
35	16.92	69	7.22
36	16.72	70	6.91
37	16.52	71	6.60
38	16.31	72	6.30
39	16.09	73	6.01
40	15.87	74	5.72
41	15.64	75	5.44
42	15.40	76	5.17
43	15.15	77	4.90
44	14.90	78	4.65
45	14.64	79	4.40
46	14.37	80	4.17
47	14.10	81	3.94
48	13.82	82	3.72
49	13.54	83	3.52
50	13.25	84	3.32
		85	3.13

संख्या–सा–3–697/दस–26/98

प्रेषक,

मु0 हलीम खाँ,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 8 अक्टूबर, 1999

विषय :– पेंशन देयों की कम्प्यूटर पर आधारित प्रक्रिया तथा मण्डल स्तर पर विकेन्द्रीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेंशन प्राधिकार पत्रों के निर्गमन में होने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिए राज्य सरकार ने पार्श्वांकित शासनादेशों द्वारा प्रारम्भ में प्रदेश के निम्नलिखित चौदह विभागों के पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करके इन विभागों से सम्बन्धित कर्मचारियों के पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्तिक लाभों की स्वीकृति आदि के कार्य महालेखाकार कार्यालय से वापस लेकर इसे विभागीय

1 सं0 सा–3–1446/दस–912/85, दिनांक 6–8–1985
2 सं0 सा–3–1480/दस–912/85, दिनांक 6–8–1986
3 सं0 सा–3–555/दस–912/85, दिनांक 19–03–1987

मुख्य लेखाधिकारी के माध्यम से करवाने के लिए स्वीकृति प्रदान की थी :–

1. पुलिस विभाग
2. लोक निर्माण विभाग
3. सिंचाई विभाग
4. राजस्व विभाग
5. व्यापारकर विभाग
6. वन विभाग
7. सचिवालय प्रशासन विभाग
8. खाद्य एवं रसद विभाग
9. उद्योग विभाग
10. कृषि विभाग
11. ग्राम्य विकास विभाग
12. पशुपालन विभाग
13. शिक्षा विभाग
14. विधान सभा/विधान परिषद

शेष विभागों के कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृति संबंधी कार्य दिनांक 01.10.1988 से गठित पेंशन निदेशालय द्वारा किया जाता था।

शासनादेश संख्या सा–3–780–दस–901/96, दिनांक 24–6–1996 में यह व्यवस्था कर दी गई कि पेंशन निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा व्यवहरित विभागों में से 27 विभागों के कर्मचारियों की पेंशन प्रकरणों का निस्तारण उन्हीं विभागों के वित्त नियंत्रकों को प्रतिनिधानित कर दिया जाय। उक्त विभाग निम्नलिखित हैं :–

1–निदेशक,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2–निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3–निदेशक,
न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4–आयुक्त,
गन्ना तथा चीनी विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5–प्रमुख सचिव,
राज्यपाल सचिवालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6–आयुक्त,
चकबन्दी, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

7–निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

8–सचिव,
अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9–मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

10–महानिरीक्षक,
कारागार, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

11–निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

12–महानिरीक्षक,
होम गार्डस,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

13–निदेशक,
प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान,
उत्तर प्रदेश, नैनीताल।

14–आयुक्त,
आबकारी विभाग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

15–आयुक्त,
परिवहन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

16–सचिव,
लोक सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

17–आयुक्त,
श्रम विभाग,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

18–महानिदेशक,
स्वास्थ्य विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

19—निदेशक,
परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

20—निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

21—निदेशक,
प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

22—प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज,
उत्तर प्रदेश, आगरा।

23—प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज,
उत्तर प्रदेश, मेरठ।

24—प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

25—प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

26—प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज,
उत्तर प्रदेश, झाँसी।

27—प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज,
उत्तर प्रदेश, गोरखपुर।

उपरोक्त विकेन्द्रित व्यवस्था वस्तुतः वैभागीकरण के रूप में लागू हुई, जो कि कतिपय कारणों से सेवानिवृत्त/सेवारत मृत राजकीय सेवकों के आश्रितों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन संबंधी मामलों के समय से निस्तारण में अपेक्षित रूप से प्रभावी नहीं हो सकी।

3—उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने यह आदेश प्रदान करने की कृपा की है कि वर्तमान लागू व्यवस्था के स्थान पर एक भौगोलिक रूप से विकेन्द्रित व्यवस्था अपनाई जाय तथा सूचना प्रौद्योगिकी इन्फारमेशन टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए मण्डल के समस्त राजकीय कार्यालयों से सेवानिवृत्त/मृत होने वाले समस्त द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अर्थात समूह ''ख'' एवं ''ग'' के राजकीय कर्मचारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण के प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अधिकार, मण्डलीय संयुक्त निदेशक, कोषागार, जिनका नया पदनाम मण्डलीय ''संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन'' होगा को प्रतिनिधानित कर दिया जाय।

4—उपरोक्त विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मण्डल के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रपत्रों को कार्यालयाध्यक्षों से समय से प्राप्त करेंगे तथा उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी एवं राशिकरण के भुगतानादेश नियमानुसार निर्गत करेंगे तथा यदि इनमें पुनरीक्षण के आदेश होते हैं तो आवश्यकतानुसार पुनरीक्षण भी करेंगे।

5—सभी विभागों के वर्ग ''क'' के समस्त अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा के सभी अधिकारी तथा लोक सेवा आयोग, लोक सेवा अधिकरण तथा अन्य विशिष्ट पदाधिकारियों की पेंशन स्वीकृत करने का कार्य पेंशन निदेशालय के स्तर से ही किया जायेगा।

6—मण्डलायुक्त मण्डल में वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो सभी विभागों के कार्यों की विभागीय समीक्षा करते हैं। शासनादेश संख्या सा—3—1186/दस—98—17/95, दिनांक 15.09.1998 द्वारा मण्डलायुक्तों को पेंशन अदालतों का अध्यक्ष भी घोषित किया गया है। अतः मण्डल स्तर पर पेंशन निस्तारण के कार्य से सम्बन्धित सभी अधिकारी/कर्मचारी मण्डलायुक्त के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे। मण्डलायुक्त उनकी त्रैमासिक समीक्षा भी करेंगे और उसकी गोपनीय रिपोर्ट प्रमुख सचिव वित्त को सीधे प्रेषित करेंगे। पेंशन प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण की समीक्षा का दायित्व भी मण्डलायुक्त द्वारा प्रभावी ढंग से किया जायेगा। पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की दिशा में यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी लापरवाही करने का दोषी पाया जाये तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए लघु दण्ड देने का अधिकार भी मण्डलायुक्त में निहित होगा।

7–संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन को पेंशन प्रकरणों के निस्तारण का अधिकार देने के समय यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मण्डलीय पेंशन कार्यालयों के विभागाध्यक्ष निदेशक पेंशन होंगे। अतः इन कार्यालयों के पेंशन संबंधी समस्त कार्यकलापों के पर्यवेक्षण, नियंत्रण, सम्प्रेक्षण एवं निरीक्षण का दायित्व निदेशक पेंशन का होगा।

8–उपरोक्त व्यवस्था के अधीन किसी अतिरिक्त पद के सृजन की आवश्यकता नहीं है, अपितु वर्तमान व्यवस्था में अर्थात शासनादेश सं0 सा–3–1446/दस–912/85, दिनांक 6–8–85, शासनादेश सं0 सा–3–1480/दस–912/85, दिनांक 6–8–86 (सचिव, सचिवालय प्रशासन को छोड़कर) एवं शासनादेश सं0 सा–3–555/दस–912/85, दिनांक 19–3–87 एवं शासनादेश सं0 सा–3–780/दस–901/86 दिनांक 24–6–96, के अधीन (यदि कोई पद स्वीकृत हुआ है) पेंशन कार्य हेतु स्वीकृत पदों को समाप्त करके एवं पद समाप्ति की प्रत्याशा में इतने ही पद पेंशन निदेशालय में विद्यमान संवर्गों में सृजित किए जाएं तथा यदि अन्य पदों की आवश्यकता होती है तो इन्हें कोषागारों एवं अन्य विभागों में उपलब्ध सरप्लस स्टाफ के रिडिप्लायमेंट द्वारा भरा जाये।

9–संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, पेंशन संबंधी कार्य का संचालन मण्डलायुक्त के अधीन करेंगे तथा मण्डलायुक्त अपने स्तर से पेंशन संबंधी कार्य की समीक्षा सीधे प्रमुख सचिव, वित्त को उपलब्ध करायेंगे। संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन उप निदेशकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि हेतु प्रतिवेदन अधिकारी होंगे। निदेशक कोषागार के सीधे नियंत्रण में संयुक्त निदेशक कार्य करेंगे तथा इन वार्षिक प्रविष्टि हेतु निदेशक, कोषागार प्रतिवेदन अधिकारी होंगे। उप निदेशक, कोषागार एवं लेखा, प्रकरण में समीक्षक अधिकारी निदेशक, कोषागार होंगे। पेंशन संबंधी कार्य देखने वाले उप निदेशक के प्रकरण में निदेशक पेंशन समीक्षक अधिकारी होंगे। जिन मण्डलों से कोई अन्य मण्डल सम्बद्ध किया गया है वहाँ पेंशन सम्बन्धी अभिलेख मण्डलवार ही रखे जाएं।

10–सचिवालय प्रशासन विभाग, विधान सभा एवं विधान परिषद सचिवालय में पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों के निस्तारण की वर्तमान व्यवस्था यथावत् रहेगी। इस प्रकार प्रथम चरण में पेंशन स्वीकृति का कार्य कुमाऊँ, गढ़वाल, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, आगरा, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, लखनऊ मण्डलों के संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन द्वारा निस्तारित किया जायेगा। सहारनपुर मण्डल का कार्य मेरठ मण्डल, देवीपाटन (गोण्डा) का कार्य फैजाबाद, बस्ती का गोरखपुर, आजमगढ़ का वाराणसी, मिर्जापुर का इलाहाबाद, चित्रकूटधाम (बांदा) का झांसी मण्डल से कार्य सम्पादित किया जाय। यह व्यवस्था दिनांक 01.04.2000 से प्रभावी होगी। इस प्रकार दिनांक 31.3.2000 के उपरान्त सभी सरकारी विभागों के वर्ग ''ख'' एवं ''ग'' में अधिवर्षता में सेवा निवृत्त अथवा अन्य कारणों से सेवा निवृत्त/सेवारत मृत राजकीय सेवकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रकरणों का निसतारण मण्डलीय संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन द्वारा किया जायेगा।

11–संबंधित संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने यहां नियुक्त उप निदेशकों के नमूने के हस्ताक्षर पहली बार निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सत्यापित करवाकर प्रदेश के सभी कोषाधिकारी को सील्ड कवर में गोपनीय रूप से रजिस्ट्री से प्रेषित कर दें। इसकी एक प्रति महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद को भी प्रेषित की जायेगी। संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन के कार्यभार छोड़ने पर, वह अपने उत्तराधिकारी के हस्ताक्षर परिचालनार्थ प्रमाणित कर देंगे।

12–संबंधित संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन समस्त कोषाधिकारियों को भेजे जाने वाले अपने नमूने के हस्ताक्षरों पर पेंशन एवं अन्य प्राधिकार पत्रों पर अपनी एक इम्बासिंग सील लगायेंगे। इस स्पेशल सील का व्यास लगभग 2 इंच होगा। संबंधित संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन अथवा उपनिदेशक इस सील को अपनी व्यक्तिगत ''कस्टडी'' (अभिरक्षा) में रखेंगे और स्वीकृति संबंधी हस्ताक्षर करते समय प्रपत्रों पर लगायेंगे। बिना इम्बासिंग सील के प्राधिकार पत्र मान्य नहीं होंगे।

13–नयी प्रणाली के कार्यान्वयन में संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन अपने मण्डलीय कार्यालयों से प्रतिवर्ष पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को ऐसे व्यक्तियों की एक छमाही सूची प्राप्त करेंगे जो अगले 24 से 30 माह तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। संयुक्त निदेशक का यह दायित्व होगा कि वे इन सूचियों में उल्लिखित विवरणों का कम्प्यूटर पर डाटाबेस बनावे। कार्यालयवार नामों का विवरण निर्धारित प्रपत्र (फार्म–1) पर एक रजिस्टर में अनिवार्य रूप से रखा जाय। यह रजिस्टर मास्टर रजिस्टर के रूप में उपयोग में लाया जायेगा तथा पेंशन प्रपत्रों की प्राप्ति तथा निर्गमन संबंधी सूचना इस रजिस्टर के अतिरिक्त एक अन्य रजिस्टर (फार्म–2) में भी दर्ज किया जाय। यह रजिस्टर पेंशन चेक रजिस्टर कहलायेगा और स्वीकृति संबंधी पूर्ण सूचना का मुख्य रजिस्टर होगा। इस रजिस्टर को कभी नष्ट नहीं किया जाय और इसी रजिस्टर को भविष्य में संदर्भ हेतु तथा समय-समय पर होने वाले पेंशनों के पुनरीक्षण हेतु उपयोग में लाया जाये। पेंशन प्राधिकार पत्रों पर भी इस रजिस्टर की संख्या का संदर्भ हो और यही संदर्भ संबंधित पेंशन के संबंध में उपयोग में लाया जाय। प्राधिकार पत्र में प्राधिकार पत्र संख्या के पूर्व संक्षिप्त विभागीय नाम का प्रयोग किया जाय यथा पुलिस विभाग के संदर्भ में प्राधिकार पत्र की संख्या के पहले शब्द ''पुलिस'' का प्रयोग किया जाय, इसी प्रकार सिंचाई, लोक निर्माण तथा पेंशन विभाग के प्रकरणों में क्रमशः शब्द ''सिंचाई'', ''लो0नि0वि0'' तथा ''राजस्व'' का प्रयोग किया जाय। यदि किसी व्यक्ति के पेंशन प्रपत्र निर्धारित समय सारिणी के अनुसार प्राप्त न हों तो संबंधित संयुक्त निदेशक संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को पेंशन प्रपत्र भेजे जाने हेतु लिखे। यदि फिर भी किसी कार्यालयाध्यक्ष से पेंशन प्रपत्र प्राप्त न हो तो मण्डलायुक्त की जानकारी में पूरी स्थिति लाये जिससे मण्डलायुक्त द्वारा कार्यालयाध्यक्ष स्तर से नियमानुसार पेंशन प्रकरण में समयबद्ध आवश्यक कार्यवाही न करने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

14–पेंशन प्रपत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त, संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन, पेंशन तथा अन्य देयों से संबंधित प्राधिकार पत्र का निर्गत करने के लिए अन्तिम रूप से जिम्मेदार होंगे। यदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इनके निर्णय में कोई विवाद उत्पन्न किया जायेगा वो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी विभागाध्यक्ष को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे जो विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यक निर्णय हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा।

15–मण्डलीय संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन के अधीन दो उप निदेशक मुख्य लेखाधिकारी स्तर के नियुक्त होंगे। एक उप निदेशक पेंशन तथा अधिष्ठान संबंधी कार्य देखेगा एवं दूसरा उप निदेशक, कोषागार, लेखा, निरीक्षण आदि का कार्य करेंगे। संयुक्त निदेशक स्तर से उप निदेशकों को कार्य आवंटन का अधिकार होगा तथा एक उप निदेशक के अनुपस्थित रहने पर दूसरा उप निदेशक स्वतः लिन्क अधिकारी होगा, अतः दोनों अधिकारियों के नमूने के हस्ताक्षर समस्त कोषागारों को परिचालित किया जायेगा।

16–कम्प्यूटर पर आधारित कार्य पद्धति में सुरक्षा एवं शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाय। संयुक्त निदेशक का दायित्व होगा कि वह कम्प्यूटर के वातावरण में 'सुपर यूजर' के दायित्व का निर्वाह करेंगे तथा उप निदेशक ''डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर'' के रूप में कार्य करेंगे। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी को कम्प्यूटर पर कार्य करने के लिये ''गोपनीय पासवर्ड'' का प्रयोग करना अनिवार्य होगा तथा समय समय पर इसे बदलते रहना होगा।

17–कम्प्यूटर संबंधी सभी उपकरणों का आपूर्तिकर्तावार ''लागबुक'' बनायी जाय। कितने प्रतिशत समय मंशीन ठीक रही ''अपटाइम'' प्रतिमाह आगणित किया जाय तथा समय से मशीन ठीक न करने वाली फर्म के विरुद्ध अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाय। उपकरणों के रख रखाव का अनुबन्ध समय से किया जाय तथा मशीनों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय।

18–कम्प्यूटर या अन्य मशीन अधिकारी/कर्मचारी के सहयोग, क्षमता बढ़ाने, लाभप्रद होने, समय बचाने, सेवा में वृद्धि लाने आदि के लिये प्रयोग की जाती है, न कि, मानव के प्रतिस्थापन के रूप में। वर्णित

परिस्थिति में अधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व है कि कम्प्यूटर में आंकडे की प्रविष्टि के पूर्व तथा कम्प्यूटर से वांछित अभिलेख (आउटपुट) निकलने पर तुलनात्मक परीक्षण अवश्य किया जाय।

19—कम्प्यूटर पर किये गये कार्य का प्रतिदिन ''बैकअप'' लिया जाय। बैकअप दिन में दो बार अलग—अलग टेप पर लिया जाय। (मध्यान्ह अवकाश के बाद तथा सायंकाल कार्यालय बन्द होने के ठीक पूर्व) इसके अलावा एक टेप में अलग से पूरे दिन का बैकअप लिया जाय। दोनो टेप को अलग अलग जगह पर सुरक्षित रखा जाय। पेंशन के आंकडे स्थायी प्रकृति के है परन्तु 5—6 वर्ष बाद टेप खराब होने के प्रकरण प्रकाश में आये है। अतः प्रत्येक तीन वर्ष पर पुराने टेप को ''कम्प्यूटर के हार्ड डिस्क'' में स्थानान्तरित कर, आकड़ों के परीक्षण करने के बाद नये टेप पर ''बैकअप'' लेने की व्यवस्था की जाय।

20—कम्प्यूटर कक्ष में प्रतिदिन सफाई, अनाधिकृत प्रवेश पर रोक तथा सुरक्षा की स्थायी व्यवस्था स्थापित की जाय। ''विन्डो बेस्ड सिस्टम'' में बाहर से ''वायरस'' आने तथा ''सिस्टम/डाटावेस'' में खराबी आने को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार के ''गेम्स'' तथा अन्य इलेक्ट्रनिक्स मिडिया (फलापी) आदि जो दूसरें कम्प्यूटर से लाया गया हो पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाय। यदि किसी आवश्यक फलापी को कम्प्यूटर पर लोड करना आवश्यक हो तब ''वायरस'' आदि के परीक्षण के बाद ही कम्प्यूटर पर डाला जाय।

21—मण्डलीय संयुक्त निदेशक अपने स्तर से स्वीकृत पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./सी.पी.ओ. तथा पुनरीक्षित दरों के आदेशों का संकलित मासिक विवरण संबंधित कोषागारों को उपलबध करायें। सम्पूर्ण प्रक्रिया कम्प्यूटर पर आधारित होने के कारण सूचनाओं को सरलता से तैयार कर मिलान किया जा सकता है। अतः अपनें कार्यक्षेत्र के कोषागारों के निरीक्षण के समय संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक यह अवश्य देखे कि स्वीकृत प्राधिकार पत्र, प्राप्त होने की तिथि मे ही कोषागार के पेंशन इन्डेक्स पंजी (प्रपत्र—51) पर प्रविष्टि किया गया है, कि नही। ऐसा करने पर किसी भी गलत प्राधिकार पत्र पर भुगतान पर पूर्ण नियंत्रण होगा। प्राधिकार पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह तक संबंधित लाभार्थी के उपस्थित न होने पर, कोषागार द्वारा ऐसे लाभार्थी को लिखित सूचना भेजी जाएगी कि, वह औपचारिकता पूर्ण करें, जिससे संबंधित बैंक खाता के माध्यम से भुगतान किया जा सके।

22—इस योजना पर होने वाले व्यय के संबंध में अतिरिक्त धन की समुचित व्यवस्था निदेशक, कोषागार के आय-व्ययक में सुनिश्चित की जायेगी। इस संदर्भ में निदेशक, कोषागार आवश्यक कार्यवाही करेगें।

23—समस्त मण्डलों के संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन एवं अन्य संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि इस बीच सभी पेंशन नियमों तथा शासनादेशों का अध्ययन कर लें, जिससे पेंशन प्राधिकार पत्र समय से निर्गत करने में कठिनाई न हो।

24—दिनांक 31—03—2000 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों के प्रकरणों का निस्तारण इस शासनादेश में निर्धारित प्रक्रिया के पूर्व निर्धारित प्रक्रिया द्वारा पेंशन निदेशालय अथवा पूर्व में अधिकृत 41 विभागों के सक्षम अधिकारियों द्वारा ही निस्तारित किए जाएंगे।

आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त प्रणाली का भली प्रकार अध्ययन कर ले और उसी के अनुसार दिनांक 01—04—2000 से लागू करने का कष्ट करें।

भवदीय
मु0 हलीम खाँ
सचिव।

—————

संख्या–सा–3–1212/दस–99–26/98

प्रेषक,

श्री पीताम्बर भट्ट,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 26 अक्टूबर, 1999

विषय :– पेंशन देयों की कम्प्यूटर पर आधारित प्रक्रिया तथा मण्डल स्तर पर विकेन्द्रीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्या सा–3–1446/दस–912/85 दिनांक 6.8.1985, शासनादेश सं0 सा–3–1480/दस–912/85 दिनांक 6–8–1986, शासनादेश सं0 सा–3–555/दस–912/85 दिनांक 19.3.87 तथा शासनादेश संख्या सा–3–780/दस–901/96, दिनांक 24.6.1996 की व्यवस्था को समाप्त करके दिनांक 01–4–2000 से राज्य सरकार समूह ''ख'' एवं ''ग'' के कर्मचारियों के सेवा नैवृत्तिक देयों का निस्तारण मंडलीय संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन को प्रतिनिधानित कर दिया जाए। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या सा–3–697/दस–99–26/98, दिनांक 08.10.99 में पहले ही आवश्यक निर्देश जारी किये जा चुके हैं और उसमें सम्पूर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया जा चुका है।

2–पेंशन प्रकरणों को सेवानिवृत्ति की तिथि को अन्तिम रूप से निस्तारित किया जा सके इसके लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारी के पेंशन सम्बन्धी आवेदन पत्र समय से प्रस्तुत कर दिए जायें। शासनादेश संख्या सा–3–559/दस–89–908/89, दिनांक 25.2.1989 में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक विभाग में पेंशन सम्बन्धी प्रकरणों को समय से निस्तारित करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये जो यह सुनिशिचित करे कि आगामी 24 माहों में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की सूची प्रतिवर्ष 31 जनवरी तथा 31 जुलाई तक पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी को अवश्य प्रेषित कर दें। अतएव यह आपका दायित्व है कि अपने विभाग के नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची 31 जनवरी तथा 31 जुलाई के अन्त तक अब मंडलीय संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन को उपलब्ध करा दी जाये। संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन का दायित्व होगा, कि यदि उनके क्षेत्र के किसी विभाग में उक्त सूची नही प्राप्त होती है तो उसे व्यक्तिगत प्रयास करके प्राप्त करेंगे और सूची न भेजने वाले अधिकरयों की सूचना मंडलायुक्त को भी देंगे।

3–उपरोक्त के सम्बन्ध में आपका ध्यान अधिसूचना संख्या सा–3–1644/दस–904/94, दिनांक 02.11.1995 की ओर आकर्षित करते हुए, मुझे यह भी कहना है कि ''उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 1995''(प्रति संलग्न) में पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के लिये प्रत्येक स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही का निर्धारण किया गया है। उक्त कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही न करने पर दण्ड देने की भी व्यवस्था है।

4–अतः अनुरोध है कि आप कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित कर्मचारियों के सेवानिवृत्तिक देयों का समय पर निस्तारण के लिये प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची 24 माह पूर्व उपरोक्तानुसार 31 जनवरी तथा 31 जुलाई तक अब संबंधित मंडलीय संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन को भेजना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
पीताम्बर भट्ट
विशेष सचिव।

<u>संख्या–सा–3–1320 / दस–26 / 98</u>

प्रेषक,

श्री विजय कुमार शर्मा,
सचिव वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 28 जुलाई, 2000

विषय :– पेंशन देयों की कम्प्यूटर पर आधारित प्रक्रिया तथा मण्डल स्तर पर विकेन्द्रीकरण स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या सा–3–697 / दस–26 / 98 दिनांक 8.10.1999, में यह व्यस्था की गयी है कि दिनांक 1–4–2000 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त हुए / होने वाले समूह ''क'' के सरकारी कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक लाभों के निस्तारण का कार्य निदेशक पेंशन निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अधिष्ठान द्वारा, समूह ''ख'' एवं ''ग'' के सरकारी कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक लाभों का निस्तारण मंडलीय संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन के द्वारा किया जायेगा।

2–शासनादेश दिनांक 8–10–1999 में समूह ''ख'' एवं ''ग'' की स्थिति, नवीन वेतनमानों के संदर्भ में स्पष्ट न होने के कारण पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में बाधा आ रही है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि केवल पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु वेतनमान रूपया 10,000–15,200 तथा इससे उच्च वेतनमान में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण निदेशक, पेंशन उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा व्यवहृत होंगे तथा शेष का निस्तारण मंडलीय संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन द्वारा किया जायेगा।

3–शासनादेश संख्या सा–3–697 / दस–26 / 98 दिनांक 8.10.1999, के शेष प्राविधान यथावत प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,
विजय कुमार शर्मा
सचिव वित्त।

––––

<u>संख्या–सा–3–1792 / दस–26 / 98</u>

प्रेषक,

श्री शिव प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 15 नवम्बर, 2000

विषय :– पेंशन देयों की कम्प्यूटर पर आधारित प्रक्रिया तथा मण्डल स्तर पर विकेन्द्रीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय शासनादेश संख्या सा–3–697 / दस–26 / 98 दिनांक 8.10.1999, में यह व्यवस्था निहित है कि दिनांक 1–4–2000 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त हुए / होने वाले समूह ''ख'' एवं

''ग'' के सरकारी सेवकों के सेवानिवृत्तिक लाभों/पारिवारिक पेंशन के निर्धारण का कार्य मंडलीय संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन द्वारा किया जायेगा।

2—उपरोक्त शासनादेश के संदर्भ में ही निर्गत शासनादेश संख्या सा—3—1761/दस—26/98, दिनांक 31—10—2000, में यह संशोधन कर दिया गया है कि दिनाँक 30—9—2000 के उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले समूह ''ख'' एवं ''ग'' के पुलिस कार्मिकों जिनके सेवानिवृत्तिक लाभों के निर्धारण का कार्य उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनाँक 8—10—1999 में निर्धारित व्यवस्था के ठीक पूर्व वित्त नियंत्रक उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा किया जाता था, के सेवानैवृत्तिक लाभों के निर्धारण का कार्य वित्त नियंत्रक उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा ही किया जायेगा।

3—शासनादेश दिनांक 31—10—2000 की उपर्युक्त व्यवस्था के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनाँक 31—10—1999 की व्यवस्था के अधीन पुलिस कार्मिकों के पेंशन प्रकरण वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा ही निस्तारित किए जाते रहेंगे परन्तु दिनाँक 1—4—2000 से 30—9—2000 की अवधि में यदि मंडलीय संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन द्वारा पुलिस कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया गया है तो वे उन प्रकरणों से संबंधित पत्रावलियाँ वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को भेज दें तथा उसकी सूची निदेशक पेंशन निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ भेज दें। वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि दिनाँक 1—4—2000 एवं 30—9—2000 के मध्य सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों के मामले में सेवानैवृत्तिक लाभों का निर्धारण/भुगतान दोबारा न होने पाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि मंडलीय संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन के कार्यालय में पुलिस कार्मिकों के कुछ पेंशन प्रकरण अनिस्तारित रह गए हैं तो वे उन्हें ऐसा प्रमाणित करते हुये वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को प्राथमिकता पर निस्तारणार्थ प्रेषित कर दें तथा उसकी सूचना भी पेंशन निदेशक को दे दें।

भवदीय,
शिव प्रकाश
विशेष सचिव।

संख्या–सा–3–135 / दस–2004–26 / 98

प्रेषक,

श्री शिव प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 27 फरवरी, 2004

विषय :– पेंशन देयों की कम्प्यूटर पर आधारित प्रक्रिया तथा मण्डल स्तर पर विकेन्द्रीकरण– स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या सा–3–697 / दस–26 / 98, दिनांक 8–10–99 तथा शासनादेश सांख्या सा–3–1320 / दस–26 / 98, दिनांक 28–7–2000 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग–1 ने अपने शासनादेश संख्या–15 / 140 / 81–का–1–2003, दिनांक 7.10.2003 द्वारा सेवारत राज्य कर्मचारियों की सेवाओं का समूहवार वर्गीकरण कर दिया है। अतः अब उपरोक्त शासनादेश दिनांक 28.7.2000 में दिये गये निर्देशों के स्थान पर कार्मिक विभाग के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 7.10.2003 में किये गये सेवाओं के वर्गीकरण के आधार पर पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। पेंशन प्रकरणों की स्वीकृति संबंधी उपरोक्त शासनादेश दिनांक 8.10.99 के प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,
शिव प्रकाश
विशेष सचिव।

––––

संख्या–सा–3–837 / दस–2010–26 / 98टी0सी0

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 12 जून, 2010

विषय :– सेवानिवृत्तिक देयों की स्वीकृति हेतु मिर्जापुर, आजमगढ़ एवं सहारनपुर मण्डलों के अपर / संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन को अधिकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा–3–697 / दस–26 / 98, दिनांक 8 अक्टूबर, 1999 के प्रस्तर–10 में दी गयी व्यवस्था के अनुक्रम में मिर्जापुर, आजमगढ़ एवं सहारनपुर मण्डलों के अपर / संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन को पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु अधिकृत किया जाता है। यह व्यवस्था दिनाँक 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी होगी। इस प्रकार दिनाँक 30 जून, 2010 के उपरान्त उपर्युक्त मण्डलों के सभी सरकारी विभागों के वर्ग 'ख' एवं 'ग' में अधिवर्षता पर अथवा अन्य कारणों से सेवानिवृत्त / सेवारत मृत राजकीय सेवकों के पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्रकरणों का निस्तारण संबंधित अपर / संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन द्वारा किया जायेगा। दिनांक 1 जुलाई, 2010 के पूर्व के अनिस्तारित प्रकरणों का निस्तारण शासनादेश दिनाँक 8 अक्टूबर, 1999 के प्रसतर–10 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ही किया जायेगा।

2–कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
नील रतन कुमार
संयुक्त सचिव।

अध्याय–12

समूह 'घ' के कार्मिकों की पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया सम्बन्धी शासनादेश

संख्या सा–3–297/दस–913–92

प्रेषक,

सी0 एम0 वासुदेव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 26 मई, 1993

विषय :– पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया को विकेन्द्रित कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जिला स्तर पर पेंशन स्वीकृत किए जाने की सुविधा दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महालेखाकार कार्यालय, इलाहाबाद के स्तर से पेंशन प्राधिकार–पत्र तथा पेंशन सम्बन्धी अन्य देयों जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन के राशिकरण आदि का प्राधिकार–पत्र निर्गत करने में आ रही कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है, कि उपरोक्त प्राधिकार–पत्रों को निर्गत करने की कार्यवाही का विकेन्द्रीकरण किया जाए। उक्त निर्णय के फलस्वरूप वर्तमान में अब यह कार्य महालेखाकार कार्यालय के बजाय राज्य सरकार के 15 विभागों के मुख्य लेखाधिकारियों द्वारा किया जाता है। उक्त 15 विभागों के अतिरिक्त शेष बचे हुए विभागों/कार्यालयों के कर्मचारियों/अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा किया जाता है।

2–पेंशन सम्बन्धी कार्य के निस्तारण के अधिकार के विकेन्द्रीकरण की नीति के अधीन राज्यपाल महोदय ने यह आदेश प्रदान किए हैं कि राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (उत्तर प्रदेश सचिवालय, विधान सभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय तथा राज्यपाल सचिवालय को छोड़कर) के सेवा नैवृत्तिक लाभों एवं उनके परिवार को परिवारिक पेंशन स्वीकृत किए जाने का कार्य पेंशन निदेशक/ मुख्य लेखाधिकारियों से लेकर कार्यालयाध्यक्षों को प्रतिनिधानित कर दिया जाय। कार्यालयाध्यक्षों द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवानैवृत्तिक लाभों का निस्तारण करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा :–

(1) सम्बन्धित कर्मचारी की पेंशन का प्रथम आहरण उसी कोषागार से करेंगे जहाँ पर उसका कार्यालय स्थित है।

(2) इस प्रणाली के अन्तर्गत सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा पेंशन सम्बन्धित सभी मामलों का निस्तारण किया जाएगा, जैसे पेंशन स्वीकृति, ग्रेच्युटी की स्वीकृति, पारिवारिक पेंशन स्वीकृति तथा पेंशन के राशिकरण की स्वीकृति आदि।

(3) बीमा योजना के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि, भविष्य निर्वाह के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि तथा सेवा निवृत्ति के समय अवशेष उपार्जित अवकाश के नगदीकरण से सम्बन्धित मामले इस योजना से आच्छादित नहीं होंगे। उनके सम्बन्ध में विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत जो प्रक्रिया निर्धारित है वही यथावत् लागू समझी जायेगी।

(4) कार्यालयाध्यक्ष केवल जिले में ही आहरित की जाने वाली पेंशन स्वीकृत करने के लिए सक्षम होंगे।

(5) सेवानिवृत्ति के समय तैनाती के जनपद के अतिरिक्त के जनपद से पेंशन आहरण व्यवस्था या तो सेवानिवृत्ति के जनपद से प्रथम आहरण के बाद स्थानान्तरण द्वारा अथवा पूर्ववत् पेंशन निदेशक/मुख्य लेखाधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति पर ही किया जाएगा।

(6) कार्यालयाध्यक्षों द्वारा जारी किए जाने वाले भुगतानादेशों की प्रति सम्बन्धित मुख्य लेखाधिकारी/निदेशक पेंशन, जैसी सिथति हो को भी पृष्ठांकित की जाएगी जो इस मामलों की जांच करके प्रत्येक तिमाही में अनापत्ति जारी कर देंगे और तब तक अर्थात् तीन माह की अवधि तक कार्यालयाध्यक्षों द्वारा उपरोक्तानुसार जारी भुगतानादेश अनन्तिम माने जायेंगे और कोई त्रुटि पाए जाने पर उनमें सुधार करके पुनरीक्षित भुगतानादेश जारी कर दिया जाएगा। यदि मुख्य लेखाधिकारी/निदेशक पेंशन को प्रकरण भेजने की तिथि से तीन माह की अवधि में यथास्थिति मुख्य लेखाधिकारी/निदेशक पेंशन से कोई आपत्ति अथवा अनापत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्गत भुगतानादेश स्वतः अन्तिम माना जाएगा। मुख्य लेखाधिकारी/निदेशक पेंशन का यह दायित्व होगा कि कार्यालायध्यक्षों के पेंशन सम्बन्धी कार्य का नियमित निरीक्षण करें तथा वांछित पर्यवेक्षण प्रदान करें।

(7) विकेन्द्रीकरण की उपरोक्त प्रक्रिया के अधीन आपके विभाग में सेवानिवृत्त होने वाले अथवा मृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मामले तुरन्त रूप से निस्तारित किए जाएं।

(8) इस प्रणाली के अन्तर्गत पेंशन प्रपत्रों को तैयार करने का कार्य उस प्रक्रिया तथा समय–सारिणी के अनुसार किया जाएगा जैसी वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या सा–3–1713/ दस–89–933–89, दिनांक 28 जुलाई, 1989 में निर्धारित है। केवल अन्तर इतना ही होगा कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा वांछित पेंशन प्रपत्र अब यदि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अपनी पेंशन लेने का विकल्प उसी जनपद के कोषागार से लेने को देता है, तो कार्यालयाध्यक्ष को भेजे जायेंगे तथा यदि किसी अन्य जनपद से लेने का विकल्प देता है तो पूर्व की भांति विभागाध्यक्ष से संबद्ध मुख्य लेखाधिकारी को अथवा निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0 प्र0 को, जैसी भी स्थिति हो, को भेजे जायेंगे। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रेच्युटी एवं राशिकरण की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित पेंशनर को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद के माह की पहली तारीख को प्राप्त हो जाए तथा पेंशन का भुगतान सेवानिवृत्ति के दिनांक के एक माह के बाद की पहली तारीख को हो जाए।

(9) इस प्रणाली को नियमित रूप से चलाने हेतु पेंशन तथा अन्य प्राधिकार–पत्रों की प्रतियां निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ से प्राप्त की जाएगी। अतएव सम्बन्धित विभाग अपनी आवश्यकतानुसार अपना मांग–पत्र निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ को समय से पूर्व भेजने का कष्ट करें।

(10) प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों से प्रति वर्ष पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को ऐसे व्यक्तियों की एक छःमाही सूची प्राप्त करेंगे, जो अगले 24 माह तक सेवानिवृत्त होने वाले हों। उपरोक्त सूचना के रख–रखाव के लिए संलग्न प्रपत्र (फार्म–1) पर एक रजिस्टर में अंकित कर लें। यह रजिस्टर मास्टर रजिस्टर के रूप में उपयोग में लाया जाएगा तथा पेंशन प्रपत्रों की प्राप्ति तथा निर्गमन सम्बन्धी सूचना इस रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। जो पेंशन प्रपत्र प्राप्त होंगे उन्हें उपरोक्त रजिस्टर के अतिरिक्त एक अन्य रजिस्टर (फार्म–2) में दर्ज किया जाएगा। यह रजिस्टर पेंशन चेक रजिस्टर कहलाएगा और स्वीकृति सम्बन्धी पूर्ण सूचना का मुख्य रजिस्टर होगा। इस रजिस्टर को कभी विनष्ट (बीड आउट) नहीं किया जाएगा और इसी रजिस्टर को भविष्य में सन्दर्भ हेतु तथा समय–समय पर होने वाले पेंशनों के पुनरीक्षण हेतु उपयोग में लाया जाएगा। पेंशन प्राधिकार–पत्रों पर भी इस रजिस्टर के नम्बर का सन्दर्भ होगा और यही सन्दर्भ सम्बन्धित पेंशनर के सम्बन्ध में उपयोग में लाया जाएगा। विभिन्न कार्यालयाध्यक्ष पेंशन प्राधिकार–पत्रों पर नम्बर देने से पूर्व अपने विभाग का संक्षिप्त नाम जैसे सिंचाई विभाग ''सिंचाई'' राजस्व विभाग ''राजस्व'' अंकित करेंगे।

(11) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन प्राधिकार–पत्र निर्गत किए जाने पर कोषाधिकारी स्तर पर उन्हें एक रजिस्टर जो वित्तीय नियम संग्रह भाग पाँच खण्ड दो के फार्म सं0 51 (प्रारूप संलग्न) में निर्धारित है, में रखरखाव सुनिश्चित किया जएगा। कोषाधिकरी इसी रजिस्टर के क्रमांक को पेंशन

प्राधिकार–पत्र (दो प्रतियों) पर दर्ज करेंगे और कोषाधिकारी के कार्यालय में डिसबर्सर्स हाफ को ढूँढने में उसका उपयोग करेंगे।

3–पेंशन प्रपत्र प्राप्त होने पर कार्यालयाध्यक्ष कार्यालय में निम्न कार्यवाही अपेक्षित होगी : (1) वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पेंशन प्रपत्र हर प्रकार से पूर्ण हैं।

(2) सेवा पुस्तिका में सेवा सम्बन्धी सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण हैं, तथा वे उचित स्तर से प्रमाणित की गई हैं। यदि सेवा पुस्तिका में कुछ अवधि/अवधियाँ सत्यापित न हों तो सम्बन्धित सरकारी सेवक से शासनादेश संख्या सा–3–1998/दस–932–80, दिनांक 16 जनवरी, 1981 के प्रस्तर–3 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार एक शपथ–पत्र प्राप्त कर उस भाग को पेंशन के प्रयोजन हेतु अर्ह सेवा मान लेंगे।

(3) यदि अभिलेख पूर्ण हैं तो वे निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक 10 माह पूर्व का औसत वेतन आगणित करेंगे और सेवा पुस्तिका की सहायता से उसकी अर्हकारी सेवा आगणित करेंगे। इन आंकड़ों के आधार पर पेंशन विनियमन सम्बन्धी शासनादेशों में उल्लिखित प्रक्रिया और दरों पर पेंशन का आगणन करके पेंशन प्राधिकार–पत्र निर्गत करेंगे।

(4) इसी प्रकार पेंशन नियमों एवं शासनादेशों में उल्लिखित प्रक्रिया और दरों पर मृत्यु एवं सेवानैवृत्तिक ग्रेच्युटी तथा पेंशन राशिकरण की धनराशि का आगणन करेंगे और निर्धारित प्रपत्र पर प्राधिकार–पत्र निर्गत करेंगे।

(5) पेंशन तथा अन्य प्राधिकार–पत्रों को निर्गत करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि उक्त पत्रों पर निर्धारित सभी सूचना सही–सही भर दी गई है जिस से सम्बन्धित कोषाधिकारी को उसका भुगतान करने में कठिनाई न हो।

(6) यदि किसी कारणवश सेवा निवृत्ति के दिनांक के एक माह पूर्व किसी व्यक्ति की पेंशन अथवा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में प्राधिकार–पत्र निर्गत किया जाना सम्भव न हो पाए तो सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वे शासनादेश संख्या सा–3–2085/दस–907–76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 एवं सा–3–1797/दस–921–84, दिनांक 13 फरवरी, 1985 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति को अनन्तिम पेंशन एवं ग्रेच्युटी स्वीकृत कर दें एवं शासनादेश संख्या सा–3–2921/दस–म0ले0–7–78, दिनांक 27 जनवरी, 1979 के अन्तर्गत निर्धारित परिशिष्ट पर आवश्यक सूचना सम्बन्धित मुख्य लेखाधिकारी/निदेशक, पेंशन निदेशालय, को प्रेषित कर दें और उसका आहरण पेंशन के मामले में सेवानिवृत्ति के एक माह के बाद माह की पहली तिथि को प्रारम्भ कर दें तथा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की धनराशि का भुगतान सेवानिवृत्ति के माह से अगले माह की पहली तिथि को ही कर दें।

(7) अपने विभाग के ''चतुर्थ'' श्रेणी कर्मचारियों के सेवानैवृत्तिक लाभों के निस्तारण के लिए कार्यालयाध्यक्ष अन्तिम रूप से जिम्मेदार होंगे। यदि सम्बन्धित कर्मचारी और कार्यालयाध्यक्ष के मध्य किसी बिन्दु पर विवाद है तो कार्यालयाध्यक्ष उक्त विवादित बिन्दु को मुख्य लेखाधिकारी/निदेशक पेंशन, जैसी भी स्थिति हो, को सन्दर्भित करके आवश्यक निर्णय/निर्देश प्राप्त करेंगे।

(8) भारत का संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल द्वारा बनाए गये ट्रेजरी रूल्स में यह प्राविधान है कि कोषाधिकारी सामान्य प्रकार से भुगतान करने हेतु अधिकृत नहीं है जब तक कि ऐसा भुगतान नियमों के अन्तर्गत किया जाना अपेक्षित न हो अथवा उसके लिए महालेखाकार का प्राधिकार–पत्र उपलब्ध न हो। ट्रेजरी रूल्स 22 में यह प्राविधान है कि सरकारी सेवकों को मिलने वाली पेंशन की दरें महालेखाकार द्वारा कोषाधिकारी को सूचित की जायेंगी। कालान्तर में पेंशन स्वीकृति की विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत महालेखाकार के प्रश्नगत अधिकार पेंशन निदेशक, सम्बन्धित विभागों के मुख्य लेखाधिकारियों एवं कतिपय अन्य अधिकारियों

को सम्बन्धित शासनादेशों द्वारा प्रतिनिधारित किए गए हैं। उपरोक्त योजना के लागू करने हेतु सम्बन्धित ट्रेजरी रूल्स में संशोधन किया जा रहा है, परन्तु इसमें कुछ समय लगने की सम्भावना है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि सम्बन्धित नियमों के संशोधन के औपचारिक आदेश निर्गत होने के पूर्व इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि में उन्हें संशोधित माना जाएगा और सम्बन्धित कोषाधिकारी सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों द्वारा जारी किए गए भुगतान प्राधिकार–पत्रों पर भुगतान करने के लिए अधिकृत समझे जायेंगे।

4–समस्त कार्यालयाध्यक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस बीच सभी पेंशन नियमों तथा शासनादेशों का अध्ययन कर लें जिससे पेंशन प्राधिकार–पत्र निर्गत करने में कठिनाई न हो।

5–अतः अनुरोध है कि आप उपरोक्त प्रणाली का भली प्रकार सावधानी से अध्ययन कर लें और उसे अपने विभाग में तुरन्त रूप से लागू करने की कृपा करें।

आज्ञा से,

सी0 एम0 वासुदेव

प्रमुख सचिव, वित्त।

―――――

फार्म–1 (चेक रजिस्टर)

क्रम संख्या	मास्टर इण्डेक्स रजिस्टर का क्रम संख्या एवं दिनांक	सरकारी सेवक का नाम/पिता/पति का नाम व वर्तमान पता तथा सेवनिवृत्ति के उपरान्त स्थायी पता	सरकारी सेवक					पत्र संख्या एवं दिनांक जिसके साथ पेंशन प्रपत्र प्राप्त हुए	सेवा में व्यवधान/व्यवधानों की अवधि, यदि कोई हो, और क्या अर्हकारी सेवा का आगणन करते समय उसके पूर्व की सेवा को सम्मिलित किया गया
			की जन्म तिथि	की सेवा प्रारम्भ की तिथि	की सेवा निवृत्ति की तिथि	की मृत्यु की तिथि	का पद जिस पर स्थायी घोषित किया गया तथा स्थायीकरण का दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

फार्म–2 (चेक रजिस्टर)

क्रम संख्या	मास्टर इण्डेक्स रजिस्टर का क्रम संख्या एवं दिनांक	सरकारी सेवक का नाम/ पिता/ पति का नाम व वर्तमान पता तथा सेवनिवृत्ति के उपरान्त स्थायी पता	सरकारी कर्मचारी के परिवार के दस सदस्यों के नाम/जन्म– तिथि, पते यदि परिवार न हो तो विधिक उत्तराधिकरी / उत्तराधिकारियों के नाम, जन्म– तिथि तथा पते	सरकारी सेवक					पत्र सं0 एवं दिनांक जिसके साथ पेंशन प्रपत्र प्राप्त हुए	सेवा में व्यवधान/ व्यवधानों की अवधि, यदि कोई हो, और क्या अर्हकारी सेवा का आगणन करते समय उसके पूर्व की सेवा को सम्मिलित किया गया	सेवा की अन्य अवधियों जैसे निलम्बन की अवधि अथवा अनधिकृत अनुपस्थितियों का विवरण तथा यदि वे विनियमित की जा चुकी हो तो उस अधिकारी का नाम, पदनाम तथा पत्र संख्या एवं दिनांक जिसके द्वारा उसे विनियमित किया गया। यदि विनियमित न किया गया हो तो उसका कारण और क्या अर्हकारी सेवा का आगणन करते समय उसे सेवा में सम्मिलित किया गया।
				की जन्म तिथि	की सेवा प्रारम्भ की तिथि	की सेवा निवृत्ति की तिथि	की मृत्यु की तिथि	का पद जिस पर स्थायी घोषित किया गया तथा स्थायीकरण ा का दिनांक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

फार्म–2 (चेक रजिस्टर) *क्रमशः*

अर्हकारी सेवा का आगणन	सेवा निवृत्ति के दिनांक से 10 माह पूर्व तक के औसत वेतन का आगणन	पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की धनराशि का वास्तविक आगणन	ग्रेच्युटी की धनराशि का आगणन	राशिकरण की धनराशि का आगणन	पत्र/ पत्रों की संख्या एवं दिनांक जिसके/ जिनके द्वारा पेंशन/ ग्रेच्युटी, राशिकरण के प्राधिकार– पत्र भेजे गए	आहरण एवं वितरण अधिकारी तथा कोषाधिकारी का नाम जिसे ग्रेच्युटी/ राशिकरण तथा पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के प्राधिकार– पत्र भेजे गये	हस्ताक्षर			विवरण
							पेंशन लिपिक	सहायक लेखाधिकारी	मुख्य लेखाधिकारी	
13	14	15	16	17	18	19		20		21

FORM No. 51

(*See* chapter 21, Para 511, F.H.B., vol.-V, Part-II)

REGISTER OF PENSION PAYMENT ORDERS ON .... TREASURY

Number of Pension Payment Order	Name of Pensioner	Monthly amount		Remarks
		Rs.	P.	

FORM-3

(*To be signed by the retired Government Servant*)

This deed of indemnity is made on the .... day of 19 .... corresponding to Saka Samvat the day .... 19 .... by Shri .... S/o .... resident of .... (Bounden) IN FAVOUR OF the Governor.

WHEREAS :

1. The Bounden abovenamed was in the service of the Govenment of Uttar Pradesh (called 'the Government') as .... (designation) in .... (Name of office).

2. The Bounden abovenamed has retired on ....

3. Government is willing to disburse death-*con*-retirement gratuity and/or commuted value of pension to the Bounden on condition that the Bounden shall execute bond, being these presents, to indemnify and save harmless the Govenment from any loss which the Government may incur by reason of any moneys the Bounden may be paid in excess of those admissible to him under the Rules.

Now this deed witnesses :

1. In consideration of Government agreeing to pay death-*cum*-retirement gratuity or commuted value of pension to the Bounden, the Bounden hereby covenants with the Governor that the Bounden shall pay on demand to the Government all moneys that might have been paid to him in excess of those admissible to him under the Rules.

2. Any amount due under this deed may, on the intimation of the Chief Accounts Officer wihch shall be final, conclusive and binding on the Bounden, be recovered from him and in the event of default be recovered as arrears of land revenue.

In witness to the above-written bond and the conditions thereof the Bounden has signed hereunder on the day and year first above written.

The stamp duty on this instrument will be borne by the Government.

Signed by Bounden

Witness :

1. Signature
   Full name
   Address
2. Signature
   Full name
   Address

संख्या सा–3–640/दस–913–96

प्रेषक,

पी0 के0 मिश्र,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

3–समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 8 मई, 1996

विषय :– पेंशन स्वीकृत प्रक्रिया को विकेन्द्रित कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विषय में की गयी व्यवस्था का सरलीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा–3–297/दस–913–92, दिनांक 26 मई, 1993 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (उत्तर प्रदेश सचिवालय, विधान सभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय तथा राज्यपाल सचिवालय को छोड़कर) के सेवा निवृत्तिक लाभों एवं उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने का कार्य पेंशन निदेशक/मुख्य लेखाधिकारियों से लेकर कार्यालयाध्यक्षों को प्रतिनिधारित कर दिया जाय।

2–उपरोक्त शासनादेश दिनांक 26 मई, 1993 के प्रस्तर–2(1), 2(5) एवं प्रस्तर–2(6) की व्यवस्थाएँ निम्न प्रकार हैं :–

2–(1) संबंधित कर्मचारी की पेंशन का प्रथम आहरण उसी कोषागार से करेंगे जहाँ पर उसका कार्यालय स्थित है।

2–(5) सेवानिवृत्ति के समय तैनाती के जनपद के अतिरिक्त के जनपद से पेंशन आहरण व्यवस्था या तो सेवानिृत्ति के जनपद से प्रथम आहरण के बाद स्थानान्तरण द्वारा अथवा पूर्ववत पेंशन निदेशक/मुख्य लेखाधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति पर ही किया जायेगा।

2–(6) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी किए जाने वाले भुगतानादेशों की प्रति संबंधित मुख्य लेखाधिकारी/ निदेशक पेंशन जैसी स्थिति हो को भी पृष्ठांकित की जायेगी, जो मामलों की जाँच करके प्रत्येक तिमाही में अनापत्ति जारी कर देंगे और तब तक अर्थात तीन माह की अवधि तक कार्यालयाध्यक्षों द्वारा उपरोक्तानुसार जारी भुगतानादेश अनन्तिम माने जायेंगे और कोई त्रुटि पाये जाने पर उनमें सुधार करके पुनरीक्षित भुगतानादेश जारी कर दिया जायेगा। यदि मुख्य लेखाधिकारी/निदेशक पेंशन को प्रकरण भेजने की तिथि से तीन माह की अवधि में यथास्थिति मुख्य लेखाधिकारी/निदेशक पेंशन से कोई आपत्ति अथवा अनापत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्गत भुगतानादेश स्वतः अन्तिम माना जायेगा। मुख्य लेखाधिकारी/ निदेशक पेंशन का यह दायित्व होगा कि कार्यालयाध्यक्षों के पेंशन संबंधी कार्य का नियमित निरीक्षण करें तथा वांछित पर्यवेक्षण प्रदान करें।

3–शासनादेश की उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करने के फलस्वरूप पेंशनरों को कतिपय कठिनाइयाँ हो रही हैं एवं अनावश्यक विलम्ब भी हो रहा है। अतएव उक्त समस्या पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने शासनादेश संख्या सा–3–397/दस–913–92, दिनांक 25 मई, 1993 में

उसके प्रस्तर–2(1), 2(5) एवं प्रस्तर–2(6) के स्थान पर निम्नलिखित व्यवस्था स्थापित किये जाने के आदेश दिये हैं :–

(1) प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण को निस्तारित करते हुए उनका पेंशन भुगतानादेश राज्य सरकार के अन्तर्गत ही उस जनपद के कोषागार से भुगतान हेतु निर्गत करेंगे जहाँ से सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पेंशन आहरित करने का विकल्प देता है। कार्यालयाध्यक्ष पेंशन भुगतानादेश अपने जिले के कोषाधिकारी को भेजेंगे जो उसे प्रतिहस्ताक्षरित करके तथा नो पेमेन्ट प्रमाण–पत्र देते हुए पेंशनर द्वारा चुने गये जनपद के कोषागार को भुगतान हेतु अग्रसारित कर देंगे।

(2) शासनादेश संख्या सा–3–397/दस–913–92, दिनांक 26 मई, 1993 के प्रस्तर–2(6) की व्यवस्था को समाप्त करते हुए यह व्यवस्था की जाती है कि अब निर्गत भुगतानादेशों की प्रतियाँ निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0 प्र0 संबंधित विभागों के मुख्य लेखाधिकारियों/वित्त नियंत्रकों को जांच हेतु नहीं प्रेषित किये जायेंगे और उनसे पेंशन निर्धारण की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) निदेशक पेंशन/मुख्य लेखाधिकारी/वित्त नियंत्रकों का यह दायित्व होगा कि कार्यालयाध्यक्षों के पेंशन संबंधी कार्य का नियमित निरीक्षण करें तथा वांछित पर्यवेक्षण प्रदान करें।

4–सभी कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष कृपया उपरोक्त परिवर्तन/संशोधन के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

5–यह आदेश तत्काल प्रभावी समझे जायेंगे।

भवदीय,

पी0 के0 मिश्र

सचिव वित्त।

——————

संख्या सा–3–1997/दस–2010–101(12)–2009

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 10 दिसम्बर, 2010

विषय :– चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया में संशोधन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुए है कि शासनादेश संख्या सा–3–397/दस–913–92, दिनांक 26 मई, 1993 सपठित शासनादेश संख्या सा–3–640/दस–913–96, दिनांक 8 मई, 1996 द्वारा राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों एवं उनके परिवारों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने का कार्य कार्यालायाध्यक्षों को प्रतिनिधानित किया गया है। चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को सेवानैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति के संबंध में कतिपय कठिनाइयाँ शासन के संज्ञान में आयीं हैं।

2—अतः इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिये गया है कि पेंशन स्वीकृति आदेश पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर करने से पूर्व, सेवानैवृत्तिक लाभों के प्रकरणों की जांच कार्यालय में तैनात वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी से अनिवार्य रूप से कराये जाये तथा जिन कार्यालयों में वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारी तैनात नहीं हैं, उनके चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के सेवानैवृत्तिक लाभों के प्रकरणों की जाँच संबंधित जिले के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी से करायी जायगी। तदोपरान्त ही कार्यालयाध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पेंशन प्राधिकार—पत्र निर्गत करेंगे। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रेषित प्रकरण की जाँच वित्त एवं लेखा सेवा के संबंधित अधिकारी द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर कर, पेंशन प्रपत्र संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को अपनी अभ्युक्ति के साथ वापस कर दिये जायेंगे।

3—इन आदेशों का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

4—शासनादेश दिनांक 26 मई, 1993 एवं शासनादेश 8 मई, 1996 द्वारा की गयी व्यवस्थायें यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय,

नील रतन कुमार

संयुक्त सचिव।

——————

संख्या सा—3—1272/दस—2010—101(12)—2009

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 लखनऊः दिनांक 20 दिसम्बर, 2011

विषय :— चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या सा—3—1997/दस—2010—101(12)—2009, दिनांक 10 दिसम्बर, 2010 में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रेषित प्रकरण की जाँच वित्त एवं लेखा सेवा के संबंधित अधिकारी द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर कर, पेंशन प्रपत्र संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को अपनी अभ्युक्ति के साथ वापस कर दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2—इस संबंध में निदेशक, कोषागार, उ0 प्र0 के पत्रांक 2556/4(39)/00/को0नि0/प्रावि0, दिनांक 21 सितम्बर, 2011 में की गयी संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश दिनांक 10 दिसम्बर, 2010 की उक्त व्यवस्था निम्नानुसार प्रतिस्थापित कर दी जाय—

''कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रेषित प्रकरण की जाँच वित्त एवं लेखा सेवा के संबंधित अधिकारी द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 कार्यदिवस के अन्दर कर, पेंशन प्रपत्र संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को अपनी अभ्युक्ति के साथ वापस कर दिये जायेंगे''।

3—शासनादेश दिनांक 10 दिसम्बर, 2010 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

नील रतन कुमार

संयुक्त सचिव।

अध्याय-13

अनन्तिम पेंशन स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश

संख्या सा–3–2921/दस–म0ले0–7–78

प्रेषक,

श्री त्रिभुवन प्रसाद,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 27 जनवरी, 1979

विषय :– सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनन्तिम पेंशन और अनन्तिम मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक की स्वीकृति तथा उनके भुगतानों पर नियंत्रण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर जारी किये गये शासनादेश संख्या सा–3–2085/दस–907–76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 तथा शासनादेश संख्या सा–3–221/दस–934(4)–75, दिनांक 24 सितम्बर, 1976 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि अनन्तिम पेंशन एवं ग्रेच्युटी की स्वीकृति की नई व्यवस्था के अन्तर्गत अभी विभागीय आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली लेखा परीक्षा तथा लेखा प्रक्रिया का सामन्जस्य नहीं हो पाया है, अतएव ऐसे भुगतानों पर पर्याप्त नियन्त्रण रखने की आवश्यकता महसूस की गई है। अतः इस सम्बन्ध में निम्नलिखित अनुदेश जारी किये जाते हैं :–

2–**विभागाध्यक्षों द्वारा कार्यवाही** (1) सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 919 के साथ पठित शासनादेश संख्या सा–3–2085/दस–907–76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 तथा शासनादेश संख्या सा–3–1004/दस–907–76, दिनांक 11 जुलाई, 1978 में शासन द्वारा किये गये आदेशों के अधीन विभागाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर संगणित की गई पेंशन की शत प्रतिशत धनराशि का भुगतान अनन्तिम पेंशन के रूप में 6 माह तक की अवधि के लिये किया जा सकता है तथा इसी प्रकार से संगणित की गई आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) में से सभी ज्ञात सरकारी देयों का समायोजन करने के बाद एवं निर्धारित देयों रकमों को, यदि कोई हों, पूरा करने के लिये तथा अंशतः ग्रेच्युटी के अन्तिम निर्धारण में समायोजन हेतु 10 प्रतिशत या रु0 1000, जो भी कम हो, काट कर शेष धनराशि का भुगतान अनन्तिम रूप से किया जा सकता है। शासनादेश संख्या सा–3–221/दस–934(4)–75, दिनांक 24 सितम्बर, 1976 में जारी किये गये अनुदेशों में यह अपेक्षा की है कि सेवानिवृत्ति के आदेशों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी का पूरा नाम उनके द्वारा धारित पद का नाम, कार्यालय जहां से सेवानिवृत्त हुआ, सेवानिवृत्ति की तिथि, ट्रेजरी का नाम जहां से अनन्तिम पेंशन/डी0सी0आर0 ग्रेच्युटी तथा अन्तिम पेंशन/डी0सी0आर0 ग्रेच्युटी आहरित की जायेगी, का उल्लेख किया जाना चाहिए। इस आदेश की दो प्रतियां महालेखाकार को भी भेजे जाने की अपेक्षा की गई है। उक्त शासनादेश दिनांक 24 सितम्बर, 1976 का आंशिक संशोधन करते हुये एतद्द्वारा यह आदेश किया जाता है कि यह स्वीकृति अब परिशिष्ट 1 में दिये गये प्रपत्र में जारी की जायेगी और उनकी पांच प्रतियां निम्नांकित अधिकारियों/कार्यालयों के प्रयोग के लिये जारी की जायंगी :–

(क) एक प्रति महालेखाकार, 3, उत्तर प्रदेश, पेंशन आडिट विभाग, इलाहाबाद 211001 (पी0बी0नं0 113) को पृष्ठांकित की जायेगी।

(ख) एक प्रति उस कोषाधिकारी को अग्रसारित की जायेगी जहां से अनन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी आहरित की जाय।

(ग) दो प्रतियां सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के कार्यालयाध्यक्ष को अग्रसारित की जायेंगी जो एक प्रति पेंशन के कागजातों के साथ महालेखाकर को अग्रसारित करेगा और दूसरी प्रति कार्यालय अभिलेख के लिये रख लेगा।

(घ) पांचवी प्रति विभागीय पत्रावली में अभिलेख के लिये रखी जायगी।

(2) शासनादेश संख्या सा–3–2085/दस–907–76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 में निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पेंशन के कागजातों की तैयारी सम्बन्धित कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के दिनांक के 24 माह पहले आरम्भ होनी चाहिये तथा पेंशन के कागजात पूर्ण हो जाने पर महालेखाकार को सेवानिवृत्ति की तिथि के 6 माह पूर्व अग्रसारित किये जाने चाहिये जिससे कि वह कार्यालय सेवानिवृत्ति के एक माह पूर्व पेंशन/ग्रेच्युटी के भुगतानादेश जारी कर सके। यह उल्लेखनीय है कि महालेखाकार अब पेंशन के कागजात प्राप्त हो जाने पर पेंशन की प्रशासनिक स्वीकृति के बिना ही पेंशन प्राधिकृत करेगा। कार्यालयाध्यक्ष को सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा निवृत्ति के 8 माह पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी से यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि क्या सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 470(बी) के अधीन पेंशन में से कोई कटौती की जानी है। पेंशन के मामलों के समय से निस्तारण के कार्य पर निगरानी रखने के लिए विभागाध्यक्ष आगामी वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के नाम की सूची प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को समस्त अधीनस्थ कार्यालयों से मांगेंगे (पहली सूची तुरन्त मंगाई जानी चाहिये और उसमें 31 मार्च, 1980 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में आंकड़े दिये जाने चाहिए) इन सूचियों में कर्मचारियों को नाम उस माहवारी क्रम में दिये जाने चाहिये जिसमें वह सेवा से निवृत्त होने हों। यह सूचियां परिशिष्ट–2 के अनुसार बनाई जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष परिशिष्ट–3 के अनुसार अपने अधीनस्थ प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष से पेंशन के मामलों के निस्तारण की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिये माह जून, सितम्बर, दिसम्बर और मार्च में समाप्त होने वाली तिमाही की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट मांगेंगे।

3–**कार्यालयाध्यक्षों द्वारा कार्यवाही**–(1) प्रत्येक कार्यालय परिशिष्ट–4 के अनुसार पेंशन के मामलों के नियंत्रण का एक कन्ट्रोल रजिस्टर रखेगा जिसमें समस्त कर्मचारियों के नाम, सेवानिवृत्ति के माह के अनुसार अलग–अलग पृष्ठों/पृष्ठ भागों/पृष्ठों के सेटों में उल्लिखित किये जायेंगे। प्रथम कुछ स्तम्भ में प्रविष्टि कर्मचारी की नियुक्ति के समय पर ही की जा सकती है। अन्य स्तम्भों में प्रविष्टियाँ सेवानिवृत्ति के समय की जा सकती हैं। इसके फलस्वरूप (क) पेंशन के कागजातों की तैयारी की अग्रिम कार्यवाही पर तथा उन्हें समय से महालेखाकार को भेजे जाने पर निगरानी रखाी जा सकेगी, (ख) पेंशन और ग्रेच्युटी के अनन्तिम भुगतानों की स्वीकृति तथा उनके लिये बनाये जाने वाले बिलों के विवरण अंकित किये जा सकेंगे, तथा (ग) समायोजित धनराशियों की सूचना की प्राप्ति पर महालेखाकार द्वारा जारी किये गये पेंशन भुगतानादेशों/ग्रेच्युटी भुगतानादेशों की संख्या को अंकित किया जायेगा। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश–3 के कार्यालय द्वारा किये गये समायोजनों का उल्लेख किये जाने की व्यवस्था के लिये महालेखाकार द्वारा दी जाने वाली सूचना के लिये निर्धारित प्रपत्र पुनरीक्षित कर दिया गया है।

(2) अनन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी के भुगतान हो जाने पर उनका एक लेखा महालेखाकार पेंशन आडिट विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को परिशिष्ट–5 में दिये प्रपत्र पर भेजा जायेगा जैसा कि शासनादेश दिनांक 24 सितम्बर, 1976 में अपेक्षित किया गया है।

4–**कोषागार स्तर पर कार्यवाही**–(1) इस सम्बन्ध में कोषागारों द्वारा एक या एक से अधिक रजिस्टर रखे जायेंगे। इस रजिस्टर में प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी के लिये एक या एक से अधिक पृष्ठ सुरक्षित रखे जायेंगे जिसमें अनन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी की स्वीकृति और उनके समक्ष किये गये भुगतान नोट किये जायेंगे। एक या एक से अधिक वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिये एक

ही रजिस्टर प्रयोग किया जा सकता है। इस रजिस्टर को परिशिष्ट–6 में दिये गये प्रारूप में रखा जायेगा।

(2) कोषाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एक माह में समस्त कर्मचारियों के अनन्तिम पेंशन और अनन्तिम ग्रेच्युटी का, अपवादित स्थितियों को छोड़कर, एक ही बिल आहरित किया जाय। इस प्रयोजन हेतु परिशिष्ट–7 में दिये गये प्रारूप में अनन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी सम्बन्धी भुगतान बिल प्रयोग में लाया जायेगा। जब तक नये बिल फार्म नहीं छप जाते , तब तक वर्तमान ''इस्टेब्लिशमेंट पे बिल फार्म'' जिस पर इस समय अनन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी आहरित किया जाता है, का उपयोग किया जा सकता है परन्तु इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाय :–

(क) उपर्युक्तानुसार बिल के शीर्षक में समुचित रूप से हाथ से परिवर्तन कर लिया जाय।

(ख) इसी प्रकार बिल के स्तम्भों के शीर्षकों में भी परिशिष्ट–7 के बिल प्रपत्र के स्तम्भों में दिये गये शीर्षकों के अनुसार संशोधन कर लिया जाय।

भवदीय,

त्रिभुवन प्रसाद,

वित्त सचिव।

——————

परिशिष्ट–1

कार्यालय ————————————————————————————————

संख्या ————————————————— दिनांक ——————

शासनादेश संख्या सा–3–2085/दस–907–76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 में निर्गत आदेशों के अन्तर्गत निम्नांकित अनन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :–

1–सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी का नाम ————————————————————

2–(क) अन्तिम पद ————————————————————————————

(ख) कार्यालय का नाम जहां से सेवानिवृत्त हुआ ————————————————

3–(क) सेवानिवृत्ति की किस्म ————————————————————————

(ख) सेवानिवृत्त का दिनांक ————————————————————————

4–ट्रेजरी का नाम जहां से अनन्तिम पेंशन/

ग्रेच्युटी का आहरण किया जायगा ————————————————————

5–ट्रेजरी का नाम जहां से अन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी का आहरण किया जायगा–

(क) पेंशन ——————————————————————————————

(ख) ग्रेच्युटी —————————————————————————————

6–(क) अनन्तिम पेंशन की धनराशि (शब्दों तथा अंकों में) ——————————————

(ख) अवधि जिसके लिये अनन्तिम पेंशन —————— से —————— तक स्वीकृत की गई।

7–अनन्तिम डी0सी0आर0 ग्रेच्युटी की स्वीकृति की गई धनराशि रु0 ————————————

(शब्दों तथा अंकों में) ————————————

स्वीकृति अधिकारी का पदनाम

संख्या ———————————————————————— दिनांक ———————————————

(1) एक प्रति महालेखाकार (तृतीय); उत्तर प्रदेश पेंशन, आडिट विभाग, इलाहाबाद—211001 (पी0बी0 सं0—113) को प्रेषित।

(2) दो प्रतियां (कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम तथा पता) ———————————————————

——————————————————————————————————————

को प्रेषित।

(3) एक प्रति उस कोषाधिकारी ——————————————————————————

को प्रेषित जहां से अनन्तिम ——————————————————————————

पेंशन आहरित की जायगी। ——————————————————————————

(जारी करने वाले अधिकरी का पदनाम)

———

परिशिष्ट—2

प्रपत्र जिसमें अगले वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची विभागाध्यक्षों को भेजी जायगी

कार्यालय ———————————————————————————————

———————————————————————————

क्रम—संख्या	कर्मचारी का नाम तथा पदनाम	स्थायी धारित पद	जन्म—तिथि	जी0पी0एफ0 लेखा संख्या	पेंशन की स्वीकृति हेतु कार्यालयाध्यक्ष की संस्तुति	पेंशन कम करने विषयक आदेश संख्या तथा दिनांक	अनन्तिम पेंशन की स्वीकृति के आदेश की संख्या व दिनांक मय विवरणों के	कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ए0जी0, को पेंशन पेपर्स अग्रसारित करने का दिनांक	प्रकरण के अंतिम निस्तारण का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(प्रेषित करने वाले अधिकारी का पदनाम)

परिशिष्ट–3

कार्यालय ——

दिनांक ———————————————————— को समाप्त होने वाले त्रैमास की रिपोर्ट

क्रम–संख्या	तिमाही जिसमें सेवा निवृत्ति पड़ती हो	सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या	संख्या, दिनांक जिसमें प्रकरण ए0जी0 को भेजे गए		संख्या, दिनांक जिसमें प्रकरण का अंतिम निस्तारण हुआ		अभ्युक्ति
			संलग्न सूची के अनुसार	अद्यतन	तिमाही के लिये संलग्न सूची के अनुसार	अद्यतन	
1	2	3	4	5	6	7	8

(प्रेषित करने वाले अधिकारी का पदनाम)

परिशिष्ट–4

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा रखा जाने वाला पेंशनों का कन्ट्रोल रजिस्टर

(माह तथा वर्ष) ———————————— में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी

क्रम–संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	स्थायी धारित पद	जी0पी0एफ0 लेखा संख्या	सेवा निवृत्ति की तिथि	सेवा निवृत्ति की किस्म	अनन्तिम पेंशन / ग्रेच्युटी की स्वीकृति के विवरण			
							अनन्तिम पेंशन / ग्रेच्युटी की स्वीकृति के आदेश की संख्या तथा दिनांक	अनन्तिम पेंशन की धनराशि तथा अवधि		अनन्तिम ग्रेच्युटी की धनराशि
								धनराशि	अवधि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

भुगतान का विवरण		भुगतानों का विवरण महालेखाकार को सूचित करने की पत्र संख्या तथा दिनांक	अन्तिम पेंशन के कागजात महालेखाकार को भेजने की संख्या तथा दिनांक	महालेखाकार द्वारा जारी अन्तिम पी0पी0ओ0 / जी0पी0ओ0 केस नं0	अभ्युक्ति
वाउचर संख्या तथा तिथि	धनराशि				
12	13	14	15	16	17

परिशिष्ट–5

कार्यालय ——————————————————————————

सेवा में,

महलेखाकार (तृतीय),
उत्तर प्रदेश, पेंशन आडिट विभाग,
इलाहाबाद–211001 (पी0बी0सं0–113)

विषय :– अनन्तिम पेंशन तथा ग्रेच्युटी के भुगतान के विवरण।

महोदय,

अनन्तिम पेंशन तथा ग्रेच्युटी की स्वीकृति के सम्बन्ध में किये गये भुगतानों का विवरण निम्न प्रकार है :–

1–(क) सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम तथा अन्तिम धारित पद ——————————————

(ख) सेवानिवृत्ति की तिथि तथा किस्म ——————————————————

2–(क) अनन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी की स्वीकृति आदेश की संख्या तथा दिनांक तथा स्वीकृति प्राधिकारी ——————————————————

(ख) अनन्तिम पेंशन की धनराशि तथा अवधि ——————————————————

(ग) अनन्तिम ग्रेच्युटी की धनराशि ——————————————————

3–ट्रेजरी का नाम जहां से भुगतान आहरित हुए ——————————————————

4–आहरित की गई धनराशि के विवरण (ग्रेच्युटी तथा पेंशन अलग–अलग) ————————

क्रमांक	अवधि	वाउचर नं0 तथा दिनांक	धनराशि

5–भुगतानों की कुल धनराशि–

(क) अनन्तिम पेंशन

(ख) अनन्तिम ग्रेच्युटी

भवदीय,

(प्राधिकारी का पदनाम)

परिशिष्ट–6

—————————————————— कोषागार

अनन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी की स्वीकृतियों तथा उन पर आधारित किये गये भुगतानों का रजिस्टर

वर्ष ——————————

आहरण एवं वितरण अधिकारी का विवरण ——————————————————————————

——————————————————————————————————————

क्रम संख्या	पेंशनर का नाम तथा सेवा निवृत्ति का दिनांक	स्वीकृति के विवरण					भुगतानों का विवरण		
		स्वीकृति के आदेश की संख्या तथा दिनांक तथा स्वीकृति अधिकारी का नाम	अनन्तिम पेंशन की दर तथा अवधि		स्वीकृति की गई अनन्तिम आनुतोषिक की धनराशि	अनन्तिम ग्रेच्युटी के भुगतान की वाउचर संख्या तथा दिनांक	अनन्तिम पेंशन		कोषाधिकारी के हस्ताक्षर
			धनराशि	अवधि			वाउचर संख्या तथा अवधि, धनराशि एवं दिनांक (6 माह की अवधि के लिए)	वाउचर संख्या तथा अवधि, धनराशि एवं दिनांक (अगले 6 माह की अवधि के उपयोगार्थ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

परिशिष्ट–7

Bill form for drawal of provisional pension/D.C.R./Gratuity

Under rupees ____

Office of ____

____

for the month of ______________________ 20 ,

Bill No. ______________

____

District Head of Account

1st List

266–Pension and other/ Retirement Benefits Voncher No. ______________

2nd List

Sl. no.	Name of pensioner	Date of Retirement	Pariculars of sanction		Amount drawn		
		Type of retirement	Sanctioning authority and No. and date of sanction	Rate and period of pension	Amount of Gratuity	Provisional Pension	Provisional Gratuity
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
	Total						

Rupees ______________

Certificate

1. Certificate from the pensioner regarding non-employment has been obtained and placed on record.

2. Certificate that the amount drawn in the last bill, *vide* Voucher no. .... of .... has been duly disbursed and the receipt obtained from the pensioner/ gratuitant.

Station ________________ Signature __________________

Date __________________ Designation of the Drawing and Disbursing Officer.

FOR USE IN TREASURY

Examined and entered Pay Rs. ....Rupees.................in cash

Treasury Officer

Treasury Accountant

FOR USE IN A. G. OFFICE

Admitted Rs. ....

Objected .... Rs. ....

Noted in the Audit Register of Provisional Pension/Gratuity at page .... of the Register.

Auditors S.O. S.O.

संख्या सा–3–1085/दस–907–76

प्रेषक,

सुधीर कुमार विश्वास,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 12 दिसम्बर, 1981

विषय :– पेंशन और मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से कार्य विधि का सरलीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा–3–2085/दस–907–76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 के पैरा 7 में अनन्तिम पेंशन और आनुतोषिक की अदायगी के सम्बन्ध में यह अनुदेश जारी किए गए थे कि विभागाध्यक्ष सम्बन्धित सेवानिवृत्त कर्मचारी की कुल अर्हकारी सेवा तथा अन्तिम परिलब्धियों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना के आधार पर आगणित की गयी पेंशन की शत–प्रतिशत स्वकृति अनन्तिम पेंशन के रूप में देंगे और मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक का निर्धारण भी इसी प्रकार से किया जायेगा। अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में (सिविल सर्विस रेगूलेशन्स के अनुच्छेद 914 के नीचे दिये, 'स्पष्टीकरण' के अनुसार) अनन्तिम पेंशन और आनुतोषिक का आहरण तथा वितरण सम्बन्धी कार्य सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 919(1) के अनुसार यथावत् जारी रहेगा। अनन्तिम आनुतोषिक का भुगतान करने से पहले बकाया दीर्घावधि अग्रिम, वेतन और भत्तों आदि के किए गये अधिक भुगतान और अन्य देय वसूलियों जैसी ज्ञात सभी देय रकमों का समायोजन किया जायगा। जहां इस प्रकार के कोई समायोजन नहीं किए जाने हों वहाँ विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित की गई आनुतोषिक की धनराशि के 10 प्रतिशत या 1,000 रु0, जो भी कम हो, की कटौती अंशतः अनिर्धारित देय रकमों को, यदि कोई हों तो, पूरा करने के लिए और अंशतः आनुतोषिक के अग्रिम निर्धारण में समायोजन किए जाने के लिए कर ली जायगी।

2–शासन को यह विदित हुआ है कि कहीं–कहीं पर इन अनुदेशों के सम्बन्ध में कतिपय भ्रान्ति अनुभव की जा रही है और मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक के निर्धारण एवं भुगतान के सम्बन्ध में यह शंका उत्पन्न हुई है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को देय कुल आनुतोषिक का केवल 75 प्रतिशत भाग ही अनन्तिम आनुतोषिक के रूप में दिया जायगा अथवा शतप्रतिशत आनुतोषिक में से केवल 10 प्रतिशत या 1,000 रु0, जो भी कम हो, को रोककर शेष धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति यह है कि यद्यपि अनन्तिम पेंशन एवं आनुतोषिक के आहरण एवं वितरण कार्य सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 919(1) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायगा किन्तु कर्मचारी को भुगतान की जाने वाली अनन्तिम आनुतोषिक, अनन्तिम पेंशन की भाँति शतप्रतिशत ही निर्धारित की जायगी तथा उसके भुगतान करने से पूर्व बकाया देय रकमों जैसी दीर्घावधि अग्रिम, वेतन और भत्तों आदि के किए गए अधिक भुगतान तथा अन्य ज्ञात सरकारी देय रकमों का समायोजन कर लिया जायगा और अनिर्धारित देय रकमों के लिए तथा अंशतः आनुतोषिक के अन्तिम निर्धारण में समायोजन किए जाने के लिए 10 प्रतिशत या रु0 1,000 जो भी कम हो, रोक कर शेष धनराशि का भुगतान अनन्तिम रूप से कर दिया जायगा।

भवदीय,

सुधीर कुमार विश्वास

विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्तर (सामान्य) अनुभाग–3

———

संख्या सा–3–79/दस–909–79

लखनऊ : दिनांक, 19 जनवरी, 1983

———

<u>अधिसूचना</u>

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में यथा अंगीकृत सिविल सर्विस रेगुलेशन्स का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावाली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (दसवां संशोधन) विनियमावली, 1983

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (दसवां संशोधन) विनियमावली, 1983 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 28 अक्टूबर, 1980 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

नया अनुच्छेद 351–कक और 919 क का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेगुलेशन्स में ,–

(एक) वर्तमान अनुच्छेद 351–क के पश्चात् निम्नलिखित नया अनुच्छेद बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"351–कक ऐसे किसी सरकारी सेवक की स्थिति में, जो अधिवर्षता की आयु प्राप्त होने पर या अन्यथा सेवानिवृति होता है और जिसके विरुद्ध सेवानिवृत्ति के दिनांक को कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही या प्रशासनिक अधिकरण द्वारा कोई जांच लम्बित हो या सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसे संस्थित किया जाना हो तो अनुच्छेद 919–क में यथा उपबंधित अनन्तिम पेंशन स्वीकृत की जा सकती है", और

(दो) अनुच्छेद 919 के पश्चात् निम्नलिखित नया अनुच्छेद बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"919–क (1) अनुच्छेद 351–कक में निर्दिष्ट मामलों में, विभागाध्यक्ष ऐसी अधिकतम पेंशन के बराबर अनन्तिम पेंशन दिये जाने को प्राधिकृत करेगा जो सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति के दिनांक तक या यदि वह सेवानिवृत्ति के दिनांक को निलम्बित हो तो उस दिनांक के, जब वह निलम्बित किया गया था, ठीक पूर्ववर्ती दिनांक तक अर्हकारी सेवा आधार पर अनुमन्य होता।

(2) अनन्तिम पेंशन सेवानिवृत्ति के दिनांक से उस दिनांक तक की अवधि के लिये जब, यथास्थिति, विभागीय या न्यायिक कार्यवाही या प्रशानिक अधिकरण द्वारा जांच की समाप्ति के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्तिम आदेश दिया जाय, दिया जाना प्राधिकृत किया जायेगा।

(3) सरकारी सेवक को मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान का भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक विभागीय या न्यायिक कार्यवाही या प्रशासनिक अधिकरण द्वारा जांच समाप्त न हो जाय और उस पर अन्तिम आदेश न दे दिया जाये।

(4) उपर्युक्त खण्ड (1) के अधीन किये गये अनन्तिम पेंशन के भुगतान का समायोजन खण्ड (3) में निर्दिष्ट कार्यवाही या जांच की समाप्ति के पश्चात् ऐसे सरकारी सेवक को स्वीकृत अन्तिम सेवानिवृत्ति लाभ के प्रति किया जायेगा किन्तु यदि अन्तिम रूप से स्वीकृत पेंशन अनन्तिम पेंशन से कम हो या पेंशन स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये कम कर दी जाय या रोक ली जाये तो कोई वसूली नहीं की जायेगी।

आज्ञा से,

जे0 एल0 बजाज

सचिव।

टिप्पणी :—उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त होने के लिये यथा अंगीकृत सिविल सर्विस रेगुलेशन्स (भाग—1, IV और X) नामक हस्त पुस्तिका (प्रथम संस्करण) 10 अप्रैल, 1970 तक ठीक करके प्रकाशित की गई थी। बाद में उसमें निम्नलिखित संशोधन किये गये :—

(1) अधिसूचना संख्या सा—3—1932/दस—915—73, दिनांक 1 नवम्बर, 1973

(2) अधिसूचना संख्या सा—3—1732/दस—914—73, दिनांक 13 नवम्बर, 1973

(3) अधिसूचना संख्या सा—3—234/दस—904(1)—62, दिनांक 7 अक्टूबर, 1974

(4) अधिसूचना संख्या सा—3—754/दस—917—74, दिनांक 11 जून, 1975

(5) अधिसूचना संख्या सा—3—3159/दस—904(9)—60, दिनांक 6 अक्टूबर, 1975

(6) अधिसूचना संख्या सा—3—1476/76—दस—52—74, दिनांक 5 जून, 1976

(7) अधिसूचना संख्या सा—3—1928/दस—908—70, दिनांक 8 अक्टूबर, 1976

(8) अधिसूचना संख्या सा—3—565/दस—912(3)—74, दिनांक 20 अप्रैल, 1977

(9) अधिसूचना संख्या सा—3—2133/दस—904—78, दिनांक 29 दिसम्बर, 1980

संख्या सा—3—79/दस—909—79

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

2—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4—विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय।

5—अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अंग्रेजी अनुवाद गजट में प्रकाशनार्थ।

आज्ञा से,

भीष्म देव सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या सा–3–138 / दस–म0ले0–7–78

प्रेषक,

श्री भीष्म देव सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एंव प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 18 फरवरी, 1983

विषय :– सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन तथा आनुतोषिक के अनन्तिम भुगतानों की स्वीकृति तथा उसके भुगतानों पर नियंत्रण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या सा–3–2921 / दस–म0ले0–7–78, दिनांक 27 जनवरी, 1979 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के पैरा–3 के अनुसार पेंशन के मामलों के नियंत्रण का कन्ट्रोल रजिस्टर कार्यालय स्तर पर रखा जाना चाहिये जिसमें समस्त कर्मचारियों के नाम सेवानिवृत्ति के माह के अनुसार अलग–अलग पृष्ठों / पृष्ठ भागों / पृष्ठों के सेटों में उल्लिखित किये जायेंगे। मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न कार्यालयों के किये गये निरीक्षणों में यह पाया गया है कि ये रजिस्टर या तो बनाये ही नहीं गये हैं और यदि बने हैं तो उनका रख–रखाव सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। इस रजिस्टर को पेंशन प्रकरणों के सामयिक निस्तारण पर दृष्टि रखने के उद्देश्य से ही निर्धारित किया गया था तथा इसके अभाव में पेंशन प्रकरणों का सामयिक निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अतएव आपसे अनुरोध है कि आप कृपया अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों में उक्त रजिस्टर का भलीभांति रख–रखाव सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
भीष्म देव सिंह
संयुक्त सचिव।

–––––

संख्या सा–3–1797 / दस–92–84

प्रेषक,

डा0 जे0 पी0 सिंह,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एंव प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 13 फरवरी, 1985

विषय :– पेंशन और मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से कार्य विधि का सरलीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या सा–3–2085 / दस–907–76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 के पैरा 7(ग) में यह प्राविधान किया गया था कि पैरा 7(क) तथा (ख) के अनुसार स्वीकृत की जाने वाली अनन्तिम पेंशन का भुगतान 12 माह तक की अवधि के लिये किया जा सकेगा और यदि 12 माह की

अवधि में पेंशन एवं ग्रेच्युटी अन्तिम रूप से निर्धारित न किये जा सकें हों, तो 12 माह की अवधि की समाप्ति पर, अनन्तिम रूप से स्वीकृत की गई पेंशन अन्तिम रूप से स्वीकृत की गई मान ली जायेगी और महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी पेंशन तथा आनुतोषिक के अन्तिम भुगतानादेश तद्नुसार अधिकृत किये जायेंगे। तदुपरान्त शासनादेश संख्या सा–3–1004/दस–907–78, दिनांक 11 जुलाई, 1978 के प्रस्तर–2 में यह प्राविधान कर दिया गया कि अनन्तिम पेंशन के भुगतान की अवधि 12 माह के बजाय 6 माह ही रहेगी तथा ग्रेच्युटी की धनराशि से 10 प्रतिशत अथवा 1,000 रु0 जो भी कम हो, की कटौती को 6 माह की अवधि तक ही रोका जायेगा और इस अवधि में कोई देय रिपोर्ट प्राप्त न हो तो रोकी गई धनराशि का 6 माह की समाप्ति पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को भुगतान कर दिया जायेगा।

अवधि के समाप्त होने के बाद भी महालेखाकार के स्तर से अन्तिम पेंशन निर्धारित नहीं हो पा रही है और 6 माह की अवधि के बाद अनन्तिम पेंशन भी बन्द हो जाने के कारण सरकारी सेवक को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वर्णित परिस्थितियों में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्या सा–3–1004/दस–907–76, दिनांक 11 जुलाई, 1978 के प्रस्तर–2 में उल्लिखित 6 माह सम्बन्धी व्यवस्था को इस सीमा तक संशोधित कर दिया जाये कि विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, सेवानिवृत्ति के बाद 6 माह की अवधि समाप्त होने पर, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा अन्तिम रूप से पेंशन निर्धारित न किये जाने की दशा में, 6 माह की अवधि के लिये अग्रेतर अनन्तिम पेंशन और स्वीकृत कर दें। यदि उपर्युक्त 12 माह की अवधि में भी महालेखाकार से अन्तिम रूप से पेंशन निर्धारित न हो तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उक्त अवधि को बढ़ाने के लिये अपने प्रशासकीय विभाग को प्रस्ताव संदर्भित करे जो उसे पुनः 6 माह की अवधि के लिये बढ़ा सकते हैं। प्रशासकीय विभाग की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अनन्तिम पेंशन की अवधि के इस प्रकार बढ़ाये जाने के पूर्व इससे आश्वस्त हो जायें कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की अन्तिम पेंशन निर्धारित किये जाने की प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष दोषी नहीं हैं और यदि दोषी हैं तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही भी करने का कष्ट करें। प्रत्येक दशा में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष इस बात के लिये सतत् प्रयत्नशील रहें कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की पेंशन अन्तिम रूप से शीघ्रातिशीघ्र निर्धारित हो जाये। सम्बन्धित नियमों में संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

भवदीय,

डा0 जे0 पी0 सिंह

वित्त सचिव।

—————

संख्या सा–3–1657/दस–931–87

प्रेषक,

श्री सोम दत्त त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 9 जून, 1987

विषय :– पारिवारिक पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया का सरलीकरण-अनन्तिम पारिवारिक पेंशन के भुगतान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 शासनादेश संख्या जी–2–769/दस–917–61, दिनांक 21 अगस्त, 1966 में निहित प्राविधानों के अधीन

दिनांक 1 अप्रैल, 1965 से प्रभावी की गई थी। उक्त योजना के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता के लिए यह प्राविधान किया गया था कि यदि किसी सरकारी सेवक की सेवा के दौरान अथवा उसके उपरान्त मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार के पात्र सदस्य को मृत्यु के दूसरे दिन से पारिवारिक पेंशन अनुमन्य की जायेगी। उपरोक्त शासनादेश में किए गए प्राविधान तथा उसके बाद किए गए संशोधनों के अनुसार परिवार के सदस्यों को पारिवारिक पेंशन की पात्रता से सम्बन्धित स्थिति अब निम्नवत् है। पारिवारिक पेंशन :–

(क) सर्वप्रथम विधवा/विधुर को आजीवन या पुनर्विवाह, जो भी पहले हो, तक मिलेगी।

(ख) विधवा/विधुर के मृत्यु/पुनर्विवाह होने की दशा में पुत्र को 21 वर्ष की आयु तक मिलेगी।

(ग) उपरोक्त (क) अथवा (ख) के पात्र व्यक्ति उपलब्ध न होने पर अविवाहित पुत्री को 24 वर्ष की आयु अथवा विवाह होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी यदि कोई पुत्र अथवा पुत्री मानसिक रूप से विक्षिप्त हो अथवा शारीरिक रूप से विकलांग हो, तो उसे ऐसी पारिवारिक पेंशन जीवन पर्यन्त अनुमन्य होगी।

2–इस योजना के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन की दरें, जैसी शासनादेश संख्या सा–3–1563/दस–921–81, दिनांक 3 नवम्बर, 1981 में निर्धारित है निम्नवत् है :–

राज्य कर्मचारी का वेतन	पारिवारिक पेंशन की धनराशि
(1) रु0 1,500 प्रतिमाह से कम	वेतन का 15% जिसका न्यूनतम रुपए 100 तक अधिकतम रुपये 200 प्रतिमास होगा।
(2) रु0 1,500 प्रतिमाह से या उससे अधिक	वेतन का 12% जिसका न्यूनतम रुपये 200 तथा अधिकतम रुपये 300 प्रतिमास होगा।

3–उपरिलिखित शासनादेश दिनांक 24 अगस्त, 1966 की व्यवस्था के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन के प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अधिकृत किया गया है और उसमें अनन्तिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि उनके पक्ष में निर्गत किए गए पेंशन प्राधिकार–पत्र में ही मृत्यु के उपरान्त उसके परिवार को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन की धनराशि व उसके भुगतान के आदेश उपलब्ध रहते हैं। अतएव पेंशनर की मृत्यु होने पर उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन का तत्काल भुगतान प्रारम्भ किए जाने में विलम्ब की सम्भावना नहीं रहती है। परन्तु ऐसे सरकारी सेवकों, जिनकी मृत्यु उनके सेवाकाल में ही हो जाती है, उनके परिवारों को पारिवारिक पेंशन दिए जाने हेतु उनके प्रपत्रों का कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के कार्यालय द्वारा तैयार करने, उन्हें महालेखाकार/ मुख्य लेखाधिकारी कार्यालय भेजने और तत्पश्चात् वहाँ से प्राधिकार–पत्र निर्गत होने में अत्यधिक आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतएव इस समस्या पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने यह आदेश दिए हैं कि ऐसे सेवारत सरकारी सेवकों के परिवारों को, जिनकी मृत्यु दिनांक 1 जून, 1987 अथवा उसके उपरान्त हो, अनन्तिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किए जाने की सुविधा अनुमन्य करा दी जाए तथा अनन्तिम पारिवारिक पेंशन उसी प्राधिकारी द्वारा अथवा आहरण एवं वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी/उप सचिव, इरला चेक अनुभाग, सचिवालय द्वारा स्वीकृत कर दी जाए जहाँ से सम्बन्धित सेवक अपना वेतन आहरित कर रहा था। इस प्रकार स्वीकृत की गई अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का भुगतान मृत्यु के माह से अगले माह की पहली तारीख से हर दशा में प्रारम्भ कर दिया जाए।

4–अनन्तिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–

(1) सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर परिवार के सम्बन्धित पात्र व्यक्ति द्वारा संलग्न अनुलग्नक–1 पर सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी/उप सचिव, इरला चेक अनुभाग सचिवालय को एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना होगा जिनका यह दायित्व होगा कि वे अविलम्ब सम्बन्धित पात्र व्यक्ति को अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का भुगतान प्रारम्भ कर दें।

(2) अनन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि अन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 90% होगी। यदि पारिवारिक पेंशन शासनादेश संख्या सा–3–1563/दस–921–81, दिनांक 3 नवम्बर, 1981 के अन्तर्गत बढ़ी हुई दर पर अनुमन्य है तो अनन्तिम पारिवारिक पेंशन उस बढ़ी हुई धनराशि के 90% की दर से अनुमन्य होगी। अनन्तिम पारिवारिक पेंशन पर मंहगाई राहत भी अनुमन्य होगी। प्रत्येक रुपये के भाग को अगले रुपये में राउण्ड करके स्वीकृति प्रदान की जायेगी। अनन्तिम पारिवारिक पेंशन अन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी। प्रत्येक अन्तिम पारिवारिक पेंशन प्राधिकार–पत्र पर महालेखाकार/मुख्य लेखा अधिकारी यह अभ्युक्ति अंकित करेंगे कि "अन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि से अनन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि समायोजित कर ली जाये।"

(3) किसी सरकारी सेवक की सेवा में रहने पर मृत्यु हो जाने की दशा में यदि मृतक ने कम से कम सात वर्ष की अविरल सेवा प्रदान कर ली हो तो मृत्यु की तिथि के बाद की तिथि से प्रारम्भिक सात वर्ष तक या उस तिथि तक जब उसने जीवित रहने की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, जो भी पहले समाप्त हो, पारिवारिक पेंशन मूल वेतन की आधी अथवा उपरोक्तानुसार देय धनराशि की दुगुनी, जो भी कम हो, के बराबर होगी किन्तु यदि मृत्यु होने की तिथि को सरकारी सेवक पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका हो तो उसके मामले में अनन्तिम पेंशन स्वीकृत करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उसके मामले में अन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि उसके पेंशन प्राधिकार–पत्र (पी0पी0ओ0) पर पहले ही अंकित होगी और उसके परिवार को मृतक की 65 वर्ष की आयु तक बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन वर्तमान में प्रचालित प्रक्रिया के अनुसार स्वतः अनुमन्य हो जायेगी।

5–यदि मृत्यु के समय सरकारी सेवक प्रतिनियुक्ति अथवा वाह्य सेवा पर कार्यरत है तो सम्बन्धित पारिवारिक पेंशनर को अपना प्रार्थना–पत्र पैतृक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जो यह प्रकल्पित करते हुए कि सम्बन्धित सरकारी सेवक मृत्यु के दिनांक के ठीक पूर्व अपने पैतृक विभाग को प्रत्यावर्तित हो चुका था, उसको अन्तिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने की अन्तिम कार्यवाही करेगा। यदि प्रतिनियुक्ति पर जाने के पूर्व सम्बन्धित सरकारी सेवक अपना वेतन कोषागार से सीधे अथवा उप सचिव, इरला चेक अनुभाग से आहरित करता रहा हो, तो पैतृक विभाग का सम्बन्धित अधिकारी सम्बन्धित कोषाधिकारी को अनन्तिम पेंशन आहरित करने हेतु अधिकृत कर देगा। स्वीकृति हेतु आगणन की कार्यवाही कोषाधिकारी के स्तर पर ही की जायेगी। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अन्य सरकारी सेवकों की अनन्तिम पारिवारिक पेंशन पैतृक विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आहरित की जायेगी।

6–आहरण एवं वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी, उप सचिव, इरला चेक अनुभाग द्वारा अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त निम्नवत् कार्यवाही की जाएगी :–

(क) **आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्तर पर–**

अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र की सत्यता से अपने आपको संतुष्ट कर लेंगे और फिर उपरोक्त पैरा–2 में उल्लिखित दरों के अनुसार पारिवारिक पेंशन का आगणन करके संलग्न अनुलग्नक–2 पर अनन्तिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कर देंगे जिसकी एक प्रति सम्बन्धित कोषाधिकारी तथा दूसरी प्रतिलिपि महालेखाकार, द्वितीय (लेखा एवं हकदारी), इलाहाबाद अथवा मुख्य लेखा अधिकारी, जैसी स्थिति हो, को प्रेषित कर देंगे। साथ ही वे सम्बन्धित पेंशनर से सामान्य प्रक्रिया के अनुसार नियमित तथा अन्तिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्राप्त करेंगे और उसे मृत्यु के एक माह के भीतर महालेखाकर को अथवा अपने विभाग के मुख्य लेखाधिकारी (यदि मुख्य लेखा अधिकारी अन्तिम पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी हो), को प्रेषित कर देंगे। अन्तिम पारिवारिक पेंशन का प्रार्थना–पत्र प्रेषित करते समय सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी उक्त प्रार्थना–पत्र पर अनिवार्य रूप से यह अंकित कर देंगे कि सम्बन्धित पारिवारिक पेंशनर को

अनन्तिम पारिवारिक पेंशन (पारिवारिक पेंशन एवं राहत की धनराशि अलग–अलग दर्शायी जाएगी) के रूप में कितनी धनराशि स्वीकृति की गई है। अनन्तिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के उपरान्त सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी अन्तिम पेंशन आहरण करने की प्रक्रिया के सदृश अन्तिम पारिवारिक पेंशन हर माह तब तक आहरित करते रहेंगे जब तक महालेखाकार/मुख्य लेखा अधिकारी से अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का प्राधिकार–पत्र प्राप्त न हो जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारी के कार्यालय में इस हेतु उसी प्रकार के अभिलेख रखे जायेंगे जैसे अनन्तिम पेंशन के आहरण हेतु रखे जाते हैं।

(ख) **कोषाधिकारी के स्तर पर–**

कोषाधिकारी के स्तर से अनन्तिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने तथा भुगतान करने की प्रक्रिया केवल ऐसे अधिकारियों के लिए ही अपनाई जाएगी जो अपना वेतन कोषागार से सीधे आहरित करते हों। इनमें वे अधिकारी भी सम्मिलित होंगे जो मृत्यु के दिनांक को प्रतिनियुक्ति अथवा वाह्य सेवा पर नियुक्त रहे हों तथा प्रतिनियुक्ति वाह्य सेवा पर जाने के पूर्व कोषागार से अथवा उप सचिव, इरला चेक अनुभाग के माध्यम से अपना वेतन आहरित करते रहे हों। सम्बन्धित पारिवारिक पेंशनर से प्रार्थना–पत्र (अनुलग्नक–1) प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित कोषाधिकारी प्रार्थना–पत्र की सत्यता की पुष्टि करेंगे। इस हेतु वे मृतक सरकारी सेवक के दो सहकर्मियों/ साथी अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण–पत्र ले लें कि सम्बन्धित अभ्यर्थी मृतक के परिवार का ही सदस्य है तथा पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र है। तदुपरान्त सम्बन्धित कोषाधिकारी संलग्न अनुलग्नक–2 पर अनन्तिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कर देंगे और उसकी एक प्रति महालेखाकार अथवा मुख्य लेखा अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को प्रेषित कर देंगे। सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा अनन्तिम पारिवारिक पेंशन उसी बिल फार्म पर आहरित की जायगी जिस पर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अनन्तिम पेंशन आहरित की जाती है। इस हेतु वे एक रजिस्टर का रख–रखाव करेंगे जिस पर पारिवारिक पेंशनर का नाम तथा उसका पूर्ण विवरण सरकारी सेवक का नाम, विभाग का नाम, मासिक अनन्तिम पेंशन की धनराशि तथा उसके मासिक आहरण आदि की सम्बन्धित सूचना उपलब्ध रहेगी। इस पैरा में संदर्भित सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा अन्तिम पारिवारिक पेंशन के प्रार्थना–पत्र सामान्य प्रक्रिया के अनुसार मृतक के विभागाध्यक्ष के माध्यम से मृत्यु के एक माह के भीतर महलेखाकार/मुख्य लेखा अधिकारी को प्रेषित किए जायेंगे। अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का प्रार्थना–पत्र प्रेषित करते समय सम्बन्धित विभागाध्यक्ष उक्त प्रार्थना–पत्र पर अनिवार्य रूप से यह भी अंकित करेंगे कि सम्बन्धित पारिवारिक पेंशनर को अनन्तिम पारिवारिक पेंशन (पारिवारिक पेंशन एवं राहत की धनराशि अलग–अलग दर्शायी जाएगी) के रूप में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है।

(ग) उप सचिव, इरला चेक अनुभाग के स्तर पर–

ऐसे अधिकारियों, जिनका वेतन उप सचिव, इरला चेक, अनुभाग द्वारा सीधे आहरित करके उनके बैंक खाते में जमा किया जाता है, की मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र सदस्य के द्वारा उप सचिव, इरला चेक अनुभाग को संलग्न अनुलग्नक–1 पर अनन्तिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने हेतु एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा प्रर्थना–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त सर्वप्रथम उप सचिव, इरला चेक अनुभाग प्रार्थना–पत्र में उलिलखित तथ्यों की सत्यता की पुष्टि करेंगे और इस हेतु वे मृतक के दो सहकर्मी/साथी अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त करेंगे कि सम्बन्धित अभ्यर्थी मृतक के परिवार का ही सदस्य है तथा पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति है। तदुपरान्त वे सम्बन्धित प्रार्थी से यह अनुरोध करेंगे कि वे अनन्तिम पारिवारिक पेंशन आहरण करने हेतु किसी बैंक में अपना खाता खोल दें। यदि उनका खाता पहले ही से खुला हुआ हो तो दूसरा खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु यदि पारिवारिक पेंशन

प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति अवयस्क हो तो अनन्तिम पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित व्यक्ति को आवश्यक आवेदन–पत्र किसी संरक्षक (Guardian) के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा और बैंक खाता किसी संरक्षक के नाम से खोलना होगा। उपरोक्त कार्यवाही के उपरान्त उप सचिव, इरला चेक अनुभाग सम्बन्धित व्यक्ति को अनन्तिम पारिवारिक पेंशन उसी प्रक्रिया के अनुसार आहरित करते रहेंगे जैसी सामान्य रूप से वेतन आहरण करने हेतु अपनाई जाती है। यह आहरण तब तक किया जाता रहेगा जब तक सम्बन्धित व्यक्ति का अन्तिम पारिवारिक पेंशन का प्राधिकार–पत्र प्राप्त न हो जाये। इस पैरा में संदर्भित व्यक्तियों द्वारा अंतिम पारिवारिक पेंशन के प्रार्थना–पत्र मृत्यु के एक माह के भीतर सामान्य प्रक्रिया के अनुसार मृतक के विभागाध्यक्ष के माध्यम से महालेखाकार/मुख्य लेखा अधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे। अन्तिम पारिवारिक पेंशन का प्रार्थना–पत्र प्रेषित करते समय सम्बन्धित विभागाध्यक्ष उक्त प्रार्थना–पत्र पर अनिवार्य रूप से यह भी अंकित करेंगे कि सम्बन्धित पारिवारिक पेंशनर को अनन्तिम पारिवारिक पेंशन के रूप में कितनी धनराशि (पारिवारिक पेंशन एवं राहत की धनराशि अलग–अलग दर्शायी जायेगी) स्वीकृत की गई है।

7–यदि स्वर्गीय सरकारी सेवक का परिवार लिखित रूप से यह प्रार्थना करता है कि उसकी अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का भुगतान मनीआर्डर द्वारा किया जाये तो सम्बन्धित विभाग स्वर्गीय सरकारी सेवक के परिवार के व्यय पर उक्त धनराशि मनीआर्डर द्वारा भेज सकते हैं।

8–(क) यदि सम्बन्धित पारिवारिक पेंशनर अनन्तिम पारिवारिक पेंशन उस स्थान (जहाँ मृतक सरकारी सेवक अपना वेतन आहरित कर रहा था) के अतिरिक्त प्रदेश के किसी अन्य स्थान, जहाँ सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी का Counterpart उपलब्ध हो, से प्राप्त करना चाहें तो प्रथम स्थान का आहरण एवं वितरण अधिकारी स्वीकृति आदेश की एक प्रति नान पेमेन्ट सर्टीफिकेट अथवा एल0पी0सी0 (अन्तिम भुगतान प्रमाण–पत्र) के साथ अपने Counterpart को भेज देगा जहाँ अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का भुगतान उसी प्रकार किया जाता रहेगा जैसा उक्त प्रथम कार्यालय द्वारा किया जाता। यदि कोई दूसरे स्थान पर मूल आहरण एवं वितरण अधिकारी का कोई Counterpart नहीं है अथवा पारिवारिक पेंशनर अनन्तिम पारिवारिक पेंशन प्रदेश के बाहर प्राप्त करने की व्यवस्था चाहता है तो ऐसी दशा में वह अपनी पारिवारिक पेंशन उपरोक्त पैरा–7 में इंगित प्रक्रिया के अनुसार मनीआर्डर के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।

(ख) यदि किसी पारिवारिक पेंशनर की अनन्तिम पारिवारिक पेंशन उपरोक्त पैरा–6(ख) के अनुसार किसी कोषागार द्वारा अन्य कोषागार से आहरित करना चाहता है तो उपरोक्त पैरा–8 (क) में उल्लिखित प्रक्रिया के सदृश अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का स्वीकृति आदेश दूसरे कोषाधिकारी को स्थानान्तरित कर देंगे जो अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का भुगतान उसी प्रकार करते रहेंगे जैसा पहले कोषाधिकारी द्वारा किया जाता।

(ग) यदि किसी पारिवारिक पेंशनर की अनन्तिम पारिवारिक पेंशन उपरोक्त पैरा–6(ग) के अनुसार उप सचिव, इरला चेक अनुभाग द्वारा स्वीकृत की गई है और वह उसे किसी अन्य स्थान से आहरित करना चाहता है तो उपरोक्त पैरा–8(क) में उल्लिखित प्रक्रिया के सदृश प्रक्रिया के अनुसार उप सचिव, इरला चेक अनुभाग अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का स्वीकृति आदेश उस स्थान के कोषाधिकारी को स्थानान्तरित कर देंगे जहाँ सम्बन्धित पारिवारिक पेंशन अनन्तिम पारिवारिक पेंशन आहरित करना चाहता है तथा जो अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का भुगतान उस प्रकार करेंगे जैसा उनके द्वारा उस दशा में किया जाता जब अनन्तिम पारिवारिक पेंशन उन्हीं के द्वारा स्वीकृत की गई होती।

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, मुख्य लेखा अधिकारी से अन्तिम पारिवारिक पेंशन प्राधिकार–पत्र प्राप्त हो जाने के साथ ही अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का भुगतान बन्द कर दिया जायेगा तथा पूर्व में भुगतान की गई धनराशि का समायोजन करने के उपरान्त नियमित रूप से भुगतान प्रारम्भ किया जायेगा।

अनुलग्नक–1

अनन्तिम पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र

(छपा हुआ फार्म उपलब्ध न होने पर यह आवेदन सादे कागज पर लिखा जा सकता है)

सेवा में,

महोदय,

मैं, श्रीमती/श्री/कुमारी ———————————————————————————— आयु ——————————— वर्ष ———————————————— माह ——————————————— दिन (जन्म–तिथि) ———————————————————————————————— (श्री/श्रीमती ————————————————) मृतक सरकारी सेवक का नाम (की/का विधवा/विधुर/पुत्र/पुत्री हूँ और उनकी) (सरकारी सेवक की) मृत्यु के उपरान्त शासनादेश संख्या जी–2–769/दस–917–61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 सपठित शासनादेश संख्या सा–3–1563/दस–921–81, दिनांक 3 नवम्बर, 1981 के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन पाने हेतु पात्र व्यक्ति हूँ। मेरे/मेरी पति/पत्नी/पिता/माता मृत्यु के पूर्व ——————————————————————————————— (कार्यालय का नाम एवं पता) में ———————————————————————————————————— के पद पर कार्यरत थे/थी और वे मृत्यु के ठीक पूर्व वेतनमान रु0 ————————————————————————— में रु0 ———————————————— मासिक वेतन आहरित कर रहे थे/थी (यदि सरकारी सेवक को मूल मासिक वेतन के अतिरिक्त कुछ अन्य धनराशियाँ भी प्राप्त हो रही थी तो उनका भी पूर्ण विवरण हाशिये में दिया जाय)।

2–मेरे पति/पत्नी/पिता/माता की मृत्यु दिनांक ——————————————— को हो गई है। मृत्यु प्रमाण–पत्र का सत्य प्रतिलिपि/फोटोस्टेट प्रति संलग्न है। मेरे पति/पत्नी/पिता/माता की जन्मतिथि ———————————————————— है और वे दिनांक —————————को 58 वर्ष की आयु पूर्ण करते/करती।

3–मेरा निवेदन है कि मुझे पारिवारिक पेंशन की 90 प्रतिशत धनराशि अनन्तिम रूप से स्वीकृत की जाये। मैं इस बात से सहमत हूँ कि बाद में अन्तिम रूप से स्वीकृत पारिवारिक पेंशन से अनन्तिम पारिवारिक पेंशन की पूर्ण धनराशि, जिसका मुझे भुगतान किया जायेगा, का समायोजन कर लिया जाये। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि अनन्तिम पारिवारिक पेंशन के रूप में मिली धनराशि यदि मुझे अन्ततोगत्वा देय धनराशि से अधिक हो तो उस अधिक धनराशि को भी एकमुश्त में अथवा किश्तों में अन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि से समायोजित कर लिया जाये। इस हेतु तथा अपनी पहचान एवं पारिवारिक पेंशन की पात्रता हेतु मैं निम्न दो अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रस्तुत करती/करता हूँ जो मेरे इस सम्बन्ध में साक्षी एवं जमानतकर्ता होंगेः–

नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	2	3
1– ————————————	————————————————	———————————————
2– ————————————	————————————————	———————————————

4–मृतक के परिवार के अन्य सदस्यों के नाम तथा विवरण निम्नवत् है :–

सदस्य का नाम	सदस्य का पता	सदस्य का मृतक से सम्बन्ध	सदस्य की जन्मतिथि

5–मृतक के परिवार के निम्न सदस्य (पुत्र एवं पुत्रियों के सम्बन्ध में ही सूचना दी जाये) मानसिक रूप से विक्षिप्त/शारीरिक रूप से विकलांग हैं। चिकित्सा प्रमाण–पत्र संलग्न :–

1–

2–

3–

भवदीय/भवदीया,

तिथि : नाम ( )

पूरा पता

———

अनुलग्नक–2

अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का स्वीकृति आदेश

प्रेषक,

———————————— (स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय का नाम व पता)

————————————

सेवा में,

———————————— (पारिवारिक पेंशन पाने वाले का नाम एवं पता)

————————————

————————————

संख्या :– दिनांक ——————

विषय :– श्री/श्रीमती/कुमारी ———————————————— के अनन्तिम पेंशन की स्वीकृति

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या सा–3–1657/दस–931–87, दिनांक 9 जून, 1987 के अधीन आपको उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार अनन्तिम पारिवारिक स्वीकृति की जाती है :–

1–मृतक सरकारी सेवक का नाम तथा मृत्यु के पूर्व पद नाम तथा कार्यालय का नाम	———————————— ————————————
2–मृत्यु की तिथि	————————————
3–मृतक की सेवा–निवृत्ति की सामान्य तिथि	————————————
4–मृतक की मृत्यु के दिनांक को प्राप्त मूल वेतन	————————————
5–अन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि	————————————
6–अनन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि (उपरोक्त 5 का 90 प्रतिशत)	————————————
7–अनन्तिम पारिवारिक पेंशन पर देय राहत	————————————
8–योग	रु0 ——————————
	या
	रु0 ——————————(अगले रुपयों में राउण्ड करने के उपरान्त)
	रु0 —————————— (शब्दों में)

9–यदि मृत्यु के पूर्व सात वर्ष की अविरल सेवा प्रदान की गई हो तो शासनादेश संख्या सा–3–1563/दस–921–81, दिनांक 3 नवम्बर, 1981 के अन्तर्गत देय पारिवारिक पेंशन की धनराशि ————————————————

10–उपरोक्त 9 में उल्लिखित दशा में अनन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि (उपरोक्त 9 का 90 प्रतिशत) ————————————————

11–उपरोक्त 10 की धनराशि पर अनुमन्य राहत ————————————————

12–योग रु0 ————————————————

या

रु0 ———————————————— (अगले रुपये में राउण्ड करने के उपरान्त)

रु0 ———————————————— (शब्दों में)

2–चूंकि उपरोक्त क्रमांक 12 पर स्वीकृत धनराशि केवल 7 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक अनुमन्य है अतः यह धनराशि दिनांक ———————————— तक ही अनुमन्य होगी। तत्पश्चात् दिनांक ———————————— से उपरोक्त क्रमांक 5 अथवा 6, जैसी स्थिति हो, पर उल्लिखित धनराशि अनुमन्य होगी।

3–यह स्पष्ट किया जाता है कि महालेखाकार/मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय से अन्तिम पारिवारिक पेंशन का आदेश प्राप्त हो जाने की अगली तिथि से उपरोक्त अनन्तिम पारिवारिक पेंशन बन्द कर दी जायेगी और अनन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि को अन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि से समायोजित कर दिया जायेगा।

4–उपरोक्त अनन्तिम पारिवारिक पेंशन श्री/श्रीमती/कुमारी ———————————— को दिनांक ———————————— तक (अथवा पुनर्विवाह की स्थिति में पुनर्विवाह के दिनांक तक), जो भी पहले हो, अनुमन्य की जायेगी। तत्पश्चात् दिनांक ———————————— तक श्री/श्रीमती/कुमारी को तथा दिनांक ———————————— श्री/श्रीमती/कुमारी ———————————— को अनुमन्य किया जायेगा।

भवदीय,

(   )

स्वीकृतकर्ता अधिकारी का
नाम एवं पदनाम

संख्या–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ इस आशय से प्रेषित कि वे अन्तिम पारिवारिक पेंशन के अग्रसारण की एक प्रति उपरोक्त आहरण एवं वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी/उप सचिव, इरला चेक अनुभाग को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कर दें कि वे अन्तिम पारिवारिक पेंशन में से अनन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि अवश्य समयोजित करे लें :–

1–कोषाधिकारी, ————————————(यह पृष्ठांकन उस दशा में आवश्यक है जब आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अनन्तिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जायें)

2– ———————————————— (विभागाध्यक्ष का नाम एवं पता–यह पृष्ठांकन उस दशा में आवश्यक है जब अनन्तिम पारिवारिक पेंशन कोषाधिकारी अथवा उप सचिव, इरला चेक अनुभाग द्वारा स्वीकृत की जायें)।

3–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलहाबाद/मुख्य लेखा अधिकारी————— नाम एवं पता।

भवदीय,

( )

———

संख्या 3–1679/दस–80–909–79

प्रेषक,

श्री बालकृष्ण चतुर्वेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 28 अक्टूबर, 1980

विषय :– सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों, जिनके विरुद्ध वैभागिक अथवा न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकारण/सतर्कता जांच चल रही हो, को अनन्तिम पेंशन का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के पेंशन संबंधी वर्तमान नियमों में अभी तक इस अशय का कोई विशिष्ट प्राविधान नहीं है कि सेवानिवृत्ति के दिनांक को, अथवा सेवानिवृत्त होने के उपरान्त यदि कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण/सतर्कता जांच जारी हो अथवा जारी किया जाना अपेक्षित हो तो क्या उसे पेंशन तथा अन्य नैवृत्तिक लाभ देय होंगे या नहीं। उक्त स्थिति में सामान्यतः अपनाये गये दृष्टिकोण और प्रयुक्त प्रक्रिया के अनुसार जब तक उस कार्यवाही अथवा जांच का परिणाम प्राप्त न हो जाय तब तक संबंधित सेवक को कोई पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाता है उक्त कार्यवाहियों और जांच के पूरी होने और फिर आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कर अन्तिम निर्णय लेने में अधिक समय भी लग सकता है और उस दशा में संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी वर्षों तक सेवानैवृत्तिक लाभों से वंचित रहता है जिससे उसे काफी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त कई मामलों में कार्यवाही या जांच के परिणामस्वरूप कर्मचारी निर्दोष पाया जा सकता है। इस प्रसंग में आपका ध्यान शा0 आ0 सं0 सा–3–2085/दस–907–76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 की ओर भी आकर्षित करना है जिसमें ऐसे मामले में, जिनमें पेंशन, ग्रेच्युटी की स्वीकृति और कागजात तैयार करने की कार्यवाही निर्धारित समय में पूरी न हो सके, अनन्तिम पेंशन व आनुतोषिक दिये जाने के आदेश प्रसारित किये गये थे। इन आदेशों का लाभ भी उपर्युक्त कार्यवाही अथवा जांच के मामलों में नहीं मिल पाता है।

2–इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त तथा इस बात को देखते हुए कि राज्य में प्रयुक्त नियमों और आदेशों के अन्तर्गत सामान्यतः सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन तथा ग्रेच्युटी के अन्तिम रूप से निर्धारित न हो सकने पर अनन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी स्वीकार किये जाने की व्यवस्था है, श्री राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे राज्य कर्मचारियों को,

जिनके विरुद्ध सेवानिवृत्ति के समय विभागीय न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकारण/सतर्कता जांच चल रही हो अथवा किया जाना अपेक्षित हो, अनन्तिम पेंशन का भुगतान अधिकृत कर दिया जाय, किन्तु ग्रेच्युटी का भुगतान किसी भी दशा में उक्त कार्यवाही या जांच पूरी होने और अन्तिम निर्णय होने के पूर्व न किया जाय। ग्रेच्युटी की धनराशि से वह कटौतियां की जायेंगी जिनका उल्लेख विभागीय प्रशासनिक/कार्यवाही इत्यादि के फलस्वरूप पारित आदेश में किया गया हो। ऐसे मामलों में अनन्तिम पेंशन की स्वीकृति निम्न व्यवस्था के अधीन देय होगी–

(1) अनन्तिम पेंशन उस धनराशि के बराबर होगी जो उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक और यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति की तिथि को निलम्बित हो तो उसके निलम्बन के ठीक पहले की तिथि तक की अर्हकारी सेवाकाल के अनुसार अनुमन्य होती हो।

(2) यह पेंशन सेवानिवृत्ति की तिथि से उस दिनांक तक मिलेगी जब कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही जांच पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा अन्तिम आदेश पारित करा दिये जायं, तथा

(3) इस अनन्तिम पेंशन का, कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरान्त अन्ततः कर्मचारी को स्वीकृत होने वाली पेंशन में समायोजन कर लिया जायेगा किन्तु यदि अन्तिम रूप से स्वीकृत होने वाली पेंशन की राशि अनन्तिम पेंशन से कम हो अथवा पेंशन स्थायी रूप से अथवा किसी निश्चित अवधि के लिये कम कर दी जाय या आस्थगित की जाय, तो कर्मचारी से कोई वसूली नहीं की जायेगी।

3–उपर्युक्त व्यवस्था तुरन्त प्रभावी मानी जायेगी तथा पेंशन संबंधी नियम तदनुसार संशोधित समझे जायेंगे और औपचारिक संशोधन बाद में यथा समय किये जायेंगे।

4–कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,

बाल कृष्ण चतुर्वेदी

विशेष सचिव।

——————

संख्या सा–3–1608/दस–909–79

प्रेषक,

श्री जे0 एल0 बजाज,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 24 अक्टूबर, 1981

विषय :– सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों, जिनके विरुद्ध वैभागिक अथवा न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण/सतर्कता जांच चल रही हो, को अनन्तिम पेंशन का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के पेंशन नियमों में उदारीकरण करते हुए शासनादेश संख्या सा–3–1679/दस–80–909–79, दिनांक 28 अक्टूबर, 1980 में सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे राज्य कर्मचारियों, जिनके विरुद्ध सेवानिवृत्ति के समय कोई विभागीय/न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण/सतर्कता जांच चल रही हो अथवा किया जाना अपेक्षित हो, को कतिपय

शर्तों और उपबन्धों के अधीन अनन्तिम पेंशन का भुगतान अधिकृत किये जाने परन्तु डी0सी0आर0 ग्रेच्युटी की धनराशि का किस भी दशा में भुगतान न किये जाने की व्यवस्था की गई थी। उक्त शासनादेश की व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव अर्थात् दिनांक 28 अक्टूबर, 1980 से लागू की गई थी, अतएव दिनांक 28 अक्टूबर, 1980 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को ही उक्त शासनादेश का लाभ अनुमन्य था।

2—विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने सहर्ष आदेश प्रदान किये हैं कि निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन दिनांक 28 अक्टूबर, 1980 से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों/कर्मचारियों को भी उक्त शासनादेश में दी गयी सुविधायें दी जा सकेंगी :—

(1) सामान्य रूप से ऐसे मामलों में ही अनन्तिम पेंशन स्वीकृत की जायेगी जिनमें पूरी अथवा आंशिक ग्रेच्युटी की स्वीकृति नहीं दी गई है और भुगतान नहीं किया गया है।

(2) परन्तु ऐसे मामलों में भी शासनादेश दिनांक 28 अक्टूबर, 1980 का लाभ दिया जा सकेगा जिनमें ग्रेच्युटी का आंशिक या पूरा भुगतान पहले ही किया जा चुका है और उक्त शासनादेश के अनुसार अनन्तिम पेंशन का भुगतान किये जाने से पूर्व ग्रेच्युटी की धनराशि एकमुश्त वापस कर देने के लिये संबंधित सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी सहमत है। यदि वह उसे वापस करने को तैयार न हो तो अनन्तिम पेंशन स्वीकार नहीं की जायेगी।

3—इस संभावना को बचाने के उद्देश्य से कि अनन्तिम पेंशन का निर्णय हो जाने से जांच आदि में अनावश्यक विलम्ब न हो, यह भी निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार के समस्त जांच वाले लम्बित मामलों में तथा ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामलों में जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, प्राथमिकता से जांच कराई जाय और विभागीय कार्यवाही आदि भी प्राथमिकता से हो। संबंधित अधिकारियों/प्राधिकारियों का यह भी दायित्व होगा कि किसी भी परिस्थिति में सेवानिवृत्त होने से 5 वर्ष के पश्चात् संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही अथवा जांच आदि लम्बित न रहे।

4—कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,

जे0 एल0 बजाज

सचिव।

———

संख्या जी—3—1555/दस—909—79

प्रेषक,

श्री जगमोहन लाल बजाज,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 लखनऊः दिनांक 30 सितम्बर, 1982

विषय :— सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों, जिनके विरुद्ध सतर्कता जांच चल रही हो, को अन्तिम पेंशन का भुगतान।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सरकारी सेवकों, जिनके विरुद्ध सेवानिवृत्ति के समय वैभागिक अथवा न्यायिक कार्यवाही अथवा सतर्कता/प्रशासनाधिकरण जांच चल रही

हो अथवा किया जाना अपेक्षित हो, को नियमानुसार देय ग्रेच्युटी की सम्पूर्ण धनराशि रोक कर कतिपय शर्तों के अधीन अनन्तिम पेंशन का भुगतान किये जाने की व्यवस्था शासनादेश सं0 सा–3–1679/दस–80–909–79, दिनांक 28 अक्टूबर, 1980 तथा सं0 सा–3–1608/दस–909–79, दिनांक 24 अक्टूबर, 1981 में की गई थी।

2–उपरोक्त मामले पर पुनर्विचार करने पर यह पाया गया है कि सतर्कता जांच एक ''फैक्ट फाइन्डिंग इन्क्वायरी'' होती है, विभागीय कार्यवाही नहीं। यदि इस जांच के फलस्वरूप सरकारी सेवकों के विरुद्ध ऐसे तथ्य सम्मुख आते हैं जिनके लिये वैभागिक/न्यायिक कार्यवाही की आवश्यकता हो तो ऐसी कार्यवाही आरम्भ की जाती है। यदि सरकारी सेवक के सेवाकाल में उक्त कार्यवाही आरम्भ नहीं की जा सकी है तो सेवानिवृत्ति के बाद सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 351–ए के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही केवल ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में ही आरम्भ की जा सकती है जो कार्यवाही आरम्भ करने की तिथि से पूर्व 4 वर्ष की अवधि के अन्दर घटित हुई हों। उक्त नियम में प्राविधान है कि वैभागिक/न्यायिक कार्यवाही के फलस्वरूप दोषी पाये गये सरकारी सेवक की पूरी अथवा आंशिक पेंशन स्थाई रूप से या निर्धारित अवधि तक रोकी या अपहरित की जा सकती है या यदि स्वीकृत हो गई हो तो वापस ली जा सकती है अथवा शासन को हुई आर्थिक हानि की उससे वसूली की जा सकती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सतर्कता जांच या अन्य किसी फैक्ट फाइन्डिंग जांच के मामलों में पेशन स्वीकृत कर देने के बाद भी दोषी सेवकों की पेंशन रोकने, कम करने, समाप्त करने तथा हानि की वसूली कराने का शासन का अधिकार सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 351–ए में वर्णित प्रतिबन्धों के अधीन बना रहता है किन्तु सतर्कता जांच के दौरान अंतिम पेंशन/ग्रेच्युटी का भुगतान रोकने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

3–वर्णित परिस्थितियों में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 28 अक्टूबर, 1980 तथा दिनांक 24 अक्टूबर, 1981 का आंशिक संशोधन करते हुये शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उनमें निहित आदेश सतर्कता जांच के मामलों में लागू न किये जायेंगे और सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की पेंशन/ग्रेच्युटी का भुगतान इस अधार पर न रोका जाय कि उनके विरुद्ध सतर्कता जांच चल रही है। विभागीय/न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण जांच के मामलों में अनन्तिम पेंशन स्वीकृत करने तथा ग्रेच्युटी की सम्पूर्ण धनराशि रोके रखने की व्यवस्था पूर्व की भाँति बनी रहेगी।

4–उपर्युक्त व्यवस्था से सम्बन्धित नियम संशोधित माने जायेंगे और औपचारिक संशोधन यथासमय अलग से किये जायेंगे।

5–कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार की जाय।

भवदीय,

जगमोहन लाल बजाज

वित्त सचिव।

संख्या सा–3–1407/दस–2010

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 23 जुलाई, 2010

विषय :– दिनांक 1 जनवरी, 1996 के पूर्व स्वीकृत अनन्तिम पेंशन का अभिनवीकरण/पुनरीक्षण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में कतिपय ऐसे प्रकरण आये हैं, जिनमें दिनांक 1 जनवरी, 1996 के पूर्व किसी सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को विभागीय कार्यवाही आदि के प्रचलित होने के कारण तत्समय लागू वेतनमानों में वेतन के आधार पर अनन्तिम पेंशन स्वीकृत की गयी तथा कार्यवाही के अन्तिम रूप से निस्तारित न हो पाने के कारण सेवानिवृत्त कर्मी को अभी भी अनन्तिम पेंशन की वही राशि प्राप्त हो रही है। यही स्थिति दिनांक 1 जनवरी, 1996 के पश्चात् परन्तु 1 जनवरी, 2006 के पूर्व स्वीकृत अनन्तिम पेंशन के मामलों में भी हो सकती है।

2–दिनांक 1 जनवरी, 1996 के पूर्व सेवानिवृत्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण संबंधी आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या सा–3–1721/दस–308–97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 तथा दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण संबंधी आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या सा–3–1515/दस–2008–308–97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 द्वारा जारी किये गये हैं।

3–इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन को अवगत कराने का कष्ट करें कि आपके विभाग/अधीनस्थ कार्यालय के कितने ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक हैं जिनके अनन्तिम पेंशन का पुनरीक्षण उक्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अब तक नहीं किया गया है।

भवदीय,
नील रतन कुमार
संयुक्त सचिव।

अध्याय-14

असाधारण पेंशन (सिविल) सम्बन्धी शासनादेश

THE [UTTAR PRADESH][1] CIVIL SERVICES (EXTRAORDINARY PENSION) RULES

(Published with notification no. M-1157/X–406-1937, dated Jue 23, 1941 and corrected up to May 1, 1961)

IN exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of section 241 of the Government of India Act, 1935, and in supersession of the existing rules regulating wound and extraordinary pensions in Chapter XXXVIII of the Civil Service Regulations in their application to persons to whom the rules made hereby apply, the Governor of the [Uttar Pradesh][1] is pleased to make the following rules :

1. (1) These rules may be called the [Uttar Pradesh][1] Civil Services (Estraordinary Pension) Rules.

(2) They shall come into force on 1st July, 1941.

2. These rules shall apply to all persons serving in a civil capacity in connexion with the affairs of the [Uttar Pradesh][1] and paid from the revenues of the [Uttar Pradesh][1] whether their appointment is permanent or temporary, on time-scale of pay or fixed pay or piece-work rates, who are under the rule-making control of the Governor :

Provided that, in the case of a person to whom the Workmen's compensation Act, 1923, applies–

(a) an award shall be paid under these rules only if the authority competent to sanction it considers that the compensation payable under the Act is, in the particular case, inadequate; and

(b) the amount of an award paid to any such person shall not exceed the difference between the amount otherwise admissible under these rules and the amount of compensation payable under the Act.

3. For the purpose of these rules unless there is anything repugnant in the subject or context,

(1) "*accident*" means–

(i) a sudden and unavoidable mishap, or

(ii) a mishap due to an act of devotion to duty in an emergency arising otherwise than by violence out of and in the course of service;

(2) "*date of injury*" means–

(i) in the case of accident or violence, the actual date on which the injury is suffered or such date, not being later than the date of the report of the Medical Board, as the Governor may fix; and

(ii) in the case of disease, the date on which the Medical Board reports or such earlier date as may be fixed by the Governor with due regard to the opinion of the Medical Board;

(3) "*disease*" means–

(i) venereal disease or septicaemia where such disease or septicaemia is contracted by a medical officer as a result of attendance in the course of his official duty on an infected patient or of conducting a post-mortem examination in the course of that duty, or

(ii) disease solely and directly attributable to an accident;

1. Substituted by notification No. G-2-3063/x-8-51, dated September 13, 1960.
Note : Below rule 2 deleted by Notification no. 6-2-3-063/x-8-5/dated September 13, 1960.

(4) " *injury*" means–

bodily injury resulting from violence, accident or disease assessed by a Medical Board as being not less than severe.

Note : – Examples of injuries of certain categories are givern in Schedule-I.

(5) [" *pay*" means the pay as defined in rule 9(21) of the Uttar Pradesh Fundamental Rules, which a person was drawing on the date of his death or injury; provided that in the case of a person remunerated by piece-work rates, '*Pay*' means the average earnings of the last six months ending with the date of his death or injury.][1]

(6) "*risk of office*" means any risk, not being a special risk, of accident or disease to which a government servant is exposed in the course of, and as a consequence of, his duties, but nothing shall be deemed to be a risk of office which is a risk common to human existence in modern conditions in India, unless such risk is definitely enhancd in kind or degree by the nature, conditions, obligations or incidents of government service;

(7) "*special risk*" means–

(i) a risk of suffering injury by violence;

(ii) a risk of injury by accident to which a government servant is exposed in the course of, and as a consequence of, the performance of any particular duty which has the effect of materially increasing his liability to such injury beyond the normal risks of his office;

(iii) a risk of contracting disease to shich a medical officer is exposed as a result of attending in the course of his official duty to a venereal or septicaemic patient or conducting a post-mortem examination in pursuance of that duty;

(8) "*violence*" means the act of a person who inflicts an injury on a government servant–

(i) by assualting or resisting him in the discharge of his duties, or in order to deter or pervent him from performing his duties, or

(ii) because of anything done or attempted to be done by such government servant or by any other public servant in the lawful discharge of his duty as such, or

(iii) because of his official position.

4. (i) No award shall be made under these rules except with the sanction of the Governor.

(ii) Notwithstanding anything contained in these rules, if a government servant sustains *injury* or is killed or dies of injuries received by his own default or as the result in a material degree of his own contributory negligence, or in other circumstances such that the Governor consider that an award should not be made or that the amount thereof should be reduced, any award to which a title is otherwise conferred by these rules may be witheld or reduced.

5. Except as otherwise provided in these rules, an award made under these rules shall not affect any other pension or gratuity for which the government servant concerned or his family may be eligible under any othe rules for the time being in force; and the pension granted under the provisions of these rules shall not be taken into account in fixing the pay or the pensioner on his continued employment or re-employment in government service.

6. No award shall be made in respect of–

(i) an injury sustained more than five years before the date of applicaion, or

(ii) death which occurred more than seven years *(a)* after the injury due to violence or accident was sustained, or *(b)* after the government servant was medically reported as unfit for duty on account of the disease of which he died.

1. Substituted in order no. M-1127/x-406-1937, daed July 8, 1942.

7. All awards under these rules shall be made in India in rupees unless the payee resides permanently, and desires payment to be made, in a country in which the rupee is not legal tender. In the latter case the amount of the award shall be paid in sterling converted at the rate of exchange that may be existing at the time of payment.

8. For the purpose of these rules injuries shall be classified as follows :-

Class A. – Injuries caused as a result of special risk of office which have resulted in the permanent loss of an eye or a limb.

Class B. – Injuries caused as a result of special risk of office and equivalent, in respect of the degree of disablement which they cause, to the loss of a limb or are very severe; or injuries caused as a result of risk of office which have resulted in the permanent loss of an eye or a limb.

Class C. – Injuries caused as a result of special risk of office which are severe, but not very severe, and are likely to be permanent or injuries caused as a result of risk of office which are equivalent, in respect of the degree of disablement which they cause, to the loss of a limb or which are very severe or severe and likely to be permanent.

9. (1) If a government servant sustains an injury which falls within *Class A* of rule 8 he shall be awarded–

(a) a gratuity of the applicable amount specified in Schedule II, and

(b) with effect from the date following the expiry of one year from the date of the injury–

(i) if the injury has resulted in the permanent loss of more than one limb or one eye, a permanent pension of the applicable amount specified in schedule II for a higher scale pension; and

(ii) in other cases, a permanent pension the amount of which shall not exceed the applicable amount specified in Schedule II for a higher scale pension and shall not be less than half that amount.

(2) If a government servant sustains an injury which falls within *Class B* of rule 8, he shall be awarded–

(i) if the injury has resulted in the permanent loss of an eye or a limb a permanent pension, with effect from the date of the injury, of an amount which shall not exceed the applicable amount specified in Schedule II for a lower scale pension and shall not be less than half that amount,

(ii) in other cases–

(a) for a period of one year with effect from the date of the injury a temporary pension the amount of which shall not exceed the applicable amount specified in Schedule II for a lower scacle pension and shall not be less than half that amount, and thereafter;

(b) a pension within the limit specified in sub-clause (a) if the Medical Board from year to year certifies that the injury continues to be very severe.

(3) If a government servant sustains an injury which falls with in *Class C* of rule 8 he shall be awarded a gratuity of the applicable amount specified in Schedule II, if the Medical Board certifies that the government servant is likely to be unfit for service for a year, or a proportionate amount subject to a minimum of one quarter of the amount so specified if he is certified to be likely to be unfit for less than a year :

Provided that in cases where the injury is equivalent in respect of the degree of disablement which it causes to the loss of a limb the Governor may award, if he thinks fit, *in lieu of* the gratuity a pension not exceeding the amount admissible under clause (ii) of sub-rule (2) of this rule.

(4) A temporary pension awarded under this rule may be converted into a permanent injury pension–

(i) when the Government servant is invalided out of the service on account of the injury in respect of which the temporary pension was awarded; or

(ii) when the temporary pension has been drawn for not less than five years; or

(iii) at any time, if the Medical Board certifies that it sees no reason to believe that there will ever be a perceptible decrease in the degress of diablement.

10. [Subject to the provision contained in the Note below rule 11, award shall be made to the widow and children of a Government servant as follows :][1]

(i) if a Government servant is killed or dies of injury received as a result of *special risk of office*–

(a) a gratuity of the applicable amount specified in Schedule III; and

(b) a pension the amount of which shall not exceed the applicable amount specified in Schedule III,

(ii) if the Government servant is killed or dies of injuries received as a result of *risk of office* a pension the amount of which shall not exceed the applicable amount specified in Schedule III.

[Provided that the monthly pension or the sum of pensions that may be granted under this rule shall not, irrespective of the rates (including the minimum limits) specified in schedule III, exceed the pay of the deceaseds government servant; and, if in any case the sum of such pensions calculated under Schedule III exceeds the pay of the deceased, such a *pro rata* reduction shall be made in the amount of each individual pension as will reduce the sum to such limit.][2]

[NOTE :– If a Government servant dies leaving behind two or more widows, the pension or gratuity admissible under this rule to the widow shall be divided equally amoung all the widows].[3]

11. (1) If the deceased Government servant has left neither a widow nor a child, an award may be made to his father and his mother individually or jointly and in the absence of the father and the mother, to minor brothers and sisters, individually or collectively, if they were largely dependent on the Government servant for support and are in pecuniary need :

Provided that the total amount of the awards shall not exceed one-half of the pension that would have been admissible to the widow under rule 10:

Provided further that each minor brother's and sistet's share shall not exceed the amount of pension specified in Schedule III for a "child who is not motherless".

(2) Any award made under sub-rule (1) of this rule will, in the event of an improvement in the pecuniary circumstances of the pensioner be subject to review in such manner as the Governor may by order prescribe.

[NOTE :– If any of the widows, children, father, mother or minor brothers or sisters is denied any share in the property of the Government servant under a will or deed made by him, such a person shall be ineligible to receive any award under these Rules and the benefit will pass on to the next person eligible.][4]

1. Substituted by Notification No. G-2-2467/x-8-51, dated December 22, 1960.
2. Introduced in order no. M-1127/x-406-1937 dated July 8, 1942.
3. Introduced by Notification no. G-2-2467/x-8-51, dated December 22, 1960.
4. Introduced by Notification no. G-2-2467/x-8-51, dated December 22, 1960.

12. (1) A family pension will take effect from the day following the death of the Government servant or from such other date as the Governor may decide.

(2) A family pension will ordinarily be enable–

(i) in the case of a widow or mother until death or re-marriage whichever occurs earlier;

(ii) in the case of a minor son, or minor brother, until he attains the age of 18;

(iii) in the case of an unmarried daughter or minor sister, until marriage or until she attains the age of 21, whichever occurs earlier;

(iv) in the case of a father, for life.

[NOTE :– The family pension of a widow will cease on re-marriage; but when such re-marriage is annulled by divorce, desertion or death of the second husband, her pension may be restored upon proof that her circumstances necessitate a pension and she is otherwise deserving.][1]

13. (1) In respect of matters of procedure, all awards under these rules are subject to any procedure rules relating to ordinary pensions for the time being in force, to the extent that such procedure rules are applicable and are not inconsistent with these rules.

(2) When a claim for any injury pension or gratuity or family pension arises, the head of the offce or of the Department in which the injured, or the deceased, Government servant was employed will forward the claim through the usual channel to the Government with the following documents :[2]

(i) A full statement of circumstances in which the injury was received, the disease was contracted or the death occurred.

(ii) The application for injury pension or gratuity in Form A, or as the case may be, the application for family pension in Form B of the forms set forth in Schedule IV.

(iii) In the case of an injured Government servant or one who has contracted a disease a medical report in form C of the forms set forth in Schedule IV. In the case of a deceased Government servant a medical report as to the death or reliable evidence as to the actual occurrence of death if the Government servant lost his life in such circumstances that a medical report cannot be secured.

(iv) A report of the audit officer concerned as to whether an award is admissible under the rules and if so of what amount.

14. The Governor may make an award–

(1) in circumstances not covered by the terms of these rules, or

(2) exceeding in amount or differing in kind from the award admissible under these rules.

[(3) to any dependant or dependants of a deceased Government servant to whom rule 2 of these rules was applicable.][3]

15. [The Governor may, at his discretion–

(1) redistribute a pension among the children of a deceased Government servant if the widow or widows to whom it had been granted cease to draw it, and in the event of such redistribution the maxima and minima for motherless children in schedule III shall apply also;

(2) permit in very exceptional cases the children of a deceased Government servant to continue to receive their pensions beyond the age of 18 in the case of a male child and beyond the age of 21 in the case of a female child; and

(3) subject to the first proviso under clause (1) of rule 11, increase the amount of pension sanctioned under rule 11, if either of the parents attains the age of 65 or becomes seriously incapacitated by ill health.][4]

1. Introduced by Notification no. 528/x-8-51, dated April 26, 1961.
2. Sub-rule (2) deleted and existing sub-rule (3) re-numbered as sub-rule (2) by Notification no. G-2-3063/x-8-51 dated December 8, 1960.
3. Introduced by Notification no. M-581/x-406-1937 dated April 6, 1943.
4. Introduced by Notification no. M-1022/x-406-1937, dated July 5, 1943.

SCHEDULE I

[Note to clause (4) of rule 3]

CLASSIFICATION OF INJURIES

Equal to loss of limb

Hemiplegia without aphasia.

Permanent use of tracheotomy tube.

Artificial anus.

Total deafness of both ears.

Very severe

Complete unilateral facial paralysis, likely to be permanent.

Lesion of kidney ureter or bladder.

Compound fractures (except phalanges).

Such gross destruction of soft parts as to lead to permanent disability or loss of function.

Severe and likely to be permanent

Ankylosis of, or considerable restriction in, the moverment of one of the following joints :

Knee, elbow, shoulder, hip, ankle, temporo-maxillary or rigidity of the dorsilumbar or cervical sections of the spine.

Partial loss of vision of one eye.

Destruction or loss of one testicle.

Retention of foreign bodies not causing permanent or serious symptoms.

SCHEDULE II

(Rule 9)

Injury gratuity and pension

Pay of Government servant on the date of injury	Gratuity	Monthly pension Higher scale	Monthly pension Lower scale
1	2	3 Rs.	4 Rs.
1. Rs. 2,000 and over	3 months' pay subject to a minimum of Rs. 800	300	225
2. Rs. 1,500 and over but under Rs. 2,000		275	200
3. Rs 1,000 and over but under Rs. 1,500		200	150
4. Rs. 900 and over but under Rs. 1,000		150	125
5. Rs. 400 and over but under Rs. 900		100	84
6. Rs. 350 and over but under Rs. 400		85	70
7. Rs. 200 and over but under Rs. 350		67	50
8. Under Rs. 200	4 months' pay	1/3rd of pay subject to a minimum of Rs. 10* per mensem	1/5th of pay subject to a minimum of Rs. 8* per mensem.

* Substituted by Notification no. G-2-4034/x-8-51, dated December 29, 1958.

SCHEDULE III

(Rule 10)

Family gratuity and pension

A–WIDOW

Pay of Government servant on the date of death	Gratuity	Monthly pension
1	2	3
1. Rs. 800 and over	3 months' pay subject to a minimum of Rs. 800	1/8th of pay subject to a maximum of Rs. 200
2. Rs. 200 and over but under Rs. 800		1/6th of pay subject to a maximum of Rs. 100 and a minimum of Rs. 50
3. Under Rs. 200	4 months' pay	1/3rd of pay subject to a maximum of Rs. 50 and a minimum of Rs. 10.*

B–CHILDREN

Pay of Government servant on the date of death	Monthly pension of each child	
	If the child is motherless	If the child is not motherless
	Rs.	Rs.
1. Rs. 800 and over	40	25
2. Rs. 250 and over but under Rs. 800	25	13
3. Under Rs. 250	1/10th of pay subject to a minimum of Rs. 8*	1/20th of pay subject to a minimum of Rs. 4*

* *Substituted* by Notification no. G-2-4034/X–8-51, dated December 29, 1958.

SCHEDULE IV

(*See* Rule 13)

FORM A

Form of application for injury pension or gratuity

1. Name of applicant .. ..
2. Father's name .. ..
3. Race, sect and caste .. ..
4. Residence, showing village and pargana .. ..
5. Present or last employment, including name of establishment .. ..
6. Date of beginning of service .. ..
7. Length of service including interruptions of which–
   Superior .. ..
   Inferior .. ..
   Non-qualifying and interruptions .. ..
8. Classification of injury .. ..
9. Pay at the time of injury .. ..
10. Proposed pension or gratuity.. .. ..
11. Date of injury .. ..
12. Place of payment .. ..
13. Special remarks, if any .. ..
14. Date of applicant's birth by Christian era* .. ..
15. Height .. ..
16. Marks .. ..
    Thumb and finger impression–
    Thumb–Fore finger–Middle finger–Ring finger–
    Little finger .. ..
17. Date on which the applicant applied for Pension .. ..

Signature of Head of Office.

[Note :– (In the case of Gazetted Government Servants, thumb or finger impressions and particulars of height and personal marks are not required).][1]

*If not known exactly, must be stated on the best information or estimate.

Substituted by Notification no. G-2-3063/X—8-51 , dated September 13, 1960.

FORM B

Form of application for family pension

(Rule 13)

Application for an extraordinary pension for the family of A, B, late a .... killed, or died of injuries received, as a result of special risk of office or risk of office.

Submitted by the ....

	1. Name and residence, showing village and pargana	..	..	....
	2. Age ..	..	..	....
	3. Height ..	..	..	....
Desctiption of claimant	4. Race, caste or tribe	..	..	....
	5. Marks for identification	..	..	....
	6. Present occupation and pecuniary circumstances			....
	7. Degree of relationship to deceased		..	....
	8. Name ..	..	..	....
	9. Occupation and service	..	..	....
	10. Length of service	..	..	....
	11. Pay when killed	..	..	....
	12. Nature of injury causing death		..	....
Description of deceased	13. Amount of pension or gratuity proposed		..	....
	14. Place of payment	..	..	....
	15. Date from which pension is to commence			....
	16. Remarks	..	..	....

	Name	Date of birth by Christian era*.
Names and ages of surviving kindred of deceased	Sons	
	Widows	
	Daughters	
	Father	
	Mother	

NOTE :– (If the deceased has left no son, widow, daughter, father or mother surviving him the word "none" or " dead" should be entered opposite to such relative).

(Place) ....

(Date) ....

Signature of Head of Office.

* If the known exactly, must be stated on the best information or estimate.

FORM C

Form to be used by Medical Board when reporting on injuries

(Rule 13)

Proceedings of Medical Board

CONFIDENTIAL

Proceedings of a Medical Board assembled by order of .... for the purpose of examining and reporting on the present state of the injury sustained by/disease contracted by at .... (place of injury, *etc.*) on the .... (date of injury, *etc.*)–

(a) State briefly the circumstances under which the injury/disease was sustained/contracted.

(b) What is the government servant's present condition?

(c) Is the government servant's present condition wholly due to the injury/disease?

If not,state to what other causes it is attributable.

(d) In the case of disease from which date does it appear that the Government servant has been incapacitated.

The opinion of the Board upon the questions below is as follows :-

[PART A–*First Examination*

The severity of the injury should be assessed in accordance with the following classification and details given in the remarks column below :-

	Yes	No
1. *Is the injury–*		
(i) (a) the loss of an eye or a limb?		
(b) the loss of more than one eye or a limb?		
(ii) more severe than the loss of an eye or a limb?		
(iii) equivalent to the loss of an eye or a limb?		
(iv) very severe?*		
(v) severe and likely to be permanent?		
(vi) severe, but not likely to be parmanent?*		
(vii) slight but likely to be permanent ?		
2. *For what period from the date of the injury–*		
(a) has the Government servant been unfit for duty?		
(b) is the Government servant likely to remain unfit for duty? ..		

Remarks–Here the classification above may be amplified if necessary, or details of additional injuries to the main injury may be given.

PART B–*Second or subsequent examinations*

If the original degree of disability of the Government servant has changed, in which of the above categories should he now be placed?

Remaeks–In this space additional details my be given, if necessary.][1]

1. [ ][1] *Substituted* by Notification no. M-1098/X—406-37, dated April 7, 1948.

* *Amended* by Notificaton no. G-2-1518 [X—8-51, dated December 22, 1951.

Instructions to be observed by the Medical Board preparing the Report

1. The medical Board before recording their opinion should invariably consult the proceedings of previous medical boards, if any, as also all previous medical documents connected with the Government servant brought before them for examination.

2. If the injuries be more than one they should be numbered and described separately; and, should it be considered that for instance, though only "severe" or "slight" in themselves, they represent togeather the equivalent of a single "very severe" injury, such an opinion may be expressed in the columns provided.

3. In answering the questions in the prescribed form the Medical Board will confine itself exclusively to the medical aspect of the case and will carefully descriminate between the Government servant's unsupported statements and the medical and documentary evidence available.

4. The Board will not express any opinion, either to the Government servant examined, or in their report, as to whether he is entitled to compensation, or as to the amount of it, nor will it inform the Government servant how the injury has been classified.

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

———

संख्या सा–3–1863/दस–926–81

लखनऊ, दिनांक, 28 दिसम्बर, 1981

———

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सिविल सिर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) रूल्स का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 1 जनवरी, 1981 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

नियम 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) रूल्स, जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है, में नियम 3 में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपनियम बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्–

"(3–क) "परिलब्धि" का तात्पर्य निम्नलिखित से है :–

(एक) इस नियमावली में यथा परिभाषित वेतन, और

(दो) महंगाई भत्ता।"

नियम 10 और 11 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में, नीचे सतम्भ–1 में दिये गये नियमों के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे :–

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
10. Subject to the provision contained in the Note below Rule 11, award shall be made to the widow and children of a government servant as follows :– (i) if a government servant is killed or dies of injury received as a result of special risk of office– (a) a gratuity of the applicable amount specified in Schedule III, and (b) a pension the amount of which shall not exceed the applicable amount specified in Schedule III.	10–नियम 11 के नीचे दी गई टिप्पणी में दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित प्रकार से अधिनिर्णय दिया जायेगा :– (एक) यदि कोई सरकारी सेवक पद के जोखिम के परिणामस्वरूप मारा जाय या उसके कारण लगी चोटों से उसकी मृत्यु हो जाय तो सरकारी सेवक की विधवा और उसके अवयस्क बालकों को उतनी धनराशि की पेंशन जो अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट प्रयोज्य धनराशि से अधिक नहीं होगी : परन्तु इस नियम के अधीन स्वीकृत की जाने वाली पेंशन, या कुल पेंशनों के योग की धनराशि, अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट दरों के (जिसमें न्यूनतम सीमा भी सम्मिलित है) होते हुए भी, मृत सरकारी सेवक के वेतन से अधिक नहीं होगी, और यदि किसी मामले में अनुसूची तीन के अधीन संगणित ऐसी पेंशनों की धनराशि मृतक के वेतन से अधिक हो जाये तो प्रत्येक पेंशन की धनराशि में ऐसी आनुपातिक कमी की जायेगी जिससे कि वह धनराशि ऐसी सीमा तक हो जाय।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ii) if the government servant is killed or dies of injuries received as a result of risk of office, a pension the amount of which shall not exceed the applicable amount specified in Schedule III:	(दो) यदि कोई सरकारी सेवक पद के विशेष जोखिम के परिणामस्वरूप मारा जाय, या उसके कारण लगी चोटों से उसकी मृत्यु हो जाय, तो विधवा के आनुतोषिक और पेंशन और यदि आनुतोषिक और पेंशन पाने के लिये पात्र कोई विधवा न हो तो अवयस्क बालकों को अनुसूची तीन–क में विनिर्दिष्ट प्रयोज्य धनराशि का आनुतोषिक और पेंशन/अधिनिर्णय की धनराशि विधवा को स्वीकृत की जायेगी। यदि मृत कर्मचारी की पत्नी जीवित नहीं है या उसकी मृत्यु हो जाय या वह पुनर्विवाह कर ले तो अवयस्क बालक ऐसी घटना के दिनांक से ऐसी पूर्ण पेंशन पाने के हकदार होंगे जो विधवा को अनुमन्य होती और उसे उनमें बराबर–बराबर बांट दिया जायेगा। यदि मृत कर्मचारी की पत्नी जीवित न हो या यदि जीवित हो किन्तु उसे आनुतोषिक का भुगतान उसकी मृत्यु या उसके पुनर्विवाह से पहले न किया गया हो तो आनुतोषिक जो विधवा को अनुमन्य होता, पेंशन पाने के हकदार अवयस्क बालकों में बराबर–बराबर बांट दिया जायेगा :
Provided that the monthly pension or the sum of pensions that may be granted under this rule shall not, irrespective of the rates (including the minimum limits) specified in Schedule III, exceed the pay of the deceased government servant; and if in any case the sum of such pensions calculated under Schedule III exceeds, the pay of the deceased, such a *prorata* reduction shall be made in the amount of each individual pension as will reduce the sum to such limit.	परन्तु अनुसूची तीन–क के सतम्भ–2 (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोज्य धनराशि विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इस नियमावली के अनुसार औपचारिक अधिनिर्णय होने तक सरकारी सेवक की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर आनुतोषिक प्राप्त करने के लिये पात्र व्यक्तियों को तुरन्त संवितरित कर दी जायेगी : परन्तु यह और कि यदि इस उपनियम के अधीन कोई अधिनिर्णय दिया गया हो, तो उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961 के अधीन कोई अधिनिर्णय या यू0पी0 लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स या यू0पी0 रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स के अधीन कोई पारिवारिक पेंशन/आनुतोषिक, या न्यू फैमिली पेंशन स्कीम, 1965 के अधीन पारिवारिक पेंशन, या यू0पी0 कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फंड पेंशन इन्योरेन्स रूल्स के अधीन सरकारी अंशदान नहीं दिया जायगा।
Note :– If a government servant dies leaving behind two or more widows, the pension or gratuity admissible under this rule to the widow shall be divided equally among all the widows.	टिप्पणी :– यदि किसी सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाय और वह अपने पीछे दो या अधिक विधवाओं को छोड़ जाय तो इस नियम के अधीन विधवा को अनुमन्य पेंशन या आनुतोषिक समस्त विधवाओं में बराबर–बराबर बांट दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
11. (1) if the deceased government servant has left neither a widow nor a child, an award may be made to his father and his mother individually or jointly and in the absence of the father and the mother, to minor brothers and sisters, individually or collectively, if they were largely dependent on the government servant for support and are in pucuniary need:	11–(1) यदि मृत सरकारी सेवक की न तो कोई विधवा और न कोई अवयस्क बालक जीवित हो तो पद के जोखिम या पद के विशेष जोखिम के संबंध में अधिनिर्णय की धनराशि उसके पिता और उसकी माता को पृथक–पृथक या संयुक्त रूप से और माता पिता के न होने पर अवयस्क भाइयों और बहनों को पृथक–पृथक या सामूहिक रूप से, यदि वे भरण–पोषण के लिये सरकारी सेवक पर पूर्णतः आश्रित रहे हों और उन्हें धन की आवश्यकता हो, दी जा सकती है :
Provided that the total amount of the awards shall not exceed one-half of the pension that would have been admissible to the widow under rule 10 :	परन्तु नियम 10 के उपनियम (एक) के अधीन पद के जोखिम के संबंध में देय अधिनिर्णय की कुल धनराशि उस पेंशन के जो नियम 10 के उक्त उपनियम (एक) के अधीन विधवा को अनुमन्य होती, आधे से अधिक न होगी :
Provided further that each minor brother's and sister's share shall not exceed the amount of pension specified in Schedule III for a "child who is not motherless".	परन्तु यह और कि प्रत्येक अवयस्क भाई और बहन का अंश, 'ऐसे बालक के लिए जो मातृहीन न हों', अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट पेंशन की धनराशि से अधिक नहीं होगा।
(2) Any award made under sub-rule (1) of this rule, in the event of an improvement in the pecuniary circumstances of the pensioner be subject to review in such manner as the Governor may by order prescribe.	(2) इस नियम के उपनियम (1) के अधीन दिये गये किसी अधिनिर्णय का पेंशनर की धन संबंधी परिस्थितियों में सुधार होने की स्थिति में, ऐसी रीति से जैसी राज्यपाल आदेश द्वारा विहित करें, पुनर्विलोकन किया जा सकेगा।
Note :– If any of the widows, children, father, mother or minor brothers or sisters is denied, any share in the property of the government servant under a will or deed made by him, such a penson shall be ineligible to receive any award under these Rules and the benefit will pass on to the next person eligible.	टिप्पणी :– यदि विधवाओं, बालकों, पिता, माता या अवयस्क भाइयों या बहनों में से कोई भी, सरकारी सेवक द्वारा की गई वसीयत या विलेख में उसकी सम्पत्ति में किसी अंश से वंचित किया जाय तो ऐसा व्यक्ति इस नियमावली के अधीन अधिनिर्णय की कोई धनराशि पाने के लिये पात्र नहीं होगा और लाभ दूसरे पात्र व्यक्ति को दे दिया जायेगा।

4–उक्त नियमावली में, अनुसूची तीन के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायगी, अर्थात्–

अनुसूची तीन का प्रतिस्थापन

''अनुसूची–तीन

(नियम 10)

पारिवारिक पेंशन

क–विधवा

मृत्यु के दिनांक को सरकारी सेवक का वेतन		मासिक पेंशन
1		2
1–800 रुपये और उससे अधिक	..	वेतन का आठवां भाग किन्तु अधिकतम 200 रुपये।
2–200 रुपये और उससे अधिक किन्तु 800 रुपये से कम	..	वेतन का छठा भाग किन्तु अधिकतम 100 रुपये और न्यूनतम 50 रुपये
3–200 रुपये से कम	..	वेतन का एक तिहाई भाग किन्तु अधिकतम 50 रुपया और न्यूनतम 10 रुपये

ख–बालक

मृत्यु के दिनांक को सरकारी सेवक का वेतन		प्रत्येक बालक की मासिक पेंशन	
		यदि बालक मातृहीन हो	यदि बालक मातृहीन न हो
		रुपया	रुपया
1–800 रुपये और उससे अधिक	..	40	25
2–250 रुपये और उससे अधिक किन्तु 800 रुपये से कम	.	25	13
.3–250 रुपये से कम	..	वेतन का दसवां भाग किन्तु न्यूनतम 8 रुपये	वेतन का बीसवां भाग किन्तु न्यूनतम 4 रुपये

5–उक्त नियमावली में, अनुसूची तीन के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची तीन–क बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्–

अनुसूची तीन–क का बढ़ाया जाना

''अनुसूची तीन–क

(नियम–10)

पारिवारिक आनुतोषिक और पेंशन

सरकारी सेवक का वर्ग		आनुतोषिक		पेंशन
		तात्कालिक आनुतोष के लिये	दीर्घकालीन आनुतोष के लिये	
1		2(क)	2(ख)	3
एक	..	5,000	50,000	मृत कर्मचारी द्वारा उस दिनांक तक जब वह अधिवर्षिता पेंशन पर सेवानिवृत्त हो जाता, दी गई परिलब्धियों के बराबर; तत्पश्चात् पारिवारिक पेंशन उस धनराशि के बराबर होगी जो मृत कर्मचारी, यदि उसकी मृत्यु न हुई होती, निम्नलिखित उपधारणाओं के अधीन रहते हुए, तत्समय प्रयोज्य साधारण पेंशन नियमों के अनुसार लेता :–
दो	..	3,000	40,000	
तीन	..	2,000	30,000	
चार	..	1,000	20,000	

सरकारी सेवक का वर्ग	आनुतोषिक		पेंशन
	तात्कालिक आनुतोष के लिये	दीर्घकालीन आनुतोष के लिये	
1	2(क)	2(ख)	3
			(1) मृत कर्मचारी अधिवर्षिता के दिनांक तक अर्हकारी सेवा करता रहता और उसे कोई पदोन्नति नहीं मिली थी। (2) यदि मृत कर्मचारी अस्थाई या स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा था, तो उसके स्थायीकरण के सम्भाव्य दिनांक की उपधारणा कर ली जायेगी। यदि उस वेतनमान को जिसमें मृत कर्मचारी ने अन्तिम बार कार्य किया उस दिनांक तक पुनरीक्षित कर दिया जाय जिस दिनांक को वह अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होता तो पेंशन की संगणना उस उपधारित वेतन पर की जायेगी जो मृत कर्मचारी को यदि वह जीवित होता, अधिवर्षिकी के समय मिलता।''

आज्ञा से,
जे0 एल0 बजाज
सचिव।

———

संख्या सा—3—1306/दस—926—81

प्रेषक,

जे0 एल0 बजाज,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 लखनऊः दिनांक 6 अगस्त, 1982

विषय :— विशेष जोखिम के मामलों में असाधारण पेंशन की स्वीकृति का अधिकार विभागाध्यक्षों को देना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पद के विशेष जोखिम के मामलों में मृतक सरकारी सेवक के परिवार को उ0प्र0 सिविल सर्विसेज (असाधारण पेंशन) नियमावली के अन्तर्गत देय आर्थिक सहायता तथा पारिवारिक पेंशन की दरों का उदारीकरण करने के उद्देश्य से अधिसूचना संख्या सा—3—1863/दस—926—81, दिनांक 28 दिसम्बर, 1981 के द्वारा उक्त नियमावली में अपेक्षित संशोधन किये गये हैं। इसके साथ—साथ शासन द्वारा यह भी विचार किया गया है कि नियमों में ऐसी व्यवस्था भी कर दी जाय कि उक्त लाभ मृतक सेवक के परिवार को शीघ्र उपलब्ध हो सके। नियमों की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार मृतक के परिवार के दावे की अनुमन्यता के संबंध में विभागाध्यक्ष पहले महालेखाकार की रिपोर्ट प्राप्त करता है और उसके बाद मामला सचिवालय के संबंधित प्रशासनिक विभाग को स्वीकृति हेतु भेजता है। विवादास्पद मामलों में प्रशासकीय विभाग वित्त विभाग की सहमति से आदेश जारी करता है। यदि ऐसे मामलों में, जिसमें महालेखाकार और प्रशासकीय विभाग के मतों में अन्तर न हो, एक

मुश्त आर्थिक सहायता/पारिवारिक पेंशन स्वीकृति करने का अधिकार विभागाध्यक्षों को दे दिया जाय तो समय की बचत होगी और बहुत से मामलों में एकमुश्त सहायता/पारिवारिक पेंशन का भुगतान शीघ्रता से हो सकेगा।

2–अतः श्री राज्यपाल महोदय ने पद के विशेष जोखिम के फलस्वरूप मृत्यु के मामलों में नियमानुसार देय आर्थिक सहायता और पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार विभागाध्यक्षों को दिये जाने के आदेश प्रदान किये हैं। अब उपरोक्त प्रकार के मामलों में विभागाध्यक्ष महालेखाकार की रिपोर्ट प्राप्त करके स्वयं आर्थिक सहायता/ पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करेंगे। परन्तु जिन मामलों में विभागाध्यक्ष और महालेखाकर के मतों में अन्तर हों, वे मामले शासन को संदर्भित किये जायेंगे। विशेष जोखिम के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के सभी मामले स्वीकृति के लिये पूर्व की भांति शासन को संदर्भित किये जाते रहेंगे।

3–उपर्युक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे और अनिस्तारित प्रकरणों को भी इसी व्यवस्था के अनुसार निपटाया जायेगा। इन आदेशों से नियमावली के संगत उपबन्ध संशोधित समझे जायेंगे तथा औपचारिक संशोधन यथासमय बाद में जारी किये जायेंगे।

भवदीय,
जे0 एल0 बजाज
वित्त सचिव।

———

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

———

संख्या सा–3–722/दस–926–81

लखनऊः दिनांक 16 मई, 1983

———

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) रूल्स को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1983

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1983 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 6 अगस्त, 1982 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

नियम 4 क और 13 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) रूल्स, में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियमों के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
4. (i) No award shall be made under these rules except with the sanction of the Governor.	4–(1) राज्यपाल की स्वीकृति के सिवाय, इस नियमावली के अधीन कोई अधनिर्णय नहीं दिया जायेगा :

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	परन्तु पद के विशेष जोखिम के परिणामस्वरूप किसी सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, विभागाध्यक्ष द्वारा नियम 10 के उप नियम (दो) के अधीन अधिनिर्णय नियम 13 के उप नियम (2) में उल्लिखित दस्तावेजों के आधार पर दिया जा सकता है यदि लेखा परीक्षा अधिकारी यह रिपोर्ट दे कि अधिनिर्णय अनुमन्य है।
4. (ii) Notwithstanding anything contained in therse rules, if a government servant sustains injury or is killed or dies of injuries received by his own default or as the result in a material degree of his own contributory negligence, or in other circumstances such that the Governor considers that an award should not be made or that the amount thereof should be reduced, any award to which a title is otherwise conferred by these rules, may be withheld or reduced.	4–(2) इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सरकारी सेवक को स्वयं अपनी चूक से या सारवान मात्रा में अपने आप किसी उपेक्षा के परिणामस्वरूप क्षति हो जाये या मारा जाय या ऐसी हुई क्षति के कारण मृत्यु हो जाये या अन्य परिस्थितियों में जिनसे राज्यपाल का यह मत हो कि कोई अधिनिर्णय नहीं दिया जाना चाहिये या उसकी धनराशि में कोई कटौती कर दी जानी चाहिये तो किसी ऐसे अधिनिर्णय को जिससे अन्यथा इस नियमावली द्वारा कोई हक प्राप्त हो जाय, रोका या कम किया जा सकता है।
13. (1) In respect of matters of procedure, all awards under these rules are subject to any procedure rules relating to ordinary pensions for the time being in force, to the extene that such procedure rules are applicable and are not inconsistent with these rules.	13–(1) प्रक्रिया के विषयों के संबंध में, इस नियमावली के अधीन सभी अधिनिर्णय, साधारण पेंशनों से संबंधित तत्सम प्रवृत्त किन्हीं प्रक्रिया नियमों के उस सीमा तक अधीन रहेंगे जहां तक ऐसे प्रक्रिया नियम प्रयोज्य हैं और इस नियमावली से असंगत नहीं हैं।
(2) When a claim for any injury pension or gratuity or family pension arises, the Head of the Office or of the Department in which the inujured or the deceased, government servant was employed will forward the claim through the usual channel to the Government with the following documents:	(2) जैसा कि नियम 4 के उप नियम(1) के परन्तुक में उपबन्धित है उसके सिवाय, जब किसी क्षति, पेंशन या उपादान या पारिवारिक पेंशन के लिये कोई दावा प्रोद्भूत हो, तब उस कार्यालय या विभाग का अध्यक्ष जिसमें क्षतिग्रस्त या मृत सरकारी सेवक सेवायोजित था, दावे को निम्नलिखित दस्तावेज के साथ सामान्य माध्यम से सरकार को भेजेगा :–
(i) A full statement of circumstances in which the injury was received, the disease was contracted or the death occurred.	(एक) उन परिस्थितियों का पूर्ण विवरण जिनमें क्षति पहुंची, रोगग्रस्त हुआ या मृत्यु हुई,
(ii) The application for injury pension or gratuity in Form A, or as the case may be, the application for family pension in Form B of the forms set forth in Schedule IV,	(दो) अनुसूची चार में दिये गये प्रपत्रों में से प्रपत्र 'क' में क्षति पेंशन, या उपादान के लिये आवेदन–पत्र या, यथास्थिति, प्रपत्र 'ख' में पारिवारिक पेंशन के लिये आवेदन–पत्र,

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(iii) In the case of an injured government servant or one who has contracted a disease a medical report in Form C of the forms set forth in Schedule IV. In the case of a deceased government servant a medical report as to the death or reliable evidence as to the actual occurrence of death if the government servant lost his life in such circumstances that a medical report cannot be secured;	(तीन) क्षतिग्रस्त सरकारी सेवक या ऐसे सेवक की, जो रोगग्रस्त हो गया हो, स्थिति में, अनुसूची चार में दिये गये प्रपत्र 'ग' में चिकित्सा रिपोर्ट। मृत सरकारी सेवक की स्थिति में मृत्यु संबंधी चिकित्सा रिपोर्ट या वास्तव में मृत्यु होने का विश्वसनीय साक्ष्य यदि सरकारी सेवक की ऐसी परिस्थितियों में जान गयी हो जिसमें चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जा सकती थी;
(iv) A report of the audit officer concerned as to whether an award is admissible under the rules and if so, of what amount.	(चार) संबद्ध लेखा परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट कि क्या नियमों के अधीन अधिनिर्णय ग्राह्य है और यदि ग्राह्य है तो कितनी धनराशि के लिये।

आज्ञा से,
जे0 एल0 बजाज
सचिव।

—————

संख्या सा—3—1340/दस—88—916—88

प्रेषक,

श्री वी0 के0 सक्सेना,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 लखनऊ, दिनांक 19 अगस्त, 1988

विषय :— विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय गम्भीर रूप से घायल अथवा मृत्यु होने पर सरकारी सेवकों को मिलने वाली विशेष आर्थिक सहायता को अधिक उदार बनाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों द्वारा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करते हुए विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय घायल हो जाने अथवा मृत्यु हो जाने पर सरकारी सेवकों तथा उनके परिवार को उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण पेंशन) नियमावली के अन्तर्गत विशेष लाभ दिये जाने की व्यवस्था की गई है। समय की तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों एवं विकास की गति के साथ विशेष जोखिम के कार्यों का क्षेत्र काफी बढ़ गया है और इसके साथ ही ऐसी घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। उदाहरण स्वरूप विशेष जोखिम की निम्नलिखित परिस्थितियाँ हो सकती है :—

(1) डकैतों एवं बदमाशों से मुठभेड़,
(2) विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष,
(3) आतंकवादी तत्वों से मुठभेड़,
(4) हिंसात्मक भीड़ को नियंत्रित करना अथवा तितर—वितर करते समय,

(5) दैवी आपदाओं जैसे बाढ़, भू–स्खलन, हिमस्खलन, भूकम्प इत्यादि में सेवा करते हुए तथा अन्य आपातकाल

यथा आग बुझाते समय अथवा जीवन रक्षा करते समय।

(6) सक्रिय सेवा करते समय, उदाहरणतः :–

(i) ट्रैफिक नियंत्रण करते समय किसी गाड़ी की चपेट में आने की स्थिति में,

(ii) मोटर गाड़ी चलाते समय वर्षाकाल में पहिया फिसलने के कारण चालक की मृत्यु,

(iiii) लेविल क्रासिंग पर बिना रोशनी की रेलगाड़ी से टकराने के कारण मृत्यु,

(iv) प्रशिक्षण देते समय प्रशिक्षार्थी की चूक से गोली/ग्रिनेड चल जाने से प्रशिक्षार्थी की मृत्यु।

2–उपर्युक्त परिस्थितियों में सरकारी सेवकों द्वारा पूरी लगन और तत्परता के साथ सरकारी कार्यों का सम्पादन किये जाने तथा विशेष जोखिम भरे कार्यों से निपटने में सरकारी सेवकों का मनोबल बनाये रखने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेंशन नियमावली में विशेष जोखिम के कार्यों के लिये उपलब्ध वर्तमान लाभों तथा तात्कालिक आर्थिक सहायता में समुचित वृद्धि किये जाने के लिये निम्नलिखित स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं :–

(1) कर्तव्य पालन के दौरान जो अधिकारी/कर्मचारी विशेष जोखिम की परिस्थितियों में गम्भीर रूप से घायल हो जाने के कारण सेवा में बनाये रखने के योग्य न रह जाये और अन्य किसी कार्य को करने में भी सक्षम न रहे तो ऐसे 100 प्रतिशत अक्षम हो गये घायल सेवकों को भी वही पेंशन दी जायेगी जो उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेंशन नियमावली के नियम 10 के अन्तर्गत विशेष जोखिम के फलस्वरूप मृत्यु होने की दशा में अनुमन्य होती है। 100 प्रतिशत अक्षमता के लिये मेडिकल बोर्ड की संस्तुति/प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।

(2) सरकारी सेवकों को विशेष जोखिम के फलस्वरूप मृत्यु पर उनके परिवारों को उपर्युक्त नियमावली के नियम 10 के शेड्यूल III–ए के अन्तर्गत तात्कालिक एवं दीर्घकालीन राहत के रूप में अनुमन्य उपादान (ग्रेच्युटी) के अतिरिक्त वर्ग 1, 2, 3 एवं 4 के कर्मचारियों के लिये क्रमशः 50,000 रु0, 40,000 रु0, 30,000 रु0 एवं 20,000 रु0 अनुग्रह धनराशि के रूप में दिया जायेगा। इस प्रकार ग्रेच्युटी एवं अनुग्रह धनराशि को मिलाकर न्यूनतम रु0 41,000 व अधिकतम रु0 1,50,000 मृतक के परिवार को अनुमन्य हो जायगा।

श्रेणी 3 व 4 के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अनुग्रह धनराशि के भुगतान करने के लिये विभागाध्यक्षें को अधिकृत किया जाता है तथा श्रेणी 1 व 2 के अधिकारियों के सम्बन्ध में शासन के प्रशासकीय विभागों को प्राधिकृत किया जाता है।

(3) कर्तव्य पालन के दौरान जो सरकारी अधिकारी/कर्मचारी गम्भीर रूप से घायल हो जाते है उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है अभी केवल पुलिसजनों के लिये गृह (पुलिस) अनुभाग–6 के शासनादेश संख्या 4865 पी/घ/आठ–6–1739/77, दिनांक 5 दिसम्बर, 1977 में रू0 2500 की आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था है। अतः उक्त शासनादेश की व्यवस्था का अतिक्रमण करते हुए कर्तव्य–पालन के दौरान गम्भीर रूप से घायल हुए समस्त विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों को रू0 5,000 (पांच हजार) की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी जिसे भुगतान करने का अधिकार प्रशासकीय विभागों को होगा, किन्तु जो प्रशासकीय विभाग उचित समझे बिना वित्त विभागों की सहमति के यह अधिकार अपने विभागाध्यक्षों को दे सकते हैं परन्तु इसकी सूचना उन्हें वित्त (सामान्य) अनुभाग–3/संबंधित वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग को भी देनी होगी।

3–उपर्युक्त सुविधायें इस आदेश के जारी होने की तिथि को देय होंगी।

4–उक्त मद संख्या 2(2) व 2(3) में स्वीकृत सुविधाओं के लिये आवश्यक प्राविधान संबंधित प्रशासनिक विभाग अपने आय–व्ययक में करायेंगे। मद संख्या 2(1) के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेंशन नियमावली के संगत प्राविधान उपरोक्तानुसार संशोधित माने जायेंगे तथा औपचारिक संशोधन यथासमय अलग से जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

वी0 के0 सक्सेना

प्रमुख सचिव।

संख्या सा–3–115/दस–3–92

प्रेषक,

आलोक रंजन,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांक 24 फरवरी, 1992

विषय :–पारिवारिक पेंशन की पात्रता के लिए पुत्र एवं पुत्री की निर्धारित आयु सीमा–स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या सा–3–2693/दस–89–3–82, दिनांक 15 नवम्बर, 1989 में नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन पेंशन की पात्रता हेतु पुत्र/पुत्री की अधिकतम आयु सीमा के संबंध में निम्न प्रकार प्राविधान है :–

(1)–पुत्र की निर्धारित आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष या जब से वह जीविकोपार्जन करने लगे, जो भी पहले हो तक, तथा

(2)–पुत्री के मामले में 24 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष अथवा उसका विवाह अथवा जीविकोपार्जन करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक।

2–विभिन्न विभागों से यह जिज्ञासा की जा रही है कि क्या पुत्र/पुत्री की आयु सीमा संबंधी उपर्युक्त प्राविधान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाने वाली असाधारण पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों पर भी लागू रहेगा। इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सिविल/पुलिस असाधारण पेंशन नियमावली के अधीन स्वीकृत की जाने वाली पारिवारिक पेशंनों में भी पुत्र/पुत्री की आयु सीमा उपर्युक्त प्रतिबंध सहित 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक ही रहेगी।

भवदीय,

आलोक रंजन

सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या सा0–3–1145/दस–916–88

लखनऊ, दिनांक 18 अगस्त, 1993

कार्यालय–ज्ञाप

विषय :–विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय गम्भीर रूप से घायल अथवा मृत्यु होने पर सरकारी सेवकों को मिलने वाली विशेष आर्थिक सहायता को अधिक उदार बनाया जाना।

महोदय,

1–उपर्युक्त विषयक इस अनुभाग के शासनादेश संख्या सा–3–1340/दस–88–916–88, दिनांक 19 अगस्त, 1988 जिसके द्वारा डकैतों एवं बदमाशों से मुठभेड़ विदेशी आक्रणकारियों से संघर्ष आतंकवादी तत्वों से मुठभेड़, हिंसात्मक भीड़ को नियन्त्रित करना अथवा तितर–वितर करते समय, दैवी आपदाओं में

सेवा करते हुए तथा अन्य आपातकाल के दौरान सेवा करते समय घायल हो जाने अथवा मृत्यु हो जाने पर उ0प्र0 सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेंशन नियमावली में अनुमन्य पेंशन एवं तात्कालिक एवं दीर्घकालीन राहत के रूप में अनुमन्य उपादान के अतिरिक्त वर्ग–1, 2, 3 एवं 4 के कर्मचारियों के लिए क्रमशः 50,000 रु0, 40,000 रु0, 30,000 रु0 एवं 20,000 रु0 अनुग्रह धनराशि के रूप में स्वीकृत किए जाने तथा कर्तव्य पालन के दोरान जो सरकारी अधिकारी/कर्मचारी गम्भीर रूप से घायल हो जाते हैं अनुमन्य तात्कालिक आर्थिक सहायता को 2,500 रु0 से बढ़ाकर 5,000 रु0 किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सुविधाओं को दिये जाने के पश्चात् गृह पुलिस अनुभाग–6 के शासनादेश संख्या 3239/पी0 छः पु0–6–1744–90, दिनांक 6 फरवरी, 1991 द्वारा विशेष जोखिम पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करने वाले पुलिस कर्मियों, के परिवारों को उक्त संदर्भित शासनादेश द्वारा स्वीकृत अनुग्रह धनराशि को दो–गुना अर्थात क्रमशः 1,00,000 रु0, 80,000 रु0, 60,000 रु0 एवं 40,000 रु0 कर दिया गया है। इस अनुग्रह धनराशि को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मामलों में अन्तिम निर्णय लिये जाने के उपरान्त स्वीकार किये जाने की व्यवस्था है। गृह (पुलिस) अनुभाग–6 के ही शासनादेश संख्या 3225–पी0–छः/11–6–91–1325–91, दिनांक 17 मार्च, 1992 द्वारा उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 6 फरवरी, 1991 का आंशिक संशोधन करने उसमें स्वीकृत अनुग्रह धनराशि की दरों के स्थान पर केवल आतंकवाद के परिपेक्ष्य में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के आश्रितों को किसी श्रेणीगत भेदभाव के बिना 1,00,000 रु0 (एक लाख रुपये मात्र) की अनुग्रह धनराशि दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस शासनादेश में यह भी कहा गया है कि अन्य वर्गों के लिए पूर्व स्वीकृत दरें यथावत् रहेंगी और उक्त शासनादेश के अन्य सभी प्राविधान यथावत् प्रभावी रहेंगे।

2–राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को अनुमन्य उक्त सुविधाओं के पश्चात् पुलिस विभाग द्वारा जारी किये गये उपरोक्त दोनों शासनादेशों द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए स्वीकृत की गयी सुविधाओं को दृष्टि में रखते हुए इस प्रकरण पर गम्भीरता से विचार किया गया। वर्तमान परिस्थितियों में आतंकवादी गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में अन्य विभागों के कर्मचारियों को समान रूप से इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अतः सारी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों के दौरान राज्य सरकार के सभी विभागों के कर्मचारियों के मनोबल को ऊँचा बनाये रखने के उद्देश्य से एवं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शहीद हुए कर्मियों के हितों को दृष्टि में रखते हुए केवल आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में शहीद हुए कर्मियों/आश्रितों को किसी श्रेणीगत भेदभाव के बिना उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 19 अगस्त, 1988 के पैरा–2(2) में अनुमन्य श्रेणीवार अनुग्रह धनराशि के स्थान पर, 1,00,000 रु0 (एक लाख रु0 मात्र), की अनुग्रह धनराशि दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। अन्य मामलों में शासनदेश दिनांक 19 अगस्त, 1988 द्वारा स्वीकृत सुविधायें यथावत् लागू रहेंगी और उक्त शासनादेश के सभी प्राविधान इस आदेश के विषय में भी प्रभावी होंगे।

3–आतंकवाद के मामलों में सभी विभागों के कर्मियों को एतद्द्वारा स्वीकृत यह अनुग्रह धनराशि निम्नलिखित समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रत्येक मामले में अन्तिम निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही स्वीकृत की जायेगी–

1–मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2–प्रमुख विचव, वित्त विभाग	सदस्य
3–प्रमुख सचिव, गृह विभाग	सदस्य
4–सचिव, कार्मिक विभाग	सदस्य

4–उपरोक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव शासन के कार्मिक विभाग को पूरे विवरण के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे और कार्मिक द्वारा इस प्रकार के मामलों को उक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा समिति के निर्णय से सम्बन्धित अनुभागों को सूचित किया जायेगा। उपरोक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में यू0पी0 सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेंशन नियमावली के नियम 13 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा तथा उक्त निर्णय के अनुसार देय धनराशि का भुगतान विभागाध्यक्षों द्वारा अपने–अपने आय–व्ययक के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से किया जएगा।

5–यह सुविधा इस आदेश के जारी होने की तिथि को या इसके पश्चात् घटित घटनाओं के सम्बन्ध में देय होगी।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

भवदीय,
चन्द्र मोहन वासुदेव
प्रमुख सचिव।

संख्या सा–3–वी0आई0पी0–15 / दस–2007–322(1)–2007

प्रेषक,

डी0 दीप्तिविलास,
प्रमुख सचिव–II, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांक 12 जुलाई, 2007

विषय :– प्रदेश में सरकारी सेवकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष हो जाने के कारण सिविल तथा पुलिस कार्मिकों के आश्रितों के पक्ष में स्वीकृत असाधारण पेंशन की वैधता अवधि का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 1098 / का–1–2001, दिनांक 28 नवम्बर, 2001 द्वारा राज्याधीन सरकारी सेवकों की अधिवर्षता आयु लोकहित में 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष कर दिये जाने के फलस्वरूप असाधारण पेंशन की वैधता की अवधि के संबंध में समय–समय पर संदर्भ प्राप्त होते रहे हैं। अतः इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए सामान्य प्रकार के नीति–विषयक आदेश जारी किये जाने की आवश्यकता है।

2–उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) नियमावली, 1941 उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) (प्रथम संशोधन नियमावली, 1981) एवं शासनादेश संख्या सा–3–1340 / दस–88–916–88, दिनांक 19 अगस्त, 1988 के अन्तर्गत यदि कोई सरकारी सेवक पद के जोखिम / विशेष जोखिम के परिणामस्वरूप मारा जाए या उसके कारण लगी चोट से उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके आश्रितों के असाधारण पेंशन स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था है। असाधारण पेंशन तथा आनुतोषिक की स्वीकृति उक्त नियमावली के नियम 13 की व्यवस्थानुसार महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के अभिनिर्णय के आधार पर प्रदान की जाती है। पुलिस कार्मिकों को असाधारण पेंशन उ0प्र0 पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961 एवं संगत शासनादेशों के अन्तर्गत स्वीकृत की जाती है। प्रथम प्रस्तर में उल्लिखित शासनादेश के अनुसार अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने की तिथि से पूर्व के अधिकांश मामलों में महालेखाकार द्वारा अपने अभिनिर्णय में सरकारी सेवक की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष मानकर असाधारण पेंशन की अवधि एक निश्चित तिथि तक निर्धारित की जा रही है।

3–कार्मिक विभाग के उक्त आदेश दिनांक 28 नवम्बर, 2001 द्वारा सरकारी सेवकों की अधिवर्षता आयु, 60 वर्ष हो जाने के कारण असाधारण पेंशन की अवधि को उस तिथि तक बढ़ाये जाने की माँग की

जा रही है जिस तिथि को सरकारी सेवक जीवित रहने की स्थिति में 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करके सेवानिवृत्त होता।

4–अतः ऐसे सिविल एवं पुलिस मृत कार्मिकों के आश्रितों के लिए जिनके जीवित रहने की स्थिति में दिनांक 28 नवम्बर, 2001 तक 58 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण नहीं हुई थी, वर्तमान में लागू अधिवर्षता आयु 60 वर्ष के दृष्टिगत राज्यपाल महोदय द्वारा यह आदेश प्रदान किए गए हैं कि असाधारण पेंशन की वैधता की अवधि उस तिथि तक मानी जाए, जिस तिथि को संबंधित सरकारी सेवक जीवित रहने की स्थिति में 60 वर्ष की आयु पूर्ण करके अधिवर्षता पेंशन पर सेवानिवृत्त हो जाता एवं तदनुसार पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा पेंशन भुगतानादेश में आवश्यक संशोधन कर दिया जाए।

भवदीय,

डी0 दीप्तिविलास

प्रमुख सचिव–II, वित्त।

———

संख्या सा–3–1320/दस–2010

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांक 10 अगस्त, 2010

विषय :– दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व स्वीकृत असाधारण पेंशन के, वेतन समिति उ0प्र0, 2008 की संस्तुतियों के लागू होने के फलस्वरूप, पुनरीक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पूर्व स्वीकृत असाधारण पेंशन का पुनरीक्षण दिनांक 1 जनवरी, 2006 से निम्नानुसार किया जाये :–

(1)–अन्तिम आहरित वेतन में मूल वेतन का अंश।

(2)–महँगाई पेंशन जहाँ अनुमन्य है।

(3)–मूल पेंशन तथा महँगाई पेंशन के योग पर मूल्य सूचकांक 536 पर आधारित दिनांक 1 जनवरी, 2006 को महँगाई राहत 24 प्रतिशत।

(4)–मूल पेंशन का 40 प्रतिशत के फिटमेण्ट वेटेज की धनराशि।

जिन प्रकरणों में पेंशन की धनराशि में 50 प्रतिशत की महँगाई पेंशन सम्मिलित है, उन प्रकरणों में फिटमेण्ट वेटेज की धनराशि की गणना मूल पेंशन पर अर्थात महँगाई पेंशन की धनराशि घटाकर की जायेगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इस प्रकार पुनरीक्षित असाधारण पेंशन की राशि दिनांक 1 जनवरी, 2006 से, सदृश वेतनबैण्ड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी, तथा किसी भी दशा में पुनरीक्षित असाधारण पेंशन की राशि रु0 3500/–प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

2–इस प्रकार आगणित राशि दिनांक 1 जनवरी, 2006 से मूल असाधारण पेंशन मानी जायेगी।

भवदीय,

अनूप मिश्र

प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या 20/2016–सा–3–374/दस–2016–322(1)–2008

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांक 22 जून, 2016

विषय :– सेवायोजित पारिवारिक पेंशनभोगियों की भांति सेवायोजित असाधारण पेंशन भोगियों को मंहगाई राहत के भुगतान के संबंध में स्पष्टीकारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, वित्त, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या चार–1600/2012 दिनांक 4 अप्रैल, 2016 द्वारा अनुरोध किया गया है कि सेवायोजित पारिवारिक पेंशनभोगियों को पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या 7/2016–3–2180/दस–2016–308(06)–2000, दिनांक 17 मार्च, 2016 के अनुसार पुलिस मुख्यालय के मृत कर्मचारियों के सेवायोजित आश्रितों को असाधारण पेंशन पर भी महंगाई राहत का भुगतान किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये जायें।

2–उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह स्पष्ट किये जाने के निदेश हुआ है कि असाधारण पेंशन वस्तुतः पारिवारिक पेंशन ही है जो अतिविशिष्ट परिस्थितियों में, कर्तव्य पालन के दौरान सक्रिय ड्यूटी करते हुये अथवा सेवा में निहित विशेष जोखिम के कारण किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को स्वीकृत की जाती है। अतः शासनादेश दिनांक 17 मार्च, 2016 की व्यवस्था उ0प्र0 सिविल (असाधारण पेंशन) नियमावली तथा उ0प्र0 पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली के अधीन ऐसे सभी असाधारण पेंशन प्राप्तकर्ता, जो सेवायोजित हैं, पर भी लागू है।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

―――――

संख्या 21/2018–सा–3–484/दस–2018–308–2016

प्रेषक,

नील रतन कुमार,

विशेष सचिव, वित्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पेंशन निदेशालय,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांक 19 सितम्बर, 2018

विषय :– वर्ष 2016 के पूर्व के सेवाकाल में मृत हुये राजकीय कार्मिकों की असाधारण पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र-संख्या पे0नि0/एम0आई0 51899/2018–2461, दिनांक 19 फरवरी, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2–उक्त पत्र द्वारा वर्ष 2016 के पूर्व के सेवाकाल में मृत हुये राकीय कार्मिकों जिनके आश्रित को असाधारण पेंशन स्वीकृत हुयी है और जो दिनांक 1 जनवरी, 2016 को असाधारण पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, कि असाधारण पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने की व्यवस्था वित्त (सामान्य) अनु0–3 द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2017 में नहीं है उक्त प्रकृति के प्रकरणों का शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2017 में पुनरीक्षण किस प्रकार किया जाना है, इस सम्बन्ध में शासन द्वारा मार्गदर्शन दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

3–उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2017 शासनादेश संख्या 38/2016–सा–3–923/दस–2016 दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के क्रम में निर्गत किया गया है। अतः शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 में उक्त प्रकृति के प्रकरणों में पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने की व्यवस्था स्पष्ट है। तदनुसार असाधारण पेंशन का पुनरीक्षण किया जाये।

भवदीय,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

अध्याय-15

असाधारण पेंशन (पुलिस) सम्बन्धी शासनादेश

उत्तर प्रदेश सरकार

गृह विभाग

(पुलिस)

विविध

सं0 2981–आर/8–ख–2–1000(23)–54–दिनांक 21 जुलाई 1964 ई0

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

नियमावली

1–(क) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961 कहलाएगी।

(ख) यह 1 अप्रैल, 1961 से प्रचलित हुई समझी जायेगी।

2–जब तक कि विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ख) ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(ग) ''उपलब्धियों'' का तात्पर्य–

(1) फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 के फण्डामेंटल रूल 9 (21) में यथा परिभाषित वेतन तथा

(2) महंगाई भत्ता से है।

(घ) ''अभिनिर्णय'' का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन पेंशन और अनुतोषिक (Gratuity) देने से है।

(ङ) ''पुलिस कर्मचारी'' का तात्पर्य पुलिस ऐक्ट, 1961 की धारा (2) के अधीन संघटित पुलिस दल के सदस्य और 1948 ई0 के संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कांस्ट्रेबुलरी ऐक्ट (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं0 40 सन् 1948 ई0) के सदस्य से है।

3–यह नियमावली राज्यपाल के नियम बनाने के नियंत्रण के अधीन ऐसे समस्त अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों पर लागू होगी चाहे वह स्थायी रूप में सेवायोजित हों अथवा अस्थायी रूप में, जो डाकुओं या सशत्र अपराधियों अथवा विदेशी प्रतिरोधियों से लड़ने में मारे जायें।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे पुलिस कर्मचारी के परिवार को जिसे इस नियमावली के अधीन अभिनिर्णय दिया गया है, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) रूल्स के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया जाएगा और न यू0पी0 लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 अथवा यू0पी0 रिटायरमेंट बेनीफिट रूल्स, 1961 के अधीन कोई पारिवारिक पेंशन, आनुतोषिक और न यू0पी0 कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट पेंशन फंड रूल्स के अधीन सरकारी अंशदान दिया जाएगा।

4–(1) इस नियमावली के अधीन कोई अभिनिर्णय राज्यपाल की स्वीकृति के बिना नहीं दिया जायगा।

(2) इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई पुलिस कर्मचारी ऐसी परिस्थितियों में मारा जाय अथवा चोट लगने के कारण मर जाय, जिसमें राज्यपाल का यह विचार हो कि अभिनिर्णय नहीं दिया जाना चाहिए अथवा उनकी धनराशि कम कर दी जानी

चाहिए तो कोई अभिनिर्णय जिसके लिये इस नियमावली द्वारा अन्यथा अधिकार प्राप्त हो, रोक लिया जा सकता है अथवा उसकी धनराशि कम की जा सकती है।

5–ऐसी मृत्यु के संबंन्ध में कोई अभिनिर्णय नहीं दिया जायगा जो किसी रोग से अथवा ऐसे कारण से हुई हो, जो डाकुओं या सशत्र अपराधियों, विदेशी प्रतिरोधी से लड़ने में चोट लगने से भिन्न हो।

6–अभिनिर्णय की धनराशि इस नियमावली से संलग्न अनुसूची में दिये गये उपबन्धों के अनुसार ऐसे पुलिस कर्मचारी की विधवा को स्वीकृत की जायेगी जिस पर यह नियमावली लागू होती हो। यदि मृत पुलिस कर्मचारी की पत्नी जीवित न रहे अथवा उसकी मृत्यु हो जाये अथवा वह पुनर्विवाह कर ले तो अवयस्क बच्चे ऐसी घटना के दिनांक से ऐसी पूरी पेंशन पाने के हकदार होंगे जो विधवा को अनुमन्य होती और यह उनमें बराबर–बराबर बांट दी जायगी। यदि मृत पुलिस कर्मचारी की पत्नी जीवित न रहे अथवा यदि जीवित हो किन्तु उसे आनुतोषिक का भुगतान उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह से पहले न किया गया हो तो आनुतोषिक जो विधवा को अनुमन्य होता उन बच्चों में बराबर बांट दिया जायगा जो पेंशन पाने के हकदार हों।

टिप्पणी–यदि पुलिस कर्मचारी की मृत्यु हो जाय और वह अपने पीछे दो या अधिक विधवाओं को छोड़ जाय तो इस नियम के अधीन अनुमन्य अभिनिर्णय की धनराशि समस्त विधवाओं में बराबर बांट दी जायेगी।

7–यदि मृत पुलिस कर्मचारी की विधवा अथवा बच्चे जीवित न हों तो, अभिनिर्णय की धनराशि जो विधवा को अनुमन्य होती वह उसके (मृत पुलिस कर्मचारी के) पिता या माता अथवा दोनों को, जैसी भी दशा हो, स्वीकृत की जा सकती है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वे मृत पुलिस कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित रहे हों। पिता और माता के न होने पर अभिनिर्णय की धनराशि दादा (Paternal Grand father) या दादी (Paternal Grand mother) अथवा दोनों को जैसी दशा हो, स्वीकृत की जा सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वे मृत पुलिस कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हों। पिता, दादा और दादी के न होने पर अभिनिर्णय की धनराशि उसके (मृत पुलिस कर्मचारी के) अवस्यक भाई या अविवाहित बहन अथवा दोनों को, जैसी भी दशा हो, स्वीकृत की जा सकती है, इस नियम अधीन पात्र व्यक्तियों को पृथक–पृथक स्वीकृत की जाय तो उनमें बराबर–बराबर बांट दी जायेगी।

8–(1) पारिवारिक पेंशन, पुलिस कर्मचारी की मृत्यु के अगले दिन से अथवा ऐसे अन्य दिनाँक से प्रभावी होगी जो राज्यपाल निश्चित करें।

(2) पारिवारिक पेंशन साधारणतया–

(1) विधवा या विधवा माता अथवा विधवा दादी की दशा में, उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह तक इसमें जो भी पहले हो,

(2) अवयस्क पुत्र या अवयस्क आश्रित भाई की दशा में उसकी 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाये तक अथवा उसकी मृत्यु हो जाने तक, इसमें जो भी पहले हो,

(3) अविवाहित अवयस्क पुत्री अथवा आश्रित अविवाहित बहन की दशा में उसका विवाह होने तक अथवा उसकी 21 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक अथवा मृत्यु तक, इसमें जो भी पहले हो,

(4) पिता या दादा की दशा में जीवन पर्यन्त चालू रहेगी।

टिप्पणी–विधवा को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन पुनर्विवाह हो जाने पर बन्द कर दी जायेगी, किन्तु जब ऐसा पुनर्विवाह, विवाह–विच्छेद, अभित्याग अथवा दूसरे पति की मृत्यु हो जाने से रद्द हो जाये तो उसकी पेंशन इस प्रमाण पर फिर बहाल की जा

सकती है कि उसकी परिस्थितियों के कारण उसे पेंशन देना आवश्यक है और वह अन्य प्रकार से पात्र है और वह अपने पहले पति (अर्थात मृत पुलिस कर्मचारी) के बच्चों का भरण–पोषण करती है और उसकी पेंशन फिर बहाल कर दिये जाने पर बच्चों को अनुमत पेंशन देना बन्द कर दिया जायेगा।

9–(1) इस नियमावली के अधीन सभी अभिनिर्णय तत्समय प्रचलित साधारण पेंशनों से सम्बद्ध किन्हीं प्रक्रिया नियमों के अधीन उस सीमा तक होंगे जिस सीमा तक ऐसे प्रक्रिया नियम लागू हों और इस नियमावली से असंगत न हों।

(2) जब किसी पारिवारिक पेंशन के लिये दावा उत्पन्न हो जाय तो उस कार्यालय या उस विभाग का अध्यक्ष, जिसमें मृत पुलिस कर्मचारी सेवायोजित रहा हो, सामान्य माध्यम से निम्नलिखित लेख्यों के साथ उस दावे को सरकार के पास भेजेगा–

(1) उन परिस्थितियों का पूर्ण विवरण जिनमें मृत्यु हुई है,

(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश की इस आशय की एक रिपोर्ट की क्या नियमावली के अधीन अभिनिर्णय अनुमन्य है अथवा नहीं है और यदि अनुमन्य है तो कितनी धनराशि का।

10–राज्यपाल स्वविवेक से आपवादिक परिस्थितियों में मृत पुलिस कर्मचारी के बच्चों को नियम 8 (दो) (2) (3) में नियत सीमाओं के बाद भी अपनी पेंशन पाने की अनुज्ञा दे सकते हैं।

अनुसूची

पारिवारिक पेंशन ओर आनुतोषिक

<u>विधवा को आनुतोषिक</u>	<u>विधवा की पेंशन</u>
मृत पुलिस कर्मचारी द्वारा अंतिम बार ली गयी आठ माह के बराबर उपलब्धियां	मृत पुलिस कर्मचारी द्वारा उस दिनाँक तक ली गयी उपलब्धियों के बराबर, जब वह अधिवार्षिक पेंशन पर सेवा निवृत्त हो जाता तत्पश्चात् पेंशन उस धनराशि के बराबर हो जायेगी जो मृत पुलिस कर्मचारी यदि उसकी मृत्यु न हो गयी होती तो पुलिस कर्मचारियों पर तत्समय लागू साधारण पेंशन नियमों के अनुसार लेता किन्तु ऐसा निम्नलिखित पूर्व धारणाओं के रहते हुए होगा– (क) मृत पुलिस कर्मचारी अधिवार्षिकी के दिनाँक तक अर्हकारी सेवा करता रहता और उसे कोई पदोन्नति नहीं मिली थी। (ख) यदि मृत कर्मचारी अस्थायी था अथवा वह स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा था तो उसके स्थायीकरण के सम्भाव्य दिनाँक की पूर्व धारणा कर ली जाएगी। यदि मृत कर्मचारी ने अन्तिम बार जिस वेतन क्रम पर कार्य किया हो वह उस दिनाँक तक पुनरीक्षित कर दिया जाय, जिस दिनाँक को वह अधिवार्षिकी पर सेवा निवृत्त होता तो पेंशन की गणना उस पूर्व धारित वेतन पर की जायेगी जो मृत कर्मचारी, यदि वह जीवित होता तो अधिवार्षिकी के समय लेता।

आज्ञा से,
बी0पी0 जोशी
सचिव।

अधिसूचना संख्या–1406–पी0 / आठ–अनु0–6–1000(17)–65

दिनाँक, जुलाई 7, 1975

विषय : उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975।

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) (प्रथम संशोधन) नियमावली 1975 कहलाएगी।

(2) यह 1 अप्रैल, 1972 से प्रवृत्त समझी जायगी।

नियम 3 तथा 5 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए नियमों के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिए गए नियम रख दिये जाय।

स्तम्भ–1 **(वर्तमान नियम)**	**स्तम्भ–2** **(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)**
3–यह नियमावली राज्यपाल के नियम बनाने के नियंत्रण के अधीन ऐसे समस्त अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों पर लागू होगी चाहे वह स्थायी रूप से सेवायोजित हों अथवा अस्थायी रूप में, जो डाकुओं या सशस्त्र अपराधियों अथवा विदेशी प्रातिरोधियों से लड़ने में मारे जायं।	3–यह नियमावली राज्यपाल के बनाए नियम से नियंत्रित होने वाले स्थायी या अस्थायी रूप से सेवायोजित सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों (राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों) पर लागू होगी जो डाकुओं या सशस्त्र अपराधियों या विदेशी प्रतिरोधियों से लड़ने में या किसी अन्य कर्तव्यों का पालन करने के दौरान मारे जायं या जिनकी मृत्यु हो जाय।
4–प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे पुलिस कर्मचारी के परिवार को जिसे इस नियमावली के अधीन अभिनिर्णय नहीं दिया गया हो, उ0प्र0 सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) रूल्स के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया जायगा और न यू0पी0 लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 अथवा यू0पी0 रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961 के अधीन कोई पारिवारिक पेंशन/आनुतोषिक और न यू0पी0 कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट पेंशन फन्ड रूल्स के अधीन सरकारी अंशदान दिया जायगा।	4–प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे पुलिस कर्मचारी के परिवार को जिसे इस नियमावली के अधीन अभिनिर्णय दिया गया हो, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) रूल्स के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया जायगा और न यू0पी0 लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 अथवा यू0पी0 रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961 के अधीन कोई पारिवारिक पेंशन/आनुतोषिक और न यू0पी0 कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट पेंशन फन्डरूल्स के अधीन सरकारी अंशदान दिया जायगा।
5–ऐसी मृत्यु के सम्बन्ध में कोई अभिनिर्णय नहीं लिया जायेगा, को किसी रोग से अथवा ऐसे कारण से हुई हो, जो डाकुओं या सशस्त्र अपराधियों या विदेशी प्रतिरोधियों से लड़ने में चोट लगने से भिन्न हो।	5– कोई अभिनिर्णय नियम 3 में उल्लिखित कारणों से भिन्न किसी कारण से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में नहीं दिया जायगा।

शासनादेश संख्या 2333–पी0/आठ–6–1000(17)–65

दिनाँक, जुलाई 19, 1978

विषय : उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) संशोधन नियमावली, 1975 के नियम 3 की व्याख्या।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या पी0 आर01/91666/76–77/1988 दिनांक 23 जनवरी, 1977 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण) अध्याय (9) पेंशन प्रक्रिया, पारिवारिक योजना, आनुतोषिक, राशिकरण एवं राहत 816 (55) पेंशन नियमावली, 1961 का नियम 3 जिसे अधिसूचना संख्या 1406 पी0 आठ–6–1000(17)–65, दिनांक 7 जुलाई, 1975 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, में किये गये प्राधिधान ''किसी अन्य कर्तव्य का पालन करने के दौरान मारे जायं या जिनकी मृत्यु हो जाय'' की व्याख्या एवं क्षेत्र के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश तथा शासन के न्यायिक विभाग से परामर्श किया गया। उनकी राय की प्रति संलग्न है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि आपके उपर्युक्त पत्र में संशोधित नियमों का सम्बन्ध 'एक्स्ट्रा रिस्क' से जोड़ा गया है, जो साधारणतया उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1941 के अन्तर्गत पेंशन दिये जाने के लिये आवश्यक शर्त होती है। पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961 नियम 3 को 1975 में उपरोक्तानुसार संशोधित करने का शासन का यही अभिप्राय था कि इन नियमों को इतना उदार बना दिया जाय कि इसके अन्तर्गत वे सभी मामले आ जायं जिनमें पुलिस अधिकारी/कर्मचारी सेवारत कर्तव्य पालन के दौरान मारा जाय या जिसकी मृत्यु हो जाय। इस प्रकार उक्त नियमावली का नियम 3 को संशोधित करके इसका क्षेत्र विस्तृत किया गया है और प्राविधानों में ''एक्स्ट्रा रिस्क'' के तत्व को सम्मिलित करना उचित नहीं है।

——————

संख्या 73वी/छः–पु0–6-96–1000(58)/94

प्रेषक,

श्री एफ0एन0 प्रधान,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदशक,
उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

गृह (पुलिस) अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक : 23 अप्रैल, 1996

विषय :– असाधारण पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर राहत की अनुमन्यता।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 एवं कतिपय कोषागारों से यह जिज्ञासा की जा रही है कि उ0प्र0 पुलिस/सिविल सर्विसेज असाधारण पेंशन नियमावली, 1961/75 व 1941/81 के अधीन स्वीकृत असाधारण पेंशन की धनराशि पर राहत किस प्रकार आगणित की जायेगी। कुछ प्रकरणों में असाधारण पेंशन की सम्पूर्ण धनराशि अर्थात् मूलतया स्वीकृति के समय वेतन व महंगाई भत्ते के योग पर या मूल वेतन के ही अंश पर स्वीकृत की जायेगी। उक्त जिज्ञासा पर सम्यक् रूप से विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि असाधारण पेंशन की धनराशि पर राहत की गणना मूल वेतन के अंश पर ही की जायेगी, सम्पूर्ण असाधारण पेंशन पर नहीं की जायेगी।

2–मुझे यह भी कहना है कि मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को उ0 प्र0 पुलिस असाधारण पेंशन नियमावली, 1961/75 के अधीन स्वीकृत की जाने वाली असाधारण पेंशन के भुगतान के संबंध में पुलिस मुख्यालय स्तर से निर्गत किये जाने वाले पेंशन भुगतानादेश (पी0पी0ओ0) में मृतक कर्मचारी के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का स्पष्ट रूप से अलग–अलग उल्लेख किया जाये तथा भविष्य में पेंशनर को मिलने वाली राहत मूल वेतन पर आगणित की जाये, महंगाई भत्ते के अंश पर नहीं।

3–पूर्व में स्वीकृत समस्त मामलों और ऐसे प्रकरणों में, जिनमें दोनों धनराशि (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का अलग-अलग उल्लेख नहीं किया गया है, उन मामलों में भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पेंशन एवं अनुमन्य राहत का भुगतान सुनिश्चित करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

4. ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या जी–3–50/दस/96, दिनांक 19/2/96 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

एफ0एन0 प्रधान

अनु सचिव।

––––––

संख्या सा–3–462/दस–2000

प्रेषक,

शिव प्रकाश,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वित्त नियंत्रक,

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 21 जून, 2000

विषय :–असाधारण पेंशन नियमावली, 1961 के स्वीकृत पेंशनों के संशोधन हेतु।

महोदय,

कृपया अपने अर्ध शासकीय पत्र संख्या–चार–2435–97 (ओ0सी0) दिनांक 06/01/2000 का संदर्भ ग्रहण करें जिनमें शासनादेश संख्या 1721/दस–308/97, दिनांक 23/12/1997 के क्रम में असाधारण पेंशन के संशोधन हेतु जानकारी चाही गयी है। दिनांक 31/12/95 को जो असाधारण पेंशन संबंधित पेंशनर को प्राप्त हो रही थी उसके दो अंश थे –

1. अंतिम आहरित वेतन में मूल वेतन का अंश।
2. उस पर देय मँहगाई भत्ता/अंतरिम सहायता।

असाधारण पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में ''अंतिम आहरित वेतन के मूल वेतन के अंश को ही मूल पेंशन मानते हुए शासनादेश संख्या सा–3–1721/दस–308/97, दिनांक 23–12–97 के अनुसार इसका पुनरीक्षण किया जायेगा अर्थात ऐसी मूल पेंशन पर 1510 मूल्य सूचकांक पर आधारित महँगाई राहत(148% अथवा 96% जैसी भी स्थिति हो) तथा अंतरिम राहत की प्रथम एवं द्वितीय किश्त एवं वैसी मूल पेंशन का 40% अतिरिक्त धनराशि जोड़कर जो धनराशि आयेगी वह 1–1–96 से मूल असाधारण पेंशन मानी जायेगी और भविष्य में इसी पर यथा अनुमन्य महँगाई राहत देय होगी। कृपया तदनुसार पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

शिव प्रकाश

संयुक्त सचिव।

संख्या 2624पी / छः–पु–6–2000–1198 / 99

प्रेषक,

रूद्र कुमार गुप्ता,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक : नवम्बर, 2000

विषय :– पुलिस विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3239पी / छ–पु–6–90–1744 / 90, दिनांक 6 फरवरी, 1991 तथा शासनादेश संख्या 3566पी / छ–पु–6–93–1154 / 90, दिनांक 15 जनवरी, 1994 एवं शासनादेश संख्या 4343पी / छ–पु–6–99–1198 / 99, दिनांक 3 दिसम्बर, 1999 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल विशेष जोखिमपूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते हुये दिवंगत होने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों को उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 3 दिसम्बर, 1999 द्वारा स्वीकृत अनुग्रह धनराशि, जो वर्तमान में वर्ग–1 / 2 / 3 / 4 के अधिकारियों कर्मचारियों के लिये क्रमशः रूपये 2,00,000 / – (दो लाख) रू0 1,60,000 / – (रू0 एक लाख साठ हजार मात्र) रू0 1,20,000 / – (रू0 एक लाख बीस हजार) एवं रू0 80,000 / – (रू0 अस्सी हजार मात्र) अनुमन्य है, के स्थान पर, मृत पुलिस कर्मियों के परिजनों को चार श्रेणियों में विभाजित करने के बजाय, एक ही श्रेणी में मानते हुये अर्थात बिना श्रेणी भेदभाव के उन्हें प्रदान की जाने वाली अनुग्रह धनराशि रू0 2,50,000 / – (रू0 दो लाख पचास हजार मात्र) दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त संशोधित अनुग्रह धनराशि इस शासनादेश के जारी होने की तिथि तथा इसके पश्चात् होने वाली घटनाओं में ही देय होगी। उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित अन्य समस्त शर्तें यथावत् रहेंगी।

3–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या सा–3–1333 / दस–2000 दिनांक 24 नवम्बर, 2000 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रूद्र कुमार गुप्ता
संयुक्त सचिव।

संख्या सा0–3–435/दस–2007

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 7 मई, 2007

विषय :– उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961 के अन्तर्गत स्वीकृत असाधारण पेंशन की अवधि समाप्ति के उपरान्त साधारण पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने संबंधी दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, गृह विभाग (पुलिस) को सम्बोधित आपके पत्रांक–पी–आर/असाधारण पेंशन/238, दिनांक 16 जून, 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 पुलिस असाधारण पेंशन नियमावली–1961 के नियम–10 की अनुसूची में असाधारण पेंशन के पश्चात् साधारण पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रक्रिया दी हुई है उसे दृष्टिगत रखते हुए आपके उक्त संदर्भित पत्र के साथ संलग्न उदाहरण संख्या–2 (छायाप्रति संलग्न) में दी गयी गणना की पुष्टि की जाती है। कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

Fixation of pay and calculation of Family Pension in one case of Smt. Samim Bano W/o Late Alimuddin, PPO BDN/31475 (C.No. 216987/82-83) after the expiry of extra ordinary Pension admissible upto 31.10.2000 (date of Superanuation) while fixing Civil Family Pension By A.G. (A&E)-II, U.P. Allahabad.

National Pay Fixation as on 1.1.86

Date of Death	:	9.1.1982
Date of Retirement if Govt.	:	
Servant had survived	:	31.10.2000
Pay as on 9.1.1982	:	Rs. 520/-
Scale of Pay as on 9.1.1982	:	Rs. 430-12-490-15-580-640-EB-15-685
Revised scale as on 1.1.86	:	Rs. 1320-30-1560-40-2040

1. Pay	520.00
2. DA/ADA 603 Point	436.80
3. National Increment	15.00
4. 33.3% of 1+3	178.20
5. Total	1150.00
6. Next Higher Stage Rs. 1320/- Minimum of the revised scale of Pay as on 1.1.1986. Revised Pay Scale as on 1.1.96 Rs. 4000-100-6000	

Pay Fixed as on 1.1.1996
Minimum of the scale- 4000/-

1. Civil family Pension. $4000 \times \frac{30}{100} = 1200$

2. half of the Basic Pay $4000 \times \frac{50}{100} = 2000$

family Pension 1/2 of the Basic Pay or Double of Family pension which ever is less upto seven years from the date of retirement or 65 Years of age which ever is earlier.
The family Pension fixed as below :
Rs. 2000/- from 1.11.2000 to 31.10.2007 thereafter Rs. 1200/- p.m. till death or remarriage whichever is earlier.

Sr. Accounts Officer/PR-1

संख्या 9/2015–सा–3–575/दस–2015–10 एल0सी0/2015

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 17 जून, 2015

विषय :– उत्तर प्रदेश पुलिस असाधारण नियमावली–1961 के अन्तर्गत स्वीकृत असाधारण पेंशन की अवधि समाप्ति के उपरान्त पेंशन पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद को सम्बोधित शासन के पत्र संख्या–सा–3–435/दस–2007, दिनाँक 07 मई, 2007 जिसमें असाधारण पेंशन की समाप्ति पर पारिवारिक पेंशन की गणना से संबंधित संलग्न उदाहरण–2 की पुष्टि करते हुए पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है, के संदर्भ में कतिपय मृतक आश्रित विधवाओं द्वारा दिये गये आवेदन–पत्रों पर सम्यक विचारोपरान्त अवगत कराना है कि उ0प्र0 पुलिस असाधारण पेंशन नियमावली–1961 के नियम–10 की अनुसूची में असाधारण पेंशन के पश्चात् साधारण पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया दी गयी है, जिसके अनुसार विधवा को मिलने वाली असाधारण पेंशन की अवधि समाप्त हो जाने पर पारिवारिक पेंशन उस धनराशि के बराबर हो जायेगी जो मृत पुलिस कर्मचारी यदि उसकी मृत्यु न हुई होती, तो तत्समय लागू पेंशन नियमों के अनुसार पाता अर्थात् उसकी पेंशन अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर होगी।

2–इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा–3–435/दस–2007, दिनाँक 07 मई, 2007 के साथ संलग्न उदाहरण उपर्युक्त व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। अतः उक्त उदाहरण को सदैव से विलोपित समझा जाये तथा पुलिस असाधारण पेंशन नियमावली की अनुसूची–10 की व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाये।

3–उक्त संदर्भित शासनादेश दिनाँक 07–05–2007 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

अध्याय–16

पेंशनरी लाभों हेतु सेवाओं के जोड़े जाने सम्बन्धी शासनादेश

संख्या सा–3–728 / दस–98–901–98

प्रेषक,

श्री आलोक रंजन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 10 जुलाई, 1998

विषय :– राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्तशासी निकायों में संविलियन मांगने वाले केन्द्रीय सरकारी तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में संविलियन मांगने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के प्रयोजन से सेवा का गिना जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस राज्य सरकार में यह व्यवस्था विद्यमान है कि केन्द्र सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर आता है या उन्हीं परिस्थितियों में राज्य सरकार का कर्मचारी भारत सरकार के कार्यालय में जाता है, तो जहाँ से वह सेवानिवृत्त होगा वही सरकार उसके नैवृत्तिक लाभों का भुगतान करेगी। काफी समय से यह मांग की जा रही है कि केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में या राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आए या सीधे सेवा ग्रहण करे या उन्हीं परिस्थितियों में केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी भारत सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में प्रतिनियुक्ति पर या सीधी भर्ती से जाये तो उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर नैवृत्तिक लाभ दिये जायें। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के अन्तर्गत ही राज्य सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार के ऐसे उपक्रम / निगम में स्थानान्तरण / सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति के आधार पर जाता है या उन्हीं परिस्थितियों में राज्य सरकार के उपक्रम / निगम का कर्मचारी राज्य सरकार में आता है तो प्रश्नगत सुविधा उन्हें उपलब्ध करायी जाये।

2–शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार का कर्मचारी भारत सरकार के उपक्रम / निगम में स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति के आधार पर जाता है और संविलीन हो जाता है या उसी परिस्थिति में भारत सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार के उपक्रम / निगम में आता है और संविलीन हो जाता है तो यदि दोनों पद पेंशनेबुल हैं तो उसके द्वारा दोनों पदों पर की गई अर्ह सेवा के योग पर नैवृत्तिक लाभ अनुमन्य होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के अन्तर्गत ही राज्य सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार के उपक्रम / निगम में स्थानान्तरण / सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति के आधार पर जाता है या राज्य सरकार में आता है, जहां राज्य सरकार के संबंधित उपक्रम / निगम में पेंशन की सुविधा उपलब्ध हो एवं संबंधित कर्मचारी का संविलियन सेवानिवृत्त होने वाले उपक्रम / निगम / सरकार में हो गया हो, तो यदि दोनों ही पद पेंशनेबुल हो, तो उसके द्वारा दोनों पदों पर की गई अर्ह सेवा पर नैवृत्तिक लाभ अनुमन्य होंगे और दानों अवधियों को जोड़कर सेवा नैवृत्तिक लाभों का भुगतान उसी संस्थान / सरकार द्वारा किया जायेगा जहां से वह अन्तिम रूप से सेवानिवृत्त हो रहा है। इस प्रकार के मामलों में कर्मचारी पर वही पेंशन नियम लागू होंगे जैसी कि उस सरकार / उपक्रम / निगम में लागू हों–

(1) जब किसी पेंशनयुक्त संगठन में कार्य कर रहें राज्य सरकार के किसी कर्मचारी को किसी स्वायत्त निकाय में संविलियन की अनुमति दी जाती है तो उसके द्वारा सरकार के अधीन की गयी सेवा को स्वायत्त निकाय के अधीन पेंशन के लिए आगणित कराने की अनुमति होगी चाहे उक्त कर्मचारी सरकार में अस्थायी रहा हो अथवा स्थायी किन्तु पेंशन संबंधी सुविधायें केवल

तभी मिलेंगी जबकि अस्थायी सेवा के बाद उनका स्थायीकरण हो गया हो। यदि वह स्वायत्तशासी निकाय में अस्थायी कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त हो जाता है तो उस समय प्रसुविधायें उसी प्रकार मिलेंगी जो सामान्यतः सरकार के अधीन अस्थायी कर्मचारियों को उपलब्ध हैं। स्वायत्त निकायों के जो कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन स्थायी तौर पर संविलीन हो जाते हैं उनके मामलों में भी वही क्रियाविधि लागू होगी।

स्वायत्त निकाय/सरकार में जैसा भी मामला हो संविलियन की तारीख तक की सेवा के लिए अनुपातिक दरों पर पेंशन/सेवा उपादान/सेवान्त उपादान तथा मृत्यु और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं का भुगतान करके सरकार/स्वायत्त निकाय अपने पेंशन दायित्व को पूरा करेगी। अनुपातिक दरों पर पेंशन की राशि समय–समय पर यथासंशोधित शासनादेशों को ध्यान में रखकर निश्चित की जायेगी।

(2) अंशदायी भविष्य निधि प्रसुविधाओं का हकदार कर्मचारी यह विकल्प देगा कि वह या तो स्वायत्तशासी निकाय से मिलने वाली अंशदायी भविष्य निधि प्रसुविधायें प्राप्त करेगा अथवा उसे राज्य सरकार के राजकोष में जमा करेगा और राज्य सरकार में पेंशन के लिए अर्ह सेवा के रूप में गिने जाने का विकल्प देगा। इसी प्रकार से सरकारी सेवक स्वायत्त निकाय की सेवा में योगदान करने पर शासन के अधीन सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि संबंधित स्वायत्त निकाय को भुगतान कर दी जायेगी। ऐसा विकल्प संविलियन की तारीख से एक वर्ष के भीतर दिया जा सकेगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह मान लिया जायेगा कि कर्मचारी ने अंशदायी भविष्य निधि/सामान्य भविष्य निधि प्रसुविधायें प्राप्त करने के लिए विकल्प दे दिया है। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

(3) जब किसी स्वायत्तशासी निकाय के किसी कर्मचारी को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधीन स्थायी तौर पर संविलीन कर दिया जाता है तो उसके सामने दो विकल्प रहेंगे अर्थात् या तो वह स्वायत्तशासी निकाय द्वारा देय अंशदायी भविष्य निधि प्रसुविधायें प्राप्त कर ले और सरकार में नये सिरे से नौकारी शुरू करे या अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान और उस पर देय ब्याज सहित सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार के खाते में जमा कर दे और सरकार के अधीन पेंशन प्रयोजनों हेतु अर्ह सेवा के रूप में जुड़वाने का विकल्प दे दे। यह विकल्प संविलियन की तारीख से एक वर्ष के भीतर दिया जायेगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह समझ लिया जायेगा कि कर्मचारी ने अंशदायी भविष्य निधि/सामान्य भविष्य निधि प्रसुविधायें प्राप्त करने का विकल्प दिया है। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

3–राज्य सरकार के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 7 फरवरी, 1986 से प्रभावी माने जायेंगे।

आज्ञा से,

आलोक रंजन

सचिव, वित्त।

—————

संख्या सा–3–1984/दस–2001–901–98

प्रेषक,

मनजोत सिंह,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 28 दिसम्बर, 2001

विषय :– राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्तशासी निकायों में संविलियन माँगने वाले केन्द्रीय सरकारी तथा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में संविलियन माँगने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के प्रयोजन से सेवा का गिना जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या सा–3–728/दस–901–98, दिनांक 10 जुलाई, 1998 के प्रथम प्रस्तर में यह व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर जाता है या उन्हीं परिस्थितियों में राज्य सरकार का कर्मचारी भारत सरकार के कार्यालय में जाता है, तो जहाँ से वह सेवानिवृत्त होगा वहीं सरकार उसके सेवानैवृत्तिक लाभों का भुगतान करेगी। उक्त शासनादेश दिनांक 10 जुलाई, 1998 में यह भी व्यवस्था की गयी है कि केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में या राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आए या सीधे सेवा ग्रहण करें या उन्हीं परिस्थितियों में केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी भारत सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में प्रतिनियुक्ति पर सीधी भर्ती से जायें तो उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर नैवृत्तिक लाभ दिये जाएं। उपर्युक्त उल्लिखित स्थिति से स्पष्ट है कि शासकीय व्यवस्था ''स्वायत्तशासी निकाय'' जहाँ पेंशन व्यवस्था लागू है, में लागू की गयी हैं। परन्तु उक्त आदेश दिनांक 10 जुलाई, 1998 में कतिपय स्थानों पर स्वायत्तशासी निकाय के स्थान पर ''निगम/उपक्रम'' शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि भारत सरकार ने स्पष्ट व्यवस्था की है कि ''उपक्रम/निगम'' के कर्मचारियों की सेवा पेंशन हेतु आगणित नहीं की जाएगी। इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 10 जुलाई, 1998 की व्यवस्था ''स्वायत्तशासी निकाय'' में लागू की जानी है, ''उपक्रम/निगम'' में नहीं। अतएव शासनादेश में जहाँ–जहाँ ''निगम/उपक्रम'' शब्द का प्रयोग किया गया है उसे सदैव से विलोपित किया गया समझा जाए और उसके स्थान पर ''स्वायत्तशासी निकाय'' शब्द स्थापित माना जाए।

2–''स्वायत्तशासी निकाय'' का आशय ऐसे निकाय से है जिसका वित्त पोषण पूर्णतः अथवा उसके 50% से अधिक के व्यय की पूर्ति राज्य सरकार के अनुदानों से होती है। स्वायत्तशासी निकाय में राज्य सरकार के संविधिक निकाय सम्मिलित होंगे परन्तु राज्य सरकार की वित्तीय संस्थायें/बैंक शामिल नहीं होंगे। इस शासनादेश की व्यवस्था के अधीन केवल उसी सेवा को जोड़ा जाएगा जो कि सरकार/स्वायत्तशासी निकाय के संगत नियमों के अधीन पेंशन के लिए अर्हक मानी जाती है।

3–शासनादेश संख्या सा–3–728/दस–98–901–98, दिनांक 10 जुलाई, 1998 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,
मनजीत सिंह
सचिव, वित्त।

संख्या सा–3–950 / दस–2006–901–98

प्रेषक,

मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 20 जुलाई, 2006

विषय :– **राज्य सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के राजकीय सेवा में आने से पूर्व की गयी सेवा को पेंशन के प्रयोजनार्थ आगणित किया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सहायता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों, माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा बहुधन्धी संस्थाओं में शिक्षक / शिक्षणेतर कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके तथा बाद में राजकीय सेवा में प्रवेश पाये कर्मचारियों / अधिकारियों द्वारा उपरोक्त प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में की गयी सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ जोड़ने हेतु वित्त विभाग को संदर्भित किये जा रहे प्रकरणों पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य से सहायता प्राप्त ऐसी अशासकीय शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं जिनके शिक्षकों / शिक्षणेतर कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की भांति पेंशन की सुविधा प्राप्त है तथा उसका भुगतान राजकोष से किया जाता है, उनके शिक्षकों / शिक्षणेतर कर्मचारियों को राजकीय सेवा में आने की दशा में उनकी पूर्व सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ निम्न शर्तों के अधीन आगणित किए जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :–

(1) सहायता–प्राप्त अशासकीय शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में की गयी सेवा की ऐसी अवधि, जो राज्य कर्मचारियों के समान पेंशन हेतु अर्ह हो, को सामान्य शर्तों के अधीन पेंशन प्रयोजनार्थ आगणित किया जाएगा परन्तु ऐसी सेवा अवधि, जो अंशदायी भविष्य निधि योजना से आच्छादित हो, उसका केवल वही अंश पेंशन प्रयोजनार्थ आगणित किया जाएगा जिसमें शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा वास्तव में निधि में अंशदान किया गया हो, और सेवायोजक द्वारा निधि में किये अंशदान की धनराशि अद्यतन ब्याज सहित राजकोष में जमाकर दी गयी हो।

(2) उपरोक्त सुविधा प्रदान करने से जहाँ किसी राजकीय कर्मचारी / अधिकारी को अनुमन्य पेंशन की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो ऐसी बढ़ी हुई दर से पेंशन का भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि या शासनादेश जारी होने की तिथि जो भी बाद में हो, से देय होगा।

2–उपर्युक्त प्रकार के मामलों में पूर्व सेवा की गणना हेतु आवश्यक आदेश शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जाएंगे।

भवदीय,
मनजीत सिंह
प्रमुख सचिव, वित्त–II।

―――――

संख्या 17/2019/सा–3–346/दस–2019–933–89

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्या सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभाग, उ0प्र0 सचिवालय।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 30 अप्रैल, 2019

विषय :– सेवानैवृत्तिक लाभों के लिये सेवाओं का जोड़ा जाना।

महोदय,

राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग में कार्यरत किसी सरकारी सेवक द्वारा, संबंधित विभाग में नियुक्त होने के पूर्व अन्यत्र की गयी पेंशनेबल सेवाओं को उसकी वर्तमान/अन्तिम सेवा के साथ पेंशनरी लाभों के प्रयोजनार्थ जोड़े जाने संबंधी प्रस्ताव प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग को संदर्भित किये जाते हैं। इन प्रस्तावों में प्रायः कतिपय आवश्यक सूचनायें एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब होता है।

2–अतः समस्त प्रशासकीय विभागों से अनुरोध है कि पेंशनरी लाभों के प्रयोजनार्थ सेवाओं को जोड़े जाने के प्रस्ताव इस शासनादेश के साथ संलग्न प्रपत्र में उल्लिखित विवरणों को पत्रावली की नोटिंग साइड पर अंकित करते हुए पत्रावली वित्त विभाग को संदर्भित की जाये।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

———

शासनादेश संख्या 17/2019/सा–3–346/दस–2019–933/89, दिनांक 30 अप्रैल, 2019 का संलग्नक

1–वर्तमान सेवा का विवरण	
(1) कर्मचारी का नाम	
(2) पदनाम एवं वेतनमान	
(3) कार्यालय/विभाग	
(4) जन्म तिथि	
(5) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	
(6) नियुक्ति प्राधिकारी	
(7) नियुक्ति पत्र की संख्या एवं दिनांक	
(8) अधिवर्षता की तिथि	
2–पूर्व सेवा का विवरण	
(9) कर्मचारी का नाम	
(10) पदनाम एवं वेतनमान	

(11) कार्यालय / विभाग का नाम	
(12) नियुक्ति प्राधिकारी	
(13) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	
(14) कार्यभार छोड़ने की तिथि	
(15) क्या पूर्व की सेवायें पेंशनेबल थी	
(16) क्या पूर्व में तदर्थ / कार्यप्रभारित / संविदा / सीजनल / नियत वेतन पर सेवा की गयी ? यदि हां, तो विवरण दिया जाये। (विनियमितीकरण आदेश की प्रतिलिपि संलग्न की जाये)	
(17) क्या पूर्व सेवाओं में अवैतनिक अवकाश लिया गया था? यदि हां, तो विवरण दिया जाये।	
(18) क्या दो सेवाओं के मध्य व्यवधान रहा है? यदि हां, तो–	
(I) व्यवधानों की अवधि तिथि सहित।	
(II) व्यवधान का कारण।	
(III) क्या व्यवधान का मर्षण प्रस्तावित है?	
(19) क्या पूर्व सेवा में ब्रेक-इन-सर्विस रही है? यदि हां, तो तत्संबंधी आदेश संलग्न किया जाये।	
(20) क्या दण्ड स्वरूप किसी सेवा अवधि को ड्यूटी पर नहीं माना गया है? यदि हां तो अवधि इंगित की जाये तथा तत्संबंधी आदेश संलग्न किया जाये।	
(21) सत्यापित सेवा पुस्तिका संलग्न की जाये।	
3–विभाग की संस्तुति	

हस्ताक्षर : —————————— —————————— ——————————
——————

सेवा जोड़े जाने विषयक संगत नियम एवं शासनादेशों की संदर्भ सूची–

1–उ0प्र0 सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद–	
(1) अनुच्छेद–361	अर्हकारी सेवा की शर्तें
(2) अनुच्छेद–368	अर्हकारी सेवा हेतु मौलिक नियुक्ति की अनिवार्यता
(3) अनुच्छेद–370	कार्यप्रभारित अधिष्ठान, कन्टिन्जेन्सी से भुगतानित सेवाओं एव नॉन पेंशनेबल अधिष्ठान की सेवाओं को अर्हकारी सेवाओं में न जोड़ा जाना
(4) अनुच्छेद–422	सेवाओं मे व्यवधानों का मर्षण
2–शासनादेश संख्या एवं दिनांक	
(1) सा–3–1152 / दस–915–89, दिनांक 1 जुलाई, 1989	अस्थायी सेवा को अर्हकारी सेवा के रूप में आगणित किया जाना
(2) सा–3–1713 / दस–87–933–89, दिनांक 28 जुलाई, 1989	सामान्य दिशा निर्देश

(3) सा–3–728 / दस–98–901–98, दिनांक 10 जुलाई, 1998	राज्य सरकार की सेवा से स्वायत्त निकाय की सेवा में संविलीन होने वाले कार्मिकों अथवा स्वायत्त निकाय से राज्य सरकार की सेवा में संविलीन होने वाले कार्मिकों के प्रकरण
(4) सा–3–1984 / दस–2001–901–98, दिनांक 28 दिसम्बर, 2001	सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों की सेवाओं को राजकीय सेवाओं के साथ न जोड़ा जाना।
(5) सा–3–950 / दस–2006–901–98, दिनांक 20 जुलाई, 2006	राज्य सरकार से सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में की गयी सेवा को राजकीय सेवा के साथ जोड़ा जाना।

अध्याय-17

पेंशनरी अंशदान सम्बन्धी शासनादेश

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–1

———

शासनादेश संख्या जी–1–1850/दस–534–(10)–82

लखनऊः दिनांक 17 नवम्बर, 1989

———

कार्यालय–ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों की सार्वजनिक उपक्रमों आदि में बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति के दौरान देय पेंशन के सम्बन्ध में पेन्शनरी अंशदान की गणना किया जाना।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा नैवृत्तिक लाभों के प्रयोजन के लिए उनके पेंशनरी अंशदान को वाह्य सेवायोजक से वित्त (सामान्य) अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या जी–1–597/दस–50–534 (10)–59, दिनांक 21 जुलाई, 1980 के अनुसार वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग दो–चार के मूल नियम 9 (21) के अधीन परिभाषित वेतन के अधिकतम तथा उक्त अधिकतम के अनुरूप इंगित ''महंगाई वेतन'' जिसे सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी वाह्य सेवा पर भेजे जाने के समय उसके द्वारा धारित सरकारी पद पर प्राप्त कर रहा हो अथवा जिसे वह वाह्य सेवा के दौरान ''प्रोफार्मा'' प्रोन्नति की दशा में पाये, को जोड़ कर वित्तीय नियमावली खण्ड–2, भाग 2–4 के मूल नियम 116 में इंगित दरों पर वसूल किए जाने का प्राविधान है।

2–समता समिति, 1989 की संस्तुतियों के अनुसार दिनांक 1–1–1986 से शासन द्वारा सरकारी सेवकों के वेतनमान पुनरीक्षित कर दिये गए हैं। समता समिति की संस्तुतियों और वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सा0 3–1168/दस–935–87, दिनांक 22 जून, 1987के अनुसार पेंशन का आगणन दिनांक 1–1–1986 से उस वेतन, जैसा कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2, भाग दो–चार के मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित है, पर किया जायेगा। अतएव, राज्यपाल महोदय ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों की वाह्य सेवा की सक्रिय सेवा अवधि के पेंशनरी अंशदान की वाह्य सेवा पर भेजे जाने के समय धारित पद के पुनरीक्षित वेतनमान अथवा वाह्य सेवा के दौरान ''प्रोफार्मा'' प्रोन्नति की दशा में देय वेतन जैसा कि उपर्युक्त मूल नियम 9 (21)(1) में परिभाषित है, के अधिकतम पर आगणित करने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करते हैं कि प्रादेशिक स्वास्थ्य सेवा, प्रादेशिक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा, उत्तर प्रदेश दन्त शल्य चिकित्सा सेवा के अधिकारियों तथा राजकीय मेडिकल कालेजों के अध्यापकों जिन्हें प्रैक्टिस बन्दी भत्ता अनुमन्य है और जिसे पेंशनरी लाभ के लिये चिकित्सा अनुभाग 14 के शासनादेश संख्या 5584/से0–14/पाँच–89, दिनांक 31 अगस्त 1986 द्वारा वेतन का अंग माना गया है, के वेतन के अधितकम में उक्त भत्ते को जोड़कर पेंशनरी अंशदान का आगणन मूल नियम 116 में इंगित दरों पर किया जायेगा।

3–ये आदेश 1 जनवरी, 1986 से प्रभावी माने जायेंगे। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो 1 जनवरी, 1986 को अथवा उसके पूर्व वाह्य सेवा पर कार्यरत हैं, उनके सम्बन्ध में उनके द्वारा पैतृक विभाग के पुनरीक्षित वेतनमान के चुनने के विकल्प के दिनांक से प्रस्तर 2 में इंगित व्यवस्था के अनुसार पेंशनरी अंशदान की गणना की जायेगी। बाद की अवधि के मामलों में भी उपर्युक्त आदेश लागू होंगे।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

भवदीय,
सोमदत्त त्यागी
सचिव।

संख्या जी–1194/दस–2001–534(1)–93

प्रेषक,

श्री वी0 के0 शर्मा
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 29 मई, 2001

विषय :– पेंशन/अवकाश वेतन अंशदान जमा कराने विषयक।

महोदय,

यदि कोई सरकारी कर्मचारी/अधिकारी किसी निगम/सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय अथवा किसी भी स्वायत्वशासी संस्था में वाह्य सेवा पर स्थानान्तरित होता है तो उसकी वाह्य सेवावधि का पेंशन/अवकाश वेतन अंशदान, वाहय सेवायोजक/संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा जमा किया जाना अपेक्षित होता हैं। पेंशनरी अंशदान जमा न होने पर संबंधित अवधि पेंशन हेतु अर्ह नहीं मानी जाती है। वाह्य सेवा पर जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की वाह्य सेवावधि का पेंशन अंशदान समय से जमा नहीं होता है जिसके कारण सेवानिवृत्ति के समय इन अधिकारियों/कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन प्राप्त नही हो पाती है तथा इसमें उनका कोई दोष न होते हुए भी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाह्य सेवा पर स्थानान्तरित होने वाले सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वाह्य सेवावधि का पेंशन/अवकाश वेतन अंशदान जमा कराया जाना सुनिश्चित करने का दायित्व उनके अधिष्ठान का कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासकीय विभाग का होगा तथा यह उनका व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बाद 15 अप्रैल तक यह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित अधिकारी का पेंशन/अवकाश वेतन अंशदान जमा हो गया है। पेंशन/अवकाश वेतन अंशदान की दरों से कर्मचारी/अधिकारी के वाह्य सेवा पर स्थानान्तरित होते समय ही वाह्य सेवायोजक को अवगत करा दिया करें तथा प्रत्येक वर्ष नियमित अनुश्रवण करें। यह सुनिश्चित करें कि समय से अर्थात 15 अप्रैल तक पिछले वर्ष की वाह्य सेवा अवधि का पेंशन/अवकाश वेतन अंशदान जमा हो चुका हो किन्तु किन्हीं कारणों वश उक्त अंशदान 15 अप्रैल तक न जमा हुआ हो तो प्रशासकीय विभाग/सबंधित प्रशासनिक अधिकारी वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड–2, 2–4 के सहायक नियम 185 में निर्धारित दर पर ब्याज भी जमा कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। प्रशासकीय विभाग/अधिष्ठान का कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वाह्य सेवायोजक से नियमित रूप से यथासंभव अंशदान जमा कराते रहें तथा इसकी प्रविष्टि सेवापुस्तिका में भी नियमित रूप से की जाती रहे। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित कर्मचारी/अधिकारी की सेवानिवृत्ति के समय वाह्य सेवावधि का पेंशन/अवकाश वेतन अंशदान जमा किये जाने से संबंधित पूर्ण सूचना स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हुए पेंशन प्राधिकार पत्र में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार अंकित की जाये।

3–शासनादेश संख्या सा–3–1713/दस–89–933/89, दिनांक 28 जुलाई 1989 के प्रस्तर 4 (ख) की व्यवस्था के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि विभागाध्यक्ष नियमित रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि संबंधित कार्मिक अपनी सेवा की किसी अवधि में राजकीय सेवा में न होकर सार्वजनिक

उपक्रम में कार्यरत रहा है तो उस अवधि का पेंशन/अवकाश वेतन अंशदान नियमित रूप से राजकीय कोषागार में जमा किया गया हो। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 1995 में निर्धारित समय सारिणी का अनुपालन किया जा रहा है। उपर्युक्त कार्यवाही के साथ पेंशन प्रपत्रों को बनाते हुए उनको समय से स्वीकर्ता अधिकारी को भेजने की कार्यवाही की जायेगी। स्वीकर्ता अधिकारी, संबंधित कार्मिक की सार्वजनिक उपक्रम की तैनाती की अवधि के लिए पेंशन/अवकाश वेतन अंशदान को राजकीय कोषागार में जमा किये जाने की पुष्टि करेंगे। यदि उक्त आशय की पुष्टि नहीं होती है तो स्वीकर्ता अधिकारी पेंशन स्वीकृत करते समय, उक्त अवधि के लिए पेंशन स्वीकृत नही करेंगे जिस अवधि के लिए अंशदान जमा नही हैं। यदि कालान्तर में उक्त अंशदान जमा होने की पुष्टि हो जाती है, तो उक्त अवधि के लिए पेंशन आदि स्वीकृति कर दी जायेगी।

भवदीय
वी0के0 शर्मा
सचिव।

संख्या जी–1–404/दस–2004–534(11)–93

प्रेषक,

रीता शर्मा
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 28 अप्रैल, 2004

विषय :– प्रदेश शासन के अधीन गठित कतिपय उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में वाहय सेवा पर भेजे गये सरकारी अधिकारियों के मामले में वाह्य सेवा अवधि से संबंधित पेंशनरी अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान से छूट प्रदान किया जाना।

महोदय,

यदि कोई सरकारी कर्मचारी/अधिकारी किसी निगम/स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों में वाहय सेवा पर स्थानान्तरित होता है तो उसकी वाहय सेवा अवधि का पेंशन/अवकाश वेतन अंशदान वाह्य सेवायोजक संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा जमा किया जाना अपेक्षित होता है। पेंशनरी अंशदान जमा न होने पर संबंधित अवधि पेंशन हेतु अर्ह नहीं मानी जाती है। वाह्य सेवा पर जाने वाले कर्मचारी/अधिकारियों की वाह्य सेवा अवधि का पेंशन/अंशदान समय से जमा नहीं होता है इसके कारण सेवानिवृत्ति के समय इन कर्मचारियों/अधिकारियों को पूर्ण पेंशन प्राप्त नहीं हो पाती। शासन के संज्ञान में यह तथ्य भी आया है कि कई एक मामलों में वाह्य सेवायोजक संस्थान/उपक्रम/निगम आदि जो प्रदेश शासन के अधीन गठित हुए थे और जो अब सक्षम स्तर के आदेशों के अन्तर्गत परिचालन में नहीं रह गये हैं अथवा शासकीय नियंत्रण के बाहर चले गये है और उनमें जो सरकारी सेवक वाह्य सेवा पर भेजे गये थे उनके बारे में यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है कि उनकी ऐसी सेवा अवधि के संबंध में पेंशनरी अंशदान एवं अवकाश वेतन अंशदान जमा हुआ है अथवा नहीं।

2– वाह्य सेवा अवधि से संबंधित पेंशनरी अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान जमा होने की पुष्टि न होने के कारण वाह्य सेवा पर भेजे गये ऐसे सरकारी सेवकों के सेवानैवृत्तिक देयकों के निर्धारण में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

3–उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रतिनियुक्ति/ वाह्य सेवा पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये है :–

(1) उ0प्र0 मूल नियम के नियम 119 में प्रदेश शासन को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी विशेष मामले में अथवा किसी विशेष श्रेणी के मामलों में पेंशनरी अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान के भुगतान से छूट प्रदान कर दें। अतः उपरोक्त प्रकार के मामलों में प्रभावित सरकारी सेवकों को पेश आ रही कठिनाई के निराकरण हेतु प्रदेश शासन के अधीन गठित ऐसे स्वायत्तशासी संस्थानों, उपक्रमों, निगमों आदि, जो सक्षम स्तर के आदेशों के अन्तर्गत परिचालन में नहीं है अथवा शासन के अधीन नहीं रह गये हैं, में वाह्य सेवा पर भेजे गये अधिकारियों के मामलों में उपरोक्त अंशदान के भुगतान से छूट प्रदान कर दी जाये। ऐसी छूट संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा संगत तथ्यों की पुष्टि करते हुए वित्त विभाग के पूर्व परामर्श से अपने विभागीय मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से प्रदान की जायेगी।

(2) देश के भीतर वाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति पर भेजने वाले विभाग के लिये यह अनिवार्य होगा कि प्रतिनियुक्ति/वाहय सेवा स्थानान्तरण के आदेश जारी होने के एक माह के भीतर वह (पैतृक विभाग) प्रतिनियुक्ति शर्तें निर्गत करेंगे तथा इन शर्तों में यह शर्त अनिवार्य रूप से शामिल होगी कि प्रतिनियुक्ति/ वाह्य सेवा अवधि से संबंधित पेंशनरी अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान के नियमित भुगतान का उत्तरदायित्व वाह्य सेवायोजक का होगा तथा प्रतिनियुक्ति/ वाह्य सेवा की शर्तें सूचित किये जाने के दो माह के भीतर वाह्य सेवायोजक से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त न होने पर यह मान लिया जायेगा कि उन्हें (वाह्य सेवायोजक) शर्तें मान्य हैं।

(3) शासन के समस्त प्रशासकीय विभाग इस बात की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे कि वाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये सरकारी सेवक का पेंशन अंशदान/अवकाश वेतन अंशदान समय से राज्य सरकार को प्राप्त हो रहा है। अंशदान नियमित रूप से प्राप्त न होने की दशा में संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये सरकारी सेवक को वापस बुलाने पर विचार किया जायेगा।

4–इस संबंध में उत्तर प्रदेश मूल नियम के संबंधित नियमों में संशोधन यथा समय किया जायेगा।

भवदीय
रीता शर्मा
प्रमुख सचिव, वित्त।

————————

संख्या जी–1–885/दस–2006–534(11)–93

प्रेषक,

श्री शेखर अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, एवं
समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 9 नवम्बर, 2006

विषय :– प्रदेश शासन के अधीन गठित सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, विश्वविद्यालयों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों एवं सहकारी संस्थाओं में वाह्य सेवा पर भेजे गये सरकारी अधिकारियों के मामले में वाह्य सेवा अवधि से संबंधित पेंशनरी अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान से छूट प्रदान किया जाना।

महोदय,

यदि कोई सरकारी कर्मचारी/अधिकारी किसी सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, विश्वविद्यालयों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, जल संस्थानों, विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद एवं सहकारी संस्थाओं में वाह्य सेवा पर स्थानान्तरित होता है तो उसकी वाह्य सेवा अवधि का पेंशन/अवकाश वेतन अंशदान वाह्य सेवायोजक अथवा संबंधित सरकारी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जमा किया जाना अपेक्षित होता है। उक्त अंशदान की दरें कार्यालय ज्ञाप संख्या–जी–1–2700/दस–534(10)–82, दिनांक 15 दिसम्बर, 1982 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या जी–1–98/दस–534 (11)–93, दिनांक 26 फरवरी, 1994 द्वारा निर्धारित की गई है।

2– वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग 2–4 के मूल नियम 115 (ग) में यह प्राविधान है कि यदि कोई सरकारी सेवक वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है, तो उस अवधि का पेंशनरी/अवकाश वेतन अंशदान जमा करने का प्रथम दायित्व सम्बन्धित सरकारी सेवक का है, जब तक सम्बन्धित वाह्य सेवायोजक ऐसा अंशदान जमा करने के लिये सहमत न हो जाये। इस अंशदान के जमा होने की पुष्टि न होने पर सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के सेवानैवृत्तिक देयों के निर्धारण में कठिनाई आती है। ऐसी स्थिति में यदि वाह्य सेवावधि का पेंशन/अवकाश वेतन अंशदान सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी से जमा कराया जाता है, तो वह उसके लिये हानिकारक सिद्ध होता है।

3–वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग 2–4 के मूल नियम 119 के अन्तर्गत प्रदेश शासन को यह शक्ति प्राप्त है कि, वह किसी विशेष मामले में पेंशन/अवकाश वेतन अंशदान के भुगतान से छूट प्रदान कर दे। अतः प्रदेश शासन के अधीन गठित ऐसे स्वायत्तशासी संस्थान, उपक्रम, निगम, आदि जो सक्षम स्तर के आदेशों के अन्तर्गत परिचालन में नहीं है अथवा शासन के अधीन नहीं रह गये है, उनमें वाह्य सेवा पर भेजे गये सरकारी कर्मचारियों के मामले में शासनादेश संख्या जी–1–404/दस–2004–534(11)/93, दिनांक 28 अप्रैल, 2004 द्वारा, उपरोक्त अंशदान के भुगतान से छूट प्रदान की गई है, परन्तु इस सीमित छूट से सम्बन्धित पक्षों को अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।

4–उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, सार्वजनिक उपक्रम, निगमों, विश्वविद्यालयों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, जल संस्थानों, विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद एवं सहकारी संस्थाओं में वाह्य सेवा पर स्थानान्तरित होने वाले

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया है–

(1) प्रदेश शासन के अधीन गठित सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, विश्वविद्यालयों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं (जो अपने आवर्तक व्ययों का वहन करने के लिए पचास प्रतिशत से अधिक सीमा तक प्रदेश शासन से प्राप्त होने वाले अंशदान पर निर्भर हैं) स्थानीय निकायों/जल संस्थानों/विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद इत्यादि एवं सहकारी संस्थाओं में वाह्य सेवा पर भेजे गये सरकारी अधिकारियों के मामले में तत्काल प्रभाव से वाह्य सेवा अवधि से सम्बन्धित पेंशनरी अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान से छूट इस प्रतिबन्ध सहित प्रदान की जाती कि, इन उपक्रमों/संस्थाओं इत्यादि में वाह्य सेवा पर गये सरकारी अधिकारियों द्वारा उपयोग किए गए अवकाश के लिए नियमानुसार देय अवकाश के वेतन वाह्य सेवायोजक द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे निगमों/उपक्रमों, जो रूग्ण घोषित हैं अथवा जिनके नेटवर्थ ऋणात्मक है, उनमें सरकारी अधिकारियों की पूर्व की वाह्य सेवा अवधि से सम्बन्धित यदि कोई पेंशनरी अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान भुगतान हेतु लम्बित हैं, उसके भुगतान से छूट प्रदान की जाती है।

(3) लेखों के उचित रख–रखाव के हित में दिनांक 01–04–2005 से लागू नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अन्तर्गत उपरोक्त (1) में वर्णित श्रेणी के उपक्रमों/संस्थाओं/निकायों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों के सम्बन्ध में वाह्य सेवायोजक द्वारा देय अंशदान के संबंध में भी छूट प्रदान की जाती है अर्थात ऐसे अंशदान को जमा करने का दायित्व शासन द्वारा वहन किया जायेगा।

5. कार्यालय ज्ञाप संख्या–जी–1–2700/दस–534(10)–82, दिनांक 15 दिसम्बर, 1982 तथा जी–1–98/दस–534(11)–93, दिनांक 26 फरवरी, 1994 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

6. उक्त व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

भवदीय,
शेखर अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्या जी–1–828 / दस–2007–534(11)–93

प्रेषक,

श्री बी0एन0 दीक्षित
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–1 — लखनऊ : दिनांक : 13 जून, 2008

विषय :– प्रदेश के अधीन गठित सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों, विश्वविद्यालयों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों एवं सहकारी संस्थाओं में वाह्य सेवा पर भेजे गये सरकारी अधिकारियों के मामले में वाह्य सेवा अवधि से संबंधित पेंशनरी अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान से छूट प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या जी–1–885 / दस–2006–534(11)–93, दिनांक 09 नवम्बर, 2006 द्वारा प्रदेश शासन के अधीन गठित सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों, विश्वविद्यालयों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों एवं सहकारी संस्थाओं में वाह्य सेवा पर भेजे गये सरकारी अधिकारियों के मामले में वाह्य सेवा अवधि से संबंधित पेंशनरी अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान जमा कराये जाने से कतिपय शर्तों के अधीन छूट प्रदान की गयी है।

2–इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त संगठनों में वाह्य सेवा पर स्थानान्तरित अधिकारियों / कर्मचारियों के सम्बन्ध में यदि पेंशन / अवकाश वेतन अंशदान जमा कराये जाने से छूट प्रदान की गयी है, तो ऐसे प्रकरणों में निम्नांकित प्रमाण पत्र (यथावश्यकतानुसार) भी निर्गत किया जाना आवश्यक है ताकि उन अधिकारियों / कर्मचारियों के पेंशन भुगतानादेश जारी किए जाने में कोई कठिनाई न उत्पन्न हो:–

(1) पेंशन अंशदान एवं अवकाश वेतन अंशदान से छूट सम्बन्धी प्रमाण पत्र का प्रारूप।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती.. पदनाम...विभाग का नाम... में अवधि ....से...तक कार्यालय का नाम.. ....में वाह्य सेवा पर कार्यरत रहें हैं। उक्त विभाग शासनादेश संख्या जी–1–885 / दस–2006–534(11)–93, दिनांक 09 नवम्बर, 2006 के प्रस्तर 4 के उप प्रस्तर (1) में उल्लिखित श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण वाह्य सेवायोजक द्वारा देय पेंशनरी अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान जमा करने से इस शर्त के साथ छूट प्रदान की जाती है कि इस कर्मचारी / अधिकारी द्वारा उपयोग किए गए अवकाश के लिए नियमानुसार देय अवकाश वेतन वाह्य सेवायोजक द्वारा वहन किया जायेगा।

दिनांक.................................

हस्ताक्षर
सील
पदनाम / विभाग में कार्यरत
वरिष्ठतम लेखाधिकारी
विभाग / संस्था का नाम

(2) रुग्ण घोषित उपक्रमों के पेंशन अंशदान एवं अवकाश अंशदान से छूट सम्बन्धी प्रमाण पत्र का प्रारूप।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती... पदनाम...विभाग का नाम.. में अवधि ....से...तक कार्यालय का नाम.. ....में वाह्य सेवा पर कार्यरत रहें हैं। इस अवधि में विभाग का नेटवर्थ ऋणात्मक होने के कारण विभाग रुग्ण होने के कारण विभाग शासनादेश संख्या जी–1–885/दस–2006–534(11)–93, दिनांक 09 नवम्बर, 2006 के प्रस्तर 4 के उप प्रस्तर (2) में उल्लिखित श्रेणी के अन्तर्गत हैं। अतः इस विभाग को वाह्य सेवायोजक द्वारा देय पेंशनरी अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान जमा किए जाने से छूट प्रदान है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर

सील

पदनाम/विभाग में कार्यरत

वरिष्ठतम लेखाधिकारी

प्रतिहस्ताक्षर

विभाग/संस्था का नाम

विभागाध्यक्ष

3–शासनादेश संख्या जी–1–885/दस–2006–534(11)–93, दिनांक 09 नवम्बर, 2006 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

श्री बी0 एन0 दीक्षित

सचिव।

अध्याय–18

पेंशन प्रकरणों के प्रेषण/मानीटरिंग सम्बन्धी

शासनादेश

संख्या सा–3–559/दस–89–908–89

प्रेषक,

शिरोमणि शर्मा,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सचिव तथा
समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 25 फरवरी, 1989

विषय :– सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के पेंशन प्रपत्रों के प्रेषण की मानीटरिंग।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर पुनः आपका ध्यान सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद–906(1) की ओर आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि यद्यपि उक्त नियम के अन्तर्गत यह प्राविधान किया गया था कि प्रत्येक विभागाध्यक्ष प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को अपने अधीनस्थ कार्यरत ऐसे सभी राजपत्रित तथा अराजपत्रित सरकारी सेवकों की सूचियाँ तैयार करवायेंगे जो आगामी 24 माहों में सेवानिवृत्त होने वाले हों और उन्हें लेखाधिकारी को प्रति वर्ष 31 जनवरी तथा 31 जुलाई के अन्त तक अवश्य प्रेषित कर देंगे तथापि शासन की जानकारी में यह लाया गया है कि कदाचित कोई विभागाध्यक्ष इस महत्वपूर्ण प्राविधान के अनुसार कार्यवाही नहीं कर रहे हैं जिसके कारण यह जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है कि अगले डेढ़–दो वर्षों में कितने सरकारी सेवक सेवानिवृत्त होने वाले हैं और ऐसे सरकारी सेवकों के पेंशन प्रपत्र संबंधित अधिकारियों ने प्रेषित कर दिये हैं अथवा नहीं। स्पष्ट है कि यह स्थिति संतोषजनक नहीं है।

2–शासन के समस्त सचिव एवं विभागाध्यक्ष अवगत हैं कि शासन द्वारा इस आशय से कि सेवानिवृत्त होने वाले समस्त सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद उनके पेंशन देयों का भुगतान मिल जाय, अनेकानेक कदम उठाये गये हैं जिनमें एक महत्वपूर्ण कदम यह भी है कि अब किसी भी सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के पेंशन प्रपत्रों को महालेखाकार के कार्यालय में भेजना आवश्यक नहीं रह गया है। चौदह विभागों में यह कार्य उनके मुख्य लेखाधिकारियों के माध्यम से तथा शेष विभागों का कार्य पेंशन निदेशालय के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया जा चुका है। अतः यह विडम्बना ही होगी कि इन सभी कदमों से तथा प्रक्रिया के सरलीकरण करने के बावजूद अब भी पेंशन प्रपत्र समय से प्रेषित न हो पाये और सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक को सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद पेंशन देय का भुगातन न हो पाये।

3–ऐसी स्थिति में संबंधित सरकारी सेवक के देयों के उनके सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद भुगतान सुनिश्चित करने हेतु शासन के समस्त सचिव तथा विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ एक वरिष्ठ अधिकारी की जो अधिष्ठान कार्य देखता हो पेंशन प्रपत्रों की मानिटरिंग करने हेतु ''नोडल अधिकारी'' नामित करें और उसकी सूचना 31 मार्च, 1989 तक वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 तथा पेंशन निदेशालय को उपलब्ध करा दें। शासन स्तर पर नामित वह नोडल अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यरत विभागाध्यक्षों द्वारा किये गये कार्य की निरन्तर समीक्षा करता रहेगा जो निदेशक पेंशन और वित्त विभाग को प्रत्येक त्रैमास की स्थिति से अवगत कराता रहेगा तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर नामित नोडल अधिकारी अधीनस्थ सभी कार्यालयाध्यक्षों से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सूचियाँ मंगा कर उन्हें संबंधित मुख्य लेखाधिकारी तथा निदेशक पेंशन को उपलब्ध करायेगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि उक्त अधिकारियों द्वारा आपत्ति के साथ लौटाये गये पेंशन प्रपत्रों को कार्यालयाध्यक्षों द्वारा ठीक करके उन्हें लौटा दिया गया है। वह

अपने स्तर पर इस कार्य की निरन्तर समीक्षा करके निदेशक पेंशन तथा शासन स्तर पर नामित अपने विभाग के नोडल अधिकारी को प्रत्येक त्रैमास की स्थिति से अवगत कराता रहेगा।

आज्ञा से,

शिरोमणि शर्मा

मुख्य सचिव।

संख्या सा–3–633/दस–89–809–89

प्रेषक,

विजय कृष्ण सक्सेना,
प्रमुख सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 13 मार्च, 1989

विषय :– सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के पेंशन प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपका ध्यान सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 906 एवं शासनादेश संख्या सा–3–2085/दस–907–76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 की ओर आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त व्यवस्थाओं के अन्तर्गत यह प्राविधानित किया गया था कि प्रत्येक विभागाध्यक्ष प्रति वर्ष 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को अगले 24 माहों में सेवानिवृत्त होने वाले समस्त राजपत्रित एवं अराजपत्रित सरकारी सेवकों की सूचियाँ तैयार करके उन्हें महालेखाकार को 31 जनवरी अथवा 31 जुलाई जैसी स्थिति हो, तक प्रेषित कर देंगे एवं तदनुसार पेंशन प्रपत्रों की तैयारी का कार्य भी आरम्भ करेंगे। चूंकि पेंशन प्राधिकार–पत्र जारी करने का जो कार्य महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता था वह अब 14 विभागों के मुख्य लेखाधिकारियों द्वारा तथा शेष विभागों के लिए निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है अतएव अब उपरोक्त सूचियाँ निदेशक पेंशन एवं मुख्य लेखाधिकारियों को भेजी जानी अपेक्षित होंगी।

2–उपरोक्त प्राविधानों के बावजूद संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा उपरोक्त सूचियां तैयार कराकर नहीं भेजी जा रही हैं जिससे शासन स्तर पर यह जानकारी नहीं हो पा रही है कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की पेंशन प्रपत्र की तैयारी का कार्य संबंधित अधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के 24 माह पहले आरम्भ कर दिया गया है अथवा नहीं। शासन द्वारा इस बात पर बल देने हेतु समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों के बावजूद शासन स्तर पर अभी भी इस प्रकार की अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि पेंशन प्रपत्र या तो कई–कई वर्षों तक भेजे ही नहीं जाते अथवा भेजे जाते हैं तो सेवानिवृत्ति के दिनांक के बाद जिसके कारण अनेक मामलों में पेंशन प्राधिकार–पत्र निर्गत करने में विलम्ब हो जाता है और संबंधित सरकारी सेवकों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

3–इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या सा–3–559/दस–89– 908–89, दिनांक 25 फरवरी, 1989 द्वारा यह आदेश भी निर्गत किये गये हैं कि पेंशन प्रपत्रों की मानीटरिंग करने हेतु सचिवालय के समस्त विभाग तथा प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष अपने–अपने स्तर पर एक–एक नोडल अधिकारी नामित कर दें जो अपने विभाग के पेंशन प्रपत्रों के प्रेषण की मानीटरिंग करेंगे।

4–इसी क्रम में यह भी आदेश दिये जाते हैं कि समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष ऐसे सभी सरकारी सेवकों की सूचियां, उनके नाम, पदनाम तथा अन्य तिथियां पेंशन निदेशालय को 15 अप्रैल, 1989

तक उपलब्ध करा दें जो 31 मार्च, 1991 अथवा उसके पहले सेवानिवृत्त होने वाले हों। राजस्व परिषद, पुलिस मुख्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग, पशुपालन विभाग, वन विभाग, खाद्य तथा रसद विभाग, बिक्री कर विभाग, उद्योग विभाग, विधान सभा सचिवालय तथा शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के संबंध में उपरोक्त सूचना विभाग के मुख्य लेखाधिकारी को भेजी जाय तथा उसकी एक प्रति निदेशक पेंशन को भी भेज दी जाय।

भवदीय,
विजय कृष्ण सक्सेना
प्रमुख सचिव।

संख्या सा–3–361/दस–933–89

प्रेषक,

गणेश दत्त दीक्षित,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 9 अप्रैल, 1991

विषय :– पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 470(बी) की व्यवस्था के अनुसार पेंशन की प्रशासनिक स्वीकृति अपेक्षित होती थी जिससे पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण में काफी विलम्ब होता था। इसके निराकरण हेतु शासनदेश संख्या सा–3–2085/दस–907–76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 द्वारा उक्त व्यवस्था को संशोधित करते हुए यह आदेश जारी कर दिये गये थे कि भविष्य में पेंशन की प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी तथा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रपत्र तैयार करके भुगतानादेश जारी करने वाले प्राधिकारी के पास भेज दिया जायेगा। इस व्यवस्था को शासनादेश संख्या सा–3–1713/दस–89–933–89, दिनांक 28 जुलाई, 1989 द्वारा पुनः परिचालित किया गया। तदनुसार कार्यालयाध्यक्षों द्वारा अपने विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले समस्त राज्य कर्मचारियों (भले ही कर्मचारी राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग में स्थायी हो) के पेंशन प्रपत्र तैयार कराकर अपने विभाग के मुख्य लेखा अधिकारी/निदेशक पेंशन, जैसी स्थिति हो, को भेजे जाने चाहिये तथा उक्त प्राधिकारी द्वारा भुगतान आदेश जारी किये जाने चाहिये। उपरोक्त व्यवस्था के बावजूद कतिपय कार्यालयाध्यक्षों/मुख्य लेखा अधिकारियों द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई है कि उनके अधीन कार्यरत तथा सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सरकारी सेवकों जो किसी अन्य विभाग में स्थायी हैं, के पेंशन प्रपत्रों की तैयारी एवं अग्रसारण भी उनके द्वारा किया जायेगा अथवा संबंधित सेवक के मूल विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित होगा।

2–इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर पेंशन प्रपत्र तैयार करने एवं भुगतानादेश जारी करने की कार्यवाही ऊपर पैरा–1 में बताई गई शासनादेश दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 की व्यवस्था के अनुसार उसी कार्यालयाध्यक्ष/मुख्य लेखा अधिकारी अथवा निदेशक, पेंशन द्वारा की जायेगी जहाँ से कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ हो भले ही उस कर्मचारी का धारणाधिकार राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग में विद्यमान हो।

भवदीय,
गणेश दत्त दीक्षित
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

———

संख्या सा–3–642/दस–1993

लखनऊ, दिनांक 24 अप्रैल, 1993

———

कार्यालय–ज्ञाप

विषय :– सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के पेंशन प्रपत्रों के प्रेषण की मानीटरिंग।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा–3–559/दस–89–908–89, दिनांक 25 फरवरी, 1989 तथा शासनादेश संख्या सा–3–688/दस–89–908–89, दिनांक 13 मार्च, 1989 में यह व्यवस्था की गयी है कि पेंशन प्रकरणों की मानीटरिंग हेतु शासन के प्रत्येक प्रशासकीय विभाग के स्तर पर तथा प्रत्येक विभागाध्यक्ष स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा जो अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य देखता हो। विभागाध्यक्ष कार्यालय के नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि अपने विभाग में प्रत्येक छमाही 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को अगले 24 माह में सेवानिवृत्त होने वाले समस्त राजपत्रित एवं अराजपत्रित सरकारी सेवकों की सूची तैयार करके उन्हें 31 जनवरी तथा 31 जुलाई तक, जैसी स्थिति हो, तक अपने प्रशासकीय विभाग तथा निदेशक, पेंशन निदेशालय उ0प्र0 सरकार को प्रेषित करेंगे। यदि पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी सम्बन्धित विभाग का मुख्य लेखाधिकारी है तो सूची की एक प्रति सम्बन्धित मुख्य लेखाधिकारी को भी भेजी जाय।

2–उपरोक्त प्राविधानों के बावजूद अधिकांश विभागाध्यक्षों द्वारा उपरोक्त सूची तैयार कर नहीं भेजी जा रही है जिससे यह जानकारी नहीं हो पा रही है कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के पेंशन प्रपत्रों के प्रेषण की स्थिति क्या है। शासन द्वारा इस बात पर बल देने हेतु समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के बावजूद यह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि पेंशन प्रपत्र या तो कई–कई वर्षों तक भेजे ही नहीं जाते हैं अथवा भेजे भी जाते हैं तो सेवानिवृत्ति के दिनांक के बाद जिसके कारण अनेक मामलों में पेंशन प्राधिकार–पत्र निर्गत करने में विलम्ब होता है जो शासन के मन्तव्य के प्रतिकूल हैं। विलम्ब से भेजे जाने वाले प्रकरणों में भी अनन्तिम पेंशन स्वीकृत नहीं की जाती जबकि अनन्तिम पेंशन स्वीकृत करना अनिवार्य (मेन्डेटरी) है वैकल्पिक नहीं है। उपरोक्त शासनादेश दिनांक 13 मार्च, 1989 में अपेक्षा की गयी थी कि समस्त विभागाध्यक्ष ऐसे सभी सरकारी सेवकों की सूची उनके नाम, पदनाम तथा जन्म तिथि पेंशन निदेशालय को पहली बार 31 मार्च, 1991 अथवा उसके पहले सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के मामलों में भेज देंगे तथा भविष्य में प्रत्येक छमाही उपरोक्त सूचना प्रेषित करेंगे परन्तु पेंशन निदेशक द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिकांश विभागाध्यक्षों द्वारा उक्त सूची नहीं भेजी जा रही है।

3–अतः पुनः अनुरोध है कि प्रत्येक छमाही 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को आगामी 24 मास में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सूची 31 जनवरी तथा 31 जुलाई, जैसी स्थिति हो, तक उपरोक्तानुसार अपने प्रशासकीय विभाग, पेंशन निदेशक और पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी मुख्य लेखाधिकारी को नियमित रूप से भेजना सुनिश्चित करें तथा छमाही लिस्ट ऑफ रिटनर्स, में इसे सम्मिलित करें।

सेवा में

समस्त सचिव/समस्त विभागाध्यक्ष,

एवं मुख्य कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

भवदीय,

अनूप मिश्र

विशेष सचिव।

संख्या सा–3–103 / दस–908–89

प्रेषक,

आलोक रंजन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 23 जुलाई, 1998

विषय :– सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के पेंशन, प्रपत्रों के प्रेषण विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या सा–3–2085 / दस–907–76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 एवं शासनादेश संख्या सा–3–559 / दस–89–908–89, दिनांक 25 फरवरी, 1989 तथा शासनादेश संख्या सा–3–688 / दस–89–908–89, दिनांक 13 मार्च, 1989 की ओर आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 906(1) में यद्यपि यह प्राविधान किया गया था कि प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को अपने अधीनस्थ कार्यरत ऐसे सभी राजपत्रित तथा अराजपत्रित सरकारी सेवकों की सूचियां तैयार करवाकर जारी करा दें जो आगामी 24 माहों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तथापि शासन की जानकारी में यह बात लायी गयी है कि कुछ विभागाध्यक्ष महत्वपूर्ण प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही नहीं कर रहे हैं जिसके कारण यह जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है कि अगले डेढ़–दो वर्षों में कितने सरकारी सेवक सेवानिवृत्त होने वाले हैं और ऐसे सरकारी सेवकों के पेंशन प्रपत्र संबंधित प्राधिकारियों ने प्रेषित कर दिया है अथवा नहीं। चूंकि इस संबंध में जारी शासनादेश संख्या सा–3–559 / दस–89–908–89, दिनांक 25 फरवरी, 1989 में यह व्यवस्था की गयी थी कि सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु शासन के समस्त सचिव तथा विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ एक वरिष्ठ अधिकारी को जो अधिष्ठान कार्य देखता हो, पेंशन प्रपत्रों की मानीटरिंग करने हेतु नोडल अधिकारी नामित करेंगे और उसकी सूचना वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 तथा पेंशन निदेशक को उपलब्ध करायेंगे। किन्तु शासन की जानकारी में यह बात लाई गयी है कि उक्त शासनादेशों की व्यवस्थाओं का अनुपालन कुछ विभागों द्वारा नहीं किया जा रहा है और निदेशक, पेंशन द्वारा इस संबंध में आयोजित बैठकों को नोडल अधिकारी एवं विभागाध्यक्षों द्वारा गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। बैठकों में उनके द्वारा स्वयं भाग नहीं लिया जाता या तो वे अपना प्रतिनिधि भी नहीं भेजते हैं या तृतीय श्रेणी कर्मचारी को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज देते हैं जिससे मीटिंग का महत्व नष्ट हो जाता है। अतएव अनुरोध है कि पेंशन निदेशक द्वारा आयोजित बैठकों में संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी स्वयं भाग लें, साथ ही सेवानिवृत्ति लाभों के निस्तारण में प्राथमिकता दी जाये तथा इस संबंध में निर्गत शासनादेश का कृपया कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रभावी आवश्यक कार्यवाही की जाये।

भवदीय,
आलोक रंजन
सचिव।

संख्या सा–3–734/दस–2008–300(1)–99

प्रेषक,

शिव प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 4 जून, 2008

विषय :– सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों से पेंशन प्रपत्र की प्राप्ति स्वीकार किया जाना।

महोदय,

राज्य सरकार के पेंशनर संघों द्वारा यह मांग की जा रही है कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों से शासनादेश संख्या सा–3–1713/दस–87–933–89, दिनांक 28 जुलाई, 1989 के अन्तर्गत पूर्ण रूप से भरवाये गये पेंशन प्रपत्र की प्राप्ति स्वीकार किये जाने की व्यवस्था न होने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों द्वारा पूर्णरूप से भरकर प्रस्तुत किये जाने वाले पेंशन प्रपत्र की छायाप्रति अथवा अतिरिक्त प्रति (पावती के रूप में) पर प्राप्ति स्वीकार किये जाने की व्यवस्था की जाए।

2–इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों से पूर्णरूप से भरकर प्राप्त होने वाले पेंशन प्रपत्र की छायाप्रति अथवा अतिरिक्त प्रति (पावती के रूप में) पर प्राप्ति स्वीकार किये जाने की व्यवस्था की जाये। कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव प्रकाश
विशेष सचिव।

———

संख्या एस–2–2019–734/दस–2011–33(67)–2011

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सेवायें) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 11 अक्टूबर, 2011

विषय :– प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों के पेंशन/ पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी/राशिकरण प्रपत्रों के अग्रसारण हेतु सक्षम स्तर का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 शासन वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या सा–3–1713/ दस–87–933–89, दिनांक 28 जुलाई, 1989 के प्रस्तर–3 (क) के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के वेतनमान रुपये 18,400–

22,400 (अपुनरीक्षित) के अतिरिक्त, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के शेष अधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी/राशिकरण प्रपत्रों के अग्रसारण हेतु निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 को सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है।

2—यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

विशेष सचिव।

—————

संख्या एस–2–2388/दस–11–87(30)–76 टी0सी0–I

प्रेषक,

हरीश चन्द्र मित्रा,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय, उ0प्र0,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 30 नवम्बर, 2011

विषय :– उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह ''क'' के वेतनमान रु0 18,400–22,400 (अपुनरीक्षित) से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के सेवानैवृत्तिक लाभों से संबंधित प्रपत्रों पर हस्ताक्षर हेतु सक्षम स्तर का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह ''क'' के वेतनमान रु0 18,400–22,400 (अपुनरीक्षित) से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के सेवानैवृत्तिक लाभों से संबंधित प्रपत्रों पर हस्ताक्षर हेतु शासन द्वारा विशेष सचिव, वित्त (सेवायें) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन को अधिकृत किया गया है।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

हरीश चन्द्र मित्रा

उप सचिव।

अध्याय-19

ई-पेंशन सिस्टम से सम्बन्धित शासनादेश

संख्या–9–सा–3–850 / दस–2014–301(18)–2013

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
2–महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3–समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उ0प्र0।
4–निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5–निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 18 सितम्बर, 2014

विषय :– आनलाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली ''ई–पेंशन सिस्टम'' को लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या –सा–3–697 / दस–26 / 98, दिनांक 08 अक्टूबर, 1999 द्वारा राजकीय अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए लागू की गयी वर्तमान पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया को ई–गवर्नेन्स पहल के अन्तर्गत कम्प्यूटर एवं वेब आधारित बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु ''ई–पेंशन सिस्टम'' तैयार किया गया है जिसमें आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा ''ई–पेंशन फार्म'' पेंशन–स्वीकर्ता प्राधिकारियों को ट्रान्समिट करने तथा पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों द्वारा पेंशन भुगतान प्राधिकार–पत्र, ग्रेच्युटी भुगतान प्राधिकार–पत्र, राशिकरण भुगतान प्राधिकार–पत्र एवं पेंशनर का पहचान–पत्र ऑनलाईन जनरेट कर कोषागारों एवं पेंशनरों को इलेक्ट्रानिक फॉर्म में प्रेषित किये जाने की व्यवस्था है।

2–''ई–पेंशन सिस्टम'' के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर की जाने वाली कार्यवाहियों तथा आवश्यक हार्डवेयर साफ्टवेयर आदि के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश इस शासनादेश के परिशिष्ट–1 एवं 2 के रूप में संलग्न है।

3–ऑनलाईन पेंशन स्वीकृति के अन्तर्गत अधोलिखित कार्यवाहियॉं संबंधित प्राधिकारियों द्वारा की जायेंगी :–

(i) समस्त आहरण एवं वितरण प्राधिकारियों (डी0डी0ओ0) तथा पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) / उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन (यू0पी0एल0सी0) के माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डी0एस0सी0) प्राप्त किया जायेगा।

(ii) संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी / कर्मचारी के वेतन संबंधी विवरण कोषागार के डाटाबेस में उसकी सेवानिवृत्ति के माह के पूर्ववर्ती माह में अनिवार्यतः प्रविष्ट कर दिया जाये। इस हेतु सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह प्रत्येक माह ऐसे अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित करें जो आगामी तीन माहों में सेवानिवृत्त होने वाले हों। इस सूची में उन अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम भी सम्मिलित होंगे जो वाह्य सेवा पर तैनात हों।

ऐसे अधिकारी / कर्मचारी जो आगामी तीन माहों में सेवानिवृत्त होने वाले हों, के वेतन संबंधी विवरण भी कोषागार के डाटाबेस में उपर्युक्तानुसार प्रविष्ट करा लिये जायें।

(iii) सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी / कर्मचारी द्वारा या उसकी मृत्यु की दशा में, उसके आश्रितों द्वारा शासनादेश दिनांक 08–10–1999 में दी गयी प्रक्रियानुसार निर्धारित समयावधि में पेंशन प्रपत्र 03 प्रतियों में एवं पेंशन स्वीकृति संबंधी आवेदन, संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा।

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन प्रपत्रों को संगत सूचनाओं/अभिलेखों के साथ वर्तमान प्रक्रियानुसार पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी को भेजा जायेगा तथा एक प्रति संबंधित डी0डी0ओ0 को भेजी जायेगी।

(iv) कार्यालयाध्यक्ष पेंशन प्रपत्रों को इस शासनादेश के परिशिष्ट–3 पर संलग्न प्रमाण पत्र तथा परिशिष्ट–4 पर संलग्न प्रारूप में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के अन्तिम 34 माह की परिलब्धियों एवं सेवावृत्त के विवरण के साथ पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित करेंगे। यह प्रपत्र पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी के रिकार्ड के लिये रखे जायेंगे, परन्तु पी0पी0ओ0 आदि ऑनलाइन ही सृजित किये जायेंगे तथा वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार फिजिकल फार्म में सृजित नहीं किये जायेंगे।

परिशिष्ट–4 में अधोलिखित सूचनाओं का समावेश किया जायेगा :–

क–सेवानिवृत्ति के 34 माह पहले संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम, वेतन बैण्ड, वेतन एवं ग्रेड वेतन।

ख–उपर्युक्त के उपरान्त तथा सेवानिवृत्ति तक उन सभी परिस्थितियों एवं **events** का विवरण दिया जायेगा जिनके फलस्वरूप संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन में परिवर्तन हुआ हो, यथा–वार्षिक वेतन वृद्धि, पदोन्नति, ए0सी0पी0, पद के वेतनमान में परिवर्तन, कनिष्ठ का वेतन अधिक होने के कारण कनिष्ठ के बराबर वेतन की स्वीकृति आदि। संबंधित शासनादेशों/कार्यालयादेशों का संदर्भ एवं उपर्युक्त लाभों के अनुमन्य होने की तिथि का विवरण दिया जाय।

ग–यदि दण्ड स्वरूप वेतनमान/वेतन में कमी की गयी हो अथवा वेतनवृद्धि रोकी गयी हो अथवा इन 34 माह की अवधि में वेतन रहित अवकाश आदि स्वीकृत किया गया हो, तो उसका भी विवरण दिया जायेगा।

(v) सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारी के जी0पी0एफ0 खाता संख्या का प्रयोग करते हुए डी0डी0ओ0 द्वारा ''ई–पेंशन फार्म'' में अधिकारी/कर्मचारी के अन्तिम वेतन संबंधी विवरण कोषागार के कम्प्यूटर डाटाबेस से import किया जायेगा। ''ई–पेंशन फॉर्म'' की शेष प्रविष्टियाँ, कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्त पेंशन प्रपत्रों के आधार पर डी0डी0ओ0 द्वारा पूर्ण की जायेंगी। ''ई–पेंशन फॉर्म'' पूर्ण हो जाने पर, डी0डी0ओ0 द्वारा पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी को ऑन–लाईन ट्रांसमिट किया जायेगा।

(vi) ''ई–पेंशन फार्म'' अपलोड करते समय सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारी एवं उसकी पत्नी (अथवा पति) के परिशिष्ट–3 में दिये गये संयुक्त फोटोग्राफ तथा दोनों के दायें व बायें अंगूठों के निशान भी डी0डी0ओ0 कार्यालयों में स्थापित एस0टी0क्यू0सी0 प्रमाणित ''बायोमीट्रिक डिवाईसेज'' से स्कैन कर अपलोड किये जायेंगे।

(vii) पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा ''ई–पेंशन सिस्टम'' साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए पेंशन भुगतानादेश, ग्रेच्युटी भुगतानादेश, राशिकरण भुगतानादेश, अग्रसारण पत्र एवं पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का पहचान पत्र ऑनलाईन जनरेट किये जायेंगे।

(viii) पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त भुगतानादेश एवं पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के पहचान पत्र संबंधित कोषागार, तथा पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को ई–मेल द्वारा प्रेषित किये जायेंगे। पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को प्रेषित की जाने वाली प्रति पर ''पेंशनर्स हाफ'' अंकित रहेगा। उक्त भुगतानादेश एवं पहचान पत्र ''ई–पेंशन सिस्टम'' पोर्टल के **"Archive"** सेक्शन में भी अपलोड किये जायेंगे ताकि ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जिनके पास ई–मेल की सुविधा न हो, वेबसाइट से उक्त आदेशों को डाउनलोड कर प्रिंट करवा सकें। इस हेतु सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारी को सिस्टम द्वारा सृजित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड एस0एम0एस0 द्वारा प्रेषित किया जायेगा। एस0एम0एस0 प्राप्त होने पर उपयोगकर्ता द्वारा पासवर्ड परिवर्तित कर लिया जायेगा।

(ix) डी0डी0ओ0 द्वारा ''ई–पेंशन फार्म'' पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी को ट्रांसमिट किये जाने व पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय से पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने पर ''ई–पेंशन सिस्टम'' में इनबिल्ट सुविधा द्वारा पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर शार्ट मेसेज सर्विस (एस0एम0एस0) द्वारा सूचना स्वतः ट्रांसमिट हो जाएगी। पेंशन प्रकरण पर आपत्ति की स्थिति में भी पेंशनर को एस0एम0एस0 द्वारा सूचना भेजी जाएगी।

(x) कोषागारों में ''ई–पेंशन सिस्टम'' से कम्पेटिबल व एस0टी0क्यू0सी0 प्रमाणित ''बायोमीट्रिक डिवाइसेज'' स्थापित की जाएंगी जिससे प्रथम भुगतान के समय पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की पहचान ''बायोमीट्रिक डिवाइसेज'' का उपयोग करते हुए की जा सके।

4–ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति प्रणाली प्रथमतया बाराबंकी एवं उन्नाव जनपदों में स्थित कार्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले समूह 'क' 'ख' एवं 'ग' के राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में लागू की जायेगी। इसके उपरान्त, प्रदेश के समस्त जनपदों में यह प्रणाली चरणबद्ध रूप से लागू कर दी जायेगी।

5–जिन मामलों में पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारण उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासकीय विभागों द्वारा किया जाना है, उनमें प्रशासकीय विभागों द्वारा कम से कम उप सचिव स्तर के अधिकारी अथवा इस प्रयोजन हेतु अधिकृत प्राधिकारी को अग्रसारण अधिकारी के रूप में नामित किया जायेगा तथा उनके लिये यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड निदेशक, पेंशन द्वारा आवंटित किये जायेगे। इन अधिकारियों द्वारा यथाविहित प्रक्रियानुसार एन0आई0सी0/यू0पी0एल0सी0 से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त किया जायेगा।

6–अगले आदेशों तक राज्यपाल सचिवालय, विधान सभा सविचालय, विधान परिषद सचिवालय तथा उत्तर प्रदेश सचिवालय के कार्मिक इस शासनादेश से आच्छादित नहीं होंगे। पुलिस विभाग की वर्तमान व्यवस्था यथावत बनी रहेगी।

7–ऑनलाइन पेंशन प्राधिकार पत्र जारी किये जाने में उपरोक्त वयवस्था के अन्तर्गत किसी अन्य जानकारी अथवा स्पष्टीकरण के लिए निदेशक, पेंशन को अधिकृत किया जाता है।

इस शासनादेश में की गयी व्यवस्था तत्काल प्रभाव से ऐसे सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों के संबंध में लागू होगी जो दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 को अथवा इसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवंगत होंगे। उक्त तिथि को अथवा उसके उपरान्त जनपद बाराबंकी एवं उन्नाव से सेवानिवृत्त/दिवंगत होने वाले राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रपत्र यदि इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि के पूर्व पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी को वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार प्रेषित किये जा चुके हों अथवा पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत किये जा चुके हों, तो ऐसे मामलों को इस शासनादेश के अधीन पुनरूद्घाटित नहीं किया जायेगा। उक्त तिथि के पूर्व के प्रकरण पुरानी प्रक्रियानुसार व्यवहृत किये जायेंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

श्री राहुल भटनागर

प्रमुख सचिव, वित्त।

शासनादेश संख्या सा–3–850/दस–2014, 18–09–14 का परिशिष्ट–1

1– ई–पेंशन सिस्टम यूजर क्रम (**Hierarchy**)

क–निदेशक पेंशन

1– एन0आई0सी0 द्वारा सिस्टम के समुचित उपयोग हेतु विस्तृत यूजर मैनुअल तैयार किया जायेगा जो पोर्टल के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध रहेगा।

2–पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग संबंधित कार्यालयों के अतिरिक्त शासन के प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों, कोषागारों व पेंशनर द्वारा किया जा सकता है अतः सूचनायें साधारण भाषा में तथा संक्षेप में रखी जाये।

3– ''ई–पेंशन सिस्टम'' को निदेशक पेंशन द्वारा एन0आई0सी0 में रजिस्टर कराकर यू0आर0एल0(यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर) प्राप्त किया जायेगा जो वेब एड्रेस के रूप में उपयोग में लाया जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन के उपरान्त एन0आई0सी0 द्वारा निदेशक पेंशन को सुपर एडमिनिस्ट्रेटर बनाये जाने हेतु यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड दिया जायेगा।

4–सुपर एडमिनिस्ट्रेटर को अधिकार होगा कि वह सिस्टम का उपयोग करने के लिये डिवीजनल एडमिनिस्ट्रिेटर बनाये। सुपर एडमिनिस्ट्रेटर को सिस्टम में दिये गये अन्य अधिकार भी उपलब्ध होगे जिससे यथा आवश्यकता इसका उपयोग कर सिस्टम में उत्पन्न किसी गतिरोध का निराकरण कर इसे गतिमान बनाये रखा जाना सम्भव हो सके।

5–सुपर एडमिनिस्ट्रिेटर द्वारा सिस्टम के व्यावहारिक उपयोग के लिये स्वयं के कार्यालय के किसी अधिकारी को तथा मण्डलीय अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन को डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जायेगा। इस हेतु उसके द्वारा सिस्टम में लॉग इन करने के उपरान्त User Management ऑप्शन का उपयोग कर डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेटर का क्रियेशन किया जायेगा। इस हेतु डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेटर से संबंधित सूचनाओं को फीड कर उसे Save किया जायेगा। डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेटर को सुपर एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा यूजर आई0डी0 व पासवर्ड उपलबध कराया जायेगा।

ख–अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन (डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेटर)

6–डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा अपने मण्डल के आहरण एवं वितरण अधिकारियों को यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड आवंटित किया जायेगा जिसका उपयोग उनके द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी/अधिकारी का ''ई–पेंशन फार्म'' भरकर ''ई–पेंशन सिस्टम'' में अपलोड करने में किया जायेगा।

ग–पासवर्ड एवं डिजिटल सिग्नेचर

7–सभी स्तरों पर दिये गये पासवर्ड संबंधित अधिकारियों द्वारा तुरन्त परिवर्तित कर गोपनीय ढंग से रखे जायेंगे व इसे समय समय पर बदलते रहना होगा। पासवर्ड के इनक्रिप्शन की व्यवस्था सॉफ्टवेयर में है । सिस्टम में उपयोग किया जाने वाला यूजर आई0डी0 व पासवर्ड किसी अन्य अधिकारी कर्मचारी को सौंपा जाना वर्जित है तथा ऐसा किये जाने पर संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगा।

8–''ई–पेंशन–सिस्टम'' का प्रयोग करने वाले सभी अधिकारी/कर्मचारी एन0आई0सी0/ यू0पी0एल0सी0 के माध्यम से यथाविहित प्रक्रिया द्वारा डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट गोपनीय व अहस्तान्तरणीय है, अतः इसे किसी अन्य को दिया जाना पूर्णतया निषिद्ध है तथा ऐसा करने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी जिसे डी0एस0सी0 दिया गया है, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

9–''ई–पेंशन–सिस्टम'' के प्रयोग हेतु अधिकृत किये जाने के निमित्त सम्बन्धित अधिकारियों यथा Uploader, User, Verifier, Approver व Super/Divisional Administrator द्वारा दिये जाने वाले प्रार्थना–पत्र का प्रारूप पोर्टल पर उपलब्ध है। संबंधित अधिकारी द्वारा इस फॉर्म को डाउनलोड करके वांछित सूचनाएं भरते हुए हस्ताक्षर कर अधिकृत प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

2–**पेंशन प्रपत्रों का प्रेषण**

क–**पेंशन प्रपत्र प्रेषित करने वाले कार्यालय/विभाग तथा इरला चेक/शिविर कार्यालय स्तर पर**

10– पेंशन स्वीकृति संबंधी समस्त प्रपत्र भरे जाने एवं इन प्रपत्रों पर यथा आवश्यकता सक्षम उच्चाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने का कार्य कार्यालयाध्यक्षों द्वारा पूर्व प्रक्रिया के अनुसार ही किया जायेगा किन्तु अब इसकी एक प्रति ''ई–पेंशन फार्म'' सिस्टम में अपलोड करने वाले अधिकारी (डी0डी0ओ0) को भी उपलब्ध करायी जायेगी। इसी प्रकार शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, इलाहाबाद/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ), उ0प्र0 सचिवालय एवं वेतन पर्ची निर्गत करने वाले अन्य कार्यालयों द्वारा अधिकारी के सेवा इतिहास का विवरण निदेशक, पेंशन के साथ–साथ अग्रसारण अधिकारी, जिसके द्वारा सम्बन्धित अधिकारी का ''ई–पेंशन फॉर्म'' ट्रांसमिट किया जाना है, को भी प्रेषित किया जायेगा।

ख–**आहरण एवं वितरण अधिकारी तथा कार्यालयाध्यक्ष**

11– सर्वप्रथम डी0डी0ओ0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी का नाम एवं संगत विवरण कोषागार के data base में उपलब्ध है। संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का जी0पी0एफ0 खाता संख्या, इम्प्लाई आई0डी0 के रूप में प्रयुक्त होगा।

12– डी0डी0ओ0 ''ई–पेंशन सिस्टम'' के होम पेज पर लॉग–इन करने के उपरान्त e-Pension Form ऑप्शन पर क्लिक करेगा जिससे एक पेज खुल जायेगा। पेज के निर्धारित बाक्स में कर्मचारी का (जी0पी0एफ0 खाता संख्या) फीड किया जायेगा जिससे कोषागार में रखे गये डेटाबेस से कर्मचारी से संबंधित सूचनायें ''ई–पेंशन फार्म'' में स्वतः आ जायेंगी।

13– कर्मचारी से संबंधित अन्य सूचनायें, कार्यालयाध्यक्ष द्वारा परिशिष्ट–3 के प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट–4 के सेवा संबंधी विवरण के साथ प्रेषित पेंशन प्रपत्रों के आधार पर डी0डी0ओ0 द्वारा भर कर ''ई–पेंशन फार्म'' पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी को ट्रांसमिट किया जायेगा।

14– सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारी व उनके पति/पत्नी के दायें व बायें हाथों के अंगूठों का निशान बायोमीट्रिक डिवाइस से सिस्टम में इसके लिए निर्धारित स्थान पर लिया जायेगा।

15– डी0डी0ओ0 द्वारा उक्तानुसार पूर्ण किये गये ''ई–पेंशन फार्म'' एवं प्रमाण पत्र पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी को ट्रांसमिट करने के साथ–साथ पूर्व प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराये गये पेंशन प्रपत्र एवं सेवा इतिहास विवरण कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे। अपलोड किये गये सभी प्रपत्र डी0डी0ओ0 के डिजिटल सिग्नेचर के साथ पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी को प्रत्येक दशा में विलम्बतम उस माह के प्रथम सप्ताह तक ऑन–लाईन ट्रांसमिट कर दिये जायेंगे जिस माह में अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाला है।

16– पेंशन प्रपत्र डी0डी0ओ0 द्वारा पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी को ऑन–लाईन ट्रांसमिट करते ही पेंशनर के मोबाइल/ई–मेल पर सिस्टम द्वारा स्वतः ही संदेश प्रेषित कर दिया जायेगा।

17– ''ई–पेंशन फार्म'' स्वीकर्ता प्राधिकारी को प्रेषित करने के उपरान्त यदि किन्हीं प्रकरणों में पेंशनर्स से संबंधित कोई तथ्य यथा–कटौती/जाँच आदि प्रकाश में आते हैं, तो उसकी सेवानिवृत्ति की अन्तिम तिथि अथवा अगले कार्य दिवस में कोषागार खुलने के पूर्व तक आन–लाईन संशोधित सूचना कार्यालयाध्यक्ष द्वारा डी0डी0ओ0 के माध्यम से/अग्रसारण अधिकारी द्वारा सीधे पेंशन स्वीकर्ताधिकारी तथा समबन्धित कोषागार जहाँ से पेंशन का भुगतान किया जाना है, को ट्रांसमिट करनी होगी। इस सूचना से पेंशन दिये जाने/न दिये जाने अथवा कटौतियां प्रभावित होने की कार्यवाही कोषागार स्तर पर की जायेगी। विभाग स्तर पर उक्त कार्यवाही समय से सुनिश्चित कराया जाना कार्यालयाध्यक्ष एवं डी0डी0ओ0/अग्रसारण अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

18– ''ई–पेंशन फार्म'' अपलोड करने के उपरान्त सामान्यतः किसी प्रकार का ऐसा कोई अग्रिम आदि नहीं दिया जायेगा जिसकी वसूली कर्मचारी/अधिकारी से की जानी हो।

19– ''ई–पेंशन फार्म'' सावधानी से भरने के उपरान्त इसकी प्रति व पूर्व प्रक्रियानुसार तैयार पेंशन फार्म एवं सेवा इतिहास विवरण के अभिलेखों को संबंधित पेंशनर की पत्रावली में सुरक्षित रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त, पेंशनर से संबंधित विवरण पेंशन रजिस्टर में (परिशिष्ट–5) रखा जायेगा, जो ''ई–पेंशन सिस्टम'' के माध्यम से सृजित किया जायेगा। इसमें सरकारी सेवक का नाम, आई0डी0 नम्बर, पदनाम, जन्म तिथि, कार्यालय का नाम पता सहित, पिता का नाम, सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि, पेंशन हेतु कुल अर्हकारी सेवा अवधि, पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा निर्गत पी0पी0ओ0 नम्बर, डी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर कॉलम होंगे। इसे पेंशनर के संबंध में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र (परिशिष्ट–3 पर) डी0डी0ओ0 द्वारा ई–पेंशन फार्म के साथ अपलोड किया जायेगा।

20– बाहय सेवा पर तैनात अधिकारियों के संबंध में उक्त कार्यवाही अधिकारी के पैतृक विभाग के स्तर से की जायेगी।

3–<u>पेंशन प्रपत्रों की जांच एवं पेंशन आदि की स्वीकृति</u>

क–<u>डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा कार्यवाही</u>

21– डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेटर को उक्तानुसार प्रेषित ई–पेंशन फार्म देखने के लिए सिस्टम में लाग-इन करने के उपरान्त Work Management आप्शन का उपयोग करने पर उसे डी0डी0ओ0 द्वारा प्रेषित ई–पेंशन फार्मों की सूची दिखायी पड़ेगी। इस सूची में जिस सहायक लेखाधिकारी (वेरीफायर) एवं लेखाकार (यूजर) को जो प्रकरण दिया जाना हो उसके अनुसार प्रकरण को सेलेक्ट करके Assign A.A.O./Accountant पर क्लिक किया जायेगा जिससे संबंधित सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार को वह प्रकरण स्वतः प्रेषित हो जायेगा।

22– पेंशन प्रपत्रों तथा कोषागार के लिए निर्गत प्राधिकार पत्रों एवं कैलकुलेशन शीट को डाउन लोड कर संबंधित पेंशनर की फाइल में रखा जायेगा।

23– सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के प्राप्त/निस्तारित प्रकरणों से संबंधित सूचनायें वेबसाइट पर समय–समय पर स्वतः अपडेट होती रहेंगी। इससे पेंशन प्रकरणों के प्रेषण एवं उनके निस्तारण का अनुश्रवण निदेशक, पेंशन, मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन एवं संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जा सकेगा। सेवानिवृत्त अधिकारी भी अपने पेंशन प्रकरण की प्रगति वेबसाईट पर देख सकेंगे।

ख–<u>लेखाकार द्वारा (User) कार्यवाही</u>

24– उक्तानुसार प्रेषित प्रकरणों पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेखाकार द्वारा ई–पेंशन सिस्टम में लॉग–इन करके Pension Case आप्शन का उपयोग कर प्राप्त प्रकरणों की जांच आदि की कार्यवाही की जायेगी। आपत्ति की दशा Objection व स्वीकृति की दशा में Verify पर क्लिक किया जायेगा।

25– स्वीकृति की दशा में Calculation आप्शन में जाकर कैलकुलेशन शीट खोली जायेगी, जिसके सही पाने की स्थिति में इसे वेरीफायर को Forward कर दिया जायेगा।

ग–<u>सहायक लेखाधिकारी (Verifier) द्वारा कार्यवाही</u>

26– लेखाकार द्वारा अग्रसारित प्रकरणों की जांच वेरीफायर द्वारा की जायेगी। आपत्ति की दशा में "Objection" तथा प्रकरण को सही पाये जाने की दशा में "Verify" पर क्लिक कर अपने डिजिटल सिग्नेचर के साथ, एप्रूवर को Forward कर दिया जायेगा।

घ–<u>अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (Approver) द्वारा कार्यवाही</u>

27– एप्रूवर द्वारा सिस्टम में लॉग–इन कर लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रकरणों की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, अर्थात आपत्ति के प्रकरणों में संबंधित डी0डी0ओ0 एवं कार्यालयाध्यक्ष को प्रकरण ऑन–लाईन वापस किया जायेगा जबकि स्वीकृति योग्य पाये गये प्रकरणों में Digital Sign and verify ऑप्शन पर क्लिक कर प्राधिकार–पत्र डिजिटली साइन करके संबंधित कोषागार को प्रेषित कर दिया जायेगा। प्राधिकार–पत्रों के पेंशनर हाफ संबंधित डी0डी0ओ0

एवं पेंशनर को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये ई–मेल आई0डी0 पर तथा इनके अग्रसारण पत्र सिस्टम से ही स्वतः डिस्पैच कराते हुए आहरण वितरण अधिकारी, मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी व पेंशनर को उनके ई–मेल आई0डी0 पर प्रेषित किया जायेगा। पेंशनर इन प्रपत्रों को स्वयं डाउनलोड करके रख सकता है अथवा अपने डी0डी0ओ0 से प्राप्त कर सकता है। पेंशन भुगतानादेश, ग्रेच्युटी भुगतानादेश व राशिकरण भुगतानादेश वेबसाइड पर भी अपलोड किये जायेंगे जिसे पेंशनर द्वारा यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड का प्रयोग कर डाउनलोड किया जा सकेगा।

28– पेंशन भुगतानादेश कोषाधिकारी को ऑनलाइन प्रेषित करते ही पेंशनर के मोबाईल/ई–मेल पर सिस्टम द्वारा स्वतः संदेश प्रेषित कर दिया जायेगा। आपत्ति की स्थिति में, पेंशन प्रपत्र/ई–पेंशन फार्म, डी0डी0ओ0 को ऑन लाईन वापस किये जाने पर भी पेंशनर के मोबाईल पर संदेश भेजा जायेगा।

29– पेंशनर का पहचान–पत्र (Pensioners ID) सिस्टम पर अपलोड हो जायेगा जिसे पेंशनर अपने user ID व Password का उपयोग करते हुए सिस्टम से डाउनलोड कर अपने उपयोग में ले सकता है।

घ–**<u>पेंशनर द्वारा चुने गये कोषागार स्तर पर</u>**

30– प्रकरण ट्रेजरी डेटाबेस में उनके फार्मेट में आते ही ई–पेमेन्ट की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित पेंशनर के बैंक खाते में e-Payment के माध्यम से भुगतान हेतु तैयार हो जायेगा, किन्तु इस भुगतान से पूर्व पेंशनर व उसके पति/पत्नी को प्रथम बार कोषागार में उपस्थित होकर बायोमीट्रिक डिवाईस पर दायें व बायें हाथ के अंगूठे के निशान देने होंगे।

31– कोषागार से बैंक के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था है, अतः इस प्रकार होने वाले प्रत्येक भुगतान की सूचना पेंशनर को देने के लिए पेंशनर का मोबाईल नम्बर उस के बैंक में पंजीकृत कराया जाना होगा। तदोपरान्त ही उक्त सूचना बैंक द्वारा स्वतः पेंशनर के मोबाइल पर भेजी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त पेंशनर द्वारा koshvani.up.nic.in वेबसाइट में Pension Payment details आप्शन से Treasury, Bank व Branch सेलेक्ट करके पेंशन के भुगतान की अद्यावधिक सूचना प्राप्त की जा सकती है।

32– प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर/दिसम्बर में दिये जाने वाले जीवित प्रमाण–पत्र के स्थान पर पेंशनर को अब इस हेतु अपने पी0पी0ओ0 संख्या के साथ बायोमीट्रिक डिवाइस का उपयोग कर दायें व बायें हाथ के अंगूठे का निशान सिस्टम में लॉग–इन करके देना होगा जिससे उसके द्वारा पूर्व में दिये गये दायें व बायें अंगूठे के निशान से मेल खाते ही जीवित प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने की औपचारिकतायें स्वतः ही पूर्ण हो जायेगी तथा पेंशनर को कोषागार में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा।

4–**<u>प्रशिक्षण</u>**

33– प्रदेश स्तर पर निदेशक, कोषागार एवं निदेशक, पेंशन द्वारा एन0आई0सी0 के सहयोग से समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

34– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन द्वारा अपने मण्डल के समस्त कोषाधिकारियों एवं डी0डी0ओ0 को एन0आई0सी0 के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा।

<u>शासनादेश संख्या–सा–3–850/दस–2014, दिनांक 18–09–14 का परिशिष्ट–2</u>

सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए की जाने वाली विभिन्न उक्त कार्यवाहियों का विवरण संक्षेप में निम्नवत् दिया जा रहा है :–

अधिकारी का स्तर	कार्यवाही
(1) निदेशक, एन0आई0सी0	1–सुपर एडमिनिस्ट्रेटर, डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेटर, एप्रूवर, वेरीफायर व यूजर को सिस्टम के उपयोग के संबंध में समुचित रूप से प्रशिक्षित कराना। 2–ई–पेंशन सिस्टम का यूजर मैनुअल होम पेज के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध कराना।

अधिकारी का स्तर	कार्यवाही
(2) निदेशक, पेंशन (सुपर एडमिनि–स्ट्रेटर)	वेब अप्लीकेशन का एन0आई0सी0 से रजिस्ट्रेशन कराकर यू0आर0एल0 का यूजर आई0डी0 व पासवर्ड प्राप्त करना।
(3) संयुक्त / उप निदेशक, पेंशन निदेशालय / मण्डलीय अपर निदेशक / संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन (डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेटर)	वेब अप्लीकेशन के उपयोग हेतु सुपर एडमिनिस्ट्रेटर से यूजर आई0डी0 व पासवर्ड प्राप्त करना तथा एन0आई0सी0 से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना। कार्यालयाध्यक्षों तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को सिस्टम के उपयोग हेतु प्रशिक्षित करना।
(4) अपर निदेशक / संयुक्त निदेशक / उप निदेशक, पेंशन (एप्रूवर)	1–वेब अप्लीकेशन के उपयोग हेतु डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेटर से यूजर आई0डी0 व पासवर्ड तथा एन0आई0सी0 से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना। 2–डी0डी0ओ0 से प्राप्त पेंशन प्रकरणों को जांचोपरान्त सही पाये जाने पर डिजिटल सिग्नेचर से कोषागार को प्रेषित करना तथा आपत्ति के प्रकरणों को सम्बन्धित डी0डी0ओ0 के माध्यम से कार्यालयाध्यक्षों को प्रत्यावर्तित करना।
(5) सहायक लेखाधिकारी (वेरीफायर)	1–वेब अप्लीकेशन के उपयोग हेतु डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेटर से यूजर आई0डी0 व पासवर्ड तथा एन0आईसी0 से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना 2–लेखाकार (यूजर) द्वारा अग्रसारित प्रकरणों की जांच करना एवं एप्रूवर को अग्रसारित करना।
(6) लेखाकार, पेंशन निदेशालय / मण्डलीय कार्यालय (यूजर)	1–वेब अप्लीकेशन के उपयोग हेतु डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेटर से यूजर आई0डी0 व पासवर्ड प्राप्त करना। 2–डी0डी0ओ0 के माध्यम से कार्यालयाध्यक्षों से प्राप्त पेंशन प्रकरणों की जांच करना।
(7) आहरण एवं वितरण अधिकारी / अग्रसारण अधिकारी (अपलोडर)	1–वेब अप्लीकेशन के उपयोग हेतु डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेटर से यूजर आई0डी0 व पासवर्ड तथा एन0आई0सी0 से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना। 2–ई–पेंशन फार्म पूर्ण कर पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को डिजिटल सिग्नेचर के साथ ट्रांसमिट किया जाना। 3–ई–पेंशन प्रपत्र अन्य सूचनाओं के साथ पेंशनर व उसके पति / पत्नी के दाये एवं बायें हाथ के अंगूठे के निशान बायोमीट्रिक डिवाइस के माध्यम से लिया जाना।

उक्त सभी स्तरों पर संबंधित विभागाध्यक्ष / डी0डी0ओ0 द्वारा यथावश्यक निम्न व्यवस्थायें भी सुनिश्चित करायी जायेंगी :–

1– 2 एम0बी0पी0एस0 का इंटरनेट कनेक्शन। इसके उपलब्ध न होने की दशा में जिले के एन0आई0सी0 कार्यालय में उपलब्ध इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग किया जाये।

2– 4 जी0बी0 रैम के साथ न्यूनतम कम्प्यूटर सिस्टम (i-3) (थर्ड जनरेशन) का प्रोसेसर।

3– यू0पी0एस0 / बैकअप पावर व लेजर प्रिंटर।

4– डी0डी0ओ0 स्तर पर एस0टी0क्यू0सी0 अनुमोदित बायोमीट्रिक डिवाइस। इसके उपलब्ध न होने पर एन0आई0सी0 / कोषागार / अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करायी जाये।

यहाँ यह स्पष्ट किया जाना है कि उपर्युक्त Configuration एवं Specification अनिवार्य नहीं है। जिन कार्यालयों में उपलब्ध अन्य Configuration के हार्डवेयर पर कार्य संभव हो, वहाँ उपलब्ध हार्डवेयर का प्रयोग किया जा सकता है।

शासनादेश संख्या–सा–3–850 / दस–2014, दिनांक 18–09–14 का परिशिष्ट–3

पेंशनर के संबंध में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र जो डी0डी0ओ0 द्वारा ई–पेंशन फार्म के साथ अपलोड किया जायेगा।

1. सरकारी सेवक / पेंशनर का नाम...
2. सरकारी सेवक का अन्तिम पदनाम व विभाग / कार्यालय का नाम...............................
3. सरकारी सेवक का पति / पत्नी के साथ संयुक्त फोटो (मृत्यु होने की दशा में एकल फोटो)

1.7''x1.36'' साइज की फोटो	1.7''x1.36'' साइज की फोटो
(फोटो के आधे भाग तक कार्यालयाध्यक्ष / उच्चाधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यालय की मोहर सहित)	(किसी भी तरह का प्रमाण पत्र / हस्ताक्षर / मोहर न लगाएं)

4. पेंशनर के हस्ताक्षर
5. पारिवारिक पेंशनर के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि :–

- वेतन निर्धारण की पुष्टि संगत विभागीय शासनादेशों व वित्तीय नियमों के आलोक में करा ली गयी है।
- ई–पेंशन फार्म में अंकित अन्तिम परिलब्धियों एवं अर्हकारी सेवा सम्बन्धी विवरण सही एवं त्रुटिहीन हैं।
- ई–पेंशन फार्म स्वयं अधोहस्ताक्षरी द्वारा भरा गया तथा भरे गये विवरणों की पुष्टि सेवापुस्तिका / सेवा विवरण से करा ली गयी है।
- एकीकृत पेंशन प्रपत्रों को हस्ताक्षरित कराते हुए एक प्रतिलिपि अभिलेखों में सुरक्षित रख ली गयी है।

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर / कार्यालयाध्यक्ष के स्वयं के प्रकरण में उच्चाधिकारी के हस्ताक्षर नाम / पदनाम / कार्यालय का नाम दिनांक, मुहर सहित

शासनादेश संख्या–सा–3–850 / दस–2014, दिनांक 18–09–14 का परिशिष्ट–4

सेवानिवृत्त / मृत होने वाले अधिकारी / कर्मचारी की सेवा के अन्तिम 34 माहों में परिलब्धियां एवं सेवा संबंधी विवरण–

1. सरकारी सेवक का नाम............................
2. सेवानिवृत्ति के 34 माह पूर्व पदनाम, वेतन बैण्ड, वेतन एवं ग्रेड वेतन.....................
3. आगामी माहों में पदनाम / वेतन बैण्ड, वेतन एवं ग्रेड वेतन का विवरण :–

क्रमांक	पदनाम व वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन	परिवर्तन का कारण (वार्षिक वेतन वृद्धि/पदोन्नति/ए0सी0पी0 आदि–कृ0 शासनादेश का प्रस्तर–3(iv) देखें	आदेश संख्या एवं दिनांक	परिवर्तन की तिथि को वेतन		अन्य वेतन जिसे पेंशनरी लाभों के लिए आगणित किया जाना होगा।		अन्य सुसंगत विवरण आदि
				पूर्व	परिवर्तनो-परान्त	पूर्व	परिवर्तनो-परान्त	

4. सेवानिवृत्ति की तिथि को पदनाम, पे–बैण्ड, पे–बैण्ड में वेतन/ग्रेड वेतन.........................

हस्ताक्षर

(कार्यालयाध्यक्ष)

———

शासनादेश संख्या–सा–3–850/दस–2014, दिनांक 18–09–14 का
परिशिष्ट–5

डी0डी0ओ0 द्वारा रखा जाने वाला पेंशन रजिस्टर

कार्यालय.. जनपद..

पृष्ठ संख्या.......................................

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम............................
2. जन्म तिथि.....................................
3. पिता का नाम...................................
4. आई0डी संख्या................................
5. कार्यालय जहाँ से सेवानिवृत्त हुए ....
6. अन्तिम धारित पद...............................
7. अन्तिम धारित पद का वेतनमान.................
8. सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि..........................
9. पी0पी0ओ0 संख्या...
10. पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि.............................
11. पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि (राशिकरण के पूर्व).......................
12. राशिकृत अंश...........................
13. राशिकरण की तिथि..........................
14. ग्रेच्युटी की राशि.........................

(हस्ताक्षर)

संख्या–10–सा–3–979/दस–2014–301(18)–2013

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

2–महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

3–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उ0प्र0।

4–निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

5–निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 28 अक्टूबर, 2014

विषय :– आनलाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली ''ई–पेंशन सिस्टम'' को लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–सा–3–850/दस–2014–301(18)/2013, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा जनपद बाराबंकी एवं जनपद उन्नाव से दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 को अथवा इसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवंगत होने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण ''ई–पेंशन सिस्टम'' द्वारा निस्तारित किये जाने के आदेश दिये गये थे परन्तु शासन स्तर पर सम्पन्न समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा न तो डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त किये गये हैं और न ही उनके कार्यालयों में ''बायोमीट्रिक डिवाईसेस'' स्थापित की गयी है, जोकि ''ई–पेंशन सिस्टम'' के क्रियान्वयन हेतु अनिवार्य है।

2–अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :–

(i) जनपद बाराबंकी एवं जनपद उन्नाव के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा तत्काल यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन के माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये। डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–886/78–2–2014–आई0टी0/2008, दिनांक 1–8–2014 की प्रतिलिपि सुविधा के लिये संलग्न है।

(ii) समस्त विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीन जनपद बाराबंकी एवं जनपद उन्नाव के आहरण एवं वितरण अधिकारियों को ''ई–पेंशन सिस्टम'' के साथ काम्पेटिबल बायोमीट्रिक डिवाईस प्रत्येक दशा में दिनांक 10 नवम्बर, 2014 तक उपलब्ध हो जाये। ''ई–पेंशन सिस्टम'' के साथ काम्पेटिबिलिटी के संबंध में विभागाध्यक्षगण निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ अथवा निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तर प्रदेश, राज्य सूचना एकक, लखनऊ से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(iii) निदेशक, पेंशन तथा अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, लखनऊ मण्डल एवं फैजाबाद मण्डल कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर एवं उनके कार्यालयों में बायोमीट्रिक डिवाईस की व्यवस्था दिनांक 10 नवमबर, 2014 तक सुनिश्चित करायी जाय। अन्य मण्डलीय अपर निदेशक कार्यालयों के लिये भी उक्त व्यवस्थायें दिनांक 25 नवम्बर, 2014 तक करा ली जायें।

(iv) ''ई–पेंशन सिस्टम'' पर कार्य करने हेतु दिनांक 05 नवम्बर, 2014 तक पेंशन निदेशालय, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, लखनऊ तथा फैजाबाद मण्डल एवं मुख्य/वरिष्ठ

कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, बाराबंकी एवं उन्नाव का प्रशिक्षण निदेशक, पेंशन द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से सम्पन्न करा लिया जाय।

(v) बाराबंकी एवं उन्नाव जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों का प्रशिक्षण सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा मण्डलीय अपर निदेशक एवं निदेशक, पेंशन की देख–रेख में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से दिनांक 12 नवमबर, 2014 तक पूर्ण करा लिया जाय।

(vi) उपर्युक्त कार्यवाहियों में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ''ई–पेंशन सिस्टम'' के माध्यम से पेंशन प्रकरणों का निस्तारण उन सरकारी कर्मचारियों के मामलों में किया जायेगा जो जनपद बाराबंकी एवं जनपद उन्नाव से दिनांक 30 नवम्बर, 2014 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत होंगे।

3–मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बाराबंकी एवं उन्नाव अपने कोषागारों से संबद्ध ऐसे आहरण एवं वितरण अधिकारियों की सूची दिनांक 16 नवमबर, 2014 को तैयार कर वित्त विभाग को सीधे उपलब्ध करायेंगे जिनके द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2014 तक डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त नहीं कर लिये जाते और जिनके कार्यालयों में बायोमीट्रिक डिवाईसेस स्थापित नहीं करा ली जाती। उन आहरण एवं वितरण अधिकारियों की भी सूची भेजी जाय जिनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया जाता।

4–उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव, वित्त।

––––

संख्या 15/सा–3–1036/दस–2014–301(18)–2013

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2–महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उ0प्र0।
4–निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5–निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 28 नवम्बर, 2014

विषय :– ''ई–पेंशन सिस्टम'' का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय निदेशक, पेंशन के पत्र संख्या सा–433/पे0नि0/कम्प्यू0/ई–पेन/2014, दिनांक 26 नवम्बर, 2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद बाराबंकी के 66 आहरण एवं वितरण अधिकारियों में से मात्र 15 आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा जनपद उन्नाव के 65 आहरण एवं वितरण अधिकारियों में से मात्र 07 आहरण एवं वितरण अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर दिनाँक 26–11–2014 तक प्राप्त किये जा सके हैं। निदेशक, पेंशन द्वारा संस्तुति की गयी है कि चूँकि डिजिटल सिग्नेचर के अभाव में पेंशन–प्रपत्रों का अग्रसारण ही संभव नहीं है, अतः ''ई–पेंशन सिस्टम'' द्वारा पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु ''कट–ऑफ–डेट'', 30 नवम्बर, 2014 से बराबर आगे बढ़ा दी जाये।

2–इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्णित परिस्थितियों में जनपद उन्नाव एवं बाराबंकी से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरण का निस्तारण ''ई–पेंशन सिस्टम'' द्वारा किये जाने हेतु कट ऑफ डेट जो शासनादेश संख्या–10/सा–3–979/दस–2014–301(18)/2013, दिनांक 28–10–2014 द्वारा 30 नवम्बर, 2014 नियत की गयी थी, को एतद्द्वारा संशोधित करते हुए 31 दिसम्बर, 2014 किया जाता है।

3–मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इस मध्य सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी/अधिकारियों के पेंशन प्रकरण पूर्व की व्यवस्था की भाँति निस्तारित किये जाते रहेंगे। किसी भी पेंशन प्रकरण का निस्तारण किसी भी दशा में इस आधार पर नहीं रोका जायेगा कि ''ई–पेंशन सिस्टम'' अभी क्रियान्वित नहीं हो सका है। दिनाँक 28–10–2014 के शासनादेश में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार समस्त संबंधितों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही प्रत्येक दशा में दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 तक पूर्ण करा ली जाये। निदेशक, पेंशन इस कार्यवाही का समन्वय करते हुए, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 को शासन को अद्यावधिक सूचना प्रेषित करेंगे।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

––––

संख्या 4/2015–सा–3–441/दस–2015–301(18)–2013

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 30 अप्रैल, 2015

विषय :– ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली ''ई पेंशन सिस्टम'' का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 द्वारा जारी शासनादेश संख्या सा–3–850/दस–2014–301(18)–2013, दिनांक 18–09–2014, संख्या 10/सा–3–979/ दस–2014–301(18)–2013, दिनांक 28–10–2014, तथा संख्या 15/सा–3–1036/ दस–2014–301(18)–2013, दिनांक 28–11–2014, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2–शासनादेश दिनांक 18–09–2014 द्वारा ''ई–पेंशन सिस्टम'' पायलट आधार पर बाराबंकी एवं उन्नाव जनपदों में लागू की गयी। अब ''ई–पेंशन सिस्टम'' इस शासनादेश के साथ संलग्न सूची में अंकित 26 जनपदों में भी लागू किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। इन 26 जनपदों में स्थित सरकारी कार्यालयों से दिनांक 30 जून, 2015 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण ''ई–पेंशन सिस्टम'' का प्रयोग करते हुए निस्तारित किये जायेंगे।

3–मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इस मध्य सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी/अधिकारियों के पेंशन प्रकरण पूर्व की व्यवस्था की भाँति निस्तारित किये जाते रहेंगे। दिनांक 18–09–2014 एवं 28–10–2014 के शासनादेश में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार समस्त संबंधित द्वारा अपेक्षित कार्यवाही प्रत्येक दशा में दिनांक 31–05–2015 तक पूर्ण करा ली जायें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

शासनादेश संख्या सा–4 / 2015 / सा–3–441(1) / दस–2015–301(18)–2013, दिनांक 30–04–2015 का संलग्नक

क्रमांक	जनपद का नाम	क्रमांक	जनपद का नाम
1	शाहजहाँपुर	14	फैजाबाद
2	रामपुर	15	बहराइच
3	फर्रूखाबाद	16	सुल्तानपुर
4	कानपुर नगर	17	प्रतापगढ
5	फतेहपुर	18	ललितपुर
6	इलाहाबाद	19	गाजियाबाद
7	झाँसी	20	अम्बेडकर नगर
8	जालौन	21	संतकबीर नगर
9	बस्ती	22	कौशाम्बी
10	रायबरेली	23	कन्नौज
11	सीतापुर	24	जयोतिबाफुले नगर
12	हरदोई	25	कांशीराम नगर
13	लखीमपुर खीरी	26	हमीरपुर

संख्या 6 / 2015–सा–3–513 / दस–2015–301(18)–2013

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 29 मई, 2015

विषय :– ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली ''ई–पेंशन सिस्टम'' का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 4 / 2015–सा–3–441 / दस–2015–301(18)–2013, दिनांक 30–04–2015, के क्रम में निदेशक, पेंशन के पत्र संख्या पे0नि0 / कम्प्यू0 / ई0–पें0 / 2015 / 2939, दिनांक 20–05–2015 द्वारा प्रस्ताव किया गया है कि इलाहाबाद जनपद की सिविल लाईन्स ट्रेजरी अभी सेन्ट्रल सर्वर से संयोजित नहीं की जा सकी है जिसके कारण इस ट्रेजरी से वेतन आहरित करने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरण ई–पेंशन सिस्टम पर अपलोड नहीं किये जा सके हैं, अतः अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद के प्रस्ताव के अनुसार इलाहाबाद जनपद को ई–पेंशन सिस्टम स्वीकृति प्रणाली से सम्प्रति मुक्त रखा जाये।

2–निदेशक पेंशन के उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा एतद्द्वारा यह आदेश दिये जाते हैं कि जब तक इलाहाबाद सिविल लाईन्स ट्रेजरी सेन्ट्रल सर्वर से संयोजित नहीं हो जाती तब के लिये, अगले आदेशों तक, इलाहाबाद जनपद से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी / कर्मचारीगण के पेंशन प्रकरण पूर्व की व्यवस्था की भाँति निस्तारित किये जाते रहेंगे। शासनादेश संख्या 4 / 2015–सा–3–441 / दस–2015–301(18)–2013, दिनांक 30–04–2015, इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या 12/2015–सा–3–585/दस–2015–301(18)–2013

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 24 जून, 2015

विषय :– ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली ''ई पेंशन सिस्टम'' का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पेंशन निदेशालय के पत्र संख्या पे0नि0/कम्प्यू0/ई0–पेंन/2015/3376, दिनांक 10–06–2015 द्वारा प्रस्ताव किया गया है कि प्रदेश के समस्त आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, आई0एफ0एस0 एवं प्रान्तीय सिविल सेवा, प्रान्तीय न्यायिक सेवा तथा प्रान्तीय वित्त एवं लेखा सेवा के उन अधिकारियों जिनके वेतन का आहरण, इरला चेक (वेतन पर्ची) प्रकोष्ठ, उ0प्र0 सचिवालय, अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय (शिविर कार्यालय) इलाहाबाद, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद, वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वेतन पर्ची के आधार पर किया जाता है, को प्रशासनिक एवं व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण ई–पेंशन सिस्टम प्रणाली से सम्प्रति मुक्त रखा जाये।

2–उपर्युक्त के अतिरिक्त निदेशक, पेंशन के पत्र संख्या पे0नि0/ऑन लाईन पेंशन/2015/3597, दिनांक 19–06–2015 द्वारा अवगत कराया है कि काफी अधिक संख्या में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अभी तक डिजीटल सिग्नेचर प्राप्त नहीं किये गये हैं जिसके फलस्वरूप डी0डी0ओ0 द्वारा ईपेंशन फार्म पोर्टल पर अपलोड करना सम्भव नहीं हो सकेगा एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन प्रकरण अवरूद्ध रहेंगे। अतः डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने में लगने वाले समय के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 30 अप्रैल, 2015 में निर्धारित तिथि 30–06–2015 को बढ़ाकर दिनांक 31–08–2015 की जाती है।

3–निदेशक पेंशन के उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा एतद्द्वारा यह आदेश दिये जाते हैं कि अगले आदेशों तक उपर्युक्त सेवा संवर्गों के सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के पेंशन प्रकरण पूर्व की व्यवस्था की भाँति निस्तारित किये जाते रहेंगे।

शासनादेश संख्या 4/2015–सा–3–441/दस–2015–301(18)–2013, दिनांक 30 अप्रैल, 2015, इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या 22/2015–सा–3–1067/दस–2015–301(18)–2013

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष ।
3– निदेशक, पेंशन,
उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4– निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– समस्त जिलाधिकारी।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 17 दिसम्बर, 2015

विषय :– ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली ''ई–पेंशन सिस्टम'' का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 द्वारा जारी शासनादेश संख्या सा–3–850/दस–2014–301(18)–2013, दिनांक 18 सितम्बर, 2014, संख्या सा–3–979/दस–2014–301(18)–2013, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, संख्या 15/सा–3–1036/दस–2014–301(18)–2013, दिनांक 28 नवम्बर, 2014, संख्या 4/2015–सा–3–441/दस–2015–301(18)–2013, दिनांक 30 अप्रैल, 2015, तथा संख्या 12/2015–सा–3–585/दस–2015–301(18)–2013, दिनांक 24 जून, 2015, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली (ई पेंशन सिस्टम) जनपद उन्नाव एवं बाराबंकी से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू की गयी थी जिसके लिये कट–आफ–डेट शासनादेश दिनांक 28 नवम्बर, 2014 द्वारा 31 दिसम्बर, 2014 निर्धारित की गयी। शासनादेश दिनांक 30 अप्रैल, 2015 द्वारा 26 अन्य जनपद जहाँ के कोषागारों को उक्तम तिथि तक सेन्ट्रल सर्वर से संयोजित किया चुका था, में ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली लागू की गयी जिसकी कट–आफ–डेट शासनादेश दिनांक 24 जून, 2015 द्वारा 31 अगस्त, 2015 रखी गयी।

3– सम्प्रति प्रदेश के समस्त कोषागार, सेन्ट्रल सर्वर से संयोजित किये जा चुके हैं। अतः शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब प्रदेश के समस्त जनपदों से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरण ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली द्वारा निस्तारित किये जायेंगे।

4– इस सम्बन्ध में मुझे यह निदेश हुआ है कि जिन 29 जनपदों में ऑन लाईन पेंशन प्रणाली पूर्व से लागू है, उनके अतिरिक्त अन्य सभी जनपदों में दिनांक 28 फरवरी, 2016 के उपरान्त अर्थात दिनांक 01 मार्च, 2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली द्वारा निस्तारित किये जायेंगे।

5– ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डिजिटल सिग्नेचर की व्यवस्था समस्त संबंधितों अर्थात प्रदेश के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों, समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक एवं अन्य प्राधिकारी जिनके द्वारा ऑन लाईन पेंशन सिस्टम पर कार्य किया जाना है, द्वारा ससमय कर ली जाये।

6– जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ व सिविल लाईन्स कोषागार, इलाहाबाद से सम्बद्ध विभागों/कार्यालयों को सम्प्रति ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली से मुक्त रखा जायेगा अर्थात इन विभागों/कार्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरण पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही निस्तारित किये जाते रहेंगे। इस क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन विभागों/कार्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरण वित्तीय वर्ष 2016–2017 के प्रथम त्रैमास से ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली द्वारा निस्तारित किये जायेंगे। अतः संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों से अपेक्षित है कि इस हेतु आवश्यक तैयारी अभी से आरभ कर दी जाये।

7– दिनांक 24 जून, 2015 के शासनादेश द्वारा जिन विभागों/कार्यालयों/संवर्गों के सेवानिवृत्त कार्मिकों/के पेंशन प्रकरणों को ऑन लाईन पेंशन प्रणाली से मुक्त रखा गया है, उनके पेंशन प्रकरण सम्प्रति पूर्व की भांति ही निस्तारित किये जाते रहेंगे।

8– शासन को अवगत कराया गया है कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने एवं पेंशन प्रकरणों को ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली द्वारा अग्रसारित किये जाने के कार्य में यथेष्ट रूचि नहीं ली जा रही है। यह स्थिति ठीक नहीं है। इस संबंध में समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को सचेत किया जाता है कि पेंशन प्रकरणों को ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली द्वारा अग्रसारित किये जाने में विलम्ब की दशा में उनके विरूद्ध अनुशासनिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। अतः इस कार्य को गम्भीरता से लिया जाये।

9– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि जिलाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली मासिक स्टाफ मीटिंग/समीक्षा बैठकों में ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली के क्रियान्वयन का बिन्दु भी सम्मिलित करायें।

10– समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों को ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली का प्रयोग करने हेतु अपने स्तर से निर्देश देंगे तथा नियमित अनुश्रवण भी करेंगे।

11– ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली का कार्य किये जाने हेतु कई चरणों में विभिन्न प्राधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। समस्त मण्डलीय अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन अपने मण्डल के जनपदों में प्रशिक्षण की आवश्यकता का आंकलन कर निदेशक, पेंशन एवं एन0आई0सी0 के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम मण्डल/जनपद स्तर पर आयोजित करायेंगे।

12– इन आदेशों का तत्परता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव, वित्त।

अध्याय–20

पेंशन भुगतान/जीवन प्रमाण–पत्र सम्बन्धी शासनादेश

संख्या ए–1–549/दस–5(2)–71

प्रेषक,

श्री जी0 एस0 नेगी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 3 जनवरी, 1972

विषयः– प्रशासनिक सुधार आयोग की कोषागारों से सम्बन्धित संस्तुतियों का कार्यान्वयन।

महोदय,

आपको विदित होगा कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने कोषागारों से सम्बन्धित अपने प्रतिवेदन में कोषागारों की कार्यप्रणाली तथा संगठन में सुधार करने के उद्देश्य से कई संस्तुतियाँ की हैं। इनमें से कुछ संस्तुतियों में दिये गये सुझावों के अनुसार राज्य के कोषागारों में पहले से ही कार्य हो रहा था और कुछ एक संस्तुतियों पर अलग से कार्यवाही की जा रही है। इस राजाज्ञा में मुझे आपसे आयोग के द्वारा की गयी पेंशन, अवकाश वेतन तथा अन्य भुगतानों से सम्बन्धित संस्तुतियों की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जिनका संक्षिप्त विवरण आयोग के प्रतिवेदन के अध्याय 4 के पार्श्वांकित अनुच्छेदों में दिया हुआ है। इन अनुच्छेदों के उद्धरण भी आपकी सुविधा के लिये संलग्न हैं। राज्यपाल महोदय ने इन अनुच्छेदों में की गयी संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित आदेश दिये हैं :–

अध्याय 4 अनुच्छेद 2 (1) — (1) जहाँ कहीं किसी नागरिक को 100 रु0 या इससे कम धनराशि का शासन के किसी विभाग द्वारा भुगतान किया जाना हो, वहाँ जबतक कि वह स्वयं ही व्यक्तिगत रूप से भुगतान पाने का आग्रह न करे, आहरण अधिकारी उस धनराशि को कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित व्यक्ति को मनीआर्डर के द्वारा भेज देंगे। इस पर जो कमीशन लगेगा वह पाने वाले के द्वारा देय होगा।

अध्याय 4 अनुच्छेद 4 (1) — (2) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5 भाग–2 के अनुच्छेद 530–ए के अनुसार 100 रुपया प्रतिमास या इससे कम पेंशन को कोषागार या उप–कोषागार से नकदी आहरित किया जा सकता है, परन्तु इससे अधिक धनराशि केवल बैंक द्वारा पारित किये गये देयक पर ही आहरित की जा सकती है। भविष्य में 300 रुपया प्रतिमाह या इससे कम पेंशन कोषागारों या उप–कोषागारों से नकदी आहरित की जा सकेगी।

अध्याय 4 अनुच्छेद 4 (4) — (3) केन्द्रीय कोषागार नियम 343 के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया वर्ग 1 के अधिकारी और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के स्टाफ ऑफिसर या स्टाफ असिस्टेन्ट को उन पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण–पत्र देने का अधिकार है, जो अपनी पेंशन बैंक के माध्यम से आहरित करते हैं। अब अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के समस्त अधिकारियों को भी जीवन प्रमाण–पत्र देने का अधिकार होगा।

अध्याय 4 अनुच्छेद 4 (6) — (4) सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 956 के अनुसार अगर भारत में भुगतान की जाने वाली किसी पेंशन को एक साल से अधिक अवधि तक आहरित नहीं किया जाता, तो उस पेंशन का भुगतान बन्द कर दिया जायेगा। अनुच्छेद 957 के अनुसार यदि पेंशनभोगी इस पेंशन के लिये आगे चल कर दावा करता है तो अवशेष पेंशन का भुगतान किया जा सकता है, परन्तु यदि अवशेष की धनराशि 1,000 रु0 से

	अधिक हो, तो उसे पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी की स्वीकृति के बिना भुगतान नहीं किया जा सकता। अब यह निश्चय किया गया है कि यदि अवशेष की धनराशि 8,100 रु0 या इससे कम हो, तो भी पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही उसका भुगतान किया जा सकेगा, परन्तु इस भुगतान को करने के लिये उस जिलाधिकारी के आदेश की आवश्यकता होगी, जिसके अधीनस्थ कोषागार से भुगतान किया जा रहा हो।
अध्याय 4 अनुच्छेद 5 (1)	(5) वित्त (लेखा–1) विभाग की राजाज्ञा संख्या 3/1(4)/65–वि0वि0ले0–1, दिनांक 18 जुलाई, 1970 के द्वारा संशोधित वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5, भाग–1 के अनुच्छेद 249 में यह प्राविधान किया गया है कि राजपत्रित कर्मचारी एक महीने तक अपनी पिछली परिलब्धियों के 75 प्रतिशत के बराबर अवकाश वेतन का अग्रिम आहरित कर सकेंगे। अब यह निश्चय किया गया है कि यह अवधि एक महीने से बढ़ाकर 120 दिन कर दी जायगी। अराजपत्रित कर्मचारियों के विषय में यह निश्चय किया गया है कि आहरण और वितरण करने वाले अधिकारी को अवकाश वेतन का आहरण करके उसे समतुल्य (at par) बैंक ड्राफ्ट के द्वारा कर्मचारी द्वारा दिये गये पते पर भेज दिया जायेगा।
अध्याय 4 अनुच्छेद 5 (2)	(6) यह भी निर्णय लिया गया है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जो शुद्ध (net) अवकाश वेतन देय हो, सम्बन्धित अधिकारी उसे मनीआर्डर द्वारा कर्मचारी को उसके द्वारा दिये गये पते पर भेज देंगे और मनीआर्डर का कमीशन भी नहीं काटा जायेगा।
अध्याय 4 अनुच्छेद 5 (3)	(7) वित्त (लेखा–1) विभाग की राजाज्ञा संख्या ए–1–4332/दस–15(3)–1953, दिनांक 27 नवम्बर, 1959 में यह प्राविधान है कि सरकार कर्मचारी को उपार्जित अवकाश की अवधि में अपने अवकाश वेतन को आहरित करने से पूर्व या तो उस स्थान पर उपस्थित होना पड़ेगा, जहाँ भुगतान किया जा रहा हो, या उसे एक जीवन प्रमाण–पत्र देना पड़ेगा। यह निश्चय किया गया है कि यह प्रतिबन्ध केवल चिकित्सा प्रमाण–पत्र पर या सेवानिवृत्ति के पूर्व लिये गये अवकाश पर लागू होगा और अन्य अवसरों पर अवकाश वेतन का भुगतान बिना जीवन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये या भुगतान के स्थान पर उपस्थित हुये ही कर दिया जायेगा।

2–आयोग ने यह भी संस्तुति की है कि राजपत्रित अधिकारियों को सर्वप्रथम नियुक्ति पर या नये स्थान या जिले में स्थानान्तरण होने पर औपचारिकताओं के पूर्ण न होने के कारण वेतन भत्तों को आहरित करने में होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिये कार्यालयाध्यक्षों को उन्हें एक महीने के वेतन के बराबर अग्रिम स्वीकृत करने का अधिकार होना चाहिए, जो कुल दो महीने की अवधि तक मिल सकेगा। शासन ने इस संस्तुति पर समुचित विचार करने के पश्चात् यह निर्णय लिया है कि ऐसे मामलों में जिलाधिकारियों को कोषागार नियम 27 के अन्तर्गत वेतन का भुगतान करने का अधिकार पहले से ही प्राप्त है और इस लिए इस संस्तुति को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपसे निवेदन करना है कि कृपया ऐसे मामलों में कोषागार नियम 27 के अन्तर्गत राजपत्रित कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के भुगतान की स्वीकृति उदारता पूर्वक प्रदान करें।

3–उपरोक्त नियमों के अनुसार वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5, भाग–1 व 2 में आवश्यक संशोधन अलग से प्रसारित किये जायेंगे।

भवदीय,
गोकुल सिंह नेगी
उप सचिव।

EXTRACTS FROM–ADMINISTRATIVE REFORMS COMMISSION REPORT ON TREASURIES (FEBRUARY, 1970) CHAPTER IV

2. (1) The responsibility for finalising the various formalities associated with the payment of money to the citizen should rest squarely on the department/office initiating or sanctioning the amount. The departmental officer arrange to remit the amount by cheque/draft duly crossed or through money otrder to the person concerned. The facility of receiving small sums in cash across the counter, say, upto Rs. 100/-, should aslo be provided to the citizen.

4. (1) The limit upto which the payment of pensions may be made in cash at the treasuries to the pensioners should be raised to Rs. 300 p.m.

4. (4) In the case of pensioners drawing their pensions through the scheduled banks, the latter should also be empowered to issue life certificate to such pensioners.

4. (6) In cases of outstanding arrears of pension which have remained undrawn for more than a year, the Collector also should be empowered to allow the payment of such arrears, if the amount does not exceed Rs. 5,000.

5. (1) The responsibility for the timely remittance of the leave salary to the Government servants should rest squarely on the administrative authorities. It should be for these authorities to make arrangements for the timely remittance of the net amount of the leave salary to a Government servant by mean of a demand draft at par at the address specified by him.

5. (2) In the case of Class IV Government servants, the net leave salary should be remitted by the prescribed officer by money order at Government expense.

5. (3) A Government servant proceeding on earned leave should not normally be required to appear in person at the place of payment or to furnish a life certificate when claiming the leave salary.

5. (4) In order to obviate the difficulties at present experienced by the gazetted officers in drawing their salary and allowances either on their initial appointment or on transfer to a new station or district, on account of the procedural formalities involved in getting sanction from the appropriate authorities, the heads of offices should be empowered in such cases to grant advances of pay equal to a month's pay, which should be payable for a total period of two month.

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त लेखा अनुभाग—1

———

संख्या ए–1–2840/दस–10(16)–76

लखनऊ, दिनांक 1 जनवरी, 1979

———

कार्यालय–ज्ञाप

पेंशन भुगतान की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत कुछ मामलों को छोड़कर जिसमें पेंशनर ने अपने पेंशन का भुगतान मनीआर्डर द्वारा अथवा किसी शिड्यूल्ड बैंक के माध्यम से प्राप्त करने की व्यवस्था अपनाई है, पेंशनर को पेंशन प्राप्त करने हेतु कोषागार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ता है जिससे पेंशनर को कठिनाई होती है। पेंशन भुगतान का लगभग समस्त कार्य कोषागार में केन्द्रित है जिनमें कार्य की अधिकता के कारण पेंशन भुगतान में विलम्ब तथा पेंशनरों को कुछ असुविधा हो जाना स्वाभाविक है। इन कठिनाइयों का निवारण करने के उद्देश्य से पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा पेंशन भुगतान के केन्द्रों में वृद्धि करने का विषय कुछ समय से शासन के विचाराधीन रहा है।

2–तद्नुसार शासन ने महालेखाकर, उत्तर प्रदेश, भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार के परामर्श से अब यह निर्णय लिया है कि राज्य के पेंशनरों के पेंशन भुगतान के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सेवाओं का उपयोग किया जाय।

3–पेंशन भुगतान की यह योजना उत्तर प्रदेश शासन के समस्त पेंशनरों तथा अखिल भारतीय सेवा के उन सब अधिकारियों पर भी लागू होगी जो राज्य सरकार के किसी पद से सेवानिवृत्त हुए हों/या होंगे। पेंशनरों को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वे पूर्व प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार कोषागार/उपकोषागार से पेंशन का आहरण करें या इस नई योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के निर्धारित बैंकों के माध्यम से पेंशन प्राप्त करें।

4–सार्वजनिक क्षेत्र के निर्धारित बैंकों के माध्यम से पेंशन भुगतान की प्रक्रिया का विस्तारपूर्वक विवरण संलग्न योजना में दिया गया है। यह योजना पहली मार्च, 1979 को देय फरवरी, 1979 महीने की पेंशन से लागू होगी।

5–आपसे अनुरोध है कि कृपया इस योजना को समस्त राज्य कर्मचारियों की जानकारी में लाया जाय।

त्रिभुवन प्रसाद
वित्त सचिव।

———

SCHEME FOR PAYMENT OF PENSIONS OF UTTAR PRADESH GOVERNMENT PENSIONERS BY PUBLIC SECTOR BANKS

INTRODUCTION

THE following paragraphs lay down the procedure to be followed in the matter of disbursement of pension through authorised Public Sector Banks (hereinafter referred to as P. S. Bs.). The scheme will cover all State Pensioners including All India Service Officers who retire/retired from a post under the State Government and such other pensioners whose pensiones are debitable to the consolidated fund of the State. Existing State pensioners who are drawing their pension from treasuries in the Uttar Pradesh, will be given an option to continue to draw their pension from the reasury or to draw pension from any P. S. B. branch. Employees retiting

on or after the date from which the scheme is introduced will likewise have to the choice to draw their pension from a Treasury or any branch of the authorised P. S. B. in the State.

NOTE - The scheme applies to payment of pension but does not apply to payment of death-cum-retirement gratuity or to other single payments like ex-gratia or compassionate allowances for which payments will continue to be made by the Treasury.

2. Pension payments will be automatic, no bill will be required to be submitted. The amount of monthly pension will be credited by the paying branch, selected by the pensioner, to his individual Savings/Current account at the commencement of the following month. Every pensioner availing of this facility will open Savings/Current account in his name unless he is already having one.

The account of a pensioner to which his pension is credited should not be allowed to be operated upon by another person by virtue of a power of attorney executed in his favour. In case the pensioner is already having an account and has authorised a power of attorney holder to operate on it as his agent, he should be asked to open a new account in his/her sole name or revoke the mandate in favour of the attorney before the pension is credited to such an account.

Pension will not be paid in cash or through a 'joint' or an 'either or survivor account'.

3. The procedure to be followed at the various stages of the transfer of pension payment work to P. S. Bs., and for the accounting of pension payments is out lined in the following paragraphs :

INITIAL ACTION

4.1. *Public Sector Banks*–Public Sector Banks mentioned in Annexure 'A' have been authorised to disburse civil pensions of the Uttar Pradesh Government. Each bank will immediately nominate a link branch at the headquarters of each district for co-ordinating the work connected with the disbursement and accounting of pension payments by its various branches in the district. The name and address of the link branch will be communicated by February 1, 1979 to the district Treasury Officer concerned and also to the Accountant General in whose Jurisdiction treasury falls together with a complete list of other branches in the district and their addresses.

The Public Sector Banks shall indemnify the Uttar Pradesh Government against any wrong payment or over payment which may be made to the pensioners by executing an indemnity bond in the prescribed Form.

4.2. *Treasury* – All treasuries and sub-treasuries in the State will take immediate action for renewal of the disburser's half of the pension payment orders (P.P.Os.) of State Pensioners under their payment, whenever such P.P.Os. are torn or mutilated or exhausted. This action should be completed by February 15, 1979.

On receipt of information regarding link branch and other branches of P. S. Bs., referred to in paragraph 4.1 above, the District Treasury Officer will send by February 15, 1979 a copy of the special seal of the treasury together with his specimen signature (counter-signed by Manager, State Bank of India) to the Manager/agent of the link branch of each public Sector Bank by name under registered cover.

4.3. *Pensioner* – The Existing pensioners desirous of drawing their pension from a Public Sector Bank Branch will apply to the Treasury Officer/Sub-Treasury Officer from whom they are receiving pension on or after 1st February, 1979 in the form at Annexure 'B' in duplicate.

The Pensioners may, in their own interest, draw pension for February, 1979 and apply for transfer thereafter.

Applications received up to 15th of a month will be processed for payment of the pensions pertaining to that month (payable on the first proximo) at the selected branches of the Public Sector Banks. In the case of applications received after 15th of a month payment of pension pertaining to that month at the selected P. S. B. branch may be delayed by a few days because of time lag in transit of the P. P. Os.

Future pensioners will indicate their option in the application for pension.

5. The preparatory work indicated in paragraphs 6 and 7 below should be completed by 25th of February, 1979 by the treasuries and by the last date of the february, 1979 by P. S. Bs. so as to facilitate commencement of pension payments for the month of February, 1979 onwards (and payments of undrawn arrear; if any) by Public Sector Banks.

TRANSFER OF P. P. O'S. BY DISTRICT TREASURY OFFICERS TO LINK BRANCH

6. In the case of applications received at a sub-treasury, the Sub-Treasury Officer, shall, on receipt of the option immediately forward both the copies of the application, together with the disbursers'half of the P. P. O. to the District Treasury Officer keeping a note in remark's column of the Register of pension payment order maintained in Form 51 of the financial Hanbook Volume V, Part II.

6.1. The option applications (original copy) of the pensioner received by District Treasury Officer, directly or through the Sub-Treasury Officer as mentioned in the perceding paragraph, shall be sent by him, under his special seal and together with disburser's half of the P. P. O. to the nominated link branch of the Public Sector Bank under intimation to the Accountant General, the documents will be sent to the link branch through a messenger or under registered cover Simulataneously the pensioner will be advised to approach the Public Sector Bank branch specified in his application for receiving future pension payments. A copy of the disbursers half of the P. P. O. will be kept in the Treasury and payment entries will be noted under initial of treasury Officer as is done incase of pension paid at sub-treasuries.

6.2. While forwarding the above documents to the link branch the month up to which the pension was paid by the treasury/sub-treasury, and the month from which pension payment is to be arranged by the Public Sector Bank Branch will be clearly indicated. Applications received by the treasury/sub-treasury up to the 15th of a month should be forwarded by the District Treasury to the link branch of the concerned Public Sector Bank latest by the 25th of that month to facilitate commencement of pension payment by the Public Sector Bank paying branch on the 1st of the next month.

6.3. In respect of new pensioners, the Accountant General, while issuing the P. P. O. to the District Treasury Officer will mention on the P. P. O. itself the particular branch of the Public Sector Bank from which the pensioner has opted to draw the pension. In these cases the Treasury Officer will forward both the halves of the P. P. O. to the link branch of the Public Sector Bank.

6.4. Each District Treasury will make a note in respect of pension payment orders transferred by it to the link branch of each Public Sector Bank including P. P. Os. received from a sub-treasury for such transfers) in 'Remarks' column of the register of pension payment order maintained in form 51 of Financial handbook Volume V, Part II. The particulars of pension payment orders will simultaneously be noted in a register to be maintained in form as per Annexure 'G' under attestation of the Treasury Officer. If necessary, the particulars may be noted on separate pages for different branches linked to a link branch of a Public Sector Bank.

TRANSMISSION OF P. P. Os. BY LINK BRANCH TO PAYING BRANCH OF P. S. B.

7. The Public Sector Bank will maintain at the nominated link branch a register in the form prescribed in Annexure 'C' to serve as an index of the pension payments authorised to be made by the Public Sector Bank in the District.

7.1. On receipt of documents from the district treasury as indicated in paragraphs 6.1 to 6.3 above the link branch will verify the special seal and the specimen signature of the Treasury Officer received under paragraph 4.2 and on record with the link branch.

7.2. The documents received from the Treasury Officer *viz*. the disbursers half of the P. P. O. (both portions in the case of new pensioner) and the original option application of the pensioner will thereafter be immediatly forwarded by the link branch to the particular branch specified by the pensioner, hereafter referred to as the paying branch.

FUNCTIONS OF PAYING BRANCH

8. On receipt of documents from the link branch as indicated above and before commencing payment of pension, the paying branch will –

(i) advice the pensioner to appear at the branch for his identification;

(ii) obtain an undertaking (it need not to be on a stamped paper) from the pensioner that excess payment credited to his/her account, due to delay in receipt of any material information or any *bona fide* error, can be recovered by the Bank, and

(iii) obtain, in the case of a new pensioner, specimen signature or thumb-impression, as the case may be, in the space provided for the purpose in the disburser's portion of the P. P. O. and hand over pensioner's portion of the P. P. O. to him/her.

8.1. The process of identification has been laid down in paragraph 515 of financial Hand Book, Volumn V, Part II. This comprises checking of the signature of the pensioner with that available on the disburser's portion of the P. P. O. and resemblance with the pensioner's photograph thereon. A new pensioner has also to produce his personal copy of letter of the Accountant General forwarding the P. P. O.

8.2. Such personal identification of the pensioner will be only for the first payment of pension at the paying branch.

8.3. No bill will be required to be submitted by the pensioner for drawing pension at the paying branch. The pension will be paid by the paying branch, after deduction of Income-tax, vide paragraph 8.4 below by credit to the Savings/Current account of the pensioner with the paying branch. Pension will not be paid in cash or through a 'joint' or 'either or survivor' account. The paying branch will credit the pensioner's account for the net amount of the pension payable for a month on the first working day of the following month, if in exceptional cases, the pension payment could not be credited on the first working day, it must be ensured that it is credited as soon thereafter as possible, and in any case not later than the 7th of the month following the month for which pension is due.

8.4. The paying branch will be responsible for deduction of income-tax at source from the pension payments in accordance with the rates prescribed from time to time. Where such deductions are made, the paying branch will issue to the pensioner, in April each year, a certificate of tax deducted, in the form prescribed in the Income Tax Rules.

8.5. The paying branch will maintain a detailed record of pension payments made by it from time to time in the form prescribed in Annexure 'D'. Every payment will also be entered on

the disburser's portion of P. P. O. and authenticated by the authorised officer of the paying branch.

8.6. The scrolls will be prepared by the paying branch in quadruplicate in the form prescribed in Annexure 'D' except where paying and link branch is the same. In the latter cases, only three copies would be prepared.

The paying branch will send advice of the pension payments to its link branch by 10th of each month, the certificate of payment being recorded on the advice itself. One (Last) copy of the scrolls will be retained by the paying branch for its own record and the remaining copies of the scrolls along with the certificates to be submitted by the pensioners under paragraph 13 below will be sent slong with pension payment advice to the link branch.

FUNCTIONS OF THE LINK BRANCH

9. On receipt of the payment advices and first three copies of the scrolls along with the necessary supporting documents form all the paying branches in the district, the link branch will send, by the 15th of each month, first two copies of the scroll and the supporting documents along with a summary sheet and a duly stamped receipt acknowledging receipt of the amount from Government on behalf of the pensioners, to the State Bank of India transacting Government business at the district headquarters. The triplicate copy of the scrolls and the payment advices received from the paying branches will be retained by the link branch.

REIMBURSEMENT TO P. S. B. AND SUBSEQUENT ACTION

10. On receipt of the scroll *etc.* from the Public Sector Bank Link Branch the State Bank of India, shall check the scroll to ensure that it is complete in all respects and is accompanied by the relevant certificates in respect of each payment included therein. There after the net amount of pensions disbursed by the Public Sector Bank will be reimbursed to the Public Sector Bank by debit to the Uttar Pradesh Government Account. A copy of the debit advice together with both the copies. If the scrolls and other supporting documents received from the link branch will be sent by the State Bank of India to the District Treasury Officer.

NOTE - The branch of the State Bank of India from which the link branch would clain reimbursement will be the one dealing with the treasury which transfered P. P. O. to the Public Sector Bank.

11. The Treasury Officer will check the correctness of the totals while making entry of payments on the copy of P. P. Os. (Disburser's half) and thereafter incorporate the transactions in his accounts to be submitted to the Accountant General along with the original first copy of the scrolls and related documents. The duplicate copy of the scroll will be retained in the district treasury.

11.1. The Treasury Officer will be responsible for accounting of gross pensions and deductions towards income-tax while rendering the treasury accounts to the Accountant General.

12. On receipt of the Treasury accounts, the Accountant General will adjust the transaction in the usual manner.

CERTIFICATE TO BE FURNISHED BY THE PENSIONERS

13. *Life Certificate* – The pensioner would be required to furnish a life certificate once a year in the month of November in the form prescribed in Annexure ' E (I)'. Officer of the Public Sector Banks or Reserve Bank of India are authorised to give life certificate for this purpose in addition to the officers mentioned in paragraph 518 of Financial Hand Book, Volume V, Part II.

13.1. (a) *Non-employment certificate* – Retired State Service Class I Officers and All-India Service Officers retireing from State Government are required to furnish a declaration in May and November, each year, in the form prescribed in Annexure ' E (II)' about acceptance/non-acceptance of commercial employment within two years from the date of their retirement and also about acceptance/non-acceptance of any employment under any Government outside India.

In cases where the commercial employment (within two years from the date of retirement/ employment) under a Government outside India has been accepted without obtaining Government's approval, the paying branch will seek Government's Orders through the District Treasury Officer before making further pension payments.

13.1. (b) Every pensioner who opts to draw his pension through Public Sector Bank will give undertaking to the paying branch of the Public Sector Bank that he would report the event of his employment in a Government establishment or an establishment paid from a Local Fund, as soon as it occurs. Immidiately on receipt of such report from the pensioner the paying branch will seek Government's orders through the District Treasury Officer before making further pension payments.

13.2. Non-marriage/Re-marriage certificate – In case of widow recipients of family pension, the certificate of remarriage in Annexure 'E (III)' will not be necessary. An undertaking would be obtained from the widow that she will report such an event to the pension disbursing office promptly.

The other recipients of family pension (a widwer or un-married daughter), is required to furnish once a year in December a certificate prescribed in Annexure E (III).

TRANSFER OF PENSIONS

14. Applications for transfer of pensions may fall under any of the following categories;

(i) transfer from one paying branch to another of the same Public Sector Bank at the same station or in the same destrict; or

(ii) transfer from one place to another in a different district.

14.1. Requests falling under category (i) above may be entertained by the public Sector Bank itself. The paying branch will indicate, on the disburser's portion of the P. P. O. the month up to which the payment has been made and will hereafter return the disburser's portion of the P. P. O. to the link branch. On receipt, the link branch will make necessary entries in the register maintained by it in the form in annexure 'C' and forward the P. P. O. (disburser's portion) to the other paying branch, under intimation to the district treasury, for making further pension payments.

14.2. In a case falling under (ii) above, the paying branch will after collecting pensioner's copy of P. P. O. return through its link branch, both the portions of the P. P. O. to the district treasury officer indicating the month up to which pension payment has been made. On receipt, the district treasury officer will take necessary action for payment or the pension at a branch of a Public Sector Bank or the Treasury/Sub-treasury, as per pensioner's request.

14.3. To avoid the risk of over payment at the time of transfer, the following certificate may be recorded on the P. P. O. by the paying branch of the Public Sector Bank :–

"Certified that payment of pension up to month of .... has been made and that this P. P. O. consists of .... continuation sheets for recording disbursement".

14.4. Except as provided for above, the transfer of a pension from one payment point to another will not ordinarily be permitted.

RELIEF TO PENSIONERS

15. Whenever relief/*ad hoc* relief to pensioners is sanctioned by Government the Accountant general issues a general authority to the Treasury Officers within his jurisdiction for arranging payment. On receipt of such instructions the treasury Officers will recall the P. P. Os. from the Public Sector Bank's in a phased manner and on their receipt endorse on the P. P. Os. the revised admissible amount of temporary increase and the date from which the increase is payable and return them to the paying branches of the P. S. Bs. through their link branches. The paying branch will make payment on the revised basis only on receipt of specific authorisation in this regard from the Treasury Officer.

COMMUTATION OF PENSIONS

16. In the case of commutation of a pension, in payment through Public Sector Bank being sanctioned, the following procedure will be followed for the payment and amendment of the P. P. O.

16.1. On receipt of communication from the Accountant General sanctioning commutation and indicatin the revised rate of pension payable after commutation, the Treasury Officer will forward it, under his seal, to the paying branch through the link branch of the Public Sector Bank for arranging payment. On receipt of the authority, the paying branch will –

(i) arrange immediately payment of the commuted portion of the pension and indicate in the related payment scroll against this item of payment the Accountant General's letter of authority;

(ii) enter the date of commutation payment and the date from which the reduced pension is payable (as indicated in the commutation sanction) in the disburser's portion of the P. P. O. (as well as on the pensioner's portion of the P. P. O. at the earliest opportunity);

(iii) commence payment of reduced pension and simultaneously arrange recovery of excess payment made, if any, to the pensioner; and

(iv) advise the Treasury Officer through the link branch the date on which payment of commuted portion of pension was made and the date from which payment of reduced pension has commenced.

The link branch will also make apropriate entries in its records on the basis of such intimation.

ARREARS OF PENSION ON DEATH OF PENSIONER

17. Pension can be drawn for the day of the pensioner's death. On death of a pensioner the paying branch will receive death certificate of the pensioner and work out any arrears due to the deceased or over-payment, if any, made to him. It will immediately take action to recover the over payments from the deceased's account for which Public Sector Banks would have obtaind an undertaking from the pensioner as provided in paragraph 8(11) above. For payment of any arrear to the heir of the deceased pensioner, the Public Sector Bank will seek instructions of the Accountant General through the Treasury.

FAMILY PENSIONS

18. The P. P. Os. issued by the Accountant General indicate the entitlement in respect of family pension to the widow/husband consequent on the death of the pensioner. The Treasury Officers are authorised to commence payment of family pension on receipt of death certificate of

the pensioner and the application for grant of family pension to her/him in form (Annexure 'F'). A separate P. P. O. is not issued for this purpose by the Accountant General.

18.1. In the case of pensioners drawing their pension through P. S. B. payment of family pension at the rate indicated in the P. P. O. may be commenced by paying branch on receipt of certificate and application for family pension in form (Annexure 'F') along with the pensioner portion of the P. P. Os. The paying branch will enter the date of death of the pensioner in the disburser's portion of the P. P. O. and also make entries in the pensioner's portion and in the register in form at Annexure 'D'.

Payment of family pension will be made by credit saving/current account of the recipient (not a 'joint' or 'either or survivor Account') which may be opened if the recipient does not already have one. Additionally, an undertaking similar to the one referred to in paragraph 8, will be obtained by the paying branch from the recipient before the family pension is paid.

The paying branch will also advise the Treasury Officer through the Link Branch, the date of the pensioner's death and commencement of payment of family pension for keeping record under intimation to the Accountant General.

18.2. As earlier mentioned in paragraph 13.2, the paying branch will be responsible for obtaining certificate of re-marriage/non-marriage from the recipient.

CESSATION OF PENSION

19. When pension ceases to be payable to pensioner/recipient of a family pension on death *etc*., the paying branch will make necessary entries in the P. P. O. and its records and return it to the Treasury Officer through the link branch. The latter will like-wise amend its records. The Treasury Officer shall return the disburser's half and the pensioners half of the P. P. O. to the Accountant General.

MISCELLANEOUS

20. If all the pages for entering monthly payments in the disburser's portion of P. P. O. get fully used up, the paying branch may add extra sheets with similar cloumns for noting further payments. A suitable entry will be mades by the paying branch on the P. P. O. (disburser's portion) whenever a continuation sheet is added specifying the number of pages available on the sheet.

21. The accounts, records and registers maintained in the branches of the P. S. Bs. making pension payments and also in the link branch shall be open to audit by the Accountant General U.P., or any person appointed by him in this behalf.

22. With the introduction of this new Scheme, the present restricted facility for collection pensions through the bank of the presentation of bills to the treasuries will become unnecessry and will be withdrawn.

23. Necessary amendments in Financial Handbook, Volumn V, Part II, will be made in due course.

ANNEXURE 'A'

List of Public Sector Banks Authorised to make Payment of Pensions of Uttar Pradesh Government

(See PARAGRAPH 4.1)

Sl.no.	Name of the Public Sector Bank		Sl. no.	Name of the Public Sector Bank	
1	State Bank of India	For whole U. P. including Lucknow	7	Bank of India	For Lucknow only
2	Punjab National Bank		8	United Bank of India	
3	Allahabad Bank		9	Indian Overseas Bank	
4	Central Bank of India		10	United Commercial Bank	
5	Union Bank of India		11	Canara Bank	
6	Bank of Baroda		12	Syndicate Bank	
			13	Dena Bank	
			14	Indian Bank	
			15	Bank of Maharashtra	

ANNEXURE 'B'

APPLICATION FOR DRAWAL OF PENSION THROUGH PUBLIC SECTOR BANKS

(See PARAGRAPH 4.3)

(*To be submitted in duplicate*)

To,

THE TREASURY/SUB-TREASURY OFFICER,

(PLACE)

SIR,

I opt to draw my pension through Public Sector Bank and give below necessary particulars to enable you to make arrangements in this regard :

1. Particulars of pensioner :
   (a) Name
   (b) P. P. O. no.
   (c) Present Address
2. Particulars of authorised P. S. B. :
   (a) Name
   (b) Branch where payment desired
3. * Pensioner's S.B./Current Account no. at the Branch to which pension is to be credited.

Place :

Date :

Your's faithfully,

(*Pensioner*)

*(NOT 'JOINT' OR 'EITHER OR SURVIVOR' ACCOUNT).

Pensioner's Specimen Signature

REVERSE

FOR USE IN SUB-TREASURY

(See PARAGRAPH 6)

forwarded to the Treasury Officer along with Disburser's half of Sri/Smt./Km. .... the pension has been paid for the period up to the month of ....

Sub-Treasury Officer.

FOR USE IN TREASURY

Forwarded to the Manager/Agent .... (Link Branch of P. S. B.). The Disburser's half/both halves of P. P. O. of Shri/Shrimati/Km. .... bearing no. .... is/are sent herewith.

The pensioner has been paid pension for the period up to the month of ....

Pension due from the month of .... is to be arranged by the Bank.

Station :

Date :

Treasury Officer,

(with his seal)

ANNEXURE 'C'

Index Register of Pension Payments Authorised through Branch of the Public Sector Banks

(See PARAGRAPH 7)

Name of the pensioner	Number of the pension payment Order (P.P.O.)	Monthly' amount of pension (basic pension and relief to be shown separately)	Branch at which the payment is to be made	Date from which pension payment will Commence	Remarks
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

NOTE - Each entry should be attested by the nominated officer of the link branch of the Public Sector Bank.

(Additional entries may be provided under Reserve Bank's instructions.)

ANNEXURE 'D'

Register of Payment of Pensions

(See PARAGRAPH 8.5)

		References				Amount of Pension			
Serial no.	Name of pensioner	Treasury serial no.	P.P.O. no.	Bank A/C no.	Period for which Pension is paid	Super-annuation and retiring pension	Relief	Commuted value of pension	Family Pension
1	2	3(a)	3(b)	3(c)	4	5(a)	5(b)	5(c)	5(d)

Others		Recovery of over payment *etc.*				Pension amount allocable to other Government		
Nature	Amount	Particulars	Amount	Income Tax deductions	Net amount paid	Name of Government	Amount	Remarks
5(e)	5(f)	6(a)	6(b)	7	8	9(a)	9(b)	10

Note - Each entry should be attested by the nominated officer of the branch at which the payment is made.

(Addtional entries may be provided under Reserve Bank's instructions).

ANNEXURE 'E'

CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY PENSIONER

(See PARAGRAPH 13)

I. Life Certificate

Certified that I have seen the pensioner .... (name of the pensioner) holder of the Pension payment Order no. .... and that he is alive on this date.

Name ....

Designation of Authorised Officer

....

Place :

Date : Seal

II. Non-Employment Certificate

*I declare that I have accepted commercial employment after obtaining/wihout obtaining sanction of the Government (to be furnished by Uttar Pradesh service class I Officers during first two years from the date of retirement).

*I declare that I have/have not accepted any employment under any Government outside India after obtaining/without obtaining sanction of the Government (to be furnished by Uttar Pradesh Service Class I Officers only).

*Delete whichever is not applicable.

Pace :

Date :

Singature ....

Name of pensioner ....

P.P.O. No. ....

III. Certificate of Re-marriage/non-marriage

I hereby declare that I am not married/I have not been married during the past one year.

OR

I hereby declare that I have not been re-married and, I undertake to report such an event to the Treasury/Bank.

Place :

Date :

Signature, ...

Name of pesioner ....

P.P.O. no. ....

I certify to the best of my knowledge and belief that the above declaration is correct.

Signature of responsible officer

or a well-known person ....

Place : Name ....

Date : Designation ....

ANNEXURE 'F'

(*See* PARAGRAPH 18)

FORM OF APPLICATION

(*Family Pension Scheme for U. P. Government Employees, 1965*)

Application for a family pension for the family of late Shri/Smt. .... (Designation) .... in the office/department of ....

1. Name of the applicant ____
2. Relationship to the deceased Government Employee/Pensioner ______________________
3. Date of retirement, if the deceased was a pensioner __________________________________
4. Date of death of Government empoloyee/pensioner __________________________________
5. Names and ages of surviving kindered of the deceased

		Name	Date of birth by Christian era
Widow/Widower(s)	. .		
Sons	. .		
Unmarried Daughters	. .		

6. Name of Treasury/Sub-Treasury/P.S.B. branch at which payment is desired _______________
7. Signature or left-hand thumb-impression (in case of those who are not literate enough to sign their names). ____
8. Descriptive roll of .... widow/widower/gaurdian of the minor children of late ____

   (i) Date of birth . .

   (ii) Height . .

   (iii) Personal marks, if any, on hand or face

   (iv) left hand thumb and finger impressions :–

Small finger	Ring finger	Middle finger	Index finger	Thumb

9. Full address of the applicant(s) :–

Attested by–	Witnesses :
(1) ___________________________________	(1) ___________________________________
(2) ___________________________________	(2) ___________________________________

Note - The descriptive roll (column 8) and signature or left-hand thumb and finger impressions accompanying application for family pension should be in duplicate (in two separate sheet) and attested by two gazetted officers or persons of respectability in the town, village or pargana in which the applicant resides.

ANNEXURE 'G'

(See PARA 6.4)

Particulars of P.P.Os. transferred to

________________ Link Branch of

________________________ Bank

Serial no.	Treasury serial no.	P.P.O. No.	Name of pensioner	Amount of pension on transfer		Branch of payment	Remarks
				Pension	Relief		
1	2	3	4	5	6	7	8

संख्या ए–1–912 / दस–5(4)–84

प्रेषक,

श्री जी0 एस0 श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 6 अप्रैल, 1985

विषय :– उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों को बैंक के माध्यम से पेंशन का सीधे भुगतान।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों को कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयां तथा असुविधायें होती हैं। पेंशनरों को इस विषय में होने वाली कठिनाइयों तथा असुविधाओं के निवारणार्थ तथा पेंशनरों को पेंशन प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के दृष्टिकोण से शासन द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पांच, भाग–1 के नोट–1 तथा 2 में संदर्भित तथा अध्याय पांच के अनुसंलग्नक–ए तथा बी में उल्लिखित बैंक के माध्यम से पेंशन का सीधे भुगतान किये जाने की योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं :–

(1) यह योजना उन पेंशनरों के लिए है जो 300 रु0 प्रतिमाह से अधिक पेंशन पा रहे हैं।

(2) इस योजना के अन्तर्गत पेंशन भुगतान करने के लिए पेंशन वितरण अधिकारी पेंशनर से विकल्प प्राप्त करेंगे।

(3) जो पेंशनर इस योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए विकल्प देंगे उन्हें निर्धारित प्रपत्र में आवेदन–पत्र देना होगा जिसके संबंध में पेंशन वितरण अधिकारी भी उन्हें निर्धारित प्रपत्र में प्राप्ति स्वीकृति देगा। आवेदन–पत्र के साथ अपना पी0पी0ओ0 हाफ भी पेंशन वितरण अधिकारी को देना होगा।

(4) पेंशनर को बैंक (जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पांच, भाग–1 के नोट–1 तथा 2 में संदर्भित अध्याय पांच के अनुलग्नक ए तथा बी में उल्लिखित है) की किसी शाखा में अपने नाम से बचत खाता (Single name Account) खोलना होगा तथा बैंक की शाखा का नाम तथा खाता संख्या पेंशन वितरण अधिकारी को सूचित करना होगा।

(5) पेंशन वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक बैंक की एक शाखा में खुले सभी पेंशनरों की पेंशन के लिए एक चेक बैंक की शाखा के प्रबंधक अथवा एजेन्ट के पक्ष में बनाया जायेगा तथा पेंशनर का नाम, खाता संख्या, पी0पी0ओ0 संख्या, पेंशन की धनराशि अंकित करते हुए एक सूची तैयार की जायेगी जो चेक के साथ बैंक की शाखा को पेंशनरों के खातों में उनके नाम के समक्ष अंकित धनराशि जमा करने के अनुरोध के साथ बैंक को भेज दी जायेगी।

(6) बैंक द्वारा पेंशनर के खाते में उसकी पेंशन की धनराशि अगले माह की पहली तारीख को जमा कर दी जायेगी तथा इससे पेंशन वितरण अधिकारी को सूचित कर दिया जायेगा।

2–उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों को बैंक के माध्यम से पेंशन भुगतान योजना की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि आप इस योजना का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा इसे लागू किये जाने के संबंध में तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ करने की कृपा करें। सर्व प्रथम इस योजना के मुख्य बिन्दुओं को कोषागार के नोटिस बोर्ड पर लगाकर पेंशनरों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाय और उनसे विकल्प तथा आवेदन–पत्र प्राप्त किये जायें।

3–यह योजना प्रयोगात्मक रूप से जवाहर भवन कोषागार में दिनांक 1 मई, 1985 से लागू की जायेगी। अतः लखनऊ जनपद के पेंशनरों से विकल्प भरवाकर प्राप्त करके पेंशन भुगतान संबंधी अभिलेख जवाहर भवन कोषागार को उक्त तिथि के पूर्व हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित करें।

4–इस योजना के लागू होने और पेंशनरों द्वारा अपनाने में रुचि प्रदर्शित किये जाने पर इस योजना को प्रदेश के अन्य कोषागारों में लागू किये जाने पर विचार किया जायेगा जिनमें बैंक प्रणाली से भुगतान प्रक्रिया लागू की गई है।

5–कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,

जी0 एस0 श्रीवास्तव

संयुक्त सचिव।

—————

SCHEME FOR DIRECT PAYMENT OF PENSION TO U.P. GOVERNMENT PENSIONERS BY CHEQUE THROUGH BANK

1. The scheme will cover all state pesioners including all India service officer of state cadre whether they retire from a post under the State Governnment or under the Central Government and such other pensioners whose pensions are debitable to the consolidated fund of the State and who are in receipt of a pension exceedung Rs. 1000/- per month. The scheme is optional and would be implemented in respect of those aforesaid pensioners who opt for the same.

2. The scheme will be operated through Pension Payment Officer or by the Treasury itsefl as the case may be and the amount of pension will be credited through cheque to the respective Bank accounts of the pensioners every month. The Account should either be current or savings Bank Account to be operated by the pensioners himself and not a joint account operated by another through a person on power of attorny executed in his behalf.

3. The existing pensioners who opt to draw their pension under this scheme will exercise their option and apply to the treasury office/sub-treasury office public sector banks mentioned in Annexure A and B to chapter V of Financial Hand Book Volume V Part-I referred to in note 1 and 2 of para 103 of the above hand book in prescribed application form 1 in duplicate alongwith the pensioner's half of the pension payment Order in the case of pension drawn at a Treasury or sub Treasury for which an acknowledgement in the 'form 2' will be given by the pension Disbursing Officer concerned. The pension Disbursing Officer will then forward the application in 'form 1' after making necessary entries on the reverse both halves of the pension payment orders to the Pension Payment Office alongwith a Bankwise list of pensioners in 'form 3'. The list in Form 3 will be prepared in duplicate and office copy retained for record. In case the scheme is to be implemented by the Treasury itself then it will arrange to receive the options/applications and pensioner’s half of Pension Payment order from the pensioner and list them bankwise in the 'form 3'.

4. On receipt of the list of pensioners with both halves of P.P.O.S, the pension payment office/Treasury will make bankwise entries in the Index Register in Form 51, as per provisions of para 511 of FHB Vol. V, Para-II. The P.P.O.s (both halves) will also be arranged serially for each Bank seperately in a guard file(s).

5. The Pension Payment Clerk of pension payment Office/Treasury will prepare pension bill in 'form 4' in triplicate, separately for each bank and enter them in 'Warrant Register' as already prescribed in new Try. Form 62(3). The first copy will be used as pension bill on which

payment order for net amount will be recorded. The second copy will be used as list and sent to the Bank alongwith form 5 (in duplicate), the third copy will be used as a detailed posting schedule in Pension Payment Office/Treasury. A separate alphabetical number will be alloted to each pension payment clerk, who will keep separate to Warrant Registers with Alphabetical and serial number as Ka-1, Ka-2, Kha-1, Kha-2, Ga-1, Ga-2, *etc.* If so required as otherwise one register should suffice for a number of Banks with their branches entrusted to him. The normal procedure for passing the bill for payment will be observed and necessary entries in both halves of the Pension Payment Order would be made by the Pension Payment Clerk before signatures of Pension Payment Officer/Treasury Officer. The X Passed bill both halves of Pension Payment Order and the Warrant Register will then be sent to the Cheque-Writer. The cheque-writer, will prepare a crossed cheque with the addition of the word "Account payee only" for each bill for the net amount in the name of the Manager/Agent of the bank concerned and after it is checked and signed by the P.P.D./T.O.; make entries in another register as already prescribed in new treasury form 62(6) which would be maintained in duplicate with one copy perforated. If there are more than one cheque writers, then seperate registers in form 62(6) will be kept by them as Cha-1, Cha-2, Cha-3, *etc*. The Cheque slip in form 5 would also be prepared in triplicate by the cheque writer and the same would be put up alongwith the Warrant Register, both halves of Pension Payment Order and cheque for the intial/order of the Pension Payment Officer/Treasury Officer through the Accountant. After the bills have been passed for payment and cheque signed by Pension Payment Officer/Treasury Officer the Pension Payment Clerk will there after send the cheques to the Banks concerned by registerd post/hand delivery alongwith the pensioners list in 'form 4' (second copy) duplicate and triplicate copies of cheque slip in 'form 5' for crediting the amounts of pension in the pensioners account in bank. The Bank will acknowldge receipt of cheque(s), pensioners list and duplicate copy of 'form 5' on triplicate copy of 'form 5' which would be returned to Pension Payment Officer/Treasury immediately for record.

6. In the case of new pensioner, the process for identification as laid down in para 515A of the Financial Hand Book, Volume-V, Part-II will be followed. A new Pensioner has also to produce his personal copy of letter of the A.G. forwarding the P.P.O. alongwith the documents required of his own or on being informed by the Treasury Officer/Pension Payment Officer to present himself for receiving his pensions.

7. The pension bills in 'form No. 4' will be prepared in a phased manner through out the month and documents as mention in para 6 above sent to concerned Banks in such way that they reach bank latest before 3 working days before the last working day of the month.

8. The Bank will give an acknowledgement of the cheque in the 'form 6' as soon as the amount of the pension as per column No. 13 of 'form 4' (Pensioner list) has been credited to the respective accounts of the pensioners.

9. The cheque for pension marked not payable before the Ist of the following month would be issued to the state Bank of India in the last week of the month to which the pension relates. Separate bills would be prepared for payment on the first appearance of a new pensioner.

10. The Pension Payment Office/Treasury Officer will the cheques on the main branch and such other branches of State Bank of India which conduct Government business and send his specimen signatures to the State Bank of India's concerned branch and each change in the charge will be notified to the Bank with signatures of relieving and Relieved Officers.

11. The Cheque book blank forms shall be kept under lock and key in the personal coustody of the Pension Payment Officer/Treasury Officer. The loss of cheque book or blank

forms should be notified promptly to the Bank with whom the Pension Officer/Treasury Officer has the drawing account.

12. The currency of the cheque will expire at the end of the subsequent month from the month of issue. In cases when currency of a cheque expires owing to its not being presented at the Bank within the period specified above. It may be received back by the drawer who shall destroy it and issue a fresh cheque in lieu thereof. The fact of the destruction and the number and date of the fresh cheque should be recorded in the counter foil of the old-cheque and the number and date of the old cheque that is distroyed shall be recorded on the counter foil of the fresh cheque.

13. The first of the fresh cheque having been issued should be entered on the date of issue in red ink at the same time against the original entry in the form No.62(6) and 4 when a cheque is reported lost a non-payment certificate should be required to be furnished from the bank drawn on and a fresh cheque issued therafter and the procedure laid down above should be observed.

14. When it is necessary to cancel a cheque, the cancellation should be recorded on the counter foil and the cheque if in the drawers possession should be destroyed. If the cheque is not in his possession, should promptly request the Bank to stop payment of the cheque and on asertaining that payment has been stopped, he should write back the entry in his cash book by exhibiting the amount of the cheque as a minus figure in form 4/form 62(6) on the payment side. A counter reference should be given to the second entry of the cheque.

The account of the time barred, cancelled and that of fresh cheques issued in lieu of time-barred/cancelled cheques will be kept in form No. 62(7), form 62(13) and form 62(7A) with the help of entires form 62(6).

15. The Pension Payment Officer/Treasury Officer will obtain cheque books bank forms directly from the Director Printing and Stationary Allahabad by placing an indent with him.

16. The detailed Account of the receipt/issue of Cheque Books/Blank forms will be maintained in a register in form 7 similarly detailed account of Cheque books/Blank forms issued Accountant/Cheque writer in registers maintained in new Treasury forms 62(12) and 62(12A) respectively and the instructions regarding their safe custody would be meticulously observed as provided financial Rules on the subject.

17. The pensioners should immediately inform the Bank in event of the marriage or re-marriage in the case of female pensioner and the commencement of employment in the case of other pensioner and they would be required to furnish the following :–

(a) Life certificate, as required under rule 518 Financial Hand Book, Volume-V, Part-II, once a year in the month of November in the form prescribed in form 8(I).

(b) In case of female pensioner a declaration in form 8(III) to the effect of non happening of the event which would cause termination of the pension as required under Rule 521 of financial Hand Book volume-V, Part-II.

18. Certificate of non employment in form 8(iii) as required under Rule 526 of financial Hand Book Volume-V, Part-II, once in six months in May and November covering the period of previous six months.

This certificate is necessary only if a pensioner is re-employed as requires in any of the Government Department of public sector undertaking/corporations or in any of the institution which receives grant in aid or any other help from Government.

19. These certificates will be received through the Banks or directly by the Pension Payment Office/Treasury from the Pensioners. The Pension Payment Officer/Treasury Officer will watch the receipt of the aforesaid certificates/declarations and will not pay pension unless they are received.

20. **Transfer of Pension**:–No transfer of a Pension Payment Office/Treasury to other pension payment office at the same place will ordinarily be permitted. In other cases the procedure as laid down under Rules 950, 951 and 952 of C.S.R. would be followed.

21. **Death of Pensioner** :– Pension can be drawn for the day of the pensioners death. On the death of a pensioner therefore, the Pension Payment Office/Treasury will receive the death certificat of the pensioner and work out any arrears due to the deceased or over payment, if any, made to him. It will immediately take action to recover the over payments from the deceased's account from the Bank and have the amount deposited into Government account. Arrears would be paid in the manner in which life time arrears of pension are paid at death of pensioner in the case of pension drawn at Treasury or sub-Treasury.

22. The Accountant will prepare a daily abstract of cheques issued and amount thereof for each cheque writer in the new Treasury form No. 62(6A).

23. The paid pension bills will be sent by the Pension Payment Clerk to the Accounts section. At the close of the day, the cheque writer and Accountant will also respectively send a copy of form 62(6) and 62(A) to the Accounts Section. On the basis of these and bill in form Number 4, the Accounts Sections will prepare the Payment schedule in the form 64(3) already prescribed. The abstract will be prepared in form 64(6) already prescribed. The daily total will also be worked out in the payment schedules on the basis of which necessary entries would be made in the receipt schedule in form 62(9) and carried to the cash book under the Head of Account "8670 cheques and bills 104–Treasury cheques" in the receipt side and the gross total inclusive of income tax/surcharge and other deductions will be taken in the payment side of the cash book under the Head of Account "2071 Pension and other retirement benefits."

24. The deductions on account of Income Tax, surcharge and other deductions will be taken to the respective receipt schedules under the following Head of Accounts Respectively :–

1. Income Tax/Sur-charge–	"8658–Suspense Accounts–112-Tax deducted at source (TDS) suspense"
2. Other Deductions	"0071–Contribution and Recoveries towards pension and other retirement benefits 01–civil 800–Other-Receipts."

The respective daily totals of these amounts will also be taken into the receipt side of the cash book.

25. The paid cheques and bank scrolls thereof will received in the Accounts section from the State Bank of India and after the prescribed cheques would be sent to the cheque writer concerned to complete entries in form No. 62(6). The cheque-writer will send back the cheques to Accounts Sections. Who will then prepare the daily payment Register of cheques in form No. 62(10) from this Register the total would be carried to the Cash Book in the payment side under Head of Account "8670–Cheques and Bills 104–Treasury cheques".

26. The pension bills in Form-4, payment schedules and abstracts in the form 64(6) and the paid cheques will be sent to Accountant General U.P. Allahabad with the I[st] list of Accounts for the period from I[st] of the month to the 10[th] of the month.

27. With the 2nd list of Accounts for the period from 11th of the month to the end of the month the following schedules will be sent to Accountant General U.P. in addition to the documents mentioned in para 26.

1. List of cheques issued during the month in form No. 62 (6).

2. List of cheques paid during the month of form No. 62 (10).

3. List of cheques not paid during the month.

4. List of time barred/cancelled cheques and fresh cheques issued in lieu thereof in prescribed forms (7) (7A) and (13).

FORM–1

Application for direct payment of pension through Banks

To,

The Treseasury/Sub-Treasury Officer/Agent/Bank

Sir,

I opt for direct payment of my pension through the Bank and give below necessary particulars to enable you to make arrangements in this regard :–

1. Particulars of Pensioner –

(a) Name ....

(b) P.P.O. No. ....

(c) Amount of pension ....
(Without Commutation)

(d) Amount of pension ....
(After Commutation)

(e) Dearness Relief ....

(f) Deductions :– (i) Income Tax (ii) Surcharge ....

2. Particulars of Pensioners :– Saving Bank/Current Account No. at the Branch to which pension is to be credited ....

(i) name of the Bank ....

(ii) S.B./Current Account No. ....

3. Nature of Re-employment if any ....

4. Parmanent postal Address ....

....

I agree to the conditions regarding giving six months and yearly certificate as prescribed in Government O.M. No. ....

....

REVERSE (FORM No.–1)

For use in Sub-Treasury

Forwarded to the Treasury Officer along with Disbursers half of Sri/Srimati/Km. .... the pension has been paid for the period up to the month of ....

Sub-Treasury Officer

For use in the Public Sector Bank

Forwarded to the Treasury Officer with Disburser's half of Sri/Srimati/Km. .... the pension has been paid for the period up to the month of ....

Agent/Manager

For use in Treasury

Forwarded to the Pension Payment Officer/Treasury .... the disbursers Half/Both halves of P.P.O. of Sri/Srimati/Km. .... Bearing No. .... is/are sent herewith.

The pensioner has been paid pension for the period up to the month of ....

Pension due from the month of .... is to be arranged by the Pension Payment Officer/Treasury Officer.

Treasury Officer
(with his seal)

I have authorised the Bank to receive my pension payment for credit to my aforesaid single Name Account and I hereby declare that the receipt given by the Bank for the amount of my pension received my behalf should be treated as legal aquittance.

I hereby declare that I and my heirs and successors accept liability of making good to Government over payment if any, made to under the scheme.

I hereby also declare that I would report the event of my employment in a Government establishment or an establishment paid from a local fund as soon as it occurs.

FORM–2

Received P.P.O. No. .... alongwith application for direct payment of pension through .... Bank from Sri/Srimati/Km. .... on ....

Treasury Officer/
Sub-Treasury Officer
Pension Disbursing Officer (Bank)

FORM–3

Particulars of P.P.O.'s transferred to Pension Payment Office/Treasury at ....

Sl. no.	Treasury serial number	P.P.O. number	Name of pensioner	Amount of pension on transfer		Name of the bank	Remarks
				Pension	Relief		
1	2	3	4	5	6	7	8

FORM–4

I[st] List/ II[nd] List Name of Bank

Pension Payment Office/Treasury ....

Major Head : 2071 Pension and other Retirement Benefits.

Pension Bill/Schedule for the month of 20

1. Date :	
2. Serial No.	
3. Name of Pensioner	
4. P.P.O. No.	
5. Bank Account No.	
6. Period for which pension is being paid :	
7. Ordinary Service Pension Relief Total	
8. Family Pension/Relief=Total	
9. Pension to Legislatures	
10. Others	
11. Gross Total (Inclusive of all deductions)	
12. Recovery of overpayment of pension *etc.*	
13. Income tax surcharge deductions	
14. Net amount paid	
15. Voucher No.	
16. Cheque No.	
17. Amount of cheque	
18. Remarks	

FORM–5

Cheque slip

Original/Duplicate/Triplicate

No.

To.

The Agent/Manager,

.... Bank.

The enclosed cheque for Rs. .... (Rupees ....) is sent for favour of credit to the single name account of respective Pensioners as per details as furnished in form-4 which is also enclosed.

Date of issue of cheque :

Serial No. of cheque :

FORM–6

.... Bank

Place ....

Date ....

Acknowledgement–

Received (Rs.) Rupees .... from the Pension Payment Officer/Treasury Officer .... Drawn vide cheque no. .... dated .... cheque slip no. .... The amount has been credited in the account of pensioners/single Name Account No. .... as per details furnished is form for his/her Pension for the month of ....

Stamp	Agent/Manager
Seal of the Bank	Bank

Instructions :

1. The Pensioner special single name Account will be operated for drawal of pension only.

2. In the event of the death of the Pensioner, the Bank will intimate the actual date of death of the pensioners and the Bank will not release the balance in the Account of the Pensioner unless clearance is received from the Pension Payment Officers/Treasury Officers.

3. If the Pension has remained under drawn for six months, the Bank will send on intimation to that effect to the Pension Payment Officer/Treasury Officer.

FORM–7

Register of Receipt/Issue and Return of Cheque-Book of Pension Payment Office/Treasury

Sl. no.	Date of Receipt	Book No.	Serial Nos. of Cheques	Signature of P.P.O./ T.O.	Date of issued Cheque Book	Name of official to whom issued	Acknowledge-ment of Cheque Book	Date of Return	Special details if any	Signature of P.P.O./ T.O.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

FORM–8(i)

Certificate to be submitted by Pensioner

(*See* Paragraph-17)

I Life Certificate

Certified that I have seen to the Pensioner .... (Name of the Pensioner) holder of the Pension Payment Order No. .... and that he is alive on this date.

Name

....

Designation of Authorised Officer

....

Place ....

Date .... Seal

FORM–8(ii)

II–Non-Employment Certificate

I declare that I have accepted Commercial employment after obtaining/without obtaining sanction of the Government (to be furnished by Uttar Pradesh Service Class I Officer during first two years from the date of retirement).

I declare that I have not accepted any employment under any Government out side India Government after obtaining/without obtaining sanction of the Government (to be furnished by Uttar Pradesh Service Class I Officers Only).

Delete whichever is not applicable.

Place ....

Date .... Signature ....

FORM–8(iii)

III–Certificate of Re-Marriage/Non-Marriage

I hereby declare that I am not married/I have not been married during the past one year

or

I hereby declare that I am not marred/I have not married during the past one year.

or

I hereby declare that I have not been re-married and, I undertake to report such an instant to the Treasury/Pension Payment Office.

Place .... Signature ....

Date .... Name of Pensioner ....

P.P.O. No. ....

I certify to the best of my knowledge and belief that the above declaration is correct.

Signature of responsible officer

or

Place .... A well known Person ....

Date .... Name ....

Designation ....

संख्या ए–1–1048/दस–91–23(2)–82 टी0सी0

प्रेषक,

श्री भोला नाथ तिवारी,

प्रमुख सचिव, वित्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 2 जुलाई, 1991

विषय :– राज्य सरकार के ऐसे पेंशनरों जिनकी मासिक पेंशन की धनराशि अन्तरिम सहायता को छोड़कर रु0 1,000/– (रुपये एक हजार) तक है, कोषागार/उपकोषागार से नकद भुगतान किया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–2 के नियम–529–ए(2) एवं 530–ए के अनुसार ऐसे पेंशनर जिनकी मासिक पेंशन की कुल धनराशि रु0 300/– (रुपये तीन सौ) है यदि चाहे तो कोषागार/उपकोषागार से नकद पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे पेंशनर जिनकी मासिक पेंशन की कुल धनराशि रु0 500/– (रुपये पाँच सौ) तक है, के अनुरोध पर कोषाधिकारी यदि चाहे तो कोषागार/ उपकोषागार से नकद भुगतान कर सकता है।

2–दिनांक 1 जुलाई, 1979 और 1 जनवरी, 1986 से राज्य कर्मचारियों के वेतनमान पुनरीक्षित हो गये हैं। समय–समय पर शासन द्वारा लिए गए निर्णयानुसार पेंशन की न्यूनतम धनराशि में वृद्धि तथा पेंशन पर अन्तरिम सहायता, तदर्थ अन्तरिम सहायता अनुमन्य हो जाने के कारण रु0 300/– (रुपये तीन सौ)

की सीमा में वृद्धि किए जाने के प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर जिनकी मासिक पेंशन की धनराशि (अन्तरिम सहायता को छोड़कर) रु0 1,000/– (रुपये एक हजार) तक है, के अनुरोध पर कोषागार/उपकोषागार से जहाँ सामान्यतः चेकों बिलों या टेलर व्यवस्था द्वारा भुगतान किया जाता है नकद भुगतान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। ऐसे पेंशनरों के भुगतान हेतु कोषाधिकारी द्वारा प्रस्तर–249 (एच) के अन्तर्गत एक माह में दो अग्रिम आहरण किए जायेंगे। ऐसे मामलों में जहाँ वास्तविक अग्रिम की धनराशि तय नहीं की जा सकी हो, प्रत्येक कोषागार/उपकोषागार की परिस्थितियों के अनुरूप दो से अधिक अग्रिम आहरित किए जा सकते हैं किन्तु अग्रिम की संख्या जहाँ तक सम्भव हो न्यूनतम हो।

3–वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5, भाग–2, नियम 529–ए(2) एवं 530–ए में तद्नुसार यथावश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

भवदीय,

भोला नाथ तिवारी

प्रमुख सचिव, वित्त।

———————

संख्या ए–1–549/दस–93–23(2)–82 टी0सी0

प्रेषक,

श्री ध्रुव नारायण तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 21 अगस्त, 1993

विषय :– राज्य सरकार के ऐसे पेंशनरों जिनकी मासिक पेंशन की धनराशि अन्तरिम सहायता को छोड़कर रु0 1,000/– (रुपये एक हजार) तक है, कोषागार/उपकोषागार से नकद भुगतान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्र संख्या ए–1–1018/दस–91–23(2)–82 टी0सी0, दिनांक 2 जुलाई, 1991 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय कोषाधिकारियों ने यह बिन्दु उठाया है कि उक्त शासनादेश दिनांक 2 जुलाई, 1991 में उल्लिखित ''अन्तरिम सहायता'' का तात्पर्य ''महंगाई राहत'' से है अथवा किसी अन्य मद से तथा पेंशनरों को नकद भुगतान की बढ़ाई गयी सीमा 1,000/– (एक हजार रुपये) का तात्पर्य ''मूल पेंशन'' से है अथवा मूल पेंशन तथा महंगाई राहत दोनों के योग से है।

2–इस सम्बन्ध में मुझे स्पष्ट करना है कि उक्त शासनादेश में उल्लिखित ''अन्तरिम सहायता'' से तात्पर्य ''महंगाई राहत'' से है तथा मासिक पेंशन से तात्पर्य ''मूल पेंशन'' से है। उपर्युक्त शासनादेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

ध्रुव नारायण तिवारी

संयुक्त सचिव।

संख्या सा–3–769 / दस–96–901–96

प्रेषक,

श्री नृपेन्द्र मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 22 जून, 1996

विषय :– राजकीय पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को पहचान–पत्र निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त राजकीय पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को उनकी सुविधा के लिये निःशुल्क पहचान–पत्र निर्गत करने हेतु महामहित श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। पहचान–पत्र पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने, राजकीय चिकित्सालयों से चिकित्सा सुविधा एवं अन्य प्रयोजनों के लिए उनकी पहचान हेतु मान्य होगा। पहचान–पत्र निर्गत किये जाने हेतु नियम तथा प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–

(1) पहचान–पत्र संबंधित कोषाधिकारियों द्वारा निर्गत किये जायेंगे जहाँ से पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा हो।

(2) (क) निदेशक, पेंशन पहचान–पत्र मुद्रित कराके दिनांक 30 जून, 1996 तक समस्त कोषागारों को उपलब्ध करा देंगे।

(ख) यह पहचान–पत्र क्रमांकित होंगे। पेंशन निदेशक इन्हें क्रमांक के अनुसार ही समस्त कोषागारों को वितरित करेंगे तथा उसका लेखा–जोखा रखेंगे।

(ग) समस्त कोषाधिकारी पहचान–पत्र को पेंशनरों को क्रमांक के आधार पर ही जारी करेंगे तथा अपने अभिलेख में उसका लेखा–जोखा रखेंगे। इस हेतु कोषाधिकारी सभी पेंशनरों के नाम वर्णमाला क्रम में एक रजिस्टर में अंकित करेंगे तथा उसमें क्रमांक, पेंशनर का नाम, पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि, पहचान–पत्र जारी करने की तिथि, पहचान–पत्र का क्रमांक एवं पेंशनर के हस्ताक्षर का उल्लेख भी करेंगे। पेंशनर यदि चाहें तो इस पहचान–पत्र पर प्लास्टिक कवर स्वयं चढ़ा सकते हैं।

(3) पहचान–पत्र पर पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का पासपोर्ट साइज का श्वेत–श्याम फोटो लगाया जाएगा जिसे संबंधित पेंशनर द्वारा स्वयं कोषाधिकारी को उपलब्ध कराया जाना होगा। पेंशनरों की सुविधा के लिए कोषाधिकारी पूर्व प्रचारित तिथियों के अनुसार कोषागार परिसर में फोटोग्राफर की व्यवस्था उपलब्ध करा सकते हैं, जो उचित मूल्य पर पेंशनर का फोटो खींचकर उपलब्ध करा सकें। इस हेतु फोटोग्राफी की दरें कोषाधिकारी द्वारा स्थानीय फोटोग्राफरों से बात (Negotiate) करके निर्धारित की जायेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि कोषागार परिसर में फोटो खिंचवाने की बाध्यता नहीं है एवं फोटोग्राफी पर कोई शासकीय व्यय नहीं होना है। पेंशनर यदि चाहें तो कहीं से भी अपनी सुविधा अनुसार संयुक्त फोटोग्राफ खिंचवा करके कोषाधिकारी को उपलब्ध करा सकते हैं। कोषाधिकारी फोटोग्राफ को संबंधित पेंशनर के पी0पी0ओ0 पर लगे फोटो से मिलान करके प्रमाणित करेंगे।

(4) फोटोग्राफ जमा करने एवं उसके उपरान्त पहचान–पत्र निर्गत करने के कार्यक्रम एवं अन्य संबंधित सूचना कोषागार के सूचना पटल पर चस्पा की जायेगी।

(5) पहचान–पत्र के प्रारूप को भरने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :–

(क) पृष्ठ–2 पर सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत राजकीय सेवक का नाम अंकित किया जायेगा।

(ख) सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के पूर्व धारित पद का नाम, अन्तिम आहरित वेतन, स्थायी पता, यदि अस्थायी पता हो तो उसका भी उल्लेख किया जायेगा। संयुक्त फोटोग्राफ को चिपकाकर प्राधिकार–पत्र में लगे फोटो से मिलान कर कोषाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु की तिथि, पेंशन प्राधिकार–पत्र संख्या एवं पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि, पेंशन प्राधिकार–पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी का स्पष्ट नाम, कोषागार का नाम अंकित किया जायेगा, जहाँ से से पहचान–पत्र निर्गत किया जा रहा है।

(ग) पृष्ठ–3 पर राजकीय सेवक के परिवार के सदस्यों के नाम, जो परिवार की परिभाषा में आते हों, और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र हों, अंकित किये जायेंगे।

(6) पहचान–पत्र खो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर दूसरा पहचान–पत्र प्राप्त करने के लिए पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को पुलिस स्टेशन में एफ0आई0आर0 दर्ज करानी होगी तथा उसकी प्रति संबंधित कोषागार में प्रस्तुत करने के साथ रुपया 25.00 का शुल्क भी जमा करना होगा।

अनुरोध है कि आप कृपया अपने कोषागार से सम्बद्ध सभी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पहचान–पत्र देने में व्यकितगत रुचि लेकर प्राथमिकता पर कार्यवाही सम्पन्न कराने का कष्ट करें तथा इस दिशा में कोषागार द्वारा सभी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को सम्पूर्ण सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें। पहचान–पत्र वितरण से संबंधित सभी प्रक्रिया प्रत्येक दशा में दिनांक 25 अगस्त, 1996 तक पूर्ण कर ली जाएंगी। दिनांक 1 सितम्बर, 1996 से पेंशन का भुगतान पी0पी0ओ0 के साथ पहचान–पत्र रखने पर ही किया जयेगा।

भवदीय,
नृपेन्द्र मिश्र
प्रमुख सचिव।

———

<u>आवश्यक</u>

संख्या ए–1–1482/दस–96–10(4)–95

प्रेषक,

श्री शेखर अग्रवाल,
सचिव, वित्त (व्यय–नियंत्रण) विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3–समस्त कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 10 सितम्बर, 1996

विषय :– अवशेष पेंशन भुगतान के सम्बन्ध में प्रक्रिया।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि सी0एस0आर0 के प्रस्तर–957 के नीचे अंकित राज्य सरकार के निर्णय बिन्दु (3) में यह व्यवस्था है कि यदि पेंशन का आहरण नियमित रूप से नहीं किया जाता है और उसकी अवधि अंतिम आहरण के एक वर्ष से अधिक नहीं है तो उसका भुगतान कोषाधिकारी अपने प्राधिकार से कर सकता है, यदि उक्त अवधि एक वर्ष से अधिक है किन्तु दो वर्ष से अधिक नहीं है तो जिलाधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित होगी, किन्तु यदि बकाया पेंशन की अवधि दो वर्ष से अधिक और छः वर्ष से अधिक नहीं है तो आयुक्त की स्वीकृति अपेक्षित होगी।

2—इस संबंध में आपका ध्यान शासनादेश संख्या ए—1—549/दस—5(2)—71, दिनांक 3 जनवरी, 1972 की ओर आकृष्ट करना है जिसके प्रस्तर—1, बिन्दु—4 में अवशेष पेंशन भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है जो निम्नवत् उद्धृत है :—

"(4) सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद—956 के अनुसार अगर भारत में भुगतान की जाने वाली पेंशन को एक साल से अधिक अवधि तक आहरित नहीं किया जाता तो उस पेंशन का भुगतान बन्द कर दिया जायेगा। अनुच्छेद—957 के अनुसार यदि अवशेष की धनराशि 1,000 रु0 से अधिक हो, तो उसे पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी की स्वीकृति के बिना भुगतान नहीं किया जा सकता। अब यह निश्चय किया गया है कि यदि अवशेष की धनराशि रु0 8,100 या कम हो तो भी पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही उसका भुगतान किया जा सकेगा, परन्तु इस भुगतान को करने के लिए उसको जिलाधिकारी के आदेश की आवश्यकता होगी जिसके अधीनस्थ कोषागार से भुगतान किया जा रहा हो।"

3—शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि न्यूनतम मूल पेंशन रु0 375 तथा उस पर महंगाई राहत व अंतरिम राहत की धनराशि मिलाकर 13 माह के बकाया पेंशन अवशेष उक्त शासनादेश में संबंधित जिलाधिकारी के आदेश से पेंशन अवशेष के भुगतान की अधिकतम निर्धारित सीमा रु0 8,100 से काफी अधिक हो जायेगी अतः अवशेष पेंशन के भुगतान के लिए निर्धारित उक्त सीमा प्रक्रिया में संशोधन किया जाना अपरिहार्य हो गया है।

4—अतएव अधिकाधिक पेंशनर लाभान्वित हो सकें तथा महालेखाकार/विभागों से पत्राचार में समय नष्ट किये बिना ही पेंशन अवशेष का भुगतान पेंशनरों को हो सके इस दृष्टि से सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय अवशेष पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

"यदि पेंशन का आहरण एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष तक नहीं किया गया है तो पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही संबंधित जिलाधिकारी को अनुमति से दो वर्ष तक के बकाया पेंशन के अवशेष धनराशि का भुगतान एवं पेंशन आहरण पुनः शुरू किया जा सकेगा, इसी प्रकार यदि पेंशन का आहरण दो वर्ष से अधिक और छः वर्ष तक नहीं किया गया है तो सम्बन्धित मण्डलायुक्त की अनुमति से छः वर्ष तक के बकाया पेंशन के अवशेष धनराशि का भुगतान एवं पेंशन आहरण पुनः शुरू किया जा सकेगा, उक्त अवधि से ऊपर के पेंशन अवशेष भुगतान/पेंशन के पुनर्आहरण के प्रकरणों में शासन की स्वीकृति/आदेश प्राप्त करने होंगे।

5—उपर्युक्त निर्णय के अनुसार सी0एस0आर0 में आवश्यक संशोधन अलग से प्रसारित किये जायेंगे।

आज्ञा से,
शेखर अग्रवाल
सचिव,
वित्त (व्यय—नियंत्रण) विभाग।

———

संख्या सा—3—1092/दस—96—901—96

प्रेषक,

शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 | लखनऊः दिनांक 28 सितम्बर, 1996

विषय :— राजकीय पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पहचान—पत्र निर्गत किया जाना— स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या सा—3—769/दस—96—901—96, दिनांक 26 जून, 1996 की व्यवस्था के अनुसार समस्त राजकीय पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को फोटोयुक्त पहचान—पत्र दिनांक 25 अगस्त, 1996 तक जारी कर दिए जायेंगे तथा दिनांक 1 सितम्बर, 1996 को पेंशन प्राप्त करते समय

उक्त पहचान–पत्र भी कोषागार में प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या सा–3–939/दस–901–96, दिनांक 26 अगस्त, 1996 द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 1996 की तिथि सीमा को बढ़ाकर 25 अक्टूबर, 1996 कर दिया गया है अर्थात् दिनांक 1 नवम्बर, 1996 को कोषागार से पेंशन प्राप्त करते समय उक्त पहचान–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इस संदर्भ में कतिपय पेंशनरों एवं उनके संघों द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि पहचान–पत्र प्रस्तुत करने संबंधी प्राविधान को पेंशनरों को अनावश्यक रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

2–कोषागार से पेंशन आहरित करते समय पहचान–पत्र प्रस्तुत करने के प्राविधान से शासन का यह आशय कदापि नहीं है कि बगैर पहचान–पत्र को प्रस्तुत किए, पेंशन का भुगतान नहीं होगा। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि चूँकि पहचान–पत्र की व्यवस्था पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की पहचान के लिए किया गया है, अतएव यदि कोषागारों में संबंधित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की पहचान करने में समस्या आ रही है तो ऐसे मामलों में पहचान–पत्र प्रस्तुत करने से आसानी से पहचान की जा सकेगी और गलत व्यक्ति को भुगतान की सम्भावना नहीं रहेगी। यदि पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के पी0पी0ओ0 से उसकी पहचान सुनिश्चित हो जाती है तो पेंशन लेते समय पहचान–पत्र का प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य नहीं होगा।

3–अनुरोध है कि पहचान–पत्र की व्यवस्था कोषागारों/पेंशनरों की सुविधा हेतु की गयी है। अतएव इससे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

भवदीय,
शिव प्रकाश
संयुक्त सचिव।

———

<u>आवश्यक</u>

संख्या ए–1–2072/दस–96–10(23)–96

प्रेषक,

श्री शेखर अग्रवाल,
सचिव, वित्त (व्यय–नियंत्रण),
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–जिलाधिकारी,
इलाहाबाद, उन्नाव, कानपुर (नगर), वाराणसी,
फैजाबाद, मुरादाबाद, आगरा, देहरादून, झांसी, मथुरा,
बलिया, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़,
बुलन्दशहर, देवरिया, बरेली, मेरठ, फतेहपुर एवं सीतापुर।

2–भुगतान एवं लेखाधिकारी,
स्थानिक आयुक्त कार्यालय,
उ0 प्र0 भवन, नई दिल्ली।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 16 दिसम्बर, 1996

विषय :– उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों को बैंक के माध्यम से पेंशन का सीधे भुगतान।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों को पेंशन प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के दृष्टिकोण से शासनादेश संख्या ए–1–912/दस–5(4)–84, दिनांक 6 अप्रैल, 1985 के क्रम में शासन द्वारा वित्तीय नियम संग्रह के खण्ड–5, भाग–1 में नोट एक तथा दो में संदर्भित तथा अध्याय पांच के अनुलग्नक ए तथा बी में उल्लिखित बैंक के माध्यम से पेंशन का सीधे भुगतान किये जाने की योजना 1 जनवरी, 1997 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :–

(1) पेंशनरों को बैंकों के माध्यम से सीधे पेंशन भुगतान के संबंध में वही प्रक्रिया अपनाई जाय जो जवाहर भवन, कोषागार के लिए शासनादेश संख्या ए–1–912/दस–96–5(4)–84, दिनांक 6 अप्रैल, 1985 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा निर्धारित की गई है।

पूर्व में जारी हुए शासनादेश संख्या ए–1–1018/दस–91–23(2)–82 टी0सी0, दिनांक 2 जुलाई, 1991 व शासनादेश संख्या ए–1–549/दस–23(2)–82 टी0सी0, दिनांक 21 अगस्त, 1993 में पेटी पेंशनर्स के लिए लागू की गयी योजना यथावत् रहेगी। लेकिन रु0 1,000 तक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर यदि इस शासनादेश द्वारा लागू की जा रही योजना के माध्यम से पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें इस योजना के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य होगी।

(2) शासनादेश संख्या ए–1–2840/दस–10(16)–76, दिनांक 1 जनवरी, 1979 द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक के माध्यम से लागू की गयी पेंशन भुगतान की योजना वर्तमान में उन पेंशनरों, जो इस व्यवस्था के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं के लिए लागू रहेगी। परन्तु बैंक के माध्यम से सीधे पेंशन की योजना लागू करने की तिथि से नये पेंशनरों के लिए यह व्यवस्था लागू नहीं रहेगी। पब्लिक सेक्टर बैंकों के माध्यम से जो पेंशनर पेंशन का भुगतान प्राप्त कर रहे हैं यदि वे स्वेच्छा से चाहें तो बैंकों के माध्यम से सीधे भुगतान की व्यवस्था के अन्तर्गत अपना विकल्प दे सकते हैं।

(3) प्रदेश के उपरोक्त कोषागारों में जहां पर पहले से कम्प्यूटर लगे हैं, इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे पेंशनरों के द्वारा भी पेंशन प्राप्त की जा सकती है, जो तहसील स्तर पर राष्ट्रीकृत बैंक शाखा में अपना खाता खोलने को राजी हो जाते हैं।

(4) इस योजना के लागू होने की तिथि से उपरोक्त कोषागारों में पेंशनरों के द्वारा बिल के माध्यम से पेंशन भुगतान प्राप्त करने की व्यवस्था समाप्त हो जायेगी।

(5) मनीआर्डर के माध्यम से वितरित की जाने वाली पेंशन व्यवस्था को यथावत् चालू रखा जायेगा। 1 जनवरी, 1997 से नये पेंशनरों के लिए मनीआर्डर की व्यवस्था लागू नहीं होगी। मनीआर्डर के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स इस योजना से आच्छादित होने का विकल्प दे सकते हैं।

2–मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आप इस योजना का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा इसे लागू किये जाने के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

शेखर अग्रवाल

सचिव,

वित्त (व्यय–नियंत्रण)।

———–

संख्या एस–3–2120/दस–1998

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–निदेशक, कोषागार, उ0 प्र0, लखनऊ।
2–निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
3–समस्त पेंशन स्वीकृति/निर्गत के सक्षम अधिकारी।
4–समस्त जिलाधिकारी, उ0 प्र0।
5–समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।

वित्त (सेवायें) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 18 अगस्त, 1998

विषय :– उत्तर प्रदेश के कोषागारों द्वारा सीधे पेंशनभोगी के एकल नाम के खाते में प्रतिमाह पेंशन सम्बन्धी देय धनराशि चेक द्वारा प्रेषित किया जाना।

Subject :– Payment of pension of pensioners by cheque into their individual bank account, by the treasuries of U.P. .

महोदय,

शासनादेश संख्या ए–1–912/दस–5(4)–84, दिनांक 6 अप्रैल, 1985 द्वारा प्रथमतः 1 मई, 1985 से जवाहर भवन, लखनऊ में कोषागार द्वारा पेंशनभोगी के खाते में प्रतिमाह पेंशन की धनराशि भेजने की योजना लागू की गई थी और बाद में समस्त कोषागारों हेतु लागू कर दिया गया है।

2–उपर्युक्त शासनादेश के साथ संलग्न प्रपत्र–1 पूर्व में अंग्रेजी में बनाया गया था तथा उसमें अनेक जटिलताओं का अनुभव पेंशनभोगियों द्वारा किया जाता रहा है। विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय उपर्युक्त शासनादेश के प्रपत्र–1 को समाप्त करते हुये संशोधित प्रपत्र–1 (संलग्नक) इस आशय से जारी करते हैं कि इसका उपयोग तत्काल प्रारम्भ किया जाय। कोषाधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि ''माह के पहली तारीख के पूर्व भुगतान नहीं'' चेक पर लिख कर प्रत्येक माह के 25 से 28 तारीख तक पेंशनभोगी के खाते में प्रेषण किया जाय।

3–पेंशनभोगियों से प्राप्त किये जाने वाले वांछित प्रमाण पत्रों का समावेश प्रपत्र–1 पर ही कर दिया गया है [जैसे पुनर्सेवायोजन (रिइम्लाइमेंट), पुनर्विवाह, जीवनकालीन अवशेष का नामकरण आदि]।

4–संशोधित प्रपत्र–1 को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी/पारिवारिक पेंशन भोगी पेंशन हेतु भरे जाने वाले आवेदन–पत्र के साथ ही अलग से कार्यालयाध्यक्ष से प्रमाणित कर, संलग्न कर देने पर पेंशन भोगी को प्रथम बार कोषाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने पर अलग से प्रपत्र–1 भरने की आवश्यकता नहीं होगी।

कृपया उपरोक्त प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू की जाय।
संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
सुनील कुमार
विशेष सचिव।

संलग्नक :– शासनादेश संख्या एस–3–2120/दस–98, दिनांक 18 अगस्त, 1998 संशोधित प्रपत्र–1

(कोषागार द्वारा पेंशनभोगी के खाते में सीधे चेक द्वारा प्रतिमाह देय पेंशन की धनराशि जमा करने का आवेदन–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि मैं .... पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री .... निवासी .... पेंशन भुगतान संख्या (पी0पी0ओ0 संख्या) .... श्रेणी (उत्तर प्रदेश सरकार/मिलेट्री/रेलवे/राजनैतिक/केन्द्रीय/अन्य सरकार नाम सहित) रुपये ....मात्र की देय धनराशि बैंक में कोषागार द्वारा सीधे जमा करने हेतु बैंक .... शाखा .... में खाता संख्या .... अपने नाम (एकल खाता) में खुलवा लिया है।

2–मैं, सशपथ स्वीाकर करता हूँ कि उपरोक्त खाते को मैं भविष्य में भी एकल खाता से भिन्न संचालित नहीं करूँगा।

3–यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैं अन्यत्र किसी सरकारी/अर्ध सरकारी/राज्य सहायता प्राप्त संगठन/संस्था में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सेवा कर कोई धनोपार्जन नहीं करता हूँ/करती हूँ। (महिलाओं के प्रकरण में पुनर्विवाह न करने की पुष्टि की जाय)।

4–मेरी मृत्यु होने की दशा में पेंशन सम्बन्धी जीवनकालीन अवशेष भुगतान श्री/श्रीमती/कुमारी .... पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री (संबंध) निवासी .... को किया जाय।

5–यदि उपरोक्त प्रमाण से भिन्न कोई तथ्य सिद्ध होता है तब उसका पूरा दायित्व मुझ पर होगा एवं अधिक भुगतान की धनराशि ब्याज सहित मेरे/मेरे वारिस के चल/अचल सम्पत्ति से वसूल किया जा सकेगा।

दिनांक :

पेंशनभोगी के हस्ताक्षर ....

पी0पी0ओ0 संख्या ....

कार्यालयाध्यक्ष/कोषाधिकारी के हस्ताक्षर

(नये प्रकरण में कार्यालयाध्यक्ष, पुराने पेंशनभोगी, जो कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, के प्रकरण में कोषाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। नये पेंशन प्रकरण में पी0पी0ओ0 संख्या पेंशन स्वीकृति करने वाले अधिकारी द्वारा भरा जाय)।

टिप्पणी :– यदि किसी कारणवश पेंशन के आवेदन–पत्र के साथ प्रपत्र–1 न भेजा जाय तब इस कारण से पेंशन स्वीकृत न रोकी जाय, अपितु निर्देश दे दिया जाय कि कोषागार में प्रथम उपस्थिति के समय यह प्रपत्र भरा लिया जाय।

संख्या ए–1–1680/दस–2001–10(23)–95

प्रेषक,

श्री वी0 के0 शर्मा,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2–समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकरी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 19 जुलाई, 2001

विषय :– उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों को बैंक के माध्यम से पेंशन का सीधे भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या ए–1–2840/दस–10(16)–76, दिनांक 1 जनवरी, 1979 एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन भुगतान योजना लागू की गयी है। यह योजना राज्य सरकार के समस्त पेंशनर्स, अखिल भारतीय सेवा के राज्य सरकार के किसी पद से सेवानिवृत्त अधिकारियों तथा ऐसे पेंशनरों के लिए है, जिनकी पेंशन राज्य की समेकित निधि से डेबिट की जाती है। अन्य राज्य सरकारों के पेंशनरों को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है, जो प्रदेश के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं यदि उनके अपने राज्यों में लागू इस प्रकार की योजना के अन्तर्गत पेंशन का भुगतान उत्तर प्रदेश के पेंशनरों को किये जाने की सुविधा प्रदान की जा रही हो।

2–यह पाया गया है कि उक्त योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा पेंशनर्स को महंगाई राहत आदि का भुगतान समय से नहीं हो पाता है तथा पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप संशोधित पेंशन के भुगतान में भी विलम्ब होता है। बैंकों द्वारा पेंशनरों के खाते में किये जा रहे पेंशन के भुगतान की धनराशि की सम्यक जांच कोषागारों द्वारा नहीं हो पा रही है।

3–उक्त स्थिति में पेंशनरों को उनकी पेंशन, समय–समय पर स्वीकृत की जाने वाली महंगाई राहत तथा पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप संशोधित पेंशन का भुगतान त्वरित ढंग से सही–सही किये जाने के साथ–साथ कोषागार स्तर पर पेंशन भुगतान की धनराशि का समुचित लेखा–जोखा रखे जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में माह अक्टूबर, 2001 से पेंशन भुगतान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाये और प्रदेश के सभी कोषागारों में जवाहर भवन पेंशन भुगतान योजना लागू की जाये। उल्लेखनीय हैं कि शासनादेश संख्या ए–1–912/दस–5(4)–84, दिनांक 6 अप्रैल, 1985 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या ए–1–2072/दस–96–10(23)–95, दिनांक 16 दिसम्बर, 1996 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा जवाहर भवन पेंशन भुगतान योजना 20 कोषागारों में लागू की जा चुकी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेंशन भुगतान की योजना को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप इस योजना के अन्तर्गत पेंशन पा रहे सभी पेंशनरों के पेंशन प्रकरण बैंक की लिंक ब्रान्च से सम्बन्धित कोषागार को वापस किये जाने होंगे। इस सम्बन्ध में निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :–

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा माह अगस्त, 2001 की देय पेंशन (जिसका भुगतान दिनांक 1 सितम्बर, 2001 को देय होगा) तक का भुगतान किया जाय तथा बैंक द्वारा पेंशन प्रकरण (पी0पी0ओ0) आदि अपनी लिंक ब्रान्च को दिनांक 5 सितम्बर, 2001 तक संलग्नक ''क'' में सूची सहित भेज दिये जायें।

(2) बैंक की लिंक ब्रान्च द्वारा बैंक शाखाओं से प्राप्त संलग्नक ''क'' की सूची सहित पेंशन प्राधिकार–पत्र (पी0पी0ओ0) आदि सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी को दिनांक 10 सितम्बर, 2001 तक वापस लौटा दिये जायें।

(3) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी बैंक की लिंक ब्रान्च से वापस प्राप्त पेंशन प्रकरण की कोषागार अभिलेखों के आधार पर आवश्यक जांच कराकर पेंशनरों को जवाहर भवन पेंशन योजना के अनुरूप पेंशन का भुगतान माह सितम्बर, 2001 की देय पेंशन (जिसका भुगतान दिनांक 1 अक्टूबर, 2001 की देय होगा) से किया जाना प्रारम्भ कर दें। यदि कोषागार पर वापस प्राप्त पेंशन प्रकरणों की अधिक संख्या के कारण उनकी तुरन्त जांच किया जाना सम्भव न हो तो बैंक द्वारा भुगतानित माह अगस्त, 2001 की पेंशन के बराबर पेंशन की धनराशि का भुगतान माह सितम्बर, 2001 की पेंशन के रूप में जवाहर भवन पेंशन भुगतान की योजना के अनुसार कर दिया जाये तथा जांच का कार्य हो जाने पर तद्नुसार पेंशन का भुगतान एवं आवश्यक समायोजन आगामी भुगतान में सुनिश्चित कर लिया जाये।

(4) उपरोक्तानुसार पेंशनरों को उनकी पेंशन का भुगतान सम्बन्धित कोषागारों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेंशन भुगतान के लिए पहले से खुले "बचत बैंक खाता" में किया जायेगा, जब तक कि पेंशनर अन्यथा कोई लिखित अनुरोध मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी को न प्रस्तुत करें।

(5) बैंकों की "लिंक ब्रान्च" द्वारा मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी को पी0पी0ओ0 वापस लौटाते समय बैंक द्वारा किये गये पेंशन के अन्तिम भुगतान तथा दिनांक (जब से पेंशन का भुगतान कोषागार द्वारा किया जाना है) को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये तथा पी0पी0ओ0 की संख्या, पेंशन की धनराशि आदि भी सही–सही अंकित की जाये। बैंक द्वारा संलग्नक "क" के विवरण की भली–भाँति जांच कर अपने हस्ताक्षर व सील भी स्पष्ट रूप से अंकित की जाये। सार्वजनिक क्षेत्र के सम्बन्धित बैंक/लिंक ब्रान्च द्वारा यह स्पष्ट रूप से नोट कर लिया जाये कि संलग्नक "क" में दर्शाये गये पेंशन के अन्तिम भुगतान के बाद यदि बैंक द्वारा पेंशनरों को अपने स्तर से पेंशन आदि का कोई भुगतान किया जाता है, तो उसकी धनराशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा बैक को नहीं की जायेगी और जिसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

4–मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी, मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी शासन के उपरोक्त आदेशानुसार समस्त कार्यवाही समय से सुनिश्चित कराने का काष्ट करें। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी सम्बन्धित बैंकों की लिंक ब्रान्च के अधिकारियों के साथ बैठक कर शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही के बारे में आवश्यक विचार विमर्श कर लें ताकि सभी स्तरों पर वांछित कार्यवाही के बारे में स्थिति स्पष्ट हो जाये।

5–कृपया कृत कार्यवाही से यथा समय शासन को भी अवगत करा दिया जाये।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

वी0 के0 शर्मा

सचिव, वित्त।

संलग्नक ''क''

शासनादेश संख्या 1680/दस–2001–10(23)–95, दिनांक 19 जुलाई, 2001 का संलग्नक

बैंक (लिंक ब्रान्च) का नाम ———

बैंक की लिंक ब्रान्च द्वारा कोषागार को लौटाये जा रहे पेंशन भुगतान प्राधिकार–पत्र (पी0पी0ओ0) का विवरण

क्र0–सं0	पेंशनर का नाम	पी0पी0ओ0 संख्या	पेंशन की मासिक धनराशि (मूल पेंशन तथा राहत अलग–अलग दिखाई जाये)	बैंक शाखा का नाम पेंशनर के बैंक खाता संख्या (पेंशनर्स बैंक एकाउण्ट नम्बर)	दि0.................. तक पेंशन का भुगतान बैंक द्वारा किया गया है	दि0...................... से पेंशन का भुगतान कोषागार द्वारा किया जाना है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

संख्या ए–1–2147/दस–2001–10(23)–95

प्रेषक,

श्री आनन्द मिश्र,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 29 सितम्बर, 2001

विषय :– उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों को बैंक के माध्यम से पेंशन भुगतान सम्बन्धी जवाहर भवन पेंशन योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या ए–1–1680/दस–2001–10(23)–95, दिनांक 19 जुलाई, 2001 का कृपया संदर्भ लेने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में शासन को प्राप्त विभिन्न पत्रों/सन्दर्भों में की गयी जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में मुझे निम्न बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने का निदेश हुआ है :–

(1) उक्त शासनादेश दिनांक 19 जुलाई, 2001 के जारी होने के पूर्व पेंशनर जिस बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे थे, कोषागार द्वारा उन्हें उसी बैंक शाखा में पहले से खुले उनके ''बचत बैंक खाता'' में उनकी देय पेंशन का भुगतान जवाहर भवन पेंशन भुगतान योजना के अन्तर्गत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 19 जुलाई, 2001 का प्रस्तर–3(4) विशेष रूप से अवलोकनीय है। इसके लिए पेंशनर को अपने स्तर से कोई कार्यवाही अभी नहीं करनी है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सुसंगत अभिलेख/प्रमाण–पत्र (''लाइफ सर्टिफिकेट/नॉन इम्प्लाइमेंट सर्टिफिकेट/''सर्टिफिकेट ऑफ रिमैरिज/नॉन मैरिज'') जवाहर भवन योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित बैंक शाखा के माध्यम से अथवा कोषागार/पेंशन संवितरण कार्यालय द्वारा सीधे पेंशनर्स से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(2) उक्त शासनादेश द्वारा जवाहर भवन पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन का भुगतान उ0प्र0 राज्य में स्थित कोषागारों के माध्यम से किया जायेगा। प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों (दिल्ली राज्य सहित) में उ0प्र0 राज्य के पेंशनर्स को सम्बन्धित राज्य की व्यवस्था के अन्तर्गत उनकी देय पेंशन का भुगतान पूर्ववत् किया जाता रहेगा।

(3) पैटी पेंशनर्स जो वर्तमान में प्रदेश के कोषागारों से सीधे नकद पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनके मामले में जवाहर भवन पेंशन योजना वैकल्पिक होगी। इस प्रकार ऐसे पेंशनर्स अपनी देय पेंशन कोषागारों से पूर्ववत् नकद प्राप्त करने की सुविधा का उपयोग कर सकेंगे।

(4) उक्त शासनादेश दिनांक 19 जुलाई, 2001 द्वारा उ0प्र0 के सभी कोषागारों के माध्यम से जवाहर भवन पेंशन भुगतान की योजना लागू करने तथा तदनुसार समय से पेंशन भुगतान सुनिश्चित कराने का दायित्व सम्बन्धित कोषागार का होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का कष्ट करें, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों को उनकी देय पेंशन के नियमानुसार भुगतान में किसी प्रकार की कठिनाई न होने पाये।

भवदीय,
आनन्द मिश्र
सचिव।

संख्या ए–1–1995/दस–2003–10(23)–95

प्रेषक,

मनजीत सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 21 नवम्बर, 2003

विषय :– उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों को बैंक के माध्यम से पेंशन का सीधे भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या ए–1–2072/दस–96–(23)–95, दिनांक 16 दिसम्बर, 1996 एवं तदनुवर्ती शासनादेश संख्या ए–1–1680/दस–2001–10(23)–95, दिनांक 19 जुलाई, 2001 तथा शासनादेश संख्या ए–1–2147/दस–2001–10(23)–95, दिनांक 29 सितम्बर, 2001 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में पेंशनरों के लिए लागू जवाहर भवन पेंशन भुगतान योजना में यह व्यवस्था है कि पेंशनर द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक वर्ष में एक बार नवम्बर माह में वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड–5, भाग–2 के प्रस्तर–518 के अन्तर्गत आवश्यक जीवन प्रमाण–पत्र देना होगा। इसके प्राप्त होने पर ही पेंशनर की देय पेंशन का भुगतान सीधे बैंक खाता के माध्यम से किया जाना जारी रखा जायेगा। इस सम्बन्ध में शासन को पेंशनरों के विभिन्न संघों एवं अन्य माध्यमों से यह प्रत्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं कि इस प्रकार का प्रमाण–पत्र देने के लिए प्रत्येक पेंशनर को कोषागार में उपस्थित होना पड़ता है और इस प्रक्रिया में अत्यन्त वृद्ध, रुग्ण, अशक्त और विकलांग पेंशनरों को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रायः वे समय से यह प्रमाण–पत्र नहीं दे पाते जिसके परिणाम स्वरूप पेंशन का भुगतान स्थगित हो जाने पर उन्हें आर्थिक कठिनाई होती है।

2–शासन ने इस मामले में अत्यन्त गम्भीरता पूर्वक विचार करते हुऐ पेंशनरों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्णय लिये हैं :–

(क) जीवन प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित उस बैंक शाखा के प्रबन्धक भी अधिकृत होंगे जिसे बैंक शाखा में सम्बन्धित पेंशनर का पेंशन खाता (एकल नाम बैंक खाता) है। पेंशनर के अनुरोध पर संलग्न संशोधित प्रारूप में जीवन प्रमाण–पत्र, सम्बन्धित बैंक शाखा प्रबन्धक (अर्थात् जहाँ पेंशन खाता खुला है) द्वारा 02 प्रतियों में दिया जायेगा।

(ख) जीवन प्रमाण–पत्र की एक प्रति सम्बन्धित पेंशनर को दे दी जायेगी जो उक्त प्रमाण–पत्र को सम्बन्धित कोषागार अथवा उससे सम्बद्ध उपकोषागार को उपलब्ध करा देगा और प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रति अनुवर्ती सत्यापन और अभिलेख के लिए बैंक शाखा में रखी जायेगी। उपकोषागार में प्राप्त जीवन प्रमाण–पत्र मूल रूप में अविलम्ब कोषागार को भेज दिये जायेंगे।

(ग) जिले के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बैंक शाखा प्रबन्धक द्वारा इस प्रकार जारी प्रमाण–पत्रों का सम्बन्धित बैंक के नोडल कार्यालय/शाखा (सम्बन्धित बैंक द्वारा एतदर्थ नामित) से सत्यापन प्रमाण–पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से विलम्बतम दो माह के भीतर करा लेंगे। इस हेतु प्रमाण–पत्रों को मूल–रूप से बैंक शाखावार सूचीबद्ध करते हुए सम्बन्धित नोडल कार्यालय/शाखा को सत्यापन उपरान्त वापसी के अनुरोध सहित भेजा जायेगा।

3–मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त व्यवस्था के कार्यान्वयन में कुछ समय लगना स्वाभाविक है, अतः केवल वर्ष 2003 के लिये जीवन प्रमाण–पत्र माह नवम्बर के आगे दिसम्बर, 2003 के अन्त तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे। ऐसे पेंशनरों की पेंशन का भुगतान कोषागारों द्वारा नियमानुसार जारी रखा जायेगा और उक्त प्रस्तर 2(ग) में अपेक्षित कार्यवाही उनके द्वारा अलग से निर्धारित दो माह की समयावधि के भीतर सुनिश्चित की जायेगी।

4–अनुरोध है कि शासन के उक्त निर्णय को सभी सम्बन्धित की जानकारी में लाकर अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,
मनजीत सिंह
सचिव।

———

सिविल/शिक्षा

फार्म संख्या 8(1)

पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु प्रमाण–पत्र

(प्रस्तर 17 देखा जाय)

1–जीवन–प्रमाण–पत्र

पेंशनर/खाताधारक के हस्ताक्षर	प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनभोगी/खाताधारक श्री/श्रीमती .... (पेंशनभोगी/खाताधारक का नाम) जो पेंशन भुगतानादेश संख्या ..../ बैंक खाता संख्या .... का धारक है, को स्वयं देखा है और यह कि वह आज की तारीख में जीवित है।

हस्ताक्षर .... / हस्ताक्षर ....
अधिकृत अधिकारी का नाम .... / शाखा प्रबन्धक का नाम ....
.... / ....
नमूना हस्ताक्षर संख्या ....
स्थान .... बैक शाखा का नाम ....
दिनांक ....
(जो लागू न हो उसे काट दिया जाए)

———

फार्म संख्या 8(2)

2–रोजगार रहित होने संबंधी प्रमाण–पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके/बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार किया है (उत्तर प्रदेश सेवा के प्रथम श्रेणी अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति के प्रथम दो वर्षों में दिया जाना है)

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके/बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए भारत सरकार की परिधि के बाहर या किसी भी सरकार (केन्द्र, राज्य या केन्द्र शासित) के अधीन किसी प्रकार का रोजगार स्वीकार किया है/स्वीकार नहीं किया है, (केवल उत्तर प्रदेश के प्रथम श्रेणी के अधिकारी द्वारा दिया जाना है)

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... पेंशनभोगी का नाम ....

फार्म संख्या 8(3)

3–पुनर्विवाह/अविवाहित होने का प्रमाण–पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अविवाहित नहीं हूँ/मैंने पिछले एक वर्ष के अन्दर विवाह नहीं किया है।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है तथा ऐसा करने पर मैं कोषाधिकारी को सूचित करूंगा/करूंगी।

स्थान	हस्ताक्षर..
दिनांक	पेंशनभोगी का नाम ....
	पेंशन भुगतानादेश संख्या ....
	....
पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	बैंक का नाम/शाखा/खाता सं0 ....
पेंशनर द्वारा सेवा में प्रथम बार कार्यभार (ग्रहण) करने की तिथि	....

''जो लागू न हो उसे काट दिया जाए''

नोट : कृपया कोषागार अभिलेखों में उपलब्ध हस्ताक्षर के अनुरूप ही हस्ताक्षर करने की कृपा करें।

———

संख्या ए–1–1695/दस–2004–10(23)–95 टी0सी0

प्रेषक,

मनजीत सिंह,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश,
जवाहर भवन, लखनऊ।
2–निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 14 अक्टूबर,, 2004

विषय :– उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों को बैंक के माध्यम से पेंशन का सीधे भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या ए–1–1995/दस–03–10(23)–95 टी0सी0, दिनांक 21 नवम्बर, 2003 तथा संख्या ए–1–1512/दस–04–10(23)–95 टी0सी0, दिनांक 4 अक्टूबर, 2004 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेंशनरों के जीवन प्रमाण–पत्र दिये जाने एवं अन्य कार्यों में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं :–

(1) प्रत्येक बैंक शाखा पर जहाँ पर पेंशनर अपनी पेंशन का भुगतान प्राप्त करते हैं, पर्याप्त संख्या में (बैंक शाखा पर पेंशनरों की संख्या की दोगुनी) जीवन प्रमाण–पत्र के निर्धारित फार्म की प्रतियां भिजवा दी जायें।

(2) कोषागार में जीवन प्रमाण–पत्रों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त स्थान पर एक ताला बन्द बाक्स रखवा दिया जाय, जिसमें बैंक शाखा प्रबन्धक/अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये जीवन प्रमाण–पत्र को पेंशनर अथवा उसके वाहक द्वारा डाला जा सकता है। इस बाक्स को प्रत्येक कार्य

दिवस पर पूर्वान्ह में खोल कर प्राप्त जीवन प्रमाण–पत्रों पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही कोषागार द्वारा की जाय।

(3) पेंशन पर आयकर की स्रोत पर कटौती के प्रयोजन से चालू वित्तीय वर्ष में किये गये निवेश इत्यादि का विवरण तथा आगामी वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित निवेश आदि का विवरण, यथा समय कोषागार को उपलब्ध कराये जाने के लिए भी पेंशनरों द्वारा उक्त ताला बन्द बाक्स का प्रयोग किया जा सकता है।

(4) पेंशन से स्रोत पर काटे गये आयकर से संबंधित फार्म–16 निर्धारित तिथि तक 'अन्डर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग' पेंशनरों के कोषागार में उपलब्ध वर्तमान पते पर भेज दिया जायें। पेंशनर यह फार्म अपनी स्वेच्छा से कोषागार से स्वयं भी प्राप्त कर सकते हैं।

(5) पेंशनरों की सुविधा के लिए कोषागार स्तर पर की जा रही व्यवस्थाओं से पेंशनरों को भली-भाँति प्रचार–प्रसार (स्थानीय समाचार–पत्रों में विज्ञप्ति देकर, जिलाधिकारी कार्यालय/तहसील कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर सूचना लगवाकर) के माध्यम से अवगत करा दिया जाये ताकि इन सुविधाओं का पेंशनरों द्वारा उपयोग किया जा सके।

2–संबंधित बैंक शाखा द्वारा जारी किये गये उचित जीवन प्रमाण–पत्र के सत्यापन हेतु बैंक का नोडल कार्यालय/शाखा नामित की जानी थी। निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश द्वारा संबंधित बैंकों से सम्पर्क कर इस हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करा ली जाय एवं जिला कोषागारों को बैंक के नोडल कार्यालय/शाखा की सूचना उपलब्ध कराते हुए बैंक शाखा द्वारा जारी किये गये जीवन प्रमाण–पत्रों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाय।

3–उक्त शासनादेश की शेष व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी। अनुरोध है कि शासन के उक्त निर्णय को सभी संबंधितों की जानकारी में लाकर उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

मनजीत सिंह

सचिव, वित्त।

———

संख्या ए–1–427/दस–2008–10(23)–95

प्रेषक,

वी0 के0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 12 मई, 2008

विषय :– उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों को संयुक्त खाता की भी सुविधा प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या ए–1–2480/ दस–10(10)–75, दिनांक 1 जनवरी, 1979 द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन भुगतान की योजना लागू की गयी थी जिसे शासनादेश संख्या ए–1–1680/दस–2001–10(23)–95, दिनांक 19 जुलाई, 2001 द्वारा समाप्त करते हुए प्रदेश के सभी कोषागारों में जवाहर भवन पेंशन भुगतान योजना लागू की गयी। जवाहर भवन पेंशन भुगतान योजनान्तर्गत पेंशनरों को उनकी पेंशन का भुगतान उनके एकल बचत खाते में कोषागार द्वारा जारी चेक के माध्यम से किया जा रहा है। भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या CPAO/Tech/Amendments/Sch.Book/2005-06-69, दिनांक 9 जून, 2005 द्वारा

पेंशनर तथा उसकी पत्नी/पति के संयुक्त खाते के माध्यम से पेंशन भुगतान की सुविधा प्रदान कर दी गयी है।

2–उपरोक्त स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों की सुविधा को देखते हुए सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार के पेंशनरों की भांति राज्य सरकार के पेंशनरों को भी पेंशन का भुगतान एकल खाते के साथा–साथ संयुक्त खाते (पति/पत्नी) से भी किये जाने का निर्णय लिया गया है। पेंशनर का संयुक्त खाता उसके पत्नी अथवा पति द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन संचालित किया जायेगा :–

(1) एक बार पेंशनर के बैंक खाते में पेंशन क्रेडिट हो जाने पर सरकार का उत्तदायित्व समाप्त हो जायेगा। Spouse (पति/पत्नी) द्वारा अनियमित/त्रुटिपूर्ण ढंग से धनराशि आहरित किये जाने पर सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा।

(2) पेंशनर (पति अथवा पत्नी) की मृत्यु की सूचना किसी भी स्थिति में एक माह के अन्दर कोषागार को दी जानी होगी जिससे कि कोषागार द्वारा संयुक्त खाते में पेंशन का भुगतान बन्द कर दिया जाय। फिर भी यदि पेंशनर के संयुक्त खाते में कोई गलत धनराशि क्रेडिट हो जाय तो यह संयुक्त खाते से अथवा पेंशनर द्वारा धारित किसी अन्य एकल या संयुक्त खाते से भी वसूल की जा सकेगी। पेंशनर के उत्तराधिकारी/विधिक उत्तराधिकारी भी अनियमित रूप से भुगतान की वसूली के लिए उत्तरदायी होंगे।

(3) उपरोक्त सुविधा वर्तमान तथा भविष्य के पेंशनर्स पर लागू होगी।

3–संयुक्त खाते के लिए इच्छुक वर्तमान पेंशनरों द्वारा जिस बैंक से पेंशन का भुगतान लिया जा रहा है, संयुक्त खाते से भुगतान करने के लिए पेंशनर द्वारा उस बैंक तथा सम्बन्धित कोषागार को आवेदन किया जायेगा।

4–उपरोक्त शासनादेश दिनांक 19 जुलाई, 2001 सपठित शासनादेश दिनांक 16 दिसम्बर, 1996 एवं शासनादेश दिनांक 6 अप्रैल, 1985 को उक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा। अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय,
वी0 के0 शर्मा
प्रमुख सचिव।

———

फार्म

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
—————————— (बैंक)
—————————— (शाखा)
——————————

विषय : पी0पी0ओ0 संख्या —————————————— के अंतर्गत आपकी शाखा से पेंशन का भुगतान

प्रिय महोदय/महोदया,

मैं अपनी पेंशन पी0पी0ओ0 सं0 ———————————— के अंतर्गत आपकी शाखा में मेरे और मेरी/मेरे पत्नी/पति ———————————— द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित बचत/चालू बैंक परिवार पेंशन हेतु प्राधिकार पेंशन भुगतान आदेश (पी0पी0ओ0) में मौजूदा है।

मैंने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के दिनांक 9 जून, 2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या CPAO/Tech/Amendments/Sch.Book/2005-06-69 की विषयवस्तु को पढ़ और समझ लिया है जिसमें निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं। पेंशनर के खाते में एक बार पेंशन जमा हो जाने पर सरकार/बैंक का दायित्व समाप्त हो जाता है। यदि पति/पत्नी गलती से राशि आहरित कर लेता/लेती है तो भी कोई दायित्व नहीं बनता।

(क) पेंशन चूँकि पेंशनर के जीवन के दौरान देय है, उसकी मृत्यु की सूचना यथाशीघ्र और हर हाल में मृत्यु के एक माह के अंदर बैंक को दी जाएगी ताकि पेंशनर की मृत्यु के पश्चात् पति/पत्नी के संयुक्त खाते में मासिक पेंशन जमा न होती रहे। तथापि, यदि कोई राशि गलती से संयुक्त खाते में जमा की गई है तो उसे संयुक्त खाते से और/अथवा पेंशनर/उसके पति/पत्नी द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा संयुक्त रूप से रखे गए किसी अन्य खाते में वसूल किया जएगा। संयुक्त खाते में गलती से जमा की गई राशि की वापसी हेतु कानूनी वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक आदि भी जिम्मेदार होंगे।

(ख) पेंशन बकाया भुगतान (नामांकन) नियम 1983 पेंशनर के पति/पत्नी के संयुक्त खाते के मामले में प्रयोज्य रहेंगे। इसका तत्पर्य यह है कि यदि इन नियमुं के नियम 5 और 6 के अनुसार कोई 'स्वीकृत नामांकन' हो तो नियमों में उल्लिखित बकाया का भुगतान नामिती को देय होगा।

मैं उपर्युक्त शर्तों को स्वीकार करता/करती हूँ। मेरी पत्नी/पति ने भी सांकेतिक रूप में इन शर्तों को स्वीकार किया है और नीचे अपने हस्ताक्षर किए हैं।

1–पेंशनर के हस्ताक्षर

2–पत्नी/पति के हस्ताक्षर

———

संख्या ए–1–27/दस–2010–11(1)–2008

प्रेषक,

बी0 एन0 दीक्षित,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2–समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 29 जनवरी, 2010

विषय :– उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों को कोषागारों/राष्ट्रीकृत बैंक के माध्यम से जीवित प्रमाण–पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या ए–1–1995/दस–03–10(23)–95 टी0सी0, दिनांक 21 नवम्बर, 2003 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचार करते हुए पेंशनरों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं।

(1) जीवित प्रमाण–पत्र की रसीद पेंशनर्स को दिए जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है कि जीवित प्रमाण–पत्र के नीचे परफोरेटेड काउण्टर फाइल की व्यवस्था करा दी जाय। यही व्यवस्था ट्रेजरी के साथ–साथ बैंक पर भी लागू होगी ताकि पेंशनर को जीवित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की रसीद दी जा सके।

(2)(i) वित्त (लेखा) अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या ए–1–1995/दस–2003–10(23)–95, दिनांक 21 नवम्बर, 2003 के प्रस्तर–3 में की गई जीवित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था को आगामी वर्षों में भी सतत रूप से लागू रखा जाय।

(ii) जीवित प्रमाण–प्रत्र प्रस्तुत करने की तिथि को आंशिक रूप से परिवर्तित करते हुए प्रतिवर्ष 1 नवम्बर से 20 दिसम्बर तक कर दिया जाय।

(iii) यदि किसी व्यक्ति को उपर्युक्त अवधि में जीवित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी जनवरी/आगामी माह में पेंशन का भुगतान नहीं किया जाता है तो यह स्वयं कोषागार में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा।

(iv) जो पेंशनर देश के अन्य प्रदेशों में निवास कर रहे हैं वे उस प्रदेश की उसी बैंक के माध्यम से अपना जीवित प्रमाण–पत्र प्रमाणित कराकर उत्तर प्रदेश की उस बैंक शाखा को भिजवा सकते हैं जहाँ से पेंशन आहरित करते हैं।

(v) भारत से बाहर निवास करने वाले पेंशनर्स के सम्बन्ध में पूर्व में लिए व्यवस्था यथावत् रहेगी।

2–अनुरोध है कि शासन के उक्त निर्णय को सभी सम्बन्धितों की जानकारी में लाकर अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

बी0 एन0 दीक्षित

सचिव वित्त।

संख्या ए–1–489/दस–2010–10(23)–95 टी0सी0–2

प्रेषक,

डा0 बी0 एम0 जोशी,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, उत्तर प्रदेश,
जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 16 दिसम्बर, 2010

विषय :– विदेश में रह रहे उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों के जीवित प्रमाण–पत्र तथा पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किये जाने के लिए लागू व्यवस्था में पेंशनर द्वारा प्रत्येक वर्ष में एक बार नवम्बर/दिसम्बर माह में निर्धारित प्रारूप पर वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड–5, भाग–2 के प्रस्तर–518 के अनतर्गत अपेक्षित जीवित प्रमाण–पत्र देना आवश्यक है। पेंशनरों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या ए–1–1995/दस–2003–10(23)–95, दिनांक 21 नवम्बर, 2003 द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थित बैंक शाखा प्रबन्धकों को जीवन प्रमाण–पत्र दिये जाने हेतु अधिकृत किया गया है, किन्तु ऐसे पेंशनर जो विदेश में निवास कर रहे हों अथवा वर्ष के अधिकांश समय तक विदेश में रहते हों, को पेंशन का भुगतान किये जाने हेतु जीवन प्रमाण–पत्र देने की व्यवस्था के सरलीकरण का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन रहा है। सम्यक् विचारोपरान्त ऐसे पेंशनरों के द्वारा जीवन प्रमाण–पत्र दिये जाने के लिए शासन द्वारा निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं :–

(1) विदेश में स्थित भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक में से ऐसे बैंक के शाखा प्रबन्धक (अधिकृत प्राधिकारी) के हस्ताक्षर से प्रमाणित जीवित प्रमाण–पत्र को मान्यता दी जायेगी, जिस बैंक की शाखा में भारत में पेंशनर का बैंक खाता खुला हो। इस प्रकार प्रस्तुत जीवन प्रमाण–पत्र के आधार पर कोषागार द्वारा पेंशनर की देय पेंशन का भुगतान सम्बन्धित बैंक शाखा में पेंशनर के खाते में जमा किया जायेगा। जीवन प्रमाण–पत्र पर शाखा प्रबन्धक (अधिकृत प्राधिकारी) के हस्तक्षर कोषाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश की उस बैंक की नोडल बैंक शाखा, जिसे बैंक के अधिकारी द्वारा जीवन प्रमाण–पत्र दिया गया है, से दो माह की अवधि के अन्दर सत्यापित करा लिया जायेगा।

(2) विदेश में स्थित भारत के दूतावास (Embassy/High Commission of India or Consul of Indian Consulates) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण–पत्र को मान्यता दी जायेगी और इस प्रकार प्रस्तुत जीवन प्रमाण–पत्र के आधार पर कोषागार द्वारा पेंशनर को देय पेंशन का भुगतान सम्बन्धित बैंक शाखा में पेंशनर के खाते में किया जायेगा।

(3) पेंशनर द्वारा दिये जाने वाले अन्य प्रमाण–पत्र, यथास्थिति non-employment/ re-employment certificate, re-marriage/non marriage certificate, निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित किये जायेंगे।

2–उपर्युक्त श्रेणी के पेंशनरों द्वारा दिये जाने वाले जीवन प्रमाण–पत्र का प्रारूप संलग्न है, जिसे पेंशनर द्वारा भरकर अधिकृत प्राधिकारी से प्रमाणित कराकर सम्बन्धित कोषागार को भेजा जायेगा।

3–मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार विदेश में स्थित भारत के दूतावास (Embassy/High Commission of India or Consul of Indian Consulates) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये जीवन प्रमाण–पत्र, जिस पर (Embassy/High Commission of India or Consul of Indian Consulates) की मुहर (सील) लगी हो, को प्राधिकृत अधिकारी के नमूना हस्ताक्षर कोषागार में उपलब्ध न होने पर भी कोषागार द्वारा स्वीकार कर लिया जायेगा।

वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड–5, भाग–2 में आवश्यक संशोधन से किया जायेगा।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

बी0 एम0 जोशी

सचिव, वित्त।

―――――

ANNEXURE

G.O. No.-A-1-489/X-2010-10(23)-95 T.C.-2, Dated Decembe 16, 2010

LIFE CERTIFICATE

Certified that I have personally seen the pensioner/account holder Shri/Smt. .... (name of the pensioner/account holder) as per details here under mentioned and that he/she is alive today *i.e.* (dd/mm/yyyy).

1. Name of the pensioner/ ....
   account holder
2. Address ....
   ....
3. Pension payment order ....
   no./Bank account no. ....
4. Name and Address of ....
   Bank branch ....

(Signature of the pensioner/ account holder) — (Signature of the authorised signatory with seal)

Place : .... — Place : ....

Date : .... — Date : ....

NOTE : – This certificate may be given either by the Branch Manager (authorised signatory) of a bank branch in a foreign country of such nationalised bank in India in which the pensioner is having his/her pension account or an authorised signatory of Embassy/High Commission of India or Consul of Indian Consulates.

संख्या ए–1–137 / दस–2012–10(42)–2010

प्रेषक,

डा0 बी0 एम0 जोशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1 — लखनऊः दिनांक 7 फरवरी, 2012

विषय :– वेतन समिति 2008 द्वारा पेंशन प्रक्रिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर कार्यवाहीं

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पेंशन प्रक्रिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में समिति की संस्तुतियां वित्त विभाग को उपलब्ध करायी गयी थी। सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा इस सम्बन्ध में उक्त संस्तुतियों पर निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :–

1– यदि पेंशनर्स कोषागार को अपनी अन्य स्रोत से आय का विवरण उपलब्ध कराते हैं तो कोषागार स्तर पर पेंशन की धनराशि तथा अन्य स्रोत से प्राप्त आय की कटौती कोषागार स्तर पर सुनिश्चित की जाये तथा इस सम्बन्ध में आय सम्बन्धी पूर्ण विवरण पेंशनर्स को उपलब्ध कराया जाय।

2–कोषाधिकारियों द्वारा स्थायी रूप से विकलांग और मानसिक रूप से विक्षिप्त पेंशनरों की सूची रखी जाये और उनसे सम्बन्धित जीवनकालीन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा घर जाकर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को भेजकर प्राप्त किये जाने की व्यवस्था की जाये।

उपर्युक्त के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डा0 बी0 एम0 जोशी
सचिव।

––––––

संख्या 9/2015/ए–1–431/दस–2015–10(23)–95

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश,
2–समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकरी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 13 मई, 2015

विषय :– उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों द्वारा कोषागारों/राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से जीवित प्रमाण–पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या ए–1–1995/दस–2003–10(23)–95, दिनांक 21 नवम्बर, 2003 व शासनादेश संख्या ए–1–27/दस–2010–11(1)–2008, दिनांक 29 जनवरी, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में पेंशनरों के लिये लागू पेंशन भुगतान योजना में यह व्यवस्था है कि पेंशनर द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक वर्ष में एक बार दिनांक 1 नवम्बर से 20 दिसम्बर तक की अवधि में कोषागार में उपस्थित होकर अथवा सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर जीवित प्रमाण–पत्र कोषागार में प्रस्तुत करना पड़ता है। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि दिनांक 1 नवम्बर से 20 दिसम्बर तक जीवित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाने की बाध्यता होने के कारण बहुत से पेंशनर, जो राज्य में न रहने के फलस्वरूप अपने पुत्र–पुत्रियों के पास अथवा अन्य राज्यों में अस्थायी रूप से रहते हैं, उन्हें सिर्फ जीवित प्रमाण–पत्र देने हेतु आना पड़ता है और अधिकांश पेंशनरों के न आने के कारण उनकी पेंशन रुक जाती है। अनेक पेंशनर अस्वस्थता के कारण भी कोषागार में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। पेंशन अवरुद्ध हो जाने की स्थिति में उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दिनांक 1 नवम्बर से 20 दिसम्बर तक जीवित प्रमाण–पत्र दिये जाने की तिथि निश्चित होने के कारण उक्त अवधि में समस्त पेंशनरों के कोषागार में उपस्थित होने के कारण कोषागारों में भी अत्यन्त भीड़ हो जाती है और कोषागार का कार्य अस्त–व्यस्त हो जाता है।

2–उक्त समस्या के निवारण हेतु जीवित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाने की वर्तमान व्यवस्था को सरलीकृत करते हुए शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है :–

(1) पेंशनर को सेवानिवृत्ति के उपरान्त प्रथम पेंशन भुगतान की तिथि के 1 वर्ष पश्चात् ''जीवित प्रमाण–पत्र'' देने की आवश्यकता होगी।

(2) पेंशनर यदि सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष पश्चात् अपना ''जीवित प्रमाण–पत्र'' किसी कारणवश देने में असमर्थ है, तो वह अपनी सुविधानुसार 1 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व ही अपना जीवित प्रमाण–पत्र कोषागार में जमा कर सकता है और ऐसी स्थिति में उन्हें अपना अगला जीवित प्रमाण–पत्र जिस माह में प्रमाण–पत्र दिया जा रहा है, के 1 वर्ष के अन्दर जमा करना होगा। इस व्यवस्था से पेंशनर को किसी निश्चित अवधि में जीवित प्रमाण–पत्र जमा करने की बाध्यता के स्थान पर वर्ष में कभी भी जीवित प्रमाण–पत्र दिये जाने की सुविधा प्राप्त हो जायेगी।

(3) स्थायी रूप से विकलांग एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त पेंशनर्स, जिन्हें कोषागार में उपस्थित होने में कठिनाई होती है, उनके घर जाकर जीवित प्रमाण–पत्र दिये जाने की व्यवस्था पहले से ही शासनादेश संख्या ए–1–137/दस–2012–10(42)–2010, दिनांक 7 फरवरी, 2012 में है। गम्भीर बीमारियों से ग्रसित पेंशनर जो चलने–फिरने में असमर्थ हैं, पर भी इस व्यवस्था को लागू किया जाता है।

(4) पेंशनरों को जीवित प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित उस बैंक शाखा के प्रबन्धक जिसमें पेंशनर का खाता है, को भी शासनादेश संख्या ए–1–1995/दस–2003–10(23)–95, दिनांक 21 नवम्बर, 2003 द्वारा अधिकृत किया गया है। इसी क्रम में यह व्यवस्था भी की जाती है कि जो पेंशनर प्रदेश के बाहर निवास कर रहे हैं, वे अपना जीवित प्रमाण–पत्र अपने रहने के स्थान पर स्थित उस बैंक जिसमें उसका पेंशन खाता खुला है, की किसी भी शाखा के शाखा प्रबन्धक से प्रमाणित कराकर मूल बैंक जहाँ उनकी पेंशन आहरित कर कोषागार द्वारा भेजी जाती है, के माध्यम से कोषागार को उपलब्ध करा सकते हैं।

(5) भारत के बाहर निवास करने वाले पेंशनर्स के सम्बन्ध में पूर्व से शासनादेश संख्या ए–1–489/दस–2010–10(23)–95 टी0सी0–2, दिनांक 16 दिसम्बर, 2010 द्वारा लागू व्यवस्था यथावत् रहेगी।

3–मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त सरलीकरण व्यवस्था दिनांक 1 जून, 2015 से प्रदेश के समस्त कोषागारों में लागू होगी एवं जीवित प्रमाण–पत्र लागू करने की सभी विधाओं पर समान रूप से लागू होगी। इस मध्य निदेशक, कोषागार, कोषागार में चल रहे साफ्टवेयर में यथावश्यक संशोधन कराया जाना सुनिश्चित कर लेंगे। कृपया शासन के उक्त निर्णय को सभी सम्बन्धित की जानकारी में लाकर अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

——————

संख्या 26/2016/सा–3–592/दस–2016–85एल0सी0–2016

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 10 अगस्त, 2016

विषय :– कोषागारों द्वारा ''ई–पेमेन्ट'' के माध्यम से पेंशन का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेंशनरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पास यह

विकल्प उपलब्ध रहेगा कि वे पेंशन भुगतान हेतु अपनी सुविधानुसार भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 (यथासंशोधित) की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित किसी शेड्यूल बैंक में अपना बचत खाता खोल सकेंगे।

2–उपर्युक्तानुसार शेड्यूल्ड बैंकों में बचत खाता खोले जाने हेतु संबंधित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का यह दायित्व होगा कि खाता अनिवार्यतः ऐसे बैंक में खोला जाए जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 11 कैरेक्टर वाला मानक आई0एफ0एस0सी0 कोड आवंटित हो तथा जो ''ई–पेमेन्ट'' के माध्यम से ट्रांजैक्शन करने में सक्षम हो।

3–यह व्यवस्था पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की सुविधा के लिये की जा रही है। किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा किस बैंक में अपना बचत खाता खोला जायेगा, यह पूर्णतया उसके स्वविवेक पर होगा बशर्ते वह बैंक प्रस्तर–2 में उल्लिखित शर्तें पूरी करता हो।

4–पेंशन भुगतान हेतु बैंकों में बचत खाता खोले जाने संबंधी पूर्व आदेश उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। अन्य व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

5–यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग–1 के अशा0 संख्या एफ0 ए–1–306/दस–2016, दिनांक 10 अगस्त, 2016 द्वारा प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव।

——————

संख्या 28/2016–सा–3–653/दस–2016–301(09)–2015

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
2–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
3–समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त सामान्य अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांक 24 अगस्त, 2016

विषय :– कोषागारों में पेंशन कक्ष की व्यवस्था।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के आदेश संख्या 16/2015–सा–3–867/दस– 2015–301(09)–2015, दिनांक 1 सितम्बर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा यह अपेक्षा की गयी थी कि कोषागारों में आने वाले वयोवृद्ध पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की सुविधा के दृष्टिकोण से कोषागारों में पेंशनर कक्ष की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा गर्मियों में पेंशनर कक्ष में कूलर एवं वाटर कूलर की भी व्यवस्था की जाए।

2–विभिन्न पेंशनर संगठनों द्वारा अवगत कराय गया है कि अधिकांश कोषागारों में अभी भी पेंशनर कक्ष की समुचित व्यवस्था नहीं करायी गयी है।

3–इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त आदेश दिनांक 1 सितम्बर, 2015 का अनुपालन अविलम्ब सुनिश्चित कराया जाए।

भवदीय,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

संख्या 19/2016/ए–1–907/दस–2016–10(65)–2014

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश,
2–समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 14 दिसम्बर, 2016

विषय :– प्रदेश के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण–पत्र (Digital Life Certificate) की व्यवस्था लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा लागू व्यवस्था के क्रम में उत्तर प्रदेश के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु शासन के पत्रांक ए–1–1086/दस–2015–10(65)–2014, दिनांक 17 फरवरी, 2016 द्वारा सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था में आधार कार्ड में अंकित बायोमेट्रिक्स के आधार पर ऑनलाइन जीवन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना सम्भव होगा। यह व्यवस्था ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए लागू होगी, जिनके पास आधार नम्बर उपलब्ध है। डिजिटल जीवन प्रमाण–पत्र (Digital Life Certificate) की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–

(1) डिजिटल जीवन प्रमाण–पत्र (Digital Life Certificate) को जनरेट करने हेतु पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को प्रथम बार अपने सम्बन्धित कोषागार में पेंशन प्राधिकार–पत्र (पी0पी0ओ0), आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की मूलप्रति तथा उनकी छायाप्रतियाँ लेकर उपस्थित होना होगा।

(2) कोषागार स्तर पर www.jeevanpramaan.gov.in वेबसाइट पर जीवन प्रमाण एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों का मोबाइल नम्बर एवं आधार नम्बर फीड करने पर एक फार्म खुलेगा, जिसमें आधार नम्बर, पेंशनर का नाम, पेंशन प्राधिकार संख्या, बैंक खाता संख्या, आई0एफ0एस0 कोड का विवरण एवं मोबाइल नम्बर फीड कर रजिस्टर कराया जायेगा तथा एस0टी0क्यू0सी0 बायोमेट्रिक्स डिवाइस पर अंगूठा लगा कर बायोमेट्रिक एथेंटिकेशन कराया जायेगा।

(3) उक्त हेतु कोषागार प्रथम बार समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों का मिलान कोषागार में उपलब्ध पेंशनरों के अभिलेखों से करेंगे। बायोमेट्रिक एथेंटिकेशन होने पर आधार कार्ड की मूलप्रति से मिलान कर आधार कार्ड की छायाप्रति तथा एथेंटिकेशन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की प्रति गार्ड फाइल में रखी जायेगी एवं आधार नम्बर का डेटाबेस भी तैयार किया जायेगा।

(4) डिजिटल जीवन प्रमाण–पत्र (Digital Life Certificate) जनरेट करने की कार्यवाही सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को उनके द्वारा प्रदत्त मोबाइल पर एस0एम0एस0 द्वारा ट्रांजेक्शन आईडी प्राप्त होगी। इसके आधार पर पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स कम्प्यूटर जनरेटेड डिजिटल जीवन प्रमाण–पत्र www.jeevanpramaan.gov.in वेबसाइट से प्राप्त कर सकेंगे। पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण–पत्र (Digital Life Certificate) वर्ष के किसी भी माह में दिया जा सकता है।

(5) प्रथम बार कोषागार स्तर पर डिजिटल जीवन प्रमाण हेतु रजिस्टर हो जाने के उपरांत पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को भविष्य में जीवन प्रमाण–पत्र देने हेतु कोषागार में उपस्थित होने की अनिवार्यता समाप्त हो जायेगी।

(6) जो पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर कोषागार द्वारा www.jeevanpramaan.gov.in में पंजीकृत कर दिये जायेंगे, वे भविष्य में जीवन प्रमाण–पत्र टैब/स्मार्टफोन/विण्डोज कम्प्यूटर पर एप्लीकेशन www.jeevanpramaan.gov.in से डाउनलोड कर फिंगर प्रिन्ट स्कैनर का प्रयोग करते हुए घर से भी डिजिटल जीवन प्रमाण–पत्र दे पायेंगे। इस हेतु वे नजदीकी जीवन प्रमाण–पत्र केन्द्र/नागरिक सुविधा केन्द्र में भी सम्पर्क कर सकते हैं, जिसकी सूची www.jeevanpramaan.gov.in वेबसाइट के Locate a Centre लिंक में दी गयी है।

(7) कोषागार www.jeevanpramaan.gov.in पर अपना लॉगिन कर पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के जीवन प्रमाण–पत्र को उसके द्वारा दिये गये आधार नम्बर, बैंक खाता नम्बर तथा ट्रांजेक्शन आईडी के आधार पर ऐक्सेप्ट/रिजेक्ट कर सकेंगे।

(8) सम्बन्धित कोषागार के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों द्वारा जीवन प्रमाण–पत्र पोर्टल से डाउनलोड किये गये जीवन प्रमाण–पत्र को अपने कार्यालय की गार्ड फाइल से मिलान कर पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के डाटा बेस को मैनुअली/स्वतः अपडेट कर दिया जायेगा।

(9) डिजिटल जीवन प्रमाण–पत्र (Digital Life Certificate) की नवीन व्यवस्था वर्तमान प्रचलित व्यवस्था के अतिरिक्त होगी। नवीन व्यवस्था को लागू किये जाने से सम्बन्धित किसी भी प्रक्रियात्मक जानकारी हेतु वेबसाइट www.jeevanpramaan.gov.in पर जाकर अथवा सम्बन्धित कोषागार से सम्पर्क किया जा सकता है।

2–अतः उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की व्यवस्था उपरोक्तानुसार लागू किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनूप चन्द्र पाण्डेय

प्रमुख सचिव।

अध्याय–21

पेंशन अदालत सम्बन्धी शासनादेश

संख्या सा–3–923/दस–96–17–95

प्रेषक,

श्री पी0के0 मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 19 अगस्त, 1996

विषय :– उत्तर प्रदेश सरकार में पेंशन अदालत गठित किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने अपने पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लम्बित पेंशन प्रकरणों को शीघ्रता से निस्तारित किये जाने हेतु सदैव प्रयत्नशील है तथा इस संदर्भ में समय–समय पर आवश्यक आदेश भी निर्गत किए गए हैं। फिर भी इस दिशा में वांछित गति नहीं प्राप्त की जा सकी है। ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि प्रायः सभी विभागों में ऐसे पेंशन प्रकरण भी हैं जो या तो विवादित हैं या अति दीर्घकाल से लम्बित हैं। ऐसे प्रकरणों को निस्तारित कराने की अधिक आवश्यकता है। अतएव सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त प्रकार के लम्बित/विवादित पेंशन प्रकरणों को यथास्थान निस्तारित कराने हेतु श्री राज्यपाल महोदय ने पेंशन अदालत गठित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है। पेंशन अदालत की रूपरेखा निम्नवत् होगीः–

पेंशन अदालत के सदस्य–

(1) वित्त सचिव	अध्यक्ष
(2) सचिव, कार्मिक विभाग	सदस्य
(3) सचिव, संबंधित विभाग या नामित व्यक्ति, जो उप सचिव स्तर से निम्न स्तर का न हो।	सदस्य
(4) सचिव, न्याय विभाग या नामित व्यक्ति, जो उप सचिव स्तर से निम्न स्तर का न हो।	सदस्य
(5) संयुक्त सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
(6) निदेशक, पेंशन	सदस्य–नोडल अधिकारी

पेंशन अदालत का कार्यक्षेत्र–

पेंशन अदालत में निम्न प्रकार के मामलों पर विचार किया जायेगा,–

(1) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ऐसे मामले जिनकी पेंशन/ग्रेच्युटी स्वीकृत न हुई हो।

(2) पेंशन के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के विरूद्ध पेंशनर द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन पर विचार।

(3) सेवानिवृत्ति के उपरान्त यदि वेतन आदि का पुनरीक्षण किया गया है, तो तदनुसार पेंशन पुनरीक्षण के मामले।

(4) ऐसे प्रकरणों, जिनके निस्तारण में प्रशासकीय विभाग और पेंशन विभाग में मतभेद हो।

(5) ऐसे प्रकरण, जो न्यायालय में लम्बित हों, परन्तु पेंशनर उसे न्यायालय से बाहर निस्तारित कराने के इच्छुक हों।

(6) पेंशनरों की अन्य शिकायतों के संबंध में।

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी उक्त संदर्भित बिन्दुओं पर विचार करने के लिए अपना प्रत्यावेदन पेंशन अदालत को संदर्भित कर सकते हैं। प्रत्यावेदन की एक प्रति अपने प्रशासकीय विभाग, जहाँ से वे सेवानिवृत्त हुए हों, को भी देंगे।

पेंशन अदालत से संबंधित नोडल अधिकारी संदर्भित मामलों का परीक्षण करके अध्यक्ष की अनुमति से पेंशन अदालत की तिथि निर्धारित करेंगे। उस तिथि से दो माह पूर्व संबंधित वादी को तथा प्रशासकीय विभाग एवं विभागाध्यक्ष को सूचित करेंगे, पेंशन अदालत के संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों एवं दूरदर्शन के माध्यम से एवं रेडियों के माध्यम से प्रचार करवायेंगे। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष ऐसे प्रार्थना–पत्रों को उनके सम्पूर्ण विवरण सहित नोडल अधिकारी अर्थात पेंशन निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को एक सप्ताह के अन्दर संदर्भित करेंगे। जिन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के मामले अदालत में सुने जायेंगे उन पेंशनरों को अदालत की बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दे दी जायेगी। इसकी सूचना संबंधित पेंशनर के प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को भी दी जायेगी, जो पेंशन अदालत में सुनवाई के समय उपस्थित रहेंगे।

पेंशन निदेशक विभिन्न जनपदों में लम्बित पेंशन प्रकरणों को देखते हुए एवं आवश्यकतानुसार पेंशन अदालत लगाए जाने के संबंध में माह एवं तिथि प्रस्तावित तिथि सहित अपना प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करेंगे तथा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार अदालतों का स्थान/तिथि एवं समय की घोषणा की जाएगी जिससे कि पेंशन अदालत गठित किए जाने के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके।

भवदीय
पी0 के0 मिश्र
सचिव।

——————

संख्या सा–3–1186/दस–98–17–95

प्रेषक,

मुहम्मद हलीम खाँ,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्लायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4–समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 15 सितम्बर, 1998

विषय :–मण्डल स्तर पर पेंशन अदालत के आयोजन हेतु।

महोदय,

राज्य सरकार ने सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति पर उनके नैवृत्तिक लाभों के निस्तारण हेतु एवं पारिवारिक पेंशनरों को अनुमन्य देयों के भुगतान तत्काल कराने के उद्देश्य से निरन्तर प्रयास किया है। इस संदर्भ में यथासम्भव, जो भी प्रभावी कार्यवाही सम्भव है, की गई है। यद्यपि राज्य सरकार में पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की दशा में बहुत गतिशीलता आई है फिर भी ऐसा अनुभव किया गया है कि इस दिशा में पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों एवं शासन स्तर पर सम्बद्ध व्यक्तियों में और

अधिक जागरूकता लाई जाए और दोनों पक्षों की संहत भागीदारी से लम्बित प्रकरणों को यथास्थान निस्तारण किया जाए। इसी उद्‌देश्य से शासनादेश संख्या सा–3–923/दस–96–17–95, दिनांक 19 अगस्त, 1996 द्वारा पेंशन अदालत का गठन किया गया है। विभिन्न मण्डलों में इस प्रकार की अदालतें आयोजित हुयी हैं तथा इनसे उत्साहवर्द्धक परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। पेंशन अदालतों की सफलता के परिप्रेक्ष्य में यह अनुभव किया गया कि इस प्रकार की अदालतें प्रत्येक मण्डल पर नियमित रूप से तीन माह में एक बार अवश्य आयोजित की जाए जिससे क्षेत्रीय पेंशनरों को अधिकाधिक लाभ मिल सके।

2–अतः राज्य सरकार के राजकीय पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लम्बित पेंशन प्रकरणों को शीघ्रता से निस्तारित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या सा–3–923/दस–96–17–95, दिनांक 19 अगस्त, 1996 (प्रतिलिपि संलग्न है) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक विचारोपरान्त ''पेंशन अदालत'' को और अधिक व्यापक, गतिशील एवं प्रभावी बनाने की वर्तमान व्यवस्था में निम्नलिखित संशोधन किये जाने का निर्णय लिया हैः–

वर्तमान व्यवस्था	**संशोधित व्यवस्था**
(1) वित्त सचिव–अध्यक्ष	संबंधित मण्डल के मण्डलायुक्त–अध्यक्ष
(2) सचिव, कार्मिक विभाग–सदस्य	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी–सदस्य
(3) संयुक्त सचिव, वित्त विभाग–सदस्य	संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, कोषागार सदस्य एवं संयोजक
(4) निदेशक, पेंशन–सदस्य	निदेशक, पेंशन स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति, जो उप निदेशक स्तर से निम्न स्तर का न हो।

3–पेंशन अदालत राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपादान/राशिकरण एवं अन्य सम्बन्धित नियमों की सीमा में रहते हुए विचाराधीन पेंशन प्रकरणों को निस्तारित करेगी।

4–समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वे पेंशन अदालत के आयोजन में पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा पेंशन अदालत द्वारा वांछित सभी अभिलेख/सूचना निर्धारित समय से उपलब्ध करायें तथा साथ ही पेंशन अदालत द्वारा दिये गये निर्णय/आदेशों का अनुपालन भी समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करें।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 19 अगस्त, 1996 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष व्यवस्था पूर्ववत्‌ रहेगी। मा0 न्यायालयों में विचाराधीन/उनके अथवा शासन द्वारा निर्णीत प्रकरण पेंशन अदालत में सम्मिलित नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त यह भी अनुरोध है कि कृपया मण्डलायुक्त अपने स्तर पर पेंशन अदालत की बैठकें प्रत्येक तीन माह में एक बार आवश्य आयोजित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

मुहम्मद हलीम खाँ

सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 1 शैक्षणिक एवं शोध संस्थान-11-07-2019-(392)-1000 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।